




१५ जून, १९६० (२४ ज्येष्ठ, १९८२)





राष्ट्रपति, डा० राजेन्द्र प्रसाद १६ मई को बरेली की नगरपालिका द्वारा भेंट किया गया मान-पत्र स्वीकार करते हुए

जवाहरलाल नेहरू मण्डल अरब गणराज्य में करना मंदिर का भारत की वापसी में श्री नेहरू १७ से १९ मई तक उस देश के राजधानी नगर में "राजाओं की घाटी" और पुरातत्व की मंडल भ्रमण करेंगे



मंडल अरब गणराज्य के प्रेमीडेंट, परम ध्यष्ट श्री गमान अइराल नगर १७ मई को काहिरा हवाई अड्डे पर प्रयाण मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू का स्वागत करते हुए



# भारतीय समाचार

वर्ष ३

१५ जून, १९६०  
२५ ज्यूल, १९६२

क्र. १०

एक प्रति ४०.०४५ १ तिनिग १४ मेट


वारिक मूय ४० ९.०० १८ मि. ३.५ डालर

## मुख्य विषय

भारतीयों का अधिवासीक उपयोग स्वराष्ट्र मन्त्रालय के मुताबिक	...	३०६
मन्त्रालय क्षेत्र में पेट्रोल का उत्पादन और मरकाट	...	३०८
१९५९ में मनिष्ठ का उत्पादन	...	३३०
इंजीनियरों का मान का निर्धारण	...	३३१
बंद बन्दरगाहों में रोजगार की स्थिति	...	३३५
देवनागरी लिपि का समोधित स्वरूप	...	३४१

**भावपूर्ण चित्र :** राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद, प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के विदेश यात्रा से लौटने पर राष्ट्रपति भवन, नयी दिल्ली में उनका स्वागत करते हुए

(‘भारतीय समाचार’ में सरकारी गतिविधियों और घोषणाओं का संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। स्पष्ट संक्षेप के कारण अनेक विषयों को संक्षेप में ही दिया जाता है। ऐसे विषयों को पूर्ण अधिष्ठित विवरण नहीं सम्माना चाहिए।)



## अप्रैल १९६० में विशेष पुलिस संगठन का कार्य

अप्रैल १९६० में केन्द्रीय स्वराष्ट्र मन्त्रालय के विभाग पुलिस संगठन ने ११४ मन्त्रालयी कर्मचारियों के विस्थापन मुद्दे का मुद्दा किया, जो अब भी जारी है। इनमें १६ मजदूर अधिकारी भी शामिल हैं।

मजदूर अधिकारियों में प्रतिरक्षा मन्त्रालय के ५ कर्मचारी-गान्ध अधिकारी, रेल, निर्माण, आवास और पूर्ण तथा दण्डन, खान और ईंधन मन्त्रालय के २००, जीए वाणिज्य और उद्योग, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति, वित्त तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयों का १-१ अधिकारी शामिल हैं।

इन ११४ कर्मचारियों में से १२ के विस्थापन मुद्दे का पुरा हो चुकी है और मुकदमा दायर

कर दिया गया है। इनके विस्थापन घोषणादेशों आदि का आरोप लगाया गया है।

### जाती पार-पत्र

एक ट्रेडिंग एजेंट फर्म के डायरेक्टरों, मैनेजर्स आदि ५० व्यक्तियों को पार-पत्रों में शामिल करने के अग्रगण्य में पकड़ा गया। इन जातीय पार-पत्रों में ३० व्यक्ति भारत में बाहर चले गए थे, जिन्हें पकड़ कर भारत वापस लाया गया। एक अन्य मामले में एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के पांच डायरेक्टरों और १ सेक्रेटरी के विपक्ष मुकदमा चलाया गया। इन व्यक्तियों को जातीय घोषणा देना और घोषणा देने के अपराध में पकड़ा गया था।

### बंद

अप्रैल के महीने में ७ सरकारी कर्मचारियों और ५ अन्य व्यक्तियों को ५ साल तक की बंद

की सजा दी गई और कुल मिला कर ५५,३०० रु. जुर्माना किया गया।


एक मब-पोस्ट मास्टर श्री रणधीर सिंह को मबन के अपराध में ५ साल की सख्त बंद और ५४ हजार का जुर्माना हुआ।

### विभागीय कार्रवाई

आलोच्य मास में २६ सरकारी कर्मचारियों को उनके विभागों में दंड दिया। चार को नौकरी से बर्खास्त और १ को जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया। दस कर्मचारियों का या तो वेतन कम कर दिया गया या वेतन में वृद्धि नहीं दी गई।


एक अवर सचिव को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि वह एक फर्म में कुछ व्यापार करता था और उन फर्म को सरकारी मदद दिलवा रहा था।

अप्रैल में तीन व्यक्ति रिश्तत लेते समय रंग हाथों पकड़े गए। इनमें एक मल्हार्द रंजन का कैप्टन था जो एक ठेकेदार में ५०० रु. पर ले रहा था। २ रेल-कर्मचारियों को भी रिश्तत लेते हुए पकड़ा गया।



राष्ट्रपति, डा० राजेन्द्र प्रसाद १६ मई को बरेली की नगरपालिका द्वारा भेंट किया गया मान-भय स्वीकार करते हुए

जवाहरलाल नेहरू संयुक्त अरब गणराज्य में करना मंदिर से भारत की वापसी में थीं नेहरू १७ से १९ मई तक उस जगह उन्होंने गश्मर में "राजाओं की घाटी" और पुरातत्व की पर्यटन स्थल देते



संयुक्त अरब गणराज्य के प्रेसीडेंट, परम धृष्ट श्री गमान अब्दुल नागर १७ मई को काहिरा हवाई अड्डे पर प्रयाग मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू का स्वागत करते हुए



# भारतीय समाचार

पृष्ठ ३

१५ जून, १९६०  
२५ जून, १९६०

पृष्ठ १०

एक प्रति ६० ०.४५ १ गिणिस १४ सेंट


वार्षिक मूल्य ६० ९.०० १८ सि. ३.५ डाकर

## मुख्य विषय

राजीवगरी का अधिकाधिक उपयोग के मुद्दापर	...	३२६
सरकारी क्षेत्र में पैदाश का उत्पादन और सरकारी	...	३२८
१९५९ में गनिज का उत्पादन	...	३३०
इंजीनियरी मामान का नियमित	...	३३१
बड़े बन्दरगाहों में राजगार की नियमित	...	३३५
देवनागरी लिपि का समर्थित स्वरूप	...	३४१

**भावपूर्ण चित्र : राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद, प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के विदेश यात्रा से लौटने पर राष्ट्रपति भवन, नयी दिल्ली में उनका स्वागत करते हुए**

(‘भारतीय समाचार’ में सरकारी गतिविधियों और घोषणाओं का संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। स्थान संकोच के कारण अनेक विषयों को संक्षेप में ही दिया जाता है। ऐसे विषयों को पूर्ण अधिकृत विवरण नहीं समझना चाहिए।)



## अप्रैल १९६० में विशेष पुलिस संगठन का कार्य

अप्रैल १९६० में केन्द्रीय स्वराष्ट्र मंत्रालय के विशेष पुलिस संगठन ने ११४ सरकारी कर्मचारियों के विनाशकारी जाच गुरू की, जो अब भी जारी है। इनमें १६ गजटेंट अधिकारी भी शामिल हैं।

गजटेंट अधिकारियों में प्रतिस्था मंत्रालय के ५ कर्मस्थान-प्राप्त अधिकारी, रेल, निर्माण, आवास और पूनित तथा इराफत, खात और ईंधन मंत्रालय के ०-२, और वाणिज्य और उद्योग, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति, वित्त तथा स्वास्थ्य मंत्रालयों का १-१ अधिकारी शामिल हैं।

इन ११४ कर्मचारियों में से १२ के विनाशकारी जाच गुरी हो चुकी है और मुकदमा दायर

कर दिया गया है। इनके खिलाफ भांगरादेशी आदि का आरोप लगाया गया है।

## जाली पार-पत्र

एक इंडिया एजेंट फर्म के डायरेक्टरों, मनेत्रों आदि ५० व्यक्तियों को पार-पत्रों में जालसाजी करने के अपराध में पकड़ा गया। इन जाली पार-पत्रों में ३९ व्यक्ति भारत से बाहर चले गए थे, जिन्हें पकड़ कर भारत वापस लाया गया। एक अन्य मामले में एक ज्वाइंट स्टोर कम्पनी के पांच डायरेक्टरों और १ मैनेजरी के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। इन व्यक्तियों को जाली चेयर वमानों और पोलो देने के अपराध में पकड़ा गया था।

## बंड

अप्रैल के महीने में ७ सरकारी कर्मचारियों और ५ अन्य व्यक्तियों को ५ साल तक की कैद

की गजा दी गई और कुल मिला कर ५५,३०० ६० जमाना किया गया।


एक मन्-पोस्ट मस्टर श्री रणधीर-मिह का गवन के अपराध में ५ साल की सखत कैद और ५४ हजार का जुर्माना हुआ।

## विभागीय कार्रवाई

आलोच्य मास में २६ सरकारी कर्मचारियों को उनके विभागों में दंड दिया। चार को नौकरी से बर्खास्त और १ को जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया। दस कर्मचारियों का या तो वेतन कम कर दिया गया या वेतन में वृद्धि नहीं दी गई।

एक अवर सचिव को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि वह एक फर्म से कुछ व्यापार करता था और उस फर्म को सरकारी मदद दिलवा रहा था।

अप्रैल में तीन व्यक्ति रिखत लेते समय रगे हाथी पकड़े गए। इनमें एक गल्पाई स्टेशन का कैप्टन था जो एक ठेकेदार से ५०० २० घस ले रहा था। २ रेल-नर्मचारियों को भी रिखत लेते हुए पकड़ा गया।



राष्ट्रपति, डा० राजेन्द्र प्रसाद १६ मई को बरेली की नगरपालिका द्वारा भेंट किया गया मान-पत्र स्वीकार करते हुए

डी, श्री जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय अरब गणराज्य में बनना मंदिर  
 १ मन्त्र से भारत की बांगनी में श्री मंत्र १७ से १९ मई तक उम  
 ले में, जहाँ उन्होंने लखनऊ में "राजाजी की घाटी" और पुरातत्व की  
 अन्य महत्वपूर्ण स्थल देते



मंत्रालय अरब गणराज्य के प्रेसीडेंट, परम ध्येय श्री गमान अहमद लखन  
 १७ मई को काटिरा हवाई अड्डे पर प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल  
 नेहरू का स्वागत करते हुए



# भारतीय समाचार

वर्ष ३

१५ जून, १९६०  
२५ जून, १९६२

पृष्ठ १०

एक प्रति रु० ०.४५ १ निमित्त १४ सेंट


वार्षिक मूल्य रु० ९.०० १८ नि. २५ डालर

## मुख्य विषय

भारतीयों का अधिकाधिक उपयोग : स्वराष्ट्र मंत्रालय के मुताबिक	... ३२६
सरकारी क्षेत्र में पेट्रोल का उत्पादन और मर्यादा	... ३३८
१९५९ में खनिज का उत्पादन	... ३३०
उद्योगिकीयों का नामान्तरण का निर्वान	... ३३१
दूर दूरस्थानों में रोजगार की स्थिति	... ३३५
द्विभागीय लिपि का समीक्षित स्वरूप	... ३४१

**सावरण चित्र :** राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद, प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के विदेश यात्रा से लौटने पर राष्ट्रपति भवन, नयी दिल्ली में उनका स्वागत करते हुए

(‘भारतीय समाचार’ में सरकारी गतिविधियों और घोषणाओं का संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। स्थान संशोधन के कारण अनेक विषयों को संक्षेप में ही दिया जाता है। ऐसे विवरणों को पूर्ण अधिष्टत विवरण नहीं सम्मानना चाहिए।)



## अप्रैल १९६० में विदेशी मुक्ति संगठन का कार्य

अप्रैल १९६० में केन्द्रीय स्वराष्ट्र मंत्रालय के विदेशी मुक्ति संगठन में ११४ सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुन्दी जान बूझ की, जो अब भी जारी है। इनमें १६ गजेटेड अधिकारी भी शामिल हैं।

गजेटेड अधिकारियों में प्रतिस्था मंत्रालय के ५ कर्मचारी-जान अधिकारी, रेल, निर्माण, आवास और पुनर्स्थापना, खान और धूम मंत्रालय के २-२, और वाणिज्य और उद्योग, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और रक्षा, वित्त तथा स्वास्थ्य मंत्रालयों का १-१ अधिकारी शामिल हैं।

इन ११६ कर्मचारियों में से १२ के परिवारों को भी मुन्दी जान बूझी है और मुकदमा दायर

कर दिया गया है। इनके खिलाफ धोखाधड़ी और बा अरों लगाया गया है।

### जाली पार-पत्र

एक ट्रेडिंग एजेंट फर्म के डायरक्टरों, मैनेजर्स आदि ५० व्यक्तियों को पार-पत्रों में जालसाजी करने के अपराध में पकड़ा गया। इन जाली पार-पत्रों में ३५ स्थानों भारत में बाहर चले गए थे, जिन्हें पकड़ कर भारत वापस लाया गया। एक अन्य मामले में एक जगडेट स्टार कम्पनी के पांच डायरक्टरों और १ मैनेजरों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। इन व्यक्तियों को जाली घोषणा करने और धोखा देने के अपराध में पकड़ा गया था।

### बंड

अप्रैल के महीने में ७ सरकारी कर्मचारियों और ५ अन्य व्यक्तियों को ५ साल तक की कैद

की सजा दी गई और कुल मिला कर ५५,३०० रु० जुमाना किया गया।

एक सब-गोस्ट मास्टर श्री रणधीर-मिह को गवर्न के अपराध में ५ साल की सख्त कैद और ५४ हजार का जुमाना हुआ।


### विभागीय कार्रवाई

आलोच्य मास में २६ सरकारी कर्मचारियों को उनके विभागों में दंड दिया। चार को नौकरी से बर्खास्त और १ को जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया। दस कर्मचारियों का या तो वेतन कम कर दिया गया या वेतन में वृद्धि नहीं दी गई।

एक अबर सचिव को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि वह एक फर्म से कुछ व्यापार करता था और उम फर्म को सरकारी मदद दिलावा रहा था।

अप्रैल में तीन व्यक्ति रिस्वत लेने समय रुंगे हाथों पकड़े गए। इनमें एक मध्यम स्टेशन का कंट्रोलर था जो एक ठेकेदार से ५०० रु० घस ले रहा था। २ रेल-कर्मचारियों को भी रिस्वत लेते हुए पकड़ा गया।





### मीमा-गुहक की रिभावत अन्य चीजों पर लागू


वि विनयन (गणना विभाग) की २० मई की एन डिक्रिप्शन में कहा गया है कि निम्नो होने वाले मित्त के बगैरे में काम आने वाले मादक के पानों के मीमा-गुहक के बाधन करने की योजना की गई है।

नादक के पानों के अलावा अल्पमादक की बनी द्रव्यकारियों की चीजों, मादकीय के बने वैरिफिक और टैगिंग के बन्नी, प्लास्टिक के

गामान और घाम की पेटियों में भी मीमा-गुहक में छूट देने की व्यवस्था की गई है।

### स्टेट बैंक आफ इंडिया की नयी शाखा

उत्तर प्रदेश के मुखयकतनगर जिले के एन छोटे नगर कैराना में १ जून, १९६० को स्टेट बैंक आफ इंडिया की नयी शाखा खुल जायेगी। इसका उद्घाटन वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई करेंगे। यह स्टेट बैंक आफ इंडिया की ४००वीं शाखा होगी।



### सरकारी क्षेत्र में पेट्रोल का उत्पादन घोर सफाई

स १९६५ तक भारत को बी वी १ करोड़ ६० लाख टन पेट्रोल की जरूरत होगी और १९७५ तक यह उत्पादन ३ में ४ करोड़ टन तक बढ़ जायेगा। इसी प्रकार तेल उद्योग में सरकार के हाथ हाथों का बाधन मुद्रा अर्थिक और सामर्थ्य है।

लगभग ३० वर्ष पहले सम्भाल क्षेत्र में गंधा में एन भारतीय में अपने बलबूने पर मुदाई करने के गैस का पता लगाया, लेकिन पञ्जाब के बाधन यह काम का आगे नहीं बढ़ा सका। देन और विदेश की तेल कम्पनियों को इस बात की पूरी जानकारी थी, फिर भी उन्होंने इस काम को आगे नहीं बढ़ाया। इसने अर्थिक और काम का पराधक इतक पर्य में हो गया है कि सरकार को तेल उद्योग में हाथ डालना पारिष्ठ।

गारे मगर में तेल कम्पनियां पट्टे दिना कर काम करती हैं। तेल उद्योग के बिनाम के लिए मुद्रादूत और घन के अलावा मारम के साथ काम करने की आवश्यकता है और केवल मुद्रादूत की दृष्टि में इस उद्योग की गठी बढ़ाया जा सकता। इन सब कारणों को देखते हुए केवल सरकार का सरकारों बननी ही बड़े पैमाने पर और निरन्तरि षि में काम कर सकती है। हमारे अच तक के परीक्षण में भी इसी बात की पुष्टि की है। भारत में ६ लाख वर्गमीटर क्षेत्र में है, जिसमें तेल मिलने की सम्भावना है। अलग १९५६ में भारत सरकार ने तेल सदा प्राकृतिक तेल कम्पनी नियुक्त किया था और अक्टूबर १९५९ में इस मगर के अतिरिक्त ड्रामा कम्पनी कायदा का कर दे दिया गया। इस

कार्य में उवालासुगी, सम्भाल और निवसागर में मुदाई कराई है और बलुन-मे स्थानों पर भूगर्भ सम्बन्धी पड़ताले कराई है। कई स्थानों पर तेल बरी पड़ित्यों का पता लगा है। सम्भाल में जो पांच कुए खोदे गए हैं, उनमें तेल मिलने के आसार हैं और गान तथा तेल मन्त्री में हांल में ही कहा था कि यहा तेल का अन्धका अन्धकार है और हमें इसी के आसराग एक तेल-सोपक कारखानों की भी योजना बननी होगी।

उन्होंने आ बताया कि तेल की खोज में भारत के अपने मित्र देना, कम, अमरीका, कनाडा, रुमानिया, ५० जर्मनी, और ब्रिटेन में गहायता मिली है। भारत को तेल के लिए प्रतिवर्ष १ अरब ४० देना होता है। इस राशि में समुद्र-तट पर स्थित तीनों तेल-सोपक कारखानों के लिए खरीदे जाने वाले बच्चे तेल का मूल्य भी शामिल है। इस १ अरब ४० के अलावा, भारत की विदेशों को मुनका भेजने, मर्यानों की घिमाई और निम्नियों की सेवाओं के लिए बाकी पया देना पड़ता है। तीसरी पचवर्षीय योजना में यह खर्च १।५ में २ अरब ४० तक होगा, इसलिए तीसरी योजना में तेल की खोज को बही स्थान दिया जाएगा, जो दूसरी योजना में इसका उद्योग को दिया गया है। इस दृष्टि में भारत सरकार ने देनी और विदेशी तेल उद्योगियों को भारत में तेल की खोज करने का निमन्त्रण दिया है। इस काम के लिए ऐसी सन्ने सगी जायेगी जो दोना पक्षों को मान्य हो।

तेल-सोपक कारखानों के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए श्री गार्गी ने कहा कि इस समय देश में पार कारखाने हैं और वे सब निरर्थक हैं। सब तेल कम्पनियां बरौब ५५ लाख टन तेल प्रतिवर्ष निकालती हैं। भारत सरकार ने विज्ञान में बरीनी और आनाम में गुवाहाटी में दो तेल-सोपक कारखाने स्थापित करने का निश्चय किया है। जब ये कारखाने चालू हो जायें, तब देश में ८३ लाख टन तेल निकाला जा सकेगा। तीसरी योजना की अवधि में यह सम्मान बढ़कर १ करोड़ ४० लाख टन हो जायेगा।

तेल की मुदाई के बिना सब ही तेल के बिनाम और मुदाई का महत्त्व है। हमने भारतीय तेल कम्पनी बनाई है, जो सरकारों कारखानों के पेट्रोल और पेट्रोल की खोजों

का ही बितरण नहीं करेगी, बल्कि विदेशों में पैटेंट की नीचे लगाकर देग में बाटेगी।

अभी तक पैटेंट और इनकी नीचे लेल या मोटरों आदि में डीई जानी है। हम आजकल देग में दूर-दूर तक लेल बिछाने की सम्भावना पर विचार कर रहे हैं। ७०० मोल लखी नली की मानद बिछाई भी जा रही है जो गलतबिछाई में बरौनी तक बच्चा लेल पहुँचाएगी। गलतबिछाई में एच पावर-मिल भी मशीनों की जा रही है। रिसेनों में नली के मगाने में दुलाई पर जो लेब आता है उसका उपयोग उन मिल के निर्माण में किया जा रहा है।

### १९५६ में बंक व्यापार की प्रगति

सू १९५९ में देग की अर्थ-व्यवस्था में विदेशी मुद्राएँ जाई, घटती मुद्रा वाटुल्य में बाँटे बनी नहीं हुई। सरकारी उद्योग-धर्मों में वृद्धि अधिक लगी और निजी उद्योग-धर्मों में भी पिछले साल से अधिक पन लगाया गया। देग मात व्यापारी बँकों की जमा पूँजी में २ अरब ५३ करोड़ २० की वृद्धि हुई और घट राशि १८ अरब १९ करोड़ २० तक पहुँच गई। १९५८ में जल वृद्धि २ अरब १९ करोड़ २० की थी। इन प्रकार घट रहा जा सकता है कि एक जीव लोग बँकों में अपना पन्ना जमा कराना पसन्द करने लगें हैं और दूसरी ओर बँक भी अपने काम को बढ़ाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।

यह बात रिजर्व बैंक की १९५९ की हाद में प्रकाशित रिपोर्ट में बनी गयी है।

#### अनुसूचित बँकों के ऋण

पिछले मात अनुसूचित बँकों में पड़ने में बहुत अधिक, ९१ करोड़ २० बने दिया। १९५८ में ११ करोड़ २० ही इन प्रकार दिया गया था। नूकि बँकों के पान धन बड़ी अधिक जमा करवा गया, इसलिए जमा और ऋण का अंशमान १९५८ के ५४८ प्रतिशत में घटकर ५२२ प्रतिशत रह गया। उद्योगों की बँकों में अक्षुब्ध में समान वधि में २० करोड़ २० अधिक दिया, जबकि पिछले मात १४ करोड़ २० ही दिया था। कुल अगाऊ रकम में से उद्योगों के लिए इन वधि ४५ प्रतिशत थी गई। पिछले पाच मात में पहली बार यह अनुपात इतना मिला है, अक्षुब्ध १९५८ में यह ४८ प्रतिशत था।

### ऋण नीति

इन वधि धर्मों के बचने के इर में ऋण देने में बाड़ी मावधानी बानी गई और कई धर्मों के लिए ऋण देने पर नियंत्रण रखा गया। अनाज और चीनी के अलावा मूँगकी और तेलहूनों पर भी ऋण देने में निरप्रण रखा गया। उनी प्रकार बँकों को आदेम दिया गया कि वे अधिक गानबाग बाँटे रिनों में कच्चे माल और तैयार माल की रोकें रखने के लिये अधिक ऋण न दें। रिजर्व बैंक ने यह प्रयत्न भी किया कि अनुसूचित बँक रिजर्व बैंक में अधिक धन पाने को आना न बने। इसके लिए ऋण की सीमा पिछले मात के मुकाबले आधी पर दी गई।

#### सरकारी हूडियों की बिशे

रिपोर्ट में बजा गया है कि इन वधि रिजर्व बैंक ने ६९ करोड़ २० की सरकारी हूडियों को मुद्रा बिनी की। पिछले वधि सरकारी हूडियों की बिनी १ अरब १७ करोड़ २० की रही थी। अमरीका के पी० एल०-४८० के अर्नाम स्टेट बैंक की मिली पूँजी के कारण भी हूडियों के बिने में मदद मिली। अनुसूचित बँकों ने १९५९ में १५० करोड़ २० की हूडिया ली। पिछले वधि २०४ करोड़ २० की ली थी। इसके मुकाबले इन बँकों के देवनी बिल १५ करोड़ २० में बढ़कर ७१ करोड़ २० के हो गए।

#### नफा-नुकसान

रिपोर्ट में बँकों के नफा-नुकसान की मर्मोधा की गई है और बदा गया है कि भारत के उन २५ बडे बँकों को, जिनमें से प्रत्येक के पाम ५ करोड़ २० या अधिक जमा था, इन वधि कुछ नफा ही रहा, यानी इनका मुद्रा लाभ पिछले मात में ३० लाख २० बरकर ३९ करोड़ २० हो गया। १९५८ में ७.६ करोड़ २० और १९५७ में ८४ करोड़ २० का लाभ हुआ था।

बार्किंग रिपोर्ट में कहा गया है कि बँकों को चाहिए कि वे उद्योगों को मध्यम अवधि के लिए बने दे, क्योंकि पुनर्वित्त तिगम भी मँसी मुविधाएँ दे रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय बँकों को इन धारे में जान करनी चाहिए कि प्राधकों को मिलने वाली बिज मुविधा पर बँकों का क्या लघे पड़ता है और उनी हिसाब से उनमें बसूली करनी चाहिए। इसी तरह तीसरी पचवर्षीय

योजना की दृष्टि में भी कई प्रकार की समस्याओं का अध्ययन करना चाहिए। इन काम में रिजर्व बैंक भी हर तरह की महायत्ना करने को तैयार है।

### सरकारी कारखानों में उत्पादन

हाल में ही जो आकड़े मिले हैं, उनमें पता चलता है कि सरकारी कारखानों में १९५९-६० में उत्पादन बढ़ा है। कई कारखानों का आजकल बित्तार ही रहा है और आता है १९६०-६१ में इन कारखानों का उत्पादन और बढ़ेगा।

हिन्दुस्तान मशीन टूल कारखाने (बंगलौर) में ७०० में अधिक मशीनें तैयार हुईं, जिनका मूल्य लगभग ३ करोड़ २० है। इस प्रकार उत्पादन पिछले साल से ३० प्रतिशत बढ़ा। इस कारखाने का तीसरी पचवर्षीय योजना का उत्पादन लक्ष्य २,००० मशीनों का रखा गया है।

मिर्जा उर्वरक कारखाने का उत्पादन १९५९-६० में ३। लाख टन रहा, जबकि वार्षिक उत्पादन-लक्ष्य ३.३ लाख टन का था। हिन्दुस्तान केमिकल कारखाने ने १९५९-६० में ६९१ मील लम्बे टेलीफोन के केबुल बनाए, जिनका मूल्य १ करोड़ १५ लाख २० होता है। इस प्रकार यहाँ का उत्पादन पिछले साल से ५.७ प्रतिशत बढ़ा।

राष्ट्रीय यंत्र कारखानों में पिछले साल के ४४ लाख २० के मुकाबले इस साल ५३ लाख ७० हजार २० के यंत्र बने। हिन्दुस्तान एण्टी-बायोडिस्क कारखाने (पिम्परी) में १४ प्रतिशत पेनीसिलीन अधिक बनी। साहू फाउंड्री और प्रागा टूल फैक्टरी में भी इस वधि उत्पादन कुछ बढ़ा।

### मिलाई कारखाने में इस्पात का उत्पादन

मिलाई इस्पात कारखाने में मई के तीसरे मत्वाह तक १ लाख टन इस्पात की मिल्लिया बनकर तैयार हुई।

इस कारखाने में २४ दिसम्बर, १९५९ को मिल्लिया का उत्पादन शुरू हुआ था। अब तक मिलाई कारखाने में ८८,०० टन इस्पात की मिल्लिया देश के रि-मिलों को भेजी जा चुकी है।

## १९५६ में खनिज उत्पादन

‘तीर्थ चान कार्मालिम ने अनुमान लगाया है कि देश में १९५९ में १ अरब ३९.१८ लाख टन खनिज निकाला गया, कि १९५८ में १ अरब ३७ करोड़ ६० लाख निकाला गया था। इसमें पेट्रोलियम और [अशुद्ध] कानून, १९४८, के अंतर्गत आने १ खनिज शामिल नहीं है।

इस प्रकार १९५९ में १९५८ की अपेक्षा खनिज उत्पादन में २ करोड़ २० लाख टन, अर्थात् १.६ प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि यले, लोहे, क्रोमाइट, सीसे और जस्ते, पत्त, डोलोमाइट और चूने के पत्थर का पादन तथा सोने का भाव बढ़ने से हुई।

१९५९ में ९४ करोड़ ८० लाख ६० के रूप का ४ करोड़ ७८ लाख ३० हजार टन पत्त निकाला गया। अन्य खनिजों का उत्पादन इस प्रकार रहा : तांबा ४,०४,००० टन; सोना ५,१४४ किलोग्राम; इलमेनाइट ०,३,००० टन; लोहा ७९,००,००० टन; तैले का पत्थर १,०६,००,००० टन; मैंगनीज २,००,९०० टन; अम्लक २८,९९४ टन; तैर नमक ३२,००,००० टन।

मूल्य की दृष्टि से १९५९ में कम मूल्य का खनिज निकाला गया। १९५८ में इसके मूल्य का सूचक अंक (१९५१ की आधार=१०० मानकर) १२६ था, जो १९५९ में गिरकर १२५.६ रह गया।

### बिहार में सर्वाधिक उत्पादन

१९५९ में सबसे अधिक खनिज बिहार में निकाला गया। वहाँ कुल उत्पादन का ३६ प्रतिशत, अर्थात् ५० करोड़ ३० लाख ६० का खनिज निकाला गया। इसके बाद पश्चिम बंगाल में कुल उत्पादन का २२ प्रतिशत और मध्य प्रदेश में ११ प्रतिशत खनिज निकाला गया।

### निर्गत

१९५९ में ४७ करोड़ ४० के मूल्य का खनिज विदेशों को भेजा गया, जहाँ १९५८ में ४६ करोड़ ६० का भेजा गया था। सबसे अधिक निर्गत जापान की किया गया और उसके बाद अमरीका तथा ब्रिटेन को।

## धातुओं का उत्पादन

१९५९ में कुल १ अरब ५५ करोड़ ४० लाख ६० मूल्य का धातु तैयार किया गया, जबकि १९५८ में १ अरब ११ करोड़ ५० लाख ८० का किया गया था। इस साल पिछले साल की तुलना में ४ लाख ७६ हजार टन अधिक, अर्थात् कुल १८ लाख टन तैयार इस्पात बना। लोह मैंगनीज का उत्पादन भी ४५ हजार से बढ़कर ६० हजार टन हो गया।

### धातुओं का आयात गिरा

१९५९ में १ अरब २३ करोड़ ६० का धातु विदेशों से मंगाया गया, जबकि १९५८ में १ अरब ३२ करोड़ ८० लाख ६० का मंगाया गया था। इसमें लोहे और इस्पात का प्रतिशत ६७ था। अन्य धातुओं में अलुमिनियम, तांबा, सीसा, टोना और जस्ता बाहर से मंगाया गया।

१९५९ में विदेशों से मांग गिरने के कारण मैंगनीज का भाव गिरा। तांबे और जस्ते की खपत बढ़ने तथा सफ़ाई कम होने से इन दोनों धातुओं का भाव बढ़ा।

## १९५६ में खनिज लोहे का उत्पादन

देश में खनिज लोहे के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। १९५९ में ७९ लाख ३० हजार टन लोहा निकाला गया, जबकि १९५८ में ६१ लाख ३० हजार टन निकाला गया था। इस प्रकार १९५९ में खनिज लोहे के उत्पादन में १८ लाख १० हजार टन, अर्थात् २९ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

१९५९ में बिहार में कुल उत्पादन का ४१ प्रतिशत और उड़ीसा में ३३ प्रतिशत लोहा निकाला गया। इन दोनों राज्यों में पिछले साल की तुलना में क्रमशः ९ लाख ७२ हजार टन और ४ लाख १८ हजार टन अधिक लोहा निकाला गया।

मध्य प्रदेश में ७७ प्रतिशत, अर्थात् १ लाख ८० हजार टन अधिक, बम्बई में १ लाख ६४ हजार टन अधिक और मैसूर में ५५ हजार टन अधिक लोहा निकाला गया।

इस्पात के तीन सरकारी कारखानों के चालू होने और प्राइवेट कारखानों के बढ़ने से देश में खनिज लोहे की मांग काफी बढ़ी। जापान, पश्चिम जर्मनी और पूर्वी यूरोप से भी इसकी काफी मांग आई।

१९५९ में इस्पात कारखानों को ५६ लाख ६१ हजार टन खनिज लोहा दिया गया, जबकि १९५८ में ३५ लाख ११ हजार टन दिया गया था। इस प्रकार १९५९ में इससे पिछले साल की तुलना में ६१ प्रतिशत अधिक लोहा दिया गया।

१९५९ में १९५८ से ३२ प्रतिशत अधिक खनिज लोहा विदेशों को भेजा गया।

सबसे अधिक खनिज लोहा जापान भेजा गया। वहाँ के लिए किरिबुरु खान को बढ़ाया जा रहा है, जिससे २० लाख टन लोहा निकाला जा सकेगा। जापान को ४० लाख टन और लोहा भी भेजने का प्रबन्ध किया जा रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश में बंलादिला खान खोदने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

## १९५६ में डोलोमाइट का उत्पादन

डोलोमाइट का उत्पादन १९५५ से बढ़ता रहा है। १९५९ में इसका उत्पादन ३ लाख २५ हजार टन हुआ, जो कि पिछले सभी वर्षों में अधिक था। उड़ीसा में इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। देश में पाए जाने वाले कुल डोलोमाइट का ९७ प्रतिशत इस राज्य में मिलता है।

डोलोमाइट लोहे और इस्पात के कारखानों की भट्टियों के भीतर लगाया जाता है। तीन नये इस्पात कारखानों की स्थापना और टाटा इस्पात कारखाने के विस्तार के कारण डोलोमाइट की मांग बहुत बढ़ गई है। इसलिए उड़ीसा के अतिरिक्त बम्बई और राजस्थान में भी डोलोमाइट का उत्पादन प्रारम्भ किया गया है और अब वहाँ भी काफी परिमाण में यह मिलने लगा है।

## जनवरी-मार्च १९६० में तांबे का उत्पादन

भारतीय चान कार्मालिम के अनुसार जनवरी-मार्च, १९६० में देश की खानों में कुल १,०६,४७२ टन खनिज तांबा निकाला गया। पिछले साल की इसी अवधि में ९८,९६१ टन खनिज तांबा निकाला गया था। इस प्रकार लगभग ८ प्रतिशत अधिक तांबा निकाला गया। यह सारा तांबा बिहार राज्य के मिहभूम जिले में निकाला गया।

इसी अवधि में २,२९० टन ताबा (पातु) बनाया गया, जबकि १९५९ की इसी अवधि में १,७९८ टन ताबा (पातु) बनाया।

### पुस्तकों का निर्यात

पिछले साल भारत ने लगभग १ करोड़ ६० की पुस्तकें बाहर भेजीं। पुस्तकें मंगाने वाले देशों में पाकिस्तान, बर्मा, लडा, इण्डोनेशिया, मलाया, फ्रिंटेन, अमरीका, फ्रांस, सिंगापुर, कैनिया और अरब हैं।

ब्रिटीश साम्राज्य और उद्योग मण्डल्य पुस्तकों का निर्यात बढ़ाने के लिए परस्पर कर रहा है। इस काम के लिए दस वर्ष पूर्व में देश के प्रमुख प्रकाशकों और पुस्तक निर्यातकों की बैठक बनाने में बृहत्तम प्रयास हुए।

महात्मा की हलाल की पत्रालय ने पता चला है कि पाकिस्तान, अमरीका, जापान, हांगकंग, सिंगापुर, मद्रास, बर्मा, मलाया और आस्ट्रेलिया की अधिक पुस्तकें भेजी जा सकती हैं। इस बात पर जोर दिया गया है कि इंडो-नियरी और सिरिफिक द्विपों की पुस्तकों के मंगाने व्यवस्थाओं को इन देशों में काफी गपत हो सकती है। भारतीय पत्रा, पुस्तक, मन्थन और जन-जीवन मन्थनी मन्थन पुस्तकें भी इन देशों में आसानी से बिकी जा सकती हैं। पश्चिम एशिया के देशों की कुलान की प्रतिष्ठा काफी मन्थन में निर्यात की जा सकती है।

पत्रालय की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कुछ देशों में तमिल, गुजराती, उर्दू और बंगाली आदि भारतीय भाषाओं की पुस्तकों की गपत हो सकती है। पाकिस्तान में कानून,

कहानी और उपन्यास, फिल्मों पत्रिकाएं और इंडो-नियरी आदि की पुस्तकों की भी मांग है। पूर्वी पाकिस्तान में अंग्रेजी की पाठ्य-पुस्तकों के अलावा उर्दू और बंगाली साहित्य की पुस्तकों की काफी गपत है। तमिल की पुस्तकें मलाया और लंबन की निर्यात की जा सकती हैं।

### प्लास्टिक के सामान का निर्यात

भारत में १९५९-६० में ७० लाख ६० का प्लास्टिक का सामान बाहर भेजा, जबकि १९५५-५६ में ७ लाख ० का ही सामान बाहर भेजा गया था। भारत से पश्चिम के फ्रेंच, फाउंटन वन, यूट्रियां, छतरियां की मूटें आदि बाहर भेजी जाती हैं।

भारत में ये चीजें विनोदकर दक्षिण-पूर्वी और पश्चिमी एशिया तथा अफ्रीका के देशों को भेजी जाती हैं।

भारत सरकार ने प्लास्टिक की चीजों का निर्यात बढ़ाने के लिए बनेक उपाय किए हैं। प्लास्टिक की चीजों का निर्यात बढ़ाने के लिए एक परिषद बनाई गई है। परिषद ने विदेशों में इस सामान की विप्री की बढ़त के लिए अपने तिनतिभ भेजे। निर्यात के लिए जो सामान बनाया जाता है, उसे लेंपार करने में कम अीने वाले कच्चे माल पर शुल्क की छट भीी जाती है।

### इंडो-नियरी सामान का निर्यात

इंडो-नियरी माल का आंजाल दिनना निर्यात हो रहा है, उनकी देपने हुए यह जाना अवधी है कि कुछ निर्यात इन्तरी योजना के तहत में ६० प्रतिशत बढ़ाएया। योजना के पाच वर्षों में २० करोड़ ६० का इंडो-नियरी माल बाहर भेजने का निश्चय किया गया था। विन्तु अनुमान है कि दिन्म्बर १९६० तक २८ करोड़ ० मूल्य के माल का निर्यात हो जाएगा।

१९५८ तक तीन वर्षों में प्रतिवर्ष करीब ८ करोड़ ३० लाख ६० का इंडो-नियरी माल बाहर जाता रहा लेकिन पिछले साल निर्यात मूल्यम वट कर ७ करोड़ २० तक पहुंच गया। इसका ही नहीं, उर माल ९८ देशों में गया। साथ ही, १९६० के लिए इंडो-नियरी माल निर्यात बढ़ाएया न ८५ करोड़ ० के निर्यात को लक्ष्य रखा है। पश्चिम, निर्यात के लिए इंडो-नियरी माल लेंपार करने वाली को लडा और इन्पान तथा दूनग कच्चा माल दिन्पनी है। इन व्यापारियों को गारंटी देनी होगी कि वे निर्यात मात्रा में माल का निर्यात अवम नरने।

नागत न अर बडी मात्रा में मद्रास, बिजली की बसियों, रेडियों, छुरी-कांठों, बिजली के पत्तों, इन्पान के कर्नियर, बिजली के सामान, गिलाहों की मगनीन आदि का निर्यात मुरु किया है।

अन्म-अलग क्षेत्रों का हियाव लगाने में पता चलता है कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों को भारत में २७८ करोड़ ६० का इंडो-नियरी माल भेजा गया, पश्चिम एशिया को १५९ करोड़ ६०, अफ्रीका को ८३ लाख ६०, उत्तरी और मध्य अमरीका को ३७ करोड़ ६० का और यूरोप को ३२ लाख ६० का माल भेजा गया।

### क्या आप जानते हैं ?

#### सूती कपड़े का उत्पादन और निर्यात

● अनुमान है कि फरवरी १९६० में देश की सूती कपड़ा मिलों में १३ करोड़ ८० लाख पींड सूत और ५० करोड़ २० लाख गज कपड़ा बना।

● मन् १९५९ में भारत से ६१ करोड़ ६० के सूती कपड़े का निर्यात हुआ, जबकि १९५८ में इसमें १५ करोड़ ० कम का निर्यात हुआ था।

● जनवरी-नवम्बर, १९५९ में लगभग १७२ करोड़ ६० लाख गज हथकरघे का कपड़ा

बना, जबकि १९५८ की इसी अवधि में १६५ करोड़ २० लाख गज कपड़ा बना था।

● जनवरी-नवम्बर, १९५९ में मिलों में बने और हथकरघे के कुल ७३ करोड़ ३० लाख गज कपड़े का निर्यात हुआ। १९५८ की इसी अवधि में ५६ करोड़ ७० लाख गज कपड़ा निर्यात हुआ था।

● सूती कपड़े का निर्यात-मुद्दयतः इग्लैंड, अदन, राजसी अरब, लका, बर्मा, सिंगापुर, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, केन्या, सूडान, कनाडा, आस्ट्रेलिया, म्यूजीलेण्ड और अमरीका को हुआ।

● लका, मलाया, नाइजीरिया, अदन, सिंगापुर और इग्लैंड ने हथकरघे का कपड़ा बहुत खरीदा।



इसी अवधि में २,२१० टन ताबा (थायु) बनाया गया, जबकि १९५१ की इसी अवधि में १,७९८ टन ताबा (थायु) बना था।

### पुस्तकों का निर्यात

पिछले साल भारत ने लगभग १ करोड़ ४० लक्ष पुस्तकें बाहर भेजीं। पुस्तकें मगाने वाले देशों में पाकिस्तान, बर्मा, मल्ला, इण्डोनेशिया, मलाया, सिंगै, अमरीका पाकिस्तान, तिबापुर, कंबिया और अरब हैं।

केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पुस्तकों का निर्यात बढ़ाने के लिए कार्रवाई कर रहा है। इस काम के लिए इस वर्ष जून में देन के प्रमुख प्रकाशकों और पुस्तक निर्यातकों की बैठक बुलाई जाती है।

मंत्रालय की हाल की परतार ने पता चला है कि पाकिस्तान, अमरीका, जापान, हांगकांग, फ्रिन्साइन, पाकिस्तान, बर्मा, मलाया और आस्ट्रेलिया को अधिक पुस्तकें भेजी जा सकती हैं। इस बात पर जोर दिया गया है कि इन्डो-नियरी और दक्षिण अफ्रीका की पुस्तकों के मगने सम्भरणा की इन देशों में बाधी सपत हो सकती है। भारतीय कला, पुरातत्व, मन्थता और जन-जीवन सम्बन्धी मन्थि पुस्तकें भी इन देशों में आसानी से बेची जा सकती हैं। पश्चिम एशिया के देशों को कुराना की प्रतियां पानी मरणा में निर्यात की जा सकती हैं।

परतार की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कुछ देशों में तमिल, गुजराती, उर्दू और बगार्यी आदि भारतीय भाषाओं की पुस्तकों की सपत हो सकती है। पाकिस्तान में कानून,

कहानी और उपन्यास, फिन्मो पत्रिकाए और इन्डो-नियरी आदि की पुस्तकों की भी माग है। पूर्वी पाकिस्तान में अंग्रेजी की पाठ्य-पुस्तकों के अलावा उर्दू और बगार्यी साहित्य की पुस्तकों की काफी सपत है। तमिल की पुस्तकें मलाया और लका को निर्यात की जा सकती हैं।

### प्लास्टिक के सामान का निर्यात

भारत में १९५९-६० में ७० लाख ४० का प्लास्टिक का सामान बाहर भेजा, जबकि १९५५-५६ में ७ लाख ० का ही सामान बाहर भेजा गया था। भारत से बरमे के क्रम, फाउंटन पेन, चूड़ियां, छतरियों की मूठें आदि बाहर भेजी जाती हैं।

भारत से ये चीजें विमोचकर दक्षिण-पूर्वी और पश्चिमी एशिया तथा अफ्रीका के देशों को भेजी जाती हैं।

भारत सरकार ने प्लास्टिक की चीजों का निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। प्लास्टिक की चीजों का निर्यात बढ़ाने के लिए एक परिषद बनाई गई है। परिषद ने विदेशों में इस सामान की बिन्नी की परतार के लिए अपने तिनधि भेजे। निर्यात के लिए जो सामान बनाया जाता है, उसे तैयार करने में काम आने वाले कच्चे माल पर शुल्क की छट भी जाती है।

१९५८ तक तीन बरों में प्रतिवर्ष करोड़ ८ करोड़ ३० लाख ४० का इन्डो-नियरी माल बाहर जाता रहा, लेकिन पिछले साल निर्यात परतार बढ़ कर ७ करोड़ ४० तक पहुच गया। इसला ही नहीं, यह साल ९८ देशों में गया। चाहु, बर, १९६० के लिए इन्डो-नियरी माल निर्यात बुद्धि पश्चिम न ८। करोड़ ४० के निर्यात का लक्ष्य रखा है। पश्चिम, निर्यात के लिए इन्डो-नियरी माल नैवार कच्चे बाधी की लहा और इन्धन तथा दूधका कच्चा माल दिगानी है। इन व्यापारियों को गारटी देनी होनी है कि ये नियत मात्रा में माडवा निर्यात अवश्य करेंगे।

भारत ने अब बरष मात्रा में मादरिलो, बिजली की बतियां, रेडियो, छुरी-नाडो, बिजली के पत्तो, इन्धन के कर्नीचर, बिजली के सामान, मिलार्ड की मनीनां आदि का निर्यात मुल किया है।

अलग-अलग क्षेत्रों को हिलाय लगाने से पता चलता है कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों को भारत से २ ७४ करोड़ ४० का इन्डो-नियरी माल भेजा गया, पश्चिम एशिया को १.५९ करोड़ ४०, अफ्रीका को ८३ लाख ४०, उत्तरी और मन्थ अमरीका को १.३७ करोड़ ४० का और यूरोप को ३२ लाख ४० का माल भेजा गया।

### क्या आप शगते हैं ?

### सूती कपड़े का उत्पादन और निर्यात

● अनुमान है कि फरवरी १९६० में देस की सूती कपडा मिलों में १३ करोड़ ८० लाख पीड गूत और ४० करोड़ २० लाख गज कपडा बना।

● गत् १९५९ में भारत से ६१ करोड़ ४० के सूती कपडे का निर्यात हुआ, जबकि १९५८ में इसने १५ करोड़ ० का निर्यात हुआ था।

● जनवरी-नवम्बर, १९५९ में लगभग १७२ करोड़ ६० लाख गज ह्यकरणे का

बना, जबकि १९५८ की इसी अवधि में १६४ करोड़ २० लाख गज कपडा बना था।

● जनवरी-नवम्बर, १९५९ में मिलों में बने और ह्यकरणे के कुल ७३ करोड़ ३० लाख गज कपडे का निर्यात हुआ। १९५८ की इसी अवधि में ५५ करोड़ ७० लाख गज कपडा निर्यात हुआ था।

● सूती कपड़े का निर्यात-मुह्यतः इंग्लैंड, अरब, सऊदी अरब, लंका, बर्मा, सिंगापुर, इण्डोनेशिया, नाइजीरिया, केन्या, सूडान, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमरीका को हुआ।

● लका, मलाया, नाइजीरिया, सिंगापुर और इंग्लैंड ने ह्यकरणे का बहुत खरीदा।



आयोग ने अनुमान में इतना अधिक बंधे कि उनके गान में अत्यधिक कमी हो जाए, तो सरकार बम्बई की अर्जी पर विचार करेगी।

टिनप्लेट बम्बई ने सितम्बर १९५९ में अर्जी दी कि कच्चा मात कम मिलने के कारण १९५८ में उनका उत्पादन गटकर आयोग के अनुमान में बहुत कम गया। अक्टूबर १९५९ में बम्बई ने पूरा धोंगा धेंडा और बड़ा वि सरकार ने जो मूल्य निर्धारित किया है, उनमें परिवर्तन किया जाए।

बम्बई ने अपनी अर्जी में दो बातों का जिक्र किया। एक तो एटान जलानों की निष्कारिणों पर प्रतिबन्धन मूल्य कम न करना, और दूसरे प्रतिबन्धन मूल्य की निष्कारिण करने समय आयोग द्वारा कुछ तथ्यों की अपेक्षा। सरकार ने पट्टी दात पर विचार करने का निर्णय किया है। वह दूसरी बात पर विचार नहीं करेगी।

### बड़िया जिलेटिन का निर्माण

खास में बड़िया रिग्म का जिलेटिन बनाने की एक विधि गण्डुय रसायनिक प्रयोगशाला, पुना में विकसित की गई है।

एक विधि को छोटे पैमाने पर परम्पने के लिए प्रयोगशाला में जो प्रयोगात्मक मयत्र बनाया गया है, उनमें एक घान में लगभग २०० पीट बनाने में जिलेटिन निराला जा सकता है। प्रायः होने वाली जिलेटिन और ग्लू (गरेस) की कुछ मात्रा सूखी बनानों के बॉल की ८८ प्रतिशत पाई गई है। जिलेटिन और प्रायः ग्लू लगभग बराबर मात्रा में होने हैं।

प्रयोगशाला में खाल के स्थान पर हृद्दिव्या में जिलेटिन बनाने के सम्बन्ध में भी गोज-बॉल की गई है। परन्तु हृद्दिव्या में जिलेटिन बनाना उभी देना में आर्थिक रूप में लाभदायक हो सकता है जबकि टाइडोप्लोथिक एमिट मन्ना हो और इस क्रिया में बनने वाले उपजात-अडैन्डैन्डियम फाल्फेट का समुचित उपयोग करना सम्भव हो।

जिलेटिन एक बहुत उपयोगी पदार्थ है, जो अनेक चीजों में काम आता है। बड़िया रिग्म का जिलेटिन लघु, दवाई और फोटो-ग्राफी उद्योगों में इस्तेमाल होता है, जबकि टैनिनकल रिग्म का जिलेटिन चिप-

बाय बनाने के काम में आता है। आजकल देग में विभिन्न रिग्मों के जिलेटिन की आय-इस्तरना विदेगों में मात मगा कर पूरी की जाती है। १९५८ में ७,००,००० रु० मूल्य का १८० टन जिलेटिन मगाया गया था।

यह जानकारी 'विज्ञान प्रगति' के स्पेष्ठ (मई-जून, १९६०) के अर में दी गई है।

### वैज्ञानिक यंत्रों का निर्माण

दूसरी योजना के शुरू में अब देग में निगने वैज्ञानिक यंत्र बनाने लगे हैं।

१९५६ में देग में यंत्रों की कीमा ६३ लाख ० गी, जबकि पिछले साल २ करोड़ ६० मूल्य के यंत्र बने।

अभी हाल में सरकार ने उद्योगों में काम जाने वाले यंत्र बनाने की दो योजनाएँ मजूर की हैं। इनमें विरामोटर (अधिर ऊपता गाने का यंत्र), सामगार, नियंत्रण यंत्र, परमारुणन जादि यंत्र बनाये जाएंगे। अब नर के यंत्र विदेगों में मगाये जाते रहे हैं।

देग में एवम-ने की मर्गिने भी सीध ही बनने लगेगी। सरकार ने प्रतिवार ९० लाख रु० के एवम-ने की मर्गिने बनाने वाली तीन योजनाएँ स्वीकार की। दो फर्मों ने बारम-कैमरे बनाने शुरू कर दिए हैं। प्रतिवर्ष १२,००० कैमरे बनाने की क्षमता वाली एक भारतीय फर्म में भी पिछले साल के अंत में कैमरे बनने लगे थे। दूसरी फर्म पश्चिम जर्मन की एक फर्म के सहयोग में चाकम-कैमरे बना रही है।

### मेवाट टेक्सटाइल मिल का काम सरकार ने सम्भाला

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की १६ मई की एक विनयित में बताया गया है कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १८-क के अन्तर्गत भारत सरकार ने मीलवाड़ा (राजस्थान) की मेवाट टेक्सटाइल मिन्ग लि० का कामकाज अपने हाथ में ले लिया है। श्री एम० एम० मदागिचन को इस मिल का निष्पन्न निम्बन किया गया है।

यह मिल १ दिसम्बर, १९५९ में बंद थी। शायद कि अब इस मिल में काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा।

रंग-रोगन के लिए कारखानों को लाइसेंस प्राप्त करके न के २०,००० टन रंग-रोगन और वाणिज्य तैयार करने के लिए कारखाने बनाने के लिए लाइसेंस देने का निर्णय किया है।

हाल में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा योजना आयोग जो पट्टाल की ओर तेल में बनने वाली वस्तुओं तथा प्लास्टिक के उद्योगों की विकास परिपद में जो अनुमान लगाया, उनमें पता चलता है कि तीवरी योजना में उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्र में और अधिक रंग-रोगन तथा वाणिज्य के कारखाने गोलने की जरूरत पड़ेगी।

नए कारखानों में से आने उत्तरी क्षेत्र के उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल देग और दिल्ली में तथा आये कारखाने दक्षिणी क्षेत्र के मद्रास, आंध्र प्रदेश और केरल राज्य में गोलने जाएँगे।

### केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन द्वारा लोगों को प्रशिक्षण

केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन अब तक लगभग ६,००० लोगों को विभिन्न काम सिखा चुका है। यह संगठन विभिन्न किस्म के प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। इनके अन्तर्गत छोटे उद्योगों के लिए लोगों को प्रवन्ध की और सामुदायिक विकास संघों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

कारीगरो को काम के तरीके सुधारने की भी शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार के प्रशिक्षण में अब तक लगभग १,६०० कारीगरों को फायदा हो चुका है। इन कारीगरों को अच्छे औजारों में काम करना और उत्पादन बढाने के तरीके सिखाए गए हैं।

प्रवन्ध की शिक्षा देने के अन्तर्गत अब तक १,७५० लोगों को हिमाय-किताय रखने, सामान बेचने आदि के अच्छे तरीके सिखाए जा चुके हैं।

कोलम्बो योजना जैसे सिलय सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत छोटे उद्योगों के लिए उच्च शिक्षा देने के स्थाल से ४४ व्यक्तियों को विदेशों में भी भेजा जा चुका है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत विदेशियों को भी भारत में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।



## का चूर्ण बनाने की नयी विधि

। गाय अनुसंधान सस्था (फूड फार्मासिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट) ने चूर्ण बनाने की एक नई विधि है, इस विधि के अनुसार लहसुन को हथों से दबा कर गिरियों को ग जाता है। इसके बाद इन गिरियों तल में साफ करके मुसा लिया जाता और गाफ गिरियों का आवस्यबता-रीक चूर्ण बना कर हवाबन्द डिब्बों में रखा जाता है।

यदि से बना हुआ चूर्ण मसाले के रूप में उपयोग बनाने के काम आ सकता

विधि से चूर्ण बनाने तथा गिरी को प्रचलित विधि से लगभग चौथाई तक मंदनत की बचत होती है। इस तैयार किया हुआ चूर्ण रंग में बड़िया दिखता होता है। इसके औषधिया भी तैयार होती है।

## कपास की बिक्री पर नियन्त्रण

उ सरकार ने कपास की बिक्री पर सख्त नियन्त्रण रखने का एक आदेश जारी है। १ अगस्त, १९६० के बाद कपास उन मिलों को ही बेचो जा सकेगी, जिन्हें इल कमिश्नर नामबद्ध करेगा। उपभुक्तियों कपास की विरम प्रमाणित किया और मिलों को निर्यातित दामों पर ही सरीदनी पड़ेगी।

इसलिए किया गया है ताकि कपास रिम दामों पर ही सरीदो जाए। इस साल के व्यापार में बहुत-से भाजपायक तरीके गए हैं जिनमें कपास की कीमतें निर्या-दाओं में काफी बढ़ गई है। यह नियन्त्रण की जाने वाली कपास पर लागू नहीं है।

## बयना की व्यापार-प्रवृत्तियों में भारत भाग लेना

रूप गन्ना में बिकना की अंतर्राष्ट्रीय सार-रूप व्यापार प्रवृत्तियों में भाग लेना का दिशा-निर्देश है। यह प्रवृत्तियों ४ में दिशा-निर्देश, १९६० तक होगी। प्रवृत्तियों में भाग लेने का उद्देश्य विदेशी

में भारतीय माल की खपत बढ़ाने के लिए प्रचार करना है। बयना योरोप के बीच में स्थित है। अतः भारतीय तैयार माल को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा अवसर मिलेगा।

## मिलाई में इस्पात पिण्ड ढालने के साँचों का निर्माण

मिशाई इस्पात कारखाने में इस्पात पिण्ड ढालने के साँचे बनने शुरू हो गए हैं। अभी हाल में ७ टन के इस्पात पिण्ड का साँचा बनकर तैयार हुआ है। आगे चलकर कारखाने में हर रोज ऐसे ८ साँचे बनने लगेंगे।

इस्पात बनते समय पहले द्रव्य के रूप में रहता है, जिसे साँचों में ढाल कर पिण्ड बनाए जाते हैं। साँचों के आकार-प्रकार के अनुसार इन पिण्डों का वजन ५ से १० टन तक होता है।

कुछ समय पहले से ढलवां लोहे के साँचे बन रहे हैं।

## मार्च १९६० में खनिज लोहे का उत्पादन

भारतीय खान कार्यालय के अनुमान के अनुसार मार्च, १९६० में ८ लाख ३० हजार टन खनिज लोहा निकाला गया।

इसे मिला कर जनवरी से मार्च १९६० तक २५ लाख ५३ हजार टन खनिज लोहा निकाला गया। यह पिछले साल को इस तिमाही से ३१ प्रतिशत अधिक है। पिछले वर्ष को इस तिमाही में १९ लाख ३१ हजार टन खनिज लोहा निकाला गया था।

सबसे अधिक ३,२३,००० टन लोहा उड़ीसा में निकाला गया। बिहार में २,३५,००० टन लोहा निकाला गया। इसके अलावा मैसूर में १,१२,००० टन, मध्य प्रदेश में ७८,००० टन और बम्बई में ४२,००० टन खनिज लोहा निकाला गया।

इस महीने लोहा और इस्पात कारखानों को ५,९१,००० टन खनिज लोहा भेजा गया तथा १,८५,००० टन खनिज लोहे का निर्यात किया गया।

## क्या आप जानते हैं ?

### भारत का खिलौना उद्योग

● देश में अनेक प्रकार के खिलौने बनाए जाते हैं—देवताओं की मूर्तियां, छोटे-छोटे पत्तू, पत्ती, फल आदि। इन खिलौनों तथा गुड़ियों में हमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के पह्रावे, आमूषण, आदि की भी झानकी मिलती है।

● उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बम्बई, मद्रास और मैसूर के खिलौने प्रसिद्ध हैं। अपने विनोय प्रकार के खिलौने बनाने के लिए लखनऊ, मयूरा, वाराणसी, मुंबिदाबाद, वृष्णनगर, कलकत्ता, बरहमपुर, कोण्डयल्ली, तिरुचिरापल्ली, तिरुवांकुर, नासिक, गाँवक और सावतवाडी प्रसिद्ध हैं।

● उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में चिन्नो मिट्टी के, राजस्थान में पेंपरमसो (लुग्ना) और कपड़े के तथा मध्य प्रदेश में लकड़ी और मुलायम पत्थर के खिलौने बनाए जाते हैं। दक्षिण के पूर्वी क्षेत्र में हल्के पौले अथवा लाठ रंग की लाड़ी के गिन्नोने बनाए जाते हैं।

● नूरु में ही कुम्हार मिट्टी के बनें के अलावा मुंबिदा और गिन्नोने भी बनाते आए हैं। अब रबट और प्लास्टिक के भी गिन्नोने बनने शुरू हो गए हैं।

● दक्षिण भारत के तटवर्ती जिले सीपी की चिडिया और नाव बनाने तथा हंडराबाद सुपारी के चाय के छोटे सेट और बर्तन बनाने के लिए सुप्रसिद्ध हैं।

● पश्चिम बंगाल में कुष्णनगर खिलौनों का बहुत बड़ा केन्द्र है। वहाँ बाजा बजाती हुई मानव मूर्तियां, गुडियां, जानवर आदि अनेक प्रकार के खिलौने बनाए जाते हैं।

● विजयवाड़ा के निकट कोण्डयल्ली के खिलौनों में कारीगरी देखने लायक होती है। ये खिलौने लकड़ी के बनाए जाते हैं।

● गावाँ और कस्बों में खिलौने बनाने के छोटे उद्योग चल रहे हैं। इसके अलावा अनेक कस्बाएँ और कारीगर भी बिक्री के लिए गिलोने बनाते हैं।

● खिलौनों से बच्चों को शिक्षा देने में बड़ी सरलता होती है। इसलिए अखिल भारतीय दूरतकारी मण्डल ने लकड़ी के मिश्राप्रद खिलौने बनाने के लिए बम्बई में आजमायशी केन्द्र खोला है। इस केन्द्र में खिलौनों के नए नमूने और डिजाइन तैयार किए जाते हैं। इन्हें देश के विभिन्न केन्द्रों में भेज दिया जाता है, ताकि वे इन नमूनों और डिजाइनों के आधार पर खिलौने बनाए।

● अखिल भारतीय दूरतकारी मण्डल बम्बई के केन्द्र को 'खिलौनों की राष्ट्रीय कारीगरी सस्था' बनाने पर विचार कर रहा है।

## सरकारी कारखानों में कर्मचारियों को सुख-सुविधाएं

विभिन्न सरकारी कारखानों में कर्मचारियों को सुख-सुविधा की व्यवस्था में १९५९-६० में और भी अधिक वृद्धि हुई। सिन्दरी के खाद-कारखाने, बलकते की नेशनल इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी, बंगलौर की हिन्दुस्तान मशीन टूल फैक्टरी तथा अन्य सरकारी कारखानों में भी कर्मचारियों के रहने के लिए मकानों, डाक्टरों, महापत्या, मनोरंजन क्लबों तथा गिहा के बेन्च आदि की व्यवस्था में इस वर्ष बहुत विस्तार किया गया। हिन्दुस्तान बैमिन्गल और फिटिंग-स्टारट के प्रायः सब कर्मचारियों के लिए मकानों की व्यवस्था कर दी गई है। एक छोटा-सा अस्पताल चालू है और १०० पलकों का एक अध्ययन बन रहा है।

सिन्दरी में कर्मचारियों की सुख-सुविधा की व्यवस्था के लिए एक कोष ७ लाख ६० में स्थापित किया गया है। इस कोष का प्रबंध कर्मचारियों और प्रबंधकों के प्रतिनिधि मिल कर करने है। पूना की हिन्दुस्तान एयरोबायोटिक्स फैक्टरी में श्रमिकों को सुख दूख देने की एक योजना प्रारम्भ की गई है तथा बच्चों की गिहा की भी सुख व्यवस्था है। मंगलूर विजयों के कारखाने में कर्मचारियों के लिए अस्पताल, मनोरंजन क्लब और उपाहारगृह आदि बनाने की व्यवस्था की जा रही है।

सरकारी कारखानों में लाभ के हिस्से में से बोनस देने की प्रथा नहीं है। परन्तु कई कारखानों में श्रमिकों को विशेष रूप से अनुदान दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, सिन्दरी के कारखाने में १९५८-५९ में ५०० ६० से कम वेतन पाने वालों को १६ लाख रुपये वितरित किए गए। हिन्दुस्तान केवल फैक्टरी ने अपने कर्मचारियों को इसी प्रकार की एक योजना के अनुसार १ लाख रुपये वितरित करने का निर्णय किया है। पिम्परी के पेनिमिशीन कारखाने में १९५९-६० में २ लाख रुपये वितरित किए गए।

## घड़े बंदरगाहों में रोजगार की स्थिति

भाग के बड़े-बड़े बंदरगाहों में रोजगार की स्थिति काफी गिर रही है। इन बंदरगाहों में मितम्बर १९५८ के अंत तक कुल जितने मजदूर काम कर रहे थे, उनमें में ओगलत ४४१८ प्रतिशत मजदूर ऐसे थे जिनकी नौकरिया १० साल या उसमें भी अधिक समय पुरानी थी। यह सब भारत सरकार के धम धमाराय द्वारा बम्बई, बलकता, मद्रास, विजापानगतन, कोचीन और कादला बंदरगाहों में मजदूरों की स्थिति के मध्य में किए गए अध्ययन में पता लगा है।

इस अध्ययन में पता चलता है कि इन बंदरगाहों में बहुत कम मजदूरों को काम से अलग किया गया। मिनम्बर १९५८ में गमाएल हुए वर्षों में काम से अलग किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या २०५ प्रतिशत थी। इनमें से ५० प्रतिशत में भी अधिक कर्मचारी अवकाश प्राप्त की अवस्था के कारण या मृत्यु के प्राण्य नाम से अलग हुए।

### ठेके पर काम

अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार इन ६ बंदरगाहों में काम करने वाले ७३,४८६ मजदूरों में से ६९,४८५ मजदूर सीधे भर्ती किए गए थे और ४,००१ मजदूर ठेकेदारों के द्वारा काम पर लगे। ठेके पर मजदूर मुख्यतः इमारती काम या मरम्मत आदि के लिए लगाए जाते हैं। घड़े बंदरगाहों में स्त्री कर्मचारी नहीं के बराबर हैं। कादला की छोड़ कर बाकी बंदरगाहों में मजदूरनिया मुदिकल से १ प्रतिशत है। कादला में इनकी संख्या ३.९२ प्रतिशत है।

### वेतन स्थिति

मासिक वेतन अथवा रोजगारी का अध्ययन करने पर पता चला कि बम्बई और बलकता के बंदरगाहों में कोई निश्चित नियम से वेतन नहीं दिए जाते जिनके परिणामस्वरूप अधिकतर कामों के लिए विभिन्न-भिन्न वेतन-क्रम चालू है। एक विभाग से दूसरे विभाग

में भी वेतन-दर अलग-अलग है। मद्रास और कोचीन बंदरगाहों में वेतन दर कुछ निश्चित है। विभिन्न बंदरगाहों में वेतन-दरों को उचित आधार पर निश्चित करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

## सरकारी नौकरियों के प्रति भावार्थ्य

दिसम्बर १९५९ में कामदिलाज दफतरी के चालू रजिस्ट्रों में १४ लाख २० हजार ९०१ लोगों के नाम दर्ज थे। इनमें से २ लाख ४८ हजार ४८९, यानी १७.५ प्रतिशत सरकारी नौकरी चाहते हैं।

केन्द्रशासित प्रदेश मणिपुर में ७,२१८ और पाटिचेरी में २,२९८ व्यक्तियों ने काम-दिलाज दफतरों में अपना नाम दर्ज कराया। ये सब लोग केवल सरकारी नौकरी चाहते हैं। मणिपुर के काम चाहने वालों में ९७ प्रतिशत केवल सरकारी नौकरी चाहते हैं।

जम्मू-कश्मीर के कामदिलाज दफतरों में रजिस्ट्रेशन २,४३० व्यक्तियों में से २,२६१ और उड़ीसा के २०,९९२ में से १८,९३३ सरकारी नौकरी चाहते हैं। इनके अलावा आंध्र के ५६.७ प्रतिशत, मद्रास के ३५ प्रतिशत और राजस्थान के ५४.८ प्रतिशत रजिस्ट्रेशन का काम चाहने वाले सरकारी नौकरी चाहते हैं।

## मिलालई के फालतू कर्मचारियों को काम दिलाये का प्रयत्न

मोबाल के हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कारखाने के चार अफसर मिलालई इस्पात कारखाने के फालतू कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए आजकल बहा गए हुए हैं।

सैनिक कारखानों और रेकों के इसी तरह के भर्ती दल मिलालई जाकर पहले ही अपनी जरूरत के कर्मचारियों को भर्ती कर चुके हैं। मिलालई इस्पात कारखाने का निमाण-कार्य भीमा हो जाने के कारण जो कर्मचारी बेकार हुए हैं, उन्हें दण्डकारण्य योजना और तेल-सोधक कारखानों आदि में काम देने का प्रयत्न जा रहा है।

गई कारखानों के निर्माण-कार्य के लिए नये कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं, जितनों की पहले यी और कारखानों की गानों को मिला कर यहां १९६० भग २५ हजार कर्मचारी छोट दिए । छटनों इन डग में की जाएगी कि कम कर्मचारियों को बंकार होने की नीबत नये कर्मचारियों को पहले और पुराने रियों को बाद में अलग किया जाएगा । रियों को काम दिलाने के लिए कारखानों (राजियों) में भिन्न-भिन्न कारखानों और । को भी फिता है ।

वांग तथा नियोजन के केन्द्रीय महा- (दिल्ली) ने भी मिलाई के फालतू रियों को काम दिलाने में हर तरह की ता करने का यत्न दिया है । मध्य प्रदेश मन्त्रय ममिनि अपने क्षेत्र में इन कर्म- रों को लगाने का और क्षत्रीय परिषद केन्द्रीय मन्त्रय ममिनि, मध्यप्रदेश से काम दिजाने का प्रयत्न करेगा ।

### कार्यालय द्वारा औद्योगिक भगडूँ के फेसलों का अध्ययन

माधिकरियों और पशों ने दिग्मन्त्र १९५९ को गमात्त छमाही में २०९ य दिग् । इनमें से १२७ यानी ६०.८ प्रति- दानों पशों के आपनी फेसलों के अनुमार । केवल यथा उद्योग में ही ५४ निर्णय लको और मजदूरों के आगनी नमतीनों अनुमार हुए ।

भास्य मन्त्रार का श्रम कार्यालय मन्त्र- लय पर निर्णयों और गमतीनों का यह जानने लिए अन्वयन्त यगता है कि मजदूरों के ल, भने और बालय में कुछ वृद्धि हुई या है । १९५९ की तुलना छमाही में २०९, नय और ५ मजदूरों न गमतीने हुए ।

बोलय के ८० मामले  
श्रम कार्यालय की जाय से पता चलता है ८ गुण मामलों में से ८० मामलों बालय मन्त्री के, ५६ मुद्द बालय मन्त्री, ५५ मुद्द बालय और मजदूर भने मन्त्री तथा बाकी ७३ बालय मन्त्री भने मन्त्री के प ।

### मंहगाई भत म वृद्धि

इस छमाही में दिल्ली, कानपुर और पश्चिम बगाल को छोड़कर बाकी सब स्थानों पर सूती कपड़ा कर्मचारियों को अधिक मंहगाई भत्ता मिला । अल्परावाद में मंहगाई भत्ता ८५.३१ से वे बढ़कर ९२.७५ से, बटीया में ७५.९५ से ८३.४८ से और बम्बई में ८३.४९ से ८९.३४ से हुआ गया । इन अवधि में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया, जिसके अनु- सार उड़ीषी (मैसूर) में २१ हयकरशा कार- खानों में मजदूरों २ आना स्या वडा दी गई ।

### मार्च १९६० में औद्योगिक भगडूँ की स्थिति

मार्च १९६० में ९५ नये औद्योगिक भगडे प्रारम्भ हुए । इस प्रकार, इस महीने में किसी भी समय भगडों की अधिक से अधिक संख्या १२५ तक रही । इनमें १९ तालाबन्दी भी शामिल है । पिछले महीने भी नये भगडे ९५ हुए थे । परन्तु किसी भी समय चलने वाले अधिक से अधिक औद्योगिक भगडों की मख्या १३३ थी ।

इस महीने ९० भगडे समाप्त हुए । इनमें से ५५ ऐसे थे जो पाच दिन से अधिक जारी नहीं रहे और सात भगडे ३० दिन से अधिक चलते रहे । इस महीने में दून औद्यो- गिक भगडों के कारण काम के कुल ४ लाख ७० हजार २५८ जन-दिनों की हानि हुई, जिसमें से ३ लाख ४० हजार ७८ दिनों की हानि विभिन्न प्रकार का माल तैयार करने वाले मगडनों में हुई । पश्चिम बगाल में काम के दिनों की हानि गवने अधिक हुई । इनके बाद प्रमत्त, बम्बई, मद्रास और बिहार का म्यान रहा ।

### अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के लिए भारतीय शिष्टमण्डल

जिनेवा में १ जून में २३ जून, १९६० तक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का ४४वा अपरिवेशन हुआ है । इसमें भारतीय शिष्ट- मण्डल के नेता बिहार के श्रम मंत्री, श्री विनोदाशक्त शाह हैं ।

शिष्टमण्डल के अन्य सदस्यों के नाम ये हैं. मन्त्रार के प्रतिनिधि : आगाम के श्रम मन्त्री, श्री विजयदेव मन्त्री (प्रतिनिधि) ; श्रम

और नियोजन मंत्रालय के सचिव, श्री पी० एम० मेनन (अतिरिक्त प्रतिनिधि और सलाहकार); जिनेवा में भारत के महावाणिज्य दूत, श्री ए० एम० मेहता (सलाहकार); जिनेवा में भारतीय महावाणिज्य दूत के श्रम सहकारी, डा० एम० डी० मीरानी (सलाहकार) ।

मालिकों के प्रतिनिधि . एम्प्लायर्स फेड- रेसन आफ इण्डिया, बम्बई, के अध्यक्ष, श्री नवल एच० टाटा (प्रतिनिधि); एम्प्लायर्स फेडरेशन आफ इण्डिया, बम्बई, के मंत्री, श्री टी० एस० स्वामीनाथन (सलाहकार); भारतीय व्यापार मण्डल, कलकत्ता, के मंत्री, श्री सी० ए० पाडे (सलाहकार) ।

मजदूरों के प्रतिनिधि : राष्ट्रीय मजदूर संघ, बम्बई के मंत्री, श्री जी० डी० अय्यकर (प्रतिनिधि); लिग्नाइट माइन नेशनल वर्कर्स यूनियन, नैवेली, के मंत्री, श्री एम० एन० मैसेकेनहस (सलाहकार); इंडियन नेशनल शूगर मिल वर्कर्स फेडरेशन, लखनऊ, के मंत्री, श्री राजाराम पाण्डे (सलाहकार) ।

### उद्योग कर्मचारियों को मकानों के लिए मिलने वाली सहायता में वृद्धि

अब उद्योग कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए पूरी लागत के बराबर सहायता मिल सकेगी । आगाम ही इस सुविधा में लाभ उठाने के लिए कल-कारखानों के कर्मचारियों को मकान बनाने वाली महकार समितियों बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा ।

मकान को पूरी लागत के बराबर सहायता देने के लिए सरकारी सहायता से उद्योग कर्मचारियों के लिए मकान बनाने की योजना को उदार बनाया गया है और भविष्य निधि योजना में कुछ परिवर्तन किया गया है । मकान बनाने की उन्नत योजना के अधीन मकान की लागत का आधा कर्ज मिलता था । उसे बडा कर ६५ प्रतिशत कर दिया गया है । इसके अलावा २५ प्रतिशत के बराबर सहायता मिलती है और बाकी १० प्रतिशत श्रम कर्म- चारी अपनी भविष्य निधि में से ले सकेगा, जो उसे वापस नहीं करता पड़ेगा ।


महायता स्वीकृत एजेंसियों, जैसे महकारी नमिनियों, कारखानों के मालिकों, नगर- पालिकाओं आदि के जरिए दी जाती है ।

बिना परिवार वाले मजदूरों के लिए होस्टल कैम्पों की सरकार ने मजदूरों के लिए मकान बनाने की योजना के अंतर्गत बिना परिवार वाले मजदूरों के लिए होस्टल या बार्ने दानों की इजाजत देने का निश्चय किया है। अब तक केवल मजदूरों के लिए दो-दो कमरों वाले बरतों की इजाजत और मकान दानों

के लिए जमाने गुपारने के वास्ते ही गहायता दी जाती थी।

होस्टल कारिगना भी कमरों वाले भवान वा अपा होगी।

बलरसा, नानपुर और अहमदाबाद जैसे ग्गानों पर, जहा बहुत-से मजदूर अगने परि-वारों को मार में छोड़कर रहते हैं, होस्टलों की काफी माग होगी।



### राष्ट्रीय रेलवे कर्मचारी संघ का सम्मेलन

मैसूर में २९ मई को राष्ट्रीय रेलवे कर्मचारी संघ के सम्मेलन का उद्घाटन करने हुए रेल मंत्री, श्री जगदीश शंकर ने बड़ा निवेदन आयोग की जिन निष्कारिगना को सरकार ने स्वीकार कर दिया है, उनमें श्री शंकर ही अमल में लाने के सम्बन्ध में बार्बरट की जा रही है और इस सम्बन्ध में सरकार ने निदेश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

रेल मंत्री ने बड़ा निवेदन वेतन के सम्बन्ध में सरकार आयोग की निष्कारिगना में अधिक कुछ नहीं कर सकती थी, बसकि देग की अर्थ-स्थय्या दगने अधिक भार गहन नहीं कर सकती। सरकार द्वारा स्वीकृत निष्कारिगना के अनुसार, चौथी श्रेणी के मकने निचले वर्ग के कर्मचारियों का शीघ्र वेतन ७८ रु. ३३ नये पैमे में बढ़कर ८८ रु. ७५ नये पैमे हो जाएगा। मकन के दरगवे और नगर बनें की दर भी बराई जा रही है। मकन वा भत्ता देने के लिए जो मने रधी गई है, उन्हें भी और नरम किया जा रहा है। अधिकांश मट्टाई भत्ता मूळ वेतन में मिल जाने में कर्म-चारियों की पर्याप्त फायदा होगा और वेतन पाने के सम्बन्ध में जो निष्कारिगना की गई है, उनमें मनी बर्गों के कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। आयोग की निष्कारिगना के अनुसार प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों का वेतन निश्चित करने तथा पिछला बकाया देने आदि में कुछ समय लगेगा। परन्तु इसके लिए सर-कार ऐसा प्रयत्न कर रही है कि यह काम शीघ्र में शीघ्र पूरा हो सके।

रेल मंत्री ने बड़ा निवेदन आयोग की जो निष्कारिगना सरकार ने स्वीकार कर ली है, उनके प्राग्य वेला का गने १३ करोड़ रु० प्रतिगन बर जायगा। यह कर्ष प्रतिगन और भी अधिक बडना जायगा। इने पूरा करने के लिए सरकार को १ अग्रे, १९६० में माल-भाडे की दरों में कुछ इरेक्रे भी करनी पडी है।

गाम के प्रटे बढ़ाने जान और आरिगक छुट्टिया कम किने जाने की कुछ आलोचना की जाती है। परन्तु यह ध्यान रगना चाहिए कि यह निश्चय केवल दफतरी के कर्मचारियों पर लागू होने है। रेलों के कर्म-चारियों में १० प्रतिगन में भी कम दपतरी कर्मचारों है। इसलिए काम के घटों के सबध में वेतन आयोग की निष्कारिगना वा प्रभाव ९० प्रतिगन रेल कर्मचारियों पर नहीं बडेगा। जहा नर छुट्टियों का सम्बन्ध है, वेतन आयोग की निष्कारिगना के कारण रेलवे कर्मचारियों वा तीन राष्ट्रीय छुट्टिया मिलेगी, जो अभी तक उन्हें नहीं मिलनी थी। यह निश्चय ही उनके बटे लाभ की वात है।

रेलवे पाम और पी० टी० ओ० के सम्बन्ध में किए जाने वाले आन्दोलन का जिक्र करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि यह उचित नहीं है। सरकार ने स्थिति को सफापूर्व रगने का निश्चय कर लिया है और कोई भी नया निश्चय रेलवे कर्मचारियों के मर्षों से वातशीत किए बिना नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे इस वात को फिर दोहराने है कि इस विषय पर निर्णय करने से पूर्व रेलवे संगठनों से परामर्श किया जाएगा।

नये वेतन-क्रम निर्धारित करते समय कुछ

विचित्र परिस्थितिया उपस्थित हो सकती हैं। परन्तु रेलवे बोर्ड ने रेलवे कर्मचारियों के मर्षों को यह विश्वास दहने ही दिया दिया है कि कर्मचारियों में सम्बन्धित प्रत्येक विषय पर बडी गहानुभूति के माय विचार किया जाएगा।

मंत्री महोदय ने इस वात पर जोर दिया कि रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों में पाठपरिगना की भावना होनी चाहिए। अधिकारियों को चाहिए कि वे अनुमानन का ध्यान अवय रगें, बर्गकि बिना अनुमानन के कोई काम पूरा नहीं होता। परन्तु माय ही उन्हें कर्मचारियों की गुन-गुविषा, भलाई और सह-निष्ठा का भी पूरा-पूरा ध्यान रगना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेल रेल राष्ट्रीय उद्योग है और इसमें अगिगारियों और कर्मचारियों के हितों में कोई मर्ष नहीं हो गचना। अफतरी और कर्मचारियों के सम्बन्ध गुदूद होने चाहिए और उनमें आगनी विश्वास की भावना पैदा होनी चाहिए। मंत्री महोदय ने कहा कि यात्रियों की गुन-गुविषा, रेलवे माल की चोरी तथा रेलों में शट्टाचार की रोकथाम आदि बहन-भी ऐसी बाते है, जिनके सम्बन्ध में रेलवे कर्मचारी और उनके मंगटन बहुत कुछ कर सकते हैं।

### तीसरी श्रेणी के सोने के नये डिब्बे

लखनौ यात्रा करने वाले ६ रेल गाडियों में शीघ्र ही तीसरी श्रेणी के सोने के डिब्बे नये डिब्बे जोड दिए जाएंगे, जिनमें ५०० मील से ज्यादा की यात्रा करने वाले मूनाफिर अति-रिक्त कितापा दिए बिना यात्रा कर सकेंगे। ये डिब्बे तले-अपर तीन सोटों वाले पुराने डिब्बों के स्थान पर बाधू होंगे, जिनमें आजकल, प्रति रात्रि का ३ रु० कितापा लगता है।

ये नये डिब्बे दिल्ली-हावडा जनता एक्स-प्रेस, बम्बई-देहरादून एक्सप्रेस, मद्रास-दिल्ली जनता एक्सप्रेस, नयी दिल्ली-हावडा वातानुकूलित एक्सप्रेस, नयी दिल्ली-बम्बई सेट्रल वातानुकूलित एक्सप्रेस और नयी दिल्ली-मद्रास सेट्रल वातानुकूलित एक्सप्रेस गाडियों में लगाए जाएंगे। सम्बन्धित रेल प्रशासन इस वात का निर्णय करेगा कि ये डिब्बे कब से वात होंगे।

आमा है कि अगले चार महीनों में ऐसे और रे प्राप्त हो जाएंगे। इनके प्राप्ता होने के लक्षणों की आवश्यकतानुसार इन्हें निर्दिष्ट गाड़ियों में जोड़ दिया जाएगा :  
 • टी० एक्सप्रेस, पत्राच भेल, हावड़ा-गंगा भेल, मिदाकटा-गठानकोट एक्सप्रेस, पर भेल, तूफान एक्सप्रेस, हावड़ा-गंगर भेल, हावड़ा-बम्बई भेल, हावड़ा-बादा एक्सप्रेस, मद्राग-बम्बई एक्सप्रेस, डिंडिया एक्सप्रेस, पठानकोट एक्सप्रेस, टा-देन्द्रादूत एक्सप्रेस, मद्राग-बगलौर हावड़ा-बम्बई एक्सप्रेस और बम्बई-लगायी एक्सप्रेस।

गल ही में रेल मन्त्री ने यह घोषणा की है कि अगले साल के मध्य तक ५०० मील लंबाई की प्रत्येक मुगाफिर गाड़ी में तीसरी के मानों का कम से कम एक नया डिब्बा जोड़ दिया जाएगा।

**ल मंडल के नये प्रतिरिक्त सदस्य**

एर रेल के वर्तमान चीफ आपरेटिंग मुनिस्ट्रेटेंट श्री आर० वी० लाल को रेल का स्थानागत अतिरिक्त सदस्य (जिम्मे) नियुक्त किया गया है। इनकी उम्र भी ६० आर० कल्याणरमण के ५० पर हुई है। श्री कल्याणरमण छुट्टी पर हैं और छुट्टी की समाप्ति पर रिटायर हुए हैं।

शे गाल में २१ मई को प्रपने पर का फायदा-महात्त किया है।

**ती अरप के लिए रेडियो-टेलीफोन की दलों में परिवर्तन**

ती अरप के प्रतिनिधियों ने रेडियो-टेलीफोन की दलों में परिवर्तन कर दिया है। इन में जहाँ के अत्यावा मऊरी अरप के अर स्थलों के लिए पहले तीन मिनट का पुरा का ४५ ६० लगेगा। हर अति-३ मिनट की बातचीत के लिए १५ ६० मिनट लागेगा।

गुदा की रेडियो-टेलीफोन करने के लिए ३ मिनट का पहले की तरह ४० ६० हर प्रतिनिधियों के लिए १३ ४० ३० ३० लगेगा।

**मंभले बन्दरगाह विकास समिति का प्रतिवेदन**

मंभले बन्दरगाह विकास समिति ने निफारिय की है कि चार मंभले बन्दरगाहों का इस प्रकार विकास किया जाए और वहा आधुनिक सुविधाए दी जाए कि वे सारे साल चालू रह सकें। इस काम पर कुल ३७ करोड ७६ लाख ६० खर्च होगा। मह सिफारिया मद्राम में तूतीकोरन, मंसूर में मंगलौर, उड़ीसा में प्रदीप और गुजरात में पोखन्दर के बारे में भी गई है। समिति का कहना है कि तूतीकोरन और मंगलौर बन्दरगाहों के विकास को प्रथम प्राथमिकता दी जाए, जिन पर क्रमशः १० कोड २७ लाख ० और १२ करोड ७० लाख ० खर्च होगा। प्रदीप पर ९ कोड ५४ लाख ० और पोखन्दर पर ५ करोड २५ लाख ० खर्च होंगे का अनुमान है। इन दोनों के विकास को द्वितीय प्राथमिकता देने की सिफारिया की गई है। समिति ने देश के मनुसूट के २१ अन्य छोटे और मंभले बन्दरगाहों का विकास करने की सिफारिया की है।

यह समिति भारत सरकार ने अवतूवर १९५८ में स्थापित की थी। केन्द्रीय परिवहन और मन्त्र मन्त्रालय के विकास सलाहकार और मयुक्त मन्त्रि, श्री एच० पी० मथरानी इसके अध्यक्ष हैं। समिति से कहा गया था कि यह कुछ मंभले बन्दरगाहों का चुनाव करे, जिनका आधुनिक ढंग पर विकास किया जा सके और उनके लिए उचित प्राथमिकता निर्धारित करे। इस सम्बन्ध में देश की ओर ध्यानपूर्वक जर्नलों, इंजीनियरी के पहलुओं और पर भी विचार करने का यत्न गया था। आज-कल इस समिति की रिपोर्टें परिवहन और मन्त्र मन्त्रालय के विचारार्थ हैं।

**एनजि लोह का निर्यात**

समिति ने अपनी रिपोर्टें में कहा कि भविष्य में बन्दरगाहों का काम बढ़ना जाएगा और माग्यार एनजि लोह के निर्यात में सुद्धि होने में इनका विकास बहुत जरूरी है। समिति ने सिफारिया की है कि मंगलौर और प्रदीप के अत्यावा आयुर्वेदन में बातिनाडा और मनु-शिलानम, इत्यादि में बुद्धिगौर, मंसूर में बागवार, और मद्राग में रेडी बन्दरगाहों

का इस प्रकार विकास किया जाए कि यहा से कुल ४५ लाख टन एनजि लोह का निर्यात हो सके।

समिति का कहना है कि केरल के नीन्-कारा बन्दरगाह को मंभला बन्दरगाह बनाया जाए, ताकि यहा प्रतिवर्ष ४ लाख टन सामान लादा और उतारा जा सके। इस पर लगभग ९२ लाख ५० हजार ० खर्च होने का अनुमान है। इस काम को समिति ने सर्वोच्च प्राथमिकता देने की सिफारिया की है।

**कलकत्ता बन्दरगाह की सफाई के लिए नया जहाज**

कलकत्ता के बन्दरगाह की सफाई के लिए ५३ लाख ६० का सफाई जहाज खरीदने के बारे में बातचीत करने के लिए बन्दरगाह के चार अधिकारियों की टोली २२ मई को हागकाय रवाना हुई। इस जहाज के आ जाने पर हुगली से वास्तु मिट्टी निकालने के काम में और सुविधा हो जाएगी। जहाजों के बन्दरगाह तक आने के लिए हुगली में मिट्टी निकालने का काम लगातार चलता रहता है।

कलकत्ता बन्दरगाह के टिप्पी कन्जर्वेटर, कमाडर भी० जे० मोहन इस टोली के नेता हैं। कमाडर मोहन जहाज का निरीक्षण करेंगे और इनके आवश्यक सुधार का भी प्रबन्ध करेंगे, जिससे कलकत्ता पहुँचते ही यह जहाज काम करना शुरू कर दे।

नये 'मैतेवा' गफार्ड-जहाज के आ जाने पर बन्दरगाह की गफार्ड के पांच जहाज हो जाएंगे। वर्तमान चार जहाजों में से दो काशी पुराने और दो हाल ही में खरीदे हुए हैं। वर्तमान गफार्ड जहाज 'भागीरथी' के नमूने पर एक नया जहाज बनाने का आर्डर दिया जा चुका है। अगले साल के शुरू में इस जहाज के मिल जाने की आशा है। एक और गफार्ड-जहाज बनाने का आर्डर देने पर विचार किया जा रहा है।

**बन्दरगाहों की दुर्घटनाओं की जांच**

भाग्य मन्त्रालय ने बंद बन्दरगाहों के अधिकारियों को आदेश दिया है कि कानूनी तौर पर लाजिमी न होने पर भी बन्दरगाह क्षेत्र की ऐसी प्रत्येक दुर्घटना की, जिसमें बर्मा-पारी की मृत्यु हो जाए, जांच की जाए।

द्वारा उद्घेयज्य है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाना जाए और ऐसे उपाय किए जाएं कि ऐसी दुर्घटनाएँ पुनराग न हों।

अब तक वायुसेवा कम्पनियों में जिन प्रकार की दुर्घटनाओं की जांच विभागीय अध्यक्ष या वरिष्ठ अधिकारी करते हैं। कम्बो, मद्रास, कोचीन, विमानमालम्पु और काण्डा कम्पनियों के अधिकारियों को भी इसी प्रकार जांच करने का आदेश दिया गया है। विभिन्न बरकराओं के अधिकारियों में जांच के नियम बनाए हैं।

प्रत्येक दुर्घटना की जांच करने में बचाव के अतिरिक्त प्रत्येक कारणों और रक्षा के विभिन्न मामलों का उन्मेषण होना। माप ही बचाव के नियमों का उद्देश्य में पाठ्य होना।

दम्पनों में इन नियमों का पाठ्य करने के लिए निर्देशानुसार नियुक्त किए गए हैं। कर्मचारियों का बचाव के तरीके बनाए जा रहे हैं।

### भारत-फ्रांस हवाई-सम्बन्धीता

भारत गन्धार और फ्रांस की गन्धार त प्रतिनिधित्व त नारां दिल्ली में हवाई-मार्ग के बारे में २० मई का जो वातावरण शुरू की थी, वह २७ मई को समाप्त हो गयी। शान न एयर इन्डिया इन्टरनेशनल और एयर फ्रांस के विमानों की एयर-दुर्घटना के क्षेत्र में उड़ाना के बारे में मन्त्रोपबन्धन समझौता किया।

इन समय एयर इन्डिया इन्टरनेशनल के विमान मन्दाह में दो बार पेरिस होने हुए स्थानों जाने हैं और एयर फ्रांस के विमान मन्दाह में तीन बार भारत होने हुए मुख्य पूर्व जाने हैं। अब प्रतिनिधि दम पर मद्मत हो गए हैं कि अप्रैल १९६१ में एयर इन्डिया इन्टरनेशनल के विमान मन्दाह में चार बार पेरिस होने हुए स्थानों और एयर फ्रांस के भी इसी ही चार भारत होने हुए जा सकते हैं।

भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के नेता, नागरिक उड़ान के महानिदेशक श्री के० एम०

राय और फ्रांस गन्धार के प्रतिनिधि-मण्डल के नेता वरा के नागरिक उड़ान के निदेशक श्री रिचर्ड मोना में।

### अन्तर्राष्ट्रीय तार संचार संघ की प्रशासन परिषद का वार्षिक सम्मेलन

जिनैवा में २८ मई में अन्तर्राष्ट्रीय तार संचार संघ की प्रशासन परिषद का १५वां वार्षिक सम्मेलन हो रहा है। यह सम्मेलन लगभग ५ मन्दाह तक चलेगा। इसमें भारत की ओर में पकिस्तान और गन्धार मन्दाह में मन्दाहारा श्री एन० बी० गन्धार भाग ले रहे हैं।

यह परिषद इस संघ की सबसे बड़ी संस्था है और यह अन्तर्राष्ट्रीय तार संचार सम्मेलनों में लिए गए निर्णयों को लागू करवाती है। भारत दल में वर १९५२ में इन परिषद का वा गन्धार चुना गया था। १९५९ में यह दुबारा इन परिषद का मन्दाह चुना गया।

### पूर्वी अफ्रीका के लिए रेडियो-टेलीफोन

२३ मई में भारत में पूर्वी अफ्रीका के लिए रेडियो-टेलीफोन करने का समय बड़ा किया गया है। अब रविवार के अलावा, अन्य नव दिन दोपहर १२ बजे से १-४५ बजे तक पूर्वी अफ्रीका की रेडियो-टेलीफोन किया जा सकता है।

### भारत और आस्ट्रेलिया के बीच रेडियो-टेलीफोन व्यवस्था

१ जून, १९६० में भारत से आस्ट्रेलिया को रेडियो-टेलीफोन करने का समय बड़ाया जा रहा है। अब रविवार के अलावा नव दिन सुबह ११-४५ में १ बजे दोपहर तक रेडियो-टेलीफोन किया जा सकता है।

### भारत और फ्रांसीसी सहारा के बीच रेडियो-टेलीफोन व्यवस्था

भारत में फ्रांसीसी सहारा के कोलम्ब-बेचचार, अन्ध-ओद और हल्सी-मसूद एक्सचेंजों को सुबह ११-३० बजे से रात को १२-१५ बजे (भारतीय स्टैंडर्ड समय) तक रेडियो-टेलीफोन किए जा सकते हैं।

## खाद्य और कृषि

### दिल्ली में केंद्रीय गोदाम

खेती की पैदावार को बेहतर ढंग से रखने के लिए दिल्ली में ६०० टन की क्षमता का एक केंद्रीय गोदाम गंठला गया है। यह गोदाम जतिनगर में केंद्रीय गोदाम नियम की ओर से गंठला गया है। इसमें गह-कारी समितियों, विमानों और व्यापारियों की चरखतें पूरी होंगी। इसकी क्षमता जल्दी ही ७,५०० टन तक बढ़ा दी जाएगी। फल और सब्जी जैसे जल्दी नष्ट होने वाले पदार्थों को रखने के लिए एक ठंडा गोदाम बनाया जा रहा है।

केंद्रीय गोदाम नियम में देश में अब तक २९ गोदाम गंठले हैं।

### टिष्टी दलों के ज्ञाने की पूर्ण सूचना

भारतीय प्राणिविज्ञान नर्ब ने ऐसे तरीके निकाले हैं, जिनसे टिष्टी दलों के जाने की पहले में सूचना मिल सकेगी। ये सूचनाएं टिष्टी दलों को नष्ट करने वाली दुर्कृतियों के बहुत काम की हैं।

हाल में टिष्टियों की पिछली टागों पर रंग के हड्डी होने के बारे में नयी जानकारी हुई है। इनमें यह पता लगाया जा सकता है कि किन जाति की टिष्टियां दल बनाकर उड़ती हैं और कौन नहीं। इससे टिष्टी दलों के जाने की पहले से सूचना देने में बहुत मदद मिलेगी।

### पशु-विक्रिसा के अध्यापकों के लिए पुनरभ्यास पाठ्यक्रम

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद १ जून, १९६० से भारतीय पशु-विक्रिसा अनुसंधान संस्था, आइजट नगर में पशु-पोषण संबंधी एक पुनरभ्यास पाठ्यक्रम का आयोजन कर रही है। यह पाठ्यक्रम ६ सप्ताह का होगा।

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य पशु-विक्रिसा कारेजों के अध्यापकों को पशु-विक्रिसा संबंधी विभिन्न विषयों की, विशेषतः पशु-पोषण के संबंध में नवीनतम जानकारी देना है।



नवम्बर १९५८ में नवमे पक्षे आठमासगी तीर पर हिन्दी में एक वें सोचा गया था। यह यमुना नदी के बारे में आरंभ प्रकृत करता है। केन्द्र विच्छेद वरं यमुना के बाढ़ के वेग को नियंत्रित नूचना दो दिन पहले दी, जिससे दिल्ली में नदी के विचारों के गारों को सम्भरित नष्ट होने में बचाव जा सकी।

### दूसरी और तीसरी योजनाओं में विद्युत उत्पादन क्षमता

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में कुल ५८ लाख किलोवाट बिजली बनाने की क्षमता हो जाएगी।

तीसरी योजना वाली १९६५-६६ के अंत तक, इनके अलावा ६० लाख किलोवाट बिजली जोर बनने लगेंगी। इसमें से २८ लाख किलोवाट बिजली उन योजनाओं में पैदा होने लगेगी जो दूसरी योजना में पूरी नहीं हो सकींगी। बाकी ३२ लाख किलोवाट नवीय योजनाओं में बनने लगेंगी। इसमें से ३ लाख किलोवाट बिजली उन जल-बिजली केन्द्र में बनेगी जो तीसरी योजना में स्थापित किया जाने वाला है। इन प्रारंभ १९६५-६६ में देश में कुल १ करोड़ १८ लाख किलोवाट बिजली बनाने की क्षमता हो जाएगी।

इसके साथ-साथ बिजली वितरित करने के लिए बिजली की लाइनें भी बढ़ा दी जाएगी। दूसरी योजना के अंत तक ऐसी कुल ३५ हजार मील लम्बी लाइनें बन चुकेगी। तीसरी योजना में इसके अलावा ३५ हजार मील लम्बी टाई वायर्ड लाइनें और बनाने का विचार है।

### सिंचाई और जल निकास सम्बन्धी विद्युत-सम्मेलन


मैट्रिड, 'एन' में ३० मई, १९६० में अन्तर्राष्ट्रीय मिचार्ट और जल निकास आयोग का चौथा सम्मेलन हो रहा है, जो सात दिन चलेगा। यह आयोग मधुवत राष्ट्र मध की माध्य मन्त्र्या है। इसमें ४५ देसों के लगभग ७०० प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

सम्मेलन में भारत की ओर से चार सदस्यों का एक प्रतिनिधिमण्डल भाग ले रहा है। केन्द्रीय मिचार्ट और बिजली मंत्रालय के अतिरिक्त मन्त्रि वर्य एन० डी० गुलाटी इस मण्डल के नेता हैं। अन्य सदस्य हैं:—उत्तर प्रदेश के

मुख्य जीनियर श्री जी० के० अग्रवाल; पञ्जाब के मुख्य इंजीनियर श्री जी० एम० मिश्र; तीर बम्बई के मुफर्तिडिंग इंजीनियर श्री ई० मी० मल्लाना। केन्द्रीय जल और बिजली आयोग के सदस्य श्री गारन मोहन इस आयोग के महासचिव हैं।

[अन्तर्राष्ट्रीय मिचार्ट और जल निकास आयोग की स्थापना मत् १९५० में हुई थी

और नयी दिल्ली में इसका मुख्य कार्यालय तोला गया था। स्थापना के समय ११ देस इसके सदस्य बने और अब इसके ४५ देस सदस्य बन चुके हैं। अब तक शिष्ट विषयों पर इन आयोग के तीन सम्मेलन—१९५१ में नयी दिल्ली में; १९५४ में अल्जीरिया में और १९५७ में गानफागिस्को में—हो चुके हैं।]



## देवनागरी लिपि का संशोधित स्वरूप

भारत सरकार द्वारा संशोधित देवनागरी लिपि का अंतिम संशोधित स्वरूप प्रकाशित कर दिया गया है। यह स्वरूप मत् १९५९ के निदेशा मन्त्री सम्मेलन की सिफारिशों पर आधारित है।

यह मूचना भाग्य सरकार के निदेशा मंत्रालय की २९ मई की एक विन्यास में दी गयी है।

राज्य सरकारों में अनुरोध किया गया है कि हिन्दी में काम-काज करने में वे इसी संशोधित लिपि का व्यवहार करें।

देवनागरी लिपि के अक्षरों का एक रूप निश्चित करने के लिए और छापाई तथा टाइपराइटिंग की सुविधा की दृष्टि से दमम संशोधन की आवश्यकता पटी।

इस विषय पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों, संस्थाओं और सरकार का भी ध्यान गया था। इसी उद्देश्य में नवम्बर सन् १९५३ में उत्तर प्रदेश सरकार में लखनऊ में एक सम्मेलन किया था, जिसने देवनागरी लिपि में कुछ संशोधन किए। जनवरी १९५५ में भारत सरकार ने इस सम्मेलन के निश्चयों को स्वीकार किया और राज्य सरकारों की भी अपने हिन्दी के कामकाज में इसी संशोधित रूप का व्यवहार करने का मुताव दिया।

राज्य सरकारों से जो जवाब आए उनसे पता चला कि अनेक राज्यों को सन् १९५३ के लखनऊ सम्मेलन के निश्चय पूरी तरह

स्वीकार्य नहीं है। इस सम्मेलन के कुछ निश्चयों का हिन्दी-भाषण में भी स्वागत नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त सन् १९५३-से १९५७ के बीच उत्तर प्रदेश सरकार को भी इन निश्चयों पर अमल करने में बहुत व्यावहारिक कठिनाइयां मालूम पटीं।

इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर १९५७ में एक और सम्मेलन इस विषय पर पुनर्विचार करने के लिए बुलाया। इस सम्मेलन में पहले सम्मेलन के निश्चयों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की सिफारिश की।

भारत सरकार के निदेशा मंत्रालय ने तब इस प्रश्न पर फिर से विचार किया और इसे निदेशा मंत्रियों के सम्मेलन के सामने रखने का निश्चय किया। निदेशा मंत्री सम्मेलन में यह विषय पेज करने के पहले भारत सरकार ने विरोधों का भी एक सम्मेलन किया, जिससे निदेशा मंत्रियों को इस विषय पर विरोधों की राय मालूम हो सकी।

अगस्त १९५९ में निदेशा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ और उसने सन् १९५३ के लखनऊ सम्मेलन के निश्चयों को सन् १९५७ के सम्मेलन में स्वीकृत संशोधनों के साथ स्वीकार किया और कुछ और स्पष्टीकरण भी किए। निदेशा मंत्री सम्मेलन के इन निश्चयों को अब कार्यान्वित किया जा रहा है।



माने की चीजों में मिलावट रोकने के नियमों में संशोधन

१६ '५५ के माने की चीजों में मिलावट रोकने के नियमों के मसौदा के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय ने एक मसौदा तैयार किया है। इसके स्वीकार होने पर देश भर के फेरी बाजों को फोंडो लगा हुआ पहचान का पाउंड रखना होगा। इस समय फेरी बाजों को धानु वा बिल्ला गना होता है, जिस पर ग्राइमेग वा नम्बर आदि मुद्रा होता है।

इस मसौदा में राज्य सरकारों को विमारी

की बिजली पर रोक लगाने का अधिकार मिल जाएगा। विसारी खानों से टांगों को लकवा मार जाता है।

एक मसौदा के अनुसार 'टोन्ड' दूध में फार्मेलिन मिलाने की इजाजत दी जाएगी। कच्चे दूध की गुदगता की जो कमीठी है, वह उबले दूध पर भी लागू होगी। फल के शर्बतों में २५ प्रतिशत फल का रस रहना आवश्यक होगा। अदरक का रंग उड़ाने के लिए चूने के प्रयोग की इजाजत दी जाएगी। मारगरीन में कोई भी रंग मिलाने की इजाजत नहीं होगी।

भारतड़ा और नगल के बिजलीघरों को शमता अत्रैल, १९६१ में ९६ हजार किलोवाट में बढ़कर ६ लाख ४ हजार किलोवाट हो जाएगी।

पंजाब और राजस्थान में बिजली की अधिकता लाइने तैयार हो चुकी है। ६६ के ० वी० की ९५० मील लम्बी बिजली को लाइनें पंजाब में लग चुकी है और करीब १५० मील लम्बी राजस्थान में। इसके अलावा चार छोटे बिजलीघर भी बनकर करीब-करीब तैयार हो चुके हैं। इनमें से दो पंजाब में सोलन और निमला में हैं और दो राजस्थान में रतनगढ़ और बीकानेर में बन रहे हैं।

राजस्थान को पिछड़ी जनवरी में भाखडा-नगल योजना की बिजली मिलनी शुरू हुई। यह बिजली श्रीगंगानगर के छोटे बिजलीघर से मिल रही है।

## नदी योजनाएं श्रौर बिजली

### १६५८-५६ में बड़ी श्रौर मंझली योजनाओं से सिंचाई

सन् १९५८-५९ में चार बड़मुगी नदी घाटी योजनाओं—भांगडा नगल, दामोदर घाटी निगम, तुगभद्रा जोर हीराजुड में २५ लाख एफ्ट जमीन की सिंचाई हुई। इसमें से भांगडा नगल योजना द्वारा पंजाब और राजस्थान में १९ लाख ५० हजार एफ्ट जमीन की सिंचाई हुई। दामोदर घाटी निगम से ५० बंगाल में २ लाख ३५ हजार एफ्ट जमीन की और हीराजुड में उड़ीसा में २ लाख ८५ हजार एफ्ट जमीन की सिंचाई हुई। तुगभद्रा योजना में भैरुवर और आंध्र प्रदेश में १ लाख ५८ हजार एफ्ट जमीन की सिंचाई हुई। बंगे, इन चारों योजनाओं में कुल ३७ लाख एफ्ट जमीन की सिंचाई हो सकती थी।

देन की मनी बरी और मजरी सिंचाई योजनाओं की कुछ जिनकी सिंचाई शमता थी, उनसे ८० प्रतिशत सिंचे वा उपयोग हुआ। आता है, १९५९-६१ इन दो बरों में भी कुछ सिंचाई शमता और वास्तविक उपयोग वा मन् अनुमान जारी रहेगा।

सन् १९५९-६१ में मज पराग के मसौदा वा कुल ५१५ लाख एफ्ट जमीन की सिंचाई हुई थी। इसमें से २०० लाख एफ्ट जमीन की सिंचाई बरी और मजरी सिंचाई योजनाओं द्वारा हुई। इनके अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत बरी और मजरी योजनाओं

से ३३५ लाख एफ्ट और जमीन की सिंचाई होने लगेगी।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक, अर्थात् १९७५-७६ तक लगभग १८ से १९ करोड़ एफ्ट जमीन के लिए सिंचाई की सुविधाएं कर देने का विचार है। आता है, इसमें से लगभग ९ करोड़ एफ्ट जमीन की सिंचाई बड़ी और मझली योजनाओं द्वारा होने लगेगी।

पहली और दूसरी योजनाओं में जो बड़ी और मझली सिंचाई योजनाएं शामिल की गई हैं, उन पर लगभग १,४०० करोड़ ६० की लागत का अनुमान है।

### भाखड़ा योजना की प्रगति

भाखड़ा बांध अक्टू १ मई, १९६० को अपनी राबमे गहरी नीज में ५३४ फुट की ऊंचाई तक बन गया है और इसके बाईं तरफ के बिजलीघर में ९० हजार किलोवाट के घन के अक्षरधर १९६० में पाठ हो जाने को सम्मानना है।

बिजलीघर वा निर्माण बाकी आगे वा चला है और इनके टर्बाइन, जनरेटर, ट्रान्स्फार्मर तथा बिजली वा वरंसार करीब-करीब पूरे हो चुके हैं और १९६१ में ये काम करने लगेंगे। फोंडो और मसौदा बिजलीघरों के बिजली बनाने बाईं नीचे पर भी जनवरी-अप्रैल, १९६१ में तैयार हो जाएंगे। ये दोनों बिजलीघर नगल नगर पर हैं।

### उत्तर-पश्चिम नदी प्रायोग के सुभाष

पंजाब की सरवार बांध की पूर्व सूचना देने के लिए एक केन्द्र खोलेगी। देश में इस प्रकार का यह दूसरा केन्द्र होगा। इसे खोलने का सुझाव उत्तर-पश्चिम नदी आयोग की हाल में हुई बडोगड की बैठक में दिया गया था। बैठक में पंजाब, जम्मू, उत्तर तेल और केन्द्रीय जल और बिजली आयोग के चीफ इंजीनियर, भारतीय पशु-विज्ञान विभाग की वेधशाखाओं के महानिदेशक; हिमाचल प्रदेश के जल विभाग के इन्स्पेक्टर जनरल और भारतीय गवेषण विभाग का एक प्रतिनिधि उपस्थित था।

आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि प्रत्येक नदी में बांध की पूर्व सूचना देने के केन्द्र खोलने में नदी घाटी योजनाओं को पूरा करने में गहायता मिलेगी। प्रत्येक राज्य में बांध के आरंभों को एकत्रित करने के विचार कार्यन्वय होते जाए।

आयोग ने यह भी कहा है कि भारतीय पशु-विज्ञान विभाग यथा-सामान यंत्रों की नियमित जांच करे, ताकि हर मास एक-तिहाई यंत्रों की जांच हुआ करे। स्वास्थ्य क्षेत्र की वेधशाखाएं जल और पशु-विज्ञान सम्बन्धी आरंभें एकत्रित करतीं रहें। इस समय हिमाचल क्षेत्र में ८० वेधशाखाएं हैं; नेपाल में ५८, मित्रराम में ३ और भूटान में १९।

नवम्बर १९५८ में सबसे पहले आजमाईगी तौर पर दिल्ली में एक बेज रंगीन गंगा था। यह यमुना नदी के बारे में आखिरे एरार करता है। बेज रंगीन गंगा यमुना के बाइ के बेज की ठीक-ठीक मूचना दो दिन पहले थी, किमते दिल्ली में नदी के किनारे के गांवों को गन्धर्वत नष्ट होने में बचाई जा रही।

### दूसरी और तीसरी योजनाओं में विद्युत उत्पादन क्षमता

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में कुल ५८ लाख किचोवाट बिजली बनाने की क्षमता हो जाएगी।

तीसरी योजना यानी १९६५-६९ के अंत तक इनके अलावा ६० लाख किचोवाट बिजली और बनने लगेंगी। इसमें से २८ लाख किचोवाट बिजली उन योजनाओं में पैदा होने लगेगी जो दूसरी योजना में पूरी नहीं हो सकींगी। बाकी ३२ लाख किचोवाट नवी योजनाओं में बनने लगेंगी। इसमें से ३ लाख किचोवाट बिजली उन अनु-बिजली बेज में बननेगी जो तीसरी योजना में स्थापित किया जाते बाना है। इन प्रकार १९६५-६९ में देश में कुल १ कोट १८ लाख किचोवाट बिजली बनाने की क्षमता हो जाएगी।

इसके साथ-साथ बिजली कितानि करने के लिए बिजली की लाइनें भी बढ़ा दी जाएगी। दूसरी योजना के अंत तक ऐसी कुल ३५ हजार मील लम्बी लाइनें बन चुकींगी। तीसरी योजना में इनके अलावा ३५ हजार मील लम्बी लाइनें बनाये जायेंगी और बनाने का विचार है।


### सिंचाई और जल निकास सम्बंधी विश्व-सम्मेलन

मैड्रिड, स्पेन में ३० मई, १९६० में अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकास आयोग का चौथा सम्मेलन हो रहा है, जो मात्र दिन चलेगा। यह आयोग मनुवत राष्ट्र मय की मांग मस्था है। इसमें ४५ देशों के लगभग ७०० प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

सम्मेलन में भारत की ओर से चार सदस्यों का एक प्रतिनिधिमण्डल भाग ले रहा है। केन्द्रीय सिंचाई और बिजली मन्त्रालय के अतिरिक्त मन्त्रि श्री एन० डी० गुलाटी इस मण्डल के नेता हैं। अन्य सदस्य हैं:—उत्तर प्रदेश के

मुख्य ज़ोनिवर श्री जी० के० अग्रवाल; पंजाब के मुख्य इंजीनियर श्री जी० एम० मिश्र; और बम्बई के सुपरिटेन्डिंग इंजीनियर श्री ई० सी० गलदागा। केन्द्रीय जल और बिजली आयोग के सदस्य श्री पारस मोहल द्वा आयोग के महासचिव हैं।

[अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकास आयोग की स्थापना मन् १९५० में हुई थी



### देवनागरी लिपि का संशोधित स्वरूप

भाग्य गन्धर्व द्वारा स्वीकृत देवनागरी लिपि का प्रतिम संशोधित स्वरूप प्रकाशित कर दिया गया है। यह स्वरूप मन् १९५९ के शिक्षा मंत्री सम्मेलन की सिफारिशों पर जाधारित है।

यह मूचना भाग्य सरकार के शिक्षा मन्त्रालय की २९ मई की एक विज्ञापित में दी गयी है।

राज्य गन्धर्वों में अनुरोध किया गया है कि हिन्दी में काम-भाज करने में वे इसी संशोधित लिपि का व्यवहार करें।

देवनागरी लिपि के अक्षरों का एक रूप निश्चित करने के लिए और छापाई तथा टाइप-राइटींग की सुविधा की दृष्टि से इसमें संशोधन की आवश्यकता पटी।

इस विषय पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों, गंधर्वाओं और सरकार का भी ध्यान गया था। इसी उद्देश्य में नवम्बर मन् १९५३ में उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में एक सम्मेलन किया था, जिसने देवनागरी लिपि में कुछ संशोधन किए। जनवरी १९५५ में भारत सरकार ने इस सम्मेलन के निश्चयों को स्वीकार किया और राज्य सरकारों को भी अपने हिन्दी के कामकाज में इसी संशोधित रूप का व्यवहार करने का सुझाव दिया।

राज्य सरकारों से जो जवाब आए उनसे पता चला कि अनेक राज्यों को मन् १९५३ के लखनऊ सम्मेलन के निश्चय पूरी तरह

ओर नवी दिल्ली में इसका मुख्य कार्यालय खोला गया था। स्थापना के समय ११ देश इसके सदस्य थे और अब इसके ४५ देश सदस्य बन चुके हैं। अब तक गिरल विषयों पर इस आयोग के तीन सम्मेलन—१९५१ में नवी दिल्ली में; १९५४ में जल्दीघर्ग में और १९५७ में मातकगिरतकों में—हो चुके हैं।

स्वीकार्य नहीं है। इस सम्मेलन के कुछ निश्चयों का हिन्दी-जगत में भी स्वागत नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त मन् १९५३-५४ १९५७ के बीच उत्तर प्रदेश सरकार को भी इन निश्चयों पर अमल करने में बहुत व्यावहारिक कठिनाइयों मालूम पटी।

इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुववर १९५७ में एक और सम्मेलन इस विषय पर पुनर्विचार करने के लिए बुलाया। इस सम्मेलन में पहले सम्मेलन के निश्चयों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की सिफारिश की।

भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय ने तब इस प्रश्न पर फिर से विचार किया और इसे शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के सामने रखने का निश्चय किया। शिक्षा मंत्री सम्मेलन में यह विषय बेश करने के पहले भारत सरकार ने विधोपज्ञों का भी एक सम्मेलन किया, जिससे शिक्षा मंत्रियों की इस विषय पर विधोपज्ञों की राय मालूम हो सके।

अगस्त १९५९ में शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ और उसने मन् १९५३ के लखनऊ सम्मेलन के निश्चयों को मन् १९५७ के सम्मेलन में स्वीकृत संशोधनों के साथ स्वीकार किया और कुछ और स्पष्टीकरण भी किए। शिक्षा मंत्री सम्मेलन के इन निश्चयों को अब शिक्त किया जा रहा है।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा  
संज्ञोपित धर्मांमाला

स्वर

अ आ इ ई उ ऊ ऋ लृ ए  
ऐ ओ औ अं अः

मात्राएँ

। िी ु ू े ै ी ी :

ध्वज्जन

क ख ग घ ङ  
च छ ज झ ञ  
ट ठ ड ढ ण  
त थ द ध न  
प फ ब भ म  
य र ल व  
श ष स ह  
क्ष ज्ञ श्र

इ इ ङ

संयुक्त, पक्का, दफ्तर ।

(संयुक्त, पक्का, दफ्तर नहीं)

(ख) ट, छ, ट, ठ, ड, ढ, और द के  
संयुक्ताक्षर हल् चिह्न लगा कर ही  
बनाये जाए। यथा :  
वाङ्मय, लट्ट, बुद्धा, विद्या आदि  
(वाङ्मय, लट्ट, बुद्धा, विद्या नहीं)

(ग) संयुक्त 'र' के पुराने तीनों रूप  
यथावत् रहेंगे। यथा :  
प्रवार, धर्म, राष्ट्र ।

(घ) 'श' का पुराना रूप जैसा 'शी'  
में है 'शा' ही कायम रहेगा ।

(ङ) 'न' के स्थान पर अब 'त' और 'र'  
का संयुक्त अक्षर 'द' रहेगा ।

(च) 'ह' का संयुक्त रूप वर्तमान प्रणाली  
के साथ ही हल् चिह्न, लगाकर भी  
रिया जा सकेगा। यथा :

चिह्न और चिह्न  
(चिह्न नहीं)

(छ) संस्कृत में संयुक्ताक्षर पुरानी  
शैली से भी लिखे जा सकेंगे ।

४. अन्य निदेशय जो १९५३ में हुए थे वे ही  
कायम रहेंगे। यथा :

(१) सिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित  
रहेगा ।

(२) (क) फुल्लटाक को छोड़ कर मेष  
विराम आदि चिह्न यही प्रहण  
कर लिये जाए जो अक्षरों में प्रचलित  
हैं। यथा :

( - — ; ! ? ! : )  
(विमर्ग के चिह्न को ही कोलन  
का चिह्न मान लिया जाए)

(ग) पूर्ण विराम के लिए लंबी पाई (।)  
का प्रयोग रिया जाए ।

(घ) जहाँ तब सम्भव हो टाइपराइटर  
के मुद्रोपकरण से निम्नलिखित चिहनों  
को सम्मिलित कर लिया जाए :

( . ' % " " ( ) + ×  
÷ \* = ~ )

(३) अनुयाय और अनुनासिक दोनों  
( ) प्रचलित रहेंगे ।

भङ्ग

१. २. ३. ४. ५.  
६. ७. ८. ९. ०

संयुक्ताक्षर

१. हिन्दी में 'द' (दीर्घ 'द') का प्रयोग  
नहीं होता, अतः इस स्वरों में सम्मिलित नहीं  
रिया गया है ।

२. संयुक्ताक्षर

(१) लंबी पाई को इतराओं का संयुक्त  
रूप लंबी पाई को हटा कर ही बनाया जाना  
चाहिए। यथा :

कर्म, कर्म, कर्म  
कर्म, कर्म, कर्म  
कर्म

हुना, पथ, धनि, ग्याम  
प्या, डिम्बा, मय्य, रम्य  
गम्या  
उन्मय  
म्याम  
रन्म  
राण्म  
रवीण्म  
यदमा

३. अन्य ध्वज्जन

(क) 'क' और 'क' के संयुक्ताक्षर बनाने  
का वांछित हल् ही कायम रहेगा ।  
यथा :

संयुक्त अक्षर

## अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की बैठक

नयी दिल्ली में २३ और २४ जून को अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की बैठक हुई। परिषद के प्रयात श्री ह्याल ने इसकी अध्यक्षता की।

### परिषद की सिफारिशें

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने मुताबक दिया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में मांटे हार्ड स्कूलों की हायर मेकन्ट्री स्कूल बना दिया जाए। परिषद का कहना है कि इन परिवर्तन पर जो खर्च होगा, उसका फिर से अन्दाज़ लगाया जाता चाहिए।

परिषद ने गिकारिया की है कि हायर मेकन्ट्री स्कूलों के ऐसे अध्यापकों को, जो स्नातक हैं, चुनने की प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जैसे भी सम्भव हो, दीर्घकालीन या अल्पकालीन पाठ्यक्रम चला कर प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी दूर करने के ढल विधि जाए। परिषद का मुताबक है कि राज्य सरकारों अपने आवश्यकतानुसार स्वयं ही प्रशिक्षण की योजना तैयार करें।

### विज्ञान दिवस

परिषद यह प्रस्ताव मान लिया है कि विज्ञान के प्रति छात्रों में और सामान्य जनता में रुचि जगाने के विचार में हर साल १ दिन-स्वर को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाए। परिषद ने गिकारिया की है कि इस अवसर पर देश भर में एक मत्वाहक विज्ञान प्रदर्शनी-निर्मा और प्रतियोगिताएँ की जाए।

परिषद के सदस्यों ने यह विचार प्रकट किया है कि ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में विज्ञान प्रदान का प्रबन्ध हो। परिषद ने यह मुताबक दिया है कि राज्यों के शिक्षा विभागों को अधिक विज्ञान क्लब खोलने और उनका प्रचार करने के प्रयत्न करने चाहिए। हायर मेकन्ट्री स्कूलों को विज्ञान क्लब खोलने का ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए।

### स्त्री शिक्षा

छात्रियों और औरतों में शिक्षा का बहुत कम प्रचार है और इसलिए वे देश की उन्नति में उपयुक्त सहयोग नहीं दे पा रही हैं। इस बात को ध्यान में रख कर परिषद गिकारिया

की है कि तीसरी योजना के समीचे में स्त्री शिक्षा का जो कार्यक्रम रखा गया है, उसमें कोई परिवर्तन न किया जाए।

इस परिषद की बैठक में श्रीमती दुर्गाबाई देसायुग को भी आमंत्रित किया गया था। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त करने हुए कहा कि प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तर पर छात्रियों को शिक्षा को मुक्ति देने में यह समस्या काफी बड़ ही जाती है। उन्होंने कहा कि स्त्री शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद ने महिला अध्यापकों को प्रशिक्षण देने और छात्रियों के लिए अधिक स्कूल खोलने का विन्मून कार्यक्रम बनाया है।

### व्यावसायिक शिक्षा

परिषद का कहना है कि तीसरी योजना में होने वाले हायर मेकन्ट्री और बहुमुखी स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। इन बारे में यह गिकारिया की गई है कि प्रत्येक बहुमुखी स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा के मत्वाहकान नियुक्त किए जाए।

परिषद ने यह भी गिकारिया की है कि हायर मेकन्ट्री स्कूलों में अंग्रेजी या उन भाषाओं के माध्यम में शिक्षा देने की कुछ व्यवस्था की जाए जिनके माध्यम से संबंधित राज्य के विरवविद्यालयों शिक्षा देते हैं ताकि छात्रों को विरवविद्यालयों में पढते समय कोई दिक्कत न हो।

### शिक्षा मंत्रालय द्वारा शारीरिक शिक्षा के लिए अनुदान

केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय के शारीरिक शिक्षा और मनो जन विभाग ने भारत सेवन समाज, नयी दिल्ली को अप्रैल से जून, १९६० के बीच थम और गमाज सेवा निविर लगाने के लिए ६ लाख ४० का अनुदान दिया है। इस प्रकार के निविरों के आयोजन के लिए १० हजार ९८१ रु० का अनुदान केरल विरव-विद्यालय को, २ लाख ५५ हजार २५० रु० का अनुदान राष्ट्रीय छात्र मंत्रिक दल निदेशालय, नयी दिल्ली को और १३ हजार १०७ रु० का अनुदान भारत और रक्षा की बाई०एम०सी०ए० परिषद को भारतीय शाखा को दिया गया है।

चार कालेजों में मनोरजन भवन और प्रेक्षागार बनवाने के लिए भी अनुदान दिए

गए हैं। तिरुपुर के के० सुब्रह्मनिया चेदियर हार्ड स्कूल में मनोरजन भवन और प्रेक्षागार बनवाने के लिए मद्रास सरकार को ६ हजार ४० का अनुदान दिया गया है। उममानिया विरवविद्यालय को ४ हजार ४० का अनुदान, हैदराबाद के अनवरुल उमूम कालेज में मनोरजन भवन के निर्माण के लिए दिया गया है; उत्तर प्रदेश सरकार को १७ हजार ० का अनुदान दिया गया है, जिनमें बाके बार के लवता विद्यालय इन्टर कालेज और अलीगढ़ के धर्मगमाज एटर कालेज में मनोरजन भवन और प्रेक्षागार बनवाने जाएंगे। पूना विरव-विद्यालय को पूना के नोरलंजी बाडी कालेज में स्टैडियम बनवाने के लिए ९ हजार ७४ रु० का अनुदान दिया गया है।

चार शिक्षा मत्वाओं को विद्यार्थियों को यात्रा पर ले जाने के लिए ३,९९०.२५ रु० का अनुदान शिखर किया गया है। इस अनुदान से लगभग ९१ विद्यार्थी और गात शिक्षक यात्रा का काम उठा सके।

### सेलों की राष्ट्रीय संस्था

सेलों की राष्ट्रीय संस्था के संचालक मण्डल की पहली बैठक १८ मई को नयी दिल्ली में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता मण्डल के अध्यक्ष और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री पी० एन० शुपाल ने की। संचालक मण्डल ने यह निर्णय किया कि संस्था १ दिसम्बर, १९६० से पटियाला में अपना काम शुरू कर दे। मण्डल ने संस्था के संचालन के समीचे को भी स्वीकार कर लिया और यह निर्णय किया कि संस्था १८६० के सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट २१ के अधीन रजिस्टर्ड करा ली जाए।

श्री एम० एन० कपूर की अध्यक्षता में एक उपसमिति इस बात के लिए नियुक्त की गई कि वह संस्था में प्रवेश के लिए नियम, पाठ्यक्रम इत्यादि बनाए।

मण्डल के अन्य सदस्यों के, जो बैठक में उपस्थित थे, नाम हैं: जनरल के० एन० विर्मया, राजा भालीन्द्र सिंह, श्री एन० एन० वाचू, और श्री एम० एन० कपूर।

सेलों की राष्ट्रीय संस्था की स्थापना से उद्देश्य के ली जा रही है कि हर प्रकार के खेलों

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा  
संशोधित पर्यामात्रा

स्वर

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ए

ऐ ओ औ अं अः

मात्राएँ

। िी ु ू े ीी :

व्यन्जन

क ख ग घ ङ

च छ ज झ ञ

ट ठ ड ढ ण

त थ द ध न

प फ व भ म

य र ल व

श ष स ह ङ ङ ङ

क्ष ज्ञ श्र

संयुक्त, पक्का, दफ्तर ।

(संयुक्त, पक्का, दफ्तर नहीं)

(ख) ट, छ, ट, ठ, ड, ङ, और द के संयुक्तताशर हल् चिह्न लगा कर ही बनाये जाएँ। यथा :

वांछ्य, लट्ट, बुड्डा, विद्या आदि (वांछ्य, लट्ट, बुड्डा, विद्या नहीं)

(ग) संयुक्त 'र' के पुराने तीनों रूप यथावत् रहेंगे। यथा :

प्रकार, धर्म, राष्ट्र ।

(घ) 'श्र' का पुराना रूप जैसा 'श्री' में है 'सा' ही कायम रहेगा।

(ङ) 'न' के स्थान पर अब 'त' और 'र' का संयुक्त अक्षर 'छ' रहेगा।

(च) 'ह' का संयुक्त रूप सर्वमान प्रणाली के साथ ही हल् चिह्न लगाकर भी किया जा सकेगा। यथा :

चिह्न और चिह्न  
(चिह्न नहीं)

(छ) संयुक्त में संयुक्तताशर पुरानी टोली से भी लिखे जा सकेंगे।

४. अन्य निश्चय जो १९५३ में हुए थे वे ही कायम रहेंगे। यथा :

(१) गिरायेला का प्रयोग प्रचलित रहेगा।

(२) (क) फ्लोरटाप को छोड़ कर गेव विग्रम आदि चिह्न वही प्रहय कर लिये जाएँ जो अर्पेजी में प्रचलित है। यथा :

( - — , ; ! ? ! : )  
(विग्रम के चिह्न को ही कोलन का चिह्न मान लिया जाए)

(ग) पूर्ण विराम के लिए पाठो पाठ (।) का प्रयोग किया जाए।

(घ) जहाँ ता गन्मय हो टाइपराइटर के मूडीपटल में निम्नलिखित चिहनों को गणिमलित कर लिया जाए :

( . % " ( ) + × ÷ \* = — )

(३) अनुसंधान और अनुनातिक दोनों ( ) प्रचलित रहेंगे।

अंक

१, २, ३, ४, ५.  
६, ७, ८, ९, ०

सफटीकरण

१. हिन्दी में 'द' (दीर्घ 'द') का प्रयोग नहीं होगा, अतः इन शब्दों में गणिमलित नहीं किया गया है।

२. मनुसाधार

(१) गरी पाठो पाठो शब्दों का मनुसा का गरी पाठो को हटा कर ही बनाया जाना चाहिए। यथा :

बर्तन, लाल, विष्णु  
बन्धन, छत्र, धर्म

कुला, पथ, ध्वनि, ग्याम
प्याग, हिम्बा, गम्, रम्
गम्बा
उल्लेग
ध्याम
बन्ना
राष्ट्रीय
स्वीडन
दरना

३. अन्य ध्वनन

(क) 'ब' और 'फ' के मनुसाधार बनाने का वर्तमान ढग ही कायम रहेगा। यथा :

अनुसंधान मन्साधार

## अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की बैठक

नयी दिल्ली में २३ और २४ जून को अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की बैठक हुई। परिषद के प्रयात श्री इशाल ने इसकी अध्यक्षता की।

### परिषद की सिफारिशें

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने मुस्ताव दिया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में सारे हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल बना दिया जाए। परिषद का बतना है कि इस परिवर्तन पर जो खर्च होगा, उनका फिर से अन्दाज लगाया जाना चाहिए।

परिषद ने निकारिया की है कि हायर सेकेंडरी स्कूलों के ऐसे अध्यापकों को, जो स्नातक हैं, तुरन्त ही प्रमोशन दिया जाना चाहिए। जैसे भी सम्भव हो, दीर्घकालीन या अन्तराष्ट्रीय पाठ्यक्रम बना कर प्रगतिशील अध्यापकों की बर्ती दूर करने के यत्न किए जाएं। परिषद का मुस्ताव है कि राज्य सरकारें अपने आवश्यकतानुसार स्वयं ही प्रमोशन की योजना तैयार करें।

### विज्ञान दिवस

परिषद यह प्रस्ताव मान लिया है कि विज्ञान के प्रति छात्रों में और सामान्य जनता में रुचि जगाने के विचार से हर साल १ दिसम्बर को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाए। परिषद ने मित्ररचित की है कि इस अवसर पर देश भर में एक मण्डल तक विज्ञान प्रदर्शनिया और प्रतियोगिताएँ की जाएं।

परिषद के सदस्यों ने यह विचार प्रकट किया है कि ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में विज्ञान पढ़ाने का प्रयत्न हो। परिषद ने यह मुस्ताव दिया है कि राज्यों के विज्ञान विभागों को अधिक विज्ञान कन्द्र गोल्लने और उनका प्रचार करने के प्रयत्न करने चाहिए। हायर सेकेंडरी स्कूलों को विज्ञान कन्द्र गोल्लने का ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए।

### स्त्री शिक्षा

लड़कियों और औरतों में शिक्षा का बहुत कम प्रचार है और इसलिए वे देश की उन्नति में उपयुक्त सहयोग नहीं दे पा रही हैं। इस बात को ध्यान में रख कर परिषद ने सिफारिश

की है कि तीसरी योजना के मसौदे में स्त्री शिक्षा का जो कार्यक्रम रखा गया है, उगमें कोई परिवर्तन न किया जाए।

इस परिषद की बैठक में श्रीमती दुर्गाबाई देगमूर को भी आमंत्रित किया गया था। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त करने हुए कहा कि प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तर पर लड़कियों को शिक्षा को, मुनिमा देने में यह सम्भव करते हुए हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्त्री शिक्षा को राष्ट्रीय परिषद ने महत्वा अघ्यापकों को प्रमोशन देने और लड़कियों के लिए अधिार स्कूल गोल्लने का विन्तुत कार्यक्रम बनाया है।

### व्यावसायिक शिक्षा

परिषद का बतना है कि तीसरी योजना में ऐसे हायर सेकेंडरी और बहुमूर्ती स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। इस बारे में यह निकारिया की गई है कि प्रत्येक बहुमूर्ती स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा के मन्दाहकार नियुक्त किए जाएं।

परिषद ने यह भी निकारिया की है कि हायर, सेकेंडरी स्कूलों में अंग्रेजी या उन भाषाओं के माध्यम में शिक्षा देने की कुछ व्यवस्था की जाए जिनके माध्यम से संबंधित राज्यों के विश्वविद्यालय शिक्षा देते हैं ताकि छात्रों को विश्वविद्यालयों में पढ़ते समय कोई दिक्कत न हो।

### शिक्षा मन्त्रालय द्वारा शारीरिक शिक्षा के लिए अनुदान

केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय के शारीरिक शिक्षा और मनो-जन विभाग ने भारत गेवक समान, नयी दिल्ली को अप्रैल से जून, १९६० के बीच श्रम और समाज सेवा विभाग लगाने के लिए ६ लाख ६० का अनुदान दिया है। इस प्रकार के निधियों के आयोजन के लिए १० हजार ९८१ ६० का अनुदान केरल विश्व-विद्यालय को, २ लाख ५५ हजार २५० ६० का अनुदान राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल निदेशालय, नयी दिल्ली की और १३ हजार १०७ ६० का अनुदान भारत और लका की वार्ड एम०सी०ए० परिषद की भारतीय शाखा को दिया गया है।

चार कालों में मनोरंजन भवन और प्रेक्षागार बनवाने के लिए भी अनुदान दिए

गए हैं। तिरुपुर के ६० सुबह्ननिया चेट्टियर हाई स्कूल में मनोरंजन भवन और प्रेक्षागार बनवाने के लिए मद्रास सरकार को ६ हजार ५० का अनुदान दिया गया है। उगमानिया विश्वविद्यालय को ४ हजार ६० का अनुदान, हैदराबाद के अनवराल उर्दू कालेज में मनोरंजन भवन के निर्माण के लिए दिया गया है; उत्तर प्रदेश सरकार को १७ हजार ० का अनुदान दिया गया है, जिनमें बाके चार के ननता विद्यालय इष्टर कालेज और अलीगढ़ के धर्मगमाज एटर कालेज में मनोरंजन भवन और प्रेक्षागार बनवाने जाएंगे। पूना विश्व-विद्यालय को पूना के नोन्सलेजी वाडी कालेज में स्टैडियम बनवाने के लिए ९ हजार ७४ ६० का अनुदान दिया गया है।

चार शिक्षा मसूचों को विचारियों को यात्रा पर ले जाने के लिए ३,९९०.२५ ६० का अनुदान हीकार किया गया है। इस अनुदान से लगभग ९१ विचार्यों और सात शिक्षक यात्रा का लाभ उठा सके।

### सेलों की राष्ट्रीय संस्था

सेलों की राष्ट्रीय संस्था के संचालक मण्डल की पहली बैठक १८ मई को नयी दिल्ली में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता मण्डल के अध्यक्ष और शिक्षा मन्त्रालय के संयुक्त सचिव श्री पी० एन० इशाल ने की। संचालक मण्डल ने यह निर्णय किया कि संस्था १ दिसम्बर, १९६० से पटियाला में अपना काम शुरू कर दे। मण्डल ने संस्था के सचिवालय के मसौदे को भी स्वीकार कर लिया और यह निर्णय किया कि संस्था १८६० के सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट २१ के अधीन रजिस्टर्ड करा ली जाए।

श्री एम० एन० कपूर की अध्यक्षता में एक उपसमिति इस बात के लिए नियुक्त की गई कि वह मसूचों में प्रवेश के लिए नियम, पाठ्यक्रम इत्यादि बनाए।

मण्डल के अन्य सदस्यों के, जो बैठक में उपस्थित थे, नाम हैं: जनरल के० एम० धर्मिया, राजा भालीन्द्र सिंह, श्री एन० एन० वाचू, और श्री एम० एन० कपूर।

सेलों की राष्ट्रीय संस्था की स्थापना उद्देश्य से की जा रही है कि हर प्रकार के



## वाणिज्य की शिक्षा के लिए विशेष समिति का दौरा

वाणिज्य शिक्षा सम्बन्धी विनोद समिति की एक उपसमिति, जिसके अध्यक्ष डा० बी० बी० आर० बी० राव होंगे, ५ जून से दक्षिणी और पश्चिमी भारत का दौरा करने के लिये वाणिज्य शिक्षा की व्यवस्था की जायेंगे।

उपसमिति के अध्यक्ष होंगे डा० पी०एन० लॉन्गनायन, प्रो० ए० बी० दाम गुप्त और डा० ए० एन० अग्रवाल। यह समिति मद्रास, बंगलौर मद्रास निर्माणसमिति, निम्न-अनुदानसमिति, रामपुरम पुस्तक और बचत समिति का दौरा करेगी।

वाणिज्य शिक्षा सम्बन्धी १६ मद्रासों की विनोद समिति ४० भा० शिक्षा विभाग परिषद के अध्यक्ष डा० हुमायूँ खान ने निष्कर्ष की है। इन देश में वाणिज्य शिक्षा को वर्तमान व्यवस्था की जायें करने और हमारे मुद्दों के उत्तर मुद्दानों के लिए निर्णय देने की कला गया है।

समिति सम्भवतः सितम्बर १९६० तक अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेगी।

## शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यताओं को मान्यता

शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यताओं के बीच मध्यम की गिरावट पर भारत सरकार ने निर्णयित टिप्पणी और प्रमाणपत्र को मान्यता देने का निश्चय लिया है। अब इन टिप्पणी और प्रमाणपत्र वालों को केन्द्रीय सरकार में नौकरों मिल सकेंगे।

पश्चिम बंगाल के एग्जैक्टिन्सिप ट्रेनिंग बोर्ड द्वारा कल्याण टर्नमेंटल स्कूल, कल्याण के छात्रों को दिया गया मेरिटोरीय और टेलि-विड्युअल ट्रेनिंगिया की टिप्पणी, और अविद भारतीय शिक्षा परिषद का वर्मानियल आर्ट (विक्टोरियल) का राष्ट्रीय सर्टिफिकेट तथा आर्ट्स और साइन्स का राष्ट्रीय टैरन्सिप्ट प्रमाणपत्र।

## अफ्रीकी छात्रों की छात्रवृत्तियाँ

लोहायामा में २७ अगस्त को एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री, डा० श्रीमोहन ने बताया कि भारत में विज्ञान के विषय की उच्च शिक्षा के लिए १९६०-६१ में ३९ अफ्रीकी छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी गईं।

## क्या आप जानते हैं ?

### भारत में कुष्ठ रोग

● देश भर में २० लाख कुष्ठ रोगी हैं। इनमें से ४ लाख ऐसे रोगी हैं, जिनमें दूसरों को छुन लग सकती है।

● कुष्ठ एक बहुत ही छिपे जायगुं में फैलता है, जिसे कुष्ठ का बैक्टीरिया (रोगाणु) कहते हैं। कुष्ठ रोगियों की छुन स्वस्थ व्यक्तियों को लग जाती है। कुष्ठ बहुत धीरे-धीरे बढ़ता है और अन्त में काले या दूधियाँ छाले लक्षण प्रकट होने में कई वर्ष लगते हैं। इन बीच ऐसा रोगी लोगों में मिलता-जुलता रहता है और छुन फैलती रहती है।

● प्रत्येक कुष्ठ रोगी में छुन नहीं लगती। भारत में कुष्ठ के ३० प्रतिशत रोगी ही ऐसे हैं, जिनमें छुन लग सकती है। छुन उन लोगों को लगती है, जो बहुत गाल तक ऐसे कुष्ठ रोगियों के बहुत समीप रहते हैं। बच्चों को बच्चों की बस्तिमान जल्दी छुन लगती है। पर इनका यह मतलब नहीं है कि बच्चा को छुन नहीं लग सकती।


● रोग के अधिक बड़े जाने में ही अधिक छुन नहीं लगती, बल्कि छुन का लगना कुछ दिनों पर निर्भर करता है। कुष्ठ रोग दो प्रकार का होता है—छुत्ता और गैर-छुत्ता।

● यह केवल श्रावण ही बसा सकता है कि कि रोगी को छुत्ता कुष्ठ है। जैसे साधारण तौर पर ऐसे रोगियों के चेहरे, कानों और अन्य भागों पर भूजल होती है। इनके गरीर पर मोटे-मोटे धातु या गांठें भी पड़ जाती हैं, जो बाद में गिनने लगती हैं।

● आरंभिक कुष्ठ के इलाज की अनेक पेटेंट औषधियाँ हैं। रोग होते ही यदि इलाज शुरू कर दिया जाए तो रोगी एकदम ठीक हो सकता है। ये औषधियाँ बड़े हुए रोग में भी फायदा करती हैं।

● यदि कुष्ठ रोगी को बहुत समय तक सन्तान आदि आधुनिक औषधियाँ दी जाएं तो उनमें छुन न लग सकती है।

● कुष्ठ निवृत्त के लिए यह जरूरी है कि कुष्ठ के तमाम रोगियों का टीक-टीक निदान करके उनकी चिकित्सा की जाए। केवल इसी ढंग में कुष्ठ को फैलने से रोकना जा सकता है।



## शहरी क्षेत्रों में मकानों के बारे में विस्थापितों को छुट

पुनर्व्यवधान मन्त्रालय की एक विज्ञापित में उन विस्थापितों को छुट देने की घोषणा की गई है, जिन्हें गांवों में जमीन अलगत हुई थी, परन्तु जिन्होंने शहरों में निष्पत्तियों के मकान कब्जे में कर लिए थे।

पञ्जाब में विस्थापितों को गांवों में जमीन के साथ मकान भी अलगत करने की एक योजना थी। यदि मकान न हो तो उन्हें मकान के लिए जमीन और कुछ अनुदान दिया जाता था। ये मकान गांव में ही दिए जाते थे, परन्तु कुछ

विस्थापितों ने निकटवर्ती शहरों में मुसलमान निष्पत्तियों के मकानों पर कब्जा कर लिया था। योजना के अन्तर्गत उन्हें ये मकान और गांवों में जमीन एक साथ नहीं दी जा सकती। फिर भी, जिनके पास ऐसे मकान थे, उन्हें ही अजिया दी कि उनके पास ये मकान काफी अरसे में है, इसलिए ये उन्हें ही दे दिए जाए।

भारत सरकार ने इस मामले पर विचार किया। यदि उनमें से मकान के लिए जाए, तो उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन विस्थापितों को गांवों में मकान या मकान की जमीन और अनुदान नहीं



पास यदि तहरों में मकान हैं, तो वे मकान उन्हीं को अलाट कर दिए जाए और उन्हीं उन मकानों का काम बसूल करने समय उनकी रकम की छूट दे दी जाए, जितनी रकम उन्हें गांवों में मकान की जमीन और अनुदान के रूप में दे दी जानी थी। छूट की दरें ये हैं—

- (१) जिन्हें १० एकर तक जमीन अलाट हुई है. ८०० रु०
- (२) जिन्हें १० से ५० एकर तक जमीन अलाट हुई है १,२०० रु०
- (३) जिन्हें ५० एकर में अधिक जमीन अलाट हुई है १,५०० रु०

यह छूट केवल उन्हीं विद्यार्थियों को दी जाएगी, जिनके कब्जे में ऐसे मकान हैं, जो अलाट किए जा सकते हैं और जो उन गांव में १० मील के अन्दर हैं, जहां उन्हें जमीन अलाट की गई है।

### अनुसूचित क्षेत्र और आदिम जाति आयोग की बैठक

अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति आयोग की पहली बैठक नयी दिल्ली में २५ मई को थी। यू० एन० डेबेर की अध्यक्षता में हुई। आयोग ने जाच के विषयों तथा तीनों पर विचार किया। अनुसूचित क्षेत्रों तथा आदिम जातियों के प्रमाणन, मरदाथ और भलाई सम्बन्धी कामों के बारे में अध्ययन करने के लिए आयोग ने तीन उप-समितियां भी नियुक्त की।

आयोग को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रमाणन, अनुसूचित क्षेत्रों में आदिम जाति मलाहकार परिवर्धनों के कानूनों पर अमल और अनुसूचित आदिम जातियों की भलाई के काम आदि विषयों पर रिपोर्टें देने का कहा गया है। आयोग को मह रिपोर्टें ३१ दिसम्बर, १९६० तक राष्ट्रपति को देनी हैं।

### पाकिस्तान की अदालतों में छूटी हुई जमानतें

भारत और पाकिस्तान के बीच जो चल-सम्पत्ति करार हुआ था उसके अन्तर्गत सरकारी हुंजियों, पोस्ट आफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेटों, डाकखाने के हिसाब और

त्रेजर आदि के रूप में अदालतों में जमा जमानतें पाकिस्तान में प्राप्त हुई हैं।

जिन विद्यार्थियों के नाम मरदाथ के मापित किए हैं, वे वा उनमें अधिष्ठित एजेंट या बैंच उत्तराधिकारियों अपने दाों छत्र छुट फामों पर, जो कि इतनापाने में मिल सकते हैं, मनी मन्त्रों के साथ १५ जुलाई, १९६० तक कन्ट्रोलिन्ग आफ डिपोजिट्स, मन्त्री के पास भेज सकते हैं।

### द्वंद्वकारण में दो बाघ चनेगे


द्वंद्वकारण धन में दो बाघ बनाए जाएंगे, जिनमें पूर्वी पाकिस्तान में आए विस्थापितों को निवाह आदि की सुविधाएं दी जाएंगी। इन दोनों बाघों पर २ करोड़ रु० में भी ज्यादा

नग्न आयेंगा। ये बाघ उड़ीसा के उमरकोट और मानगागिरी दोनों में भाग्यल और मर्रा(मुदा नदियों पर बनाए जाएंगे।

हाट ही में १० बगाह के मुख्य मनी डा० बी० गी० राय जब दृश्यात्म्य आपे तो उन्हीं भाग्यल नदी के बाघ का निवासस्थान दिया। यह बाघ ५ हजार फुट लम्बा होगा और इतने मर्राफ में ११ हजार तथा रवी फलज में ५,५०० एकर जमीन का निवाह की जा मनेगा।

मन्गागदा नदी के बाघ के मर्राफ फलज में ३० हजार और रवी फलज में १५ हजार एकर जमीन की निवाह ही मनेगा। यह बाघ ६ हजार फुट में भी ज्यादा लम्बा होगा।

इन दोनों बाघों की सुराह के काम में पाण हजार मंत्रियों की काम दिया जा मनेगा।



### उत्तरी क्षेत्र की सुरक्षित पुलिस की ट्रेनिंग

राजस्थान में जोधपुर के पास उत्तरी क्षेत्र की सुरक्षित पुलिस के ट्रेनिंग निबिर का दूसरा चरण २२ मई को समाप्त हो गया। इन अन्तर पर राजस्थान के मुख्य मंत्री जम्भूचरमीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के १,२०० पुलिस निशाधियों के सम्मुख भाग्य देगे।

ट्रेनिंग का पहला चरण १८ मार्च में १७ अर्सेल तक चला था और इसमें १,१०० अफ-मर्रा और कान्टेबलों ने निशा पाई। उत्तरी क्षेत्र में यह अपनी जितम का पहला निबिर था।

निशाधियों को फवायद और लडाई की निशा दी गई। पुलिस के काम की और भी अनेक बातें इन्हे सिखाई गईं। गणताहात में निशाधियों को जोधपुर के आमपाग के स्थानों की मर कराई गईं।

उत्तर क्षेत्र के राज्यों और केन्द्र पासित प्रदेशों के लिए समुपत पुलिस दण बनाने की योजना पिछले अक्टूबर में बनाई गई थी। इस दल के पुलिस कर्मचारियों को उत्तरी क्षेत्र के हर राज्य में बारी-बारी से हर साल कुछ दि० तक निशा दी जाया करेगा।

### आफिसरों ट्रेनिंग यूनिट के कैडेटों का पहला शिबिर

१७ मई को चकराता के कुछ दूर कंगाना में आफिसरों ट्रेनिंग यूनिट के पहले निबिर का उद्घाटन प्रतिगशा मंत्री, श्री शुभमनेशन ने किया।

दस निबिर में देण भर के कुल ६३ कैडेट भाग ले रहे हैं जो राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल की परिष्ठ माना ने चुने गए हैं। इस प्रकार के निबिर मंत्रियों की छुट्टियों में हर साल लगते हैं। उनमें निबिर ६ हप्ते तक चलेगा और इसमें यह उच्च स्तर का प्रतिगशा दिया जाएगा जो इन कैडेटों को राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल की टुकड़ियों में नहीं मिल पाता। आफिसरों ट्रेनिंग यूनिटों की स्थापना इस तयपाल में की गई है कि चुने हुए कैडेटों को उच्च स्तर की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वे आगे चल कर राष्ट्रीय छात्र सेना के संसे कैडेटों को प्रतिगशा दे सकें। जिन्होंने सेना में भर्ती होना अपना उद्देश्य बना लिया है।

इस साल के पहले तीन महीनों में इस टुकड़ी में ५० हजार छात्र भर्ती करने का लक्ष्य रखा गया था। श्री मेनन ने कहा कि यह बड़े हर्ष की बात है कि ३१ मार्च तक इस टुकड़ी में ५७ हजार से भी ज्यादा छात्र भर्ती हो चुके हैं।

## राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति

राष्ट्रपति ने निम्नलिखित राज्य विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दी है —

### पंजाब कानून (विरतार सं. ७) विधेयक

राज्य पुनर्गठन के बाद पंजाब और पश्चिम बंगाल में एक नए नए विधेयकों पर विभिन्न प्रकार के कानून लागू थे। उन इन कानूनों में समानता करने के लिए यह विधेयक बनाया गया है।

इन प्रकार का यह मातृदा विधेयक है। इनके जरिये पंजाब क्षेत्र में लागू हुए कानून अब पश्चिम में लागू होने और पश्चिम में इन प्रकार के कानून रहे जो लागू।

### आंध्र शिक्षा (आंध्र प्रवेश संशोधन) विधेयक, १९६०

इसमें आंध्र विभाग कानून, १९५९ की अवधि एक साल के लिए और बढ़ गई है। यह कानून शिक्षा विभागों को वेदकाल करने में बचाने के लिए बनाया गया था।

आंध्र एग्रीकल्चर शिक्षा मंत्रालय अध्यादेश, १९५६ के लागू होने के दिन जो शिक्षा विभाग थी और उनके बाद शिक्षा कानून लागू होने तक शिक्षा विभागों के साथ जो करार हुए, उनकी अवधि १ जून, १९५६ से ४ साल तक मानी गई। अब यह चार साल की अवधि समाप्त होने वाली है, इसलिए काफी गहरी में शिक्षा वेदकाल किए जा सकते हैं। इस प्रकार राज्य के लिए एक कानून बनाने पर विचार हो रहा है। परन्तु इसे लागू करने में अभी समय लगेगा। अतः राज्य सरकार ने वर्तमान कानून की अवधि एक साल के लिए बढ़ा दी है।

### इटली में भारत के नये राजदूत

परराष्ट्र मंत्रालय को ७ मई को एक विज्ञापन में बताया गया है कि श्री सुरेंद्र नारायण फर्ग्युसन इटली में भारतीय राजदूत और अन्वयनिका में कामरान नियुक्त हुए हैं। कुछ समय पहले तक पर अफगानिस्तान में भारत के राजदूत थे।

श्री फर्ग्युसन ने २४ मई को नए पर वा वायु-भार गमना लिया।

### अफगानिस्तान में भारत के नये राजदूत

परराष्ट्र मंत्रालय को ९ मई को एक विज्ञापन में बताया गया है कि श्री जगन्नाथ धर्मोदा को अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। आठ महीने भारतीय में भारतीय आयुक्त हैं। श्री धर्मोदा जुलाई १९६० में अपना नया पद सम्भाल लेंगे।

### नाइजीरिया के भारतीय आ्युक्त द्वारा परिचय-पत्र पेश

नाइजीरिया में मंगनीन भारतीय आयुक्त श्री गुरु चन्द ने २५ मई, १९६० को ल्हाणों में कामरानगी भवन-अंतराल के सम्मेलन परिचय-पत्र पेश किया। यह सूचना परराष्ट्र मंत्रालय को २७ मई को एक विज्ञापन में दी गयी है।

### लंका में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त

परराष्ट्र मंत्रालय को २७ मई को एक विज्ञापन में बताया गया है कि श्री बलराज कृष्ण कपूर को लंका में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। श्री कपूर अभी हाल तक अकारा में भारतीय उच्चायुक्त थे। वह जुलाई में नए पद का भार सम्भालेंगे।

### कनाडा में भारत के नये उच्चायुक्त

परराष्ट्र मंत्रालय की धितानि में बताया गया है कि परराष्ट्र मंत्रालय के विशेष-सचिव श्री श्रीरेंद्र नारायण धकवर्ती कनाडा में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। वे नवम्बर १९६० में अपना नया पद सम्भाल लेंगे।

### रंगून में रबीन्द्र शास्त्री समारोह

२३ मई को रंगून में बर्मा की देवीर गोस्ता-यटी के तत्वाधान में रवीन्द्र शास्त्री समारोह हुआ। इन अवसर पर बर्मा के प्रधान मंत्री, श्री यू नू ने रवीन्द्र नाम ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। शास्त्री समारोह में ६०० में अगिः व्यक्तियों ने भाग लिया। इनमें बर्मा के मुख्य न्यायाधीश, श्री यू मित्त वसन; उद्योग मंत्री यू रमचन्द्र; बर्मा में अन्य देवां के राजनयिक प्रतिनिधि और रंगून के प्रमुख नागरिक थे।

### ईरान को भारतीय मानक संस्था के प्रकाशनों की भेंट

नयी दिल्ली में ३१ मई को भारतीय मानक संस्था की ओर से संस्था के सब प्रकाशनों का एक सेट, जिसमें करीब १,४०० मानक हैं, ईरान के राष्ट्रीय मानक विभाग को भेंट किया गया। मानक संस्था के निदेशक, डॉ० बर्मा ने यह सेट नयी दिल्ली के ईरानी दूतावास के प्रथम सचिव, श्री एच० हाकिमी को भेंट किया।

### भारत में बर्मा की नयी राजदूत

बर्मा के २वें प्रधान मंत्री, श्री आंग तेन की धर्मपत्नी श्रीमती महाविरो युधम्मा दाव तिन बर्मा भारत में श्री वादे महा श्री सिंधु यू धान आग के स्थान पर बर्मा राजदूत नियुक्त हुई है। यह सूचना परराष्ट्र मंत्रालय को २० मई को, एक विज्ञापन में दी गई है।

### थाई देस में भारतीय राजदूत द्वारा परिचय

थाई देस में नव नियुक्त भारतीय राजदूत, श्री एन० एन० गिल ने १९ मई, १९६० को थाई नरेस को अपने परिचय-पत्र पेश किए। यह सूचना परराष्ट्र मंत्रालय की एक प्रेस-विज्ञापन में दी गई है।

### कोलम्बिया में भारत के राजदूत

चिली में भारत के राजदूत, श्री आर० एस० मणि को कोलम्बिया में भी भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। श्री मणि का निवास-स्थान सांतिआगो में रहेगा। यह सूचना परराष्ट्र मंत्रालय की २४ मई को एक विज्ञापन में दी गयी है।

# स मा चार - दर्शन

१६ मई से ३१ मई तक


मई

- १६—वित्त-शासक, श्री पी० के० लाल बहाल शास्त्री गवगाय, मध्य प्रदेश में मैत्रिक छात्र पाठ्यक्रम का उद्घाटन
- फिन्स वित्त निगम के ९ सदस्यों के निर्देशक मण्डल के समक्ष भारत सरकार द्वारा सदस्यों की नियुक्ति
- नयी दिल्ली में राष्ट्रीय बचत के राज्य मन्त्रालय मण्डल के निर्देशकों और केंद्रीय महासंचालक मण्डल के सदस्यों की बैठक
- १७—भारत-ब्रिटेन-नेपाल की सेवा के गणना भवनगोष्ठी देश का २६.०६१ फुट ऊंची चोटी अन्नपूर्णा-२ पर अभियान सफल हुआ
- १८—बम्बई जीव मत्स्य बन्दरगाहों के टुकड़ों के कुछ श्रेणियों के समन्वयियों का काम के अनुसार पारिस्थितिक देने की उपयुक्तता पर विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा पांच व्यक्तियों की समिति नियुक्त
- २०—बरोनी (बिहार) और अहमदाबाद (गुजरात) में एक-एक तटीय विज्ञानोत्सव के निर्माण के लिए अमरीका के विभाग कृष्ण कोयले में भारत को ३६५ करोड़ रु० देना मित्रांतर रूप में स्वीकार किया
- मसाले बन्दरगाहों के विभाग में सम्बन्धित समिति की रिपोर्ट नयी दिल्ली में प्रकाशित
- २१—उत्तराखण्ड, डा० राधाकृष्णन द्वारा उत्तराखण्ड में छोटे अखिल भारतीय आदिवासी सम्मेलन का उद्घाटन

मई

- देव भद्र में होम गार्ड गण्डन को सुव्यवस्था प्रदान करने के लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के होम गार्ड कोर के पाठ्यपुस्तकियों की नयी दिल्ली में बैठक
- २३—नयी दिल्ली में अग्रिम भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की बैठक
- २४—मलाया के गेट में पुरे हिन्द महासंघ में बीष्मतायीन नोमेना-अभियान के लिए भारतीय नोमेना के बंधे का बम्बई में प्रस्थान
- २७—राज में भारत और पश्चिम जर्मनी के प्रतिनिधियों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे अर्धवत भारत को द्वितीय योजना के विधायन-कार्यों के लिए ३ करोड़ रु० का बजट मिलेगा
- इससे सेवा के सम्बन्ध में भारत और फ्रांस सरकार के प्रतिनिधि मण्डलों में नयी दिल्ली में एक समझौता सम्पन्न
- अनुसूचित के शासितमय उपयोगों के बारे में भारत और रूस के सहयोग के प्रश्न पर मास्को में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बातचीत शुरू
- २९—जन्दन में हुए राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मन्त्री सम्मेलन में हिरसा लेने और मध्य-पूर्व के कुछ देशों के दोषों के परस्पर प्रथान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू की वापसी
- रेल मन्त्री श्री जगजीवनराम द्वारा मँसूर में नेशनल फंडरेशन ऑफ इन्डियन रेलवेमैन के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन ।

# मेट्रिक प्रणाली



१ अप्रैल, १९६० से भारतीय रेलों की व्यापारिक शाखाओं ने नाप-तौल की मेट्रिक प्रणाली अपना ली है।

○ ग्रव दूरी किलोमीटरों में दिखाई जाती है।

१ किलोमीटर = ५ फीट

○ माल-घमवाय की वुकिंग केवल मेट्रिक इकाइयों में होती है।

(१ किलोग्राम = २.२ लोबे;

१ किलोफुट = २ मिन २७ सेक;

१ मेट्रिक टन = ०.९०७ टन)



फॉरवर्डिंग नोट में मेट्रिक धजन लिख कर रेल विभाग की भदद कीजिए

# मेट्रिक प्रणाली

सरलता व एकरूपता के लिए

भारत सरकार द्वारा प्रचारित

टी० ए०-२५२२२६

# स मा चार - दर्शन

१६ मई से ३१ मई तक


मई

- १९—प्रतिरक्षा मंत्री, श्री री० के० परम मेहनत द्वारा मध्य प्रदेश में गैरिक लागू करने का उद्घाटन  
—फिनान्स विनियम के १ मसूचों के निर्देशानुसार मण्डल के बारे में भारत सरकार द्वारा मसूचों की नियुक्ति  
—नयी दिल्ली में राष्ट्रीय बचत के राज्य महासचिव मण्डल के निर्देशानुसार श्री केन्द्रीय महासचिव मण्डल के मसूचों की बैठक
- २३—भारत-ब्रिटेन-नार्वे की मेला के सम्बन्ध में पत्राचार की दृष्टि से २६.०.६१ फुट ऊंची बोटी अग्रगण्य-३ पर अभिमान मफल हुआ
- २४—बम्बई और मद्रास बन्दरगाहों के टुकड़ों के कुछ श्रेणियों के वर्ग-चार्जों को काम के अनुसार पारिश्रमिक देने की उपयुक्तता पर विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा पांच व्यक्तियों की समिति नियुक्त
- २०—बरोनी (बिहार) और अहमदाबाद (गुजरात) में एन-एन तारीख विजलीधर के निर्माण के लिए अमरीका के विभाग फ्रेंच कोष में भारत को २६५ करोड़ रु० देना मित्रांतर रूप में स्वीकार किया  
—मसूचे बन्दरगाहों के विकास में सम्बन्धित समिति की रिपोर्ट नयी दिल्ली में प्रकाशित
- २१—उत्तराखण्ड रेल, डा० राधाकृष्णन द्वारा उत्कलमंड में छठे अखिल भारतीय आदिवासी सम्मेलन का उद्घाटन

मई

- रेल भ्रम में होम गार्ड मण्डल की एकत्रितता प्रदान करने के लिए मसूचों और केन्द्रीय मण्डलों के होम गार्ड और के पारिश्रमिकों की नयी दिल्ली में बैठक
- २३—नयी दिल्ली में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की बैठक
- २४—मलाया के गेट में परे हिन्द महासागर में धीमे-धीमे नौसेना-अभियान के लिए भारतीय नौसेना के बड़े पाठ बम्बई में प्रस्थान
- २३—रॉल में भारत और पश्चिम जर्मनी के प्रतिनिधियों ने एन मसूचों पर इत्यादि विषय, जिनमें अर्थात् भारत की द्वितीय योजना के विचार-विचारों के लिए ३ करोड़ रु० का कर्ज मिलेगा  
—हवाई मेला के सम्बन्ध में भारत और फ्रान्स सरकार के प्रतिनिधि मण्डलों में नयी दिल्ली में एन मसूची का सम्मेलन  
—अनुसूचित के शांतिमय उपयोगों के बारे में भारत और रुस के सहयोग के प्रश्न पर मसूचों में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बातचीत हुई
- २९—रन्दन में हुए राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मन्त्री सम्मेलन में हिरसा लेने और मध्य-पूर्व के कुछ देशों के दोषों के पत्राचार प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू की वापसी  
—रेल मन्त्री श्री जगजीवनराम द्वारा मैसूर में नेशनल फंडेशन ऑफ इण्डियन रेलवेमेंट के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन ।

# मेट्रिक प्रणाली



१ अप्रैल, १९६० से भारतीय रेलों की व्यापारिक शाखाओं ने नाप-तौल की मेट्रिक प्रणाली अपना ली है।

○ घन दूरी किलोमीटरों में दिमाई जाती है।

१ किलोमीटर = १ कर्मात

○ माल-घनमात्र की माँकिंग केवल मेट्रिक इकाइयों में होती है।

(१ किलोघनमात्र = ००६ टोने;

१ किलोघनमात्र = २ घन २७ मीटर;

१ मेट्रिक टन = ० ९०८ टन)



फॉरवर्डिंग नोट, में मेट्रिक धजन लिए कर रेल विभाग की पदद कीजिए

## मेट्रिक प्रणाली

सरलता व एकरूपता के लिए

भारत सरकार द्वारा प्रचारित

डी० ६०-२६२२६६

खरीदिये



१ सितम्बर, १९६० को निकाली जाने वाली पहली लाटरियों में ३० जून, १९६० तक बेचे गये इनामी बाण्ड ही शामिल किये जाएंगे।

**बाण्ड तुरन्त खरीदिये** ताकि आपको सब की सब — १९ — लाटरियों में इनाम पाने का अवसर मिले।

अधिक विवरण बाण्ड बेचने वाले किसी पास के दफ्तर से प्राप्त किया जा सकता है।



राष्ट्रीय बचत संगठन

# उपयोगी तथा रोचक प्रकाशन

## राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद के भाषण

(१९५२-५६)

मूल्य : डाक ध्यय :

३.५० ०.८५

इस पुस्तक में डा० राजेश्वर प्रसाद के जनवरी, १९५२ से मई, १९५६ तक के भाषण संग्रहीन हैं। तिवि-क्रम में दिए गए इन भाषणों तथा लेखों में अनेक विषयों पर प्रकाश डाला गया है और उनमें डा० राजेन्द्र प्रसाद का व्यक्तित्व एक राजनीतिज्ञ, विद्वान, इतिहासकार, निष्ठा-शास्त्री, आदर्शवादी, ममाज गुणारक और सबसे अधिक एक महान् रचनात्मक विचारक के रूप में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।



## स्वाधीनता और उसके बाद

(जवाहरलाल नेहरू के भाषण १९४६-४९)

मूल्य : डाक ध्यय :

५.०० १.३५

भारत द्वारा आजादी प्राप्ति करने के पश्चात् प्रायः डेढ़ वर्ष में दिए गए प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषणों का संग्रह।

प्रधान मंत्री के अनुगम व्यक्तित्व के भाषणों के विषयों को एक आधारभूत एकता प्रदान की है। ये भाषण, जिनमें कुछ सामयिक इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, कुछ में नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार है और कुछ में भावनाओं का संचार है, राष्ट्र को अत्यधिक उद्योग करने के लिए अनुप्रेरित करते हैं।



## भारत की एकता का निर्माण

(सरदार पटेल के भाषण)

भारत की आजादी से पूर्व ५८४ देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल को है। उसी महान् नेता के २७ विविध विषयक भाषणों का संग्रह।

मूल्य : डाक ध्यय :

५.०० १.३०

(रजिस्ट्रो ध्यय प्रलग)

२५ रुपये या इससे अधिक की पुस्तकें मंगाने पर डाक खर्च नहीं लिया जाएगा। मूल्य अधिम धाना चाहिए, कास्ट पोस्टल ग्रांडर द्वारा सुविधा रहती है।

सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं से प्राप्य या सीधा लिखें :

## प्रकाशन विभाग

पो० बा० सं० २०११, प्रोल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली-८



# इन पत्रिकाओं को अपने वाचनालय में सम्मिलित कीजिए

**आजकल :** इस लोकप्रिय सचित्र मासिक पत्र में भारत भर के प्रसिद्ध ग्राहित्यकारों के विचारपूर्ण लेखों, कविताओं तथा कहानियों के प्रतिरिचय बना, संस्कृति व अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर प्रामाणिक लेख पढ़िए।

वार्षिक शुल्क ६.०० रुपये।

**बाल-भारती :** नन्हे-मुन्नों की सचित्र मासिक पत्रिका, जिसमें सरल भाषा में मनोरंजक कहानियाँ, शिक्षाप्रद कविताएँ, उपयोगी लेख और रेखाचित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। वार्षिक शुल्क ४.०० रुपये।

**योजना :** सब क्षेत्रों में हुई प्रगति का आलोचनात्मक मूल्य आकने वाला, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पथ-प्रदर्शक हिन्दी और अंग्रेजी में एक साथ छपने वाला पाठ्यक पत्र। वार्षिक शुल्क २.५० रुपये।

**कुरुक्षेत्र :** सचित्र मासिक पत्र, जिसमें देश के सामुदायिक विकास कार्यक्रम सम्बन्धी समाचार तथा लेख प्रकाशित होते हैं। वार्षिक शुल्क २.५० रुपये।

विक्री बढ़ाने के लिए इन पत्रिकाओं में विज्ञापन कीजिए

प्रकाशन विभाग

पो. बा. नं० २०११, ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली-८

## स्थायी महत्व की पुस्तकें सुन्दर सजधज—कम दाम

	मूल्य	डाक खर्च
राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद के भाषण (१९५२-१९५६)	३.५०	०.८५
भारत के पक्षी—राजेश्वरप्रसादनारायण सिंह	१२.५०	१.५०
स्वाधीनता और उसके बाद (जवाहरलाल नेहरू के भाषण १९४६-४९)	५.००	१.३५
भारत १९५८	४.५०	०.७५
भारतीय कविता—१९५३	५.००	१.७५
भारत की एकता का निर्माण (सरदार पटेल के भाषण)	५.००	१.३०
भारतीय वास्तुकला के ५,००० वर्ष	२.००	०.२५
कर-जांच आयोग के प्रतिवेदन का संक्षिप्त सार	२.५०	०.७५
योजना से खुशहाली	०.७५	०.२०
अशोक के धर्म लेख	१.००	०.२५
पंचांग सुधार	०.३५	०.१५
तपेदिक के रोगियों की घरेलू देखभाल	०.३५	०.१५

(रजिस्ट्रेशन व्यय अलग)

पचचीस रुपये या इससे अधिक की पुस्तकों पर डाक व्यय नहीं तिथा जाएगा।

प्रकाशन विभाग

पो. बा. नं० २०११, ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली-८


मन्त्री, श्री बी० के० कृष्णमेहन १६ मई को नवगॉड मध्य प्रदेश) में आर्मी कैंपेट कॉलेज का उद्घाटन करने पर प्रधान छात्रों के पहले दल में भेंट करते हुए। उनके स्थान-निर्वाह, जनरल के० एम० विर्मिया भी हैं



२७ मई को नयी दिल्ली में नागरिक उद्घोषण, भारत सरकार, के महानिदेशक श्री के० एम० राहा (दाएँ) और प्रधान गणराज्य के विमान परिवहन निदेशक श्री पियरे मोमा दोनों देशों के बीच हुए विमान परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर करने हुए




केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के सचिव, श्री पी० एन० कृष्ण १८ मई को नयी दिल्ली में राष्ट्रीय खेल-कूद संस्थान के गवर्नर-मण्डल की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए





वर्मा के डाटा इंस्टीट्यूट आफ फॉर-  
मेंटल रिमचें द्वारा १९५७ में प्रकाशित  
'नीट्युबग ऑफ धीनिवात रामा-  
नुजम्' के दो तपकों का एक सेट  
भारत सरकार ने हाल ही में केंद्रीय  
विद्यविद्यालय के पुस्तकालय को भेंट  
किया, जिसे विद्यविद्यालय के पुस्त-  
कालयाध्यक्ष श्री क्रैमविक देव रहे ह

वर्मा के प्रधान मंत्री, वरम थेट ऊ नू १६ मई को रंगून में भारतीय प्रदूतन-वक्ष का उद्घाटन करने  
के उपरान्त उसका निरीक्षण करते हुए



# आर्यलीया समाचार



वर्ष ३

१ जून, १९६० (११ ज्येष्ठ, १९८२)

पृष्ठ ६






ईरान के शिक्षा मन्त्री, परमश्रेष्ठ डा० महमूद मेहरा (बीच में) ७ मई को तेहरान में भारत-ईरान सांस्कृतिक समझौते को लागू करने वाले आयोग का उद्घाटन करते हुए। बाईं ओर भारतीय राजदूत, श्री टी० एन० शौन हैं



अकरा में हाल में हुए एक समारोह में घाना में भारत के उच्चायुक्त, श्री लखचन्द, घाना के गवर्नर जनरल, परमश्रेष्ठ साहें लिस्टोविल को परिचय-पत्र देते हुए



लेबनान के कृषि मन्त्री, परमश्रेष्ठ श्री फौद नज्जेर नयी दिल्ली में ८ मई को राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद के साथ

# भारतीय समाचार

वर्ष ३

१ जून, १९६०  
११ ज्यूल, १८८२

पृष्ठ ६

एक प्रति ६० ०.५५ १ मिलिय १५ सेंट

वार्षिक मूल्य ६० ९.०० १८ टि. २.५ डालर

## मुख्य विषय

भारत और अमरीका में सामान्य सम्बन्धी सम्मेलन	...	३००
नदी पाटी योजनाओं में जन-सहयोग में सरकारों		
गर्ब में विनायन	...	३०९
केन्द्रीय गन्ना समिति की बैठक	...	३११
इजरायल में महात्मा आन्दोलन अफ्फन		
टॉली की रिपोर्ट	...	३१२
अनिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद की बैठक	...	३१३
अ० भा० प्रारम्भिक शिक्षा परिषद का पुनर्गठन	...	३१५
राजनी में महात्मा की वार्ता	...	३१९

**भावपूर्ण चित्र :** हरकेला इस्पात कारखाने की घमन भट्टी: भारत के औद्योगिक इतिहास में पहली बार हरकेला में बने २,००० टन इस्पात के स्लैब प्रप्रैत के संत में पश्चिम जर्मनी को निर्यात किए गए।

(‘भारतीय समाचार’ में सरकारी गतिविधियों और घोषणाओं का संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। स्पान संकोच के कारण अनेक विषयों को संक्षेप में ही दिया जाता है। ऐसे विवरणों को पूर्ण अधिकृत विवरण नहीं समझना चाहिए।)



## महाराष्ट्र और गुजरात का जन्म

३० अप्रैल, १९६० को आर्या राज के समय दो नये राज्यों—महाराष्ट्र और गुजरात—का जन्म हुआ। बम्बई में हुए एक गम्भीर में प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने महाराष्ट्र राज्य का औपचारिक उद्घाटन किया। गुजरात राज्य का औपचारिक उद्घाटन १ मई को मावळमती नदी के किनारे अहमदाबाद में सर्वोच्च नेता रविशंकर महाराज के हाथों हुआ।

महाराष्ट्र के नये मन्त्रिमण्डल में १ मई को बम्बई नगर में और गुजरात के नये मन्त्रिमण्डल में अहमदाबाद में इसी दिन सायं प्रहण की। श्री बम्बई के मुख्यमंत्री वने महाराष्ट्र के मन्त्रिमण्डल में १४ मन्त्री और १२ उप-मन्त्री हैं। सायं प्रहण करने के पश्चात् श्री बम्बई में घोषणा की कि नये राज्य का नाम-काज अंग्रेजों के स्थान पर मराठी में होगा।

गुजरात के नये मन्त्रिमण्डल के नेता डा० जीवराज मेहता हैं। मुख्य मन्त्री के अतिरिक्त मन्त्रिमण्डल में ४ मन्त्री और ८ उपमन्त्री हैं। मन्त्रिमण्डल को सायं गुजरात राज्य के नव-नियुक्त राज्यपाल श्री मेहदीनवाज जग ने दिलाया है। डा० जीवराज मेहता ने घोषणा की कि जिला और डिवीजन स्तर पर प्रशासन, गुजराती भाषा के प्रयोग के लिए आशा जारी कर दी गई है।

## १६५६-६० में परिपालन निवेशालय का कार्य

वित्त मन्त्रालय के परिपालन निवेशालय ने १९५९-६० में विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम के उल्लंघन के १,२४१ मामले जाप के लिए दर्ज किए। इनमें से निष्पात से २२३ मामलों में अपराधियों पर ५०,२९,३२०

६० जुर्माना किया।

यह विभाग १ मई, १९५९ को स्थापित हुआ था। तब से अब तक इसने ३,५०३ मामले दर्ज किए। अपराधियों में देश के बड़े-बड़े उद्योग मालिक और व्यापारी हैं। विभाग ने मार्च १९५८ में विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के मामलों का फौजला करना शुरू किया और ३१ मार्च, १९६० तक ४१० फौजले किए, जिनमें ६९,५६,६२० ६० जुर्माना बसूल हुआ। इन मामलों के अलावा ३२ मामलों को न्यायालयों में चलाया गया। इनमें से २६ में अपराधियों को सजाए मिली और ६ मामलों से संबंधित व्यक्ति निरपराध घोषित किए गए। न्यायालयों ने ६२,८०० ६० जुर्माना किया।

विभाग के निर्णय के खिलाफ ५५ अपीलें विदेशी मुद्रा अपील मंडल के सामने दायर की गईं। इनमें से ५० का फौजला मंडल कर चुका है। इन ५० अपीलों में से ४२ खारिज कर दी गईं और ८ के पक्ष में फौजला किया गया।

**सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में समन्वय**

केन्द्रीय स्वराष्ट्र मन्त्रालय ने दूसरे मंत्रालयों के विभिन्न सेवाओं के परीक्षण-माल के कर्मचारियों (जोएनएम) के प्रशिक्षण कार्यक्रम में समन्वय स्थापित करने का मुद्दा दिया है।

मसूरी के राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के निदेशक का पदनाम बदल कर अब निदेशक, प्रशिक्षण, भारत सरकार कर दिया गया है।

निदेशक, अखिल भारतीय सेवाओं और प्रथम श्रेणी की केन्द्रीय सेवाओं के लिए एन-मा बुनियादी पाठ्यक्रम बनाए। वे पाठ्यक्रम के आधार पर केन्द्रीय मंत्रालयों की विविध प्रशिक्षण मध्यमों को मिल-जुल कर ट्रेनिंग का कार्यक्रम बनाने में भी मदद देगे। इसके अतिरिक्त समय-समय पर प्रशिक्षण मध्यमों में जाकर ट्रेनिंग इत्यादि को दूर करने के उपाय भी बनाए। तथा बुनियादी पाठ्यक्रम के आधार पर आई० पी० एन० प्रोग्रामस का ट्रेनिंग कार्यक्रम बनाने में युक्ति प्रशिक्षण कालेज, माड्रेट आरू के कमाण्डेंट को सहाय देगे।

नयी दिल्ली का सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल भी निदेशक के अधीन ही जाएगा। इसमें केन्द्रीय जूवियर अफसरों को ट्रेनिंग दी जाती है।

**लोकसभा का १०वां सत्र**

लोकायतना का दसवां सत्र ८ फरवरी से २९ अक्टू १९६० तक ८२ दिन चला। इस सत्र में ६० बैठकें हुईं जो ४०३ घंटे चली। इस अवधि में कुल ४,८५९ प्रश्नों का उत्तर दिया गया, जिनमें १,८७० तारांकित, २,९७३ अतारांकित और १६ अल्प-कालिक थे।

उत्तरीय सदस्यों को सभा से अनुसूचित होने की अनुमति दी गई।

इस सत्र में २० सरकारी विधेयक पास हुए, जो इस प्रकार हैं:—नेत्रेण सम्मेलन विधेयक, १९६०; विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्स्थापन) संशोधक विधेयक, १९६०; निष्कात संसि प्रशासन (संशोधन) विधेयक, १९६०; प्रहेज निरोधक विधेयक, १९६०; भाषात और नियति (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, १९६०; विनियोग विधेयक,

१९६०; मोटर गाडिया (संगोपन) विधेयक, १९६०; विनियोग (रेलवेज) विधेयक, १९६०; विनियोग (रेलवेज) न० २ विधेयक, १९६०; विनियोग (बोट आन एराउण्ट) विधेयक, १९६०; विनियोग (न० २) विधेयक, १९६०; बन्दई पुनर्गठन विधेयक, १९६०; वित्त विधेयक, १९६०; जन प्रतिनिधित्व (संगोपन) विधेयक, १९६०; मृत्यु कर (संगोपन) विधेयक, १९६०; रिजर्व बैंक आरू इण्डिया (संगोपन) विधेयक, १९६०; विनियोग (रेलवेज) न० ३ विधेयक, १९६०; सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीश मस्या) संगोपन विधेयक, १९६०; इतिहास बायलर्य (संगोपन) विधेयक, १९६०; और हिन्दू विवाह (प्रक्रिया बंजता) विधेयक, १९६०।

**१९६० की पहली तिमाही में विशेष पुलिस का कार्य**

विशेष पुलिस मण्डल की तिमाही रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष के पहले तीन महीनों में २४ कर्मचारियों को ४ वर्ष तक की मजा और कुल १२,८५० रु० के जुर्माने की मजा दी गई। मजा पाए बालों २ गजेटेड अफसर और ८ गैर-सरकारी लोग थे।

सजा पाने वालों में लाइटे हाउस और लाइटे गिप डिपार्टमेंट का एक इन्वीनियर भी था, जिते १ साल की मजा और २,००० रु० जुर्माना किया गया। उतने एक डेप्युटी से इस्कात लो थो। डाकवाने के सेविंग बैंक के एक कर्म को २ साल की बटोर सजा और १ हजार रु० जुर्माना किया गया। उतने ३,००० रु० का गवन किया था।

इनके अतिरिक्त ८१ सरकारी कर्मचारियों को, जिनमें १० गजेटेड अफसर थे; विभागीय सजा दी गई। २१ अफसर या तो नौकरी से अलग कर दिए गए या उनकी नौकरी खतम कर दी गई। एक को सेवा मृत कर दिया गया। २२ की वेतन वृद्धि रोक दी गई और २३ को सजाए दी गई।

लोहा और इस्पात के १ डिप्टी एसिस्टेंट कंट्रोलर को नौकरी से निकाल दिया गया। उत्तरी रेलवे के एक बिजली के मिस्त्रो और जवाइंट चोफ कंट्रोलर (आयात और निर्यात) के एक कर्म को नौकरी समाप्त कर दी गई।

इनके अतिरिक्त ६० कर्मचारियों और उनके लोगों को मजा दी गई जिन्होंने बंदीमानी में लाइसेंस प्राप्त कर लिए थे।

मार्च १९६० में विशेष पुलिस संगठन का कार्य-विवरण

मार्च १९६० में भारत सरकार ने विनोद पुलिस मण्डल ने १०३ मामलों की सूची जांच की। इनमें ९९ सरकारी कर्मचारियों थे, जिनमें १९ गजेटेड अफसर थे।

इस महीने में २१ मामलों में जांच पूरी करके मुकदमे चलाए गए। दो गजेटेड अफसर और १५ अन्य सरकारी कर्मचारियों पर रिटवत केंने, धमका देने और अमानत में सयात करने के अपराधों के मुकदमे दायर किए गए हैं। एक मामले में भारतीय मान कार्यालय के गनिन अर्थ विनोद पर सरकारी फागन दिमाने के लिए १४ हजार रु० रिटवत केंने का अभियोग चलाया गया। एक दूसरे मामले में एक ज्वाइंट स्टार कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, मेक्रेटर तथा छः अन्य लोगों पर इस बात का मुकदमा दायर किया गया कि उन्होंने एक पदचक्र करने कम्पनी के ३५ लाख रु० का गवन किया। विदेन में माल आयात करने वाली दो कर्मचारियों के पांच डायरेक्टरों पर इस अपराध का मुकदमा चलाया गया कि उन्होंने पदचक्र करने धोखा देकर जानी फागजातो के आधार पर ४० लाख रु० के आयात के लाइसेंस प्राप्त कर लिए।

इनके अतिरिक्त ४७ मामले, जिनमें ७ गजेटेड अफसर तथा ५१ अन्य कर्मचारी शामिल थे, विभिन्न विभागों को विभागीय कार्रवाई के लिए सुपुर्द किए गए। इस महीने में ९ सरकारी कर्मचारियों और दो गैर-सरकारी व्यक्तियों को चार वर्ष तक के कठोर कारावास और कुल ७,८५० रु० के जुर्माने की सजा दी गई। २९ सरकारी कर्मचारियों को विभागीय हंड दिया गया। इनमें तीन गजेटेड अफसर थे।

प्रद का दुर्हयोग करने पर अफसर सचिव बर्खास्त

केन्द्रीय निर्माण, आवास और पूर्ति मन्त्रालय का एक अवर सचिव अपने पद का दुर्हयोग करने के कारण बर्खास्त कर दिया गया है।

अभिमुख न १९४८ में १९५३ के बीच महानक मुख्य निवृत्त, आपात, महानक वाणिज्य अनुसूचन, बनाडा और महानक वित्त महासंघार, वित्त महासंघ (प्रतिस्था) के पद पर काम किया। इसी समय वह अपने भाइयों की सान्देशिक में भागना भी करना रहा। अभिमुख ने अपने पद वा दुःखियों का अपने ने.इ.डा. की मायावह नीति में भागना मरही मरही मूचनाएँ ही और भाइयों को बढ़ाने वाली माया में गम निरोधक उत्कर्ष आपात करने के लाक्षणिक दिलाए। माय ही १०० जी० ए०, ए०० ए०० ए०० में ए० और वी खरीदा की निर्यात की, जिनकी मोल एंटे उनके भाइयों की फर्म थी।

इन मामलों की जांच स्वराष्ट्र महालय के विदेश पुलिस विभाग ने की थी, जिग पर विमर्शित कार्रवाई की गई है।

**विद्योप कर्मचारियों की भरती के तरीके में सुधार**

वैज्ञानिक और विज्ञान कर्मचारियों की भरती के तरीके में कुछ सुधार किए गए हैं। अब केवल केन्द्रीय सरकार की मण्डल इजीनियरी सेवाओं के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य विद्युत्-विभागों के लिए भी हर बर चुनाव हुआ करेगा। चुने हुए कर्मचारियों का सूची तैयार कर ली जायेगी और आवश्यकतानुसार दम सूची में नाम दिए जाया करेगे।

ऐसे पदों के लिए जिनके लिए कुछ वर्षों का विदेश अनुभव जरूरी है, वर्षों में १ या २ बार चुनाव हुआ करेगा। केन्द्रीय लोकसेवा आयोग प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार किया करेगा और इस सूची में विभिन्न महासंघों के इन श्रेणियों के मिश्र-मिश्र पदा पर नियुक्तिया की जायेंगी। अगला सूची बनने तक पहली सूची के नामा की, स्थान रिक्त होने पर भेजा जाता रहेगा। महालय, आयोग को पहले ही रिक्त पदों के बारे में अपनी आवश्यकता बतायेंगे।

केन्द्रीय लोकसेवा आयोग ऐसे लोगों के स्वयं पत्र-व्यवहार करता है जो स्पष्ट रूप से योग्य दिखे, देने हैं और जब केवल विज्ञापन में ही मिलते।

ऐसी अवस्था में आयोग कोई आगिरी तारीख नियत नहीं करता और जब कुछ उम्मीदवार मिल जाते हैं तो उनसे प्रत्यक्ष भेंट की ध्वरणा की जाती है।

राष्ट्रीय सूची के विवेक विभाग में दूजे स्थितियों में आरोग्य इसी प्रकार गम्भीर प्राप्त करना है और ऐसे लोगों की अर्जों देने की भी आवश्यकता नहीं होती। आयोग के अध्यक्ष अपनी विदेश यात्राओं में भी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और गिनियों में मिल कर योग्य स्थितियों की सूची बनाते हैं और देगते हैं कि आयोग द्वारा विज्ञापित पदों में से किन के लिए कौन योग्य हो सकता है।

**पारपत्र का मुल्क बढ़ा**

भारत सरकार कुछ समय से पारपत्रों और यात्रा गम्भीरों अन्य कागजों के वर्तमान मुल्क में परिवर्तन करने पर विचार कर रही थी। अन्तर्राष्ट्रीय पारपत्र का वर्तमान मुल्क १० रु० है और यह पिछले महायुद्ध के पहले के चला आ रहा है। थन पारपत्रों की छाई आदि कागजों का लंबे काफ़ी बढ़ गया है। इन गव वार्तों की स्थान में रखते हुए, १ जून, १९६० को या बाद में पारपत्र के लिए डी जाने वार्तों अर्जियों के माय १५ रु० मुल्क देना होगा।

ये पारपत्र आजकल के पांच वर्ष की बजाय तीन वर्षों से अधिक के लिए चालू नहीं होंगे। इसी प्रकार पारपत्र में अन्य परिवर्तन कराने का जो ए० रु० हवाया मुल्क लिया जाता था, वह हर बार दो-धमा लिया जाएगा। सुराने पारपत्रों के पांच साल पूरे होने पर १ जून, १९६० को या बाद में बहाल कराने पर और नये पारपत्रों को तीन साल पूरे होने पर बहाल कराने पर दो रु० प्रतिवर्ष देना होगा। बहाली अधिक से अधिक तीन वर्ष तक ही रहेगी और इसका मुल्क ६ रु० बँडेगा।

३१ मई, १९६० तक सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय पारपत्रों की अर्जियों के साथ १० रु० ही मुल्क देना होगा, लेकिन ये पारपत्र पांच वर्ष की बजाय तीन वर्ष के बनेगे।

यात्रा सम्बन्धी अन्य कागजों में छोटे-छोटे परिवर्तन कराने के मुकों में भी परिवर्तन हुआ है। लेकिन भारत-यात्रा पारपत्रों, भारत-लोक पारपत्रों, पहचान-पत्रों

(टाईफिकेट) और अन्तर्राष्ट्रीय परपत्रों सगउन यात्रा-पत्रों के मुल्क में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है।

**१९६१ की जनगणना में गांधी के आर्थिक, सामाजिक जीवन से सम्बन्धित पहताल**

अगले साल जनगणना के समय देश के हर राज्य में ३५-३५ गांधी के ग्रामीण जीवन के आर्थिक और सामाजिक पहलू का अध्ययन किया जाएगा। ये गांव अपनी-अपनी तरह के होंगे। जैसे, कुछ गांव ऐसे होंगे जिनमें अनुसूचित जातियों के लोग रहते हैं, कुछ आदिम जातियों के गांव चुने जाएंगे और कुछ ऐसे जो परेडू और ग्रामीणों तथा दरत-कारियों की दृष्टि से महत्व रखते हैं।

इन पहताल का उद्देश्य यह पता लगाना है कि गांव बसा केगा है, और क्या शिक्षा, चिकित्सा, टारु-तार आदि की सुविधाएँ मिलती हैं। भारत में जनगणना के समय इस तरह की सामाजिक जानकारी पहले भी एकत्र की जाती रही है। इस पहताल के लिए जो प्रस्तावकी तैयार की गई है, उसमें इस प्रकार के प्रश्न होंगे, जैसे: व्यक्तित्व जम गांव में कितने दिन से रहता है, उसका कार्य, सम्पत्ति, शिक्षा, भोजन और उसके विवाह, उत्तराधिकार, ऋग, घर के फॉर्चर, आभूषण, उपभोग्य सामग्री और उद्योग-धंधे आदि।

इसी प्रकार स्थानीय बंधा-कहानियों, मकानों, रेल-स्टेशन से दूरी, बस-मार्ग, डाक और तारपत्र, धार्मिक रीति-रिवाजों, र्थाहारी, मंगोएज-बेन्डों, राहकारों समितियों और स्कूलों आदि के बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे।

**राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को सरकारी मुकाम**

इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष को नयी दिल्ली में अस्थायी रूप से एक कोठी अलगत की गई है। यह सूचना निर्माण, आवागम और भूति उपमंत्रों, श्री अनिल कुमार चद ने १८ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

उन्होंने कहा कि यह निश्चय किया गया है कि अगर अन्य किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का अध्यक्ष इसी प्रकार की माग करे तो उस पर भी विचार किया जाएगा।



**सार्वजनिक लेखा समिति के नये सदस्य**  
**लो** कम्भा सचिवालय की ३० अप्रैल की एक विमर्श में बताया गया है कि १ मई, १९६० से सार्वजनिक लेखा समिति के लिए जो सदस्य चुने गए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं :

लोकसभा से : श्री उपेन्द्र नाथ बरमन, श्री फिरोज गांधी, श्री माणिकलाल मगनलाल गांधी, श्री आर० एस० किलेदर, श्री विनायकराव के० कोरताकर, श्री टी० मेनन, श्री जी० के० मंत्री, श्री एस० ए० माडिन, श्री बंजय चरन मलिक, श्री टी० आर० नंसोबी, श्री रामराव विष्णु परुलकर, श्री पुष्पांतम दास आर० पटेल, श्री राधा रमण, डा० एन० सी० सामंतसिंह और पंडित द्वारकानाथ तिवारी ।

राज्यसभा से : श्रीमती सारदा भांगव, श्री जगदीश सिंह विष्ट, श्री सुरेन्द्र मोहन पोष, डा० श्रीमती सीता परमानन्द, श्री वी० सी० केशव राव, श्री मुल्क गोविन्द रेड्डी और श्री जसवंत सिंह ।

अध्यक्ष ने श्री उपेन्द्र नाथ बरमन को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है ।



### भारत और अमरीका में खाद्यान्न सम्बन्धी सभ्यता

**वा**शिंगटन में ४ मई को अपनी बालिका द्वारा भारत को गेहूँ और चावल को बिन्नी के सम्बन्ध में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए । यह समझौता दोनों देशों में होने वाला पाचवाँ और सबसे बड़ा है । इसके अन्तर्गत अमरीका भारत को आगामी ४ वर्षों में १ करोड़ ६० लाख मीट्रिक टन गेहूँ और १० लाख मीट्रिक टन चावल बेंचेगा । इस खरीद से भारत ४० लाख मीट्रिक टन गेहूँ और १० लाख मीट्रिक टन चावल का रिजर्व बनाएगा । खाद्यान्न का मुल्क, जिसमें उसके परिवहन का खर्च भी शामिल है, ६०७ करोड़ रुपये होगा और अदायगी रूपों में होगी । अदा की गई रकम का अधिकतर भाग अर्थात् ५०२ करोड़ रूपया ५१ सप्लाय के दिन कायों के लिए दिया

### हिमालय पर्वतारोही संस्था

**हि**मालय पर्वतारोही संस्था की स्थापना नवम्बर १९५४ में हुई थी । ३१ मार्च, १९६० तक ४३७ छात्रों को पर्वतारोहण की बुनियादी और ११ प्रशिक्षणार्थियों को उच्च शिक्षा दी गई । दूगरी योजना के अन्त तक ५३५ छात्रों को बुनियादी और १३५ को उच्च ट्रेनिंग दी जाएगी । संस्था ने २०० नवयुवक और युवतियों को पश्चिम पाट, जवल्पुर और नागर में प्रशिक्षण पर नष्टों का अभ्यास कराया । संस्था का वर्षे लगभग ३ लाख ० प्रतिषर्ष है । इसमें पूंजागत व्यय शामिल नहीं है । वार्षिक व्यय लगभग २॥ लाख ६० होता है, जिसे भारत सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार देती है । पूंजागत व्यय में केन्द्रीय सरकार ७० प्रतिशत और पश्चिम बंगाल की सरकार ३० प्रतिशत देती है । आयर्वी और अनावर्ती व्यय में दोनों का हिस्सा ५०-५० प्रतिशत है । भारत सरकार के हिस्से में प्रति-रकटा मन्त्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्था मन्त्रालय २:१ के अनुपात में योग देता है ।

यह ऋण २॥ प्रतिशत ब्याज पर किया गया है और इसे भारतीय मुद्रा में आठ मासता रिफॉर्मों में अदा किया जाएगा । पॉन्ड में मामल गरीदने के मय मोदे ३० जून, १९६२ में पड़े हैं जाएंगे ।

इस ऋण में पॉन्ड के कारखानों की मशीनें और अन्य सामान गरीदो जाएगा । कारखानों में मशीनें आदि बेंडाने के मर्षे का भुगतान दोनों सरकारों के ब्यापार और भुगतान मन्त्रालयों के अन्तर्गत अलग में किया जाएगा । सामान की गरीद और बिन्नी उन मन्त्र के बुनिया के बाजार भाव पर होगी ।

बिन् कारखानों और योजनाओं के लिए इस ऋण का उपयोग किया जाए; इसका अध्ययन करने के लिए देश को एक निष्पक्ष टोकी पॉन्ड जाएगा ।

इस ऋण के भुगतान में भारत जो रुपया देगा, पॉन्ड उगमे व्यापार और भुगतान मन्त्रालय के अन्तर्गत भारत में मामल गरीदना । भारत ऋण के भुगतान का खर्चा पॉन्ड के तरोदोनी बैंक, पोलस्की, के नाम पर अलग राते में जमा करेगा ।

इस करार के लिए पॉन्ड का आर्थिक निष्पक्ष हाल में भारत आया था । करार से दोनों देशों के आर्थिक सम्बन्ध और भी सुदृढ़ होंगे ।

### रिजर्व बैंक का अनुसूचित बैंकों को निर्वेष्ट

**रि**जर्व बैंक ने सब अनुसूचित बैंकों को निर्वेष्ट दिया है कि ६ मई के पश्चात् वे (अनुसूचित बैंक) अपनी देनदारी में जो भी वृद्धि करे उसका ५० प्रतिशत रिजर्व बैंक में जमा करें । पिछली १२ मार्च से अनुसूचित बैंकों को अपनी देनदारी में वृद्धि का २५ प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक में जमा करवाना पड़ता था । अब यह भाग २५ प्रतिशत से बढ़ा कर ५० प्रतिशत कर दिया गया है ।

**तटकर और उत्पादन-मुक्त सलाहकार परिषद का कार्यकाल**  
**के**न्द्रीय सरकार ने तटकर और केन्द्रीय उत्पादन मुक्त सलाहकार परिषद का कार्यकाल एक साल के लिए और बढ़ा दिया है ।

जाएगा—इसमें से आधा ऋण और आधा अनुदान के रूप में होगा । बाकी ९५ करोड़ रुपया अमरीका स्वयं अपनी जरूरत पूरी करने के लिए भारत में खर्च करेगा ।

अमरीका की ओर से इस समझौते पर राष्ट्रपति आइज़नहावर ने और भारत की ओर से केन्द्रीय खाद्य और कृषि मन्त्री श्री एस० के० पाटिल ने हस्ताक्षर किए ।


### पोलेण्ड से मिले ऋण का उपयोग : करार पर हस्ताक्षर

**पो**लैंड ने भारत को १४ करोड़ ३० लाख ६० का जो ऋण मजूर किया है, उसके उपयोग के करार पर ७ मई को नयी दिल्ली में हस्ताक्षर हुए । करार पर पोलैंड के बिदेशी व्यापार के मंत्री, डा० डब्ल्यू० ट्रेम्पानिस्की और केन्द्रीय उप-वित्त मंत्री, श्री बलिराम भगत ने हस्ताक्षर किए ।

इन परिषद की स्थापना पिछले साल में एक वर्ष के लिए की गई थी।

परिषद के अध्यक्ष गजम्ब जी अर्भनिक स्वयं मंत्री, डा० गोपाल रेड्डी हैं। परिषद में उनके अलावा १६ सदस्य हैं। परिषद में केन्द्रीय गजम्ब मन्डल के अधिकारियों के अलावा, स्थापना और वाणिज्य संस्थाओं के प्रतिनिधि और पाच मंत्र-सचिवों गजम्ब हैं।

स्थापना के बाद परिषद की दो बैठकें हुई हैं।



### भारतीय कोयला परिषद की बैठक

नवी दिल्ली में १० मई को केन्द्रीय इम्पान. गाल और डेन मंत्री, गजराट रवर्नामह की अध्यक्षता में भारतीय कोयला परिषद की बैठक हुई। बैठक में भाग देने हुए मंत्री महोदय ने गजम्ब जी मंत्री श्रेष्ठ दोनों के कोयला उद्योग के प्रतिनिधियों में क्या कि उन्हें चाहिए कि नीतियों पंचवर्षीय योजना में वापस का उत्पादन टन प्रसार बढ़ाए, जिसमें कि कोयले की बचो देना के विभाग में कोई बाधा न लगी वर मने। उन्होंने कहा कि कोयले का उत्पादन देना को अर्थ-व्यवस्था और विकास के साथ जुड़ा हुआ है। अतः परिषद को नीतियों योजना में कोयले के उत्पादन में सम्बन्ध में काफी विचार करना चाहिए।

परिषद ने विचार करने के राय प्रस्त की कि नीतियों पंचवर्षीय योजना की अवधि में कोयले के उत्पादन और उसकी विम्व टन प्रसार नवी जा सकनी है, जिसमें कि औद्योगिक विकास की मार्ग आवश्यकता पूरी हो सके। परन्तु इन बात पर जोर दिया कि इन सम्बन्ध में पहले ही योजना बना कर प्रवन्ध करने की आवश्यकता है। परिषद में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण और भारतीय खान गव की गतिविधिया पर विचार किया और इन दोनों संस्थाओं ने कोयले के नव भंडारों का पता लगाने और उनके विकास आदि के जो मुझव रखे, उन पर विचार किया। नीतियों योजना

### २५,००० रुपये के सेविंग सर्टिफिकेट

#### जारी करने का फैसला

केन्द्रीय वित्त मन्डल के अधिकारियों के विभाग की ३ मई की एक विज्ञापित में बताया गया है कि १६ मई, १९६० में राष्ट्रीय योजना के २५,००० रु० के नये सेविंग सर्टिफिकेट बने जाएंगे। इन गजम्ब ५, १०, ५०, १०० १,००० और ५,००० रु० के सर्टिफिकेट जारी हैं। नये सर्टिफिकेट बेचल प्रमाणित प्राविडेंट फण्ड की रकम को लगाने के लिए है। भाग्य गजम्ब नये सर्टिफिकेट के बारे में घोषणा कर चुकी है।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों में इन गजम्ब में कारखानों में कारो गजम्ब मालदी करने का प्रवन्ध किया। साइमरी और विजली में चलने वाले कोलुओं को चीनी मिलों के क्षेत्र के बाहर से गजम्ब लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

### १ लाख ८५ हजार टन चीनी की निकासी

केन्द्रीय सरकार ने विक्री के लिए १ लाख ८५ हजार टन चीनी देने का निर्णय किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब के चीनी कारखानों में खुली विक्री के लिए चीनी नहीं दी जाएगी। पर, इन कारखानों को अपने कर्मचारियों को बचने के लिए कुछ चीनी दी जाएगी।

की अवधि में कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत-से तकनीकी विनोयनों और इंजीनियरों की भी काफी आवश्यकता होगी। इनकी पूर्ति के लिए अब तक जो उपाय किए गए हैं वा भविष्य में किए जाएंगे, उन पर भी परिषद ने विचार किया।

### चीनी का उत्पादन

इन साल ३ मई, १९६० तक देस में कुल २३ लाख ५० हजार टन चीनी बनाई गई। इन प्रकार पिछले साल के अब तक के उत्पादन (१८८८ लाख टन) में ४ लाख ६० हजार टन चीनी अतिरिक्त बनी। पिछले पूरे साल में कुल १९ लाख १९ हजार टन चीनी का उत्पादन हुआ था।

इन साल गजम्ब की अच्छी पैदावार और चीनी का उत्पादन बढ़ाने के सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप इन गजम्ब में पिछले साल की अपेक्षा अधिक चीनी बनी।

उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए

- (१) उत्तर प्रदेश और बिहार में कारखाना पहले चालू करने पर ३१ नये पैसे प्रति-मन के हिसाब में रियायत दी गई। (२) पिछले दो महीनों के औसत उत्पादन से अधिक चीनी बनाने पर उत्पादन शुल्क में ५० प्रति-शत छूट दी गई। (३) गजम्ब की न्यूनतम कीमत बढ़ाई गई।

मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, प० बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, आगाम, मणिपुर और त्रिपुरा के नियमित क्षेत्रों के कारखानों से चीनी सिर्फ राज्य सरकारों द्वारा नामजद व्यापारियों को ही दी जाएगी। पंजाब तथा जम्मु-कश्मीर में चीनी या तो सीधे राज्य सरकारों को या उनके द्वारा नामजद व्यापारियों को दी जाएगी। दिल्ली को चीनी वर्तमान नियमों के अनुसार ही दी जाएगी।

यह चीनी २५ अक्टूबर, १९५९ की अधि-सूचना संख्या जी एस आर ११८८१ एस एस कामर्मांगुमर और ४ अप्रैल, १९६० की अधि-सूचना जी एस आर ३८६ ई एस एस कामर्स। गुजरा, में दिए गए भाव पर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार की मिलों के लिए चीनी का नियंत्रित एक्स-मिल भाव ३० ८५ रु० प्रति मन है, जबकि पंजाब और दक्षिण बिहार की मिलों के बाहर का नियंत्रित भाव ३८.३५ रु० प्रति मन है। कानपुर को जो चीनी दी गई है, उसके आई एस एस डी-२९ श्रेणी को चीनी का रेल से पहुंचना मूल्य ३८.९० रु० और कलकत्ते को चीनी का ३९ ८५ रु० प्रति मन है।

यह सूचना खाद्य और कृषि मन्डल के चीनी और वनस्पति निदेशालय की ४ की विज्ञापित में दी गई है।

## भारतीय इंजीनियर का डोजल

### इजन सम्प्रदायी आविष्कार

भारतीय रेलों के अनुसंधान और डिजाइन मण्डल, तिमला के डिप्टी डायरेक्टर ३२ वर्षीय श्री एम० एम० सूरी ने डोजल इंजनों के मंत्रव में एक ऐतिहासिक आविष्कार किया है। भारत सरकार ने जर्मनी की एक प्रतिष्ठित फर्म को इस आविष्कार का प्रयोग करने और उसकी डिजाइन के डोजल इंजन तैयार करने का एकाधिकार दिया है। श्री सूरी ने डोजल इंजनों में शक्ति संचालन की एक नयी प्रणाली निकाली है जिसका नाम सूरी ट्रान्मिशन रखा गया है। इस आविष्कार के कारण अमरीका, पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन और जापान आदि प्रमुख विकसित देशों की अपेक्षा डोजल इंजनों के निर्माण क्षेत्र में भारत आगे बढ़ गया है।

भारत सरकार ने इस आविष्कार को व्यापारिक पैमाने पर इंजन तैयार करने के लिए अपने हाथ में ले लिया है और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के द्वारा सरकार विद्व के १२ प्रमुख देशों में इस आविष्कार को पेटेंट करा रही है। इस तरह भारत, जापान, आस्ट्रेलिया, अमरीका, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, ब्राजील और कनाडा में इसे पेटेंट करने के प्राथम्यता-पत्र दिए गए हैं। ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया और भारत में पेटेंट स्वीकृत हो चुके हैं।

इस आविष्कार के अनुसार व्यापारिक पैमाने पर डोजल इंजन तैयार करने का सम्पूर्ण अधिकार जर्मनी की एक फर्म मैसर्स भाक को दिया गया है। लाइसेंस की शर्तों के अनुसार सूरी ट्रान्मिशन प्रणाली से युक्त ७ डोजल इंजन इस समय भाक के कारखानों में पश्चिमी जर्मनी में बन रहे हैं और इसी साल मिल जाएंगे। भाक को सारे विश्व में इन इंजनों को बेचने का अधिकार दिया गया है। परन्तु यह शर्त रखी गई है कि जब भी भारत में इनका उत्पादन हो सकेगा तो भारतीय उत्पादकों को इस आविष्कार का प्रयोग करने और भारत में या बाहर सूरी ट्रान्मिशन के डोजल इंजन बेचने का अधिकार होगा।

सूरी ट्रान्मिशन के आविष्कार के कारण डोजल इंजनों का संचालन स्वयं बहुत घट

जाएगा। इन डोजल इंजनों का गफ़ता और विद्यमान में इनको तरजीह मिलने की बात इस पर निर्भर है कि जो ७ इंजन भारतीय रेलों के लिए बनाए जा रहे हैं वे गीघना के साथ बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाए। भारतीय रेलों ने जर्मनी की फर्म को पूरा महयोग देने का विद्यमान दिया है और सूरी ट्रान्मिशन प्रणाली को और भी विवर्धित करने का कुछ शर्तों भी उठाने का आश्वासन दिया है।

### कागज उद्योग की समस्याओं पर विचार

नती दिल्ली में ३ मई को वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय द्वारा आयोजित कागज निमित्तांशों, धोखे और गरीब व्यापारियों, मूद्रकों और कागज उपयोगकर्ताओं की एक बैठक में भाषण देते हुए केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मन्त्री, श्री लालबहादुर शास्त्री ने कागज उद्योगपतियों और ध्यापारियों को यह सलाह दी कि मुख्य सम्बन्धी तत्पर आयोजन की मिफारियों को वे स्वीकार कर लें। श्री शास्त्री ने कहा कि तत्पर आयोजन ने कागज निमित्तांशों और उपयोगकर्ताओं, दोनों के हितों को सामने रख कर इन चीजों का अध्ययन किया है। यह सम्भव है कि उद्योगपति इससे प्रसन्न सन्तुष्ट न हों, परन्तु उचित यही है कि इस समय इस मामले को रास कर दिया जाए और कुछ समय बीतने के बाद इस बात का उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए फिर से अध्ययन किया जाए।

श्री शास्त्री ने कहा कि कागज की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कागज का उत्पादन बढ़ाना हमारे लिए इस समय सबसे प्रमुख समस्या है। उन्होंने बताया कि तीसरी योजना में ७ लाख टन कागज के उत्पादन का लक्ष्य रखा जाएगा। सरकार छोटे और बड़े के दर्जे के नये कारखाने खोलना चाहती है और पुरानों का विस्तार करना चाहती है। पिछले ६ महीनों में प्रतिदिन ५ से १० टन की क्षमता के ६० छोटे कारखानों को लाभसंस दिए गए हैं। इस प्रकार कुल उत्पादन-क्षमता २,२७,००० टन हो जाएगी।

मन्त्री महोदय के भाषण के पश्चात् कागज उत्पादन और वितरण की समस्या पर विचार किया गया। यह निर्णय किया गया कि विभिन्न

हितों की प्रतिनिधि दो समितियों की स्थापना की जाएगी, जिनमें से एक के अध्यक्ष केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री के० बी० गाल और दूसरी ने भारत सरकार के कागज और मुद्रण विभाग श्री गो० ए० गुप्तमहोदय होंगे। ये समितियाँ कागज के वितरण और उत्पादन की समस्या पर विचार करेंगी।

### सम्भार के पास नया तेल क्षेत्र

तेल और प्राकृतिक गैस आयोजन की सम्भार गहर में १०० मील दक्षिण में नये तेल क्षेत्र का पता चला है। इस क्षेत्र में परीक्षण के लिए मशौच में ६ मील दूर अक्लेस्वर में कुआँ बनाया गया है।

यह सूचना केन्द्रीय तेल और गैस मंत्री, श्री बेनबदेव मालवीय ने १५ मई को सतनरु में पत्र-प्रतिनिधियों को दी। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार अक्लेस्वर में प्राप्त तेल की किरम सम्भारत के तेल में अच्छी है और यहाँ तेल की मात्रा भी अधिक है।

मंत्री महोदय ने बताया कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में सुदाई गुरु हुई थी। कुछ समय सुदाई में लगा और परीक्षण कार्यवाई के दूसरे दिन ही तेल की धारा फूट निवृत्ती। मंत्री महोदय ने कहा कि बसे अभी अक्लेस्वर की खोज की पूरी सूचनाएँ नहीं मिली, फिर भी भेदे विचार से सरकारी क्षेत्र में अब तक तेल की जो भी खोज हुई है उनमें अक्लेस्वर की खोज सर्वोत्तम है।

### दुर्गापुर में इस्पात का उत्पादन आरम्भ

दुर्गापुर इस्पात कारखानों की पहली सुली भट्टों से २५ अप्रैल को पहली बार २०० टन पिपला हुआ इस्पात निकला। इस प्रकार इस कारखाने में इस्पात उत्पादन का प्रथम महत्वपूर्ण चरण शुरू हो गया है।

इस अवसर पर हिन्दुस्तान स्टील लि० के वरिष्ठ अधिकारी और सलाहकार तथा ब्रिटिश फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस कारखाने में एंजी ८ लु० की भट्टियाँ लगाई जाएगी। इस पहली भट्टों में १० दिन पहले आग जलाने का काम शुरू हुआ था। इस भट्टों में एक बार में २०० टन इस्पात तैयार हो सकता है।

मार्च १९६० में भारत का विदेशी व्यापार वाणिज्य मूचना और अक मकलन विभाग, बल्लारता, की मूचना के अनुसार, मार्च १९६० में जल, पत्र और हवाई मार्गों से निर्यात और मरचारी रूप में भारत के विदेशी व्यापार के बच्चे जानके इम प्रकार हैं—

व्यापारी माल इममें नेपाळ, तिब्बत, निम्बिचम और भूटान के माप स्थल मार्गों में होने वाला व्यापार शामिल नहीं है। निर्यात— ५० करोड़ ९१ लाख २०, पुनर्निर्यात— ४६ लाख २०, आयात— ३५ करोड़ ५८ लाख २०। आयात के धाराओं में उन मरचारी सामानों का मुख्य शामिल नहीं है, जिनका जमीन हियाय होना बाकी है।

कोय मीठा का निर्यात (पुनर्निर्यात सहित)— २ करोड़ ४१ लाख २०, मीठा— बिन्दुल नहीं, चालू निर्यात (मीठों के निर्यातों के अलावा)— जम्प— २२ लाख २०, मीठा— ९ लाख २०, चालू निर्यात (मीठों के निर्यातों के अलावा)— जम्प।

व्यापार मूला व्यापारी माल और मीठों का कुल निर्यात (पुनर्निर्यात सहित) आयात में २२ करोड़ ३० लाख २० कम रहा।

यह मूचना वाणिज्य मूचना और अक मकलन विभाग, बल्लारता, की ८ मई की एक वित्तिन में दी गई है।

### घटिया खनिज से तापगृह ईंटे यमाने की विधि

राष्ट्रीय पातु प्रयोगालय (जमशेदपुर) ने घटिया खनिज क्रोम से तापगृह पदार्थ बनाने की विधि निकारी है। यह खनिज क्रोम अभी तक इम काम नहीं आता था। तापगृह पदार्थ को ईंटे या प्लॉम्बर टम्पान की और दूसरी भट्टियों में अदर लगाया जाता है।

घटिया खनिज क्रोम से तापगृह ईंटे आदि बनाने का तरीका प्रायः वही है जो क्रोम-मेन्नेनाइट से तापगृह पदार्थ बनाने का है। इम आविष्कार का महत्व यह है कि इम विधि में घटिया क्रोम से भी तापगृह पदार्थ के लिए आवश्यक अनुपात में धातु मिल जाती है। अभी तक जिन बरधिया क्रोम से तापगृह पदार्थ बनते हैं, वह केवल उड़ीसा और बिहार में ही मिलता है। नयी विधि से मेकल और बिनाबा-

पत्तनम् में भी ये पदार्थ बनाए जा सकेंगे। इनके लिए आवश्यक मगनीं वही है, जो क्रोम-मेन्नेनाइट से तापगृह पदार्थ बनाने में इस्तेमाल होती है।

### विदेशी अनियंत्रित व्यापार क्षेत्रों का अध्ययन : राज्य मन्त्री का विदेश प्रस्थान

परिवहन और मरचारी राज्य मन्त्री, श्री राजबहादुर ने अमरीका और पश्चिम जर्मनी की चार मरचालू की यात्रा पर १३ मई को भांगन में प्रस्थान किया। इम दौरान वे म्यून्चन, मैनफ्रायफो और लाग-युजिल बन्दरगाहों के नाम का और यहा के अनियंत्रित व्यापार क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे।

पश्चिमी जर्मनी में श्री राजबहादुर हेम्बर्ग और ब्रेमन बन्दरगाहों तथा इनके अनियंत्रित व्यापार क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। भारत सरकार ने वादला बन्दरगाह में अनियंत्रित व्यापार क्षेत्र गोलन की हाल ही में योजना बनाई है। श्री राजबहादुर हेम्बर्ग जहाज कारखाना भी देखेंगे। वे इन दोनों देशों में गटक परिवहन का भी अध्ययन करेंगे।

श्री राजबहादुर अमरीका के मुख्य ट्रेड एम्बेडर और पब्लिक उद्योग के प्रमुख व्यक्तियों में भी मिलेंगे। वे उन्हे यह बचाएंगे कि भारत में पर्यटकों को क्या मुविधाएँ दी जानी हैं। भारत में पर्यटन के बारे में श्री राजबहादुर अमरीका में रेडियो और दूरदर्शन पर भी कई भेंट-बार्नाएँ प्रचारित करेंगे।

### नेफा में प्लाइवुड का कारखाना

लोहमामा में १६ अप्रैल को मरराष्ट्र मंत्रालय में ममदीय मन्त्रि श्री जोगेन्द्र नाथ हजारीका ने एक बरतव्य में बताया कि प्लाइवुड कारखाने के बारे में बताया गया था कि मंत्रालय लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी के ५१ प्रतिशत शेयर खरीदेगा।

धाम्त्विक स्थिति यह है कि १९५५ में जब नेफा प्रशासन ने नामसाग बरतुरिया रिजर्व फारेस्ट के कुछ हिस्सों को पट्टे पर देने के लिए आवेदन-पत्र मांगा था, तो उनमें एक बात यह थी कि जगलात के लिए लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी बनाई जाएगी, जिनमें आदिम जातियों की ओर से ५१ प्रतिशत पूंजी

लगाने और प्रवक्थ में हिस्सा लेने का मंका प्रयासन का अधिकार रहेगा।

अब रिपति यह है कि आसाम रेल और ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड ने, जिसके साथ प्लाइवुड कारखाना खड़ा करने की बांधत बातचीत चल रही है, प्रस्ताव भेजा है कि वह मामाग्य शेयरों या तरजीही शेयरों का ४० प्रतिशत तक का हिस्सा लेने को तैयार है।

### टाइपराइटरों का निर्माण

राज्यमामा में २१ अप्रैल को उद्योग मन्त्री, श्री मनुभाई गाह ने बताया कि टाइपराइटरों का निर्माण १९५६ के १३,४२० से बढकर पिछले साल २१,४२७ हो गया।

टाइपराइटरों के तीन कारखानों की स्टैंडर्ड टाइपराइटर बनाने का लाइसेंस दिया गया है और इनमें काम हो रहा है। छोटें टाइपराइटर (पोर्टेबल) के लिए एक कारखाने को लाइसेंस दिया गया है और अनुमान है कि वह जल्दी ही चालू हो जाएगा। स्टैंडर्ड टाइपराइटर कारखानों की उत्पादन क्षमता ३३,००० टाइपराइटर की है, जबकि छोटे टाइपराइटर के कारखानों की १२ हजार है।

श्री गाह ने बताया कि अश्रेणी, हिन्दी, मगला, मराठी, गुजराती, असमी और तमिल, इन सात भाषाओं के टाइपराइटर बनाए गए हैं।

उद्योग मन्त्री ने बताया कि अक्टूबर १९५८ में पूरे बने टाइपराइटर के आयात पर रोक लगा दी गई है। इसी अवधि में टाइपराइटर के हिस्सों के संवध में पूरे कोटों के ४० प्र० ३० या पूरे टाइपराइटरों के आयात के ५ प्र० ७० के बराबर आयात की अनुमति दी गई है।

### औद्योगिक वसितियाँ

इस साल पहली जनवरी की देय में कुल ३४ औद्योगिक वसितियाँ थी, जिसमें कुल ४३२ कारखाने चालू थे। राज्यभार ख्योरा इम प्रकार है— मद्रास में ६; केरल और बम्बई में ५-५; बिहार में ४; पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में २-२; आसाम, मेसूर, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में १-१। २ वसितियाँ सामुदायिक विन्यास खण्ड के क्षेत्रों में और ४ प्रारम्भिक योजनाक्षेत्रों में हैं।

क्या आप जानते हैं ?

### अम्रक का उत्पादन

● अम्रक के उत्पादन में भारत नवम आगे है। विश्व की कुल जरूरत का ८० प्रतिशत उत्तम अम्रक भारत ही मजबूत करता है।

● अम्रक में कई अद्भुत गुण हैं। यह अधिकांश काम हानि (लो-लाय) कन्टेन्सर बनाने में काम आता है जो रेडियो, राडार तथा दूरगंरे बिजली के ऐसे यन्त्रों में लगते हैं, जो भिन्न-भिन्न तापक्रम, दबाव और तमों में काम करते हैं। इन स्थितियों में बहुत अच्छे कन्टेन्सर ही काम देते हैं। अम्रक में बिजली की धारा प्रवाहित नहीं होती।

● पिछले सालों में तंजी से कुत्रिम डाय-एलेक्ट्रिस (बिजली के धारा-प्रवाह को रोकने वाले पदार्थ) बनाने के बावजूद अम्रक का महत्व कम नहीं हुआ है क्योंकि इसके बने हुए बिजली के इन्सुलेटर ऊँची किस्म के होते हैं।

● आम तौर से अम्रक की किस्मों को छटाई, रंग, लहर और धारी तथा पत्तों के आधार पर की जाती है। केवल अच्छी किस्म का लाल (हवी) अम्रक उत्तम प्रकार के कन्टेन्सर बनाने के लिए ठीक होता है।

● सेट्रल ग्लास एण्ड सेरेमिक रिस्सर् इस्टिट्यूट, कलकत्ता ने अम्रक की विभिन्न किस्मों की पहचान के लिए एक ओजार बनाया है।

● इस्टिट्यूट अम्रक की रही का उपयोग करने का अनुसंधान कर रहा है। संस्था ने रही से ऐसी इंट बनाने का तरीका मालूम किया है, जिनमें ताप का असर नहीं होता। ये इंट काम में लाई जा रही हैं।

● इस्टिट्यूट ने अम्रक को मिगां कर पीनने का तरीका भी मालूम किया, जो व्यापारिक तौर पर अपनाया जा रहा है। इसके अलावा जमीन के अम्रक का रंग बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है।

● १९५९ की पहली छमाही में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के बन्दरगाहों से ११,४३७ टन अम्रक बाहर भेजा गया, जबकि १९५८ की इसी अवधि में ४ करोड़ २५ लाख ४० का १०,८१३ टने अम्रक भेजा गया था।

### बेतर के पुर्जों के निर्माण के लिए नयी योजनाएं

केन्द्रीय सरकार ने देश में रिंगमटर, कीप-गिएटर, पॉटेन्शियोमीटर और वायूम कंट्रोल, वैगिएबल कन्टेनर, एस्ट्रुक्चर और बेंड बदलने के म्बिक आदि बेतार-यन्त्रों को पुर्जों को देश में बनाने की नयी योजनाओं को लाइसेंस देने का निश्चय किया है। योजनाएँ इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे बनाने की होंगी चाहिए न कि बाहर में मगाये हुए रिसेप्ट जोइन्स पुर्जे तैयार करने की।

यह कार्रवाई देश में रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बचाने और इनमें आत्मनिर्भर होने के लिए की जा रही है। देश में १९५१ में अब लगभग तिरपुने रेडियो बन रहे हैं। १९५९ में २ लाख १ हजार रेडियो बनाए गए। रेडियो की मांग बृहद बढ़ने के कारण तीमरी-योजना में काफी ज्यादा रेडियो बनाने होंगे। इस ममय रेडियो के बहुत से पुर्जे बाहर से मगाने पड़ने हैं।

### पानी मूड करने वाली रास बनाने की नई विधि

पूना की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ने ऐसी रास बनाई है, जिसमें बाँसलरी, वानावुकूलित मशीनों, बर्फ बनाने की मशीनों आदि के लिए पानी मूड किया जाता है।

यह रास काजू के छिलकों के तेल में बनती है। यह तेल काफी मुस्ता मिल जाता है। प्रति-वर्ष काजू के छिलके का ६ हजार से ८ हजार टन तक तेल निर्यात हो जाता है। इस तेल से उबत किस्म की रास बनाने की विधि आज-मायवी तौर पर निकाली गई है।

इस विधि का ब्यौरा 'रिस्सर् एण्ड इन्स्ट्रु' मासिक पत्रिका के मई १९६० के अंक में दिया गया है।

उबत विधि से एक घनफुट रास की लागत ४१ रु० बँठती है। यह लागत विदेशी रासों की लागत से काफी कम है। इसे बनाने की मशीन भी देश में ही आसानी से बनाई जा सकती है।

### मशीनी औजारों का आयात

भारत सरकार ने माग वाले आयातों को कुछ प्रकार के मशीनी औजार मगाने का लाइसेंस देने का निश्चय किया है। ये लाइसेंस ३० प्रतिशत माधुराण और ३० प्रतिशत मुख्य मूड के आधार पर दिए जाएंगे। ये लाइसेंस चायू छमाही में दिए जाएंगे।

### नकली रेसम का धारा

भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार के नकली रेसम के धारा बनाने के कारखाने नई करने की योजना स्वीकार की है, जिनमें प्रतिवर्ष ७ करोड़ ८० लाख पीट धारा और बनने लगेंगे। टगमें १ करोड़ ६० लाख पीट धारा देने में बनाया जाएगा और १ करोड़ पीट नकली रेसम में तथा ९० लाख पीट रेसम टायर कार्ड में बनेंगे। आता है तीमरी योजना में उत्पादन शुरू हो जाएगा।


यह सूचना केन्द्रीय बाणिज्य मंत्रों, श्री नित्यात्मक कानूनधो ने २५ अप्रैल को लाइसेंस में दी। उन्होंने बताया कि तना अधिक उत्पादन होने पर भा देन को जरूरत पूरी नहीं होगी। श्री कानूनधो ने बताया कि रेसम बंद लकड़ी की लुटरी बनाने की कुछ योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं और कुछ पर विचार हो रहा है। लुटरी में नकली रेसम के धारा बनाये जाते हैं। इस कार्यक्रम के पूरा होने पर तीमरी योजना के अत तक देश आत्मनिर्भर हो सकता है।

### झलाई करने-वालों को सर्टिफिकेट

गवर्नमेंट टेस्ट हाउस, अलीपुर, कलकत्ता में धीघ ही झलाई (बैलडग) करने वालों का परीक्षण करने और उन्हें सर्टिफिकेट देने के लिए एक विभाग खुलने वाला है।

आजकल इमारती कामों में और पानी के जहाजों में झलाई का काम काफी बढता जा रहा है। ऐसी हालत में सरकार विभागों और उद्योगों में यह महसूस किया जा रहा है कि झलाई करने वालों को प्रमाणपत्र देने के लिए एक केन्द्रीय विभाग खोला जाए।

जो झलाई करने वाले प्रमाण-पत्र लेना चाहेंगे, उन्हें उबत टेस्ट हाउस में अपनी परीक्षा देनी होगी। वहाँ-उन्हें झलाई का सारा सामान देख कर उनमें से तीर पर झलाई कराई जाएगी और उन्ने के काम का स्तर जाच कर सर्टिफिकेट दिया जाएगा।



## १९५८-५९ में कर्मचारियों की भविष्य-निधि योजना

कर्मचारियों की भविष्य-निधि (प्रॉविडेंट फंड) योजना १९५८-५९ में कुल मिला कर ७,०२४ वारंटानों आदि में लागू थी, जबकि १९५७-५८ में यह योजना केवल ६,५२८ वारंटानों में लागू थी। उसकी सदस्य-संख्या भी १९५७-५८ में २८२७ लागू न बट कर १९५८-५९ में २५४२ लागू हो गई।

यह जानकारी भविष्य निधि योजना की १९५८-५९ की रिपोर्ट में दी गई है।

इन वर्ष भविष्य निधि योजना अधिनियम एक और उद्योग पर लागू हुआ और इन प्रकार इनके जन्तगत उद्योगों की संख्या बढ़ कर ३८ हो गई। मार्च १९५९ के अन्त तक भविष्य-निधि में १ अरब ३० करोड़ १० जमा हुआ। इसमें कर्मचारियों को छोटाई जाने वाली रकम शामिल नहीं है। मार्च १९५८ के अन्त तक इन मद में १ अरब १० करोड़ १० जमा था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थोच्य वर्ष में योजना को बढ़ाने के स्थान पर इगको मुद्द करने की ओर अधिक ध्यान दिया गया। योजना में दैनिक बच यह मनायन किया गया कि मध्यम चाहे तो अपने-या अपने कुटुम्बियों के भयानक और लम्बे रोगों की चिकित्सा के लिए निधि में कुछ समय के लिए रकम उधार ले सकते हैं। दूसरे मनायन के द्वारा कर्मचारियों को अपने धेतन और महागई भत्ते का ढु प्रतिशत तक जमा कराने की अनु-मति दी गई। अर्थात् ६३ प्रतिशत ही जमा करया जा सकता था। इस वर्ष सरकारी और स्थानीय संस्थाओं के कारखानों आदि को भी कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम का लाभ पहुंचाने का निश्चय किया गया।

### भविष्य निधि की दर : विचार के लिए शिल्प समिति नियुक्त

केंद्रीय सरकार ने यह जांच करने के लिए एक शिल्प-समिति नियुक्त की है कि भविष्य निधि की दर ६३ प्रतिशत से ढु

प्रतिशत करने के प्रस्ताव के लागू होने पर कौन-कौन से उद्योग इस अतिरिक्त भार को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे।

श्री एम० जार० मेहर गमिति के अध्यक्ष हैं। श्री जी० एन० देगई, डा० टी० टी० लक्ष्मणायक, डा० आर० गी० कृपार और श्री जी० टी० अम्बेकर गमिति के अन्य सदस्य हैं। डा० कृपार मारिडों के और श्री अम्बेकर मजदूरों के प्रतिनिधि हैं। इन स्वामी सदस्यों के अलावा, मारिडों और मजदूर संगठनों की विभिन्न उद्योगों की जांच के समय एक-एक सदस्य नामजद करने को बहा जाएगा।

आरम्भ में जिन ६ उद्योगों की जांच की जाएगी, उनको सूची भारत सरकार के सूचना-पत्र में प्रकाशित की गई है। ये उद्योग इस प्रकार हैं (१) गौमेट, (२) सिगरेट, (३) ट्रेडिङ्गकल, मेकनिक्कल और जनरल इन्वैन्ट्री, (४) गंगा और इस्पात, (५) बागज, और (६) कपडा। अन्य चार उद्योगों की जांच के बाद गौमेट और कपडा उद्योग के बारे में विचार किया जाएगा।

गमिति के विचारार्थी विषयों में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि समिति को जांच के समय ध्यान-राम उद्योगों में कर्म-चारियों को ब्रैन्चरी या रिटायर होने पर मिलने वाली अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखना चाहिए। यह भी हिदायत की गयी है कि गमिति को अपनी राय देते समय इन बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य-निधि की दर बढ़ने से छोटे कारखानों के अस्तित्व को तो बरतना नहीं पड़ा हो जाएगा।

गमिति का प्रधान कार्यालय बम्बई में होगा।

### पुनर्स्थापन मंत्रालय के छठनी किए गए कर्मचारियों को नौकरी

पुनर्स्थापन मंत्रालय के छठनी किए हुए २,१९० कर्मचारियों में से अब तक ६१४ को पुनर्स्थापन और नियोजन के महानिदेशक की सहायता से अन्यत्र नौकरी मिल चुकी है।

इनमें से लगभग २५० कर्मचारियों को तो सेवा के प्रधान कार्यालयों में भर्ती किया जा चुका है। ६० कर्मचारी तेल और प्राइविक गैस आयोग में नौकरी पा चुके हैं। आधा है, इस दपतर में कुछ और लोगों को नौकरी मिल जाएगी। बाकी लोगों को केन्द्रीय सरकार के अन्य दपतरों में नौकरी मिल चुकी है। उप-तार के महानिदेशक के अधीन विभिन्न कार्यालयों में कुछ जगह खाली हैं, जहाँ इन छठनों किए हुए कर्मचारियों को भर्ती करने को सोनिया की जा रही है। इसके अलावा हिन्दुस्तान स्टील लि०, इडिया रिफाइनरीज, पर्यटन के महानिदेशालय, भारी इस्त्रीयरी कारपोरेशन और हिमाचल प्रदेश सरकार में भी नौकरी दिलाने के विवेक प्रयत्न किए जा रहे हैं।

पुनर्स्थापन मंत्रालय के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के छठनी किए गए अधिकारियों के बारे में केन्द्रीय लोक सेवा आयोग से यह व्यवस्था की जा रही है कि उन्हें केन्द्रीय सरकार में अन्यत्र नौकरी दिलाने पर विचार किया जाए।

### गोरखपुर श्रम संगठन के बारे में संसद की श्रमोपचारिक समिति की सिफारिशें

गोरखपुर के मजदूरों की समस्याओं पर विचार करने वाली संसद की श्रमोपचारिक समिति ने सुझाव दिया है कि गोरखपुर श्रम संगठन का मजदूर भर्ती करने का काम केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के पुनर्स्थापन और नियोजन महानिदेशालय को सौंप दिया जाए। कोयला-खानों के लिए मजदूर भर्ती करने वाला संगठन (कोल फील्ड्स रेक्यूटिंग आर्गनाइजेशन) मजदूरों की भलाई के जो काम करता है, उन्हें कोयला खान कल्याण निधि संगठन को सौंप दिया जाना चाहिए।

गोरखपुर श्रम संगठन की सरकार चलती है। इस संगठन का काम गोरखपुर और आस-पास के क्षेत्रों के कोयला-खानों के लिए मजदूर भर्ती करना है। कोल फील्ड्स रेक्यूटिंग आर्गनाइजेशन की स्थापना खान-मालिकों ने की है। गोरखपुर के मजदूर इसी संगठन की मार्फत कोयला-खानों में काम करने जाते हैं।

गोरखपुर श्रम सगठन को भंग करने के निश्चय को लागू करने की योजना तैयार करने के वास्ते सितम्बर १९५९ में सघद की अनौपचारिक समिति नियुक्त की गई थी। केन्द्रीय श्रम उपमन्त्री, श्री आविद अली समिति के अध्यक्ष थे।

### काम का ब्योरा

समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि पुनर्रस्थापन और नियोजन महानिदेशालय को कोयला खानों में काम चाहने वाले मजदूरों की भर्ती और आवंटनी जाच कराने का काम करना चाहिए। खानों में भेजने से पहले जिन केन्द्रों में मजदूरों को रखा जाता है, महानिदेशालय को उनकी व्यवस्था अपने हाथ में लेनी चाहिए और रेकॉर्ड्स दफतर का काम भी तब तक सभालना चाहिए, जब तक खानों और गोरखपुर में अस्थायी की व्यवस्था नहीं हो जाती।

खानों में मजदूर हित के कामों के लिए कल्याण निधि सगठन को एक विधायी समिति नियुक्त करनी चाहिए।

### बराबरी का बर्ताव

जो सुविधाएँ गोरखपुर के मजदूरों को मिलती हैं वे सब कोयला-खान मजदूरों को मिलें, इसके लिए समिति ने मुझाव दिया है कि कल्याण निधि सगठन को एक कल्याण अधिकारी नियुक्त करना चाहिए। मजदूरों के होस्टलों में उन मजदूरों को भी जगह मिलनी चाहिए जो खानों पर अपने परिवार के बिना रहते हैं और होस्टल में रहना चाहते हैं। गोरखपुर को जो मजदूर होस्टल में न रहना चाहे, उसे बाहर रहने की इजाजत दी जानी चाहिए। गोरखपुर के मजदूरों को खानों पर अपने परिवारों को ले जाने की भी इजाजत दी जानी चाहिए। सब मजदूरों के साथ चाहे वे स्थानीय हों या बाहर से आए हों, एक-सा बर्ताव होना चाहिए।

### स्थायी नौकरी

समिति ने रिपोर्ट में बताया है कि खान मालिक ऐसी व्यवस्था करने को तैयार है जिस से मजदूर बराबर नौकरी में रहे। पर गोरखपुर के मजदूर थोड़े समय के लिए काम चाहते हैं, जिसमें उन्हें काम छोड़ कर घर जाने और काम पर वापस आने की पूरी छूट हो। अतः समिति ने सिफारिश की है कि जो मजदूर चाहे उनकी नौकरी स्थायी कर देनी चाहिए।

### भारतीय समाचार

## आसाम के चाय-बगानों के कर्मचारियों के लिए सुल-सुविधा-कोष

राष्ट्रपति ने आसाम के चाय के बगीचों के कर्मचारियों की सुल-सुविधा के कोष के अधिनियम को स्वीकृति दे दी है। इस कानून में एक ऐंसे कोरी की स्थापना की व्यवस्था की गई है जो आसाम के चाय-बगानों के कर्मचारियों की सुल-सुविधा के लिए आवश्यक कार्यों पर व्यय किया जा सकेगा।

राज्य सरकार को मालूम हुआ है कि चाय-बगानों के मालिकों के पास श्रमिकों का बहुत-सा रुपया बचता पड़ा है। इस अधिनियम द्वारा इस धन को बगानों के कर्मचारियों की भलाई के लिए कानून के अन्तर्गत स्थापित होने वाले कोष द्वारा खर्च किया जा सकेगा।

### अप्रैल १९६० में दिल्ली में मजदूरों के व्यवहार की चीजों के मूल्य का सूचक अंक

भारत सरकार के श्रम कार्यालय के अनुसार, दिल्ली में मजदूरों के व्यवहार की चीजों के मूल्य का सूचक अंक (१९५९ को आधार=१०० मान कर) अप्रैल १९६० में २ अंक गिर कर ११७ रह गया।

गेंदू का भाव गिरने के कारण पाछ समूह का सूचक अंक २ अंक गिरा। लट्टे और कमीज के कपड़े का भाव गिरने के कारण कपड़ा समूह का सूचक अंक १ अंक गिरा। कपड़ा धोने के साबुन के भाव में गिरावट होने के कारण फुटकर समूह का सूचक अंक भी १ घट गया। ईंधन और प्रकाश समूह का सूचक अंक पहले जितना ही रहा।

मजदूरों के व्यवहार की चीजों के मूल्य का सूचक अंक (१९४४ को आधार=१०० मान कर) अप्रैल १९६० में १५४.६९ रहा, जबकि पिछले महीने यह सूचक अंक १५६.५८ था।

अगस्त १९५९ को आधार=१०० मान कर दिल्ली में मजदूरों के व्यवहार की चीजों के मूल्य का सूचक अंक अप्रैल १९६० में ४०३.४३ रहा। यह सूचक अंक पिछले महीने के सूचक अंक से ४.९३ कम है।

स्नातकों की नौकरी का सार्धदेशिक सर्वे भारत सरकार के पुनर्रस्थापन और नियोजन का महानिदेशालय नमूने के तौर पर अखिल भारतीय सर्वे पर रहा है, जिनमें स्नातकों की नौकरी, आय आदि के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है। यह सूचना उन स्नातकों से इकट्ठी की जा रही है, जिन्होंने १९५४ में विद्वयविद्यालय से निर्गम प्राप्त की है। इस सर्वे से यह भी मालूम किया जाएगा कि इन स्नातकों में कालेजों में जो विषय पढ़े, उनका नौकरी से क्या सम्बन्ध है; अब तक कितने स्नातकों को और कमी-बर्तनी नौकरिया मिल चुकी है; वित्तों ने आगं पगगं जारी रखी आदि आदि।

इस सर्वेक्षण में आगरा, वाघा और पटना विद्वयविद्यालयों के १९५० के स्नातक भी शामिल कर लिए गए हैं। यह सर्वे विद्वयविद्यालयों के सहयोग में किया जा रहा है जिन्होंने स्नातकों के पते दिए हैं।

लगभग २२ हजार स्नातकों को प्रस्तावली की प्रतिया भेज दी गई हैं।

### बड़ौदा रियासत के कर्मचारियों को बीमा

#### कोष का लाभार्थ

भारत सरकार ने बड़ौदा रियासत के कर्मचारियों को बीमा कोष की पालिसियों पर लाभार्थ निम्नलिखित दर से देने की घोषणा की है:

(क) ३१ मार्च, १९५७ को जो पालिसियाँ चालू थी, उन पर १ अप्रैल, १९५० से ३१ मार्च, १९५७ तक की अवधि के लिए १० रु० प्रति हजार सालाना की दर से प्रत्यावर्ती लाभारा दिया जाएगा।

(ख) १ अप्रैल, १९५७ को पूरी पालिसियाँ और दूसरे मूल्यांकन की तारीख तक १० रु० प्रति हजार सालाना की दर से अतिरिक्त लाभारा मिलेगा।

इस कोष को डाक-तार विभाग ने १ अप्रैल, १९५० को अपने हाथ में लिया और उसे बन्द कोष की तरह चलाया। ३१ मार्च, १९५७ को इसे डाक जीवन बीमा फंड में मिला दिया गया। यह निर्णय किया गया है कि बड़ौदा रियासत की बीमा पालिसियाँ पर, जो ३१ मार्च, १९६० से चालू रहेगी, वही लाभारा

दिना जाएगा, जो डाक जीवन बीमा फंड के १९४० के वार की अद्यत निधि बीमा फालिमियां पर दिना जाएगा। यह ३१ मार्च, १९५७ के वार की भुत्वावन अवधियों के लिए होगा।

### कारखाना मजदूरों के लिए मकान

मध्य प्रदेश, बम्बई और मद्रास में कारखाना मजदूरों के लिए मकान बनाने की महत्त्वता देने के अनन्तत मन्वित राज्य सरकारों ने अक्टूबर १९६० में २,९३५ मकान बनाने

मजूर किए हैं। बम्बई और मद्रास में कारखानों के मालिक या महारानी गमितियां ये मकान बनवाएंगी। मध्य प्रदेश में मजदूरों के लिए राज्य सरकार स्वयं मकान बनवाएगी।

इन मकानों पर कुल ९१ लाख रु० की लागत का अनुमान है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों में कारखाना मजदूरों के लिए ४६,५८० मकान बनाने की अनुमति दी जा चुकी है। दिगम्बर १९५९ के अंत तक ४४,९२६ मकान बन पर तैयार हो चुके थे।

देश में जहाजरानी उद्योग के विस्तार से मरम्मत आदि का काम बढ़ेगा। इसके अलावा नौसेना के कई प्रकार के जहाज भी बनाए जाएंगे। यहाँ कम खर्च में भारतीय और विदेशी जहाजों की मरम्मत होगी।

### सेना की आवश्यकता की पूर्ति

इस गोदी से सेना की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी। सेना द्वारा पुल बनाने के मामान और इजन तथा आयुध कारखानों में बनने वाले मोटर ट्रक और ट्रैक्टर और दूसरे इजन के सामान भी बनने लगेंगे। इस कारखानों से विदेशी विनिमय की कठिनाई भी दूर होगी। इस समय पश्चिमी बेंचे पर ३ करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा खर्च होती है।


सेना के नियंत्रण में मजगांव गोदी के कारखानों अपनी पुरानी फार्मकुलता हासिल करेंगे। यहाँ तेल के टैंक, समुद्र की सफाई करने वाले जहाज आदि भी बनने लगेंगे।

### घाठवां राज्य परिवहन सम्मेलन

राज्यों के परिवहन सस्थाओं के प्रतिनिधियों के आठवें वार्षिक सम्मेलन में सड़क परिवहन अधिकारियों के लिए एक केन्द्रीय प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था खोलने की योजना मजूर की गई है। इस सस्था के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्यों के परिवहन सस्था रूपया देंगे। इसके लिए कुछ विदेशी सामान और विद्योपजों की भी सहायता लेने को कहा गया है।

सम्मेलन में यह विचार प्रकट किया गया कि आजकल पुर्जों का आयात बहुत कम हो रहा है। अतः सम्मेलन में सिफारिश की है कि इन पुर्जों का आयात कोटा बढ़ा दिया जाए ताकि राज्यों के परिवहन सस्थाओं की वसं-आदि की मरम्मत आदि करने में कोई दिक्कत न रहे।

सम्मेलन ने यह भी सिफारिश की है कि बिकनाई वाले तेलों को फिर से साफ करके प्रयोग में लाना चाहिए। इससे काफी विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है। इस उद्योग में नौ-तिसियों की प्रशिक्षण देने के बारे में केन्द्रीय श्रम और नियोजन मन्त्रालय का जो प्रस्ताव है, वह भी इस सम्मेलन में मजूर कर लिया। इस सबध में यह भी सिफारिश की गई है कि



### मजगांव स्थित पी० एंड घो०

#### गुप चर्कशाप का हस्तांतरण

१७ मई को बम्बई में एक विमोच ममारोह में मजगांव गोदी का प्रबन्ध केन्द्रीय प्रतिस्था मन्त्री, श्री कृष्णमनन को औपचारिक रूप में सौंप दिया गया। अभी हाल ही में प्रतिस्था विभाग इस गोदी को अपने हाथ में लिया है।

भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन को इस विभाग मजदूरी और औद्योगिक सन्ध्या का अधिकार में लेने से देना के औद्योगिक विकास में नये अध्याय का मूत्रपान हुआ है। यह मजदूरी जहाज निर्माण उद्योग के राष्ट्रियकरण के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है।

गुफ्ट की नौसेना को प्रविष्टगानी बनाने के लिए यह एक बरदान है। इससे देश में नौसेना के जहाजों के डिजाइन बनाने और उनके निर्माण में सहायता मिलेगी। प्रतिस्था विभाग के उद्योगों को भी बड़ावा मिलेगा।

ब्रिटिश जहाज निर्माण विभाग के मुद्राधां के अनुत्पान मजगांव गोदी में लडाई के बड़े-बड़े मजदूरी जहाज बनने लगेंगे। इसके पहले नौसेना के जहाजों की मरम्मत पर सरकार को काफी धन व्यय करना था। अब काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

### पिछला इतिहास

मजगांव गोदी पिछली सताब्दी में वनी थी। यह ३५ एकड़ में फैली है। इसमें दो सूखी गोदी है। एक में बड़े जहाज आ सकते हैं और

दूसरे में बन्दरगाह के छोटे जहाज। ६ लिफ-वेज है, जिनमें १५० टन के जहाज बनाए जा सकते हैं या उनकी मरम्मत हो सकती है।

इन कारखानों ने दोनों महायुद्धों की जरूरतों को मफरता के माय पूरा किया। इसने इनकी क्षमता का पता चला है। दूसरे महायुद्ध (१९३९-४५) में ४,६७८ जमी जहाजों और व्यापारी जहाजों की मरम्मत के माय-माय नये जहाज भी बनाए।

महायुद्ध के बाद पी० एण्ड ओ० समूह कम्पनी के बहुत घाटा हुआ। देश के विभाजन के बाद माल, डाक और सवारी जहाजों की सेवाओं में कमी आ गई। कम्पनी ने स्थिति मरुमालने की बड़ी कोशिश की और नये काम शुरू किए। जब भारत में इस्पात काफी और गमता बनने लगेगा तो इस गोदी का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाएगा। फारस की खाड़ी की अमरीकी तेल कम्पनियों के ३०० टन के और रायल नौसेना के ५०० टन के और भारतीय बन्दरगाहों के कई प्रकार के जहाज बनने लगेंगे। मजगांव गोदी में १०।२० अस्व-मवित के कम्पवेल इजन भी बनते हैं। इस साल १००० इजन बनेंगे, जिनमें २० प्रतिशत मामान विदेशी होगा। जैमे-जैमे देश में इस्पात मुद्रुम होता जाएगा वैसे-वैसे कारखानों का काम भी बढ़ता जाएगा।

### मरम्मतों का काम

पी० एंड ओ० कम्पनी और उसकी सहायक कम्पनी पिछले ही साल से पूरव के देशों में जहाजी मरम्मत का काम करती आ रही है।



यह प्रस्तावित योजना ङाड़वनों, कड़कटगें आदि को छोड़ कर फिटरो, वेल्डरो, विजगी आदि का काम करने वालों पर ही लागू की जाए ।

परिवहन सम्मेलन में बर्मा द्वारा १ मन तरु के पार्गलों की बुराई की निफारिस की गई ।

सम्मेलन में यह भी सिफारिस की गई कि परिवहन से जो लाभ होता है उसका कुछ प्रतिशत एक कोष में जमा किया जाए तथा यह रकम यात्रियों को और सुविधा देने तथा कर्मचारियों के भलाई के कामों में लगाई जाए । यात्रियों की सुविधा के लिए उपयुक्त वन स्टेशन तथा गैस्टर, प्रतीक्षालय और पीने के पानी की उचित व्यवस्था करने की भी निफारिस की गई ।

यह सम्मेलन बगलौर में हुआ और उसकी अंतिम बैठक २३ अप्रैल को मंगूर में हुई । इसकी अध्यक्षता केन्द्रीय परिवहन विभाग के मन्त्रि, श्री आर० एल० गुप्त ने की ।

### रेलों के जनरल मैनेजरो की बैठक

नयी दिल्ली में रेलों के जनरल मैनेजरो और रेल मण्डल की ३ दिन की बैठक २९ अप्रैल को समाप्त हुई । इस अवसर पर रेल मंत्री, श्री जयजीवन राम और दोनों रेल उपमंत्री, श्री दाहनुवाज खां और श्री एम० वी० रामस्वामी ने भाषण दिए । रेल मण्डल के अध्यक्ष श्री कर्नल सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की ।

बैठक में रेलों के काम तथा रेल की समस्याओं पर नये ढंग से विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया । बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि रेल के मिलिक अधिकारी दफ्तरों में बैठकर काम करने की बजाय अधिक समय दफ्तरों से बाहर काम करे । जनरल मैनेजरो से यह कहा गया कि वे खर्च में यथासाध्य कमी करने तथा कम कर्मचारियों से काम चलाने की कोशिस करे ।

इसके अलावा बैठक में जिन बातों पर विचार किया गया उनमें से मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं - जनता को अधिक सुविधा देना, माल और पारसल रखने के डेड में सुधार, ठीक समय पर रेल चलाने की और अधिक

कोशिस और जनता की शिकायतों की जल्दी गुनवाई । बैठक में मिलिक गमरयात्रो पर भी काफी देर तक बान्चीत हुई ।

### महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के उद्घाटन पर विशेष डाक मुहर

महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के उद्घाटन के उपलक्ष्य में डाक और तार विभाग ने २ मई, १९६० को चम्बई, अहमदाबाद और यडोदा के बड़े डाकघरों में एक गांग तरह की मुहर लगाई ।

उग दिन चम्बई के बटे डाकघरों में जो भी पत्र आया, या वहा से गया, उग पर महाराष्ट्र राज्य के उद्घाटन की सूचक-मुहर लगाई गई । अहमदाबाद और यडोदा के बटे डाकघरों में आने और वहा से जाने वाले पत्रों पर गुजरात राज्य के उद्घाटन की सूचक-मुहर लगाई गई ।

धैमे इन राज्यों का उद्घाटन १ मई को हुआ । किन्तु १ मई को रविवार होने के कारण डाकघर बन्द रहे, अत ये मुहरे २ मई को लगाई गई ।

### रेलों में नयी नियुक्तियां

रेल मन्त्रालय (रेल मण्डल) की ४ मई की एक विनियमित में रेलों के जनरल मैनेजरो की नियुक्तियों और तवायलों की घोषणा की गई है ।

उत्तर रेल के वर्तमान वरिष्ठ सहायक जनरल मैनेजर श्री हर्बस सिंह को उत्तर-पूर्व रेल का जनरल मैनेजर नियुक्त किया गया है । श्री बी० वी० मायूर के स्थान पर, उत्तर पूर्व रेल के जनरल मैनेजर, श्री एम० एस० रामसुब्बन को प० रेल के इसी पद पर बदला गया है । श्री मायूर उत्तर रेल के जनरल मैनेजर बनाए गए हैं । आप श्री एम० के० कौल का स्थान ले रहे हैं । श्री कौल सेवा निवृत्त होने से पहले की छुट्टी पर चले गए हैं ।

### ईराक की प्रेस-तार

ईराक को भेजे जाने वाले प्रेस तार अब केवल अरबी और फारसी में ही दिए जा सकेंगे । यह सूचना समुद्रपारीय संचार सेवा के महानिदेशक को ईराक के अधिकारियों ने दी है ।

### कान्दला में अनियंत्रित व्यापार क्षेत्र बनाने की योजना

परिवहन और संचार मंत्रालय ने वादया बन्दरगाह में अनियंत्रित व्यापार क्षेत्र बनाने की विस्तृत योजना तैयार कर ली है । इन योजना के अनुसार प्रस्तावित अनियंत्रित व्यापार-क्षेत्र में, कुछ सीमित दिनों की छोड़ कर, सीमा-गुल्क, आयात, निर्यात और मुद्रा-नियंत्रण के कोई भी कानून लागू नहीं होंगे ।

यह क्षेत्र उद्योग और व्यापार, दोनों का ही केन्द्र होगा । इस क्षेत्र में बाहर से सामान लाने तथा वहा से बाहर सामान ले जाने के लिए आयात-निर्यात के लादित्त मुक्त रूप से जारी किए जाएंगे ।

भारत के जो व्यापारी विदेशों में बने हैं, वे इन क्षेत्र में उद्योग शुरू कर सकेंगे । इस क्षेत्र में खोले जाने वाले उद्योगों को देग के और भागों के समान ही कर आदि की छूट और सुविधाएं दी जाएगी ।

इन योजना के बारे में लोगों की राय जानने के लिए मन्त्रालय, देग के विभिन्न वाणिज्य और उद्योग मण्डलों तथा व्यापारिक सस्थाओं और विदेशों में बने भारतीयों के पास भेज रहा है । योजना पर विभिन्न सस्थाओं और व्यक्तियों के सुझाव प्राप्त होने के बाद उसे अंतिम रूप दिया जाएगा ।

यह अनियंत्रित व्यापार क्षेत्र लगभग चौथाई वर्ग मील या १६० एकड़ के क्षेत्रफल में बसा होगा । इसके चारों ओर काफी ऊंचे कडीले तार का घेरा होगा । अभी तक इस क्षेत्र के लिए स्थान निश्चित नहीं किया गया ।

इस क्षेत्र से बाहर सामान ले जाने तथा बाहर से वहा सामान लाने की देखरेख सीमा-गुल्क अधिकारियों के हाथ में होगी । क्षेत्र का प्रबन्ध कादला बन्दरगाह प्रशासन करेगा ।

क्षेत्र की दैनिक समस्याओं के बारे में बन्दरगाह प्रशासन को सलाह देने के लिए बन्दरगाह प्रशासन तथा वाणिज्य और उद्योग के प्रति-निधियों की एक समिति नियुक्त की जाएगी ।

जो लोग इन क्षेत्र में अपने गोशाला वा बग-वाने बनवाना चाहेंगे, उन्हें पट्टे पर जमीन दी जाएगी। यदि मांग हुई तो बन्दरगाह प्रशासन क्रियाओं पर गोशाला आदि की भी व्यवस्था करेगा। इन क्षेत्र में पीने के पानी तथा प्रकाश आदि की व्यवस्था भी बन्दरगाह प्रशासन करेगा।

### करो में छूट

इन व्यापार क्षेत्र में कायम किए जाने वाले उद्योगों को करो में विनाश आदि के लिए छूट की वही सुविधाएं होंगी, जो सामान्य नियमों के अनुसार देस के और भाग में उद्योगों को दी जाती हैं। इन क्षेत्र में उद्योगों पर भारतीय जप वज कानून लागू होगा।

अनियंत्रित व्यापार क्षेत्र में भी उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने के वही नियम होंगे, जो भारत के और भाग में हैं। वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय परिवहन विभाग की मलाह में लाइसेंस जारी करेगा।

### क्षुभा आयात-निर्यात

अनियंत्रित व्यापार क्षेत्र में बाहर में सामान आने तथा क्षेत्र में बाहर सामान ले जाने के लिए आयात-निर्यात के लाइसेंस मुक्त रूप से जारी किए जाएंगे। आयात और निर्यात के लाइसेंस जारी करने का आगव यह नहीं है कि आयात-निर्यात पर निवन्त्रण हों, बल्कि क्षेत्र की प्रगति को देखने के लिए आयात-निर्यात का हिसाब रखना है। लाइसेंस जारी करने का उद्देश्य यह भी है कि इस क्षेत्र में भारत के और भाग में चांगी-छिपे माल न ले जाया जा सके।

कच्चा, अर्ध-नैयार और नैयार माल आयात करने की अनुमति इस धर्त पर ही दी जाएगी कि उनका मध्य निर्यात में चुपका किया जाएगा। आयात किए गए माल का हिसाब विदेशी बैंकों में जमा मुद्रा में या किसी विदेशी बैंक या किसी दूसरे देश के नागरिक में उधार की गई विदेशी मुद्रा में भी किया जा सकेगा।

अनियंत्रित व्यापार-क्षेत्र में हानि वाले निर्यात के बदले में प्राप्त विदेशी मुद्रा भारत के विदेशी मुद्रा कोष में जमा कर दी जाएगी। यदि कोई कच्चा, अर्ध-नैयार वा नैयार माल

उधार लिया गया होगा, तो उनका हिसाब निर्यात में प्राप्त विदेशी मुद्रा में से कर दिया जाएगा।

मरकाब को आना है कि इस अनियंत्रित व्यापार-क्षेत्र की स्थापना में इन क्षेत्र में देशी और विदेशी मशीनों तथा अन्य सामग्री के विभिन्न उद्योग स्थापित करने में महायत्न मिलेगी। इसमें वादला क्षेत्र में, विद्योपकर माध्यमता बन्नी में, रोजगार को सुविधाएं बदेगी।

इस योजना के सम्बन्ध में कोई भी मुझाव एग्जिक्ट और मरकाब मन्त्रालय के गचिव के पास ३१ जुलाई, १९६० तक पहुंच जाना चाहिए।

इस क्षेत्र में कौन-से उद्योग स्थापित किए जाए और कौन-से न किए जाए, इस बारे में जो भी मुझाव होगा, उनका मरकाब स्थापन करेगी।

### श्रमिती सहारा के लिए रेडियो फोन व्यवस्था

अब भारत में फार्मोगी सहारा के कोलम्ब-बेबर, अल-आऊद और हम्मी-मेमाऊद का रेडियो टेलीफोन किया जा सकता है।

इस व्यवस्था की सूचना देने हुए मन्त्र-पारीय मरकाब मन्त्रा के महानिदेशक ने कहा है कि जो रेडियो-टेलीफोन इन स्थानों के लिए

### नदी योजनाएं और विजली

#### नदीघाटी योजनाओं में जन-सहयोग से सरकारी खर्च में कफायत

सन् १९५५ में नदी घाटी योजनाओं के निर्माण में मरकाब को जनता का काफी सहयोग मिल रहा है। गैर-सरकारी मस्थाएं और जनता सिचाई और बिजली योजनाओं में १९५५ में १९५९ तक कुल १ करोड़ ९२ लाख ८० की महायत्ता दे चुकी है। इस सहयोग में लगभग ६५ करोड़ घनफुट जमीन की खुदाई हो चुकी है। यह काम भारत के उत्तरी किनारे में दक्षिणी किनारे तक और पूर्वी किनारे से

पश्चिम होंकर जाते हैं, उनके लिए तीन मिनट की बातचीत के ६० घं लगेगे। इसके बाद हर अतिरिक्त मिनट का २० घं देना होगा। इसके अलावा, ३७०० रिपोर्ट चार्ज के लिए लिपे जाएंगे। रेडियो टेलीफोन हर रोज ११। बने मुहह में दोपहर १२। बने तक किए जा सके हैं।

#### एयर इंडिया इंटरनेशनल की जेट सेवा के उद्घाटन पर विशेष डाक मुहर

१६ अरबल को ब्रिटेन और १४ मई को अमरीका के लिए एयर इंडिया इंटरनेशनल की जेट सेवा का उद्घाटन हुआ। इन जेट वायुयानों से जो डाक गई, डाक विभाग ने उस पर विशेष मुहर लगाई है। विशेष मुहर बम्बई के जनरल पोस्ट आफिस के किन्ट्रोलिंग ब्यूरो में लगाई गई।

#### तार से इंग्लैण्ड पत्र मेजने की व्यवस्था पद

समुद्रपारीय मरकाब सेवा के महानिदेशक को लंदन के अधिकारियों से सूचना मिली है कि ब्रिटेन को तार से पत्र भेजने और पाने की जो व्यवस्था थी, वह बद कर दी गई है। अब एल० टी०, ई० एल० टी० और जी० एल० टी० श्रेणी के तार ब्रिटिश डाक के जरिये नहीं भेजे जा सकेगे।

पश्चिमी किनारे तक २५-२५ फुट चौड़ी सड़के बनाने के बगबर है। यह जन-सहयोग मुष्पत. बिहार की कोसी योजना, आध्र प्रदेश की नामाजुंनसागर योजना, मध्य प्रदेश और राजस्थान की चम्बल घाटी विकास योजना और दिल्ली की दो बाइ-निपनय योजनाओं के काम में मिला।

इस प्रकार के जन-सहयोग से इन योजनाओं के खर्च में काफी बचत हुई है और सरकार को फायदा हुआ है। उदाहरणार्थ, कोसी योजना में सेवा मस्थाओं ने जो काम किया, उससे मरकाब को लगभग ५ लाख ६० का फायदा

हूआ। इसके अलावा गागाजुनमागर और चम्बल योजनाओं में जमीन की मुदाई के काम में जितने खर्च का अनुमान था, उसमें लगभग ५ प्रतिशत की बचत हुई।

### भारत सेवक समाज

नदी घाटी योजनाओं के काम में महात्मता देने वाली मुख्य मन्त्रा भारत सेवक समाज है। सन् १९५९-६० में मिर्चाई और बिजली मन्त्रालय ने भारत सेवक समाज को जन-गहयोग संगठित करने के लिए डाई लाख रु० का ऋण दिया था। भारत सेवक समाज ने १९५५-५८ में कोमी योजना में जनता की महायत्ता में ४० करोड़ घनफुट जमीन की मुदाई की और बाइ रोकने के लिए लगभग २८० लाख वर्ग फुट जमीन घाटी। १९५९ में समाज ने १६ करोड़ ४ लाख घनफुट और जमीन की मुदाई की।

गागाजुनमागर योजना में १९५६-५८ में जनता की मदद में २ करोड़ ६७ लाख ८२ हजार घनफुट जमीन की मुदाई की गई। इसी अवधि में राजस्थान में चम्बल घाटी योजना की डाई मुख्य नहर के लिए ४ करोड़ ६ लाख घन फुट जमीन की मुदाई हुई। १९५९ में भी छोटी नहरों के लिए १ करोड़ २० लाख घन फुट की मुदाई हुई।

सन् १९५९ में जन-महयोग में साहदरा बाघ के काम में ७६ लाख घनफुट जमीन की और नजफगढ़ नाला के काम में २० लाख घनफुट जमीन की मुदाई हुई।

### ग्रथिक गांवों में बिजली

१६-६०-६१ तक १०,००० से कम आबादी वाले १७,४०० गावों और कस्बों में बिजली लग जाएगी। हाल के अनुमान के अनुसार तीसरी योजना में १५,००० और गावों तथा कस्बों में बिजली लग जाएगी। इस प्रकार १९६५-६६ तक कुल ३२,४०० गावी और कस्बों में बिजली पहुंच जाएगी।

१९५५-५६ में १०,००० से कम आबादी वाले ७,४०० कस्बों और गावों में ही बिजली थी। इस प्रकार दूसरी और तीसरी योजनाओं में इसमें दुगुने गावों में बिजली पहुंच जाएगी।

दूर-दूर के गावों तक बिजली पहुंचाने के लिए दो कार्यक्रम बनाए गए हैं। पहले कार्यक्रम के अन्तर्गत गावों में बिजली लगाने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्र में महायत्ना मिलनी है।

दूसरे कार्यक्रम में छोटे उद्योग-धंधों को बिजली देने की व्यवस्था है जिसमें अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार ने १९५९-६० तक १५ करोड़ ८० लाख रु० राज्य सरकारों को दिया।

जिन ८,८३३ गावों और बस्तियों में ३१ मार्च, १९५९ तक बिजली लग गई थी उन्हें बिजली, ग्रिड-नेट में मिलनी है। गैर स्थानों को बिजली छोटे-छोटे डीजल में चलने वाले बिजली घरों में मिलनी है।

पहाड़ी इलाकों में २५ में ५० विलोकाट बिजली बनाने की धमना वाले जन-बिजली घर बनाने की योजना है।

देहातों तक बिजली पहुंचाने पर कम खर्च आए, इन पर विशेष रूप में ध्यान दिया जा रहा है। इस काम के लिए केन्द्रीय जल और बिजली आयोग ने राज्य के मुख्य इंजीनियरों की मदद में लाइन लगाने के लिए विशेष प्रकार के डिजाइन बनाए हैं जिन पर कम लागत आती है।

देहातों तक बिजली ले जाने के लिए जो माझल जरूरी है वह प्रायः पूरा देग में बनाया जाता है। पिच गियर और आकाश में बिजली गिरने पर लाइन के बचाव के लिए लगाए जाने वाले यंत्र (लाइटनिंग एरेस्टर्स) ही बाहर में मगाए जाते हैं। पर ये भी तीसरी योजना में देग में बनने लगे हैं।

बिजली के खम्भों के लिए लकड़ी की बलिया काम में लाई जाती है। जहा पर बलिया नहीं मिलती, वहा पर ककरीट के खम्भे लगाए जाते हैं। ये खम्भे देग में ही बनते हैं।

### जम्भू-कश्मीर बाढ़ नियन्त्रण समिति की बैठक

श्रीनगर में ११ मई को जम्भू-कश्मीर बाढ़ नियन्त्रण समिति की तीसरी बैठक

हुई। राज्य के प्रधान मन्त्री को अनुपस्थिति में राज्य विकास मन्त्री, श्री कानवलाल ने बैठक की अध्यक्षता की। केन्द्रीय मिर्चाई और बिजली मन्त्रालय के सचिव श्री एम० जे० मन्वदे, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के अध्यक्ष श्री एम० ह्याल और बाइ मुख्य इंजीनियर श्री आर० डी० धीर भी बैठक में उपस्थित थे।

बाइ नियन्त्रण बावों की कुछ समस्याओं पर बैठक में विचार किया गया। बैठक में यह घोषणा की गई कि योजना आयोग की मन्त्रालय समिति ने जेहलम की आउटफाल बंद की क्षमता बढ़ाने के लिए ८ करोड़ २१ लाख रुपये की मजूरी दे दी है। जम्भू और कश्मीर राज्य में बाइ नियन्त्रण बावों के आयोजन सम्बन्धी समस्याओं पर बैठक में विचार किया गया। इसके अनिश्चित आवश्यक मशीनें आदि नूतानों की समस्या पर भी विचार हुआ।

### साही नदी पर बांध

राजस्थान में साही नदी पर बाघवाडा में करीब १० मील पर जो बाघ बनाया जाएगा, उसमें पुजगल और राजस्थान की लगभग १३ लाख एकड़ भूमि मौवी जा सकेगी और यहा के पानी में आग चल कर लगभग ४५,००० किलोवाट बिजली बनेगी। इस योजना की नीव ७ मई को केन्द्रीय वित्त मन्त्री, श्री मोंगारजी देसाई ने रखी।

साही के बाघ में जो जलाशय बनेगा, उसका नाम जमनालाल बजाज सागर रखा जाएगा और इसमें ६० अरब घनफुट पानी जमा होगा। बाघ ११,८५० फुट लम्बा होगा और इसका कुछ भाग कच्चा और कुछ पत्थर का होगा। कच्चा बाघ १४० फुट ऊंचा रहेगा और पत्थर अपनी गहरी में गहरी नीव से २१० फुट। इसके पानी निकलने के रास्ते में बाइ के दिनों में ५११ लाख घन फुट पानी प्रति मीकंड निकल सकेगा। बाघ के ऊपर एक सड़क भी बनायी जाएगी।

## क्या आप जानते हैं ?

### अणु-विजली बनाने के काम में प्रगति

● केन्द्रीय सरकार ने १९५८ में अणु शक्ति आयोग स्थापित किया था और इस देश में अणु शक्ति के विकास के लिए प्रवर्धन और वित्त सम्बन्धी पुरे अधिकार और स्वतन्त्रता दी गई है।

● १९५९-६० की सबसे महत्वपूर्ण घटना मनित्र यूरेनियम से ईंधन तत्व तैयार करना है।

● ट्राम्बे के यूरेनियम धातुयुक्त और परजल एंटीमेट फंडोनेशन फीमिलिट्री में इतना ईंधन तत्व बन सकता है, जो भारत-बनाया अणु मट्टी और प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल करने वाली अन्य मट्टियों की ज़रूरत पूरी कर सके। ये मट्टियाँ इस वषे चाटू हो जाएगी और इन्हें इतना बढ़ाया जा सकता है कि आगे चलकर वे २५ अंगुठाट विजली बनाने वाले विजलीघर को अणु शक्ति में षटा सके।

● देश में अणु शक्ति में चलने वाला पहला विजलीघर बनाने के लिए आरम्भिक काम शुरू हो चुका है। विज्ञान में यूरेनियम पाने की शक्यता की गई है और यहाँ में जो मनित्र यूरेनियम मिलेगा वह इस विजलीघर को चलावे के लिए काफी होगा।

● इस गान के मनित्र यूरेनियम को गुड़ करने के लिए ट्राम्बे में एक यंत्र बनाया जा रहा है, जो गान के पान ही लगाया जाएगा।

● भारत को नेत्री में बढती हुई अपनी अर्थ-व्यवस्था के लिए बहुत अधिक विजली की आवश्यकता होगी। अनुमान है कि इस समय की देश की ६० लाख किन्तीवाट विजली बनाने की क्षमता के मुकाबले २५ बरप बार हमारी ज़रूरत ५ करोड किन्तीवाट की हो जाएगी।

● हिमालय और दूसरे इलाकों की नदियों आदि को मिलाकर भारत में करीब ४ करोड ३० लाख किन्तीवाट विजली तैयार की जा सकती है। अगले २५ वर्षों में इसमें से लगभग आधी का उपयोग हो सकेगा। दूसरे, भारत में कोयले का भंडार भी सीमित है और वह भी देश के पूर्वी भाग में ही पाया जाता है। इसलिए सोयले में अधिक्त विजली नहीं बनाई जा सकती। रेल-तागवानी के लिए भी काफी कोयले की ज़रूरत है जो अभी और बढ़ेगी। इसी प्रकार तेल में भी हमारे देश में विजलीघर नहीं चलाए जा सकते। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ निरपेक्ष निकलना है कि विजली तैयार करने के लिए हमें अणु शक्ति का अधिकाधिक उपयोग करना होगा।

### श्री अमीर रखा का भाषण

इस अवसर पर भाषण देते हुए केन्द्रिय कृषि और माध मन्त्रालय के मन्वृत मन्त्रि और केन्द्रीय गन्ना समिति के अध्यक्ष, श्री अमीर रखा ने कहा कि तीमरी योजना में ९ करोड २५ लाख टन ईस पैदा करने और ३० लाख टन चीनी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री रखा ने कहा कि इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह ज़रूरी है कि ईस की उपज बढ़ाने के अनुसंधान बढे पैमाने पर किए जाए।

अनुसंधान कार्य की प्रगति के बारे में बताते हुए श्री अमीर रखा ने कहा कि १९५८-५९ में देश भर के ईस अनुसंधान केन्द्रों में गन्ने की निरम मुधातने और प्रति एकड उपज बढ़ाने को ८५ योजनाओं पर काम हुआ।

१९५८-५९ में ४८ लाख एकड जमीन में गन्ने की खेती हुई, जबकि इससे पहले मात्र ५० लाख एकड जमीन में खेती हुई थी। इस वर्ष ७ करोड ९ लाख टन ईस पैदा हुई, जबकि दूसरी योजना में ७ करोड २० लाख टन का लक्ष्य रखा गया है।

### समिति की सिफारिशें

समिति की बैठक ४ मई को समाप्त हुई। इस बैठक में ईस की पैदावार बढ़ाने और इस बारे में अनुसंधान के काम की प्रगति आदि की मर्मोक्षा की गई और अगले साल के लिए कई नयी योजनाएँ मजूर की गईं। यह बैठक दो दिन तक चली।

समिति ने आंध्र प्रदेश (तेलगाना क्षेत्र सहित) में और उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में, जहाँ गुड और खाइमारी बनती है, ईस की खेती बढ़ाने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ मजूर की हैं। ईस को नुकसान पहुचाने वाले कीडो को मारने के बारे में भी एक आज-मायवी योजना स्वीकृत की गई।

समिति ने एक विशेष उपसमिति नियुक्त की है, जो यह जाच करेगी कि बंदिधा किरम का गुड और खाइमारी बनाने के लिए क्या-क्या अनुसंधान हुए है। यह उपसमिति भविष्य में अनुसंधान करने के बारे में भी कुछ मुझाव देगी। आजकल लगभग ६० प्रतिशत ईस, गुड और खाइमारी बनाने में ही खप जाती है।

समिति ने गन्ने की एकमात्री, अधसाली रतून आदि फनलो में भी अत्यधिक गन्ना बाजो को इनाम देने का निरन्धय नि।

## खाद्य और कृषि

### केन्द्रीय गन्ना समिति की २६ वीं बैठक

३ मई की नयी दिवत्री में केन्द्रिय गन्ना समिति की २६ वीं बैठक का समागम्भ करने हुए केन्द्रिय कृषि मंत्री डा० पञ्जाबराव देशमुख ने कहा कि ईस की पैदावार के पिछले कुछ साल के आकडों को देखने में पता लगता है कि पैदावार का लक्ष्य निर्धारित करने, माधनों का अनुसंधान लगाने अथवा योजना में ही कोई अन्य कुट्टि रह जाने के कारण ईस की पैदावार का लक्ष्य पूरा नहीं होता।

मंत्री महोदय ने कहा कि १९५८-५९ में प्रति एकड १४७ टन की उपज मनीष-जनक है। १९५७-५८ में प्रति एकड

१३४ टन उपज हुई थी।

किमाना को खेती के सुधरे हुए तरीकों के इस्तेमाल का बढावा देने की आवश्यकता की बर्षा करने हुए डा० देशमुख ने कहा कि यदि किमाना को सुधरे हुए तरीकों के लक्ष्य और उनके इस्तेमाल की मही विधि के बारे में बताया जाए तो वे खीग इन्हें अवश्य व्यवहार में लाएंगे। मंत्री महोदय ने आशा प्रकट की कि अधिका महुकारिया बलुने और ऋण की अच्छी आवश्यकता होने पर स्थिति में सुधार होगा।

डा० देशमुख ने कहा कि देश के ईस अनु-संधान केन्द्रों में पिछले २५ सालों में बहुत महत्वपूर्ण खीज हुई है।



## इजराइल में सहकारिता प्रान्दोसन : अध्ययन टोली की रिपोर्ट

इजराइल की सहकारी समितियों के वाम की आन्दोलन हामिल करने के लिए भारत की जो अध्ययन टोली इजराइल गई थी, उनमें अपनी रिपोर्ट दे दी है। टोली के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं बिहार के विकास कमिश्नर श्री बी० डी० पांडे, आंध्र प्रदेश एग्रेवम मार्केटिंग सोसायटी के श्री ए० मुन्वा रेडडी, पूना की मुसाय कोआपरेटिव फार्मिंग के श्री एम० बी० मायदेव, साम्दायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय के श्री एम० एम० पुरी; पश्चिम बंगाल के सहकारिता के रजिस्ट्रार श्री ए० के० दल और उत्तर प्रदेश की कोआपरेटिव फेडरेशन के उप रजिस्ट्रार श्री डी० एम० वर्मा।

रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल में सहकारिया बहुत सफलतापूर्वक काम कर रही है। इजराइल का २८ प्रान्त व्यापार सहकारिता के आधार पर होता है। इजराइल की तीन-चौथाई खेती सहकारी ढंग में होनी है और अनाज की बिक्री का प्रबन्ध सहकारिया ही करती है।

इजराइल के आंतरिक व्यापार का ३० प्रतिशत सहकारिया करती है। सहक परिवहन का तो लगभग पूरा काम सहकारिया ही करती है।

इजराइल का सहकारिता मन्त्री कानून भारत के सहकारिता कानून के आधार पर ही बनाया गया है और उसी रूप में अब तक लागू है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सहकारिता के कानून के कारण सहकारिता के काम के बढने में बाधा नहीं है। इस बाधा का कारण कहीं और खोजना होगा।

### सहकारी क्षति

इजराइल में सहकारी खेती काफी सफल रही है। पर हम इसे भारत के लिए उदाहरण

नहीं मान सकते, क्योंकि इजराइल की सारी जमीन जूडिया नेशनल फूड या अन्य सरकारी एजेंसियों की है। अतः इसमें हमारी इस समस्या का कोई हल नहीं मिलता कि किमान जो अब तक अपने खेतों को जोतते बोलते आए हैं, अपनी जमीन सहकारी खेती के लिए दे दें। हमने अलावा इससे यह भी स्पष्ट नहीं होता कि यह व्यवस्थागत रूप में खेती करने में अधिक लाभ-प्रद रही है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि समय और आवश्यकता के अनुसार सहकारिता के नियमों में सुधार किया जाना चाहिए।

इजराइल के सहकारिता आन्दोलन में सबसे महत्वपूर्ण काम चाँटी की सहकारिया का है। रिपोर्ट में गिफारिया की गई है कि भारत में सहकारिता की बढ़ाने के लिए ऐसी सहकारिया बनाई जानी चाहिए जो छोटी सहकारियों का मार्गदर्शन करे।

### सहकारी हाट व्यवस्था

इजराइल में सहकारी हाट व्यवस्था की सफलता से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपज बढ़ाने और किसानों को ऋण देने के लिए यह बहुत आवश्यक है। इसमें सहकारी हाट व्यवस्था करने की हमारी नीति का महत्त्व भी प्रकट हो जाता है।

इजराइल में, सहकारियों द्वारा मजदूरी पर काम करने वालों के शोषण के प्रश्न पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सहकारिता की सफलता और इसके मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि भारत में इस बात का ध्यान रखा जाए कि सहकारियों के लिए काम करने वाले मजदूरों को शोषण न हो।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल में सहकारिता की सफलता का श्रेय उन समाज-सेवियों को है, जिन्होंने उनकी सफलता के लिए अथक परिश्रम किया है। भारत में सहकारिता की सफलता के लिए भी ऐसे लोग वाले समाजसेवियों की जरूरत है।

१९५८-५९ में सहकारी कृषि ऋण

समितियों की प्रगति

सहकारी कृषि ऋण समितियों के १९५८-५९ के आकड़ों में जो अभी प्रकाशित हुए हैं, पता लगता है कि इस अवधि में समितियों में सब प्रकार उन्नति की है।

इस अवधि में समितियों की संख्या में १६,५६८ की वृद्धि हुई और उनकी कुल संख्या १८३ लाख में कुछ अधिक हो गई। वर्ष के अन्त में इन समितियों की सदस्य-संख्या ११९ करोड़ थी, जो १९५७-५८ की संख्या में १६८ लाख अधिक है। समितियों के सदस्यों की औसत संख्या भी पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक रही।

इन समितियों की हिस्सा-पूजी और चालू पूजी में भी काफी वृद्धि हुई। १९५८-५९ में इन समितियों में कुल ९८७ करोड़ रु० जमा थे, जबकि १९५७-५८ में यह संख्या ८.६३ करोड़ थी। इसमें पता चलता है कि समितियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ-साथ सहकारिता आन्दोलन में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है।

विवरण की अवधि में किसानों ने समितियों से ऋण भी अधिक लिया। इस वर्ष समितियों ने उन्हें १२५४३ करोड़ रु० दिए। यह संख्या पिछले वर्ष की अपेक्षा २९३८ करोड़ अधिक है।

एक अन्य उन्माहजनक बात यह है कि विवरण की अवधि में किसानों ने ऋण वा भुगतान भी पहले से अधिक किया। अन्तः प्रबन्ध तथा ठीक कारोबार करने और अपने आन्तरिक साधनों में सुधार करने के कारण इस वर्ष लेखा परीक्षा द्वारा पहली और दूसरी बक्सा में रखी समितियों की संख्या में भी वृद्धि हुई।

कुछ सहकारी समितियों को कर

सम्बन्धी छूट

१९६० के कित्त अधिनियम द्वारा समायोजित १९२२ के भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों की आय पर जो कर लगता है, उसकी न्यति इस प्रकार है।

(१) जिन सहकारियों की आय पर आय कर नहीं लगता, उनका ध्योरा इस प्रकार है :

(क) जो सहकारी समिति बैंक का काम करती है या अपने सदस्यों को ऋण देती है। इनमें निम्नलिखित सहकारी समितिया आती हैं :

१. प्राथमिक (प्राथमिक) ऋण समितिया; २. जिला और केन्द्रीय सहकारी बैंक; ३. राज्य सहकारी बैंक; ४. जमीन गिरवी रखने वाले बैंक (प्राथमिक और केन्द्रीय), ५. गैर-जिनानों की ऋण समितिया, जैसे शहरी बैंक; ६. वन-चारियों की ऋण और बचत समितिया, आदि।

(ख) परेन्ट उद्योगों की सहकारी समितिया।

(ग) वे सहकारी समितिया जो अपने सदस्य-जिनानों की कृषि उपज को बेचने का प्रयत्न करती हैं। इनमें प्राथमिक, केन्द्रीय और राज्यों की हाट-व्यवस्था समितिया शामिल हैं:

२. खों के ओजार, बीज, पशु और ऐसे अन्य सामान जो खेती-बाड़ी के काम आते हैं, उन्हें खरीद कर अपने सदस्यों को देने वाली समितिया

(घ) अपने सदस्यों की कृषि उपज में सामान तैयार करने वाली समितिया, जैसे बिना बिजली की नेल की धानिया और हाथ में धान की कुटाई करने वाली समितिया आदि।

(च) प्राथमिक दूध समितिया — अपने सदस्यों के यहाँ होने वाले दूध लेकर मधीय दूध सहकारी समितियों को भेजने वाली समितिया।

यदि उन सहकारी समितिया ऊपर लिखे कामों के अलावा कोई अन्य काम करती हैं, तो उन्हें इन कामों में होने वाले नफे पर आय-कर देना होगा। पर १५ हजार ६० में जितना अधिक लाभ होगा, उसी पर कर लगेगा।

(२) जिन सहकारी समितियों की आय के कुछ हिस्से पर कर लगता है, उनका ध्योरा इस प्रकार है :

(क) मन्था (१) में बतायी गयी समितियों के अलावा अन्य समिति।

मन्था (१) में बतायी गयी सहकारी समितियों के अलावा किसी भी सहकारी समिति के १५ हजार ६० के लाभ तक कोई कर नहीं लगेगा। परिवर्द्धन समितियों, मरान बनाने वाली समितियों आदि के १५ हजार ६० में अधिक के लाभ पर ही कर लगता है।

(ख) कृषि उपज में सामान तैयार करने में बिजली का इस्तेमाल करने वाली सहकारी समितिया —

सहकारी चीनी मिल, सहकारी कटाई मिल, नेल मिल आदि उद्योगों में चलने वाली सहकारी समितियों के लाभ पर सब तक कोई कर नहीं लगेगा जब तक कि उद्योगों में लगाई एजी पर ६ प्र०५० में अधिक लाभ न हो। यह ध्यवस्था किमी ऐंगी सहकारी समिति के काम प्रारम्भ करने के वर्ष में और उसके बाद अगले ६ वर्ष तक जारी रहेगी, वगैरकि आयकर कानून की धारा १५ में उल्लिखित नये पुरी की गई हो।

(ग) उपभोगिता समितिया —

जब कोई उपभोगिता समिति अपने सदस्यों को बेचने के लिए थोक सामान खरीदेगी, तो मूल्य में जितनी छूट समिति अपने सदस्यों

को देगी, उसे कुल लाभ में से घटाकर कर लगाया जाएगा।

सरकार को आशा है कि इन रियायतों से सहकारी समितिया मजबूत होगी और वे अपने माधन बढ़ा सकेगी।

यह सूचना सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय के सहकारिता विभाग की ७ मई की दिनांकित मी गयी है।

### प्रथम सहकार समिति की प्रगति

१९५८-५९ में कृषि ऋण तथा बहुमुखी समितियों की सख्या में १६,५६८ की वृद्धि हुई। इन वर्ष के अंत में इनकी सख्या १ लाख ८३ हजार से कुछ अधिक थी। इनकी मरस्य मन्था १ करोड १९ लाख थी जो १९५७-५८ से १६ लाख ८० हजार अधिक थी।

१९५८-५९ में इन समितियों के पास ९ करोड ८७ लाख ६० जमा था। पिछले साल यह राशि ८ करोड ६३ लाख ६० थी।

इन वर्ष किसानों की अविकास कर्ज इन समितियों से ही मिला। इन वर्ष समितियों ने १ अरब २५ करोड ४३ लाख ६० अपने सदस्यों को उधार दिया जो पिछले साल से २९ करोड ३४ लाख ६० अधिक था।



## शिक्षा और सहकारी

### शिक्षा परिषद की बैठक

शिक्षा परिषद भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद ने ३० अप्रैल को नयी दिल्ली में अपने तेरहवें अधिवेशन में तीसरी और उसके बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में प्राविधिक शिक्षा के विस्तार के लिए अध्ययन गोष्ठी की सिफारिशों को और उसके सामान्य दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया। इस अधिवेशन के सभापति केन्द्रीय सरकार के वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मंत्री डा० हुमायूँ कबीर थे। प्राविधिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षण के कार्यकारी समूह ने जो रिपोर्ट परिषद के सम्मुख रखी, उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि प्राविधिक शिक्षा के विस्तार के लिए

बराबर जोरदार प्रयत्नों की आवश्यकता है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि तीसरी योजना की अवधि में इस काम पर २०१ करोड ६० खर्च होंगे, जिसमें से ११० करोड ६० दूसरी योजना के कामों को पूरा करने और ९१ करोड ६० नयी योजनाओं पर खर्च करने होंगे। परिषद ने इन सुझावों का मस्यंन करते हुए सिफारिश की है कि विद्याधिया में विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के प्रति र्चन बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम के अलावा विनये प्रयत्न किए जाने चाहिए।

परिषद ने यह भी सिफारिश की है कि प्रिधिकाओं की कमी को पूरा करने के लिए

बहुत अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

परिपद ने यह भी सिफारिश की है कि कुछ नयी सस्थाएँ स्थापित की जानी चाहिए, जिनमें राउरकेला में एक प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना का भी सुझाव है। इस तरह १५ में से ९ राज्यों में अपने-अपने प्रादेशिक कालेज हो जाएंगे। परिपद ने यह भी सिफारिश की है कि शेष राज्यों में भी प्रादेशिक कालेजों की स्थापना के प्रयत्न करने चाहिए।

परिपद ने यह भी सुझाव दिया कि राज्य सरकार को चाहिए कि जल के साधनों का विकास करने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्राप्त करने की जो सुविधाएँ रुड़की विश्वविद्यालय में प्राप्त हैं, उनसे लाभ उठाएँ। इसके लिए परिपद ने सुझाव कि प्रत्येक राज्य को अपने-अपने महा के अनुसंधानों को अधिक सस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए भेजना चाहिए।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए प्राथमिक शिक्षा सस्थाओं में जगहें सुरक्षित रखने के प्रश्न पर भी परिपद ने विस्तार से विचार किया। परिपद ने यह स्वीकार किया कि उनके लिए प्रवेश और शिक्षा की विशेष रूप से व्यवस्था करने की आवश्यकता है। परिपद ने सुझाव दिया कि प्रायः २५ प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिए प्राथमिक शिक्षा सस्थाओं में सुरक्षित रहने चाहिए और खास-खास क्षेत्रों में १० प्रतिशत तक छात्र और रखे जा सकते हैं। परिपद ने यह भी कहा कि इन श्रेणी के छात्रों को प्रवेश के समय १० नम्बर तक की रिमायट देनी चाहिए। परन्तु ये रिमायट हमेशा के लिए नहीं होंगी चाहिए, बल्कि १० या १५ वर्ष के भीतर धीरे-धीरे इन रिमायटों को समाप्त कर देना चाहिए।

बोयपाररनु गरीब विद्यार्थियों की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार ने १९५९-६० में बजीका देन की जो योजना चलाई थी, उसका परिपद ने स्वागत किया। यह प्रस्ताव किया गया कि तीसरी योजना में इस योजना को और भी बढ़ाना चाहिए, जिससे प्राथमिक और इंजीनियरिंग सस्थाओं में पठने वाले २० से लेकर २५ प्रतिशत तक विद्यार्थियों को गृहयता दी जा सके।

## श्री हुमायूँ कबीर का भाषण

“हम दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष में हैं और मीघ हों तीसरी योजना में प्रवेश करने वाले हैं। यह ऐसा अवसर है कि हम इन बातों को समीक्षा कर सकते हैं कि पिछले १० वर्षों में नित्यिक शिक्षा में कितनी प्रगति हुई और भविष्य में हमें कितनी समस्याओं का सामना करना है तथा बदलती आवश्यकता के अनुसार हमें कार्यक्रम बनाना है।” — ये शब्द परिपद की १३वीं बैठक में भाषण देते हुए केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान और मसूक्ति मंत्री, तथा नित्यिक शिक्षा परिपद के अध्यक्ष श्री हुमायूँ कबीर ने कहे।

श्री कबीर ने कहा कि इस अवधि में इस बात की कीमति की गई कि अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा दी जाए। किन्तु तीसरी योजना में इस बात पर जोर देना है कि शिक्षा का स्तर ऊँचा किया जाए।

श्री कबीर ने बताया कि देश में चार उच्च औद्योगिक सस्थाएँ खोली जानी थी। दूसरी और तीसरी सस्था दूसरी योजना के अंत तक खूल जानी चाहिए तथा चौथी सस्था तीसरी योजना की अवधि में। बम्बई और मद्रास में दो सस्थाएँ खूल गई हैं और कानपुर में चौथी सस्था जुलाई-अगस्त में खूल जाएगी।

खणपुर की सस्था को चालू हुए ९ वर्ष हो गए हैं और इस समय वहाँ अडर प्रोजेक्ट कक्षाओं में १,५०० विद्यार्थी हैं और पोस्ट प्रोजेक्ट में २५० हैं। बम्बई की सस्था जुलाई १९५८ में खोली गई थी। मद्रास की सस्था में जुलाई १९५९ से पढ़ाई शुरू हो गई थी और यह पहली सस्था है जहाँ शुरु से ही ५ साल का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाने लगा। यहाँ २ जर्मन प्रोफेसर और २ जर्मन शिल्पिक हैं। उसके अलावा कई भारतीय शिक्षक उच्च शिक्षा के लिए जर्मनी भेजे गए।

श्री कबीर ने बताया कि पढ़ाई की सुविधा बढ़ाने से ही कोई लाभ न होगा, जब तक कि छात्र त्तियों की भी सस्था न बड़ाई जाए, क्योंकि शिल्पिक शिक्षा की पढ़ाई बहुत खर्चीली है और नरीब किन्तु प्रतिभाशाली छात्र इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए सरकार ने १९५९-६० में योग्यता तथा साधन के आधार पर छात्रवृत्ति देने की योजना चलाई और उस साल डिण्डोमा और डिण्डो पाठ्यक्रम

के १,०३९ छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई।

नित्यिक संस्थाओं में प्रशिक्षकों की बमी दूर करने के लिए पिछले साल एक योजना चलाई गई थी, जिनके अन्तर्गत इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के १४६ प्रतिभाशाली स्नातकों को चुन कर ट्रेनिंग के लिए नित्यिक शिक्षा के ५ केन्द्रों में भेजा गया है।

श्री कबीर ने आगे बताया कि नित्यिक शिक्षा का स्तर ऊँचा करने के साथ-साथ इन बातों पर भी ध्यान रखना है कि देश के सभी को इससे लाभ उठा सके। यह भी देतना है कि जिन लोगों को यों सुविधाएँ दी जाती हैं वे इतने पूरा लाभ उठा पाते हैं या नहीं। सस्थाओं में निविधान के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजाति के छात्रों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित हैं और आकट्रे जमा करने पर यह पता चला है कि पिछले वर्ष के छात्र अन्य छात्रों से पढ़ाई में पीछे नहीं हैं।

नित्यिक शिक्षा की तीसरी योजना को तैयार करने का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाने में सहायता देने के लिए जो विचारक दल नियुक्त किया गया था उसकी रिपोर्ट के अनुसार तीसरी योजना की अवधि में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में ४८,००० डिग्री-प्राप्त शिल्पिकों और ८२,००० डिण्डोमा-प्राप्त शिल्पिकों को आवश्यकता पड़ेगी। शिल्पिक शिक्षा की जो योजनाएँ शुरू की गई हैं उनसे तीसरी योजना की अवधि में ४९,००० डिग्री-प्राप्त और ७६,००० डिण्डोमा-प्राप्त शिल्पिक तैयार हो जाएंगे। इसलिए तीसरी योजना को कार्यान्वित करने में नित्यिक कर्मचारियों की कमी की आशंका नहीं होगी चाहिए, क्योंकि शिल्पिक कर्मचारियों की पूर्ति और मांग की वीष की खाई की वर्तमान सस्थाओं की क्षमता बढ़ाकर पाट दिया जाएगा।

श्री कबीर ने कहा कि यह ठीक है कि तीसरी योजना में हमारी आर्थिक स्थिति एक नया मोड़ लेगी। चौथी योजना में पिछली तीन योजनाओं की अपेक्षा कृषि और उद्योगों में अधिक तेजी से विकास होगा। इसी लिए तीसरी योजना की अवधि में शिल्पिक शिक्षा का विस्तार करने की योजनाएँ बनानी होंगी, जिससे कि चौथी योजना की अवधि में शिल्पिक कर्मचारियों की मांग को पूरा किया जा सके।

विचारक दल ने तीसरी योजना में शिल्पिक नस्लियों में छात्रों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की।

दूसरी योजना में इन नस्लियों में भर्ती किए जाने वाले छात्रों की जो संख्या तब की गई थी उसने कई गुने संख्या बढ़ा दी गई है। इसमें यह पता चलता है कि किस प्रकार प्रगतिशत शिल्पिक कर्मचारियों की मांग बढ़ती जा रही है और मांग का सही पता लगाना चिन्ता कठिन है।

श्री कबीर ने कहा कि इन समय हम डिग्री प्राप्त शिल्पिकों से वह काम लेते हैं जो अन्य देशों में डिप्लोमा प्राप्त शिल्पिक करते हैं। इसलिए देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इंजीनियरों और प्रौद्योगिकों की शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करना पड़ेगा। योजना आयोग ने तीसरी योजना में शिल्पिक शिक्षा के लिए बजट से कम १७६.८९ करोड़ ६० की व्यवस्था की है। इस राशि को कम करने के माने यह होगा कि नियमित तृतीय में कटौती की जाए किन्तु इसमें अनिश्चित कर्मचारियों की कमी हो जाने के कारण औद्योगिक और कृषि कार्यक्रमों को चंगुन में दिक्कत होगी।

श्री कबीर ने इस बात पर चिन्ता प्रकट की कि देश में जिन तेजी से कला और विज्ञान की शिक्षा देने के कालेज खुल रहे हैं उन तेजी से शिल्पिक शिक्षा के कालेज नहीं खोले जा रहे हैं। यह अच्छा हो यदि अब देश में शिल्पिक शिक्षा के कालेज अधिक तेजी से खोले जाए।

श्री कबीर ने अंत में परिपद तथा उनकी कई कमितियों के कार्यों की सराहना की।

## प्र० भा० प्रारम्भिक शिक्षा परिपद का पुनर्गठन

केन्द्रीय सरकार ने अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परिपद का पुनर्गठन किया है। अब परिपद में २७ सदस्य होंगे। परिपद के अध्यक्ष भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार श्री के० जी० मेयवेन होंगे।

अध्यक्ष के अतिरिक्त परिपद में प्रत्येक राज्य के शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि होगा। एक प्रतिनिधि केन्द्र-शासित क्षेत्रों का होगा तथा एक-एक प्रतिनिधि योजना आयोग,

केन्द्रीय सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल, और माध्यमिक शिक्षा विस्तार निदेशालय का होगा तथा एक ट्रेनिंग कालेज का प्रतिनिधित्व होगा। इनके अतिरिक्त परिपद में बुनियादी शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा तथा पिछड़ी जातियों की शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले ३ विशेषज्ञ प्रतिनिधि होंगे। सदस्य का कोई ऐसा सदस्य, जिनमें शिक्षा के क्षेत्र में काम किया हो, परिपद में गणद का प्रतिनिधि होगा। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय का कोई अधिकारी परिपद का सदस्य गणव्य होगा।

अ० भा० प्रारम्भिक शिक्षा परिपद का गठन भारत सरकार ने जुलाई १९५७ में किया था। परिपद की स्थापना प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार तेजी से करने तथा सचिवालय के अनुच्छेद ४५ में निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए की गई थी। परिपद भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा स्थानीय सरकारों को प्रारम्भिक शिक्षा के मामलों में सलाह देती है; सचिवालय के ४५वें अनुच्छेद में निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्यक्रम बनाती है तथा आवश्यकता होने पर कार्यक्रमों में संशोधन करती है, प्रत्येक राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार और सुधार के लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार करती है या तैयार कराती है; प्रारम्भिक शिक्षा से संबंधित प्रशासकीय तथा वित्तीय समस्याओं पर अनुसंधान में सहायता देती है और अनुसंधानों के परिणामों को प्रकाशित करती है।

परिपद प्रारम्भिक शिक्षा संबंधी समस्याओं के बारे में जानकारी इकट्ठी करती है और प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार तथा सुधार के लिए आवश्यक पथ-प्रदर्शन करने के लिए सर्वे और विशेष पड़ताल करती है।

## प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्रीय गोष्ठियाँ

मई और जून में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय राज्य सरकारों के सहयोग से चार क्षेत्रीय गोष्ठियाँ कर रहा है। तीसरी योजना में मूल और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का कार्यक्रम लागू करने के बारे में बुनियादी बातें इन गोष्ठियों में विचारार्थ विषय हैं।

पहली गोष्ठी १० से १४ मई तक पुरी में हुई। इसमें आसाम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा और अठमान तथा निकोबार द्वीप के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

दूसरी गोष्ठी २० मई से २५ मई तक महाबलेश्वर में होगी, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

तीसरी गोष्ठी में आंध्र प्रदेश, मसूर, मद्रास, केरल, पांडिचेरी, मिनीकाय और लक्षद्वीप के प्रतिनिधि विचार-विमर्श करेंगे। यह गोष्ठी ३ से ८ जून तक बंगलोर में होगी। चौथी गोष्ठी शिमला में होगी, जो २५ जून से ३० जून तक चलेगी। इसमें पंजाब, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

इन गोष्ठियों में राज्यों और केन्द्र-शासित क्षेत्रों के शिक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया जाएगा कि मूल प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रम लागू करने में क्या कठिनाइयाँ होंगी और उन्हें किस प्रकार हल किया जाना चाहिए।

## संस्कृत के विकास के लिए सहायता

शिक्षा मंत्रालय की १२ मई की एक विज्ञापित में कहा गया है कि भारत सरकार ने स्वेच्छा से संस्कृत का काम करने वाली शिक्षा-संस्थाओं और पाठशालाओं को धन की सहायता देने की योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार पुराने संस्कृत विद्यालयों आदि को बढाने के लिए तथा शिक्षा का अच्छा प्रबंध करने के लिए अनावर्तक अनुदान देती है। विद्यालयों के आम खर्च के लिए अनुदान नहीं दिया जाता।

## संसदीय हिन्दी परिपद को अनुदान

नयी दिल्ली संसदीय हिन्दी परिपद को सन् १९५९-६० में हिन्दी के प्रचार और उन्नति के प्रयोजन के लिए ५,४०० ६० का अनुदान मंजूर किया गया है। यह अनुदान केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के हिन्दी प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है।



विश्वविद्यालय में दाखल से पूर्व अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा

भारत सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति पर हर छात्र को एक वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा करनी होगी। आवश्यक सेवा करने के उपरान्त ही किसी छात्र को विश्वविद्यालय में दाखला मिलेगा। यह घोषणा हाल ही में शिक्षा मंत्री, डा० श्रीमाली ने की। उन्होंने यह भी बताया कि तीसरी योजना के अन्त तक ६ से ११ साल तक की उम्र के लड़के और लड़कियों में से ८० प्रतिशत सरकार की नि.शुल्क आरम्भिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत आ जाएंगे।

### कापीराइट अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड पहली स्पेनिश पुस्तक

१६ ५७ के कापीराइट अधिनियम के अन्तर्गत भारत में रजिस्टर्ड होने वाली पहली स्पेनिश पुस्तक "लास विस्तास दे ला रीना दे साबा" है। यह पुस्तक अभी तक अप्रकाशित है और इसके लेखक भारत में पिली के राजदूत श्री माइगुएल सिरानो हैं।

### रवीन्द्र शताब्दी कोप

रवीन्द्र शताब्दी कोप में ५ मई, १९६० तक ४ लाख ३९ हजार ९९५ रु० ३० नये पैसे प्राप्त हो चुके हैं। बड़े-बड़े उद्योगपतियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर छात्रों और सामान्य जन तक से इस कोप में दान प्राप्त हो रहा है।

महाकवि रवीन्द्र नाथ ठाकुर की १००वीं जयन्ती मई १९६१ में देश भर में मनाई जाएगी। इस शताब्दी समारोह के आयोजन के लिए गत वर्ष एक केन्द्रीय समिति बना दी गई थी, जिसके अध्यक्ष प्रधान मंत्री श्री नेहरू हैं।

### वनस्पति विज्ञान में धीमकालीन स्कूल

दा जिलिंग में २ जून, १९६० से दो सप्ताह के लिए वनस्पति विज्ञान में धीमकालीन स्कूल लगेगा। इसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों और भारत के वनस्पति विज्ञान सर्वे विभाग के लगभग ४० अनुसंधानकर्ता भाग लेंगे।

केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मन्त्रालय ने इसका आयोजन किया है और डा० हुमायूँ कबोर इसका उद्घाटन करेंगे।

### नेशनल बुक ट्रस्ट का कार्य-विवरण

अगले दो या तीन महीने में नेशनल बुक ट्रस्ट की २३ और पुस्तकें छप कर बाजार में आ जाएगी। ये पुस्तकें अंग्रेजी और ११ भारतीय भाषाओं में हैं। इन पुस्तकों की पाहु-लियाया प्रेस में हैं।

इन पुस्तकों में श्री एम० विश्वेश्वरैया की 'मेमोरियल आफ माई वॉकिंग लाइफ' और श्री पाल केरस की 'दि मोस्यल आफ बुद्ध' हैं। इनके अलावा श्री जवाहर लाल नेहरू की 'इंडिया टुडे एण्ड टुमरो'; डा० राधाकृष्णन् की 'कल्चि'; श्री ए०जी० सेवड़े की 'ज्वालामुखी'; डा० सफदर एश की 'हिन्दुस्तानी जूमा' और डा० सी० वी० रमन की 'आस्पेक्ट्स आफ साइंस' पुस्तकों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। डा० एच० दत्त की 'महापरिवर्तन कथा' बंगला में छप रही है।

नेशनल बुक ट्रस्ट ने अब तक ९ पुस्तकें प्रकाशित भी कर दी हैं। प्रकाशित पुस्तकों के नाम इस प्रकार हैं: श्री सी० राजगोपालाचारी की 'दि वायस आफ दि अनुइन्वाल्ड' अंग्रेजी में; श्री जवाहरलाल नेहरू की 'इंडिया टुडे एण्ड टुमरो' का हिन्दी, गुजराती, कन्नड, मलयालम और मराठी अनुवाद; डा० ए० राधाकृष्णन् की 'कल्चि' का तेलुगु और मराठी अनुवाद और मराठी में श्री सेवड़े की 'ज्वालामुखी'। इन पुस्तकों में से अधिकांश का असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु, उर्दू, कश्मीरी और सिंधी भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। अनुवाद का काम प्रसिद्ध साहित्यकारों को संपा जाता है।

इनके अलावा १२० अन्य पुस्तकें भी प्रकाशन के लिए तैयार की जा रही हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट बहुत सी पांडुलिपियों के अलावा ७९ और पुस्तकों के प्रकाशन पर भी विचार कर रहा है।

सस्ते दामों पर अच्छी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए १९५७ में नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना हुई।

नेशनल बुक ट्रस्ट भारत के प्राचीन मार्गों, भारतीय लेखकों की उत्तम पुस्तकों और विदेशी भाषाओं के प्रसिद्ध ग्रंथों के अनुवाद का काम करता है। ट्रस्ट भारतीय चित्रों, मूर्तियों और अन्य कला वस्तुओं की अनुप्राणना भी तैयार करता है।

### खेल-कूद की राष्ट्रीय संस्था की स्थापना

केन्द्रीय सरकार ने खेल-कूद की एक राष्ट्रीय संस्था खोलने का निश्चय किया है, जिसमें विभिन्न मंत्रों के सचिवों को ट्रेनिंग दी जाएगी।

इस संस्था की स्थापना अखिल भारतीय खेल परिषद की सलाह पर की जा रही है। यह संस्था पटियाला में होगी। इसके लिए पंजाब सरकार ने १४ लाख रु० के मूल्य की भूमि, इमारतें आदि दी हैं।

इस संस्था का प्रबन्ध एक स्वशासी मंडल करेगा, जिसमें ९ सदस्य होंगे। इसमें एक अध्यक्ष के अलावा वित्त सलाहकार और मंडल का सचिव भी होगा। संस्था के निदेशक जिनकी नियुक्ति मंडल करेगा, इसके पदेन सदस्य-सचिव होंगे। मंडल के सदस्यों की नियुक्ति साधारणतया तीन वर्ष के लिए की जाएगी।

मंडल में केन्द्रीय सरकार ने इन व्यक्तियों को नामजद किया है - शिक्षा मन्त्रालय के समुज्जत सचिव, श्री पी० एन० कृपाल (अध्यक्ष); सेनाध्यक्ष, जनरल के० ए० तिमैया (सदस्य); राजकुमारी अमृतकोर, ससद सदस्य (सदस्य); राजा भालेन्द्र सिंह, भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन के अध्यक्ष (सदस्य); नयी दिल्ली के माडर्न स्कूल के प्रिंसिपल, श्री एम० एन० कपूर (सदस्य); भारत सरकार के वित्त सचिव, श्री एन० एन० बाँजू (वित्त सलाहकार)। इनके अलावा अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद और पंजाब सरकार दो सदस्य नामजद करेगी।

### छात्रावास बनाने के लिए ऋण देने के तरीके में संशोधन


केन्द्रीय सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष से दार्जीलिंग संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाली शिक्षा संस्थाओं को छात्रावास बनाने के लिए ऋण

देने के तरीके में समीचीन बन दिया है। अभी तक केन्द्रीय सरकार इन मस्यौदों को मंजूर हो कर दे रही थी। नये तरीके के अनुसार यह गति राज्य सरकारों को दे दी जाएगी। राज्य सरकारोंने अपने बजट में इन मस्यौदों को क्रय देने की व्यवस्था करेगी।

इन मस्यौदों को अधिक स्थिति को ध्यान में रख कर राज्य सरकारोंने छापाखाना बनाने के लिए दिए गए क्रय पर ध्यान की जितनी रकम छोड़ देनी है, केन्द्रीय सरकार उनको ही गति महापता अनुदान के रूप में राज्य सरकारों को देनी है। राज्य सरकारोंने अपने बजट में इस गति के लिए भी व्यवस्था करनी है।

### अब तक स्वीकृत ऋण

केन्द्रीय सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि अब तक जिन मस्यौदों को क्रय स्वीकृत किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक पूरा क्रय दिया नहीं गया, उनको मंजूर गति भी केन्द्रीय मस्यौदों मन्त्रालय स्वयं ही उन मस्यौदों को दे देगा।



### धूम्रपान से फेफड़े का कैंसर : भारत में पड़ताल

भारत में अब तक जो पड़ताल की गई है, उनमें पता चलता है कि धूम्रपान न करने वालों की अपेक्षा धूम्रपान करने वालों को फेफड़े का कैंसर होने का ज्यादा खतरा है। मिगरेट जिनकी भी ज्यादा भी जाणगी, खतरा उनका ही अधिक होगा।

पड़ताल में पता चलता है कि हमारे देश में फेफड़े के कैंसर के मरीज बहुत ज्यादा नहीं हैं। टाटा मेमोरियल अस्पताल में १९४१ में १९५६ तक २६,५५० रोगी आए, जिनमें से केवल ५०१, को यानी १.९३ प्रतिशत को, फेफड़े का कैंसर था।

भारतीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र में टाटा मेमोरियल अस्पताल में १९५० में १९५४ के बीच भर्ती हुए १,४६० मरीजों को जो पड़ताल की, उनमें पता चलता है कि तम्बाकू खाने में मुख्यतः मूंह का कैंसर होता है, तम्बाकू

मिथा मस्यौदों को छापाखाना बनाने के लिए क्रय देने का कार्यक्रम दूसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। उन कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय विस्वविद्यालयों में सम्बद्ध राज्यों, स्टेट स्कूलों, हायर मेकडरी स्कूलों, यहईंग्लिश स्कूलों, ट्रेनिंग कॉलेजों तथा यूनिवर्सिटी मस्यौदों को क्रय दिए जाते हैं। १९५९-६० में केन्द्रीय सरकार ने मासिक मिथा मस्यौदों को भी क्रय देने का निश्चय किया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस काम के लिए १ करोड़ ६० लाख रु० की व्यवस्था है।

### हिन्दी शिक्षण के लिए राज्यों को सहायता

केन्द्रीय मस्यौदों मन्त्रालय को ओर में ५ अहिन्दी भाषी राज्यों को मूल १९५९-६० में हिन्दी शिक्षकों को नियुक्ति करने के लिए ३,१९,७९० रु० के अनुदान दिए गए। यह महापता इन राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रेषित कार्यक्रम चलाने के लिए दी गई है।

पान और मिगरेट आदि पान में जीभ के पिछले हिस्से में और भोजन की नली के ऊपरी भाग में कैंसर होने का खतरा रहता है। खाली धूम्रपान करने वालों के गले के ऊपरी भाग और भोजन की नली के आग-पान कैंसर होता है।

हाल ही में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ३० वर्ष से ऊपर की उम्र के ३४ हजार स्वस्थ व्यक्तियों का जो नर्वे किया गया, उसमें पता चलता है कि धूम्रपान करने और तम्बाकू खाने से व्यक्ति के दाँतों में कैंसर के कारण पीदा हो जाते हैं।

भारत में मिगरेट मुख्यतः बड़े शहरों में ही पी जाती है। देशान्त क्षेत्रों में लोग हुक्का, चिलम या बीड़ी पीते हैं। हुक्का या चिलम पीने में जो धुआँ अन्दर जाता है, वह पानी या पीला कपड़ा बीच में होने के कारण साफ होकर जाता है और उसके हानिकारक तत्व सम्भवतः मूंह में या दवाब की नली में नहीं पहुँच पाते। बीड़ी पीने में धुआँ फेफड़ों तक नहीं पहुँच पाता

यह जीभ के पिछले भाग या गले के ऊपरी भाग में हो जमा हो जाता है।

धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उनमें गले की सूजन, गान्गी, फेफड़े की सूजन आदि रोग हो जाते हैं और भूल भी कम हो जाते हैं। गर्भाशय की फेफड़े की सूजन बहुत बढ़ भी जाती है और उसमें फेफड़े का कोई भयानक रोग हो सकता है।

### ब्रिटेन और अमरीका में पड़ताल

ब्रिटेन और अमरीका में जो पड़ताल की गई है, उनमें भी यह पता लगता है कि धूम्रपान फेफड़े के कैंसर का बड़ा कारण हो सकता है। ब्रिटेन की चिकित्सा अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट में विभिन्न देशों में इस सम्बन्ध में किए गए अनुसंधानों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि परिषद की राय में धूम्रपान फेफड़े के कैंसर का सीधा कारण हो सकता है। तम्बाकू के धुएँ में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जिनमें यह रोग हो सकता है।

ब्रिटेन में जो मई पड़ताल में यह पता चलता है कि फेफड़े के कैंसर में धूम्रपान न करने वालों की अपेक्षा धूम्रपान करने वालों की मृत्यु अधिक मर्यादा में होती है। इस कैंसर के कारण अधिक धूम्रपान करने वाले को मृत्यु का अधिक खतरा होता है। पड़ताल में यह भी पता चलता है कि पाइप पीने वाले की अपेक्षा इस रोग में मिगरेट पीने वाले अधिक मरते हैं। पड़ताल में यह भी पता चलता है कि धूम्रपान छोड़ देने वालों की अपेक्षा कैंसर होने पर भी धूम्रपान जारी रखने वालों को मृत्यु का अधिक खतरा होता है।

अमरीका में जो पड़ताल की गई है, उनमें पता चलता है कि जिन लोगों को साम की नली में कैंसर हुआ, उनमें धूम्रपान करने वालों की मर्यादा अधिक थी।

### नये दन्त चिकित्सालय

केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय ने अब तक इस योजना काल में विभिन्न राज्यों के जिला अस्पतालों में १०७ दन्त चिकित्सा विभाग खोलने के लिए अनुदान दिया है। इनमें से ५८ अब तक खोल चुके हैं।

विभिन्न राज्यों में स्वीकृत और खोले दन्त चिकित्सा विभागों का

प्रकार हैं। आंध्र प्रदेश—स्वास्थ्य १८, कृषि १०, अनाम—३, ०; बिहार—१२, ४; जम्मू और कश्मीर—७, ७, केरल—७, ४, मैसूर—३, ३, मध्य प्रदेश—५, २; मद्रास—१०, ७, उड़ीसा—८, ०, पंजाब—७, ७, राजस्थान—१२, १०, उत्तर प्रदेश—८, ८ और पश्चिम बंगाल—११, ०।

१९५६-५९ में राज्य सरकारों को दन्त चिकित्सालय खोलने के लिए ५,६०,३९१ रुपये का अनुदान दिया गया।

दूसरी योजना की अवधि में सारे देश के जिला अस्पतालों में ३५० दन्त चिकित्सा विभाग खोलने का योजना है। नये दन्त चिकित्सा विभाग खोलने का खर्च केन्द्र और राज्यों की सरकारें मिल कर उठानी है।

### मार्च १९६० में स्वास्थ्य की स्थिति

मार्च २६, १९६० तक मिली प्रारम्भिक सूचनाओं के अनुसार १९ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले सप्ताह में सैलेम जिले में ५ व्यक्तियों को ताऊन (प्लेग) हुआ, जिनमें २ की मृत्यु हो गई। देश के कुछ जिलों में चैचक और हैजा होने के समाचार मिले हैं। हैजा आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में और पं० बंगाल के मिदनापुर जिले तथा कलकत्ता शहर में कुछ लोगों को हैजा हुआ। मार्च के दूसरे सप्ताह में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले और पं० बंगाल के बर्दवान जिले में भी हैजा होने के समाचार मिले।

चैचक आंध्र प्रदेश के विंगालापत्तनम्, पं० गोदावरी, कृष्णा, नैल्लूर, अनन्तपुर, चित्तूर जिलों में; आसाम के नीगाम जिले में; बम्बई के बृहद् बम्बई और वर्धा जिले में; मैसूर के कोलार, बेलगाव, बीजापुर, चिकमागलूर, बेल्लारी, पारवाड और दक्षिण कनाडा जिलों में; मद्रास के दक्षिण अरकाट, तिरुचिरापल्ली, तंजीर, रामनाथपुरम्, उत्तर अरकाट, कोयमटूर जिलों और मद्रास शहर में; उत्तर प्रदेश के आगरा, इलाहाबाद, बिजनौर, बल्लभगढ़, फर्रुखाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और मुजफ्फरनगर जिलों में; पं० बंगाल के बर्दवान और मिदनापुर जिलों में और पाँचवीं में कुछ लोगों को चैचक हुई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर, बम्बई के अमरावती;

उड़ीसा के धानकनाल, केरापुट और मयूरभंज; मैसूर के बित्तलदुग और रामपुर; राजस्थान के नागौर और उत्तर प्रदेश के मथुरा और फतेहपुर जिलों में भी चैचक की छूट-पुट गूचनाएँ मिली हैं।

ब्यामनूर जंगल रोग १२ मार्च, १९६० को गमात होने वाले पलवाड़े में मैसूर राज्य के निमोगा जिले में १७ व्यक्तियों को यह रोग हुआ जबकि पिछले पलवाड़े में १५ आदिमियों को यह रोग हुआ था।

गैट्रोएन्ट्राइटिस १२ मार्च, १९६० को ममात होने वाले पलवाड़े में उत्तर प्रदेश में ९८ व्यक्तियों को यह रोग हुआ, जिनमें ६ की मृत्यु हो गई; जबकि २७ फरवरी, १९६० को समाप्त होने वाले पलवाड़े में ४३ व्यक्तियों को यह रोग हुआ और १ की मृत्यु हुई।

दूधपत्ररुजा आसाम, बम्बई और पश्चिम बंगाल में यह रोग होने की छूटपुट गूचनाएँ मिली हैं।

### पं० बंगाल के विस्थापितों को डाक्टरों सहायता

भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के विस्थापितों के लिए जो निर्धारित स्थापित किए हैं उनमें अस्पताल, औपचारिक तथा सेवा-गाइडों और डाक्टरों कर्मचारियों पर अब तक १ करोड़ ११ लाख ४० हजार हो चुका है। बीमारों की विशेष प्रकार का भोजन मिलने की सुविधा के लिए विशेष भत्ता दिया जाता

है। शय-रोग के बीमारों के लिए ६०० पलक विभिन्न अस्पतालों में सुरक्षित किए गए हैं। दूध पर मरकुर को ७१ लाख ४० हजार करने पड़े हैं। जो बीमार अस्पतालों में भर्ती होने की प्रतीक्षा में रहते हैं उन्हें और उनके आर्थिकों को मासिक भत्ता दिया जाता है। इस प्रकार अभी तक ५७ लाख ४० दिए जा चुके हैं।

यह गूचना केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय द्वारा हाल में ही प्रकाशित एक पुस्तिका में दी गई है, जिसमें पं० बंगाल के विस्थापितों को दी गई डाक्टरों महापता पर रज वी विवरण दिया गया है।

पुस्तिका में यह भी बताया गया है कि सरकार द्वारा किए गए उपायों की सफलता इसी से प्रकट होती है कि विस्थापितों के स्वास्थ्य में बहुत सुधार हुआ है और उनमें मृत्यु संख्या प्रकट हजार ८ में अधिक नहीं है, जो कि भारत की रोज आबादी की मृत्यु संख्या के प्रायः बराबर ही है।

### तपेदिक की नयी दवा

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री, श्री करमचन्द ने २१ अप्रैल को लोकसभा में बताया कि पटेल चेंबर इन्स्टीट्यूट ने जो तपेदिक की नयी दवा निकाली है, अभी तक उसका कोई नाम नहीं रखा गया है। यह दवा किसी आधुनिक दवा से नहीं बल्कि मिट्टी की फफूंद से तैयार की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि यह दवा अभी तक किसी मरीज पर आजमाई नहीं गई है।



### आसाम में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों का पुनर्वास

केन्द्रीय पुनर्वासन मंत्रालय ने आसाम सरकार के परामर्श से राज्य में रहने वाले उन विस्थापितों को, जो अभी बनाए नहीं जा सके हैं, इन वर्ष, बसाने का निश्चय किया है।

आसाम में पूर्वी पाकिस्तान से आए ४ लाख ८७ हजार विस्थापित हैं।

आसाम सरकार ने विस्थापितों को फिर से बसाने की कठिनाइयों के बारे में जो पड़ताल की है, उससे पता चला है कि विस्थापितों को ब्यापार, खेती या मकान बनाने के लिए ऋण देने की समस्या प्रमुख है।

३५ लाख ४० का ऋण

इस काम के लिए केन्द्रीय पुनर्वासन मंत्रालय ने आसाम सरकार को ३५ लाख ४० दिया है। इस रकम में शहरों में मकान बनाने के लिए २२ लाख ४०, शहरों में ब्यापार के

लिए ३ लाख ६०, गाबो में छोटे धर्यों के लिए २ लाख ६०, गाबो में मकान बनाने के लिए २ लाख ६० रखा गया है।

राज्य सरकार विस्थापितों को ऋण देने के बाद इन्हें फिर से बनाने के विभिन्न बायों को सम्बन्धित म्यालो विभागों को गौर देगी।

आगमन सरकार राज्य में बसे हुए विस्थापितों को आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उद्योग खोलने की योजनाओं पर भी विचार कर रही है।

## विस्थापितों के प्रशिक्षण पर ७१ करोड़ ६० लाख

पूर्वी पाकिस्तान में आए हुए जो विस्थापित पश्चिमी बंगाल में बसे हैं, उनके लिए नौकरी और काम प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने अब तक ७१ करोड़ में अधिक रुपये खर्च किए हैं। केन्द्रीय सरकार के पुनर्वास मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका में इस खर्च का विवरण दिया गया है। इस खर्च में वे विस्थापितों को प्रारम्भिक शिक्षा देने, छोटे और मध्यम श्रेणी के कुटीरे उद्योग स्थापित करने तथा मरकारी मस्याण और शिक्षण तथा उत्पादन के मयुक्त केन्द्र स्थापित करने पर धन खर्च किया गया है।

पुस्तिका में बताया गया है कि अभी तक ३८ हजार में अधिक विस्थापितों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और २,३०० में अधिक द्रुम समय विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। २ करोड़ ८९ लाख ६० मध्यम श्रेणी के उद्योग-धर्यों को दिए गए हैं, जिनमें ३,८०० में अधिक विस्थापितों को काम मिला है। १,३०,००,००० र० में अधिक पश्चिमी बंगाल के राज्य परिवहन विभाग को दिए गए हैं, जिनमें ३,५०० से अधिक विस्थापितों को काम मिला है।

प्रशिक्षण तथा उत्पादन के मयुक्त केन्द्र विस्थापितों के कर्मियों और अन्य केन्द्रों में स्थापित किए गए हैं। इन पर १११ लाख से अधिक खर्च खर्च हुए हैं और १,८०० में अधिक लोगों को काम मिला है।

ऐसे नगरों में और अन्य स्थानों में जहाँ विस्थापित अधिक संख्या में रहते हैं, गैर-सरकारी उद्योगों को विशेष सुविधाएँ दी गई

है, जिनमें वहाँ ऐसे उद्योग-धर्य स्थापित हो सके, जिनमें विस्थापित लोग काम करके आजीविका प्राप्त कर सके।

## कम प्राय वालों के लिए मकान बनवाने की योजना

भारत सरकार ने विश्वविद्यालयों और गैर-सरकारी शिक्षा मस्याणों को भी कम आय वालों के लिए मकान बनवाने की योजना के अन्तर्गत कर्ज देने का निर्णय किया है। इस योजना के अनुसार ६ हजार ६० तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तिओं और उनकी मृत्युपर गमिनियों को मकान बनाने के लिए ऋण दिया जाता है।

यह योजना १९५४ में शुरू की गई थी। तब वे लेकर दिसम्बर १९५९ के अंत तक ३८,८३० मकान बनाने की अनुमति दी गई और इसमें से ४५,८८८ मकान बन चुके हैं। दिसम्बर १९५९ के अंत में १५,८७० मकान बन रहे थे। इस अवधि में ४,९७४ एकड़ जमीन भी गई और इसमें में २,८३२ एकड़ जमीन मकान बनाने योग्य बनाई गई। दूसरी योजना में इस काम के लिए ३५ करोड़ ६० लाख ६० रखा गया है। आगम है योजना के अंत तक राज्य, इसमें में ३५ करोड़ १४ लाख ६०, यानी ९९१ प्रतिशत ले लेंगे।

दूसरी योजना के अंतर्गत जमीन के मूल्य महित मकान की लागत का ८० प्रतिशत और अधिक में अधिक ८,००० रु० प्रति मकान के हिसाब में कर्ज दिया जाता है। राज्य सरकार को जमीन को मकानों के लायक बनाने के लिए भी थोड़ी अवधि के लिए ऋण दिया जाता है।

## दूसरी योजना में पिछड़ी जातियों की कल्याण योजनाएँ

दूसरी योजना के अंत तक, पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए ९१ करोड़ ६० की निर्धारित रकम से प्रयाय ९० प्रतिशत रकम खर्च हो जाये।

हाल साल में इस कार्य के लिए २६ करोड़ ९३ लाख ६० की व्यवस्था की गई है। दूसरी योजना के पहले तीन सालों में (१९५६-१९५९) केन्द्रशासित क्षेत्रों और राज्यों

३३ करोड़ ९ लाख ६० व्यय हुआ जो ३७ प्रतिशत था।

केन्द्रीय सरकार ने कमियों को दूर करने के लिए कई उपाय किए हैं। अब प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शुरू होने से पहले ही वार्षिक योजना बना ली जाती है। राज्यों को अधिकार है कि केन्द्र की औपचारिक स्वीकृति मिलने के पहले कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए वे कदम उठा सकते हैं।

केन्द्रीय सहायता का तीन-चौपाई भाग ९ किस्तों में राज्य सरकारों को अग्रिम के रूप में दिया जाता है। राज्य की सरकारें हर तीन महीने में खर्च का ब्योरा देती हैं।

इसमें राज्य सरकारों शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान और आर्थिक उत्थान के कार्यक्रमों के खर्च को बिना केन्द्रीय सरकार की अनुमति के पटा-बटा सकते हैं। वे किसी कार्यक्रम की निर्धारित रकम का २५ प्रतिशत दूसरे कार्यक्रम में लगा सकती हैं। परन्तु योजना के मूल कार्यक्रमों की प्राथमिकता में कोई हेर-फेर नहीं होना चाहिए।

## राज्यों में नशाबन्दी की कार्रवाई

भारत के प्राय सब राज्यों में क्रमशः नशाबन्दी की जा रही है। कुछ क्षेत्रों में तो पूरी तरह नशाबन्दी लागू भी हो चुकी है।

नशाबन्दी की समस्या कई तरीकों से हल की जा रही है। धीरे-धीरे सप्ताह में अधिक दिन नशाबन्दी की जाएगी, शराब में अधिक पानी मिलाया जाएगा और शराब की दुकानें बस्तियों में हटा कर दूर भेजी जाएगी। कुछ राज्यों में जलयानगृहों आदि में शराब बंद कर दी गई है और बाकी में भी बन्द कर दी जाएगी। मद्रास आदि राज्यों में जहाँ पूरी नशाबन्दी है, कानून को और कठोर बनाया जा रहा है।

पुराने हंदराबाद राज्य में ताड़ी और शराब की दुकानों को आबादी से बाहर भेजना का निर्णय किया गया है। आसाम में नशाबन्दी कानून दक्षिण कामरूप में भी लागू कर दिया गया है। कुछ चाय बगीचों के क्षेत्रों में ३० यू. पी. की शराब बेचने की मनाही कर दी गई है।

बिहार में एक नशाबन्दी मंडल बनाया गया है, जो मद्यनिर्षेध सम्बन्धी सरकारों

पर समय-समय पर विचार करता हूँ। मैंसूर ने शराब को दुकानों की फींग वटा दी है, नगावदी वाले इलाकों में शराब की दुकानें १-१ मील दूर हटा दी हैं और शराब का विनापन करना दंडनीय घोषित कर दिया है।

पंजाब में विद्यार्थियों और २५ वर्ष से कम अवस्था वाले नव व्यक्तियों को सरकार की इजाजत के बगैर शराब नहीं बेची जा सकती। इसी प्रकार और कई प्रकार की पाबंदिया लगाई गई हैं।

राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों को आदिम दिया है कि उन्हें शराब से दूर रह कर जनता के मामले उदाहरण कायम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में राज्य भर में गार्ज की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। इसी प्रकार वहा २९,३९८ वर्ग मील के नगावदी वाले क्षेत्र में अफीम की भूमि नहीं बेची जा सकती।

कल-कारखानों के कर्मचारियों को नये से दूर रखने के लिए पश्चिम बंगाल ने उद्योग क्षेत्रों में सप्ताह में एक दिन शराब की बिक्री बंद कर दी है और अन्य दिन भी शराब बेचने के पट्टे कम कर दिए हैं।

दिल्ली में शराबों के विनापन छापने और प्रकाशित करने पर पाबंदी है। यहा २५ वर्ष से कम अवस्था के व्यक्तियों को शराब नहीं बेची जा सकती। इसी शराब की दुकानें घंटा कर ७ से २ कर दी गई हैं। इन दुकानों के साथ चलने वाले द्राबे बंद कर दिए गए हैं, लाइसेंस और बेंधी जाने वाली शराब की मात्रा कम कर दी गई है। बलबों को लाइसेंस दिए गए ह और बलबों के सदस्यों को ही विलायती शराब बेची जा सकती है। नगावदी मण्डाल में १ की बजाय २ दिन लागू कर दी गई हैं। राष्ट्रीय और धार्मिक त्योहारों को भी शराब की दुकानें बंद रहती हैं। विदेशी शराब की बोतलें और बीयर की ८ बोतलें से अधिक पास रखना अपराध है।

हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में पूरी तरह नगावदी है। अन्य क्षेत्रों में देशी शराब की दुकानें घंटा दी गई हैं। अहमदनगर-निर्कोवार में सप्ताह में ५ दिन शराब की दुकानें बंद रहती हैं। विदेशी शराब का आयात बहा बंद है और चाड़ी की दुकानें भी बंद कर दी गई हैं।

भारतीय समाचार

## दूसरी योजना में नये मकान

दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश में ५ लाख से भी ज्यादा मकान बन कर तैयार हों जाएंगे जिन पर कुल १,००० करोड़ १० लक्ष होगा। इनमें से लगभग ५०० करोड़ ४० मरतारी क्षेत्र में बन होंगा। तीसरी योजना में मकान बनाने पर १,५०० करोड़ ४० लक्ष करने का विचार है।

यह सूचना लोकसभा में निर्माण, आवास और पूति मंत्री श्री क्यामम्बल्की नेंगलराया रेड्डी ने अपने मन्त्रालय की अनुदान मार्गों की बहन के उत्तर में दी।

## दण्डकारण्य में भूमि सुधार

दण्डकारण्य में भूमि सुधार का काम और तेजी से करने के लिए केन्द्रीय पुनर्संस्थापन मन्त्रालय नयी तरह के कुछ ट्रैक्टर विदेशों से मंगा रहा है। इन ट्रैक्टरों की खरीद के लिए १ करोड़ ३० लाख ४० की व्यवस्था की गई है। इन रूपयों से पूरे साज-सामान सहित ४५ ट्रैक्टर खरीदे जाएंगे।

इस राशि में से ९५ लाख ४० को मशीनें और ट्रैक्टर अमरिका से खरीदे जाएंगे।

केन्द्रीय पुनर्संस्थापन मन्त्रालय पूरे साज-सामान से युक्त ७५ कोमास्तु ट्रैक्टर आयुध कारखानों के महानिदेशक के द्वारा खरीदने की व्यवस्था कर रहा है।

इस समय केन्द्रीय ट्रैक्टर सगठन में लिये गए ४५ ट्रैक्टर उमेरकोट क्षेत्र में जंगलों को मफाई का काम कर रहे हैं। २८ कोमास्तु ट्रैक्टर पारलकोट क्षेत्र में लगे हुए हैं।

यदि ये सभी ट्रैक्टर समय पर आ गए, तो अगली फसल के अन्त तक दण्डकारण्य की ७० हजार एकड़ भूमि सुधार दी जाएगी।

अब तक उमेरकोट क्षेत्र में ६ हजार एकड़ भूमि पूरी तरह खेती योग्य बनाई जा चुकी है। पारलकोट जगल में भी ७ हजार एकड़ भूमि को साफ करके खेती योग्य बनाया जा चुका है।

## मिलों, कारखानों आदि की परिवार आयोजन के लिए अनुदान

भारत सरकार ने मिलों, कारखानों, फर्मों, उद्योग मस्थानों आदि को परिवार

आयोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत हर साल १,००० १० का अनुदान देने का निश्चय किया है, ताकि वे अपने कर्मचारियों को गर्भ-निरोधक उपकरण दे सकें।


गवधित राज्य का प्रशासनिक चिस्त्रिणा अधिकारी जिन कारखानों आदि की निष्कासि करेगा, उम्हरी का यह अनुदान दिया जाएगा। उन्हे अपने कर्मचारियों और मजदूरों के लिए परिवार आयोजन केन्द्र भी खोलने पड़ेंगे। इनके लिए भारत सरकार मुफ्त साहित्य वाटेगी और प्रशिक्षण की भी सुविधाए देगी।

## गन्दी वस्त्रियों की सफाई की १२ योजनाएँ स्वीकृत

केन्द्रीय सरकार गन्दी वस्त्रियों की सफाई की १२ और योजनाओं पर विचार कर चुकी है और अब उन पर अमल किया जाएगा। इन योजनाओं के अन्तर्गत केरल, मैसूर, बम्बई, मद्रास, राजस्थान और पंजाब की गन्दी वस्त्रियों में रहने वाले १,४३१ परिवारों के लिए नये मकान बनाए जाएंगे।

ये योजनाएँ राज्य सरकारों ने मार्च १९६० में तैयार की थी। केन्द्रीय सरकार ने इन पर विचार किया और इनके अन्तर्गत बनाए जाने वाले मकानों का रहने लायक कुछ और अच्छा बनाने के मसौधनों के साथ इन्हे स्वीकार कर लिया। राज्य सरकारों को इन योजनाओं पर अमल करने के लिए कह दिया गया है। योजनाओं के अन्तर्गत ३८५ मकान बनाए जाएंगे तथा सब सुविधाओं में युक्त १,०४६ प्लॉट होंगे। इन पर कुल खर्च अनुमानत ३१ लाख ५१ हजार ४० होगा।

गन्दी वस्त्रियों की सफाई की योजना में, १९५९ में तैयार की गई थी। इसके अन्तर्गत विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र-शासित क्षेत्रों में मार्च १९६० तक ४१,२३९ मकान बनाये गये हैं। १५६ योजनाएँ स्वीकार की गई हैं। इनमें से १६,४८७ मकान या तो बन चुके हैं या जल्दी ही बन कर तैयार हो जाएंगे।



### छात्र सैनिकों में नेतृत्व के गुण पैदा करने के लिए पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल के सीनियर डिवाइजन के छात्रों के लिए १९५९ में साहसिक काम करने की शिक्षा देने के लिए विनोय पाठ्यक्रम रचें गए थे। ऐसा अनुभव हुआ है कि ये पाठ्यक्रम छात्र सैनिकों में नेतृत्व के गुण, महत्वांग की भावना, एक साथ मिल कर काम करने की प्रवृत्ति, अनुमान और स्वतंत्र रूप से सोच ही निरूप्य करने की क्षमता पैदा करने में बहुत सफल हुए। जन्मभूत भारत सरकार ने अब कुछ मर्गसंगियों के साथ ऐसे पाठ्यक्रम स्थायी रूप में आयोजित करने का निश्चय किया है।

ये पाठ्यक्रम १७ दिन के होंगे। प्रत्येक पाठ्यक्रम में एक छात्र सैनिक अधिकारी तथा ३० छात्र सैनिक भाग लेंगे। इनमें से जो राज्य या केन्द्र पाठ्यक्रम आयोजित करेंगे, उनका एक अधिकारी तथा चार छात्र सैनिक होंगे। नौच केन्द्रों में दो-दो छात्र सैनिक बुलाए जाएंगे।

नेतृत्व के गुण पैदा करने के लिए आयोजित किए जाने वाले ये पाठ्यक्रम दस वर्ष २ मई से १८ मई तक कांडीकनाला, २३ मई से ८ जून तक रानीपेत, और २३ मई से ८ जून तक ही लुमप, दिल्ली और माउंट आवू तथा २ मई से १८ मई तक दार्जिलिंग और भंगूर में होंगे। गिलाग में एक गिवर पहले ही लग चुका है।

देग भर के छात्र सैनिकों को एक स्थान पर इकट्ठा करने के उद्देश्य से पिछले वर्ष को भारत दस वर्ष भी सीनियर डिवाइजन के छात्र और छात्रा सैनिकों के कुल चार अखिल भारतीय गिवर चुने हुए केन्द्रों में लगे। धर्मगाला, मिकन्दराबाद और माउंट आवू में २५ अप्रैल से ८ मई तक गिवर लगे। गिलाग में २३ मई से गिवर लगी।

नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में को नयी दिल्ली में नौसेना मुख्य कार्यालय में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों की वार्षिक बैठक हुई। इनमें नौसैनिक

कर्मचारियों की नौकरी की स्थिति आदि के बारे में विचार-विमर्श हुआ।

नौसेनाध्यक्ष वाइस-एडमिरल आर० डी० बटारी ने बैठक को अध्यक्षता की। इसमें नौसेना के उपाध्यक्ष रीयर-एडमिरल ए० के० चटर्जी, भारतीय नौसैनिक बेटे के प्रथम आफिसर कमांडिंग रीयर-एडमिरल बी० एम० गोमंत और भारतीय नौसेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा नौसेना मुख्य कार्यालय के प्रमुख स्टाफ अधिकारियों ने भाग लिया। रीयर एडमिरल ए० चक्रवर्ती भी इस बैठक में आमंत्रित थे।

पिछले साल वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में जो निर्णय लिए गए थे, उनकी भी इस बैठक में ममीक्षा की गई।

### पंचमढी का सैनिक संगीत स्कूल

सेना के बंडा की भारतीय धुने केवल देश में ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध की जाने लगी है। अमरीका, पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, अफगानिस्तान, वियतनाम गणराज्य, चीन, जापान, लडा और राष्ट्रमंडल के दूसरे देशों में इन धुनों के बारे में जानकारी मांगी। अब तक ३५ धुनों की मांग विदेशों से आई है। उन्हें प्रकाशकों से खरीदने की अनुमति दे दी गई है।

पंचमढी के स्थल सेना निशा केन्द्र में १९५० में एक संगीत स्कूल की स्थापना की गई। इन स्कूल में पुरानी देशी फौजी धुनों का अभ्यास शुरू किया गया। रेजिमेंट के सैनिकों को बंड बजाने की शिक्षा भी दी जाती है। पिछले दसक में भारतीय धुनों के अनुभवान और उनकी रचना के कार्य पर जोर दिया गया। स्कूल में स्थल सेना के सैनिकों के अलावा नौसेना, वायुसेना और पुलिस के बंड वालों को शिक्षा दी जाती है। बंड मास्टर के सिलेक्शना कोर्से ३ साल का और रेजिमेंट के सैनिकों का कोर्से ११ महीने का है। डील, बिगुल, तुर्डी, बागुरी बजाने वालों को २२ हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती है।

'आई. एन. एस. तलवार' नौसेना को प्राप्त पन्द्रहवीं नामक जहाज 'आई. एन. एस. तलवार' २९ अप्रैल को बर्कनहेड (ब्रिटेन) में भारतीय नौसेना को मीप दिया गया। भारतीय कमीशनर बी० के० डाग डम नये जहाज की बमाल मुकामले में।

'आई एन. एम. तलवार' इस तरह भारतीय नौसेना को मिलने वाला दूसरा जहाज है। इसमें पहले जूआई १९५८ में नौसेना ने 'आई एन. एम. त्रिगूल' को लिया है।

परीक्षणों के बाद डम जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा।

दिल्ली छावनी में कल्याण केन्द्र दिल्ली और राजस्थान क्षेत्र के जी० ओ० मी० भंजर जनरल विक्रमसिंह ने ४ मई को दिल्ली छावनी में परिवार कल्याण केन्द्र का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। यह केन्द्र जूनियर कमीसंड आफिसरों और अन्य सैनिकों के परिवारों की भलाई के लिए है, जो पहले से ही चलाए हैं। इस केन्द्र में सूचना-कला, कचनों के मनोरंजन का कक्ष और सिवाई का कक्ष है। यहा मिलाई, दस्तकारी और पडाई-लिखाई की कक्षाएँ लगती हैं और सैनिकों के बच्चों को मुक्त दूध भी दिया जाता है।

### सेना का फालतू सामान

पिछले साल शिल्पिक दल ने सेना के ऐसे सामान को पडताल की जो आमतौर पर वार्षिक जाच के समय फालतू घोषित कर दिया जाता है और जिसको सूचना सफाई और डिस्पोजल के महानिदेशक को भेज दो जाता है।

दल ने स्टोर की जाच यह पता लगाने के लिए की कि इसमें से कितना सामान थोड़ी मरम्मत या रद्दोबदल के बाद या उसी रूप में काम में लाया जा सकता है। शिल्पिक दल ने इसमें से २८ करोड़ ६० के सामान को फिर से दस्तेबाद करने की सिफारिश की है।

१ अप्रैल, १९५९ को लगभग ३ करोड़ ६० का सामान डिस्पोजल के लिए था जो उसी की सूचना सफाई और डिस्पोजल के दो गई।

पड़ताल दल में तीनों सेनाओं के प्रतिनिधि, आई.टी.ए. की फौजरी के महानिदेशक, प्रतिरक्षा उद्घाटन, हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट और भारत एंजिनियरिंग के महानिदेशक थे।

### सुनिया-पुलिस के अफसरों की प्रशिक्षण

सुनिया विभाग के पुलिस अफसरों के कश्कता के ट्रेनिंग स्कूज में प्रशिक्षण की अवधि १५ दिन और बढ़ा दी गई है। अब तक यहाँ पर ३ महीने की ट्रेनिंग होती थी। अफसरों को अपने काम का व्यावहारिक ज्ञान कराने की दृष्टि से ट्रेनिंग का समय बढ़ाया गया है।

स्कूज में ३०-३० अफसरों की टॉलियों को ट्रेनिंग दी जाती है। कम से कम ५ साल के अनुभव वाले अफसरों को राज्य सरकारें ट्रेनिंग के लिए भेजती हैं। ट्रेनिंग का लक्ष्य भी राज्य सरकारें ही देखी है।

यहाँ ट्रेनिंग देने का यह उद्देश्य है कि सुकिया विभाग के अफसर मामलों को छानबीन में आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल कर सकें और अन्य अफसरों को ट्रेनिंग देने में मदद कर सकें।

पिछले साल राज्यों के लगभग ९० पुलिस अफसरों को इस स्कूल में ट्रेनिंग दी गई।

### रेलों की प्रादेशिक सेना के सुव-कमांडरों की बैठक

१० मई को नयी दिल्ली में रेलों की प्रादेशिक सेना की टुकड़ियों के सुव कमांडरों को बैठक आरम्भ हुई। बैठक का उद्घाटन रेल उपमन्त्री, श्री शाहनवाज खां ने किया। बैठक में प्रतिरक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे और इनमें प्रादेशिक सेना में रेल कर्मचारियों की भर्तियाँ, सेना के सिविलों के दिनों में उनकी कुछ कामों से छुट्टी और १९६०-६१ के शिक्षण कार्यक्रम पर विचार किया गया।

श्री शाहनवाज खां ने अपने भाषण में कहा कि प्रादेशिक सेना की रेल-टुकड़ियों को किसी भी सतह के समय बहुत काम करना होगा, क्योंकि ऐसे समय उन्हीं पर रेलों के चलाने की जिम्मेवारी होगी। रेल मण्डल और प्रशासन अपने कर्मचारियों को प्रादेशिक सेना में काम करने को पूरी सुविधाएँ देगे।

### दिल्ली की शाखा

दिल्ली के गृहसूचक संगठन में ४०-४० लड़कियों को दो दल भी काम कर रहे हैं। इन्हें इन्द्रप्रस्थ कॉलेज और तीसहवारी में प्राथमिक शिक्षा, कयापद, धायकाँ और रोगियों को ले जाने और आग बुझाने की मामूली निगाही जा रही है। गलट के समय मित्रों को समझे वहाँ काम करना होगा—गचार-मापनों की गमालने का। इनके लिए ४० लड़कियों की टेकोफोन और अन्य संचार-मापनों से काम लेना सिखाया जा रहा है। इन्हें मोटर चलाना भी सिखाया जाएगा। मई के अंत में दिल्ली में १० दिन का एक गिविर लगेगा, जिनमें समाज कल्याण और सार्वजनिक सेवाओं आदि के भिन्न-भिन्न कामों में दल के सदस्यों को परिचित कराया जाएगा।

दिल्ली में गृहसूचक संगठन पिछले साल जून में स्थापित हुआ था। इसके लिए बम्बई के १९४७ के होम गार्ड अधिनियम को दिल्ली में लागू किया गया और चीफ कमिश्नर को यहाँ भी संगठन स्थापित करने का अधिकार दिया गया। गृहसूचक दल के सदस्य आवश्यकता पड़ने पर लोगों की जान-माल की रक्षा करते हैं।



## राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति

राष्ट्रपति ने निम्नलिखित राज्य विधेयकों पर अपनी स्वीकृति दे दी है :—  
राजस्थान का भंडार (मंशोधन) विधेयक, १९५६

इस कानून का उद्देश्य राजस्थान में केन्द्र और राज्य के भंडार नियमों द्वारा जमा कराए हुए माल पर दण्डा उपाय देने पर पाबन्दी लगाना है। वास्तव में भंडारों का यह मूल सिद्धांत है कि इन्हें दण्डा कर्ज नहीं देना चाहिए।

संयुक्त तमोरा सुल्क अधिनियम, वन्यक भंडार अधिनियम और केन्द्रीय उल्घादन तथा

नमक अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस पाने वाले भंडारों पर यह कानून लागू नहीं होगा।

### दिल्ली के गृहसूचक संगठन में लड़कियों की शाखा


दिल्ली के गृहसूचक (होमगार्ड) संगठन में लड़कों और लड़कियों के लिए एक अलग शाखा खड़ी की गई है, जिसका नाम 'जूनिपर गार्ड्स' है। इसके सदस्यों को कयापद, आग बुझाना आदि सिखाया जाता है। इनके लिए एक हवाई राइफल क्लब खोला जा रहा है और इन्हें बेतार तथा लकड़ी के काम की शिक्षा देने की व्यवस्था की जा रही है। विमानों की जानकारी के लिए इन्हें व्याख्यान सुनवाए जायेगे।

### केरल उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश

न्यायमूर्ति श्री पी० गोविन्द मेनन को केरल उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। श्री मेनन इस समय केरल उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। नये पद का कार्य-भार संभालने के दिन से वे उस पद पर नियुक्त समझे जाएंगे।

### गुजरात के मुख्य न्यायाधीश

स्वराष्ट्र मंत्रालय की १ मई को एक विज्ञापित में सूचना दी गई है कि राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति श्री मुन्दरलाल त्रिकमलाल देसाई को १ मई से गुजरात हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है।



यह प्रदर्शनी ४ मई से न्यूयार्क में शुरू हुई है। इसमें भारत ने दस्तकारी, हथकरघे के कपड़े, इकोनियरोका हल का सामान, कच्चा सामान आदि रखा है।

**अन्तर्राष्ट्रीय धर्म संगठन की पैट्रोलियम समिति की बैठक**

जिनेवा में २५ अप्रैल से ६ मई, १९६० तक अन्तर्राष्ट्रीय धर्म संगठन की पैट्रोलियम समिति का ७५५ अधिवेशन हुआ। अरिबेगान में पैट्रोलियम उद्योग के मालिकों और बर्मा-चारियों के मंत्रियों पर विचार किया गया।

इस अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय मिष्टमण्डल के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं -

मरकारी प्रतिनिधि जिनेवा में भारत के महावाणिज्य दूत के श्रम मन्त्रालय, डॉ० एम० टी० मेराठी और लंदन में भारत के उच्चायुक्त के प्रथम सचिव (वाणिज्य), श्री डॉ० एम० जैसरीकर।

मालियों के प्रतिनिधि बर्मा की बर्मा पीपल्स आउटरीच एंड डिस्ट्रिब्यूटिंग कम्पनी आफ इंडिया लि० के उद्योग मन्त्र के सनेजर श्री आर० बी० मेवरा और बर्मा की स्टेट्स बैरनूम आउल कम्पनी के महायुक्त बर्माचारियों मन्त्र के सनेजर श्री बी० एम० नित्तयानी।

मजदूरों के प्रतिनिधि: बर्मा की बर्मा पीपल्स आउटरीच बर्मा के युनियन के महासचिव श्री एन० टी० मूल, और जर्मा दिल्पो की अ० भा० पैट्रोलियम मजदूर फंडेशन के उपाध्यक्ष श्री टी० गो० एन० मेनन, मगद सदस्य।

बर्मा के कालंटंग (दंडिया) लि० के मजदूर मन्त्र के सनेजर श्री टी० बी० लालवानी मालिकों के प्रतिनिधियों के साथ मन्त्रालय के रूप में जाएंगे।

**अमरीकी उपराष्ट्रपति को भारतीय भेंट न्यूयार्क में भारत के वाणिज्य दूत, श्री गोपाल मेनन ने ४ मई को अमरीका के उपराष्ट्रपति श्री रिचर्ड निक्सन को निकल की बल्ले की हुई एक मुगहो भेंट की। इस पर प्रचीन भारतीय परम्परागुमार विभिन्न चित्र आदि बने हुए थे। यह भेंट अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के भारतीय मण्डल में दी गयी।**

**भारत अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का सदस्य**

केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मंत्रों, श्री हुमानु कवार ने २० अप्रैल को राज्यसभा में बताया कि भारत अब अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का स्थायी सदस्य होगा।

देश में हुए अंतरिक्ष सम्बन्धी अनुसंधान के बारे में बताते हुए श्री कवार ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकी वर्ष में नैवताल की वेरगाला में कृत्रिम उपग्रहों की कक्षा को अंकित करने का कामरा लगाया गया। यह कामरा अमरीका के स्मिथ सोनियल इन्स्टिट्यूट के सहयोग में लगाया गया है।

मन्त्री महोदय ने बताया कि देश के कुछ वैज्ञानिक और शिक्षक संगठन उपग्रहों से भेजे जाने वाले संकेतों को सुनने हैं। इसके अलावा कई साल से ट्रासमीटरों की सहायता से वायुमंडल के ऊपरी भाग और अंतरिक्ष का अध्ययन किया जा रहा है।

**इन पत्रिकाओं को अपने वाचनालय में सम्मिलित कीजिए**

**आजकल :** इस लोकप्रिय मन्त्रिण मासिक पत्र में भारत भर के प्रसिद्ध साहित्यकारों के विचारपूर्ण लेखों, कविताओं तथा कहानियों के अतिरिक्त कला, संस्कृति व अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर प्रामाणिक लेख पढ़िए।

वार्षिक शुल्क ६०० रुपये।

**वाल-भारती :** नन्दे-मुन्नों की सचित्र मासिक पत्रिका, जिसमें सरल भाषा में मनोरंजक कहानियाँ, शिक्षाप्रद कविताएँ, उपयोगी लेख और रेखाचित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। वार्षिक शुल्क ४०० रुपये।

**योजना :** सब क्षेत्रों में हुई प्रगति का आलोचनात्मक मूल्य आंकने वाला, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पथ-प्रदर्शक हिन्दी और अंग्रेजी में एक साथ छपने वाला पाक्षिक पत्र। वार्षिक शुल्क २५० रुपये।

**कुरुक्षेत्र :** सचित्र मासिक पत्र, जिसमें देश के सामुदायिक विकास कार्यक्रम सम्बन्धी समाचार तथा लेख प्रकाशित होते हैं। वार्षिक शुल्क २५० रुपये।

विक्री बढ़ाने के लिए इन पत्रिकाओं में विज्ञापन दीजिए

**प्रकाशन विभाग**

पो. बा. नं० २०११, थ्रोल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली-८



# स मा चार - दर्शन

१ मई से १५ मई तक

मई

- १—बम्बई पुनर्गठन विधेयक के अन्तर्गत दो नये राज्यों, महाराष्ट्र और गुजरात, का जन्म
- २—नयी दिल्ली में हुए एक ममारोह में उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन १९५९ की श्रेष्ठ फिल्मों पर राजकीय पुरस्कार वितरित किए  
—संसद की सांजनिक लेखा समिति का पुनर्गठन
- ३—भारत सरकार द्वारा अखिल भारत प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के पुनर्गठन की घोषणा
- ४—वार्शिंगटन में भारत और अमरीका की सरकारों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर, जिसके अन्तर्गत अमरीका भारत को आगामी ४ वर्षों की अवधि में १ करोड़ ६० लाख मीट्रिक टन गेहूँ और १० लाख मीट्रिक टन चावल बेचेगा  
—नयी दिल्ली में भारतीय गन्ना समिति की दो दिन की बैठक आरम्भ
- ७—नयी दिल्ली में भारत और पोलैण्ड की सरकारों के बीच भारत को पोलैण्ड से १४ ३ करोड़ रुपये के मिलने वाले ऋण के उपयोग के सम्बन्ध में एक समझौते पर हस्ताक्षर

मई

- राजस्थान में बासवाडा के निकट माही बहुद्रीय योजना के जमनालाल बजाज मागर बाघ का केन्द्रीय वित्त मंत्री, श्री मोरार जी देसाई द्वारा शिलान्यास
- ९—दुर्गापुर इस्पात कारखाने की स्टील रोलिंग मिल का पहला यूनिट चालू  
—भारतीय एक्सेस्ट अभियान दल द्वारा दक्षिण कोल पर २६,००० फुट की ऊँचाई पर छटा कॉम्प बनाया गया
- १०—केन्द्रीय इस्पात, खान और ईंधन मंत्री, मरदार स्वरनामह की अध्यक्षता में नयी दिल्ली में भारतीय कोयला परिषद की बैठक आरम्भ
- १२—भारत सरकार द्वारा एक टेक्नीकल कमेटी इस बात का अध्ययन करने के लिए नियुक्त कि कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले प्रावीडेंट फण्ड की दर में वृद्धि का भार कौन-कौन से उद्योग उठाने में असमर्थ हैं
- १४—गुजरात में खम्भात में लगभग १०० मील दक्षिण की ओर अकलेखर में तेल की प्राप्ति हुई।




प्रदेशिक सेना के पुप कुमारदत्त की बैठक के उत्पादन के अयसर मई को नयी दिल्ली में रेल उपमन्त्री, श्री शाहनवाज खां



के विदेन ध्यापार मन्त्री, डा० डब्ल्यू ट्रेविंगमस्की (बायें) नयी दिल्ली मई की उपराष्ट्रपति, डा० राधाकृष्णन के साथ



अरब गणराज्य सरकार के समान कल्याण और धम विभाग के डा०



राजस्थान में सिंचाई और बिजली निर्माण के लिए माही नदी याके बांध का शिलान्यास करते हुए केन्द्रीय वित्त मन्त्री, श्री मोरारजी



राजकुल, परमश्रेष्ठ श्री



लन्दन में राष्ट्रमण्डल प्रधान मन्त्री सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हुए भारतीय प्रधान मन्त्री, श्री जवाहरलाल नेहरू अपना पुराना स्कूल हैरी, जहां वे १९०५ से १९०७ तक पढ़ थे, भी देखने गए। स्कूल के छात्र प्रधान मन्त्री का अभिवादन करते हुए

२ मई को लन्दन के इण्डिया हाउस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधान मन्त्री, श्री जवाहरलाल नेहरू प्रश्नों का उत्तर देते हुए



# भायलीया समाचार



Handwritten signature or initials

वर्ष ३

१५ मई, १९६० (२५ वंशाख, १८८२)

अङ्क ५



17/5



फिलीपीन्स के उपराष्ट्रपति परमश्रेष्ठ श्री दायसदादो मेकपगल और श्रीमती मेकपगल २९ अप्रैल को नयी दिल्ली में उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन के साथ



प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू नयी दिल्ली में २७ अप्रैल को यूगोस्लाविया के परराष्ट्र मंत्री परमश्रेष्ठ श्री कोका पोपोविक के साथ



नयी दिल्ली में हुई भारत-पाक सूचना सलाहकार समिति की बैठक का एक चित्र—भारतीय शिष्टमण्डल के नेता सूचना और प्रसारण मंत्री डा० बालकृष्ण केसकर और पाकिस्तानी शिष्टमण्डल के नेता वहा के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और सूचना मंत्री श्री जल्फिकार अली भुट्टो (बायें से तीसरे) बैठक में भाग लेते हुए

# भारतीय समाचार

वर्ष ३

१५ मई, १९६०  
२५ बंगाल, १८८२

पृष्ठ ८

एक प्रति ४० ०.२५ १ तिथिगत १४ सेंट


मासिक मूल्य ४० ७.०० १७ नि. ६ पेंस २.५ डालर

## मुख्य विषय

संवदीय राजनारा मिति की निकारियां पर विषय ...	२५९
१९५८ में अपराधों की स्थिति ...	२६१
सरकारी व्यापार निष्कमण्डल की रिपोर्ट ...	२६७
१९५८ में मामान्य बीमा कारोबार ...	२९८
सरकार द्वारा हिन्दी परीक्षाओं को मान्यता ...	३०५
१९५९ में राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर स्वीकृति ...	२९०

**भावपूर्ण चित्र :** १६ अप्रैल को पालम हुआई प्रड्डे पर चीन के प्रधान मन्त्री परम श्वेल्ड शी चाऊ-इन लाइ, प्रधान मन्त्री नेहरू के साथ

(‘भारतीय समाचार’ में सरकारी पत्रिकाओं और घोषणाओं का संक्षिप्त रिकार्ड प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। स्थान संकोच के कारण अनेक विषयों को संक्षेप में ही दिया जाता है। ऐसे विवरणों को पूर्ण अधिकृत विवरण नहीं समझना चाहिए।)



## नेहरू-चाऊ वार्ता पर संयुक्त विज्ञप्ति

**भा**रत के प्रधान मन्त्री, श्री जवाहरलाल नेहरू के निमन्त्रण पर चीन के प्रधान मन्त्री, श्री चाऊ-इन लाइ नामा सम्बन्धी विवाद पर विचार-विमर्श करने १९ अप्रैल को भारत पवारे और २६ अप्रैल को उन्होंने भारत में प्रस्थान किया।

वातचीत के उपरान्त एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित हुई, जिसके मूल पाठ में कहा गया है —

भारतीय प्रधान मन्त्री, श्री जवाहरलाल नेहरू के आमन्त्रण पर चीन के महामान्य प्रतिनिधि, श्री चाऊ-इन लाइ १९ अप्रैल को दोना सरकारों के बीच उत्तम गौमा-दोत्र विषयक कतिपय मतभेदों पर वार्ता के लिए नयी दिल्ली आए। महामान्य श्री चाऊ-इन लाइ के साथ महामान्य उपप्रधान मन्त्री मार्शल चैन यी, महामान्य उप-परराष्ट्र मन्त्री श्री

चांग हान फू और चीन सरकार के अन्य अधिकारी भी आए थे। २६ अप्रैल के प्रातः महामान्य चीनी प्रधान मन्त्री और इनके दल के लोगों को भारत-याना समाप्त हुई। दोना प्रधान मन्त्रियों की परस्पर कई दार्ढ्य, स्पष्ट और मैत्रीपूर्ण बातें हुईं। महामान्य चीनी प्रधान मन्त्री और उपप्रधान मन्त्री ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत सरकार के अन्य कई वरिष्ठ मन्त्रियों से भी लम्बी वार्ताएं की।

गौमा समस्या पर दोनों प्रधान मन्त्रियों ने अपने दृष्टिकोण पूरी तरह समझाए। दोनों सरकारों के विचार अच्छी तरह समझे गए, किन्तु उत्तम मतभेद इससे निवृत्त न पाया। उभय प्रधान मन्त्रियों का मत था कि दोनों पक्ष के अधिकारी अपनी-अपनी सरकारों के पास की तथ्यगत सामग्रियों की परस्पर जांच करें।

इसलिए दोनों प्रधान मन्त्रियों ने स्वीकार किया कि उभय सरकारी के अधिकारी मिल कर उभय सरकारों के पास सीमागत प्रश्न पर उनकी निर्भरता के सभी ऐतिहासिक कागजपत्र, अभिलेख, लेखा, मानचित्र आदि की जांच, छानबीन ए अध्ययन कर अपनी-अपनी सरकारों को रिपोर्ट दें। इस रिपोर्ट में उन प्रश्नों की तालिका दी जाए जिन पर सहमति रही हो और जिन पर सहमति न हो सकी हो एवं जिन पर और अधिक पूर्ण रूप की जांच तथा स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

यह भी तय पाया कि अधिकारीगण जून और सितम्बर, सन् १९६० के बीच क्रमशः उभय राजधानियों में बैठक करें। पहली बैठक पीकिंग में हो और रिपोर्ट सितम्बर के अन्त तक दोनों सरकारों को मिल जाए। सामग्रियों की जब तक जांच चले तब

उभय पक्ष द्वारा इस बात का पूरा प्रयत्न किया जाए कि सीमा-क्षेत्र में झगड़ें-बतेदें न होने पाए।

दोनों प्रधान मन्त्रियों ने इस मुलाकात के अवसर का लाभ उठा कर विश्व की कतिपय अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं पर भी बातों की। दोनों प्रधान मन्त्रियों ने भाषी शिखर सम्मेलन का स्वागत किया और आशा प्रकट की कि उससे विश्व-तनाय घटना, आणविक अर्थों का उत्पादन एवं प्रयोग घटना तथा निरस्त्रीकरण का कार्य अपसर होगा।

## लोकसभा में प्रधान मन्त्री का वक्तव्य

२६ अप्रैल को प्रधान मंत्री, श्री नेहरू ने चीन के प्रधान मंत्री, श्री चाऊ-इन-लाइ से हुई बातचीत के सम्बन्ध में सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर दिए और सयुक्त विज्ञप्ति की प्रति सदन की मेज पर रखी।

प्रधान मंत्री ने कहा कि २५ की रात को सयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित होने के बाद प्रधान मंत्री, चाऊ-इन-लाइ ने सवादादाताओं से एक मेट में अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए। इसकी पूरी रिपोर्ट अभी मैंने नहीं देखी है, लेकिन जो कुछ मैंने देखा है उससे ज्ञात होता है कि उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं जो प्रायः हमारे दृष्टिकोण से मेल नहीं खाते और भारत सरकार के दृष्टिकोण से तो निश्चित ही नहीं।

प्रधान मंत्री, श्री चाऊ-इन-लाइ ने सवादादाता सम्मेलन में सीमा-विवाद के सम्बन्ध में कहा था कि मेरे विचार में दोनों पक्षों के समान दृष्टिकोण मोटे तौर पर ६ बातों में प्रकट किए जा सकते हैं। प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने उन विचारों से असहमत प्रकट करते हुए लोकसभा में उनका उल्लेख किया, जो इस प्रकार हैं—

(१) दोनों देशों में सीमा सम्बन्धी विवाद हैं।

(२) दोनों के क्षेत्र की सीमा तक दोनों देशों का प्रशासनिक नियंत्रण है।

(३) दोनों देशों की सीमा निर्धारित करते समय सीमा के सभी क्षेत्रों में कुछ भौगोलिक सिद्धान्त समान रूप से लागू होने चाहिए, जैसे—जल विभाजन रेखा, नदी घाटियाँ, पहाड़ी दर्रे आदि।

(४) सीमा का प्रश्न हल करते समय हिमाचल और काराकोरम पर्वतों के सम्बन्ध

में दोनों देशों की जयता की राष्ट्रीय भावनाओं का ध्यान रखा चाहिए।

(५) जब तक गोमा के बारे में कोई समझौता न हो जाए तब तक दोनों देशों की क्षेत्रीय दावों की बातें नहीं रखनी चाहिए और उन्हें उसी हद तक रहना चाहिए जहाँ तक उनका नियंत्रण है।

(६) गोमा पर शांति बनाए रखने और बातचीत में सहूलियत की दृष्टि से दोनों देश समस्त सीमा-क्षेत्र में गश्त न लगाए।

श्री नेहरू ने कहा कि मैं चीनी प्रधान मंत्री के 'इन विजिट रूयें से महमत नहीं,' लेकिन दो-एक बातें स्पष्ट कर देना चाहूँगा।

श्री नेहरू ने कहा कि चीनी प्रधान मंत्री से जो बातचीत हुई उसमें हमारा कहना यह था कि चीनी सेना हमारे इलाके में घुस आई है और उनका कहना था कि ये क्षेत्र आज मे नहीं दोस्रो वर्ष पूर्व से तिब्बतों अथवा तिब्बत के चीनी अधिकारियों के वास्तविक नियंत्रण में रहे हैं। उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत इन बुनियादी तथ्यों में इतना अन्तर है कि आर्ग की बातचीत के लिए कोई समान आधार नहीं मिला। अब, इस बातचीत के बाद भी हमारा कहना यही है कि उनको मेनाए अभी हाल में ही इन क्षेत्रों में घुसी है, वे एक दिन में ही इतने लम्बे-चौड़े क्षेत्र में नहीं घुस आईं, बल्कि लगभग डेढ़ वर्ष के अन्दर आई हैं। पश्चिमी सीमा-क्षेत्र के बारे में हमारा यही कथन है और हम इस पर दृढ़ हैं। इसके उत्तर में चीन का कहना है कि दोस्रो वर्षों में यह क्षेत्र उनके वास्तविक अधिकार में रहा है।

श्री नेहरू ने कहा कि हमारा कथन तथ्यों पर आधारित है और हमारे पास जो मामूली हैं उनसे हम तथ्यों को प्रमाणित भी करने को तैयार हैं। जैसा कि मैंने चुका है, चीनियों की स्थिति ऐसे तथ्यों पर आधारित है जो बुनियादी तौर से भ्रम हैं। इसके अतिरिक्त उनकी तरफ से पश्चिमी और पूर्वी सीमा-क्षेत्रों के दो मामलों को एक प्रकार का ही निम्न करने की कोशिश की गई। यानी चीनियों का कहना है कि पूर्वी सीमा क्षेत्र में भारत पिछले ५-७ या ८-१० वर्षों में धीरे-धीरे वहाँ तक आगे बढ़ा है, जिसे भारतीय मक-महान देना कहते हैं।

इसलिए, श्री नेहरू ने आगे कहा कि, प्रश्न भिन्न तथ्यों के कारण बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। अगर तथ्य भिन्न हों, उनकी व्याख्या भिन्न हो तो तर्क भी अलग-अलग हो जाएँ, क्योंकि व्याख्या और तर्क, दोनों तथ्यों पर ही आधारित होते हैं। अतः यह तय पाया गया कि भारत सरकार और चीन सरकार के पास भी मामूली हैं उनको जांच करके तथ्यों का पता लगाया जाए। मैंने सुझाव दिया कि यह जांच अभी और यही किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी अधिकारदा मामूली नहीं हैं। इसलिए हम विश्वास में भी कोई प्रगति नहीं हो सकी।

प्रधान मंत्री नेहरू ने कहा कि ऐसे स्थिति में तय हुआ कि अधिकारीयण सामूहिक की पूरी पड़ताल करे। यह स्पष्ट ही है कि इन अनिश्चितियों की समाधान सुझाने या निष्कर्ष करने का अधिकार नहीं होगा। वे तो कुछ आत्म-भूत तथ्यों की जांच करेंगे और बताएँ कि कौन-से तथ्य ऐसे हैं जिन पर दोनों देश सहमत अथवा असहमत हैं और कौन-से ऐसे हैं जिन्हें बारे में और पड़ताल की जानी चाहिए। इसमें कुछ तथ्य स्पष्ट ही जाएँगे और यह मामूली हो सकेगा कि उनका दावा किन तथ्यों पर आधारित है।

## भारत में विदेशी मिशनरी

स्वराष्ट्र मंत्री, श्री गोविन्द वल्लभ पन्त ने, २७ अप्रैल को लोकसभा में बताया कि १ जनवरी, १९५९ को भारत में ४,८०२ विदेशी मिशनरियों के नाम दर्ज थे। इनकी राज्यवार संख्या इस प्रकार थी : आंध्र प्रदेश ४०९; आसाम २७०; बिहार ६७२; बम्बई ६८०; जम्मू-कश्मीर १५; केरल २५३; मध्य प्रदेश २५६; मद्रास ८१२; मैसूर २७२, उड़ीसा ११६; पंजाब ९५; राजस्थान २७, उत्तर प्रदेश ५२४; पश्चिम बंगाल ३५४, दिल्ली ४५; मणिपुर २ और अहमदनगर और निकोबार द्वीप ३।

## लोकसभा के सदस्य का त्यागपत्र

श्री चौधमनू गोहेन ने, जिन्हें आसाम के भाग 'ख' अधिविधायी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा का सदस्य नामजद किया गया था, १५ अप्रैल, १९५९ से सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है।

## संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर निर्णय

राजभाषा आयोग की रिपोर्ट पर मसौदा समिति ने जो सिफारिशें की थीं, उनमें सम्बन्ध में राष्ट्रपति, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद का निर्णय ०० अर्द्ध को मसौदा की मेज पर रख दिया गया।

राष्ट्रपति ने अपने आदेश में कहा है कि मसौदा के अनुच्छेद ३४४ गट ४ के अनुसार योजना के २० और राज्यमन्त्रों के १० सदस्यों की एक समिति राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने और राष्ट्रपति के सम्मुख अपनी सम्मति प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त की गई थी। समिति ने ८ फरवरी, १९५९ को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में समिति के सामान्य दृष्टिकोण के सम्बन्ध में निम्न बातें महत्व की हैं —

(१) भारत के मसौदा में राजभाषा के सम्बन्ध में एक पूर्ण योजना है, जिसमें दस सम्मन्धा के प्रति लक्षित दृष्टिकोण रखा गया है। उस योजना के ढांचे के अन्दर रहते हुए, उनमें आवश्यक परिवर्तन भी किये जा सकते हैं।

(२) विभिन्न राज्यों में शिक्षा के माध्यम तथा सरकारी काम के लिए अंग्रेजी की जगह प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। यह स्वाभाविक है कि प्रादेशिक भाषाएँ अपना उचित स्थान प्राप्त करें, इसलिए केन्द्रीय सरकार में किसी भारतीय भाषा का प्रयोग करना एक व्यावहारिक आवश्यकता हो गई है। परन्तु इस परिवर्तन के लिए कोई निश्चित तिथि रखने की आवश्यकता नहीं। परिवर्तन विन्तुल्य स्वाभाविक होना चाहिए और कुछ समय में धीरे-धीरे इस प्रकार होना चाहिए कि लोगों को कम से कम अनुविधा हो।

(३) १९५५ तक अंग्रेजी मुख्य राजभाषा रहेगी और हिन्दी गौण राजभाषा रहेगी। १९५५ के बाद जब हिन्दी केन्द्र की मुख्य राजभाषा बन जाएगी तो अंग्रेजी एक गौण राजभाषा के रूप में जारी रहेगी।

(४) इस समय केन्द्रीय सरकार के किसी भी काम के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर कोई हकाबट नहीं होनी चाहिए और मसौदा के अनुच्छेद ३४३ के खंड ३ के अनुसार ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि मसौदा द्वारा स्वीकृत

कानून के अनुसार निर्धारित कामों के लिए जब तक आवश्यक नहीं, अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहे।

(५) मसौदा के अनुच्छेद ३५१ की इस व्यवस्था का बड़ा महत्व है कि हिन्दी का विज्ञान इस प्रकार होना चाहिए कि वह भारत की सुव्यवस्था के सभी तत्वों को प्रकट करने का मातृ-बन सके। इस तरह से दस बात की प्रोत्साहन देना चाहिए कि गैर-लक्ष्य और गाँदे शब्दों का प्रयोग किया जाए।

मसौदा समिति की रिपोर्ट की प्रतिमा मसौदा के दसों सदस्यों की मेज पर अर्द्ध १९५९ में रखी गयी। योजना में दस रिपोर्टों पर २ में ४ मिनट, १९५९ तक और राज्यमन्त्रों में ८ में ९ मिनट, १९५९ तक विचार हुआ। योजना में प्रथम चर्चा ने ४ मिनट, १९५९ को राजभाषा के प्रश्न पर सरकार की दृष्टिकोण की मुख्य बातें रखीं।

राष्ट्रपति ने भारतीय मसौदा के अनुच्छेद ३४४ गट ६ के अनुसार मसौदा समिति की रिपोर्ट पर विचार करने को आदेश जारी किया है, उनके मुख्य अर्थ नोट दिए जाते हैं

### शाब्दावली

समिति ने राजभाषा आयोग की जो सिफारिशें मुख्यतः स्वीकार कीं, वे ये हैं (१) शाब्दावली तैयार करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शब्द स्पष्ट, सुनिश्चित और सरल हों, (२) जहाँ वहाँ उचित हो, अंतर्राष्ट्रीय शब्द स्वीकार करने चाहिए, (३) नवीं शाब्दावली तैयार करने में जहाँ तक सम्भव हो, मसौदा भारतीय भाषाओं में एकसूत्र रखनी चाहिए, और (४) हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं में नवीं शाब्दावली तैयार करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारें जो प्रयत्न कर रही हैं, उनके समीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए। समिति ने यह भी कहा है कि विज्ञान और प्राविधिक विज्ञान के सम्बन्ध में अहा तक हो सके, सभी भारतीय भाषाओं में एक ही शाब्दावली होनी चाहिए और वह अंग्रेजी या अंतर्राष्ट्रीय शब्दों में जहाँ तक हो, मिलती-जुलती होनी चाहिए। समिति ने सिफारिश की है कि वैज्ञानिक और प्राविधिकों का एक स्थायी आयोग नियुक्त किया जाए जो शाब्दावली तैयार करने के-

प्रयत्नों का समीकरण करे और मसौदा भारतीय भाषाओं में प्रयोग करने के लिए अधिष्टित शाब्दावली जारी करे।

राष्ट्रपति ने शिक्षा मंत्रालय को यह आदेश दिया है कि वह शाब्दावली के तैयार करने के सम्बन्ध में किये गये अब तक के काम की जांच करे और समिति द्वारा स्वीकार किये गये निष्पत्तियों के अनुसार शाब्दावली के तैयार कराने का प्रयत्न करे। वैज्ञानिक और प्राविधिक शब्दों के सम्बन्ध में जहाँ तक हो सके, अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को मूलतः परिवर्तन के साथ स्वीकार करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि मूल शब्द वही होने चाहिए, जो अंतर्-ष्ट्रीय शाब्दावली में हैं, परन्तु उनमें वन अन्य शब्दों का भारतीयकरण आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय शाब्दावली के तैयार करने के लिए की गई व्यवस्थाओं के समीकरण की योजना में तैयार करेगा और समिति के मुझाव के अनुसार वैज्ञानिक और प्राविधिक शाब्दावली को तैयार करने के लिए एक स्थायी आयोग की भी नियुक्ति करेगा।

प्रशासनिक पुस्तिकाओं और कार्य-विधि संबंधी अन्य साहित्य का रूपान्तरण प्रशासनिक पुस्तिकाओं और कार्य-विधि सम्बन्धी साहित्य के अनुवाद के लिए यह आवश्यक है कि इन सब में सभी शब्द एक ही प्रकार के हों। समिति ने राजभाषा आयोग को इस सिफारिश को स्वीकार किया है कि यह काम किसी एक ही सगठन द्वारा पूरा होना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय इस प्रकार की सभी पुस्तिकाओं और कार्य-विधि सम्बन्धी साहित्य का अनुवाद करा सकता है। परन्तु विधि विहित नियमों, आदेशों और उपनियमों का अनुवाद वह नहीं कराएगा। विधि मंत्रालय अधिनियमों के अनुवाद के साथ-साथ विधि विहित नियमों, उपनियमों और आदेशों का अनुवाद भी करा सकता है। इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि इनके अनुवाद में सभी भारतीय भाषाओं में एक ही प्रकार की शाब्दावली का प्रयोग किया जाए।

प्रशासनिक कर्मचारियों को हिन्दी की शिक्षा समिति ने सिफारिश की है कि ४५ वर्ष से



कम आयु के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी जरूर सीखनी चाहिए। परन्तु यह बात तीसरी श्रेणी से नीचे के कर्मचारियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों और काम के अनुसार वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। जो लोग हिन्दी में उचित योग्यता प्राप्त न कर सकें, उन्हें कोई हानि नहीं उठानी पड़ेगी। हिन्दी की शिक्षा के लिए मुक्त व्यवस्था की जाएगी। स्वराष्ट्र मंत्रालय यह व्यवस्था करेगा कि केन्द्रीय सरकार के टाइपिस्टों और स्टनोग्राफरों को हिन्दी टाइप और हिन्दी आंगुलिपि (स्टनोग्राफी) की शिक्षा दी जाए।

शिक्षा मंत्रालय इस बात का प्रयत्न करेगा कि सोध ही हिन्दी टाइपराइटर्स के लिए एक स्वीकृत को-वॉर्ड तैयार कराया जाए।

### हिन्दी का प्रचार

समिति ने आयोग की यह सिफारिश स्वीकार की है कि हिन्दी प्रचार का काम मर-कारी रूप से होना चाहिए। जो अच्छी मर-सकारी सस्याएं यह काम कर रही हैं, उन्हें सरकारी सहायता मिलनी चाहिए और जहाँ ऐसी संस्थाएं नहीं हैं, वहाँ सरकार को स्वयं आवश्यक समग्र स्थापित करने चाहिए।

शिक्षा मंत्रालय को राष्ट्रपति ने यह आदेश दिया है कि वह हिन्दी प्रचार के लिए अब तक जो व्यवस्था है, उसकी जाँच करके समिति की सिफारिशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करे।

राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि शिक्षा, और वैज्ञानिक अनुसंधान तथा संस्कृति मंत्रालय मिल कर ऐसी व्यवस्था करें, जिससे भाषा विज्ञान और साहित्य के सम्बन्ध में अनुसंधान के कार्य को प्रोत्साहन मिले। दोनों मंत्रालय ऐसी योजना बनाएँ, जिससे भारत की सभी भाषाएँ एक-दूसरे के समीप आएँ और संविधान के अनुच्छेद ३५१ के अनुसार हिन्दी का विकास किया जा सके।

**केन्द्रीय सरकार के स्थानीय कार्यालयों के-**

### लिपि कर्मचारियों को भर्ती

समिति की राय में केन्द्रीय सरकार के स्थानीय कार्यालयों को अपने आंतरिक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए और जनता से सम्पर्क के लिए वहाँ की प्रादेशिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। केन्द्रीय सरकार की

अपने स्थानीय कार्यालयों में अंग्रेजी की जगह हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने की योजनाएँ बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्थानीय जनता को विभागीय साहित्य और आवश्यक फार्म जहाँ तक हो सके, उनकी प्रादेशिक भाषा में ही प्राप्त हों। समिति की राय में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी मंडल की जाच करके उमे प्रादेशिक आधार पर विकेंद्रित करना चाहिए और भर्ती करने की प्रणाली और योग्यता में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना चाहिए।

राष्ट्रपति ने आदेश दिया है कि यह मुझाब सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। परन्तु स्थानीय कार्यालयों के उन कर्मचारियों की भर्ती में जिन्हें साधारण तौर पर उस क्षेत्र से बाहर नहीं भेजा जाएगा, निवास सम्बन्धी कोई योग्यता नहीं रखी जाएगी।

समिति ने यह भी स्वीकार कर लिया है कि केन्द्रीय सरकार में नौकरी प्राप्ति के लिए हिन्दी का साधारण ज्ञान अवश्य होना चाहिए। परन्तु इसके लिए काफी समय लेना चाहिए और योग्यता बहुत साधारण होनी चाहिए। कोई कभी यह जाए तो वह नौकरी के समय में भी दूर की जा सकती है।

राष्ट्रपति ने आदेश दिया है कि अभी यह सिफारिश केन्द्रीय सरकार के उन स्थानीय कार्यालयों में अमल में आनी चाहिए, जो हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हैं, दूसरी जगह नहीं। ये सिफारिशें भारतीय लेखा परीक्षा और हिस्साव कार्यालय में भी अमल में नहीं आएँगी।

### शिक्षा संस्थाएँ

समिति ने मुझाब दिया है कि राष्ट्रीय प्रति-रक्षा अकादमी आदि शिक्षण संस्थाओं में अंग्रेजी के माध्यम से ही शिक्षा जारी रहे। परन्तु राष्ट्र-पति ने आदेश दिया है कि शिक्षण के कुछ या सभी विषयों के लिए हिन्दी का प्रयोग जारी करने के सम्बन्ध में उचित कदम उठाये जा सकते हैं।

जहाँ सम्भव हो, हिन्दी में फौजी शिक्षा देने के लिए प्रतिरक्षा मंत्रालय शिक्षा पुस्तकें आदि तैयार कराएँ।

(ख) समिति ने यह भी कहा था कि ट्रेनिंग संस्थाओं में प्रवेश के लिए जो परीक्षाएँ होती हैं, उनमें बैठने वालों को सब या कुछ पंच अंग्रेजी या हिन्दी किसी में भी करने को अनुमति

दी जाए। इसके अलावा विनोदों को एक समिति भी नियुक्त होनी चाहिए जो इस पर विचार करे कि बिना कोटा पद्धति बलाए, क्या प्रादेशिक भाषाओं में भी परीक्षा देने में सुविधा दी जा सकती है।

प्रतिरक्षा मंत्रालय प्रवेश परीक्षा के लिए हिन्दी को ऐच्छिक माध्यम बनाने के लिए, और प्रादेशिक भाषाओं को भी माध्यम बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए विंगेय समिति नियुक्त करने के लिए कार्रवाई कर सकता है।

**अ० भा० और ऊँची केन्द्रीय नौकरियों में नियुक्ति**

(क) परीक्षा का माध्यम—समिति की राय है कि (१) माध्यम अंग्रेजी रहे और कुछ समय के बाद हिन्दी को भी दूसरा या ऐच्छिक माध्यम बनाया जाए; और जब तक आवश्यक हो उम्मीदवारों को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में से किसी भी परीक्षा देने की आजादी रहे, और (२) एक विनोदक समिति नियुक्त की जाए जो इस पर विचार करे कि बिना कोटा पद्धति को बलाये क्या प्रादेशिक भाषाओं को भी माध्यम बनाया जा सकता है।

कुछ समय के बाद हिन्दी को दूसरा ऐच्छिक माध्यम बनाने के लिए स्वराष्ट्र मंत्रालय केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की सलाह से कार्रवाई कर सकता है। प्रादेशिक भाषाओं को भी ऐच्छिक माध्यम बनाने से गम्भीर कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं, इसलिए इस प्रश्न पर विचार करने के लिए विनोदकों की समिति नियुक्त करने की जरूरत नहीं।

(ख) भाषा के प्रश्न पत्र—समिति की राय है कि समुचित सूचना देकर परीक्षा में एक ही स्तर के दो अनिवार्य प्रश्न पत्र होने चाहिए। एक हिन्दी का और दूसरा किसी दूसरी आधु-निक भारतीय भाषा का।

फिलहाल केवल हिन्दी भाषा का एक ऐच्छिक प्रश्न पत्र रखा जा सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा में सफल उम्मीदवार जो इस पत्र में भी पास हो नियुक्ति के बाद हिन्दी की विभागीय परीक्षा में बैठने से बरी कर दिये जाएँ।

### अंक

जैसा कि समिति ने कहा है केन्द्रीय मंत्रालयों के हिन्दी प्रकाशनों में विषय-और पार्श्वों के

अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय अंकों के अलावा देवनागरी अंकों के व्यवहार के बारे में एक-सी बुनियादी नीति होनी चाहिए। अस्तु वैज्ञानिक, टेक्निकल और अक सम्बन्धी प्रकाशनों में, जिनमें केन्द्रीय बजट माहिल्य भी शामिल है, सर्वत्र अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का ही व्यवहार होना चाहिए।

**अभिनियमों और विधेयकों की भाषा**

(क) मन्त्रि ने राय दी है कि मन्त्र के कानून अर्थों में बनाये जाते हैं। परन्तु उनका हिन्दी में अधिष्टत अनुवाद भी दिया जाना चाहिए।

विधि मंत्रालय यथामय मंसद में स्वीकृत कानूनों का अधिष्टत हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत करने के संबंध में आवश्यक कानून बना सकता है।

विधि मंत्रालय प्रादेशिक भाषाओं में भी इन कानूनों का अनुवाद कराने का प्रबन्ध कर सकता है।

(ख) मन्त्रि ने यह भी राय दी है कि जिन राज्य विधान मंडलों में हिन्दी में किन्हीं विभिन्न भाषा में कानून बनाया जाए उनका हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित किया जाए। अंग्रेजी अनुवाद के लिए मन्त्रिण के अनुच्छेद ३४८ के खड ३ में व्यवस्था है।

यथामय राज्यों के विधेयकों और कानूनों आदि के हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने के लिए कानून बनाया जा सकता है।

**सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा**

राज भाषा आयोग ने सिफारिश की थी कि जब भाषा बदलने का समय आए तब सर्वोच्च न्यायालय की भाषा हिन्दी हो। मन्त्रि ने इस सिफारिश को स्वीकार किया।

उच्च न्यायालयों की भाषा के बारे में आयोग ने हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं के पक्षपात पर विचार किया और सिफारिश की कि जब भाषा परिवर्तन का समय आए तब सभी प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के फौजले, डिप्टी और आदेश हिन्दी में दिए जाए। परन्तु मन्त्रि की राय है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर उच्च न्यायालयों के संबंध में राज्य की भाषा में भी फौजले, डिप्टी आदि देने की व्यवस्था की जा सकती है।

मन्त्रि की यह राय कि यथासमय सर्वोच्च न्यायालय में हिन्दी में काम होना चाहिए, निश्चित में स्वीकार है और परिवर्तन का समय आने पर इस संबंध में कार्रवाई आवश्यक होगी।

उच्च न्यायालयों के बारे में जैसा कि मन्त्रि ने सुझाया है विधि मंत्रालय यथामय कानून द्वारा इस बात की व्यवस्था करेगा कि राष्ट्रपति को पहले से स्वीकृति लेकर राज्यों के उच्च न्यायालयों को हिन्दी या राय भाषा में काम करने की इजाजत दी जाए।

**कानून की भाषा बदलने की तैयारी**

आयोग ने कानूनी मन्त्र-कौम तैयार करने, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कानूनों को हिन्दी में भी पान करने, कानूनी दस्तावेजों का विराग करने और जिन अवधि में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में कानून बनाये जाएंगे और अदालती काम होगा उनमें परिवर्तन के लिए और तैयारी करने के मन्त्र में जो सिफारिशें की हैं उनमें मन्त्रि महत्त है। इनके अलावा मन्त्रि ने यह राय दी है कि कानूनी दस्तावेजों बनाने और कानूनों के अनुवाद करने का कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक स्थायी आयोग या ऊर्च मन्त्रि स्थापित की जाए जिसमें देश को विभिन्न राष्ट्रीय भाषाओं के कानून विद्वान रहे। मन्त्रि की यह भी राय है कि राज्य सरकारों में बहूा जाए कि वे केन्द्रीय अधिकारियों में मलाह करने के आवश्यक कार्रवाई करें।

तदनुसार कानूनी दस्तावेजों (जो जहा तक हां सके सभी भारतीय भाषाओं के काम आये) बनाने और हिन्दी में कानूनों का अनुवाद कराने के लिए विधि मंत्रालय कानूनी विद्वानों का स्थायी आयोग नियुक्त करने की कार्रवाई कर सकता है।

**हिन्दी का व्यवहार बढ़ाने का कार्यक्रम**

मन्त्रि की राय है कि सब की राज भाषा के रूप में हिन्दी का व्यवहार बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार कार्यक्रम बनाए और उस पर अमल करे। फिलहाल केन्द्रीय सरकार के काम में अंग्रेजी के व्यवहार पर कोई प्रतिबन्ध न लगाया जाए।

अस्तु स्वराष्ट्र मंत्रालय ऐसा कार्यक्रम या योजना तैयार कर सकता है जिससे केन्द्रीय शासन में हिन्दी का व्यवहार बढ़े और सविधान के अनुच्छेद ३४३ खड २ के

सरकार के कामों में अंग्रेजी के अलावा हिन्दी का भी चलन हो। इसी कार्यक्रम पर यह निर्भर होगा कि अंग्रेजी के अलावा हिन्दी का व्यवहार कितना बढ़ता है। समय-समय पर इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी कि हिन्दी में काम करने में कहां तक प्रगति हो रही है और कार्यक्रम में भी उचित हेर-फेर करना होगा।

## १९५८ में अपराधों की स्थिति

केन्द्रीय स्वराष्ट्र मंत्रालय ने १९५८ में अपराधों की स्थिति के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, उससे पता लगता है कि १९५८ में डाकूजनी की घटनाओं में १६२ प्रतिशत कमी हुई। १९५७ में डाकूजनी की ५,६५० घटनाएँ हुई थी, जबकि १९५८ में इनकी संख्या ४,६५८ रही।

जालसाजी की घटनाएँ भी ११.८ प्रतिशत कम हुईं। १९५७ में जालसाजी के ९२९ मामले हुए थे, जबकि आलोच्य वर्ष में ५५५ ही हुए। लूट और नकलजनी की घटनाएँ भी ४ प्रतिशत कम हुईं।

पुलिस के हस्तक्षेप योग्य अपराधों की संख्या लगभग पिछले वर्षों के बराबर ही रही। १९५६ में ५,८५,२१७; १९५७ में ५,८०,३७१ और १९५८ में ५,९०,९८७ ऐसे अपराध हुए।

हत्याओं की संख्या २.३ प्रतिशत, भगाने तथा अपहरण के अपराधों की संख्या ३.८ प्रतिशत, विद्रोहों की घटनाओं की ४.३ प्रतिशत और धोखाधड़ी के मामलों की १२ प्रतिशत रही।

**विभिन्न राज्यों में अपराधों की स्थिति**

आंध्र प्रदेश, बिहार, बम्बई, और मसूर में ऐसे अपराधों की संख्या, जिनमें सौधे मुल्लि के हस्तक्षेप की जरूरत हो, कम रही। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागा पहाड़ियों तथा त्बेनसाग के केन्द्र-शासित क्षेत्रों में भी ऐसे अपराधों की संख्या कम रही। लेकिन इन अपराधों की संख्या केरल में २८.८ प्रतिशत, जम्मू और कश्मीर में ८.७ प्रतिशत, मध्य प्रदेश में १०.९ प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में २० प्रतिशत, पश्चिमी बंगाल में २६ प्रतिशत, मिपुरा में ४३.५ प्रतिशत और दिल्ली में ६.४ प्रतिशत बढ़ी।

कलकत्ता और कानपुर इन दो शहरों में भी अपराधों को सख्या बहुत बढ़ी। कलकत्ता शहर में १९५७ में १०,७२५ अपराध हुए थे, जबकि आन्ध्र प्रदेश में १२,२४७ हुए। कानपुर में १९५७ में अपराधों की संख्या १,४६१ थी, जबकि १९५८ में १,८२८ रही।

### अनिर्णीत मामले

१९५७ के अंत में १,४९,३४४ मामले अदालतों के विचाराधीन थे और ५५,६६४ मामले पुलिस की जांच के लिए बाकी थे। आलोच्य वर्ष में पुलिस में ५,९०,९८७ मामले रजिस्टर कराये गये। ५,३९,६०३ मामलों में जांच नहीं की गई। २,५६,३९२ मामलों में अभियोग लगाये गये। इनमें से १,३७,०४६ मामलों में सजाए हुई, ७८,६६६ मामलों में अपराधी बरी हो गये और ४०,६८० मामले वापस ले लिये गये।

### पुलिस कर्मचारियों की हत्या

आलोच्य वर्ष में ५६ पुलिस अधिकारी और सिपाही अपना काम करते हुए मारे गये और १,७३९ घायल हुए। अकेले पंजाब में ही १२ पुलिस कर्मचारी मारे गये। मध्य प्रदेश, मद्रास और बिहार, प्रत्येक में ६ कर्मचारी, आसाम और उत्तर प्रदेश में ४-४ पुलिस कर्मचारी तथा राजस्थान और मंसूर प्रत्येक में ३ पुलिस कर्मचारी मारे गये।

### बाल अपराध

आलोच्य वर्ष में सात वर्ष से २१ वर्ष तक की उम्र के २९,७७४ बच्चे हत्या, लूट, नक-बजनी और चोरी आदि के अपराध में पकड़े गये। इनमें से १,८१३ लड़कियां थीं। अपराध करने वाले बच्चों में सबसे ज्यादा संख्या १७ से २१ वर्ष तक के बच्चों की थी।

## विशेष पुलिस दल को १६५६ को रियपोर्टें

विशेष पुलिस दल की १९५९ की वार्षिक रिपोर्टें में बताया गया है कि इस साल दल के पास जितनी शिकायतें आईं, उनमें हर तीन आंसों में एक अर्जी बिना नाम की अथवा जाली नाम से आई।

रिपोर्टें में बताया गया है कि १९५९ में दल के पास निपटारने के लिए ४,५३१ शिकायतें थीं। इनमें पिछले साल की ५३६ शिकायतें

भी शामिल हैं। ६०० शिकायतें बहुत मामूली और अस्पष्ट थीं; परन्तु १,१०० शिकायतें फौरन ही सम्बन्धित विभागों को भेज दी गयीं।

बाकी २,८२३ शिकायतों में २५५ शिकायतें सूटों पाई गयीं और ७४४ शिकायतें सम्बन्धित विभागों को कार्रवाई के लिए भेज दी गयीं। ६१४ को जांच करने के लिए रखा गया। साल के अंत में ५०४ शिकायतें जांच के लिए बाकी थीं।

### मुकदमे

रिपोर्टें में बताया गया है कि १९५९ में २०० सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाया गया। इनमें २२ गजेटेड अधिकारी थे।

१९५९ में ४९ गजेटेड अधिकारियों, ५५१ गैर-गजेटेड अधिकारियों और २ अन्य सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाया जाना था। इसमें वे भी शामिल हैं, जिनके मामले इससे पिछले साल से चले आ रहे थे।

इनमें से अदालत ने १३ गजेटेड और १९० गैर-गजेटेड अधिकारियों के मुकदमों का फैसला किया, जिनमें १० गजेटेड और १०८ गैर-गजेटेड अधिकारियों को जुर्माने के अलावा १ साल से ३ साल तक की कड़ी कैद की सजा दी गई।

### ३८६ गजेटेड अधिकारियों को जांच

रिपोर्टें में बताया गया है कि १९५९ में १,९७७ सरकारी कर्मचारियों के मामलों की जांच की गई। इनमें ३८६ गजेटेड अधिकारी थे। लगभग २०० कर्मचारियों के मामले अदालत के लिए ८२९ के मामले विभागीय कार्रवाई के लिए भेजे गए। १९ मामले अन्य तरीकों से निपटाए गए और १३४ कर्मचारियों के मामले, सबूत न होने के कारण, रद्द कर दिए गये। साल के अंत में कुछ मामलों पर कार्रवाई होनी बाकी थी।

१९५९ में जो नये मामले आए, उनमें २८ गजेटेड-अधिकारियों के भी शामिल थे। ये २८ और अन्य २०७ गजेटेड अधिकारी इस प्रकार थे: अवर सचिव और उससे ऊपर के पद के सचिवालय अधिकारी-४; अवर सचिव से नीचे के पद के सचिवालय अधिकारी-५; इन्जिनीयर्स इंजीनियर (सभी मंत्रालयों और विभागों के) और उससे ऊपर

के पद के इंजीनियर-३५; इक्विपमेंट इंजीनियर (सभी मंत्रालयों और विभागों के) से नीचे के पद के इंजीनियर-५०; विभागाध्यक्ष और उससे ऊपर के पद के रेलवे अधिकारी-१; विभागाध्यक्ष से नीचे के पद के रेलवे अधिकारी-१०; सेना के कर्मीन प्राप्त अधिकारी-२६; निर्माण, आवास और पूति मंत्रालय तथा खाद्य और कृषि मंत्रालय के निदेशक, उपनिदेशक आदि-४; आरक्ष और निर्यात नियंत्रक-५; आय कर अर्जि अदालत के मददगार-१; आय कर अधिकारी-८; उत्पादन कर और सीमा शुल्क अधिकारी-५; कारपोरेशन और सरकारी सप्लाय के बड़े अधिकारी-१३; अन्य श्रेणी-१ के अधिकारी-४० और अन्य श्रेणी-२ के अधिकारी-२८।

### जाली आपात लाइसेंस

रिपोर्टें में बताया गया है कि १९५९ में, इससे पिछले साल के आमात और निर्यात से सम्बन्धित धोखापट्टी और जालसाजी के ७३ मामले जांच के लिए बाकी थे। १९५९ में ८६ और नये मामले आए। इनमें से ३९ मामले अदालत को और ३१ विभागीय कार्रवाई के लिए भेज दिए गए। १० मामले सबूत न होने से रद्द कर दिए गए। कुछ की कानूनी जांच भी रही थी और कुछ जांच के लिए बाकी थे।

इन मामलों में, ५८ कम्पनियों ने गलत जानकारी या जाली कागजात देकर ५० लाख ६० के ३३९ लाइसेंस प्राप्त किए थे। इनके अलावा २५ कम्पनियों ने १३४ लाख ६० के ६२ लाइसेंसों का गलत उपयोग किया।

१९५९ में १२९ कम्पनियों का नाम माल्य कम्पनियों की सूची से काट दिया गया।

### सजा

रिपोर्टें में बताया गया है कि १९५९ में जितने मामलों में सजाए दी गईं, उतनी इनमें पिछले ७ वर्षों में किसी भी साल नहीं दी गईं।

इसी प्रकार, इस साल अधिक कर्मचारियों को विभागीय दण्ड दिया गया। १९५९ में ३६३ में से ३२५ को विभागीय दण्ड दिया गया।

### विशेष जज

स्वराष्ट्र मंत्रालय के कहने पर कुछ राज्यों में विशेष पुलिस दल के मुकदमों की सुनवाई

के लिए विनोय जज और विनोय मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं।

१९५९ में छापा भारवर ४४ मामलों पकड़े गए, जिनमें ४८ सरकारी कर्मचारी शामिल थे। इनमें एक बम्बई के लाइट हाउस विभाग का रेजिस्ट्रेंट इंजीनियर था, जो एक डेन्डर ने १,००० रु. लेना हुआ पकड़ा गया।

### कलकत्ता में तस्कर सोना

वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने १५ मार्च को लोकसभा में बताया कि १५ फरवरी, १९६० को कलकत्ता में एक बैंक मेंबर के पास में लगभग ७८,६०० रु. का ९१४ तोला सोना और सोने के डेबलर जप्त किए गये थे। इस मिलमिले में दो नेपाली पकड़े गए थे, जिन्हें बाद में जमानत पर छोटा दिया गया। इन मामलों की तहकीकात हो रही है। श्री देसाई ने यह बात एक प्रश्न के उत्तर में कही। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि भारत सरकार को यह विश्वास हो कि नेपाल में भारत में सोने की तस्करी बढ़ रही है।

### विदेशी मुद्रा के नियमों का उल्लंघन

केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय में परिपालन निर्देशालय में फरवरी और मार्च, १९६० में विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम के उल्लंघन के २४ मामलों का निर्णय किया। विभिन्न अनियुक्तों पर, जिनमें फर्मों के प्रिन्सिपल और साझेदार भी शामिल हैं, कुल १५,००५ रु. का जुर्माना किया गया।

### जाली पासपोर्ट के लिए मुकदमा

विनोय पुलिम ने ५० व्यक्तियों के ऊपर जाली पासपोर्ट रखने के लिए मुकदमा चलाया। विशेष पुलिम में इन मामलों को आच. के लिए विनोय कर्मचारी नियुक्त किये हैं। इन कर्मचारियों ने जालधर, बम्बई, कोचीन और ब्रह्मस आदि विभिन्न स्थानों का दौरा किया।

### राष्ट्रपति भवन में भ्रष्टाचार समाप्त

२६ अप्रैल को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद ने पिछले गणतंत्र दिवस पर धोषित मम्मनों का वितरण किया। उन्होंने २० व्यक्तियों को मम्मन-पदक दिए। इनमें एक पद्म विभूषण, चार पद्म भूषण और पन्द्रह पद्म श्री पाने वाले थे।

ग्यारह मम्मनित व्यक्ति गमारोह में नहीं शामिल हो सके।

नौ नरुत विद्वानों और एक फार्मी के विद्वान को भी मान्यता मिली। उनको भी पिछले स्वतंत्रता दिवस पर मान्यता देने की धोरणा की गई थी।

मम्मनितों में ४ महिलाएँ भी हैं। बाकी गिशा, विज्ञान, गणित, गैल-बूद, सरकारी सेवा, माहिल्य और कला के क्षम में ख्याति पाने वाले व्यक्ति हैं।

गन् १९५४ में मम्मन देने की यह परम्परा शुरू की गई थी। तब से अब तक २२८ व्यक्तियों को मम्मनित किया जा चुका है। इनमें भारत रत्न ८, पद्म विभूषण १८; पद्म भूषण १०१ और पद्म श्री १११ हैं।

### जनगणना में काम के आकड़े

अगले माह जो जनगणना होगी, उसमें लोगों के काम, नौकरी आदि के अनुसार आकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। इस बार पहले की जनगणनाओं की तरह लोगों की आय या आर्थिक स्थिति के आधार पर आकड़े इकट्ठे नहीं किए जाएंगे।

काम करने वाले व्यक्तियों में उन सबको शामिल किया जाएगा, जो कुछ भी काम करते हैं, चाहे वे परिवार में बिना तनपाहट के काम करते हों और चाहे वे काम करने वाले बच्चे हों।

जो लोग कुछ काम नहीं करते, उन्हें छात्रों, महिलाओं, भिखुओं, अवकाशप्राप्त, किराये की आमदनी खानेवालों, भिखारियों, आबारी, कैदियों, मानसिक रोगियों और आश्रमों में रहने वालों की श्रेणियों में रखा जाएगा। जो लोग पहली बार नौकरी की तलाश में हैं या जो पहले नौकरी कर चुके हैं और अब

नौकरी की तलाश में हैं, उनको भी अलग-अलग श्रेणियाँ बनाई जाएगी। परेलू काम करने वालों के बारे में भी आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे।

मार्च १९६१ की जनगणना का काम १० फरवरी की सुबह से शुरू होगा और १ मार्च तक चलेगा। ३ मार्च को नाम तक यह काम दोहराया जाएगा और इस समय तक जो मौतें या नये जन्म होंगे, उनका भी हवाला दे दिया जाएगा।

### अनिर्णीत चुनाव याचिकाएं

लोकसभा में ३० मार्च को विधि उपमन्त्री, श्री रामचन्द्र मार्तण्ड हाजरनवीस ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि १५ मार्च, १९६० को निर्वाचन न्यायाधिकरण के पास पिछले आम चुनावों की ७ ऐसी चुनाव याचिकाएँ पढ़ी थीं, जिनका निर्णय होना बाकी था। ये सभी याचिकाएँ विधानमण्डलों के निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों के खिलाफ हैं। इनमें से ५ उत्तर प्रदेश के हैं। तथा एक-एक पंजाब और बिहार की। श्री हाजर नवीस ने बताया कि लोकसभा तथा विधानसभा की ४ चुनाव याचिकाएँ उच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़ी हैं। विधानसभा सम्बन्धी चुनाव याचिकाओं को अपील के १० मामले सर्वोच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़े हैं।

### मसोक होटल के हिसाबे

राज्यसभा में १८ अप्रैल को निर्वाण, आवास और भूमि उपमन्त्री, श्री श्रीमल कुमार चन्दा ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि कुछ व्यक्तियों ने नयी दिल्ली में मसोक होटल लिमिटेड के जो १,५०,००० रु. के मूल्य के शेयर लिये थे, १४ महीने पर सरकार का कोई विचार नहीं है।

श्री चन्दा ने बताया कि १,५०,००० में अशोक होटल के शिवाजी कुमार की उच्च नहीं की गई है। शिवाजी कुमार के बच्चे को बाद ही यह बताया गया कि शिवाजी कुमार की कितना लाभ हुआ। शिवाजी कुमार के बच्चे का नाम शिवाजी कुमार है। शिवाजी कुमार के बच्चे का नाम शिवाजी कुमार है। शिवाजी कुमार के बच्चे का नाम शिवाजी कुमार है।

बताई गई है। इन पर विचार किया जा रहा है और आवश्यक होने पर इसमें भी कुछ हेर-फेर किया जा सकता है।

स्टैपल रेशों से बने कपड़ों के ऊपर लगने वाले मुल्क की एकमुश्त दर। (कम्पाउण्ड) में भी कुछ कमी की गई है, जो करणों और पारियों का सक्ष्मा पर निर्भर होगी। छोटे कारखानों के ऊपर लगने वाले मुल्क में करीब ३३ प्रतिशत कमी हो जाएगी।

कटपौसे में वे कपड़े माने जाएंगे जिनकी लम्बाई २½ गज होगी वज्राय २ गज के। साइकिल के फ्री-व्हील और रिमां के छोटे निर्माताओं पर जो महीने में १,५०० फ्री-व्हील और १,००० रिम से अधिक नहीं बनाते उत्पादन मुल्क को दर आधी हो जाएगी। अन्तर्देशीय इजना और बिजली की मॉटरों के छोटे निर्माताओं को भी इस प्रकार से रियायत दी जाएगी—किसी एक कलण्डर महीने में पहले १०० अक्षय शक्ति पर २० प्रतिशत और दूसरे १०० अक्षय शक्ति पर १० प्रतिशत; बसंतिक इस महीने में पहले १२ प्रतिशत में उसने ३०० अक्षय शक्ति में अधिक को निकासो न की हो।

पुराने अलुमुनियम से और ऐसी धातु की कतरना से, जिन पर पहले मुल्क अदा किया जा चुका है, बनने वाली अलुमुनियम पर भी कोई उत्पादन मुल्क नहीं लगेगा। पर इनसे चूहरे और चक्र बनाने पर २०० और मोट्रिक टन के हिवायत से मुल्क लगेगा। मध्यम दर्जे के बक्की (पेंचर बोर्ड) के कारखानों को रियायत देने के लिए अब रियायत और कम दर की नोमा ३,००० टन की वज्राय ५ हजार टन की जा रही है।

इन सब रियायतों के फलस्वरूप मूल उत्पादन करों की आय ४९ लाख ६० और अतिरिक्त उत्पादन करों की आय १४ लाख ० प्रतिवर्ष कम हो जाएगी। इन रियायतों को नुरत लागू करने के लिए २० अप्रैल को अभिसूचना जारी कर दी गई है।

#### प्रत्यक्ष करों में रियायत

महकारी समितियों की खेती और घरेलू उपयोग के अलावा अन्य कारोबार से होने वाली १० हजार में अधिक आय पर कर लगाया गया था। अब इसमें यह संशोधन किया

जा रहा है कि १५ हजार से अधिक आय पर ही कर लगाया जाएगा। इसके अलावा महकारी समितियों को महाजर्गी या लेनदेन में और अपने सदस्यों को उधार देने में, चाहे वे सहरो में हों या देहनों में, जो आय होगी उस पर भी कर नहीं लगेगा। इनमें प्रारम्भिक सहकारी समितियों को ऋण देने वाले महकारी बैंकों को सुविधा होगी। इसी प्रकार सहरो में कर्मचारियों की ऋण सहकारी समितियों को कारोबारी आय पर भी कर नहीं लगेगा। इसी तरह प्रारम्भिक दूध महकारी समिति अपने सदस्यों से दूध लेकर जो बड़ी सहकारी समितियों को देगी उसके लाभ पर भी कर नहीं लगेगा। इसी तरह पौती की ज़िम्में को तैयार करके बेचने से सहकारी समितियों को जो लाभ होगा उस पर भी कर नहीं लगेगा। इस रियायत से उन महकारी समितियों को लाभ होगा जो अपने सदस्यों से गन्ना लेकर गुड़ बनाते हैं, वसंतिक वे गुड़ बनाने में बिजली का इस्तेमाल न करे। बिजली की फ़ैद इसलिए रखी गई है कि चीनी के कारखाने इसमें लाभ न उठा लें।

आय कर कानून की धारा १५-सी के अन्तर्गत नये उद्योगों में कुछ शिर्षा तक कर नहीं रिया जाता। सहकारी समितियों यदि कोई उद्योग शुरू करेगी तो उन पर ७ वर्ष तक कर नहीं लगेगा। माननीय सदस्यों को इससे विस्थाप हो जाएगा कि मन्कर सहकारी आन्दोलन को कितना प्रोत्साहन देना चाहती है।

उपभोक्ता सहकारी समितियों में आसका प्रकट की है कि उनके कुल लाभ पर कर लगेगा, पर यह बात नहीं है। ये सहकारी समितिया अपने सदस्यों को रियायती दर पर बेचने के लिए जिन चीजों की रियायती भाव पर थोक खरीद करेंगी उस रियायत को उनके प्रोड लाभ में नहीं शामिल किया जाएगा। कम्पनियों के तरजीही हिस्सेदारों को भी कम्पनी कर के परिवर्तित ढांचे से कुछ शिकायत है। उनका कहना है कि कम्पनियों के वास्तविक कर में जो कमी की गयी है उससे साधारण हिस्सेदारों का लाभान्वय तो साधारण तरीके से बढ़ाया जा सकता है पर कई कम्पनियों ने तरजीही हिस्सेदारों का लाभान्वय नहीं बढ़ाया है। इसी सिलसिले में तरजीही कर से मुक्त शेयरों की परिभाषा के बारे में भी विवाद

उठा है। हिस्सेदारों को कम्पनी से भेजा निरन चाहिए, यह उनके बीच के करार पर निर्भर है और सरकार इस पर कोई फ़ैसला नहीं दे सकती। परन्तु सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि जब कम्पनियों के वास्तविक (इफ़ैक्टिव) करों की दर घटाई गई तो यह आपा को गई थी कि इनका लाभ सब हिस्सेदारों को मिलेगा, चाहे वे साधारण हों या तरजीही। साधारण हिस्सेदारों को इसका लाभ देने में किमी विवेक कार्रवाई की ब्रह्म नहीं है। पर तरजीही हिस्सेदारों को यह लाभ देने के लिए कम्पनियों को विशेष कार्रवाई करने पड़ेंगी। सरकार को आभा है कि ऐसा किया जाएगा। कुछ महानों तक यह देना जाएगा कि ऐसा किया जाता है या नहीं और यदि नहीं किया जाएगा तो सरकार तरजीही हिस्सेदारों को अधिक लाभान्वय दिलाने के लिए कानून भी बना सकती है। परन्तु लाभान्वय में यह वृद्धि ऊर्ही तरजीही शेयरों पर मिलेगी जो १-४-१९६० के पहले जारी बिए जा चुके हैं। इनके बाद जो तरजीही हिस्से जारी बिन जाएंगे उनके लेने वालों को कर की नई दर का पता है और वे शेयर लेते समय यह स्पष्ट करा लें कि उनको कितना लाभान्वय मिलेगा।

#### संयुक्त अरब गणराज्य से चावल : बिक्री की रकम के बारे में करार

देन में मिश्र के १ लाख टन चावल की बिक्री से मिश्र को जो ४ करोड़ ६० के लगभग रकम मिलेगी, उसके उपयोग के सम्बन्ध में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय तथा काहिरा की मिश्र फारेन ट्रेड कम्पनी के बीच करार हो गया है।

करार के अन्तर्गत मिश्र कम्पनी भारत से लगभग १-१ करोड़ ६० की राय और पठन का सामान खरीदेगी। एक करोड़ ६० का यह सामान खरीदा जाएगा, जिसका कुछ भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के १ अगस्त, १९५९ के ब्यापार और भुगतान करारनामों में दी गई है। इसके अलावा १ करोड़ ६० का सरकारी आवश्यकता का सामान खरीदा जाएगा।

सरकारी सामान की खरीद के बारे में समझौते में कहा गया है कि यदि यह सामान

छः महीने के अन्दर-अन्दर न गरीदा गया तो इन राशि में भी चार और पटनन वा मामान गरीद लिया जाएगा। यह गरीद एक माल के अन्दर कर ली जाएगी।

भारत को चाइल को मन्पाई अर्दल १९६० में मारु होंगे और जुलाई १९६० तक पूरा चावल मन्पाई कर दिया जाएगा।

### राकसाने को सेविम बैंक भुगतान-परी में शामिल

हालतता के सेविम बैंक में अनुमूचित बैंक को मरु बैंक में टेंशन-देन का चलावे के लिए सेविम बैंक का भुगतान-परी वा उन्-गन्ध (गव-मेन्शर) बनाने वा निरख किया गया है। जहा पर भुगतान-परी को मुविवा है, वहा अब टारकर के सेविम बैंक के चेका को अनुमूचित वेर म्वागर करण। यह मुविवा दई और छट टारकर (गव-पास्ट आक्रिस) में मिलेगा।

यदिप देन के महरतपूर्ण डाकपरी में चेक-पदेति लागू को गई है, फिर भी लोगों को बहुत कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है, वरकि भुगतान-परी को मुविवा न होने में व्यापारी सेविम बैंक के चेका को नहीं लेते। अनुमूचित वेका को इन चेका के भुगतान में कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है और नरनें भी अधिक पटना है। बैंक, निगम और अन्य मन्वाभा को सेविम बैंक के चेका के भुगतान के लिए अपना अलग प्रबन्ध करना पटना है। इन कठिनाइयां के कारण बहुत-सी मन्पाए सेविम बैंक के चेका को नहीं लेती। यह कठिनाई दूर हो जाएगी।

जहा पर भुगतान-पर नहीं है, वहा के सेविम बैंक के चेका के भुगतान के लिए बिना प्रबन्ध किया गया है। ऐसी जगहों में ये चेक टारगाने, रिजर्व बैंक जीर स्टेट बैंक में भुनाए जा गये हैं।

से वातचीत की। इस वातची  
इन्डी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड <sup>फ्लरवल्क</sup>  
से मंडल ने व्यापार समझौते <sup>कारों</sup>  
बेल्जियम सरकार ने यह इच्छा प्रे।

यहा भारतीय मामान को निर्यात करे  
इन समझौतों और शिप्टमंडल के  
का यही मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय में  
निर्यात को प्रोत्साहन मिले। शिप्टमंडल  
बिभिन्न व्यापारियों और उद्योगपतियों  
अपनी वातचीत में यह पता लगाने का प्रयत्न  
दिया कि पश्चिम यूरोपीय देशों में भारतीय  
माल की कितनी खपत और माग है तथा वहा  
भविष्य में भारतीय मामान का किस प्रकार  
निर्यात बढ़ाया जा सकता है।


### भारतीय कच्चा माल

रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम यूरोप  
में बहुत से कच्चे माल की खपत है और यह  
मामान भारत से निर्यात हो सकता है। अभी  
तक इन देशों के व्यापारी इसी बात का प्रयत्न  
करते रहे हैं कि उनका ज्यादा से ज्यादा माल  
भारतीय बाजारों में जाए, किन्तु उन्होंने यह  
जानने का प्रयत्न ही नहीं किया कि उन्हे भारत  
में अच्छा कच्चा सामान भी मिल सकता है।  
अब पश्चिम यूरोप के देशों की आवश्यकताएँ  
बढ़ रही हैं, अतः वहा भारतीय माल की काफी  
खपत हो सकती है। किन्तु इस सम्बन्ध में ठोस  
प्रगति अभी ही मजनी है जबकि उन देशों के  
और भारत के व्यापारियों में आपसी व्यापारिक  
सम्बन्ध और दृढ़ हो।

### भारतीय व्यापार को खतरा

रिपोर्ट का कहना है कि पश्चिम यूरोप में  
भारतीय मामान की काफी माग है किन्तु  
नाथ ही उसे अन्य देशों के सामान से होइ भी  
करनी पडती है। हालांकि इन देशों में खपत  
बढ़ने के बहुत अच्छे आसार हैं, किन्तु इस  
बात का भी खतरा है कि इन देशों की सरकारें  
अपनी व्यापार नीति कठोर न बना ले। हो  
सकता है कि ये देश अपने देशों सामान की  
खपत पर ही जार देने लगे। अगर ऐसा हुआ  
तो इन देशों के साथ भारतीय व्यापार बढ़ाना  
कठिन हो जाएगा और अब तक के व्यापार  
को भी धक्का लगेगा।

किन्तु शिप्टमंडल का विचार है कि इन  
देशों के कुछ विद्वेज यह समझते हैं कि  
प्रगति के लिए उदार नीति बनाना बहुत



## सरकारी व्यापार शिप्टमंडल की रिपोर्ट

“पुनिक्रम वरान के देना में अब यह विचार  
दृढ़ होना जा रहा है कि उनमें और  
भारत में आपसी आयात और निर्यात काफी  
हद तक बढ़ाया जा सकता है। अगर भारत  
उन देशों को अपना निर्यात नहीं वहा करना  
तो वहा में भारत का हान वाले आयात को  
काफी धक्का लग सकता है।” यह विचार  
भारत सरकार के व्यापार शिप्टमंडल ने  
व्यक्त किया है, जो गिनम्बर-अक्तूबर, १९५९  
में इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम  
और पश्चिमी जर्मनी की यात्रा पर गया था।  
वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय के अति-  
रिक्त सचिव, श्री के० वी० लाल डग शिप्ट-  
मंडल के नेता और श्री मदन मोहन रूपा,  
जो उन समय भारतीय वाणिज्य और उद्योग  
संस्थाओं के सच के अध्यक्ष थे, इसके वक्तव्यक  
नेता होकर गए थे। इन शिप्टमंडल में कुछ  
सरकारी अधिकारी और कुछ प्रमुख व्यापारी

भी थे। २५ अप्रैल को लाइनमाम में वाणिज्य  
और उद्योग उपमन्त्री, श्री सतीश चन्द्र ने इस  
शिप्टमंडल की रिपोर्ट मदन की मेज पर रखी।

इस रिपोर्ट के कुछ अंशों में इंग्लैंड को छोड़कर  
अन्य पश्चिम यूरोपीय देशों से भारत को  
कच्चे मामान, पूजागत माल और अन्य  
संयोग आदि का आयात काफी बढ़ा है।  
किन्तु इन देशों का भारत से होने वाले निर्यात  
में कोई खास घट-बढ़ नहीं हुई है। १९५७ में  
भारत को इन देशों के आयात-निर्यात से  
२०६ करोड़ ८७ लाख ८० का और १९५८  
में १४२ करोड़ ९७ लाख ० का घाटा हुआ।  
यह घाटा भारत के विदेशी व्यापार में कुल  
घाटे का ४८ प्रतिशत है।

इस शिप्टमंडल ने अपनी ३४ दिन की  
यात्रा से सरकारी प्रतिनिधियों और संस्थाओं  
से, यूरोपीय आर्थिक आयोग और प्रमुख  
व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा बैंक-मालिकों

यह आग प्रकट की गई है कि यूरो में ओवांगोरकरण से जो अत उत देता का कच्चा सामान में बदल मगाना पड़ेगा। कुछ समय बाद मरकार यह महसूस करने लग्यो न निर्यात व्यापार तभी बढ सकता है अतः यहा आयात को भी अच्छा ए देणे।

डोस कार्रवाई को जाए रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम यूरोप देशों को भारत का निर्यात व्यापार बढ़ाने लिए कई क्षेत्रों में डोस कार्रवाई करनी होगी। इनमें कोई सन्देह नहीं कि भारत सरकार और भारतीय उद्योगपति, दोनों ही पश्चिमी यूरोप में आर्थिक सहयोग बढ़ाने के इच्छुक हैं। यहा के देशों में भी यह विचार है कि अगर भारत में उनका निर्यात बड़े तौ उनके यहा भारतीय सामान का आयात भी बढ सकता है। अत रिपोर्ट में यह आशा व्यक्त की गई है कि भारतीय सरकार अपनी व्यापार नीति और उदार बनाएगी। ऐसा होने मे भारतीय

निर्यातक पश्चिम यूरोप को दीध हो न केवल कच्चे माल का बल्कि तैयार माल का भी निर्यात आगमनों मे बढा सकेंगे।

### विदेशों को मांग का खयाल

रिपोर्ट में भारतीय निर्यातकों से यह अनु-रोध किया गया है कि वे पश्चिम यूरोपीय देशों का जहूरतों का खयाल रखें। भारतीय व्या-पारियों को चाहिए कि वे यूरोपीय देशों के व्यापारियों को मलाह में केवल ऐसे मामान का निर्यात करे जिसको उन्हें जहूरत हो। अगर पश्चिम यूरोप के उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार माल बने और उप-युक्त दामों पर उन्हें दिया जाए तो भारत के निर्यात व्यापार को काफी बढावा मिल सकता है। इस सम्बन्ध में, पिण्डमंडल के विचार से यह परम आवश्यक है कि भारतीय माल को किस्म पर नियंत्रण रखा जाए, मामान का पैकिंग अच्छा हो और व्यापारिक श्रांद्धों का मतीबजनक निपटारा करने की व्यवस्था हो।

## १९५८ में सामान्य बीमा कारोवार

भारत सरकार के बीमा नियंत्रक ने हाल ही में 'भारतीय बीमा बर्न-बोव, १९५९' प्रकाशित किया है, जिससे पता चलता है कि १९५८ में भारतीय बीमा कम्पनियों का सामान्य (जनरल) बीमों का कारोवार पिछले साल की अपेक्षा बडा हो। १९५८ में भारतीय बीमा कम्पनिया को प्रीमियम से १२ करोड़ ९६ लाख ४० की आय हुई, जबकि १९५७ में १० करोड़ ९६ लाख ४० की हुई थी। १९५८ में आग वामा से ४ करोड़ ३६ लाख ४०, जहाजों बीमा से २ करोड़ ५९ लाख ४० और फुटकर बीमों से ६ करोड़ १ लाख ० की आय हुई। भारत में विदेशी बीमा कम्पनियों को भी १९५७ की अपेक्षा १९५८ में आग बीमों और फुटकर बीमों के प्रीमियम में ज्यादा आय हुई। जहाज बीमों से इस साल, विदेशी कम्पनियों को कम आय हुई। १९५८ में इन कम्पनियों को प्रीमियम से कुल ७ करोड़ १९ लाख ४० की आय हुई।

भारतीय कम्पनियों को विदेशों में भी १९५८ में पिछले साल से आग बीमों के अलावा

जीवन बीमा और फुटकर बीमा करने के लिए दर्ज हैं।

भारतीय कम्पनियों में से ४७ कम्पनिया बम्बई राज्य में दर्ज थी और बीमों का बिना भी होने वाली कुल आय की ६२ प्रतिशत आय इन कम्पनियों को हुई। भारत में अमरीकी कम्पनियों को जो आय हुई, उसकी ७१ प्रतिशत आय ब्रिटेन की कम्पनियों को हुई जिनकी मध्या यह ६४ थी।

भारतीय बीमा कम्पनियों को आग बीमों में ७ करोड़ ९४ लाख ४०, जहाज बीमों से ४ करोड़ ३७ लाख ४० और फुटकर बीमों से ७ करोड़ ७२ लाख ४० की, अर्थात् कुल २० करोड़ ३ लाख ४० की प्रीमियम के रूप में आय हुई। अमरतीय कम्पनियों का कुल ९ करोड़ ६३ लाख ४० का कुल प्रीमियम बंडा जिगमें से आग बीमों का ४ करोड़ ६८ लाख ४०, जहाज बीमों का २ करोड़ ३२ लाख ४० और फुटकर बीमों का २ करोड़ ६३ लाख ४० हुआ। भारत के बाहर भारतीय कम्पनियों को आग बीमों से २ करोड़ १९ लाख ४० की, जहाज बीमों से १ करोड़ ७२ लाख ४० की और फुटकर बीमों से २ करोड़ ७४ लाख ४० की, अर्थात् कुल ६ करोड़ ६५ लाख ४० की प्री-मियम के रूप में आय हुई।

भारत में और विदेशों में भारतीय कम्-पनियों का १९५८ में पिछले साल की अपेक्षा आग और फुटकर बीमों का प्रीमियम बडा, जबकि जहाज बीमों का प्रीमियम कम हुआ। विदेशों कम्पनियों की भारत में फुटकर बीमों की निम्नता से १९५८ में १९५७ से ज्यादा आय हुई, जबकि आग और जहाज बीमों से कम की आय हुई।

### सम्बन्ध

भारतीय बीमा कम्पनियों की ३१ दिसम्बर १९५८ को ५१ करोड़ ७९ लाख ४० की सम्पदा थी, जबकि १९५७ के अंत में ५९ करोड़ ८ लाख और १९५६ में ४३ करोड़ की थी। ३१ दिसम्बर, १९५८ से कुल सम्पदा का १५.१ प्रतिशत सरकारी सिक्कूरिटियों और ३.९ प्रतिशत विदेशी सरकार की सिक्कूरिटियों, २७.५ प्रतिशत भारतीय कम्प-नियों के शेयरों और ऋण-पत्रों, १.७ प्रतिशत जमीन और इमारत आदि, २१.६ प्रतिशत बचत, नकदी और स्टाम्पों पर, १८ प्रतिशत

अन्य सामान्य बीमों से ज्यादा प्रीमियम मिला। इस साल भारतीय कम्पनियों को विदेशों में कुल १२ करोड़ २ लाख की निर्यात मिली, जिनमें से ६ करोड़ ६५ लाख ४० आग बीमों से, २ करोड़ ३६ लाख ४० जहाज बीमों से और ३ करोड़ १ लाख ४० फुटकर बीमों से मिले।

सर्व १९५७ में भारत में सामान्य बीमों के कारोवार के सूचक अंक में ०.५ की वृद्धि हुई थी, जबकि १९५८ में ६.१ की वृद्धि हुई।

### बीमा कम्पनियों की संख्या

३१ दिसम्बर, १९५९ को बीमा अवि-नियम, १९३८ के अंतर्गत एक या एक से ज्यादा किस्म का साधारण बीमा करने वाली १७७ कम्पनियां दर्ज थी। इनमें से ९० कम्पनिया भारतीय और ८७ विदेशी हैं। इनमें से ५० भारतीय और ३८ विदेशी कम्पनिया तोना किस्म का सामान्य बीमा कर रहेंगे थी, ११ भारतीय और १८ विदेशी कम्पनिया २ किस्म का, तथा २९ भारतीय और ३१ विदेशी कम्पनियां सिर्फ एक प्रकार का सामान्य बीमा करने वाली थी। इनमें भारत के जीवन बीमा निगम का नाम शामिल नहीं है, जो

ऋण और ५८ प्रतिशत फुटकर मर्दा में लगा था। बाकी लेनदारों का ०.४ प्रतिशत ब्याज में और २२.२ प्रतिशत एजेंटों में पावना था।

दूसी अवधि में अमरावती बॉमा कम्पनियाँ की मारल में ११ करोड़ २१ लाख ६० की सम्पदा थी। इन सम्पदा का २३.५ प्रतिशत मरुतारों और मरुतारों अधिकारियों की निवृत्तिरहिया, २४.४ प्रतिशत कम्पनियों के मरुतारों और ऋणग्रहों, २७ प्रतिशत जमान और मरुतार आदि, २९.३ प्रतिशत जमा, मरुतारों और स्टाम्पा में ०.२ प्रतिशत ऋण और ९.१ प्रतिशत फुटकर मर्दा में लगा था। बाकी लेनदारों का ०.३ प्रतिशत ब्याज में और ८.५ प्रतिशत एजेंटों में पावना था।

### बोमों के खर्च का ब्योरा

आग बॉमा व्यवसाय में भारतीय बॉमा कम्पनियों ने अपनी क्रियाओं का वार्षिक आय का ३३ प्रतिशत वर और फुटकर मर्दा पर, १.४ प्रतिशत वर्गीकृत वर और ३६ प्रतिशत दावों पर व्यय किया। इनके बाद उनके पास वार्षिक आय का १७ प्रतिशत बच रहा। इसी प्रकार अमरावती कम्पनियों ने वार्षिक आय का ३४ प्रतिशत वर और फुटकर मर्दा पर, १.४ प्रतिशत वर्गीकृत वर और २३ प्रतिशत दावों पर खर्च किया और ०.८ प्रतिशत रकम बची रह गई।

जहाजी बॉमा व्यापार में भारतीय बॉमा कम्पनियों ने अपनी कुल आय का १९ प्रतिशत वर और फुटकर मर्दा पर, ३ प्रतिशत वर्गीकृत वर और ५.३ प्रतिशत दावों पर खर्च किया और १७ प्रतिशत रकम बचा रह गई। अमरावती कम्पनियों ने इन मर्दों पर अपनी कुल आय का क्रमशः २७ प्रतिशत, ९ प्रतिशत और ६९ प्रतिशत खर्च किया। इनके बाद उनके पास १.५ प्रतिशत रकम बचा रह गई।

फुटकर जमा व्यवसाय का ब्योरा देने हुए बताया गया है कि क्रियाओं का वास्तविक आय में वर और फुटकर मर्दा पर २६ प्रतिशत, वर्गीकृत वर पर १० प्रतिशत और दावों पर ५९ प्रतिशत व्यय किया गया। इनके बाद उनके पास कुल आय का १० प्रतिशत बच रहा। अमरावती कम्पनियों के ये आकड़े इस प्रकार हैं: ३३ प्रतिशत, ३३ प्रतिशत, ४१ प्रतिशत। १३ प्रतिशत बाकी बच रहा।

### प्रबन्ध पर खर्च

बोमा नियंत्रक ने रिपोर्टों में बताया है कि १९५८ में १९५७ के मुकाबले अधिक भारतीय कम्पनियों ने अधिनियमों की ४०मी धारा का उल्लंघन किया। पर १९५८ में १९५७ के मुकाबले नये विदेशी कम्पनियों ने इन धारा का उल्लंघन किया। १९५७ में इस धारा का उल्लंघन करने वाले तीन-चौथाई कम्पनियों को अधिनियम की ६४ एम (२) धारा के अनुसार चेतावनी दी गई। १९५८ में १३४ भारतीय और विदेशी कम्पनियाँ काम कर रही थीं। इनमें से २७ ने १९५३ में ५८ तक उपाय धारा का ४ या इनमें अधिक बार उल्लंघन किया। इनमें से २२ कम्पनियों को १९५३ ने १९५७ तक एक या अधिक बार चेतावनी दी गई।

बॉमा नियंत्रक ने बताया है कि जिन कम्पनियों ने १९३९ के बॉमा नियमों के १७ ई नियम में निर्धारित खर्च में नम खर्च किया है, उनको जाय घटी है। बॉमा कम्पनियों के १९५९ में १९५८ तक के हिसाब को देखकर बॉमा नियंत्रक ने बताया कि प्रबन्ध के वास्तविक और निर्धारित खर्च का अंतर बहुत कम हुआ है। १९५८ में तो वास्तविक खर्च निर्धारित खर्च से अधिक हुआ है।

### प्रशासक द्वारा प्रबन्ध

भारत इश्योरिंग कम्पनी लि० और जूडियर जनरल इश्योरिंग कम्पनी लि० का प्रबन्ध प्रदायक के हाथ में है। ३१ दिसम्बर, १९५८ का भारत इश्योरिंग कम्पनी लि० की जीवन बॉमा निधि ८ करोड़ ७३ लाख ६० और जूडियर जनरल इश्योरिंग कम्पनी लि० की २ करोड़ ८५ लाख ६० थीं। इन कम्पनियों का कुल बॉमा जमान २ करोड़ ७६ लाख ६० और ८ करोड़ ९३ लाख ६० रहा।

### हगडो का निवटारा

१९३८ के बॉमा अधिनियम की ६७वीं धारा के अन्तर्गत बॉमा नियंत्रक के पास केवल एक श्रेणी निवटारे के लिए आया। १९५९ में जीवन बॉमा निगम ने २ दावों का भुगतान किया। वर्ष के अंत में २ अजियों पर विचार हो रहा था।

### आय-व्यय

भारतीय बॉमा कम्पनियों को कुल २५ करोड़ ५६ लाख ६० की आय हुई। इनमें से भारत में बॉमों की क्रियाओं में १२ करोड़ ९६ लाख ६० की; विदेशों में बॉमों की क्रियाओं से १२ करोड़ २ लाख ६० की; मूद, किराये आदि से ३७ लाख ६० की और अन्य साधनों में २१ लाख ६० की आय हुई। इस अवधि में कुल २२ करोड़ ९० लाख ६० खर्च हुए। इनमें से १२ करोड़ ५६ लाख ६० दावों के ह्रास में, ३ करोड़ ३३ लाख ६० कर्मियों पर, ६ करोड़ ७७ लाख ६० विभिन्न खर्चों पर और २४ लाख ६० फुटकर कामों पर खर्च हुए। बाकी के २ करोड़ ६६ लाख ६० में से १ करोड़ ५७ लाख ६० आरक्षित फॉण्ड में और १ करोड़ ९ लाख ६० हानि और लाभ के खाने में जमा कर दिया गया। १ करोड़ ९० लाख ६० की इन लाभ बॉमों, रकम में से पिछले माल की २० लाख ६० की हानि निकाल कर जो रकम बची, वह और ब्याज आदि की आय की ९४ लाख ६० और फुटकर आय की २४ लाख ६० की कुल रकम, अर्थात् २ करोड़ ७ लाख ६० हानि और लाभ के खाते में और हानि-लाभ विनियोग खाते में इन प्रकार जमा कर दी गयी --

प्रबन्ध खर्च— १४ लाख ६०  
 कर देने पर खर्च— ७६ लाख ६०  
 किसी विशेष फॉण्ड या खाते

में हस्तांतरित— ३३ लाख ६०  
 १९५८ का लाभश— ४० लाख ६०  
 फुटकर— २० लाख ६०

शेष जो अगले साल के लिए

रख दिया गया— २४ लाख ६०

१ जनवरी, १९५९ का आधा इश्योरिंग कम्पनी लि० का व्यापार हिन्दुस्तान आइन्डियल इश्योरिंग कम्पनी लि० को सौंप दिया गया। १९५९ में अदानती ने पौरवन्दर की धर्मगो मीरानजी मीरान इश्योरिंग कम्पनी लि०, बडोदा की गिजामना इश्योरिंग सोसायटी लि० और बम्बई की विभवभारती इश्योरिंग कम्पनी लि० को धना बन्द करने का आदेश दिया।

### बोमा एजेंट

१९५९ में ६७ हजार १६१ बोमा एजेंटों को लाइसेंस दिए गए।



## भारतीय बीमा संघ

साधारण बीमा करने वाली कम्पनियां के लिए भारतीय बीमा सच ने काम के जो नियम बनाए हैं, उनका परिपालन मय का ध्यान विभाग करता रहा। बीमा नियंत्रक इस विभाग के प्रधान हैं। इसका मुख्य कार्यालय नयी दिल्ली में और शाखाएँ बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हैं।

### नियम का उल्लंघन

नियमों का उल्लंघन करने वाली की वार्षिक पुस्तिका में प्रकाशित सूची से पता चलता है कि १९५३ से १९५८ तक २१ कम्पनियों ने चार या अधिक बार, ११ कम्पनियों ने तीन बार और १६ कम्पनियां ने दो बार अपने हिसाब का ब्योरा समय से जाच के लिए नहीं भेजा।

१९५८ में २५ कम्पनियों ने अपने हिसाब का ब्योरा समय से जाच के लिए नहीं भेजा, जबकि १९५७ में ४७ कम्पनियों ने समय से हिसाब नहीं भेजा था। बीमा नियंत्रक ने कड़ा-कि समय से हिसाब का ब्योरा न भेजने वाली कम्पनियों की सूची में बहुत कमी हुई है, फिर भी स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। बीमा नियंत्रक ने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया है कि बहुत-सी बीमा कम्पनियां हिसाब का ब्योरा भेजने के बहुत दिन बाद तक भी लनेक पूरक ब्योरा नहीं भेजती।

## राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की १९५६-६० की रिपोर्ट

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने १९५६-६० में सरकारी सामान की खरीद के लिए २.६५ करोड़ रु० के ठेके लिये। १९५५-५६ में ५ लाख रु० से भी कम का सामान सरकार ने खरीदा था। यह सूचना निगम की १९५६-६० की रिपोर्ट में दी गई है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस तरह लघु उद्योगों से सरकारी सामान की खरीद के बारे में सफ़ाई और हिस्सेदल के महानि-देगालय ने कुछ निश्चित नियम बनाए हैं, उन्ही प्रकार के नियम विभिन्न राज्यों में भी बनाने के लिए रेल मंत्रालय ने जायदे दिए हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने ऐसे कारखानों

की एक सूची तैयार की है जो राज्यों को उनकी मांग के अनुसार माल सफ़ाई कर सकते हैं।

निगम ने छंटे-छंटे कारखानों को बिस्ती पर सामान देने की जो योजना बनाई है, इस वर्ष उनमें ओर भी अधिक सामान गरीदा गया। लघु उद्योग कारखानों की इस योजना के अंतर्गत १.२७ करोड़ रु० कीमत का १,२०० मशीनें सफ़ाई की गईं। देश के अल्प-विकसित क्षेत्रों में चल रहे कारखानों को दश योजना के अंतर्गत मशीनें आदि सफ़ाई करने में कुछ ओर विशेष सुविधाएँ देने के बारे में विचार किया जा रहा है।

### सहायक उद्योग

रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वर्ष निगम ने सहायक उद्योग स्थापित करने के बारे में भी काफी प्रयत्न किए और उनमें सफ़रता भी मिली। बग़लौर की लघु उद्योग सेवा संस्था ने इस क्षेत्र के कुछ उद्योगिकों की बड़े उद्योगों के साथ छंटे-छंटे सहायक उद्योग खोलने के लिए प्रस्तावित किया। इसी प्रकार मद्रास, कलकत्ता, पटना और बम्बई में भी सहायक उद्योग खोलने की योजनाएँ तैयार की जा चुकी हैं।

लघु उद्योगों में तैयार सामान को बेचने में भी निगम द्वारा स्थापित थोक दुकानों से काफी सहायता मिली। इस समय ऐसी ९ दुकानें काम कर रही हैं। १९५६-६० में इन दुकानों ने १६ लाख रु० का सामान बेचा।

### निर्गत

निगम ने लघु उद्योगों द्वारा तैयार किए गए ६ लाख रु० के जूते, रुब, पीकेड, पूर्वी जर्मनी और बर्लिनरिया को निर्गत किए। इसी प्रकार चमड़े के सामान, सूती मोबे-यनियान आदि, खेल के सामान, कांच के मोती आदि भी निर्गत किए गए।

### प्रशिक्षण और उत्पादन केन्द्र

ओल्ला और राजकोट में लघु उद्योगों के प्रशिक्षण और उत्पादन केन्द्र खोलने का काम अब करीब-करीब पूरा हो चुका है। ओल्ला में कारखानों की इमारत का निर्माण-कार्य ७० प्रतिशत पूरा हो गया है। इन केन्द्र में करीब ३६ लाख रु० की मशीनें लगाई जाएगी, जिनमें से लगभग ३२ लाख रु० की मशीनें लगाई जा चुकी हैं। राजकोट में गत फरवरी

माह से पहले वर्ग की ट्रेनिंग शुरू हुई। इस क्षेत्र में भी अधिकांश मशीनें लगाई जा चुकी हैं।

## १९५५-५६ में राष्ट्रीय यंत्र कारखानों का उत्पादन

केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रीय यंत्र कारखानों में १९५८-५९ में, पिछले साल से ४७ प्रतिशत उत्पादन बढ़ा और ५० प्रतिशत मूल्य अधिक बिका। इस प्रकार कारखानों को इस वर्ष २ लाख ४८ हजार रु० का लाभ हुआ। यह जानकारी आरखानों की १९५८-५९ की रिपोर्ट में दी गई है। कारखानों की यह दूसरी वार्षिक रिपोर्ट है और इसे उद्योग मंत्रो, श्री मनुभाई शाह ने २५ अप्रैल को लोकसभा की भेज पर रखा।

रिपोर्ट में बताया गया है कि १९५८-५९ में ४४ लाख १२ हजार रु० के यंत्र बने। १९५७-५८ में ३० लाख १ हजार रु० के और १९५६-५७ में २३ लाख ७ हजार रु० के यंत्र तैयार हुए थे। इसी प्रकार १९५८-५९ में ४५ लाख ३० हजार रु० की विक्री हुई, १९५७-५८ में ३० लाख ५० हजार रु० की और १९५६-५७ में २४ लाख १६ हजार रु० की।

जैसा कहा जा चुका है इस साल कारखानों ने २ लाख ४८ हजार रु० का लाभ दिखाया। यह लाभ ३ लाख ९३ हजार रु० घिसाई कोष में रखने के बाद बचा। पिछले सालों में यह कारखाना घाटा देता रहा है। १९५७-५८ में ६ लाख ७८ हजार रु० का घाटा हुआ था।

## घड़ियां बनाने का सरकारी कारखाना

लोकसभा में २० अप्रैल को उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने बताया कि जापानी घड़ी कम्पनों के सहयोग से भारत में घड़ी का जो कारखाना खोला जा रहा है, वहा जब पूरी तरह से काम होंगे लगभग तीस प्रतिशत सालाना १ करोड़ से १।१ करोड़ रु० के मूल्य की विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

श्री शाह ने बताया कि घड़ी कारखानों का काम हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखानों को सौंपा गया है, क्योंकि दोनों कारखानों के काम में बहुत समानता है। इस कारखानों में १९६२ में किसी समय काम शुरू हो जाएगा।

कॉरपोरेशन का १०० हज़ार के पहले साल में पैसे के ५४ प्रतिशत पुर्ण देय में हों बनाए जाएंगे और ४ साल में ८७ प्रतिशत पुर्ण करें। बनाए जाने लगे। कारखाने में १ करोड़ में १११ करोड़ तक खर्चा लगाया जाएगा, जिनमें से ३० करोड़ २० विदेशी मुद्रा में होगा, जो विदेशों में वन और उपकरण आदि माल में खर्च किया जाएगा। इनके लिए इन्वैन्विस्टमेंट तथा एक्विपमेंट्स की अपूर्णता कारखानों के महत्व में भारत और आगत में इन्वैन्विस्टमेंट को धनमय्य को जाएगा।

श्री माहू ने बताया कि अनुमान है कि कारखानों में मासिक ३ लाख ६० हजार में ६ लाख तक खर्च का प्रतिशत बर्ताया जाएगा।

### हिन्दुस्तान सेल फैक्टरी

हिन्दुस्तान सेल फैक्टरी में मन्तव्यी लोग की आ हिन्दुस्तान सेल फैक्टरी है, जिनमें ८० प्रतिशत देवी कच्चा माल इम्पोर्ट होगा है। किन्तु इन फैक्टरी में टर्नआउट के ६३० मील लम्बे ड्राई कोर तार और ३०० मील लम्बे काग्निविषयक तार बनाने की क्षमता है।

यह सूचना उद्योग मन्त्री, श्री नरसिंह माहू ने २५ अप्रैल का कार्यक्रम में एक प्रश्न के उत्तर में दी। श्री माहू ने बताया कि इस फैक्टरी का विस्तार करने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और माहू ने उन पर अन्तिम निर्णय किया जाएगा। ये प्रस्ताव इन प्रकार हैं— (१) प्रतिदिन ३० लाख मील तक, कई परिवारों में २,०००-२,५०० मील तक लम्बे ड्राई कोर तार बनाए जाए, (२) तारों का तार बनाने वाला मशीन लगाया जाए, और (३) प्लास्टिक के इन्वैन्विस्टमेंट तार बनाने की मशीन लगाई जाए।

### सरकारी कारखानों में बनी चीजों की ग्यारी

२५ अप्रैल को लोकसभा में, सरकार द्वारा सरकारी कारखानों का धागा का प्राथमिकता देने का प्रश्न उठाए जाने पर निर्माण, आवास और पूर्ण मंत्री, श्री के० पी० रेड्डी ने सदन का भेज पर निम्नलिखित बयान बय रखा :

सरकारी कारखानों में बने सामान की ग्यारी के बारे में सामान ग्यारी समिति की सिफारिशों के आधार पर मई १९५६ में सामान नीति बनाई गई थी। इसमें कहा गया था कि अगर नियम समय में उपयुक्त होगा तो और आवश्यक प्रकार की चीजें मिल जाएंगी, जहाँ तक सम्भव हो, यह सामान सरकारी कारखानों में ही तैयार जाए। इन्वैन्विस्टमेंट पर ध्यान कि अगर सरकारी कारखानों पर प्रोत्साहन सारों में पूर्ण कर सकें तो उनके सामान का प्राथमिकता दी जाए। सरकारी कारखानों का सामान ग्यारीदेत समय कामकाज का इन्वैन्विस्टमेंट नहीं दी जाए।

यंगे हुए माल चीजों जैसे टेक्साकोन के तार, बिजली का सामान, गतिन सम्बन्धी और इन्वैन्विस्टमेंट जोड़ने, तार मन्तव्यी उपकरण आदि के तार सरकारी कारखानों में ही तैयार होते हैं। अगर सरकारी कारखानों में ही तैयार करके सामान नया बना लाने, तो यह और निर्णय जगह सरकारी किया जाता है।

### मैमूर आयरन एंड स्टील वर्क्स का प्रतिधारण मूल्या

मैमूर आयरन एंड स्टील वर्क्स के इस्पात के आगत प्रतिधारण मूल्य में २५ प्रति टन वृद्धि करने का भारत सरकार ने निश्चय किया है। यह वृद्धि १ अप्रैल, १९५५ से ३१ मार्च, १९५९ तक की अवधि के लिए की गई है। इस अवधि के लिए उगत कारखानों में बनने वाले सब तरह के लोहे के बॉन्ड के प्रति लागू मूल्य में भी १५ प्रति टन की वृद्धि का गई है।

आज तक इस कारखानों में बनने वाले इस्पात का आगत प्रतिधारण मूल्य ४२५ रु० प्रति टन है।

मई १९५९ में मैमूर आयरन एंड स्टील वर्क्स ने यह मांग की थी कि कोयले, कोक, गतिन लोह आदि की कीमतें घट जाने से उत्पादन खर्च में काफी घट गया है, अतः उसका प्रतिधारण मूल्य घटा दिया जाए। तत्पश्चात् आगत में भी अपूर्ण १९५६ की रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि उगत स्थिति में

इस कारखानों को कुछ रियायत दी जाए। अतः अब भारत सरकार ने प्रतिधारण मूल्य घटाने का निश्चय किया है।

### आयात नियन्त्रण संगठन का कार्य विवरण

अप्रैल १९५९ से मार्च १९६० तक की अवधि में आयात नियमन संगठन के दफ्तर में आयात लाइसेंस के लिए २,१२,२९६ अर्जिया मिलीं। इनमें पहले इतनी अर्जिया नहीं आई थीं।

अर्जिया मिलने के साथ-साथ उनका निपटारा भी किया जाता रहा। इस अवधि में पार्सोनेरी को छुटकर कुल १,८३५ आवेदन-पत्र एंगे थे, जिनके बारे में फैसला होना बाकी था।

गण्डन में आयात सम्बन्धी लाइसेंसों के बारे में निर्णय करने के अलावा आयात नीति, जर्नाल और नियमों के बारे में विभिन्न वाणिज्य और व्यापार मंडलों आदि के पत्रों का भी उत्तर दिया। आर्गोन्स्य अवधि में इस प्रकार के ८ लाख से अधिक पत्र आये। आयात निर्यात नियमन कानूनों के उल्लंघन के कारण ४४ फर्मा की नाम पारिश्रित किया गया।

### ब्रिटेन को चाय का निर्यात

१६ अप्रैल के पहले ३ महीनों में भारत से ब्रिटेन को ४ करोड़ ९३ लाख पीड चाय का निर्यात हुआ। पिछले साल इसी अवधि में ३ करोड़ ४ लाख पीड चाय ब्रिटेन भेजी गई थी। यह सूचना वाणिज्य और उद्योग उपमन्त्री, श्री सतीश चन्द्र ने २५ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

उपमन्त्री महोदय ने बताया कि लंदन के नौलाम में १ जनवरी से ८ अप्रैल, १९६० तक उतरी भारत को चायों का भाव ५२.३४ पेंस रहा। पिछले साल की इसी अवधि का भाव ५०.८२ पेंस था। दक्षिण भारत की चायों के भाव इस साल ४९.३५ पेंस और पिछले साल ४९.६५ पेंस रहे। श्री सतीश चन्द्र ने अपने उत्तर में उत्तर और दक्षिण भारत की चायों के कलकत्ता, कोंचीन के नौलामी के भावों का भी ब्योरा दिया।

## भारतीय बीमा संघ

साधारण बीमा करने वाली कम्पनियों के लिए भारतीय बीमा सब से काम के जो नियम बनाए हैं, उनका परिपालन सब का शासन विभाग करता रहा। वामा नियंत्रक इस विभाग के प्रधान हैं। इसका मुख्य कार्यालय नयी दिल्ली में और शाखाएँ बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हैं।

### निगम का उल्लंघन

नियम का उल्लंघन करने वाली की वार्षिक पुस्तिका में प्रकाशित सूची से पता चलता है कि १९५३ से १९५८ तक २१ कम्पनियों ने चार या अधिक बार, ११ कम्पनियों ने तीन बार और १६ कम्पनियों ने दो बार अपने हिसाब का ब्योरा समय से जाच के लिए नहीं भेजा।

१९५८ में २५ कम्पनियों ने अपने हिमाय का ब्योरा समय से जाच के लिए नहीं भेजा, जबकि १९५७ में ४७ कम्पनियों ने समय से हिसाब नहीं भेजा था। बीमा नियंत्रक ने कहा कि समय से हिमाय का ब्योरा न भेजने वाली कम्पनियों की संख्या में बहुत कमी हुई है, फिर भी स्थिति बहुत सचीवजनक नहीं है। बीमा नियंत्रक ने डम बात को ओर भी ध्यान दिलाया है कि बहुत-सी बीमा कम्पनियाँ हिमाय का ब्योरा भेजने के बहुत दिन बाद तक भी अनेक पूरक ब्योरा नहीं भेजती।

## राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की

### १९५६-६० की रिपोर्ट

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने १९५९-६० में सरकारी सामान की खरीद के लिए २.६५ करोड़ रु० के ठेके लिये। १९५५-५६ में ५ लाख रु० से भी कम का सामान सरकार ने खरीदा था। यह सूचना निगम की १९५९-६० की रिपोर्ट में दी गई है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस तरह लघु उद्योगों से सरकारी सामान की खरीद के बारे में सफ़ाई और डिप्लोमेटिक महानि-  
देशालय ने कुछ निश्चित नियम बनाए हैं, उसी प्रकार के नियम विभिन्न रेलों में भी बनाने के लिए रेल मंत्रालय ने आदेश दिए हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने ऐसे कारखानों

की एक सूची तैयार की है जो रेलों को उनकी मांग के अनुसार माल सफ़ाई कर सकते हैं।

निगम ने छंटे-छंटे कारखानों को निर्दोषी पर सामान देने की जो योजना बनाई है, इस वर्ष उसमें ओर भी अधिक सामान गरीबों गया। लघु उद्योग कारखानों की इस योजना के अंतर्गत १२७ करोड़ रु० कामत का १,२०० मशीनें सफ़ाई की गईं। देश के अल्प-विकसित क्षेत्रों में चल रहे कारखाना की इस योजना के अंतर्गत मशीनें आदि सफ़ाई करने में कुछ ओर विशेष सुविधाएँ देने के बारे में विचार किया जा रहा है।

### सहायक उद्योग

रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वर्ष निगम ने सहायक उद्योग स्थापित करने के बारे में भी काफी प्रयत्न किए और उनमें सफ़लता भी मिली। बगलोर की लघु उद्योग सेवा संस्था ने इस क्षेत्र के कुछ औद्योगिकों की बड़े उद्योगों के साथ छोटे-छोटे सहायक उद्योग खोलने के लिए प्रस्तावित किया। इसी प्रकार मद्रास, कलकत्ता, पटना और बम्बई में भी महायुक्त उद्योग खोलने की योजनाएँ तैयार की जा चुकी हैं।

लघु उद्योगों में तैयार सामान का बेचने में भी निगम द्वारा स्थापित बोर दुकानों से काफी सहायता मिली। इस समय ऐसी ९ दुकानें काम कर रही हैं। १९५९-६० में इन दुकानों ने १६ लाख रु० का सामान बेचा।

### निर्मात

निगम ने लघु उद्योगों द्वारा तैयार किए गए ६ लाख रु० के जूते, ऊत, पोन्ड, पूर्वी जर्मनी और बल्गेरिया को निर्यात किए। इसी प्रकार चमड़े के सामान, सूती मोजे-बन्दियान आदि, खेल के सामान, काच के बोतली आदि भी निर्यात किए गए।

### प्रशिक्षण और उत्पादन केन्द्र

ओखला और राजकोट में लघु उद्योगों के प्रशिक्षण और उत्पादन केन्द्र खोलने का काम अब करीब-करीब पूरा हो चुका है। ओखला में कारखाने की इमारत का निर्माण-कार्य ७० प्रतिशत पूरा हो गया है। इस केन्द्र में करीब ३६ लाख रु० की मशीनें लगाई जाएंगी, निगम से लगभग ३२ लाख रु० की मशीनें लगाई जा चुकी हैं। राजकोट में गत फरवरी

माह से पहले वर्ग की ट्रेनिंग शुरू हुई। इस वर्ष में भी अधिकांश मशीनें लगाई जा चुकी हैं।

## १९५८-५९ में राष्ट्रीय यंत्र कारखाने का उत्पादन

केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रीय यंत्र कारखाने ने १९५८-५९ में, पिछले साल से ४७ प्रतिशत उत्पादन बढ़ा और ५० प्रतिशत मात्र अधिक बिका। इस प्रकार कारखाने की इस वर्ष २ लाख ४८ हजार रु० का लाभ हुआ। यह जानकारी कारखाने की १९५८-५९ की रिपोर्ट में दी गई है। कारखाने की यह दूसरी वार्षिक रिपोर्ट है और इसे उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई साहू ने २५ अप्रैल को लोकसभा की भेज पर रखा।

रिपोर्ट में बताया गया है कि १९५८-५९ में ४४ लाख १२ हजार रु० के यंत्र बने। १९५७-५८ में ३० लाख १ हजार रु० के और १९५६-५७ में २३ लाख ७ हजार रु० के यंत्र तैयार हुए थे। इसी प्रकार १९५८-५९ में ४५ लाख ३० हजार रु० की बिक्री हुई, १९५७-५८ में ३० लाख ५० हजार रु० की और १९५६-५७ में २४ लाख १६ हजार रु० की।

जैसा कहा जा चुका है इस साल कारखाने ने २ लाख ४८ हजार रु० का लाभ दिखाया। यह लाभ ३ लाख ९३ हजार रु० घिसाई कोष में रखने के बाद बचा। पिछले सालों में यह कारखाना घाटा देता रहा है। १९५७-५८ में ६ लाख ७८ हजार रु० का घाटा हुआ था।

## घड़ियाँ बनाने का सरकारी कारखाना

लोहसभा में २० अप्रैल को उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई साहू ने बताया कि जापानी घड़ी कम्पनी के सहयोग से भारत में घड़ी का जो कारखाना खोला जा रहा है, वहाँ जब पूरा तरह से काम होने लगा तो उससे सालाना १ करोड़ से ११ करोड़ रु० के मूल्य की विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

श्री साहू ने बताया कि घड़ी कारखाने का काम हिन्दुस्तान मशीनों और कारखाने को सौंपा गया है, क्योंकि दोनों कारखानों के काम में बहुत समानता है। इस कारखाने में १९६२ में किसी समय काम शुरू हो जाएगा।

कंठसाता चाटू हॉल के पहले माल में पत्री के ५४ प्रतिशत पुत्र देम में हो बाए जाएन ओर ४ मांग में ८४ प्रतिशत पुत्रों बर्दा बनाए जाने लगेन। कारखाने में १ करोड़ में ११ करोड़ तक शक्ता लागवा जावना, जिनमें में ३० करोड़ ६० विदेना मुद्रा में होना, मा विदेमा में प्रर जोर उपरगण आदि ममान में गवर्न किया जावना। इनके निम्न इन्फ्लिटरा तथा कर्मचारिणां को जातरा मन्धरी के महपना में भारत जोर जासना में इन्फ्लिटरा को धनधन्पा को जावना।

श्री साह ने बताया कि अनुमान है कि कारखाने में माजना ३ लाख ६० हजार में ६ लाख तक होय को प्रदिना बनाई जावना।

### हिन्दुस्तान केवल फैक्टरी

रूनानागवनपुर में नरनारी जेप को जा हिन्दुस्तान केवल फैक्टरी है, जसमें ८० प्रतिशत देना कच्चा माग उम्मेनाग हुआ है। कि इन्हा इन फैक्टरी में टेलीफोन के ८३० मील लम्बे ट्राई कोर तार जोर ३०० मील लम्बे कान्जिनयत तार बनाने का धमना है।

यह सूचना उद्योग मन्त्र, श्री मनुभाई साह ने २५ अप्रैल का उद्योगभा म एक प्रश्न के उत्तर में दी। श्री साह न बता कि इस फैक्टरी का विस्तार करने के लिए कई प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है आर साध है उन पर अन्तिम निर्णय किया जाएगा। ये प्रस्ताव इन प्रकार है (१) अजिगिनव रमोन लगा कर, कई पारिवा में २,०००-२,५०० मील तक लम्बे ट्राई कार तार बनाए जाए, (२) तावें वा तार बनाने बाधा गवय लगाया जाए, और (३) प्लास्टिक के इन्फ्लेटेड तार बनाने की मधीन लगाई जाए।

### सरकारी कारखानों में बनी चीजों की खरीद

२५ अप्रैल को लोकसभा में, सरकार द्वारा सरकारी कारखानों का चांग का प्राथमिकता देने का प्रश्न उठाए जाल पर निर्माण, आवास और पूति मंत्री, श्री के० गी० रेडडी ने सदन का मेज पर निम्नलिखित पत्रवाच्य रखा :

सरकारी कारखानों में बने सामान की खरीद के बारे में सामान खरीद नमिति की निष्कारिता के आधार पर मई १९५६ में सामान्य नीति बनाई गई थी। इनमें कहा गया था कि अगर नियम समय में, उपयुक्त दामा पर जोर आयस्क्य प्रसार की चीजें मिल जायें, तो तब तक सम्भव हो, यह सामान सरकारी कारखानों में ही खरीदा जाए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सरकारी कारखाने उपरोक्त सामान को पूरी कर सकें तो उन्हें सामान का प्राथमिकता देना जाए। सरकारी कारखानों का सामान खरीदने समय योजना में कार्टरिजासन नहीं हो जाता। येम कुछ पना चीजों जैसे टेलीफोन के तार, विद्युत का सामान, मजिना मन्धरी और वैजिनिक माग, तार मन्धर उपकरण आदि केवल सरकारी कारखानों में ही खरीदे जाते हैं। अगर सरकारी कारखाने ऐसा कोई सामान नही बना सकते, तो यह ओर किमी जगह म खरीद किया जाता है।

### मैमूर आयरन एंड स्टील वर्क्स का प्रतिधारण मूल्या

मैमूर आयरन एंड स्टील वर्क्स के इम्पात के अंगत प्रतिधारण मूल्य म २ ६० प्रति टन वृद्धि करन का भारत सरकार ने निश्चय किया है। यह वृद्धि १ अप्रैल, १९५६ में ३१ मार्च, १९५७ तक की अवधि के लिए की गई है। इसा अर्जा के लिए उगत कारखाने म अनन बाह्य गय तरह के लाहे के दाया के प्रति लाग्य मूल्य म भा १ ६० प्रति टन को वृद्धि का गई है।

आयस्क्य इस कारखाने म बनने वाले इम्पात का आगत प्रतिधारण मूल्य ६२५ ६० प्रति टन है।

मई १९५९ में मैमूर आयरन एंड स्टील वर्क्स न यह माग का थी कि कोयले, कोक, मजिना लाह आदि को कोमते बड जाने से उदादन खर्च भा काफी बड गया है, अत उम्मात प्रतिधारण मूल्य बडा दिया जाए। तटकर आयात न भा अपना १९५६ की रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि उक्त स्थिति में

इस कारखाने को कुछ खयात दी जाए। अत. अब भारत सरकार ने प्रतिधारण मूल्य बढाने का निश्चय किया है।

### आयात नियंत्रण संगठन का कार्य विवरण

अप्रैल १९५९ से मार्च १९६० तक की अर्जा में आयात नियंत्रण संगठन के दफतर में आयात लाइसेंस के लिए २,१२,२९६ अर्जियां मिलीं। इसमें पहले इतनी अर्जिया कर्मा नहीं आई थीं।

अर्जिया के साथ-साथ उनका निपटारा भी किया जाता रहा। इस अवधि में पाउंपेरी का छोडकर कुल १,८३५ आवेदन-पत्र एंगे थे, जिनके बारे में फौसला होना बाकी था।

संगठन ने आयात मन्धरी लाइसेंसों के बारे में निर्णय करने के अलावा आयात नीति, जंपात और नियमों के बारे में विभिन्न वाणिज्य और व्यापार मंडला आदि के पत्रों का भी उत्तर दिया। मालोच्य अवधि में इस प्रकार के ८ लाख से अधिक पत्र आये। आयात नियमित नियंत्रण कानूना के उल्लंघन के कारण ४४ फर्मों का नाम पारित्र किया गया।

### ब्रिटेन को चाय का निर्यात

१६ ६० के पहले ३ महौनों में भारत से ब्रिटेन को ४ करोड़ ९३ लाख पौड चाय का निर्यात हुआ। पिछले साल इसी अवधि में ३ करोड ४ लाख पौड चाय ब्रिटेन भेजी गई थी। यह सूचना वाणिज्य और उद्योग उपमन्त्री, श्री रावीश चन्द्र ने २५ अप्रैल का लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

उपमन्त्री महोदय ने बताया कि लदन के नोलम में १ जनवरी से ८ अप्रैल, १९६० तक उत्तरा भारत की चायों का भाव ५२ ३४ पेंस रहा। पिछले साल का इसी अवधि का भाव ५० ८२ पेंस था। दक्षिण भारत की चायों के भाव इस साल ४९ ३५ पेंस और पिछले साल ६१ ६५ पेंस रहे। श्री रावीश चन्द्र ने अपने उत्तर में उत्तर और दक्षिण भारत की चायों के कलकत्ता, कर्चीन के मोठामों के भावों का भी ब्यौरा दिया।

## आंध्र प्रदेश और आसाम में कोयले का उत्पादन-मूल्य

केन्द्रीय इस्पात, खान और ईंधन मंत्री, सरदार म्वरन सिंह ने २२ अप्रैल को प्रश्नोत्तर के समय लोकसभा में आंध्र प्रदेश और आसाम में कोयले के उत्पादन-मूल्य के बारे में मूल्य निर्धारण समिति की सिफारिशों का विवरण पेश किया, जो इस प्रकार हैं :

### आसाम

(१) खासी पहाड़ियों की खानों में कोयले का खालू भाव कायम रखा जाए। चेरान्जी खान के ऊंचे भाव को घटाकर इस क्षेत्र की अन्य खानों के बराबर किया जाए।

(२) आसाम रेलवेज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी

की खानों के आजकल के पहुँचते-मूल्य (एफ० आ० आर०) और खासी पहाड़ी क्षेत्र के बाहर की अन्य खानों के दाम में कोई परिवर्तन न किया जाए। इन खानों के पहुँचते-दाम घटा दिए जाए। नजरिया खान से रेल-डिब्बे तक ले जाने का मर्च ३ ह० प्रति टन और अन्य खानों का ५० न० प्रति टन की मोल कर दिया जाए।

### आंध्र प्रदेश

(१) मध्य प्रदेश, बम्बई और उड़ीसा की खानों की तरह निगरेनों कोयले की भी किरम निर्धारित की जाए।

(२) जब तक कोयले की किरम निर्धारित न हो जाए तब तक विभिन्न श्रेणों का कोयला इस भाव पर बँचा जाए :

सरकार ने यह सुझाव मान लिए हैं। आसाम की खानों के कोयले के पुनर्निर्धारित दाम २९ जनवरी, १९६० को प्रकाशित किए गए। सिगरेनों कोयले के दाम, कोयले मंत्र द्वारा श्रेणो-निर्धारण के बाद प्रकाशित किए जाएंगे।

### हाई कोक की अधिकतम कीमतें निर्धारित

इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय ने २६ अप्रैल की एक विज्ञापित में बताया गया है कि भारत सरकार ने हाई कोक की अधिकतम कीमतें निर्धारित कर दी हैं। हाई कोक के वितरण पर जो कण्ट्रोल है, उसमें भी कुछ रियायत दी गई है।

यह निश्चय कोयला कीमत पुनर्निर्धारण समिति की पूरक रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है जो इस समिति ने दिसम्बर १९५९ में दी थी। बंगाल-बिहार की और मध्य प्रदेश, बम्बई तथा उड़ीसा की आसपास की कोयला खानों के सम्बन्ध में इस समिति ने अपनी मूल्य रिपोर्ट दिसम्बर १९५८ में ही दे दी थी। समिति ने अपनी पूरक रिपोर्ट में कहा था कि अगले कुछ वर्षों में जितनी मांग होगी, उसमें ज्यादा कोयला होगा और काफी बच भी रहेगा। अतः समिति ने सिफारिश की थी कि हाई कोक की कीमतों और वितरण पर से कण्ट्रोल हटा लिया जाए।

सरकार ने समिति की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद यह निश्चय किया है कि कण्ट्रोल एक दम हटाने की बजाय आहिस्ता-आहिस्ता हटाया जाए। अतः सरकार ने हाई कोक की अधिकतम कीमतें निर्धारित करने की प्रणाली अपनाई है। बंगाल-बिहार की खानों के सम्बन्ध में आजकल जो भाव निर्धारित है, अब वही अधिकतम भाव माना जाएगा। मध्य प्रदेश और बम्बई की खानों (जा बिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों के पास हैं) के कोयले का अभी तक कोई भाव निर्धारित नहीं था। बंगाल-बिहार की खानों के कोयले के अधिकतम भावों में बंगाल-बिहार की खानों से बिलाई तक और राउरकेला तक प्रति टन हाई कोक का रेल-भाडा मिला कर जो कीमतें बँटीगी,

### खालू भाव

### श्रेणी के आधार पर तीनों खानों के कोयले का प्रतिवित दाम

कोयले का माइज	कोठा-गुडियन और तटूर खाने	येल्लुन्दु खान	श्रेणी १	श्रेणी २	चूनी हुई श्रेणी	श्रेणी ३
राउड कोल	२७ ००	२६ ००	२७ १२	२६ ००	२८ ००	२४ ८१
मैपरेटर नट कोल १" से २"	२७ ००	२६ ००	२७ १२	२६ ००	२८ ००	२४ ८१
नट कोल ३" से १"	२५ ५०	२४ ५०	२५ ६२	२४ ५०	२६ ५०	२३ ३१
आर० ओ० एम० कोल	२६ ५०	२५ ५०	२६ ६२	२५ ५०	२७ ५०	२४ ३१
न० २ कोल	२६ ००	२५ ००	२६ १२	२५ ००	२७ ००	२३ ८१
स्लेक कोल ०" से १" और ०" से १"	२४ ००	२३ ००	२४ १२	२३ ००	२५ ००	२१ ८१
रफ स्लेक ०" से २"	—	२५ ००	२६ १२	२५ ००	२७ ००	२३ ८१

वही क्रमशः मध्य प्रदेश और बम्बई की खाती के कोयले की अधिकतम कीमतें मानी जाएगी।

अतः बंगाल-विहार की खाती के कोयले के भाव से मध्य प्रदेश की खाती के कोयले का भाव १६ रु० ५६ न० ५० और बम्बई की खाती के कोयले का भाव ११ रु० ३५ न० ५० ज्यादा बैठेगा।

इन 'अधिकतम कीमतों' के नियंत्रित हो जाने से हार्ड कोरक के वितरण पर जो कष्टपूर्णा है, यह कुछ कम हो जाएगा। अब उद्योगकारों को अपनी मशीनों की खाती से कोयला लेने की छूट होगी। किन्तु इसके लिए कोयला निरन्तर से अनुचित लेनी होगी ताकि यात्रायात उद्योग को कोयला मिलने में कोई बाधा न हो।

हार्ड कोरक की नियंत्रित कीमतें २६ अर्सेन्ट से हो लाना ही गई है।

## यूरेनियम और बेरिल की नयी खानों की खोज पर पुरस्कार

भारत सरकार के अणु द्रवित विभाग की २० अर्सेन्ट का एक विनियमित बतियाया गया है कि यूरेनियम और बेरिल की खान का पता लगाने पर पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए निम्नलिखित शर्तें और नियम हैं

### यूरेनियम - १० हजार ५० रु. पुरस्कार

१. (क) नयी खान यूरेनियम का उन खातों में कम से कम ३० मील दूर होनी चाहिए जिनका पता सरकार का लग चुका है ;

(ख) नयी खान में कम से कम ५० टांट टन (२,००० पीट प्रति टन) कच्ची धातु हो।

(ग) इस कच्ची धातु में प्रयुक्त रेडियो सक्रिय तत्व ०.१ प्रतिशत यू ३०८ से कम न हो।

२. छोटे भंडारों का पता लगाने पर छोटे इनाम दिए जाएंगे, परन्तु १ (क) और (ग) की शर्तें पूरी होनी चाहिए।

३. नये क्षेत्रों से 'क' और 'ग' शर्तों के अनुसार कम से कम २ पीट वजन को कच्ची धातु के नमूने भेजने पर १० से १०० रु० तक के इनाम दिए जाएंगे।

## बेरिल : २,००० रु० का पुरस्कार

१. नयी खान में ५० टन बेरिल का भंडार हो, जिसमें १० प्रतिशत यी ३० या ऊंची निरुम का बेरिल हो। में खानें सरकार को मालूम खाती से ५० मील दूर हो।

२. बेरिल के छंटे भंडारों का पता लगाने पर आनुपातिक छंटे पुरस्कार दिए जाएंगे। ऐसे भंडारों में कम से कम १० टन बेरिल मिले। साथ ही ऊपर दी हुई निरुम और डूरी की शर्तें पूरी हों।

पुरस्कार के लिए भेजे गए नमूनों की जांच अनुसंधान विभाग करेगा और आवश्यक हुआ तो खान का भी परीक्षण करके पुरस्कार दिया जाएगा। केन्द्रीय सरकार की नयी खान का नियंत्रण करने का अधिकार है और अनुसंधान विभाग के सचिव का नियंत्रण अंतिम होगा।

केन्द्र और राज्य सरकारों तथा अणु द्रवित विभाग के कर्मचारियों को पुरस्कार नहीं मिलेगा।

## चूना पत्थर की नदिनी खान में मशीनों का प्रयोग

नदिनी खान में खनन के लिए मशीनों लगाई जा रही हैं। इससे भिलाई इस्पात कारखाने को साठे सात लाख टन चूने का पत्थर मिल सकेगा। मशीनें लगाने का काम तेज से हो रहा है। खानों में छंद करने की चार मशीनें लगाई जा चुकी हैं तथा खान और पत्थर तीइने के कारखाने के बीच पांच मील लम्बी रेल लाइन भी बनाई जा चुकी है।

यह खान भिलाई इस्पात कारखाने से १४ मील दूर है और इसके तथा कारखाने के बीच यही रेल लाइन बना दी गई है।

देग में नदिनी खान ही इस्पात कारखानों की भाग की पूरा करने वाली चूने की पहली खान है जहाँ सभी कामों के लिए मशीन प्रयोग में लाई जाएगी।

नदिनी में एक आधुनिक ढग की औद्योगिक बस्ती भी बनाई जा रही है, जहाँ सभी नागरिक मुविधाएँ होंगी।

## जनशरी-फरवरी १९६० में ताँबे का उत्पादन

भारतीय खान कार्यालय के अनुसार जनशरी-फरवरी, १९६० में देश की खाती में कुल ६६,७७८ मॉट्रिक टन तांबा निकाला गया। पिछले साल की इसी अवधि में ६५,०९१ मॉट्रिक टन तांबा निकाला गया था।

यह सादा तांबा बिहार राज्य के सिंहभूम जिले में निकाला गया। इसी अवधि में कुल १,४०७ मॉट्रिक टन तांबा (धातु के रूप में) बनाया गया, जबकि १९५८ का इसी अवधि में १,०८६ मॉट्रिक टन तांबा बना था, अर्थात् इस बार २९ प्रश० अधिक तांबा बना।

## रूती सहायता से दवा-कारखाना

उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई साहू ने २८ अर्सेन्ट को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि रूती की सहायता से सतनगर (आंध्र प्रदेश) में दवाएँ बनाने का कारखाना चला जाएगा। इस कारखाने में प्रतिवर्ष ८५० टन दवाएँ बन सकेंगी और इस पर लगभग ८ करोड़ ५० लाख रु० खर्च होगा।

इस कारखाने का पूरा विवरण तैयार करने के लिए मार्च १९६० में रूती विद्येयों की आवश्यक हिवायतें दे दी गई थीं। श्री साहू ने कहा कि इस विवरण के मिल जाने के बाद यह निश्चित हो जाएगा कि इस कारखाने पर वास्तव में कुल कितना खर्च आएगा और इसका उत्पादन कब तक शुरू हो जाएगा।

## कापरोलाइट

उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई साहू ने २८ अर्सेन्ट को लोकसभा में बताया कि काँचर घाट न "कापरोलाइट" नामक एक ऐसा पदार्थ तैयार किया है, जिससे सिगरेट को राख को प्यालिया, ट्रे, रिबन, बिजला के होल्डर और अन्य दैनिक उपयोग का सामान बन सकता है। यह पदार्थ प्रयोगशाला में तैयार किया जा रहा है। साथ ही इसके बारे में और भी अनुसंधान चल रहा है कि इसका बड़े पैमाने पर कहाँ तक इस्तेमाल हो सकता है।

## कागज उद्योग

उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने एक प्रश्न के उत्तर में २१ अप्रैल को राज्यसभा में बताया कि अनुमान है कि तीसरी योजना में देश कागज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा, हालांकि थोड़ी मात्रा में विदेशी किस्म के कागजों का आयात करना पड़ेगा। चालू वर्ष में कागज के कई नये कारखानों को लाइसेंस दिया गया है और इस प्रकार कागज कारखानों की उत्पादन-क्षमता बढ़कर सालाना ८ लाख ४६ हजार टन हो जाएगी। १९५९ में उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम के अंतर्गत ३ कागज कारखानों को लाइसेंस दिया गया। इसमें से एक में हाल में ही काम शुरू हो गया है। इन कारखानों के अलावा मद्रास में बड़े पैमाने पर सालाना २० हजार टन की उत्पादन क्षमता वाला एक कारखाना खोलने की योजना है। यह योजना पिछले साल स्वीकार की जा चुकी है। ३१ छोटे कारखानें खोलने की योजना भी १९५९ में स्वीकृत हो चुकी है और इनकी कुल उत्पादन क्षमता सालाना ७४,८२४ टन होगी।

### पुस्तक छपाई का कागज

वाण्य और उद्योग उपमंत्री, श्री सतीश चन्द्र ने एक प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा में १८ अप्रैल को बताया कि सरकारी कोषियों के फलस्वरूप पुस्तक छापने के कागज की सप्लाई में सुधार हुआ है। इससे पाठ्य-पुस्तकों और अन्य पुस्तकों के प्रकाशकों को कागज मिलने में सुविधा होगी।

उपमंत्री ने बताया कि छपाई के कागज के वितरण पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है। कागज बनाने वालों ने १९५७ को खरीद के आधार पर कागज देना स्वीकार किया है। भारत सरकार ने तत्काल आयोग को कागज उद्योग की समस्याओं पर विचार करने को कहा था। आयोग ने विभिन्न प्रकार के कागज का उचित दाम तय किया। सरकार ने इन सुझावों को मान लिया और जनवरी १९६० से कागज की नयी कीमत-दर को लागू किया।

उपमंत्री ने बताया कि इसके अतिरिक्त राज्य ब्यापार निगम बाकी कमी को पूरा करने के लिए २५,००० टन कागज बाहर

से मंगाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो इससे अधिक मात्रा में कागज मंगाया जाएगा।

### उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना

हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार की एक अर्जी भारत सरकार को मिली है, जिसमें सहारनपुर में प्रतिदिन १५० टन अखबारी कागज और ५० टन लुग्दी बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिए १९५१ के उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस देने की प्रार्थना की गई है। इस अर्जी पर विचार किया जा रहा है। इस कारखाने का वास्तविक बर्च तो मालूम नहीं पर राज्य सरकार ने १० करोड़ ६० लाख ६० की पूंजी लगाने का हिसाब लगाया है।

यह सूचना उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने एक प्रश्न के उत्तर में २० अप्रैल को लोकसभा में दी।

### १५ अप्रैल जानते हैं !

#### कागज उद्योग की प्रगति

● भारत में प्रति व्यक्ति २ पींड कागज का इस्तेमाल करता है, जबकि अमरीका में इसकी जात ४१८ पींड प्रति व्यक्ति है। यूरोपीय देशों और जापान में यह १००-२०० पींड तक है। अतः भारत में कागज उद्योग का विकास बहुत महत्व रखता है।

● १९५९ में २० करोड़ ६० का कागज और कागज की चीजें बनीं, और इस वर्ष देश में २,९२,००० टन कागज बना, जो दस साल पहले के उत्पादन से तिगुना था। इसके बावजूद देश में कागज का अभाव है और उसकी मांग बढ़ती जा रही है।

● दूसरी योजना में ४,५०,००० टन क्षमता के कारखाने खड़े करने और उनमें ३,५०,००० टन कागज बनाने का लक्ष्य रखा गया था। अब तक ५,३०,००० टन की क्षमता के कारखाने खड़े किए जा चुके हैं।

● आजकल देश के कारखानों में ३ लाख २४ हजार टन कागज बनाया जा सकता है। ३ लाख ६४ हजार टन और कागज बनाने के लिए मशीनें आदि मंगाने के लाइसेंस दिए गए हैं।

### तार और तार की चीजों के लिए मंडल की नियुक्ति

भारत सरकार ने तार और तार से बनी चीजों के लिए डाक्टर ए० के० दोस की अध्यक्षता में ६ सदस्यों का मंडल नियुक्त किया है।

मंडल इस बात का पता लगाएगा कि १९६१-६५ की अवधि में तार और तार की चीजें बनाने के लिए उद्योगों को कच्चे माल की कितनी आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही मंडल यह भी मालूम करेगा कि एसी-एस-आर तार की रस्ती, इलेक्ट्रॉइस, यू००, साइकिल और अन्य उद्योगों में तार खींचने की कितनी क्षमता है।

मंडल ३० जून, १९६० तक सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा।

● तीसरी योजना में ९ लाख टन की क्षमता के कारखाने खड़े करने तथा उत्पादन ७ लाख टन तक बढ़ाने का लक्ष्य है।

● कागज बनाने में काम आने वाली चीजों और बनाने के तरीकों के बारे में सहकारी ढंग से अनुसंधान करने पर जोर दिया जा रहा है।

● हाल में अखबारी कागज बनाने में काफी प्रगति हुई है। देश में ३ या ४ और कारखाने खड़े करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। हर एक कारखाने की क्षमता १०० टन प्रतिदिन होगी।

● देश में खास तौर से बांस से कागज बनाया जाता है। प्रायः उन सभी भागों में, जहाँ बांस मिलता है, कारखाने चालू हैं। आसाम में और कारखाने खुलने वाले हैं। अतः उद्योग को और दूसरे कच्चे माल से कागज बनाना पड़ेगा। गन्ने की खोइया इसके लिए सबसे अच्छी है।

● केवल खोइया से कागज बनाने का एक कारखाना खड़ा किया जा रहा है। दो और कारखानों को लाइसेंस दिए गए हैं जिनमें खोइया अधिक इस्तेमाल होगी। यदि देश के सभी चीनी कारखानों की खोइया कारखानों को मिलने लगे तो केवल इसी से प्रतिवर्ष १७ लाख टन कागज बनने लगे।

## बड़े टायरों का निर्माण

देश में १९५६ में ६ लाख ४० हजार बड़े टायर बने थे ; १९५९ में इनकी मर्यादा बढ़कर ८ लाख १० हजार हो गई । फिर भी मांगवात बढ़ने के कारण अब भी देश में ७५,०००—१,००,००० बड़े टायरों की ओर जरूरत पड़ती है ।

यह सूचना १६ अरैल को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उद्योग मंत्री, श्री मन्सुभाई गाह ने दी ।

उन्होंने बताया कि इनकी सिफारिशें आई हैं कि अनेक स्थानों पर बड़े टायर जैसे दाम पर विक्रने हैं । उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान कारखाना को टायर का निर्माण बढ़ाने के लिए आधुनिक दिए गए हैं और टायर बनाने की चार

नयी योजनाएँ भी स्वीकार की गई हैं । इससे देश में दो-तीन साल बाद हर साल २५ लाख टायर बनने लगेंगे । तब देश की मांग पूरी करने के अलावा ये निर्यात भी लिए जा सकेंगे । अतः इस समय टायरों की जो कमी है, वह केवल कुछ ही समय के लिए है । किन्तु यह कमी राज्य अर्थशास्त्र निगम विदेशों से टायर मंगाने पर ध्यान दे रहा है ।

उन्होंने कहा कि सरकार अच्छी गाएँ वाले आपानकों और बड़ी परिवहन कम्पनियों को विदेशों में टायर मगाने की अनुमति देने पर विचार कर रही है । उन्होंने कहा कि टायरों के वितरण और मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है, फिर भी तटस्थ आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने टायरों के जो मूल्य निर्धारित किए हैं, उन्हें टायर कम्पनियों ने मान लिया है ।

मंत्रालय के पुनर्स्थापन और नियोजन विदेशीय सहायता मंत्रालय के प्रतिनिधियों से भी सहायता ली गई ।

अनुमान है कि १९६०-६१ में ३,२२० और १९६५-६६ में ४,३६० डाक्टरनियों की कमी रहेगी । डाक्टरों से यह कमी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि आना है सब मिलाकर १९६०-६१ में ७,००० और १९६५-६६ में ५,००० डाक्टरों की कमी रहे जाएगी । इस समस्या का दिल्चस्प पहलू यह है कि डाक्टर-नियों की कमी १९६०-६१ की अपेक्षा १९६५-६६ में ज्यादा होगी, जबकि डाक्टरों के सम्बन्ध में इतना उल्टा है ।

दूसरी योजना के अंत में देश में कुल जितनी नर्स होंगी चाहिए, उससे लगभग ३,३०० कम नर्स काम कर रही होंगी । किन्तु १९६५-६६ में १,४०० नर्सों को ही कमी रहे जाएगी । तीसरी योजना के अंत में सबसे ज्यादा कमी दाइयों और सहायक नर्स-दाइयों की होगी । भविष्य में यह कमी कुछ हद तक पूर हो सकती है । इस अध्ययन में कहा गया है कि इस कमी को, खासकर सहायक नर्स-दाइयों की कमी को पूरा करने के शीघ्र प्रयत्न किए जाए । इसके लिए प्रशिक्षण देने वाली अधिक संस्थाएँ खोली जानी चाहिए ।

६ से १७ साल तक की उम्र की लड़कियों के लिए शिक्षा की ज्यादा व्यवस्था की जा रही है और यह आगे भी बढ़ती रहेगी । किन्तु अध्यापिकाओं की सिखाने की सुविधाएँ आगे भी लगभग वही रहेगी जो दूसरी योजना में दी गई है । अतः अनुमान है कि तीसरी पंच-वर्षीय योजना में प्रारंभिक, माध्यमिक और हाई स्कूल स्तर पर १८,५२० प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की कमी रहेगी ।

समाज कल्याण के कामों में और उद्योगों में दक्ष तथा अर्ध-दक्ष स्त्री कर्मचारियों की मांग के भी, इस अध्ययन में अनुमान लगाए गए हैं ।

**पुनर्स्थापन मंत्रालय के छंटनी किए हुए कर्मचारियों को नौकरी**

केन्द्रीय पुनर्स्थापन मंत्रालय के छंटनी किए हुए लगभग ५०० कर्मचारियों को दूसरे सरकारी विभागों में नौकरियों दी जा

## कोयला खानों की त्रिबल्यीय उद्योग समिति की बैठक

कोयला खानों की त्रिबल्यीय उद्योग समिति ने यह निश्चय किया है कि कोयला खानों के मजदूरों के वेतन की वर्तमान दरें २६ मई, १९६० के बाद भी जारी रहें । यह निश्चय तब तक के लिए किया गया है, जब तक वेतन मंडल के लिए कोयला खान मजदूरों की मांग पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता । कोयला खानों के मजदूरों का वेतन बढ़ाने का निर्णय मई १९५६ में एक साल के लिए लागू हुआ था । लेकिन बाद में यह एक-एक साल के लिए बढ़ा दिया जाता रहा । अब यह निर्णय २६ मई, १९६० को समाप्त होने वाला है ।

२४ अरैल को नयी दिल्ली में केन्द्रीय श्रम मंत्री, श्री गुलजारी लाल नन्दा की अध्यक्षता में त्रिबल्यीय उद्योग समिति की बैठक हुई ।

श्री नन्दा ने बैठक में कहा कि कोयला उद्योग के मजदूरों के वेतन आदि के प्रश्न पर कई न्यायाधिकरण अखिल भारतीय स्तर पर

विचार कर चुके हैं । किन्तु फिर भी अगर सरकार यह समझेंगी कि वेतन में परिवर्तन करने का कोयला खान मजदूरों की मांग जायज है तो सरकार वेतन मंडल स्थापित करने की वात मान जाएगी ।

खान मजदूरों के जूतों के सम्बन्ध में जो सिफारिशें दी गई थीं, उन्हें समिति ने मान लिया है । इन सिफारिशों में खास किस्म के जूतों का विवरण तैयार किया गया है, जिन्हे पहनने से खान मजदूरों के पैर में चोट लगने का सम्भावना कम रहेगी ।

**डाक्टरनियों, अध्यापिकाओं आदि की कमी : योजना आयोग का अनुमान**

योजना आयोग ने हाल ही में यह अनुमान लगाया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली कितनी औरतों की जरूरत पड़ेगी । इस बात का अध्ययन करने के लिए 'स्वराष्ट्र' मंत्रालय के जनशक्ति विदेशालय, श्रम और नियोजन



धुकी है। विभिन्न मन्त्रालयों में इन कर्मचारियों को नौकरियाँ दिलाने के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं उनकी देख-रेख स्वराष्ट्र मन्त्रालय के क विरोध सचिव कर रहे हैं।

### विशेष विभाग

छठनी किए हुए कर्मचारियों को फिर से नौकरी दिलाने के काम में सहायता देने के लिए नियोजन निदेशालय में एक विशेष विभाग बना दिया गया है। इस विशेष विभाग का काम एक उच्च अधिकारी को सौंपा गया है।

केन्द्रीय सरकार के अधीन काम करने वाले उन कार्यालयों को भी जिनके कर्मचारी सेंट्रल सेक्रेटैरियेट सर्विस में नहीं आते, सभी रिवत स्थान न भरने के आदेश दिए गए हैं। अब इन जगहों पर छठनी किए हुए कर्मचारी ही नियुक्त किए जाएंगे।

केन्द्रीय स्वराष्ट्र मन्त्रालय ने विभिन्न देशों तथा डाक-भार महाविदेशक को एक पत्र लिखा है जिसमें छठनी किए हुए कर्मचारियों को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है। इन दोनों विभागों में काफी सख्या में छठनी किए हुए कर्मचारियों को अपने यहाँ नौकरी पर लंगा भी लिया है।

प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के गजेटेड अधिकारियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय लोकसेवा आयोग ने स्वराष्ट्र मन्त्रालय की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है कि अन्य सरकारी विभागों में इस प्रकार के जो भी रिवत स्थान हों उनपर छठनी किए हुए इन अधिकारियों को नियुक्त किया जाए। लोक सेवा आयोग इन स्थानों के लिए बाहर से उम्मीदवार केवल तभी मांगेगा जब छठनी किए हुए कर्मचारियों में से योग्य उम्मीदवार न मिलेंगे। स्वराष्ट्र मन्त्रालय ने लोक सेवा आयोग से छठनी किए हुए कर्मचारियों को सेक्रेटैरियेट सर्विस की परीक्षाओं में बैठने के लिए उम्र की छट देने की भी प्रार्थना की है।

### जनवरी-फरवरी १९६० में औद्योगिक सम्पन्ध

जनवरी १९६० में १०८ नये औद्योगिक झगड़े हुए। इस तरह इस महीने में किसी भी समय चालू झगड़ों की अधिक से अधिक

सख्या १४१ रही। इनमें २२ तालाबंदियाँ थीं। पिछले महीने में १०४ नये विवाद हुए थे और १२८ विवाद किसी भी समय में अधिक से अधिक चालू थे।

भारत सरकार के श्रम संगठन के अनुसार जनवरी में औसतन ५.७ दिन तक कोई झगड़ा किसी समय चलता रहा। दिसम्बर में यह औसत ५.२ दिन का था। जनवरी में १०७ झगड़े समाप्त हुए। इनमें से ७४ ऐसे थे, जो पांच दिन या उससे कम चालू रहे थे और ६ झगड़े ३० दिन से अधिक चालू रहे।

इस महीने में कुल ४ लाख २३ हजार ७७ काम के दिनों की हानि हुई। इसमें से ८३.८ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ५४ हजार ६७१ काम के दिनों की हानि विभिन्न प्रकार का माल तैयार करने वाले उद्योगों में हुई। खातों और खराबों तथा परिवहन और यातायात के उद्योगों में क्रमशः २३,५६९ और २१,५८६ काम के दिनों की हानि हुई। दूसरे उद्योगों में ताया-रपतया हानि कम रही।

### फरवरी १९६०

फरवरी १९६० में ९५ नये औद्योगिक झगड़े हुए। इस तरह इस महीने में किसी भी समय चालू झगड़ों की अधिक से अधिक सख्या १३३ रही। इनमें २३ तालाबंदियाँ थीं।

भारत सरकार के श्रम संगठन के अनुसार फरवरी में औसतन ६६ दिन तक कोई झगड़ा किसी समय चलता रहा, जबकि जनवरी में यह अवधि ५.७ दिन थी। इनमें से १०६ झगड़े उसी महीने समाप्त हो गए, जबकि ७२ झगड़े ५.५ दिन से अधिक नहीं चले और ७ झगड़े ऐसे थे जो ३०-३० दिन से अधिक चले।

उत्पादन उद्योग उपसमूह में कुल ३,०६, ०३७ (७४.१ प्रतिशत) जन-दिनों की हानि हुई। 'खन' उपसमूह में ४४,१५२ जन-दिनों, 'निर्माण' उपसमूह में २,८२,००० जन-दिनों और 'सफाई सेवाओं' में १६,१३० जन-दिनों की हानि हुई।

फरवरी में सबसे अधिक जन-दिनों की हानि ५०,४५६ में (२,७९,४२३) हुई। इसके

वाद चम्पई का नम्बर आठा है, जहाँ ९३,९०७ जन-दिनों की हानि हुई। बिहार में १६,४४१ और मद्रास में १४,४६८ जन-दिनों की हानि हुई। पिछले महीने के आँकड़ों की तुलना करने पर यह पता चलता है कि इस महीने बिहार, चम्पई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, केरल, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में अधिक जन-दिनों की हानि हुई। बाकी सब अन्य राज्यों में कम हानि हुई।

उत्पादन उद्योगों में औद्योगिक झगड़ों का सूचक अंक (१९५१ को आधार=१०० मानकर) ८६ रहा। पिछले महीने यह १०० था।

### मिसाई इरपात कारखाने में दुर्घटनाएँ

दिसम्बर १९५६ में काम शुरू होने के समय से फरवरी १९६० के अंत तक मिसाई इरपात कारखाने के ७० हजार कर्मचारियों में से ९३४ दुर्घटनाग्रस्त हुए। दुर्घटना में मरे और अगम हुए व्यक्तियों की सख्या १५५ है।

यह सूचना केन्द्रीय इरपात, खान और ईंधन मंत्री, सरदार स्वर्ण सिंह ने २१ मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

मन्त्री महोदय ने बताया कि जिन दुर्घटनाओं में किसी कर्मचारी की मृत्यु हुई उनको विस्तृत जाच की गई। बिजली से हुई दुर्घटनाओं की भी जाच की गई।

कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए की गई कार्रवाई के बारे में बताते हुए सरदार स्वर्ण सिंह ने कहा कि कारखाने के सब इंजीनियरों और ठेकेदारों की सुरक्षा के नियमों के पालन के बारे में आवश्यक आदेश दिए गए हैं। ठेकेदार इन नियमों का ठीक से पालन करे, इसकी देखभाल के लिए कारखाने के अधिकारियों को कह दिया गया है। कारखाने में किसी का खतरनाक काम करने वाले कर्मचारियों को रवड के वस्ताने, ओर गद्दियाँ आदि सुरक्षा के सामान दिए गए हैं। कारखाने में सुरक्षा इंजीनियर भी नियुक्त हैं। हर महीने सुरक्षा समिति को बैठक होती है। समिति जो मुद्दा पेशी है, उन्हें लागू किया जाता है।

## १९५६ को दूसरी छमाही में नागरिक उड्डयन की प्रगति

१९५९ की दूसरी छमाही में भारत में नागरिक उड्डयन की प्रगति के विवरण के पता लगता है कि इन अवधि में एयर इंडिया इंटरनेशनल ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार ६०,९३,५२९ किग्रा.मीटर की उड़ानों की व्यवस्था की। इनमें ४३,१६३ लॉन्ग ने पासा की और १४,५८,५९९ किग्रा.ग्राम माल-असवाव तथा ४,३५,८०९ किग्रा.ग्राम डाक डोई गई। इसके पहले के छ महीना में वायुयानों ने ६०,६१,६०० किग्रा.मीटर की उड़ानें की, ४३,३३३ लॉन्ग ने पासा की और ११,६९,०६२ किग्रा.ग्राम माल-असवाव और ४,७३,००८ किग्रा.ग्राम डाक डोई गई थी। १९५८ की दूसरी छमाही में वे आठवे दिन प्रमाण थे: ५७,३४,२५० किग्रा.मीटर की उड़ानें, ४२,७७७ यात्री, ९,७२,३३६ किग्रा.ग्राम माल-असवाव और ६,१३,४२२ किग्रा.ग्राम डाक।

### इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने इन छमाही में अपनी निम्नलिखित सेवाओं के अनुसार १,३६,३५,११५ किग्रा.मीटर की उड़ानों की व्यवस्था की। इनमें ३,१६,९७९ लॉन्ग ने पासा की, १,४९,९१,७६१ किग्रा.ग्राम माल-असवाव और २९,८६,३०४ किग्रा.ग्राम डाक डोई गई। १९५९ की पहली छमाही में वायुयानों ने १,४०,२६,७४९ किग्रा.मीटर की उड़ानें की, ३,२७,९८५ लॉन्ग ने पासा की और १,५८,८४,६७४ किग्रा.ग्राम माल-असवाव तथा २९,२९,५२६ किग्रा.ग्राम डाक डोई गई थी। १९५८ की दूसरी छमाही में वायुयानों ने १,४६,१७,८९८ किग्रा.मीटर की उड़ानें की, २,९९,०७४ लॉन्ग ने पासा की, और १,९०,७९,५०३ किग्रा.ग्राम माल-असवाव और २८,१७,१७३ किग्रा.ग्राम डाक डोई गई।

१ दिसम्बर, १९५९ से इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने अपनी सेवाओं में कुछ परि-

यंत्रण किए हैं। दिल्ली-ग्वाल्नर-भोपाल-इंदौर-बम्बई के मार्ग पर सप्ताह में तीन बार नये उड़ानों की व्यवस्था की गई है। कलकत्ता और बम्बई और दिल्ली के बीच सप्ताह में तीन बार वाइफाइट वायुयान आते-जाते हैं। पटना-नाडनाडू मार्ग पर प्रति सप्ताह १० बार उड़ान की व्यवस्था की गई और १४ दिसम्बर, १९५९ ने उसे बढ़ाने पर प्रति सप्ताह १२ बार कर दिया गया। बम्बई और बंगलौर के बीच में स्टाईमास्टर वायुयानों की मांघी उड़ान की व्यवस्था की गई। पहले इन मार्ग पर डकोटा वायुयान उड़ते थे।

दिल्ली-बड़ोदा-मुम्बई मार्ग पर प्रति सप्ताह दो बार की उड़ान की नयी व्यवस्था ३ अक्टूबर, १९५९ ने प्रारम्भ की गई थी। परंतु ३ नवम्बर, १९५९ को इसे बंद कर दिया गया।

### रात में डाक की उड़ान

इन छमाही में रात में डाक की उड़ान करने वाले वायुयानों द्वारा प्राय २१,४०८ लॉन्ग ने पासा की ७,५५,९२५ किग्रा.ग्राम माल-असवाव और ९,२७,२१२ किग्रा.ग्राम डाक डोई गई। १९५९ की पहली छमाही में इन उड़ानों द्वारा २२,६४३ लॉन्ग ने पासा की थी और ७,०४,८२२ किग्रा.ग्राम माल-असवाव और ९,७६,२३२ किग्रा.ग्राम डाक डोई गई थी।

जुलाई से दिसम्बर तक प्रतिदिन औसतन ११६ लॉन्ग ने पासा की और ४,१०८ किग्रा.ग्राम माल-असवाव और ५,०३९ किग्रा.ग्राम डाक डोई गई। इससे पहली छमाही में प्रतिदिन १२५ लॉन्ग ने पासा की थी और ३,८९४ किग्रा.ग्राम माल-असवाव तथा ५,३९४ किग्रा.ग्राम डाक डोई गई थी।

दिसम्बर १९५९ के अंत में भारत में नागरिक उड्डयन विभाग के प्रथम में ८५ हवाई अड्डे १९५९ के अंत में इलाहाबाद के स्थित एवियेशन ट्रेनिंग सेंटर में १३५ सिविलियन शिक्षण पा रहे थे। इनमें एक नौपलों और तीन सिगापुर के छात्र भी थे। विवरण की छमाही में २५ सिविलियनों ने ट्रेनिंग सेंटर के पलाइंग स्कूल में उड़ने की शिक्षा पूरी की।

दिसम्बर १९५९ के अंत तक भारत में उड़ने की शिक्षा देने वाले १९ ऐसे मलय थे, जिन्हें सरकारी सहायता मिलती थी। इनके मुख्य कार्यालय बंगलौर, बड़ोदा, बेगमपेट, भुवनेश्वर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, गोवाहा, इरीर, जयपुर, जालंधर, छवनी, लखनऊ (कानपुर-इलाहाबाद-वाराणसी में उपकेन्द्र), मद्रास, नागपुर, पटना, और त्रिचेरम में थे।

विवरण की छमाही में १४ बड़ी हवाई दुर्घटनाएँ हुईं, जिनमें भारत में रजिस्टर्ड १३ और विदेश में रजिस्टर्ड एक वायुयान दुर्घटना-ग्रस्त हुए। तीन दुर्घटनाएँ घातक सिद्ध हुईं, जिनमें ८ व्यक्ति मारे गए। इनमें से ५ वायुयानों के कर्मचारी और तीन यात्री थे।

## जहाज बनाने के कारखानों के सहायक उद्योगों की सलाहकार समिति

प्रिविहन और संचार मंत्री, श्री राजबहादुर ने १९ अप्रैल को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में एक विवरण रखा, जिसमें बताया गया है कि जहाज बनाने और उनकी मरम्मत करने के काम आने वाले पुर्जे बनाने के सहायक उद्योगों की सलाहकार समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट में मुख्यतः क्या सिफारिशें की हैं।

वे मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं।

इसपात के नए कारखानों में सुयोजित कार्यक्रम बनाकर देशी सामान से ही जहाजों के लिए इसपात की प्लेटें और सेक्शन बनाने को ऊंची प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

यत्र आदि बनाने का कार्यक्रम बनाया जाए और प्रत्येक यत्र बनाने की प्राथमिकता निश्चित की जाए।

यंत्रों की विराम, सूक्ष्मता आदि के बारे में भारतीय मानक तैयार करने का प्रयत्न किया जाए। मालवाही जहाज के डिजाइन के मानक तैयार करने पर भी विचार किया जाए।

भारतीय मानक सस्था में जहाज सम्बन्धी विशेषज्ञों की अलग से समिति बनाई जाए और उसमें जहाजकारानों तथा जहाज निर्माण उद्योग, जहाज सम्बन्धी यंत्रों के निर्माता, जहाजकारानों से सम्बन्धित संस्थाओं और सम्बन्धित सरकारी विभागों के प्रतिनिधि हों।

निर्माताओं के लिए बम्बई और कलकत्ता में जहाजों के यंत्रों के प्रदर्शन कक्ष बनाए जाएं।

जहाजरानी के महानिदेशक देश में ही अधिक यत्र आदि बनाने, आयात को कम करने और निर्माताओं आदि को टेविनफल सलाह देने के लिए उचित व्यवस्था करे।

जहाजरानी महानिदेशक को (१) जहाजरानी, (२) जहाज निर्माण और मरम्मत उद्योग, तथा (३) सहायक उद्योगों के लिए जहूरत के मुताबिक विदेशी मुद्रा का कोटा सौपा जाए। महानिदेशक ही को के लिए आयात नियंत्रण अधिकारियों को सिफारिशों में और उनसे कोटा हासिल करे।

जहाजी सामान बनाने का कार्यक्रम तैयार करने और उसे चलाने में महानिदेशक को मदद देने के लिए सलाहकार समिति बनाई जाए, जिसमें जहाजरानी कम्पनियों, जहाज निर्माताओं, जहाज की मरम्मत करने वालों, जहाजी सामान बनाने वालों, आयात नियंत्रण अधिकारियों, वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय की विकास शाखा, नौ नौना तथा अन्य सम्बन्धित संगठनों के प्रतिनिधि हों।

समिति ने डॉजल इजन, सेप्टिब्रूगल पम्प, बिजली का सामान, तार के रस्से, आग बुझाने के उपकरण आदि जहुरी चीजों के बारे में भी सिफारिशों की हैं।

### विदेशी जहाज कम्पनियों को भाड़े की प्रथायगी

विदेशी जहाज कम्पनियों को भारतीय बन्दरगाहों तक माल की ढुलाई के लिए १९५८ में कुल ७७ करोड़ ५० लाख ४० भाड़ा दिया गया।

यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में वित्त उपमन्त्री, श्री बलिराम भगत ने २० अप्रैल को राज्यसभा में दी।

श्री भगत ने कहा कि १९५४ में ३४ करोड़ ४७ लाख ४०, १९५५ में ४३ करोड़ ६ लाख ४०, १९५६ में ६६ करोड़ ५७ लाख ४० और १९५७ में ९४ करोड़ ९४ लाख ४० भाड़ा दिया गया।

प्रश्न के उत्तर में वित्त उपमन्त्री ने जो बसतब्य साधन की मंज पर रखा, उससे पता चलता है कि १९५४ से १९५८ तक की अवधि में जिन विदेशी कम्पनियों ने भारतीय

माल ढोया, वे अमरीका, डेनमार्क, नार्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स, जापान, पोलैंड, जर्मनी और इटली की थी। इसी बसतब्य में यह भी पता चलता है कि १९५७ और १९५८ में अमरीकी जहाजों ने अधिक माल ढुक्वाया क्योंकि अमरीका के 'पब्लिक लॉ ४८८' के अर्णत जो अग हम मिल रहा है, ७ मणत कम से कम आधा अमरीकी जहाजों में ढोया जाना आवश्यक है।

### मोटरगाड़ियों की दुवारा बिक्री पर रोक

श्री मनुभाई साहू ने एक प्रश्न के उत्तर में २० अप्रैल को लोकसभा में बताया कि मोटरकार (बिक्री तथा वितरण) नियंत्रण आदेश के अनुसार नयी मोटरकार का पहला खरीद के बाद २ साल तक बँचना मना है। यह आदेश केवल हिन्दुस्तान एम्प्लेसेयर, फियट '११००' और स्टैड्स '१०' पर ही लागू होता है। यह नियंत्रण टुकी और बसों पर भी लागू नहीं होता, क्योंकि इनका उत्पादन काफी बड़ रहा है। इसके लिए विदेशी मुद्रा काफी मिल रही है। १९५९ में १९,०९९ टुक बने जो अब तक की सबसे अधिक मख्या है।

### सड़क परिवहन में सुधार के लिए सुझाव

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने परिवहन उत्पादकता विधेयनों की जो टोली विदेश मंत्री थी, उसने सुझाव दिया है कि जो नियम परिवहन के विस्तार में बाधक हों, उन्हें रद्द कर देना चाहिए। टोली ने तीसरी और उसके बाद की योजनाओं में सड़के बनाने की तरजोह देने, सरकारी परिवहन विभागों और गैर-सरकारी परिवहन संगठनों का काम चलाने के लिए प्रशासकों की ट्रेनिंग की व्यवस्था करने, छोटे-संचालकों की सहकारियाँ बनाने, मोटरों की मरम्मत और विदेशों से पुर्जें मगाने के लिए विदेशी-मुद्रा की सुविधा देने की भी सिफारिश की है।

टोली अपनी पूरी रिपोर्ट इस महीने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को दे देंगी। परिषद और सरकार रिपोर्ट पर विस्तार से विचार करेंगी।

यह सुझाव केन्द्रीय उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई साहू ने २९ अप्रैल को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

### राष्ट्रीय रेल प्रयोक्ता सलाहकार परिषद की बैठक

रेल मंत्री, श्री जगजीवनराम ने १९ अप्रैल को नयी दिल्ली में राष्ट्रीय रेल प्रयोक्ता सलाहकार परिषद की ११वीं बैठक का समापन करते हुए बताया कि अगले साल के मध्य में ५०० मील से अधिक दूर जाने वाली एसी रेलगाड़ियों में कम से कम एक-एक गीसरे दर्जे के मोनों के डिब्बे लगा दिए जाएंगे। इनमें ५०० मील से अधिक यात्रा करने वाले यानी बिना अतिरिक्त किराया दिए सों सकेगे। इन डिब्बों में तिहरी बंयें होंगी। अब तक सोंने के तीसरे दर्जे के २०० डिब्बे बनाने के लिए आर्डर दिए जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि जो यानी इससे अधिक आराम चाहते हों, उनके लिए दुहरी बंयें वाले डिब्बे रहेंगे और उनसे एक रात के लिए ३ ४० के हिसाब से अतिरिक्त किराया लिया जाएगा। इनमें ५०० मील से अधिक या कम, सभी प्रकार की यात्रा करने वालों को जगह दी जाएगी।

रेल मंत्री ने बताया कि ऐसे नगरो की सूची बनाने के लिए आदेश दिया जा चुका है, जिनको आवारी १०,००० से अधिक है और जो अपने सबसे नजदीक के रेल स्टेशन से ५ मील से अधिक दूर हैं। उन नगरो में रेल आउट-रेन्गी खोलने पर विचार किया जाएगा।

### माल-डिब्बों की मांग

रेल मंत्री ने बताया कि फरवरी १९६० के अत में बड़ी लाइन में लगभग ४६,००० और छोटी लाइन में ३३,००० माल-डिब्बों की मांग रही, जबकि फरवरी १९५९ के अत में बड़ी लाइन में लगभग २५,००० और छोटी लाइन में १०,००० माल-डिब्बों की मांग थी। इससे पता चलता है कि देश में तेजी से आर्थिक प्रगति हो रही है और रेल कर्मचारियों के लिए यह एक चुनौती है कि वे इस बड़नी हुई मांग को भूरा करने का प्रयत्न करें।

सांय ही उन्होंने यह भी बताया कि माल-गाड़ियों समय पर चलती रही है और 'क्रैक ट्रेन' चालू होने से माल की ढुलाई भी तेजी में हुई है।

## गयी रेलगाड़ियाँ

उन्होंने कहा कि इन साल डाकगाड़ियाँ, एक्सप्रेस तथा पैसेंजर गाड़ियाँ नाममात्र ही निर्धारित समय पर चली और पट्टी की।

रेलगाड़ियों में यात्रियों की भीड़भाड़ को कम करने में भी हम प्रयत्नशील रहे। इसके लिए हमने गाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे लगाए और नयी रेलगाड़ियाँ शुरू कीं।

हमने इन साल १ अक्टूबर में हैदराबाद और मद्रास के बीच सीपीएनएन गाड़ी चलाई, बिजापुर जोर बंगला के बीच बटनी हॉल्टे हुए नयी गाड़ी शुरू की तथा हरिद्वार और बाराबंकी के बीच मच्छाह में एक बार आने-जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी चलाई।

## यात्रियों को सुविधा

उन्होंने कहा कि हमने नयी रेलों को आरंभ दिया है कि वे नयी स्टेशनों पर पानों के पानी का प्रबंध करें और ज़रूरत पड़ने पर यहाँ हॉस्पिटल लगाएं।

इस समय १०५ स्टेशनों पर और १९ गाड़ियों में रेल ने पानों-पानों का प्रबंध किया है। हाल में मद्रास सेट्टल जोर बम्बई चर्चंगेट स्टेशनों पर भी यह प्रबंध कर दिया गया है और मध्य रेलवे में बम्बई-दिल्ली पंजाब मेल तथा बम्बई-कलकत्ता (नागपुर हॉल्टे हुए) डाकगाड़ियों में भी जल्दी ही प्रबंध कर दिया जाएगा।

चलती गाड़ियों में यात्रियों की सुरक्षा पर भी बराबर ध्यान दिया जाता है। हमने स्वरॉट्ट मंत्रालय के द्वारा राज्य सरकारों से कहा है कि वे स्टेशनों पर सुरक्षा का प्रबंध और अधिक सुगठित करें। इस सम्बन्ध में मैंने भी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से पानों की है। हमारे अधिकारी भी इनके लिए राज्य सरकारों के अधिकारियों से घनिष्ठ सम्पर्क रखते हैं।

उन्होंने कहा कि हमने भी अपने रेल-सुरक्षा दल को आवश्यक हिरासत दी है और कहा है कि वे स्टेशनों पर गाड़ियों के रुकने पर और चलने में पहले सुरक्षा सम्बन्धी सभी चीजों की जांच कर ले। स्थियों के डिब्बों का विसंग क्षयल रहें।

मैंने सतत में रेल बजट पेश करते हुए कहा था कि स्थियों के डिब्बों के लिए प्रयोग के तीर पर एक विनोद प्रकार का यंत्र बनाया गया है। इससे डिब्बे के अन्दर बटन दबाते ही गाड़

के कमरे में पड़ी बजने लगेंगी और लाल बत्ती जल जायेगी तथा डिब्बे के दोनों ओर वस्तियाँ जल जाएँगी। यह प्रयोग दक्षिण और उत्तर पूरे सीमान रेलवे के अलावा गयी रेलवे की एक डाकगाड़ी और एक एक्सप्रेस गाड़ी में किया जाएगा। वास्तव में कुछ गाड़ियों में ये यंत्र लगाए जा चुके हैं।

## परिवर्तन की चर्चाएँ

१९ अप्रैल का आरम्भ हुई यह बंडक २० अंश को गनाप्त हो गई। इसमें रेल प्रशासकों को सुविधाएँ देने, सुरक्षित यात्रा की व्यवस्था करने, बिना टिकट यात्रा करने आदि बातों पर विचार किया गया।

परिवर्तन नवम्बर १९५९ में फरवरी १९६० तक की अवधि की समीक्षा की। बंडक में बनाया गया कि टॉक गमय पर रेल चलाने के तरीके प्रयत्न किए हैं और इनके फलस्वरूप अब ८५ प्रतिशत एक्सप्रेस और मेल गाड़ियाँ तथा ९० प्रतिशत पैसेंजर गाड़ियाँ टॉक गमय पर चलने लगी हैं।

परिवर्तन के सदस्यों ने रेल का उपयोग करने वालों को सुविधाएँ देने के बारे में कई सुझाव दिए। कुछ सदस्यों ने रेलों में भौंड का विकल्प दिया। इस बारे में परिवर्तन को यह बताया गया कि भौंड कम करने के लिए अधिक डिब्बे लगाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं और दूसरी योजना के अंत तक इन स्थितियों में काफी सुधार हो जाएगा।

इन परिवर्तन के गाड़ियों की रफ्तार, रेलों में चारों, रातों में सामान खी जाने आदि कई विचारों पर विचार किया।

इस बंडक में दार्जिलिंग रेल उपमंत्रियों, कृषि, उद्योग तथा धर्मोपय रेल मालाकार समितियों और विभिन्न केन्द्रिय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों तथा रेल मंडल के अध्यक्ष और सदस्यों ने भी भाग लिया।

## चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने का हजारवाँ इंजन

चित्तरंजन कारखाने में बनाया गया बडी लाइन का एक भाग इंजन १५ अप्रैल को मध्य रेलवे को दिया गया। इस कारखाने में बनाया गया यह हजारवाँ इंजन है। इस तरह देश में इंजन निर्माण में पहली मजिल पूरी कर ली है।

चित्तरंजन कारखाने में इंजन बनाने का काम २६ जनवरी, १९५० को शुरू हुआ था और उसी साल १ नवम्बर को पहला इंजन बन कर तैयार हुआ। १९५०-५१ में सिर्फ ७ इंजन बने थे, जबकि १९५५-५६ में १२९ और पिछले साल १७३ बनाए गए।

यहाँ पहले आयातित सामानों को जोड़कर इंजन तैयार करने का काम शुरू किया गया था और अब ९० प्रतिशत से अधिक हिस्से इसी कारखाने में बनाए जाने लगे हैं। कारखाने ने इसकी प्रगति दस वर्षों के अन्दर ही की है। १९५४-५५ में प्रति इंजन २॥ लाख रु० का सामान आयात किया जाता था, जबकि अब यह घटक प्रति इंजन ७० हजार रु० तक हो गया है। इसका तैयारी नये कारखानों के चालू हो जाने के बाद आयातित माल की गहवा और भी घट जाएगी और यह सिर्फ नाममात्र का रहे जाएगा।

उत्पादन के नये तरीकों तथा उत्पादन में वृद्धि के कारण प्रति इंजन लागत में भी कमी हो गई है और यह ७ लाख ५० हजार रु० से घटकर ४ लाख रु० से कुछ अधिक रह गई है। पिछले ५ वर्षों से चित्तरंजन कारखाने में तैयार किए गए इंजन के काम उसी प्रकार के य हर से मगाए गए इंजनों से कम रहे हैं।

भारत इंजन के डिजाइन और उत्पादन में आरम्भिक ही गया है और ऐसी स्थिति आ गई है कि यहाँ से इंजन निर्यात किए जा सकते हैं। तीसरी योजना में भाग के इंजन बनाने के अलावा चित्तरंजन कारखाना विजली के इंजन भी बनाएगा। पहला इंजन दूसरी योजना के अंत तक बना जाएगा।

## रेलों की १०७वीं वर्षगांठ

१६ अप्रैल को देश भर में भारतीय रेलों की १०७वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर १० से १६ अप्रैल, १९६० तक रेल सप्ताह मनाया गया।

१८५३ में १६ अप्रैल को भारत में पहली ट्रेन बम्बई तथा कुर्ला के बीच चली थी। यह फासला कुल २१ मील का है। भारत में यह ट्रेन भारत में ही नहीं पूरे एशिया में चलने वाली पहली ट्रेन थी। आज देश में ३५ हजार मील लम्बी रेल लाइन है और रेलों में

भारत लाल कर्मचारी काम कर रहे हैं। रेल सरकार का सबसे बड़ा संगठन है और उसमें १३ अरब ५७ करोड़ ६० की पूंजी लगी है। देश की रेल गाड़िया हर साल औसतन १२ करोड़ ५० लाख टन माल और १ अरब, ४२ करोड़ २० लाख यात्रियों को ले जाती है। इनमें १०,३०० रेल इंजन, १९,००० सवारी डिब्बे और २,८९,००० माल डिब्बे लगते हैं।

### बिजली की रेलगाड़ियाँ

भारत में सबसे पहले १९२५ में बिजली की रेलगाड़ियाँ बम्बई के आसपास चलीं। दूसरी योजना में ८० करोड़ की लागत से ८२६ मील लम्बे रेल मार्ग पर बिजली की रेलें चलाने का लक्ष्य रखा गया है। रेलों के सामान का डिजाइन तैयार करने का रेल विभाग का अलग संगठन है। देश में रेल डजन बनाने के दो, सवारी गाड़ी के डिब्बे बनाने वाला एक तथा मरम्मत आदि के कई कारखाने हैं।

रेल सप्ताह में नयी दिल्ली में कला और हस्तकला प्रदर्शनी हुई, इसमें ७०० चीचें रखी गई थीं और प्रदर्शनी की २५ से भी ज्यादा विभागों में बांटा गया था। इसमें रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों की जो कलात्मक वस्तुएँ रखी गई थी, उनमें ७७ को पुरस्कार दिए गए।

### भारत-पाक रेल सुविधा घाटा

पाकिस्तान के रेल मंडल के अध्यक्ष, श्री ए० सुहरावर्दी के नेतृत्व में पाकिस्तान का एक शिष्टमंडल १४ अप्रैल को नयी दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल ने भारतीय शिष्टमंडल से पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान के बीच रेल-यात्रा की सुविधा के बारे में बातचीत की। पूर्वी पाकिस्तान हॉकर पश्चिम बंगाल से आता और त्रिपुरा तक रेल-यात्रा की सुविधा के बारे में भी बातचीत की गई।

पाकिस्तान के शिष्टमंडल के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं - पाकिस्तान रेल मंडल के अध्यक्ष श्री ए० सुहरावर्दी; पाकिस्तान रेल मंडल के वित्त आयुक्त श्री मुहताक अहमद; स्वराष्ट्र मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री हफीजुद्दीन; वित्त मंत्रालय के निरीक्षण निदेश

पाक, श्री एस० एम० अब्बास और परराष्ट्र मंत्रालय के उपसचिव, श्री धत्ताउल्ला।

भारतीय शिष्टमंडल के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं : रेल मंडल के अध्यक्ष, श्री के० वी० मायूर; रेल मंडल के इंजीनियरी सदस्य, श्री कारनेल सिंह; स्वराष्ट्र मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री फतेह सिंह; परराष्ट्र मंत्रालय के उपसचिव, श्री नरेंद्र सिंह और केंद्रीय राजस्व मंडल के सदस्य, श्री डी० पी० आनन्द।

**भोपाल और चीना के बीच दोहरी लाइन**  
वीना और भोपाल के बीच ८६ मील लम्बे रेल-मार्ग पर, जहाँ दोहरी लाइन नहीं है, वहाँ दोहरी लाइन डाली जा रही है। इन टुकड़ों को जोड़ने के लिए ३८.४५ मील में दोहरी लाइन डाली जा रही है। भोपाल और भोपाल काँठ के बीच १.६२ मील लम्बी दोहरी लाइन डाली जा चुकी है और २५ नवम्बर, १९५९ से इस पर रेलों का आना-जाना बालू है। आया है, दिसम्बर ३१, १९६० तक बाकी सब हिस्सों में भी दोहरी लाइन बिछ जाएगी और इन पर रेलें चलनी शुरू हो जाएंगी। यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में रेल उपमन्त्री, श्री रामस्वामी ने २७ अप्रैल को राज्यसभा में दी।

### खाद्य और कृषि

#### सात नये धन्न भंडार

केंद्रीय भंडार निगम ने ७ नये भंडार बनाए हैं। प्रत्येक भंडार की क्षमता ५,००० टन की है और ये मद्रास, कोयमुत्तूर, कोचीन, अल्फो, सहारनपुर, डालसिंह सयाम और बरहमपुर में हैं।

देश भर में राज्यों के भंडार निगमों के १४५ भंडार और केंद्रीय भंडार निगम के १९ भंडार हैं। इन सब में २ लाख टन माल भंडारों का प्रकार जमा हो सकता है। इस वित्त वर्ष में और भी भंडार बनाए जाएंगे और इनकी संख्या १७९ हो जाएगी। दूसरी पंच-

### रेल मण्डल के नये अध्यक्ष

रेल मंत्रालय (रेल मण्डल) की 15 अप्रैल को एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि रेल मण्डल के सदस्य (इंजीनियरी) श्री कारनेल सिंह को रेल मण्डल का अध्यक्ष और रेल मंत्रालय में पदेन प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। इनकी यह नियुक्ति श्री के० वी० मायूर के स्थान पर हुई है। श्री कारनेल सिंह ने १८ अप्रैल, १९६० को अपने नये पद का कार्यभार संभाला।

श्री कारनेल सिंह को रेलवे में काम करने ३२ साल से अधिक समय हुआ गया है और वे जनवरी १९५७ से रेल मण्डल के सदस्य रहे हैं। इसके पहले वे उत्तर रेल तथा चित्तजन इंजन कारखाने के जनरल मैनेजर भी रह चुके हैं।

### रेल मण्डल के नये सदस्य

रेल मंत्रालय (रेल मण्डल) की २८ अप्रैल का एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि श्री ई० डब्ल्यू० इस्तावत को रेल मण्डल का सदस्य (इंजीनियरी) नियुक्त किया गया है। अब तक वे रेल मण्डल के अतिरिक्त सदस्य (मे इंजिनियरिंग) थे।

वर्षीय योजना की अवधि में ३५० भंडार बनाने का लक्ष्य है।

देश में अन्नभाव को दूर करने का निश्चय कर लिया है और इसके लिए ५० लाख टन अन्न का स्टॉक करने की योजना है। इस दृष्टि से भंडार बनाने की और अधिक जरूरत है। तीसरी योजना में देश भर में ४३५ भंडार और बनाए जाएंगे।

जुलाई, १९५७ में केंद्रीय भंडार निगम की स्थापना की गई थी। इसकी अधिकृत पूंजी २० करोड़ ६० लखी गई है। जम्मू-कश्मीर को छोड़ कर अन्य सब राज्यों में भंडार केंद्रीय भंडार निगम ही बनाता है।

## पंजाब में अनाज सुरक्षित रखने के लिए दो और भंडार

राज्य भंडार निगम ने गंनों की उपज को अच्छे ढंग से रखने के लिए पंजाब में फाजिल्हा और नाभा में ३,५०० टन की क्षमता के दो और भंडार खोले हैं। इनके अलावा मोंगा में केंद्रीय भंडार और जगजव में राज्य भंडार पहले से काम कर रहे हैं।

राज्य सरकार ने इन भंडारों में जिन्य ग्यन में का निरन्धव किया है। सरकार ने राज्य भंडार निगम को जगजव, फाजिल्हा, नाभा, जयालाबाद, मुनाम और धुरी में अपने गौदान क्रियाएं पर देना स्वीकार किया है। अनिन तीन स्थानों में गोदाओं को उपयोगिता के बारे में जांच हो रही है और जल्दी ही भंडार का प्रबंध होगा।

निगम ने पटियाला और कैथल में भंडार को इमारतें बनाने के लिए स्थान का चुनाव किया है। अब तक किराये के भवनों में भंडार हैं।

पंजाब राज्य भंडार निगम की स्थापना १९५८ में हुई थी। इसकी अधिष्ठन पूंजी ५० लाख रु० और चुनना-पूंजी १४ लाख १० हजार रु० थी। इसके अर्धे राज्य केंद्रीय भंडार निगम के और आधे क्रिष्म गण्य सरकार के हैं। निगम वैज्ञानिक ढंग में जिन्य रखने के अलावा उत्पादकों और व्यापारियों को कर्ज भी देता है।

## बगीचा समिति की बैठक

बगीचों में मन्धन्व ग्यन से बाली विपदाय उद्योग समिति में अब यह मुसाव दिया है कि चाय, कढ़वे और ग्वट के बग्याच के लिए अलग-अलग वेतन मण्डल हानें चाहिए। नौनों का अध्धक एक और नौनों में वही स्वतंत्र मददय रखने का भी समिति में मुसाव दिया है।

समिति ने पहले सारे बग्याचा उद्योग के लिए एक ही वेतन मण्डल रखने को सिफारिश की थी। समिति की बैठक २७ अप्रैल को नयी दिल्ली में हुई थी और इसके महापति भ्रम मंत्री श्री गुजरातीलाल नन्दा थे। चाय के वेतन मण्डल में मालिकों और मजदूरों के तीन-तीन प्रतिनिधि रखे जाने चाहिए और अन्य दोनों मण्डलों में दो-दो।

## १९५६-६० में सौंउ की उपज में वृद्धि

खाद्य मन्त्रालय के अर्ध और अक निदेशालय के अनुमान के अनुसार १९५५-६० में ३७ हजार एकड़ में अदरग (गौंउ) की गंनों हुई और १३ हजार ६०० टन पैदावार हुई। १९५८-५९ में, मगोपित अनुमान के अनुसार, ३५ हजार ७०० एकड़ में अदरग (गौंउ) की गंनों हुई और १२ हजार ३०० टन उपज हुई। इस प्रकार १९५९-६० में गंनों के क्षेत्रफल में १ हजार ३०० एकड़ या ३६ प्रतिशत और उपज में १ हजार १०० टन या ८९ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

चाहू वरं में केरल और बम्बई में अधिक क्षेत्रफल में गंनों हुई। केरल और मध्य प्रदेश में अदरग की उपज नवमें ज्यादा हुई। मोगम अच्छा रहने और अधिक जमीन में गंनों होने में अदरग का उपज बड़ी है।

यह सूचना गाय और कृषि मन्त्रालय के अर्ध और अक निदेशालय की २२ अप्रैल की एक विज्ञप्ति में दी गई है।

## १९५६-६० में काली मिर्च की पैदावार

खाद्य और कृषि मन्त्रालय के अनुमान के अनुसार १९५९-६० में २ लाख ३२ हजार एकड़ में २५ हजार ८०० टन काली मिर्च पैदा हुई। १९५८-५९ में, मगोपित अनुमान के अनुसार, २ लाख ३० हजार १०० एकड़ में २५ हजार ५०० टन काली मिर्च पैदा हुई।

केरल में दुवाई के समय अच्छा मौसम रहने के कारण अधिक जमीन में खेती होने में क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। पर मसूर में पहले में कुछ कम जमीन में खेती हुई। केरल में फगल के फलने के समय अच्छा मौसम न रहने के कारण काली मिर्च की उपज पटी है।

यह सूचना खाद्य और कृषि मन्त्रालय के अर्ध और अक निदेशालय की २२ अप्रैल की एक विज्ञप्ति में दी गई है।

## खाद्य सामग्री का निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न

राज्य व्यापार निगम भारत में बनी खाद्य सामग्री, बिक्रुट और मिठाई आदि का निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है। पश्चिम एशिया और यूरोप में निगम ने जो

पड़ताल की थी, उसमें पता चला है कि वहाँ पर भारत की गाय सामग्री की रातत की बहुत गुाउग है।

१९५९ में भारत में १ करोड़ २६ लाख रु० के डिब्बा-बन्ध फल, मजिजाया मूर्त में वे आदि बाहर भेजे। मछली के निर्यात से २४ लाख रु० की आय हुई। ५७ लाख रु० में अधिक का डिब्बा-बन्ध गौंउत विदेशों को भेजा गया। यह सामान पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, अमरीका, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी और साम्ब्रिलिया आदि देशों को भेजा गया।

## सेम को रोकने के उपाय

सेम (पानी जमा होने से दलदल हो जाना) के कारण काफी जमीन खराब हो जाती है। इस पघिनाई को दूर करने के लिए राज्यों से नौसरी योजना में नालिया तथा उपले नलरूप बनाने, वर्तमान नहरों की भीतरी दीवार को पक्का करने तथा जमीन के नीचे नालिया बनाने का कार्यक्रम शामिल किया जाएगा।

यह अनुमान लगाया गया है कि पंजाब, बम्बई, जम्पू और करमौर तथा दिल्ली में ७२ लाख एकड़ जमीन ऐसी है जहाँ पानी भरा हुआ है। यहाँ १० फुट तक गहरा पानी है।

पंजाब के सबसे अधिक क्षेत्र को इससे नुकसान पहुंचा है। वहाँ लगभग ७० लाख एकड़ क्षेत्र में पानी भरा है। बम्बई में लगभग ८२ हजार एकड़ तथा जम्पू और करमौर में लगभग २९ हजार एकड़ भूमि में दलदल है।

पंजाब में इसको दूर करने के लिए कई उपाय किए गए, जैसे प्रभावित क्षेत्रों में नदियाँ, बड़े सोंनों या सोलों के बाड़ के पानों को आने से रोकना, पानी को निकाली, सिंचाई की नहरों के बराबर निकासी की नालिया बनाना, नहरों आदि की भीतरी दीवार को पक्का करना, काफी सख्या में नलरूप खोदना, जमीन में नीचे के पानी को सतह ऊंची होने से रोकने के लिए कुण खोदना। सेम रोकने के लिए अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार के उपाय किए जाएंगे। भारत सरकार राज्यों को इसके लिए शिष्टिक सहायता देगी। केंद्रीय जल और विजली आयोग इन योजनाओं तथा इनके तर्ष के अनुमातों को जांच करेगा।

## नदी योजनाएं और बिजली

### कोसी बांध के निर्माण-कार्य की प्रगति

बिहार में हनुमाननगर में जो कोसी बांध बन रहा है उसमें लगभग १२ लाख घनफुट, यानी ७वा हिस्सा कंकरीट पड़ चुकी है। इस बांध में करीब ८७ लाख घनफुट कंकरीट डाली जानी है।

कोसी बड़ी भयानक और वेगवती नदी है। इसके आर-पार बनाए जाने वाले बांध में ३,७७० फुट लम्बा पानी निकलने का कंकरीट का रास्ता, १९,००० फुट के कच्चे बांध और १६ मील लम्बे पानों का साधन के बांध बनेंगे। यहा से नहरे भी निकलेगी। उनसे पूर्णिया और सहरसा जिला की १४०५ लाख एकड़ जमीन में सिंचाई हो सकेगी। इसके अलावा नेपाल के सप्तरी जिले में सा २०,००० एकड़ में सिंचाई होगी। कोसी नहर प्रणाली की सहायता से ३। लाख एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाया जा सकेगा। नयी भूमि में खेती होने से पैदावार करीब १ करोड़ ७ लाख ३० हजार मन बढ़ेगी।

बांध और नहरे निकलने के स्थान पर १६ करोड़ ७९ लाख रु० खर्च होने का अनुमान है। आशा है बांध आदि सारा काम १९६३ तक पूरा हो जाएगा।

#### १९५९-६० का काम

१९५९-६० में बांध का निर्माण-कार्य सतत चल रहा। बाई तरफ के नोच के फाटक, पूर्वी कच्चा बांध और पानों साधन के बांध और मुख्य नहर का हेड रेगुलेटर प्रायः तैयार हो गया है। इसके अलावा, मुख्य नहर के लिए मिट्टी डालने का ५८ प्रतिशत और शाखाओं के लिए ८० प्रतिशत काम पूरा हो गया है। हाल में पानी निकलने के रास्ते के ६०० फुट के भाग पर मिट्टी खाने, सीट पाइल, कंकरीट और पत्थर डालने का काम शुरू किया गया है।

मुख्य नहर के निकलने के स्थान पर १८,००० किलोवाट बिजली बनाने की व्यवस्था करने पर भी विचार किया जा रहा

भारतीय सप्ताहार

है। बिहार के पूर्णिया, सहरसा और दरभंगा जिलों में तथा नेपाल की तराई में १३ लाख ५९ हजार एकड़ अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा पहुँचाने की सम्भावना पर भी विचार में विचार किया जा रहा है।

### भाखड़ा बांध की दाहिनी सुरंग बन्द

भाखड़ा बांध की दाहिनी सुरंग बन्द करने का काम पिछले महीने पूरा हो गया। अब भाखड़ा-नगल योजना का काम पहले की तरह चलने लगा है।

हायस्ट्र चेंबर (फाटकघर) के ऊपर की ओर से आने वाला नदी का पानी जिन साइ-फॉन्स से प्रति सेकेंड ३२० घनफुट की गति से बह रहा था, उन्हें बन्द कर दिया गया है। इस प्रकार दाहिनी सुरंग पक्की तरह से बन्द हो गई है।

फाटकघर में ५० फुट तक कंकरीट भरा जा चुका है। शेष १२ फुट भी सीधे ही भर जाएगा। अब हायस्ट्र चेंबर के नीचे दाहिनी सुरंग की डाट (प्लग) को पुल्टा करने का काम तेजी से चालू हो जाएगा। आशा है कि अगले दो महीनों में ८० फुट तक यह डाट मजबूत हो जाएगी।

निचली ओर एक काफिर बांध बनकर तैयार होने वाला है, जिससे पानी धूमकर दाहिनी सुरंग में न जा सके। दाहिनी सुरंग में से पानी निकालने के लिए बड़े-बड़े पम्प लगाये गये हैं। ये पम्प एक मिनट में ५,००० गैलन पानी फेंक सकते हैं।

२१ अगस्त, १९५९ को दुर्घटना से भाखड़ा बांध की जो क्षति हुई थी, उसकी मरम्मत पूरी हो चुकी है, दाहिनी सुरंग और इसकी नालियों को बन्द करने का काम भी जो पहले से हो रहा था, जून १९६० तक पूरा हो जाएगा।

### माइथान और पंचेत बिजलीघर

दा मोंदर पाटी निगम के माइथान बिजली-घर में ६० हजार किलोवाट बिजली बन सकती है। इसमें २०-२० हजार किलोवाट बिजली बनाने वाले ३ यंत्र हैं। निगम के

पंचेत बिजलीघर में बिजली बनाने वाला एक ही यंत्र है, जो ४० हजार किलोवाट बिजली बना सकता है।

यह सूचना मिचाई और बिजली उपमंत्रि, श्री जयसुखलाल हाथी ने २९ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। श्री हाथी ने कहा कि आजकल इन दोनों बिजलीघरों में जितनी भी बिजली बनती है, उस सबका पूरा उपयोग हो रहा है।

### आंध्र प्रदेश की सिंचाई और बिजली योजनाएं

केन्द्रीय सिंचाई और बिजली उपमंत्रि, श्री जयसुखलाल हाथी ने २६ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि १९६०-६१ में आंध्र प्रदेश की बड़ी और मझली सिंचाई और बिजली योजनाओं के लिए १६ करोड़ ६४ लाख ८४ हजार रु० मंजूर किया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है :

बृहद्देशीय	- १०,००,००,००० रु०
सिंचाई	- ३,००,००,००० रु०
बिजली	- २,६४,८४,००० रु०

### आसाम में बारक बांध के लिए जांच पड़ताल

केन्द्रीय सिंचाई और बिजली उपमंत्रि, श्री जयसुखलाल हाथी ने एक प्रश्न के उत्तर में २७ अप्रैल को लोकसभा में बताया कि केन्द्रीय पानी और बिजली आयोग और आसाम सरकार के इंजीनियरों की एक टोली ने जनवरी १९६० में एक भूगर्भवेत्ता की सहायता से बारक नदी के मैनाधर बांध के स्थान का निरीक्षण किया। टोली ने सुझाव दिया है कि बाड़ की रोकथाम के लिए २००-२५० फुट ऊंचा मिट्टी का बांध बनाया जा सकता है।

उपमंत्रि ने बताया कि आसाम सरकार के निवेदन पर यह जांच की गई थी।

### उड़ीसा की कुरुभद्रा नदी के तटबंध

कुरुभद्रा नदी के दाए तटबंध का पाटपूर से धनुआ तक का १० मील का भाग और बाए किनारे का पाटपूर से नेतपुर तक

का ८ मोल का हिस्सा बन चुका है। इस समय तटबंधों का और आगे बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। इन दीनों और के तटबंधों में क्या फायदा होगा इस बारे में विस्तार में जान की जा रही है। जब नदी इन दीनों के बीच अच्छी तरह बहने लगेगी तब उन्हें और बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।

यह सूचना २९ अप्रैल को लांस्मभा में निचाई तथा विज्ञानों उपमंत्रों श्री जयमुक्तलाल हाथी ने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।

श्री हाथी ने बताया कि राज्य सरकार ने सखर दी है कि टाल नदी तट को जम्पाइय में निर्दिष्टाना तक बढ़ाने का मूल योजना छेड़ दी गयी है और टालनदी में मूल सील तक पानी निकालने को एक नहर निकालने की योजना को मजूरी दी गई है। यह काम जल्दी हो, पानी जमाते लेने के बाद शुरू हो जाएगा। जमीन लेने की अधिभार वारंटों की जा रही है।

### दंडकारण्य के पहले बांध का शिलान्यास

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री, डा० विद्याल चन्द्र राय ने २६ अप्रैल को कोरापुट में ८ मील दूर दंडकारण्य क्षेत्र में एक बांध का शिलान्यास किया। केन्द्रीय पुनर्स्थापन मंत्री श्री महेश चन्द्र खन्ना भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

डा० राय ने बांध की सफलता की शुभ-वाचना की और कहा कि हमने पूर्वी पाकिस्तान में आने वाले विस्थापितों को तौ लोभ होगा है, साथ ही वहा के आदिवासी को भी फायदा होगा।


इन बांध पर १ करोड़ २० लाख होने का अनुमान है। यह बांध ५,२०० फुट लम्बा होगा और इसमें १६ हजार एरड में भी ज्यादा जमीन की निचाई हो सकेगी। इसमें ११ गावा को निचाई के लिए पानी मिल सकेगा जिनमें में प्रत्येक में विस्थापितों के ५०-५० परिवार रहेंगे हैं। दंडकारण्य योजना के अधिकारी अब तक ६,००० एकड़ जमीन जमीन माफ कर चुके हैं और विस्थापितों के लिए महान बनवाने भी शुरू कर दिए हैं।

इन अवसर पर पुनर्स्थापन मंत्री श्री खन्ना ने कहा कि इस क्षेत्र का निवास पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों और इस क्षेत्र में

रहने वालों, दीनों के हित में हो रहा है। उन्होंने कहा कि यहा निचाई के लिए पानी को बहने जरूरत है, अतः इन बांध का निर्माण दंडकारण्य के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। श्री खन्ना ने आदिवासीयों को यह आश्वासन दिया कि दंडकारण्य के विभाग में उन्हें भी नमान लाभ होगा।

### बंगलौर में बिजली पुनर्स्थापन संस्था की स्थापना

केन्द्रीय निचाई और विद्युत उद्योगों, श्री जयमुक्तलाल हाथी ने २६ अप्रैल को लांस्मभा में बंगलौर की बिजली अनु-



### २२२ पूर्व-विस्तार कंट्रोलने की अनुमति

केन्द्रीय सामुदायिक विभाग और सहकार मंत्रालय ने ११ राज्यों और केन्द्र-प्रमाणित क्षेत्रों में अप्रैल १९६० में २२२ पूर्व-विस्तार गड मीलने की अनुमति दी है।

इनका राज्यवार वित्तीय इस प्रकार है आंध्र प्रदेश-२२, बिहार-२५, बम्बई-३३, मध्य प्रदेश-१८, मद्रास-१६, पंजाब-१, उड़ीसा-१६, उत्तर प्रदेश-६६, मिसूर-१२, राजस्थान-१०, केरल-७, मणिपुर-१, त्रिपुरा-१ और नंका-२।

राज्य सरकारों इन सडों के लिए क्षेत्रों का चुनाव करने समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वहा के रहने वाले आदिवासी और सह-जाती हों। गाँवों में मफाई हो और पचायतों तथा महकरी समितियों का काम करवा हो।

राज्य सरकारों से कहा गया है कि नये सड अन्न-उत्पादन बढ़ाने के दृष्टिकोण से खोले जाएं। उन स्थानों का प्राथमिकता दी जाए, जहां गेहूं और धान की खेती होती हो। निचाई की सुविधा हो या काकी वर्षा होती हो।

राज्य सरकारों का यह भी सुझाव दिया गया है कि ग्रामदान में दिने गये गाँवों और ऐसे गाँवों में जहाँ विछेड़ी हुई जातियाँ के लोग अधिक हैं, खड खोलने में प्राथमिकता दी

मयान संस्था में बिजली पैदा करने और उसको विभिन्न भागों में पहुंचाने तथा उसके उपयोग के बारे में अनुबंधन किया जाएगा। साथ ही बिजली के मामलों के बारे में भी राज होना।

श्री हाथी ने बताया कि भारत की अन्य अनुभवगत गस्थाओं में इस प्रकार के अनु-संगान की सुविधा नहीं है। केवल बंगलौर की भारतीय विज्ञान गस्था (इंडियन इस्टिड्यूट ऑफ गाउन) में अनुभवगत के साधन उपलब्ध है। इनके विद्युत अनुभवगत गस्था को लाभ हो, इसलिए इनकी स्थापना बंगलौर में की जा रही है।

जाए। किन्तु यह कामना का जाए कि विकास गडों के अन्तर्गत प्रत्येक सभी जिले आ जाए। पूर्व-विस्तार गड पुराने विकास खंडों के पटों में स्थित जाएं। यह भी प्रयत्न किया जाए कि ये खंड कृषि या पशु-विज्ञान विद्यालयों अथवा विस्तार खड ट्रेनिंग केन्द्रों के आसपास हो।

### प्रथम चरण के २०० विकास खण्ड

केन्द्रीय सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय ने अप्रैल १९६० में राज्य सरकारों की २०० पूर्व-विस्तार गड प्रथम चरण के सडों में बदलने की अनुमति दी है। इनका राज्यवार वित्तीय इस प्रकार है

आंध्र प्रदेश-१८, बिहार-२३, बम्बई-२४, मध्य प्रदेश-१५, मद्रास-१३, उड़ीसा-१२, पंजाब-७, उत्तर प्रदेश-४३, पश्चिम बंगाल-१५, मिसूर-१०, राजस्थान-८, केरल-५, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश-१-१, और उत्तर पूर्व मीमांत अमिकरण-४।

राज्य सरकारों पूर्व विस्तार सडों को प्रथम चरण के विभाग सड बनाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि उन गाँवों के लोग आदि-वासीय और सहयोगी हो सके।

इनके अलावा ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ गेहूं और धान की खेती होती है और जहाँ सिंचाई की सुविधाएं पूर्ण भी अच्छी होती हैं।



**प्राकाशवाणी की कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक**

**आ**काशवाणी की केन्द्रीय कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक २२ अप्रैल को नयी दिल्ली में सम्पन्न हुई। बैठक में विविध भारतीय कार्यक्रम का समय एक घटा और बढ़ाने का निश्चय किया गया। सदस्यों ने इन कार्यक्रमों की लोचनियता पर भी सन्तोष प्रकट किया।

बैठक में सभापति, केन्द्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री, डा० बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर भी।

आजकल विविध भारतीय की मुवह की सभा रविवार और सनिवार को छोड़कर ९-०० बजे समाप्त हो जानी है। अब दुपहर को ११ से १२ तक भी विविध भारतीय का प्रसारण होगा। नये कार्यक्रम में हल्के और लोचनी की पमद के गीत, चुटकुले, और हास्य रस की रचनाएँ सुनवाई जाएगी।

बैठक में बताया गया कि रवीन्द्र भगवद्दास मनाने के लिए आकाशवाणी क्या तैयारी कर रही है। भगवद्दास समारोह के दिनों में रेडियो से ६ भागों में ३०-३० मिनट तक रवीन्द्र नाथ ठाकुर की जीवनी सुनवाई जाएगी।

भगवद्दास के कार्यक्रमों में स्व० रवीन्द्र नाथ ठाकुर के सम्पर्क में आए व्यक्तियों के स्मरण और कवियों की वाणी भी सुनवाई जाएगी। आकाशवाणी के पास उनके ४० मिनट तक बजाने लायक रिकार्ड हैं।

डा० केमकर ने बैठक में बताया कि भारतीय नामों के शुद्ध उच्चारण सहित एक सूची हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार की गई है। इन सूची के बनाने का उद्देश्य यह है कि देशी नाम भारत की सब भाषाओं में एक-से और शुद्ध बोलें जाएँ।

**स्कूलों के लिए दूरदर्शन**

मन्त्री महोदय ने बताया कि यदि अमरीका के फोर्ड फाउंडेशन से बातचीत मफूज हुई तो दिल्ली के हर माध्यमिक स्कूल में इस दूरदर्शन सेट लगा सकते हैं। इन प्रकार देश में

शिक्षा के लिए दूरदर्शन या टेलीविजन के प्रयोग को भी बढ़ाया जाएगा। इनसे हमारे इन्जिनियरों को भी अनुभव मिल रहा है।

समिति के सदस्यों ने बताया कि देश के १,००० में अधिक गाँवों में चले रहें रेडियो ग्राम-गोष्ठियाँ अच्छा काम कर रहा है।

समिति ने यह भी भिचारिया की है कि प्रातःकाल जो संगीत सुनवाया जाता है, उसमें संगीत पक्ष को और अधिक तथा धार्मिक पक्ष को और कम ध्यान देना चाहिए। साथ ही सब धर्मों के संगीत को इस कार्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए। प्राचीन धार्मिक ग्रन्थों के अंश या अनुवाद भी प्रसारित होने चाहिए। केवल धार्मिक ग्रन्थ होने से इस साहित्य की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। इनमें से कुछ तो साहित्य की दृष्टि से भी बहुत उच्च कौटि के हैं।

समिति ने युवकों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू करने का निश्चय किया। इसके लिए देश भर में युवक बल्य स्थापित करने का उपाय मंचा गया।

सभापति के अनुरोध पर समिति ने आकाशवाणी के वास्तव्य मंचालक श्री पद्मलाल घोष के देहावसान पर शोक-प्रस्ताव स्वीकार किया।

**आकाशवाणी से ६ भाषाओं में 'समकालीन साहित्य' कार्यक्रम**

**आ**काशवाणी के राष्ट्रीय कार्यक्रम में 'समकालीन साहित्य' नामक पवित्र कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अन्तर्गत पहली पत्रिका का कार्यक्रम २८ अप्रैल को रात के ९-३० बजे दिल्ली 'के' में आरम्भ हुआ।

इस कार्यक्रम में छ भारतीय भाषाओं की चुर्नी हुई रचनाएँ और उनके हिन्दी अनुवाद प्रसारित किए गए।

**टेलीविजन पर खर्च**

**डा०** केमकर ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा में १६ अप्रैल को बताया कि १९५९-६० में टेलीविजन पर औसतत ३२,५०० रु० माहवार खर्च पड़ा।

**पांचवाँ आकाशवाणी साहित्य समारोह**

**ती**न दिन के पांचवें आकाशवाणी साहित्य समारोह (रेडियो लिटरेरी फोर्म्) का उद्घाटन नयी दिल्ली में १५ अप्रैल, १९६० को केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, डा० बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर ने किया। इन सम्मेलन में १३ भारतीय भाषाओं के १० साहित्यिकों ने भाग लिया। समारोह में भारतीय साहित्य की गद्य शैली के विकास पर चर्चा हुई।

**उच्च शिल्पिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए परीक्षा**

**उ**च्च शिल्पिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए एन-मी परीक्षा करने का विचार है। इस बारे में सम्बन्धित संस्थाओं के अधिकारियों को सलाह से एन-मी परीक्षा करने का ब्योरा तैयार किया गया है।

शुरू में यह परीक्षा बम्बई और लखनपुर की संस्थाओं में प्रवेश के लिए की जाएगी, जो २ और ३ मई, १९६० को १६ केन्द्रों में होगी। जो उम्मीदवार इट्टर या इसके बराबर की कोई परीक्षा पास कर चुके हैं, वे इसमें बैठ सकते हैं। इस परीक्षा में ३-३ घंटे के चार पच्चे होंगे। इसमें पास होने वाले उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा ली जाएगी।

यह सूचना वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मंत्री, डा० हुमायूँ कबीर ने २७ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

**सातवें अंतर्विदेशविद्यालय युवक समारोह का स्थान**

**न**यी दिल्ली में २३ अप्रैल को आगामी अंतर्विदेशविद्यालय युवक समारोह के प्रश्न पर विचार करने के लिए २९ विदेशविद्यालयों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के सन्तुष्ट सचिव, श्री पी० एन० कृपाल ने बैठक की अध्यक्षता की।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय विदेशविद्यालयों के सहयोग से युवक समारोह का आयोजन करता है। इस बार ७वाँ युवक समारोह होगा। यह समारोह २५ अक्टूबर से ३ नवम्बर, १९६० तक नयी दिल्ली में होगा।

## हिन्दी में उत्तम पाठ्य पुस्तकों लिखाने की योजना

शिक्षा मन्त्रालय को २७ अप्रैल को एक विज्ञापित में बतहा गया है कि भारत सरकार ने विज्ञान, गिनत और भाषित्व की अच्ची पाठ्य पुस्तकें लिखाने का निश्चय किया है । ये पुस्तकें शिक्षा मन्त्रालय द्वारा लिखाई जाएंगी ।

मविधान के अनुच्छेद ३५१ के अनुसार भारत सरकार पर जो दायित्व है, उसे पूरा करने और अर्थों के स्थान पर हिन्दी को स्थान के लिए और सरकार को तैयार की हुई पाठ्यपुस्तकों के प्रयोग के लिए पाठ्यपुस्तक तैयार बनाने का निश्चय किया गया है । राज्य सरकारों की शिक्षा मन्त्रालय और विश्वविद्यालयों की पुस्तकें लिखाने का मारा यच भारत सरकार देगा । पुस्तकें लिखाने को देयमान करने के लिए एक विद्येयन समिति रहेगी । इन पुस्तकों में भारत सरकार को तैयार की हुई पारिभाषिक पाठ्यपुस्तकी अनिवार्य रूप से इस्तेमाल की जाएगी ।

इस योजना की विवेकता यह होगी कि पुस्तकों की विषयों में जो प्राय होगा, उसे फिर इसी तरह की पुस्तकों के प्रकाशन पर खर्च किया जाएगा । पुस्तकों में यथासम्भव सरल और विषयानुसूल भाषा का प्रयोग होगा । मुरु में २०० पुस्तकों के अनुवाद की योजना बनाई गई है । भारत सरकार ने विद्येयन की एक समिति में नियुक्त की है, जो इन गति काम की विषययन् चलाएगी ।

## हिन्दी परीक्षाओं की सरकार की माग्यता

शिक्षा मन्त्रालय को २३ अप्रैल को एक विज्ञापित में बताया गया है कि भारत सरकार ने हिन्दी शिक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकारी नौकरों के लिए कुछ सत्याओं की हिन्दी परीक्षाओं की माग्यता की है ।

य सम्भव में भारत सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि इन परीक्षाओं की यह माग्यता मकसद डिशों परीक्षा की हिन्दी योग्यता के ही बराबर है, पूरी बिधी परीक्षा के बराबर नहीं ।

येन मर में ऐसी कई मस्याएँ हैं, जो हिन्दी की परीक्षाएँ लेनी हैं, किन्तु उन परीक्षाओं को भारत सरकार ने माग्यता नहीं दी थी । उन ऐसी सम्भावनाओं को, जो ये परीक्षाएँ पान करने में, सरकार में वह नोकरी नहीं मिल पाती थी, जिनमें हिन्दी की योग्यता जरूरी है । इन बारे में कुछ मस्याओं ने सरकार

में माग्यता की मांग की थी । इनके बारे में कई समितियों ने इस मामले पर विचार किया ।

अब यह माग्यता निम्नलिखित सत्याओं की परीक्षाओं को दी गई है । जिन परीक्षाओं के हिन्दी स्तर के बराबर ये परीक्षाएँ जाती गई हैं, उनके नाम साथ में दिए गए हैं ।

१. हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद	प्रथमा मध्यमा (विद्यारद)	मैट्रिक वी० ए०
२. राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, यधौ	उत्तमा (साहित्य रत्न)	वी० ए० से ऊर्षा, किन्तु एम० ए० के बराबर नहीं
३. प्रगाम हिन्दी विद्यापीठ, इलाहाबाद	परिचय कावित रत्न	मैट्रिक इटर वी० ए०
४. हिन्दी विद्यापीठ, देवधर	विद्युपी मरव्यपी	इटर वी० ए०
५. तिद्ययाकुल हिन्दी प्रचार ममा, तिद्यप्रनन्तपुरम्	प्रवेशिका साहित्यभूराग साहित्यालकार	मैट्रिक इटर वी० ए०
६. आगाम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गुवाहाटी	प्रवेशि विद्यारद	मैट्रिक इटर
७. हिन्दी प्रचार ममा, हैदराबाद	विद्यारद भूराग विद्यान	मैट्रिक इटर वी० ए०
८. बम्बई हिन्दी विद्यापीठ	उत्तमा भाषा रत्न साहित्य सुराकर	मैट्रिक इटर वी० ए०
९. महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पूना	प्रवेशि प्रवेशि पण्डित	मैट्रिक इटर वी० ए०
१०. अखिल भारतीय हिन्दी परिषद, आगरा	पारयत्	वी० ए०
११. मगिपुर हिन्दी परिषद, इम्फाल	प्रवेशि विद्यारद	मैट्रिक इटर
१२. मंसूर हिन्दी प्रचार परिषद, बगलोर	प्रवेशि उत्तमा रत्न	मैट्रिक इटर वी० ए०
१३. गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	तांशरी विनोत सेवक	मैट्रिक इटर वी० ए०
१४. दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास	प्रवेशिका विद्यारद प्रवेशि	मैट्रिक इटर वी० ए०
१५. हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, बम्बई	काविल विद्यान	मैट्रिक इटर

## टिप्पणी

(१) कालम १ में उल्लिखित नारी मस्वाओं को उन परीक्षाओं का मान्यता दी गई है, जो कालम २ में हैं और १९६० के अंत तक ही चुकेगी।

(२) १ से १३ तक की क्रम सख्या वाली मस्वाओं को परीक्षाओं का ओर तीन साल के लिए अर्थात् १९६३ के अंत तक मान्यता दी गई है। इसके बाद स्थिति पर फिर से विचार किया जाएगा।

(३) गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद (क्रम सख्या १३) को परीक्षाएं पास करने वाले केवल उन उम्मीदवारों के प्रमाण-पत्रों और डिप्लोमाओं का मान्यता दी जाएगी, जिन्होंने सवालों के जवाब देवनागरी लिपि में दिए होंगे। विद्यापीठ को अपने डिप्लोमाओं आदि में यह बात स्पष्ट लिख देनी चाहिए कि अमुक उम्मीदवार ने देवनागरी लिपि में सवालों के जवाब दिए हैं। जिन उम्मीदवारों को पहले डिप्लोमा मिल चुके हैं, उन्हें विद्यापीठ से इस बात का प्रमाणपत्र ले लेना चाहिए कि उन्होंने देवनागरी लिपि के माध्यम में परीक्षा पास की है।

(४) दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (क्रम सख्या १४) और हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, बम्बई (क्रम सख्या १५) को १९६० से बाद की परीक्षाओं का मान्यता देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

## हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेज

राज्यसभा में शिक्षा मंत्री, डा० कालूराज श्रीमाली ने २५ अप्रैल को एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि आंध्र प्रदेश, बम्बई, केरल, आगाम, मंजूर, मद्रास को राज्य सरकारों तथा पिनुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप के प्रशासन नये हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेज खोलने या हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण की वर्तमान सुविधाओं को बढ़ाने के लिए राजी हो गए हैं।

पञ्जाब, उड़ीसा, जम्मू और कश्मीर राज्य सरकारों ने और मणिपुर, लक्षद्वीप, मिनिक्वाय और अमोन द्वीप के प्रशासन ने मूर्खित किया है कि फिलहाल हिन्दी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए वहा वर्तमान सुविधाएं पर्याप्त हैं। पश्चिम बंगाल सरकार से कोई उत्तर नहीं आया है।

डा० श्रीमाली ने यह भी बताया कि १९५९ और १९६० में नौबे लखी संस्थाओं ने प्रशिक्षण कालेज खोलने के लिए वित्तीय सहायता के लिए खानतीर से प्रार्थना की थी।

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद (८१,९०० रु०), मंजूर हिन्दी प्रचार परिषद, बंगलोर (१,४२,९०० रु०); हिन्दी प्रेमी मंडली महाविद्यालय, तेनाली, आंध्र प्रदेश (राशि नहीं दी गई) और असम राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, गुवाहाटी ने २,८१,००० रु० मागे थे।

## हिन्दी के वैज्ञानिक पर्यायों के क्षेत्र में शिक्षा मंत्रालय का कार्य

शिक्षा मंत्रालय के हिन्दी निदेशालय ने २९-२-६० तक विभिन्न विषयों के २ लाख १६ हजार ६४७ पारिभाषिक शब्द तैयार किए। इनमें से १ लाख २३ हजार ३८ पारिभाषिक शब्दों को वियोजन समितियों में स्वीकार कर लिया है, जिनमें ४०,८८९ पारिभाषिक शब्द विज्ञान के हैं।

हिन्दी निदेशालय में कृषि, वनस्पति विज्ञान, रसायनशास्त्र, प्रतिरक्षा, सामान्य प्रशासन, भौतिकी, समाज विज्ञान तथा गणित आदि विषयों के वैज्ञानिक कोषों के निर्माण का काम भी चल रहा है।

भाषा सम्बन्धी काम करने वाली संस्थाओं को सहायता देने के कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र विश्वविद्यालय, बाल्टेयर को २,१५० रु० स्वीकृत अनुदान की तीसरी किस्त में तेलुगु भाषा के वर्ण-निर्माण और ध्वनि सम्बन्धी अध्ययन के लिए दिया गया। पूना के डेकन कालेज, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इंस्टिट्यूट को १,२८९ रु० हिन्दी भाषा के इसी प्रकार के अध्ययन के लिए स्वीकृत अनुदान की अंतिम किस्त भी दी गई।

वाराणसी की नागरी प्रचारिणों सभा को हिन्दी विद्व कंज तैयार करने के लिए स्वीकृत अनुदान की आठवीं किस्त के रूप में ३५ हजार रु० दिए गए। सतदीय हिन्दी परिषद, नयी दिल्ली को १९५९-६० में हिन्दी के प्रचार और विकास के लिए १२,६३०

रु० देना स्वीकार किया गया और नयी दिल्ली के हिन्दी भवन को १९५९-६० के लिए ८७० रु० का अनुदान और स्वीकार किया गया।

हिन्दी के अध्यापकों की नियुक्ति

इस पत्रवार में ५ हिन्दी भाषी राज्यों में केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत १९५९-६० में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए ७ लाख १९ हजार ७९२ रु० देना स्वीकार किया गया।

## संस्कृत का विकास

२४ मार्च, १९६० को केन्द्रीय सस्कृत मण्डल की दूसरी बैठक श्री पतञ्जलि शास्त्री की अध्यक्षता में हुई। बोकानेर के श्री पार्थिव सस्कृत विद्यापीठ को १०,२०० रु० राजस्व की सरकार का मार्केट पुस्तकालय के लिए दिए गए।

## विधि मंत्रालय की पारिभाषिक शब्दावली

विधि उपमंत्री, श्री हाजरनवीस ने २९ अप्रैल को राज्यसभा में बताया कि विधि मंत्रालय अपने अनुवाद कार्य में भाषा वियोजन के सम्मेलन द्वारा बनाई हुई शब्दावली और भारत के सविधान के क्षेत्र में भाषाओं के अनुवाद के पर्यायों का प्रयोग करता है। यह शब्दावली स्वीकार करने प्रकाशित कराई जा चुकी है।

## हिन्दी के बड़े लेखकों की रचनाओं का संकलन

शिक्षा मंत्री, डा० श्रीमाली ने एक प्रश्न के उत्तर में २५ अप्रैल को राज्यसभा में बताया कि चुने हुए हिन्दी कवियों और लेखकों की पुस्तकों के बृहत् संकलन को प्रकाशित करने की योजना बनाई गई है।

किन विद्वानों की क्या कार्यें सोपा गया है इसका ब्योरा यह है :

भारतेशु युग के नाटक, पद्य और गद्य सहित और तुलसीदास को छोड़कर राम भद्रि शाखा कवियों की कृतिया—प्रोफेसर नरदुल्लो वाजपेयी, (सागर विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष)

रहीम और गंग की कृतिया—डा० एस० गी० अग्रवाल, (लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के रीडर)

नागरोदीन को हृदिया—डा० फैयाज अली  
मो, (निगलना, राकमपान)

फोर्ट दिल्लीम बाजिर के केनका और थोराम  
प्रसाद निरजन की हृदिया—डा० विन्वनाथ  
प्रसाद, (जागना विन्वविद्यालय) ।

### हिन्दी शिक्षकों का भाषा शिक्षकों के समान वेतन

**डा०** थोमारो ने हिन्दी शिक्षका के वेतन  
के सम्बन्ध में २५ अप्रैल का राज्य  
सभामें प्रस्तावत के समय बताया कि प्राय  
प्रदेग, आनाम, अम्मु और तम्बीर, बैरग,  
रजाय राज्यों और केन्द्र प्रशासन धंध—  
मगिपुर, विजुगा, अडनात और निकोवार डोंग  
की सरकार ने हिन्दी शिक्षकों के वेतन  
शिक्षका वा वेतनक्रम अन्य भाषा शिक्षका से  
धन नहीं है। मद्रास सरकार ने भी यह निदान्त  
मान दिया है कि वेतनक्रम में हिन्दी शिक्षका  
का जय भाषा शिक्षका न किया भा प्रचार  
कन नहीं समझा जायगा। लखनऊ, मिनिपाय  
आर अर्मातडोंग के केन्द्र प्रशासन धंध में  
हिन्दी पढाने के लिए अन्य अध्यापक नहीं है।  
मैसूर और बम्बई सरकार ने किया है कि वे  
इम विषय पर सूचना एत्र कर रहे हैं।  
उडीसा और पदिचना बजार सरकार वा अभी  
तक कोई जवाब नहीं आया है।

### हिन्दी के हर्लम यथो का प्रकाशन

**शि**ता मन्ना, डा० थोमारो ने २५ अप्रैल  
का राज्यसभामें एक प्रश्न के  
उत्तर में बताया कि हिन्दी के उच्च श्रेया के  
उन यथा का वा अब उपलब्ध नहीं है मगाधित  
मन्करण निकालने का काम इलाहाबाद विश्व-  
विद्यालय का गौपा गया है।

इस योजना के अतर्ग किटहाल केवल  
विश्वपाल रागा, हदीर रागो, खमान रागो  
और परमाल रागो को प्रकाशन के लिए  
चुना गया है। इसके लिए २० हजार रुपय के  
स्वीकृत अनुदान में से ५,००० रुपया प्रयाग  
विश्वविद्यालय का दे दिया गया है।

### महाभारत का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद


केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुमान और संस्कृति  
मन्त्री, डा० हुमायूँ बखीर ने २५ अप्रैल  
की राज्यसभामें एक प्रश्न के उत्तर में बताया

कि भारत सरकार ने महाभारत का उडिया  
भाषामें अनुवाद और मलयालम में उनकी  
दोहा प्रकाशन करने के लिए संज्ञाया दी  
है। श्री बखीर ने यह भी बताया कि सरकार ने  
अयमिना भाषामें अनुवाद के लिए १०,०००  
० मसूर किया है।

मन्त्री महाशय ने बताया कि मूल धर्मा के  
संशोधन भाषाओं में अनुवाद के लिए महायता  
देने समय राज्य सरकार को विकारिम, अनु-  
वादक को स्थान और उद्देश्य पर ध्यान दिया  
जाता है।

### संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों के लिए पुस्तका

**शि**ता मन्नाय को २० अप्रैल का एक  
विकारिम में कहा गया है कि भारत  
सरकार ने संस्कृत को अष्टे स्तर की नान  
पाठ्य पुस्तका का पुस्तका देन का निश्चय  
किया है। ये पुस्तक मन्थन मध्यमि या



### शिक्षकों में रहने वाले विस्थापितों को फिर से घसाने के लिए निर्णय

केन्द्रीय पुनर्स्थापन मन्त्री, श्री मेहर चन्द्र  
मन्ना ने २१ अप्रैल का राज्यसभामें  
बताया कि शिक्षकों में रहने वाले विस्थापितों  
का नाटिम देने, बयानानामा योजना और  
विस्थापिता का निबिदा में दण्डकारण्य या  
पश्चिम बंगाल से बाहर किया अय स्थान पर  
भेजने पर उनका प० बंगाल के पुनर्स्थापन  
मन्त्री, श्री पा० गी० सेन से सहमति है।

मन्त्री महाशय ने यह सूचना एक प्रश्न के  
उत्तर में दी।

मन्त्री महाशय ने बताया कि इन वाता पर  
विचार करने के लिए १ अगस्त, १९५९ अर  
३१ मार्च, १९६० के वाच उनकी प्रा सेन के  
माय ७ बैठके हुई।

मन्त्री महाशय ने बैठका में हुए निणया का  
विस्तृत धर्या भी सदन को भेज पर रवा।  
उमका साराण इस प्रकार है

(१) अगस्त १९५९ की बैठक इस  
बैठक में यह निर्णय किया गया कि किसानों  
के अलावा शिक्षकों में रहने वाले अन्य परिवारों

निम्न माध्यमिक स्कूलों के १० से १३ माल  
तक के छात्रों के लिए लिपि होनी चाहिए।  
इन पुस्तकों पर २,५०० रु० ; २,१०० रु०  
और १,८०० रु० के पुस्तकार दिए जाएंगे।

पुस्तकार के लिए पुस्तकों के मनीदे ३१  
जुलाई, १९६० तक शिक्षा मन्त्रालय के विद्योय  
अधिकाारी (मशुन) के पाम पहुच जाने  
चाहिए।

### अश्लील साहित्य बेचने वालों की गिरफ्तारी

राज्यसभामें २५ अप्रैल को प्रश्नोत्तर के  
समय श्री पत ने बताया कि दिल्ली में  
चोरों ने अश्लील पुस्तकों आदि बेचने पर १०  
व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। इनके खिलाफ  
मुबदमा चले। पुलिस पुस्तकों को दुकानों  
पर जानी है और अश्लील साहित्य बेचने  
वाला का पकडनी है।

का ९० दिन के भीतर अपने आप या सरकार  
का बयानानामा योजना के अतर्ग अयत्र  
बसाने का प्रबन्ध करने का नाटिम दिया जाना  
चाहिए। यदि इस अवधि में ये विस्थापित  
उसत व्यवस्था नहीं करते तो उन्हें और उनके  
परिवार वालों को निबिदा में हटा दिया  
जायगा।

(२) नितम्बर १९५९ की बैठक  
नितम्बर १९५९ में यह निश्चय किया गया  
कि शिक्षकों में रहने वाले किसान परिवारों  
को भी यह नाटिम दिया जाए कि ये दण्ड-  
कारण्य जाने के लिए अपना स्वीकृति दे या  
बयानानामा योजना के अतर्ग ९० दिन के  
भीतर कहीं और बसाने का प्रबन्ध कर ले अथवा  
उन्हे भी निबिदा से हटा दिया जायगा।

(३) २५ दिसम्बर, १९५९ की बैठक  
राज्य पुनर्स्थापन मन्त्री ने राय दी कि खेती  
का उपयुक्त जमीन के अभाव में और खेती  
न करने वाले परिवारों का राज्य में फिर से  
बसाने के मोमित साधनों के कारण बयाना-  
नामा योजना कुछ हूने हुए धर्या में ही लागू  
की जा सकरी है। बांधकालीन विकास

योजनाओं के जरिये कम उपजाऊ जमीनों को सुधारा जा सकता है, परन्तु इतनी लम्बी मियाद तक शिबिरो को चलाया नहीं जा सकता। अतः जुलाई १९५८ के मंत्रि-सम्मेलन के फ़ैसले के अनुसार भारत सरकार को चाहिए कि यह ३५,००० परिवारों को शिबिरो से हटाने का प्रयत्न करे। एक यह भी सुझाव दिया गया कि इन परिवारों को दो महीने के अन्दर दण्डकारण्य जाने का नोटिस भी देना चाहिए। अगर वे इस अवधि में वहाँ नहीं जाएँ तो उन्हें ६ महीने की महायता देकर शिबिर के रजिस्टर में उनका नाम खारिज कर दिया जाए।

(ख) राज्य मंत्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ६,००० परिवारों को वसा चुकी है। शेष ४,००० परिवारों को वसाने के बारे में भी योजना बनाई जा रही है। परिवारों का चुनाव कर उन्हें खास जगहों में भेजा जाएगा और यदि वे वहाँ नहीं गए तो उन्हें भी ६ महीने की महायता देकर उनके नाम रजिस्टर से खारिज कर दिए जाएंगे।

(ग) २९ दिसम्बर की बैठक केन्द्र और राज्य के पुनर्मस्थापन मंत्रियों ने अपने मशालों के सचिवों के निर्णय को इन मुद्दों को साँभाल लिया।

(क) विस्थापितों को जून १९५४ के पहले और जून १९५८ के बाद की स्थिति का अन्तर समाप्त किया जाए।

(ख) कुछ परिवारों और गैर-कुशल परिवारों को दोनो का ६० दिन का नोटिस दिया जाए और राज्य सरकार कुछ मामलों में यह मियाद ६० दिन और बढ़ा सकती है।

(ग) राज्य सरकार केन्द्रीय पुनर्मस्थापन मशाल को उन परिवारों की सूची भेजेगी, जिनको वह नोटिस देगी। मशाल व्यवस्थापक को उनके बारे में सूचित करेगा।

(५) जनवरी १९६० की बैठक में मंत्रियों ने जनवरी १९६० में २,००० परिवारों को नोटिस देना स्वीकार किया। परिवारों का चुनाव राज्य सरकार करेगी।

(६) २८ जनवरी की बैठक में निश्चय किया गया कि राज्य सरकार और ०,००० परिवारों को फरवरी १९६० में दण्डकारण्य जाने का नोटिस देगी।

(७) १७ मार्च, १९६० की बैठक में तय हुआ कि १ महीने तक परिवारों को शिबिर

छोड़ने का नोटिस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि १४,००० परिवारों को हटाया जा चुका है। अप्रैल १९६० में स्थिति का फिर में अध्ययन करने का निश्चय किया गया।

यह निश्चय हुआ कि जो परिवार दो बार ६० दिन की मियाद बढ़ाने पर भी नहीं हटते हैं उन्हें १५ अप्रैल, १९६० तक फिर मौका दिया जाए।

### विस्थापितों को उम्र और फीस की रियायत

केन्द्रीय स्वराष्ट्र मशाल को २९ अप्रैल की एक विज्ञापित में बताया गया है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान और पाक अधि-कृत जम्मू-कश्मीर से आए विस्थापितों को नोकरी के लिए दो जाने वाली उम्र और फीस की रियायत की अवधि को एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। अब यह अवधि ३१ दिसम्बर, १९६० को समाप्त होगी। रियायतों का विवरण इस प्रकार है :

#### उम्र

(क) केन्द्रीय लोक सेवा आयोग विस्थापितों को प्रतिपक्षी परीक्षाओं पर आधारित नोकरीयों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में ३ वर्ष की छूट देता है। परन्तु यह रियायत उन वर्गों पर दी जाती है कि वह उम्मीदवार केवल उतनी बार परीक्षा में बैठ सकता है, जितनी बार साधारण उम्मीदवार।

(ख) बिना परीक्षा की नियुक्तियों के लिए विस्थापितों की अधिकतम आयु ४५ वर्ष निश्चित है।

(ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के विस्थापित उम्मीदवारों को भाग 'क' और 'ख' की उम्र की छूट के साथ-साथ ५ वर्ष की और छूट दी जाती है। यह छूट केन्द्र के राजपत्रित (गजटेंड) और अराज-पत्रित (मान-गजटेंड) तथा अखिल भारतीय सेवाओं में भी दी जाती है।

#### फीस

केन्द्रीय लोक सेवा आयोग का अविद्वान-पत्र तथा परीक्षा को फीस देने में अमर्षय विस्थापितों को छूट देने का अधिकार है, यद्यपि कि उमे विस्वास हो जाए कि उम्मीदवार सचमूच गरीब है।

### क्या आप जानते हैं !

#### पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित

● पूर्वी पाकिस्तान से ३१ मार्च, १९६० तक ४१ लाख १७ हजार विस्थापित भारत आए।

● भारत सरकार ने आसाम, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इनको बसाने और सहायता देने पर १ अरब ६५ करोड़ ७१ लाख ० खर्च किए।

● लगभग १ करोड़ ४४ लाख ६० गिना पर व्यय हुआ। इसमें ३०९ प्राथमिक पाठ-शालाएँ, २३ माध्यमिक स्कूल और ११ कॉलेज खोले गए। साथ ही ४४२ र-सरकारी शिक्षण मस्थाओं को सहायता दी गई।

● इसके अतिरिक्त विस्थापित छात्रों को छात्रवृत्ति और पुस्तकें दी गईं और फीस माफ की गईं। विकलांगों को काम रखाने और अध्यापकों की ट्रेनिंग तथा शिबिरो में शिक्षा का विशेष प्रयत्न किया गया।

● अस्पतालों में तपेदिक के रोगियों के लिए लगभग ६०० पलंग सुरक्षित किए गए। इन पर ७० लाख ६० गाँव हुआ। तपेदिक के अस्पतालों और फंकेजों के रोगियों के दवा-वतों (चेस्ट क्लिनिक्स) के निर्माण और उनके औजारों की खरीद पर लगभग २४ लाख ६० खर्च हुआ। तपेदिक के रोगियों को ५७ लाख ० की महायता दी गई। विस्थापित शिबिरो में १ करोड़ ११ लाख ६० चिकित्सा पर व्यय हुआ।

● केन्द्रीय सरकार ने अकेले पश्चिम बंगाल में ही ६,३२,००० विस्थापित परिवारों को फिर से बसाने में १ अरब २० करोड़ ६० खर्च किया।

● पुनर्वास उद्योग निगम ने पूर्वी पाकिस्तान में आए विस्थापितों को काम दिलाने के लिए १० औद्योगिक योजनाओं को २७ करोड़ ६० ऋण दिया। इनमें १,२०० विस्थापितों को काम मिलेगा।

#### पश्चिमी बंगाल में विस्थापितों के लिए भकान बनाने पर खर्च

पश्चिमी बंगाल में रहने वाले विस्थापितों के लिए भारत सरकार ने ४१ करोड़ में भी अधिक खर्च भकानों की योजनाओं पर

सबं विप्रे हैं। २८.४१ करोड़ ६० में अधिक विस्थापितों को मकानों के लिए ऋण के रूप में दिये गये हैं। इनके अतिरिक्त १ करोड़ ७१ लाख ० के मकान बनाकर सरकार ने विस्थापितों को दिये हैं। यह मूचना पुनर्वासि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका में दी गई है, जिनमें इन बात का विवरण दिया गया है कि पूर्वी पाकिस्तान में आये हुए लोगों के रहने के लिए मकानों की क्या व्यवस्था की गई है।

### दण्डकारण्य में अनुसूचित आदिम जातियों की मलाई के काम

पुनर्स्थापन मंत्रालय दण्डकारण्य के अनुसूचित आदिम वर्ग के लोगों को मलाई के लिए विनय उपाय कर रहा है। इस क्षेत्र में जिनकी भूमि का खेती योग्य बनाया जाएगा उसका २५ प्रतिशत अनुसूचित आदिम जाति के लोगों को देने का निर्णय किया गया है। उड़ीसा सरकार को, अनुसूचित जाति के लोगों को बाटने के लिए १००० योग्य बनायी गयी १,३०० एकड़ भूमि दी गयी है। विस्थापितों को बसाने के लिए गांव का चुनाव करने समय इस बात का विचार ध्यान रखा जाएगा कि अनुसूचित आदिम जाति के लोगों की गांव के पाम की जमीन या जगलात को न चुना जाए।

इनके अलावा यह भी कौतिल की जाएगी कि मुड़क तथा नहर आदि बनाते समय उनके मकानों को न हटाना पड़े। जहां ऐसा करना पड़ेगा वहां उनकी या तो नये गांव में या उनके द्वारा बनाये गये अन्य क्षेत्र में बनाया जाएगा।

### अनुसूचित आदिम जातियों को भलाई के लिए सलाहकार

मड़के तथा नहर आदि बनाते समय अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्तियों की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अनुसूचित आदिम जातियों के गांवों में तालाबों में मुबार करने की ओर भी विनय ध्यान दिया जाएगा।

सरकार के इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए दण्डकारण्य में एक मलाहकार नियुक्त किया गया है।

दण्डकारण्य विकास अधिकारियों के पास केन्द्रीय मंत्रालय ने यह आदेश भेजा है कि वे


अपने अनुसूचित आदिम जातियों के संगठनों को मजबूत बनाएं। इनके अलावा भलाई की योजनाओं के बारे में उनकी राय जानने के लिए स्थानीय अनुसूचित आदिम जातियों के नेताओं में सम्पर्क स्थापित करने के लिए भी कहा गया है।

अधिकारियों ने अनुसूचित आदिम जाति क्षेत्रों में चिकित्सा केन्द्र गोलने के लिए कहा गया है। इनके अलावा उनके गांवों में पानी की मण्डाई की और ध्यान देने के लिए विनय ज्ञात दिया गया।

### विस्थापितों को नौकरी के लिए उद्योग

पुनर्स्थापन उद्योग निगम ने १० अयोग्यिक योजनाएँ मजूर की हैं, जिन पर कुल निलाकर २७ करोड़ ६० का ऋण दिया जाएगा। इन योजनाओं के अंतर्गत पूर्वी पाकिस्तान में आये १,२०० विस्थापितों को नौकरी मिल सकेगी।

यह मजूर १८ अप्रैल को राज्यसभा में पुनर्स्थापन उद्योगों ने एक प्रश्न के उत्तर में दी।



### धूम्रपान से फेफड़ों में कैंसर

लोकसभा में २१ अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्री, श्री करमरकर ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि विद्वत् स्वास्थ्य मण्डल ने अध्ययन दल की रिपोर्ट में इस खोज पर विनय ज्ञात दिया गया है कि धूम्रपान फेफड़ों में कैंसर का प्रमुख कारण है। बम्बई का भारतीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र इस बात का अध्ययन कर रहा है कि किस हद तक धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर का कारण हो सकता है। यह अभी ठीक से पता नहीं चल पाया है।

बम्बई के डाटा मेमोरियल अस्पताल में भर्ती फेफड़े के कैंसर के १,४९० मरों का अध्ययन करने से पता चला है कि बीड़ी पीने से खाने की नली में कैंसर हो जाता है। यह भी पता चला है कि तम्बाकू खाने तथा पीने से मूह में कैंसर हो जाता है। भारत सरकार

### पाक अधिकृत कश्मीर से लौटे मुसलमानों की सहायता के लिए अनुदान

केन्द्रीय पुनर्स्थापन मंत्रालय ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर से वापस आये हुए मुसलमानों की सहायता के लिए कश्मीर सरकार को ५० लाख ६० दिये हैं।

यह मूचना केन्द्रीय पुनर्स्थापन उपमंत्री, श्री पी० एम० नरकर ने २८ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि ५० लाख ६० में से साठे १२ लाख ६० का अनुदान तुरन्त दिया जाएगा और शेष ६० जरूरत पड़ने पर। श्री नरकर ने बताया कि जो मुसलमान पाकिस्तान चले गये हैं, उनकी जमीनें २१,००० हिन्दू-सित विस्थापित परिवारों में बांट दी गयी हैं। काफी मुसलमान परिवार भारत वापस आ गये हैं और बाकी बाद में आ सकते हैं। उनकी जमीनों पर कायिज हिन्दू-सित परिवारों को जर्वा का त्याग रहने देना का निर्णय किया गया है। उनकी एवज में यह धन राशि सरकार को दी गयी है जिससे वे मुस्लिम परिवार फिर बसाये जा सकें।

कैंसर के कारणों का पता लगाना चाहती हैं और इस सम्बन्ध में अनुसंधान किए जा रहे हैं।

### कुष्ठ रोकथाम समिति की बैठक

नयी दिल्ली में २० अप्रैल को कुष्ठ रोकथाम के लिए सलाह देने वाली समिति का दो दिन का सम्मेलन सम्पन्न हुआ। समिति ने तीसरी योजना में कुष्ठ रोकथाम के लिए अधिक केन्द्र खोलने की सिफारिश की है। सम्मेलन की अध्यक्षता केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री, श्री करमरकर ने की।

समिति ने सिफारिश की है कि तीसरी योजना में डाफ्टरी को कुष्ठ रोकथाम की ट्रेनिंग देने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। समिति ने कहा है कि कुष्ठ निवारण के ७ करोड़ ६० की मंजूरी कम है।

## १९५६ में राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर स्वीकृति

सन् १९५९ में राष्ट्रपति ने १५६ विधेयकों पर अपनी स्वीकृति दी। इसमें से एक-तिहाई विधेयक भूमि, खेती और कास्तकारी सुधार के बारे में थे।

२७ विधेयक विचौलियों को हटाने, वन-संरक्षण, भूमि को खेती योग्य बनाने और भूमि को छोड़े हिस्सों में बटने से रोकने के लिए कानून बनाने या वर्तमान कानूनों में सुधार करने के लिए बनाये गये थे। १३ विधेयक वेदखली रोकने, जमीन पर हक देने तथा कास्तकारी को सुधार के लिए मुआवजा देने के बारे में हैं। ११ विधेयक भूमि अधिग्रहण के बारे में हैं।

इस प्रकार के विधेयक सबसे अधिक बम्बई से आये। ऐसे विधेयकों की राज्यवार संख्या इस प्रकार है— बम्बई—११; पंजाब—७; मध्य प्रदेश और राजस्थान—६-६; आंध्र प्रदेश—५; मद्रास—४; और उड़ीसा—३; बिहार, केरल, मैसूर तथा पश्चिम बंगाल—२-२ और उत्तर प्रदेश—१।

इसके अलावा किराया नियंत्रण, पचायत, विक्री कर, नगरपालिका और आवश्यक वस्तु नियंत्रण सम्बन्धी विधेयक भी राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे गये।

१५६ विधेयकों में से २४ बम्बई, १८ राजस्थान, १४ मध्य प्रदेश, १३ पंजाब और १२-१२ आंध्र प्रदेश और बिहार से आये। इसके अलावा मद्रास में ११, केरल में १०, मैसूर और पश्चिम बंगाल से ९-९, उत्तर प्रदेश में ७, उड़ीसा से ४ और आगाम में ३ विधेयक आये।

### बहिष्कृत क्षेत्रीय परिषद की बैठक

नयी दिल्ली में १६ अप्रैल को दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों की बैठक स्वराष्ट्र मंत्री, श्री गोविन्द वल्लभ पन्त की अध्यक्षता में हुई।

बैठक में केरल ने सूचना दी कि वह भी दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों के संयुक्त पुलिम गठन में शामिल होने की तैयार है। केरल के इस्पेक्टर जनरल पुलिम, आंध्र, मद्रास और मैसूर के इस्पेक्टर जनरलों से मिलकर इसके सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था करने पर विचार करें।

श्री पन्त ने इस योजना को स्वीकार करने के लिए राज्यों से अनुरोध करते हुए कहा था कि इसके द्वारा प्रत्येक राज्य का अपना भार कम हो जाता है और उन्हें अलग-अलग अधिक पुलिस नहीं रखनी पड़ती।

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आवश्यक संरक्षण पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति की रिपोर्ट पर भी इस बैठक में विचार हुआ। रिपोर्ट को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। श्री पन्त ने इस बात की प्रशंसा की कि समिति ने अपनी रिपोर्ट सर्वसम्मति से दी है। भारत सरकार ने अपने मेमोरंडम में भी संरक्षण भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए सुझाये थे, उन्हें इस रिपोर्ट में स्वीकार किया गया। इन सिफारिशों को अमल में लाने में जो कठिनाइयाँ हों, उन पर विचार करने के लिए एक स्थायी समिति नियुक्त की गई, जिसमें प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि होंगे। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद के सचिव इस समिति के भी सचिव होंगे।

दक्षिण क्षेत्रीय परिषद ने जून १९५८ में उदकमंडलम् में हुई अपनी बैठक में क्षेत्रीय विद्युत विद्युत् गण्टन स्थापित करने की जो सिफारिश की थी, उसके सम्बन्ध में अब तक क्या किया गया है, इसकी सूचना बैठक में दी गई। समिति ने सिफारिश की थी कि इस क्षेत्र के राज्यों में बिजली के वितरण के लिए संयुक्त व्यवस्था की जाए। बैठक में स्वीकार किया गया कि प्रत्येक विस्तार से रिपोर्ट तैयार करके केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग तथा योजना आयोग के सामने रखें।

बैठक में इस बात पर फिर से जोर दिया गया कि गांवों के क्षेत्रों में शीघ्रता के साथ बिजली पहुँचाने की बहुत आवश्यकता है। एक प्रस्ताव स्वीकार करके भारत सरकार

और योजना आयोग से अनुरोध किया गया कि वह गांवों में बिजली पहुँचाने की योजनाओं के लिए या तो बिना ब्याज के रकमा उधार दें या बैसे ही सहायता दें।

### स्वराष्ट्र मन्त्री का भाषण

केन्द्रीय स्वराष्ट्र मंत्री, श्री गोविन्द वल्लभ पन्त ने बैठक में भाषण करते हुए कहा कि शासन के यंत्र को इतना चुस्त बनाना चाहिए कि वह भाविष्य में आने वाले भारी उत्तरदायित्व को सम्भाल सके। पन्त जी ने कहा कि इधर कुछ वर्षों में अनाज की पंदावार काफी बढ़ी है। हमारा यह लक्ष्य है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अनाज का आयात बिल्कुल बन्द कर दिया जाए। यह तभी सम्भव है जब हम अपने प्रयत्नों में कुछ भी कमी न आने दें। इसके लिए हर राज्य सरकार को पूरी तानत से काम करना होगा।

उन्होंने कहा कि दक्षिणी क्षेत्र में अल्प क्षेत्रों की अपेक्षा खाद्य स्थिति अच्छी रही है। सीमागवश इस क्षेत्र में ऐसी बाढ़ और अन्य आपदाएँ भी नहीं आईं, जैसी देश के अन्य क्षेत्रों में आईं।

दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों ने बिजली बनाने, गांवों में बिजली लगाने, सबके बनाने, नए पुल बनाने और शिक्षा के काम में जो प्रगति की है, उसकी पन्त जी ने प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कोचीन में दूसरा जहाज कारखाना खोलने का निश्चय हो चुका है और अब वहाँ इसके लिए जमीन आदि ली जा रही है। विदेशी शिल्पियों की सहाह से बंगलौर में पड़ी बनाने का कारखाना खोलने की योजना तैयार हो गयी है। उदकमंडलम् में कच्ची फिल्में बनाने और मद्रास में सर्जरी के औजार बनाने के कारखाने खोलने की भी तैयारी हो गयी है।

उन्होंने कहा कि नैवेली योजना में काफी प्रगति हुई है और सम्भवतः १९६१ में वह पहला बिजलीघर चालू हो जाएगा। उसके दो साल बाद वहाँ लिम्बाइट और उर्वरक का पूरा उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मद्रास राज्य और उसके आसपास के क्षेत्र में छोटे छोटी भी शुरू हो जाएंगे।

पन्त जी ने कहा कि तीसरी योजना की रूपरेखा स्पष्ट हो गयी है। प्रति हद्द में शीघ्र

आत्मनिर्भर बनना है, तो हम अगले पांच वर्षों में पिछले वर्षों में बाकी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरी योजना बहुत अच्छी तरह चले, इसके लिए हमें हर प्रकार में तैयारी करनी होगी।

उन्होंने कहा कि योजना को चयानों के लिए कुशल कर्मचारियों आवश्यक हैं। इन मन्वन्ध की क्षेत्रीय समिति इन प्रश्न पर विचार कर रही है। समिति को चाहिए कि इन विषय पर बराबर ध्यान रखे। पन्त जी ने कहा कि मंजूर की आरम्भ में ही परिषद का मन्वन्ध जमना गया था। अब उसे परिषद का बराबर मन्वन्ध बना दिया गया है। उसे दक्षिण क्षेत्र में शामिल करने के लिए राज्य पुनर्गठन कानून में संशोधन किया जा रहा है।

## मिजोपहाड़ी जिले में चावल की सप्लाई

१८ अप्रैल को मध्य उत्तरांचल, श्री पामम ने मिजोपहाड़ी जिले में फमल खराब होने और अन्नाभाव होने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सरकार वहा पान और चावल पहुंचाने के बारे में क्या कर रही है।

उन्होंने एक वक्ता के रूप में कहा कि मिजोपहाड़ी जिले में चूहों ने फमल को बरबाद कर दिया है। लेकिन अब वहां ६ विमानों द्वारा चावल मिराया जा रहा है। इसके अलावा नावों और मोटरो ड्राग भी चावल पहुंचाया जा रहा है। ३ अप्रैल, १९६० तक वहां १,९०,५९५ मन् चावल और पान पहुंचाया जा चुका था। जनवरी १९६० के अंत तक ६२,४४९ मन् चावल पहुंचाया गया था। बाकी चावल १ फरवरी, १९६० और ३ अप्रैल, १९६० के बीच विमानों, नावों और मोटरो आदि में भेजा गया।

छ मी टन चावल कलकत्ता में जहाज से चिटगाव भेजा जा रहा है, जहा से नदी के रास्ते यह मिजोपहाड़ी जिले में डामगिरि पहुंचाया जाएगा।

### पर्याप्त स्टॉक

आमाम सरकार का अनुमान है कि इस जिले की सारी आवश्यकताओं, अवनूत में अगली फमल आने तक ५ लाख टन चावल की जरूरत होगी। इसमें से ३ अप्रैल तक करीब

१,९०,००० मन्ती वहां पहुंच ही चुका है और में नही ममसना कि जिले में अन्न का इतना अभाव है, जितना कुछ मन्स्यों में बताया है।

जहा तक भारत सरकार का मन्वन्ध है, वह आमाम सरकार की १०,००० टन चावल देने की राशी ही गई है और इसमें से ६,३८९ टन चावल पहुंच भी चुका है। श्री पामम ने अपने वक्ता में कहा कि आमाम में केन्द्रीय सरकार के पान चावल का काफी स्टॉक है। लेकिन भंडार आदि की व्यवस्था न होने के कारण आमाम सरकार २,००० टन प्रति मास में अधिक चावल नहीं ले रही है। आमाम सरकार में बन् दिया गया है कि वह गुवाहाटी के केन्द्रीय गोदाम में जितना चावल चाहे ले सकती है।

आमाम सरकार, मिजोपहाड़ी जिले में २१.६० ६० मन् चावल बंच रही है। इस भाव पर सरकार धाटा उठाकर चावल दे रही है। चावल की दुलाई का मारा खर्च आमाम सरकार देगी। इस अन्न की सहायता पर राज्य सरकार की करीब ३ करोड़ ६० खर्च करना होगा।

कुछ पहले कुछ लोगों के भूय से मरने की खबरें मिश्री थी, पर फरवरी १९६० के अंत में आसाम सरकार ने इन खबरों की सचाई के बारे में जाच की और ये सब झूठी निकली। इसके बाद मिजो जिला परिषद के चीफ एक्जीक्यूटिव अफसर ने फिर कुछ मौने होने की खबर दी है। अंसा म सरकार से इनके बारे में भी जाच करने को कहा गया है।

## गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में

राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने घोषणा की है कि गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में रहेगा। बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर्वथी मुन्दर लाल त्रिकमलाल देसाई, कान्तिलाल ठाकुरदास देसाई, जयशंकर मणिलाल गेल्ट, नौमानभाई महमदभाई मियाभाई और बदरेवू भादिर राजू को गुजरात उच्च न्यायालय का न्यायाधीन नियुक्त किया गया है।

## राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति

राष्ट्रपति ने निम्नलिखित राज्य विधेयकों पर अपनी स्वीकृति दे दी है:—  
शिलांग में आयात-निर्यात नियंत्रण कार्यालय

आमाम राज्य के लिए १ अप्रैल, १९६० में गिलगम में आयात-निर्यात व्यापार नियन्त्रण कार्यालय चालू हो जाएगा। यह कार्यालय आयात-निर्यात के समुक्त मुख्य नियन्त्रक, कलकत्ता के अन्तर्गत काम करेगा।

### सड़क परिवहन निगम (पंच बंगाल संशोधन) विधेयक, १९५६

यह विधेयक १९५० के सड़क परिवहन निगम अधिनियम में संशोधन करने के लिए बनाया गया है। इससे पश्चिम बंगाल सरकार को उत्तर बंगाल तथा कलकत्ता क्षेत्र में राजकीय परिवहन की व्यवस्था को विभाग के हाथों से हटाकर दो स्वशासी संस्थाओं को सौंपने का अधिकार दिया गया है।

विधेयक में, परिवहन में लगी हुई सरकारी पूंजी तथा राज्य सरकार के अधिकारों और उत्तरदायित्वों को इन दोनों स्वशासी संस्थाओं को देने की भी व्यवस्था है।

इस समय राजकीय परिवहन विभाग में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं विधेयक में स्वशासी संस्था स्थापित होने पर उनकी नौकरी सुरक्षित रखने की भी व्यवस्था है।

### बर्दवान विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६

इस विधेयक के अनुसार पंच बंगाल में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित होगा। यह विश्वविद्यालय हावड़ा जिले को छोड़कर सारे बर्दवान विभाजन के लिए होगा। इसमें आर्ट्स और साइंस के अलावा इंजीनियरी, माइनिंग और मेटलर्जी आदि शिल्पिक विषयों की पढाई होगी।

### दिल्ली नगर निगम की वस्तियों में सुधार के लिए अनुदान

दिल्ली की किंगडोम कंपनी और कई वस्तियों के सुधार के लिए २० लाख ८२ हजार ६० देना मंजूर किया है। यह सुचना एक प्रश्न के उत्तर में पुनस्तथापन उपमन्त्री, श्री पूर्णन्दु खंवर नस्कर ने २१ अप्रैल को राज्यसभा में दी।



३० व्यक्तियों को बहादुरी के लिए  
प्रशोक-चक्र

राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में २७ अप्रैल को एक समारोह में राष्ट्रपति, डा० राजेन्द्र प्रसाद ने कुल ३० व्यक्तियों को अयोक चक्र (श्रेणी २ और ३) के तमगे प्रदान किए। ये तमगे २५ मैनिको, २ गाव-चौकीदारों और ३ असैनिकों को मिले, जिन्होंने नागा पहाड़ी-मुग्नक्षेत्र क्षेत्र में और अन्यत्र अपनी बहादुरी तथा साहस का परिचय दिया है।

असैनिकों में इंडियन एयरलाइंस कारपी-रेशन के वाइकाउण्ट विमान का पायलट भी है, जिसने ओलीं और तूफान में बड़ी सावधानी से बिना किसी क्षति के अपना विमान उतार लिया था। डाक सेवा निदेशालय की एक स्टॉफ कार के ड्राइवर को भी तमगा दिया जा रहा है। इस ड्राइवर ने एक बार बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया था, जिसके फल-स्वरूप बहुत-सा सरकारी खर्चा एक लुट्टे के चमूल में जाने से बच गया।

पुरस्कार पाने वालों में चार की मृत्यु हो चुकी है अतः उनके तमगे उनके निकटतम सम्बन्धियों को दिए गए।

भारत-यात्रा आयुक्त नया

इन्डोनेशियाई स्थल सेना के उपाध्यक्ष की भारत-यात्रा, इन्डोनेशिया की स्थल सेना के उपाध्यक्ष मेजर जनरल गातोत सुवर्तो १६ अप्रैल को १६ दिन की यात्रा पर भारत आए। वे १७ अप्रैल को मद्रास से हवाई जहाज द्वारा दिल्ली पहुंचे।

पाना में भारतीय उच्चायुक्त द्वारा परिचय-पत्र पेश

घाना में भारत के उच्चायुक्त, श्री स्वचन्द ने २० अप्रैल को मवनर जनरल, लाई लिस्टोसल को अपना परिचयपत्र पेश किया।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कालेज का उद्घाटन

प्रधान मन्त्री ने २७ अप्रैल को नयी दिल्ली में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कालेज का उद्घाटन किया। इस कालेज में सेनाओं और असैनिक विभागों के ऊंचे अफसरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में देश की रक्षा के गामरिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक और औद्योगिक पहलुओं को स्थान दिया जाएगा। साथ ही ऊंचे अफसरों के एक स्थान पर एकत्र होने से एक-दूसरे के अनुभव और ज्ञान का लाभ उठाने का भी सबको अवसर मिलेगा।

प्रतिरक्षा कालेज में शुरू में ११ महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और लगभग २५ अफसर एक साथ भर्ती होंगे। कालेज के कमांडेंट ले० जनरल के० बहादुर सिंह हैं। इनके अलावा तीनों सेनाओं के कई ऊंचे अफसर और एक आई०सी०एस० अधिकारी यहां अध्यापन कार्य करेंगे। कालेज नयी दिल्ली में तीस जनवरी मागं पर एक बड़ी इमारत में खुला है।

वायुसेनिकों को पुरस्कार

वायुसेनाध्यक्ष, एयर-मार्शल एस० मुखर्जी ने २७वें वायुसेना दिवस के अवसर पर १९ वायुसेनिकों को उत्कृष्ट सेवा, दीर्घ सेवा तथा सदाचार के पदक प्रदान किए हैं।

उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पदक के साथ-साथ वार्षिक तृति तथा दीर्घ सेवा और सदाचार के पदक के साथ ग्रंथबुटी दी जाती है। ये पुरस्कार सबसे पहले १९५५ में दिए गए थे।

ब्रिटिश गायना के मन्त्री की भारत-यात्रा ब्रिटिश गायना के प्राकृतिक साधन मन्त्री श्री बी० एच० वैन और बहा की सरकार के सचिव, श्री जी० ई० लक भारत को १५ दिन की यात्रा पर ६ अप्रैल को नयी दिल्ली पहुंचे।

मलाया में भारतीय उच्चायुक्त मनोनीत परराष्ट्र मन्त्रालय को २७ अप्रैल की एक विज्ञप्ति में, मन्त्रालय के समुक्त सचिव, श्री वॉलेंट कृष्ण पुरी को मलाया में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त करने की घोषणा की

सूचना

लगभग ढाई वर्ष पूर्व पाकिस्तान 'भारतीय समाचार' का प्रकाशन इस उद्देश्य से शुरू किया गया था कि इसमें सरकारी गतिविधियों और घोषणाओं का सक्षिप्त रिकार्ड प्रस्तुत किया जा सके। इस अल्पकाल में 'भारतीय समाचार' ने वाची लोकप्रियता प्राप्त की है।

हम इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि पत्रिका का स्तर ऊंचा रहे और इसे अधिक आकर्षक बनाया जाए। परन्तु न चाहते हुए भी, लागत में निरन्तर वृद्धि होने के कारण अब इस पत्रिका की एक प्रति का मूल्य ०.४५ नवें पैसे और वार्षिक चन्द ९.०० रुपये करना पड़ रहा है।

नया मूल्य १ जून, १९६० (अंक न० ५) से लागू होगा। परन्तु वार्षिक प्रहकों के 'भारतीय समाचार' पुराने मूल्य पर तब तक मिलेगा, जब तक उनका वर्तमान चन्दा समाप्त नहीं हो जाता।

हमें आशा है कि भविष्य में भी पाठकों के इस पत्रिका पर उतनी ही रुचा बनी रहेगी जितनी अब तक रही है।

गई है। श्री पुरी सिंगापुर के लिए भी भा के आयुक्त का काम करेंगे और साथ सारावाक, ब्रिटिश उत्तरी बोर्नियो और भी आपके क्षेत्राधिकार में रहेंगे। श्री पु अपना नया पद अगस्त १९६० में संभालेंगे

जापान में भारत के नये राजदूत की नियुक्ति

रंगून में भारत के राजदूत, श्री लाल महरोत्रा को जापान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। आशा है वे जून १९६० में अपना नया कार्य संभाल लेंगे।

यह सूचना परराष्ट्र मन्त्रालय की २ अप्रैल की एक विज्ञप्ति में दी गई है।

हर्नोई विश्वविद्यालय की भारतीय पुस्तकें भेंट

हर्नोई में भारतीय महावाणिज्य दूत ने श्री माचं को भारत सरकार की ओर से हर्नोई विश्वविद्यालय को १४९ भारतीय पुस्तकें भेंट कीं।

# स मा चार - दर्शन

१६ अप्रैल से ३० अप्रैल तक

अप्रैल

अप्रैल

- १६—दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की पाचवीं बैठक नयी दिल्ली में केन्द्रीय स्वराष्ट्र मन्त्री, श्री विवेकबल्लभ पन्त की अध्यक्षता में सम्पन्न  
—नयी दिल्ली में शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केन्द्रीय परामर्श मण्डल की बैठक सम्पन्न
- २७—नयी दिल्ली में राष्ट्रीय विकास परिषद की १५वीं बैठक सम्पन्न
- २८—पाकिस्तान और भारत में एक दूसरे को रेलों की सुविधा देने के सम्बन्ध में नयी दिल्ली में हो रही वार्ता स्थगित
- २९—भारत-चीन सीमा के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए चीन के प्रधान मन्त्री, परमश्रेष्ठ श्री चाऊ-इन लाइ का नयी दिल्ली आगमन  
—रेलवे प्रयोजनाओं की राष्ट्रीय परामर्शदात्री परिषद की दो दिन की बैठक नयी दिल्ली में आरम्भ
- २०—फिल्मों, चित्रों, कम्बरेच इज्जा, साइकिल के हिस्सों इत्यादि पर लगने वाले उत्पादन मुल्क में कुछ रियायतों की भारत सरकार द्वारा घोषणा  
—नयी दिल्ली में कुष्ठ मलाहकार समिति की दो दिन की बैठक शुरू
- २३—भारत में बायोनिंग थोर बायो-फरटिलाइजर तैयार करने वाली मशीनें बनाने के लिए नयी दिल्ली में भारत सरकार और हंगरी की केमिऑलम्पेकम में एक समझौते पर हस्ताक्षर  
—कलकत्ते में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और बर्मा आयल कम्पनी (पाइप लाइन) लिमिटेड, में अंशम आयल पाइप लाइन प्रोजेक्ट के लिए ५१ हजार टन हाई टेस्ट लाइन पाइप सप्लाई करने के लिए समझौता
- २४—कनाडा के राष्ट्रीय तिरक्षा कालेज के शिक्षकों और अधिकारी-छात्रों के १७ सदस्यीय मिष्टमण्डल का भारत के दोरे पर नयी दिल्ली आगमन

- २५—भारतीय और चीनी प्रधान मन्त्री में भारत-चीन सीमा-विवाद के सम्बन्ध में हुई वार्ता के बारे में नयी दिल्ली से एक गुप्त वार्ता जारी  
—बम्बई पुनर्गठन विधेयक, १९६०, को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली—इस विधेयक के अनुसार १ मई को बम्बई राज्य महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्यों में बांट दिया जाएगा  
—दुर्गापुर के इस्पात कारखाने की पहली धमन भट्टी ने उत्पाद बनाना आरम्भ किया
- २६—बिस्कनेन्हेड (ब्रिटेन) में हुए एक समारोह में पनडुब्बीमारक जहाज 'आई० एन० एम० तलवार,' भारतीय नौसेना में शामिल  
—राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने गणतन्त्र दिवस अलंकार वितरित किए  
—यूगोस्लाविया के परराष्ट्र मन्त्री, परमश्रेष्ठ श्री कोका पौर्षाविक का ५ दिन की यात्रा पर नयी दिल्ली आगमन
- २७—भारत की १० दिन की यात्रा पर फिलीपीन के उपराष्ट्रपति, परमश्रेष्ठ श्री दायमदादो मैकपगल का नयी दिल्ली आगमन  
—राष्ट्रपति द्वारा सैनिकों को बौरता के लिए ३० अशोक चक्र प्रदान किए गए
- २८—नयी दिल्ली में भारत-पाक सूचना परामर्शदात्री समिति की दो दिन की बैठक सम्पन्न  
—आकाशवाणी द्वारा एक नया मासिक राष्ट्रीय कार्यक्रम 'समकालीन साहित्य' आरम्भ
- २९—समद के दोनों सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित
- ३०—प्रौद्योगिक शिक्षा के अखिल भारतीय परिषद की १३वीं बैठक नयी दिल्ली में सम्पन्न।


# उपयोगी तथा रोचक प्रकाशन

## राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद के भाषण

(१९५२-५६)

मूल्य : डाक व्यय :

३.५० ०.५५



इस पुस्तक में डा० राजेन्द्र प्रसाद के जनवरी, १९५२ से मई, १९५६ तक के भाषण संगृहीत हैं। तिथि-क्रम से दिए गए इन भाषणों तथा लेखों में अनेक विषयों पर प्रकाश डाला गया है और उनमें डा० राजेन्द्र प्रसाद का व्यक्तित्व एक राजनीतिज्ञ, विद्वान, इतिहासकार, शिक्षा-शास्त्री, आदर्शवादी, समाज सुधारक और सबसे अधिक एक महान् रचनात्मक विचार के रूप में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

## स्वाधीनता और उसके वाद

(जवाहरलाल नेहरू के भाषण १९४६-४९)

मूल्य : डाक व्यय :

५.०० १.३५

भारत द्वारा आजादी प्राप्त करने के पश्चात् प्रायः डेढ़ वर्ष में दिए गए प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषणों का संग्रह।

प्रधान मंत्री के अनुपम व्यक्तित्व ने भाषणों के विषयों को एक आधारभूत एकता, प्रदान की है। ये भाषण, जिनमें कुछ सामयिक इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, कुछ में नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार है और कुछ में भावनाओं का संचार है, राष्ट्र को अत्यधिक उद्योग करने के लिए अनुप्रेरित करते हैं।



## भारत की एकता का निर्माण

(सरदार पटेल के भाषण)

भारत की आजादी से पूर्व ५८४ देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल को है। उसी महान् नेता के २७ विविध विषयक भाषणों का संग्रह।



मूल्य : डाक व्यय :

५.०० १.३०

(रजिस्ट्री व्यय प्रलग)

२५ रुपये या इससे अधिक की पुस्तकें मंगाने पर डाक खर्च नहीं लिया जाएगा।  
मूल्य अग्रिम अना चाहिए, क्राफ्ट पोस्टल आर्डर द्वारा सुविधा रहती है।

सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं से प्राप्य या सीधा लिखें :

## प्रकाशन विभाग

पो० बा० नं० २०११, ग्रील्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली-८

नयी दिल्ली में २७ अप्रैल को राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कानिजे के उदघाटन के अवसर पर प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू उपस्थित लोगों के सम्मुख भाषण देने हुए



नयी दिल्ली में १६ अप्रैल को दक्षिण-क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने हुए केन्द्रीय त्वरालय मन्त्री श्री गोविन्द वल्लभ पन्त




नयी दिल्ली में १६ अप्रैल को हुए एक समारोह में केन्द्रीय रेल मन्त्री श्री जगजीवन राम १२ रेल कर्मचारियों को उनकी उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रत्येक को चांदी का एक मेडल और ५०० रु० का कंदा सर्टीफिकेट देते हुए





नयी दिल्ली में २६ अप्रैल को हुए एक अलंकरण  
समारोह में राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद संस्कृत  
के विद्वान पण्डितराज आत्मबापू शर्मा को सम्मान-  
पत्र देते हुए

नयी दिल्ली में हुए प्रथम नाटक समारोह के अन्तर्गत  
२७ अप्रैल को खेले जाने वाले शूद्रक के मृच्छकटिकम्  
नाटक के हिन्दी रूपान्तर का एक दृश्य



182


# भायजीरा समाचार




वर्ष ३

१ मई, १९६० (११ बैशाख, १९९२)

प्र. ७






सोनोपत के समीप एक गांव में ६ अप्रैल को राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद आचार्य विनोबा भावे के साथ। बाईं ओर पंजाब के राज्यपाल श्री एन० वी० गाडगिल हैं



१३ अप्रैल को नयी दिल्ली के खादी प्रामोद्योग भवन की स्थापना के ५ वर्ष पूरे हुए—केन्द्रीय वित्त मन्त्री, श्री मोरारजी देसाई भवन का निरीक्षण करते हुए



आजकल भारत के १५ दिन के दौरे पर आए हुए ब्रिटिश गियाना के प्राकृतिक साधन मन्त्री, श्री वी० एच० वैन (दाए) नयी दिल्ली में ११ अप्रैल को केन्द्रीय खाद्य और कृषि मन्त्री, श्री एस० के० पाटिल के साथ

# भारतीय समाचार

वर्ष ३

१ मार्च, १९६०  
११ बंगाल, १८८२

पृष्ठ ७

एक प्रति ४० ०.३५ १ मिलिंग १४ सेट

वार्षिक मूल्य ४० ७.०० १७ प्रि. ६ पेस २.५ डालर

## मुख्य विषय

चीन सरकार का नवीनतम पत्र	२२६
राष्ट्रीय विकास परिषद की गिफारिमें	२२९
सन् १९५९ में औद्योगिक उत्पादन	२३२
चीनी उद्योग में लागू तट कर आयोजन की रिपोर्ट पर सरकार के निर्णय	२३७
सोमा मंडक विधान मण्डल	२४०
०० मा० खेड-कद परिषद की बैठक	२४५

**प्रावरण विप्र :** नयी दिल्ली में १२ अप्रैल को हुए एक समारोह में राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसाद श्री उदयशंकर को संगीत नाटक प्रकाशमो का १६५६-६० का पुरस्कार देते हुए

(‘भारतीय समाचार’ में सरकारी गतिविधियों और धोषणाओं का संक्षिप्त रिकार्ड प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। स्थान संकोच के कारण अनेक विषयों को संक्षेप में ही दिया जाता है। ऐसे विवरणों को पूर्ण अधिकृत विवरण नहीं समझना चाहिए।)

दिल्ली आवात के दौरान राष्ट्रपति नासिर और प्रधान मंत्री नेहरू में सप्तर की स्थिति और परस्पर हित के विषयों पर अनेक बार बातचीत हुई। राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने किसी गुट से न मिलने की नीति में अपनी निष्ठा और सभी देशों से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने के संकल्प को दोहराया। उनका यह मत है कि एशिया और अफ्रीका के हाल ही में स्वतन्त्र हुए देशों के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की मार्फत सहायता और सहयोग का स्वागत होगा, परन्तु किसी भी देश के आन्तरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने अन्तर्राष्ट्रीय तन्त्राय में ही रहो कमी का स्वागत किया। उन्होंने राज्याध्यक्षों के होने वाले सम्मेलन का भी स्वागत किया और यह आशा व्यक्त की कि पनाव कम करने का उनका प्रयत्न सफल होगा। उन्होंने सतक्य किया कि चाँति का यातावरण उत्पन्न करने और सपनों के अवसर कम करने वाले किसी भी समझौते का वे समर्थन करेंगे।

## राष्ट्रपति नासिर की भारत-यात्रा पर संयुक्त विज्ञप्ति

संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति, परम-श्रेष्ठ गमाल अब्दल नासिर को १२ दिन की राजकीय यात्रा की समाप्ति पर ९ अप्रैल को नयी दिल्ली में यह संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई

भारत सरकार के निमन्त्रण पर संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति, परमश्रेष्ठ गमाल अब्दल नासिर २९ मार्च से १० अप्रैल, १९६० तक भारत की यात्रा पर आए। उनके साथ परराष्ट्र मंत्री डॉ० महमूद फोयी, राष्ट्रपति से सम्बन्धित विषयों के मंत्री श्री अली सायरी, नगर और देशगत विषयक मामलों के मंत्री श्री टुमा अल अवाद अल्लाह और संयुक्त अरब गणराज्य के अन्य उच्चाधिकारी भी थे।

राष्ट्रपति और उनके दल में भारत के कुछ प्रमुख नगरों की यात्रा की। दिल्ली में राष्ट्रपति

नासिर ने भारत के गतद के सदस्या के समक्ष भाषण किया, अलीगढ़ में उन्हें अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने शान्दरी की उपाधि से अलङ्कृत किया और बम्बई में उन्होंने मिस्त्री-सारियाई कला उत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठान, वैज्ञानिक संस्थाओं और ग्राम विकास योजनाओं को भी देखा। भारत में वह जहाँ कहीं भी गए, जनता ने उनका हार्दिक और मैत्रीपूर्ण स्वागत किया। भारत सरकार का यह मत है कि जनता ने जो उत्साह दिखाया वह वास्तव में अरब देश की स्वतन्त्रता को पुष्टि करने वाले एक नेता के प्रति अद्वाजलि-स्वरूप था। इससे उस मैत्री भाव को प्रवृत्त प्रमाण मिला जो युवाओं से भारत को जनता और अरब देशों की जनता के बीच रहा है।






सोनीपत के समीप एक गांव में ६ अप्रैल को राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद आचार्य विनोबा भावे के साथ। बाईं ओर पंजाब के राज्यपाल श्री एन० वी० गाडगिल हैं



१३ अप्रैल को नयी दिल्ली के खादी प्रामोद्योग भवन की स्थापना के ५ वर्ष पूरे हुए—केन्द्रीय वित्त मन्त्री, श्री मोरारजी देसाई भवन का निरीक्षण करते हुए



आजकल भारत के १५ दिन के दोरे पर आए हुए ब्रिटिश गियाना के प्राकृतिक साधन मन्त्री, श्री वी० एच० बेंन (दाएँ) नयी दिल्ली में ११ अप्रैल को केन्द्रीय खाद्य और कृषि मन्त्री, श्री एस० के० पाटिल के साथ

# भारतीय समाचार

वर्ष ३

१ मई, १९६०  
११ बंगाल, १८८२

पृष्ठ ७

एक प्रति १० ०.३५ १ तिनिग १४ सेंट


वारिक मूल्य १० ७.०० १७ डि. ६ पेंस २.५ डालर

## मुह्य विषय

चीन सरकार का नवीनतम पत्र	२२६
राष्ट्रीय विकास परिषद की निफारिमें	२२९
सन् १९५९ में औद्योगिक उत्पादन	२३२
चीनी उद्योग में न्यायन तट कर जायोंग की रिपोर्ट पर	
सरकार के निर्णय	२३७
मौसम सुदूर विज्ञान मण्डल	२४०
अ० ना० मेत्र-कूद परिषद की बैठक	२४५

**भावरण चित्र :** नयी दिल्ली में १२ अप्रैल को हुए एक समारोह में राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसाद श्री उदयशंकर को संगीत नाटक अकादमी का १६५६-६० का पुरस्कार देते हुए

(‘भारतीय समाचार’ में सरकारी गतिविधियों और घोषणाओं का संक्षिप्त रिकार्ड प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। स्पान संकीच के कारण अनेक विषयों की संक्षेप में ही दिया जाता है। ऐसे विवरणों को पूर्ण अभिहित विवरण नहीं समझना चाहिए।)



## राष्ट्रपति नासिर की भारत-यात्रा पर संयुक्त विज्ञप्ति

संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति, परमश्रेष्ठ गमाल अब्दल नासिर की १२ दिन की राजकीय यात्रा को समाप्ति पर ९ अप्रैल को नया दिल्ली में यह संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई :

भारत सरकार के निमंत्रण पर संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति, परमश्रेष्ठ गमाल अब्दल नासिर २९ मार्च से १० अप्रैल, १९६० तक भारत की यात्रा पर आए। उनके साथ परराष्ट्र मंत्री डॉ० महमूद फीकी, राष्ट्रपति से सम्बन्धित विषयों के मंत्री श्री अली सायरी, नगर और देहात विषयक मामला के मंत्री श्री दूमा अल अब्द अल्लाह और संयुक्त अरब गणराज्य के अन्य उच्चाधिकारी भी थे।

राष्ट्रपति और उनके दल ने भारत के कुछ प्रमुख नगरों की यात्रा की। दिल्ली में राष्ट्रपति

नासिर ने भारत के गणतंत्र के सदस्य के समक्ष भावग किया, अजोगड में उन्हें अलोगड विद्यार्थिवालय में डाक्टरों की उपाधि से अलंकृत किया और बम्बई में उन्होंने मिस्त्री-गिरियाई कासत उत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठानों, वैज्ञानिक नस्त्राओं और ग्राम विकास योजनाओं को भी देखा। भारत में वह जहाँ कहीं भी गए, जनता ने उनका हार्दिक और मैत्रीपूर्ण स्वागत किया। भारत सरकार का यह मत है कि जनता ने जो उस्ताह दिलाया वह वास्तव में अपने देश को रजतयता की पुष्टि करने वाले एक नैजा के प्रति अद्भुत-स्वरूप था। इससे उत भी भाव का भी प्रयुक्त प्रमाण मिला जो पूर्ण से भारत की जनता और अरब देशों की जनता के बीच रहा है।

दिल्ला आवात के दौरान राष्ट्रपति नासिर और प्रधान मंत्री नेहरू में सत्तार की स्थिति और परस्पर हित के विषयों पर अनेक बार बातचीत हुई। राष्ट्रपति शीर प्रधान मंत्री ने कियी गूट से न मिलने की नीति में अपनी निष्ठा और सभी देशों से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने के सकल्प को दोहराया। उनका यह मत है कि एशिया और अफ्रीका के हाल ही में स्वतन्त्र हुए देशों के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की मार्फत सहायता और सहयोग का स्वागत होगा, परन्तु किसी भी देश के आन्तरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में ही रहने का स्वागत किया। उन्होंने राज्याध्यक्षों के होने वाले सम्मेलन का भी स्वागत किया और यह आशा व्यक्त की कि तनाव कम करने या उनका प्रयत्न सफल होगा। उन्होंने सकल्प किया कि शांति का वातावरण उत्पन्न करने और सपनों के अवसर कम करने वाले किसी भी समझौते का वे समर्थन करेंगे।

अणु-बमों का परीक्षण स्थगित करने के लिए इस समय जिनेवा में जो सम्मेलन हो रहा है उसमें हुई अब तक की प्रगति का भी राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने स्वागत किया। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि अविलम्ब कोई अन्तिम समझौता ही जाएगा और इस प्रकार मारे सत्तार की दुश्चिन्ता दूर हो जाएगी। उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया कि जब अणु-बमों के परीक्षण को स्थायी रूप से निषिद्ध करने के विषय पर समझौते के लिए राह ढूँढ़ी जा रही है और इस दिशा में काफी प्रगति भी हो चुकी है तब हाल ही में अफ्रीका के एक प्रदेश में जनता को इच्छा और विरव-जनमत के विरुद्ध अणु-बमों का विस्फोट किया गया। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि इस प्रकार के परीक्षण आगे नहीं दिए जाएंगे।

राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने इस समय जिनेवा में चल रही निरस्त्रीकरण वार्ता के विषय में भी बातचीत की। उनका यह मत था कि तनाव कम करने और शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित करने के लिए यह जरूरी है कि निरस्त्रीकरण की दिशा में प्रगति हो। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि राष्ट्र सच की १० राष्ट्रों का निरस्त्रीकरण समिति को बैठक के परिणामस्वरूप निरस्त्रीकरण की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जाएगा।

राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप में हुई घटनाओं पर भी बातचीत की। उन्होंने इस बात का स्वागत किया कि अफ्रीका की जनता में जागृति फैल रही है और महाद्वीप के करोड़ों लोगों में स्वतंत्रता का भाव जागृत हो रहा है। उन्होंने इस बात का स्वागत किया कि अफ्रीका के कई देश स्वतंत्र हो गए हैं और यह आशा व्यक्त की कि जो राष्ट्र अभी तक स्वतंत्र नहीं हुए हैं वे शीघ्र स्वतंत्र हो जाएंगे। उन्होंने इस बात का भी स्वागत किया कि एशिया और अफ्रीका की जनता में, जिनके सामने समान समस्याएँ हैं और जो इस समस्याओं को परस्पर सहयोग और सद्भाव द्वारा हल करने के लिए निश्चय-बद्ध हैं, भाई-भार और एकता का भाव बढ़ रहा है।

राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने इस बात को भी ध्यान में रखा कि अफ्रीका के कुछ भागों में

राज्य की नीति के रूप में जातिगत भेदभाव घटता जा रहा है और मूल मानव अधिकारों को अवहेलना की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में निर्दोष लोगों को जो हत्या की गई उन पर उन्होंने विशेष रूप से खेद और क्षोभ प्रकट किया। इन घटनाओं से सारे संसार के सभ्य लोगों को धक्का पहुँचा है। राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने यह आशा व्यक्त की कि इन नीतियों को अपनाते और उन पर अमल करने वालों पर विश्व जनमत का प्रभाव पड़ेगा।

राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने अपना यह मत दोहराया कि फिलिस्तीन का प्रश्न राष्ट्र सच के घोषणा-पत्र, राष्ट्र सच के प्रस्तावों और फिलिस्तीन के प्रश्न के शांतिपूर्ण निपटारे के विषय में १९५५ के बाड्रुम सम्मेलन में एकमत से स्वीकृत सिद्धान्तों के आधार पर हल किया जाना चाहिए। उन्होंने अल्जीरिया की स्थिति पर अपनी चिन्ता व्यक्त की और अपना यह मत दोहराया कि अल्जीरियाई जनता का आराम-निर्णय और स्वतंत्रता का

अधिकार माना जाना चाहिए और उसी के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने अर्जन्टीना देशों के आर्थिक विकास से सम्बन्धित समस्याओं पर भी बातचीत की। वे इस बात पर सहमत थे कि इन देशों के सामने एक ही समस्या है और उनके लिए तथा सारे संसार के लिए यह हितकर होगा कि वे एक-दूसरे से मिलकर काम करें।

राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि दोनों देशों के बीच मैत्री और सद्भाव प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह मैत्री और सद्भाव विश्व की समस्याओं के प्रति सामान दृष्टिकोण और समान उद्देश्य रखने के कारण ही नहीं, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में गहरे सहयोग के कारण भी उत्पन्न हुआ है। राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने यह आशा व्यक्त की कि दोनों देशों में सभी प्रकार का सहयोग निरन्तर बढ़ता रहे और राष्ट्रपति नासिर की वर्तमान भारत यात्रा से मैत्री और सद्भाव के सम्बन्ध और प्रमजबूत होंगे।

## चीन सरकार का नवीनतम पत्र

परराष्ट्र उपमन्त्री, श्रीमती लक्ष्मी मेनन ने १२ अप्रैल को लॉकसभा की भेज पर चीन सरकार के उस पत्र की एक प्रति रखी जो भारत सरकार को उनके १२ फरवरी के पत्र के उत्तर में मिला है।

इस पत्र में चीन सरकार ने फिर यह कहा है कि भारत और चीन की सीमा के वाक्यायदा नियान नहीं लगाए गए। इसके अलावा उसने यह भी कहा है कि जिन इलाकों के बारे में इस समय झगड़ा है वे हमेशा चीन के इलाके रहे हैं। चीन सरकार का यह दावा है कि इनमें बहुत से इलाके न केवल चीन के हैं, बल्कि उन पर वाक्यायदा चीन सरकार का नियन्त्रण रहा है। चीन सरकार का यह पत्र भारत सरकार को ३ अप्रैल को मिला था।

चीन सरकार ने अपने पत्र में लिखा है कि दोनों देशों का झगड़ा एक अस्थायी और सामायरण-समस्या है। परन्तु इस बात की है कि आने वाले हज़ारों वर्षों में इन दोनों राष्ट्रों में मित्रता और सहयोग बना रहे।

पत्र में दोनों देशों के प्रधान मन्त्रियों की बीच मधो दिल्ली में होने वाली बातचीत में चर्चा करते हुए कहा गया है कि इस बात को का बहुत महत्त्व है और दोनों सरकारों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चीन सरकार का आशा है कि दोनों पक्ष इस बात को पूरी-पूरी कोशिश करेंगे कि दोनों देशों के लोगों के बीच और उन सबको जो भारत और चीन में मित्रता देखना चाहते हैं निराशा न होना पड़े।

हमारे सामने जो कठिनाइयाँ हैं, उन पर निश्चय ही विजय पाई जा सकती है और सीमा की समस्या हल की जा सकती है, बशर्त कि दोनों पक्ष एक दूसरे को समझने की ओर एक दूसरे की उचित बात मानने की भावना में काम करें।

चीन सरकार ने आगे चल कर अपने पत्र में लिखा है कि यह पत्र-कुछ बड़े-बड़े सञ्चारियों के बारे में अपना रवैया स्पष्ट करने के लिए लिखा जा रहा है। इसका उद्देश्य दलीलबारी में पड़ना नहीं, बल्कि यह है कि एक दूसरे के

दृष्टिकोण को समझा जाए और जहाँ तक हो सके आगामी मतभेद कम किए जाए ताकि दोनों प्रधान मंत्रियों का काम आसान हो सके ।

पत्र में यह बात दोहराई गई है कि चीन और भारत के बीच सीमा के बारे में कभी कोई ऐसी गति या समझौता नहीं हुआ जिससे आपार पर दोनों देशों को सीमा के शाखायदा निर्माण लगाए जा सके । पत्र में भारत के इस दावे को भी गलत बताया गया है कि चीन और भारत के बीच की जल-विभाजन रेखा ही दोनों देशों की सीमा है और अंतर्राष्ट्रीय परम्परा के अनुसार ऐसी प्राकृतिक सीमा को, जिनमें कभी तबदीली न आती हो, स्पष्ट करने की जरूरत नहीं होती ।

आपको याद होगा कि भारत ने अपने पत्र में यह लिखा था कि दोनों देशों को सीमा प्राकृतिक और परम्परागत है और सीमा के बहुत-से भाग की समझौता द्वारा पुष्टि भी हो चुकी है । इसके अलावा कई घातकियाँ में इसे दोनों देशों की सीमा माना जाता रहा है । यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कुछ समय पहले तक चीन की किमी सरकार ने इस सीमा को गलत नहीं बताया और सीमा तक के किमी इलाके पर अपना दावा नहीं किया ।

चीन सरकार ने अपने पत्र में फिर यह कहा है कि चीन मैकमहोन रेखा को नहीं मानता । लद्दाख के बारे में पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार ने अपनी वान के पक्ष में कोई ठोस सबूत देना नहीं किया । इसके अलावा यह भी कहा गया है कि भारत सरकार ने सीमा के मध्यम भाग के मतभेद वाले इलाकों के बारे में कोई नई दलील नहीं दी ।

चीन सरकार ने अंत में इस बात पर खुशी जाहिर की है कि भारत सरकार जल्दी से जल्दी सीमा के बारे में समझौता करना चाहती है ताकि मामला दोस्ती से निवृत्त जाए और सीमा पर झड़पें होने का खतरा दूर हो सके ।

### राज्यसभा के सदस्य का इस्तीफा

राज्यसभा के सदस्य श्री नरोत्तम रेड्डी ने १५ मार्च, १९६० में अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है । वे आंध्र प्रदेश से चुने गए सदस्य थे ।

## भारत-पाक नहरी पानी विवाद : सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

सिंचाई और विजली मंत्री, हाकिम मुहम्मद इब्राहीम ने ६ अप्रैल को लोकसभा में भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद के बारे में इस भाग्य का वक्तव्य दिया :

६ मई, १९५९ को मैंने सदन में बताया था कि पाकिस्तान को अस्थायी रूप में सिन्ध क्षेत्र की नदियों का पानी देने के बारे में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने वाशिंगटन में १० अप्रैल, १९५९ को एक करारनामों पर हस्ताक्षर किए थे । उन करारनामों की प्रति भी सदन में रखी गई थी ।

फिर १५ फरवरी, १९६० को मैंने सदन को बताया था कि हमें सिन्ध क्षेत्र की नदियों के बारे में मणिष्वर का कच्चा मनोधा मिला और उस मसौदे पर विचार किया जा रहा है, परन्तु जब तक हमें मसौदे के माय पूरी अनुक्रमिका भी नहीं मिलती, तब तक उस पर हम विचार प्रकट नहीं कर सकते ।

यह सही है कि १ अप्रैल, १९५९ से ३१ मार्च, १९६० तक के तदर्थ करारनामों की अवधि समाप्त हो चुकी है । फिर भी वाशिंगटन में विद्वह बंधु के अंतर्गत नहरी पानी मणिष्वर पत्र को अंतिम रूप देने पर बात चल रही है । इसमें पानी देने के अस्थायी प्रवन्ध के बारे में भी वान हो रही है और यह प्रवन्ध अब अधिक समय तक के लिए चला जाएगा । परन्तु माय ही पाकिस्तान में एबजी नहरे बनने के माय-माय भारत से पाकिस्तान को पूर्ण नदियों में कम पानी दिया जाने लगेगा । यह प्रवन्ध नहरी पानी मणिष्वर का ही अंग माना जाएगा ।

मदरसों को याद होगा कि पिछड़ी वार भी जब तदर्थ करारनामों की अवधि समाप्त हो गई थी, तब भी पाकिस्तान को उगो करारनामों के आधार पर पानी दिया जाता रहा, ताकि वहाँ के किसानों को दिक्कत न उठनी पड़े । इसका हमें दुःख है कि अब तक उन करारनामों की अवधि न-बडा सके और नहरी-पानी मणिष्वर भी न कर सके, फिर भी हम पिछले करारनामों के अनुसार ही पानी देते रहेंगे ।

## १६५६ में विदेशी शिष्टमंडलों का भारत द्वागमन

१६५९ में १८ देशों के २४ शिष्टमंडल भारत आए । इनमें से ६ व्यापार शिष्टमंडल, ३ सांस्कृतिक और २ सद्भावना शिष्टमंडल थे । दोष शिष्टमंडल संसद-सदस्यों, वैज्ञानिकों, पत्रकारों, विद्यार्थियों आदि के थे ।

सबसे अधिक यानी ३ शिष्टमंडल सोवियत रूस से आए । इनके अलावा यूगोस्लाविया, पाकिस्तान और हंगरी से २-२ शिष्टमंडल आए । जिन देशों ने १-१ शिष्टमंडल आया, उनके नाम इस प्रकार हैं : अफगानिस्तान, बर्मा, कम्बोडिया, चेकोस्लोवाकिया, फ्लान्डा, ईराक, जापान, पोलैंड, स्वीडन, सूडान, अमरीका, ब्रिटेन और वियतनाम ।

### अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

पिछले साल देश में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने बहुत-से विदेशी प्रतिनिधि आए । इस सम्मेलनों में तो प्रायः प्रत्येक देश के प्रतिनिधि ने भाग लिया ।

सरकारी कारखानों के प्रबन्ध और दिव्यिक सहायता संगठन तथा समाज-सेवाओं के शासन पर सभूत राष्ट्र सभ की दो गोष्ठियाँ हुईं । राष्ट्र सभ के साथ और कुपि साठन तथा शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन ने भी २-२ गोष्ठियाँ कीं ।

इनके अलावा, भारतीय विज्ञान कांग्रेस, पर्वत-इंटरनेशनल सेमिनार, अखिल भारतीय लेखक सम्मेलन, विद्यार्थियों की अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी और विद्वह युवक सम्मेलन भी देश में हुए ।

### पारपत्र के नियमों का उल्लघन

स्वराष्ट्र मंत्री, श्री फत ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि १९५९ में अनुत्तर सीमा पर ३२४ व्यक्ति पारपत्र (पासपोर्ट) के नियमों का उल्लघन करते पकड़े गए और उन पर मुकदमा चलाया गया ।

उन्होंने कहा कि अर्ध-रूप से सीमा पार करने वालों की रोकने के लिए चौकसी आदि की कड़ी व्यवस्था कर दी गई है ।

## सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों में सम्पर्क

केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मन्त्रालय में नौकरी की शर्तों और काम के तरीकों को सुधारने के बारे में विचार करने के लिए कर्मचारी परिषद बनाई हुई हैं। इनके सदस्यों को सरकारी कर्मचारी ही चुनते हैं।

ये परिषद ब्रिटेन की विच्छेद परिषदों के ही ढंग की हैं और इनके अन्तर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों को मिल कर विचार करने का मौका दिया जाता है। इस प्रकार परस्पर बातचीत करने से दोनों एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझते हैं और विवादास्पद विषयों का जल्दी ही निपटारा हो जाता है। इसके अलावा दोनों के व्यक्तिगत सम्पर्क बढ़ते हैं और वे अपने काम में अधिक रुचि लेने लगते हैं।

परिषद के दो भाग हैं बरिष्ठ और कनिष्ठ। बरिष्ठ परिषद के सदस्य सरकार द्वारा नामावद्ध अधिकारी और सेवानिवृत्त अफसरों, अतिरिक्त, स्टेटोग्राफरों, क्लर्कों आदि के प्रतिनिधि होते हैं। कनिष्ठ परिषद में दफ्तरी, रिटार्ड साटर्न, चपरासी, जमादार, मेहतर आदि सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के प्रतिनिधि होते हैं।

परिषद में लगभग हर २० कर्मचारियों के पीछे एक प्रतिनिधि होता है, जो २ साल के लिए चुना जाता है। परिषद की ३ महीने में कम से कम एक बैठक अवश्य होती है।

स्वराष्ट्र मन्त्रालय ने बड़े अधिकारियों से यह भी कहा है कि वे अपने मातहतों की कठिनाइयों और विचारों को जानने का प्रयत्न करें, ताकि उन्हें काम के सही तरीके बताए जा सकें और साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों में अच्छे सम्बन्ध बने रहें। इसके अलावा सभी मन्त्रालयों को यह सलाह भी दी गई है कि वे कर्मचारियों की कठिनाइयों पर सहानुभूति से तथा जल्दी ही विचार करें।

**केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पेंशन**  
पेंशन के लिए महंगाई भत्ता जोड़ने के बारे में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में कोई भेदभाव नहीं बरता गया है। यह सूचना २ अप्रैल को लॉन्गमन में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने दी।

उन्होंने बताया कि जिन अवैतनिक कर्मचारियों (इनमें सेना के अवैतनिक कर्मचारी भी शामिल हैं) को ३१ दिसम्बर, १९४६ तक महंगाई भत्ता मिलता था, उन्हें पेंशन देने के लिए आधा महंगाई भत्ता जोड़ा जाता है। जो सरकारी कर्मचारी १ जनवरी, १९४७ से ३१ दिसम्बर, १९४९ तक के बीच रिटायर हुए हैं, उन्हें भी नौकरी के अन्तिम तीन वर्षों के वेतन आदि के औसत का हिसाब लगा कर पेंशन दी जाती है। परन्तु जो ३१ दिसम्बर, १९४९ के बाद और १५ जुलाई, १९५२ से पहले रिटायर हुए हैं, उन्हें पेंशन में वे रियायत नहीं दी गयी।

उन्होंने कहा कि यह रियायत स्थायी रूप से नहीं दी जा रही है। ३१ दिसम्बर, १९४९ के बाद रिटायर होने वालों को यह रियायत इसलिए नहीं दी गयी क्योंकि १९४६ के केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर कर्मचारियों का वेतन बढ़ गया था और फलस्वरूप बाद में पेंशन भी अधिक मिलने लगी।

१५ जुलाई, १९५२ को महंगाई भत्ता आयोग नियुक्त किया गया था। उसका सिफारिश पर आधे महंगाई भत्ते को 'महंगाई वेतन' मान लिया गया और उसे पेंशन आदि के लिए वेतन में शामिल किया जाने लगा। आयोग के सुझाव पर ही यह सुविधा १५ जुलाई, १९५२ से ही लागू मानी गयी; इस प्रकार १५ जुलाई, १९५२ को या उसके बाद रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिला।

उन्होंने यह भी बताया कि १५ जुलाई, १९५२ से पहले रिटायर होने वाले, बहुत कम पेंशन पाने वालों की भी १ अप्रैल, १९५६ से पेंशन बढ़ायी गयी है।

## नौकरी के फार्मों में जाति नहीं लिखी जायेगी

केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को लिखा है कि नौकरी, दिशा और अदायगी कार्रवाई के लिए जो फार्म भरे जाते हैं, उनमें व्यक्तियों की जाति न लिखी जाए।

नये फार्मों या रजिस्ट्रारों में राष्ट्रीयता और धर्म का ही उल्लेख होगा। फार्मों में यह भी लिखा जाएगा कि व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का है या नहीं।

विधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लोगों को जो विशेष सुविधा दी गई है, उसके लिए इन जातियों का उल्लेख होना जरूरी है।

धर्म का उल्लेख इस लिए जारी रखा गया है क्योंकि इससे आवश्यक आंकड़े इकट्ठा करने में मदद मिलती है।

इससे पहले स्वराष्ट्र मन्त्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकारों से सलाह मांगी थी। हर राज्य में नौकरी आदि के फार्मों में जाति लिखना बन्द करने की सलाह दी।

उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, बम्बई, मध्य प्रदेश और उड़ीसा ने केन्द्र को लिखा है कि उन्होंने पहले ही फार्मों में जाति लिखना बन्द करने के आदेश दे दिए हैं।

१९६१ की जनगणना में भी जाति न लिखने का निश्चय किया है। पर इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति लिखी जाएगी।

## मदियों का महाभ-परिवर्तन : उत्तर प्रदेश और बिहार का सीमा विवाद

उत्तर प्रदेश और बिहार ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि वह अपने प्रभाव से, घाघरा और गंगा की धारा बदलने से उत्पन्न होने वाली समस्या को हल करने का प्रयत्न करे। राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने इसके हल के लिए बातचीत की है और उनकी ओर भी बंडन होगी। दोनों सरकारें यह चाहती हैं कि कोई ऐसी पक्की सीमा निर्दिष्ट हो जाए जिससे बार-बार जमीन के बारे में झगड़े खड़े न हों। यह सूचना ७ अप्रैल को लोकरसभा में स्वराष्ट्र मंत्री, श्री गोविन्द वल्लभ पन्त ने एक प्रश्न के उत्तर में दी।

स्वराष्ट्र मंत्री ने बताया कि सितम्बर १८८८ की एक अधिसूचना में घाघरा की गहरी धारा को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले और बिहार के सतन जिले की सीमा और गंगा की गहरी धारा को उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के साहाबाद जिले की सीमा निर्दिष्ट किया गया था। नदियों के बार-बार मार्ग बदलने से जमीन और उस पर सभी फसलों के स्वामित्व के बारे में झगड़े पैदा हो जाते हैं।

## पुनर्गठित राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के मामले

राज्यों के पुनर्गठन में प्रभावित सरकारी कर्मचारियों को हर १० मिनटों में से ८ का फीसला किया जा चुका है। यह नाम उन सलाहकार समितियों ने किया है जो इस काम के लिए नियुक्त की गई थी।

एक सलाहकार समिति, जिनमें केन्द्रीय लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष और राज्यगमा के सदस्य श्री पी० एन० मयू हैं, केन्द्र में काम करती हैं। यह गजेटेड अफसरों की गिनावतों पर विचार करती हैं। इसी तरह की एक-एक समिति आंध्र प्रदेश, बम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश, पंजाब, केन्द्र और राज्यगमा में काम कर रही हैं। यह समिति गैर-गजेटेड अफसरों की गिनावतों पर विचार करती हैं। इन समितियों में राज्यों के लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष या कोई सदस्य और राज्य सरकार तथा भारत सरकार का एक-एक प्रतिनिधि होता है।

१९५९ के अंत तक केन्द्रीय सलाहकार समिति ने १,२६५ गिनावतों में से ७४१ पर विचार किया। राज्यों की सलाहकार समितियों ने १,६५१ गिनावतों में से १,४५२ का फीसला किया। पुनर्गठित राज्यों के १ लाख में भी ऊपर कर्मचारियों का बेटन भी दुबारा निश्चित किया गया।

## उत्तर प्रदेश और पंजाब के नये सीमावर्ती जिले

राज्यगमा में ६ अप्रैल को स्वराष्ट्र मंत्री, श्री गोविन्द वल्लभ पंत ने बताया कि केन्द्रीय सरकार की महायत्ना में उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्यों से मिले हुए तिब्बत सीमा के निकट के क्षेत्रों में नये जिले बनाए जाएंगे और इन्हें पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों में शामिल किया जाएगा।

पंजाब में ऐसा एक और उत्तर प्रदेश में ऐसे तीन जिले उप-आयुक्त के अंतर्गत बनाए गए हैं। इन जिलों में सब-डिवीजनल अधिकारियों के अंतर्गत कई सब-डिवीजन हैं। कर्मचारियों का खर्च केन्द्रीय सरकारी उठाएगी।

## राज्यगमा के नामजद सदस्य

राज्यगमा के जिन सदस्यों का कार्यकाल २ अप्रैल, १९६० को पूरा हुआ, उनके रिक्त स्थानों को भरने के लिए राष्ट्रपति ने ४ व्यक्तियों को नामजद किया है। इन सदस्यों के नाम ये हैं :

- (१) श्री ताराशर बघोपाध्याय
- (२) श्री एम० मृत्यनारायण
- (३) प्रो० ए० आर० वाडिया, और
- (४) श्री के० एम० पणवकर

सविधान के अनुच्छेद ८० के अधीन राष्ट्रपति को राज्यगमा में १२ ऐसे सदस्यों को नामजद करने का अधिकार है, जिन्हें ग्राह्यत्व, विमान, कला और ममात्र सेवा मरीनों विषयों का विशेष ज्ञान हो या इनमें में किसी भी एक क्षेत्र का व्यावहारिक अनुभव हो।

## उत्तर प्रदेश में अणु-विजली केन्द्र

उत्तर प्रदेश के विजली मण्डल ने तीसरी योजना में शामिल करने के लिए केन्द्र के पास जो विजली कार्यक्रम भेजा है, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अणु-विजली केन्द्र स्थापित करने की योजना है। इस केन्द्र में ३ लाख विद्युत्वाट विजली बनेगी और इस पर ६० करोड़ रु० का खर्च आएगा।

यह सूचना मिर्चाई और विजली मंत्री, श्री जयमुक्त लाल हाथी ने ११ अप्रैल को राज्यगमा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में


दी। श्री हाथी ने कहा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अंतिम रूपरेखा तैयार करते समय इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार, योजना आयोग और अणु-निर्गत आयोग से विचार-विमर्श किया जाएगा।

## चिन्ह लगाकर मतदान

चुनाव आयोग और राज्यों के चुनाव अधिकारियों ने यह राय प्रगत की है कि केवल दुर्गम और पिछड़े हुए इलाकों को छोड़कर गारे देस में अगला आम चुनाव मतदान-त्रय पर चिन्ह लगाने के तरीके से कराया जा सकता है। यह सूचना केन्द्रीय विधि उपमत्री, श्री आर० एम० हाजरनवीस ने ११ अप्रैल को लोकसेवा में एक प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं किया है।

उपमत्री ने बताया कि फरवरी १९६० में बंगलौर में मुख्य चुनाव अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन ने उप-चुनावी और केरल के चुनाव के अनुभव के आधार पर अगला आम चुनाव मतदान-त्रय पर चिन्ह लगाने की प्रणाली से कराने पर विचार किया।

केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के नये सदस्य २ अप्रैल की एक प्रेस-विज्ञापित में सूचना दी गई है कि राष्ट्रपति ने श्री एम० ए० बेंकरमण को केन्द्रीय लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया है।



## राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिशें

आयोजन मंत्री ने लोकसेवा की मेज पर, राष्ट्रीय विकास परिषद की चौदहवीं बैठक (मार्च १९६०) की सिफारिशों और निर्णयों का यह धरोरा रखा

राष्ट्रीय विकास परिषद ने आयोजन आयोग द्वारा प्रस्तुत तीसरी पंचवर्षीय योजना

के मसविदा और योजना के साधनों के तल-मोनों पर विचार किया। परिषद ने मूल्य नीति, प्राथमिकताओं और ९,९५० करोड़ रु० लगाने की योजना और सरकारी क्षेत्र में ७,००० करोड़ रु० खर्च करने से सम्बन्ध रखने वाले अन्य कई विषयों पर भी विचार किया।

## तीसरी योजना के उद्देश्य

परिपद ने सहमत प्रकट की कि तीसरी योजना में इन बातों की पूर्ति की ओर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाए .

(१) तीसरी योजना में राष्ट्रीय आय में कम से कम ५ प्रतिशत की वृद्धि हो और इस ढंग से पूजा लगाई जाए कि वाद की योजनाओं में भी यह वृद्धि जारी रहे ।

(२) अनाज की दृष्टि से देश आत्मनिर्भर हो और उद्योगों तथा निर्यात के लिए भी पैदावार बढ़े ।

(३) देश में इस्पात, इंधन और बिजली के मूल उद्योग और खासकर मशीन बनाने के उद्योग स्थापित हों, ताकि करीब १० वर्षों में देश में उद्योग-धंधे बढ़ाने के लिए सब जल्दी चीजें देन में ही तैयार हो सके ।

(४) रोजगार काफी बढ़े ।

(५) आमदनी और दौलत को असमानता कम हो और आर्थिक साधनों का अधिक समान बंटवारा हो ।

परिपद ने समझ लिया कि योजना का लक्ष्य, राष्ट्रीय आय के १०-११ प्रतिशत से बढ़ाकर १४.५ प्रतिशत पूजा के नियोजन का, और आंतरिक बचत को राष्ट्रीय आय के ८ प्रतिशत से बढ़ाकर १२ प्रतिशत करने का है । परिपद को यह भी पता लगा कि दारू के अनुमानों से, मसविदों में तीसरी योजना की अवधि में राष्ट्रीय आय में कुल २७-२८ प्रतिशत की वृद्धि का हितगाव लगाया गया है ।

विशाल योजना के लिए आवश्यक चीजों विकास को विशाल योजना को पूरा करने के लिए परिपद ने इन बातों को अनिवार्य माना है .

(१) खेती की पैदावार में तेजी से वृद्धि और देश की जन-भाषित का पूरा-पूरा उपयोग ।

(२) सरकारी उद्योगों का कुशलता और किफायत से चलाया जाना और इनसे अधिक से अधिक लाभ उठाना ।

(३) मूल्य सम्बन्धी मुनिपोजित नीति ।

(४) इमारतें आदि बनाने के काम और पत्तों में कमी करना ।

(५) शासन प्रबन्ध में ऊंचे दर्जों की ओर कुशलता मानने के जोरदार प्रयत्न करना ।

(६) योजना में रोजगार के निश्चित लक्ष्य के अनुसार सरकारी और निजी उद्योग-धंधों में, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिलाना ।

परिपद ने इस्पात आदि सामान का ठीक तरह से उपयोग करके निर्माण-कार्यों में किफायत करने पर जोर दिया ।

## मूल्य निर्धारण

परिपद इस पर सहमत हुई कि १७ अप्रैल, १९६० को मूल्य मंत्रियों को विनोय बैठक में चीजों के मूल्य निर्धारित करने पर विचार हो । जब मूल्य निर्धारित कर दिए जाएं तब उन्हीं के आधार पर तीसरी योजना बनाई जाए ।

इस सिलसिले में कहा गया कि खात तौर पर अनाज और कृषि जिनमें के भाव निरंतर बदलते रहते हैं, जिससे उपलब्ध साधनों में कमी हो जाती है और लक्ष्य भी पूरे नहीं हो पाते ।

## आय के साधन

परिपद इससे भी सहमत हुई कि सरकारी क्षेत्र की ७० अरब रु० की योजनाओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त कर लगाए जाए, जिनसे १६ अरब ५० करोड़ रु० प्राप्त हो सके । इसमें से ११ अरब ५० करोड़ रु० केन्द्रीय सरकार और ५ अरब रु० राज्य सरकारों के कर में प्राप्त किया जाए ।

परिपद में कहा गया कि इस सम्बन्ध में योजना आयोग और राज्य मिलकर योजना आयोग के आय के साधन सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार करे ।

## प्राथमिकता

परिपद इससे सहमत हुई कि तीसरी योजना में सबसे ऊंची प्राथमिकता कृषि की हो जाए । इसके साथ ही इस्पात, मशीन निर्माण, इंधन और बिजली जैसे बुनियादी उद्योगों को भी ऊंची प्राथमिकता मिले, क्योंकि देश का आर्थिक विकास इन्हीं पर निर्भर है ।

सरकारी की शिक्षा के बारे में सुझाव दिया गया कि ममी बड़े सरकारी तथा निजी कारखानों में ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए ।

## सरकारी क्षेत्र

योजना आयोग ने तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र के लिए जो आरम्भिक योजना बनाई है, उस पर परिपद ने विचार किया । इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों ने बिजली, सड़क, ग्राम तथा लघु उद्योग, कारीगरी की शिक्षा आदि के विकास के बारे में अनेक सुझाव दिए ।

## संशोधन विकास

परिपद इससे सहमत हुई कि जिन क्षेत्रों में खनिज साधनों की कमी से उद्योग नहीं बढ़े, वहाँ इन्हें बढ़ाया जाए । कृषि, लघु उद्योग, छोटे बिजली घर आदि को बढ़ाया जाए ।

## ग्राम और लघु उद्योग

ग्राम और छोटे उद्योगों को सहायता दी जाए, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें ।

खादी के उत्पादन को बढ़ाया जाए और धीरे-धीरे उसे छूट देना कम किया जाए ।

## खानों की पट्टेदारी

खानों की पट्टेदारी पर रायल्टी के बारे में काफी पहले जो निर्णय किए गए थे, उनमें अब वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए परिवर्तन किए जाए । केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की सलाह से इन पर विचार करे ।

## नेपाल को आर्थिक सहायता

भारत सरकार ने नेपाल के विकास कार्यक्रम के लिए तीसरी योजना में लगभग १८ करोड़ रु० की सहायता देना स्वीकार किया है । इसमें वे रुकमें भी शामिल हैं जो वर्तमान १० करोड़ रु० की सहायता में से और पूर्वी कोशी (चतरा) नहर के लिए मजूर को गई तीन से चार करोड़ रु० में से खर्च होने से बचेंगे ।

यह सूचना केन्द्रीय वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने १२ अप्रैल को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी ।

वित्त मंत्री ने बताया कि दूसरी योजना में नेपाल को नकद अनुदान, टेक्निकल और अन्य कर्मचारियों की सेवाएं, मशीनों आदि के रूप में १० करोड़ रु० की सहायता देना मजूर किया गया । अनुमान है कि १ अप्रैल,

१९५६ से ३१ मार्च, १९६० तक ३,१८,२२-८७२ रु० की वित्तिक कोर आर्थिक महासभा दी जा चुकी है। बजट में दूसरी मांगना की गैर अवधि में २,८३,५८,००० रु० की व्यवस्था की गई है।

### बीशन बीमा निगम का विदेशों में व्यापार

सन् १९५९ में भारतीय जीवन बीमा निगम ने विदेशों में कुल ९ करोड़ ४० लाख रु० के नये बीमों लिए, जबकि १९५८ में ५ करोड़ ६२ लाख रु० के बीमों लिए थे।

यह सूचना ६ अप्रैल को राज्यगमा में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त उपमंत्री, श्रीमती तारलेस्वरी निरुा ने एक बयनव्य में दी। बयनव्य में बताया गया है कि जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् नूतपूर्व बीमा कम्पनियों में पुराने बीमों फिर से चान्द्र करने के लिए जो समझौते किए थे, उनके अन्तर्गत निगम प्रतिवर्ष २५ लाख रु० प्रीमियम वसूल कर रहा है। राष्ट्रीयकरण के बाद निगम ने जो पार्लियामेन्ट, उनमें से बन्द की फिर से चान्द्र करने के समझौतों के अन्तर्गत १ निगमवर, १९५६ में ३१ दिनाम्बर, १९५७ तक १ लाख २० हजार रु० और १९५८ में २ लाख २० हजार रु० प्रीमियम के रूप में वसूल हुआ। १९५९ के बारे में ये आकड़े प्राप्त नहीं हैं।

### भारत में विदेशी चाय कम्पनियों को लाभ

१४ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने एक बयनव्य रखा। इसमें बताया गया है कि भारत में विदेशी चाय कम्पनियों को कुल कितना लाभ और लाभभा हुआ और कितना उधरे दिया गया।

इस बयनव्य के अनुसार विदेशों में रहने वालों को १९५८-५९ में ५ करोड़ २० लाख ०० (अस्थायी आकड़े) और १९५७-५८ में ५ करोड़ ८० लाख रु० का लाभ और लाभभा हुआ। इसमें से विदेशी कम्पनियों को लाभार्थी को १९५८-५९ में ४ करोड़ ८० लाख रु० और १९५७-५८ में ५ करोड़ ३० लाख रु० का लाभ हुआ। बाकी रुक्या उन ज्वाइंट स्टॉक

कम्पनियों का लाभार्थी था, जो भारत में रजिस्टर थी।

सन् १९५८-५९ में ६ करोड़ ७० लाख रु० (अस्थायी आकड़े) और १९५७-५८ में ७ करोड़ ३० लाख रु० का लाभ और लाभभा भारत से बाहर भेजा गया। इसमें से विदेशी कम्पनियों को लाभार्थी को १९५८-५९ में ६ करोड़ ३० लाख रु० और १९५७-५८ में ६ करोड़ ८० लाख रु० का लाभ मिला। बाकी रुक्या भारत में रजिस्टर ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियों का लाभभा के रूप में मिला।

### सम्पदा शुल्क की वसूली

वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने ११ अप्रैल को लोकसभा में प्रश्नोत्तर के समय बताया कि नम्बर को १९५९ में सम्पदा शुल्क का २ करोड़ ६१ लाख ५९ हजार ३१२ रु० मिला। १९५९ में ८ हजार ५२२ सम्पत्तियों का मूल्य आक कर, उन पर शुल्क लगाया गया। १५ अक्टूबर, १९५३ से ३१ दिसम्बर, १९५८ तक २५ हजार ८५४ सम्पत्तियों का जाना गया।

मंत्री महादय न कहा कि जिन व्यक्तियों ने शुल्क अदा कर दिया है और जिन्होंने अभी तक नहीं अदा किया उनके नाम सम्पदा शुल्क नियंत्रक से भागे गए हैं। इनके नामों की सूची तैयार हो जाने पर उमें सदन की भेज पर रर दिया जाएगा।

श्री देसाई ने कहा कि यह कहना गलत है कि बहुते-ने व्यक्तियों ने सम्पदा शुल्क विभाग की ढाल के कारण शुल्क नहीं वसूल किया जा सका है।

### चाय की पेटियों के लिए प्लाईवुड :

सुंगी और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की वापसी वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की ३ अप्रैल की एक वित्ति में कहा गया है कि निर्णय बढाने के इरादे से, भारत सरकार उन चीजों पर सुंगी और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की वापसी की छूट देना चाहती है, जो चाय की पेटिया बनाने के काम आने वाले प्लाईवुड

के निर्माण में काम आती है। सरकार ने इस सम्बन्ध में एक अधिसूचना का मसविदा जारी किया है, जिसमें प्रति १०० वर्गफुट प्लाईवुड के पाँचे १-२९ रु० की वापसी की दर सुझायी गयी है।

### इयटरनल कम्पशन इंजनों पर उत्पादन कर लगाने का आधार

केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय के राजस्व विभाग की ७ अप्रैल की एक वित्ति में बताया गया है कि १९६० के वित्त विधेयक के अन्तर्गत स्टेटमरी इटनल कम्पशन (एक जगह लगे हुए अतर्दीही) इंजनों पर ५ प्रतिशत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाया गया है। कर लगाने के लिए उनकी कीमत कैसे बूढ़ी जाए, इसके लिए भारत सरकार ने हार्स-पावर के हिसाब में उनके दाम १,६०० से ४,४०० रु० तक निर्धारित किए हैं। ५ अद-समित के नीचे और १९ अद-समित के ऊपर के इंजनों की कीमतें नहीं तय की गई हैं। इस व्यवस्था को तुरन्त लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।

### आयात-निर्यात बैंक से ऋण

अमरीका के आयात-निर्यात बैंक ने जिन कार्यों के लिए ऋण देना स्वीकार किया है उनके लिए १ जनवरी, १९६० तक दुनिया भर से ९ करोड़ ९८ लाख ७० हजार डालर के टेंडर मांगे गए हैं। यह सूचना वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने ११ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

उन्होंने यह भी बताया कि अमरीका का आयात-निर्यात बैंक अमरीका से माल खरीदने के लिए ही ऋण देता है। पर भारत सरकार ने सभी देशों से टेंडर मांगे हैं और इसके बाद यह निश्चय किया जाएगा कि माल अमरीका से खरीदना चाहिए और अमरीका के बैंक में ऋण लेना चाहिए या नहीं।





## अधिक उत्पादन के लिए ४६ उद्योगों को नये लाइसेंस

केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ऐसे ४९ उद्योगों की सूची बनाई है, जिनको उत्पादन बढ़ाने के लिए नये पर आदि लगाने के लाइसेंस खुले आम दिए जाएंगे। इसके साथ ही कुछ ऐसे उद्योगों की भी सूची बनाई गई है जिन्हें और उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई नया लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। समय-समय पर इस सूची में परिवर्तन भी किए जा सकते हैं।

यह सूची इस खयाल से बनाई गई है कि उन उद्योगों को सरकार बिना किसी विलम्ब के लाइसेंस दे दे, जो अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार से आशा लेते हैं। इन सूचियों के अनुसार इंजीनियरी का सामान बनाने वाले २२ और अन्य सामान बनाने वाले २७ उद्योगों को खुले आम लाइसेंस दिए जाएंगे।

### इंजीनियरी उद्योग

जिन इंजीनियरी उद्योगों को नये पर आदि लगाने के लाइसेंस दिए जाएंगे, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं - बायलर और भाप बनाने वाले कारखाने; औद्योगिक मशीनों; मशीनों औजार; जमीन खोदने की मशीनें; उद्योगों में काम आने वाले औजार; बिजली के स्विच गीयर; मिटर पढ़ने, वैज्ञानिक और ऐनक उद्योग में काम आने वाले औजार, कनवेयर चैन; इमारती मशीनें; होजरी का सामान, मुनने की मशीनें; बर्फ बनाने की मशीनें; डेरी सम्बन्धी औजार आदि।

### अन्य २७ उद्योग

इनके अलावा, गन्धक का तैजाब; प्रयोग-शालाओं के काम के बर्तन; बिजली में काम आने वाले काच के बर्तन; रेफ्रिजरेटरी; हाई टेम्पन इन्सुलेटर; साइकिलों के टायर और ट्यूब; रबर के जूते; प्लॉके के पट्टे; टेक्नीकल, खाने के और फोटो उद्योग सम्बन्धी गैलादान; तैयार चमड़ा; कांच की चादरे; काच की छड़ें और प्लेटें; चीनी मिट्टी के बर्तन; टाइले आदि बनाने वाले उद्योगों की भी नये पर आदि लगाने के लाइसेंस दिए जाएंगे।

ये उद्योग जिन्हें लाइसेंस नहीं मिलेंगे जिन उद्योगों को उत्पादन बढ़ाने के नये लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे, उनकी सूची में

## सन् १९५६ में औद्योगिक उत्पादन

सन् १९५९ के औद्योगिक उत्पादन में पिछले साल की अपेक्षा ८१ प्रतिशत की वृद्धि हुई। औद्योगिक अक सकल नितेशक के आकड़ों के अनुसार १९५९ के औद्योगिक उत्पादन का सूचक अक १५१० है, जबकि १९५८ का १३९७ था, अर्थात् १९५९ के सूचक अक में ११.३ की वृद्धि हुई।

औद्योगिक उत्पादन में ११.३ अक की वृद्धि अब तक की सबसे अधिक है। अगर कपड़े का उत्पादन छोड़ दिया जाए तो १९५९ के औद्योगिक उत्पादन में पिछले साल की अपेक्षा १२ प्र.श. की वृद्धि हुई।

सन् १९५७ की कीमतों को आधार मान कर १९५९ का औद्योगिक उत्पादन, कपड़े को छोड़ कर १,३५९ करोड़ १२ लाख ६० का हुआ। पिछले साल इससे १४७ करोड़ ६० कम का उत्पादन हुआ था। दूसरी पंचवर्षीय योजना के पहले साल—१९५६ की अपेक्षा १९५९ के औद्योगिक उत्पादन का मूल्य ३० प्र.श. अधिक था।

आलोच्य वर्ष में चीनी मिल की मशीनें, डीजल इंजिन, मशीनी औजार, मोटर-गाड़ी, तैयार इस्पात, अलुमिनियम, सुपर-फास्फेट, कास्टिक सोडा, सोडा ऐंश, सीमेंट, कागज आदि के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई। कपड़े, बिजली के सामान और कुछ प्रकार की रासायनिक चीजों के उत्पादन में सबसे कम वृद्धि हुई।

सन् १९५९ में देश में ३१ नयी चीजें पहली बार बननी शुरू हुईं। इनमें हाथ से कपड़ा सीने की दुग्गा, कुछ प्रकार के बर्तन, साइकिल और मोटर गाड़किल के स्पॉक बनाने वाली मशीनें, फोटो-प्लेस लेम्प, विटामिन 'ए' और 'बी-१२', रपाने काच की चादरे और काच की पिचपरिया सामिल हैं।

दूसरी योजना की प्रगति  
रासायनिक चीजों के उत्पादन में अत्यधिक

भारतीय समाचार

वृद्धि हुई है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के शुरू में १४९ करोड़ ६० के रसायन बने थे, जबकि १९५९ में २०९ करोड़ ६० से भी ज्यादा के रसायन बने। कास्टिक सोडा और सोडा-ऐंश जैसी मुख्य रासायनिक चीजों में अब देस लगभग आत्म-निर्भर हो गया है। आशा है इस साल के बाद ६ प्रकार के रसायनों का आयात बिलकुल बन्द किया जा सकेगा।

सन् १९५६ में लगभग ३० करोड़ ६० की मशीनें बनी थी, जबकि १९५९ में ५४ करोड़ ६० की मशीनें बनीं। बिजली के सामान का उत्पादन भी ५२ करोड़ ६० से बढ़ कर ७० करोड़ ६० हो गया। रेडियो, बिजली के पखें, लेम्प और अन्य सामान में अब देस आत्म-निर्भर हो गया है। इनमें से कुछ सामान तो निर्यात भी किया जा सकता है। १९५९ में लगभग १ लाख टेलीफोन बने, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में यहा एक भी टेलीफोन नहीं बना था।

### मोटर-गाड़ी उद्योग

पिछले साल ८३ करोड़ ४० लाख ६० की मोटर-गाड़िया और यातायात संबंधी अन्य सामान बना, जबकि १९५६ में ६७ करोड़ ८० लाख ६० का बना था। इस अवधि में साइकिलों के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई।

सन् १९५६ में लगभग २३६ करोड़ ६० की धातुए और धातुओं की चीजें बनी थी, जबकि १९५९ में ३२३ करोड़ ५० लाख ६० की बनी। इनमें तैयार इस्पात के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। खनिज लोह और लोहे के बॉरॉ का उत्पादन १९५६ से लगभग दुगुना हो गया है।

अन्य उद्योगों में सीमेंट, काच, कनस्पति, और कागज उद्योग के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई।

३२ उद्योग हैं। इनमें इञ्जीनियरी का मामान बनाने वाले ३२ उद्योग हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: हाथे हुए वायर मॅट; वायर नेन्स; बाइस्फरनेटिड रिफिड; बंदाम इस्पात मोल अन्वो-ट वायुजो के घरे, गार्दरे, छंटे और बर्नन; ट्यूबिंग वाबिन; टाडी के पंच; लोहे के विशाड जोर रिड्रिबिया; बन्दुड्ट पाइर; काटा के तार; इस्पात की रेनिचा, बाईगोरी के वारे; मुडे टुए वरम; रेडियो मेट; बिजली के लॅम्प, बिजली के तार; रेकूडरेटर, बन्मा छडा रगनं बाणे पन; पत्रेग लाइट; लालटन, तार के तार, जम्ते की पतिना; लोह मंगलज, टुम और बॅरन, टोन के पॉरे; माडरिले जोर माडरिन्ग के पुजे (इनमें रिम, माडिंग और फार्ग हेड क्रिटिंग मॉनिन्ग नहीं है) आदि।

जिन गैर-इञ्जीनियरी उद्योगों को उत्पादन समता वधान के लिए नरं यद लगाने के लक्ष्यमें नहीं दिए जायेंगे, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनस्पति तेल (बिनाओ के तेल को छोड़ कर); गार्बन, सुजर फास्फेट, नरली रेगन के बने वरडे, बिस्फोटक पदार्थ, आयातित मामान मे बने रग, ए० गी० की चद्रे; विटामिन ए, मन्फा दवाग, आभरेगन के वाम आने वाओ चॉजे (जैमे तान, लिक्वो-प्लास्ट, प्लास्टर आक पेरिस की पट्टिया आदि) बत्रोडर हाइड्रेंट, मॅलनेलिक एगिड, मॉडियम मित्रोमिलिट, मॅलॉमिलिक, मॅलॉमिलिक एगिड, पॉर्टेगियम बत्रोरेट; कॅल-सियम बत्रोरेट, हाइड्रोजन पेरसुलाइट, कैत्रसियम कार्बोरेट; मॉडियम मल्फाइट, और चार्ड-मन्फाइट, रियामलाई उद्योग, मल्कर डाइप्रोक्साइट; सोडियम एल्यूमिनेट, आतिनवात्रो, वाटरपूफ कपडा, तरल म्यूकॉन, सिगरेट आदि।

सरकार ने यह निर्णय किया है कि सूची कपडे के लठुओ और करघा पर मकलौ देम के कपडे बनाने के आवेदनपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार ताया और पीतल की चद्रे, चक्के या छंटे बनाने वाले उन कारखानों के लाइसेंस के आवेदनपत्रों पर भी विचार नहीं किया जाएगा, जो १ अक्टूबर, १९५३ को नहीं थे। तावे और पीतल के बर्तनों के उन कारखानों के लाइसेंस

के आवेदनपत्रों पर भी विचार नहीं दिया जाएगा, जो १ मार्च, १९५७ को नहीं थे।

—

## छोटे उद्योगों के उत्पादकता दल की रिपोर्ट

हाल में ही जो अध्ययन दल र्वांडन, जर्मनी, अमरीका और जापान के छोटे उद्योगों का अध्ययन करने विदेग यात्रा पर गया था, उनमें अपनी रिपोर्ट में बहा है कि अमरीका और जापान की तरह छोटे उद्योगों की मुवि-पाए देने के लिए भारत में भी कानून बनने चाहिए। इन कानूनों के जरिये छोटे उद्योग-मालिकों के कुछ काम महाारी तरीके में कराने, काम के टके उठाने और सहायक उद्योगों को बढावा देने आदि का यल होना चाहिए। हांग में मरुध्य उत्पादकता परिषद ने अमरीका के लिए महयाग मियन की गनयना में ७ अध्ययन दल नियुक्त किए थे, जिनमें में एक दल चार देगों की यात्रा करने गया था।

दल की रिपोर्ट में बहा गया है कि यद्यपि छोटे उद्योगों का जिम्मेवारी राज्य सरकारों का है, लेकिन गव राज्यों में इन उद्योगों के मनुचित विवाम के लिए केन्द्र को कुछ वाते अपनी ओर में कर्नना चाहिए और लघु उद्योग मडल की अमरीका तथा जापान के कानूनों जैसे कानूनों का रूपरेखा तैयार करनी चाहिए।

### उद्योग सहाकर समितिचा

रिपोर्ट में बहा गया है कि जापान में छोटे कारखाने वाले कुछ काम इकट्ठे कराते हैं, जिसमें उनको किफायत होती है। भारत में भी छोटे उद्योगों को इसी प्रकार काम करना चाहिए। इनसे हर कारखानों की उत्पादकता बडेगी।

दल में बडे कारखाने वालों की छोटे कामों, यानी छोटे-मोटे पुजे या हिस्से बनाने के देने की प्रणाली को अच्छा बताया है। यह प्रणाली जपान में राज्यों में छोटे-छोटे सहायक उद्योग पनपेगे और यडे उद्योगों को छोटे उद्योगों के बढाने में दिलचस्पी लेनी होगी। इस ब्यवस्था से बडे उद्योग, छोटे उद्योगों को बढाना अपना ही काम समझेगे, क्योंकि इनसे उनका काफी काम हलना हो

जाएगा। सरकारी उद्योगों को भी छोटे काम ठेके पर कराने का मुताब दिया गया है। नये बडे उद्योगों को उन छोटी चीजे बनाने के लाइसेंस नहीं देने चाहिए, जिनके उत्पादन की शकता काफी है। अमरीका की तरह भारत में भी तावा-कजं प्रगाली और साठे-खचं से छोटे उद्योगों के लिए थोडे-थोडे समय के लिए विचोत्र नियुक्त करने की सिफारिश की गई है।

रिपोर्ट में छोटे उद्योगों के विकास कमिशनर के उद्योग-डिजाइन केन्द्र का बढाकर उद्योग शिक्षा केन्द्र का रूप देने का भी सिफारिश की गई है। यहा देसी कच्चे माल और नये आरंभक डिजाइनों के वारे में खीन होनी चाहिए।

—

## खादी और ग्रामोद्योग आयोग का पुनर्गठन

भारत सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग का पुनर्गठन कर दिया है। यह आयोग पहली बार अप्रैल १९५७ में नियुक्त किया गया था और उसका कार्यकाल ३१ मार्च, १९६० को समाप्त हो गया।

बैकुण्ठ लालभाई मेहता को आयोग का अध्यक्ष पुन नियुक्त किया गया है। सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं श्री ए० डबल्यू० सहस्रमुडे, श्री प्रागलाल सुन्दरजी कपाडिया, श्री ध्वज प्रसाद साहू और श्री के० अहगाचलम।

गर्कार ने खादी और ग्रामोद्योग मण्डल का भी पुनर्गठन किया है। इसका अध्यक्ष पुन श्री बैकुण्ठ लालभाई मेहता को नियुक्त किया गया। अन्य सदस्यों के नाम ये हैं— शिवश्री सहस्रमुडे, प्रागलाल सुन्दरजी कपाडिया, ध्वज प्रसाद साहू, के० अहगाचलम, द्वारकानाथ वी० सेले, आर० थ्रिनिवासन, जी० वेकटाचलपथी, विचित्र नारायण शर्मा, शबेरभाई पा० पटेल, वी० वी० जैराजनी, थानन्द प्रसाद चौधुरी, आर० एस० हुकेरिकर, सतीराचन्द्र दास गुन्ता, टी० एस० गौतले, गामोचन्द्र भार्गव, अधय कुमार करन, पी० वी० नरसिंह राव, दिवाकरन वर्मा, कृष्णशाम गांधी, यू० एन० डेवर, एन० आर० पान आर० के० पाटिल, गोकुलभाई भट्ट श्रीमती अमलप्रभा दास।

## चाय उद्योग को योग्यतादि की

### सहायता

**भा**रत सरकार ने चाय मण्डल की एक योजना स्वीकार कर ली है, जिस पर लगभग २ करोड़ रु. खर्च होगा। इसके अंतर्गत सरकार चाय के बागान और कारखानों की मरम्मत में मशीनों तथा यंत्र आदि देगी। जिन चाय बागान और कारखानों ने सहायता के लिए अर्जियां दी हैं, उनके लिए चाय मण्डल मशीनों और यंत्र खरीदेगा। इन्हें वह चाय बागान और कारखानों को देगा और उनका मूल्य किसानों में वसूल करेगा।

यह सूचना ८ अप्रैल को लोकरसभा में एक प्रश्न के उत्तर में वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दी।

उन्होंने बताया कि योजना का ब्योरा इस प्रकार है (१) मण्डल एक चाय के बाग या कारखानों को २ लाख रु० से अधिक मूल्य की मशीन और यंत्र नहीं देगा। जो बाग या कारखाना इन्हें लेना चाहता हो वह अर्जी भेजे; (२) अर्जी स्वीकार होने पर वे मशीन और यंत्र के मूल्य का १० प्रतिशत जमानत के रूप में मण्डल के पास जमा कर दे। मशीन आदि लग जाने के बाद उन्हें १० प्रतिशत और देना होगा, (३) मशीन आदि की बाकी रकम ७ सालाना किश्तों में दी जाए, और (४) मशीन आदि के मूल्य पर ६ प्रतिशत व्याज लगेगा, परन्तु सहकारी समितियों में वे केवल ४% प्रतिशत व्याज लाएगा।

### चाय की बिक्री

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में वाणिज्य मंत्री, श्री नित्यानन्द कानूनगो ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देश की साधारण चाय की बिक्री के लिए विदेशों में काफी तगड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। इसके आकरे मालूम नहीं है कि देश में किसने साधारण चाय पंदा होजी है; फिर भी चाय उद्योग में अनुमान लगाया है कि देश में कुल जिनती चाय पंदा होजी है, उनमें ५०-६० प्रतिशत मात्रावर चाय होजी है।

उन्होंने बताया कि विदेशों में भारतीय चाय की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रदर्शनी भादि में भाग लिया जाता है। इसके अन्तर्गत भारत आस्ट्रेलिया में जन-मण्डल

कार्यालय भी चले गए हैं। चाय मण्डल के दो अधिकारी काहिरा और सिडनी में काम कर रहे हैं। सभी देशों को चाय के चूरे के निर्यात के लिए भी लाइसेंस दिए गए हैं। लाइसेंस-प्राप्त व्यापारों चाय का जितना चूरा चाहें भेज सकते हैं। निर्यात को दर और उत्पादन शुल्क भी कम कर दिया गया है। साधारण चाय वाले क्षेत्रों से सबसे कम, अर्थात् २ नया पैसा पीण्ड उत्पादन शुल्क लिया जाता है। त्रिपुरा और कछार के चाय बागान को खाद और चाय की डुआई में छूट दी जाती है।

## चर्म उद्योग विकास परिषद की

### बैठक

नौ दिल्ली में ११ अप्रैल को चमड़े और

चमड़े के माल सम्बन्धी विकास परिषद का उद्घाटन करते हुए केन्द्रीय उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने कहा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में २० लाख जोड़े जूते-चप्पल आदि के निर्यात का लक्ष्य रखा गया था। पर इस समय तक लक्ष्य से कहीं अधिक निर्यात हो चुका है। १९५९ के पहले ११ महीनों में २ करोड़ १७ लाख रु० के २२ लाख ७० हजार जोड़े जूते-चप्पल बाहर भेजे गए।

श्री शाह ने कहा कि तीसरी योजना के दौरान इन जूते-चप्पलों का उत्पादन बढ़ाकर १५ करोड़ ३० लाख जोड़े (दूसरी योजना का लक्ष्य १० करोड़ २० लाख जोड़े) किया जाएगा। इनमें से ४०-५० लाख जोड़ों के निर्यात के बारे में विचार किया जा रहा है। यदि हमने विदेशों के बाजारों के अनूकूल माल तैयार किया तो निर्यात और भी बढ़ सकता है।

### बढ़ती हुई मांग

मन्त्री महोदय ने कहा कि पिछले कई सालों से दुनिया में चमड़े का उत्पादन प्रायः एक-सा रहा है, लेकिन मांग तेजी से बढ़ रही है—कुछ तो आवादी बड़ने के कारण और दूसरे लोगों के रहने-महने के ऊचाहो जाने के कारण। इस कारण उपलब्ध चमड़े का उचित उपयोग ही होना चाहिए और जहां तक है, तर्क इसके बढते दूनरों चीजा का इस्तिमाल होना चाहिए।

सत्तार भर की सालों के उत्पादन का १४.६ प्रतिशत भारत में होता है और देश के चमड़ा कमाने के उद्योग को कच्ची सालों की

कमी नहीं हो सकती। बहुतसे कारखानों में तो उनकी क्षमता से कम काम हो रहा है। अब खालों का निर्यात हो बन्द नहीं कर दिया गया बल्कि अन्य देशों से खाले मानों की कोशिश की जा रही है, ताकि देश के चमड़ा कमाने के उद्योग की मांग पूरी की जा सके।

देश में चमड़े का अधिकांश भाग छोटे और परेलू उद्योग में बनता है। अभी चमड़ा उद्योग के बारे में आवश्यक आंकड़े और जानकारी नहीं है। इसलिए इसके विकास के लिए जरूरी पड़ताल कराने का प्रयत्न किया जा रहा है। उत्पादन के आधुनिक तरीके अपनाने से लाभ होगा। अमरीका के शिल्प सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत यूरोप, अमरीका, ब्रिटेन और जापान की उत्पादकता का अध्ययन करने के लिए एक दल भेजने का विचार भी अच्छा है। इस दल के भेजने से निस्सन्देह लाभ होगा।

### मशीनों का निर्माण

श्री मनुभाई शाह ने बताया कि देश में प्रतिवर्ष लगभग २५ करोड़ रु० के बमए हुए चमड़े और खालों तथा चमड़े के जूतों और अन्य माल का निर्यात होता है। इनके मुकाबले हमें ४-५ करोड़ रु० की मशीनों और दूसरी चीजों का आयात करना होता है। चमड़ा उद्योग की कई जरूरत चीजें भारत में ही बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है। दूसरे, देश में रसायन और इन्जीनियरी उद्योग काफी बढ रहे हैं और अपने कुछ सालों में ही उद्योग की अधिकांश जरूरत देश में पूरी होने लगेगी।

## इस्पात की चीजों का आयात :

### अप्रैल-सितम्बर १९६० की नीति

इस्पात, खान और इंधन मन्त्रालय (नेहा) और इस्पात विभाग) की १ अप्रैल की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित चीजों के लिए पुराने आयातों को अप्रैल-सितम्बर की अवधि के लिए मूल कटौत के ७। प्रतिशत सामान का आयात लाइसेंस देने का निश्चय किया है :

- (१) उद्योगों में काम आने वाली छीलक.
- (२) औद्योगी और मिश्रित इस्पात. ; इन्हें थंदाग इस्पात की बादरे, मॉडिफाई और फ्री शामिल नहीं है। (३) घय तरह के तार ; और (४) पेटिगॉ बांधने वाली पत्तियां।

इन चीजों के लाइसेंसों के लिए मोहो और इस्पात नियंत्रक बन्दकता, मोहो और इस्पात उप-नियंत्रक, बम्बई या मोहो और इस्पात महायंत्रक नियंत्रक, मद्रास के पास १५ जून, १९६० तक आवेदनपत्र पहुँच जाने चाहिए।

वास्तविक उपभोक्ता निम्नलिखित चीजों का आयात कर सकते हैं, जिनके लिए उपयुक्त अधिकारी की मार्फत अर्जों देनी होंगी।

- (१) टोन की फ्लेटें—मुम्बई और गोन।
- (२) चीना मिश्रित टोन की फ्लेटें।
- (३) सब तरह के तार।
- (४) पेटियां बांधने की पतियां।
- (५) इस्पात की पट्टियां, टैप आदि।
- (६) बेंडंग इस्पात की चादरों के अलावा औज़ारी और मिश्रित इस्पात।
- (७) बर्तन उद्योग के अलावा अन्य उद्योगों के लिए बेंडंग इस्पात की चादरें।
- (८) उद्योगों में काम आने वाली छीलन।
- (९) गडार्ई के औज़ार—जो मशीनों में नहीं चलते।
- (१०) छीलन—जिनमें चादरें बन सकें।
- (११) पट्टियां, टायर और पुरिया।
- (१२) कोन्स्ट रॉन्ट और टोप ड्राइंग नवाडिटी चादरें।
- (१३) हार्ड टेंम्पाइल इस्पात।
- (१४) स्वीडन की तारकाल लॉडे की छडे और काम किए हुए लॉडे की छडे।
- (१५) कपडा और जूट उद्योगों में काम आने वाले रिंग फ्रेमों की नोज वार।
- (१६) काली और गालवेनाइज्ड प्लेन चादरें—२४ जो और पतली।
- (१७) बिजली के काम में आने वाली इस्पात की चादरें।

कुछ वास्तविक उपभोक्ताओं को ३० नितम्बर, १९५९ के सार्वजनिक सूचना-पत्र की शर्तों के अनुसार अप्रैल-नितम्बर, १९५९ की अवधि के लिए भी औज़ारी और मिश्रित इस्पात के आयात लाइसेंस दिए जा चुके हैं। अतः अथ इस अवधि के लिए या आयात लाइसेंस केवल उन नये कारखानों को ही दिए जाएंगे जिन्हें अभी तक ये लाइसेंस नहीं मिले हैं। ऐसे हुएने कारखानों को भी ये लाइसेंस

दिए जा सकते हैं जो उपयुक्त अधिकारी को मार्फत अपनी अर्जों भिजवाते समय यह लिखवा सकें कि उन्हें वास्तव में औज़ारी और मिश्रित इस्पात की जरूरत है।

वास्तविक उपभोक्ताओं को अपनी अर्जों १५ अगस्त, १९६० तक भेज देनी चाहिए। आवश्यक मॉडिफिकेंट के लिए उपयुक्त अधिकारी के पास ये अर्जियां १५ जून, १९६० तक पहुँच जानी चाहिए। इसके बाद भी अर्जों को बर्तनी अर्जियां रद्द कर दी जाएगी।

## काँदला में खुला व्यापार क्षेत्र :

### श्री राजबहादुर का वक्तव्य

काँदला बन्दरगाह और गार्धी धाम बरती के भविष्य की ओर हम हमें दृष्टि देते रहें हैं और यहाँ पर रोजगार बढ़ाने तथा छोटे-मोटे उद्योग शुरू करने के बारे में विचार करते रहें हैं। अथ हमने वित्त मंत्रालय तथा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की सलाह से कादला क्षेत्र में एक खुला व्यापार क्षेत्र बनाने की अस्थायी योजना बनाई है। यह हमारे देश के लिए बिल्कुल नया चीज है, इसलिए हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा।

यह जानकारी परिवहन तथा मत्तमंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री राजबहादुर ने ९ अप्रैल को लाकनभा में एक सभतय में दी।

उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि इन सारे क्षेत्र को ऊँचे और काटेदार तार से घेर देने का विचार है, ताकि यहाँ से माल लाने-ले-जाने पर पूरी तरह नियंत्रण रखा जा सके। यहाँ बिजली से कच्चा और अर्ध-तैयार माल मगाकर उससे दूसरी चीजें तैयार करने की सुविधाएँ दी जाएगी। सबसे बड़ी सुविधा अभी प्रोत्साहन यह होगा कि यहाँ मगाए जाने वाले माल पर आयात शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अर्थात् या खुले व्यापार क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए सरकारें लाइसेंस आवश्यक होगा और सरकार उन पर अपनी आँख रखेगी। इस सब का उद्देश्य यह है कि किसी ऐसे उद्योग को स्थापित करने की इजाजत न दी जाए जिससे वहाँ की देश के किसी उद्योग से अनुचित होट हो। यदि कभी इस क्षेत्र में आसपास के देशों की निर्यात करने के लिए विदेशी तैयार माल मगवाकर करने की इजाजत मांगी

गई तो उस पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन सोने, हीरे, घड़ियाँ आदि के आयात की इजाजत नहीं दी जाएगी।

इस क्षेत्र में माल के आयात और निर्यात का पूरा-पूरा हिसाब रखा जाएगा, ताकि यहाँ का माल वहाँ की देश में चोरी से न पहुँचाया जा सके। दूसरे, माल के निर्यात से विदेशी मुद्रा की आमदनी का पूरा लाभ उठाने के लिए भी हिसाब रखा जा रहा है। इस क्षेत्र से देश में आने वाले माल पर आयात सम्बन्धी आम प्रतिवन्ध होंगे।

अतः श्री राजबहादुर ने कहा कि इस योजना के सारे पहलुओं पर विस्तार से विचार किया जा रहा है और जल्दी ही इसका प्रचार किया जाएगा। इसके बाद व्यापारियों और उद्योगपतियों को जो राय हमें मालूम होगी, उसके आधार पर सरकार इस योजना को शुरू करने के बारे में अन्तिम निर्णय करेगी। अभी हमारा ध्यान कादला है कि इस योजना से कादला में उद्योग-धंधे बढ़ें और वहाँ की अर्थ-व्यवस्था उत्तम होगी।

## फूलों के पीछे का निर्यात

सन् १९५७ से १९५९ तक के तीन वर्षों में भारत से १ लाख ७२ हजार ४० के फूलों के पीछे निर्यात हुए। यह निर्यात मुख्यतः अमरीका, इंग्लैण्ड, प० जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैण्ड और कुवैत को हुआ। यह सूचना वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति उपमंत्रा, डॉ० मनमोहन दास ने ११ अप्रैल को लोक-सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

डॉ० दास ने यह भी बताया कि भारत सरकार विलग में फूल-बाग खोलने की सोच रही है जिसमें रंग-बिरंगे और विभिन्न किस्म के नये-नये फूल लगाए जाएंगे। यह उद्योग १९६२-६३ तक बन कर तैयार होगा।

## फरवरी १९६० में भारत का विदेशी व्यापार

कलकत्ता के वाणिज्य, सूचना और अर्थ विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, फरवरी १९६० में जल, थल और हवाई मार्ग से निजी और सरकारी रूप से भारत के विदेशी व्यापार के कच्चे आकड़े इस प्रकार हैं—  
व्यापारी माल इसमें नेपाल, तिब्बत,

तिविक्रम और भूदान के साथ स्थल मार्ग से होने वाला व्यापार प्रामाणिक नहीं है। निर्यात—४७ करोड़ ९ लाख ६०; पुनर्निर्यात—२ करोड़ ७२ लाख ६०; आयात—६९ करोड़ १२ लाख ६०। आयात के आकड़ों में उस सरकारी सामान का मूल्य शामिल नहीं है, जिसका हितान होना अभी बाकी है।

कोय. नोटों का निर्यात (पुनर्निर्यात सहित)—१ करोड़ २८ लाख ६०; सोना—विल्कुल नहीं, चालू सिक्के (सोने के सिक्कों के अलावा)—२ लाख ६०। नोटों का आयात—५२ लाख ६०; सोना—६ लाख ६०; चालू सिक्के (सोने के सिक्कों के अलावा)—नगण्य।

व्यापार तुला. व्यापारी माल और सोने का कुल निर्यात (पुनर्निर्यात सहित) आयात से १९ करोड़ ४७ लाख ६० कम रहा।

यह सूचना वाणिज्य मन्त्रालय और अक विभाग, कलकत्ता, की ९ अप्रैल की एक विज्ञापित में दी गयी है।

## डी० डी० टी० के भाव में कमी

हिन्दुस्तान इसेक्ट्रीसाइड्स लि० ने टैनिंगल डी डी टी के दाम में २० प्रतिशत कमी करने की घोषणा की है। यह ४ ६० प्रति किलोग्राम के स्थान पर ३ २० ६० प्रति किलोग्राम के हिसाब से बंधी जाएगी। इसी प्रकार फार्मूलेटेड डी डी टी के बिन्नी-भाव में १८ प्रतिशत कमी की गई है और यह ३.४० ६० प्रति किलोग्राम के स्थान पर २ ८० ६० प्रति किलोग्राम के हिसाब से बंधी जाएगी। हिन्दुस्तान इसेक्ट्रीसाइड्स लि०, दिल्ली और अल्हाई में डी डी टी के सरकारी कारखानों का प्रत्यक्ष करता है।

मार्च १९५५ में जब से दिल्ली का डी डी टी कारखाना चालू हुआ है, तब से दोनों तरह के डी डी टी के भाव निरन्तर घटाए जा रहे हैं। यह घोषणा गीता है जब डी डी टी का दाम पटाय गया है।

देग में डी डी टी का उत्पादन निरन्तर बढ़ता जा रहा है। अल्हाई के कारखाने में डी डी टी का उत्पादन पिछले जनवरी में भारी चपम मीमा पर पहुंच गया था। उस महीने यदा २५० टन से अधिक फार्मूलेटेड

डी.डी.टी. तैयार की गई। इस प्रकार वहा २२३ टन के मासिक लक्ष्य से ही अधिक डी डी टी. नहीं तैयार की गई बल्कि कारखाने की क्षमता से भी अधिक तैयार की गई। कारखाने की उत्पादन क्षमता २४० टन प्रतिमास है।

दिल्ली के कारखाने में पिछले ६ महीनों का टैनिंगल डी.डी.टी. का औसत उत्पादन प्रति मास १३० टन है, जो कि कारखाने की सामान्य उत्पादन क्षमता से १२ प्रतिशत अधिक है। उत्पादन में यह वृद्धि, बेहतर तरीकों तथा कर्मचारियों की कुशलता के कारण हुई।

## डी० डी० टी० बनाने की नयी विधि

इंजिन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च की योजना के अधीन नेशनल केमिकल इंजिनियरिंग ने पानी में घुलने वाली डी डी टी. बनाने की एक सरल विधि निकाली है। इस नयी विधि से डी डी टी. को ठण्डा या गरम पीसकर बनाया जा सकता है।

गरम पिसने की विधि से निर्मित पेंस्ट वेटेबल एमलसन पाउडर से अच्छा होता है। इस पेंस्ट के कण बहुत पतले होते हैं और खुरदरी सतह पर भी कीटाणुओं पर इसका अच्छा असर होता है। इस पेंस्ट में डी डी टी. के कण के ऊपर एक तह होती है, जो भारक दवा को कीटाणु के शरीर तक पहुंचा देती है।

इस विधि से प्रतिदिन २५०-३०० पाण्ड डी डी टी बनाकर परीक्षा की गई है। यह विधि सुगम तथा सरल है। इसका कारखाना किसी भी स्थान में स्थापित किया जा सकता है, जहाँ कच्चे पदार्थ, पिजली आदि उपलब्ध हों।

भारत में डी डी टी का वाणिज्य उत्पादन २,६०० है। इसके अतिरिक्त कुछ आयात करना पड़ता है। १९५८ में और १९५९ के पहले नौ महीनों में क्रमशः ९,९२४ और ११,९३० टन डी.डी.टी. का आयात हुआ।

## अम्बर चरखा

दिसम्बर १९५९ के अन्त में देश में कुल ३,२३८ उत्पादन केन्द्र, निरीक्षकों की तिगानों के ६१ विद्यालय, बड़ईगिरी तितारों के २७ विद्यालय और अम्बर चरखा

बनाने के १०८ बड़े और ४८५ छोटे संयोजन कार्यालय थे। इसके अलावा, बुनकरों को भी सिखाने के अनेक केन्द्र थे। यह सूचना उद्योग मंत्री, श्री मनुमाई दाहने ने ७ अप्रैल को राम-सभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

श्री दाहने ने बताया कि अप्रैल १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक बुनकरों को कुल २,८२,४९९ अम्बर चरखे बांटे गए थे, जिनमें से १,७०,००० चरखे चालू थे। उन्होंने यह कि उन बुनने का अभी कोई अम्बर चरखा नहीं बनाया गया है। वैसे इस तरह का अच्छा चरखा बनाने के बारे में अनुसंधान किया जा रहा है।

## मिलाई इस्पात कारखाने का उत्पादन

मिलाई इस्पात कारखाने में ११ अप्रैल तक १ लाख टन इस्पात तैयार हो चुका है। मिलाई में १२ अक्टूबर, १९५९ से इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ जबकि भारत में रूसी राजदूत श्री आई० ए० बेनेदिक्टोव ने पहली खुली भट्टी का उद्घाटन किया। तब से दो खुली भट्टियाँ चालू की जा चुकी हैं : पहली १७ दिसम्बर, १९५९ को और दूसरी मार्च १९६० में।

हर भट्टी में प्रति दिन ५०० टन इस्पात तैयार हो सकता है। मिलाई इस्पात कारखाने में सालाना १० लाख टन इस्पात तैयार करने के लिए ऐसी ६ भट्टियाँ चाहिए। बाकी ३ भट्टियाँ बनाई जा रही हैं और इस साल के अन्त तक वग कर तैयार हो जाएगी।

अब तक ५५,००० टन इस्पात की सिने आदि देश की विभिन्न रौ-रोलिंग मिलों को भेजी जा चुकी है।

## क्रोमाइट का उत्पादन

भारत में १९५९ में ८५,००० मीट्रिक टन क्रोमाइट निकाला गया। पिछले साल इसका उत्पादन ६४,००० टन हुआ था। इस प्रकार इसके उत्पादन में इस साल पिछले साल से ३३ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सबसे अधिक उत्पादन ८१,००० टन उड़ीसा में हुआ और बाकी बिहार, मेसूर और बम्बई में।

## चीनी उद्योग में लागत

### तटकर आयोग की रिपोर्ट पर सरकार के निर्णय

चीनी उद्योग की लागत के बारे में तटकर आयोग ने १९५९ में जो रिपोर्टें दी थीं, उन पर भारत सरकार के निर्णय ४ अक्टूबर, १९६० के मूचना-पत्र में प्रकाशित कर दिए गए हैं। तटकर आयोग की मुख्य सिफारिशें तथा उन पर केन्द्रीय सरकार के निर्णय निम्नलिखित हैं।

तटकर आयोग ने ४ क्षेत्र निश्चित किए हैं और उनके लिए अलग-अलग लागत-सूचियां तैयार की हैं। ये चार क्षेत्र हैं (१) उत्तरी क्षेत्र, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब राज्य आते हैं, (२) इम्बई राज्य, (३) मध्य प्रदेश और राजस्थान, (४) दक्षिणी क्षेत्र, जिनमें आंध्र प्रदेश, मद्रास और मैसूर राज्य आते हैं। आयोग ने केरल में दक्षिणी क्षेत्र के लिए निर्धारित लागत-सूची और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल व आसाम में उत्तरी क्षेत्र के लिए निर्धारित लागत-सूची अपनाते की वही है।

आयोग ने सिफारिश की है कि लागत-सूची में दिए गए उत्पादन-मूल्य के अतिरिक्त प्रत्येक कारखाने को नियोजित पूंजी पर होने वाले लाभ का १२ प्रतिशत भाग वॉनम, प्रैच्युटी, ऋण तथा ऋण-प्रथा का व्याज, विधेय घेदों पर लागू तथा मैनैजिंग एजेंटों का कर्मान्तर और आय कर देने के लिए छोड़ना चाहिए। इसके बाद जो लाभ बचे, उस पर सभी क्षेत्रों के अधिकांश कारखानों को उचित लाभदायक घोषित करने की अनुमति देनी चाहिए।

कारखाने से बाहर का मूल्य निर्धारित करने में सुधार आदि के लिए अलाउंस देने की आयोग ने कोई सिफारिश नहीं की, क्योंकि आयोग का मत है कि सभी कारखानों के लिए इस प्रकार का अलाउंस जरूरी और उचित नहीं है। आयोग ने सुझाव दिया है कि जिन कारखानों को सुधार आदि के लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता हो, वे वित्तीय सहायता देने वाली संस्थाओं से सहायता लें।

भारत सरकार ने आयोग की इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और यह निश्चय

किया है कि चीनी का निवृत्त मूल्य निर्धारित करते समय आयोग द्वारा तैयार की गई लागत-सूचियों को ध्यान में रखा जाए।

भारत सरकार का विचार है कि उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार और पंजाब के मीठुदा निवृत्त मूल्यों में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। दक्षिण बिहार के सम्बन्ध में सरकार का यह विचार है कि उन पर भी उत्तर बिहार के कारखानों की तरह मूल्य नियंत्रण का नियम लागू होना चाहिए।

यह मूचना चीनी और वनस्पति निदेशालय की विज्ञापित में दी गई है।

### १९६०-६१ के लिए गन्ने का भाव

भारत सरकार ने गव सम्बन्धित बागों पर विचार करने के बाद, १९६०-६१ के लिए दैनिक गन्ने के फंडिंगों में पिराई के लिए गन्ने का भाव निम्न प्रकार रखा है

- (१) कारखानों पर गन्ने का भाव १ रु ६२ नया पेंसा प्रति मन और कारखाने की तरफ से गन्ना इकट्ठा करने वाले स्टेशनों पर १ रु ५० नया पेंसा प्रतिमन,
- (२) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के आदेश में जहाँ पूरे राज्य में या किसी विशेष क्षेत्र में चीनी की कीमत के अनुसार ही गन्ने का भाव निर्धारित करने के नियम लागू हैं, वहाँ पर यदि किमानों को अधिक दाम मिलना हों तो बाद में उसका भी भुगतान होना चाहिए।

यह मूचना पाठ्य और कृषि मन्त्रालय के खाद्य विभाग की १ अप्रैल की विज्ञापित में दी गई है।

१९६०-६१ में गन्ने के भाव में चालू भाव से कोई अन्तर नहीं हुआ है।

अक्टूबर १९५९ में १ रु ४४ नया पेंसा से भाव बढ़ा कर १ रु ६२ नया पेंसा कर दिया गया था। यह भाव कारखाने पर का था। कारखानों की तरफ से गन्ना इकट्ठा करने वाले स्टेशनों पर गन्ने का भाव १ रु ३१ नया पेंसा से बढ़ा कर १ रु ५० नया पेंसा प्रतिमन कर दिया गया था। चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए ये भाव निर्धारित किए गए थे।

## चीनी की निकासी।

केन्द्रीय सरकार ने विक्री के लिए १ लाख ८५ हजार टन चीनी देने का निश्चय किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार और पंजाब के चीनी कारखानों से खुली विक्री के लिए चीनी नहीं दी जाएगी। पर इन कारखानों को अपने कर्मचारियों को बेचने के लिए कुछ चीनी दी जाएगी।

मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल, इम्बई राज्य, हिमाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा के निवृत्त क्षेत्रों के कारखानों से चीनी मिफं राज्य सरकारों द्वारा नामजद व्यापारियों को ही दी जाएगी। पंजाब तथा जम्मू-कश्मीर में चीनी या ती गोंधे राज्य सरकारों को या उनके द्वारा नामजद व्यापारियों को दी जाएगी। दिल्ली को चीनी वर्तमान नियमों के अनुसार ही दी जाएगी।

यह चीनी २५ अक्टूबर, १९५९ को अधिसूचना सहाय जी एम आर ११८८/ई एस एम० कामर्स/नगर और ४ अक्टूबर, १९६० की अधिसूचना सहाय जी एम आर ३८६/ई एस एम० कामर्स/नगर, में दिए गए भाव पर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार की मिठों के लिए चीनी का निवृत्त एकम-मिल भाव ३७ ८५ रु प्रति मन है, जबकि पंजाब की मिठों के बाहर का निवृत्त भाव ३८ ३५ रु प्रति मन है। कानपुर को जो चीनी दी गई है, उसके आई एस एस डी-२९ श्रेणी की चीनी का रेल से पहुंचता मूल्य ३८ ६० रु और कलकत्ता की चीनी का ३९.८५ रु प्रति मन है।

यह सूचना खाद्य और कृषि मन्त्रालय के चीनी और वनस्पति निदेशालय की ६ अप्रैल की विज्ञापित में दी गई है।

### दक्षिण बिहार के चीनी कारखानों में मूष्य-नियंत्रण

केन्द्रीय खाद्य एवं कृषि मन्त्रालय के चीनी तथा वनस्पति निदेशालय की एक विज्ञापित में बताया गया है कि भारत सरकार ने दक्षिण बिहार में आई-एम० एस० डी-२९ ग्रेड चीनी का कारखाना-भाव ३८ रु ३५ न० पें० मन निश्चित किया है। यह नियमन तुरन्त लागू होगा। अन्य श्रेणी की चीनी का भाव भी

सूचना देनी होगी कि उनके यहां कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं।

इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार ने कुछ नियमों का मसौदा तैयार किया है और यह प्रकाशित किया जा चुका है। सम्बन्धित व्यक्तियों की राय जानने के बाद यह पक्की तौर पर तैयार होगा।

## भिलाई से मजदूरों की छंटनी :

### इस्पात मंत्री का वक्तव्य

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री, सरदार स्वरन सिंह ने एक प्रश्न के उत्तर में हाल ही में एक वक्तव्य लोकसभा की भेज पर रखा। वक्तव्य के अनुसार भिलाई इस्पात कारखाने की कई यूनिटों के पूरे बन जाने पर उसका इमारती काम अब कम होता जा रहा है। बाकी यूनिटें भी बनाई जा रही हैं। अब उत्पादन में कमी होने के कारण धीरे-धीरे इमारती कर्मचारियों की छंटनी करना आवश्यक हो गया है।

हिन्दुस्तान स्टील लि० में इमारती कर्मचारियों की छंटनी शुरू हो गई है और ५,०१७ मजदूरों की पहली अप्रैल से १ महीने का नोटिस दिया जा चुका है। भिलाई इस्पात कारखाने से लगभग २५,६०० इमारती कर्मचारियों की छंटनी करने की सम्भावना है। इस साल के अन्त तक थोड़े-थोड़े कर्मचारी छंटनी किए जाएंगे।

छंटनी हुए कर्मचारियों को दूसरा काम दिखाने में यथासम्भव सहायता दी जा रही है। उन लोगों को कामदिल्लाज बतवती में अपने नाम दर्ज कराने की सलाह दी जा रही है, जिनमें कि वे अन्य स्थानों में नौकरी पा सकें। हिन्दुस्तान स्टील लि० ने अन्य योजनाओं को अपने यहां भेजने के लिए जाने वाले कर्मचारियों की योग्यता आदि के बारे में विवरण भेजने की व्यवस्था कर ली है, जिससे वहां उन्हें नया पालना जाए तथा बाहर भेज दिए जा सकें। प्रथम और निपोजन मंत्रालय भी इस मामले की ओर ध्यान दे रहा है।

## मजदूरों को मकान बनाने के लिए भविष्य निधि से धन

अब कारखानों के मजदूर अपने लिए मकान बनवाने या खरीदने के लिए अपनी भविष्य निधि में से अंतिम धन ले सकेंगे और उन्हें यह धन वापस करने की भी जरूरत नहीं होगी। भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२, में इस आशय का संशोधन किया है।

कारखाना-मजदूरों को मकान बनाने की सहायता देने की योजना के अन्तर्गत यह सुविधा दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत कोई भी मजदूर जो भविष्य निधि में रुपये जमा करवाता है, मकान बनवाने के लिए अपने १२ महीने का मूल वेतन या भविष्य निधि में उसके कुल धन या मकान की लागत

में उसके अपने हिस्से के बराबर का धन, इतने जो भी कम हो, ले सकता है। अगर कोई मजदूर अलग से मकान बनवाना या खरीदना चाहता है तो वह अपने १२ महीने का कुल मूल वेतन या भविष्य निधि में अपने कुल हिस्से के बराबर का धन, जो भी कम हो, ले सकता है।

शुरू-शुरू में कर्मचारी भविष्य निधि योजना केवल ६ प्रकार के उद्योगों में लागू की गई थी, जो अब ४१ तरह के उद्योगों में लागू है। दिसम्बर-१९५९ के अन्त तक यह योजना ७,१८२ कारखानों पर लागू थी, जिनमें कुल २६ लाख ४६ हजार मजदूर काम कर रहे थे। मजदूरों की भविष्य निधि में कुल १ अरब ६० करोड़ ८० जमा था। इसमें वह रकम शामिल नहीं है, जो मजदूरों को बीमे या प्रीमियम चुकाने के लिए दे दी गई थी।



## सोमा सड़क विकास मण्डल

सोमा क्षेत्रों में सड़क परिवहन के विकास आदि की नीति बनाने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने जो मंडल स्थापित किया था, उसका विवरण १२ अप्रैल को लोकसभा में एक वक्तव्य में दिया गया। यह वक्तव्य प्रधान मंत्री की ओर से परराष्ट्र उपमंत्री, श्रीमती लक्ष्मी नन्दन मेनन ने एक प्रश्न के उत्तर में सदन की भेज पर रखा।

इस वक्तव्य में बताया गया है कि प्रधान मंत्री इस मंडल के अध्यक्ष और प्रतिरक्षा मंत्री, श्री कृष्ण मेनन इसके उपाध्यक्ष हैं। मंडल के अन्य सदस्य इस प्रकार हैं - कर्मीराम मामलों के सचिव; परिवहन मंत्रालय के सचिव; प्रतिरक्षा मंत्रालय के सचिव; वित्त मंत्रालय (प्रतिरक्षा) के वित्त सलाहकार; सड़क परिवहन के सलाहकार इंजीनियर; स्थल और वायुसेनाओं के अध्यक्ष; क्वार्टरमास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बी० एम० कौल; प्रतिरक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री एच० सी० सरीन; संयुक्त सचिव, प्रति-

रक्षा मंत्रालय; मेजर जनरल के० एन० दुबे, सोमा सड़कों के महाविदेसक और श्री एस० के० सूकर्जी, सदस्य सचिव।

इस मंडल के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:

(१) सोमा क्षेत्रों में विकास योजनाओं और अन्य गतिविधियों को ध्यान में रखकर परिवहन विकास की नीति बनाना और प्राथमिकता के अनुसार योजनाओं को लागू करवाना।

(२) उपयुक्त संस्थाओं को परिवहन विकास की योजनाएं चालू करवाने का उत्तरदायित्व देना तथा उनके लिए आवश्यक सामान और कर्मचारियों की व्यवस्था करना।

(३) प्रत्येक योजना का संचयन करना और उनकी देखभाल रखना। अगर किसी योजना के पूरा होने में विलम्ब हो या विलम्ब की सम्भावना हो तो आवश्यक सहायता की व्यवस्था करना।

श्रीमती मेनन ने कहा कि सार्वजनिक हित में यह बताया असम्भव है कि किन-किन क्षेत्रों को क्या प्राथमिकता दी गई है।

## कान्दला बन्दरगाह में रेल की लफाई

परिवहन और मंचार मन्त्री, डा० पी० मुन्बारायन ने ६ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कान्दला बन्दरगाह में रेल माफ करना कोई मुश्किल काम नहीं है।

डा० मुन्बारायन ने बताया कि कान्दला बन्दरगाह के मग पर दो मील चौड़ी रेली है, जिसे बलदारा गोल बट्टे हैं। इन रेली के ऊपर में अहाजों के आने-जाने के लिए जलमार्ग हैं। यह बलदारा गोल बगबर टूटना रहता है और अहाजों के आने-जाने का मार्ग भी टूटना रहता है। अब इस मार्ग को मफाई करना ज़रूरी हो गया है।

पूना का बेन्डीय पानी और बिजली अनु-मयान केन्द्र यह परीक्षण कर रहा है कि इस मार्ग को विन प्रकार म्थार्या बनाया जाए, क्योंकि आखिर इस क्षेत्र में अन्य कई काम हो रहे हैं, अब अभी इस केन्द्र को परीक्षण पूरे करने में बाकी समय लगेगा।

डा० मुन्बारायन ने कहा कि फिलहाल इस मार्ग या धार में से रेल की मफाई करना ही उपयुक्त समझा गया है। इस काम के लिए मूल १९५९ के आरम्भ में विभागापारतनम बन्दरगाह में रेल माफ करने वाला 'विमाना' अहाज कान्दला बन्दरगाह में लाया गया। इसमें तीन महाने तक यह काम किया, जिस पर लगभग-१० लाख रु० खर्च हुए। अब मई १९६० में फिर इस अहाज में यह काम कराने का इरादा है और इस बार भी इस काम पर पहले जितना ही खर्च आने का अनुमान है।

अब कान्दला बन्दरगाह के लिए रेल लांघने का एक अहाज अलग से खरीदने का निश्चय किया गया है। परिवहन विभाग के मलाहकार इस सम्बन्ध में गिनिक वार्ता पर विचार कर रहे हैं। जब इस बारे में कोई निश्चय हो जाएगा, तभी अहाज खरीदने का आर्डर दे दिया जाएगा।

## हाल के अहाजों का निर्माण

दुसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में पाल से चलने वाले आधुनिक डिजाइनों के अहाज बनाने वालों को महायुता देने के लिए १५ लाख रु० रखा गया है। यह सहायता ऋण के रूप में दी जाएगी। यह सूचना ६ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में परिवहन

और मंचार मन्त्री, डा० पी० मुन्बारायन ने दी। उन्होंने बताया कि ऋण देने की शर्तों, नियम आदि तैयार किए जा रहे हैं।

इसके लिए नीपड़ हो नोमेना का एक विनोजन नियुक्त किया जाने वाला है जो पाल के अहाजों के नया जो काज करेगा और उनके डिजाइन-आदि के बारे में गिनिक मलाह देगा।

## अंशमान आदि द्वीपों से सम्पर्क बढ़ाने का प्रयत्न

अनूपमर में बलकता में पाँटें बन्दर तक मगताह में एक बार हवाई अहाज चला करेगा। मदन भंजन और पाने में अधिक सुविधा है, इसके लिए लक्षद्वीप, मिनीकाय और अमीनद्वीप में यंत्रा के तार के ६ केन्द्र भी गलि गये हैं।

बलकता में कार-निकांवार तक मगताह में एक बार डाक केन्द्र जो हवाई अहाज आता है, वह अब पाँटें बन्दर भी जाया करेगा। मगताह में देग में लक्षद्वीप, मिनीकाय और अमीनद्वीप की यात्रा के लिए एक अहाज भी चलाया है। इस अहाज का कुल वजन ७११ टन और खपत १० मयूरी मील (१ मयूरी मील—६,०८० फुट) प्रति घंटा है। द्वीपों के बीच की यात्रा के लिए जो नावें चलती हैं, उनकी मर्या बड़ाई गई है। इन उपायों से भारत के इन द्वीपों में सम्पर्क बढ़ेगा और इनके विकास में भी मदद मिलेगी।

## फ्रांसीसी विमान की दुर्घटना

पिछले महाने की २३ तारीख को एक फ्रांसीसी विमान वाराणसी के हवाई अड्डे पर टकरा गया था। इस निजी विमान में ३ फ्रांसीसी नागरिक यात्रा कर रहे थे। विमान के अवशेषों में ४२१५ टोले के १३ सोने के टुकड़े मिले। इस सोने का मूल्य ५४,००० रु० होता है। इसके अलावा एक नालम और कुछ मामूली आभूषण भी मिले।

यह सूचना विल उषमश्री, श्री बलिराम भगत ने एक प्रश्न के उत्तर में १२ अप्रैल को राज्यसभा में दी।

उषमश्री ने बताया कि तीनों फ्रांसीसी पेरिस से कराची होते हुए पालम पहुंचे थे। उनके कागजों से पता चलता है कि वे कलकत्ता

और हांगकांग होते हुए टोकियो जा रहे थे। इस बात की जांच की जा रही है कि इनकी यात्रा का वास्तविक उद्देश्य क्या था।

## रेलों द्वारा बुक किए हुए कोयले का इस्तेमाल

रेल उपमन्त्री श्री सलेम बंकटपा रामस्वामी ने ९ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि अगर कभी रेलों के पास कोयला खतम हो जाता है तो वे बुक किया हुआ कोयला ही अपने इस्तेमाल में ले लेती हैं। जब भी ऐसा किया गया है तभी कोयला कंट्रोलर की ओर जिसके नाम कोयला बुक है, उसको तार द्वारा इनकी सूचना दे दी जाती रही है। श्री रामस्वामी ने इस बात की पुष्टि की कि उत्तर रेलवे के क्षेत्र में काज का सामान बनाने वाले कुछ कारखानों के नाम एक बार ३० वेंगन कोयला बुक हुआ था जो रास्ते में रेलों ने अपने काम में ले लिया था।

अन्य कुछ प्रश्नों के उत्तर में रेल उपमन्त्री ने बताया कि ऐसी हालत में अगर किसी ऐसे कारखाने के बन्द हो जाने का भय हो जिसके नाम वह कोयला बुक हो तो कोयला कंट्रोलर अन्य किसी प्रकार उस कारखाने को कोयला भिजवाने की व्यवस्था कर देता है। जहाँ तक सम्भव हो, रेलें भी ऐसे कारखानों को अपने पास में कोयला दे देती हैं। श्री रामस्वामी ने कहा कि इस स्थिति को सुधारने के लिए रेलें अपने वास्ते अधिक कोयला मंगा रहीं हैं।

## दिल्ली के पास माल डिब्बों का नया कारखाना

रेल सामग्री मण्डल की सिफारिश पर नयी दिल्ली के मेसर्स हिन्दुस्तान जनरल इडस्ट्रीज की माल-डिब्बे बनाने की अनुमति दी गई थी। इस कम्पनी ने दिल्ली के पास नागलोई में कारखाना खडा किया है। अभी तक इन्हे १०० मी आर. किस्म के माल-डिब्बों का आजमाइशी आर्डर दिया गया है पर अभी कोई डिब्बा सप्लाई नहीं किया गया है। आग है कारखाना जल्दी हो चालू हो जाएगा।

यह सूचना रेल उपमन्त्री, श्री वाह नवाज खा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में १३ अप्रैल को लोकसभा में दी।



## चित्तरंजन रेल कारखाने के कर्मचारियों को प्रोत्साहन बोनस

चित्तरंजन कारखाने के उन मजदूरों और चार्जमैन तक के स्तर के सुपरवाइजरी को, जो इन्हें बनाने के काम में लगे हुए हैं, प्रोत्साहन के लिए बोनस दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत मजदूरों के मूल वेतन का आधा तक दिया जाता है।

यह सूचना रेल उपमन्त्री, श्री शाहनवाज खां ने १ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

श्री खां ने बताया कि दिसम्बर १९५९ में मजदूरों को कुल ८९ हजार ६० का ऐंसा बोनस दिया गया, जबकि इस योजना के अन्तर्गत आने वाले मजदूरों का कुल मूल वेतन २,२४,००० ६० बैठता है।

## राजमण्ड्री से सामलकोट तक दोहरी रेल-लाइन

दोहरी पञ्चवर्षीय योजना में दक्षिण रेल के राजमण्ड्री-वाल्टेयर संवेगन पर राजमण्ड्री की द्वारपुडी होते हुए सामलकोट तक की ३१.२५ मील लम्बी लाइन का दोहरीकरण का निश्चय किया गया था। यह सूचना देते समय रेल उपमन्त्री, श्री मलेम वेदवत्सा रामस्वामी ने ६ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि राजमण्ड्री से द्वारपुडी तक की १२.५ मील लम्बी लाइन को दोहरीकरण के ८३ प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। द्वारपुडी से सामलकोट तक की लाइन का काम शुरू हो गया है।

## केन्द्रीय सरकार का रेल-पुलिस पर व्यय

लोकसभा में रेल उपमन्त्री, श्री मलेम वेदवत्सा रामस्वामी ने एक प्रश्न के उत्तर में ९ अप्रैल को बताया कि राज्य सरकार के अधीन मरकाठी रेलवे पुलिस, केन्द्रीय रेल मन्त्रालय में ड्यूटेन पर नहीं है। फिर भी रेल मन्त्रालय में १९५९-६० में 'आर्डर ड्यूटी' के लिए ९४ लाख ६० दिए। 'आर्डर ड्यूटी' (कादम पुलिस) का खर्च राज्य सरकारों में ब्यय उठाया।

## रेल मन्त्रालय के अनुसंधान कार्यालय शिमला जाएंगे

रेल मन्त्रालय के अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन के दिल्ली और चित्तरंजन स्थित कार्यालयों को शिमला भेजा जा रहा है। चित्तरंजन का नवधा कार्यालय फिलहाल वहीं रहेगा। अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन के दिल्ली कार्यालय की कुछ शाखाओं का काम बन्द हो गया है। २५ अप्रैल तक पूरा कार्यालय शिमला पहुंच जाने की आशा है।

## रेलगाड़ी में आकाशवाणी संगीत तथा समाचार

नयी दिल्ली से भद्राम जाने वाली वातानुकूलित एक्सप्रेस रेलगाड़ी में प्रयोग के तौर पर रेडियो से संगीत और समाचार सुनाने का प्रबन्ध किया गया है। यह संगीत और समाचार केवल वातानुकूलित सवारी डिब्बों और खाने के डिब्बे में ही सुने जा सकते हैं।

## नदी योजनाएं और बिजली

### नवी घाटी योजनाओं के खर्च में किरफायत

सिवाई और बिजली उपमन्त्री, श्री जयमुख लाल हाथी ने ६ अप्रैल को लोकसभा में बताया कि नागार्जुनसागर, भावडा-नगल और होराकुड नदी-घाटी योजनाओं के निर्माण खर्च में काफ़ी किरफायत की गई है।

श्री हाथी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सदन की मेज पर एक वक्तव्य रखा, जिस में बताया गया है कि नागार्जुनसागर योजना में ३ करोड़ ५२ लाख ६०, भावडा-नगल योजना (भावलडा बांध) में ४ करोड़ १२ लाख ६० और होराकुड बांध योजना में मवा करोड़ ६० की बचत की गई है।

नागार्जुनसागर योजना के निर्माण में कक्रीट की जगह सीमेंट-गारे की चिनाई की गई, जिगरे १ करोड़ २६ लाख ६० की बचत हुई। होराकुड बांध योजना में भी कुछ मुख्य रथानों

अभी यह प्रबन्ध केवल एक वातानुकूलित रेलगाड़ी में किया गया है। यह हर मिनट को नयी दिल्ली से भद्राम को और हर सोमवार को भद्राम से नयी दिल्ली को खला होती है। यही रेलगाड़ी हर बुवार को नयी दिल्ली से 'हावडा' और हर शुकवार को 'हावडा' से वापस नयी दिल्ली के लिए खला होती है।

## मध्य रेलवे में खुले स्कूल

रेल उपमन्त्री, श्री शाहनवाज खां ने ११ अप्रैल को लोकसभा में प्रश्नोत्तर के समय बताया कि मध्य रेलवे ५५ स्थानों पर खुले स्कूल चला रही है। इन स्कूलों पर लगभग १६,५०० ६० सालाना खर्च होता है और यह खर्च कर्मचारी हितकारी कोष से दिया जाता है।

उन्होंने बताया कि अन्य रेलों से भी कहा गया है कि वे अपने कर्मचारी हितकारी कोषों की समितियों को भी इसी प्रकार के स्कूल चलाने की सलाह दें।

पर कक्रीट की जगह सीमेंट-गारा लगाया गया, जिससे सवा करोड़ ६० की बचत हुई। नागार्जुनसागर बांध में केरी के उपयोग और माण डोने के माथनों आदि में भी किरफायत की गई।

भावलडा बांध के निर्माण में इजनों, गाड़ियों आदि की बजाय तारों और पेटियों आदि के सहारे माल की ढुलाई हुई, जिससे १ करोड़ ६७ लाख ६० की बचत हुई। सीमेंट में किरफायत करने से ५६ लाख ६० की बचत की गई।

## शरावती घाटी योजना की प्रगति

सिवाई और बिजली उपमन्त्री, श्री जयमुख लाल हाथी ने १ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि आशा है, मंसूर की शरावती घाटी योजना का पहला चरण दिसम्बर १९६२ तक पूरा हो जाएगा। श्री हाथी ने सदन की मेज पर एक वक्तव्य रखा जिसमें बताया गया है कि शरावती घाटी योजना का निम्नलिखित निर्माण कार्य

राही चुका है :—

लिंगमचकी का मुरम बाप : पानी नैकालने के लिए बाप के बाईं ओर ६०० फुट और दाईं ओर १८९ फुट लम्बी लकीर बन चुकी है। जर्मनी की एटार्ड आदि में रही है।

तला बलाले बाप . निनारे की दांवारें विज के जवर १० म २० फुट तक चिनी जा रही है। पानी निनारालने की मेलरी बा निर्माण में अंतो पर है।

लिंगमचकी बाप में मलामी तक मुरम नाने के लिए गुदाईं ही रही है।

### हिमाचल प्रदेश में बिजली लगाने की योजनाएं

**केंद्रीय निचाई और बिजली उपपनी.**  
श्री जयनुजलाल हाथी ने ९ अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में बिजली लगाने की योजनाओं के बारे में लॉकमनमो में निम्नलिखित बयान दिया

मिरमूर जिले में नाहन-नावटा घाटी और नावटा-मिनस तथा रेनुवा तहसील के देहली इलाके में बिजली लगाने की दो योजनाएं हैं। नाहन-नावटा घाटी में बिजली लगाने का काम प्रायः पूरा हो गया है। अनुमान है कि जून १९६० तक मवेम आधिनारी गांव गिलाई तक बिजली के तार लगा दिए जाएंगे। इनके साथ ही इस योजना के खान-गाम काम पूरे हो जाएंगे। बाघ लाइन लगाना काम भी जारी है। आशा है कि इस योजना में शामिल सब गांवों तक मार्च १९६१ तक बिजली पहुंच जाएगी।

तिरुमा और आमगाम के क्षेत्र में बिजली लै जाने पर योजना आयोग की मजूरी मिल गई है। इस योजना के लिए खपया मजूर करने के वास्ते हिमाचल प्रदेश कार्रवाई कर रहा है। आवश्यक कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद काम शुरू हो जाएगा। आशा है कि मार्च १९६१ के अंत तक इस योजना का अधिकार काम पूरा हो जाएगा।

भाखड़ा-नगल से नाहन को १९५६ में, पावटा को १९५८ में, मिरमूर जिले के निहालगढ़, कोठार, माजरा आदि को १९५९ में बिजली मिली। पावटा-मिनस की योजना के अंतर्गत पटसन, कमराहू और देदाहू में बिजली लगाई जा चुकी है। भदल में अक्तूबर, १९६० तक बिजली लगाने की आशा है।

## खाद्य और कृषि

### १९५६-६० में सनई की पैदावार

स १९५९-६० में सनई की पैदावार में १ हजार टन की कमी होगी। चाण्ड बरों में अंतिम प्राचलन के अनुसार सनई की मंत्री का खचा ८ लाख ३३ हजार एकड़ और फमल ८० हजार टन हैं, मगोयित आनिम प्राचलन ८,०७,००० एकड़ और ३१,००० टन का था। प्राचलन के अनुसार १९५९-६० में मंत्री के खच में ७ हजार एकड़ की वृद्धि (०७ प्रतिशत) और सनई के उत्पादन में १,००० टन (१२ प्रतिशत) कमी होगी। ये आकड़े पाठ और कृषि मन्त्रालय के अर्थ और अब निदेशालय की एक विज्ञिति में दिए गए हैं।

सनई की मंत्री के खच में वृद्धि मुख्यतः मध्य प्रदेश और बिहार में हुई। उपज में यह वृद्धि कुछ तो बुवाई के समय अच्छे मौसम तथा कुछ सनई के भाव बढ़ जाने के कारण हुई। बम्बई में सनई की मंत्री का खचा कुछ घटा।

उत्तर प्रदेश में सनई की उपज में जो कमी हुई है, उसका कारण यह है कि उनके कुछ जिलों में अत्यधिक वर्षा हुई और कुछ में सूखा पड़ा। बिहार राज्य में उपज अधिक होने के कारण यह कमी कुछ हद तक पूरी हो गई है।

### भूमि अधिग्रहण और विकास योजना के अंतर्गत राज्यों की श्रेण्य

**केंद्रीय निर्माण, आवाग और पूंति मन्त्रालय** की भूमि अधिग्रहण और विकास योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने सात राज्यों को ३८ लाख ६० के ऋण देना स्वीकार किया है। इस राशि में से आंध्र प्रदेश को ३,२५,००० ६०, बम्बई को १५,००,००० ६०, मद्रास को ४,२५,००० ६०, मंरूर को २,२०,००० ६०, उड़ीसा को ६,००,००० ६०, पंजाब को ३,७०,००० ६० और उत्तर प्रदेश को १,००,००० ६० का ऋण दिया जाएगा। यह ऋण १० किस्तों में अदा किया जाएगा और इस पर ४ प्रशत की दर से ब्याज होगा।

### क्या आप जानते हैं ?

#### पटसन का उत्पादन

● जनवरी में नितम्बर १९५९ की अवधि में-इंडियन जूट मिल म् एमॉसिएदान की सदस्य मिलों ने पटसन का ७,८२,००० टन माल तैयार किया।

● इगो अवधि में ६,७५,३६६ टन माल विदेशों को भेजा गया। इनमें ८४ करोड़ ६७ लाख ६० की विदेशों मद्रा कमायी गयी। १९५८ की इगो अवधि में ६,१४,३३७ टन माल के निर्यात में लगभग ८० करोड़ ६० की विदेशों मद्रा प्राप्त हुई थी।

● पटसन का माल खरीदने वाले देशों में जोरदार प्रचार करने के लिए भारत सरकार ने इंडियन जूट मिल म् एमॉसिएदान को १९५९-६० में १२५ लाख ६० की सहायता दी।

● भारत, पटसन की फसल के जुलाई १९५८ से जून १९५९ के साल में पहली बार कच्चे पटसन को पैदावार में आरम्भित हुआ। इस अवधि में पैदावार ६७ लाख ५९ हजार गाठ हुई, जबकि पटसन उद्योग की जरूरत ६५ लाख गाठ की थी।

● जुलाई-जून १९५८-५९ में पाकिस्तान से केवल ३,३०,२०० गाठे कच्चा पाट मगाया गया, जबकि १९५७-५८ को इसी अवधि में ६,७५,००० टन पाट का आयात हुआ था। इस समय पाकिस्तान से केवल पटसन की कतरने, जिनसे अमरीका में कपास बाधने के धैले बन्ते हैं और बहुत बड़िया किस्म का पटसन ही मगाया जाता है।

● वर्षाकि १९५८-५९ में कच्चे पटसन की फसल बहुत बड़िया हुई, इसलिए १० साल बाद १९५९-६० में राज्य व्यापार निगम के जरिये विदेशों को भी इसका कुछ निर्यात किया गया।

● पाट मिलों को आधुनिक ढंग का करने के लिए राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम अब तक २२ कम्पनियों को ४,५५,५८,७६२ ६० के कर्ज की मजूरी दे चुका है।

## चित्तरंजन रेल कारखाने के कर्मचारियों को प्रोत्साहन बीनस

चित्तरंजन कारखाने के उन मजदूरों और चार्जमैन तक के स्तर के सुपरवाइजरों को, जो इंजन बनाने के काम में लगे हुए हैं, प्रोत्साहन के लिए बीनस दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत मजदूरों के मूल वेतन का आधा तक दिया जाता है।

यह सूचना रेल उपमन्त्री, श्री साहनबाज खां ने १ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

श्री खां ने बताया कि दिसम्बर १९५९ में मजदूरों को कुल ८९ हजार ६० का ऐसा बीनस दिया गया, जबकि इस योजना के अंतर्गत आने वाले सब मजदूरों का कुल मूल वेतन २,२४,००० ६० बँटता है।

## राजमण्ड्री से सामलकोट तक दोहरी रेल-लाइन

दोहरी पक्वर्षीय योजना में दक्षिण रेल के राजमण्ड्री-वाल्तेयर मंडलान पर राजमण्ड्री की द्वारपुडी होते हुए सामलकोट तक की ३१.२५ मील लम्बी लाइन को ही दोहरा करने का निश्चय किया गया था। यह सूचना देते समय रेल उपमन्त्री, श्री सलेम बेंकटप्पा रामस्वामी ने ६ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि राजमण्ड्री से द्वारपुडी तक की १२.५ मील लम्बी लाइन को दोहरा करने का ८३ प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। द्वारपुडी से सामलकोट तक की लाइन का काम शुरू हो गया है।

## केन्द्रीय सरकार का रेल-पुलिस पर व्यय

लोहमामा में रेल उपमन्त्री, श्री सलेम बेंकटप्पा रामस्वामी ने एक प्रश्न के उत्तर में ९ अप्रैल को बताया कि राज्य सरकार के अधीन मरकरारी रेलवे पुलिस, केन्द्रीय रेल मन्त्रालय में बँटुटेशन पर नहीं है। फिर भी रेल मन्त्रालय ने १९५९-६० में 'आइर ड्यूटी' के लिए ९४ लाख ६० दिए। 'अपराध की द्यूटी' (क्राइम पुलिस) का गभं राज्य सरकारों ने स्वयं उठाया।

राजकीय कर्मचारी

## रेल मन्त्रालय के अनुसंधान कार्यालय शिमला जायेंगे

रेल मन्त्रालय के अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन के दिल्ली और चित्तरंजन स्थित कार्यालयों की शिमला भेजा जा रहा है। चित्तरंजन का नक्का कार्यालय फिलहाल वहीं रहेगा। अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन के दिल्ली कार्यालय की कुछ शाखाओं का काम बन्द हो गया है। २५ अप्रैल तक पूरा कार्यालय शिमला पहुँच जाने की आशा है।

## रेलगाड़ी में आकाशवाणी संगीत तथा समाचार

नयी दिल्ली से मद्रास जाने वाली वातानुकूलित एक्सप्रेस रेलगाड़ी में प्रयोग के तौर पर रेडियो से संगीत और समाचार सुनाने का प्रबन्ध किया गया है। यह संगीत और मन्नाडार के केवल वातानुकूलित सवारी डिब्बों और खाने के डिब्बे में ही सुने जा सकते हैं।

## नदी योजनाएं और विजली

### नवी घाटी योजनाओं के खर्च में किरफायत

सिंचाई और विजली उपमन्त्री, श्री जयमुख लाल हाथी ने ६ अप्रैल को लोकसभा में बताया कि नागार्जुननागर, भाखड़ा-नगल और हीराकुड नदी-घाटी योजनाओं के निर्माण खर्च में कमी किरफायत की गई है।

श्री हाथी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सदन को भेज पर एक वक्तव्य रखा, जिस में बताया गया है कि नागार्जुननागर योजना में ३ करोड़ ५२ लाख ६०, भाखड़ा-नगल योजना (भाखड़ा बांध) में ४ करोड़ १२ लाख ६० और हीराकुड बांध योजना में मवा करोड़ ६० की बचत की गई है।

नागार्जुननागर योजना के निर्माण में कक्रीट की जगह सीमेंट-नारे की चिनाई की गई, जिससे १ करोड़ २६ लाख ६० की बचत हुई। हीराकुड बांध योजना में भी कुछ मुख्य स्थानों

अभी यह प्रबन्ध केवल एक वातानुकूलित रेलगाड़ी में किया गया है। यह हर गाँव को नयी दिल्ली से मद्रास को और हर सोनार को मद्रास से नयी दिल्ली को खाना हँती है। यही रेलगाड़ी हर बुधवार को नयी दिल्ली से हावड़ा और हर शुक्रवार को हावड़ा से बाम नयी दिल्ली के लिए खाना होती है।

## मध्य रेलवे में तुलु स्कूल

रेल उपमन्त्री, श्री साहनबाज खां ने ११ अप्रैल को लोकसभा में प्रश्नोत्तर के समय बताया कि मध्य रेलवे ५५ स्थानों पर तुलु स्कूल चला रही है। इन स्कूलों पर लगभग १६,५०० ६० मालाना खर्च होता है जो पक्ष खर्च कर्मचारी हितकारी कोष से दिया जाता है।

उन्होंने बताया कि अन्य रेलों से भी कहा गया है कि वे अपने कर्मचारी हितकारी कोष की समितियों को भी इसी प्रकार के स्कूल चलाने की मलाह दें।

पर कक्रीट की जगह सीमेंट-नारा लगाया गया, जिससे मवा करोड़ ६० की बचत हुई। नागार्जुननागर बांध में फौरा के उपयोग और मान डीने के साधनों आदि में भी किरफायत की गई।

भाखड़ा बांध के निर्माण में इन्गो, गाँवियों आदि की बजाय तारों और पेटियों आदि के सहारे माल की दुलाई हुई, जिससे १ करोड़ ६७ लाख ६० की बचत हुई। सीमेंट में किरफायत करने में ५६ लाख ६० की बचत की गई।

## शारावती घाटी योजना की प्रगति

सिंचाई और विजली उपमन्त्री, श्री जयमुख लाल हाथी ने १ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि आशा है, मैसूर की शारावती घाटी योजना का पहला चरण दिसम्बर १९६२ तक पूरा हो जाएगा। श्री हाथी ने सदन को भेज पर एक वक्तव्य रखा जिसमें बताया गया है कि शारावती घाटी योजना का निम्नलिखित निर्माण कार्य

पूरा हो चुका है :-

लिंगमनकी का मुश्न बांध : पानी निबालने के लिए बांध के बाईं ओर ४०० फुट और दाईं ओर १८९ फुट लम्बी मैटली बन चुकी है। जमीन की खुदाई आदि हो रही है।

तला बनाले बांध : बिनारे की दीवारों नीचे के ऊपर १० में २० फुट तक चिनी जा चुकी है। पानी निबालने की मैटली का निर्माण भी खोरी पर है।

लिंगमनकी बांध में मन्दाकी तक सुरंग बनाने के लिए खुदाई हो रही है।

### हिमाचल प्रदेश में बिजली लगाने की योजनाएँ

केन्द्रीय निर्माण और बिजली उपमन्त्री श्री जयमुक्ताल हार्थी ने ६ अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में बिजली लगाने की योजनाओं के बारे में लोकसभा में निम्नलिखित बक्तव्य दिया

मिरमूर जिले में नाहन-शाबटा घाटी और पावटा-मिनस तथा रेणुहा तहसील के देहाली इलाके में बिजली लगाने की दो योजनाएँ हैं। नाहन-शाबटा घाटी में बिजली लगाने का काम प्रायः पूरा हो गया है। अनुमान है कि जून १९६० तक सबसे आगिरी गांव गिलाई तक बिजली के तार लगा दिए जाएंगे। इनके साथ ही इन योजना के सामान्य काम पूरे हो जाएंगे। श्राव त्दान लगाने का काम भी जारी है। आशा है कि इन योजना में मामिल सब गांवों तक मार्च १९६१ तक बिजली पहुंच जाएगी।

दिसमा और आमपाम के क्षेत्र में बिजली ले जाने पर योजना आयोग की मजूरी मिल गई है। इन योजना के लिए खपय मजूर करने के वास्ते हिमाचल प्रदेश कार्रवाई कर रहा है। आवश्यक कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद काम शुरू हो जाएगा। आशा है कि मार्च १९६१ के अंत तक इन योजना का अधिकांश काम पूरा हो जाएगा।

मालझानगल से नाहन की १९५६ में, पावटा की १९५८ में, मिरमूर जिले के निहालगाड, कोलार, मानरा आदि की १९५९ में बिजली मिली। पावटा-मिनस की योजना के अन्तर्गत सदाबन, कसराहू ओर देहाहू में बिजली लगाई जा चुकी है। भदल में अबतुवर, १९६० तक बिजली लग जाने की आशा है।

## खाद्य और कृषि

### १९५६-६० में सतई की पैदावार

स १९५९-६० में सतई की पैदावार में १ हजार टन की कमी होगी। चाणू बाग में अंतिम प्राक्वलन के अनुसार सतई की खेती का खर्चा ८ लाख १३ हजार एकड़ और फसल ८० हजार टन है, संगोपित आंशिक प्राक्वलन ८,०७,००० एकड़ और २१,००० टन का था। प्राक्वलन के अनुसार १९५९-६० में खेती के खर्चे में ७ हजार एकड़ की वृद्धि (०.७ प्रतिशत) और सतई के उत्पादन में १,००० टन (१२ प्रतिशत) कमी होगी। ये आंकड़े गांध और कृषि मन्त्रालय के अर्थ और अब निदेशालय की एच विज्ञानि में दिए गए हैं।

सतई की खेती के खर्चे में वृद्धि मुख्यतः मध्य प्रदेश और बिहार में हुई। उपज में यह वृद्धि कुछ तो खुदाई के समय अच्छे मौसम तथा कुछ सतई के भाव बढ़ जाने के कारण हुई। बम्बई में सतई की खेती का खर्चा कुछ घटा।

उत्तर प्रदेश में सतई की उपज में जो कमी हुई है, उसका कारण यह है कि उसके कुछ जिलों में अत्यधिक वर्षा हुई और कुछ में सूखा पड़ा। बिहार राज्य में उपज अधिक होने के कारण यह कमी कुछ हद तक पूरी हो गई है।

### भूमि अधिग्रहण और विकास योजना के अन्तर्गत राज्यों की श्रेण

केन्द्रीय निर्माण, आवास और प्रति मन्त्रालय की भूमि अधिग्रहण और विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने सात राज्यों को ३८ लाख ६० के ऋण देना स्वीकार किया है। इस राशि में से आंध्र प्रदेश को ३,२५,००० ६०, बम्बई को १,५०,००० ६०, मद्रास को ४,२५,००० ६०, मैसूर को २,२०,००० ६०, उड़ीसा को ६०,००० ६०, पंजाब को २,७०,००० ६० और उत्तर प्रदेश को १,००,००० ६० का ऋण दिया जाएगा। यह ऋण १० किस्तों में अदा किया जाएगा और इस पर ४ प्रशान की दर से ब्याज होगा।

### क्या आप जानते हैं ?

#### पटसन का उत्पादन

● जनवरी से मितम्बर १९५९ की अवधि में इंडियन जूट मिन्स एग्सीसिएशन की सदस्य मिलों ने पटसन का ७,८२,००० टन माल निर्यात किया।

● इसी अवधि में ६,७५,३६६ टन माल विदेशों को भेजा गया। इसमें ८४ करोड़ ६७ लाख ४० की विदेशी मुद्रा कमायी गयी। १९५८ की इसी अवधि में ६,१४,३३७ टन माल के निर्यात में लगभग ८० करोड़ ४० की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी।

● पटसन का माल खरीदने वाले देशों में जोरदार प्रचार करने के लिए भारत सरकार ने इंडियन जूट मिन्स एग्सीसिएशन को १९५९-६० में १२५ लाख ४० की महायाता दी।

● भारत, पटसन की फसल के जुलाई १९५८ में जून १९५९ के माल में पहली बार कच्चे पटसन की पैदावार में आत्मनिर्भर हुआ। इस अवधि में पैदावार ६७ लाख ५९ हजार गाठ हुई, जबकि पटसन उद्योग की जरूरत ६५ लाख गाठ की थी।

● जुलाई-जून १९५८-५९ में पाकिस्तान से केवल ३,३०,२०० गाठें कच्चा पाट मगाया गया, जबकि १९५७-५८ की इसी अवधि में ६,७५,००० टन पाट का आयात हुआ था। इस समय पाकिस्तान से केवल पटसन की कतरने, जिनसे अमरीका में कपास दाघने के पीले बनते हैं और बहुत बढिया किरम का पटसन ही मगाया जाता है।

● क्योंकि १९५८-५९ में कच्चे पटसन की फसल बहुत बढिया हुई, इसलिए १० साल बाद १९५९-६० में राज्य व्यापार निगम के जरिये विदेशों की भी इसका कुछ निर्यात किया गया।

● पाट मिलों की आधुनिक ढंग का करने के लिए राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम अब तक २२ कम्पनियों को ४,५५,५८,७६२ ६० के कर्ज की मजूरी दे चुका है।

## गर्मी में मछलियों के यातायात के लिए रेल के ठण्डे डिब्बे

इस साल गर्मी में मछलियों के यातायात के लिए आजमाइशी तौर पर रेल के ६ ठण्डे डिब्बे चलाये जायेंगे।

इसमें से पहला डिब्बा बम्बई के पास माटंगा में मध्य रेल की गाडी और डिब्बा वर्कसाप में तैयार किया जा रहा है और अप्रैल के अंत तक तैयार हो जाएगा। डिब्बे की बोगिया तो पेर-

म्बूर का सवारी डिब्बा कारखाना तैयार कर रहा है। बाकी नौचि का ढाचा आदि एक गैर-सरकारी फर्म द्वारा तैयार किया जा रहा है। डिब्बों को ठण्डे रखने के यंत्र विदेशों से मंगाए गए हैं।

ये डिब्बे खाद्य और कृषि मन्त्रालय की ओर से बनाए जा रहे हैं और, इसका एक नमूना नयी दिल्ली के विद्वत् कृषि मेले में दिखाया गया था।



## क्षेत्र-सहायकों को ट्रेनिंग : सामुदायिक विकास मन्त्रालय की योजना

सामुदायिक विकास कार्यक्रम में लगे सरकारी, गैर-सरकारी तथा अन्य कार्यकर्ताओं के बीच निकट सम्पर्क रखने के उद्देश्य से ११ क्षेत्र-सहायकों की एक टोली बनाई जाएगी। आरम्भ में यह टोली ६ महीने के लिए बनाई जाएगी।

क्षेत्र-सहायक पद पर ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाएगा, जो ग्रामीण विद्यालयों के स्नातक हों। ये लोग राज्य सरकारी और केन्द्रीय सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय तथा ट्रेनिंग देने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं के बीच सम्पर्क रखें तथा उनके काम का समन्वय करेंगे। इस तरह इन लोगों को गांवों की उन्नति के कामों का प्रत्यक्ष अनुभव भी हो जाएगा।

राज्य सरकार ने गैर-सरकारी संस्थाओं की सहायता से १६ लाख पंचों, ५ लाख युवक नेताओं, ५ लाख महिला कार्यकर्त्रियों, २ लाख पंचायत समितियों या विकास कमेटियों के सदस्यों को विकास खण्ड स्तर पर ट्रेनिंग दे रखी है। इनके अलावा १५ लाख पंचायत मंत्रेदारी भी ट्रेनिंग पा रहे हैं।

क्षेत्र सहायकों की यह छांटोटी-मी टोली गैर-सरकारी संस्थाओं की दैनिक समझौतों को मुदताने में सहायता देगी। यह टोली शिक्षार्थी शिक्षकों में प्रशिक्षार्थियों के बीच भी रहेगी।

राज्यों में पंचायत राज की स्थापना के

बाद गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग का महत्व और भी बढ़ गया है। ग्राम-सुधार और देहाती इलाकों के विकास में पचासवें महत्वपूर्ण योग दे रही है।

## वर्ष का सर्वोत्तम ग्राम सेवक

मैसूर राज्य में चित्रदुर्ग जिले के दवनगीर खण्ड के ग्राम सेवक श्री वी० एस० कर-जिगी को देश का सर्वश्रेष्ठ ग्राम सेवक माना गया है। इसलिए उन्हें इस साल का-राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।

यह पुरस्कार २,५०० रु० का है और सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्री, श्री दे ने ७ अप्रैल को यह पुरस्कार साइकिल तथा राष्ट्रीय प्लान मेविंग सर्टिफिकेट के रूप में श्री करजिगी को दिया।

सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय ने सामुदायिक विकास खण्डों में ग्राम सेवकों और गांव वालों का उत्साह बढ़ाने के लिए पिछले साल से यह अखिल भारतीय पुरस्कार शुरू किया है। इसके अन्तर्गत देश के, राज्य के और जिले के सर्वश्रेष्ठ ग्राम सेवकों को पुरस्कार दिए जाते हैं।

पिछले साल का राष्ट्रीय पुरस्कार आसाम की गारो पहाड़ियों के रेस्लेलाडा विकास खण्ड के ग्राम सेवक को दिया गया था।

राज्यों में जो सबसे अच्छे ग्राम सेवक माने जाते हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ ग्राम सेवक चुना जाता है और उसे यह राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है।

पुरस्कार के लिए केन्द्रशासित क्षेत्रों को एक राज्य माना जाता है। चुनाव एक केन्द्रिय समिति करती है, जिसके सदस्य सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय के सचिव सचिव तथा संसद सदस्य होते हैं।

## वर्ष का सर्वोत्तम गांव

इस साल चित्रदुर्ग जिले (मैसूर राज्य) के दवनगीर खण्ड के अवरगीर गांव को देश में सर्वोत्तम गांव होने के लिए ५ हजार ६० का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। यह गांव अलूर सर्कल में आता है, जिसके ग्राम सेवक को सर्वोत्तम ग्राम सेवक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है।

सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय ने देश, राज्य और जिले भर के सर्वोत्तम गांव को पुरस्कार देने की योजना पिछले साल चलाई थी। गांव वालों को विकास कार्य में ग्राम सेवकों को सक्रिय सहयोग देने की प्रेरणा देने के लिए ही यह योजना चलाई गई है। खेती, पशुपालन, सिंचाई तथा सहकारिता में महत्वपूर्ण कार्य के आधार पर ही सर्वोत्तम गांव का चुनाव किया जाता है।

सर्वोत्तम ग्राम पुरस्कार योजना, ग्राम सेवक पुरस्कार योजना का पूरक है। देश भर में चुने गए सर्वोत्तम गांवों को ५ हजार ६० का पुरस्कार दिया जाता है। इसी प्रकार राज्यों में अगले गांव के लिए हजार-हजार रु० के १५ पुरस्कार हैं तथा जिलों में बाई-बाई सौ रु० के ३३ पुरस्कार हैं।

पुरस्कार का रुपया गांव की पंचायत को दिया जाता है-जो इसे खेती की उन्नति बढ़ाने तथा विकास कार्यक्रमों में खर्च करती है। कि गांवों में पंचायत नहीं है उनके विकास मन्त्रालय को रुपया दिया जाता है।

## सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केन्द्रों के नामों में परिवर्तन

राजपुर (देहरादून) की सामुदायिक विकास शिक्षकों की शिक्षण संस्था—ट्रेनर्स ट्रेनिंग सेटर का नाम अब 'दि इंस्टिट्यूट ऑफ स्टडी फार इंस्ट्रुटर्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट' कर दिया गया है। सामुदायिक विकास मन्त्रालय द्वारा चलाए जाने वाले

ओरिप्टेगन ट्रेनिंग मेम्बरों का नाम भी बदल कर अब 'ओरिप्टेगन ऐन्ड स्टडी मेम्बरों' कर दिया गया है। इन मस्थाओं के नाम, इनके ट्रेनिंग के तरीकों में परिवर्तन किए जाने के कारण बदले गए हैं।



## प्रखिल भारतीय खेल-कूद परिषद की बैठक

नयी दिल्ली में ११ अप्रैल को अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद की बैठक हुई। परिषद ने भारत सरकार ने सिफारिश की है कि राष्ट्रीय खेल-कूद सम्मान (केन्द्रीय प्रशिक्षण मस्थान) पटियाला में खोला जाए। परिषद ने इन मस्थान के स्थान के बारे में सभी बातों

पर विचार करने के यह मुसाल दिया है।

इन बैठक में राजकुमारी अमृतकौर को सर्वसम्मति से परिषद का उपाध्यक्ष चुन लिया गया।

परिषद ने एक प्रस्ताव पाम करके वियतनाम को हरा कर 'रबर' जीतने के उपलक्ष्य में भारत की टेबल टेनिस की टीम को भेजा है। यह मैच भारत में ही हुआ था।

परिषद ने अखिल भारतीय कुश्ती संघ को मान्यता प्रदान करना स्वीकार कर लिया। इस संघ ने जब आवेदनपत्र दिया था, तब उनका नाम इडियस स्टाइल रेसलिंग फेडरेशन था।

आन्ध्र प्रदेश और केरल को राज्य खेल-कूद परिषदों में खेल-कूद सम्बंधी माज-सामान खरीदने के वारंते महायता के लिए जो आवेदन पत्र दिए थे उन पर परिषद ने विचार करने के बाद सिफारिश की कि दोनों अर्जियों को जाच करने और अनुदान की रकम निश्चित करने के लिए राजकुमारी अमृतकौर और श्री एम० एन० कपूर की एक समिति बनाई जाए।

अल इंडिया लान टैनिंस एसोसिएशन को प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना परिषद ने मजूर नहीं की। परिषद का कहना है कि इसी काम के लिए राज कुमारी प्रशिक्षण योजना पर काफी बड़ी धन-राशि खर्च हो रही है, इसलिए दूसरी योजना चलाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, परिषद ने यह परामर्श देने का फैसला किया कि एसोसिएशन, राजकुमारी प्रशिक्षण योजना के संयोजकों से मिल-जुल कर ऐसी योजना बनाए जिसे राजकुमारी योजना के अन्तर्गत नियुक्त प्रशिक्षक ही चलाए।

अल इंडिया लान टैनिंस एसोसिएशन न वार्षिक इष्टर-स्टेट जूनियर चैंपियनशिप आरम्भ करने और १९६० में प्रशिक्षण-सिखिर चलाने के लिए जो अनुदान मांगे थे उस पर भी परिषद ने विचार किया गया। परिषद ने यह सिफारिश की कि प्रशिक्षण-सिखिर पर 'स्वीकार्य' व्यय का ७५ प्रतिशत तक

और जमा पूंजी में मदद्यों की माग पूरी नहीं होगी। अब उन्हें केन्द्रीय महहारी बैंक से ऋण लेना पड़ता है। केन्द्रीय महहारी बैंक, महहारी समितियों के संघ होते हैं और इनका नियंत्रण और प्रबंध ये समितियाँ करती हैं।

● १९५७-५८ के अंत में ४१८ केन्द्रीय महहारी बैंक काम कर रहे थे। इनकी चुकता हिस्सा पूंजी और रक्षित राशि २४ करोड़ ९१ लाख ४० थी। इनके पाम ६६ करोड़ ४० जमा कराया था।

● इन बैंकों ने राज्य महहारी बैंकों और दूसरे बैंकों से ४९ करोड़ ८० लाख ४० कर्ज लिया। राज्य सहकारी बैंक केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सहायता देता है। इस बैंक का नियंत्रण और स्वामित्व अधिकांश में केन्द्रीय बैंकों के हाथ में होता है।

● राज्य सहकारी बैंकों की चुकता पूंजी ११ करोड़ ९२ हजार ४० थी। इनमें ४४ करोड़ ४४ लाख ४० जमा था और इन्होंने ५१ करोड़ ६९ लाख ४० ऋण प्राप्त किया था।

● राज्य सहकारी बैंकों की रिजर्व बैंक ऋण देता है। रिजर्व बैंक राज्य सहकारी संस्थाओं को रियायती दर पर बैंक दर से २ प्रतिशत कम का ऋण देता है। १९५८-५९ में रिजर्व बैंक ने इस प्रकार ७० करोड़ ४० ऋण दिया।

● सहकारी-भूमि-व्यवस्था बैंक लम्बी मियाद के लिए कर्ज देते हैं। १९५७-५८ में १७ भूमि बंधक बैंक थे, जिन्होंने ४ करोड़ ६२ लाख ४० कर्ज दिए।

## क्या आप जानते हैं ? सहकारिता आन्दोलन

● भारत में लगभग ५५ वर्ष पहले सहकारिता आंदोलन का श्रंगारण हुआ था और १९५७-५८ के अंत में महहारी समितियों की संख्या २ लाख ५७ हजार थी। इनके २ करोड़ १० लाख मदय थे। इनकी हिस्सा-पूंजी और रक्षित राशि १८७ करोड़ ४० तथा चालू पूंजी ६९६ करोड़ ४० थी।

● इनमें सबसे महत्वपूर्ण संघों के लिए ऋण देने वाली महहारी समितियाँ थीं, जिनकी संख्या १ लाख ६७ हजार या ६४९ प्रतिशत थी। ये २ लाख ६९ हजार गावाँ में फैली थी।

● अन्य समितियों में अधिक संख्या युनकर तथा औद्योगिक सहकारी समितियों की क्रमशः ९,६०८ और १०,११७ थी। इसके बाद गया सल्लाई समितियों का नम्बर आता है, जो खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में काम कर रही हैं।

● ऋण-ऋण समितियाँ दो प्रकार की होती हैं : (१) पोटे या मध्यम अवधि के लिए, और (२) लम्बी अवधि के लिए कर्ज देती हैं।

● थोड़ी मियाद का ऋण गांव की प्राथमिक सहकारी समितियाँ देती हैं। वे बीज, उर्वरक और खेती के अन्य सामान भी उधार देती हैं। १६ प्रतिशत प्राथमिक परिवार, या १ करोड़ २ लाख लोग इन समितियों के सदस्य हैं।

● प्राथमिक समितियों की अपनी पूंजी



चैम्पियनशिप के लिए ५,००० ₹० तक अनुदान दिया जा सकता है। परिषद ने अमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन आफ इंडिया की भी १८२ ₹० का अनुदान देना स्वीकार किया। यह रकम अमरीकन ट्रेक एण्ड फील्ड टीम की भारत-यात्रा के समय अप्रैल १९५९ में आयोजित खेल-कूद पर किए गए खर्च के सिलसिले में दी गई है।

इस वर्ष अगस्त-सितम्बर में रोम में जो ओलम्पिक खेल-कूद समारोह होने जा रहा है उसके सिलसिले में परिषद ने अपने अध्यक्ष को यह अधिकार दिया कि यदि वह उचित समझे तो ओलम्पिक समारोह में भाग लेने के लिए नेशनल राइफल एसोसिएशन के दो प्रतिनिधियों को भारतीय टीम के साथ भेजने के लिए अनुदान की मजूरी दे सकता है।

राजस्थान राज्य खेल-कूद परिषद ने इस वर्ष मई-जून में कुछ प्रशिक्षण सत्रिबर लगाने की जो योजना विचारारथ भेजी थी, उससे परिषद ने सैद्धान्तिक रूप में महामति प्रकट की।

परिषद की यह बैठक पटियाला महाराज की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

### प्राचीन स्मारकों की देखभाल राज्यों को सौंपी गई

भारत सरकार के ९ अप्रैल के गजट में देश के भिन्न-भिन्न भागों के १०७ प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों की केन्द्र के संरक्षण से मुक्त करने की घोषणा की गई है। राज्य सरकारों अब इन स्मारकों की देखभाल करेगी।

यह निर्णय केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार मंडल की स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार किया गया है। भारत में ऐतिहासिक स्मारक तीन प्रकार के हैं : पहले वे जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और जिनकी देखभाल केन्द्रीय सरकार करती है, दूसरे वे जो मद्रकपूर्ण तो हैं, लेकिन पहली श्रेणी के बराबर नहीं और इनकी देखभाल राज्य सरकारें करती हैं। तीसरे स्मारक स्थानीय महत्व के हैं और इनका प्रबन्ध स्थानीय संस्थाओं के हाथ में है।

भारत सरकार पिछले कुछ समय से इन प्राचीन स्मारकों

वात के लिए प्रयत्नशील है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का प्रबन्ध और अच्छा हो। इस समय ५,००० राष्ट्रीय स्मारक केन्द्रीय सरकार की सूची में हैं। और हर साल इस सूची में नाम बढ़ते रहते हैं। यह सोचा गया कि खास-खास और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की ही केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के अधीन रखने से अधिक अच्छी देखभाल की जा सकेगी और स्मारकों के देश भर में फैले होने के कारण बहुतों का प्रबन्ध राज्य सरकारें ही अच्छी तरह कर सकती हैं।

### केन्द्रीय अनुदान

जिन प्राचीन स्मारकों की राष्ट्रीय सूची में से निकालकर राज्य सरकारों को सौंपा जा रहा है, उनकी मरम्मत और देखभाल के लिए राज्यों का महायत्ता देने का भी विचार चल रहा है।

१९५८ का प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थान तथा अवयोर अधिनियम, १९०४ के इसी तरह के कानून से अधिक कारगर है। नया कानून १५ अक्टूबर, १९५९ से लागू हुआ है और इसके अनुसार देश भर में प्राचीन स्थलों की खूदाई आदि का काम सुनिश्चित ढंग से चल सकेगा। केरल, पश्चिम बंगाल, मसूर, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बम्बई, आसाम और मध्य प्रदेश ने भी अपने-अपने पुरातत्व विभाग स्थापित किए हैं।

केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण से हटाकर जो स्मारक अब राज्य सरकारों की सीपे गए हैं, उनकी देखभाल राज्य सरकारें अपने ही ढंग से करेगी। इसके लिए केन्द्र से भी कुछ सहायता मिलेगी।

### 'गोदान' का अनुवाद

लोनिमा में १४ अप्रैल की एक प्रश्न के उत्तर में केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री, डा० कालूचल श्रीमाली ने बताया कि 'भारत की प्रतिनिधि बलात्कृत शक्तियों का पश्चिमी मायाजों में अनुवाद' करने की मुन्स्को की योजना के अन्तर्गत 'गोदान' का अनुवाद अग्नेजी और फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित होगा। इसका फ्रांसीसी में अनुवाद तैयार हो गया है और छपा रहा है। अग्नेजी में भी अनुवाद पूरा हो गया है और छपना बाकी है।

### आकाशवाणी दिल्ली के लिए प्रस्ताव आकाशवाणी नयी दिल्ली के वाडकारिंग

हाउस में प्रेशागार (आडिटोरियम) बनाया जा रहा है। ३१ मार्च को निर्माण, आवास और पूति मन्त्री, श्री रेड्डी ने नाँव के लिए मिट्टी खोद कर इसके निर्माण का आरम्भ किया। इसमें सूचना और प्रसारण मन्त्री, डा० केशकर ने भी उनका साथ दिया।

यह प्रेशागार ४० फुट ऊँचा तिमजला बनेगा और इसका कुल रकबा ३९,४४१ वर्ग फुट होगा। यह वालानुकूलित होगा और इसके हाल में ६५० व्यक्ति बैठ सकेगे। अगले साल आकाशवाणी की रजत जयन्ती मनाई जाएगी। इससे पहले ही यह प्रेशागार तैयार हो जाएगा।

इसे इस तरह बनाया जाएगा, जिससे इसके टेलिविजन और फिल्मों दिखाई जा सके, समस्त कार्यक्रम किया जा सके और समीत तथा नाटक विभाग के नाटक दिखाए जा सकें।

अब तक आकाशवाणी के समीत सम्प्रेषण, नाटक समारोह आदि धामियाने में होते हैं और इससे काफी दिक्कत होती थी। प्रेशागार बनने से यह दिक्कत दूर हो जाएगी।

### मानव शास्त्र के केन्द्रीय सलाहकार मण्डल की बैठक

नयी दिल्ली में ९ अप्रैल को मानव शास्त्र के केन्द्रीय सलाहकार मंडल की तीसरी बैठक हुई। केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति उपमन्त्री, डा० मनमोहन दास ने बैठक की अध्यक्षता की।

अनुसंधान कार्य बढ़ाने के लिए केन्द्रीय मानव शास्त्र विभाग और विश्वविद्यालयों के सहयोग, आदिमजातियों, विशेषकर दक्षिण भारत की आदिम जातियों पर श्रम तैयार करने आदि विषया पर बैठक में विचार किया गया। बैठक में मानव शास्त्र विभाग के कुछ कार्यक्रमों को बढ़ाने पर भी विचार किया गया।

मानव शास्त्र विभाग, विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों के मानव शास्त्र सम्बन्धी अनुसंधान कार्यों में मेल बैठाने के लिए सलाहकार मंडल बनाया गया था। केन्द्र और राज्य सरकारों की मानव शास्त्र सम्बन्धी समस्याओं के बारे में सलाह देना मंडल का प्रमुख कार्य है।

## राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

वंगला फिल्म 'अपुन गंगार' को १९५९ का सर्वश्रेष्ठ फिल्म माना गया है और इसे राष्ट्रपति का स्वर्ण-पदक मिला है। इस फिल्म के निर्माता को २० हजार ६० और निर्देशक को ५ हजार ६० दिया जाएगा।

बहावांचिच का दूसरा पुरस्कार हिन्दी के 'हीरा मोती' को मिला है और उनके निर्माता को १० हजार ० और निर्देशक को २॥ हजार ० का पुरस्कार मिलेगा। अखिल भारतीय श्रेष्ठज्ञान-पत्र पाने वाला तीसरा फिल्म 'मुद्राती' (हिन्दी) है। ये निर्देशक को राजकीय पुरस्कारों की केन्द्रीय समिति ने रिने है।

प्रतियोगिता में ५९ बहावांचिच, २३ वृत्तचित्र, ११ बालचित्र, ६ निरात्मक चित्र और ५ छोटे चित्र भेजे गये और पहले दून्हे श्रेष्ठोय समितियों ने देया। केन्द्रीय समिति ने १३ बहावांचिच, ४ बालचित्र और ८ वृत्तचित्र देये। इन चित्रों को श्रेष्ठोय समितियों ने छोट कर भेजा था।

मानक सरकार ने इस साल में दो और पुरस्कार शुरू किये हैं। एक १६ मिर्छामीटर के निरात्मक चित्रों के लिए और दूसरा ३५ मिर्छामीटर के छोटे चित्रों के लिए। बच्चों के चित्रों की लम्बाई निश्चित कर दी गई है। ३५ मिर्छामीटर के चित्र अधिक से अधिक ८ हजार फुट और १६ मिर्छामीटर के ३,२०० फुट के होने चाहिए। अंग्रेजों के बालचित्र 'बट मूय' को अखिल भारतीय श्रेष्ठज्ञान-पत्र के लिए चुना गया है। वृत्तचित्रों में यह स्थान 'कबाकर्त्ता' को मिला है और इसके निर्माता को २ हजार ६० और निर्देशक को ५०० ६० तक पुरस्कार दिया जाएगा। 'अपुरासी' वृत्तचित्र को केवल अखिल भारतीय श्रेष्ठज्ञान-पत्र मिलेगा।

श्रेष्ठोय पुरस्कारों के लिए हिन्दी के 'अनाही', अर्नामिका के 'पुत्रावन' तमिल के 'वामपरिचिन्ने', और तेलुगु के 'तम्मिन्न वण्डू' को चुना गया है और 'उन्हे' राष्ट्रपति का रजतपदक दिया जाएगा। बंगला के 'विचारक', तमिल के 'सिरे-पांडिय 'कर्टुडोमन्ने' और 'कल्याण परिवृ', तेलुगु के 'माईष्टि महालक्ष्मी' और 'अय भेरी', कन्नड़ के 'सगत ज्योति वसुधेस्वर' और मल-यालम के 'चतुरंगम' को श्रेष्ठज्ञान-पत्र मिलेगा।

जिम केन्द्रीय समिति की मिकारिसा पर भारत सरकार ने इन पुरस्कारों की घोषणा की है, उनसे अथवा डा० के० यो० भल्ला के और इस समिति की बैठकों नयी दिल्ली में २३ मार्च में २ अप्रैल, १९६० तक हुईं। इनमें ५० घंटों तक चित्र देये।

## बपाई और डिजाइनों के लिए राजकीय पुरस्कारों के नियम

पुरस्कारों और दूसरों प्रकाशन सामग्रियों को अच्छी छापाई और डिजाइन आदि को प्रोत्साहन देने के लिए इतर कुछ सालों में जो राजकीय पुरस्कार शुरू किए गए हैं, उनके नियम केन्द्रीय सूचना तथा प्रचारण मन्त्रालय में प्रकाशित किए हैं।

नियमों में, जो अभी लागू हो रहे हैं, दो इनाम और एक श्रेष्ठज्ञान या प्रमाण-पत्र देने की व्यवस्था की गई है। पहला पुरस्कार ताग्र-पत्र होगा, जिसे पर बादा की बलई चढ़ी होगी, राज्य-चिन्ह 'सत्यमेव जयते', पुरस्कार का विवरण तथा पुरस्कार पाने वाले का नाम अखित होगा। दूसरा पुरस्कार भी ताग्र-पत्र ही होगा, लेकिन इनाम आकार पहले पुरस्कार में छोटा होगा। इस पर भी पहले पुरस्कार की ही भांति लिखा होगा। श्रेष्ठज्ञान-पत्र मोटे कागज पर होगा और इस पर कोई सिलता हुआ डिजाइन और पुरस्कार का विवरण दिया होगा।

पुरस्कार हम नामश्री पर दिए जाएंगे अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं की बच्चों की मन्त्रिण तथा अन्य कला-मुक्तकों, भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी के समाचार-पत्र, विज्ञापन, कला-पत्रिकाएँ और यापिक पत्रिकाएँ, मसवात्राओं की पत्रिकाएँ, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं की पत्रिकाएँ (बाँकिक पत्रिकाएँ नहीं), इतिहास, फोल्डर (आफसेट कंट्रोलेण्डियर और लेटरप्रेस), डायरिया (देवनागरी), टाइप फॉन्ट, प्रचार-पत्रिकाएँ, लेखिल, सजिवदे पुस्तकें, पंकेजिंग और दुकातों के काउन्टर पर सजाने की चीजें।

सरकारने इच्छालुभार इनमें से किसी भी चीज को निम्नलिखित भी सकती है। उसी सामग्री पर इनाम मिल सकेगा, जिसका सारा डिजाइन भारत में बना हो और छापाई आदि भी भारत में ही हुई हो।

पुरस्कारों का निर्णय छनाई उद्योग, विज्ञान-पत्रदाताओं, कलाकारों और प्रकाशकों के प्रतिनिधियों की एक समिति करेगी। इस समिति के सदस्यों और अध्यक्ष को सरकार नामय करेगी। समिति के सदस्य अवैतनिक होंगे और पुरस्कार का निर्णय करने के लिए कार्यविधि समिति ही तय करेगी।

## माध्यमिक शिक्षा के सुधारों पर अध्यापकों की राय

देश भर में माध्यमिक शिक्षा में जो सुधार किए जा रहे हैं, पाच प्रमुख अध्यापकों ने उन्हें बहुत उपयोगी बताया है। ये अध्यापक बनारस, दिल्ली, कृच-बिहार, चन्नगर और प० बंगाल के हैं। हाल में शिक्षा मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका, 'न्यून पैटर्न आफ सेक्रेण्टरी एजूकेशन' में इन अध्यापकों के माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अनुभव और विचार दिए गए हैं।

एक अध्यापक ने कहा है कि पाठ्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए, जिससे वैकल्पिक विषयों में पढाने के लिए अधिक समय मिल सके। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि जो विद्यार्थी भाषाओं में फौज होने हैं, पर अपने चुने हुए विषयों में अच्छे हैं, उन्हें व्यवसाय शिक्षाने के लिए पॉलिटेक्निक स्कूल भेजे जाए।

एक अन्य अध्यापक ने पाठ्यक्रम को सरल बनाने का सुझाव दिया है। एक तीसरे अध्यापक का मत है कि स्कूलों में ऐसे विद्यार्थी तैयार करने की आवश्यकता है, जो समाज के लिए उपयोगी हों।

अध्यापकों ने छात्रों की अनुशासनहीनता दूर करने और शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के बारे में भी सुझाव दिए हैं।

## विदेशी सांस्कृतिक प्रतिनिधि मण्डल

अगस्त १९५९ से अब तक विदेशों से ७ सांस्कृतिक प्रतिनिधि मण्डल भारत आए। इनमें से ३ मण्डल यूरोपेलीयों से और १-३ उत्तरी वियतनाम, रुमानिया, पूर्व जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया से आए। यह सूचना ११ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति उपमन्त्री, डा० मनमोहनदास ने दी।



उन्होंने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि १९५९ में ९ सांस्कृतिक प्रतिनिधि मण्डल विदेशों को भेजे गए। इनमें से ६ मण्डलों को सरकार ने भेजा और ३ को सरकार ने विदेश जानें के लिए मदद दी। ये मण्डल अफगानिस्तान, बेल्जियम, जापान, नेपाल, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, रूस, यूगोस्लाविया, पोलैंड और रूमानिया गए।

### विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए कम से कम उम्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निश्चय किया है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों का उम्र कम से कम १७ साल की होनी चाहिए। किन्तु तुरन्त ही यह नियम लागू नहीं किया जा सकता, अतः आयोग ने विश्वविद्यालयों को यह सुझाव देने का निश्चय किया कि फिलहाल डिग्री कक्षाओं में १६ से कम की उम्र के छात्रों को भर्ती न किया जाए।

यह सूचना १२ अप्रैल को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री, डा० कान्हाल श्रीमाली ने एक बख्श में दा। बख्श में कहा गया है कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए कम से कम उम्र निर्धारित करने का मुख्य कारण यह है कि अधिकांश विश्वविद्यालय इतनी छोटी आयु के छात्रों को प्रविष्ट कर लेते हैं जिनका काफ़ी बौद्धिक विकास नहीं हुआ होता और जो उच्च शिक्षा का भी फायदा नहीं उठा पाते।

अधिकांश विश्वविद्यालयों ने कुछ निम्न पाठ्यक्रम के अलावा प्रवेश के लिए कोई अधिकतम या न्यूनतम उम्र निर्धारित नहीं कर रखा है। डा० श्रीमाली ने कहा कि विश्वविद्यालय से पहले ११ वर्ष तक की शिक्षा को याचना बन जानें के बाद उच्च शिक्षा से कोई बहिर्दाई पैदा नहीं होगी।

विदेशी छात्रों को हिन्दी की छात्रवृत्तियाँ  
एक प्रश्न के उत्तर में श्रीमाली ने १४ अप्रैल को डा० श्रीमाली ने बताया कि १९ विदेशी छात्रों को भारत में हिन्दी का अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियाँ दी गयीं हैं। इनमें दो स्त्री छात्र हैं।

### बहरों की शिक्षा

विश्वविद्यालयों की शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय मलाहकार परिषद ने देश में बहरों की शिक्षा का एक बड़ा केन्द्र स्थापित करने का योजना पर हाल में ही विचार किया था। यह योजना एक विशेष समिति ने तैयार की थी।

यह सूचना १२ अप्रैल को राज्यसभा में, शिक्षा मंत्री, डा० कान्हाल श्रीमाली ने एक प्रश्न के उत्तर में दी।

मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि भारत सरकार ने समाज सेवो सगठनों से भी बहरों की शिक्षा और चिकित्सा केन्द्र खोलने के लिए भी सरकारी सहायता देने के वास्ते अजिया मागी थी। हमारे पास अभी तक कोई उपयुक्त प्रार्थना नहीं आई है।

### साहित्य सेवियों की सहायता

लोकसभा में १४ अप्रैल को एक प्रश्न के उत्तर में वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मंत्री, श्री हुमायूँ कबीर ने बताया कि १९५८-५९ में 'साहित्य, कला और जीवन के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में प्रसिद्ध लोगों को गरीबों की हालत में वित्तीय सहायता देने' की योजना के अधीन १०७ लेखकों को सरकारी मदद दी गई है। इनमें से आठ हिन्दी के लेखक हैं।



### दिल का आपरेशन

कांगपुर के एक टाक्टर ने एक कुत्ते के दिल की गति २७ मिनट तक रोक कर सफलतापूर्वक दिल का आपरेशन किया। यह सूचना ६ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री, श्री कश्यपकर ने दी।

उन्होंने बताया कि देश में अनेक शहरों में आपरेशन के लिए कुछ समय तक दिल को गति रोकने के प्रयोग किए जा रहे हैं। बम्बई

फिल्म डिवीजन के कर्मचारियों पर इनका सूचना और प्रसारण मंत्री, डा० बांलूभट्ट विश्वनाथ केसकर ने १२ अप्रैल को लोकसभा में बताया कि यह सच है कि अमुदर के स्वर्ण मंदिर में फोटो लेते समय फ़िल्म डिवीजन के कर्मचारियों पर कुछ लोगों ने हमला किया। फ़िल्म डिवीजन के कर्मचारियों के पास फोटो लेने की अनुमति थी।

मंत्री महोदय ने बताया कि पंजाब सरकार ने सूचना दी है कि भारतीय दण्ड संहिता की ४३५/४२७ की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले की जांच हो रही है।

मंत्री महोदय ने यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में दी।

### विश्वविद्यालयों को दक्षिण भारतीय भाषाएँ पढ़ाने के लिए अनुदान

लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में १४ अप्रैल को केन्द्रीय शिक्षा मंत्री, डा० कान्हाल श्रीमाली ने बताया कि उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में दक्षिण भारतीय भाषाओं के अध्ययन की प्रोत्साहन देने की योजना को कार्यान्वित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने १९५९-६० वर्ष के दौरान दिल्ली और अलीगढ़ विश्वविद्यालयों को भी ५९,६५० रु० की आवृत्ति और अनायास राशि दी।

योर बेल्लोर में तो मनुष्यों पर भी प्रयोग किए गए हैं।

### खून का जमना रोकने की दवा

पूना की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला में मामूली उपकरणों से पून पून जमना रोकने का एक रासायनिक पदार्थ तैयार किया है। इस रासायनिक पदार्थ का नाम 'अन्टा-क्रिसोसो क्यूमरीन' है। पून के जमने और इन्फेक्ट गॉट पड़ने से हृदय रोग हो जाते हैं। यह

तरह के पदार्थों से बहुतेरे हृदय रोगियों को जीवन-दान मिला है। यह पदार्थ चूहे मारने को दबाए बनाने में भी काम आता है।

## क्या आप जानते हैं ?

### भारत में तपेदिक की स्थिति

● राष्ट्रीय तपेदिक पड़ताल विभाग की जाच में पता चलता है कि देश के ५० लाख व्यक्ति (कुल जनसंख्या का १.३ प्रतिशत) फेफड़े की तपेदिक के रोगी हैं। इनमें लगभग १५ लाख (०.४ प्रतिशत) रोगी ऐसे हैं, जिनकी छूट में दूसरों को रोग लग सकता है।

● यह भी पता चला है कि तपेदिक छांटो उम्र के लोगों में कम और बड़ी उम्र के लोगों में अधिक है। यह रोग पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में कम पाया गया है। राम तीर में बड़ी उम्र के रोगियों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम है।

● पहले मकानों की अपेक्षा कच्चे मकानों में रहने वालों को तपेदिक अधिक होती है, अर्थात् गरीबों को यह रोग अधिक होता है और शहरों और बस्तियों की तुलना में गांवों में तपेदिक कुछ कम अवश्य है, पर प्रायः अंतर नहीं।


● यह पड़ताल भारतीय चिकित्सा-अनुसंधान परिषद की उपमिति में कराई है, भारत सरकार के तपेदिक-मलाहकार डा० पी० बी० बेंजामिन इसके अध्यक्ष हैं। यह पड़ताल १९५५ में आरम्भ की गई थी और १९५८ में समाप्त हुई।

● यह पड़ताल केवल फेफड़े की तपेदिक के बारे में की गई, क्योंकि यह ज्यादा छुतही और खतरनाक होती है।

● पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल के चुने हुए शहरों और गांवों में विभिन्न श्रेणियों के लोगों की जाच की गई। इसमें ६ शहरों, ३० बस्तियों और १५१ गांवों के लगभग ३ लाख लोगों की परीक्षा की गई।

● सब का काम नयी दिल्ली, पटना, हैदराबाद और तिरुवनन्तपुरम् के तपेदिक केन्द्रों, कलकत्ते के हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ इन्स्टीट्यूट और यू० एम० टी० संतोरी-हेल्थ, मदनमल्ला (आंध्र प्रदेश) को सौंपा गया था।

● इस पड़ताल में ५ लाख से छोटे बच्चों को छांट कर बाकी सभी लोगों का एक-दर-एक जाच किया गया और जिनमें रोग होने की संभावना थी उनके मन, फेफड़े आदि की भी जांच का गई।



### पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को रिप्रायत

केन्द्रीय सरकार के हाल के निश्चय के अनुसार, पूर्वी पाकिस्तान में आए हुए ८ लाख में अधिक विस्थापितों को गुजारे के लिए जो ऋण दिया गया था, उसे सहायता मान लिया गया है। इस ऋण को राशि ५॥ करोड़ रु० है।

सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों के बच्चों के लिए शिक्षा सत्यापन खोलने के लिए राज्य सरकारों को जो ऋण दिया गया था, उसे भी अनुदान मान लिया जाएगा। गैर-सरकारी शिक्षा सस्थाओं की स्कूलों की इमारतें आदि बनाने के लिए जो ऋण दिया गया था, उसमें छूट देने के लिए प्रत्येक मामले पर अलग से विचार होगा। सस्था की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ऋण में छूट दी जाएगी। इन ऋणों में से सरकार ने १ करोड़ रु० का ऋण माफ करने का निश्चय किया है।

सरकार ने विस्थापितों को मकान बनाने, कृषि और व्यापार के लिए ऋण देने के नियमों को और ढीला करने का निश्चय किया है। इस निश्चय के अनुसार व्यापार के लिए जो ऋण दिए गए हैं, उनकी अदायगी १० साल में और खेती तथा मकान बनाने के लिए जो ऋण

दिए गए हैं, उनकी अदायगी २० साल में करने की छूट दी जाएगी। पहले ये ऋण ६ से १० साल तक में चुकाने होते थे।

### शहरी विस्थापितों को मकान के मामले में छूट

पंजाब के शहरों में पश्चिम पाकिस्तान के जिन विस्थापितों के पास निष्क्रान्तों के मकान हैं, उन्हें भारत सरकार ने छूट देने का निर्णय किया है। इस छूट से उन विस्थापितों को लाभ पहुंचेगा जिन्हें गांवों में जमीन अलाट की गई है, परन्तु शहरों में जिनके पास निष्क्रान्तों के मकान हैं।

जिन्हें १० एकड़ तक जमीन अलाट की गई है उन्हें ८०० रु०, जिन्हें १० से ५० एकड़ तक जमीन अलाट की गई है, उन्हें १,२०० रु० और जिन्हें ५० एकड़ से अधिक जमीन अलाट की गई है, उन्हें १,५०० रु० की छूट दी जाएगी।

इस पांचवारे के अमल में आने से निष्क्रान्तों के मकानों का मूल्य बमूल्य करने में विस्थापितों को कुल ३५ लाख रु० की छूट मिलेगी।

### पिछला इतिहास

भारत विभाजन के बाद पश्चिम पंजाब से जो विस्थापित पंजाब और भूतपूर्व पेंसुप राज्य में आए थे उन्हें वहाँ एक योजना के अंतर्गत जमीन दी गई थी। इस योजना के अंतर्गत वहाँ ५० पंजाब से आए किसानों को खेती योग्य जमीन और मकान दिए गए। जिन्हें मकान नहीं दिए जा सके, उन्हें गांवों में ही मकान के लिए जमीन और कुछ अनुदान दिया गया। परन्तु कुछ विस्थापितों ने निकट के शहरों में निष्क्रान्तों के मकानों पर कब्जा कर लिया। बाद में उन्होंने निवेदन किया कि ये मकान उन निष्क्रान्तों के हैं, जिनकी निकट के गांवों में जमीन थी, इसलिए अब उन्हें (विस्थापितों) ही गांव की मकान योग्य जमीन के बदले में मकान अलाट कर दिए जाए।

सरकार ने इस पर विचार किया और निर्णय किया कि जिन विस्थापितों को गांवों में मकान या मकान बनाने योग्य जमीन और अनुदान नहीं दिया गया, उन्हें शहरों में निष्क्रान्तों के मकान दे दिए जाए, जिनमें

रू रहे हैं। इन मकानों का मूल्य वसूल करते समय उनसे उतनी रकम कम ली जाए, जो उन्हें गांव में मकान बनाने के लिए दी जाती, तथा जो मकान बनाने योग्य जमीन का मूल्य होता।

इसमें एक कठिनाई यह थी कि प्रत्येक विस्थापित को मकान बनाने के लिए जो जमीन दी जाती उसका मूल्य आकना पड़ता। इसलिए अधिकारियों को इस दिक्कत से बचाने के लिए तथा काम जल्दी निपटाने के लिए यह निर्णय किया गया कि प्रत्येक विस्थापित के लिए अलग-अलग हिस्साव लगाने की बजाय, मकान के मूल्य में छूट देने की दर को ही निश्चित कर दिया जाए। इसी निर्णय के आधार पर सरकार ने उक्त दरे निश्चित की है।

### दण्डकारण्य में दो विद्यालय फार्मों की स्थापना

पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापितों के लाभ के लिए दण्डकारण्य में एक-एक हजार एकड़ के दो विद्यालय फार्म बनाए जा रहे हैं। ये फार्म परलकोट (मं प्रदेश) और उमरेखोट (उड़ीसा) में होंगे; दण्डकारण्य विकास प्रशासन ने इन फार्मों के लिए २५ लाख रु० मजूर किए हैं।

प्रत्येक फार्म में बीज, वागबानी, डेरी, मुर्गी-पालन और मछली-पालन की पांच शाखाएँ होंगी। ये फार्म २,५०० विस्थापित परिवारों को बसाने के लिए बनाए जा रहे हैं।


उमरेखोट फार्म पर प्रारम्भिक काम शुरू हो गया है। स्थान चुन लिया गया है, जंगल साफ कर दिया गया है और फार्म की हद-बन्दी कर दी गई है। फार्म की भौमा में एक बड़ा तालाब खोदा जा रहा है। फार्म के लिए बीज भी खरीद लिया गया है।

### हिमाचल प्रदेश का गारी निकेतन

लोहना में एक प्रान्त के उत्तर में ११ अप्रैल को निधा मंत्री डा० श्रीमाली ने बताया कि गारी निकेतन, गॉर्गन (हिमाचल प्रदेश) में १९५८ में ९ स्त्रियों और १९५९ में ४२ स्त्रियों प्रविष्ट हुईं। इन्हें निगई, कड़ाई और चिकन का काम निगाया गया। इन पर को बर्षों में प्रमा. २९,९९९ रु० और २७,९२४ रु० ८७ न० १० मर्ष हुए।

### केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के केन्द्रीय कार्यालय पर खर्च

शिवा मंत्री, डा० श्रीमाली ने ११ अप्रैल को लोकसभा में प्रश्नोत्तर के समय बताया कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के केन्द्रीय कार्यालय पर १९५६-५७ में ५,२९,९१७ रु० ६३ न० १०; १९५७-५८ में ५,६९,०३८ रु० ७९ न० १०; और १९५८-५९ में ६,२९,९५४ रु० ४८ न० १० खर्च हुआ। इसमें से सभापति



के वेतन पर २४,००० रु० वार्षिक और अन्य कर्मचारियों पर ३,८१,७४३ रु० ३७ न० १०; ४,०४,०२७ रु० ३४ न० १० और ४,३८,९९९ रु० १० न० १० खर्च हुआ। इसके अतिरिक्त इन तीनों वर्षों में सफर भत्ते पर ४४,३५७ रु० १२ न० १०, ४७,२३२ रु० ६१ न० १० और ४७,९३४ रु० २३ न० १० और फुटकर खर्च ९२,८१७ रु० १४ न० १०, ९३,७७८ रु० ८४ न० १० और १,१९,९०१ रु० १५ न० १० हुआ।

### वायुसेना दिवस

सेना बिल्कुल निकट आ गई, तब यहाँ राम ने वायुसेना की बढाने की कार्रवाई की।

फलत: सैनिकों को उड़ान सिखाने के लिए ट्रेनिंग स्कूल खोला गया और तटवर्ती प्रदेशों की रक्षा के लिए कराची, जुह, दमदम, मद्रास कोचीन और विद्यासायपतनम् में हवाई बंद बनाए गए। इस प्रकार दो साल के अन्तर्गत भारतीय वायुसेना में ९ स्क्वाड्रन हो गि जिनमें ७ के पास हरिकेन विमान और दो पास वेनजेस बमवर्षक विमान थे।

### विश्वयुद्ध में भारतीय वायुसेना

भारतीय वायुसेना बहुत छोटी थी थी उसके साधन भी सीमित थे, फिर भी उस दूसरे विश्वयुद्ध में बर्षों को लड़ाई में भाग लेने पर हमला करने, विज लेने और संदेश भेजना का काम बड़ी खूबी से किया। इम्फाल की अराकान में इतने १४१ सेना की बहुत मजदूरी की। दानू के मोरचों, सामग्री भण्डारी और लेलों आदि पर इतने बड़ी सफलता से हनने किए।

वायुसेना ने इस कार्य के सम्मान में उसके नाम के आगे 'गार्डो' (रायल) शब्द जोड़ दिया गया (भारत गणराज्य बनने पर यह शब्द हटा दिया गया)। युद्ध के बाद जापान पर अधिकार करने के लिए जो ब्रिटिश राष्ट्रमन्त्र को सेना भेजी गयी, उसमें भारतीय वायुसेना का भी एक दस्ता शामिल किया गया।

पहली अप्रैल को देश में भारतीय वायुसेना की २७वीं वर्षगांठ घूमघाम से मनायी गयी। इस अवसर पर राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री, प्रतिरक्षा उपमन्त्री तथा वायुसेनाध्यक्ष ने शुभकामना के संदेश भेजे। इस अवसर पर बम्बई में विमानों का एक विद्यालय प्रदर्शन हुआ।

### वायुसेना का इतिहास

पहली अप्रैल १९३३ को पुराने विमान, फ्रेनेवेल में शिक्षित ६ अधिकारी और १९ हवाई सिपाहियों को एक टुकड़ी से भारतीय वायुसेना की शुरुआत की गई।

५ साल बाद इसमें दो और टुकड़ियाँ जोड़ी गयीं और इस प्रकार इसके नम्बर १ स्क्वाड्रन की स्थापना हुई।

उम समय वायुसेना का मुख्य काम सेना को सहयोग देना था और इसी को ट्रेनिंग वायुसेना को दी जाती थी। १९३७ और १९३९ में उत्तर-पश्चिमी सीमात में कबायलियों से लड़ाई के समय वायुसेना के सैनिकों की पहली बार युद्ध का अनुभव हुआ। यह प्रदेश बड़ा दुर्गम है और यहाँ उड़ान में बड़ी कुशलता की जरूरत पड़ती है।

दूसरे विश्वयुद्ध तक वायुसेना का अधिक विस्तार नहीं हुआ। १९३९ में भी इसमें केवल १६ अधिकारी, २६९ वायुसैनिक और कुछ विमान थे। जब दिसम्बर १९४२ में, जापानी

## विश्वयुद्ध के बाद

विश्वयुद्ध के समाप्त होने तक इनके ९ दस्तों में एक ट्रान्स्पोंट (परिवहन) दस्ता भी जुड़ गया था और इनके अनेक ट्रेनिंग केन्द्र और सम्मत डिपो आदि मूल रूप पैं। युद्ध के पहले ही अनेका, काफ़ी बड़ी हो जाने पर मो देस तो ज़रूरत को देखते हुए यह छोटी हो गयी।

युद्ध के बाद, इनमें ब्रिटिश वायुसेना के प्रकुररी, मिश्रको और नारोपरी के स्थान पर भारतीयों को नियुक्त करने पर विचार और दिया गया और अगस्त १९४३ तक इनका काफी भारतीयकरण हो चुका था। मनु १९५४ में एयर मार्शल एम० मुक्तारों इनके पहले भारतीय मेनाम्ब्रस बन और यह पूर्ण रूप से भारतीय बन गयीं।

भारत के विमानन में वायुसेना को भी काफी नुस्खाना हुआ। इनके दो दम्पे और अनेक केन्द्र पाकिस्तान में चले गए। उनके अन्वया इमरा मगडन भी काफी अन्व-व्यस्त हुआ, परन्तु इसे फिर में मुमकिन करने के लिए बंद कर प्रचलन किए गए और इसे मगलन में ज्यादा देर नहीं लगी।

१९४९ में भारतीय वायुसेना का पुनर्गठन हुआ और प्रादेमिक, कमाना को यत्न करने इन ट्रेनिंग और परिचालन कमाना में बांटा गया। मनु १९५५ में मरठन (मरठन) कमान स्थापित की गयी। कुछ ही महीने पहले, पूर्वी एयर कमान स्थापित की गयी है, जिनसे इमका मगडन और अस्था हो गया है।

### नये विमान और ट्रेनिंग

भारतीय वायुसेना में अब सभी जंट विमान हैं। पहले इममें हाट, हरिकेन, डकोटा, बेंजम, लिटफायर और टेम्पेस्ट आदि सभी विमान बारी-बारी से आए। मनु १९४९ में इममें जेटवाहित 'बैम्पायर' विमान आए। तब से इममें बराबर नए ढग के विमान लिए जा रहे हैं। इम समय इममें तूफानी, मिस्टर, हण्टर, नैट और कैनबरा जैसे दुनिया के अच्छे से अच्छे विमान हैं। इसके अलावा फेयर चाइल्ड सी-११९ और वाइकाउंट परिवहन विमान भी हैं।

नैतिको को युद्ध कालको अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग देना आवश्यक है। इसके लिए मनु १९४९ में हर प्रकार की ट्रेनिंग देने की योजना बनायी गयी। फलस्वरूप यहा विमानों के

उड़ाने, देसमाल करने और उनके शिल्प की शिक्षा के अनेक केन्द्र खुले। इनमें पर्याप्त मंरदा में देस के नैतिको को ट्रेनिंग देने के साथ ही पडोगी देसों के नैतिको को भी ट्रेनिंग दी जाती है।

भारतीय वायुसेना के दस्तों में मिश्र देसों की यात्राएँ की हैं। कोरिया और हिन्द-चीन में इमनें शान्ति कराने में भी सहायता दी।

स्वराज्य के बाद वायुसेना में भी छात्र-नैतिक और महायक नैतिक दस्ते खोले गए। छात्र-नैतिक दस्तों में छात्रों की वायुसेना का काम गौराने का मोका मिलता है और महायक दस्तों को स्थापना में देस में दूगरी को नैयात्रा हुई है। इनको और बढाने में देस को रक्षा को ब्ययस्था और दूढ़ होगी।

देस में फौजी मामाल बनाने में भी काफी उन्नति की है। अनेक औजार और मशीनें अब देस में बनने लगी हैं तथा एम०डी० गाडिया और विमान बनाने का काम भी शुरू हो गया है, जो अभी तक विदेगा में आने थे।

### सुसंगठित सेना

भारतीय वायुसेना की उन्नति और कुशलता का श्रेय इनके ट्रेनिंग केन्द्रों, इंजीनियरी तथा मामाल विभाग, आयुक्तिक ढग के हवाई-अड्डा और अन्य अंगों को है।

भारतीय वायुसेना दुनिया की किमी भी मेना में कुशलता में टक्कर ले सकती है। बरमीर युद्ध में, अन्गल और वाइप्रस्त इलाका में मामाल गिराने में और अन्य कामों में उसने अपनी कुशलता का परिचय दिया है।

वायुसेना देस को स्वतन्त्रता की सजग प्रहरी है। स्वतन्त्रता को रक्षा के लिए भारतीय वायुसेना हर प्रकार का स्वाग करने के लिए तैयार है।

### सेना के कर्मचारियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता

केन्द्रीय प्रतिक्रिया मशी, श्री वेगलिल क्रुण्ण मेनन ने हाल ही में ससद में बताया कि स्थल सेना को विभिन्न श्रेणियों में भर्ती होने के लिए पडना-लिखना जानने से लेकर हाई स्कूल तक की योग्यता निर्धारित है। फिर भी थोड़े से अनपड भी लिए जाते हैं। सभी श्रेणियों के लिए भर्ती के समय परीक्षा ली जाती है। केवल अनपड उम्मीदवारों और

उन उम्मीदवारों की परीक्षा नहीं ली जाती, जो हाई स्कूल से नीचे की योग्यता वाली नोकियों के उम्मीदवार होते हैं और जो पड-लिखे होने को मन्दे पैश करते हैं। नौसेना में भर्ती के लिए कथा ४ से लेकर हाई स्कूल तक की योग्यता जरूरी है। केवल सफाई करने वाला (स्वीपर) के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गयी है।

वायुसेना की अधिकतर नोकियों के लिए कम से कम मेट्रिकुलेसन की योग्यता रखी गयी है। कुछ नोकियों में हाई स्कूल फेल भी, जो मरल गणित जानते हैं और अंग्रेजी लिख-बोल सकते हैं, लिये जाते हैं। सभी कर्मचारियों की भर्ती-परीक्षा (टेस्ट) ली जाती है। स्वराज्य के बाद स्थल सेना में परीक्षा की नयी व्यवस्था की गयी है। अनपडों को भर्ती के बाद ट्रेनिंग के समय पडायी जाता है। इस प्रकार तीनों सेनाओं का प्रत्येक सैनिक ट्रेनिंग समाप्त करने तक देवनागरी लिपि में हिन्दी लिख-पड सकता है।

### नौसेना के सिखाई विमान की दुर्घटना : प्रतिक्रिया मन्त्री का वक्तव्य

अब्रैल को लोकमभा में एक सदस्य के नौसेना के सिखाई विमान के टकरा जाने की घटना को और ध्यान दिलाने के नोटिस के जवाब में प्रतिक्रिया मन्त्री, श्री कृष्ण भेनन ने लोकसभा में यह वक्तव्य दिया।

भारत सरकार को यह घोषणा करते हुए दुख है कि मगलवार २२ मार्च, १९६० को नौसेना का सोलड विमान म० १०४ उडान तिलाते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह विमान कोचीन के नौमैतिक अड्डे से उसी दिन उडा और २-५० बजे तक भी लोट कर नहीं आया। बाद में यही धारणा पक्की हो गई कि करीब ९-३० बजे यह विमान कोचीन से १० मील दक्षिण में और तट से करीब १ मील दूर समुद्र में गिर गया।

इस विमान में नौसेना के २ चालक अफसर थे। उनमें से एक सब-ऑफिसेट ए० के० महारा बहुत पायल हुए और मडुओं ने उनको जान बचाई। उन्हें ठे जाकर कोचीन के नौसैनिक अस्पताल में भर्ती किया गया और अब वे

स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। दूसरे अफसर सब-लेफ्टिनेंट ए० के० डी० गुप्ते विमान के साथ ही डूब गए। उनका शव बाद में बहकर दुर्घटना-स्थल से करीब ४ मील पर किनारे आ लंगा। पीडितां के सम्बन्धियों को सूचित कर दिया गया है।

विमान के अवशेष का पता लग गया है और उन्हें निकालने की कोशिश चल रही है। दुर्घटना का कारण अभी मालूम नहीं हुआ है। एक जाच मण्डल को आदेश दिया गया है कि वह पता लगाए कि दुर्घटना किन परिस्थितियों के कारण हुई।

### राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल की पड़ताल

सेना के अक मण्डल ने राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल के बारे में जो पड़ताल की है, उसमें पता चलता है कि इसमें देग के नवयुवकों को मानसिक और शारीरिक दोनों रूप में कितना फायदा हुआ है। दल के किशोर अपने सहायक शिबिरों में शरीर और खेल में अच्छे सावित हुए हैं। प्राथमिक चिकित्सा, आग बुझाने, नौका और हाथ की कारीगरी में भी ये किशोर काफी कुशल पाये गये हैं।

यह पड़ताल समूचे भारत के छूने हुए कालेजों में दल के १,८५० किशोरों और उनके ११० अमेरिकी सहायकियों की, की गयी। पड़ताल के लिए देग के विभिन्न भागों में १५ कालेजों का चुनाव किया गया, जिनमें राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल की टुकड़ियां कायम थीं। इन कालेजों में छात्र सैनिकों के पास २,००० प्रश्नावलियां भेजी गयीं और ८७ प्रतिशत लड़कों ने इनका उत्तर दिया। पता चला कि ये लड़के दल के कैंपों में दूसरों से अधिक पुरस्कार पाये। केवल १ छात्रों ने बनाया कि एन० गी० गी० ट्रेनिंग में पढ़ाई में बाधा पहुंचाये है। २१.६ प्रतिशत कैंपों में बड़ा हिस्सा सैनिक शिक्षा देने के लिए एन० गी० गी० में मानियत हुए। २० प्रतिशत कैंपों में भाग भाव में, १५८ प्रतिशत में अनु-सामन भाग में के डि० और १३ प्रतिशत में भाग में भाग के डि०, राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल में भर्ती हुए। इन कैंपों में यकाशरी, अनुसामन,

नियमित उपस्थिति, समय की पाबंदी और जिम्मेदारों निभाने में भी अच्छे अंक पाए, पर पढ़ाई में वे दूसरे लड़कों से कम रहे।

### पुलिस कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के लिए राज्यों को अनुदान

पुलिस कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के हेतु राज्य सरकारों को अब तक ९ करोड़ ६० से भी अधिक ऋण दिया जा चुका है।

पहले मकान पर हीने वाले खर्च का आधा राज्य सरकार को देना पड़ता था और आधा भारत सरकार ऋण के रूप में देती थी। परन्तु अब भारत सरकार ने यह बर्धिश हटा दी है।

राज्य सरकार ऋण की बास सालाना किशतों में लौटाती हैं। पहली किशत ऋण मिलने के ५ साल बाद लौटाई जाती है।

राज्य सरकारों को १९५६-५७ से १९५८-५९ तक जो ऋण दिया गया उसका राज्यवार



### मणिपुर क्षेत्र की प्रगति

केन्द्र-वासित क्षेत्र मणिपुर के चालू वर्ष के वजट में विकास आदि के कार्यों पर ५ करोड़ २५ लाख ९७ हजार ६० के व्यय की व्यवस्था है। मणिपुर की आय ३९ लाख ८९ हजार ६० है। इस प्रकार वजट में आय से १३ गुना व्यय की व्यवस्था है। यह पाटा केन्द्रिय सरकार पूरा करेगी, जिनमें जल्दी में जल्दी विकास करने के लिए मणिपुर को केन्द्रिय शासन के अन्तर्गत रखा है।

मणिपुर के वजट में मंडरा तथा सामाजिक भंडारों के कामों का सबसे अधिक महत्व दिया गया है। दूसरी योजना में मंडरों के लिए १ करोड़ ८६ लाख ७२ हजार ६० की व्यवस्था है, जिनमें से १ करोड़ १६ लाख ७२ हजार ६० इस वर्ष अत्रैल तक खर्च हो जायेगा। गैर राशि अगले वर्ष अत्रैल तक खर्च हो जायेगी। इन्फो मंडल के तमंगलाय के बॉच ७४ मील लम्बी गडक-पर अब मोटर चल सकती है। बाकी हिस्से में जीप आ सकती है। १.२८ मील

दूसरी इस प्रकार है: मद्रास—१ करोड़ ६ लाख ६० से अधिक; उत्तर प्रदेश—१३ लाख ६०; पंजाब—७० लाख ६०; बम्बई—६३ लाख ०; आंध्र प्रदेश—लगभग ५८ लाख ६०; उड़ीसा—लगभग ५८ लाख ६०; मध्य प्रदेश—३८ लाख ६०; केरल—३४ लाख ६०; आसाम—२१ लाख ६०; मंसूर—३३ लाख ६०; बिहार—३ लाख ६०; पंजाब—१५ लाख ६०; राजस्थान—२१ लाख ६० और जम्मू-कश्मीर—९ लाख ६०।

### अवैतनिक कप्तान की नियुक्ति

प्रतिरक्षा मन्त्रालय की २६ मार्च की एक विज्ञापित में कहा गया है कि राष्ट्रीय ने अवैतनिक लेफ्टिनेंट सरोज के० ईश्वरी को स्पेलसेना में अवैतनिक कप्तान के पद पर नियुक्त किया है।

लम्बी कछार रोड अभी नयी बनाई है और इसकी एक-तिहाई दूरी तक जीप आ सकती है।

### शिक्षा का प्रसार

मणिपुर भारत के उन इतने-गिने क्षेत्रों में से है जहाँ ८० प्रतिशत बच्चे स्कूल जाते हैं। १९५८ में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या १० हजार बढ़ी। मणिपुर में २ डिग्री कालेज तथा गिल्पिक शिक्षा की २ संस्थाएँ हैं मणिपुर से बाहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दा जाने वालों छात्रकुतियों की संख्या १५ प्रतिशत बढ़ा दी गई है।

### तिचाई और पंचायत

मणिपुर में तिचाई के लिए छोटी-छोटी नहरों का जाल-मा बिछा दिया गया है। इन नहरों से पिछले वर्ष २,९०० एकर से भी अधिक भूमि की तिचाई हुई है। १,६०० एकर से अधिक भूमि को सुधार कर नयी योजना बनाया गया है।

मणिपुर अपनी आवश्यकता से नहीं अधिक अनाज पैदा करता है और प्रतिवर्ष बाहरी

काकी मात्रा में चावल लिया जाता है। पिछले वर्ष मौसम सख्त होने के कारण यमूल बिना गन्ना चावल आवश्यकता के समान बढ़ा बांटने के लिए स्टॉक में रखा गया। अक्टूबर से दिसम्बर १९५९ के बीच इनमें से १२,९८४ मन चावल और १,४८२ मन गेहूँ निराला गया।

#### प्रशासन

मणिपुर का प्रशासन एक जिला यूनिट की तरह चलाया जाता है। उसकी अपनी अलग आदेशिक परिपत्र है जो शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सु-विचित्रता भादि मानव्यों की देखभाल लती है।

यह केन्द्र-शासित क्षेत्र है और केन्द्रीय सरकार मन्त्रालय एक सलाहकार मणिति की मदद से इसका शासन करता है। इस परिपत्र में मणिपुर के मन्त्र मन्त्र्य तथा बड़ा-के कुछ और लोग होते हैं।

मणिपुर नारन की सीमा पर स्थित ८,६३८ वर्ग मील का क्षेत्र है जिसकी जन-संख्या लगभग ५ लाख ८० हजार है। यहां के अधिकांश निवासी नागा, कुकी आदि आदि-वासी जातियों के लोग हैं। मणिपुर तथा हिन्दी यहां की भाषाएं हैं।

#### गांवों में भी होम गार्ड

होम गार्ड संगठन की अब दो शाखाएं होंगी पहली और ग्रामीण। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि अगर मन्त्रव ही वे गांवों में भी होम गार्ड योजना शुरू करने पर विचार किया जाए।

होम गार्ड संगठन एक स्वयंसेवी संस्था है और यह सभी राज्यों में स्थापित की जा रही है। यह संगठन बाइ, भू-सम्प, धाग, महामारी आदि जैसे आपत्काल में सरकार की महायुता करता है। इनके सदस्यों को जान-माल की सुरक्षा के लिए जो भी काम दिया जाता है, वह करना पड़ता है।

३० जून, १९५९ को विभिन्न राज्यों में होम गार्ड के प्रतिष्ठित सदस्यों की संख्या इस प्रकार थी : पश्चिम बंगाल—३२,०१५; बिहार—४,१५०; उत्तर प्रदेश—९,९०,९३८; मध्य प्रदेश—४,४२०; और कर्नाटक—११,३२,०७५।

## राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति

राष्ट्रपति ने निम्नलिखित राज्य विधेयकों पर अपनी स्वीकृति दे दी है :—

### राजस्थान कारखारी (घटा संशोधन) विधेयक, १९५८

इस विधेयक में कृषि योग्य भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।

एक व्यक्ति के पास अधिक से अधिक कितनी कृषि योग्य भूमि हो, इस बारे में विचार करने के लिए राजस्थान सरकार ने १९५३ में सरकारों तथा मंत्र-संस्थाओं की एक मणिति नियुक्त की थी। मणिति ने सितम्बर १९५७ में अपनी रिपोर्ट पेश की।

मोतूदा विधेयक इस मणिति की सिफारिशों, दूसरी पंचवर्षीय योजना के निर्देशों तथा योजना आयोग के सुझावों की ध्यान में रख कर बनाया गया है। विधेयक में भूमि अधिग्रहण तथा सुआवजों की अदायगी के बारे में भी व्यवस्था है।

### बम्बई सहकारी मणिति (विस्तार) विधेयक, १९६०

यह विधेयक बम्बई राज्य में फरवरी १९६० में जारी किए गए बम्बई सहकारी मणिति (विस्तार) अध्यादेश के स्थान पर लागू होगा। बम्बई राज्य के पुनर्गठन के बाद सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित सहकारी कानूनों की एक-ता बनाने के लिए एक

मणिति नियुक्त की थी, जिसके सुझावों पर अलग से विचार हो रहा है।

इन सुझावों पर अंतिम निर्णय होने से पूर्व बम्बई सहकारी मणिति अधिनियम, १९२५ का अध्यादेश के जरिये लागू किया गया। इसके स्थान पर वर्तमान विधेयक बनाया गया है। बम्बई राज्य के वर्तमान विभाजन की ध्यान में रखकर दोनों भागों के लिए अलग सहकारी व्यापथिकरण बनाने का प्रस्ताव है।

### बम्बई का खादी और ग्रामीणोग विधेयक, १९६०

यह विधेयक, फरवरी १९६० में जारी किये गये बम्बई के खादी और ग्रामीणोग अध्यादेश के स्थान पर बनाया गया है। बम्बई राज्य में इस संवध में अलग-अलग अधिनियम लागू होते थे, उन नियमों को एकत्र करने के लिए ही यह अध्यादेश जारी किया गया था।

इस विधेयक के अनुसार सरकार को क्षेत्रीय मण्डल बनाने का भी अधिकार होगा; जिससे कि जिस दिन से बम्बई राज्य का विभाजन होगा उन्ही दिन से ये दोनों क्षेत्रीय मण्डल बिना नया कानून बनाए नये राज्यों में काम करने लग जायेंगे।

इसके अलावा इसमें नये मण्डलों को वित्त संबंधी विशेष अधिकार देने की व्यवस्था की गयी है जिससे कि सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं को चालू करने में देर न लगे।



### रूस के भूगर्भ और प्राकृतिक साधन मंत्री का भारत भ्रमण

रूस के भूगर्भ और प्राकृतिक साधन मंत्री, श्री पी० वार्डे० एम्पोपोव एक पक्षवाड़े के दौर पर भारत आए हैं। इनके साथ दो अन्य भूगर्भशास्त्री हैं। श्री केसवदेव मालवीय ने पालम हवाई-अड्डे पर दल का स्वागत किया। भारत में रूसी राजदूत और खान, ईबन तथा

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारी भी वहां उपस्थित थे।

### स्विट्जरलैंड की मनोनीत राजदूत द्वारा परिचय-पत्र पेश

स्विट्जरलैंड के मनोनीत राजदूत, श्री जैक्स अलबर्ट कट्टे ने २२ मार्च को राष्ट्रपति डा० राजेंद्र प्रसाद को पत्र में अपने परिचय-पत्र पेश

# स मा चार - दर्शन

१ अप्रैल से १५ अप्रैल तक

अप्रैल

- १—भारत सरकार द्वारा जारी किए गए पांच साला ब्याज-रहित इनामी बीडों की बिक्री सारे देश में शुरू  
—देश भर के वायुसेना केन्द्रों में वायुसेना दिवस मनाया गया
- २—नयी दिल्ली में डा० राजेन्द्र प्रसाद द्वारा भारत के बार एसो-मिएशन का उद्घाटन
- ४—चीनी की १९५९ की लागत के सम्बन्ध में तट कर आयोग की रिपोर्ट पर भारत सरकार के निर्णयों की घोषणा  
—दक्षिण बिहार की चीनी मिलों पर भी भारत सरकार द्वारा मूल्य नियन्त्रण लागू  
—नयी दिल्ली में अखिल भारत निर्माता सघ का दो दिन का सम्मेलन आरम्भ
- ६—ब्रिटिश गियाना के प्राकृतिक साधनों के मन्त्री, श्री बी० एच० वेन का भारत की १५ दिन की यात्रा पर नयी दिल्ली आगमन  
—राज्यसभा का अधिवेशन शुरू
- ७—भारत में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया
- ८—भारत के एक सप्ताह के दौरे पर यूगोस्लाविया से एक सांस्कृतिक सिष्टमण्डल का नयी दिल्ली आगमन  
—राष्ट्रीय उतादकता परिषद द्वारा नियुक्त लघु उद्योग उतादकता दल की रिपोर्ट प्रकाशित
- ९—नयी दिल्ली में केन्द्रीय तत्व नर-शास्त्र मलाहकार मण्डल की तीसरी बैठक सम्पन्न

अप्रैल

- १०—संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति, महामहिम गमा अब्दल नासिर, बम्बई से कराची रवाना  
—रेलवे सप्ताह समारोह आरम्भ
- ११—भारत सरकार के १२ फरवरी के ज्ञापन के उत्तर में चीन में मिलन वाला ३-अप्रैल का पत्र ससद के दोनों सदनों में पेश  
—नयी दिल्ली में अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद की १३वीं बैठक सम्पन्न
- १२—पुर्तगाल के भारतीय दौरे में से होकर दादरा और नाग हवेली जाने के अधिकार की मांग पर हेग में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा फैसले की घोषणा  
—नयी दिल्ली में हुए विजय समारोह में डा० राजेन्द्र प्रसाद द्वारा सगीत नाटक अकादमी पुरस्कार का वितरण
- १४—पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच भारतीय रेलों द्वारा तथा पश्चिम बंगाल और आसाम के बीच पूर्व पाकिस्तान की रेलों द्वारा आने-जाने की सुविधाओं के बारे में बातचीत करने पाकिस्तान के सिष्टमण्डल का नयी दिल्ली आगमन
- १५—नयी दिल्ली में केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मन्त्री, श० केसकर द्वारा ५० आकाशवाणी साहित्य समारोह का उद्घाटन  
—पटना में अखिल भारतीय कानून सम्मेलन आरम्भ ।

# उपयोगी तथा रोचक प्रकाशन

## राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद के भाषण

(१९५२-५६)

मूल्य : डाक व्यय :

३.५० ०.०५

इस पुस्तक में डा० राजेन्द्र प्रसाद के जनवरी, १९५२ से मई, १९५६ तक के भाषण संगृहीत हैं। तिथि-क्रम से दिए गए इन भाषणों तथा लेखों में अनेक विषयों पर प्रकाश डाला गया है और उनमें डा० राजेन्द्र प्रसाद का व्यक्तित्व एक राजनीतिज्ञ, विद्वान, इतिहासकार, गिद्या-शास्त्री, आदर्शवादी, समाज सुधारक और सबसे अधिक एक महान् रचनात्मक विचारक के रूप में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।



## स्वाधीनता और उसके वाद

(जवाहरलाल नेहरू के भाषण १९४६-४९)

मूल्य : डाक व्यय :

५.०० १.३५

भारत द्वारा आजादी प्राप्त करने के पश्चात् प्रायः डेढ़ वर्ष में दिए गए प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषणों का संग्रह।

प्रधान मंत्री के अनुपम व्यक्तित्व ने भाषणों के विषयों को एक आधाराभूत एकता प्रदान की है। ये भाषण, जिनमें कुछ सामयिक इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, कुछ में नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार है और कुछ में भावनाओं का संचार है, राष्ट्र को अत्यधिक उद्योग करने के लिए अनुप्रेरित करते हैं।



## भारत की एकता का निर्माण

(सरदार पटेल के भाषण)

भारत की आजादी से पूर्व ५८४ देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल को है। उसी महान् नेता के २७ विविध विषयक भाषणों का संग्रह।

मूल्य : डाक व्यय :

५.०० १.३०

(रजिस्ट्री व्यय प्रत्या)



२५ रुपये या इससे अधिक की पुस्तकें मंगाने पर डाक खर्च नहीं लिया जाएगा। मूल्य प्रथिम भ्राना चाहिए, क्रासड पोस्टल ऑर्डर द्वारा सुविधा रहती है।

सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं से प्राप्य या सीधा लिखें :

## प्रकाशन विभाग

पो०.बा० नं० २०११, ग्रेल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली-८



# इन पत्रिकाओं को अपने वाचनालय में सम्मिलित कीजिए

**आजकल :** इस लोकप्रिय सचित्र मासिक पत्र में भारत भर के प्रसिद्ध साहित्यकारों के विचारपूर्ण लेखों, कविताओं तथा कहानियों के अतिरिक्त कला, संस्कृति व अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर प्रामाणिक लेख पढ़िए !  
 वार्षिक शुल्क ६.०० रुपये।

**वाल-भारती :** नन्दे-मुन्नों की सचित्र मासिक पत्रिका, जिसमें सरल भाषा में मनोरंजक कहानियाँ, शिक्षाप्रद कविताएँ, उपयोगी लेख और रेखाचित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। वार्षिक शुल्क ४.०० रुपये।

**योजना :** सब क्षेत्रों में हुई प्रगति का आलोचनात्मक मूल्य आंकने वाला, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पथ-प्रदर्शक हिन्दी और अंग्रेजी में एक साथ छपने वाला पाक्षिक पत्र। वार्षिक शुल्क २.५० रुपये।

**कुरुक्षेत्र :** सचित्र मासिक पत्र, जिसमें देश के सामुदायिक विकास कार्यक्रम-सम्बन्धी समाचार तथा लेख प्रकाशित होते हैं। वार्षिक शुल्क २.५० रुपये।

विक्री बढ़ाने के लिए इन पत्रिकाओं में विज्ञापन कीजिए

प्रकाशन विभाग

पो. बा. नं० २०११, ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली-८

## स्थायी महत्व की पुस्तकें सुन्दर सजधज-कम दाम

	मूल्य	डाक खर्च
राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद के भाषण (१९५२-१९५६)	३.५०	०.८५
भारत के पक्षी—राजेस्वरप्रसादनारायण सिंह	१२.५०	१.५०
स्वाधीनता और उसके बाद (जवाहरलाल नेहरू के भाषण १९४६-४९)	५.००	१.३५
भारत १९५८	४.५०	०.७५
भारतीय कविता—१९५३	५.००	१.७५
भारत की एकता का निर्माण (सरदार पटेल के भाषण)	५.००	१.३०
भारतीय वास्तुकला के ५,००० वर्ष	२.००	०.२५
कर-जांच आयोग के प्रतिवेदन का संक्षिप्त सार	२.५०	०.७५
योजना से धुनाहाली	०.७५	०.२०
अनारक के धर्म लेख	१.००	०.२५
पंचांग सुधार	०.३५	०.१५
तपेदिक के रोगियों की घरेलू देखभाल	०.३५	०.१५


(रजिस्ट्रेशन व्यय अलग)

पच्चीस रुपये या इससे अधिक की पुस्तकों पर डाक व्यय नहीं लिया जाएगा।

प्रकाशन विभाग

पो. बा. नं० २०११, ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली-८


जबल भारत के दोरे पर  
एए हूए यूगोस्लाव मारिडुनिक  
एटमरडन के मदरय ९ अप्रैल  
। नयी दिल्ली में उपराष्ट्रपति  
० रायाडुएणन के भाय



क विक्राम और महकारिता मन्ग्री, थी एम० के० ई ८ अप्रैल को  
बीतम ग्राम सेवक, थी पी० एम० करनिगी (संभूर राज्य के चित्र-  
के दारानगर लण्ड के ग्राम सेवक) को पुरस्कार देते हुए

नयी दिल्ली में ६ अप्रैल को अमरीकी राजतुल परमश्रेष्ठ श्री एलसवथ  
कानून शास्त्रियों के अन्तर्राष्ट्रीय आयोज को कार्यकारी समिति की  
अमरीकी ज्यूरिसप्रुडेंस सम्बन्धी कुछ पुस्तकें भारत के प्रधान न्यायाधीश  
पी० पी० सिन्हा को भेंट करते हुए





रत में भारतीय राजदूत, श्री के० पी० एस० मेनन भारत सरकार की ओर से नाटक कला के जूनाकारकों इन्स्टीट्यूट की मास्की में एक वीणा भेंट करते हुए

रेलवे सप्ताह समारोह के अन्तर्गत नयी दिल्ली में होने वाली दस्तकारी प्रदर्शनी में प्रदर्शित वस्तुओं को देखते हुए रेल मन्त्री की पत्नी श्रीमती राम




# आश्वनीया समाचार



वर्ष ३


१५ अप्रैल, १९६० (२६ चैत्र, १९८२)

प्र.६





कयदा के मनोनित राजदूत, श्री यूजेनियो सोल्लेर अलोसो राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद को १७ मार्च को अपने प्रमाणपत्र पेश करते हुए



जापान को सिटिजन थाच कम्पनी के अध्यक्ष, श्री ई. यामदा (बायें से दूसरे) और केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री आर. वी. रमण (दायें से दूसरे) नयी दिल्ली में २५ मार्च को एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए, जिसके अनुसार जापानी फर्म को सहायता से भारत में घड़ियां बनाने का एक सरकारी कारखाना खड़ा किया जाएगा

भारत के बारे पर आए हुए ४ सिबिकमी अध्यापकों के साथ नयी दिल्ली में २१ मार्च को केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति मंत्री, श्री हुमायूँ कबीर





# भारतीय समाचार

वर्ष ३

१५ अप्रैल, १९६०  
२६ वॉच, १८८२

पृष्ठ ६

एक प्रति ६० ०.२५ १ टिप्पण १४ सेंट

वार्षिक मूल्य ६० ७.०० १७ प्रि. ६ पेंस २.५ डालर

## मुख्य विषय

भारत-पाक विभ वार्ता पर श्री देमाई का वक्तव्य	१९४
राष्ट्रीय दिवस परियोजना की घोषणाओं के संदर्भ में	१९७
नया भारत-पाक व्यापार समझौता	१९९
अप्रैल-मिनटवर् १९६० की आयत नीति	२०१
बम्बई अधिनियम प्रस्ताव की १९५८-५९ की रिपोर्ट	२०२
परिवहन विभाग परियोजना के संदर्भ में	२०९
राज्यों के समाज कल्याण मण्डलों के अध्यक्षों का सम्मेलन	२१७

**प्रावरण चित्र : संयुक्त श्रम गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री अब्दुल गमाल नासिर २६ मार्च को नयी दिल्ली में उनसे मिलने प्राये भारतीय प्रधान मन्त्री का स्वागत करते हुए**

(‘भारतीय समाचार’ में सरकारी गतिविधियों और घोषणाओं का संक्षिप्त रिकार्ड प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। स्थान संकोच के कारण अनेक विषयों को संक्षेप में ही दिया जाता है। ऐसे विवरणों को पूर्ण अधिकृत विवरण नहीं समझना चाहिए।)



हादिक सम्मान सहित।

(हस्ताक्षर)—चाउ एन-लाई,  
चीन लोक गणराज्य की राज्य-परियोजना प्रधान मन्त्री

## चीन के प्रधान मन्त्री की भारत-यात्रा : श्री नेहरू का वक्तव्य

प्रधान मन्त्री, श्री जवाहरलाल नेहरू ने २१ मार्च को लोकसभा में निम्नलिखित वक्तव्य दिया

मुझे चीन गणराज्य के प्रधान मन्त्री से उनके यहाँ आने के बारे में उत्तर मिला है। सदन को याद दिलाया कि मैंने उनके यहाँ आने के लिए २० अप्रैल की तारीख मुझाई की। उन्होंने मोटे तौर से इस मान लिया है, अर्थात् उन्होंने मुझाया है कि वे १९ अप्रैल को यहाँ आए और २५ अप्रैल तक यहाँ रहें। मैं इसके बारे में सदन को सूचित करना चाहता था।

**चीनी प्रधान मन्त्री का १६ मार्च का पत्र**  
चीनी प्रधान मन्त्री, श्री चाऊ एन-लाई ने भारतीय प्रधान मन्त्री के उस पत्र के

उत्तर में जिसमें उन्हें नयी दिल्ली आमन्त्रित किया गया है, निम्नलिखित पत्र लिखा है —

पेकिंग,  
मार्च १९, १९६०

प्रिय प्रधान मन्त्री जी,

चीन में भारत के राजदूत, श्री पार्यसारथी ने ५ मार्च को आपका पत्र भिजवाया। आपका सुझाव है कि मेरे २० अप्रैल के करीब दिल्ली आऊँ। मुझे इस समय आने में सुविधा होगी और यह मुझे पूरी तरह स्वीकार है। यदि आपको और भारत सरकार को सुविधा हो तो मैं मात दिन के लिए १९ अप्रैल से २५ तक दिल्ली स्वर्न को तैयार हूँ।

मैं आपमें पुन. मिलने और आपके महान देश की यात्रा करने को बहुत उत्सुक हूँ।

## संयुक्त श्रम गणराज्य के राष्ट्रपति भारत में

संयुक्त श्रम गणराज्य के राष्ट्रपति, श्री गमाल अब्दुल नासिर भारत की १३ दिन की यात्रा के लिए २९ मार्च, १९६० की शाम को दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँचने पर भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री, दिल्ली के मेयर, केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के सदस्यों तथा उच्च अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

भारत में राष्ट्रपति नासिर और उनका दल दिल्ली को अतिरिक्त अलीगढ़, भावलान-नगल, आगरा, आसन्सोल, मद्रास, बंगलौर, पूना, सडकवासला और बम्बई का दौरा करेंगे। १० अप्रैल को वे बम्बई में कराची चले जाएंगे।

राष्ट्रपति नामिर के साथ इन यात्रा में उनके दल में अन्य लोगों के प्रतिरिक्त वे लोग भी शामिल हैं श्रव गणराज्य के विदेश मंत्री, डा० महमूद फेरी, प्रेसिडेंट के मानकों के मंत्री श्री अली सावरी, मीरिया क्षेत्र की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष और मार्क्सवादी निर्माण तथा योजना मंत्री, डा० नुसईन कोहूजा, प्रेद चेम्बरलेन श्री अली रगीद, और भारत में मयूक्त अरब गणराज्य के राजदूत, श्री अहमद हयत अल फेरी ।

## द० अफ्रीका में गोलोवारी : प्रधान मंत्री का घबतव्य

दक्षिण अफ्रीका की लम्बा बस्ती और अन्य स्थलों पर पुष्टिम ने जो गोलो वार्ड है, उस पर लोचनमा में स्वयम-प्रस्ताव रखा गया । इस स्वयम-प्रस्ताव पर धोके हुए प्रवाल मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस सम्बन्ध में जो स्वयम-प्रस्ताव रखा गया है, उसमें बहुत बड़ा भ्रमला मन्दा हुआ है । जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा है हमने देश के आंतरिक मामलों पर इस सदन में विचार नहीं किया जा सकता । यह ठीक है और मैं इस बात में सहमत हूँ । लेकिन केलाउन के पास लम्बा बस्ती में जो कुछ हुआ है, उसमें तर इमान के दिश को पोट पहुँची । विमोचन भारत और सम्भवत एशिया और अफ्रीका के अन्य देशों के नागरिकों को भी इसमें बहुत तकलीफ हुई है । मैं समझता हूँ कि इसमें यूरोप और अमरीका के लोगों को भी बहुत चोट पहुँची होगी, क्योंकि यह एक ऐसी घटना है, जो ऐतिहासिक घटना-सम को बदलने में समर्थ होती है । सदियों की गुलामी के बाद आज अफ्रीका में स्वतन्त्रता और आत्मनिर्भरता की लहर फैल रही है । बहुत-से देश आजाद हो गए हैं और बहुत-से देश सीधे ही आजाद हो जायेंगे । दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका में ये सोचे में लोग जो यूरोप के आन्तरिक मामलों में, यहाँ के मूल निवासियों के लिए सर्व भेद की नीति पर राजुक्त बना रहे हैं । यूरोप के आन्तरिक मामलों को भी अफ्रीका का पूर्ण अतिरिक्त है, पर वे अति-रिक्त आन्तरिक मामलों की हैं । इन अन्तरिक मामलों के

अन्तर्विषयों के लिए विषय पास लेकर घूमने का कानून बनाया । जब अफ्रीकियों ने इसका नातिपूर्ण रूप में विरोध किया तो पुष्टिम ने उनका संघर्ष ही गया और उसके परिणाम-स्वरूप अनेक लोगों को मृत्यु हुई ।

वेने क्रिया भी समय क्रिया भी व्यक्ति की जान लेना बुरा है । पर इस प्रकार अपने अधिकांशों के लिए नातिपूर्ण ढंग से विरोध करने वालों पर गोली चलाना इन समस्या का हल नहीं है, बल्कि यह विषय में होने वाली बड़ी दुर्घटनाओं की पूर्ण सूचना है । मैं यह नहीं समझता कि इस प्रकार के दमन में अफ्रीकियों की आजादी की आवाज को दबाया जा सकेगा । मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि एशिया के हर देश के और हर दल के लोग अफ्रीकियों की आजादी को लड़ाई के प्रति पूरी महानु-भूति रखेंगे ।

श्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा कि मैं यह स्वीकार करता हूँ कि इस समय इस स्वयम-प्रस्ताव पर इस रूप में विचार करना सही नहीं है । पर यह बात मुझे स्पष्ट नहीं है कि भविष्य में यह सदन इस विषय में अपने विचार किन रूप में प्रकट करेगा ।

प्रधान मंत्री ने कहा कि कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि हम दक्षिण अफ्रीका की सरकार से इस बात पर विरोध प्रकट करें । पर दक्षिण अफ्रीका में हमारे राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं । अतः विरोध-पत्र भेजने से कोई लाभ नहीं होगा । मयवत राष्ट्र सच इस बारे में क्या करेगा, यह मुझ मालूम नहीं है, लेकिन यदि मयूक्त राष्ट्र सच में यह प्रस्ताव उठाया गया तो हम इसका पूरा समर्थन करेंगे । यह प्रश्न बड़ा किम रूप में उठाया जाएगा और अन्य देश इसका किम रूप में समर्थन करेंगे, यह मैं नहीं कह सकता ।

प्रधान मंत्री ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के इन हथौड़े-नाइ के मुझे जल्पियावाला वाग के हथौड़े-नाइ को सादर धारण है । सब लोग यह बात जानते हैं कि जल्पियावाला वाग के हथौड़े-नाइ के बार देश में क्या प्रतिनिधिया हुई । यह स्पष्ट है कि वर्ण-भेद की नीति और एक जाति पर दूसरी जाति का प्रभुत्व एशिया और अफ्रीका का कोई भी देश स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री नेहरू ने कहा कि इस दुष्टमा पर औपचारिक रूप में सदन को अपने विचार प्रकट करने की इच्छा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर कोई इस सदन के प्रत्येक सदस्य और हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के इस सम्बन्ध में विचार जानता है । मैंने आप लोगों के कहने पर इन घटना पर अपने विचार प्रकट किए हैं । मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इसे बहुत महत्त्व पर घटना समझता हूँ ।

## भारत-पाक वित्त वार्ता पर श्री देसाई का वक्तव्य

हाल में रावलपिंडी में भारत और पाकिस्तान के वित्त मंत्रियों में जो वार्ता हुई थी, उसके बारे में वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने ३० मार्च को लोकसभा में इस आशय का वक्तव्य दिया

सदन को याद होगा कि पिछले अगस्त महीने में वित्तीय विषयों पर मेरी पाकिस्तान के वित्त मंत्री से बातचीत हुई थी और हमने वार्ता में ३० सितम्बर को इसी सदन में एक वक्तव्य दिया था । बातचीत में तय हुआ था कि दोनों देशों के अधिकारी मिलकर उन रकमों को छाटे और केन्द्र और बटे हुए राज्यों के लेनदेन चिट्ठे तैयार करें, जिनके आधार पर विभाजन ऋण तय होगा है । उस निर्णय के अनुसार दोनों देशों के अधिकारियों की तीन बैठकें हुईं, एक कराची में और दो नयी दिल्ली में । मुझे इस बात की खुशी है कि अधिकारियों ने अधिकार वार्ता के बारे में एक महत्त्व चिट्ठा तैयार कर लिया है । फिर भी कुछ बड़ी-बड़ी मद्दों के बारे में सहमति नहीं हुई । इनमें से मुख्य हैं (१) सैनिक सामग्री का बटवारा और उसका मूल्यांकन, (२) विभाजन के समय का बचका लागू कर और वह रकम जो उस दिन तक बच लगाने योग्य थी और बाद में उस पर कर लगाया गया होता, और (३) पंगन की देनदारी । इन तीनों मद्दों की रकमें काफी बड़ी हैं और इनके आन्तरिक के लिए आवश्यक जानकारी अपूर्ण है और जल्दी मिलनी नहीं । अधिकारियों के पूरी कोशिश करने पर भी इन बारे में वे आगे नहीं बढ़ सके और अंत में यह मामला दोनों देशों के

मन्त्रियों के सामने जाया-। हमने भी इनकी कुछ जोर भेजदारी के बारे में फंमला करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ आंकड़े न मिलने के कारण न तो कर्ज की रकम तय हो सकती है और न भुगतान की विधि-ए ही निर्दिष्ट की जा सकती है, जो अगस्त १९५२ में ही शुरू हो जानी चाहिए थी। इसलिए अब निम्नलिखित पहलें जैनी है। विभाजन प्राप्य ता विवरण न होने में उन नश का भी भुगतान रहा है, जो तय है।

मुझे इनमें मनेह नहीं कि इन अंतिम बातों का कुछ नतीजा न निरन्तर में दोनों देशों में कुछ निराशा होगी। फिर भी मैं इन अमचन्ता में निराशा नहीं हुआ हूँ। मैं परई बार इन नश में यह चूहा हूँ कि मंटीय नशों के बारे में आग्नि रूप में कोई निश्चय करना न आमान है और न उचित। पाकिस्तान के वित्त मंत्री भी हमारी ही तरह उचित और अंतिम फैसले के लिए बहुत इच्छु है। हमारा विचार-विमर्श बहुत मित्रता और सहयोग के वातावरण में हुआ और हम दोनों अन तय, यानी मेरे हवाई अड्डे को चयन तक इस बारे में बराबर बातचीत करने रहे। हम दोनों अनुभव करते हैं कि हमें अपने मतभेद दूर करने के लिए सविध्य में भी कागिज करने रहना चाहिए और हम दोनों ने जन्दा ही एक बार फिर मिलने का निश्चय किया है। मैं मुदन और जनता में अनुरोध करता हूँ कि वे इस बातचीत के समाप्त होने तक मेरी तरह धीरज न वाम ले।

**वित्त मंत्रियों की बैठक**

**भारत** और पाकिस्तान के वित्त मंत्रियों का ३ दिन की बैठक २४ मार्च, १९५० में रावलपिण्डी में हुई।

दोनों मन्त्रियों की बातचीत में पहले २२ और २३ मार्च को रावलपिण्डी में दोनों सरकारों के अधिकारियों की बैठक हुई। बातचीत में भाग लेने वाले भारतीय अधिकारियों के नाम ये हैं वित्त मन्त्रालय के आंतरिक सचिव श्री के० पी० मथरानी, सचुक्त सचिव श्री दिव नाम सिंह और अवर सचिव श्री आर० सरन। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के डिप्टी गवर्नर श्री एम० वी० रगवारी जैसे साथ वित्त मंत्री के सहायकार के रूप में गए। सभी अधिकारी २८ मार्च को दिल्ली वापस आ गए।

**भारतीय आकाशो सीमा का उल्लंघन : प्रतिरक्षा मंत्री का वक्तव्य**

कई मूषों में हम विदेशी विमानों द्वारा अपनी आकाशों सीमा के उल्लयन के बारे में सूचनाएं मिली हैं। इन मूषों के बारे में यथाना मार्बजना हित में नहीं है। फिर भी मैं यह बता देना चाहता हूँ कि १८ दिगम्बर, १९५९ के मेरे वक्तव्य के बाद उत्तर-पूर्वी सिमांत अभिकरण में जिन विमानों ने उड़ानें कीं, वे पहचाने नहीं जा सके। ये ग उड़ानें दिन छिाने के बाद और भीर में पहले रात में हुई। अधिकार सूचनाएं विमान उरने को आवाजों की हैं। कई बार विमान की लाज वातिया दिखाई पड़ने की भी गवरे मिली। कई बार जेट विमान की भी आवाज सुनाई पड़ी। हमें इस जयधि में अभी तक ४२ बार विदेशी विमानों की आवाजें आने या वातिया दिखाई देने की सूचना मिली है। यह भी सम्भव है कि एक ही विमान की कई जगह और कई स्थानियों को आवाज सुनाई दी हो। इसलिए इन उड़ानों में विमानों की सख्या निस्तान्देह ४२ में कम होगी। हमारे विमानों का पहना है कि ये उड़ानें एक ही तरह की हैं और आवाजें हमना उत्तर की ओर जाकर विलीन हो गयी।

यह सूचना प्रतिरक्षा मंत्री, श्री गलोज कृष्ण कृष्णमनन ने १८ मार्च को लोकमभा में एक वक्तव्य में दी।

यं घटनाएं ६ फरवरी से २३ फरवरी तक की हैं। हमारे विशेषज्ञों का विचार है कि ये उड़ानें देवमाल के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि रात में बहुत ऊंचाई में यानों पर का कुछ नहीं दिखाई दे सकता और यदि इनका उद्देश्य फोटो लेना हो तो रोशनी फेकी जानी चाहिए। लेकिन यह रोशनी (पलेश) कभी नहीं दिखाई दी। इसलिए इनका उद्देश्य कुछ और ही होना चाहिए।

इसके बाद श्री मंगन ने उत्तर-पूर्वी सीमांत अभिकरण को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में १५ फरवरी से २३ फरवरी के बीच विदेशी विमानों की उड़ानों का जिक्र किया। इनके बारे में हमारे पजार और प० बवाल के स्थलनिक और वायुसेनिक अड्डों से हमें सूचनाएं मिली हैं। ये सब विमान पहचान लिये गए और ये पाकिस्तान को लौट गए।

**विदेशियों के प्रवेश-पत्र**

**सू** १९५९ में भारत में ३२,२८३ विदेशियों को प्रवेश की अनुमति दी गई। १९५८ में यह सख्या ३२,०७३ थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि विदेशियों को भारत के प्रवेश-पत्र देने में किसी प्रकार की कमी हुई है। अभी तक कई विदेशी वृतावासी से इस बारे में सूचना नहीं मिली है।

यह सूचना २४ मार्च को स्वराष्ट्र मन्त्री, श्री गोविन्द वल्लभ पंत ने एक वक्तव्य में लोकमभा में दी।

वक्तव्य में कहा गया है कि प्रवेश-पत्र पाने वाले कुल विदेशियों की सख्या इन दिनों वर्षों में इस प्रकार रही अमरीकी १३,८६५ और १०,५०३, जर्मनी ११५ और ३,१८१, फ्रांसीसी १,९२८ और २,१७८, जर्मन २,५७७ और ३,०५० और रूसी १,३६५ और १,३४६।

१९२८ के पारपत्र अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रमण्डल के देशों (पाकिस्तान, लका और ईसाई मिशनरियों को छोड़कर) और आयर के नागरिकों के थलाया सब विदेशियों को भारत में प्रवेश करने या भारत में होकर यात्रा करने के लिए अपनी सरकार के पारपत्र के माय-साथ भारत सरकार से प्रवेश-पत्र लेना भी जरूरी है।


**भारत में विदेशी मिशनरी**

**१** जनवरी, १९५९ तक देश में ४,८०२ विदेशी मिशनरी थे। १९५९ में २८२ मिशनरियों को प्रवेश-पत्र दिए गए, किन्तु इनमें से कितने यहाँ वास्तव में आए, इस बारे में ठीक जानकारी नहीं है।

यह सूचना १६ मार्च को लोकमभा में स्वराष्ट्र मन्त्री, श्री गोविन्द वल्लभ पंत ने एक प्रदन के उत्तर में दी। मन्त्री महोदय ने बताया कि प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी १९५९ तक भारत में विदेशी मिशनरियों को ५ करोड़ ६ लाख ३० हजार ६० मिला।

**भूतान को भारतीय इंजीनियर**

**भू**तान में सड़के बनाने के लिए वहाँ को सरकार को भारत सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर दिया है। इस र्जी





की देखरेख में भूदान के भीतर ५ मड़कों बनाई जाने की सम्भावना है ।

यह सूचना निर्माण, आवास तथा पूति मन्त्री, श्री कवासम्बलजी चंगलराया देहूडी ने १७ मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी ।

## जनवरी-फरवरी १९६० में विशेष पुलिस संगठन का काम

इस वर्ष जनवरी महीने में १० सरकारी कर्मचारियों तथा तीन और लोगों को एक वर्ष तक की कद और ३ हजार ४०० जुमाने की की मजा दी गई । इनके खिलाफ केन्द्रीय स्वराष्ट्र मन्त्रालय के विशेष पुलिस संगठन ने मुकदमा चलाया था ।

इसी महीने ९ और मामलों के मुकदमे दायर किए गए, जिनमें ११ गैर-गजटर्ड अधिकारियों पर धोखाधड़ी आदि का इन्जाम लगाया गया था । २९ सरकारी कर्मचारियों को विभागीय मजा दी गई । इनमें ५ गजटर्ड अधिकारी भी थे । २ अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया । ३ कर्मचारियों को नौकरी से अलग कर दिया गया । १ कर्मचारी की नौकरी खत्म कर दी गई तथा २३ अन्य कर्मचारियों को दूसरी मजाएँ दी गईं ।

इनके अतिरिक्त २० कर्मचारियों के खिलाफ उनके विभागों के उपयुक्त कार्रवाई करने की रक्षा गया ।

७२ मामलों में मुन्नी जाफ़ मरु की गई । इनमें १५ सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, जिनमें से ११ गजटर्ड अधिकारी हैं ।

## फरवरी मास का काम

फरवरी १९६० में स्वराष्ट्र मन्त्रालय की विशेष पुलिस द्वारा चलाये गये मुकदमों के कारण २३ सरकारी कर्मचारी, जिनमें २ गजटर्ड अधिकारी भी हैं, अदालतों के सामने मुकदमों में पेश हुए । इन पर धोखा देने, स्पष्टाचार और धन के दुरूपयोग के अधिचारा हैं ।

इस महीने में पाच सरकारी कर्मचारी और ३ गैर-सरकारी व्यक्तियों को अदालत में मजा मिली । उन्हें एक मास तक की मजा और ५०० मिलानकर १,३०० ६० का जुर्माना किया गया ।

विभागीय कार्रवाई के कारण ४ सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से अलग किया गया, १४ की वेतन-वृद्धि रोक दी गई तथा ५ को अन्य प्रकार से दंड दिया गया ।

फरवरी में ८ मामलों में लोगों के विरुद्ध जाल डालकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया । ७ सरकारी कर्मचारियों को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया । १ गैर-सरकारी व्यक्ति को एक ऐसा रजिस्ट्री लिफाफा स्वीकार करते पकड़ा गया, जिसमें कुछ विदेशी माल के आयात के लिए लाइसेंस था । उसने झूठे कागजात पेश करके एक झूठी फर्जी कम्पनी के नाम से ये लाइसेंस प्राप्त किया था ।

इस महीने में १०७ सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जिनमें २० गजटर्ड अफसर थे, खली जाच भी प्रारम्भ की गई । गजटर्ड अफसरों में ७ रेलों के थे, ४ प्रतिरक्षा मन्त्रालय के, ३ केन्द्र-शासित प्रदेशों के और वंशानिक अनुसंधान तथा सस्कृति मन्त्रालय, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, वित्त मन्त्रालय तथा केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग और दामोदर घाटी निगम और दुर्गापुर इस्पात कारखानों में से प्रत्येक का एक-एक अफसर था ।

## हिमालय पर्वतारोहण संस्था की कार्य-परिषद की बैठक

नयी दिल्ली में २० मार्च को प्रधान मन्त्री, श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हिमालय पर्वतारोहण संस्था, सार्वजनिक की कार्य-परिषद की ८वीं बैठक हुई । इस बैठक में यह बात निश्चित रूप में स्वीकार कर ली गई कि हिमालय पर्वतारोहण संस्था का उच्च पाठ्यक्रम बदला जाए जिससे वह प्रारम्भिक पाठ्यक्रम के साथ-साथ दम प्रकार चल सके कि प्रति वर्ष २० व्यक्ति पर्वतारोहण की उच्च शिक्षा शुरू कर सकें ।

परिषद ने इस बात पर गंभीर प्रकट किया कि देश के अधिकतर राश्यों में छात्र पर्वतारोहण योग्यता के लिए मंथना में आते हैं । विभिन्न राश्यों में चट्टानों पर चढ़ाई का पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव परिषद ने स्वीकार कर लिया । मर्यादा के विभिन्न, विभिन्न प्रकार के शान सिंह का जूना-गाल २ वर्ष के लिए और बड़ा दिया गया । बैठक में परिषद

बंगाल के प्रधान मन्त्री, डा० विवान चन्द्र राय, महाराजा पटियाला; केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान और सस्कृति मन्त्रालय के सचिव, प्रो० एम० एस० ठैकर और श्री एम० एन० खेतान भी उपस्थित थे ।

## निर्माण, आवास और पूति मन्त्रालय के मुख्य टेक्निकल परीक्षक को रिपोर्ट

निर्माण, आवास और पूति मन्त्रालय के मुख्य टेक्नीकल परीक्षक को छमाही रिपोर्टें देनी शुरू की गई हैं । रिपोर्टें में बताया गया है कि केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जो नयी इमारतें आदि बनाई हैं, उनकी किस्म अच्छी है । विभाग के काम को बराबर जांच की जाती रही है, इसलिए ठेकेदार तथा विभाग के अधिकारी अच्छे इमारतें बनाने में प्रयत्नशील रहे ।

रिपोर्ट में बताया गया है कि इमारतों आदि के मरम्मत का काम ठीक ढंग में नहीं हो रहा है । इस सम्बन्ध में विभाग को आदेश दिए जाने चाहिए । पैसे के भुगतान में अदेयमितताएँ रही हैं और अनक गलतियाँ दुहराई गई हैं । जाच स पता चला है कि लगभग २० लाख ६० का अधिक भुगतान कर दिया गया । ये पैसे मुख्य इंजीनियर को वता दी गयी हैं, ताकि वे ऐसे गलतियाँ रोकने के लिए उचित कार्रवाई करें ।

मुख्य टेक्निकल परीक्षक का कार्यालय १९५७ में खोला गया था । तब से उनमें ३३ मामलों अनुयायनात्मक कार्रवाई के लिए निगरानी टुकड़ी (विजिलेंस सेवमन) की भेजी । इनमें से अब तक २३ अधिकारियों को चेतावनी देने में वेतन घटाने तक का दण्ड दिया जा चुका है । इनमें ६ एकत्रियुद्ध इंजीनियर, १० सहायक इंजीनियर और ७ सेवक अधिकारी भी हैं । ठेकेदारों के विरुद्ध भी उचित कार्रवाई की गई । जिन मामलों में बहुत अधिक अनियमितता पाई गई, उनमें सम्बन्धित अधिकारी और ठेकेदार, दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई ।

यह कार्यालय विशेष पुलिस दल के सहयोग में काम करता है । इनमें दल को अब तक ११ मामलों को जांच करने में मदद दी ।

यह कार्यालय केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के काम को जांच करने के लिए खोला गया, ताकि विभाग का सर्वोत्तम हो और उनके

राम पर नियंत्रण रहे। बागोंदर राम के दौरान तथा राम पूरा होने पर भी जांच करना है और बि.ल. डेके मजदूरों के रजिस्टर अदि को भी देवना है।

## स्वराष्ट्र मन्त्रालय द्वारा काम जल्दी निपटाने के लिए कदम

सम्बन्धी कामकाज का जल्दी निपटारा करने के लिए स्वराष्ट्र मन्त्रालय ने अपने अनुभाग (नेचमन) जोर काम के दग का पुनर्गठन किया है और अपने नीचे काम करने वाले दफ्तरों के प्रमुखों का अधिा वित्तीय अधिकार दे दिए है।

अब हर मन्त्र मन्चिद अपने अधीन उप-मन्चिकों, अवरमन्चिका जोर अनुभाग-अधिकारियों (नेचमन अफसरों) से हर महीने मिलना है और वने हुए मामलों को निपटाने के बारे में विचार किया जाता है।

कुछ दिन पहले स्वराष्ट्र मन्चिन ने मन्त्रालय के अनुभागों के काम की जांच के लिए अफसरों का एक टल नियुक्त किया था और अनुभागों के काम का टम टम म बटवारा किया गया कि १० प्रतिशत मन्चिकारियों की वमी को जा मकी।

काम का टम र्गति मे पुनर्गठन किया गया है कि कहीं भी दृष्टरा काम न हो। अनुभाग के काम को वा नों उपमन्चिद देव ले या अवर-मन्चिद, दोनों नहीं।

नीचे के दफ्तरों के प्रमुखों के वित्तीय अधिकार बढा दिए गए हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के प्रशासन (एडमिनिस्ट्रेटर) और दिल्ली के मुख्य आयुक्त (चीफ कमिश्नर) अब २५ लाख रु० के मन्च की योजनाओं को मजूी दे सकेंगे। इसी प्रकार मणिपुर, त्रिपुरा और अडमन-निकोबार द्वीपों के मुख्यायुक्त १० लाख रु० तक की योजनाओं को स्वीकार कर सकेंगे।

मन्त्रालय ने यह भी निम्चय किया है कि जब किसी योजना को आयोजन आयोग वार्षिक योजना मे शामिल करने की मजूरी दे दे, तो फिर इस पर शमल करने के लिए केन्द्रीय सरकार की इजाजत की जरूरत नहीं होगी।

## लोअर डिबिजन बलकें परीक्षा

२१ मार्च को लोकसभा में स्वराष्ट्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री, श्री दातार ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि दिगम्बर १९५८ में लोअर डिबिजन बलकों की जो परीक्षा हुई थी, उसमें १२५ उम्मीदवार केन्द्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा भर्कल घोषित किए गए। इसमें से ९१२ उम्मीदवारों को तीसरी दी जा चुकी है और २६ को जल्दी ही तीसरी दी जाएगा।

श्री दातार ने बताया कि बाकी ३२७ उम्मीदवार विभिन्न मन्त्रालयों और गेण्टल मेन्टेनेन्सट कंटेरिबल मन्चिग म्कीम में शामिल अन्य दफ्तरों में तथा रेल मण्डल में अस्थायी लोअर डिबिजन बलकें हैं। इन लोगों को तीसरी नहीं दी गई है।

## सरकारी कर्मचारियों को बषाट

निर्माण, आवास और पूति मन्त्री, श्री नेट्टी ने ९ मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के ज्जित उत्तर में बताया कि अब तक

२८,७६८ सरकारी कर्मचारियों को बषाटर् दिये जा चुके हैं और ३८,०८५ को अभी तक नहीं दिये जा सके।

उन्होंने बताया कि पहली और दूसरी योजना में सरकार ने २७,६३९ बषाटर् बनाने की स्वीकृति दी थी। इनमें से १७,८०० बषाटर् बनाये जा चुके हैं। बाकी बन रहे हैं।

## केन्द्रीय कर्मचारियों द्वारा हिन्दी का अध्ययन

हिन्दी पठाने की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के तीसरी श्रेणी और उगसे ऊंची श्रेणी के ६१,७०६ अधिकारियों ने हिन्दी पढ़ी। हिन्दी सीखने वालों को नगद पुरस्कार दिए गए तथा सविस्-युक्त में उनके नाम दर्ज किए गए।

यह सूचना ३० मार्च को लोकसभा में स्वराष्ट्र मन्त्रालय में मन्त्री, श्री बलबल नगेन दातार ने दी।



## राष्ट्रीय विकास परिषद की चौदहवाँ बैठक

नयी दिल्ली में १९ मार्च को राष्ट्रीय विकास परिषद का चौदहवाँ अधिवेशन शुरू हुआ। अपने उद्घाटन भाषण में प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने कहा कि तीसरी योजना को अंतिम रूप देते समय हमें चौथी और पाचवी योजनाओं को भी ध्यान में रखना होगा। पिछले कुछ वर्षों में हमें जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उसके कारण अब हम आयोजना की विभिन्न बातों पर ज्यादा अच्छी तरह विचार करने की स्थिति में हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कितनी कड़ी मेहनत करते हैं।

श्री नेहरू ने कहा कि जैसा कि राष्ट्रपति ससद में आपने भाषण में कह चुके हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य मल उद्योगों, कृषि उत्पादन और ग्राम-विकास के बारे में पक्की वनिमाद डालना है। पिछले दो-तीन

वर्षों में देश ने उत्पादन के आधुनिक तरीके अपनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा निश्चय ही कुछ असंतुलन पैदा हो गया है लेकिन ऐसा होना अनिवार्य है क्योंकि हम बरसों में किए जाने वाले काम को कुछ ही समय में कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री नेहरू ने कहा कि एक प्रगतिशील अर्थ-व्यवस्था में भाव चढते ही हैं, हा, अगर भाव एक खास सीमा से आगे बढ जाते तो उन पर नियंत्रण रखना ही होता है।

श्री नेहरू ने कहा कि कृषि और उद्योग में कोई सपर्ष नहीं है। मे समझता हूँ कि कृषि के क्षेत्र में उन्नति हुए बिना और औद्योगिक विकास नहीं हो सकता है। स्पष्ट है कि आधुनिक तरीके अपनाये बिना और बडे पैमाने पर औद्योगिक विकास किए बिना रहन-सहन का स्तर ऊंचा नहीं उठ सकता। इसीलिए मशीनों बनाने के मूल उद्योगों का विकास होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अगर देश में इन दो क्षेत्रों में प्रगति नहीं होती तो

हमें हमेशा ही अभ्य देखो पर निर्भर रहना पड़ेगा ।

सरकारी और गैर-सरकारी उद्योगों के विषय में श्री नेहरू ने कहा कि इनके सम्बन्ध में भावात्मक दृष्टि अपनाना ठीक नहीं है । सविधान में आर्थिक सत्ता के कुछ व्यक्तियों के हाथ में जाने देने के खिलाफ स्पष्ट निर्देश हैं । कुछ व्यक्तियों के हाथ में आर्थिक सत्ता का रहना निजी सेनाएं रखने के समान है ।

श्री नेहरू ने कहा औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव से सरकार की नीति और रवैयें का पता चलता है । इससे मंकेत मिलता है कि देश के लिए किन दिशा में आगे बढ़ना लाभकारी होगा ।

बाबो में नये तरीके शुरू करने की चर्चा करते हुए श्री नेहरू ने कहा कि अंततः कृषि की प्रगति किसानों पर निर्भर करती है । किसानों को जिन बातों से प्रोत्साहन मिलता हो, उन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए । इसी उद्देश्य से सामुदायिक विकास आन्दोलन शुरू किया गया है और सहकारी आन्दोलन दृढ़ करने की कोशिश की गई है ।

देश की आर्थिक योजना बनाने से सम्बद्ध सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद ने २० मार्च को तीसरी योजना के लिए योजना आयोग द्वारा तैयार किये गए स्मरण-पत्र के मसविदे पर और विभिन्न कार्यों के लिए निश्चित राशियों पर प्रारम्भिक विचार-विनिमय पूरा कर लिया । योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में कुल मिला कर सत्तर अरब रुपये खर्च किया जाएगा जिसमें से ५९ अरब ५० करोड़ रुपये कारखाने, पुल आदि बनाने पर खर्च किया जाएगा ।

योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि तीसरी योजना में प्रारम्भिक आयोजन के लिए विभिन्न मर्दानों रूपयों की व्यवस्था इस प्रकार करनी होगी : उद्योग और खनिज १३ अरब रुपये, परिवहन और संचार १४ अरब ५० करोड़ रुपये, समाज सेवा और सार्वजनिक कार्य १२ अरब ५० करोड़ रुपये, और कृषि तथा सामुदायिक विकास १० अरब रुपये ।

अनुमान लगाया गया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में तीसरी योजना के दौरान ४० अरब रुपये खर्च होगा जिसका ब्योरा इस प्रकार है :

उद्योग और खनिज १० अरब रुपये, वेहातों में मकानों की व्यवस्था और निर्माण १० अरब ७५ करोड़ रुपये और कृषि ८ अरब रुपये ।

बैंक में प्रधान मन्त्री ने इस बात पर जोर दिया कि योजना मन्त्री ने जो भी अनुमान पेश किए हैं, वे इस समय अंतिम नहीं हैं । इनमें से कुछ पर योजना आयोग और केन्द्रीय मन्त्रालयों की समिति के बीच और आगे विचार किया जा रहा है । योजना आयोग और यह समिति उन सब परिवर्तनों पर विचार करेगी जो हाल ही के विचार विनिमय में मानने आए हैं । यह प्रस्ताव मूल रूप-से एक आवार है, जिन पर केन्द्रीय मन्त्रालय और राज्य सरकारों अगली कार्रवाई शुरू कर सकती है ।

स्वराष्ट्र मन्त्री श्री पंत ने कहा कि एक ही जगह बहुत-से उद्योग इकट्ठे न हो जाए, यह सिद्धान्त पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन कुछ सीमाओं को देखते हुए कमी-कमी बहुत-से उद्योग एक ही जगह बनाना अनिवार्य-ना हो जाता है । उन्होंने कहा कि यह उचित ही होगा कि कुछ बड़े-बड़े कारखानों पर बहुत अधिक ध्यान केन्द्रित न किया जाए । बहुत अधिक खर्च किए बिना हर राज्य में, छोटे पैमाने के उद्योग और औद्योगिक मशकफर सस्थाएं बनाकर अपने लोगों की भलाई के लिए काफी काम कर सकता है ।

श्री नेहरू ने स्वराष्ट्र-मन्त्री के विचारों से सहमत प्रकट की और कहा कि बड़े-बड़े कारखाने बनाना जरूरी है, लेकिन खेती, छोटे पैमाने के उद्योगों और छोटी पनबिजली योजनाओं पर और जोर दिया जा सकता है ।

कुछ राज्यों के वित्त मंत्रियों ने कहा कि घटिया किस्म का कोयला और घटिया वित्त के खनिज लोह को विकसित करना बड़ा महत्व-पूर्ण सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ये चीजें पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के इलाके से बाहर देग के अनेक भागों में उपलब्ध हैं ।

## मलेरिया उन्मूलन के लिए प्रमरीकी सहायता

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को चलाने के लिए इस वर्ष डी.डी.टी. की सप्लाई में जिस कमी का अनुमान था वह

२५ मार्च को भारत सरकार और अमरीकी गिल्सिफा सहयोग मिशन के बीच हुए एक समझौते के फलस्वरूप दूर हो जाणी । गिल्सिफा सहयोग मिशन से २१ लाख २४ हजार डालर और भारत सरकार से २५ लाख ५२ हजार डालर, डी.डी.टी. की खरीदने के लिए मिलेगी । यह कीटनाशक औषधि मच्छरों को मारने के लिए इस्तेमाल की जा रही है । मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए गिल्सिफा सहयोग मिशन ने पहले ४ लाख ५६ हजार डालर देने स्वीकार किए थे, जिससे माइक्रो-स्कोप और जीपें आदि खरीदी जानी थी । अब इस राशि का एक अंश डी डी टी खरीदने पर व्यय किया जाएगा ।

पिछला वर्ष मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का पहला पूर्ण वर्ष था । इस वर्ष के दौरान जो अनुभव हुए, उनसे पता चला कि कमी अमरीकी अनुदान के अन्तर्गत जितना डी डी टी मिर रहा है, इस कार्यक्रम को चलाने के लिए उन्ने अधिक की जरूरत पड़ेगी । भारत सरकार और अमरीका ने मिल कर जो कदम उठाए, उनके फलस्वरूप एक समझौता २५ मार्च को हुआ जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध होगी ।

इस समझौते से पहले अमरीका ने मलेरिया उन्मूलन और मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रमों के लिए ३७ २ करोड़ ६० को सहायता दी थी ।

सात वर्ष पहले यह अनुमान था कि भारत में प्रति वर्ष ७ करोड़ ५० लाख लोगों को मलेरिया होता है और उससे ८ लाख व्यक्ति मरते हैं । १९५३ में भारत सरकार ने मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम शुरू किया था और १९५८ में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य निर्धारित किया गया ।

मलेरिया निरोधक आन्दोलन की सफ़र का पता मलेरिया के रोगियों की सख्या में हुई कमी में चलता है । १९५९ में कुल ४० लाख व्यक्तियों को मलेरिया हुआ और इन रोग से १० हजार व्यक्ति मरे । अगले कुछ वर्षों में जब मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, तब रोगियों की सख्या लालों में गही, बल्कि सैकड़ों में ही रह जाणीगी ।

इस समझौते पर वित्त मन्त्रालय के सदस्य मन्चिव, श्री एन. सी. सेतगुप्ता, आई. सी. एन. और अमरीका के श्री मी. टी. टाइलर बुद्ध ने हस्ताक्षर किए ।

## विश्व बैंक का प्रतिनिधि मण्डल भारत में

अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के ६ प्रतिनिधियों का एक मण्डल १० मन्त्राह तक भारत में टहर कर, गौरी पंचबर्षीय योजना को प्थान में रगत हुए भारत की अर्थ-व्यवस्था का अध्ययन करेगा। दूसरी पंचबर्षीय योजना के शुरू होने में पहले भी इसी तरह का एक मण्डल भारत जाया था। अब इन प्रतिनिधि मण्डल को विश्व बैंक के अध्यक्ष भेज रहे हैं, जिन्होंने हाल में भी तीन विज्ञानों को भारत भेजा था।

प्रतिनिधि मण्डल के नेता, श्री माइकेल हाकमन, जो जापान विकास सस्था के निदेशक भी हैं, २६ मार्च को दिल्ली पहुंच गए। एक जोर सदस्य, श्री पांटर राइट भी उनके साथ आए और अन्य डा सदस्य भी बाद में पहुंच गए। पांचवा सदस्य जगते महीन के मध्य तन भारत आया और छठा सदस्य नयी दिल्ली में ही हैं।

प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य वित्त मन्त्री, श्री मोरारजी देसाई में मिल कर, भारत सरकार के अन्य अधिकारियों में चार दिन तक बातचीत करेंगे। य लाग आयाजन आयांग के उपाध्यक्ष, श्री बी० टी० कृष्णमाचारी से भी मिलेंगे। ३ अप्रैल को य लॉन देन के दोरे पर निकल जाएंगे और बहुत-से स्थानों पर उद्योगों, सामुदायिक विकास योजनाओं आदि को देखेंगे तथा विभिन्न व्यक्तियों में विचार-विमर्श करेंगे। अप्रैल के अन्तिम सप्ताह में ये लॉग नयी दिल्ली लौट आएंगे और फिर भारत सरकार के अधिकारियों से बातचीत करेंगे।

## रक्षित और रक्षित-पूर्वी एशिया में कोलम्बो योजना के विशेषज्ञ

इस साल फरवरी के अंत में दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में कोलम्बो योजना के अंतर्गत ४२७ विनियोजन काम कर रहे थे। इन विनियोजनों का काम इन देशों में नये उद्योग और दिल्लि चाल करना और पहले में चाल उद्योगों को बड़ावा देना है।

इनमें से ४० विशेषज्ञ भारत में हैं। इन्होंनेशिया में सबसे अधिक—१२० विशेषज्ञ

हैं। अन्य देशों में कोलम्बो योजना के विनियोजनों का मोटा इन प्रकार हैं किर्गिस्तान—७३; मला—६२, बर्मा—१४, कम्बोडिया—६; लाओस—१६, मलाया—१६; नेपाल—५; उत्तर चीनियों—३, पाकिस्तान—१५, मरावाक—१३, सिंगापुर—४; थाई देन—२५ और विपतनाम—१५।

ये विनियोजन अमरीका, कनाडा, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया के हैं। सबसे अधिक २३६ विनियोजन अमरीका के हैं। इनके अन्तर्गत ब्रिटेन के ४९, कनाडा के ३९, आस्ट्रेलिया के ३६, भारत के ३, जापान के ३४ और न्यूजीलैंड के ३० विशेषज्ञ हैं।

इनमें धातुकर्म, हवाई पड़ताल, केमिकल इन्जीनियरी, जल जीव-विज्ञान, हवाई जहाज की इन्जीनियरी, प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की ट्रेनिंग और गृह विज्ञान के विनियोजन हैं।

## कोलम्बो योजना के अन्तर्गत पूना के अनुसन्धान केन्द्र के लिए उपकरण

केन्द्रीय मिचार्ड और विजली उपमन्त्री, श्री जयगुल लाल हाथी ने २८ मार्च को प्रस्तोत्तर के समय लोन्गभा में बताया कि पूना के केन्द्रीय पानी और विजली अनुसन्धान केन्द्र को कोलम्बो योजना के अन्तर्गत ४ लाख ६० हजार रु० के उपकरण उपहार में मिले हैं। श्री हाथी ने कहा कि ये उपकरण नदी और वाड निर्वण, बन्दरगाहों के विकास, नदी-घाटी योजनाओं के बांधों और मिट्टी तथा

निय इन्जीनियरी सम्बन्धी अनुसन्धानों में काम आएंगे।

अनुसन्धान केन्द्र को १९५४-५५ से वित्तम्बर १९५९ तक कोलम्बो योजना के अन्तर्गत जो सामान मिला है, उपमन्त्री महोदय ने उसकी सूची भी सदन को भेज पर रखी।

## पीतल के अथने और इकानिया

संस्कार आना-पाइयों के सब सिक्कों का चलन धीरे-धीरे बंद करने का निश्चय कर चुकी है। इसी नीति के अनुसार पीली इकानिया और अथनों का चलन बन्द किया गया।

यह सूचना एक प्रसन के उत्तर में वित्त उपमन्त्री, श्री बलिराम मगत ने २१ मार्च को लोन्सभा में एक वक्तव्य में दी, जिसे उन्होंने सदन की भेज पर रखा।

वक्तव्य में कहा गया है कि ३० नवम्बर, १९५९ तक ३ अरब ४ करोड़ ९६ लाख पीतल की इकानिया और अथने डाले गए। इनमें से १ अरब ७२ करोड़ ४८ लाख इकानिया थी और १ अरब ३२ करोड़ ४८ लाख अथने थे। इसी तारीख तक दोनों तरह के १ अरब १९ करोड़ ४२ लाख सिक्के वापस ले लिए गए। इनमें से ८१ करोड़ ७० लाख इकानिया थी और ३७ करोड़ ७२ लाख अथने। बाकी ९० करोड़ ७८ लाख इकानिया और ९४ करोड़ ७६ लाख अथने या तो खो गए या नष्ट हो गए या बर्मा और पाकिस्तान में चल रहे हैं या खजानो आदि को नही लौटाए गए, जहा वे अभी लिए जा सकते हैं।



## नया भारत-पाक व्यापार समझौता

२७ मार्च को बाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय और पाकिस्तान के व्यापार सिष्टमण्डल की एक संयुक्त विज्ञप्ति में भारत और पाकिस्तान में एक नये व्यापार करार की घोषणा की गई है। इस करार पर अभी अमल शुरू हो जाएगा और यह २ साल तक चलेगा। यह

दोनों में से कोई सरकार करार को खतम करने का नोटिस नही देगी तो इसे १ साल के लिए और बढ़ाया जा सकेगा।

दोनों सिष्टमण्डलों ने पहले के व्यापार करार को भी २० मार्च, १९६० तक बढ़ाने के बारे में एक-दूसरे को पत्र दिए हैं।

नए करार के अनुसार अब दोनों देन एक-दूसरे को २ करोड़ रु० की बजाय ४ करोड़ १० लाख रु० तक का माल भेज सकेंगे।

लिए ३ दिसम्बर, १९५९ को कराची में हुए सीमित भूगतान करार को रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तान भारत को १ करोड़ ६० की पटसन की फॉटिंग देगा और १ करोड़ से बड़ाकर ११ करोड़ ६० की कपास का निर्यात करेगा। इसके बदले भारत पाकिस्तान को १ करोड़ ६० का लोहा और इस्पात और ७० लाख ६० की बजाय ११ करोड़ ६० का सीमेंट और बीड़ी की पत्ती देगा।

अन्य मामलों के अलावा इन चीजों को भी दोनों देशों के आयत-निर्यात में शामिल कर लिया गया है - पाकिस्तान में पान, किन्म, मछली (सूखी और नमक लगी), दवाएँ (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेधा नमक, मुपारी, कपोक इत्यादि और भारत से पान, किन्म, मसाले, मूगफली और पत्थर।

नये व्यापार करार के साथ दो सूचियाँ हैं। एक सूची में भारत से पाकिस्तान को निर्यात की जाने वाली चीजों के नाम हैं और दूसरी में पाकिस्तान से भारत को मिलने वाली चीजों के। दोनों देशों में एक-दूसरे के व्यापार के लिए वही सुविधाएँ दी जाएंगी जो निकटतम सम्बन्ध वाले देशों को मिलती हैं।

व्यापार-वार्ता के लिए पाकिस्तान का प्रतिनिधि मण्डल १४ मार्च को दिल्ली पहुँचा था। इसके नेता पाकिस्तान के वाणिज्य मन्त्री, श्री हफीजुर रहमान थे। शुरु में श्री हफीजुर रहमान और भारत के वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री में बातचीत हुई और फिर दोनों शिष्टमण्डलों के अधिकारियों में। पिछला व्यापार समझौता ३१ जनवरी १९६० को खतम हो गया था।

करार पर भारत की ओर से श्री के० बी० लाल ने और पाकिस्तान की ओर से श्री आई० ए० खान ने हस्ताक्षर किए।

पिछले समझौते की तरह भारत में पाकिस्तान कोयला, कड़ी तथा मुलायम लकड़ी और पत्थर भेजने के लिए दोनों देशों की सरकारों ने एक संधि की। इस संधि के अन्तर्गत पाकिस्तान भारत को रुबची पटसन भी भेजने को राजी हो गया है। पटसन की किस्म तथा मात्रा के बारे में बाद में तय किया जाएगा। कोयले के यातायात में दिक्कतों के बावजूद भारत पिछले व्यापार समझौते के अन्तर्गत पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान को प्रति मास

१ लाख टन कोयला भेजने के अलावा हर महीने ३० हजार टन अतिरिक्त कोयला रेल या जहाज में पाकिस्तान को पहुँचाने की व्यवस्था करेगा।

पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी बंगाल, आसाम और त्रिपुरा की सीमा पर दैनिक तालक की पट्टी पर रहने वाले लोगों की प्रति दिन की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापार समझौते की अनुसूची 'घ' में जो व्यवस्था की गई थी, उसके बढ़ाने के प्रश्न पर भी विचार किया गया। पाकिस्तान प्रतिनिधि मण्डल ने कहा कि सीमा व्यापार बंध व्यापार नहीं रह पाता, किन्तु वह इस प्रश्न पर फिर विचार करने को सहमत है।

दोनों देशों के प्रतिनिधि इस बात पर सहमत थे कि विभिन्न वस्तुओं, जैसे—कच्चा पटसन, कपास, कोयला, जन्ववारी कागज, लोहे के ढोके, कई प्रकार के इस्पात, सीमेंट और लकड़ी तथा इमारती लकड़ी के उत्पादन तथा आदान-प्रदान में दोनों देश के सहयोग की पूरी गुंजायश है।

दोनों प्रतिनिधि मण्डलों ने यह आगा प्रकट की कि नये व्यापार करार में दोनों देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग बढ़ेगा।

माल में कम से कम एक बार इस समझौते के बारे में समीक्षा की जाएगी तथा हर छ महीने पर राज शिष्टाचार अधिकरणों की भी समीक्षा होगी।

करार पर हस्ताक्षर होने के समय श्री लालबहादुर शास्त्री, श्री हफीजुर रहमान, भारत में पाक उच्चायुक्त श्री ए० के० ब्रॉडी और पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त, श्री राजेश्वर दयाल भी उपस्थित थे।

### कच्चे लोहे के निर्यात के सम्बन्ध में भारत-जापान करार

२९ मार्च को लोकसभा में खान और तेल मन्त्री, श्री केशवदेव मालवीय ने बताया कि भारतीय खनिज लोहे के निर्यात के बारे में बातचीत करने वाली समिति और जापान इस्पात मिसन के बीच समझौता हुआ है और ८ मार्च, १९६० को इस आशय के करारनामों पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते की मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं -

(१) जापान को बैलाडिला क्षेत्र में लोहा खानों में १९६६ के मध्य से १५ लाख तक सालाना लगभग ४० लाख टन लोहा दिया जाएगा। जापान को यह लोहा १८ मार्च, १९५८ के समझौते के अन्तर्गत किरायेदारी में तब तक दिया जाएगा जब तक कि लोहा देने के अभाव में दिया जाएगा।

(२) खानों का विकास, विद्युत्संचालन बन्दरगाह और खान के बीच में रेल चलाना और बन्दरगाह में मशीन में माल लाने आदि की व्यवस्था करना।

(३) भारत में नो-पाई जाने वाली मशीनों, उपकरणों आदि की खरीद के लिए २ करोड़ १० लाख अमरीकी डॉलर के बराबर शक्ति महायन्त्र।

(४) राउरकेला और बिजाप समझौते की तरह ही बातचीत के द्वारा हर साल कच्चे लोहे का भाव निर्धारित करना, और

(५) भारत में जापान को लोहा के जाल के लिए भारतीय जहाजों का अधिक से अधिक उपयोग करना।

### अरब गणराज्य से चावल के आयात के लिए समझौता

नयी दिल्ली में २१ मार्च को अरब गणराज्य से चावल मगाने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के अन्तर्गत भारत, अरब गणराज्य से १ लाख टन चावल मगाएगा। इसका भुगतान रुपये में होगा। पर यह रकम विदेशी मुद्रा में नहीं बदला जा सकेगा। इस ६० से अरब गणराज्य भारत से पटसन, धान आदि सामान खरीदेगा।

समझौते पर भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री, श्री ए० रामकृष्ण ने और अरब गणराज्य की ओर से काहिरा की मिस्त्र ट्रीटि कम्पनी के श्री ताहा अब्द-अल मोतालेब ने हस्ताक्षर किए।

### १९५६ में चमड़े का निर्यात

वाणिज्य और उद्योग उपमन्त्री ने एक प्रश्न के उत्तर में १७ मार्च को लोकसभा में बताया कि १९५९ में २८ करोड़ ६२ लाख ६० का चमड़ा बाहर भेजा गया, जबकि १९५६ में केवल १८ करोड़ ३६ लाख ६० का भेजा गया था। उन्होंने बताया कि निर्यात में परिपक्व चमड़े का निर्यात बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयत्न कर रही है।

## प्रमेल-सितम्बर १९६० को प्रायात नीति

वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय की ३१ मार्च की एक विनियमन में बताया गया है कि भारत सरकार के आर के अग्राधारण गजट में अगली प्रमाणी, अर्थात् प्रमेल-सितम्बर, १९६० के लिए आयात नीति की घोषणा कर दी गई है। मोटे तौर पर यह आयात नीति पिछली छमाही की आयात नीति के ही समान है। इस बार कुछ ऐसे मामान का आयात कोटा बढ़ा दिया गया है, जिनकी देग में बहुत आवश्यकता है। इनके बदले कुछ ऐसे मामान का कोटा घटा दिया गया है, जिनकी अब देग की ज्यादा जरूरत नहीं है या जिन मामान का अब देग में उतारान बढ़ गया है।

विभिन्न उद्योगों में काम आने वाले कच्चे सामान के आयात के लिए इस बार ज्यादा विदेशी मुद्रा गयी है। एक्वशारट पर्वों और स्टीयरों, माटेरिनग अरेस्टरी और हार्ड वायटिंग क्यूजों, कुछ तरह के ड्रगमफैक्टरी, स्विचों, वायु और नेल माटेरि ब्रेकर, मोटेर-माइसिल और एस्टर के पुत्रों, पानी के मोटेर और वाद्य यंत्रों के पुत्रों के आयात के लिए अधिक विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की गई है। तांबे और पॉल्ल के टुकड़ों का भी आयात कोटा बढ़ा दिया गया है। आमा है पुराने आयातक इन वस्तुओं धानुत्रों का बितरण गरीकारी नियमों के अनुसार ही करेगे।

कुछ देगी चीजों का उत्पादन बढ़ जाने के कारण इन चीजों का आयात कोटा घटा दिया गया है बायलर ट्यूब, मेनिंकल ट्यूबिंग, वाइकरोटेड रिबिड, यइईगिरी के आरे और रेनिवा, चमड़े के पट्टे, गैम्बियर, गम अरेबिक, डामर, नवीकर का तेल, कपड़ा, उद्योग में काम आने वाले कुछ रसायन, जैसे मोडे का हाइड्रोक्लाइड, कार्बोमीमी मैथिल, मेटरुल और टमके लवण, कुछ तरह की औपचिया जैसे, एसिडिल मैलिनिंगरु अम्ल, निकोटिनिक अम्ल और निकोटिनेनाइड, विटामिन बी-१२, कुछ प्रकार के रसायन, जैसे वेरिगम कारबोनेट, कैल्सियम कार-बाइड, अर्गोनियम फास्फेट, कुप्रस ओक्साइड, डीऑक्सी पेट्र और डीऑक्सी ब्यूम आदि और मोटेर माइनों के कुछ पुत्र, जैसे—विजली

का भांगू, गैसकेट, पिन वाण्ड विवर्तण और एक्वशारट पोंगेट वाद्य।

याम्बतक उपभोक्ताओं की अब और अधिक वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेन दिए जायेंगे।

३४ वस्तुओं के आयात के लाइसेन की अवधि बढ़ा दी गई है। जिन चीजों के लाइसेन की अवधि बढ़ाई गई है, उनमें मुख्य चीजें इन प्रकार हैं—बच्चों के लिए दूध, तकरी और अमलें गन, वागज के मामान, रबड के गभे निरोधक उपकरण, छात्रवाले की मशीनें, मशीनों अोजार, कोल्लार के रग रामामन्कि वस्तुएं इत्यादि।

आयात लाइसेन जारी करने में देर न हो, इस उद्देश्य में अक्टूबर १९५९ से मार्च १९६० तक की छमाही में पुराने लाइसेनों की ही चालू करने की जो योजना अनाई गई थी, उसे प्रमेल-सितम्बर १९६० की आयात नीति में भी अपनाया जाएगा। विदेशी उद्योगों की सुविधा के लिए वास्तविक उपभोक्ताओं और अछों माव वाले कुछ आयातकों को उतलव्य विदेशी मुद्रा को ध्यान में रख कर वास्तिक लाइसेन देने की व्यवस्था की गई है।

इसमें कई अनुमूचित क्षेत्रों के उद्योगों तथा छोटे उद्योगों की काफी सहायता मिलेगी। इसने नियतकों को सुविधा होने के अलावा लाइसेन में समायन करने तथा उनकी अवधि बढ़ाने में भी आसानी होगी। इसके अलावा इसने आयातक विदेशी व्यापारियों से लम्बी अवधि तक माल तपनाई करने की व्यवस्था कर सकेगे तथा माल की दुआई के लिए पहले से ही प्रवन्ध कर सकेगे और कड़े माव की सफाई भी हो सकेगी। इन प्रकार उत्पादन कार्यक्रमों को सुनियोजित ढग में चकाने की व्यवस्था की जा सकेगी।

### विजली के पत्तों का निर्यात

स १९५९ में भारत से विजली के लगभग ३८,००० पत्ते बाहर भेजे गए। इसका मुख्य ३८।१ लाख ह० है। इस वर्ष २४ बड़ी-बड़ी फर्मों ने ७,३१,१०० पत्ते तैयार किए।

यह योजना उद्योग मन्त्री, श्री मन्भाई शाह ने २२ मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के जिक्रित उत्तर में दी। आगे बताया कि छोटे

विजली उद्योगों की विधास परिषद ने देश की वास्तिक जरूरत ८।१ लाख पत्तों की आकी थी। विदेशों से पत्तों का आयात बन्द है।

वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री, श्री सतीन चन्द ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि यूरोन का जलशयु ठंडा होने के कारण बहा भारतीय पत्तों की तबत की बहुत कम गुजाइश है। दूसरे, बहा यूरोन के कारखानों से भी कड़ा मुकाबला है।

### अफीम का उत्पादन और निर्यात

निकोटिन विभाग की सितम्बर १९५९ को समाप्त होने वाले साल की रिपोर्ट से पता चला है कि गाजीपुर और नीमच की सरकार की अफीम फीटलियों में कुल ८१ लाख ह० का फायदा हुआ। यह लाभ पिछले साल के लाभ से १२ लाख ह० ज्यादा है।

इस साल १९५७-५८ की अपेक्षा अफीम के उत्पादन और निर्यात में भी वृद्धि हुई। आलोच्य वर्ष में २०,४२२ मन अफीम बनी, जबकि इससे पिछले साल १७,६०२ मन अफीम बनी थी। इस साल ७४,२०५ एकड़ जमीन में पोस्त की खेती हुई, जबकि पिछले साल ६३,९३४ एकड़ में हुई थी।

आलोच्य वर्ष में ३ करोड़ ४३ लाख ह० की ५२० टन अफीम का निर्यात हुआ, जो १९५७-५८ के निर्यात से ७७ टन अर्थात् मूल्यानुसार ५० लाख ह० ज्यादा है। अफीम की खरीद का भाव ३३ ह० से ३७ ह० प्रति सेर रखा गया था। इस साल किसानों से २ करोड़ ७० लाख ह० की अफीम की पतिवा खरीदी गई, जबकि पिछले साल २ करोड़ १० लाख की खरीदी गई थी।

इस साल अफीम की तस्करी रोकने के काफी प्रयत्न किए गए, जो बहुत सफल रहे। अफीम का अवैध व्यापार रोकने के लिए भी समय-समय पर कार्रवाई की गई।

अप्रैल-जून १९६० की तिमाही में सीमेंट पैक करने की नयी दर

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय की २४ मार्च की एक विनियमन में बताया गया है कि भारत सरकार ने पहली अर्ध १९६० से शुरू होने वाली अगली तिमाही के लिए नये डी० डब्ल्यू हेवी सीज क्रिसम के बारे में सीमेंट

लिए ३ दिसम्बर, १९५९ को कराची में हुए सीमित भुगतान करार को रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तान भारत को १ करोड़ ६० की पटसन की कटिंग देगा और १ करोड़ से बढ़ाकर ११ करोड़ ६० की कपास का निर्यात करेगा। इसके बदले भारत पाकिस्तान को १ करोड़ ६० का लोहा और इस्पात और ७० लाख ६० की बजाय ११ करोड़ ६० का सीमेंट और बीडी की पत्ती देगा।

अन्य सामग्री के अलावा इन चीजों को भी दोनों देशों के आयात-निर्यात में शामिल कर लिया गया है पाकिस्तान से पान, फिस्म, मछली (सूखी और नमक लगी), दवाएँ (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा नमक, मुपारी, कपोक इत्यादि और भारत से पान, फिस्म, मसाले, मूंगफली और पत्थर।

नये व्यापार करार के साथ दो सूचीया हैं। एक सूची में भारत से पाकिस्तान को निर्यात की जाने वाली चीजों के नाम हैं और दूसरी में पाकिस्तान से भारत को मिलने वाली चीजों के। दोनों देशों में एक-दूसरे के व्यापार के लिए वही सुविधाएँ दी जाएंगी जो निकटतम सम्बन्ध वाले देशों को मिलनी हैं।

व्यापार-वार्ता के लिए पाकिस्तान का प्रतिनिधि मण्डल १४ मार्च को दिल्ली पहुँचा था। इसके नेता पाकिस्तान के वाणिज्य मन्त्री, श्री हफीजुर रहमान थे। शुरू में श्री हफीजुर रहमान और भारत के वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री में बातचीत हुई और फिर दोनों सिष्टमण्डलों के अधिकारियों में। पिछला व्यापार समझौता ३१ जनवरी १९६० को खतम हो गया था।

करार पर भारत की ओर से श्री के० बी० लाल ने और पाकिस्तान की ओर से श्री आई० ए० खा ने हस्ताक्षर किए।

पिछले समझौते की तरह भारत से पाकिस्तान कोयला, कड़ी तथा मुलायम लकड़ी और पत्थर भेजने के लिए दोनों देशों की सरकारों ने एक संधि की। इस संधि के अन्तर्गत पाकिस्तान भारत को कच्ची पटसन भी भेजने को राजी हो गया है। पटसन की किस्म तथा मात्रा के बारे में बाद में तय किया जाएगा। कोयले के आयात में दिक्कतों के बावजूद भारत पिछले व्यापार समझौते के अन्तर्गत पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान को प्रति मास

१ लाख टन कोयला भेजने के अलावा हर महीने ३० हजार टन अतिरिक्त कोयला रेल या जहाज से पाकिस्तान को पहुँचाने की व्यवस्था करेगा।

पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी वेगाल, आसाम और त्रिपुरा की भीमा पर दम मील तक की पट्टी पर रहने वाले लोगों की प्रति दिन की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापार समझौते की अनुसूची 'घ' में जो व्यवस्था की गई थी, उनके बढ़ाने के प्रश्न पर भी विचार दिया गया। पाकिस्तान प्रतिनिधि मण्डल ने कहा कि भीमा व्यापार वैध व्यापार नहीं रह पाता, किन्तु वह इस प्रश्न पर फिर विचार करने की सहमत है।

दोनों देशों के प्रतिनिधि इस बात पर सहमत थे कि विभिन्न वस्तुओं, जैसे—कच्चा पटसन, कपास, कोयला, जख्जखारी कागज, लोहे के ढाँके, कई प्रकार के इस्पात, गीमेंट और लकड़ी तथा इमारती लकड़ी के उत्पादन तथा आदान-प्रदान में दोनों देश के सहयोग की पूरी गुंजायश है।

दोनों प्रतिनिधि मण्डलों ने यह आशा प्रकट की कि नये व्यापार करार में दोनों देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग बढ़ेगा।

नाल में कम से कम एक बार इस समझौते के बारे में ममीशा की जाएगी तथा हर छ महीने पर राज सिस्टाचार अधिकारियों की भी समीक्षा होगी।

करार पर हस्ताक्षर होने के समय श्री लालबहादुर शास्त्री, श्री हफीजुर रहमान, भारत में पाक उच्चायुक्त श्री ए० के० ब्रौही और पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त, श्री राजेश्वर दयाल भी उपस्थित थे।

### कच्चे लोहे के निर्यात के सम्बन्ध में भारत-जापान करार

२१ मार्च को लोकमभा में खान और तेल मन्त्री, श्री केशवदेव मालवीय ने बताया कि भारतीय खनिज लोहे के निर्यात के बारे में बातचीत करने वाली समिति और जापान इस्पात मिशन के बीच समझौता हुआ है और ८ मार्च, १९६० को इस आशय के करारनामों पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते की मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं :

(१) जापान की बैलाडिला धंध की लोहा खानों से १९६६ के मध्य से १५ लाख तक मालाना लगभग ४० लाख टन लोहा दिया जाएगा। जापान को यह लोहा १८ मार्च, १९५८ के समझौते के अन्तर्गत फिरीद्वर की खानों तथा अन्य खानों में लोहा देने के अग्रता दिया जाएगा।

(२) खानों का विकास, विभाषाकरण बन्दरगाह और खान के बीच में रेल बनाना और बन्दरगाह में मशीन में माल लाने आदि की व्यवस्था करना।

(३) भारत में न पाई जाने वाली मशीनों, उपकरणों आदि की खरीद के लिए २ करोड़ १० लाख अमरीकी डालर के बराबर अर्थित महायत्न।

(४) राउरकेला और विज्ञान समझौते की तरह ही बातचीत के द्वारा हर सात कच्चे लोहे का भाव निर्धारित करना; और

(५) भारत में जापान को लोहा देने जाने के लिए भारतीय जहाजों का अधिक से अधिक उपयोग करना।

### अरब गणराज्य से चावल के आयात के लिए समझौता

नयी दिल्ली में २१ मार्च को अरब गणराज्य से चावल मगाने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के अन्तर्गत भारत अरब गणराज्य से १ लाख टन चावल मगाएगा। इसका भुगतान रुपये में होगा। पर यह रुपया विदेशी मुद्रा में नहीं बदला जा सकेगा। इस ६० से अरब गणराज्य भारत से पटसन, चाय आदि आयात खरीदेगा।

समझौते पर भारत की ओर से साधु मल्लि निदेशक, श्री सी० ए० रामकृष्ण ने और अरब गणराज्य की ओर से काहिरा की मिश ट्रेडिंग कम्पनी के श्री ताहा अब्द-अल मोतालेब ने हस्ताक्षर किए।

### १९५६ में चमड़े का निर्यात

वाणिज्य और उद्योग उपमन्त्री ने एक प्रश्न के उत्तर में १७ मार्च को लोकमभा में बताया कि १९५९ में २८ करोड़ ६२ लाख ५० का चमड़ा बाहर भेजा गया, जबकि १९५८ में केवल १८ करोड़ ३६ लाख ६० का भेजा गया था। उन्होंने बताया कि निर्यात रुफि परियद चमड़े का निर्यात बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयत्न कर रही है।

१९५८-५९ के अन्त तक ५ मामले विचार-पीन थे ।

### कानून भंग करने के लिए ३४४

१९५८-५९ में कम्पनी अधिनियम विभाग ने कम्पनियों तथा उनके अधिकारियों के खिलाफ २ ४९५ मुद्दामे दायर दिए । पिछले वर्षों के ७३८ मामलों को मिलाकर कम्पनी अधिनियम विभाग ने कुल ५,११० मुद्दामे चलाए । इनमें से ३,४७४ मामलों का अदायत नें फैसला किया, जिनमें २,१३१ मामलों में सजाए हुईं । पिछले ३ वर्षों में अदायतों ने कम्पनी अधिनियम भंग करने वालों पर कुल १८० लाख ८० के जुर्माने किए ।

### प्रारंभिक शाखाओं को जर्जियार

कम्पनी अधिनियम प्रमाणन विभाग की एक विंगेय बात यह रही है कि उगने कुछ विंगेय अधिकार केन्द्रीय सरकार ने हटा कर प्रारंभिक शाखाओं के अधिकारियों को दिए हैं । रिपोर्ट में बताया गया है कि यह प्रयोग १९५७-५८ में शुरू किया गया । प्रयोग बहुत मकल रहा है जोर इसमें आवश्यक कार्रवाई बहुत जल्दी होनी है ।

### नये कारखाने खोलने की स्वीकृति के सामान्य नियम

केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय ने नये कारखाने खोलने की स्वीकृति देने के बारे में कुछ सामान्य नियम निर्धारित किए हैं । ये नियम इस उद्देश्य के निर्धारित किए गए हैं कि स्वीकृति देने का काम जल्दी हो सके । सरकार ने इन निर्णयों को सूचना बड़े-बड़े वाणिज्य और उद्योग मण्डलों को दे दी गई है ।

सामान्यतः नये कारखाने खोलते समय वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय से मूल्यतः तीन बातों की स्वीकृति लेनी पड़ती है - (१) विदेशी फर्मों के सहयोग की शर्तों पर स्वीकृति, (२) लाइसेंसिंग कमेटी द्वारा विचार किए जाने के बाद नये कारखाने की जगह तथा धमता के बारे में स्वीकृति, और (३) नये कारखाने के लिए मशीनें और सयन्त्र मगाने पर होने वाले विदेशी मुद्रा के खर्च पर स्वीकृति ।

विदेशी फर्मों के दिलिचक सहयोग अथवा वित्तीय सहयोग के बारे में साधारणतः तो हरेक मामले में अलग से विचार करने की जरूरत

होती है । लेकिन, मोटे तौर पर यह नियम रखा गया है कि मिनिमम सहयोग सम्बन्धी समझौता गीमित समय के लिए होना चाहिए और विंगी भी हालत में यह समय १० वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए । एक और बात जिसे सरकार महत्त्व देती है, वह यह है कि मगजोने में भारत से निर्यात के बारे में कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिए । यदि नये देशों को निर्यात के लिए छूट देना सम्भव न हो, तो कम से कम कुछ देशों के लिए निर्यात की छूट तो होनी ही चाहिए ।

विदेशी फर्मों में सहयोग के मगजोनों पर स्वीकृति देने में एक बड़ी गठिनाई बढ़ना इस गर्न के कारण होती है कि इन कारखानों के लिए आवश्यकता कुछ चीजें केवल सहयोग देने वाली फर्मों से ही आयात की जाए । यह बात तो मगज में आनी है कि भारतीय हिस्सेदार अपने कारखाने के लिए आवश्यक चीजें अपने विदेशी सहयोगों में खरीदे, लेकिन सरकार इस बात के विरुद्ध है कि इस सम्बन्ध में कोई भी गर्न मगजोने में रखा जाए और इस तरह भारतीय फर्म की पम्द पर पाबन्दी लगा दी जाए ।

विदेशी फर्मों में सहयोग के मगजोनों में एक और अप्रतिजनक बात यह होती है कि वे कम से कम रायल्टी की राशि निदिशत करना चाहती है । जब रायल्टी आदि का भुगतान कारखाने के उत्पादन से सम्बन्धित है, तो सही तरीका यह होता है कि उत्पादन में कमी अथवा वृद्धि के मग रायल्टी की राशि भी घटनी-बढ़ती जाए और ऐसी कोई गर्न न हो कि उत्पादन का घ्यान नये बिना कोई राशि दी जाए । लाइसेंस देने वाली समिति के काम में जल्दी

नये कारखानों की जगह और धमता आदि के बारे में सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भेजी गई अर्जियों पर जल्दी फैसला करने के लिए कई उपाय किए गए हैं । लाइसेंस देने वाली समिति की बैठकें जल्दी-जल्दी हुआ करती हैं । इसके अलावा जिन उद्योगों में और नये कारखाने खोलने की गुंजाइश नहीं है, उनके बारे में यह फैसला किया गया है कि अगले ६ या १२ महीनों तक किसी भी अर्थ पर विचार न किया जाए । ऐसे उद्योगों की भी सूची तैयार की गई है, जिनमें नये कारखाने खोलने की अनुमति मुक्त रूप से दी जा सकती है ।

इस सम्बन्ध में सरकार एक नें और महत्वपूर्ण निर्णय किया है कि जिन कारखानों में १०० से कम मजदूर काम करते हैं, और जिनकी जमा-गुजी १० लाख ६० से कम है, उन्हें उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है ।

इन निर्णयों के परिणामस्वरूप अब लाइसेंस देने वाली समिति के पास मूल्यतः बड़े-बड़े कारखानों, विशेष प्रदेशों में उद्योगों के विकास, कच्चे माल की प्राप्ति, बन्दरगाह सम्बन्धी समस्याएँ आदि ही विचार के लिए रह जाएंगी ।

### मशीनों का आयात

देश के पास विदेशी मुद्रा के सीमित साधन होने के कारण मशीनों आदि के आयात के लिए लाइसेंस वा तो उन्हें दिए जाते हैं जो स्वयमेव विदेशी मुद्रा की व्यवस्था कर सके या ऐसे कारखानों को दिए जाते हैं, जिनके लिए मशीनें आदि मगाने के लिए किन्हीं विशेष देशों से ऋण आदि की सुविधाएँ प्राप्त हैं ।

ऐसे मामलों में जहां विदेशी मुद्रा की व्यवस्था प्रार्थी स्वयं करना चाहता हो, सरकार केवल ऐसी स्थिति में ही स्वीकृति देगी जब मशीनों पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा कम्पनी की हिस्सा-गुजी में शामिल हो या वह दोबं-कालीन ऋण के रूप में हो । ऐसे कारखानों के मामले में, जिनके लिए मगाई जाने वाली मशीन की रकम की अदायगी थोड़े ही समय में करने की व्यवस्था हो, सरकार केवल ऐसी स्थिति में ही स्वीकृति देगी, जब आयात की जाने वाली मशीनों से बहुत जल्दी कुछ बचत हो सके या विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके ।

अब ऐसी आजा है कि अधिकतर उन देशों से, जिनसे भारत मशीनें आदि खरीदता है, ऋण की व्यवस्था हो जाएगी । लेकिन इन ऋणों की राशि थोड़ी है और उनके अन्तर्गत आयात की मात्रा बहुत है । अतः मशीनों के आयात की अर्जी देते समय प्रार्थी को केवल अर्जी में मुद्रा-शेन ही न लिख कर स्पष्ट रूप से यह लिखना चाहिए कि वह किस देश से मशीन मंगाएगा । साथ ही अर्जी में यह भी लिखना चाहिए कि यदि कम विंगेय देश से आयात सम्भव न हो, तो और किस देश मशीनें मंगाई जा सकती है ।



पैकिंग की नयी दर तय कर दी है। यह दर प्रति टन सीमेंट (२० बोरे) की पैकिंग पर १२ रु० ८० न०पै० के हिसाब से होगी।

सीमेंट की पैकिंग की दर हर तिमाही में पिछले ९ महीनों में पैकिंग के सामान के न्यून-

## कम्पनी अधिनियम प्रशासन की १९५८-५९ की रिपोर्ट

कम्पनी अधिनियम प्रशासन की १९५८-५९ की रिपोर्ट में बताया गया है कि आलोच्य वर्ष में नये रजिस्ट्रेशन की सख्या काफ़ी बढ़ी है और आशा है कि भविष्य में यह वृद्धि जारी रहेगी।

मार्च १९५९ में समाप्त हुए ३ वर्षों में कम्पनी अधिनियम १९५६ के काम की समीक्षा करते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में कम्पनियों के इतिहास में पहली बार इस मानून के लागू होने से कम्पनियों के संचालन और प्रशासन संबंधी उन भल तत्वों पर ध्यान दिया गया है जो कम्पनियों को सुच्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए बहुत आवश्यक है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक कम्पनी अधिनियम प्रशासन का रवैया बहुत ही नरमी का रहा है। लेकिन अब पिछले २ वर्षों में लोग अधिनियम की व्यवस्थाओं को पूरी तरह समझ चुके हैं और अब समय आ गया है कि अधिनियम की धाराओं को कड़ाई से लागू किया जाए।

### नये रजिस्ट्रेशन

पिछले ३ वर्षों में नयी कम्पनियों का रजिस्ट्रेशन बराबर बढ़ा है। १९५६-५७ में नयी रजिस्टर हुई कम्पनियों की सख्या ८४८, १९५७-५८ में ९६१ और १९५८-५९ में १,०९५ रही। इस तरह पिछले ३ वर्षों में २,९०४ नयी कम्पनियों रजिस्टर हुईं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हर वर्ष नयी कम्पनियों की रजिस्ट्रेशन संख्या में वृद्धि हुई है और ऐसा लगता है कि वृद्धि का यह दख आगे भी जारी ही नहीं रहेगा बल्कि और बढ़ेगा भी।

पिछले ३ वर्षों में जो २,९०४ नयी कम्पनिया रजिस्टर हुईं उनमें से २०७ पब्लिक कम्पनियां तथा २,६९७ प्राइवेट कम्पनियां थी। नयी कम्पनियों की सबसे अधिक संख्या बम्बई, प० बंगाल और मद्रास राज्यों तथा

तम तथा अधिकतम बाजार भाव के औसत के आधार पर तथा प्रतिटन १.२५ रु० अतिरिक्त खर्च शामिल करके तय की जाती है। इस हिसाब से जनवरी-मार्च की तिमाही में यह दर १२ रु० ९ न०पै० प्रति टन निर्धारित की गई थी।

दिल्ली में रही। इन चारों स्थानों में २,२६८ नयी कम्पनिया रजिस्टर हुईं।

नयी कम्पनियों में से ३५ प्र०श० कम्पनियों प० बंगाल की ओर २० प्र०श० बम्बई की थी। अधिकांश नयी कम्पनिया या तो औद्योगिक कम्पनियां थी या वित्त व्यवस्था करने वाली कम्पनिया थी।

६० प्र०श० नयी कम्पनिया छोटी कम्पनिया थी, जिनकी अधिकतम पूंजी ५ लाख रु० से कम थी। १ करोड़ अथवा उससे भी अधिक अधिकतम पूंजी वाली बड़ी कम्पनियों की सख्या ७८ थी।

१९५८-५९ के अन्त तक कम्पनियों की कुल सख्या २७,४७९ थी, जिनमें से ७,७६० पब्लिक कम्पनियां थीं और १९,७१९ प्राइवेट कम्पनिया थी। इन सब कम्पनियों की कुल चुकता पूंजी अनुमानत १५ अरब १० करोड़ रु० थी। इसमें से ७ अरब ८४ करोड़ रु० की पूंजी पब्लिक कम्पनियों की और ७ अरब २६ करोड़ रु० की पूंजी प्राइवेट कम्पनियों की थी।

रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ऐसी सब कम्पनियों को जो काम नहीं कर रही हैं रजिस्टर से निकाल देना चाहती है। यह काम समवतः १९६० में पूरा हो जाएगा।

रिपोर्ट में बताया गया है कि जब से कम्पनी अधिनियम लागू हुआ है तब से ३३८ पब्लिक कम्पनियों बदल कर प्राइवेट कम्पनिया बनी। इनमें से २२७ पहले वर्ष में, ५४ दूसरे वर्ष में और ५७ तीसरे वर्ष यानी १९५८-५९ में बदली है।

### चुकता पूंजी में वृद्धि

रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च १९५९ में समाप्त हुए ३ वर्षों में चालू कम्पनियों की चुकता पूंजी ४ अरब ८६ करोड़ रु० बढ़ी है। इस बढ़ि में ३५८ करोड़ रु० की वृद्धि सरकारी

कम्पनियों में और १२८ करोड़ रु० की वृद्धि गैर-सरकारी कम्पनियों में हुई। सरकारी कम्पनियों में से केवल हिन्दुस्तान स्टील लि० की ही ३०० करोड़ रु० की पूंजी बढ़ी।

१९५८-५९ के अन्त तक सरकारी कम्पनियों की कुल संख्या १०३ थी, जिनकी कुल चुकता पूंजी ४२४ करोड़ रु० थी। पिछले ३ वर्षों में ४७ नयी सरकारी कम्पनिया स्थापित की गई है।

### कम्पनियों द्वारा ऋण

कम्पनी अधिनियम की धारा २९५ के अन्तर्गत यदि कोई पब्लिक कम्पनी किसी डायरेक्टर अथवा डायरेक्टर के संबंधी या किसी ऐसी फर्म या प्राइवेट कम्पनी को, जिसमें डायरेक्टर का हाथ हो या किसी और पब्लिक कम्पनी को जिसका निबंधन ऋण देने वाली कम्पनी में डायरेक्टर के हाथ में हो, ऋण देना चाहे तो उसे केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है।

पिछले तीन वर्षों में इस प्रकार का ११५७ करोड़ रु० का ऋण देने के लिए १५१ अर्धिया स्वीकृति के लिए आईं, जिनमें से ७ १३ करोड़ रु० का ऋण देने के लिए ७० अर्धिया स्वीकार की गईं।

यदि कोई कम्पनी किन्हीं दूसरी कम्पनियों में पूंजी लगाना चाहे तो उसे अधिनियम की ३७२ और ३७३ धाराओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है। इस प्रकार की ९० अर्धिया सरकार की स्वीकृति के लिए आईं, जिनमें कुल ८ करोड़ रु० की पूंजी लगाने के लिए स्वीकृति मांगी गई थी। इनमें से ८० प्र०श० अर्धिया स्वीकार की गईं।

### कम्पनियों के मामलों में जांच

कम्पनी अधिनियम की धारा २३५, २३७ और २४७ के अन्तर्गत कम्पनियों के मामलों अथवा स्वामित्व के संबंध में जांच की जा सकती है। पिछले ३ वर्षों में अधिनियम की धारा २३३ और २३७ के अन्तर्गत कुप्रबन्ध के कारण ८४ कम्पनियों के लिए इन्स्पेक्टर नियुक्त करने के मामले सामने आए। इनमें से ४७ मामलों १९५६-५७ में; २०, १९५७-५८ में और १७, १९५८-५९ में आए। पूरी पड़ताल के बाद १४ मामलों को छानबीन करने के आदेश दिए गए और ६५ मामलों में आवश्यकता न होने के कारण इन्स्पेक्टर नियुक्त नहीं किए गए।

१९५८-५९ के अन्त तक ५ मामले विचारार्थ-धीन थे ।

**कानून भंग करने के लिए २३४**

१९५८-५९ में कंपनी अधिनियम विभाग ने कम्पनियों तथा उनके अधिकारियों के विनायक २ १९५ नुबदमे दाखर किए । पिछले वर्षों के ३३८ मामलों को मिलाकर कम्पनी अधिनियम विभाग ने कुल ५,११० मुद्दमं बनाए । इनमें से २,५७५ मामलों का अदालत ने फौजला विचार, जिनमें २,१३१ मामलों में सत्राए हुईं । पिछले ३ वर्षों में अदालत ने कम्पनी अधिनियम भंग करने वालों पर कुल १८० जाम ४० के जुमाने किए ।

**प्रारंभिक प्रस्तावों को अधिभार**

कम्पनी अधिनियम प्रदानत विभाग की एक विशेष बात यह रही है कि उगने कुछ विशेष अधिकार केन्द्रित सरकार ने हटा कर प्रारंभिक नागराजों के अधिकारियों को दिए हैं । निपटों में बनाया गया है कि यह प्रयोग १९५७-५८ में शुरू किया गया । प्रयोग बहुत मफल रहा है और इनमें आवश्यक कार्रवाई बहुत जल्दी होती है ।

## नये कारखाने खोलने की स्वीकृति के सामान्य नियम

**केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय** ने नये कारखाने खोलने की स्वीकृति देने के बारे में कुछ सामान्य नियम निर्धारित किए हैं । ये नियम इस उद्देश्य में निर्धारित किए गए हैं कि स्वीकृति देने का काम जल्दी हो सके । सरकार ने इन निर्णयों को मूलतः बड़े-बड़े वाणिज्य और उद्योग मण्डलों को दे दी गई है ।

सामान्यतः नये कारखानों को खोलने समय वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय में मुख्यतः तीन बातों की स्वीकृति लेनी पड़ती है : (१) विदेशी फर्मों के सहयोग की शर्तों पर स्वीकृति, (२) लाइसेंसिंग कमेटी द्वारा विचार किए जाने के बाद नये कारखाने की जगह तथा क्षमता के बारे में स्वीकृति, और (३) नये कारखाने के लिए मशीनें और समय मगाने पर होने वाले विदेशी मुद्रा के खर्च पर स्वीकृति ।

विदेशी फर्मों के निहित महयोग अथवा वित्तीय महयोग के बारे में साधारणतः तो हरेक मामले में अलग से विचार करने की जरूरत

होती है । लेकिन, मोटे तौर पर यह नियम रखा गया है कि निम्न-महयोग सम्बन्धी समझौता गंभीरतम समय के लिए होना चाहिए और किसी भी हालत में यह समय १० वर्षों से अधिक नहीं होना चाहिए । एक और बात जिसे सरकार महत्त्व देती है, यह यह है कि समझौते में भारत में निर्यात के बारे में कोई प्रावन्दी नहीं होनी चाहिए । यदि सभी देशों को निर्यात के लिए छूट देना सम्भव न हो, तो कम से कम कुछ देशों के लिए निर्यात की छूट तो होनी ही चाहिए ।

विदेशी फर्मों में महयोग के समझौतों पर स्वीकृति देने में एक बड़ी बाधनाई बढ़या इस बात के कारण होती है कि इन कारखानों के लिए आवश्यक कुछ चीजें केवल महयोग देने वालों फर्मों में ही अघात की जाए । यह बात नों समझ में जाती है कि भारतीय हिस्सेदार अपने कारखानों के लिए आवश्यक चीजें अपने विदेशी महयोगियों में खरीदे, लेकिन सरकार इस बात के विरुद्ध है कि इन सम्बन्ध में कोई भी शर्त समझौते में रखी जाए और इस तरह भारतीय फर्म की पसन्द पर प्रावन्दी लगा दी जाए ।

विदेशी फर्मों में महयोग के समझौतों में एक और अपरिचित बात यह होती है कि ये फर्मों में कम रायन्टी की राशि निश्चित करना आवश्यक है । जब रायन्टी आदि का भुगतान कारखानों के उत्पादन से सम्बन्धित है, तो सही तरीका यह होता है कि उत्पादन में कमी अथवा वृद्धि के साथ रायन्टी की राशि भी घटती-बढ़ती जाए और ऐसी कोई शर्त न हो कि उत्पादन का ध्यान रखें विना कोई राशि दी जाए । लाइसेंस देने वाली समिति के काम में जल्दी

नये कारखानों की जगह और क्षमता आदि के बारे में सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भेजी गई अर्जियों पर जल्दी फैसला करने के लिए कई उपाय किए गए हैं । लाइसेंस देने वाली समिति की बैठकें जल्दी-जल्दी हुआ करेगी । इसके अलावा जिन उद्योगों में और नये कारखाने खोलने की गुंजाइश नहीं है, उनके बारे में यह फैसला किया गया है कि अगले ६ या १२ महीनों तक किसी भी अर्जी पर विचार न किया जाए । ऐसे उद्योगों की भी सूची तैयार की गई है, जिनमें नये कारखाने खोलने की अनुमति मुक्त रूप से दी जा सकती है ।

इस सम्बन्ध में सरकार एक नये और महत्त्वपूर्ण निर्णय किया है कि जिन कारखानों में १०० से कम मजदूर काम करते हैं, और जिनकी जमा-पूजी १० लाख ४० से कम है, उन्हें उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है ।

इन निर्णयों के परिणामस्वरूप अब लाइसेंस देने वाली समिति के पास मुख्यतः बड़े-बड़े कारखानों, विशेष प्रदर्शनों में उद्योगों के विकास, कच्चे माल की प्राप्ति, बन्दरगाह सम्बन्धी समस्याएँ आदि ही विचार के लिए रह जायेंगी ।

**मशीनों का आयात**

देश के पास विदेशी मुद्रा के सीमित साधन होने के कारण मशीनों आदि के आयात के लिए लाइसेंस का तो उन्हें दिए जाते हैं जो स्वयमेव विदेशी मुद्रा की व्यवस्था कर सके या ऐसे कारखानों को दिए जाते हैं, जिनके लिए मशीनें आदि मगाने के लिए किन्हीं विशेष देशों से ऋण आदि की सुविधाएँ प्राप्त हैं ।

ऐसे मामलों में जहाँ विदेशी मुद्रा की व्यवस्था प्रार्थी स्वयं करना चाहता हो, सरकार केवल ऐसी स्थिति में ही स्वीकृति देगी जब मशीनों पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा कम्पनी की हिस्सा-पूजी में शामिल हो या वह दीर्घ-कालीन ऋण के रूप में हो । ऐसे कारखानों के मामले में, जिनके लिए मशीनें आदि मगाने वाली मशीन की रकम की अदायगी थोड़े ही समय में करने की व्यवस्था हो, सरकार केवल ऐसी स्थिति में ही स्वीकृति देगी, जब आयात की जाने वाली मशीनों से बहुत जल्दी कुछ बचत हो सके या विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके ।

अब ऐसी आशा है कि अधिकांश उन देशों से, जिनसे भारत मशीनें आदि खरीदता है, ऋण की व्यवस्था हो जाएगी । लेकिन इन ऋणों की राशि थोड़ी है और उनके अन्तर्गत आयात की मांग बहुत है । अतः मशीनों के आयात की अर्जियाँ देते समय प्रार्थी को केवल अर्जियों में मुद्रा-क्षेत्र ही न लिख कर स्पष्ट रूप से यह लिखना चाहिए कि वह किस देश से मशीन मंगाएगा । साथ ही अर्जियों में यह भी लिखना चाहिए कि यदि उस विदेशी देश से आयात सम्भव न हो, तो और किन देशों से मशीनें मंगाई जा सकती है ।

पैकिंग की नयी दर तय कर दी है। यह दर प्रति टन सीमेंट (२० बोरे) की पैकिंग पर १२ रु० ८० न०पै० के हिसाब से होगी।

सीमेंट की पैकिंग की दर हर तिमाही में पिछले ९ महीनों में पैकिंग के सामान के न्यून-

तम तथा अधिकतम वाजार भाव के औसत के आधार पर तथा प्रतिटन १.२५ रु० अतिरिक्त खर्च शामिल करके तय की जाती है। इस हिसाब से जनवरी-मार्च की तिमाही में यह दर १२ रु० ९ न०पै० प्रति टन निर्धारित की गई थी।

## कम्पनी अधिनियम प्रशासन की १९५८-५९ की रिपोर्ट

कम्पनी अधिनियम प्रशासन की १९५८-५९ की रिपोर्ट में बताया गया है कि आलोच्य वर्ष में नये रजिस्ट्रेशन की संख्या काफी घड़ी है और आशा है कि भविष्य में यह वृद्धि जारी रहेगी।

मार्च १९५९ में समाप्त हुए ३ वर्षों में कम्पनी अधिनियम १९५६ के काम की समीक्षा करते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि देवा में कम्पनियों के इतिहास में पहली बार इस कानून के लागू होने से कम्पनियों के संचालन और प्रशासन संबंधी उन मूल तत्वों पर ध्यान दिया गया है जो कम्पनियों की सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए बहुत आवश्यक हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक कम्पनी अधिनियम प्रशासन का रवैया बहुत ही नरमी का रहा है। लेकिन अब पिछले २ वर्षों में लोग अधिनियम की व्यवस्थाओं को पूरी तरह समझ चुके हैं और अब समय आ गया है कि अधिनियम की धाराओं को कड़ाई से लागू किया जाए।

### नये रजिस्ट्रेशन

पिछले ३ वर्षों में नयी कम्पनियों का रजिस्ट्रेशन बराबर बढ़ा है। १९५६-५७ में नयी रजिस्टर ८४ कम्पनियों की संख्या ८४८, १९५७-५८ में ९६१ और १९५८-५९ में १,०९५ रही। इस तरह पिछले ३ वर्षों में २,९०४ नयी कम्पनियां रजिस्टर हुईं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हर वर्ष नयी कम्पनियों की रजिस्ट्रेशन संख्या में वृद्धि हुई है और ऐसा लगता है कि वृद्धि का यह रुख आगे भी जारी ही नयी रहेगा बल्कि और बढ़ेगा भी।

पिछले ३ वर्षों में जो २,९०४ नयी कम्पनियां रजिस्टर हुईं उनमें से २०७ पब्लिक कम्पनियां तथा २,६९७ प्राइवेट कम्पनियां थीं। नयी कम्पनियों की सबसे अधिक संख्या पश्चिम, प० बंगाल और मद्रास राज्यों तथा

दिल्ली में रही। इन चारों स्थानों में २,२६८ नयी कम्पनियां रजिस्टर हुईं।

नयी कम्पनियों में से ३५ प्र०श० कम्पनियां प० बंगाल की ओर २० प्र०श० बम्बई की थी। अधिकांश नयी कम्पनियां या तो औद्योगिक कम्पनियों थीं या वित्त व्यवस्था करने वाली कम्पनियां थी।

६० प्र०श० नयी कम्पनियां छोटी कम्पनियां थीं, जिनको अधिकतम पूंजी ५ लाख रु० से कम थी। १ करोड़ अथवा उससे भी अधिक अधिकतम पूंजी वाली बड़ी कम्पनियों की संख्या ७८ थी।

१९५८-५९ के अन्त तक कम्पनियों की कुल संख्या २७,४७९ थी, जिनमें से ७,७६० पब्लिक कम्पनियां थीं और १९,७१९ प्राइवेट कम्पनियां थीं। इन सब कम्पनियों की कुल चुकता पूंजी अनुमानतः १५ अरब १० करोड़ रु० थी। इसमें से ७ अरब ८४ करोड़ रु० की पूंजी पब्लिक कम्पनियों की और ७ अरब २६ करोड़ रु० की पूंजी प्राइवेट कम्पनियों की थी।

रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ऐसी सब कम्पनियों को जो काम नहीं कर रही हैं रजिस्टर से निकाल देना चाहती है। यह काम सभ्यतः १९६० में पूरा हो जाएगा।

रिपोर्ट में बताया गया है कि जब से कम्पनी अधिनियम लागू हुआ है तब से ३३८ पब्लिक कम्पनियां बंद कर प्राइवेट कम्पनियां बनीं। इनमें से २२७ पहले वर्ष में, ५४ दूसरे वर्ष में और ५७ तीसरे वर्ष यानी १९५८-५९ में बंद की गईं।

### चुकता पूंजी में वृद्धि

रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च १९५९ में समाप्त हुए ३ वर्षों में चालू कम्पनियों की चुकता पूंजी ४ अरब ८६ करोड़ रु० बढ़ी है। इस बढ़ि में ३५८ करोड़ रु० की वृद्धि सरकारी

कम्पनियों में और १२८ करोड़ ० की वृद्धि गैर-सरकारी कम्पनियों में हुई। सरकारी कम्पनियों में से केवल हिन्दुस्तान स्टील लि० की ही ३०० करोड़ रु० की पूंजी बढ़ी।

१९५८-५९ के अन्त तक सरकारी कम्पनियों की कुल संख्या १०३ थी, जिनकी कुल चुकता पूंजी ४२४ करोड़ रु० थी। पिछले ३ वर्षों में ४७ नयी सरकारी कम्पनियां स्थापित की गईं हैं।

### कम्पनियों द्वारा ऋण

कम्पनी अधिनियम की धारा २९५ के अन्तर्गत यदि कोई पब्लिक कम्पनी किसी डायरेक्टर अथवा डायरेक्टर के सखी या किसी ऐसी फर्म या प्राइवेट कम्पनी को, जिसमें डायरेक्टर का हाथ हो या किसी और पब्लिक कम्पनी को जिसका नियंत्रण ऋण देने वाली कम्पनी के डायरेक्टर के हाथ में हो, ऋण देना चाहे तो उसे केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है।

पिछले तीन वर्षों में इस प्रकार का ११५४ करोड़ रु० का ऋण देने के लिए ५५१ अनियम स्वीकृति के लिए आईं, जिनमें से ७,१३१ करोड़ रु० का ऋण देने के लिए ७० अनियम स्वीकार की गईं।

यदि कोई कम्पनी किसी दूसरी कम्पनियों में पूंजी लगाना चाहे तो उसे अधिनियम की ३७२ और ३७३ धाराओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है। इस प्रकार की ९० अनियम सरकार की स्वीकृति के लिए आईं, जिनमें कुल ८ करोड़ रु० की पूंजी लगाने के लिए स्वीकृति मांगी गई थी। इनमें से ८० प्र०श० अनियम स्वीकार की गईं।

### कम्पनियों के मामलों में जांच

कम्पनी अधिनियम की धारा २३५, २३७ और २४७ के अन्तर्गत कम्पनियों के मामलों अथवा स्वामित्व के संबंध में जांच की जा सकती है। पिछले ३ वर्षों में अधिनियम की धारा २३३ और २३७ के अन्तर्गत कुल ४५० कम्पनियों के लिए इंस्पेक्टर नियुक्त करने के मामले सामने आए। इनमें से ४७ मामले १९५६-५७ में; २०, १९५७-५८ में और १७, १९५८-५९ में आए। पूरी पडताल के बाद १४ मामलों की छानबीन करने के आदेश दिए गए और ६५ मामलों में आवश्यकता न होने के कारण इंस्पेक्टर नियुक्त नहीं किए गए।

बसाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत जमशेदपुर, बर्नपुर और भद्रावती के कारखानों को बसाने की व्यवस्था की गई। जमशेदपुर में २० लाख टन, बर्नपुर में १० लाख टन और भद्रावती में १ लाख टन इस्पात बनाने का लक्ष्य रखा गया।

इनके अलावा राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में तीन इस्पात कारखाने घोखने का निश्चय किया गया। इन कारखानों में आरम्भ में १० लाख टन इस्पात पिण्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया। भिलाई, दुर्गापुर और बर्नपुर में ३ लाख ५० हजार टन ढलवा लोहा भी बनाने का निश्चय किया गया। इन प्रकार दूरी योजना में ६० लाख टन इस्पात पिण्डों में इस्पात का ४५ लाख टन तैयार माल बनाने और बिक्री के लिए ३ लाख ५० हजार टन ढलवा लोहा बनाए जा लक्ष्य रखा ही जाएगा।

### इस्पात की मांग

तीसरी योजना की इस्पात की आवश्यकता के अनुमान ही यह निर्धारित किया जाएगा कि जितना श्रेष्ठ दिन प्रारंभ का इस्पात बनाया जाए। तीसरी योजना में लगभग १.९। अरब ६० वर्ष चलने का प्रत्याश है। पर अभी तक योजना की शुरुआत के बारे में कोई निश्चय नहीं हुआ है। अतः शुरुआत निर्धारित होने में पहले यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि किस किस का जितना इस्पात बनाया जाए, क्योंकि मेची, इमागनी काम और उद्योगों के लिए अलग-अलग किसके के इस्पात की आवश्यकता होंगी है।

### इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य

इंजीनियरी के मामलों की आवश्यकताओं को देखते हुए लोहा और इस्पात विभाग ने यह निश्चय किया है कि तीसरी योजना में १ करोड़ टन इस्पात बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए।

तीसरी योजना में इस्पात की आवश्यकता पर विचार करने के लिए व्यावहारिक अर्थ-शास्त्र अनुमान की राष्ट्रीय परिषद (नेशनल कोमिल आक एंवालाइड इकोनॉमिक रिमर्च) ने जो समिति नियुक्त की थी, उसने भी यही राय दी है।

रेल की पटरियों बनाने में काम आने वाले स्लोपर, गल और बहुत-सी मशीनों के पुर्ण बाने में ढलवा लोहे की जरूरत होती है। लोहे के इले हुए मशीनों की मांग भी बहुत बढ़

रही है। आभा है कि आगे इनकी मांग ४ लाख टन में ५ लाख टन तक हो जाएगी। इसके अलावा अन्य मामलों को ढलाई के लिए लग-भग १५ लाख टन ढलवा लोहे की जरूरत होगी। अतः ढलवा लोहे के उत्पादन का लक्ष्य २० लाख टन रखा उचित है।

### चाहू कारखानों का विस्तार

हर कोई इन बातों में सहमत है कि राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों को, इस्पात की मांग और लाभ को देखते हुए बढ़ाया जाए। इस्पात कारखानों की बर्तमान मिल का उत्पादन बसाने में सबसे अधिक लाभ होता है।

इन तीनों कारखानों को बर्तमान मिलों में लगभग २५-२५ लाख टन तक बर्तमान बनाए जा सकते हैं। इनका उत्पादन और भी बढ़ाया जा सकता है। पर उत्पादन बढ़ाने समय माल की खपत, विदेशी मुद्रा और ढलवा लोहा बनाने और उसकी बिक्री की सुविधा को भी ध्यान में रखना होगा।

भिलाई कारखाने को बढ़ाने के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध है, पर इन कारखानों में इस्पात पिण्डों में पर्याप्त, इमारती काम का इस्पात का मामला और बिलेट ही बनाए जा सकते हैं। अतः कारखाने में अधिक इस्पात बनाने समय इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि इन प्रकार के माल की कितनी मांग है।

दूरी योजना के अंत तक इमारत बनाने में काम आने वाले इस्पात का जितना भारी और हल्का मामला तथा चौड़े गटर तैयार होने लगे, उसमें अधिक को तीसरी योजना में जरूरत नहीं होगी। तीसरी योजना में १ लाख ५० हजार टन भारी पटवियों, फिग प्लेटों तथा स्लोपरों को और आवश्यकता पड़ने की उम्मीद है।

विभिन्न प्रकार के इस्पात की मांग को देखते हुए भिलाई में अधिक इस्पात पिण्ड बनाने का निश्चय किया गया है, जिससे अनुमान मिल में पूरा उत्पादन हो सके। पर कुछ माल तक २-२५ लाख टन इस्पात पिण्ड नहीं बनाए जा सकेंगे। ३१ दौरेन २१ लाख टन इस्पात पिण्ड और ४ लाख टन ढलवा लोहा बनाया जा सकेगा।

### राउरकेला का विस्तार

इस्पात की वर्तमान खपत को देखते हुए राउरकेला के कारखाने में १ पिण्डों का

उत्पादन बढ़ाकर १८ लाख टन और दुर्गापुर में १६ लाख टन करने का निश्चय किया गया है। इस्पात उद्योग का एकमात्र विकास नहीं किया जा सकता। इसका निर्णय देग के साथियों और अन्य विकल्प-कार्यों को आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। यदि हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं हैं, तो तीसरी योजना में १ करोड़ टन इस्पात और २० लाख टन ढलवा लोहा बनाने की लक्ष्य-पूर्ति के स्थान पर उतना ही इस्पात बनाया जाना चाहिए जो तितान आवश्यक है। पर आवश्यक इस्पात बनाने के लिए भी में समझता ह कि एक और कारखाना बनाया पड़ेगा।

### चौथे कारखाने का स्थान

पहले बोकारो (बिहार) में तीसरा इस्पात कारखाना खोलने की बात थी। पर बोकारो तक यातायात की अच्छी सुविधा न होने के कारण दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) में यह कारखाना खोला गया। पर बोकारो कई कारणों से इस्पात कारखाने के लिए बहुत उपयुक्त स्थान है। यह करगली, बोकारो और हरिया की कोयला खानों के बहुत पास है। हालांकि खनिज लोहा यहाँ से कुछ दूर पड़ेगा; पर जो मालगार्मिया करगली और हरिया से राउरकेला और भिलाई के कारखानों को कोयला ले जाएगी वे ही वापसी में बोकारो के लिए खनिज लोहा लाएगी। बोकारो में कारखाने के लिए जमीन सुधारने का काम शुरू कर दिया गया है। पर कारखाने की इमारत बनाना शुरू करने और कारखाना कितना बढ़ा हो, इसका निश्चय तीसरी योजना के बारे में कुछ और निर्णय हो जाने के बाद होगा।

### भिलाई इस्पात कारखाने की तीसरी सुसुती भट्टी तैयार

भिलाई इस्पात कारखाने की तीसरी सुसुती भट्टी (ओपन हर्थ फॉस) बन कर तैयार हो गई है। इस भट्टी में आग जलाई जा चुकी है। अब शीघ्र ही इगमें इस्पात बनने लगेगा।

यह भट्टी एक बार में २५० टन इस्पात बना सकती है। इससे पहले जो दो भट्टिया खाल हुई हैं, उनमें भी इतना ही इस्पात है। यह तीसरी भट्टी प्रति १।५० ५०० टन इस्पात बनाएगी।

बौधी खुली भट्टी भी तैयार की जा रही है। इस भट्टी पर पानी ठंडा करने की मशीन लगाई जा रही है। मिलाई कारखाने में ऐसी ६ खुर्की भट्टियाँ होगी। इनमें से प्रत्येक में २५० टन उत्पात बन सकेगा। इन ६ भट्टियों से प्रति वर्ष १० लाख टन उत्पात के पिंड बनेंगे। इनसे ६ लाख २० हजार टन तैयार उत्पात और १ लाख ५० हजार टन डम्पात की विल्हेट बनेंगी।

### खनिज तांबे का उत्पादन

**भारत** के खान कार्यालय की १७ मार्च की सूचना के अनुसार भारत में जनवरी १९६० में ३०,५३८ मेट्रिक टन खनिज तांबे का उत्पादन हुआ, जबकि उससे पिछले साल जनवरी में ३१,७३६ मेट्रिक टन हुआ था। ये आकड़े बिहार के निम्नलिखित जिले की खानों के हैं।

जनवरी १९६० में ६७६ मेट्रिक टन तांबा तैयार हुआ, जबकि १९५९ के इसी महीने में ५९६ मेट्रिक टन हुआ था। इस तरह १९६० में १३ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

### जनवरी १९६० में सीसे और जस्ते का उत्पादन

**भारतीय** खान कार्यालय के अनुमान के अनुसार देश में जनवरी १९६० में १३,८१८ मेट्रिक टन सीसा और जस्ता निकाला गया, जबकि जनवरी १९५९ में १३,४४० मेट्रिक टन सीसा और जस्ता निकाला गया था। यह पूरा उत्पादन राजस्थान के उदयपुर जिले की ज्वार खानों में हुआ है।

सीसा बिहार में दूढ़ के कारखाने में साफ किया जाता है। भारत में जस्ता साफ करने का कोई कारखाना न होने के कारण इसे जापान भेजा जाता है। जनवरी १९६० में ३१० मेट्रिक टन शुद्ध सीसा प्राप्त हुआ।

### फरवरी १९६० में सूती कपड़े का उत्पादन

हैस्टाइल कमिश्नर की १७ मार्च की एक विज्ञापित में कहा गया है कि फरवरी १९६० में सूती कपड़ा मिलों में १३ करोड़ ८० लाख पींड गूत और ४० करोड़ २० लाख गन कपड़ा बनाया गया। फरवरी १९६० के

अन्त में इन मिलों के पास कपड़े की कुल २ लाख ६० हजार गांठें थीं। इनमें से १ लाख ४० हजार गांठें बिकी नहीं थी और १ लाख २० हजार गांठें बिकी हुई थी, जो उठाई नहीं गई थी।

### वैज्ञानिक परिषद के संचालक मण्डल की बैठक

**नयी दिल्ली** में २२ मार्च को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान मण्डल तथा २३ मार्च को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संचालक मण्डल की बैठक हुई। बैठकों की अध्यक्षता प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू ने की।

बगलौर की राष्ट्रीय-हवाई इंजीनियरी प्रयोगशाला को बढाने और आसाम में क्षेत्रीय अनुसंधानशाला खोलने की योजनाओं को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

बगलौर की प्रयोगशाला में वायुमान की गति से भी तेज उड़ान के परीक्षण के लिए शीघ्र ही वायु सुरंग बनाने का प्रस्ताव है। बैठक में इस बात की भी सिफारिश की गई कि प्रयोगशाला विमान कारखानों और उड़ान विभागों के सहयोग में काम करे और जो समस्याएँ उसके पास भेजी जाएँ, उन्हें हल करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाए।

आसाम की क्षेत्रीय अनुसंधानशाला में आरम्भ में व्यावहारिक रसायनशास्त्र और इंजीनियरी विभाग होंगे।

१९६०-६१ में रबर निर्माता संघ की अनुसंधान कार्य के आवर्तक खर्च का आधा खर्च देने की मजूरी दी गई।

### केन्द्रीय पेट्रोलियम संस्था

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संचालक मण्डल ने देहरादून में केन्द्रीय पेट्रोलियम संस्था स्थापित करने के लिए ११ सदस्यों की कार्यकारी परिषद की नियुक्ति की भी मजूरी दी। खान और तेल मन्त्री कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष होंगे। यह संस्था पेट्रोलियम सम्बन्धी अनुसंधान, ट्रेनिंग और जानकारी इकट्ठा करने का काम करेगी।

मण्डल ने जीव-विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान को बढाना स्वीकार किया है। अनुसंधान के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार प्रोत्थित

करने के प्रस्ताव को भी संचालक मण्डल ने स्वीकार कर लिया है।

बैठक में बहुत-सी अनुसंधान योजनाओं और छात्रवृत्तियों को फिर से मजूरी दी गई।

बैठक में जिन लोगों ने भाग लिया उनमें से कुछ ये हैं :

डा० हुमायूँ कबीर, श्री एफ० सी० बघावर, डा० एच० जे० भाभा, प्रो० एम० एन० बोस, श्री जे० जे० गांधी, डा० वी० सी० गुह, डा० के० ए० हमीद, श्री एम० हयात, डा० जीवराज एन० मेहता, श्री एस० एस० खेरा, डा० ए० एन० खोसला, डा० डी० एस० कोठारी, डा० के० एम० कृष्णन, प्रो० पी० महेश्वरी, श्री पी० ए० नारियलवाला, छाटा श्रीराम, श्री एम० एम० रंजावा, श्री डॉ० एन० सेन, श्री मनुभाई नाडू, श्री करलेल सिंह, प्रो० एम० एस० बैकर, डा० विक्रम प० सारभाई, डा० डी० एन० वाडिया, सरदार स्वर्ण सिंह, श्री के० सी० रेड्डी, श्री वी० के० कृष्णमन, प्रो० पी० सी० महलोनवीम, श्री ए० वी० वैकटेश्वरन, और श्री पी० एम० सुन्दरम।

### सोना माछी से गन्धक बनाने के लिए कम्पनी

**राष्ट्रीय** उद्योग विकास निगम ने बिहार के अमजोर क्षेत्र के सोना माछी (पापराइडम) के भडारों से गन्धक, गन्धक का तैयार करी अन्य चीजें बनाने के लिए एक कम्पनी बनाई है।

दि पापराइडम एण्ड, केमिकल्स, डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड की अधिकृत पूंजी ५ करोड़ ६० लक्ष होगी। पूरी पूंजी राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम लगाएगा।

निगम ने बिहार के सोना माछी के भडारों की पडताल करने और इससे गन्धक बनाने के बारे में सुझाव देने के लिए नार्थ का एक विभाग नियुक्त किया था। विशेषज्ञ की सलाह पर ही यह काम शुरू किया जा रहा है।

इस योजना पर ६ से ७ करोड़ ६० लक्ष खर्च आने का अनुमान है। इस योजना के अन्तर्गत हर रोज २०० से ३०० टन तरु गन्धक तैयार किया जा सकेगा, पर बाद में उत्पादन को और भी बढाने का प्रस्ताव है।

इस समय हर साल देश में १ लाख २० हजार टन गन्धक बाहर से मंगाई जाती है।

बहुतनी चक्र रवाना करने में काम जारी है। देग में गवन के उद्घाटन में काफी विदेशी मुद्रा को बचन होगी।

राष्ट्रीय गतिज विभाग निगम के अध्यक्ष, श्री के. एन. बी. को इन बम्बनी का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विदेशी माल में मजदूरी के प्रतिनिधियों के अलावा कुछ केन्द्रीय मन्त्रालयों और राज्यात्मित उद्योग के प्रतिनिधि भी है। क्रिस्टल बम्बनी का दफ्तार नवी दिल्ली में रहेगा।

### खंडसारी का थोक और फुटकर भाव

वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने खंडसारी के थोक और फुटकर भाव के बारे में २४ मार्च को लोकसभा की बैठक पर एक बयान दिया। बकस्य में बताया गया है कि मुजबकनगर में नवम्बर १९५९ में खंडसारी के थोक भाव २६ रु. ०० मन और फुटकर भाव ३८ रु. ०० से ६० ०० मन तक था। इसके बाद के दो महीने (दिसम्बर १९५९ और जनवरी १९६०) में खंडसारी का थोक भाव ४५ रु. ०० मन और फुटकर भाव १९६० में ५० रु. ०० मन रहा। इन महीने के फुटकर भावों का अर्धा तक पता नहीं चला है। मरठ में नवम्बर १९५९ में खंडसारी का थोक भाव ४८ रु. ०० था। फुटकर भाव का अर्धा पता नहीं चला है। दिसम्बर १९५९ में थोक भाव ४० रु. ०० मन और फुटकर भाव ६२ रु. ०० मन था। जनवरी १९६० में थोक भाव ४८ रु. ०० मन और फुटकर भाव ५१ ०० मन रहा। फरवरी १९६० में थोक भाव ४३ रु. ०० मन और फुटकर भाव ४५ रु. ०० मन रहा।

बरेली में नवम्बर १९५९ में खंडसारी थोक में ४३ रु. ०० से ४५ रु. ०० मन तक और फुटकर ४८ रु. ०० से ५० रु. ०० मन तक बिकी। दिसम्बर में थोक भाव ४४ रु. ०० से ४६ रु. ०० तक और फुटकर भाव ४९ रु. ०० से ५१ रु. ०० मन तक रहा। जनवरी १९६० में खंडसारी का थोक भाव ४४ रु. ०० से ५० रु. ०० मन तक और फुटकर भाव ४९ रु. ०० से ५५ रु. ०० मन तक रहा। फरवरी में खंडसारी थोक में ४४ रु. ०० से ४७ रु. ०० मन तक और फुटकर में ४९ रु. ०० से ५२ रु. ०० मन तक बिकी।

### हिरी डोलोमाइट खान दुर्घटना : श्रम उपमन्त्री का बकस्य

लोहनामा में १७ मार्च को श्रम उपमन्त्री, श्री जायिज अजी ने बताया कि २ मार्च को दोपहर ११-३० बजे मध्य प्रदेश की हिरी डोलोमाइट खान में जो दुर्घटना हुई थी उसकी जांच की गई है। जांच में यह पता चला है कि दो नर्मचारी जब वहाँ में गुराई कर रहे थे तो गाल उठने के लिए बिछाई गई एक ऐसी गुरग में बर्मा में धक्का लग गया जो किमी कारखाना उठी नहीं थी। परिणामस्वरूप गाल में अचानक विस्फोट हो गया तथा दोनों नर्मचारी मर गए और दो नर्मचारियों के हल्की चोट लगी। इन दोनों नर्मचारियों को दफ्तार के टिप्पू किंगपुर नरकारी अस्पताल में नर्ती निया गया और अब वे दफ्तार में टैक रहकर आ गए हैं।

उग गाल में १,००० नर्मचारी काम कर रहे हैं और इन दुर्घटना में भर्ती किए जाने वाले नर्मचारियों की गम्या में कोई कमी नहीं की गई है।

### क्या आप जानते हैं ? देश में सोमेट उद्योग

- सबसे पहले मद्रास राज्य में १९०४ में पॉर्टलैंड सोमेट दफ्तारों का कारखाना खोला गया था, परन्तु अन्ततः यह कारखाना असफल ही रहा। इसके ९ वर्ष बाद पोरचन्दर में दूसरा छोटा कारखाना खोला गया, जो अब तक चले रहा है। इसके बाद दिल्ली और फरवी में भी कारखाने खोले गए। उस समय पहला विश्वयुद्ध शुरू हो गया, इसलिए ये कारखाने सफलतापूर्वक चलने लगे।
- १९३० में देग में ११,२५३ टन सोमेट तयार हुआ, जो १९३० में बढ़कर ५,६४,००० टन हो गया। तत्काल आयोग के सुझाव पर १९२६ में भारतीय सोमेट निमाता संघ स्थापित किया गया।
- सोमेट की उत्पत्ति बढ़ाने के लिए १९२७ में कर्नाट संघ और कारखाने में बने सोमेट की बिक्री के लिए १९६० में सोमेट बिक्री संघ बना। तब से सोमेट उद्योग का निरन्तर विस्तार

कम्पनियों के सचिवों की न्यूनतम योग्यता केन्द्रीय सरकार ने कम्पनियों के सचिवों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने और परीक्षा लेने के बारे में सलाह देने के लिए, गुल्हाहलार मण्डल नियुक्त करने का निश्चय किया है।

आया है कि मण्डल १ अप्रैल, १९६० से काम शुरू कर देगा। मण्डल में कम्पनियों, भारतीय व्यापार और उद्योग नंबों के फेडरेशन और केन्द्रीय मन्त्रालयों के प्रतिनिधि होंगे। आरम्भ में सदस्यों का कार्यकाल एक साल होगा। कम्पनी कानून विभाग के सचिव मण्डल के अध्यक्ष होंगे। भारतीय व्यापार और उद्योग नंबों के फेडरेशन के प्रतिनिधियों के अलावा अन्य सब सदस्य सरकार द्वारा नामजद होंगे।

सरकार कुछ समय से कम्पनियों में योग्य सचिवों की नियुक्ति पर विचार कर रही थी। इंग्लैंड के कम्पनी अधिनियम की तरह, भारतीय अधिनियम में विनियम योग्यता वाले सचिवों की ही नियुक्ति का प्रावधान नहीं है।

होता रहा। १९४७ में १८ कारखाने थे, जहाँ १४ लाख ४० हजार टन सोमेट तयार होता था। १९५८ में कारखानों की संख्या बढ़कर ३१ हो गई और उत्पादन भी बढ़कर ६० लाख ६० हजार टन हो गया।

● दूसरी योजना में कारखानों की सोमेट तयार करने की धमता बढ़ाकर १ करोड़ टन तक कर दी जाएगी। सोमेट के कारखानों को बढ़ाने के लिए अमरीका के सिल्वर सहयोग मिशन और विकास ऋण निधि से विदेशी मुद्रा ली गई। अनुमान है कि १९६२ तक देश के कारखानों से ही देश की सोमेट की अधिकांश मांग पूरी होने लगती।

● सोमेट का निर्यात बढ़ाने का भी प्रयत्न किया जा रहा है। निर्यात के लिए जो ४ लाख टन सोमेट रखा गया था, उसमें से जनवरी १९६० के अन्त तक ३,०१,४१० टन सोमेट बाहर भेजने के बारे में कार्रवाई हो चुकी है और लगभग २,३९,००० टन नोनेट भेज दिया गया।

## दूसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि

**के**न्द्रीय श्रम मंत्रालय ने इस बात की जांच कराई है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के कारण सरकारी दफ्तरों और उद्योगों आदि में अब तक कितने लोगों को काम मिला। इस जांच से पता चलता है कि अप्रैल १९५६, यानी दूसरी योजना के शुरू से मार्च १९५९ तक लगभग ११ लाख ३९ हजार व्यक्तियों को काम मिला। मार्च १९५९ के अन्त तक कुल ६३ लाख ७४ हजार व्यक्ति सरकारी नौकरियों में थे।

जांच के लिए २७,७८१ स्थायांशों से जानकारी मांगी गई थी, जिनमें से २३,६५३ यानी ८५.१ प्रतिशत ने यह जानकारी भेजी। जानकारी के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि मार्च १९५९ के अन्त तक सरकारी क्षेत्र में रोजगार २१.८ प्रतिशत बढ़ा। इस अवधि में ४,४३८ नये कारखाने या विभाग आदि स्थापित हुए, जिनमें दिसम्बर १९५८ के अंत तक ३ लाख ३० हजार व्यक्तियों को काम मिला।

केन्द्रीय सरकार में सबसे अधिक वृद्धि, लगभग ८२ हजार, रेलों में हुई। डाक-तार विभाग में ३७ हजार नये लोगों को, शिक्षा और वैज्ञानिक स्थायांशों में १० हजार को, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं आदि में १,७०० और अन्य विभागों में ४८ हजार लोगों को काम मिला। खानों में ४ हजार और केन्द्रीय सांबंजनिक निर्माण विभाग में ४,५०० लोग और लगे। इनमें ठेकेदारों के कर्मचारी शामिल नहीं हैं। सबसे अधिक वृद्धि प्रशासनिक कार्यालयों (२०.५ लाख से बढ़कर २४ लाख) में हुई। इस वृद्धि से यह नहीं समझना चाहिए कि बलकों आदि की ही भरती अधिक हुई, बल्कि बल प्रशासनिक कार्यालयों और विभागों में बहुत-से ऐसे हैं, जिनमें दायित्व और दूसरे काम जानने वाले लोग काम करते हैं।

श्रम मंत्रालय के इस अध्ययन से पता चलता है कि ऋषि और पशुपालन आदि में २०.१ प्रतिशत; खान और पत्थर खोदने में २६.७ प्रतिशत; कारखानों में ३३.७ प्रतिशत; इमारतों आदि बनाने में ३०.६ प्रतिशत; जिनकी, गैस और पानी के काम में ३० प्रतिशत; व्यापार-वाणिज्य में ९.५८ प्रतिशत; परिवहन तथा संचार में १०.५ प्रतिशत और सेवाओं में १९.२ प्रतिशत अधिक व्यक्तियों को दूसरी योजना के दौरान काम मिला। भारत के कामगार वर्ग का ४ प्रतिशत सरकारी दफ्तरों और उद्योगों में काम करता है। १९५० में सरकारी सगठनों में काम करने वालों का अनुपात ब्रिटेन में २४.३ प्रतिशत और अमरीका में १२.० प्रतिशत था। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत में आयोजित अर्थ-व्यवस्था और राष्ट्रीयकरण आदि के बावजूद सरकारी कर्मचारियों का अनुपात काफी कम है।

जांच की रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में रोजगार का जो लक्ष्य रखा गया था, उसमें से ४४.७ प्रतिशत पहले तीन सालों में पूरा हो गया है और यदि रोजगार सम्बन्धी आकड़े अधिक सही मिले तो यह अनुपात इससे अधिक होगा। दूसरी योजना की इस अवधि में जो पूजी लगाई गई है, उसके फलस्वरूप अगले दो वर्षों में रोजगार और तेजी से बढ़ेगा।

## बैंक विवाद पर श्रम मन्त्री का वक्तव्य

**ल**ोकसभा में २१ मार्च को श्रम मन्त्री, श्री गुलजारीलाल नन्दा ने बैंक विवाद के निर्णय के लिए राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नियुक्त करने के बारे में निम्नलिखित वक्तव्य संघन की भेज पर रखा :

११ मार्च को मैंने लोकसभा में जो वक्तव्य दिया था, उसमें मैंने यह उल्लेख किया था कि बहुत सोचने के बाद सरकार में यह निर्णय किया कि बैंक विवाद के निर्णय करने का सबसे सही रास्ता यह है कि उसे औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय न्याया-

धिकरण को सौंप दिया जाए। प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के लिए उपयुक्त अध्यक्ष के चुनाव के बारे में शीघ्र ही उचित कार्रवाई की गई। विवाद का महत्व देखते हुए सरकार ने यह निर्णय किया था कि न्यायाधिकरण का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का बनना चाहिए। इसके मायने यह है कि विभिन्न राज्य सरकारों से राय ली जाए। मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बम्बई उच्च न्यायालय के एक जज ने यह काम समालाना स्वीकार कर लिया है और इस बारे में आज ही अधिसूचना जारी की जाएगी। साथ ही साथ बैंक कर्मचारियों द्वारा की गई विभिन्न मार्गों की भी जांच की गई और इस सम्बन्ध में शीघ्र ही अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी।

सरकार ने रिजर्व बैंक और उसके कर्मचारियों के झगड़े पर भी विचार किया तथा यह तय किया गया कि उसे राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाए।

मुझे बहुत अफसोस है कि स्टेट बैंक वालों की हड़ताल अभी भी चल रही है तथा १९ मार्च को सभी बैंकों के कर्मचारियों ने भी मानैतिक हड़ताल की। अखिल भारतीय स्टेट बैंक के इंडिया स्टॉक फंडेशन के अध्यक्ष १६ मार्च को मुझे मिले तथा १३ मार्च को फंडेशन द्वारा पास किए गए प्रस्ताव की एक प्रति मुझे दी। अध्यक्ष के साथ मेरी जो बातचीत हुई, उसे देखते हुए मुझे यह उम्मीद थी कि हड़ताल जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। जबकि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना के बारे में घोषणा की जा चुकी है तो हड़ताल जारी रखने में मुझे कोई तुक समझ में नहीं आती। मैं बैंक कर्मचारियों तथा उनके नेताओं से फिर अनुरोध करता हूँ कि वे फीरन हड़ताल समाप्त कर दें, ताकि उनकी मांगों पर धारित से विचार किया जा सके।

**६०० कोयला खनकों की दिल्ली यात्रा**

**२६** मार्च को विधेय रेलगाड़ी से कोयला खानों के लगभग ६०० खनक दो दिन के लिए नयी दिल्ली पहुंचे। ये लोग घूमने और अध्ययन करने के लिए १३ दिन तक देश की यात्रा करेंगे। ये २३ मार्च को धनवादा से रवाना हुए और अब तक बाणप्रती,

सबका, हरिद्वार, भागडा-नंगल और अमृतगढ़ देव बुके हैं। इनका दाबा का प्रबन्ध कौयला मान मजदूर हितकारी निधि की ओर में किया गया है।

नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर थम मंत्री, श्री मुन्शारी लाल नदा और थम उपमन्त्री, श्री आबिद अली ने इनका स्थान किया और नयी दिल्ली में वे प्रथम मंत्री में भी मिले।

### कामदिलाज दफतरो की मार्फत भर्ती

जिन पदों की प्रति बेन्टीय गैलरी सेवा आवाग चलना है या जिनको प्रति के लिए विद्योप नियम बनाए हुए हैं, उनके अलावा बेन्टीय मन्वार के अन्य नयी पदों पर कामदिलाज दफतरो की मार्फत भर्ती होती है।

यह सूचना स्वराष्ट्र मन्त्रालय में मंत्री, श्री बलबन्त नगंम दत्तार ने ८ मार्च को लोन्-सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि कामदिलाज दफतरो की मार्फत भर्ती करने के नियम मन्त्री दफतरो पर लागू है।

श्री दत्तार ने बताया कि अगर किसी दफतरो को कामदिलाज दफतरो में उपयुक्त कर्मचारी नहीं मिलते तो वह दफतरो समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर भर्ती कर सकता है। इन नियमों का उल्लंघन करने जो नियुक्तियाँ होती हैं, वे अनियमित मानी जाती हैं।

### हिन्दी टाइपिंग और शार्टहेड

एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री दत्तार ने बताया कि नयी दिल्ली में एक केन्द्र 'शोला गया है, जहाँ प्रतिवर्ष ४०० व्यक्तियों को हिन्दी टाइपिंग और १०० व्यक्तियों को हिन्दी शार्टहेड सिखाया जा सकता है।

### जनवरी १९६० में कामदिलाज दफतरो का काम

जनवरी १९६० में कामदिलाज दफतरो ने कुल २२,१०६ लोगों को काम दिलाया, जबकि इनमें पिछले महीने २१,८५८ को दिलाया था। जनवरी में लगभग ७,६३३ मालिकों ने कामदिलाज दफतरो की मार्फत कर्मचारी भर्ती किए। इस महीने कुल ३३,२१४ लोगों की माग आई, जबकि दिसम्बर-१९५९ में ३५,५५३ की माग आई थी।

दिसम्बर १९५९ में २,२०,३१० व्यक्तियों ने कामदिलाज दफतरो में अपने नाम दर्ज कराए थे, जबकि जनवरी १९६० में १,९३,५१५ ने ही नाम दर्ज कराए। जनवरी के अन्त में कामदिलाज दफतरो में कुल १४,२५,५८९ लोगों के माग दर्ज थे। यह मन्ष्या पिछले महीने में ४,६८८ ज्यादा है।

आलोच्य माग में ९ नये कामदिलाज दफतरो गुले। जनवरी के अन्त में देग में कुल २५७ काम दिलाज दफतरो थे।

### कर्मचारी राशय बीमा योजना का विस्तार

कर्मचारियों की राशय बीमा योजना के अन्तर्गत, २७ मार्च, १९६० से बिहार, मद्रास, आंध्र प्रदेश और मैसूर के लगभग १९,४५० मजदूरों को इसका लाभ मिलने लगेगा। आंध्र प्रदेश में गिरपुर; बिहार में झालमिया नगर, बजारी और जापला; मद्रास में झालमियापुरम तथा मैसूर में डूबली में यह योजना लागू की जा रही है।



### परिवहन विकास परिषद की बैठक

नयी दिल्ली में २६-२७ मार्च को परिवहन विकास परिषद का दो दिन का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन की पहले दिन की बैठक में सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति की कुछ सिफारिशों पर विचार किया गया। परिवहन तथा संचार के राशय मन्त्री, श्री राजबहादुर बैठक के सभापति थे। परिषद ने उक्त समिति की इस सिफारिश को मान लिया कि सब राज्यों में दुर्बटनाग्रस्त लोगों को जसो मुआवजा दिलाने के लिए न्यायाधिकरण बनाए जाए। इसी प्रकार सड़क दुर्घटनाओं के कारण खोजने और इनको रोकने के उपाय सुझाने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने की भी सिफारिश की गई। परिषद ने मसानी-समिति की क्षेत्रीय परिवहन अधिकरण तथा

### केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए अनिवार्य भविष्य निधि योजना

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर अनिवार्य भविष्य निधि योजना लागू होने से लगभग ३ करोड़ ५० लाख रु० और मिलने का अनुमान है।

यह सूचना २४ मार्च को लोन्सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त मन्त्री, श्री मोरारजी देसाई ने दी।

उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों ने इस योजना का विरोध किया है। परन्तु इस सम्बन्ध में जो पत्र आए हैं, उन पर पूरी तरह विचार करने के बाद सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि योजना को अनिवार्य करना जरूरी है। इसके, वेतन आयोग की सिफारिशों लागू होने पर सरकार का जो खर्च बड़ेगा, वह कम हो जाएगा और साथ ही मुद्रा-स्फीति का भी डर नहीं रहेगा। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के हित में भी इसे अनिवार्य करना जरूरी है।

की प्रबन्ध व्यवस्था आदि के बारे में कई सिफारिशों पर विचार किया। समिति के इस सुझान पर भी परिषद ने विचार करके इसे स्वीकार किया कि हर राज्य में एक परिवहन सलाहकार समिति होगी चाहिए, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी, विधान-सभाओं के सदस्य, मोटर कम्पनियों के प्रतिनिधि, व्यापारियों के प्रतिनिधि और परिवहन से सम्बन्ध रखने वाले अन्य संगठनों के प्रतिनिधि लिए जाएं।

अपने भाषण में श्री राजबहादुर ने कहा कि सड़क परिवहन पर कर कम होना चाहिए और सब राज्यों में प्रायः एक-ते कानून होने चाहिए। विभिन्न राशय सरकारों के मुख्य इंजीनियरों ने अगले बीस सालों के लिए सड़कों के विकास का एक कार्यक्रम बनाया है। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस काम के लिए ५९० करोड़ रु० की व्यवस्था



की जा रही है, जो बहुत कम है। छोटी-और बड़ी सड़कों के विकास के लिए कम से कम १,०५० करोड़ रु० जरूर खर्चना चाहिए, जो योजना के कुल व्यय का १० प्रतिशत से भी कम होगा।

### दूसरे दिन की बैठक

दूसरे दिन की बैठक में सर्वसम्मति से यह मांग की गई कि योजना आयोग को तीसरी पंचवर्षीय योजना में सड़क परिवहन और सड़क तथा जल परिवहन के विकास के लिए और अधिक धन खर्चना चाहिए। इस समय योजना आयोग ने २५० करोड़ रु० सड़कों के लिए, १८ करोड़ रु० सड़क परिवहन के लिए और ५ करोड़ रु० आन्तरिक जल परिवहन के लिए रखे हैं।

केंद्रीय परिवहन मन्त्री, डा० सुब्बाय्यन दूसरे दिन की बैठक के अध्यक्ष थे। केंद्रीय राज्य मंत्री, श्री राजबहादुर तथा उपमंत्री, श्री अहमद मुहीउद्दीन भी उपस्थित थे। राज्यों के परिवहन मंत्रियों के अतिरिक्त बंगाल के मुख्य मंत्री, डा० विधानबन्धु राम भी बैठक में उपस्थित थे।

बैठक ने यह मुसल दिया कि धन की अधिक व्यवस्था करने के लिए छोटी बसत का और अधिक उपयोग करना चाहिए।

परिषद ने यह भी सिफारिश की कि परिवहन का काम करने वाले लोगों को गाड़िया खरीदने के लिए सुविधाजनक तरीके से रकमा मिलने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए सरकार एक वित्त आयोग को स्थापना कर सकती है या कोई दूसरी ऐसी व्यवस्था करे जिसमें मोटर परिवहन का काम करने वालों को रकमा मिल सके। परिषद की राय में इन सुविधाओं के अभाव में ही सड़क परिवहन का विकास ठीक तरह से नहीं हो रहा है। परिषद ने इस बात का समर्थन किया कि माल डोने का काम करने वालों को सहकारी समितियां बनाई जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक योजना के रूप में बम्बई, मद्रास, पश्चिमी बंगाल, केरल और दिल्ली में इस प्रकार की समितियां स्थापित करने के सुझाव पर विचार किया गया और बम्बई की जगह, उड़ीसा को खर्चना स्वीकार किया गया।

## सीमा क्षेत्रों में सड़कों का विकास :

### उच्चाधिकारी मण्डल नियुक्त

भारत सरकार ने सीमा क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए एक उच्चाधिकारी मण्डल नियुक्त किया है। इस मण्डल के अध्यक्ष, प्रधान मन्त्री तथा उपाध्यक्ष प्रतिरक्षा मन्त्री हैं। मण्डल की पहली बैठक २९ मार्च, १९६० को हुई।

अब तक यातायात की ठीक व्यवस्था न होने के कारण सीमा क्षेत्रों के आर्थिक विकास में बड़ी बाधा पड़ती थी। मण्डल की नियुक्ति का उद्देश्य सड़कों का इस तरह से विकास करना है कि सीमा क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति और अधिक तेजी से हो।

मण्डल के एक सरकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकार दिए गए हैं तथा उसका अलग वित्तीय मलाहकार नियुक्त किया गया है। मण्डल के अध्यक्ष सदस्य ये हैं, यातायात मन्त्रालय के सचिव, यातायात मन्त्रालय में सड़कों के बारे में सलाह देने वाला इंजीनियर, प्रतिरक्षा मन्त्रालय के सचिव तथा स्वराष्ट्र मन्त्रालय में कश्मीर के मामलों के सचिव।

इन क्षेत्रों में सड़क बनाने की एक योजना तैयार कर ली गई है और मण्डल का यह काम होगा कि वह प्राथमिकताओं के अनुसार योजना को जल्दी से जल्दी पूरा करे।

### विकास कार्यक्रम

सीमा क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों में पूरी तरह समन्वय बनाए रखने के लिए मन्त्रपरिषद के सचिवालय में एक समिति बनाई गई है। विकास कार्यक्रमों के लिए राज्यों तथा स्थानीय प्रशासनों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

उत्तर प्रदेश तथा जम्मु और कश्मीर राज्यों के सीमा क्षेत्रों में नये जिले बनाए गए हैं। प्रत्येक जिले का इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर होगा तथा उसे व्यापक प्रशासकीय तथा वित्तीय अधिकार होंगे। इन जिलों के प्रशासन के लिए आवश्यक कर्मचारी नियुक्त कर लिए गए हैं। पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के सीमा क्षेत्रों में अभी तक बरफ जमी हुई है और बरफ पिघलने के बाद वहाँ नये जिले बनाए जाएंगे।

सम्बन्धित राज्यों ने विकास योजनाएँ तैयार कर ली हैं और केंद्रीय सरकार उन

पर विचार कर रही है। राज्य-सरकारों को जल्दी योजनाओं पर काम शुरू करने का अधिकार दे दिया गया है। ये विकसित कार्यक्रम छोटी बिचाई योजनाओं, पंच-थन के सुधार, चरागाहों के सुधार, कुटीर उद्योग तथा विभिन्न क्षेत्रों को मिलाने वाली सड़क बनाने के बारे में हैं। स्वास्थ्य सेवाओं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों की ओर भी ध्यान दिया जाएगा।

## भारत-आस्ट्रेलिया हवाई सेवा

दोनों देशों में ३ मार्च को भारत तथा आस्ट्रेलिया के बीच हवाई सेवा समझौते के बारे में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत शुरू हुई और वह १४ मार्च को समाप्त हुई।

वर्तमान स्थिति के अनुसार १९४९ के समझौते में कुछ संशोधन करने के बारे में दोनों देशों के प्रतिनिधि सहमत थे।

इन प्रतिनिधियों ने एयर इंडिया, क्वींसलैंड और बी० आर० ए० सी० की त्रिदलीय साझेदारी पर भी विचार किया और दोनों प्रतिनिधि इस बात पर सहमत हो गए कि साझेदारी समझौते की अवधि तक वे वर्तमान हवाई मार्ग से आते-जाते रहे।

भारत के प्रतिनिधि स्वयं विभाग के सचिव, श्री एम० एम० फिलिप और आस्ट्रेलिया के असेनिक उड्डान के महाविदेशक, श्री डी० जी० एण्डर्सन थे।

## पदनूर की रेल बर्कशाप का उत्पादन

लोहसा में २३ मार्च को रेल उपमन्त्री श्री सुलेम बंकटपाया रामस्वामी ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि दक्षिण रेल पर पदनूर के सिगनल और दूर सूधार बर्कशाप में जो माल तैयार किया गया, उससे १९५९-६० में ५ लाख ७१ हजार ६० के मूल्य की विदेशी मुद्रा की बचत हुई। इस बर्कशाप में १९५९-६० में २२ लाख ४८ हजार ६० का माल तैयार हुआ तथा १ लाख ७९ हजार ६० का मरम्मत का काम किया गया। १९६०-६१ में २४ लाख ६० का माल तैयार करने तथा ३ लाख का मरम्मत का काम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें ४०० कुशल तथा ३४० अनुकुशल कर्मचारी हैं।

## रेलो को स्थिर बैठते प्रश्न

रेल उद्योगी, श्री मन्मथ बेष्टव्या रामस्वामी ने एक प्रश्न के उत्तर में २३ मार्च को लोकसभा में बताया कि रेलों के विमान वाहन-क्रम के लिए निम्न बेंच में दूसरी योजना में कुल २२ करोड़ ५० लाख डालर का खर्च दिया। इन मात्र में दूसरा खर्च मिलने की सम्भावना है, किन्तु इस बारे में अभी कुछ निश्चित सूचना नहीं मिली है। यह राम दूसरी योजना में रेलों का विस्तार तथा उत्तम सुधार करने के लिए २३ मार्च को जो रेल डेवलापमेंट बिल पेश किया था, जिसमें रेल मन्त्रालय का उद्देश्य वर्णित है, उसमें ५० लाख डालर का खर्च बताया था।

उद्योगी महाशय ने दूसरी योजना में रेल विमान कार्यक्रम के लिए निम्न बेंच में उधार को २३ मार्च तक के बारे में एक बतव्य भी सदन को सज पर रखा।

### नयी रेल-लाइनें

रेल उद्योगी, श्री महाशय राम ने १८ मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि गजपती (बाजमुडा) - बम्बुआ (इनगव) लाइन विद्युत् तैयार हो चुकी है जो आशा है कि इस महीने के अन्त में चालू हो जाएगी।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि विजयवाड़ा-मुद्दुल लाइन पर फरवरी १९६० तक ८०५ मील लम्बी दार्जौंग रेल-लाइन चालू हो चुकी है। उन्होंने जगें बताया कि नयी लाइन चालू करने के काम की प्रगति की बराबर जांच की जा रही है और ऐसी व्यवस्था की गई है कि जिन लाइनों के निर्माण की शुरुआत हो चुकी है, वे दूसरी योजना के अन्त तक पूरी हो जाएं।

### आसाम के लिए दूसरी रेल-लाइनें

रेल उद्योगी, श्री मन्मथ बेष्टव्या रामस्वामी ने १८ मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि आसाम के लिए दूसरी रेल-लाइन बनाने के काम में अभी केवल सर्वे ही पूरा हो पाया है। रेल प्रशासन जरूरत ही इस योजना के सम्बन्ध में रिपोर्ट और उसके खर्च का विवरण पेश करेगा।

मन्त्री महाशय ने बताया कि यह रेल-लाइन बनाने के बारे में अभी कोई फ़ैसला किया जा सकता है, जब रेल मण्डल को यह रिपोर्ट मिल जाए और वह इस पर विचार करे।

### विजली के इंजनों का निर्माण

रेल उद्योगी, श्री रामस्वामी ने एक प्रश्न के उत्तर में २३ मार्च को लोकसभा में बताया कि विचारजन के रेल इंजन कारखाने में विजनों के इंजन बनाने की व्यवस्था की जा रही है और अनुमान है कि पहला १,५०० वाट का टी० सी० विजरी का इंजन १९६१ के मध्य तक बग़र तैयार हो जाएगा।

श्री रामस्वामी ने बताया कि देशी विजरी का इंजन बनाने के लिए रेल मण्डल ने इंग्लैंड इलेक्ट्रिक कम्पनी को विजरी के बारे में उपाय-कल्प भेजने का ठेका दिया था। यह आर्डर १,५०० वाट के टी० सी० विजरी के इंजन के लिए विजरी के उपाय-कल्प भेजने के दस्तावेज दिया गया था। इन उपाय-कल्पों का कुल दाम ३,३६,००० पाउंड (ब्रिटेन की बन्दरगाह तक जहाज-लाइनें सर्वे मुफ्त) है।

### रेलो में लकड़ी के सवारी डिब्बों के स्थान पर इस्पात के डिब्बे

२३ मार्च को लोकसभा में रेल उद्योगी, श्री महाशय राम ने बताया कि जैसे-जैसे रेल के लकड़ी के बने सवारी डिब्बे खराब होने जाएंगे, उनके स्थान पर इस्पात के बने डिब्बे चालू किए जाएंगे। इस प्रकार लकड़ी के बने गारे डिब्बे हटाने में काफी समय लगेगा।

उद्योगी महाशय ने बताया कि एक रेल डिब्बा कारखाना देवों की मांग को पूरा नहीं कर सकता है। मद्रास सवारी डिब्बा कारखाना, बंगलौर का हिंदुस्तान एवरोक्राफ्ट और बलकत्ते की मैनार्ग जैज कं०, ये तीन मिल कर इस्पात के डिब्बे बनाने का काम कर रहे हैं और ये इस्पात के डिब्बों की कुल मांग को पूरा कर सकते हैं।

### जगाधरी रेल-कारखाने का विस्तार

रेल उद्योगी, श्री साहनबाज जा ने १८ मार्च को लोकसभा में बताया कि जगाधरी के रेल कारखाने को बढ़ाने की योजना पर अंतिम निर्णय हो गया है। उद्योगी महाशय ने कहा कि इस योजना पर ३ करोड़ ३२ लाख

रु० लागत आने का अनुमान है। कारखाने के विस्तार के बाद इनमें हर रोज सवारी गाड़ी के चार पहिये वाले ८ डिब्बों और मालगाड़ी के ४ पहिये वाले ४० डिब्बों की मरफाई की जा सकेगी।

श्री साहनबाज जा ने यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में दी।

### काहिरा को प्रेस-मंवादा भेजने की व्यवस्था

समुद्रपार संचार सेवा के महानिदेशक द्वारा सूचित किया गया है कि राष्ट्रपति नासिर की भारत-यात्रा के दौरान नयी दिल्ली से काहिरा को गोप्य रेडियो-टेलीफोन सम्पर्क स्थापित किया जा सकेगा। समाचारपत्रों के संपादकताओं और प्रसारण मण्डलों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था दिन-रात चालू रहेगी। तबसे काहिरा तक की वर्तमान रेडियो-टेलीफोन व्यवस्था भी चालू रहेगी। इसके अलावा, नयी दिल्ली से काहिरा को गोप्य रेडियो द्वारा चित्र भेजने की भी व्यवस्था की गई है।

## नदी योजनाएं और बिजली

### कुंडा योजना के बिजलीघर का उद्घाटन

२५ मार्च को प्रवात मन्त्री ने मद्रास की कुंडा पतबिजली योजना के एक बिजलीघर का उद्घाटन किया। यह बिजलीघर कोयमटूर के पास नीलगिरि जिले में बना है।

यह मद्रास राज्य का दूसरी योजना में बने वाला सबसे बड़ा बिजलीघर है। कुंडा योजना के बिजलीघरों में १ लाख ८० हजार किलो-वाट बिजली बनाई जा सकेगी।

इस योजना के अन्तर्गत दो बिजलीघर बनाए जाएंगे। एक कुंडा नदी के दाहिने किनारे पर और दूसरा कुंडा और पेगम्बल्ला नदियों के संगम से ११ मील ऊपर पेगम्बल्ला के बाए किनारे पर बनाया जाएगा। इनके अलावा भवानी नदी की सहायक नदियों के पानी के

उपयोग के लिए चार बांध और चार सुरंगों बनाई जा चुकी हैं।

इन बांधों के जलाशयों में ९ अरब घनफुट पानी इकट्ठा किया जा सकता है। सुरंगों की कुल लम्बाई लगभग ७ मील है। इस योजना से जो बिजली मिलेगी, उससे मद्रास राज्य में नये उद्योग खोलने और गाँवों में बिजली पहुंचाने में बहुत मदद मिलेगी।

यह योजना १९५६ में शुरू हुई थी और १९६०-६१ में पूरी हो जाएगी।

## सिंचाई की २०२ योजनाएं पूरी हुईं

केन्द्रीय सिंचाई और बिजली उपमन्त्री, श्री जयमुखलाल हाथी ने १८ मार्च को लोकसभा में बताया कि पहली और दूसरी योजना के दौरान जो बड़ी और मझोली सिंचाई योजनाएं शुरू की गई थी, उनमें से दिसम्बर १९५९ तक ६ बड़ी योजनाएं और १९६ मझोली योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं पर हुए खर्च का विवरण अभी इकट्ठा किया जा रहा है।

मन्त्री महोदय ने बताया कि बड़ी और मझोली सिंचाई योजनाओं से दूसरी योजना के अन्त तक १ करोड़ ६० लाख ७० हजार एकड़ भूमि की सिंचाई का लक्ष्य था। इसमें से १ करोड़ ३० लाख एकड़ भूमि के लिए सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध की जा सकी हैं। लक्ष्य पूरा होने में २२ प्रतिशत की कमी निम्नलिखित व्यक्तियों की कमी के कारण हुई है।

### उत्तर प्रदेश की रामगंगा योजना

केन्द्रीय सिंचाई और बिजली उपमन्त्री, श्री जयमुखलाल हाथी ने १८ मार्च को लोकसभा में बताया कि सितम्बर १९५९ के अंत तक उत्तर प्रदेश की रामगंगा योजना के अन्तर्गत ककरौट पुल का ६४.५ प्रतिशत और मुदाई का ६३.६ प्रतिशत काम पूरा हो गया था। इस समय तक ६१.७ प्रतिशत औजार भी प्राप्त हो गए थे।

श्री हाथी ने बताया कि केन्द्रीय सरकार ने १९५९-६० में इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को ४५४ लाख ७४ हजार ४० का ऋण दिया।

### बंगलौर में बिजली अनुसंधानशाला

भारत सरकार ने २ करोड़ २० लाख रु० की लागत से बंगलौर में बिजली सम्बन्धी अनुसंधानशाला बनाने का निर्णय किया है। यह कार्य दो खण्डों में किया जाएगा। पहले खण्ड पर ३६ लाख ४२ हजार रु० खर्च होगा, जिसे सरकार स्वीकार कर चुकी है।

इस अनुसंधानशाला में इन विषयों पर खोज होगी।

१—हाई वोल्टेज इंजीनियरी

२—बिजली इंजीनियरी

३—यांत्रिक इंजीनियरी

४—हाइड्रोलिक एंड सिविल इंजीनियरी

इस संस्था के लिए यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र वियोग कोष से १६ लाख रु० तक की सहायता देने को तैयार हो गई है।

यह सूचना २३ मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सिंचाई और बिजली उपमन्त्री, श्री जयमुखलाल हाथी ने दी।

## खाद्य और कृषि

### क्या आप जानते हैं ?

#### कहवा के बारे में कुछ तथ्य

● भारत में अरेबिका और रोबस्टा जाति का कहवा ज्यादा होता है। इन दोनों किस्म के कहवे की खेती लगभग डार्डि लाख एकड़ जमीन में होती है। सन् १९५७-५८ में देश में लगभग ४३,००० टन कहवा हुआ, जिसमें से लगभग दो-तिहाई अरेबिका किस्म का था।

● तीन-चार साल के अन्दर कहवे का पीछा बीज देने लगता है। एक अच्छे पीवें में आधे से एक पीठ तक बीज उतर आते हैं। इन लाल बीजों को 'चरो' कहते हैं और इससे कहवा बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि पके हुए बीजों का मूदा निकाल कर इसमें खमीर उठा कर और धोकर सुखा लेते हैं। इस प्रकार की काफी को 'पाचमेट' या 'प्लाण्टेशन' कहा जाता है। दूसरी विधि में पहले बीजों को सुखा कर उसे छाटते हैं। इस प्रकार के कहवे को 'चैरो' कहते हैं। प्लाण्टेशन कहवा 'चैरो' से कुछ महंगा पड़ता है और बर्झिया भी होता है।

● कहवे में मिलावट पकड़ने के कई तरीके हैं। मैसूर की खाद्य अनुसंधान संस्था में इसका बहुत आसान तरीका निकाला गया है। एक प्याला पानी में चोयाई चम्मच कहवे का चूरा घोल कर उबाल लिया जाता है। इसके बाद जब काफी का चूरा नीचे बैठ जाए तो पानी नियात्र लिया जाता है। फिर चूरे को सुखा कर मोहते पर छोट दिया जाता है, ताकि

उसके कण अलग-अलग बिखर जाएं। इसके बाद एक घोल, जिसमें २ प्रतिशत कार्बेट सोडा मिला हुआ हो, उस कागज पर छिड़क दिया जाता है, ताकि चूरे के कणों से वह पील मिल जाए। अगर उस चूरे में इमली या खजूर के बीजों का चरा मिला हुआ हो तो ५-१० मिन्ट के अन्दर सोहते पर गुलारी या लाल रंग के निशान बन जायेंगे।

● पीवों से कहवे के जो बीज उतरते हैं, उनमें सुगन्ध नहीं होती। जब बीज भूने जाते हैं, तभी उनमें वह खुशबू आती है, जो बाजार में मिलने वाले कहवे में होती है। पहला बर्झिया तभी बनता है, जब वह खूब भुन कर लाल हो जाए, लेकिन वह चलने न पाए।

● काफी की सुगन्ध के रासायनिक विश्लेषण से पता चला है कि इनमें थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ३० रासायनिक तत्व होते हैं। यह सुगन्ध कृत्रिम तरीके से नहीं पैदा की जा सकती।

● एक प्याला काफी में लगभग एक मिलीग्राम नियामिन होता है। यह पानी में घुल जाने वाला विटामिन है, जिसकी मनुष्य के शरीर को बहुत जरूरत होती है।

● इसके अलावा काफी में रिबोफ्लेविन, मेण्टोयेनिक एसिड, क्लोलाइन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी ६ और बी १२ भी होते हैं। पर नियामिन को छोड़कर बाकी तत्वों की मात्रा जरूरत से बहुत कम होती है।

## मेन्टा का १९५६-६० का अंतिम

### प्रावक्तन

खास तया दृष्टि मन्त्रालय के अर्थ तथा अक विभाग की ३० मार्च की एक विज्ञापन में कहा गया है कि १९५५-६० के अंतिम अन्तिम भारतीय प्रावक्तन के अनुसार देश में मेन्टा की संख्या ७,०९,००० एकड़ में और इसकी उपज १०,९८,००० गाठ होने का अनुमान लगाया गया है। १९५८-५९ के वर्तमान प्रावक्तन के अनुसार मेन्टा का क्षेत्रफल ८,२५,००० एकड़ और उपज १४,८८,००० गाठ थी। इस प्रकार क्षेत्रफल में १,१९,००० एकड़, यानी १४४ प्रतिशत और पैदावार में ३,९०,००० गाठों, यानी २६२ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

चाऊ बर्ष में मेन्टा के क्षेत्रफल में कमी मुख्यतः पश्चिम बंगाल में हुई। पिछले साल मेन्टा के रेशों के भावों की मंदी के कारण इन वर्ष इसकी खेती कम क्षेत्र में हुई। बम्बई में भी कुछ कमी हुई पर बिहार में इसका क्षेत्रफल बढ़ा।

पश्चिम बंगाल में ही इस वर्ष मेन्टा की पैदावार भी कम रही। बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में उपज बढ़ी।



## १९६०-६१ को सह० समितियों और गोदामों की योजना

राष्ट्रीय सहकारिता विकास और गोदाम मण्डल ने १९६०-६१ में सहकारी समितियां बढ़ाने के लिए ११ करोड़ ३७ लाख ४० की योजना बनाई है। इसमें ऋण, हाट-व्यवस्था, गोदाम आदि सभी प्रकार की सहकारी समितियां शामिल हैं। राज्य सरकारों को सहकारिता की उन्नति के लिए इसी मंडल के द्वारा अधिकांश केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

१९६०-६१ में नयी स्थापन सहकारी समितियों बनाकर अथवा वर्तमान समितियों को सुधार कर लगभग २८,४४० स्थापन सहकारी

समितियां तैयार हो जाएंगी। पिछले साल अप्रैल में बढ़ी समितियां बनानी बन्द कर दी गई है, परन्तु इस समय जो बढ़ी समितियां महायत्ना पारी हैं, उनके लिए योजना में व्यवस्था कर दी गई है।

दूसरी योजना के चौथे साल के अन्त तक देश में लगभग १,५७४ हाट सहकारी समितियां काम करने लगेंगी। योजना में २५७ नयी समितियां बनाने या वर्तमान समितियों को सुधारने का प्रबन्ध किया गया है। इसमें १९६०-६१ के अन्त तक इनकी संख्या १,८३१ हो जाएगी।

१९५५-६० तक कारखानों की २३२ सहकारी समितियां बनाने की योजना थी (इसमें चीनी कारखानों की समितियां शामिल नहीं हैं)। अब योजना में १२६ और समितियां जोड़ने की व्यवस्था रची गई है। ये समितियां



## राष्ट्रीय ग्राम उच्च शिक्षा परिषद की बैठक

नयी दिल्ली में २४ मार्च को ग्राम उच्च शिक्षा सभ्यी राष्ट्रीय परिषद की मातृवी बैठक का उद्घाटन करते हुए शिक्षा मन्त्री, डा० कान्हुलाल श्रीमाली ने कहा कि भारत की विकास योजनाओं को पूरा करने में गांवों के उच्च विद्यालयों के छात्रों को विद्योय और निश्चित दायित्व निम्नाला होगा। इन विद्यालयों के छात्र समाज शिक्षा, और और ग्रामीणों में बहुत योग दे सकते हैं। विद्यालयों में जो पढ़ाई होती है, वह न केवल इतनी संकीर्ण है कि काम-धंधे तक ही सीमित हो और न इतनी सामान्य कि किसी विषय का गहरा ज्ञान ही न हो पाए।

राष्ट्रीय परिषद ने इस बात की जांच-पड़ताल की है कि देश के ११ ग्राम विद्यालयों से पढ़ कर निकलने वाले कितने छात्रों को काम मिला। यह संतोष की बात है कि दृष्टि इंजीनियरी के प्रायः सब स्नातकों को काम मिल गया और डिप्लोमा-पाठ्यक्रम-पूरा

क्याम ओटों, धान कूटने, तेल पेरने आदि धर्यों की होगी।

इस साल मार्च के अन्त तक चीनी के २४ कारखाने चालू हो जाएंगे। उनकी हिस्सा-पूजी में लगाने के लिए २२ करोड़ ४० की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय गोदाम निगम की हिस्सा-पूजी के लिए भी ४० लाख ४० रखा गया है। इसके अलावा बम्बई, मैसूर, पंजाब और पश्चिम बंगाल में उठे गोदाम बनाने के लिए १६ लाख ४० रखा गया है।

१९६०-६१ की योजना में हाट-व्यवस्था सहकारी समितियों के लिए २९३ गोदाम और गांवों में ७१३ गोदाम बनाने की व्यवस्था है। इस समय इनकी संख्या क्रमशः १,३६६ और ३,३४९ है। १९६०-६१ के अन्त तक केन्द्रीय तथा राज्यों के गोदाम निगम भी ३३७ गोदामों में माल रखने का प्रबन्ध करेंगे।

करने वालों में से भी आंशों को नौकरी मिली। परिषद ने यह भी सिफारिश की कि ग्राम विद्यालयों से निकलने वाले छात्रों के काम आदि के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाए।

डा० श्रीमाली ने आगे कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन विद्यालयों के सब छात्रों को काम मिले, भावद हमें इन विद्यालयों में प्रवेश पर भी नियंत्रण रखना जरूरी हो जाए।

परिषद, इन विद्यालयों के शिक्षा-क्रम की उपयोगिता आदि को आंकने के लिए समिति बनाने की भी सहमत हो गई और उसने इन विद्यालयों को सरकारी मान्यता देने के नियम स्वीकार कर लिए हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय परिषद ने विद्यालयों के प्रबन्ध के लिए संचालन या प्रबन्ध समिति नियुक्त करने का सुझाव दिया है। यही समितियां इन विद्यालयों के प्रबन्ध की जिम्मेदार होनी चाहिए। इनमें राष्ट्रीय परिषद, राज्य सरकार या राज्य के विकास आयुक्त आदि के प्रतिनिधि भी रखे जाने चाहिए।

## गोष्ठियां और वर्कशाप

परिषद के सदस्यों ने गृह विज्ञान, समाज-कल्याण विस्तार कार्य, सहकार, समाज शिक्षा, कृषि शिक्षा और नागरिक तथा ग्राम-इंजीनियरी के बारे में गोष्ठियां करने और वर्कशाप चलाने के कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया।

ग्राम विद्यालयों में, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय के सहयोग से पंचायतों और जिलों में कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के लिए थोड़े समय के पाठ्यक्रम चलाना स्वीकार कर लिया। ये पाठ्यक्रम गैर-सरकारी व्यक्तियों के लिए होंगे।

राष्ट्रीय परिषद ने इस बात पर जोर दिया कि जामिया मिलिया के ग्राम विद्यालय की इमारत जल्दी बनाई जाए और विद्यालय की देखरेख के लिए पूरे समय काम करने वाला निदेशक नियुक्त किया जाए। परिषद ने कई ग्राम विद्यालयों की कार्यकारिणी समिति की रिपोर्टों पर विचार करके उन्हें स्वीकार कर लिया।

ग्राम विद्यालयों का उद्देश्य गांवों के छात्रों को उन्हीं के वातावरण में ऐसी उच्च शिक्षा देना है जिससे वे गांवों का नेत्रुत्व कर सकें और भारत सरकार के सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए मीठे हुए कार्यकर्ता मिल सकें।

[श्रीमाली समिति के रिपोर्ट के आधार पर पहली बार १९५६ में दम ग्राम-विद्यालय स्थापित किए गए। एक और विद्यालय १९५९ में राजपुरा के कल्लूखा सेवा मन्दिर में खोला गया। विद्यालयों की शिक्षा में ग्रामीणों की व्यावहारिक ज्ञान और कार्य पर अधिक जोर दिया जाता है।]

### हिन्दी प्रसार के लिए केन्द्रीय निदेशालय

हिन्दी का प्रचार तथा प्रसार करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना की गई है। सरकार

हिन्दी के पारिभाषिक शब्दों, हिन्दी के प्रचार और प्रसार, विदेशी समझौतों के अनुवाद, कौप आदि तैयार करने के बारे में जो निर्णय करेंगे, उसे लागू करने की सारी जिम्मेदारी इन निदेशालय पर होगी।

भारतीय समाचार

## विश्वविद्यालयों में शिक्षा-माध्यम :

### शिक्षा मन्त्री का वक्तव्य

शिक्षा मन्त्री, डा० कालुछाल श्रीमाली ने १६ मार्च की लोकसभा की मंज पर इस आशय का वक्तव्य रखा :

देश के विश्वविद्यालय स्वाधिकारी सगठन हे और वे अपने यहां पढ़ाई का माध्यम चुनने के पूरे अधिकारी हैं। इस सम्बन्ध में यदि भारत सरकार उन्हें कोई आदेश देती है तो यह उनके अधिकारी का हनन होगा और नियमानुकूल न होगा।

भारत सरकार अपनी इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझती है कि विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का ऊंचा स्तर रहे। इसी को ध्यान में रखकर उसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियुक्त किया। यह आयोग मुख्यतः सलाह देने का ही काम करता है। उसका एक काम यह भी है कि वह विश्वविद्यालयों के सहयोग से ऐसे सभी काम करे जिससे विश्वविद्यालयों में पढ़ाई, अनुसंधान और परीक्षा का स्तर ऊंचा उठे। पढ़ाई का माध्यम महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका असर देश की शिक्षा के स्तर पर पड़ता है।

### आयोग का प्रस्ताव

१७ और १८ जून, १९५९ को आयोग की बैठक हुई थी, जिसमें उसने पढ़ाई के माध्यम पर विचार किया और यह प्रस्ताव पास किया :

“विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के माध्यम के सम्बन्ध में जो सुझाव दिए गए और जो काम किए गए, उन्हें आयोग ने देखा और इस पर सक्षम है कि एक कार्यालय नियुक्त किया जाए, जो इस प्रश्न का अधिक अध्ययन करे और ऐसी योजना बनाए, जिससे पढ़ाई का माध्यम धीरे-धीरे अंग्रेजी से भारतीय भाषा हो जाए। ऐसा करने में अंग्रेजी का स्तर भी ऊंचा बना रहे। बाद में इस सम्बन्ध में गोष्ठी की जाए।”

इस प्रस्ताव के अनुसार आयोग ने विश्व-विद्यालयों में भारतीय भाषा को पढ़ाई का माध्यम बनाने के बारे में अध्ययन करने के लिए कार्यदल नियुक्त किया। दल की पहली बैठक १५ फरवरी, १९६० को हुई, जिसका बारम्बार आयोग के अध्यक्ष ने किया। दल ने

कहा कि उसका मुख्य काम इसके बारे में सुझाव देना है कि यदि कोई विश्वविद्यालय क्षेत्रीय भाषा या हिन्दी को पढ़ाई का माध्यम बनाना चाहे तो उसके लिए किस प्रकार तैयारी की जाए। इस पर दल ने विचार किया और निर्णय किया कि सभी सदस्य इस पर अपने सुझाव लिखकर भेजेंगे। इन सब सुझावों पर फिर १९ अप्रैल, १९६० को दिल्ली की बैठक में विचार किया जाएगा।

देश में अनेक विश्वविद्यालयों ने कुछ कक्षाओं में पढ़ाई का माध्यम हिन्दी अथवा क्षेत्रीय भाषा को बनाया है या बनाने वाले हैं। देश में ४० विश्वविद्यालयों में से ३६ विश्व-विद्यालय राज्य सरकारों के अधीन हैं। इनके जिम्मा राज्य सरकारों पर ही है। बाकी जो ४ विश्वविद्यालय केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं, उन्हें भी भारत सरकार पढ़ाई के माध्यम के बारे में कोई आदेश नहीं दे सकती।

## संगीत नाटक अकादमी के १९५६-६० के पुरस्कार

संगीत नाटक अकादमी ने संगीत, नृत्य नाटक और फिल्मों के लिए १९५९-६० के निम्नलिखित अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की है :

	हिन्दुस्तानी संगीत
गायन	उस्ताद अल्ताफ हुसेन खा
वादन	उस्ताद बहीद खा (सितार)
	कर्नाटक संगीत
गायन	श्री मधुरई मणि अय्यर
वादन	श्री रामदेवी एल० सुब्रमण्य शास्त्री (वीणा)
	नृत्य
सुप्रसिद्ध रचनात्मक कलाकार श्री उदय शंकर नाटक	
अभिनय	श्री अशरफ खा (गुजराती) श्री गोनाल गोविन्द उर्फ नानासाहिब फाटक (मराठी) श्री सी० आई० परमेश्वर पिल्लई (मलयालम)
	किष्कंध
अभिनय	श्री छवि विश्वात

## केन्द्रीय हिन्दी शिक्षक महाविद्यालय की स्थापना

भारत सरकार ने हिन्दी साहित्य और तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अध्ययन के लिए आगरा में एक केन्द्रीय हिन्दी शिक्षक महाविद्यालय की स्थापना की है। इन महाविद्यालय में हिन्दी के अध्यापकों को शिक्षण देने तथा हिन्दी अध्यापन के सम्बन्ध में अनुसंधान करने की व्यवस्था रहेगी।

महाविद्यालय का प्रबन्ध एक केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल के हाथ में दिया गया है जिसे इन संस्था के प्रबन्ध में पूरे अधिकार होंगे। श्री एम० मदनमोहनम, मदन-मदन्य, इन शिक्षण मण्डल के अध्यक्ष होंगे। इन मण्डल की एक प्रबन्ध परिषद भी होगी, जो वायं-वारी परिषद के रूप में काम करेगी। मण्डल के अध्यक्ष इन परिषद के भी पदेन अध्यक्ष होंगे। इसके अतिरिक्त इन परिषद में भारत सरकार के दो प्रतिनिधि होंगे, जो वहाँ होंगे जो सरकार की ओर से मण्डल में होंगे और मण्डल के सदस्यों में से ४ को शिक्षा मन्त्रालय इन परिषद का सदस्य नियुक्त करेगा। केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल और प्रबन्ध परिषद के सदस्यों का कार्य-काल ५ वर्ष होगा।

इन समय प्रबन्ध परिषद के सदस्य इस प्रकार हैं - सर्वश्री एन० नरसिन्हा, विश्वनाथ प्रसाद, महात्मोपाध्याय दत्तो यामन पान्दान, श्री आर० के० चक्रवर्ती, तथा केन्द्रीय सरकार के दो प्रतिनिधि।

## विदेशों में हिन्दी के प्राध्यापक

जहाँ तक सरकार की मायूम है दूसरे देशों के मायम-माय ईरान, नेदरलैंड, गोविन्द मध, पूर्वी अफ्रीका, मिंगापुर, मयूकत राज्य अमेरिका, ब्रिटिश वेस्ट इण्डिया, ब्रिटिश गियाना और जमइका में हिन्दी पढ़ाई जा रही है। इन वारे में पूरी सूचना एकत्रित की जा रही है और यथामय ममान्दर पर रस दी जाएगी।

यह सूचना दिया मन्त्री, डा० कालूगल धोमाली ने एक प्रश्न के उत्तर में ३० मार्च को लोकसभा में दी।

उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार ने श्री० डॉ० एन. धर्मा की लेनिनवाइ स्टेट

विश्वविद्यालय, गोविन्द मध में हिन्दी और भारतीय साहित्य; श्री केमल चन्द्र गिन्हा को गोविन्द मध की एक पाठशाला में हिन्दी और बंगला और डा० राम कुमार वर्मा को भारतो इण्टरिड्यूट आफ इण्टरनेशनल रिजिऑन में हिन्दी पढ़ाने के लिए १९५०-५८ में भेजा था।

मासिक मन्मन्दा की भारतीय परिषद (इन्डियन वाउन्टिग फार कल्चरल रिलेगन्स) ने दो मासिक प्राध्यापक (एक सितम्बर १९५४ और एक अक्टूबर १९५५ में) संदेखियन क्षेत्र में भेजा। इसी प्रकार नेदरलैंड विश्वविद्यालय में भार्मी विद्या (इण्टरिड्यूट) के लिए भेजा गया (अक्टूबर १९५६) एक आचार्य (प्रोफेसर) उन विश्वविद्यालय में हिन्दी की पढ़ाई भी देता है।

## विदेशी छात्रों के लिए शिबिर

भारतीय मासिक मन्मन्दा परिषद ने भारत में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों के लिए, इन नाल गर्मी में कश्मीर और दार्जिलिंग में शिबिर लगाने का निगम किया है। ये शिबिर १६ मई और १४ जून, १९६० में लगाए जाएंगे। इनमें विद्यार्थियों की कुल मन्दा के २० प्रतिगत भारतीय विद्यार्थी भी भाग ले सकेंगे। यहाँ पढ़ने वाले विदेशी छात्रों के अनुसंधान पर ही शिबिर के स्थान चुने गए हैं।

कश्मीर का शिबिर पहले श्रीनगर में और फिर गुलमगं तथा पहलगवा में लगाया जाएगा। मीमम के अनुकूल होने पर कोहलवाइ श्रीनगर की भी सैर कराई जाएगी। दार्जिलिंग के शिबिर में भाग लेने वाले विद्यार्थी आसपान के रमणीक स्थान, पर्वतारोहण-मन्दा और बोड मठ देखेंगे।

शिबिर में भाग लेने के लिए प्रति छात्र २०० रु० शुल्क रखा गया है। इसमें भोजन, आवास, रमणीक स्थानों की सैर, आने-जाने का खर्चा आदि शामिल है।

ये शिबिर विदेशी छात्रों को आपस में मिलने और देश के विभिन्न भागों के

का अवसर प्रदान करते हैं। साथ ही मनो-रजक होने हुए शिक्षाप्रद भी होते हैं। इनमें वाद-विवाद, चर्चा, सांस्कृतिक समारोह आदि होता रहता है। देश के अग्रगण्य विद्या-विद तथा अन्य विद्वानों को शिबिरों में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया जाता है।

## विभिन्न राज्यों की इंग्लिशियरी संस्थाओं में समान वेतन-क्रम

वैधानिक अनुसंधान तथा संस्कृति मन्त्री, डा० हुमाय कबीर ने २४ मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि सभी राज्यों की पार्लोटेन्वीक मन्दाओं में कर्मचारियों का वेतन-क्रम एक ममान करने का प्रस्ताव है।

डा० हुमाय कबीर ने बताया कि डिप्टी कोर्नर पढ़ाने वाली मन्दाओं के एरिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर और वर्कशाप सुपरिटेण्डेंट के लिए ममान वेतन-क्रम का प्रस्ताव रखा गया है। डिप्लोमा और प्रोफेसर का वेतन-क्रम संबंधित राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य इन्जीनियर और सुपरिटेण्डेंट इन्जीनियर के बराबर किया जाएगा।

डा० कबीर ने बताया कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर राज्यों में यह सूचना दी है कि इन योजना को लागू करने पर उन्हें प्रतिवर्ष ११ लाख ५६ हजार ६० की आवश्यकता पड़ेगी। आसाम और मध्य प्रदेश में भी इस योजना को स्वीकार कर लिया है और उनके अनुमित खर्च के बंगोरी की प्रतीक्षा की जा रही है। अन्य राज्यों में इस योजना को स्वीकार करने के वारे में सूचनां नहीं दी है।

## व्यावहारिक ज्योतिष में अनुसंधान और ट्रेनिंग

लोकसभा में २१ मार्च को शिक्षा मन्त्री, डा० कालूगल धोमाली ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दूसरी योजना को अवधि में व्यावहारिक ज्योतिष विद्या में अनुसंधान और ट्रेनिंग के लिए निजामिया वेधशाला, उत्समानिया विश्व-विद्यालय को चुना था और वही मारी सुविधाओं की व्यवस्था की गई। यह उगने विद्योय विद्योय समिति की सिफारिश पर किया।

इस प्रयोगशाला के लिए बड़ी दूरबीन अमरीका में बनाई जा रही है।

डा० श्रीमाली ने बताया कि ज्योतिष-शास्त्र ज्योतिषीतिकी में अनुसंधान और ट्रेनिंग के लिए अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय को भूना था।

### विश्वविद्यालयों में भर्ती की उम्र

**लोक**सभा में १६ मार्च को शिक्षा मंत्री, कालूलाल श्रीमाली ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में भर्ती होने के लिए न्यूनतम उम्र तय करने का निर्णय किया है।

आयोग को यह कदम इसलिए उठाना पड़ा कि यहाँ के विश्वविद्यालयों में इतने कच्ची उम्र के छात्र भर्ती किए जाने लगे हैं कि उनके लिए उच्च शिक्षा का पूरा फायदा उठाना भव्य ही असम्भव है। छात्रों के लिए न्यूनतम उम्र १७ साल तय करने का विचार है, किन्तु अभी उसे लागू करना बठिन है, इसलिए डिग्री कक्षा के पहले साल में भर्ती होने के लिए न्यूनतम उम्र १६ साल रखी जाएगी।

### पंजाब सरकार के इंजीनियरी डिप्लोमाओं को मान्यता

**गु**नानक इंजीनियरी कालेज, लुधियाना और महेरचन्द टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जालन्धर के जिन छात्रों को १९५६ और १९५७ की परीक्षाओं के आधार पर पंजाब सरकार के उद्योग विभाग में सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी के जो डिप्लोमा दिए हैं, उन्हें भारत सरकार ने मान्यता देने का निश्चय किया है।

अब इन डिप्लोमा वालों को सरकार में छंटे पदों पर नौकरी दी जा सकती है। बोर्ड आफ अमेसमेंट आफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस ने जो मापदण्ड नियम बनाए हैं उनके आधार पर यह मान्यता दी गई है।

### हिमाचल प्रदेश में शिक्षा पर व्यय

**लोक**सभा में २४ मार्च को एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में मामूली शिक्षा योजनाओं पर १९५६-५९ में १२.४३ लाख रुपये खर्च किए गए और

१९५९-६० में २३.६७ लाख रुपये खर्च करने का विचार है। द्वितीय योजना में योजना आयोग ने इसके लिए ४६.६६ लाख रुपये स्वीकार किए हैं। निर्धारित राशि से कम खर्च होने के कारण ये हैं : प्रशासकीय कठिनाइयों के कारण कुछ योजनाओं को देरी से शुरू करना; कार्यकर्ताओं का अभाव; भवन बनाने के लिए स्थान का न मिलना और बुनियादी स्कूलों के खर्चों के लिए जमीन मिलने में कठिनाई।

### नागार्जुनकोंडा में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई

**वै**ज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति उप-मन्त्री, डा० मनमोहन दास ने ३० मार्च को लोकसभा में बताया कि नागार्जुनकोंडा में खुदाई में पाषाण युग के छंटे और बड़े पत्थरों के औजार आदि मिले हैं। खुदाई में ईसा की शुरु शताब्दी की बड़ी इमारतें, मिके, मूर्तियाँ और लेंत आदि भी मिले।

डा० दास ने बताया कि खुदाई में पाई गई वस्तुएं नागार्जुनकोंडा के सप्रहालय में रखी जाएगी। यह सप्रहालय नागार्जुनकोंडा में पहाड़ी के ऊपर बनाया जा रहा है।



### गुप्त रोगों के नये चिकित्सालय

**कें**द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय ने एसोसिएशन फॉर मॉरल एण्ड सॉसल हाइजीन को १९६०-६१ में भारत में चार नये गुप्त रोग चिकित्सालय खोलने की अनुमति दी है।

गुप्त रोगों के बारे में की गई जांच में पता लगता है कि बड़े सहरो तथा औद्योगिक क्षेत्रों में अनुमानतः ५ में ७ प्रतिशत लोग सिफिलिस के रोगी हैं। देहाती क्षेत्रों में गुप्त रोगों के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है। हाल ही के कुछ वर्षों में जो पड़तलों की गई हैं, उनसे पता चलता है कि कश्मीर से आसाम तक, हिमालय तराई क्षेत्र में सिफिलिस के रोगी बहुत हैं।

अधिकतर १५ से ३५ वर्ष की आयु के लोगों में सिफिलिस के रोगी बहुत हैं और ८०

### बाल साहित्य रचनालयों की स्थापना

**लोक**सभा में ३० मार्च को शिक्षा मंत्री, डा० कालूलाल श्रीमाली ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि लेखकों को बाल साहित्य की रचना की कला सिखाने के लिए साहित्य रचनालयों की स्थापना के वास्ते १० राज्यों को १९५५-५६ से आर्थिक सहयोग दी जा रही है। इसी प्रकार प्रौढ साहित्य की कला सिखाने के लिए भी १० राज्यों तथा केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के साहित्य रचनालयों को आर्थिक सहायता दी जा रही है।

१९५९-६० में ३९ लेखकों ने बाल साहित्य रचना की कला की ट्रेनिंग ली।

### संस्कृत के प्रचार के लिए अधिक धन

**ए**क प्रश्न के उत्तर में ३० मार्च को लोकसभा में शिक्षा मंत्री ने बताया कि भारत सरकार ने मत दस वर्षों में संस्कृत के प्रचार के लिए २०,७५,७४३ रु. खर्च किया है और संस्कृत आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् संस्कृत के प्रचार के लिए निवृत्त धन राशि बड़ा दी है।

प्रतिशत रोग इसी आयु-वर्ग के लोगों द्वारा फैलता है।

### रोगों की रोकथाम के लिए योजना

दूसरी योजना में गुप्त रोगों की रोकथाम के लिए एक योजना रखी गई है और इनके लिए ८४ लाख २८ हजार ६० की व्यवस्था है। इनमें से ५८ लाख ६७ हजार ६० केन्द्रीय सरकार देगी।


इस योजना के अन्तर्गत सभी राज्यों की राजधानियाँ तथा ७५ जिला-मुकामों में एक-एक गुप्त रोग चिकित्सालय खोलने का कार्य-क्रम है। भारत सरकार प्रत्येक चिकित्सालय का ७५ प्रतिशत अनावर्तक व्यय उठाएगी, जो अधिक से अधिक १५ हजार ६० तक होगा। प्रत्येक अस्पताल का ५० प्रतिशत आवर्तक व्यय, जो अधिक से अधिक १ लाख ५५ हजार

६० नर होगा, वेंद्रीय सरकार उठाएगी।

### योजना की प्रगति

दिसम्बर १९५९ तक तीन राज्यों की राजधानियाँ तथा ३७ जिला-मुन्सिपल में विविध-स्वास्थ्य सेवाएँ शुरू हुईं। महाराष्ट्र में अम्बाला, नयी दिल्ली, तथा नवनेमिष्ठ प्रमोद अम्बाला, मद्रास में नूतन जंगल विविधता की ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था की गई है।

हिमाचल प्रदेश के मद्रास ट्रेनिंग में पाण्डे की पदवी की जा रही है तथा गौतमी के प्रयोग की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के जेलों में बाबर क्षेत्र में भी जन्मी हुई एक पदवी शुरू की जाएगी। विभिन्न केंद्रों में पर भी सेवाएँ की विविधता की व्यवस्था की गई है।



## राज्य मण्डलों के अध्यक्षों का सम्मेलन

१७ माघ की नयी दिल्ली में राज्य के मन्त्रालय कल्याण मण्डल मण्डलों के सदस्यों के छठे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करने हुए निदेशा मंत्री, डा० वाजुलाल श्रीमाली ने कहा, "सरकार का इस बात के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि राज्य पुनर्गठन के काम में उम्र जनता का सहयोग मिले तथा अधिक से अधिक लोग इसमें सक्रिय भाग ले सकें।"

मंत्री महोदय ने कहा कि समाजवादी समाज व्यवस्था में सरकार का उत्तरदायित्व बढ़ना अनिवार्य है। किन्तु लोकतन्त्री विकेंद्रीकरण का जो मिश्रण अपनाया जा रहा है, उसमें इन कामों में जनता के सहयोग पर अधिक जोर दिया गया है। डा० श्रीमाली ने कहा कि यह आवश्यक है कि महिला और बच्चों की भलाई की तथा निदेशा की अधिक जिम्मेदारी समाज में।

मंत्री महोदय ने कहा कि समाज कल्याण क्षेत्रों में जनता की भागीदारी करने के प्रयत्न पर

## मद्रास में बी० सी० जी० के सूखे टीके बनाने की योजना

भारत सरकार ने मद्रास की बी० सी० जी० टीके की प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए पर बी० सी० जी० के सूखे टीके (फ्रीज ड्राइड) बनाने का निर्णय किया है। ये टीके इस साल के मध्य में बनने शुरू हो जाएंगे।

बी० सी० जी० के नए टीकों की दूर-दूर गांवों में ले जाना और उन्हें अधिक समय तक रखा जा सके। इसलिए सूखे टीके बनाने का निर्णय किया गया।

सूखे टीके बनाने के लिए प्रयोग में मराने वाली गई और वहां के इंजीनियरों ने ही देश के वागीमों की टीके बनाने की ट्रेनिंग दी है। इस कार्यक्रम में एक लाखों में ५०-५० सूखे टीके की ६,००० टीके (एम्प्यूल) बनाई जा सकती है।

हो गए हैं, वहां भी समाज के हित के कार्यक्रमों को अच्छी तरह से चलाने के लिए इन मन्त्रियों का होना बहुत जरूरी है।

### समाज सेवे सगठनों का काम

श्रीमती देवमुख ने कहा कि देश में लोकतन्त्री विकेंद्रीकरण करने का निश्चय किया गया है। अतः आंगों के सब सरकारी कार्यक्रम इस बात को ध्यान में रख कर बनाए जाएंगे। पर सामान्य व्यवस्था में परिवर्तन में यह नहीं होना चाहिए कि जो मस्याएँ राष्ट्रीय जीवन का अभिन्न अंग बन गई हैं, वे समाप्त हो जाएं। सेवा मस्याएँ इस श्रेणी में आती हैं, यदि इन मस्याओं पर पचायत समितियों का नियंत्रण रहेगा तो ये कुशलपूर्वक काम नहीं कर सकेंगी।

श्रीमती देवमुख ने कहा कि यह दावा किया जाता है कि राज्यों के सर्वांगीण विकास को जिम्मेदारी पचायत समितियों पर होगी और यही काम करने वाली अन्य किसी मस्या के लिए कोई स्थान नहीं होगा। पर अब तक यह नीति रही है कि स्त्रियों, बच्चों और अपंगों की भलाई के काम समाजसेवी मस्याएँ करें। अब यदि पचायत समितियों के हाथ में यह काम जाता है तो यह नीति के विरुद्ध होगा। दूसरे, पचायत समितियों के पास कम धन और कम अनुभव होने के कारण समाज हित के कामों की उपेक्षा का भी बहुत डर है। तीसरे, चुनी हुई पचायतों के हाथ में यह काम होने में इस पर दलगत राजनीति का प्रभाव अवश्य पड़ेगा, जबकि समाज हित के कामों को राजनीति से अलग रखने की नितांत आवश्यकता है। साथ ही पचायत समितियों के हाथ में ही सब काम होने में काम के विकेंद्रीकरण के स्थान पर उसका केंद्रीकरण होगा।

श्रीमती देवमुख ने कहा कि ये बातें बहुत महत्व की हैं और यह जरूरी है कि इन पर केंद्रीय सरकार विचार करे। श्रीमती देवमुख ने बताया कि उन्हें मालूम है कि योजना आयोग और सम्बन्धित मन्त्रालय इस मस्या के सब पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी आशा है कि इसका कोई हल अवश्य निकल आएगा।

### श्रीमती देवमुख का भाषण

केंद्रीय समाज कल्याण मण्डल की अध्यक्ष, श्रीमती दुर्गाबाई देवमुख ने कहा कि गांवों में स्त्रियों, बच्चों और अपंगों के हित के कार्यक्रम सेवा मण्डलों के हाथ में रहने बहुत जरूरी है। जिन राज्यों में पचायत अधिनियम लागू



## कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग

नामाजिक कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग की आवश्यकता के बारे में बताते हुए श्रीमती देवामुख ने कहा कि सेवा मण्डलों को अपने कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग का स्वयं प्रबन्ध करने के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए। इस काम को पूरी तरह से सरकार पर छोड़ देना ठीक नहीं है।

### अनुदान

सरकारी सहायता का जिक्र करते हुए श्रीमती देवामुख ने कहा कि हमें भ्रमाज सेवा के काम का अब इतना अनुभव हो गया है कि हम मनाजसेवी मस्याओं को अनुदान देने के बारे में नियम बना सके। इन नियमों के बन जाने में बहुत लाभ होने की आशा है। श्रीमती देवामुख ने कहा कि मान्यताप्राप्त समाजसेवी मस्याओं को विधा मस्याओं की तरह ही अपने स्वयं का निश्चित, हिस्सा नियमित रूप से मिलने लगें, उन काम में अभी समय लगेगा।

श्रीमती देवामुख ने समाज कल्याण के अध्ययन दल की इन सिफारिश में सहमति प्रकट की कि राज्य सरकारें, राज्यों के समाज कल्याण मण्डलों की सिफारिश पर ही समाज-सेवी मस्याओं को अनुदान दे। साथ ही केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल को केवल पूजीगत स्वयं और विकास कार्यों के खर्च के लिए ही अनुदान देना चाहिए। इससे राज्य सरकारों को नियमित रूप से हर साल कुछ लाख ६० का अनुदान देना होगा। इसमें यह भी लाभ होगा कि राज्य सरकारें अपने समाज कल्याण विभागों और समाज कल्याण मलाहकार मण्डलों के लिए अलग-अलग काम निर्धारित कर देगी। इससे राज्यों के मण्डल बिना किसी कठिनाई के मनाजसेवी मस्याओं को यथा-समय अनुदान दे सकेंगे। समाज के हित की योजनाओं को कुशलतापूर्वक चलाने का यही एकमात्र तरीका है।

श्रीमती देवामुख ने बताया कि केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल और इसके सम्बन्धित मण्डलों को अंतर्राष्ट्रीय मस्याओं की मान्यता मिली है। देश में हाल ही में, मसूक्त राष्ट्र गण की एशिया और सुदूरपूर्व में मनाज सेवकों का प्रबन्ध करने वाली संस्था का सम्मेलन होगा इस बात का प्रमाण है।

उन्होंने बताया कि मण्डल को स्वयंसेवी मस्या बनाने पर सरकार विचार कर रही है।

अन्त में श्रीमती देवामुख ने कहा कि समाज सेवा के कार्यकों को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए लम्बे वाले कार्यकर्ताओं की जरूरत है, जो अपना पूरा समय इसी काम में लगाए। उन लोगों को इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन-सा काम किस तरीके में किया जाना है। इनकी मदद के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति भी पर्याप्त मस्या में हों चाहिए।

### सम्मेलन की कार्यवाही

सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि समाज कल्याण के कार्यक्रमों की कोई आर्थिक वृत्ति होनी चाहिए। सम्मेलन की अध्यक्षता केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल की प्रधान, श्रीमती दुर्गाबाई देवामुख कर रही थी।

समाज कल्याण के काम में स्वच्छता से काम करने वाली मस्याओं के महत्व पर विचार किया गया। राज्यों के समाज कल्याण मण्डलों के अध्यक्षों ने यह मत प्रकट किया कि स्त्रियों तथा बच्चों की भलाई के कामों को इन मस्याओं के हाथ में ही रहने देना चाहिए। पचासवीं तथा जिला परिषदों को उनमें दखल नहीं देना चाहिए। यह मत भी प्रकट किया गया कि संस्थाएँ पचासव-नवमियों के महीने से काम करें।

सम्मेलन में समाज कल्याण कर्मचारियों की नौकरी की स्थिति में सुधार करने पर जोर दिया गया और कहा गया कि समाज कल्याण सेवाओं का एक स्वयं बना दिया जाए।

श्रीमती दुर्गाबाई देवामुख ने कहा कि समाज कल्याण के काम का काफी विस्तार हो रहा है और यह जरूरी है कि इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की नौकरी को स्थिति में सुधार किया जाए।

### समाज हितकारी संस्थाओं को अनुदान

केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल ने अपनी निचली बैठक में समाज के हित के काम करने वाली २,२६८ संस्थाओं को ३५ लाख ३५ हजार ६० के अनुदान मंजूर किए।

६८९ संस्थाओं को पहली बार ही अनुदान दिया गया।

८९३ बाल हितकारी संस्थाओं को ११ लाख ५४ हजार ८०० ६० और स्त्रियों की भलाई के काम करने वाली ८१५ संस्थाओं को १३ लाख १९ हजार ६० अनुदान दिया गया।

अपनों की देखभाल का काम करने वाली ३६ संस्थाओं को कुल १ लाख ३१ हजार ६० का अनुदान दिया गया। मण्डल ने मार्ग-जनिक हित के काम करने वाली ५२६ अन्य मस्याओं को ७ लाख ३० हजार ६० दिया।

केन्द्रीय मण्डल सामुदायिक विकास, शिक्षा के प्रसार, डाक्टरों सहायता, प्रशिक्षित कर्म-चारियों की नियुक्ति और विनये साज-सामान खरीदने के लिए सेवा मस्याओं को अनुदान देता है।

मण्डल ने १९५९ के अन्त तक बच्चों, स्त्रियों और अपनों के हित के काम करने वाली ५,१७० संस्थाओं को २ करोड़ ९७ लाख ६० की सहायता दी।

### विस्थापित दावेदारों को अनिवार्यतः सम्पत्ति अलाट करने की योजना

पुनःस्थापन मंत्रालय की २० मार्च की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि सरकार ने विस्थापित दावेदारों को अनिवार्यतः सम्पत्ति अलाट करने की योजना घोषित कर दी है।

पश्चिम पाकिस्तान के जिन विस्थापितों ने सम्पत्ति के लिए दावे किए थे, उन्हें सामान्यतः निष्कांत सम्पत्ति या सरकार द्वारा बनाए गए मकान दिए जाते थे। दावेदार को उसके हितों का विवरण दे दिया जाता था, जिससे वह इन मकानों में से अपनी इच्छा में उस मूल्य का मकान ले सके।

सरकार ने ऐसे दावेदारों को समय-समय पर रियायतें देने की घोषणाएँ भी की थीं। दावेदार इन मकानों को अकेले खरीदने में अलावा अन्य दावेदारों के साथ मिलकर भी खरीद सकता था।

इन रियायतों के बावजूद देला गया कि दावेदार इनका कोई उपयोग नहीं करते थे और यह समझते थे कि यदि वे मकान नहीं लेते, तो सरकार अन्त में उन्हें नकद मुआवजा दे देगी। परन्तु सरकार के लिए यह समझ

का, बहोत विविधताओं को किम्वदिति  
 उपलब्ध देना या उनमें सुन्दर सम्मेलन  
 देना ही था ।

सुन्दर-सम्मान सम्मानन को अन्ततः काम  
 निश्चय है जोर मात्र ही मन्त्रालय  
 रहे हैं । इन सम्मानन न जारी १९५९ में  
 विद्वान् विद्वान् बन घोषणा की कि जो  
 पारित मुद्राव्यय या विद्यालय के ६ महीने  
 अन्तर का १५ जुलाई १९५० तक जो भी  
 में ही सम्मानन नहीं ले लेने उन्हें श्रेणी-  
 कमेंट बर्हिस्तर सम्मानन अन्ततः बन  
 । बाद में यह जारी १५ अक्टूबर, १९५९,  
 अपना उन सम्मानन का ही नहीं जब  
 श्रेणी-कमेंट बर्हिस्तर उन्हें सम्मानन  
 पट करे ।

यह सम्मानन में ऐसे मामलों को निरन्तरन के  
 ए घोषणा बनाई है जो इन प्रकार हैं

- (१) यदा वा सम्मानन हो, विद्यार्थिन  
 को उत्तरी ही सम्मान की सम्पत्ति  
 अन्ततः की जायगी जितने का उनका  
 विषय होगा ।
- (२) यदि सम्मानन मुद्राव्यय में अधिक  
 मूल्य की है तो विद्यार्थिन २५  
 प्रतिशत या १,००० रु० अधिक  
 तक, जो भी कम हो, नहीं देगा ।
- (३) गन्तु यदि सम्मानन का मूल्य इतने  
 में अधिक है, तो यह सम्पत्ति  
 विद्यार्थिन को नहीं दी जायगी,  
 जब वह उन अधिक मूल्य को नष्ट  
 भुगतने दे या उनमें मूल्य के अल्प  
 विद्यार्थिनों के मुद्राव्यय का विषय  
 दे दे ।
- (४) यदि विद्यार्थिन को मुद्राव्यय में  
 कम की सम्पत्ति अन्ततः हुई है और  
 उनका मुद्राव्यय १०,००० रु०  
 तक है, तो उसे ५००० रु० में कम  
 बचाये को ५-५५ रु० के नेमाल  
 प्लान में विधि मॉडिफिकेट के रूप में  
 दिया जाएगा और इस विषय में  
 भी कुछ बाकी रहा, तो वह नष्ट  
 दे दिया जाएगा । यदि मुद्राव्यय  
 १०,००० रु० में अधिक का है,  
 तो उसे दोगी तरह १,००० रु०  
 तक नेमाल प्लान में विधि मॉडि-  
 फिकेट के रूप में दिया जाएगा ।  
 यदि उक्त दोनों मामलों में

विद्यार्थिन को कम ५०० रु०  
 या १,००० रु० में अधिक देना है,  
 तो उसे उग पूरी बाकी रकम का  
 विद्यालय का नया विवरण दे दिया  
 जाएगा ।

(५) यदि सम्मानन पट्टी में विद्यार्थिन  
 को एए में अधिक सम्मान अन्ततः  
 विद्यार्थिन को देना है ।

विद्यार्थिनों का प्लान विद्यार्थिन व्यक्तित्व  
 (मुद्राव्यय और पुनःसम्मानन) नियमावली  
 के नियम १७ के अन्तर्गत (४) की ओर भी  
 ध्यान दिया जाता है, जिसमें कहा गया है  
 कि विद्यार्थिन को जब अनिवार्यतः सम्पत्ति  
 अन्ततः बन दी जायगी है, तो यह भी मान दिया  
 जाता है कि वह इनमें गन्तु है ।

### पिछड़े वर्गों की भलाई पर सरकारी व्यय

पिछड़े वर्गों की भलाई की योजनाओं पर  
 मई १९५८-५९ में हर महीने औसतन  
 १ करोड़ २० लाख रु० खर्च किए गए । बाहु  
 खर्च में इनके लिए प्रतिमास १ करोड़ ६० के  
 खर्च की व्यवस्था की है ।

पिछड़े मास, १९५८-५९ में, इन योजनाओं  
 पर कुल १४ करोड़ २० लाख रु० खर्च हुआ,  
 जिसमें में ९ करोड़ ९३ लाख ९० हजार रु०  
 केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने बराबर-बराबर  
 दिया और ४ करोड़ २० लाख रु० केवल केन्द्र  
 ने दिया ।

मई १९५९-६० के लिए १२ करोड़ २०  
 लाख रु० की व्यवस्था है, जिसमें में केन्द्रीय  
 और राज्य सरकारें मिलकर ५ करोड़ ७७  
 लाख १५ हजार रु० देगी और अकेली केन्द्रीय  
 सरकार ६ करोड़ ४३ लाख ३१ हजार ९००  
 रु० और देगी । इस रकम के अलावा, १ करोड़  
 १५ लाख ९८ हजार रु० पिछड़े क्षेत्रों की  
 उन्नति के लिए र ११ गया है । दूसरी योजना  
 की अवधि में ९० करोड़ रु० के खर्च की  
 व्यवस्था की गई है ।

'पिछड़े वर्गों' के अन्तर्गत (१) अनुसूचित  
 जातियां, (२) अनुसूचित आदिम जातियां  
 और (३) भूतपूर्व अपराध-वृत्ति वाली  
 जातियां शामिल हैं । मविधान ने भारत  
 सरकार और राज्य सरकारों को इन वर्गों की  
 उन्नति का और अस्पृश्यता आदि के कारण

उत्पन्न बाधाओं को हटाने का दायित्व मंगा  
 है ।

अनुसूचित जाति के लोगों की मध्या ५  
 करोड़ ५३ लाख और अनुसूचित आदिम  
 जाति के लोगों की मध्या २ करोड़ २५ लाख  
 है । इनके अलावा गैर-अनुसूचित लोगों की  
 मध्या ६० लाख है ।

### हरिजनों को विशेष सुविधाएं

३० मार्च को लोकसभा में स्वर्णोत्सव सम्मेलन,  
 श्रीमती वायलेट अल्वा ने एक प्रश्न  
 के उत्तर में बताया कि अनुसूचित जाति या  
 अनुसूचित आदिम जाति का कोई व्यक्ति जिनमें  
 मुगलमान, ईसाई या हिन्दू के नाब श्राद्धी  
 करने के बाद भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित  
 आदिम जाति के लोगों को दी जाने वाली सभी  
 सुविधाओं का अधिकारी होगा ।

### विस्थापित सरकारी पेंशनवापताओं का सुगतान

वित्त मन्त्रालय (राजस्व और व्यय विभाग)  
 की २५ मार्च की एक विज्ञापन में बताया  
 गया है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के  
 पेंशनवापता विस्थापित कर्मचारियों को,  
 जिनकी पेंशन की रकम अभी पाकिस्तान से  
 नहीं मिली है, अग्रिम रूप से पेंशन की रकम  
 देने की वर्तमान व्यवस्था अब ३० मितम्बर,  
 १९६० तक जारी रहेगी ।



### नेफा में वीरता के लिए ब्राह्म सैनिकों को अशोक चक्र

राष्ट्रपति ने ८ सैनिकों को अशोक चक्र  
 देना स्वीकार किया है । इनमें से सेकंड  
 लेफ्टिनेंट राजमोहन शर्मा, सूबेदार गन्ताल  
 पुन, राइफलमैन जट बहादुर धापा और श्री  
 फुदिलु अगाभी को अशोक चक्र, दूसरी श्रेणी,  
 तथा प्रेनेडियर मरवातीगल, लाम-इवलदार  
 बमबहादुर धापा, नायक लाल बहादुर धापा  
 और श्री सोनो लवराज को अशोक चक्र,  
 तीसरी श्रेणी, दिया गया है ।

## विशिष्ट सेवाओं के लिए सैनिकों को सम्मान

निम्नलिखित सैनिकों के नाम जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर-पूर्व सीमांत अभिकरण में विशिष्ट सेवाओं तथा निष्ठापूर्वक काम करने के लिए स्थल-सेनाध्यक्ष के पास भेजे गए। इन सैनिकों को प्रशंसा-पत्र प्रदान किए गए हैं और उनकी विशिष्ट सेवाओं के सम्बन्ध में यह बात सेवाओं के लेखों में लिखी जायेगी।

### जम्मू और कश्मीर

मेजर बस्तावर सिंह (आई सी ३२२०),  
६ कुमाऊ, ४१३७८९९ नायक थामी बन्द ६  
कुमाऊ, और ६२६२४७२ लाम-नायक बहाल सिंह,  
सिगमन्ट रेजिमेंट।

### उत्तर-पूर्व सीमांत अभिकरण

कप्टन अत्तर सिंह (आई सी १०६९२),  
७ जम्मू-कश्मीर इन्फैण्ट्री,  
१३०१४५५६ हवलदार अच्छर सिंह ७  
जम्मू-कश्मीर इन्फैण्ट्री,  
१११३९६ हव० बी० बहादुर राय, ११  
आमाम राइफल,  
४१४२२४८ लाम-नायक रामलखन सिंह,  
१५ कुमाऊ,  
१३७१४७०० मिपाही आदा बहादुर ७  
जम्मू-कश्मीर इन्फैण्ट्री।  
हवलदार डी० एल० बालो को भी रुइकी  
में विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रशंसापत्र प्रदान  
दिया गया।

### मृत सेना-अधिकारियों की विधवाओं को सहायता

प्रतिरक्षा मन्त्रालय को ३१ मार्च की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि सेना के १२ और अधिकारियों की विधवाओं को कुल ६१,०५० ₹ देना स्वीकार किया गया है। प्रत्येक की १,८७५ ₹ से ८,००० ₹ तक मिलेगा। जिन और अधिकारियों की १ जून, १९५३ के बाद मृत्यु हुई, उनकी विधवाओं को महायत्ना देन पर विचार किया जा रहा है। मौनों सेनाओं के जिन अधिकारियों की मृत्यु १ जून, १९५३ को या उनके बाद हुई,

परन्तु नोकरी करते हुए ही किसी घाब या बीमारी से नहीं हुई, उनकी पत्नियों और बच्चों को महायत्ना देने के लिए १९५८ में कम्पैन्डेंट ग्रैज्युटी फण्ड (प्रतिरक्षा सेवा) खोला गया था। इसके अन्तर्गत ४ लाख २० रखा गया है, जो उन अधिकारियों के परिवार वालों को दिया जाएगा, जिनकी मृत्यु १ जून, १९५३ को या उसके बाद और १ अप्रैल, १९५८ से पहले हुई। जिनकी मृत्यु १ अप्रैल, १९५८ को या उसके बाद हुई, उनके परिवार वालों को हर साल कुल मिला कर १ लाख ४० दिया जाएगा।

### सेना के कमांडरों का सम्मेलन

नयी दिल्ली में २२ मार्च को सेना के कमांडरों के अर्धवार्षिक सम्मेलन में भाषण देते हुए प्रतिरक्षा मन्त्री, श्री कृष्ण मेनन ने कहा कि कमांडरों को सैनिकों और उनके बच्चों तथा अफमर्गे के बच्चों की शिक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। श्री मेनन ने कहा कि वर्तमान युग में यह आवश्यक है कि अफमर्गे और सैनिकों को सामयिक विषयों और विकास कार्यों की जानकारी हो।

सीमान्त विकास मण्डल की स्थापना की चर्चा करते हुए श्री मेनन ने कहा कि शीघ्र ही मण्डल की देखरेख में सीमावर्ती क्षेत्रों में मड़के बनाने का काम शुरू होगा।

स्थल सेनाध्यक्ष, श्री के० एस० बिर्मया ने सम्मेलन का समारम्भ किया। अपने भाषण में श्री बिर्मया ने सेना की विभिन्न शाखाओं के कार्यों के बारे में बताया। सम्मेलन में प्रतिरक्षा मन्त्रालय के मन्त्रि, श्री ओ० पी० रेड्डी, प्रतिरक्षा मन्त्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार श्री डी० एस० कौशरी और उच्च सैनिक अधिकारी उपस्थित थे।

### सिख रेजिमेंट की पांचवी बटालियन फिर से बनी

२२ मार्च को दिल्ली के लाल किले में एक आकषेक समारोह हुआ, जिसमें प्रथम ११वीं सिख रेजिमेंट की प्रसिद्ध पांचवी बटालियन को फिर से स्थापित किया गया और हम ७वीं बटालियन को ५वीं बटालियन बनाया गया।

पांचवीं सिख बटालियन १९०१ में स्थापित की गई थी। डग बटालियन ने देन

और विदेश में बहुत-सी लड़ाइयों में बड़ा माहूँर दिलाया है और इसका इतिहास बड़ा गौरवपूर्ण बन गया है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की गमद में इस बटालियन की बहुत प्रशंसा की गई थी।

### अमरीका के नेशनल वार कॉलेज के द्वारा की भारत-यात्रा

अमरीका के नेशनल वार कॉलेज के ३५ अधिकारी-छात्रों का एक दल तीन दिन के लिए २६ मार्च को नयी दिल्ली पहुँचा। इस दल में २७ सदस्य स्थल, नौ और वायुसेना के तथा ८ सदस्य अमेरिकन व्यक्ति थे। दल के नेता अमरीका की वायुसेना के मेजर जनरल जार्ड वी० ब्रैब थे। दिल्ली में दल के सदस्य प्रधान मंत्री श्री नेहरू और प्रतिरक्षा मन्त्री से मिले।

### दो पुलिस अधिकारियों को बीरता पदक

राष्ट्रपति ने बीरता के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के डिप्टी सुपरिन्टेण्डेन्ट, श्री आर० पी० मोदी को पुलिस और अग्नि सेवा पदक तथा एमिस्टेट कमांडेंट, श्री माधो सिंह को पुलिस पदक दिया है। १९ मार्च के मरकारी सूचना-पत्र में उक्त घोषणा की गई है। इसमें कहा गया है कि इन अधिकारियों ने डाकुओं के साथ एक मुठभट में बौला साहम और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया था।



### राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति

राष्ट्रपति ने निम्नलिखित राज्य विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दी है:—  
आन्ध्र प्रदेश इमारत (पटा, किराया और खाली कराना) नियन्त्रण विधेयक, १९५३  
आजबल इमारतों को पट्टे पर देने के नियमन, किराये के नियन्त्रण और किरायेदारों को मकानों में गैर-मानुसून निवास करने से रोकने के लिए इन राज्य में दो कानून हैं। इन

में एक नौ आध क्षेत्र में हैं और दूसरा नेलगावा क्षेत्र में । अब उनके विप्रेरक में इन दोनों राज्यों में एकता आ जायेगी । आजकल उनके दोनों राज्यों की लागू करवाओं में कुछ बड़िताया थी । अब ये बड़िताया भी नये विप्रेरक के लागू हो जाने पर दूर हो जायेगी ।

**राज्यों में बर्माचारियों की प्रसिधाय-मुविषाएँ**

**प्रा** २. सभी राज्य सरकारें ऐसी पुर्णवशात प्रकाशित करेगी जिनमें उन राज्यों में विभिन्न प्रकार के बर्माचारियों का दिग् जान बारे प्रसिधाय की मुविषाया के बारे में जान बारी हो जायेगी ।


राज्यों के जनसंक्ति निदेशात्मक इस बात की पश्चात्त कर रहे हैं कि तीसरी राज्याता में उन्हें कितने प्रसिधाय बर्माचारियों की जरूरत पड़ेगी और उनके लिए प्रसिधाय की क्या मुविषाएँ हैं । अब इन निदेशात्मक में केन्द्रिय स्वराज्य मंत्रालय के जनसंक्ति निदेशात्मक की मन्दाह में हाथ ही म उन पुर्णवशात प्रकाशित करने का काम शुरू किया है ।

इति, पन्नामाल, मछरी पाठन, मरुसायना, उद्योग, इन्जीनियरी, प्रशासन आदि के क्षेत्र में कितने दश बर्माचारियों की जरूरत पड़ेगी, इस बारे में राज्य सरकारें अलग-अलग विन्तन भवे कर रही हैं ।

इसके अलावा पाथी भंडा—उमरी, देविगी, पूर्वी, पश्चिमी और केन्द्रिय क्षत्र की परिप्रेरकों की जनसंक्ति मर्मिनिया यह अध्ययन कर रही हैं कि उनके अपने-अपने क्षेत्र में कितने मिल्निक बर्माचारियों की आवश्यकता पड़ेगी । ये मर्मिनिया यह भी विचार कर रही हैं कि अगर किसी राज्य में प्रसिधाय देने की कोई मस्या नहीं है तो वह राज्य अपने प्रसिधायियों को पड़ोसी राज्य में भेज दे । आजकल भी कुछ राज्य अपने यहां के उम्मीदवारों को दूसरे राज्यों में प्रसिधाय के लिए भेज देने हैं । उदाहरणार्थ, खेरी के काम की शिक्षा देने के लिए हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के उम्मीदवारों को पंजाब के इति स्कूल में भेजा जाता है । इसके अलावे पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के ग्राम सेवकों को खेरी की प्रारंभिक शिक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश भेजा जाता है ।

गिगम्बर १९५६ में मर्मिमण्डल में जनसंक्ति निदेशात्मक प्रकाशित करने का निश्चय किया था । गिगम्बर १९५६ में यह निदेशात्मक केन्द्रिय स्वराज्य मंत्रालय में मंजूर गया । जनसंक्ति पर मर्मिमण्डल की मर्मिति जो मर्मिनिया बनानी है, यह निदेशात्मक उन्हें लागू करता है और उनमें सामग्र्य लाता है । यह निदेशात्मक योजना आयोग और

बैजानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को महायत्ना में काम कराने हैं और विभिन्न मंत्रालयों को जनसंक्ति मन्वन्धी मन्वस्थाएँ हल करने में अपना महयोग देता है । अब प्रत्येक राज्य में भी एक-एक जनसंक्ति अधिकारी नियुक्त हैं जो इन निदेशात्मक को अपने राज्य की मन्वस्थाएँ आदि बताता रहता है ।



**मारिशस के स्वयं-सौदितों की सहायता**

**भा** ग्गल में मारिशस के अन्वय-सौदितों की सहायता के लिए ज्ञा मामान भजा था. यह 'एम्.० एन.० जटवोर' द्वारा पॉस्टलुट पहन गया तथा ११ मार्च को राजभवन में भारत सरकार की आर म मारिशस म गवर्नर का भेट कर दिया गया । एम अन्वर पर गवर्नर और लेडी टवरेल, उपनिवेश मन्त्रिय, विन्त मन्त्रिय और मन्त्री उपस्थित थे ।

मारिशस में भारत के आयुक्त, श्री ज० एम्.० प्रमोदा ने भारत सरकार की आर म मारिशस में अन्वय-सौदितों के प्रति महानुभूति प्रकट करने हुए महायत्ना के लिए भेजी गई वस्तुओं के मन्वन्ध में वागमत्र-पत्र गवर्नर का दिए ।

**स्पेन की पुटुवाल प्रतियोगिता के लिए भारत द्वारा कप प्रदान**

**प** रराज्य मंत्रालय की १६ मार्च की एक विज्ञापन में बताया गया है कि भारतीय मेल-मामान निषान वृद्धि परिषद ने स्पेनिश जुनिवर लीग फुटबाल चैम्पियनशिप के लिए भारत की आर में कप प्रदान किया है । यह मैट्रिड के मट्रुपोलिटन स्टेडियम में भारत के निस्सुप्टार्थ, श्री मुहम्मद यूतम ने विजेताओं को दिया । इस अवसर पर काफी दर्शक उपस्थित थे ।

**भ्यून्ज-आयर्स में अशोक वृक्ष की पीथ**

**हा** ली में भ्यून्ज-आयर्स प्रान्त की राजधानी ला प्लाटा के पीस गाडन में भारतीय राजदूत, श्री पी० ए० मेनन और श्रीमती मेनन ने अशोक वृक्ष की पीथ लगाई और कमल कीज बोए । ला प्लाटा की १५५

विषय रूप में यह मंदान बनाया है, जिनमें अर्जेंटीना में राजनयिक मन्वन्ध रखने वाले सभी देशों के राष्ट्रीय फूला के पीथे लगाए जायेंगे और पुरातत्व मन्वन्धी अवशेष रखे जायेंगे । यह मंदान विश्व-शांति के लिए उन मत्र देशों के प्रयत्नों का प्रतीक होगा ।


**फिनलैंड में भारतीय राजदूत ने परिचय-पत्र पेश किए**

**स्वी** डन-स्थित भारतीय राजदूत, श्री केवल सिंह फिनलैंड के लिए भी भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं और उन्होंने २५ मार्च, १९६० को फिनलैंड के राष्ट्रपति को टेलिग्राफी में अपने परिचय-पत्र पेश किए । मन्वन्ध रहे कि पिछले फरवरी मास में जब फिनलैंड के प्रधान मंत्री भारत आए थे तब भारत और फिनलैंड की सरकारों ने अपने-अपने दूतों का दर्जा बढ़ाकर राजदूत करने का निश्चय किया था ।

**क्यूवा के मनोनीत राजदूत द्वारा परिचयपत्र पेश**

**क्यू** वा के मनोनीत राजदूत, श्री युगनिओ सोलर अलोनो ने १७ मार्च को राष्ट्रपति भवन में अपना परिचयपत्र पेश किया ।

**भूल-सुधार**  
 'भारतीय समाचार' के १ अप्रैल, १९६० के अंक में तीसरे कवर पृष्ठ पर तीसरे चित्र के परिचय में और 'ममाचार-दर्शन' के १३ तारीख के पहले समाचार में 'परिचय जर्मनी' के स्थान पर 'पूर्व जर्मनी' पढ़ें ।



## और अब तरल पदार्थ मापने के मेट्रिक पैमाने

तरल पदार्थ मापने के मेट्रिक पैमाने—लिटर—का प्रयोग प्रारंभ, १९६० से शुरू हो गया है।  
एग-रीगन और क्वेड्रल उद्योग ने मेट्रिक प्रणाली अपना ली है।  
अब टॉप-रीगन लिटरों के हिसाब से बिका करेगा और क्वेड्रल का बिकरण भी लिटरों के हिसाब से होगा।

परिवर्तन  
तालिका

१ गैलन = लगभग ४३ लिटर

१ लिटर = १,००० मिलिलिटर

रकम कीमत	विनिमय (रुपिया)	रकम	दिवस	विनिमय (रुपिया 100 प्रति 1000 रु)	
1	100	1	1	100	
2	200	2	2	200	
3	300	3	3	300	
4	400	4	4	400	
5 (100 रु प्रति)	500	5	5	500	
दिवस	विनिमय (रुपिया)	रकम	दिवस	विनिमय (रुपिया 100 प्रति 1000 रु)	
1	100	1	1	100	
2	200	2	2	200	
3	300	3	3	300	
4	400	4	4	400	
5 (100 रु प्रति)	500	5	5	500	
दिवस	दिवस (दि)	विनिमय	दिवस	दिवस (दि)	विनिमय
1	1	100	1	1	100
2 (100 रु प्रति)	2	200	2	2	200
दिवस	दिवस	विनिमय	दिवस	दिवस	विनिमय
1	1	100	1	1	100
2	2	200	2	2	200
3	3	300	3	3	300
4	4	400	4	4	400
5 (100 रु प्रति)	5	500	5	5	500
विनिमय	दिवस	दिवस	दिवस	दिवस	दिवस
100	1	1	1	1	1
200	2	2	2	2	2
300	3	3	3	3	3
400	4	4	4	4	4
500	5	5	5	5	5
1000	10	10	10	10	10
1000	10	10	10	10	10
विनिमय	दिवस	दिवस	दिवस	दिवस	दिवस
1000	10	10	10	10	10
2000	20	20	20	20	20
3000	30	30	30	30	30
4000	40	40	40	40	40
5000	50	50	50	50	50
10000	100	100	100	100	100
10000 (10000 रु प्रति)	10000	10000	10000	10000	10000

# अपनाइये सेंट्रिक प्रणाली

सरलता व एकरूपता के लिए

भारत सरकार द्वारा प्रसारित

DA-39/177

# स मा चार - दर्शन

१५ मार्च से ३१ मार्च तक

मार्च

- १६—भारतीय रेलों का अध्ययन करने के लिए विश्व बैंक के दो सदस्यों के एक दल का तीन सप्ताह के भारत के दोने पर नई दिल्ली आगमन  
—भारत को चार सप्ताह का सद्भावना यात्रा पर युगोस्लाविया में ५ कलाकारों के एक सिष्टमण्डल का बम्बई आगमन
- १७—राज्यों के ममान कल्याण मण्डलों के अध्यक्षों का सम्मेलन नई दिल्ली में आरम्भ  
—उत्तर द्वीपसमूह का वाकी देग न मिलाने के लिए वहा ३ नये ब्रेतार केन्द्रों का उद्घाटन
- १९—राष्ट्रीय विकास परिषद् को दो दिन की बैठक नई दिल्ली में आरम्भ
- २१—नई दिल्ली में नये भारत-पाक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर  
—नई दिल्ली में भारत सरकार और काहिरा की मिस्र व्यापार कम्पनी के बीच भारत को मनु १९६० में एक लाख टन चावल मण्डलाई करने के लिए समझौता  
—भारत सरकार द्वारा बैंकों के लिए एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण बनाने के निर्णय की घोषणा
- २३—दौहरे आयकर में बचाव के भारत-ताबे समझौते के स्वीकृति-पत्रों का ओमला में आदान-प्रदान  
—ग्राम उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद की मातवी बैठक नई दिल्ली में आरम्भ
- २५—भारत में पेटियों का कारखाना लगाने के सम्बन्ध में नई दिल्ली में भारत सरकार और जापान की मिटोजन वाच कम्पनी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर  
—भारत में चल रहे मलेरिया निरोधक कार्यक्रम के लिए ३,५६० लीग टन अनिरिल डी०डी०डी० तरीदने के बारे में नई दिल्ली में भारत सरकार और अमरीकी प्राविधिक सहायता मिशन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर

मार्च

- कुण्डा पनविजली योजना के पहले विजली घर का प्रधान मन्त्री श्री नेहरू द्वारा उद्घाटन
- २६—विश्व बैंक के ६ सदस्यों के मिशन के नेता श्री माइकल हाफमैन का नई दिल्ली आगमन  
—नई दिल्ली में परिवहन विकास परिषद का दो दिन का सम्मेलन आरम्भ
- २७—२४ मार्च को मन्त्रि-स्तर पर शुरू हुई भारत-पाक वित्तीय वार्ता रावलपिंडी में समाप्त  
—भारतीय वाणिज्य और उद्योग मध के २३वें वार्षिक अति-थेन का प्रधान मन्त्री द्वारा नई दिल्ली में उद्घाटन
- २८—कम्पनियों में नियुक्त किए जाने वाले मन्त्रियों की मूल योग्यता निर्धारित करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक मलाहरी मण्डल नियुक्त करने के निर्णय की घोषणा
- २९—सयुक्त अरब गणराज्य के प्रेजिडेंट परम थ्रेड गमाल अबु नाभिर का १२ दिन की भारत-यात्रा पर नई दिल्ली आगम  
—रुम के भगमं और खान माधनों के मन्त्री, श्री एल्नोपॉत्र ४ घोषित भूगमं मान्त्रियों के साथ १५ दिन की यात्रा पर आगमन
- ३०—श्लित कला अकादमी द्वारा आयोजित छठी राष्ट्रीय क् प्रदर्शनों का उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन द्वारा नई दिल्ली में उद्घाटन
- ३१—अप्रैल-मिन्तम्बर १९६० के लिए भारत सरकार की आगमनी की घोषणा  
—मदुन अरब गणराज्य द्वारा भारत को बेंचे जाने की चावल के मूल्य की रकम (४ करोड रुपये) के उपयोग में मन्त्र्य में भारत सरकार और मिस्र व्यापार कम्पनी की बीच समझौता ।

केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री, डा०  
 श्रीमान्जी नयी दिल्ली में १७  
 मार्च को दारदरी के समस्त  
 बाल्याय मन्त्रालय मन्त्रियों  
 के अध्यक्षों के एक वार्षिक  
 सम्मेलन में भाग लेते हुए



केन्द्रीय निर्माण, आवास और पुनर्निर्माण, श्री जे.पी. रेड्डी  
 नयी दिल्ली में २१ मार्च को आवासवाणी आर्गैटोरियम को  
 इमारत के निर्माण-कार्य को मुद्रागत करने हुए

२२ मार्च को दिल्ली के लाल किले में हुए एक समारोह  
 सिल रेजीमेंट की ७वाँ बटालियन का नया नामकरण हुआ  
 इसे ५वाँ सिल बटालियन बना दिया गया








नयी दिल्ली में २७ मार्च को एक सभा-रोह में सोवियत सरकार की ओर से एक घोड़ा और एक गाय सोवियत राजदूत परमश्रेष्ठ श्री बेनीडिक्टोव द्वारा प्रधान मन्त्री को भेंट की गई। चित्र में प्रधान मन्त्री भेंट में मिली गाय 'लिवसा' को कुछ खिला रहे हैं।

केन्द्रीय वित्त मन्त्री, श्री मोरारजी देसाई ने १ अप्रैल को दिल्ली में इनामी बाण्ड योजना का उद्घाटन किया। चित्र में वित्त मन्त्री, केन्द्रीय संचार और परिवहन मन्त्री, डा० सुब्बारायण से इस अवसर पर खरीदे गए बाण्ड को देख रहे हैं।



# भायनीया समाचार



वर्ष ३


१ अप्रैल, १९६० ( १२ संत्र, १८८२ )

प्र. ५





हंगरी के मनोनीत राजदूत डा० लास्लो रोजाई राष्ट्रपति भवन, नयी दिल्ली में १० मार्च को अपने प्रमाणपत्र राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद को पेश करते हुए



भारत के ३ सप्ताह के दौरे पर आये हुए स्पेनिश प्रेस प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य १३ मार्च को नयी दिल्ली में उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन के साथ



धोलपुर (राजस्थान) समीप चम्बल नदी पर बनने वाले नये पुल का १५ मार्च को उद्घाटन करने के बाद प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू पुल पर चलते हुए—मध्य प्रदेश के मन्त्री डा० काटजू भी बिच में दिखायी पड़े

# भारतीय समाचार

वर्ष ३

१ अप्रैल, १९६०  
१२ वें, १८८२

पृष्ठ ५

एक प्रति ४० ०.३५ १ दिनिंग १४ पेंस


वार्षिक मूल्य ४० ७.०० १७ दि. ६ पेंस २.५ डालर

## मुख्य विषय

दुनामी बाट जारी करने का फैसला	१५८
१९५८ में खनिज पदार्थों का उत्पादन	१६०
वस्त्र उद्योग देवन मण्डल की निष्कारिणी पर सरकार के निर्णय	१६७
सीमेंट देवन मण्डल की निष्कारिणी पर सरकार के निर्णय	१६९
उद्योग निर्माण के मन्दाय उद्योग : रथानी मन्दायकार	
निर्दिष्ट की गिरी	१७४
भारत और युगोस्लाविया में सामूहिक समझौता	१८१

**प्रावरण चित्र :** राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद १५ मार्च को राष्ट्रपति भवन, नयी दिल्ली में पाकिस्तान के याणित्य मंत्री श्री हकीबुर रहमान से बातचीत करते हुए

(‘भारतीय समाचार’ में सरकारी गतिविधियों और घोषणाओं का संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। स्थान संकोच के कारण अनेक विषयों को संक्षेप में ही दिया जाता है। ऐसे विवरणों को पूर्ण अधिकृत विवरण नहीं समझना चाहिए।)



## केन्द्रीय मन्त्रालयों के खर्च में कमी

विन मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने ८ मार्च को लोकसभा की मंजूर पर एक बयान दिया, जिसमें बताया गया है कि केन्द्रीय मितव्यय मंडल के बहने पर विभिन्न मन्त्रालयों के खर्च में कितनी कमी हुई और काम के वेहनर ढग से चलाने के क्या उपाय विद्ये गये। मन्त्रालयों के खर्च में जो कमी की गई वह इस प्रकार है :

१. लघु उद्योग सेवा मस्थान  
१,६५,८०० रु० प्रतिवर्ष
२. स्वराष्ट्र मन्त्रालय : सचिवालय  
१,५९,२४० रु० प्रतिवर्ष
३. इस्पात, खान और ईंधन मन्त्रालय :  
(क) भूगर्भ विभाग (दो कार्यालय)  
९७,५०० रु० प्रतिवर्ष

- (ख) भारतीय खान कार्यालय  
(दो कार्यालय)  
२०,४६० रु० प्रतिवर्ष
४. स्वास्थ्य मन्त्रालय : ८ कार्यालय  
५०,००० रु० प्रतिवर्ष (लगभग)
५. गामुदायिक विकास और सहकार  
मन्त्रालय वजट मंत्रालय  
१९,१०६ रु० प्रतिवर्ष
६. सूचना और प्रसारण मन्त्रालय  
समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार  
२५,००० रु० प्रतिवर्ष
७. खाद्य विभाग  
संभारों में  
६०,००० रु०  
अन्य कार्यों में  
१,०१,००,००० रु०

८. ऊर्जा विभाग संभारों में  
१६,३८९ रु०
९. मिचाई और विजली मन्त्रालय : एक  
मंत्रालय  
१,५६० रु०
१०. वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति  
मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाला  
३०,७९५ रु०

वक्तव्य में कहा गया है कि कर्मचारियों की मस्या घटाकर, कुछ पदों को खत्म करके और दफ्तरो के पुनर्गठन तथा भर्ती के ढग में सुधार करके खर्च में कमी की गई है। स्वराष्ट्र मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय, मिचाई तथा विजली मन्त्रालय, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा संस्कृति मन्त्रालय, खाद्य विभाग और ऊर्जा विभाग के काम के अध्ययन के नतीजों पर अभी विचार किया जा रहा है। इसी प्रकार अन्य कई मन्त्रालयों और विभागों के बारे में यह सोचा जा रहा है कि खर्च में कितनी और कहां कमी की जा सकती है।

## नहरी पानी विवाद : सिंचाई और विजली मंत्रों का वक्तव्य

लोकसभा में १५ मार्च को सिंचाई और विजली मंत्री, हाफिज मुहम्मद इब्राहीम ने भारत-पाक नहरी पानी विवाद सम्बन्धी एक वक्तव्य सदन की मंजूर पर रखा। वक्तव्य का सारांश इस प्रकार है -

विद्वय बैंक ने १ मार्च को जो घोषणा की थी, उसे भारत सरकार ने देखा है। इसमें अन्य कई बातों के अलावा उन बातों का भी जिक्र किया गया है, जो भारत और पाकिस्तान की सरकारों में नहरी पानी के बारे में समझौता करने के लिए हुईं। साथ ही इसमें बैंक की वित्त योजना और उसमें विभिन्न मित्र सरकारों द्वारा भाग लेने का भी जिक्र है।

बैंक की वित्त योजना में, पाकिस्तान को तीन पूर्वी नदियों से सिंचाई के लिए मिलने वाले पानी को जगह ३ पश्चिमी नदियों से नहरे निकाल कर पानी जुटाने के साथ-साथ सिंचाई और विजली का अधिक प्रदत्त करने के लिए कहा गया है। इन नहरों आदि से ऊपर जमीन को भी उपजाऊ बनाया जाएगा। बैंक नहरी पानी विवाद को सुलझाने के लिए जो प्रयत्न कर रहा है, उसके लिए भारत सरकार कृतज्ञ है और उसे खुशी है कि मित्र सरकारों बैंक की वित्त योजना चलाने में मदद दे रही हैं।

बैंक की वित्त योजना १ अरब डॉलर की है और यह मुख्यतः पाकिस्तान को मिलेगी है। इनमें भारत की भावनाओं, राजस्थान नहर योजना आदि शामिल नहीं हैं। ये योजनाएँ भारत के लिए जरूरी हैं और हम इन पर ३० करोड़ डॉलर खर्च कर रहे हैं।

भारत सरकार को आशा है कि इन समय नहरी पानी विवाद के बारे में वार्तागत में जो बातचीत चल रही है, उससे जल्दी ही कुछ गमगोया हों जाएंगे, परन्तु अभी यह नहीं बताया जा सकता कि भारत बैंक की वित्त योजना में निम्ना योग देगा।

### केन्द्रीय कर्मचारियों को ध्यावहारिक शिक्षा

१६ ५९ के अन्तर्गत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ४६ सरकारी अधिकारियों ने विभिन्न राज्यों में व्यापारिक शिक्षा समाप्त

कर ली है। इस समय १३ अधिकारियों का दल विभिन्न राज्यों में ट्रेनिंग के रहा है।

सरकारी कर्मचारी विभिन्न राज्यों में २ माल के लिए भेजे जाते हैं, जिससे वे गांव से लेकर राज्य सचिवालय के विभिन्न कामों की जानकारी प्राप्त कर सकें। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि इन अधिकारियों को राज्यों की विभिन्न समस्याओं का ठीक से पता चल सके।

## उप-चुनावों के परिणामों का विश्लेषण

कुल वष १० फरवरी तक हुए ११५ उप-चुनावों के आंकड़ों से पता चलता है कि उप-चुनावों में कम मतदाताओं ने भाग लिया।

लोकसभा के लिए हुए १३ और राज्य विधान सभाओं के लिए हुए १०२ उप-चुनावों से पता चलता है कि चुनाव-क्षेत्रों में १९५७ के आम चुनावों की अपेक्षा कम मत पड़े—आम चुनावों के दौरान ६३ लाख मत पड़े थे, जबकि इन उप-चुनावों में ५४ लाख मत पड़े।

हालांकि मतदाताओं की संख्या बढ़ी, फिर भी लोकसभा के चुनाव-क्षेत्रों में १३ प्रतिशत कम मत पड़े। आम चुनावों में ४५.०८ प्रतिशत मत पड़े थे, जबकि उप-चुनावों में ३२.१८ प्रतिशत मत पड़े। विधानसभा चुनाव-क्षेत्रों में पड़े मतों में ३.५ प्रतिशत की कमी हुई। आम चुनावों में ४९.९९ प्रतिशत मत पड़े थे, जबकि उप-चुनावों में ४६.२६ प्रतिशत मत पड़े।

इन ११५ चुनाव-क्षेत्रों में उम्मीदवारों की संख्या में भी कमी हुई। पिछले आम चुनावों में ४७४ उम्मीदवार खड़े हुए थे, जबकि उप-चुनावों में ३४८ उम्मीदवारों ने चुनाव लड़े।

### दलगत स्थिति

दलगत स्थिति इस प्रकार है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोकसभा में अपनी १३ सीटों में से ४ सीटें खो दीं। इनमें से १ सीट प्रजा समाजवादी दल को, १ ममाजवादी दल को, १ मिनिमि को और १ स्वतंत्र उम्मीदवार को मिली।

राज्य विधानसभा चुनाव-क्षेत्रों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उप-चुनावों में २२ सीटें जीतीं और ४ सीटें, प्रजा समाजवादी दल ने

४ सीटें जीतीं और ९ सीटें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने २ सीटें जीतीं और ४ सीटें, स्वतंत्र उम्मीदवारों ने १५ सीटें जीतीं और १३ सीटें और अन्य दलों ने ८ सीटें जीतीं और ४ सीटें।

५२ उप-चुनाव सदस्यों की मृत्यु के कारण, २२ उप-चुनाव त्यागपत्र दे देने के कारण और ४२ उप-चुनाव चुनाव-अधिकरण द्वारा पुनः मतदान का आदेश देने के कारण हुए।

### लोकसभा के उप-चुनाव

लोकसभा के लिए हुए १३ उप-चुनावों में से ३-३ बिहार और बम्बई राज्यों में, २ उत्तर प्रदेश में और १-१ मद्रास, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और प० बंगाल में हुआ। इन १३ सीटों के लिए ३९ उम्मीदवार थे, जबकि पिछले आम चुनावों में ४३ उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। आम चुनावों में २४,५८,००० लोगों ने मतदान किया था, जबकि उप-चुनावों में केवल १७,४६,००० लोगों ने मतदान किया।

### राज्य विधानसभाओं के उप-चुनाव

राज्य विधानसभा चुनाव-क्षेत्रों के १०२ उप-चुनाव राज्यवार इस प्रकार हुए : आंध्र प्रदेश १४, आसाम ८; बिहार १२; बम्बई १२; केरल १, मध्य प्रदेश ९; मद्रास ८; मैसूर ७; उड़ीसा ७, पंजाब ३; राजस्थान ४, उत्तर प्रदेश १३ और प० बंगाल ४।

इनमें से ३ चुनाव-क्षेत्रों में, जो बिहार, बम्बई और उड़ीसा में थे, २-२ सदस्य चुने गए और बाकी में १-१।

१०२ राज्य विधान सभा चुनाव-क्षेत्रों में जो १०५ सदस्य चुने गये, उनका दलगत वर्गीकरण इस प्रकार है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस—५७, प्रजा समाजवादी दल—६, भारतीय जनत—३; भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी—३, समाजवादी दल—१, अन्य दल—८; और स्वतंत्र उम्मीदवार—२७।

गवरो अधिक मतदान मद्रास राज्य के अक्षयपुरीटाटा चुनाव-क्षेत्र में हुआ, जहाँ ७२७ प्रतिशत कम पड़े। गवरो कम मतदान मध्य प्रदेश के कोटा चुनाव-क्षेत्र में हुआ, जहाँ केवल ८.२८ प्रतिशत मत पड़े।

## राज्यसभा की ७२ सीटों का चुनाव

राज्यसभा के ७२ सदस्यों का चयन-मण्डल २ अप्रैल, १९६० को समाप्त हो जाएगा। इस स्थानों की पूर्ति के लिए राज्य विधान मन्त्रालय के राज्य और विदेश, तथा मंत्रिमंडल के निर्वाचक मण्डल के सदस्यों को अवकाश-प्रदान प्रतिनिधि चुनेंगे।

विधान मन्त्रालय का संयोजक बोधक इस प्रकार है— जायट प्रदेस-६, आसाम-३, बिहार-३, बंगाल-९, केरल-३, मध्य प्रदेश-५, मद्रास-६, मंगलूर-६, उड़ीसा-५, पंजाब-६, राजस्थान-३, उत्तर प्रदेश-११, पं० वंगाल-५, दिल्ली-३ और मणिपुर-१।

[राज्यसभा के २५० सदस्य दोष ७ विधान १२ को राष्ट्रपति नामांकन करने से और सात चुने जाते हैं। राज्यसभा विरोधित नहीं होगी। हर दूसरे साल उत्तरे एम-पी-सदस्य अथवा अधिनियम करते हैं। राज्यसभा के चुनाव अल्पसंख्यक मण्डल में होते हैं। मंत्रिमंडल के चौधे अनुच्छेद के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य वा सदस्य-कोटा निर्धारित किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधान मन्त्रालय के निर्वाचित सदस्य एमएल एमएलसी मंडल के द्वारा करते हैं। केन्द्रशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का चुनाव मण्डल के द्वारा मण्डल नियमों के अनुसार होता है। नागरिक मन्त्रालय, विज्ञान, कला और महाश्रीवा के क्षेत्र के नियोग होते हैं।]

## केन्द्रीय सूचना सेवा की स्थापना

भारत सरकार ने केन्द्रीय सूचना सेवा बनाई है, जो १ मार्च, १९६० में लागू हो गई है। यह घोषणा भारत सरकार के २९ फरवरी, १९६० के असाधारण सूचना-पत्र में की गई।

इस सेवा में आकाशवाणी, पत्र सूचना कार्यालय, प्रकाशन विभाग, फिल्म डिवाइजन, समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय, अनुपस्थान और सदस्य विभाग, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय तथा फीटड पब्लिसिटी निदेशालय के सम्पादकीय तथा पत्रकारी पत्रों के कर्मचारी शामिल किए गए हैं।

केन्द्रीय सूचना सेवा में ६ श्रेणियां हैं और इनमें ३५० स्टाफों पर है।

## छावनी कर्मचारियों की मांगों : राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का निर्णय

कुछ छावनी कर्मचारियों और छावनी मण्डलों के दायरे का फैलाव करने के लिए, भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नियुक्त किया था, उनमें अपना फैलाव दे दिया है। यह न्यायाधिकरण १९५९ में नियुक्त किया गया था और उन्गो प्रमुख श्री एफ० जी०बी० में।

४ मास के मनगरी मण्डल में फैले के बारे में जो सूचना प्राप्त की गई है, उन्गो कहा गया है कि न्यायाधिकरण ने छावनी कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी नहीं माना है, बर्रांत १९०८ के छावनी अधिनियम में मण्डल है कि ये लोग छावनी मण्डल के ही लोग हैं, इसलिए न्यायाधिकरण ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन-दर लागू करने की छावनी कर्मचारियों की मांग भी जर्वाकार कर दी है। न्यायाधिकरण ने ५८ छावनीवा के कर्मचारियों को हर श्रेणी के वेतन न्यून न दिया है।

महाराष्ट्र-भूत के बारे में यह निर्णय दिया गया है कि कर्मचारियों को, जिन राज्य में उनही छावनी हैं, उन राज्य के कर्मचारियों का मिलने वाले महाराष्ट्र भूत के बराबर ही यह भत्ता मिले। माघ ही आधा महाराष्ट्र भत्ता न्यून कर्मचारियों के वेतन में मिला देने की भी बात कही गई है।

तीसरी और चौथी श्रेणी के जिन छावनी कर्मचारियों को मुक्त या मण्डल की ओर से किराये पर मकान नहीं मिला हुआ है, उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते के बराबर भत्ता दिया जाय।

भविष्य निधि (प्रविडेण्ट फंड) के बारे में न्यायाधिकरण का फैसला है कि छावनी मण्डल इस निधि में कर्मचारियों के हिस्से के बराबर ही अपना हिस्सा दे। इस बारे में १९३७ के छावनी कर्मचारियों के भविष्य निधि नियमों पर फिर से विचार करने की जरूरत होगी, क्योंकि उनमें कर्मचारी का

हिस्सा ६। प्रतिगत और छावनी मण्डलों का ३३ प्रतिगत निर्दिष्ट है।

बोस के बारे में वर्तमान नियमों के अनुसार ही व्यवस्था जारी रखने का न्यायाधिकरण ने सुझाव दिया है। प्रेषुटी देने की कर्मचारियों की मांग को न्यायाधिकरण ने नहीं माना है।

तरफ की के बारे में न्यायाधिकरण का निर्णय है कि यदि और सब बातें बराबर हों तो तरफकी, तीसरी की अवधि के अनुसार ही दी जाए। माघ ही मण्डलों के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए नियम बनाए जाए। न्यायाधिकरण के वेतन सम्बन्धी फैसले पर १ अप्रैल, १९५९ से अमल किया जाएगा।

## हिन्दू धर्मस्व निधि जांच आयोग

भारत सरकार कुछ समय में इस विषय पर विचार करती रही है कि भारत भर में हिन्दू सार्वजनिक धर्मस्व निधियों के उचित प्रबन्ध के लिए केन्द्रीय कानून बनाया जाना चाहिए अथवा अन्य उचित कदम उठाये जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में यह महसूस किया गया कि पहले ऐसी निधियों में सम्बन्धित कुछ प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए।

अतः सरकार ने डा० सी० पी० रामस्वामी अय्यर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त करने का निश्चय किया है। आयोग के निम्नलिखित सदस्य होंगे— इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाशप्राप्त न्यायाधीश, श्री जकर शरण, बिहार के एडवोकेट जनरल, श्री महावीर प्रसाद, भारत माधु समाज के महासचिव, स्वामी हरिनारायणानन्द और हिन्दू धर्मस्व निधि मण्डल, मद्रास, के अवकाशप्राप्त आवुक्त श्री टी० कामेश्वर राव।

आयोग निम्नलिखित कार्य करेगा

(क) हिन्दू धर्मस्व निधि की एक ससथा के रूप में साधारण जाच और इस बात की विचारिका कि ऐसी किन निधियों को सार्वजनिक धर्मस्व निधिया माना जा सकता है।

(ख) हिन्दू धर्मस्व सार्वजनिक निधियों के प्रबन्ध और उनके साधनों के उपयोग के विषय में जाच और इस बात की विचारिका कि ऐसी निधियों का उचित प्रबन्ध कैसे

मंकेता है और उनके साधनों का उचित प्रयोग किन् प्रकार किया जा सकता है,

(ग) विशेष रूप में इस बात की जांच कि हिन्दू धर्मस्व सार्वजनिक निधियों के पदाधिकारी किस प्रकार निर्वाचित होते हैं—उत्तराधिकारी के रूप में, नामजद प्रतिनिधि के रूप में अथवा किसी अन्य ढंग से ;

(घ) इस बात की जांच कि क्या पदाधिकारी चुनने की वर्तमान व्यवस्था सर्वोपजनक है और यदि नहीं है तो इस व्यवस्था को सुधारने के क्या उपाय हो सकते हैं,

(च) उपरोक्त विषयों में सम्बन्धित अन्य किसी विषय की जांच और उसके बारे में प्रतिवेदन ।

आयोग मार्च १९६० के पहले सप्ताह से काम शुरू कर देगा और आगा है कि ३० सितम्बर, १९६० तक केन्द्रीय सरकार को अपना प्रतिवेदन दे देगा ।

विधि मन्त्रालय के विधि विभाग में विशेषाधिकारी, श्री एस० पी० सेनवर्मा आयोग के सचिव के रूप में काम करेंगे ।

यह आयोग जाच आयोग अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत नियुक्त किया जा रहा है और उसे जाच आयोग के सभी अधिकार प्राप्त होंगे ।

## हिन्दू धर्मस्व निधि आयोग की बैठक

हिन्दू धर्मस्व निधि आयोग की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि ५ मार्च को नयी दिल्ली में डा० सी० पी० रामास्वामी अम्बर की अध्यक्षता में आयोग की पहली बैठक हुई । बैठक में डा० अम्बर ने बताया कि आयोग को क्या काम करने है । उन्होंने यह भी कहा कि पुजारियों और अर्चकों को आध्यात्मिक ट्रेनिंग देना जरूरी है ताकि धार्मिक काम करने के लिए उन्हें गिथा मिल सके और वे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकें ।

बैठक में आयोग ने निर्णय किया कि आयोग जिन धर्मस्व निधियों के बारे में काम कर रहा है, उनमें मुद्दारे शामिल न किए जाए, क्योंकि उन्होंने पहले ही वे बाकी नियम बना रखे हैं। इनके अलावा सभी हिन्दू धर्मस्व निधियों—धीरसाय, लिंगपूजा, चण्डोरपया, निर्मल, शोड, देन तथा श्रद्धांगमात्र, प्राणना ममात्र,

आर्य नमाज और अन्य हिन्दू धर्मस्व निधियों को शामिल किया जाए ।

## राज्यों को पत्र

बैठक में आयोग के कार्यक्रम पर विचार किया गया और यह निर्णय हुआ कि राज्य सरकारों में उन सभी मंत्रियों और मंत्रों की सूची मांगी जाए, जो उनके राज्य में हैं । बैठक में, प्रदनावली तैयार करने पर भी विचार हुआ और निर्णय हुआ कि जब यह प्रदनावली अन्तिम रूप में तैयार हो जाएगी तब उसे ममाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाए ।

आयोग की अगली बैठक २२ मई, १९६० को उदकमडलूम में होंगी ।

सर्वसाधारण को मत प्रकट करन का निमन्त्रण

हिन्दू धर्मस्व निधि आयोग ने मंत्रियों और मंत्रों की देखभाल, उनके कोष के उचित उपयोग और उनके भविष्य के विषय में रुचि रखने वाले सब व्यक्तियों को अपनी टीका-टिप्पणी भेजने का निमन्त्रण दिया है ।

## नमूने के तौर पर प्रतिवर्ष

### जनगणना

विभिन्न राज्यों में हर साल नमूने के तौर पर जनगणना हुआ करेगी जिसमें यह पता लगाया जाएगा कि प्रतिवर्ष देश की आबादी में कितनी वृद्धि होती है । यह जनगणना इसी साल से शुरू हो जाएगी ।

इन नमूनों की जनगणना के लिए जनगणना कमिश्नर के दफ्तर में प्रदनावली तैयार की है । इसमें मूल्य रूप में बच्चों के जन्म और आयु के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाया करेगी । इस जनगणना में यह भी पता चल सकेगा कि जन-संख्या कम करने के उपायों का, जैसे परिवार आयोजन आदि का लोगों का, जैसे परिवार पड़ रहा है । इसके अलावा बच्चों की आयु से यह पता चलेगा कि देश की औरतें औसतन किम उम्र से, कितने-कितने समय के अन्तर पर और कितने बच्चे पैदा करती हैं ।

यह नमूनों की जनगणना प्रतिवर्ष देश के लगभग १ प्रतिशत लोगों के बारे में की जाया करेगी, जिनके लिए मच तरह के गांवों और शहरों में कुछ क्षेत्र चुने जाया करेंगे ।

## विदेशी पर्यटकों के लिए

### कूपन-योजना

भारत-भ्रमण के लिए आने वाले विदेशियों को अब कैमरे की फिल्मों, तस्माकू और गराव की कमी नहीं रहेगी । अब उनो लिए यह सुविधा जुटाने का प्रबन्ध किया गया है ।

भारत सरकार के पर्यटन विभाग ने एक नयी कूपन-योजना चलाई है । इस योजना के अनुसार विदेशी पर्यटक कैमरे की फिल्म तस्माकू या अपने पसन्द की सिगरेट और गराव आदि उचित मूल्य पर खरीद सकेंगे । प्रत्येक विदेशी पर्यटक को पर्यटन विभाग के बम्बई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता नगरों के कूपन की एक किताब मिलेगी । इन कूपनों में पर्यटक १२५ रु० तक की कैमरे की फिल्में, तस्माकू या गराव आदि खरीद सकेंगे ।

यह सामान इन्हे देश के १६ शहरों में निर मकेगा । इसके लिए कुछ दुकानदारों को लाइसेंस दिए गए हैं । इन शहरों के नाम इस प्रकार हैं बम्बई, दिल्ली, मद्रास, आगम, बनारस, जयपुर, औरंगाबाद, भोपाल, बगलौर, मैसूर, कोचीन, पुरी, भुवनेश्वर, वार्जिलिंग और श्रीनगर । जिन दुकानों पर विदेशी पर्यटक ये सामान खरीद सके हैं, उनकी सूची कूपन की किताब के अन्त में दी गई है । इन चीजों को कीमत पर्यटन विभाग ने निश्चित की है । इस कीमत में स्थानीय पर शामिल नहीं किए गए हैं । मूल्य को मूली दुकानदारों के पाम होगी, जिसे पर्यटक देय सकेंगे । इस योजना के अन्तर्गत जिन दुकानदारों को लाइसेंस दिया गया है, उन्हें मुद्रा-विनिम्न का भी लाइसेंस दिया गया है ।

हालाकि चीजों को कीमत हफवों में रही गई है, पर पर्यटकों को इसका मूल्य उनकी मुद्रा में बताया जाएगा, जिनका भुगतान वे अपनी मुद्रा या पर्यटकों के चेक द्वारा कर सकेंगे हैं । माल-खरीदते समय पर्यटकों को कूपन पर दुकानदार के मायने हस्ताक्षर करने होंगे । भारत छोड़ो समय इस्तेमाल न किए गए कूपन तत्कर अधिकारियों को लौटाने होंगे ।

## ६०,००० केंद्रीय कर्मचारियों ने हिन्दी सीखी

भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के लिए देश भर में जो ५६ केंद्र चालू किए हैं उनमें अब तक ६०,००० कर्मचारियों ने हिन्दी सीखी है।

जाना है कि १९६१-६२ तक केंद्रीय स्वरूप मन्त्रालय की हिन्दी शिक्षा योजना के अन्तर्गत ३ लाख से भी अधिक कर्मचारी हिन्दी सीखेंगे। छात्र वर्षों की पत्नी विभागीय में हिन्दी सीखने वाले कर्मचारियों की संख्या १०,००० थी।

कुछ समय पहले तक देश विभागीय या अपने कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने का अल्प प्रबन्ध था। परन्तु अब वे भी स्वरूप मन्त्रालय की योजना के अन्तर्गत हिन्दी सीखने हैं। लगभग १,००० देश कर्मचारी हिन्दी कक्षाओं में शामिल हो चुके हैं।

कर्मचारियों के लिए १-९ महीने के ३ पाठ्यक्रम—प्रथम, प्रथम और प्रथम—हैं। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। प्रथम पाठ्यक्रम उन कर्मचारियों के लिए है जो दक्षिण भारतीय भाषाएँ अथवा अंग्रेजी सीखते हैं। प्रथम पाठ्यक्रम मराठी, गुजराती, बंगाली अथवा, या मध्य प्रदेश बोलने वालों के लिए है। प्रथम पाठ्यक्रम में टिंक के स्तर का है। यह पाठ्यक्रम उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी मातृभाषा पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, निवाँ, पर्वती या कोई अन्य मध्य भाषा है।

### तलाक के मामलों

देश में १९५८ में विधेय विवाह कानून के अन्तर्गत तलाक के कुल ३५० मामले हुए। उनका राज्यवार संख्या इस प्रकार है— आंध्र प्रदेश—१, बम्बई—२८, केरल—६, मध्य प्रदेश—७६, मद्रास—५, मैसूर—२, पंजाब—११२, राजस्थान—१०, उत्तर प्रदेश—३५, पं० बंगाल—५१, दिल्ली—४, और त्रिपुरा—१०।

जो लोग विवाह की चालू पद्धति को नहीं अपनाते चाहते हैं, उनके लिए १९५४ में विधेय विवाह कानून बनाया गया। यह १ जनवरी, १९५५ में लागू हुआ। इस कानून के अन्तर्गत जो विवाह करना चाहते हैं, उन्हें यह घोषित

करना पड़ता है कि वे ईसाई, मुस्लिम, हिन्दू, पारसी, बौद्ध, सिख या जैन धर्म को नहीं मानते।

इस कानून के अन्तर्गत, विवाह अधिकारी के सामने विवाह होता है। स्त्री और पुरुष को पहले विवाह अधिकारी को सूचना भेजनी पड़ती है। अधिकारी यह विवाह तभी कराता है, जब इनमें से एक उम्मेद जिले में कम से कम ३० दिनों से रह रहा हो। विवाह भी सूचना भेजने के एक महीने बाद होता है। इस बीच कोई भी व्यक्ति विवाह के बारे में आपत्ति कर सकता है। विवाह अधिकारी पहले इन आपत्तियों का निराकरण करता है, और तब विवाह कराता है। अधिकारी के निर्णय पर जिला अदालत में अपील की जा सकती है और जिला अदालत का निर्णय अन्तिम माना जाता है।

### केंद्रीय कर्मचारियों की विदेशी पत्नियों

केन्द्रीय सरकार ने भारतीय नागरिकों की विदेशी पत्नियों को भारत का नागरिक बनने में स्थापित देने का निर्णय लिया है। इन पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम एक साल तक भारत में रहने की शर्त लागू नहीं होगी।

पर यह छूट उन्हीं स्त्रियों को दी जाएगी जिनका विवाह केंद्र या राज्य सरकारों के किसी कर्मचारी से हुआ है। इसके लिए १९५६ के नागरिकता नियमों के चौथे नियम में संशोधन किया गया है।

३१ अक्टूबर, १९५९ तक ७२ भारतीय नागरिकों की विदेशी पत्नियाँ भारतीय नागरिक रजिस्टर की गईं। इसी अवधि में ८२ अन्य विदेशियों को नागरिकता के लिए निर्धारित अवधि तक भारत में रहने के कारण भारत की नागरिकता दी गई।

### विवाहित स्त्री सम्पत्ति कानून

विवाहित स्त्रियों के सम्पत्ति अधिनियम, १८७४ में कुछ संशोधन किए गए थे। अब १ मार्च, १९६० से यह संशोधित कानून विवाहित स्त्रियों की सम्पत्ति (विस्तार) अधिनियम, १९५९, भूतपूर्व 'स' राज्यों और मणिपुर पर भी लागू कर दिया गया है।

सन् १८७४ के मूल कानून के अन्तर्गत यह नियम है कि अगर कोई विवाहित पुरुष अपनी पत्नी अथवा बच्चों के हित में अपने जीवन का बीमा कराए तो उस पालिसी की रकम

एक प्रकार से पत्नी और बच्चों की सम्पत्ति मानी जाएगी। उस रकम में किसी महाजन का भी कोई अधिकार नहीं होगा। पुरुष के मर जाने पर भी वह धन उसकी सम्पत्ति का अंग नहीं माना जाएगा।

सम्पत्ति कर अधिनियम, १९५३ के अंतर्गत भी उस प्रकार का धन मृत पुरुष की अन्य सम्पत्ति में नहीं जोड़ा जाता, बल्कि उस पर अलग से सम्पत्ति कर लगाया जाता है।

### पूँजीगत माल के आयात के लिए नया विभाग

पूँजीगत माल के आयात के लिए लाइसेंस की अर्जियों को तेजी से निपटाने के लिए नई दिल्ली के मुख्य आयात-निर्वाह नियंत्रक कार्यालय में नया विभाग खोला गया है। यह विभाग विदेश अधिकारी के अधीन होगा और जो अर्जियाँ मुख्य आयात-निर्वाह नियंत्रक के कार्यालय को भेजी जाती हैं, वे अब उक्त विभाग अधिकारी को भेजी जाएँ।

परन्तु जो अर्जियाँ बम्बई और कलकत्ता के संयुक्त मुख्य आयात नियंत्रकों को भेजी जाती हैं, वे आगे भी उन्हीं को भेजी जाती रहे, विदेश अधिकारी को नहीं।

लाइसेंस देन वाले अधिकारियों का कार्य-क्षेत्र अब इस प्रकार होगा :

१ ज्वाइंट चीफ कंट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स, बम्बई ;  
कपड़े की मशीनें, मोर्से, बलियान आदि बुनने की मशीनें और उनके पुर्जों,

२ ज्वाइंट चीफ कंट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स, कलकत्ता ;

पटसन और सनई की मशीनें और उनके पुर्जों; कोयला उद्योग की मशीनें और कारखाने,

३ चीफ कंट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, नया दिल्ली

१ लाख रु० से अधिक मूल्य के मशीनें मशीनों और मशीनें और मशीनें अन्य कारखाने तथा मशीनें (१ लाख रु० से कम मूल्य के मशीनें और मशीनें के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की विकास शाखा लाइसेंस देनी।



## ५० पाकिस्तान के कषायली क्षेत्रों के विस्थापितों को सहायता

पुनस्तस्थापन मन्त्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत सरकार ने ५० पाकिस्तान के कषायली क्षेत्रों के विस्थापितों को प्रति परिवार २,५०० रु० की सहायता देने का निश्चय किया है। इन विस्थापितों की पुनस्तस्थापन अनुदान की अर्जिया इस कारण खारिज कर दी गई थी कि ये अपने दावे के सबूत में किसी तरह के कागज-पत्र आदि पेश नहीं कर सके थे।

कषायली क्षेत्रों में सम्पत्ति का रिकार्ड रखने वाली कोई स्थानीय सस्थाए नहीं थी और न वहा किसी प्रकार का कर देने का ही नियम था। इसलिए ये लोग अपनी जायदाद आदि के बारे में बिन्नी तरह का सबूत पेश नहीं कर सके। भारत सरकार ने इन विस्थापितों की कठिनाइयों को समझ कर यह सहायता देने का फैसला किया है।

## राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान बनाने की योजना

राज्य सरकार के कर्मचारियों को किराये पर मकान देने की केन्द्रीय निर्माण, आवास और पूति मन्त्रालय की योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने ९ राज्यों को ८१ लाख ४० हजार रु० और देना स्वीकार किया है।

इसमें पहले, हाल में आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के लिए ८२ लाख रु० स्वीकार किया गया था।

राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से अपने कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के हेतु सहायता मागी थी। अतः केन्द्रीय निर्माण, आवास और पूति मन्त्रालय ने मार्च १९५९ में यह योजना पेश की। जीवन बीमा निगम भी मन्त्रालय के इस मुझाव में महत्त्व हुआ था कि निगम इस योजना के लिए राज्य सरकारों को ऋण दे। इसने लिए निगम ने १९५८-५९ से १९६०-६१ तक हर साल अर्धन से अधिक १ करोड़ रु० तक देने का निर्णय किया था। परन्तु माग करने में इस साल २ करोड़ ५० लाख ४० हजार रु० देने का निर्णय किया। इस ऋण पर ५

प्रतिशत ब्याज लगेगा और यह २० वर्षों में चुकाया जाएगा।

## केन्द्रीय सरकार के अस्थायी कर्मचारियों

सरकार की यह नीति है कि जिन अस्थायी पदों पर तीन साल से ज्यादा समय से कर्मचारी नियुक्त हैं तथा जो दीर्घ काल तक चलने वाले हैं, उन्हें स्थायी बना दिया जाए। तीन साल पुराने अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को अर्ध-स्थायी समझा जाना लगता है और उन पर नोकरी की सुरक्षा तथा पेंशन आदि के वही नियम लागू होते हैं जो स्थायी कर्मचारियों पर होते हैं।

यह सूचना स्वराष्ट्र मन्त्रालय में मंत्री, श्री बलवन्त नरेश दातार ने ७ मार्च को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

श्री दातार ने बताया कि १ जनवरी, १९५९ को केन्द्रीय सरकार के अस्थायी और अर्ध-स्थायी कर्मचारियों की संख्या ६,८८,२६४ थी, जो कुल कर्मचारियों की संख्या की ३५.५ प्रतिशत थी।



## इनामी बांड जारी करने का फैसला

वित्त मन्त्रालय के आर्थिक विषय विभाग की २९ फरवरी की एक विज्ञप्ति में सूचना दी गई है कि भारत सरकार ने १ अप्रैल, १९६० से पंचवर्षीय विनासूदी इनामी बांड, १९६५ जारी करने का निर्णय किया है। ये बांड निम्नलिखित स्थानों से मिलेंगे

१. रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बम्बई, कलकत्ता, नयी दिल्ली, मद्रास, बंगलौर और नागपुर कार्यालयों में ;
२. स्टेट बैंक आफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद और स्टेट बैंक आफ मैसूर की शाखाओं से जो सरकारी खजाने का कामकाज करती हैं ;
३. न० १ में उल्लिखित स्थानों और उन स्थानों को छोड़कर जहां न० २ में उल्लिखित बैंकों का शाखाएं हों, भारत में सब सरकारी सजानों और उपसजानों से ;

## निर्देशकों के सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का स्थान परिवर्तन

श्रम उपमंत्री, श्री आबिद अली ने ८ मार्च को राज्यसभा में बताया कि सरकार ने कोनी (बिलासपुर) का निर्देशकों का सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हावडा भेजने का निर्णय किया है। यह निर्णय इसलिए किया गया है कि हावडा में इंजीनियरी के कई बड़े कारखाने हैं, जहाँ कई आधुनिकतम उपकरण तथा कुशल इंजीनियर हैं। इन कुशल इंजीनियरों के निर्देशन तथा उपकरणों से निर्देशकों को अधिक अच्छी तरह तथा ठीक ट्रेनिंग दी जा सकेगी।

श्री आबिद अली ने बताया कि इस स्थानान्तरण का लोगों ने थोडा-सा विरोध जहर किया था, किन्तु यह विरोध इस गलतफहमी के कारण किया गया था कि कोनी की पूरी सस्था ही हटाई जा रही है। इसमें ३१६ जगहे थी, किन्तु उनकी संख्या ४८० कर दी गई है। जगहें और बढ़ाकर ७८४ करने का प्रस्ताव है।

४. सब मुख्य डाकघरों और विभागीय उपडाकघरों से।

इन बांडों के भुगतान की तिथि पहली अप्रैल सन् १९६५ होगी।

ये बांड १०० रु० और ५ रु० के बंधर बांडों के रूप में जारी किए जाएंगे। इन पर कोई सूद नहीं दिया जाएगा परन्तु प्रति वर्ष हर तिमाही, यानी १ जून, १ सितम्बर, १ दिसम्बर और १ मार्च को इनाम देने के लिए पंचिया उठाई जाएगी। इनाम की पहली लाटरी १ सितम्बर १९६० को होगी और आखिरी १ मार्च १९६५ को। भारत सरकार की देखरेख में हर तिमाही के लिए अलग-अलग लाटरी की जाएगी। हर तिमाही पर १०० रु० के बांडों की हर तिमाही पर कुल ९२,००० रु० के ४० इनाम और ५ रु० की हर तिमाही पर कुल ४६,००० रु० के २५८

इनाम दिए जाएंगे। १०० रु० की हर मिरोज में १ करोड़ रु० के (सीनो रंग के १ लाख) बाइ होंगे, और ५ रु० की हर मिरोज में ५० लाख रु० के (पाच-पाच रु० के १० लाख) बाइ होंगे। जिस महीने में बाइ गरीदा जाएगा उनके बाइ दो कलेडर महीने और पूरे होने पर, प्रत्येक बिका हुआ बाइ, इनाम के लिए होने वाली हर लाटरी में शामिल बिचा जायगा। जिस मिरोज में एक भी बाइ बिका होगा, उनके मय बाइ लाटरी में शामिल किए जाएंगे पर अनबिके बाइों पर या लाटरी के महीने के एस्टेड जिन बाइों को बिके दो महीने पूरे नहीं हुए हैं, उन पर इनाम नहीं दिए जाएंगे।

हर मिरोज में इनामों की गणना और रकम निम्नलिखित होगी

१०० रु० के बाइों की प्रत्येक मिरोज में	
१ इनाम २५,००० रु० का	२५,००० रु०
२ इनाम १०,००० रु० के	२०,००० रु०
५ इनाम ५,००० रु० के	२५,००० रु०
२ इनाम १,००० रु० के	१२,००० रु०
१० इनाम ५०० रु० के	१०,००० रु०

१ लाख बाइों की हर मिरोज में हर विभागी इनाम की कुल रकम १,२०,००० रु०

५ रु० के बाइों की प्रत्येक मिरोज में	
१ इनाम ७५,००० रु० का	७५,००० रु०
२ इनाम २५,००० रु० के	५०,००० रु०
१० इनाम १,००० रु० के	१०,००० रु०
२५ इनाम ५०० रु० के	१०,००० रु०
२५ इनाम १०० रु० के	२५,००० रु०
२२० इनाम ५० रु० के	११,००० रु०

१० लाख बाइों की हर मिरोज में हर तिमाही इनाम की कुल रकम ६६,००० रु०

इनाम की रकम आय कर से बरी होगी और नकद दी जाएगी। इनाम पाने वाले बाइों का स्पॉर भारत के गजट में और अखबारों में, इनाम के लिए लाटरी होने के बाद यथा-सिद्ध प्रकाशित कर दिया जाएगा।

इनाम की पंचिया उठाए जाने के बाद

इनामी बांड का मालिक किसी भी समय निम्नलिखित कार्यालयों में इनाम का खपना लेने के लिए अपना दावा बांड के साथ पेश करेगा :

- १ रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बम्बई, कलकत्ता, नयी दिल्ली, मद्रास, बंगलौर और नागपुर कार्यालयों में ;
- २ स्टेट बैंक आफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ हूंदगवाड और स्टेट बैंक आफ मंगलूर को नागाओं में जो मरफारी मजानों का कामकाज करती हैं ;
- ३ न० १ में उल्लिखित स्थानों और उन स्थानों को छोड़कर जहां न० २ में उल्लिखित बैंकों की शाखाएं हैं, भारत के मय मरफारी मजानों और उप-मजानों में ;

८ मय मुख्य शाखपरो में।

रिजर्व बैंक जब दावा स्वीकार कर लेगा, उनके बाइ बांड के मालिक को, उग कार्यालय में जहां उगने बांड पेश किया है, इनाम की रकम मिल जाएगी।

इन बाइों की शर्तों और व्यवस्थाए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना न० एक ४ (१)-उल्लू एड एम। ६०, ता० १ मार्च, १९६० में दी हुई हैं, जो सभी बांड बंधने वाले दफतरो में लगी हुई हैं।

### निजी क्षेत्र में विदेशी पूंजी

लोकसभा में ११ मार्च को एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने मदन की मेज पर एक बतव्य रखा। इसमें बताया गया है कि १९५४ में १९५८ तक भारत में निजी क्षेत्र में कितनी विदेशी पूंजी लगी। इसमें विदेशी बैंकों की पूंजी शामिल नहीं है।

बतव्य में बताया गया है कि १९५४-५५ में कुल १७ करोड़ ६० लाख रु०, १९५६ में ३६ करोड़ ८० लाख रु०, १९५७ में ४८ करोड़ ९० लाख रु० और १९५८ में २७ करोड़ ९० लाख रु० (अस्थायी आकड़े) लगे हुए थे।

इस पूंजी का देगवार ग्यौर इस प्रकार है :—

(करोड़ रु० में)

देग का नाम	१९५४-	१९५६	१९५७	१९५८
	५५			(लाभग)
(बांिया अनुपात)				
ब्रिटेन	९६	१५७	६३	१२
अमरीका	४९	७१	१०४	२९
जर्मनी	१२	०२	०८	०.१
स्विटजरलैंड	०३	१६	१५	०.२
अन्य देग	०२	०१	०९	०.६
अन्तर्राष्ट्रीय बैंक	१४	१२.१	३२.०	२५.३
जोड .	१७६	३६८	८८९	२७९

### भारतीय फर्मों को विदेशी-मुद्रा प्राप्ति में सहायता

वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने ११ मार्च को लोकसभा में प्रश्नोत्तर के समय एक बतव्य में उन भारतीय फर्मों के नाम बताए, जिन्हें अमरीका के आयात-निर्यात बैंक और भारत के उद्योग माल तथा पूंजी नियोजन निगम में कर्ज के रूप में या और किसी तरह १९५९ में (फरवरी १९६० के अत तक) विदेशी-मुद्रा की सहायता मिली। दो कम्पनियों को अमरीका के बैंक से १८ लाख डालर और १ करोड़ ३५ लाख डालर का कर्ज मिला और ६ कम्पनियों को उद्योग साल तथा पूंजी नियोजन निगम में ४६ लाख ९५ हजार डालर विदेशी-मुद्रा की सहायता मिली। पहली दोनों कम्पनियों में भारत सरकार की इजाजत से सीधे अमरीका बैंक से बातचीत की और ऋण भी उन्हीं सीधा मिलेगा।

उद्योग साल तथा पूंजी नियोजन निगम में भारत सरकार की मर्जी और गारंटी में विश्व बैंक से विदेशी-मुद्रा का ऋण ले रखा है, जिन बह आप भारतीय कम्पनियों को देता है।

इस बतव्य में-उन फर्मों के नाम शामिल नहीं हैं, जिन्हें अमरीका के आयात-निर्यात बैंक से भारत सरकार को मिले १५ करोड़

डालर के ऋण में से विदेशी-मुद्रा खर्च करने की अनुमति दी गई। इस व्यवस्था के अन्तर्गत ९ उद्योगों को ३० करोड़ २ लाख ४० का माल मंगाने के लाइसेंस दिए गए।

## पाकिस्तान में भारतीय निजी पूंजी

रिजर्व बैंक आफ इंडिया के सर्वे के अनुसार १९५५ के अन्त में पाकिस्तान में भारतीय व्यापारियों का कुल १७ करोड़ ८३ लाख ४० लगा हुआ था। इसमें से १७ करोड़ ५६ लाख ४० तो भारतीय ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियों ने पाकिस्तानी कम्पनियों के हिस्से, हुडियाँ आदि में लगा रखा था। इनके अलावा भारत में रहने वाले व्यक्तियों ने बैंकों की मार्फत पाकिस्तानी कम्पनियों के हिस्से आदि में और यहाँ की कम्पनियों में भारतीय साझेदारों ने कुल २७ लाख ४० लगा रखा था। उक्त तारीख के बाद के आकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ने इसके बाद कोई सर्वे नहीं किया है। बैंक की सूचना के अनुसार इन आकड़ों में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है।

यह सूचना वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने ११ मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी। श्री देसाई ने कहा कि अब सरकार लोगों को पाकिस्तान में पूंजी लगाने की अनुमति नहीं देती।

## डेनमार्क और भारत के बीच दोहरे कर से बचाव सम्बन्धी समझौता स्वीकृत

डेनमार्क और भारत के बीच जाय पर दोहरे कर से बचाव के बारे में कॉन्वन्टेशन में १६ सितम्बर, १९५९ का जो समझौता हुआ था, उस पर दोनों सरकारों ने अपनी स्वीकृति दे दी है। ९ मार्च को नयी दिल्ली में एक मसजौदा हुआ, जिस पर डेनमार्क की ओर से राजदूत श्री अने योग एण्डरसन ने और भारत की ओर से केन्द्रीय राजस्व मंडल के अध्यक्ष, श्री ई० एन० शूल्पायुक्ति ने हस्ताक्षर किये। आय कर अधिनियम की धारा ४९ ए के अन्तर्गत भारत सरकार के अग्राधारण सूचना पत्र में इस आग्य की अधिमचना भी प्रकाशित कर दी गई है। अब यह मसजौदा

दोनों देशों पर लागू हो गया है।

इस समझौते के अन्तर्गत औद्योगिक और व्यापारिक मुनाफों, लाभों, ब्याज, रायल्टियों और पेंशनों पर वही देश कर लगाएगा, जिस में यह आमदनी होगी। भारत में यह समझौता १ अप्रैल, १९५९ से शुरु होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागू होगा।

## हिन्दुस्तान शिपयार्ड के लिए विदेशी मुद्रा

लोकसभा में १५ मार्च को परिवहन तथा संचार मंत्री, डा० सुब्बारायणन ने एक प्रश्न के उत्तर में एक बक्तव्य में बताया कि सरकार हिन्दुस्तान शिपयार्ड को यह आश्वासन देती है कि विदेशी-मुद्रा की कमी तथा जहाज

के नये आर्डरों के अभाव में के कारण हिन्दुस्तान शिपयार्ड के काम में बाधा नहीं पड़ेगी।

मंत्री महोदय ने आगे कहा कि सरकार ने शिपयार्ड की निर्माण क्षमता बढ़ाने का निर्णय किया है और इस बड़ी हुई क्षमता को भी बनाने रखने के लिए अधिक विदेशी-मुद्रा देने के प्रश्न पर सरकार समय-समय पर विचार करती रहेगी। देश में विदेशी-मुद्रा की स्थिति को देखते हुए शिपयार्ड को आवश्यक विदेशी-मुद्रा दी जाएगी।

जहाँ तक जहाज के अधिक आर्डरों का प्रश्न है, शिपयार्ड के पास दूसरी योजनावधि ऋण के लिए पर्याप्त आर्डर हैं। इसके अलावा तीसरी योजना के आर्डरों के लिए शिपयार्ड ने जहाज के मालिकों से बातचीत करनी शुरू कर दी है और यह अनुमान है कि आवश्यक आर्डर शीघ्र ही आएंगे।



## १९५८ में खनिज पदार्थों का उत्पादन

भारतीय खान कार्यालय के हाल के प्रकाशन से पता चलता है कि १९५५ से देश में खनिज पदार्थों का उत्पादन जिस तरह बढ़ा है वह वृद्धि १९५८ में भी जारी रही। इन वर्ष पिछले वर्ष से ८ करोड़ ४० या ६ प्रतिशत का उत्पादन अधिक हुआ। इस वर्ष का खनिज पदार्थों का कुल उत्पादन १ अरब ३७ करोड़ ३० लाख ४० का हुआ। इसमें पेट्रोल और वे खनिज पदार्थ शामिल नहीं हैं जो १९४८ के अनु-संहित अधिनियम के अंतर्गत गिने जाते हैं।

खनिजों का उत्पादन मुख्य रूप से कोयले और अलौह धातुओं के उत्पादन बढ़ने के कारण अधिक रहा है। सबसे अधिक उत्पादन, ८९ करोड़ ९० लाख ४० का ४ करोड़ ९० लाख ७० हजार मेट्रिक टन कोयले का हुआ। इसके बाद कच्चे मंगनीज (११ करोड़ २४ लाख ४०), नमक (८ करोड़ ४६ लाख ४०), सोना (५ करोड़ ४०), खनिज लोहा (४ करोड़ ८५ लाख ४०), अवक (२ करोड़

५२ लाख ४०) और इलमनाइट (१ करोड़ ८३ लाख ४०) का स्थान है। १९५८ में भारत को कुल राष्ट्रीय आय का १.२ प्रतिशत खनिजों से प्राप्त हुआ।

परिमाण की दृष्टि से खनिजों के उत्पादन का सूचक अंक १९५८ में १२५.८ (आधा १९५१=१००) रहा जो १९५७ के सूचक अंक से २.१ अंक अधिक है। १९५७ का सूचक अंक १९५६ से ६.८ अंक अधिक था भारत में खनिज उत्पादन की दर मुख्य रूप से उद्योगों की हाल की मन्दी के कारण घट रही है और यही स्थिति सारी दुनिया में भी है। इसके कारण अविकसित देशों के खनिज पदार्थों की विदेशों में मांग कम हो गयी।

१९५८ में कोयले का उत्पादन १९५७ से १८ लाख ६० हजार टन अधिक रहा। धातुओं का उत्पादन २६ करोड़ १० लाख ४० का रहा, जो इस वर्ष के खनिज उत्पादन के मूल्य का लगभग ५४ प्रतिशत था। खनिज धातुओं में १६ करोड़ ४० लाख ४० की की

धानुं और ९ करोड़ ७० लाख ६० की अन्वोह धानुं दिखायी गयीं। इस वर्ष खनिज लोहे, तांबे, बास्फाइट और मीने का उत्पादन सबसे अधिक रहा।

देश और विदेशों में खनिज लोहे की मांग बढ़ने के कारण उत्पादन भी सबसे अधिक, ६१ लाख टन हुआ। मंगनीज का उत्पादन गिरा और १९५७ के १६ लाख ८० हजार मेट्रिक टन में घटकर इस वर्ष १० लाख ५० हजार मेट्रिक टन रह गया।

धानुओं को फोडकर अन्य खनिजों का उत्पादन १३ करोड़ २० लाख ६० का हुआ, जो इस वर्ष के कुल उत्पादन का १० प्रतिशत है। सिछे मान में इन खनिज उत्पादनों का मूल्य १ करोड़ ४० लाख ६० अधिक रहा। इनका कारण अबरक और नमक का उत्पादन बढ़ना है। नमक का उत्पादन भी इस साल सबसे अधिक, ८० लाख मेट्रिक टन हुआ। इसी प्रकार चूने के पत्थर का उत्पादन भी बढ़ा कर १ करोड़ ५ लाख टन पहुंच गया। चूने के पत्थर का उत्पादन बढ़ने में गोमेट उद्योग भी बड़ा। इमारती सामान का उत्पादन इस वर्ष १३ करोड़ २० लाख ६० का रहा, जबकि १९५७ में इसका मूल्य ११ करोड़ ८० लाख ६० था।

भारत में १९५८ में १,११,५०,००,००० ६० के मूल्य की धातु का उत्पादन हुआ। धातु के मूल्य में यह वृद्धि लोहे धातु के कारण हुई। जाड़ा में टिम्बे के लोहे-मंगनीज कारखानों के कारण लोहे-मंगनीज का उत्पादन अत्यधिक बढ़ गया है। नैवार इस्पात का उत्पादन ८८,००० मेट्रिक टन घट गया। अन्वोह धातुओं में अल्युमिनियम और सोने का उत्पादन बढ़ रहा है किन्तु सोने का उत्पादन घटा। तांबे का उत्पादन सिछे साल के ही स्थान रहा।

### राज्यवार विश्लेषण

राज्यवार विश्लेषण करने पर यह पता चला है कि बिहार राज्य में ४८ करोड़ ८० लाख टन धातु निकाली गयी, जो सभी राज्यों में निकाली गयी धातु में सबसे अधिक है। इसके बाद पंजाब और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। बिहार, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में

धातु का अधिक उत्पादन होने के कारण ही १९५८ में धातु का उत्पादन बढ़ा।

देश की अर्थ-व्यवस्था में धातु विदेशी मुद्रा की आय का मुख्य साधन है। १९५८ में खनिज तथा धातु के निर्यात में ४६ करोड़ ६० के मूल्य की विदेशी-मुद्रा की आय हुई जो कि उस साल की विदेशी-मुद्रा की आय का ८ प्रतिशत है। १९५७ की तुलना में धातु के निर्यात में २८ प्रतिशत कमी हुई। यह कमी विदेशी बाजारों में कच्चे मंगनीज की मांग घट जाने के कारण हुई, क्योंकि अमरीका तथा अन्य औद्योगिक देशों में इस्पात का उत्पादन मन्दा पड़ गया था। सिछे सालों की तरह धातुओं में सबसे अधिक निर्यात कच्चे मंगनीज का किया गया। इसके बाद क्रमशः कच्चे लोहे अवरज, कोयला और इलुमिनाइट का निर्यात आता है। भारतीय खनिज धातु की सबसे अधिक मांग अमरीका, ब्रिटेन, जापान और फ्रांस और चंकोस्लोवाकिया में है।

मूल्य १९५८ में कुल २ करोड़ ९३ लाख ६० के मूल्य की धातुओं का निर्यात हुआ, जबकि १९५७ में ३ करोड़ ६५ लाख ६० की धातुओं का हुआ था। केवल लोहे और इस्पात की चीजों के निर्यात में ही ९० लाख ६० की कमी हुई। इस साल लगभग सभी धातुओं का निर्यात कम हुआ।

खनिज वस्तुओं के आयात में भी कमी हुई। १९५७ में ९ करोड़ ४० लाख ६० का खनिज सामान आयात हुआ था, जबकि १९५८ में ८ करोड़ ६० के खनिज सामान का आयात हुआ। १९५८ में कुल १३२ करोड़ ८० लाख ६० की धातुओं का आयात हुआ, जो १९५७ के आयात में ३५ प्रतिशत कम था। इसमें से लगभग ६६ प्रतिशत आयात लोहे धातुओं का था। लोहे और इस्पात के सामान के आयात में ४९ करोड़ २० लाख ६० की ओर लोहे के ढोंकों के आयात में ४० लाख ६० की कमी हुई। १९५७ में ४३ करोड़ ३० लाख ६० की अलोहे धातुओं का आयात हुआ था, जबकि १९५८ में ३४ करोड़ ८० लाख ६० की अलोहे धातुओं का आयात हुआ।

### खनिज मंगनीज

मूल्य १९५८ में सभी प्रकार के खनिज

मंगनीज की कीमतों में गिरावट आई। अबरक के दाम तो वही रहे जो १९५७ में थे और इलुमिनाइट ५५ प्रतिशत टोन् आई० थी० २ की कीमतों में कुछ वृद्धि हुई। इस साल की दूसरी तिमाही में खनिज लोहे ६० प्रतिशत एक ई के दामों में ५ ६० प्रति टन की गिरावट आई।

औद्योगिक क्षेत्र में कई बाधाएं आ जाने में १९५८ में बहुत-से देशों में खनिज पदार्थों का उत्पादन और खपत कम हो गयी। इसका सबसे अधिक प्रभाव अमरीका में पड़ा, जहाँ कोयले के उत्पादन में १८ प्रतिशत, खनिज लोहे के में ३६ प्रतिशत और तांबे के में ९ प्रतिशत की गिरावट आई। किन्तु रूस और चीन में खनिज उत्पादन काफी बढ़ा। इन दोनों देशों में कोयले के उत्पादन में ६६ प्रतिशत और इस्पात के उत्पादन में २० प्रतिशत की वृद्धि हुई।

## राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा कारखानों की श्रृंखला

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने सूती कपड़ा कारखानों और जूट के कारखानों को अपने यहाँ नई मशीनें लगाने और काम बढ़ाने के लिए ऋण देने की योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत इन कारखानों को १० लाख ६० तक का ऋण दिया जा सकता है।

इसके अलावा निगम की सोधे और लम्बे समय के लिए ऋण देने की दो और योजनाएँ हैं। ये ऋण भी कारखानों के लिए नई मशीनें खरीदने के लिए दिये जाते हैं।

नई योजना के अंतर्गत ऋण लेने वाले को एक हकका या समस्तुक लिखना होगा और ऋण की राशि के मूल्य की कोई वस्तु बंधक रखनी होगी। ऋण पांच बराबर किस्तों में चुकाना होगा, पर पहली किस्त ऋण लेने के २ साल बाद देनी होगी।

### लम्बो अवधि के लिए ऋण

लम्बो अवधि के लिए आर्थिक सहायता की योजना के अंतर्गत निगम ने अब तक २७ सूती कपड़ा मिलों और २४ जूट मिलों को नई मशीनें लगाने के लिए १२५० करोड़ का ऋण मंजूर किया है। कारखानों में इसमें से अब तक

५ करोड़ रु० लिया है। शेष रूपया मशीनों की खरीद के बाद उनका दाम चुकाते समय दिया जाएगा।

इसके अलावा निगम ने मशीनी औजार उद्योग को बढ़ाने के लिए ३५ लाख रु० के दो ऋण दिये हैं।

सूत्री अवधि के लिए आर्थिक सहायता की योजना के अन्तर्गत लिया गया ऋण १५ सालाना किस्तों में चुकाना होता है। पहली किस्त ऋण लेने के १८ महीने बाद देनी होती है।

### कम अवधि के ऋण

निगम सूत्री कपडा मिलों और जूट मिलों को देग में बनी आधुनिक मशीनों खरीदने के लिए थोड़े समय के ऋण देता है। पहले इस योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक ५ लाख रु० ऋण दिया जा सकता था, पर अब इसे बढ़ाकर १० लाख रु० कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत मशीनों किस्तों पर खरीदी जाती हैं। मशीन के मूल्य का २५ से ४० प्रतिशत चुकाने पर कारखानों को मशीनें दे दी जाती हैं। शेष दाम ५ बराबर किस्तों में चुकाया जाता है।

अब तक थोड़े समय के पांच ऋण दिये जा चुके हैं और शेष अजियां पर विचार हो रहा है।

## १९५६ में नयी कम्पनियों की रजिस्टरी

पिछले तीन वर्षों में से १९५९ में सबसे ज्यादा नयी कम्पनियां रजिस्टर हुईं। पिछले साल ७५ मार्चजनिक और १,३२४ निजी, अर्थात् कुल १,३९९ नयी कम्पनियां रजिस्टर हुईं, जबकि १९५८ में १,०५२ और १९५७ में ९०९ नयी कम्पनियां रजिस्टर हुईं थीं। भारतीय कम्पनी अधिनियम १९५७ में पहले लागू हुआ था। अब जब से यह कानून लागू हुआ है तब से नयी कम्पनियों की संख्या हर साल बढ़ रही है।

दक्षिणी क्षेत्र में, जिसमें आंध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर और केरल राज्य शामिल हैं, १९५९ में १,९५८ की अपेक्षा दुगुनी से भी ज्यादा नयी कम्पनियां रजिस्टर हुईं। १०

बंगाल में सबसे ज्यादा, ३८७ कम्पनियां रजिस्टर हुईं। मद्रास राज्य में ३०९; बम्बई राज्य में २९० और दिल्ली में १४४ नयी कम्पनियां रजिस्टर हुईं।

आलोच्य वर्ष में कुल १९ सरकारी कम्पनियां रजिस्टर हुईं। एक करोड़ रु० या इससे ज्यादा की अधिकृत पूंजी वाली १९ कम्पनियां रजिस्टर हुईं।

## मिलाई कारखाने में फरवरी १९६० में लोहे और इस्पात का उत्पादन

मिलाई इस्पात कारखाने में फरवरी

१९६० में ३०,४८२ टन इस्पात के ढोंके तैयार हुए। इस प्रकार इस्पात के ढोंकों का कुल उत्पादन ७०,९८६ टन हो चुका है।

इसी महीने में १७,५८६ टन ब्लूम और १६,५२१ टन बिलेट तैयार हुए। लगभग २०,८४० टन बिलेट इस्पात की चादरे बनाने वाले कारखानों को भेजे गये। इस प्रकार अब तक मिलाई में २१,४९० टन बिलेट भेजे जा चुके हैं।

फरवरी में ५१,७६७ टन लोहे का उत्पादन हुआ। इस प्रकार अब तक का कुल उत्पादन ४,३१,२०४ टन तक पहुंच चुका है।

फरवरी के अन्त तक ३,३२,०८८ टन लोहा मिलाई से देग के दूसरे हिस्सों को भेजा जा चुका था।

## ट्रैक्टरों का निर्माण

उद्योग मंत्री, श्री मन्भाई शाह ने ४ मार्च को लोकसभा में बताया कि इस साल के मध्य तक दो कम्पनियां देग में ही ट्रैक्टर बनाने लगेंगी। श्री शाह ने कहा कि एक कम्पनी को हर साल १,२५० ब्रिटिश ट्रैक्टर, और दूसरी को एक जर्मन कम्पनी के सहयोग से हर साल इतने ही ट्रैक्टर बनाने का लाइसेंस दिया गया है। इन दोनों कम्पनियों को बाहर में कच्चा माल, ट्रैक्टरों के पुर्जे आदि मगाने के लिए भी लाइसेंस दिए जा चुके हैं।

मंत्री महोदय ने कहा कि देग में अधिक ट्रैक्टर बनाए जा सकें, इसके लिए ट्रैक्टर बनाने की कई योजनाओं पर विचार हो रहा है।

## क्या आप जानते हैं !

### भारत में औद्योगीकरण

● बीसवीं सदी के मध्य से भारत में नये-नये उद्योग खोले जाने लगे और इस समय देग में जितना उत्पादन है उसका केवल १० प्रतिशत उत्पादन मगठित उद्योग क्षेत्र में होता है, फिर भी हमारे उद्योग कई भागों में यूरोप के उद्योगों के मुकाबले के हैं।

● सूती कपडा मिलों का इतिहास सौ साल से भी अधिक पुराना है। जूट, चीनी, कागज, मीमेट और लोहा तथा मीमेट उद्योगों ने भी काफी प्रगति की है।

● यह ऐतिहासिक तथ्य रहा है कि जैसे-जैसे देश की अर्थ-व्यवस्था उद्योग-बहुल होती जाती है वैसे-वैसे पूंजीगत उद्योग के अनुपात में उपभोक्ता वस्तु उद्योग का विकास अनुपात जाता है।

● १८४० और १९६० के बीच पूंजीगत उद्योग के विकास और उपभोक्ता वस्तु उद्योग के विकास में बहुत विपमता आ गई है। जापान और जर्मनी में पूंजीगत उद्योगों के विकास की अपेक्षा उपभोक्ता वस्तु उद्योगों का विकास तेजी से घटा, जबकि ब्रिटेन, फ्रान्स, बेल्जियम, आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में उपभोक्ता वस्तु उद्योग का विकास धीमी गति से कम हुआ और अमरीका, कनाडा, अर्जेंटीना और डेनमार्क में तो बहुत ही धीमी गति से घटा।

● भारत में १९४८ से १९५६ तक के आठवें से यह पता चलता है कि इन वर्षों में उपभोक्ता वस्तु उद्योग का विकास पूंजीगत उद्योगों की अपेक्षा बहुत तेजी से कम हुआ।

● इन दोनों उद्योगों के विकास के अनुपात में इस विपमता का महत्व यह है कि यह इस बात का परिचायक है कि देग पूंजीगत उद्योगों के महत्व को समझ गया है। यह ठीक है कि शुरू में पूंजीगत उद्योगों से एकदम कायदा नहीं होता, किन्तु आम चलकर इन्हीं की बढोल्त उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन दुग्मन-पौगुना होने लगता है और इनके रतन-महल का स्तर उंचा होने से काफी महायुगा प्रियता है।

## छोटे पुत्रों के नये कारखाने

वर्तमान के समय में हिन्दुस्तान मशीन टूल लि. के लिए छोटे पुत्रों तथा अन्य उपकरण बनाने के हेतु तीन छोटे कारखाने खोले जा रहे हैं। साथ ही हमको भी पटना का भी जाना है कि उक्त कारखानों के लिए और भी छोटे कारखाने खोले जा सकते हैं या नहीं। यह सूचना १४ मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने दी।

उन्होंने बताया कि बंगलौर की इंडियन टेलीफोन टाइपराइटर लि. के लिए पुत्रों बनाने के हेतु मिर्जापुर की औद्योगिक महत्वांगी समिति बनाई गई है।

मशीन मशीन के घर भी बनाया कि बलरुत्ता की नेशनल इस्ट्रुमेंट फॅक्टरी के लिए पुत्रों बनाने के हेतु भी दो छोटे कारखाने खोले जाने वाले हैं। इनमें से एक कारखाने में मशीनों के डिजाइन बनाने और दूसरे में जिग और अन्य औजार।

## हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाने में निर्माण-कार्य

उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने १४ मार्च को लोकसभा में बताया कि वर्तमान में हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखानों में अनेक प्रकार के औजार बनाने के बारे में जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। समिति की रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है। श्री शाह ने बताया कि १९६३-६४ तक इस कारखाने की उत्पादन-शक्ति ७०० मशीन प्रति माह में बढ़ाकर २,००० मशीन प्रति माह करने की योजना को सम्पन्न करने के लिए कार्य किया है।

इस समय यहां एच-२२ मशीन, वीडियो-बेन्च टाइप के खराद, पीमान की मशीन और छेदने की मशीन (११ इंच और २ इंच)—य चार तरह की मशीनें बड़े पैमाने पर बनाई जाती हैं।

## चीनी बनाने की मशीनों का निर्माण

देश में ६ फर्म चीनी बनाने की मशीनें बना रही हैं। आशा है, अगली जनवरी के पहले ही सहकारी चीनी फैक्टरीयों को चार मशीनें दे दी जाएंगी, ताकि वे अल्प-माल चीनी बनाना शुरू कर सकें।

यह सूचना उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने १ मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

## कलबारी कागज के उत्पादन की योजनाएं

विदेशों से आयात के बारे में दो योजनाएं विद्यत की हैं। पहली योजना कागज के उत्पादन की योजना है। दूसरी योजना कागज के उत्पादन के लिए विदेशों से मशीनों आयात करने की योजना है।

यह सूचना उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने १४ मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री शाह ने बताया कि मसाला-पत्रों की विपरीत, आकार और पृष्ठ-संख्या के आधार पर ही उन्हें अलग-अलग कागज या काटा दिया जाता है। अगर कोई प्रकाशक यह नहीं जानता कि उसके एक पत्र की २,००० में ज्यादा प्रतियां विक्री होती हैं तो उसे किसी चाट्टर एंजाइनेट या आडिटर से इन बातों का प्रमाणित करना पड़ता है।

प्रत्येक प्रकाशक को जितना अलग-अलग कागज दिया जाता है, वह उसे पूरा खराना पड़ता है। श्री शाह ने कहा कि इन बातों का ध्यान रखा जाना है कि अगर कोई पत्र नियमित रूप में प्रकाशित नहीं होता तो उसका कोटा कम कर दिया जाता है।

## अच्छे डिजाइन का पानी का मीटर

भारतीय विज्ञान संस्था ने अच्छे डिजाइन का पानी का मीटर बनाया है। यह मीटर पानी का बहुत धीमा बहाव भी रिकार्ड कर लेता है। आशा है यह मीटर पुराने किन्हीं मीटरों से हल्का और सस्ता होगा।

आजकल देश में पाच फर्म विदेशी फर्मों की सहायता से पानी के मीटर बना रही हैं। उनका उत्पादन देश की आवश्यकता पूरी करने में असमर्थ है। १९५८ में यहाँ केवल ४०,५०० मीटर बने थे।

धैरे पानी के मीटर बनाने में कुछ खास मशीनों आदि की जरूरत नहीं पड़ती। गहरी

खाने वाली छोटी मशीन, एक खराद और ब्लाई की एक छोटी-सी मशीन से ही इनका उत्पादन किसी भी कारखाने में आसानी से शुरू किया जा सकता है।

## द्रव सोना बनाने की नई विधि

जर्मनी के राष्ट्रीय धातुकर्मालया में द्रव सोना बनाने की एक सरल विधि निकाली गई है। द्रव पर खर्च कम आता है और माल विदेशों की टक्कर का होता है।

द्रव सोना या सोने का पानी सिरेमिक, चीनी मिट्टी के बर्तनों और काच की वस्तुओं को मजाने में काम आता है। मूल्य कम होने के कारण यह मस्ती से मस्ती वस्तुओं, जैसे सिरेमिक, चीनी मिट्टी के बर्तन और काच की चीजों, प्यालों, प्लेटों और सूइयों इत्यादि पर लगाया जाता है।

भारत में २२५ से अधिक काच की फैक्ट्रियां हैं। फिरोजाबाद की ९० फैक्ट्रियां करीब ६६ करोड़ २०० की लगभग १०,००० टन चूड़ियां बनाती हैं, जिनमें लगभग १ लाख औंस द्रव सोने की वाणिज्यिक खपत है। भारत में चीनी मिट्टी के बर्तनों की फैक्ट्रियों की भी संख्या बढ़ रही है, वे चीनी मिट्टी के बर्तनों को मजाने के लिए द्रव सोना उपयोग करने लगे हैं।

अभी हाल तक द्रव सोना अधिकतर विदेशों से आयात किया जाता था, लेकिन कुछ वर्षों से देशी कारखानों ने इनका बनाना आरम्भ कर दिया है।

## कारों की चोर चालारी पर नियंत्रण

केन्द्रीय सरकार ने १९५९ के मोटरकार (वितरण और विक्रय) नियंत्रण आदेश में संशोधन किया है। इस संशोधन के अनुसार कोई व्यक्ति कार खरीदने के दो साल बाद तक उसे बेच नहीं सकेगा। इसके अलावा सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति कार नियंत्रण की आज्ञा के बिना एक कलेक्टर वर्ष में दो नई कारें नहीं खरीद सकेगा।

यह सूचना उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने ४ मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

## सोवियत श्रौर भारत के मध्य व्यापार

**भारत** और सोवियत मध्य में सन् १९६० में व्यापार के बारे में १४ मार्च को बात-चीत पूरी हो गई। भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के नेता, केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय के अतिरिक्त सचिव, श्री के० बी० लाल और सोवियत मध्य के विदेश व्यापार विभाग के प्रबन्ध, श्री बी० बी० स्पेडेरियन ने एक दूसरे को पत्र दिए, जिसमें इस व्यापार की व्यवस्था का ब्यौरा है।

बातचीत के दौरान सोवियत और भारत में व्यापार की समीक्षा की गई। जनवरी से नवम्बर १९५९ तक दोनों देशों में करीब ४१ करोड़ का व्यापार हुआ और सन् १९६० में और भी अधिक होने का आशा है। सोवियत मध्य से भारत मुख्यतः लोहा, इस्पात का सामान, तेल के लिए धरती की बेधने के यंत्र, कल-कारखाने का सामान और मशीनें, ट्रैक्टर और खेती के यंत्र, शक्ति पैदा करने के यंत्र, अलुबारी कागज, तापसह सामान, पेट्रॉल, उर्वरक, निर्माण और परिवहन की मशीनें, कपड़ा मिलों की मशीनें, डाक्टरों का सामान और वीक्षक यंत्र आदि मगाएगा।

भारत से सोवियत मध्य को ये चीजें निर्यात होंगी—चाय, काफी, मसाले, कानू, ऊन, बाल, चमड़ा, तेल और मत्त, कपड़ा, अन्नक, दस्तकारि, पाट का सामान, चमड़े के जूते, नारियल के रेशे की चीजें, तेल का सामान, मूत्री और ऊनी कपड़ा और गर्म-भोजन, गन्धक आदि।

### बल्गेरिया के साथ नया व्यापार करार

**भारत** और बल्गेरिया के बीच ३ मार्च को एक नया व्यापार करार हुआ, जो १ जनवरी, १९६० में तीन माल तक लागू माना जाएगा। इसमें पहले १८ अग्रेल, १९५६ को जो व्यापार करार हुआ था, उसकी अवधि ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त हो गई।

नए व्यापार करार के अन्तर्गत मनी व्यापारी तथा मैन-व्यापारी डेन-डेन का मुद्राना १९५६ में होगा।

भारत बल्गेरिया से अनेक प्रकार की मशीनें, बिजली तैयार करने की मशीनें, बिजली की मॉटरें, इलेक्ट्रो-मेडिकल यंत्र, कास्टिक सोडा, सोडा-एग, प्रतिजीव दवाएँ आदि प्रयोगशाला का सामान, चमड़ा रंगने का सामान, कच्चा रेशम, फोटो-पेपर आदि आयात करेगा।

बल्गेरिया भारत से चाय, कहुवा, मसाले, वनस्पति तेल, कपड़ा, चमड़ा और खाल, कानू, सिलाई की मशीनें, खेल का सामान, प्लास्टिक का सामान, इजीनियरी का हल्का सामान, जहाज की रस्सियाँ, दवाएँ और जडी-बूटियाँ, सूती कपड़े, भोजन, बनियात आदि, कपड़े का सामान, ऊनी कपड़े, ऊनी भोजन आदि, पदसत और नारियल के रेशे का सामान, दस्तकारी और हथकरघा सामान, उतारी फिचें आदि मगाएगा।

करारनामों पर भारत सरकार की ओर से वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय के मयूक्त सचिव, श्री के० आर० खिलनानी ने तथा बल्गेरिया सरकार की ओर से बल्गेरिया व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के नेता तथा विदेश व्यापार मन्त्रालय के निदेशक ने हस्ताक्षर किए।

भारत ने नवम्बर १९५९ तक ११ महीने में बल्गेरिया को २४ लाख रु० का सामान भेजा और लगभग इतने ही मूल्य का सामान वहाँ में मगाया। १९५८ में भारत ने बल्गेरिया को ७ लाख रु० का सामान भेजा और इतने ही मूल्य का सामान वहाँ में मगाया।

### भारत और चेकोस्लोवाकिया के बीच व्यापार

२ मार्च को नयी दिल्ली में भारत और चेकोस्लोवाकिया के बीच व्यापार सम्बन्धी बातचीत समाप्त हुई। दोनों देशों की ओर से क्रमशः वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय के मयूक्त सचिव, श्री के० आर० एफ० खिलनानी, और भारत में चेकोस्लोवाकिया के वाणिज्य दूत श्री एल० पेल्ल के बीच व्यापार सम्बन्धी सम्झौती कागज-पत्रों का आदान-प्रदान हुआ।

चेकोस्लोवाकिया में भारत भेजी जाने वाली मुख्य-मुख्य चीजें इस प्रकार हैं—पूजी-

गत सामान, मशीनें, मशीनी औजार, ट्रैक्टर, डीजल इंजन, और कागज। भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची इस प्रकार है : जूट और नारियल के रेशे के सामान, दस्तकारी की वस्तुएँ, तिलहन की हथकें, डिब्बा-बन्द मछली और केकडा, वनस्पति तेल, इजीनियरी का सामान, लोहा और मैंगनीज, अन्नक और कच्चा लोहा।

भारत तथा चेकोस्लोवाकिया के बीच व्यापार, सितम्बर १९५७ के व्यापार सम्झौते के अनुसार होता है। इस संधि की अवधि सन् १९५९ में बढ़ा दी गई थी और यह इस मध्य के अन्त तक लागू रहेंगी।

पिछले साल के पहले म्यारह महीनों में दोनों देशों के बीच ७ करोड़ ४० लाख रु० का व्यापार हुआ।

### भारत और रूमानिया में व्यापार सम्झौता

**नयी दिल्ली** में १ मार्च को भारत और रूमानिया की सरकारों के बीच १९६० के लिए व्यापार सम्झौता हुआ। इस पर भारत की ओर से वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय के मयूक्त सचिव श्री के० आर० एफ० खिलनानी और रूमानिया की ओर से भारत में रूमानिया दूतावास के वाणिज्य महासفير ने हस्ताक्षर किए।

पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच काफी व्यापार बढ़ा है। आशा है उक्त सम्झौते के बाद १९६० में यह व्यापार और बढ़ेगा। १९५६ में भारत ने रूमानिया को २ लाख रु० का सामान निर्यात हुआ था, जबकि १९५९ के पहले ११ महीनों में १ करोड़ ८१ लाख रु० का सामान निर्यात हुआ। रूमानिया से १९५९ में ३५ लाख रु० का सामान आयात हुआ था, जबकि १९५९ के पहले ११ महीनों में ७० लाख रु० का सामान आयात हुआ।

रूमानिया से भारत को मुख्यतः इन चीजों का आयात होता है : तेल के लिए सुदाई बले के औजार, ट्रैक्टर, अलुबारी कागज, मशीनी औजार आदि। भारत से रूमानिया को निर्यात चाय, कच्चा और सिद्धा हुआ चमड़ा, सिरक लोहा, ऊनी और सूती कपड़े, शोली का सामान आदि निर्यात होता है।

## दस्तकारी की चीजों का निर्यात

पिछले कुछ वर्षों में दस्तकारी की चीजों का निर्यात बारी बड़ा है। १९५९ में भारतीय दस्तकारी विभाग निगम द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक निर्यात हुआ, जिसका मूल्य ७ करोड़ ६० लाख ६० पैसे। उसमें विपणन कर वाली १९५८ में ६ करोड़ ६० लाख २० की दस्तकारी की चीजों का निर्यात विभा गया था।

१९५९ में जिन वस्तुओं का निर्यात विधायक ने बढ़ा, वे हैं—गिरा और चामे के घांत, बूढ़ी और कटे तथा गरिया, धारी घात की चीजें, लकड़ी की नकली ची चीजें और ऊनी फर्न आदि।

राष्ट्रीय दस्तकारी विभाग निगम ने १९६० में १० करोड़ २० की दस्तकारी की चीजों के निर्यात का मूल्य निर्धारित किया है।

### निर्यात बढ़ाने के उपाय

दस्तकारी की चीजों का निर्यात बढ़ाने के उपायों के अन्तर्गत तब तक निगम दस्तकारी की चीजें बेचकर धरने वालों तथा निर्यात करने वालों को विदेशी फर्मों के आदेशों के अनुसार आठ नौकर बनाने के लिए ७ लाख ६० लाख दे चुका है। इसमें लगभग १२ लाख ६० लाख की अधिक की चीजों का निर्यात हुआ है।

निर्यात बढ़ाने के लिए निगम दस्तकारी आठ नौकर की गई चीजों के नमूने वाहन भेजना है। अब तक निगम पश्चिम एशिया के देगो, मरीका तथा कुछ और देशों को इस प्रकार नमूने भेज चुका है।

निगम दस्तकारी तथा दस्तकारी की चीजों के निर्यातकों को विदेशों के बाजारों की गति-विधियों की निरूपित सूचना देना रहता है। दस्तकारी की चीजों को बाहर भेजने के लिए कहाँ पर लादने से पहले निरीक्षण करने की निगम ने व्यवस्था की है। निगम द्वारा दी गई इस सुविधा का विदेशी आयातक पर्याप्त लाभ उठाने है।

### भारतीय फण्डे का निर्वात

वाणिज्य मंत्री, श्री नित्यानन्द कानूनगो ने प्रश्नोत्तर के समय १ मार्च को लोकसभा में कहा कि यह बात सही है कि भारतीय सूती फण्डे का निर्यात बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले कपड़ा मिले आयातित सूत का २०

प्रतिशत अपने प्रायः रण मकनी थी, किन्तु अब निर्यात प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत यह बड़ा बड़ा ३० प्रतिशत कर दिया गया है। १,००० स्वचालित करघे लगाने की भी एक योजना मजूर की गई है, ताकि निर्यात के लिए बड़ीमा बपड़ा बनाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार समय-समय पर निर्यात प्रोत्साहन योजना की समीक्षा भी करती रहती है।

### पाकिस्तान से ताजे फलों का आयात

भारत सरकार ने पाकिस्तान से फल-विरासत वगैरे में ताजे फल आयात करने के लिए मूल्य आगतकों को लाइसेंस देने का निर्णय किया है। ये लाइसेंस निकट उन्नी व्यापारियों को दिए जाएंगे, जिन्होंने १९५५-५६ में १९५३-५४ तक मुख्य मुद्रा क्षेत्र में तथा ३० जून, १९५६ को समाप्त ४ वर्षों में अर्धवार्षिकता में ताजे फलों का आयात किया था। सरकार में लाइसेंस तदर्थ रूप से देगी।

दस्तकारी समितियों को ताजे फल मगाने या लाइसेंस देने के प्रश्न पर भी विचार किया जाएगा।

भारत-पाकिस्तान के बीच सीमित भूगोल गमनाता हुआ था, जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि भारत ताजे फलों का भूगोल क्षेत्रों में करेगा। किन्तु घात यह थी कि इस मुद्रा का विनिमय किन्हीं अन्य मुद्रा में नहीं किया जाएगा।

### मोटरगाड़ियों पर उत्पादन शुल्क

वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय की एक विज्ञापित वे बताया गया है कि यदि निर्यात में वास्तव में उत्पादन शुल्क दिया है, तो २९ फरवरी, १९६० को मोटरगाड़ियों के जो दाम थे, उसके अलावा खरीदार उत्पादन शुल्क भी देगा।

भारत सरकार ने मोटरगाड़ियों पर उत्पादन शुल्क देने के बारे में वित्त विधेयक, १९६० में स्थिति स्पष्ट कर दी है।

१ मार्च, १९६० के बाद मोटरगाड़ियों के मूल्य के बारे में मलतफहमी न हो, इसलिए निर्माताओं से कहा गया है कि वे अगले तीन

महीने (मार्च, अप्रैल और मई) में अपने विक्रेताओं को प्रत्येक मोटरगाड़ी के साथ प्रमाणपत्र दे कि उस पर वास्तव में उत्पादन शुल्क दिया गया है। प्रमाणपत्र में गाड़ी का चैंगिन नम्बर और इंजन नम्बर भी लिखें।

उत्पादन शुल्क पर निर्माता या विक्रेता को कोई लाभ न दिया जाए।

वित्त विधेयक, १९६० में उत्पादन शुल्क की दर इस प्रकार दी गई है :

आटोसाइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, आटोरिक्सा और किन्नी भी तीन पहिए की मोटरगाड़ी पर—१७५ ह०; रायल आटोमोबाइल क्लब (आर० ए० सी०) द्वारा निर्धारित, १६ हार्मपावर से कम की मोटरगाड़ी पर १,००० ह०; १६ हार्मपावर से अधिक मोटरगाड़ी पर, जिसमें ९ व्यक्ति से अधिक न बैठने हो—३,००० ह० या मूल कीमत का १५ प्रतिशत, जो भी अधिक हो; अन्य मोटरगाड़ियों पर—२,५०० ह० या १२। प्रतिशत, जो भी अधिक हो।

### सीमा शुल्क और उत्पादन कर की बापसी

भारत सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत कुछ कच्चे सामान के सीमा शुल्क और उत्पादन कर में छूट देने का निश्चय किया है। कार्क के उट्टों, चाय की पेटियों, टाइपराइटरों, नर्म इस्पात की पिगों और बिल्वो, वारनिंगों और बिजली के सामान के एनेमिल तथा मछली के जालों की डोरियों के बनाने में लगने वाले कच्चे सामान के सीमा शुल्क और उत्पादन कर की वापसी दी जाएगी। कागज की चीजों, पोटाशियम साइट्रेट और नर्म इस्पात की नलियों पर दी जाने वाली छूट की दरों में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं।

यह सूचना वित्त मन्त्रालय के राजस्व विभाग की १४ मार्च की एक विज्ञापित में दी गयी है।

### प्लास्टिक के सामान का निर्यात

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्रों, श्री सतीश चन्द्र ने १४ मार्च को लोकसभा में प्रश्नोत्तर के समय बताया कि अब ऐसी स्थिति आई है कि भारत प्लास्टिक के सामान का निर्यात कर सकता है। प्लास्टिक और



लिबोरेलियम नियमित वृद्धि परिपद के आंकड़ों के अनुसार १९५९-६० के पहले १० महीनों में ६२ लाख रु० के मूल्य का प्लास्टिक का मामान बाहर भेजा गया, जबकि १९५५-५६ में निर्र्क ७ लाख रु० का भेजा गया था। नियमित वृद्धि परिपद में मिल्क, अदन और सीरिया के बाजारों के सर्वेक्षण की रिपोर्टें भी प्रकाशित की हैं।

## जनवरी १९६० में भारत का विदेशी व्यापार

कलकता के वाणिज्य सूचना और अंक विभाग की ११ मार्च की विज्ञप्ति के अनुसार, जनवरी १९६० में जल, थल और हवाई मार्ग से निजी और सरकारी रूप से भारत के विदेशी व्यापार के कच्चे आंकड़े इस प्रकार हैं

व्यापारी माल इसमें नेपाल, तिब्बत, मित्रिम और भूटान के साथ स्थल मार्ग से होने वाला व्यापार शामिल नहीं है। निर्यात—५१ करोड़ ५१ लाख रु०, पुनर्निर्यात—५३ लाख रु०; आयात—६२ करोड़ ५३ लाख रु०, आयात के आंकड़ों में उस सरकारी गामान का मूल्य शामिल नहीं है, जिसका हिाव होना अभी बाकी है।

कोय नोटों का निर्यात (पुनर्निर्यात सहित)—३१ लाख रु०; सोना—विल्कुल नहीं; चालू सिक्के (सोने के सिक्कों के अलावा)—नगण्य। नोटों का आयात—१ करोड़ १ लाख रु०, सोना—३ लाख रु०; चालू सिक्के (सोने के सिक्कों के अलावा)—नगण्य।

व्यापारबुला - व्यापारी माल और सोने का कुल निर्यात (पुनर्निर्यात सहित) आयात में १० करोड़ ५२ लाख रु० कम रहा।

सम्बन्धी कामों में नाप-तोल की मेट्रिक प्रणाली चालू करने का निर्णय किया है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क लगाने तथा वसूलने के तरीके में परिवर्तन किया गया है और इसी कारण सरकार ने यह निर्णय किया है। यह नियम किस तारीख को लागू होगा, इसकी घोषणा बाद में की जाएगी।

## दशमिक बांटों और मापों के नियंत्रकों का सम्मेलन

राज्यो तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के अधि-सूचित क्षेत्रों में १ अक्टूबर, १९६० में दशमिक बांटों और मापों का व्यवहार आवश्यक कर दिया जाएगा।

यह निर्णय राजगिर (बिहार) में दशमिक बांटों और मापों के नियंत्रकों के दूसरे अखिल भारतीय सम्मेलन में किया गया, जो ८ मार्च को समाप्त हुआ। इसकी अध्यक्षता केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय के संयुक्त सचिव, श्री के० वी० बेंकटाचलम ने की।

इस सम्मेलन में यह भी निर्णय किया गया कि चुने हुए क्षेत्रों के अलावा घोष सभी अन्य क्षेत्रों में भी १ अप्रैल, १९६० से दशमिक बांट और माप लागू कर दिए जाएंगे। लेकिन इन क्षेत्रों में एक निश्चित अवधि तक पुराने बांटों और मापों का उपयोग भी होता रहेगा।

सम्मेलन में दशमिक बांटों और मापों को लागू करने के सम्बन्ध में अब तक हुए विभिन्न कार्यों की समीक्षा भी की गई और इस बात पर सतीव प्रकट किया गया कि इस काम के लिए राज्यों में पर्याप्त कर्मचारी और मामान उपलब्ध हैं। सम्मेलन की राय में दशमिक बांटों और मापों के लागू हो जाने पर जितने बांटों और मापों की मांग होगी, उसे पूरा किया जा सकेगा।

## जहाजरानी में नाप-तोल की मेट्रिक प्रणाली

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत सरकार ने अगस्त १९६० में बर्म्मा, बङ्गलासा, मलाय, फॉर्चीन, थाइलैण्ड और सिंगापुरात्तनम के बन्दरगाहों में जहाजरानी के वाणिज्य

## कोयले के अगार-करण से उद्योगों को

तीवरी योजना में कोयले के अगार-करण में प्राप्न होने वाले मूल्य उपात्पादन विनयी मात्रा में मिल्क भरते हैं, यह निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की है। यह समिति इन बात की निगरानि भी करेगी कि इन उपात्पादनों का

उपयोग वृद्धान के लिए क्या कदम उठाये जाएँ। आवश्यकता होने पर समिति उत्पादन व्यय की जांच भी करेगी और विक्री के मूल्य विशेषकर बंजीन, टोलीन, जीलीन और नैथलीन की कीमतों के बारे में भी सिफारिश करेगी।

वरिष्ठ औद्योगिक सलाहकार, डा० जी० पी० काने समिति के अध्यक्ष होंगे और औद्योगिक सलाहकार श्री एन० श्रीनिवासन वैकल्पिक अध्यक्ष। समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे : आर्डेन्स कारखानों के महा-निदेशालय के डा० जी० एस० कसवेकर, इस्पात, खान और इंधन मन्त्रालय के उप-सचिव श्री के० एस० रघुपति और दुर्गापुर इस्पात कारखाने के श्री जे० के० घोष। वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय के विकारन अधिकारी, श्री जोगिन्दर सिंह, समिति के सदस्य-सचिव होंगे।

## कस्तूरी की सुगन्ध बनाने की नई विधि

पुना की राष्ट्रीय प्रयोगशाला में कस्तूरी की सुगन्ध के लिए एक्जालटोन और एक्जालटोलाइड बनाने की विधि निकाली गई है। एक्जालटोन और एक्जालटोलाइड सरगों के तेल से बनाए जाते हैं। इन्हे कस्तूरी के कि्यासील मौलिक अम्ल—मस्कौन—की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है।

इस समय विदेशों से जो नकली कस्तूरी मंगाई जाती है उसके ५०० ग्राम का दाम १। हजार रु० से ३ हजार रु० तक है। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला की विधि में बनाई गई कस्तूरी इससे कहीं सस्ती पड़ेगी। अगस्त १९५९ से रसायनशाला में आजमाइश के तौर पर कस्तूरी बनाने का काम हो रहा है।

कस्तूरी की सुगन्ध बनाने की इस नई विधि की ईजाद में कस्तूरी के लिए कस्तूरी मृगों का मारने की जरूरत नहीं रहे जाएगी।

प्रयोगशाला में सुगन्ध के लिए मिक्टिडोल, डिहाइड्रोमिक्टिडोल, माइक्रोहेक्साडेकानॉन, आर्दमोएन्टोलाइड और डाइहाइड्रोएन्टोलाइड बनाने की भी विधि निकाली गई है। ये पदार्थ भी कस्तूरी की सुगन्ध बनाने में काम आने हैं।

## वस्त्र उद्योग वेतन मण्डल की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय

भारत सरकार ने वेतनीय वस्त्र उद्योग वेतन मण्डल की सर्वप्रथम सिफारिशों की मान ली है और मासिक, वार्षिक और मास्य सरकारों ने उक्त जर्सी में जर्सी गम्भूरी करने की रण है। उक्त सिफारिशों के अन्तर्गत और वे वस्त्रों परान का मन्देश का निर्देशन हो, तो उक्त सिफारिशों की मन्देशों की अन्तर्गत का राज्य सरकार की मन्देशों में वस्त्र वस्त्र गुणान दिया गया है।

सरकार का कहना है कि देश के वस्त्र उद्योग में कर्मचारियों के काम की स्थिति और काम की मात्रा को जर्सी में जर्सी उक्त दम पर माना चाहिए, जिसका भागीदार श्रम सम्मेलन में गुणान दिया है। इस काम को पूरा करने में मासिक, मजदूर गया और नगरों को जर्सी में जर्सी हाथ बटाना चाहिए।

वेतन मण्डल की महंगाई भत्ता सम्मन्धी सिफारिशों पर जर्सी में जर्सी अन्तर्गत वस्त्र के लिए सरकार ने एक मन्देश न्यायिक-करण निर्देशन करने का निर्देशन दिया है। यह न्यायिक-करण इन मामलों में मासिक और मजदूरों की बात गुणान फंगला देगा। सरकार ने यह भी कहा है कि वेतन मण्डल के मामले अन्तर्गत स्थिति रखने के बाद इन मन्देशों में अपनी और में मजदूरों या वेतन बटाना है, उक्त वेतन मण्डल की सिफारिशों पर अमल करते हुए वृद्धि में शामिल किया जाएगा।

उन कपडा मन्देशों पर वेतन मण्डल की सिफारिशों लागू करने के बारे में सरकार अन्तर्गत में विचार करेगी, जो इन समय बन्द है या जिनके बारे में उद्योग (विक्रम और नियमन) जर्सी-निर्देशन के अन्तर्गत जाच चल रही है।

सरकार का मन्देश है कि सिफारिशों का मतलब निम्नलिखित में कोई बड़ा मन्देश नहीं होना चाहिए। यदि इनके अन्तर्गत पर जर्सी प्रकार की बड़ी कठिनाई सामने आए, तो मामले को मुलाज्जत के लिए आवश्यक व्यवस्था कर ली जाए। ये निर्णय ३ मार्च के मन्देशों की गजट में प्रकाशित हुए हैं।

वस्त्र उद्योग के लिए त्रिपक्षीय वेतन मण्डल मार्च १९५७ में नियुक्त किया गया था। इसके अध्यक्ष श्री एक० जीजीभाई थे। मालिकों के प्रतिनिधि श्री अरविन्द एन० मफतलाल और श्री भरतराम, कर्मचारियों के प्रतिनिधि श्री जी० रामानुजम् और श्री एम० धार० बजाजदा थे। श्री अशोक मेहता और श्री एम० वी० भापुर भी मण्डल के सदस्य थे।

### मण्डल की सिफारिशों का सारांश

१ मण्डल के निर्णय सर्वप्रथम ही और उक्त एम० नूतन में अन्तर्गत सिफारिशों की मूल भावना के विरुद्ध होगा।

२ उद्योग, श्रमिकों और उद्योगों को महंगाई के लिए प्रति कर्मचारी कार्यभार की न्यूनतम माना जिनकी जर्सी निश्चित हो जाए, उनका अच्छा है।

३ १ जनवरी, १९६० से ५ वर्ष तक मासिक और कर्मचारियों, दोनों को न्यूनतम वेतन या मजदूरों पर फिर से विचार करने की मांग नहीं करनी चाहिए।

### नवीकरण

४ यह सब के हित में है कि उद्योगों का नवीकरण जारी रहे और बम्बई, अहमदाबाद तथा कायमुत्तर मिला के नवीकरण से अगले पाच वर्षों में वे मिले लाभ उठाए, जहाँ अभी नवीकरण इतना आगे नहीं बढ़ा है।

५ नवीकरण के कारण कर्मचारियों को न तो छटनी होनी चाहिए और न उनके वेतन आदि में किसी प्रकार की कमी। नवीकरण का लाभ मालिकों और कर्मचारियों को उचित अनुपात में मिलना चाहिए।

६ नवीकरण से उत्पन्न होने वाले शराबों को तय करने के लिए विभिन्न क्षेत्र और सारे भारत के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

७ नवीकरण पर तेजी से अमल करने में अब सरकार के हाथ बटाने का भी समय आ गया है।

### वेतन

८. वेतन की दृष्टि से वस्त्र उद्योग को दो श्रेणियों में बांटना चाहिए। बम्बई नगर, बम्बई द्वीप (गुरला समेत), अहमदाबाद, बडोदा, बिलीमोरिया, नवसारी, नादियाद, सूरत, फगवाड़ा, हिसार, दिल्ली, मोदीनगर, कलकत्ता नगर, सारे मद्रास राज्य और बंगलौर की मिले पहली श्रेणी में आनी चाहिए और अन्य स्थानों की दूसरी श्रेणी में।

९ पहली श्रेणी की मिलों के मजदूरों को १ जनवरी, १९६० से औसतन ८६० प्रति मास की वृद्धि दी जाएगी। इसके बाद १ जनवरी, १९६२ से प्रत्येक मजदूर को २-२६० प्रति मास और मिलने लगेगा।

१०. इसी प्रकार दूसरी श्रेणी की मिलों के मजदूरों को १ जनवरी, १९६० से औसतन ६६० और १ जनवरी, १९६२ से २-२६० प्रति मास वृद्धि दी जाएगी।

११ १ जनवरी, १९६० से होने वाली बडोदारी मूल वेतन में की जाएगी। इसके साथ यह शर्त होगी कि पहली श्रेणी की मिलों के कम से कम वेतन पाने वाले मजदूरों को ७६० और दूसरी श्रेणी की मिलों में कम से कम वेतन पाने वाले मजदूरों को ५६० से कम की वृद्धि न दी जाए। १ जनवरी, १९६२ से २६० की वृद्धि सभी मजदूरों पर एक-मी लागू होगी।

### भत्ते आदि

१२. प्रत्येक शहर के रहन-सहन की चीजों के मूल्य के सूचक अंक को ध्यान में रख कर ही बहा के मजदूरों को महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए। अगर किसी शहर में ऐसा कोई सूचक अंक नहीं है तो निकटतम शहर के सूचक अंक को ध्यान में रखा जाए।

१३ कुछ स्थानों पर महंगाई भत्ता नहीं है, केवल तनस्वाह ही जाती है और कहीं-कहीं महंगाई भत्ता निर्धारित है। दोनों ही हालतों में कुल तनस्वाह अन्य स्थानों की अपेक्षा कम बैठती है। इन स्थानों पर रहन-सहन की चीजों के मूल्य के सूचक अंक के अनुसार सूक्त महंगाई भत्ता निर्धारित किया जा

१४. मद्रास राज्य में १९२६-२९ की अवधि को आधार मानकर रहन-सहन की चीजों के मूल्य के सूचक अंक में जो वृद्धि हुई है, उसी के अनुसार वहाँ के मजदूरों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए।

१५. सन् १९५९ के पहले ६ महीनों के महंगाई भत्ते का जो औसत बँटव है, उसका तीन-चौथाई भाग मूल वेतन में मिला दिया जाए। बाकी २५ प्रतिशत महंगाई भत्ता बना रहे। यह महंगाई भत्ता रहन-सहन की चीजों के मूल्य के सूचक अंक के साथ घटता-बढ़ता रहना चाहिए।

१६. जहाँ मूल वेतन के आधार पर ग्रैच्युटी दी जाती है, वहाँ ३१ दिसम्बर, १९५९ तक दिए गए मूल वेतन को आधार माना जाएगा। किन्तु १ जनवरी, १९६० से ग्रैच्युटी का आधार वह वेतन होगा, जो मूल वेतन और उक्त तारीख में होने वाली वृद्धि को मिलाकर बँटगा। टैबल, अगर इसमें महंगाई भत्ता भी शामिल है तो यह, ग्रैच्युटी का हिसाब लगाने समय, वेतन में घटा दिया जाएगा।

१७. अन्य कर्मचारियों का वेतन मालिकों और कर्मचारियों को रिपोर्ट के दौरा १०६ की शर्तों के अनुसार निर्धारित कर लेना चाहिए।

बलकं वर्ग के लोगों के वेतनादि

१८. जूनियर और अर्ध-बलकं का वेतन क्रम इस प्रकार होगा

(१) प्रथम श्रेणी को मित्रों के जूनियर बलकं—७५-५-१०५-७१-१५०- ।  
दशता रोक। १०-२००-१२१-२५०  
६०

(२) दूसरी श्रेणी को मित्रों के जूनियर बलकं—६०-५-९०-६-१२०- ।  
दशता रोक। ७१-१५०-१०-२००  
६०

(३) प्रथम श्रेणी को मित्रों के अर्ध-बलकं—५०-२-८०-१ दशता रोक।  
५-१२५ ६०

(४) दूसरी श्रेणी को मित्रों के अर्ध-बलकं—४०-२-७०-१ दशता रोक।  
५-१०५ ६०

१९. अगर किसी जूनियर बलकं का मूल वेतन नए क्रम के आरम्भिक वेतन से उच्च है तो उच्च वेतन नए क्रम के उच्च मूल वेतन

से मूल होगा, जो उसके वर्तमान वेतन के तुल्य था आता है। इसके बाद उसे नए वेतन-क्रम की दो वार्षिक वृद्धियाँ दी जाएँगी।

२०. अगर किसी जूनियर बलकं का मूल वेतन नए क्रम के आरम्भिक वेतन से कम है तो उसे नए वेतन-क्रम का आरम्भिक वेतन दिया जाएगा और इसके बाद कुल दो वार्षिक वृद्धियाँ दी जाएँगी।

२१. अर्ध बलकं का वेतन भी उक्त सिद्धांत पर निर्धारित किया जाएगा।

२२. अगर किसी जूनियर या अर्ध-बलकं का वेतन-क्रम का कुल वेतन इस नए वेतन-क्रमों से ज्यादा है, तो उसे वही वेतन मिलता रहेगा, जो अब तक मिल रहा है और वह अधिक वेतन विनियम वेतन कहा जाएगा।

२३. अन्य बलकं, स्टेंडबायर्स आदि का वेतन मालिक, कर्मचारियों की सलाह से, उनके काम को देखकर निर्धारित करेंगे। परन्तु उच्च वेतन इस प्रकार निर्धारित हो, जिससे वह जूनियर बलकं के वेतन से अधिक रहे।

२४. दशता रोक केवल तभी लगाई जाए जब कर्मचारी के काम में अधिक गिरावट हो।

२५. बलकं के मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता मिलाना उपयुक्त नहीं है। आपरेटिवों के मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ते को जो राशि मिलाई गई है, वह बलकं को विनियम महंगाई भत्ते के रूप में मिलेगी। इसके अलावा बलकं को, आपरेटिवों को मिलने वाला महंगाई भत्ता भी मिलेगा और निम्नलिखित राशि भी मिलेगी।

१०० ६० तक मूल वेतन पर - ७१ ६०  
१०१ ६० से २०० ६० तक - १५ ६०  
२०१ ६० से ३०० ६० तक - २२ ११ ६०  
३०१ ६० से अधिक - २५ ०

२६. अर्ध-बलकं को भी वह राशि विनियम महंगाई भत्ते के रूप में मिलेगी, जो आपरेटिवों के मूल वेतन के साथ मिलाई गई है। इसके अलावा उन्हें वह महंगाई भत्ता भी मिलेगा, जो आपरेटिवों को दिया जाएगा।

२७. विनियम महंगाई भत्ता मूल वेतन के अनिश्चित माना जाएगा और यह नए नियुक्त कर्मचारियों को भी मिलेगा। यह विनियम महंगाई भत्ता, नविष्य-निधि और भवेत छुट्टी का हिस्सा लगाने समय जोड़ा जाएगा,

परन्तु जहाँ मूल वेतन पर ग्रैच्युटी दी जाते हैं, वहाँ ग्रैच्युटी का हिसाब लगाते समय यह विनियम भत्ता नहीं जोड़ा जाएगा।

२८. अर्ध-बलकं के नीचे बलकं को कोई श्रेणी नहीं होगी। अर्ध-बलकं को छोड़कर बाकी सबसे कम वेतन पाने वाला बलकं जूनियर बलकं माना जाएगा और उसे जूनियर बलकं का ही वेतन दिया जाएगा।

२९. जूनियर बलकं और अर्ध-बलकं के लिए जो सिफारिशें की गई हैं, वे १ जनवरी, १९६० से लागू मानी जाएँगी।

३०. एक ही प्रकार का काम करने वाले पुरुष और स्त्रियों में कोई अन्तर नहीं माना जाएगा।

३१. इस समय कर्मचारियों को जो सुविधाएँ और लाभ मिलते हैं, मण्डल की सिफारिशें लागू होने के बाद भी उनमें कोई कमी नहीं होगी। यदि किसी को अधिक वेतन मिलता हो तो उसका वेतन कम नहीं किया जाएगा।

३२. इस समय उद्योग की आर्थिक स्थिति ऐसी है, कि मण्डल ने जो सिफारिशें की हैं, उससे अधिक अभी कुछ नहीं किया जा सकता। फिर भी सिफारिशें लागू होने से उद्योग की उन्नति होगी और साथ ही कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा तथा कुशल कर्मचारियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मण्डल को इसका दुःख है कि यह उद्योग सी बवों से चल रहा है, फिर भी इसकी थमी ऐसी स्थिति नहीं हुई कि यह अपने कर्मचारियों को उपयुक्त वेतन दे सके। जब मालिकों को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल काम करना चाहिए और कर्मचारियों को भी अपना कर्तव्य भली-भाँति समझना चाहिए।

३३. सखार को १ जनवरी, १९६० में सिफारिशें लागू करवाने के लिए तैयारी से प्रयत्न करना चाहिए।

३४. केन्द्रीय तथा राज्य तत्त्वों को निम्नलिखित केन्द्रों में चीजों के भावों के मही मूल्यांकन अंक एकत्र करने चाहिए। यह अच्छा हो यदि भारत सरकार भाव, उत्पादकता, जाय आदि के आकड़े रखे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनका अध्ययन किया जा सके।

३५. वेतन मण्डल की सिफारिशें उद्योग की निरीक्षण तथा बतवाई मित्रों के कमी बलकं और मजदूरों पर लागू होंगी।

## सीमेंट वेतन मण्डल की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय

सीमेंट उद्योग के केन्द्रीय वेतन मण्डल की सिफारिशों स्वीकार करने हुए केन्द्रीय सरकार ने कहा है कि सीमेंट उद्योग में मजदूरों को बिना काम करना पड़ता है, इनकी जांच भी अत्यन्त होनी चाहिए। मण्डल की सिफारिशों को लागू करने में देर नहीं की जानी चाहिए, पर जितनी जल्दी हो सके, काम को जांच की जानी चाहिए।

सरकार का निर्णय १ मार्च के अन्तर्गत मण्डल में प्रवर्तित किया गया है।

निम्न इस प्रकार है—

मण्डल की रिपोर्टें और मजदूरों तथा मालिकों के हस्तक्षेपों का भेद पर अच्छी तरह विचार करने के बाद सरकार ने निम्नलिखित मनोपनों के माध्यम मण्डल की सिफारिशों को मजूर करने का निश्चय किया है

सरकार का विचार है कि सीमेंट उद्योग में मजदूरों को बिना काम करना पड़ता है, इनकी जांच होनी चाहिए। पर इस कारण मण्डल की सिफारिशों को लागू करने में देर करने की जरूरत नहीं है। काम की जांच जितनी जल्दी हो सके, की जानी चाहिए और दूसरे दौर में वेतन बढ़ाने की जो सिफारिश की गई है, उसे जहाँ जरूरी हो इस जांच के बाद लागू करना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार का सीमेंट कारखानों के मालिकों, मजदूरों और राज्य सरकारों में अनुरोध है कि वे उक्त मनोपन के माध्यम वेतन मण्डल की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करने के लिए जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। सरकार को आशा है कि मण्डल की सिफारिशों को लागू करने में जो कठिनाइयाँ सामने आएँगी, उन्हें मालिक और मजदूर आपसी बातचीत से सुलझाएँगे।

श्री एम० धार० मेहर, आई०सी०एस० (अवकाशप्राप्त) वेतन मण्डल के अध्यक्ष हैं। मण्डल में दो स्वतन्त्र सदस्य और मजदूरों तथा मालिकों के दो-दो प्रतिनिधि भी हैं।

**मण्डल की मुख्य सिफारिशों का सारांश**

(१) ये सिफारिशें सीमेंट के कारखानों, सीमेंट के कारखानों के मालिकों की चूने के पत्थर की खानों (जिप्सम की खानों के

अन्तर्गत), उन स्थानों पर, जहाँ नून मिश्रित रेत आदि इकट्ठा किया जाता है और चिकनी मिट्टी गोदी जाती है, काम करने वाले मजदूरों पर लागू होंगी। स्थानों के कारखाने तथा चूने का पत्थर, चिकनी मिट्टी और रेत आदि लाने वाले मजदूरों पर भी ये सिफारिशें लागू होंगी। इनके अलावा ये सिफारिशें पारन प्रोपर्टीज लिमिटेड, एग्रीकल्चरल फार्म लिमिटेड की नूना पत्थर स्थानों के मजदूरों और गुनाइटेड गिपस लिमिटेड के कर्मचारियों पर भी लागू होंगी। गुनाइटेड गिपस लिमिटेड के सब कर्मचारियों पर, चाहे वे अपनी कम्पनी के माल होने वाले जहाजों या गिप्स की दिव्यजय सीमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा दिए गए जहाजों पर काम करते हों, लागू होंगी।

(२) ये सिफारिशें सीमेंट कम्पनियों के अन्य कारखानों—जैसे डालमियाणवर में रोहताम इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के वनस्पति, यागज आदि बनाने के कारखाने, डालमिया सीमेंट (भारत) लि० की तापमह ड्यूँ आदि और चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के कारखाने और उड़ीसा सीमेंट लि० की तापमह ड्यूँ आदि बनाने के कारखाने पर लागू नहीं होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार के चुर्क के सीमेंट कारखाने को चूने का पत्थर माल्टाई करने वाली खानों में काम करने वाले कर्मचारियों पर भी ये सिफारिशें लागू नहीं होंगी। साथ ही सीमेंट कम्पनियों के मूल्य और शाखा कार्यालयों के कर्मचारियों तथा एजेंटों और काम सीखने वालों पर भी ये सिफारिशें लागू नहीं होंगी।

(३) कारखाने के इमारती काम के लिए ठेके पर रखे हुए या सीमेंट बनाने के काम के अलावा अन्य कामों के लिए अस्थायी रूप से रखे गए मजदूरों पर भी ये सिफारिशें लागू नहीं होंगी। इन मजदूरों के अलावा ठेके पर रखे हुए अन्य सब मजदूरों को वेतन, महागाई-भत्ता, छुट्टी, डाक्टरों सुविधा, काम के घण्टे, समय से ज्यादा काम करने पर अतिरिक्त वेतन और बोनस नियमित रूप से रखे गए मजदूरों के समान ही मिलना चाहिए। कार-

खानों के मालिकों की यह भी जिम्मेदारी होगी कि वे इस बात का प्रबन्ध देखें कि ठेकेदार मजदूरों को समय पर सही वेतन देते हैं या नहीं। वेतन बांटे जाने के समय कारखानों के मालिक का प्रतिनिधि भी वहाँ होना चाहिए। सीमेंट की प्रिडल औद्योगिक मण्डल की हदरवाद की बैठक की सिफारिशों का हवाला देते हुए मण्डल ने सुझाव दिया है कि जिन कारखानों में सीमेंट बनाने के काम के लिए अभी भी ठेके पर मजदूर रखे जाते हैं (कच्चे माल के लदान और बुलाई के काम में लगे मजदूरों को छोड़कर) वहाँ पर मण्डल की सिफारिशें लागू होने के ६ महीने के भीतर ठेके पर मजदूर रखने की प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए।

### न्यूनतम वेतन

(४) मण्डल ने सिफारिश की है कि उस मजदूर को, जिसके परिवार में तीन सदस्य हों, कम से कम ९४ रु० वेतन दिया जाए। यह राशि १५वें प्रिडल श्रम सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्तावों के आधार पर सुझाई गई है। कारखानों के मालिक, मजदूरों की जो सुविधाएँ देते हैं, उनका ३ रु० काटकर मजदूरों को कुल वेतन ९१ रु० मिलेगा। कुल न्यूनतम वेतन का ब्योरा इस प्रकार है—

न्यूनतम मूल वेतन	— ५२ रु०
महागाई भत्ता	— ३१ रु० ५० न० ००
मकान भत्ता	— ७ रु० ५० न० ००
कुल	— ९१ रु०

पर गुजरात और सौराष्ट्र में, जहाँ पर अन्य स्थानों की अपेक्षा रहन-सहन का खर्च अधिक होने का अनुमान है, कम से कम वेतन १०१ रु० रखा गया है। सुविधाओं का ३ रु० कटने के बाद मजदूरों को ९८ रु० मिलेगा। इनका ब्योरा इस प्रकार है—

न्यूनतम मूल वेतन	— ५२ रु०
महागाई भत्ता	— ३८ रु० ५० न० ००
मकान भत्ता	— ७ रु० ५० न० ००
कुल	— ९८ रु०

मंडल में अडुगल, अई कुगल, कुगल और अतिकुगल कर्मचारियों का जो वेतन-क्रम और महंगाई भत्ता तिवर किया है, वह इस प्रकार है—

श्रेणी	मूल वेतन			महंगाई भत्ता		
	न्यूनतम	वार्षिक वृद्धि	अधिकतम	अडुगल और सोराष्ट्र के अलावा अन्य स्थानों पर	अडुगल और सोराष्ट्र	अडुगल और सोराष्ट्र में
(१)	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०
(२)		(३)	(४)	(५)	(६)	(७)

(क) यहाँ कर्मचारियों को माहत्कार वेतन दिया जाता है

अडुगल (अतिस्थल)	₹२.००	₹.३०	₹२.४०	₹१.५०	₹८.५०	७.५०
अई कुगल	₪०.२०	२.०८	७.३८	₹१.५०+	₹८.५०+	७.५०
कुगल (सिस्टम), नीचे दर्जे के	₹२.४०	३.९०	९.३६०	₹१.५०+	₹८.५०+	७.५०
कुगल, ऊँचे दर्जे के	८.३.२०	५.२०	१२.४८०	"	"	"
कुगल, बहुत ऊँचे दर्जे के	१०.५०	६.५०	१६.९००	"	"	"

(ग) यहाँ कर्मचारियों को प्रति-दिन के हिंगाव में वेतन दिया जाता है

	एक दिन का वेतन			एक दिन का वेतन		
अडुगल	२.००	०.०५	२.४०	₹.२४	₹.४८	०.२९
अई कुगल	२.२०	०.०८	२.८४	₹.२१+	₹.४८+	"
कुगल, नीचे दर्जे के	२.४०	०.१५	३.९०	मूल वेतन का ५ प्रतिशत ₹.२१+	मूल वेतन का ५ प्रतिशत ₹.४८+	०.२९
कुगल, ऊँचे दर्जे के	३.२०	०.२०	४.८०	"	"	"

आपरेटिवों के लिए वेतन-क्रम की जो विचारणा की गई है, वह पारगानी, चोरीदार, ड्राइवर, बग्गे के नौकर, बंदरा, रमोइया, माफ्री, जमादार, चाचा, फ़ैज़र, कचब के नौकर, बाई बंदरा और प्रदीपनाथ के नौकर आदि पर भी लागू होगा। इसी प्रकार कचकों तथा अन्य मिलान (टेन्टनर) और निरीक्षक (सुपरवाइजर) कर्मचारियों के लिए जो वेतन-क्रम निर्धारित किया गया है, वह इन प्रकार है :

- (१) ७०-५-११० - दशमा रोक - ५-१५० रु० (कचकों का निम्नतम वेतन-क्रम)
- (२) ८०-६-१८० - दशमा रोक - ७-१९६ रु०
- (३) ९०-८-१३० - दशमा रोक - ०-२५० रु०
- (४) १००-१०-१८०-१०-२०० - अंता रोक - १०-३०० रु०
- (५) ११०-१०-१३०-१६-२६० - अंता रोक - १५-३६० रु०
- (६) १२०-१०-१८५-१५-२६० - अंता रोक - १५-३२०-३०-६०० रु०
- (७) १५०-१५-३०० - दशमा रोक - १०-४६० रु०

जो मैन्सफ़िट्टर कर्मचारी पहली श्रेणी (कचकों के निम्नतम वेतन-क्रम) में काम कर रहे हैं, उनका वेतन ५ रु० कम, अर्थात् ३५ रु० में घुसू होगा। टैन्ट-बैरर का वेतन-क्रम ६०-४-८० - दशमा रोक - ८-१०० रु० होगा चाहिए। कचकों तथा निरीक्षक कर्मचारियों का वेतन-क्रम उन परिचारिकाओं, कम्पाउण्डरी, स्वाम्य निरीक्षकों, गफाई इस्पेक्टरों, स्कूड के शिक्षकों आदि पर भी लागू होना चाहिए और उन्हें गमुचित प्रेडों में रख देना चाहिए।

#### महंगाई भत्ता

(५) ऊपर बताया गया है कि कर्मचारियों को ३१.५० रु० और ३८.५० रु० का जो महंगाई भत्ता मिलता है, वह जुलाई १९५९ के अखिल भारतीय उपमोक्षना वस्तु के मूल्य के सूचक अंक (आधार = १९४९) १२३ के अनुसार निर्धारित किया गया है। यह व्यवस्था की गई है कि गौराष्ट्र और गुजरात के अलावा अन्य क्षेत्रों के कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों वा महंगाई भत्ता

सूचक अंक के हर दो अंक पर १.४७ के हिसाब से बढ़ाया या घटाया जाए तथा गुजरात और गौराष्ट्र के कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों वा भत्ता हर दो अंक पर १.५९ रु० के हिसाब से बढ़ाया या घटाया जाए।

(६) यह वेतन-क्रम और महंगाई भत्ता १ जनवरी, १९६० में लागू होगा। दुरु में वेतनों में वियरता लाने के लिए यह विचारणा की गई है कि ६ महीने तक उपमोक्षता वस्तु मूल्य सूचक अंक के घटने-बढ़ने के कारण महंगाई भत्ता पटायो-बढ़ाया न जाए। इनके बाद सूचक अंक के अनुसार महंगाई भत्ता पटायो-बढ़ाया जा सकता है। गुजरात तथा गौराष्ट्र के कारखानों को छोड़कर बाकी अन्य कारखानों के कचकों और निचली श्रेणी के टैन्सफ़िट्टर तथा सुपरवाइजर कर्मचारियों को प्रति मास मूल वेतन का १० प्रतिशत तथा ६० रु० वा महंगाई भत्ता और गौराष्ट्र तथा गुजरात के कारखानों के कर्मचारियों तथा कचकों का मूल वेतन का १० प्रतिशत तथा ६७ रु० का महंगाई भत्ता मिलना चाहिए।

#### मकान भत्ता

(७) हर कर्मचारी को प्रति मास ७.५० रु० के हिसाब से मकान भत्ता मिलना चाहिए, किन्तु जिन कर्मचारियों को कारखाने के मालिकों की ओर से बिजली लगे पक्के क्वार्टर मिल गए हैं, उनका यह मकान भत्ता काट लिया जाएगा। जिन कर्मचारियों को इस्तेमाल क्वार्टर मिलते हैं, उनका भत्ता इस प्रकार कटेगा

बिना बिजली का पक्का

क्वार्टर ६ रु०

पक्की दीवार किन्तु कच्ची

छत वाले क्वार्टर

(जिनमें बिजली हो) ५ रु० ५० न० ५०

पक्की दीवार किन्तु कच्ची

छत तथा बिना बिजली

वाले क्वार्टर ४ रु०

बिजली वाले कच्चे

क्वार्टर ४ रु०

बिना बिजली वाले कच्चे

क्वार्टर २ रु०

कच्चे तथा पक्के क्वार्टरों की परिभाषा इस प्रकार है :

पक्का क्वार्टर :

(क) दीवार - पक्की ईंटों की

(ख) छत - फ्लोरिड, ईट या एस्बेस्टस जी० आई० टाट की

कच्चा क्वार्टर :

(क) दीवार - मिट्टी या कच्ची जुआई की ईंटें

(ख) छत - फूम, किरमिच या सिर-कियों की

(८) मकान भत्ते की कटौती का यह नियम अकुशल आपरेटिवों तथा अर्धकुशल आपरेटिवों पर लागू होगा, किन्तु जो कुशल आपरेटिव या क्लर्क या निचली श्रेणी के टैन्कीकल और सुपरवाइजर कर्मचारी, अकुशल या अर्ध-कुशल कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक अच्छे क्वार्टरों के अधिकारी हैं, उन्हें कारखाने का मालिक ७.५० रु० के निम्नतम मकान भत्ते से अधिक मकान भत्ता दे सकता है। यदि मालिक इन कर्मचारियों को अधिक मकान भत्ता देता है और उन्हें अच्छे टाइप का मकान मिलता है, तो उनका मकान भत्ता काट लिया जाएगा।

#### काम के अनुसार मजदूरी

(९) काम के अनुसार मजदूरी पाने वाले आपरेटिवों की आय, वेतन मण्डल द्वारा अर्ध-कुशल आपरेटिवों के लिए सिकारिया किए गए वेतन से कम नहीं होनी चाहिए। यदि मालिक यह समझता है कि काम के अनुसार जो वर्तमान वेतन तय किया गया है, वह गलत है, तो वह यूनिन की राय से उसमें परिवर्तन कर सकता है। यदि यूनिन से ऐसा कोई समझौता नहीं है, तो मालिक औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार इसका निर्णय कर सकता है। जहां नये कामों के लिए काम के अनुसार वेतन देने की प्रणाली चलाई जाती है, वहां वेतन की दर दोनों पक्षों की राय से तय की जानी चाहिए। जब कोई समझौता न हो सके तो कारखाने का मालिक स्वयं मजदूरी की दर निर्धारित कर सकता है। यदि मालिक द्वारा निर्धारित की गई दर से यूनिन सहमत न हो तो इसकी पंच निर्णय से तय किया जा सकता है, बगलें कि दोनों पक्ष पंच निर्णयिक के चुनाव

में सहमत हों। यदि तब भी कुछ न तय हो सके तो औद्योगिक विवाद अधिनियम की शरण ली जा सकती है।

(१०) यदि ऐसे कारणों से जिन पर मजदूरों का वचन हो, कारखाने का उत्पादन घट जाए और काम के अनुसार माहवारी पानेवाले या २ ह० रोजदारी पाने वाले आपरेटिवों की माहवारी ५२ ह० या रोजदारी २ ह० से कम पड़े तो उन्हें कम से कम ५२ ह० माहवारी या २ ह० रोजदारी दी जानी चाहिए। इसके अलावा उन्हें अकुशल कर्मचारियों की तरह मकान तथा महगाई भत्ता भी मिलना चाहिए। किन्तु जहा हड़ताल आदि ऐसे कारणों से उत्पादन में कमी आए, जिन पर मजदूरों का वचन है, वहा मजदूरों को काम के अनुसार मजदूरी मिलनी चाहिए। जब आपरेटिवों को काम न दिया जाए तो उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार मुआवजा मिलना चाहिए।

### दूसरे कर्मचारियों

(११) मण्डल ने यह सिफारिश की है कि एक ही काम करने वाली स्त्री कर्मचारियों को मुख्य कर्मचारियों के समान ही वेतन मिलना चाहिए। जिन कामों के लिए सिर्फ स्त्रिया ही नियुक्त की जाती हैं, उनके वेतन में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी सख्या बहुत कम है।

### वेतन का निश्चय

(१२) रिपोर्ट में आपरेटिवों (कारोबार) और क्लर्कों का वेतन निश्चित करने के लिए स्मोरे में कुछ हद्दियायें दी गई हैं। उसमें बताया गया है कि आपरेटिवों का वर्गीकरण उनकी कुशलता, उपनृवृत्ता और अनुभव के अनुसार किया जाए। यह वर्गीकरण मालिक, आपरेटिवों के मण्डलों की सलाह से, सिफारिशों के लागू होने के तब तक महीने के अन्दर कर दें। अगर मण्डलों को इससे मंजूर न हो तो दोनों ढल मिलकर एक पंच नियुक्त करें और वह पंच यह वर्गीकरण करे। इस पर भी मंजूर न हो तो औद्योगिक विवाद कानून के अन्तर्गत फैसला किया जाए। इस बात की ध्यान में रखा जाए कि वेतन निश्चित करने समय कर्मचारियों को वर्तमान वेतन से अधिक ही मिले, कम बर्तान न मिले। अकुशल कर्मचारियों की सिफारिशों लागू होने तक १२ महीने

हो जाए, तो ५ ह० मासिक की वृद्धि दी जाए। क, ख, ग और घ श्रेणियों के कुशल और अर्ध-कुशल कर्मचारियों को क्रमशः ७ ह०, ५५ ह०, ४ ह० और २५ ह० अधिक मिलेगा। इसी प्रकार २५० ह० तक पाने वाले जिन क्लर्कों, लोअर टेक्नीकल और सुपरवाइजरी कर्मचारियों को सिफारिशें लागू होने के दिन तक १२ महीने पूरे हो जाए, तो उन्हें ८ ह० अधिक देने की सिफारिश की गयी है। क्लर्कों, लोअर सुपरवाइजरी तथा टेक्नीकल ग्रेडों का वर्गीकरण, मालिक, उनके मण्डलों की सलाह से, सिफारिशें लागू होने के दो महीने के अन्दर करे। यह वर्गीकरण भी सिफारिशें लागू होने की तारीख से माना जाए। कर्मचारियों को यह विकल्प दिया जाए कि यदि वे चाहें तो अपने वर्तमान ग्रेड में ही रहे या मालिक द्वारा निर्धारित ग्रेड और वेतन को स्वीकार करे। मालिक द्वारा निर्धारित करने के दिन से १० दिन के अन्दर ही वे अपना इरादा सूचित कर दें। एक बार वे जो विकल्प दे देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

### बड़े हुए वेतन का सुगतान

(१३) मण्डल की सिफारिश से यदि वेतन में काफी वृद्धि होगी है तो वह वृद्धि एक ही बार में न देकर उसे इस तरह धीरे-धीरे बढ़ाया जाए, जिससे वह एक वर्ष के बाद बढ़कर कुल वृद्धि तक पहुँच जाए। जिन कारखानों में अकुशल कर्मचारियों के वेतन (मूल वेतन, महगाई भत्ता, मकान भत्ता आदि मिलाकर) में २५ ह० या इससे अधिक की वृद्धि होगी है, वहा उसे १२ महीना में इस प्रकार बाँट दिया जाए।

(क) अकुशल और अर्ध-कुशल कर्मचारियों को महगाई भत्ता ३५५ ह० या ३८५ ह० से १० ह० कम दिया जाए। इस बड़े हुए महगाई भत्ते में, सिफारिशें लागू होने के छ महीने बाद, उपभोग्य वस्तुओं के अतिरिक्त भारतीय मूलक अक के अनुसार परिवर्तन किया जाए और १ साल बाद पूरा महगाई भत्ता देना शुरू कर दिया जाए।

(ख) कुशल कर्मचारियों, क्लर्कों और लोअर टेक्नीकल तथा सुपरवाइजरी कर्मचारियों को १२ महीने तक आधा महगाई भत्ता दिया जाए और उसके बाद पूरा।

(ग) इस प्रकार महगाई भत्ता देने से किसी भी कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धि की रकम न रोकी जाए।

### नए कारखाने

(१४) मण्डल ने जो मजदूरी और वेतन निश्चित किए हैं, वे नए कारखानों के कर्मचारियों को, कारखाना स्थापित होने के १८ महीने तक न दिए जाए; चाहे ये नए कारखाने वर्तमान कारखानों के अन्तर्गत बनाए गए हो या नए खोले गए हों। नए कारखाने १८ महीने तक मजदूरी या वेतन, महगाई भत्ता और मकान भत्ता का ७५ प्रतिशत दें। महगाई भत्ता भी ७५ प्रतिशत ही दिया जाए और ७० भा० मूलक अक के अनुसार उसमें घट-बढ़ की जाए। परन्तु जो नए कारखाने इस समय ७५ प्रतिशत से अधिक मजदूरी या वेतन आदि दे रहे हैं, वे आगे भी वही देने रहें।

### बोनस

(१५) मण्डल का कहना है कि अम अपील अदालत ने बोनस के बारे में जो फारमूला बनाया है, वह ठीक है। बोनस के बारे में मण्डल को मालिकों ने जो सुझाव दिए, वे मण्डलों की और मण्डलों ने जो सुझाव दिए वे मालिकों को मान्य नहीं हैं। इसलिए मण्डल ने इनके बारे में कोई सिफारिश न करना ही ठीक समझा है।

### प्रेच्युटी

(१६) मण्डल का विचार है कि उसने वेतन के बारे में जो सिफारिशें की हैं, उनसे प्रेच्युटी का भार भी बढ़ेगा। इसलिए जहा मूल वेतन पर प्रेच्युटी दी जानी है वहा क, ख, ग, घ और ड श्रेणियों के आपरेटिवों की प्रेच्युटी योजना में यह परिवर्तन किया जाए। कर्मचारियों का सेवा-काल दो भागों में बाँटा जाए : एक तो नियुक्ति के दिन से पहले तक, और दूसरे, सिफारिशें लागू होने के दिन से पहले तक, और दूसरे, सिफारिशें लागू होने के दिन से आगे। पहले काल में कर्मचारियों को सिफारिशें लागू होने से पहले के अंतिम महीने या साल के औगत मूल वेतन के हिसाब से प्रेच्युटी नियमों के अनुसार प्रेच्युटी दी जाए। दूसरे काल में, अंतिम महीने या साल के औगत मूल वेतन के हिसाब से प्रेच्युटी दी जाए। जिन कारखानों में कुछ वेतन पर प्रेच्युटी दी जानी है, वहा भी इनो तर्क दिया जाए, ताकि प्रेच्युटी का भार कम हो।

(१२) मॉमेंट उद्योग का प्रस्ताव है कि मण्डल में जिन वेतनों को निकारियों की है, उन्हें मॉमेंट के वर्तमान स्टैंडमन मूल्या को देखते हुए देना सम्भव नहीं है। इसलिए का प्रस्ताव है कि यदि सरकार इन बातों की गंभीर समझती है तो वह स्टैंडमन मूल्या में समायोजन करे, ताकि उद्योग नए वेतन लागू कर सके। नए वेतन लागू होने में जो मजदूरों को देना, उसे पूरा करने के लिए सरकार ने ये विकल्पों को है - (क) मॉमेंट का भत्ता बढ़ाया जाए, (ख) राज्य सरकार नियम का नाम कम किया जाए, जो (क) उद्योग-मजदूर सम्बन्धित जाए। इनमें से (क) और (ख) उचित मान्य देने हैं। फिर भी अन्त में सरकार का ही यह निर्णय करना है कि अधिक वेतन के लिए क्या वे सक्षम जाएं।

### बैंकों के भ्रष्टाचारों के बारे में श्रम मन्त्री का वक्तव्य

केंद्रिय श्रम और निरोधक मंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा ने ११ मार्च को बैंकों के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मन्त्र-सम्मेलन में निम्नलिखित वक्तव्य दिया -

जैसा कि मन्त्र के मद्रदा को पता होगा, औद्योगिक विचार (बैंकिंग सम्बन्धी) निर्णय अधिनियम, १९५५, के अनुसार बैंक पंचाट (संशोधन) ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त हो गया। लेकिन चातुर्वर्षीय मन्त्र के अनुसार उन पंचाट के अन्तर्गत नौकरों सम्बन्धी सुविधाएं धारि ३१ मार्च, १९५९ के बाद भी तब तक जारी रहेंगी, जब तक कि प्रत्येक महामनि में अथवा न्याय-निर्णय के द्वारा उनमें समायोजन न कर दिया जाए। सरकार कुछ समय में औद्योगिक झगड़ों को हल करने का अच्छा तरीका निदान करने का प्रयत्न कर रही है और इस विधानों में मैंने मार्च, १९५९ के अनुसार के प्रतिनिधियों से बातचीत भी की थी। ८ अप्रैल, १९५९ को एक त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया गया था। इस सम्मेलन में जो मत प्रकट किए गए तथा बाद में संबंधित दलों में जो बातचीत हुई, उनको ध्यान में रखकर हम बारे में और विचार किया जा रहा है।

औद्योगिक सम्बन्धों की समस्याओं के बारे में सरकार का सामान्यतः यह मत है कि अनु-

मान्य नियमावली वा अनिष्ट में अधिक पालन किया जाए और मादिकों तथा मजदूरों में आरंभी परामर्श तथा सहयोग का वातावरण हो। जरायव द्वारा न्याय-निर्णय की अवस्था सरकार केवल मण्डल नियुक्त करने या झगड़ों को मध्य करने के लिए हमी प्रकार के और तरीके परक करती है, जिस में सहयोग की भावना हो। इन नीति के अनुसार ही सरकार ने शा. ही में मूखी कचरा और मॉमेंट उद्योग के लिए नियुक्त बेकन मण्डल को निकारियों सहितार की है। कुछ और उद्योगों के लिए वेतन-मण्डल कर्षणसम्भक्त नियुक्त करने का प्रस्ताव है। वेतन के झगड़ों को तय करने के लिए मन्त्रों पच्छा उपाय क्या हो सकता है, यह ज्ञानने के लिए मैंने तमन्धानियों तथा मादिकों के प्रतिनिधियों में ७३ बार बातचीत की है। वल्लभ-ने तरीका पर विचार किया गया। जिनमें वेतन मण्डल या जोच जाचोंक नियुक्त करने के तरीके भी थे। इन झगड़ों में कुछ पेंसिदा मामलों होने के कारण तथा विभिन्न दलों के विभिन्न मत होने के कारण सरकार को अग्रिम निर्णय करने में कुछ समय लगा। इन बात सामने में काफी विचार के बाद सरकार ने यह माना है कि स्टेट बैंक तथा अन्य नम्बी बैंकों और बैंक कर्मचारियों के झगड़ों को हल करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम का अन्तगत राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नियुक्त करना मन्त्रों अच्छा उपाय होगा। तदनुसार राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नियुक्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

स्टेट बैंक की मौजूदा हटताल के बारे में मंत्री महोदय ने कहा कि इस सम्बन्ध में ७ मार्च, १९६० को मेरे सहयोगी माननीय वित्त मंत्री महोदय एक गतिपत्र बनवव्य दे चुके हैं। मुझे जनवरी, १९६० के शुरू में अतिल भारतीय स्टेट बैंक आफ इडिया कर्मचारी मण के अध्यक्ष का एक पत्र मिला था, जिसमें उन्होंने यह सुझाव दिया था कि स्टेट बैंक के झगड़ों को आरंभी महामति से नियुक्त पंच के द्वारा तय किया जाए। सरकार ने इस सुझाव पर काफी गौर से विचार किया। ४ जनवरी, १९६० को मैंने उन्हें उत्तर दिया कि एक-ही ही मागों पर विचार करने के लिए दो प्रकार के समायोजन नियुक्त करना निरापद नहीं होगा। मैंने खास

तौर से उन्हें यह लिखा कि स्टेट बैंक ८ ऐसी-निप्टेड बैंकों की पूजी अधिग्रहण करने वाला है और तब उनकी समस्याएं और बैंकों के नमान ही हो जाएंगी। इसी बीच केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध संगठन ने दोनों दलों के बीच नभशानों की बातचीत शुरू करने के लिए कहा गया और १५ फरवरी, १९६० को इस संबंध में कुछ हुआ भी। लेकिन जैसा कि सदन को पता है, ४ मार्च, १९६० की नाम में स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। अब, जब कि सरकार ने एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नियुक्त करने का फैसला कर लिया है, तो मेरी कर्मचारियों में यह हादिक जपील है कि वे हड़ताल वापस ले ले और अपने काम पर लौट जाए।

### मजदूर-प्रबन्धक सहयोग से सम्बन्धित गोष्ठी

मजदूरों और प्रबन्धकों के बीच सहयोग के बारे में दो दिन से नवी दिल्ली में जो गोष्ठी हो रही थी, यह ९ मार्च को समाप्त हुई। इन गोष्ठी में मंत्री लिंगा ने यह मत प्रकट किया कि सवुक्त प्रबन्ध परिषदों के द्वारा मजदूरों के प्रबन्ध के काम में हिस्सा देने की योजना की प्रगति पद्यपि धीमी रही है, लेकिन देश में औद्योगिक शान्ति कायम करने में यह काफी गफळ हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखकर मंत्री ने यह सुझाव दिया कि योजना को और कारखानों आदि में भी लागू किया जाए।

गोष्ठी में केन्द्रीय मन्त्रालयों, राज्य सरकारों, मजदूरों और मालिकों के केन्द्रीय संगठनों तथा जिन कारखानों में सवुक्त प्रबन्ध परिषदें काम कर रही हैं, उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। केन्द्रीय श्रम मंत्री, श्री गुलजारी लाल नन्दा ने गोष्ठी की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा, कि इस योजना को अब केवल आनमाइती योजना ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसके ही मन्त्रों हुए हैं, उनके आधार पर और व्यापक रूप में लागू करना चाहिए।

गोष्ठी में यह मत प्रकट किया गया कि केन्द्र तथा राज्यों में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए, जिससे यह देखभाल का जो सके कि सवुक्त प्रबन्ध परिषदें ठीक तरह काम करती हैं और यह योजना दूसरे कारखानों में भी लागू



जा रही है। यह भी तय किया गया कि केन्द्र में एक वित्तीय समिति बनाई जाए, जो समय-समय पर योजना की प्रगति की समीक्षा करे। इसी तरह की व्यवस्था राज्यों में भी की जाए।

गोष्ठी में यह कहा गया कि मजदूरों को प्रबन्ध के काम में हिस्सा देने की योजना लागू करने के लिए कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। अमल में इस तरह की योजना तभी सफ़ल हो सकती है जब उसे स्वेच्छा से लागू किया जाए। योजना की सफलता आकानों के लिए गोष्ठी ने कुछ आचार निश्चित किये। इन सम्बन्ध में इस बात पर जोर दिया गया कि उत्पादकता में वृद्धि को योजना की सफलता का सबसे बड़ा आचार मानना चाहिए।

### मजदूरों और गंदी बस्तो-निवासियों के लिए आवास योजना

भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से सहायता लेकर कारखानों के मजदूरों और गंदी बस्तियों के रहने वाले के लिए सस्ते आवास बना सकती हैं। इन आधामों में बिना परिवार वाले ऐसे मजदूर और गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग रह सकेंगे, जो अपने लिए भूदान नहीं बना सकते या वने हुए भूदानों का किराया नहीं चुका सकते। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को मुद्राप्राप्ति है कि इस तरह के बहुत-से आवास बनाने से पहले कुछ चुने हुए स्थानों में ४८ से ६४ तक कमरे बनाकर दें। इतने कमरे एक माघ बनाने में उनके लिए मफ़ाई आदि की व्यवस्था करना मस्ता रहेगा।

आयाम में प्रति व्यक्ति पीछे एक और दो-मजिरी इमारतों में १०४ वर्गफुट के और बहु-मजिरी इमारतों में १०० वर्गफुट के कमरे बनाने ठीक रहेंगे। कमरे का लगभग ३४ वर्ग फुट स्थान रंगोई के लिए रखा जा सकता है। आवाग के छात्रों और जीवों आदि को छोड़कर एक और दो-मजिरी इमारत में प्रति व्यक्ति ११६ वर्गफुट और कई मजिरी इमारत में ११२ वर्गफुट जगह रूची जाएगी।

इन दोनों योजनाओं के लिए, केन्द्रीय सरकार के निर्माण, आवाग तथा प्रति मन्त्रालय की गंदी बस्तियों की मफ़ाई और मजदूरों के

वास्ते मकान बनाने के लिए सहायता देने की योजनाओं के अन्तर्गत सहायता मिलेगी। आवाग के प्रति कमरे का खर्च दो कमरे वाले मकानों के स्वीकृत खर्च के आधे से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार दो कमरे वाले मकानों के लिए आं किराया निश्चित किया गया है, उसके आधे से अधिक एक कमरे का किराया नहीं होना चाहिए। इनमें रहने वालों से सफ़ाई, बिजली, पानी आदि के लिए अधिक से अधिक प्रति व्यक्ति ३६० महिना और लिया जा सकता है।

### सरकारी सहायता से मजदूरों के लिए मकान बनाने की योजनाएं

जनवरी १९६० में केन्द्रीय निर्माण, आवाग और प्रति मन्त्रालय की उद्योग मजदूरों के लिए सरकारी सहायता से मकान बनाने



### जहाज निर्माण के सहायक उद्योग स्थायी सलाहकार समिति की सिफारिशें

भारत सरकार जहाज के डीजल इंजन बनाने का कारखाना खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यह कारखाना, जहाज बनाने और उनकी मरम्मत करने के कारखानों के लिए सामान और अन्य उपकरण तैयार करने वाले सहायक उद्योग खोलने की योजना के अन्तर्गत खोला जा रहा है।

भारत सरकार ने रियर एडमिरल टी०बी० वॉस, भारतीय नौबिना की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति नियुक्त की है। इसकी रिपोर्ट में जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योगों को मजदूर बनाने के लिए सहायक उद्योगों के विधान की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

#### सहायक उद्योग खोलने में बिबरतें

मनिलि ने सहायक उद्योग खोलने में मामने आने वाली समस्याओं पर विचार जोर दिया।

की योजना के अन्तर्गत मद्रास, मंगूर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने ३२,७०,००० ६० की लागत से ९९० मकान बनाने मंजूर किए हैं। २९६ मकान नैपानगर में वहां की नेशनल व्यूजिप्रिट एण्ड पेपर मिल लि० बनाएगी और नागदा में च्वालियर स्पेन मिल्क मैन्युफैक्चरिंग (वीवीग) लि० २०० मकान बनाएगी। इसके अलावा मनिराज में सालारजंग शुगर मिल लि० की ओर से ८२ मकान, भरतपुर में सेप्टल इंडिया मशीनी मैन्युफैक्चरिंग क० लि० की ओर से २०० मकान और गौलागोकरन ताय, जिला खीरी में हिन्दुस्तान शुगर मिल लि० की ओर से २१२ मकान बनाए जाएंगे।

इन मकानों के लिए केन्द्रीय निर्माण, आवाग और प्रति मन्त्रालय ८ लाख १७ हजार ६० सहायता और ११ लाख २१ हजार ६० ऋण राज्य सरकारों की देगा।

जहाज बनाने के कारखाने में जहाज के बहुत थोड़े हिस्से बनाए जाते हैं। जहाज बनाने में काम आने वाले अधिकांश हिस्से अन्य फ़र्मों से खरीदने पड़ते हैं। इसलिए यदि जहाज निर्माण उद्योग की नींव को मजदूर बनाना है तो यह नितान्त आवश्यक है कि जहाज निर्माण तथा जहाज मरम्मत में काम आने वाले मामान बनाने वाले कारखाने फ़ौरन ही देन में खोले जाए।

#### ठोस सिफारिशें

मनिलि ने कई ठोस सिफारिशें की हैं। नये इस्पात कारखानों में सुनिश्चित कार्यक्रम के अनुसार जहाज के लिए उचित क्रिम की इस्पात की चादरे और सेवना बनाने की सिफारिश को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गयी है। जहाज के उपकरण बनाने का एक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए और उपकरणों की आवश्यकतानुसार उनका उत्पादन-क्रम भी निर्धारित कर देना चाहिए, जिससे देन जहाज निर्माण तथा मरम्मत उद्योग में आत्मनिर्भर हो सके।



में चलनी शुरू होंगी। श्री शाहनवाजसा ने कहा कि दुहरी पटरी विछाने का काम लगभग पूरा हो गया है।

### उड़ीसा में नयी रेल-लाइने

उड़ीसा में विमलगढ़ में किरीवुल तक ३० मील लम्बी बड़ी रेल-लाइन विछाने की पड़ताल हो रही है। आशा है, चालू साल में यह लाइन विछानी शुरू हो जाएगी। इस पर ४ करोड़ २० लाख रु० खर्च होगा।

यह सूचना रेल उपमंत्री, श्री एम० वी० रामस्वामी ने १ मार्च को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने सदन की मेज पर एक वक्तव्य रखा, जिसमें बताया गया है कि पिछले दो वर्षों में उड़ीसा में दो बड़ी लाइन की पटरियां विछाई गई हैं। इनमें एक तो १८ मील की नोआमुन्दी-वांसपाणी और दूसरी बराबोली से पानवीगंगीयों तक ६ मील लम्बी लाइन है। इन पर क्रमशः २ करोड़ ३० लाख रु० और १ करोड़ ११ लाख रु० खर्च हुए हैं। इसके अलावा ४२ मील लम्बी पोंडामूडा-डुमराव लाइन भी विछाई जा रही है, जिस पर ७ करोड़ ७२ लाख रु० खर्च बैठेगा।

वक्तव्य में कहा गया है कि उड़ीसा में ११४ मील लम्बी सम्बलपुर-तितिलगढ़ और १७ मील लम्बी पोंडामूडा-मूर्णपानी बड़ी रेल लाइनें भी विछाई जा रही हैं। इन पर क्रमशः १४ करोड़ ५९ लाख रु० और २ करोड़ ६८ लाख रु० का खर्च आएगा।

### परीनी से समस्तीपुर तक पड़ी लाइन

रेल उपमंत्री, श्री शाहनवाज सा ने ९ मार्च को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि यह बात सही है कि बरोनी से समस्तीपुर तक बड़ी लाइन बढाई जा रही है।

उपमंत्री महोदय ने कहा कि १९६० के अन्त तक या १९६१ के शुरू में इन लाइनें पर मान्यतादिना करने लगेंगी। पर मकबरी भाँदिया इत्यादि कुछ महीने बाद तभी चलाई जाएगी जब इन पटरी को मकबरी भाँदिया चण्डी के उपमण्डल मजम दिया जाएगा।

### रेल-लाइन विछाने के लिए सर्वे

हृदयकारण क्षेत्र में कोट्टावल्या से बैला-डिल्ला तक रेल की लाइन विछाने के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के सर्वे किए जा रहे हैं। रायगडा और अन्य स्थानों से होकर यह लाइन विछाने के बारे में कई प्रस्ताव हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है।

यह सूचना रेल उपमंत्री, श्री एस० वी० रामस्वामी ने २ मार्च को लोकसभा में प्रश्नोत्तर के समय दी। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि देण के अन्य क्षेत्रों को त्रिपुरा से रेल की लाइन द्वारा मिलाने के लिए पठारकड़ी-धर्मनगर लाइन विछाने के सम्बन्ध में भी सर्वे किया जा रहा है, जो अब पूरा होने वाला है।

### टाटा के रेल इंजनों के दाम

रेल उपमंत्री, श्री शाहनवाज सा ने ९ मार्च को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकार और टाटा लोको-मोटिव एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लि० के बीच रेल इंजनों के दाम के बारे में जो मतभेद पैदा हो गया है उसका कारण कम्पनी द्वारा रेल इंजनों की कीमत में अलावा खर्च और मालाना बोनस शामिल कर लेना है। कम्पनी ने ये इजज १ अप्रैल, १९५८ और ३१ मार्च, १९६० के बीच सप्लाई किए हैं।

उपमंत्री महोदय ने इंजनों के दाम का विस्तृत बयान भी सदन की मेज पर रखा। कम्पनी ने इजज की कीमत ३,९२,८९१ रु० मांगी है। सरकार ने ३,७४,९९४ रु० देना कहा या और पच ने इसकी कीमत ३,८०,९१७ रु० सुझाई है।

### भारतीय रेल शिल्पिक मामलों में भाग्य-निर्भर

लगाभग १०० वर्षों में भारतीय रेलें शिल्पिक मामलों में विदेशी मालाहकारों पर निर्भर रही हैं। किन्तु अब भारतीय रेलों के विनोदरत्न पट्टोमी देगाँ और निजी कर्मों को रेल के इंजन, डिब्बे आदि बनाने के काम में गहनह दे गइने हैं।

रेल मण्डल ने रिसर्च, डिजाइन और स्टैंडर्ड ऑफगाइडेंशन (आर० डी० एम० जी०) को अन्य देशों और कर्मों को सलाह देने की अनुमति दे दी है। यह विभाग विदेशी मालाहकारों, निर्माण सम्बन्धी समस्याओं, रेलों के इंजन और डिब्बों की खरीद, डिब्बों के डिजाइन स्वीकार करने और जांच करने आदि के बारे में शिल्पिक सलाह दे सकता है। इस सम्बन्ध में आर० डी० एम० जी० की सेवाएं प्राप्त करने के लिए उचित विभाग से कुछ फौज आदि ने पृच्छताछ भी की है।

### घाना द्वारा भारतीय रेल अधिकारियों की मांग

रेल उपमंत्री, श्री शाहनवाज सा ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि बर्मा और घाना सरकारों ने अपने यहां की रेलों में काम करने के लिए भारतीय रेलों से ५ पदों के लिए कर्मचारी मांगे थे। उसके लिए उन्हें ९ लाख भेजे जा चुके हैं। इनमें से घाना सरकार ने अधिकारियों का चुनाव कर लिया है और उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है।

### घर्मा की मांग

बर्मा सरकार ने लेखा विनोदरत्न की मांग की थी किन्तु वह पूरी नहीं की जा सकी थी क्योंकि बर्मा सरकार ने जिन विदेशी अधिकारियों की मांग की उसकी यथा भी जरूरत है और वह नहीं भेजा जा सकता है।

### यूरोप में रेल विशेषज्ञों की नियुक्ति

रेल उपमंत्री, श्री मलेय बेंकटया रामस्वामी ने १५ मार्च को लोकसभा में बताया कि एक उच्च मेकैनिक्ल इंजीनियर बर्नान में रेल उप-मालाहकार (मेकैनिक्ल और एक उच्च रेल डिजाइन इंजीनियर) ज्यूरिख में रेल उप-मालाहकार (विद्युत नियुक्त करने का आदेश जारी किया जा चुका है।

श्री रामस्वामी ने बताया कि वे मजदूर अधिकारियों की तरह काम करेंगे। विदेशी इंजनों के लिए जो आर्डर दिये गए हैं उनका निरीक्षण करने के लिए कुछ एक्सपर्ट नियुक्त की गयी हैं। ये दोनों अधिकारियों एक्सपर्टों के काम का निरीक्षण करेंगे।

## धर्मवत नदी पर नया पुल

राजस्थान में भोजपुर के लिन्ट बल्बल नदी पर पुल बनाया गया है, जिसमें अब दिल्ली के बम्बई ज्ञान के लिन्ट मंडल माताया में कोई बाधा न रहेगी। १५ मार्च की प्रयाग मंत्री श्री नेहरू ने इस पुल का उद्घाटन किया।

बल्बल-बल्बल नामक बल्बल नदी की कटती हुई जाती है। इस नदी पर इसी भारी बनावत बनाया है। यहां पर नया पुल बना है, बना जाने पौराणिक का ही पुल बना हुआ था। इस पुल पर में केवल ३ टन काट ही जा सकता था और बाक के दिनों में इस पर मंडरगाविया मंत्री चल सकते थीं। बाक के दिनों में माना मानायात और ३ टन में ज्यादा का बोत नाथा और इतना भार बगल जाता था।

जब इस नये पुल पर में ३० टन का बा बोत ले जाना जा सकता है। इस पुल की लम्बाई २,८०० फुट है। इस पुल का निर्माण वर्ष में २० फुट की ऊंचाई पर है। उत्तर दिशा में १६ हजार टन सीमेंट और एक हजार टन लोहा लगा है। इस पर ८३ हजार १० की लागत आई है।

केन्द्रीय परिवहन विभाग की मन्त्र माया है इसका डिजाइन नया किया था और इन्डिया मार्वेजिक निर्माण विभाग ने इस तामा है।

**दिल्ली में यमुना नदी पर दूसरा पुल**  
एक उपमन्त्री, श्री रामगन्धारी ने ९ मार्च को राज्यसभा में बताया कि गाजियाबाद-मुजफ्फरपुर रेल लाइन और दूसरा यमुना पुल बनने में लगभग तीन साल लगेंगे। इस पुल का नक्का केन्द्रीय पानी और विजयी अनुसंधान केन्द्र, पूना की सलाह में तैयार किया जा रहा है। नक्का तैयार हो जाने के बाद पुल बनाने का काम शुरू होगा।

**भारतीय रेलों पर मुश्किलों के दाये**  
लो लम्बा में रेल उपमन्त्री, श्री गलेम बैकथपा रामगन्धारी ने २ मार्च को एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि १९५९ में भारतीय रेलों पर मुश्किलों के ४ लाख २० हजार २५३ दावे किए गए, जबकि उनसे पिछले साल ४ लाख ५३ हजार ६०४ दावे

किए गए थे। में दावे १९५९ में १४ करोड़ ६३ लाख ६० के और १९५८ में १६ करोड़ ६० के थे।

श्री रामगन्धारी ने बताया कि १९५९ में १ करोड़ ५० लाख ६० के २०,७२६ नये दावे किए गए, जबकि १९५८ में १ करोड़ ५३ लाख ६० के २३,४३९ दावे तयार किए गए थे। १९५९ में ३६ लाख ६० की और १९५८ में ३१ लाख ६० की डिफिया मजूर की गई।

## स्टेशनों पर महिला कुर्ली

एक प्रश्न के उत्तर में रेल उपमन्त्री, श्री मातंगराय पाव ने घोषणा में १० मार्च को कहा कि गांधीवादी या गांधीवादी के लिए

## नदी योजनाएं और विजली

### भालड़ा विजलीघर की क्षति

सिंचाई और अन्न उन्नयन, श्री जयसुखलाल हाथी ने ३ मार्च को उत्तरसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि भालड़ा विजलीघर के नतीनी जेनरेटर पानी में डूब गए थे, उनकी मरम्मत की गयी और जांच करके पता चलता है कि वे पाउडर हालत में हैं।

उम्मान कटा कि मगीना म टर्बाइन (चरहा) की मरम्मत भी हो गयी है और जब वे चालू किए जाएंगे, तभी उनकी जांच हो सकेगी।

विजलीघर के पानी में डूबने में लगभग २०-२५ लाख ६० की क्षति हुई है। टर्बाइनों की जांच करने के लिए जापान में एक निवेदन बुझाया गया था। उन्होंने जांच करके बताया कि वे अच्छी हालत में हैं।

### नागार्जुनसागर योजना की प्रगति

२ मार्च को लोकसभा में सिंचाई और विजली उपमन्त्री, श्री जयसुखलाल हाथी ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि नागार्जुनसागर योजना के काम की प्रगति बहुत गतीमानक रही, यहा तक कि कुछ काम निर्धारित लक्ष्य में भी अधिक हो गए हैं। इस योजना के लिए १९५९-६० का अनु-

उत्तर रेल पर १५, दक्षिण-पूर्वी रेल पर १४६ और पश्चिम रेल पर ३३८ औरतों को कुर्ली का लाइसेंस दिया गया है। उपमन्त्री महोदय ने कहा कि स्टेशनों के कुर्लियों में म्यो-कुर्लियों के लिए कोई कोटा निर्दिष्ट नहीं रहता।

कुर्लिया की भनी के नियम के बारे में बताया हुए श्री मातंगराय पाव ने कहा कि मातंगराय कुर्लियों के चुनाव का काम स्टेशन मास्टर या स्टेशन सुपरिन्टेण्डेंट करते हैं। कुर्ली के लाइसेंस के लिए व्यक्ति १८ वर्ष में अधिक का होना चाहिए। उनका स्वास्थ्य और चरित्र भी अच्छा होना चाहिए।

विनयन ८ करोड़ ५० लाख ६० था।

श्री राजा ने बताया कि नागार्जुनसागर योजना के पहले चरण में बाई नहर में से प्रति मिनट ११,००० घन फुट पानी बह जायेगा। बाध की दोबारे इस प्रकार बनाई गई है कि जल्द चरण में पानी निकालने की क्षमता बढ़ाई जा सके। इस योजना के अन्तर्गत बाई नहर १०८ मील लम्बी बनाई जाएगी। योजना के दूसरे चरण के काम की करने के लिए भारत सरकार के पास आंध्र सरकार का कोई भी प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है। इसलिए बाई नहर की १०८ मील से अधिक लम्बी बनाने का अभी प्रश्न ही नहीं उठता है।

### सिन्धु की पूर्वी नदियों में पानी की कमी

सिंचाई और विजली मन्त्रालय की ११ मार्च की विज्ञापित में बताया गया है कि सिन्धु की पूर्वी नदियों—राप्ती, ब्यास और सतलज में अबतुबर और नवम्बर, १९५९ में पानी की सफ़ाई असाधारण रूप में अच्छी रही। दिसम्बर के अन्त तक सफ़ाई सन्तोषजनक बनी रही। लेकिन जनवरी और फरवरी के महीनों में सामान्यतः जो वर्षा होगी है, वह इस बार बिल्कुल नहीं हुई, जबकि नहरों से पानी की मांग काफी है। फरवरी के महीने में पूर्वी नदियों में सामान्य सफ़ाई का केवल ५० प्रतिशत पानी ही सफ़ाई किया जा सका

इसमें रबी की फसलों को काफी नुकसान हुआ है और पंशवार कम होने की आशंका है।

लेकिन इन दोनों महीनों में इन नदियों में

## खाद्य और कृषि

### आसाम के मिजो जिले में चावल की सप्लाई

खाद्य उपमंत्री, श्री ए० एम० धामन ने २ मार्च का लोकसभा में आसाम के मिजो जिले में चावल की गन्नाई के बारे में निम्नलिखित बक्तव्य दिया

१५ फरवरी, १०६० को लोकसभा में, आसाम के मिजो पहाड़ी जिले में भूख से हुई तयामित्वितियों के सम्बन्ध में काम के प्रस्ताव रखा गया था। पिछले कुछ दिनों में इस बारे में काफी प्रश्न पूछे गए हैं। काम के प्रस्ताव के उत्तर में प्रधान मंत्री ने और मंने मदन को कुछ जानकारी दी थी। अब मदन को में कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ।

मिजो जिले में लुसाई लोग रहते हैं और यहाँ बागों के जंगल बहुत हैं। बागों के पेड़ में लगभग ५० माल में एक बार फूल लगते हैं और जब भी इनमें फूल लगते हैं वहाँ चूहे बहुत हो जाते हैं। पिछले साल इन पेड़ों में फूल लग और मिजो जिले में चूहों की मत्स्या अथायुष बढ़ गई। इन चूहों को मारने के काफी प्रयत्न किए गए हैं, लेकिन फिर भी इस जिले में चावल की ६० से ८० प्रतिशत तक फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। अब अक्टूबर-नवम्बर, १९६० तक, जब तक अथगी फसल पूरी नहीं हो जाती, यहाँ के लोगों को अनाज देना पड़ेगा। आसाम सरकार का अनुमान है कि अगली फसल तक यहाँ के लोगों के लिए ५ लाख मन चावल की जरूरत पड़ेगी। आसाम राज्य सरकार के पास चावल या कुछ भण्डार है और उनमें केन्द्र में १० हजार टन चावल की भी रकम है। भारत सरकार में बत मान पूर्वी घाट की है।

पानी की भारी कमी होने पर भी भारत पाकिस्तान को नुकसान उठाकर भी चालू समझीते के अन्तर्गत स्वीकृत मात्रा में पानी देता रहा है।

केन्द्रीय सरकार के गोदाओं से वहाँ चावल भेजना शुरू भी हो गया है और ३,४०० टन चावल भेजा जा चुका है। आजकल कलकत्ते में प्रति दिन २०० टन चावल मिल्चर भेजा जा रहा है।

मिजो जिले के एंजल क्षेत्र में तो मिल्चर से मडक जाती है, लेकिन लुगलेह क्षेत्र तक कोई मडक नहीं जाती। आसाम सरकार का अनुमान है कि लुगलेह क्षेत्र में २ लाख मन चावल की जरूरत पड़ेगी। मिल्चर से मिजो जिले को मडक द्वारा और हवाई जहाजों द्वारा चावल भेजा जा रहा है। भारतीय वायुसेना के ५ जहाज और इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का एक ए-६ एम एम क्षेत्रों में चावल डाल रहा है जहाँ मडक से नहीं पहुँचा जा सकता। नावों द्वारा भी कुछ चावल भेजा जा रहा है। १९ फरवरी तक मिजो जिले में लगभग १ लाख मन चावल भेजा जा चुका है। लुगलेह क्षेत्र का दक्षिणी भाग बर्मा में मिला हुआ है। अतः बर्मा सरकार से भी उस क्षेत्र में हवाई-जहाज द्वारा या कलादन नदी में से नावों द्वारा कुछ चावल भेजने को कहा गया है। पूर्व पाकिस्तान के चिटगाव में हीकर भी मिजो जिले में कुछ चावल भेजने की कोशिश की जा रही है। कलकत्ता में चिटगाव तक चावल भेजने का दनजाम भी कर दिया गया है। किन्तु पता चला है कि किन्तु चिटगाव में मिजो के देमागिरी तक नदी में नावें नहीं चल सकती।

जनवरी १९६० तक आसाम सरकार विभिन्न मदों में कुल ४४ लाख ५८ हजार ६० की आर्थिक मदद भी दे चुकी है। फरवरी और मार्च में भी लगभग ५० हजार ६० की गहायता दे दी जाएगी। आगे के महीनों में भी काफी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

इस बारे में माले में जांच की गई है, जिसमें पता चला है कि इस जिले में भूख से कोई

मृत नहीं हुई है। मैं सदन को यह आश्वासन देता हूँ कि सरकार इस जिले के लोगों को स प्रकार की मदद देने की हर तरह से कोशिश करेगी।

### प० बंगाल और उड़ीसा में चावल और धान के भाव

२ मार्च को लोकसभा में खाद्य उपमंत्री, श्री अलुगल मधायी धामन ने एक प्रश्न के उत्तर में एक वक्तव्य में बताया कि वह है कि जनवरी १९६० में प० बंगाल और उड़ीसा में चावल के भाव में कुछ वृद्धि हुई है। प० बंगाल में चावल के भाव में बढ़ बने अनाज के क्षेत्र बनाने के कारण नहीं है क्योंकि इसके कारण ही प० बंगाल को उर्ध्व में चावल और धान लेने की सुविधा हो गई है। प० बंगाल की मण्डियों में धान और चावल काफी तेजी से पहुँच रहा है। पिछले कुछ दिनों से प० बंगाल में चावल के भाव गिरते हुए हो गए हैं और भाव प्रति मन १६० लि गया है। इस समय प० बंगाल में मायाय चावल का थोक भाव २२ से २४ प्रति मन है।

क्षेत्र बन जाने के बाद उड़ीसा में चावल और धान के भावों के बढ़ जाने की आशा पहले से ही थी और तब से वहाँ चावल के भावों में प्रति मन २६० के हिसाब से वृद्धि हुई है। वहाँ मिल के कुटे हुए साधारण चावल का भाव १७ से १८० प्रति मन है। वहाँ का कुटा चावल १४ से १५० प्रति मन है।

२१ दिसम्बर, १९५९ को क्षेत्र बन जाने के बाद उड़ीसा से फौरन ही धान और चावल नहीं भेजा जा सकता था, इसके लिए बंगालियों को लायार्स व्यापारियों के लिए सार्वजनिक आदेन के अन्तर्गत अपने को रजिस्टर करवा जरूरी था। इसके अलावा उन्हें नये बन्दों आदेन के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य सरकार को चावल देना था। इनमें थोड़ा समय लगा और अब चावल तथा धान उचित मात्रा में उड़ीसा में बाहर भेजा जाने लगा है। अब वहाँ प्रति टन चावल और धान प० बंगाल में भेजा जा चुका है। सूचना मिली है कि प्रति मन १०० बंगाल के हिसाब में मात्रा भेजा जा रहा है।

सेन के हत जानने में एक ओर गो विमानों को जहाँ वेदावार का उचित दाम मिलने लगा है और दूसरी ओर ५० बगान के उन्-भोगाओं को भी काम हुआ है। मगर मरकारों पिपति का बढ़ी मादगानी में अध्ययन कर रही है, जिनमें कि आशुपंचनायुक्तों उचित चार-बाई को जो नये।

## गान्धा निबंधप्रणाली आदेश में संशोधन

केन्द्रीय साध और वृत्ति मंत्रालय के साध विभाग में ३ मार्च की एक विज्ञापित प्रकाशन की है, जिनमें बताया गया है कि १९५५ के गान्धा निबंध आदेश में १९५८ में किए गए संशोधन के अन्तर्गत यह ध्यान रखा को गई थी कि चीनी उत्पादन, गन्ना उत्पादन को मन्त्रों का नियंत्रित बन में कम मूल्य देगे और यदि वह आदेश के माय मंत्रालय परिशिष्ट (गान्धा निबंध फार्मुला) के नियमों के अनु-सार उचित हो, तो मूलतः बाद में भी कर देंगे। विराट के बाद मोगम में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में केन्द्रीय सरकार कुछ और सुविधाएं दी थी, जैसा (१) उनर दिया और उत्तर विभाग में कारगान जल्दी शुरू करने पर रियायत, और (२) कारगानों पर १९५९-६० में, १९५७-५८ तथा १९५८-५९ के बीच उत्पादन में जिनका उत्पादन रिक किया जाएगा, उन पर उत्पादन-मुक्त ५० प्रतिशत की छूट। आदेश के माय लिख परिशिष्ट (गान्धा निबंध फार्मुला) में न तो उन रियायतों का ही उल्लेख था और चीनी कारखानों द्वारा गन्ना उत्पादन को निर्माण कम में कम मूल्य के अतिरिक्त हुए गए अधिक मूल्य के बारे में ही कुछ कहा जा था।

अब भारत सरकार ने प्राइम लिंबिंग फार्मुले में ऐसे उपयुक्त संशोधन कर लिये जिनमें गन्ना उत्पादन को उपरोक्त रियायतों का लाभ मिल जाए और चीनी उत्पादन उन्हें जो अतिरिक्त मूल्य दे, उसका उत्पादन-निर्माण बाद में किए जाने वाले भुगतान में दिखाव-जिताव में शामिल कर लिया जाए।

## बिनी के लिए चीनी

खाद्य तथा वृत्ति मंत्रालय के चीनी और जनगति निदेशालय को ५ मार्च की एक विज्ञापित में बताया गया है कि भारत सरकार में बिनी के लिए १ लाख ७५ हजार टन चीनी देने का निर्णय किया है।

यह चीनी २५ अक्टूबर, १९५९ को विज्ञापित मन्त्रा जी० एम० आर० ११८८/आयन्त्रक मामलों/चीनी, में दिये गये भाव पर दी जाएगी। इस प्रदेश और उत्तर विहार की जिनमें के लिए मित्रों के बाहर चीनी का निर्गत भाव ३७ ८५ ४० प्रति मन है, जबकि पंजाब की मित्रों के बाहर का निर्गत भाव ३८ ३५ ९० प्रति मन है। वानपुर को जो चीनी दी गयी है, उनमें आई एन एम डी-२९ श्रेणी की चीनी का वेट में पड़ना मूल्य ३८ ६० और कलकत्ता की चीनी का ३९ ८५ ० प्रति मन है।

## चीये गोदाम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का उद्घाटन

केन्द्रीय साध मंत्रालय के मन्त्रि, श्री बी० बी० पांग ने १ मार्च को नयी दिल्ली में गोदाम के कामों के चीये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि रानी को उन्नत के लिए गोदाम वास्तव में एक प्रकार का बंध है और लोगों को इसका महत्व समझना जरूरी है।

केन्द्रीय गोदाम निगम ने यह पाठ्यक्रम चालू किया है, जो ३१ मार्च, १९६० तक चलेगा। इसमें १३० व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिनके बाद इन्हें देश के विभिन्न गोदामों में नियुक्त किया जाएगा।

क्रिमानों को महाजनों और विचौलियों के चकर से बचने के लिए ही गोदाम खोलने को योजना बनायी गयी है। इसमें जनता को भी बहुत फायदा हो सकता है।

## बड़े खेतों की स्थापना समन्धी समिति की बैठक

हाल ही में नयी दिल्ली में दामले समिति की बैठक हुई थी, जिसमें यह पता चला है कि यह संभावना है कि राजस्थान और आंध्र प्रदेश के दो क्षेत्रों में मूरतगड फार्मों के नमूने पर ट्रैक्टर आदि से खेती की जाए।

कम्पाई, आंध्र प्रदेश और राजस्थान ने दो-दो क्षेत्रों में मूरतगड के नमूने पर खेती करने का प्रस्ताव रखा। समिति ने इन ६ प्रस्तावों पर विचार किया। ये प्रस्ताव पंजाब के प्रस्तावों में अलग है। इसके अलावा राजस्थान की ५० गीमा के किनारे-किनारे कई गंज बनाने का भी प्रस्ताव किया गया था।

समिति ने कहा कि प्रस्तावित क्षेत्रों के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली है। कोई निष्कारण करने के लिए यह जरूरी है कि समिति स्थिति का पूरा अध्ययन करे। यह सम्भावना है कि राजस्थान में मूरतगड में १२ मील दूर ३५,००० एकड़ भूमि में और आंध्र प्रदेश में तुगमडा के पास येसीगाम गड में इस प्रकार की खेती की जाएगी। किन्तु इस मामले में भी समिति को अन्तिम निष्कारण देने के पहले काफी विस्तृत अध्ययन तथा उस स्थान का सर्वेक्षण करना पड़ेगा।

समिति का विचार था कि अन्य राज्यों में ३०,००० एकड़ के भूमि-खण्ड नहीं मिल पायेंगे। इसलिए यह ठीक होगा यदि १०,००० एकड़ के क्षेत्र की ही सीमा रखी जाए।

## केन्द्रीय साध शिल्प विज्ञान अनुसंधान-शाला का पीठिक आटा

केन्द्रीय साध मन्त्रालय ने जो पीठिक आटा तैयार किया है, उसके बारे में यह जांच की गयी थी कि वह खाने योग्य है या नहीं और परीक्षण ने पता लगा कि आटा उपयोग में लाया जा सकता है। यह सूचना २ मार्च को लोकसभा में वैज्ञानिक अनुसंधान और सत्कृति मंत्री, डा० हुमायूँ कबीर ने दी।

डा० कबीर ने बताया कि यह पीठिक आटा गेहूँ का आटा (७५ प्रतिशत), खाने वाला मूगफली का आटा (८ प्रतिशत) और टैपिओका आटा (१७ प्रतिशत) मिलाकर तैयार किया जाता है। गेहूँ और मूगफली के वनस्पति प्रोटीन मिला देने से इसमें प्रोटीन तत्व की किलम में भी सुधार हो गया है।

मंत्री महोदय ने बताया कि राज्य सरकार की सहायता से लखनऊ में इस आटे का प्रचार

बिया गया। इनके प्रकार की अन्य योजनाओं के बारे में राज्य सरकार और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का खाद्य विभाग विचार कर रहा है।

## दालों की पैदावार

सन् १९५९-६० में दालों की पैदावार ८ हजार टन अधिक होगी। चालू वर्ष के अंतिम प्राक्कलन के अनुसार खरीफ की दालों का रकबा १,६०,७५,००० एकड़ और फसल १५,६७,००० टन है, ये आंकड़े खाद्य और कृषि मंत्रालय के अर्थ और अक निदेशालय की विज्ञप्ति में दिए गए हैं।

इन प्राक्कलन में शामिल उदद, मूग, कुलभी, मटर आदि दालें खीं में भी बोंई जातीं हैं। इनका प्राक्कलन मन् १९५९-६० की खीं की फसलों में भी होगा। इन प्राक्कलन में दलहन का (चना और तूर छोड़कर) करीब ६० प्रतिशत रकबा शामिल है।

खरीफ की दाट वें रकबे में वृद्धि मुख्यतः राजस्थान और कृष विहार, मध्य प्रदेश, आंध्र और मद्रास में हुई। पंजाब और मैसूर में इमारा रकबा कुछ घटा।

फसल में वृद्धि मुख्यतः बम्बई में हुई। मूग और अन्य दालों की पैदावार बड़ी और मोट की पटी।

## १९५९-६० में मूंगफली की पैदावार

खाद्य और अक मंत्रालय के आर्थिक और अक मंत्रालय निदेशालय की १० मार्च की एक विज्ञप्ति के अनुसार, देश में १९५९-६० में १ करोड़ ५३ लाख ५ हजार एकड़ जमीन में मूंगफली की खेती हुई और ४३ लाख ९० हजार टन मूंगफली पैदा हुई, जबकि १९५८-५९ में १ करोड़ ४५ लाख ७५ हजार एकड़ जमीन में मूंगफली की खेती हुई थी और ४८ लाख १२ हजार टन मूंगफली पैदा हुई थी। इस प्रकार १९५९-६० में ७ लाख ३० हजार एकड़ अतिरिक्त जमीन में खेती हुई और पैदावार ४ लाख २० हजार टन पटी।

प्रायः प्रत्येक राज्य में पहले ने अधिक जमीन में मूंगफली की खेती हुई। इसका कारण बुवाई के समय अच्छा मौसम रहना है। पैदा-

वार घटने का मुख्य कारण, बम्बई और मध्य प्रदेश में फसल को बेहतर वर्षा में नुकसान पहुंचना है।

## क्या आप जानते हैं ?

### मूंगफली और उसकी उपयोगिता

मूंगफली की लगभग ५० किस्में हैं। मूंगफली की खेती विशेषकर आंध्र प्रदेश, बम्बई, मद्रास, सौराष्ट्र और मैसूर में होती है। कुछ मूंगफली बाहर भी भेजी जाती है।

मूंगफली की किस्म और खेती के तरीके के अनुसार इसकी प्रति एकड़ उपज भिन्न-भिन्न होती है। जहाँ मिर्चाई के लिए वर्षा पर ही निर्भर रहा जाता है, वहाँ एक एकड़ में 'गुच्छेदार' किस्म की ७५० पींड और 'फैलवा' किस्म की १ हजार पींड मूंगफली पैदा होती है। जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है, वहाँ 'गुच्छेदार' किस्म की २ हजार पींड और 'फैलवा' किस्म की लगभग २॥ हजार पींड तक मूंगफली पैदा होती है।

● मूंगफली का विशेषकर तेल निकाला जाता है। यह तेल खाने के काम आता है। मूंगफली के तेल को साफ करके वनस्पति भी बनाया जाता है। मूंगफली का बिना साफ किया हुआ तेल मायून और ग्लिसरीन बनाने के काम आता है।

तेल निकालने के बाद जो खली बचती है, उसे जानवरों को खिलाया जाता है या खाद के काम में लाया जाता है। यदि छिलका उतार कर गिरी का तेल निकाला जाए तो इसकी खली आरमियों के खाने के काम भी आ सकती है।

● मूंगफली के आटे में खर्बों की मात्रा कम और प्रोटीन, विटामिन बी, कैल्शियम और फास्फोरस अधिक होने के कारण यह बहुत पोषिक होता है। मैसूर की केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला अनुसंधान संस्था ने मूंगफली के आटे में कई अच्छे और पोषिक माद्य पदार्थ बनाए हैं। इनमें से एक बहुत उपयोगी माद्य

पदार्थ है। इनमें लगभग ४२ प्रतिशत प्रोटीन, ए, डी, बी और बी २, विटामिन तथा लोहा और कैल्शियम है। इसे रोज १॥ मे २ औंस तक खाने से प्रोटीन, विटामिन और खनिज पदार्थों की आवश्यकता बहुत अंग तक पूरी हो जाती है।

● गेहूँ के आटे में ४० प्रतिशत मूंगफली का आटा मिलाकर विस्कुट बनाने में विस्कुटों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। मूंगफली का आटा मिलाने से विस्कुटों में प्रोटीन की मात्रा १५ से १६ प्रतिशत तक हो जाती है, जबकि साधारण विस्कुटों में प्रोटीन केवल ५ से ६ प्रतिशत तक ही रहती है।

● मैसूर की खाद्य अनुसंधान संस्था ने ७५ भाग गेहूँ का आटा, १७ भाग टेपिओका का आटा और ८ भाग मूंगफली का आटा मिला कर 'पोषिक आटा' बनाया है। यह आटा साधारण आटे की तरह ही रोटी और पूरे बनाने के काम आ सकता है। यह साधारण आटे में २५ प्रतिशत अधिक पोषिक होता है।

● कम खर्बों वाला मूंगफली का आटा, टेपिओका आटे की प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टेपिओका में अधिकतर स्टार्च ही होता है। टेपिओका में मूंगफली का आटा और सूखी मिठाईकर किण्वी भी शक्कर का अनाज बनाया जा सकता है। इस नये अनाज में चावल के प्रायः सब गुण होंगे।

● मूंगफली का एक और अच्छा प्रयोग इनमें वनस्पति दूध और दही बनाना है। मूंगफली का दूध लगभग माद्य के दूध के समान ही गुणवत्ता होता है। मूंगफली से बनाई हुई दही का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है और यह पच भी बहुत जल्दी जाती है।

# विद्यार्थियों के लिए

## बिहार पंचायत परिषदों की बैठक

राँची में १९ और २० फरवरी, १९६० को बिहार के जिला और अंचलों की पंचायत परिषदों के लगभग १०० अध्यायों और सदस्यों की बैठक हुई। इनमें पंचायतों के विकास कार्यक्रमों, ट्रेनिंग, ग्राच, मातृशाला, जमा करने, चुनाव और ग्राम स्वयंसेवक दल के बारे में विचार विचार किया गया।

बैठक का समापन करने हुए सामुदायिक विकास और महत्त्वपूर्ण भी देने में कहा कि जनक राज्यों में चलवाने ग्राम संस्था समिति की रिपोर्ट के अनुसार पंचायत राज योजना चल रही है। इनमें बिहार को भी पीछे नहीं रहना चाहिए।

उन्होंने कहा कि निम्न अनुभवों का पता चला है कि जब तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाने में जनता पूरा-पूरा सहयोग नहीं देगी, तब तक हमें पूर्ण सफलता नहीं मिल सकती। यदि पंचायत राज पूरे उन्माह में काम करने में राज्यों के विकास कार्यक्रम अव्यय सफल होंगे।

पत्रिका ने अपनी बैठक में जो प्रस्ताव पास किए उनमें कहा गया कि जब तक पंचायत राज लागू नहीं होना, तब तक आंध्र प्रदेश की तरह, बिहार में भी प्रत्येक जिले में एक-एक सख्त को पंचायत समिति में बदल दिया जाए।

**त्रिपुरा में सामुदायिक विकास कार्यक्रम**  
त्रिपुरा के प्रवेश सख्त में सख्त विकास समिति बनाई गई है, ताकि सख्त अधिकारिता और जनता में सम्पर्क बना रहे तथा ग्राम सख्त के विकास में रुचि ले। इनमें क्षेत्रीय पत्रिका के सदस्य, गैर-सरकारी शिक्षार्थी सदस्या, प्रगतिशील किसान, महत्त्वपूर्ण समितियाँ और आदिमजातियों के महत्त्वपूर्ण के प्रतिनिधि हैं। ग्राम सेवक के क्षेत्र में भी प्रकार के विकास कार्यों पर विचार करने के लिए भी ग्राम समितियाँ बनाई गई हैं। गांवों के नेताओं और सख्त विकास समिति के सदस्यों को ट्रेनिंग देने के लिए निविदा लगाए जाते हैं। इनके अलावा लोगों में विकास कार्यों के प्रति रुचि पैदा करने के लिए मंचे और गांधिवादी भी को जानी हैं।

बैज्ञानिक, कला, क्रीडा और पत्रकार सख्तों के सम्मेलनों आदि में प्रतिनिधि भेजे जाए, मांस्कृतिक, वैज्ञानिक और शिक्षा सम्बन्धी मामलों का विनिमय किया जाए, पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य वैज्ञानिक, मांस्कृतिक और गिल्पिक प्रकाशनों का अनुवाद और विनिमय किया जाए और जहाँ तक सम्भव हो पुरावनों और प्राचीन पाण्डुलिपियों का विनिमय किया जाए, विज्ञान और कला प्रदर्शनियों का और नाटकों, फिल्मों आदि के प्रदर्शन का आयोजन किया जाए और रेडियो, मस्टरकार-पत्रों तथा अन्य पत्रों को साधनों द्वारा एक-दूसरे को सख्तिके बारे में जानकारी बडाई जाए।

दोनों देशों की सरकारों खल-कुद और धारौतिक स्वास्थ्य को बडावा देने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करेंगी।

समझौते में यह व्यवस्था भी है कि यदि आवश्यक हुआ तो समझौते को लागू करने के लिए दोनों देशों में एक भारत-यूगोस्लाव मन्त्रालय समिति भी नियुक्त की जाएगी।

कियाँ दूसरे देश से किया जाने वाला यह ११वाँ मांस्कृतिक समझौता है। १९५१ में अब तक भारत, तुर्की, ईराक, इंडोनेशिया, जापान, ईरान, पोलैंड, रूमानिया, मयूक्त अन्य गणराज्य, चेकोस्लोवाकिया और रूस में मांस्कृतिक समझौते कर चुका है।

# शिक्षा और स्वतंत्रता

## भारत और यूगोस्लाविया में सांस्कृतिक समझौता

भारत और यूगोस्लाविया के बीच एक सांस्कृतिक समझौते पर ११ मार्च को नयी दिल्ली में औपचारिक रूप से हस्ताक्षर हो गए। समझौते का उद्देश्य दोनों देशों की वर्तमान क्षेत्रों को और सख्त करवा और विज्ञान, शिक्षा तथा सख्तिके क्षेत्र में आपसी मदद और सहयोग बढ़ाना है। यूगोस्लाविया की ओर से भारत नियत यूगोस्लाव राजदूत ने और भारत की ओर से

केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सख्तिके मंत्री ने हस्ताक्षर किए।

समझौते के पाच सख्त हैं। समझौता, दोनों देशों की सरकारों की सहमति प्राप्त हो जाने की शर्तों से लागू हो जाएगा।

समझौते के अंतर्गत, दोनों देशों की सरकारों ने यह इच्छा प्रकट की है कि शिक्षा, विज्ञान, सख्तिके और कला क्षेत्रों के प्रतिनिधि एक-दूसरे देशों को जाए, विशेष पाठ्यक्रम चलाने और भाषण करने के लिए दोनों देशों के प्राध्यापक और अनुसंधान कार्यकर्ता भेजे जाए, छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जाएँ, साहित्यिक,

## विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाएं

शिक्षा मंत्री, डा० कालूलाल श्रीमाला ने ११ मार्च को लोकसभा में बताया कि इस समय विदेशों के निम्नलिखित विश्व-विद्यालयों में भारतीय भाषाएं पढाई जा रही हैं।

ब्रिटेन	
१ स्कूल आफ ओरि- एण्टल एण्ड अफ्रीकन स्टडीज, लंदन विश्व- विद्यालय, लन्दन	बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड, मलयालम, मराठी, मसख्त, तमिल, तेलुगु, उर्दू।
२ आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आक्सफोर्ड	मसख्त



३. एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी,  
एडिनबर्ग मस्कृत  
पू० एस० ए० (अमरीका)

१ हारवर्ड यूनिवर्सिटी,  
कैम्ब्रिज, मैसैच्यूसेट्स मस्कृत

२ मा उपएशिया राजनल  
स्टडीज, यूनिवर्सिटी  
आफ पेनिमिलवेनिया,  
फिन्डालिका हिंदी, मस्कृत

३ स्कूल आफ फार्मिन  
सॉसि, जार्जटाउन  
यूनिवर्सिटी, बार्ग-  
गटन-२० हिन्दी, मस्कृत

४ यूनिवर्सिटी आफ  
केलिफोर्निया, बर्केले,  
केलिफोर्निया मस्कृत

५ प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी,  
प्रिन्सटन, न्यूजर्सी मस्कृत  
फ्रांस

१ इस्टाट्यूट डि  
गिजिंजिगन,  
आदिन, यूनिवर्सिटी भारतीय मन्थना  
टि पेरिस, आला (जिनम मस्कृत  
गॉर्न्या, पेरिस भी शामिल है)

### विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय पीठ

**डा०** हनुमान् चंद्रार ने १० मार्च को राज्य-  
मन्त्रा में बताया कि इंडियन कॉलेज  
आफ मन्थान रिपब्लिक में कम्पॉजिटा विद्व-  
विद्यालय (फिनाम पेन), अन्धरा विद्व-  
विद्यालय (तुरी) और मेहरान विद्वविद्यालय  
(ईरान) में भारतीय विषयों के अध्यापन के लिए  
पीठ स्थापित की हैं। दोनों प्रकार आस्ट्रेलिया  
के मैनबॉन विद्वविद्यालय का भी भारतीय पीठ  
स्थापित करने का विचार है।

### मैट्रिड विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी पाठ्यक्रम

**स्पे**न में भारत के निम्नोत्पत्तों की मीट्रिड विश्व-  
विद्यालय के राष्ट्रीय राज्य विभाग के छात्रों  
के लक्ष्य में भारत के मन्थन में प्रारण दिया।

मैट्रिड विश्वविद्यालय अपने यहां इंडोलॉजी  
का पाठ्यक्रम शुरू कर चुका है और वैज्ञानिक  
अनुसंधान परिषद के डाक्टर जुआन रोजर  
की देखरेख में यह कार्यक्रम चल रहा है।

## अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय : शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

**के**न्द्रीय शिक्षा मंत्री, डा० कालूलाल श्रौमाली  
ने १५ मार्च को लोकसभा में अलीगढ़  
मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में एक वक्तव्य  
दिया। उन्होंने कहा कि कल 'काम रोकों  
प्रस्ताव' के दौरान मेनें अलीगढ़ मुस्लिम  
विश्वविद्यालय के बारे में एक वक्तव्य देने का  
वायदा किया था। जैसा कि सदन को पता  
है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की मौजूदा  
स्थिति बड़े लम्बे अर्थों से चल रही स्थिति का  
परिणाम है। मैं चाहूंगा कि सदन इस बारे में  
विचार करते हुए यह बात अपने ध्यान में रखें।

उन्होंने कहा कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-  
विद्यालय में पिछले कुछ समय में चल रही  
स्थिति के बारे में संक्षेप में उल्लेख करूंगा।  
मार्च १९५३ में काम्पट्रोलर और आडिटर  
जनरल ने विश्वविद्यालय के हिमाय-किताब  
के बारे में उत्तर प्रदेश के एकाउंटेंट जनरल  
द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रारम्भिक आडिट  
रिपोर्ट की एक प्रति शिक्षा मन्त्रालय को भेजी  
थी। इस रिपोर्ट में विश्वविद्यालय में किये  
गये गवर्न, हिमाय-किताब में गडबडी तथा  
कागजों में की गयी हेर-फेर के बारे में बताया  
गया था। काम्पट्रोलर और आडिटर जनरल ने  
अनिश्चितताओं की विभागीय जांच करने  
का मुद्दाय दिया था। इस पर विश्वविद्यालय  
में यह पूछनाछ की गयी कि वह रिपोर्ट पर,  
विशेषतः जांच करने के मुद्दाय पर क्या  
कार्रवाई कर रहा है।

विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने जो  
उत्तर मेन्त्रा उमता माराम यह था कि  
रिपोर्ट में जो अनिश्चितताएँ बताई गयीं  
हैं उनका कारण हिमाय रखने का गलत तरीका  
है और अगल में ज़रूरत इस बात की है कि  
हिमाय रखने के तरीकों में सुधार किया जाए।  
उन्होंने यह भी जिया कि आडिट रिपोर्ट  
में जो आपत्तियाँ की गयी हैं वे सुनिश्चित

नहीं हैं। शिक्षा मन्त्रालय की यह भेंट थी कि  
रिपोर्ट में उल्लिखित अनिश्चितताएँ बहुत  
गम्भीर हैं और उन्हें केवल यह कह कर नहीं  
ढाला जा सकता कि वे हिमाय-किताब रखने  
के गलत तरीकों के कारण हुई हैं। मन्त्रालय  
का यह भी मत था कि आडिटर द्वारा वागमय  
लगाये गये आरोपों को यह कह कर नहीं ढाला  
जा सकता कि वे सुनिश्चित नहीं हैं।

यह अनुभव किया गया कि विश्वविद्यालय  
में जैसी अवस्था है उनको देखते हुए निम्न  
जाच ज़रूरी है। साथ ही यह भी अनुभव  
किया गया कि ऐसे मामलों में यह अच्छा होगा  
कि इन अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए  
इसकी बजाय कि विजिटर कोई समिति  
नियुक्त करे यह अच्छा होगा कि विश्वविद्यालय  
स्वयं ही कार्रवाई करे। इसके बाद ३१ मई,  
१९५३ को विश्वविद्यालय की वित्त समिति ने  
अपनी एक विशेष बैठक में इस मामले पर  
विचार किया और तीन सदस्यों को एक समिति  
नियुक्त की।

मई १९५४ में इस समिति की रिपोर्ट ने  
बारे में विश्वविद्यालय से पूछा गया। इनके  
बाद भी और भी कई बार विश्वविद्यालय में  
पूछा गया कि आडिट की अर्थों में जो विषय  
आपत्तियाँ की गयी हैं उन्हें दूर करने के लिए  
क्या कार्रवाई की गयी है। १ जून, १९५४ को  
विश्वविद्यालय की ओर में सरकार को यह  
बताया गया कि आडिट रिपोर्ट में उठायी  
गयी आपत्तियों का जवाब देने के बारे में  
कार्रवाई की जा रही है और जब उनही  
आपत्तियों के जवाब तैयार हो जाएंगे तो  
पूरी रिपोर्ट भेज दी जाएगी। जून १९५४ में  
विश्वविद्यालय में आडिट की आपत्तियों का  
जवाब देना शुरू किया और मार्च १९५६ के  
अन तक जवाब दिये जाते रहे। जून १९५६  
में शिक्षा मन्त्रालय ने उपकुलपति को जिया  
कि उन्होंने जो समिति नियुक्त की थी उसकी  
नती वेंकट ही हुई है और न वह लागू है। जो  
गयी है। इस बात की देपने हुए यह मुद्दा  
दिया जाता है कि विश्वविद्यालय में १९५१-  
५२ और १९५२-५३ के हिमाय-किताब के  
बारे में पहली आडिट रिपोर्ट विचार के लिए  
एक समिति को मौप दी जाए और यह समिति  
नारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे। नती

१९५६ में विश्वविद्यालय की ओर में यह खबर आया कि जो समिति नियुक्त की गयी थी वह काम नहीं कर सकी और उच्च विद्यालय स्वर ही आर्टिस्ट की आयोजना का खर्च देना और डिमांड-बिलियर्स में मुधार करेगा। विश्वविद्यालय की ओर में यह भी बताया गया कि आर्टिस्ट रिपोर्ट में विचारणीय अर्थ में इकोनॉमिक कालेज में जो भी निर्माण कार्य हुआ है उनके बारे में रिपोर्ट देने के लिए एक मिलित विमोक्ष समिति नियुक्त की गयी है।

आर्टिस्ट की आयोजना तथा विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये खर्चों पर पूरी तरह से विचार करने के बाद अक्टूबर १९५७ में मिला मन्त्रालय ने विश्वविद्यालय पर इस बात के लिए ज़ोर दिया कि विमोक्ष मामला में यह विवरण की आवश्यकता है। २० अक्टूबर १९५७ का दिन गये खबर में उपकुलपति ने यह लिखा कि वे मुद्र इस बात को मरूम कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय के डिमांड-बिलियर्स के तहत म नुन ही मुधार करने की ओर प्रतिक्रिया आर्टिस्ट रिपोर्ट में मिले अनियमितताओं का उन्मूलन किया जाता है उसकी ओर सम्बंधित में ध्यान देने की आवश्यकता है। मन्त्रालय उपकुलपति को बग़दर ध्यान दिलाता रहा और उस मह-उपकुलपति ने फरवरी १९५८ में बताया कि १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ की त्रि-त्रिन् आर्टिस्ट-श्रावणिया का खर्च देना शर्मा बाकी है।

नियंत्रण १९५८ में विश्वविद्यालय की मिल समिति ने विजिटर द्वारा नामजद मदमय को यह आदेश दिया गया कि वह विश्वविद्यालय की निर्माण स्थिति और डिमांड-बिलियर्स के बारे में एक नोट तैयार करे। उन्होंने मितम्बर १९५९ में यह नोट प्रस्तुत किया। इस नोट को देखकर सरकार ने यह निर्णय निकाला कि विश्वविद्यालय ने आर्टिस्ट श्रावणियों पर जिन तरह से कार्यवाही की है उसकी सगलीय में तथा मामला विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों को जांच करने को आवश्यकता है।

उपकुलपति द्वारा अनियमित नियुक्तियों करने योग्य न होने पर भी लोगों को बिना बाकी के मरक्की देने तथा विश्वविद्यालय के विविध पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई

एक-पास्टर्डेंट न होने के बारे में भी बहुत-सी शिकायतें आई थीं। अतएव यह विचार किया गया कि इन मामलों को भी जांच में शामिल कर लिया जाए। इन सब बातों को देखकर यह तय किया गया कि विजिटर ने जांच के लिए आदेश देने की प्रार्थना की जाए और जांच समिति के लिए नाम भी तय कर लिए गए।

इसी समय मुझे विश्वविद्यालय के उप-कुलपति का एक पत्र मिला। उसमें उन्होंने लिखा था कि विजिटर द्वारा जांच समिति नियुक्त करने का मन्त्रालय ज़ोर देना लगता है चूंकि विश्वविद्यालय या कार्यकारिणी अपना दावा है कि विश्वविद्यालय में अन्तःक्रियता सिद्ध हुई है। उन्होंने लिखा था कि विजिटर द्वारा इस तरह की समिति नियुक्त करवाने से उपकुलपति तथा कार्यकारिणी को इस प्रकार के आरोपों में लगेटना ठीक नहीं होगा। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया था कि विजिटर की ओर में जांच समिति नियुक्त न की जाय, बल्कि इसकी बजाय कार्यकारिणी को जांच समिति नियुक्त करने को अनुमति दी जाय।

उपकुलपति ने यह प्रस्ताव किया था कि समिति के सदस्यों में नियुक्त कर और समिति द्वारा विचारणीय विषयों में तय कर दे। उपकुलपति ने इस बात पर बहुत ज़ोर दिया था कि विजिटर द्वारा जांच समिति नियुक्त करने में विश्वविद्यालय को बहुत बदनामी होगी।

इस तरह का विश्वविद्यालय को परेशान करने का नहीं था और मैं थोड़ा-थोड़ा उनकी बात मानने की संभावना था बशर्तकि मुझे यह आश्वासन दिया जाता कि भारत सरकार जित भागलों को जांच कराना चाहती है उनको निष्पक्ष जांच की जाएगी। चूंकि उपकुलपति ने जांच समिति के सदस्य नियुक्त करने और विचारणीय विषय तय करने के बारे में मेरी राय पूरी तरह मानने का प्रस्ताव किया अतएव मैंने यह स्वीकार कर लिया कि विजिटर की बजाय विश्वविद्यालय को कार्यकारिणी जांच समिति नियुक्त कर दे और मैंने उन समिति के लिए सदस्यों के नाम तथा विषयों की सूची उपकुलपति को भेज दी।

विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी ने १५

दिसम्बर, १९५९ को विश्वविद्यालय के प्रबन्ध के बारे में जांच करने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष समिति नियुक्त करने का सर्वसम्मति में निश्चय किया। इसी के फलस्वरूप चटर्जी समिति को नियुक्ति की गयी। मैं इसी समिति को जांच के बाद अपना विचार बताना चाहता था। २ मार्च, १९६० को लोकमन्त्रों में एक मदमय के विश्वविद्यालय के बारे में बहस शुरू करने पर भी मैंने यही बात कही थी कि मैं जांच समिति की रिपोर्ट आने तक इस बारे में परीक्षा करना ही ठीक समझता हूँ। उपाध्यक्ष ने भी उन समय यही निर्णय दिया।

### जांच समिति का रद्दागपत्र

अब मैं यह बताना चाहता हूँ कि जांच समिति ने क्या-क्या किया। ११ मार्च, १९६० को जांच समिति के सदस्यों ने अपने-अपने-अपने परदे रद्दागपत्र देने हुए उपकुलपति को चिट्ठी लिखी और उनमें डेम फोरन स्वीकार करने का अनुरोध किया। समिति के अध्यक्ष ने इस चिट्ठी की एक प्रति मेरे पास भी भेजी। चिट्ठी में कहा गया था कि उपकुलपति के मन्त्रालयों को एक बयान देने के कारण उनका काम करना असम्भव हो गया है। मुझे अभी यह मालूम नहीं कि विश्वविद्यालय में इसीफे के बारे में क्या किया।

इसी बीच मुस्लिम विश्वविद्यालय का ८ मार्च का गजट मुझे देखने को मिला जिसमें विश्वविद्यालय के विरुद्ध सब आरोपों को निराधार बताया गया था। इसी के पृष्ठ २ पर थी एक पृष्ठ-१० खोजा का वक्तव्य छपा है। इस वक्तव्य में कहा गया है कि मेरे पास वह सारी जानकारियाँ हैं जिनमें वह पूरी तरह निर्दोष सिद्ध करेगी या गलत हो और मैंने जानबूझ कर उसे मदन के सामने नहीं रखा। मैं इस समय इस बहस में नहीं पटना चाहता कि एक विश्वविद्यालय के गजट में केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय के बारे में इस तरह की सूचना-चीर्षी कहा तक ठीक है। २९ फरवरी, १९६० को विश्वविद्यालय ने कुछ सूचना मन्त्रालय के पास भेजी थी। इसमें श्री खोजा की पत्नी द्वारा अपनी जमीन बंधन के बारे में भी कुछ जानकारियाँ थी। मुझे यह पता होना मुभव नहीं था कि वह मदमय किन बातों को उठाना चाहते हैं। इसलिए उन सूचनाओं में मैं कुछ बातों के आधार पर जो विश्वविद्यालय



गमय-ममय पर भेजो जाती रहती है किसी आरोप का खंडन या किसी का समर्थन करना मेरे लिए समझदारी न होती।

दूनरे, विना किसी जांच के बिन्ही आरोपों का खंडन करना या समर्थन करना भी जाच समिति के विरुद्ध होता। वास्तव में मेें उमी अग्रिय म्पित को टालना चाहता था जो उपकुलपति के वचान से पैदा हो गई और जाच समिति में इस्तीफा दे दिया। जाच समिति में निस्मदेह ऐसे स्वतंत्र और निष्पक्ष ब्यक्ति थें जो अवश्य स्वतंत्र निर्णय ले सकते थें। वाम्भव में नदन के मामनें ऐसा कोई आभास नहीं देना चाहता था कि बिन्वविद्यालय के बारे में मरकार को जानकारी मिली है और उमें मनोंपजनक पाया गया है, क्योंकि उमने जाच के काम में वाधा आनी। इसीलिए भेंनें गद्दी ठाक समझा कि निष्पक्ष जाच हो और उमका परिणाम आनें की प्रतीक्षा की जाय।

अत में में यह कहना चाहूंगा कि बिन्व-विद्यालय के प्रबन्ध और ब्यय व्यवस्था को ठाक से चलाने के लिए जो उपाय किये जाए उनमें किसी को विरोध नहीं हो सकता और बिन्वविद्यालय के सब शुभाकांक्षी इस तरह मिल कर काम करें जिनमें यह बिन्वविद्यालय ममान की अधिक से अधिक सेवा कर सकें।

### भारतीय भाषाओं में विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकों के लिए इनाम

भारतीय भाषाओं में उच्च श्रेणी की विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकों के प्रकाशन का प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय ज्ञानिक अनुपदान और सस्कृति मन्त्रालय ने प्रतिवर्ष १०,००० रु० का इनाम देने की घोषणा की है। यह इनाम इन्हीं माध्य में किसी एक प्रकाशक को दिया जाएगा।

यह इनाम उस प्रकाशक को दिया जाएगा जो एक माध्य में किसी भी भारतीय भाषा में विज्ञान सम्बन्धी सर्वोत्तम पुस्तकों की निरीक्षण प्रस्तुत करेगा। निरीक्षण में कम से कम ५ पुस्तकें होनी अनिवार्य हैं। यह इनाम किसी लेखक को नहीं दिया जाएगा। ये पुस्तकें वाक्यों उच्च स्तर की, भाषणय लोभा के पक्ष में के लिए या पाठ्यपुस्तक के रूप में प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए। पाठ्यपुस्तक स्तर पर कम से कम ५ पुस्तकें होनी चाहिए। १९६० में जो

पुस्तकें प्रकाशित होंगी उन पर भी विचार किया जाएगा।

बहुत समय में यह अनुभव किया जा रहा है कि भारतीय भाषाओं में विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकों की काफी कमी है और ऐसी बड़िया पुस्तकों की बहुत आवश्यकता है। आता है विज्ञान सम्बन्धी अच्छी पुस्तकें छपने से विज्ञान को भी काफी बढ़ावा मिलेगा।

### शिल्प शिक्षा परिषद की समन्वय समिति की बैठक

१ मार्च को नयी दिल्ली में अखिल भारतीय शिल्प शिक्षा परिषद की बैठक में देश में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिल्प और इञ्जीनियरी शिक्षा की प्रगति के बारे में विचार किया गया। बैठक के समापति वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सस्कृति मन्त्रालय के मन्चिव, श्री एम० एस० धेंकर थें।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में शिल्प और विज्ञान के क्षेत्र में और अधिक काम किया जाएगा। इस दृष्टि में शिल्प और इञ्जीनियरी शिक्षा की भावी रूपरेखा बैठक के सदस्यों को बनाई गई। इस बात पर भी सदस्यों ने विचार किया कि इञ्जीनियरी की पंचवर्षीय शिक्षा पाने के लिए छात्रों की न्यूनतम अवस्था क्या निश्चित की जाए।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ८ इञ्जीनियरी कालेज और ३७ शिल्प विद्यालय चालू हों गए हैं। इसके अलावा एक इञ्जीनियरी कालेज और १२ शिल्प विद्यालय और स्थापित किए जा रहे हैं। १९५९ में देश के १३० कालेजों में १३,५०० और डिप्लोमा विद्यालयों में २०,३०० छात्र प्रवेश पा सकते थें। इन विद्यालयों का और विस्तार किया जा रहा है और इनमें लगभग १३,५०० और २५,००० छात्र प्रवेश पा सकेंगे।

आयोजन आयोग की मन्त्रालय के केन्द्रीय मन्त्रालय में १९५८ में एक योजना बनाई थी, जिसके अनुसार तीसरे पंचवर्षीय योजनाकाल में १० क्षेत्रीय इञ्जीनियरी कालेज और ७७ शिल्प विद्यालय खोले जाएंगे।

परिषद की अगली बैठक अप्रैल १९६० में मध्य में होगी।

### उत्तर प्रदेश में तीन-साला डिप्लोमा पाठ्य

उत्तर प्रदेश सरकार, अपने राज्य के विद्यालयों में, वर्तमान माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था में किसी तरह की हेरफेर बिना ३ साल का पाठ्यक्रम जारी करने तैयार है। यानी २ साल का हाई स्कूल उसके बाद २ साल की इंटरमीडिएट उसका पूर्व जारी रखी जाएगी। इसके राज्य सरकार ने महत्वात् रखा है कि ३ डिप्लोमा पाठ्यक्रम चालू करने में जो अनाप व्यय आए, वह सारा का सारा के सरकार उठाए।

यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में मि मंत्री, डा० कालूजाल श्रीमाली ने १० की राज्यसभा में दी।

भारत सरकार ने बिन्वविद्यालय अनु आयोग में मलाह करके उत्तर प्रदेश मर का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है उससे कहा गया है कि इस पर अमल शुरू की

उत्तर प्रदेश सरकार ने जवाब दिया कि पहले खर्च के तलमीने भेजने के बाद में कालेजों की मसूदा बढ गयी है और इस पहले से अधिक खर्च आएगा। इसलिए को न केवल बडा हुआ अनावर्षक व्यय उठाना पड़ेगा, बल्कि इस योजना को करने में होने वाला आवर्षक व्यय भी के सरकार को देना होगा। राज्य सरकार नये प्रस्ताव भी बिन्वविद्यालय अनु आयोग के विचारार्थ भेजे जा रहे हैं।

### ब्रिटेन की माप्टेसरी संस्थाओं की भाष्यता समाप्त

शिक्षा मन्त्रालय की १३ मार्च की विज्ञापित में बताया गया है कि देश हो पाइसरी में पहले की शिक्षा को का व्यवस्था है। इस कारण भारत सरकार ब्रिटेन की माप्टेसरी संस्थाओं को जो माध्यम की थी, उसने जन १९६१ में बराम लेने निर्णय लिया है। भारत में माप्टेसरी शिक्षा के लिए ब्रिटेन जाने वाले छात्रों को अब प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।

**संशोधित बेचमगरी लिपि का चलन**  
**भा**रत सरकार ने राज्य सरकारों को मुताबक दिया है कि जिन सरकारों का राजराज में बेचमगरी लिपि चलता है, उनमें बे संशोधित लिपि का प्रयोग करना नहीं है।

यह सूचना ८ मार्च को गोबयमा में एक प्रश्न के उत्तर में मिश्रा मंत्री, डा० बालकृष्ण धर्मदत्त ने दी।

उन्होंने बताया कि सरकार ने राज्य सरकारों को जो मुद्रापत्र भेजा है, उनकी प्रतिनिधित्वा बेन्द्रीय सरकार के मन्त्रालय को भेजी गयी है। संशोधित लिपि को प्रचलित होने में अभी समय लगेगा, क्योंकि अब मशीनों, (मेक टाइपराइटर) में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके अलावा इन मशीनों, प्रिन्टर, फारम आदि हैं, उन्हें टाइपर उनके स्थान पर संशोधित लिपि में नयी फुलरों, फारम आदि नया करना भी उचित नहीं है।

**१९५९ में प्रसारण का कुल समय**

**स**न् १९५९ में निम्नलिखित मात्रा की अनेक आवाजवाणी में विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित होने के कुल समय में कुछ वृद्धि हुई। निम्नलिखित में विचारधारा का कार्यक्रम, अहमदनगर और निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित होने और विविध भाषणीय कार्यक्रम का समय बढ़ने में यह वृद्धि हुई।

यह सूचना ४ मार्च को लोकसभा में सूचना और प्रसारण मंत्री, डा० बालकृष्ण विदेवनाथ केमकर ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

**रेडियो लाइसेंस लेने की मियाद**


**भा**रत सरकार ने रेडियो खरीदने के बाद उनका लाइसेंस लेने में सात दिन की छुट देने का निर्देश किया है। अभी तक रेडियो खरीदने से पहले लाइसेंस लेना होता था। अब नए नियम के अनुसार दुकानदार रेडियो की विक्री का प्रमाणपत्र देना और रेडियो की खरीद के सात दिन के भीतर फार्मले लेना होगा।

**रूपोराइट कानून लंका की पुस्तकों पर लागू**  
**भा**रत सरकार के १४ मार्च, १९६० के अभाषरण सूचना-पत्र में प्रकाशित एक विज्ञापन में बताया गया है कि १९५७ का कानूनराइट अधिनियम लंका की पुस्तकों पर भी लागू किया जाएगा। यह व्यवस्था दुर्लभ पुस्तकों को नहीं है कि सहा साहित्यिक और नया मन्त्रालय रचनाओं को रखा के लिए वनी वनं पुनिलन वा मदम्य बना गया है।

**जे० जे० इस्टिड्यूट की रजत-जयन्ती का विशेष डाक-चिह्न**

**व**र्षद्वय के जे० जे० इस्टिड्यूट आर एल्लाइड भाईय की रजत जयन्ती के अवसर पर, जो १० मे १८ मार्च तक मनाई गई, डाक-पत्र विभाग ने विशेष डाक-चिह्न जारी किया।

रजत की निशान देने वाले अपने रूप का यह एकात्मक चिह्न है। इसके डिजाइन को बेन्द और राज्यों के लोकसभा आयोग ने मान्यता दे रहीं हैं।



**कैंसर की चिकित्सा और अनुसंधान के लिए अनुदान**

**के**न्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय ने चालू वित्त वर्ष में कैंसर का इलाज और अनुसंधान करने वाले अस्पतालों और संस्थाओं को ८ लाख ६० अनुदान दिया है। जिन अस्पतालों और संस्थाओं को अनुदान दिये गये हैं, उनके नाम और अनुदान का ब्योरा यह है - चित्तूरजन कैंसर अस्पताल-१,५०,००० रु०; कैंसर इस्टिड्यूट, मद्रास-२,००,००० रु०; कैंसर इस्टिड्यूट, कानपुर-२,००,००० रु०, मडिकल कालेज और अस्पताल, त्रिवेन्द्रम-१,००,००० रु०, कमला नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद-१,००,००० रु० और कलशा सेवा सदन, बम्बई-५०,००० रु०।

राज्य सरकारों को दूसरी योजना में कैंसर

**अन्ताराष्ट्रीय अफ्रीका-एशियाई फिल्म प्रदर्शनी**

**भा**रत सरकार ने अफ्रीका-एशिया की पहली अन्ताराष्ट्रीय फिल्म प्रदर्शनी में मद्रास के पद्मिनी पिक्चर्स की रंगीन तमिल फिल्म 'बोरपायड्य कट्टवोमन' भेजी है।

यह प्रदर्शनी काहिरा में २९ फरवरी से ११ मार्च तक हुई। इसका आयोजन संयुक्त अरब गणराज्य के संस्कृति और राष्ट्रीय मार्गदर्शन मन्त्रालय की ओर से, वहाँ के गिनेमा नगडन को महायता मे हुआ।

**पंजाब दत्त चिकित्सा कालेज के डिप्लोमा को मान्यता**

**भा**रत की दत्त चिकित्सा परिषद ने पंजाब दत्त चिकित्सा कालेज, दत्त चिकित्सा और नेत्र चिकित्सा कालेज, लाहौर (जो अब बन्द हो चुका है) द्वारा १४ अगस्त, १९४७ या उसके पहले दिए गए डिप्लोमाओं को मान्यता दे दी है। इस संस्था को चलाने वाले स्व० डा० सत्यपाल थे।

अनुसंधान संस्थाएँ स्थापित करने में सहायता देने के लिए ३५ लाख रु० रखा गया है।

**तपेदिक रोगियों को रेल माड्डे में रियायत**

**आ**जकल तपेदिक के रोगियों को उन तपेदिक अस्पतालों, सैनिकीयों और चिकित्सालयों तक आने-जाने में रेल के माड्डे में रियायत मिलती है जो उनके अपने राज्य में बसे होते हैं। अब रेल मडल ने यह रियायत अन्य राज्यों में भी आने-जाने के लिए देने का निर्देश किया है।

रजिस्टरनुदा डाक्टरों के प्रमाणपत्र पेश करने पर यह रियायत दी जाती है। अगर कोई रोगी अकेला यात्रा करे तो उसे केवल एक-चौथाई भाडा ही देना पड़ता है। अगर वह किसी अन्य व्यक्तित के साथ यात्रा करे तो दोनों को एक टिकट ही लेना पड़ता है।



### विमोचित जातियों की भलाई के काम

विमोचित जातियों या भूतपूर्व अपराधी वृत्ति की जातियों की भलाई के कामों के लिए १९५९ में ३७ लाख ४० मजूर किया गया ।

भलाई की योजनाओं में विमोचित जातियों के लोगों के लिए पढ़ाई, जमीन और भूकान, गृह उद्योग आदि की व्यवस्था और बच्चों के लिए गुधारगृह बनाने के कार्यक्रम शामिल हैं ।

इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विमोचित जातियों को फिर में समाना और इनके बच्चों के लिए ऐसा वातावरण पंदा करना है, जिसमें वे अच्छे नागरिक बन सकें ।

पहले जरायमपेगा कानून के अन्तर्गत इन जातियों पर बहुत-से प्रतिबंध रहते थे । इन जातियों की जनसंख्या लगभग ४० लाख है । इसका राज्यवार ब्योरा इस प्रकार है - उत्तर प्रदेश १६ लाख ६९ हजार , बम्बई ६ लाख २४ हजार , मद्रास ५ लाख ९५ हजार और मंगूर २ लाख १० हजार ।

### विस्थापित परिवारों के विद्यार्थियों की सहायता

एक प्रदन के उत्तर में ७ मार्च को राज्य-गभा में निशा मंत्री, डा० श्रीमाली ने बताया कि पिछले वर्ष गरीब विस्थापित परिवारों के १७३ विद्यार्थियों को योग्यता के आधार पर १०४० से ६०६० तक के मासिक बरीके मजूर किये गये । प्रत्येक छात्र को वित्तीय सहायता भी दी गई है जो ५०६० से ७२०६० तक की है ।

एक और प्रदन के उत्तर में निशा मंत्री ने बताया कि १५ जनवरी, १९६० तक भारतीय राष्ट्रियों की (जिन में विस्थापित शक्ति भी सम्मिलित है) निशा सम्बन्धी याचनाओं और प्रमाण-पत्रों के बारे में

पाकिस्तान में जांच की गई । १,०५१ प्रमाण-पत्रों और योग्यता की पाकिस्तान सरकार ने तसदीक कर दी और १,२२१ मामले उनके पास रुके पड़े हैं ।

### विस्थापितों को मुआवजे की अदायगी

पाकिस्तान से आए विस्थापितों को मुआवजा देने के लिए कुल ४ लाख ८६ हजार अजिया आई थी । इनमें से अब केवल ३४ हजार अजियों का निपटारा होना बाकी रह गया है । आशा है १९६० के मध्य तक ये अजिया भी निपट जाएंगी ।

यह सूचना पुनस्तस्थापन और अल्प सख्या मंत्री, श्री मेहर चन्द खन्ना ने ९ मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी ।



### छात्र सैनिक दल की राइफल टुकड़ी

छात्र सैनिक दल की नई राइफल टुकड़ी में १९५९-६० में ५० हजार छात्र सैनिकों की भर्ती का लक्ष्य रखा गया था । राइफल टुकड़ी में अब तक २९ हजार छात्र भर्ती हुए हैं । छात्र सैनिक दल निदेशालय में मिन्नी सबर के अनुसार मद्रास में ९,२००, उत्तर प्रदेश में ५,२००, पंजाब में ३,८००, राजस्थान में ३,१००, मध्य प्रदेश में २,०००, मंगूर में १,५००, बम्बई में २,३०० और आंध्र प्रदेश में १,६०० छात्र सैनिक राइफल टुकड़ी में भर्ती हुए हैं ।

कालेजों और विश्वविद्यालयों की अपने यहां छात्र सैनिक दल की टुकड़ियां मालाने की माग पर राइफल टुकड़ी बनाई गई है, जिनमें अधिक छात्र सैनिक निशा प्राप्त कर सके । १९६०-६१ के वित्त वर्ष के अंत तक इस

टुकड़ी में २५ लाख छात्र सैनिक भर्ती बनाने का लक्ष्य रखा गया है । छात्र सैनिक दल को राइफल टुकड़ी में छात्र सैनिकों को सेना को राइफल रेजिमेंटों के नमूने पर ही ट्रेनिंग दी जाएगी ।

१६ वर्ष से अधिक उम्र के लड़के और लड़कियां राइफल टुकड़ी में भर्ती हो सके हैं । इन लोगों पर कोई सैनिक जिम्मेदारी नहीं होगी । राइफल टुकड़ियों में २००-२०० छात्र सैनिकों की कम्पनियां होंगी । कम्पनी का कमांडर छात्र सैनिक दल का ही अहमर होगा । प्रत्येक कम्पनी में तीन प्लाटून होंगे ।

राइफल टुकड़ियों में हथियारों के साथ कवायदों के अलावा और सब ट्रेनिंग कार्यक्रम छात्र सैनिक दल की सीनियर डिबीजन के अनुसार ही होगा । लड़कियों को भी सीनियर डिबीजन के कार्यक्रम के अनुसार ही ट्रेनिंग दी जाएगी, पर इसमें सकेत भेजने और पाने तथा नर्तन का काम आदि भी विशेष रूप में सिलाया जाएगा ।

### लोक सहायक सेना की प्रगति

लोक सहायक सेना में मार्च १९६० तक पांच लाख लोगों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया था । दिसम्बर १९५९ तक बार लाख पंतीस हजार लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और आगा है कि अगले तीन महीनों में और ३,५०० लोग ट्रेनिंग ले चुकेंगे । प्रिन-रदा मंत्री, श्री कृष्ण मेनन ने हाल ही में लॉन्ग-मभा में इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि लोक सहायक सेना के अधिकांश सिविल पहाड़ी भागों में लगाए गए और वहां पानी और बाढ़ का भी काफी प्रकोप रहा । इसलिए इन सिविलों में कम लोगों ने भाग लिया । कभी कभी मसामक रोगों के कारण सिविल का स्थान एकदम बदल देना पड़ता था, जिससे इगमें काफी सख्या में लोग भाग नहीं ले सके ।

श्री मेनन ने बताया कि प्रनिशार्थियों की कमी पूरी करने के लिए हर साल विंसेन सिविल भी लगाए जाते हैं । अब तक इन प्रदान के ३८ सिविल लगाए जा चुके हैं । मन् १९५९-६० में १२ विशेष सिविल लगाने का विचार किया जा रहा है ।

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का पुनर्रचना/संघटन

भारतीय पुलिस सेवा के जो अधिकारियों में 3 लाख तक नाम कर चुके हैं, उनके लिए केन्द्रिय पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, माउंट आबू में 6 महीने का पुनर्रचना पाठ्यक्रम चालू होने काया है।

इन पाठ्यक्रम में ये अधिकारियों एक-दूसरे के अनुभव में लाभ उठाएंगे। जर्मनीवालों को पहले में जिन आधुनिक बैंगलियाह उपकरणों का इस्तेमाल होने लगा है, उनकी भी शिक्षा इन अधिकारियों को दी जाएगी।

भारतीय पुलिस सेवा के सूबह अधिकारियों को भी अब इन कॉलेज में नए ढंग में प्रशिक्षण दिया जाने लगा है। अब इनके पुलिस प्रशासन और सांख्यिक सेवा की भी शिक्षा दी जाती है और व्यावहारिक शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इन कॉलेज की चले 10 लाख ही चुके हैं। यहाँ प्रशिक्षण 60 में 40 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

इण्डोनेशिया के वायुमैत्रिकों को भारत में प्रशिक्षण

इण्डोनेशिया की वायुसेना के मंत्रियों का एक दल बहुत जल्दी भारत में ट्रेनिंग के लिए आ रहा है। इण्डोनेशिया के वायुमैत्रिकों को भारतीय वायुसेना के विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में ट्रेनिंग दी जाएगी।

इण्डोनेशिया के वायुमैत्रिकों का यह दल अब तक विदेश में ट्रेनिंग पान वाले सबसे बड़ा है।

हू 6 महीने बाद हम ही दल भारत में प्रशिक्षण के लिए आएंगे।

इण्डोनेशिया के वायुमैत्रिकों का भारत में प्रशिक्षण देने का करार 1956 में हुआ था। इसके अन्तर्गत इण्डोनेशिया के वायुमैत्रिकों को चार-पांच साल तक भारत में ट्रेनिंग दी जाएगी।


उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक

उत्तर प्रदेश के पुलिस गव-इन्स्पेक्टर, श्री सुभद्र चन्द वर्मा को उनके अदम्य साहस और कर्तव्यपरायणता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक दिया गया है। यह घोषणा

भारत सरकार ने 4 मार्च के मूचनापत्र में प्रकाशित हुई है।

सैनिक क्रमगत और अध्ययन सप्ताह विवरणों और मासिक इन्तोनियरी दल केन्द्र में विभिन्न प्रकार के अन्व-यत्नों, यथा और मासिक वा अध्ययन करने के लिए 3 मार्च में मंगल अभ्यास और अध्ययन मजाल 'दवन आरम्भ किया है।

इन अवसर पर प्रतिरक्षा मंत्री, श्री हृषीकेशन, स्पष्ट संदेशपत्र, जनरल धर्मिया, दक्षिण बंगाल के जी० श्री० मो० इन्द्रजी, ल० जन० ज० एन० चौधरी आदि उच्चाधिकारियों उपस्थित थे।



## राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति

राष्ट्रपति ने निम्नलिखित राज्य विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दी है —

मद्रास भूमि-सुधार योजना विधेयक, 1956

यह कानून 1956 के मद्रास के इसी तरह कानून कानून की जगह ले लेगा, क्योंकि पुराने कानून में कुछ धर्म विधियाँ थीं जिनके कारण मद्रास के नांदागिरी आदि कुछ जिलों में भूमि के भयानक कटाव का रोकने के लिए अन्वीट कदम नहीं उठाया जा सकने थे।

नये कानून के अन्तर्गत राज्य में जमीन का कटने में गंभीर और दूरी तरह के सुधारों का हाथ में लिखा जा सकता है। साथ ही इसके द्वारा राज्य सरकार बाड़ी में जमीन की रक्षा करने और जमीन का साफ करने के काम भी पूरे कर सकनी है।

लक्ष द्वीप समूह में तीन नये केन्द्र-येंतार

97 मार्च में अहमदोत, अमीनद्वीप और नवरानी द्वीपों में तीन नये बेंतार-केन्द्र खुल जाने से भारत और लक्षद्वीपसमूह और

पाकिस्तान के कमांडर-इन-चीफ दिल्ली में

पाकिस्तान की सेना के कमांडर-इन-चीफ जनरल मोहम्मद मुसा दो दिन की भारत-यात्रा पर 4 मार्च को दिल्ली पहुंचे। पालम हवाई अड्डे पर स्थल सेनाध्यक्ष जनरल के० एम० धर्मिया ने उनका स्वागत किया। दिल्ली में जनरल मुसा प्रतिरक्षा मंत्री श्री कृष्णा मेनन से भी मिले।

जनरल मुसा के निजी सचिव, उनके दो पुत्र और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पुत्र कैप्टेन अख्तर अमूब ता भी उनके साथ दिल्ली गये थे।

निर्वात जा गये हैं। इस नयी बेंतार की तार-व्यवस्था का उद्घाटन स्पराष्ट्र मंत्री, श्री गोविन्द वल्लभ पन्त ने किया। यं बेंतार-केन्द्र डाक-तार विभाग में स्थापित किए हैं। मिन्काय में एक बेंतार-केन्द्र पहले से काम कर रहा है।

पूर्व तथा उत्तर क्षेत्रों के लिए आरक्षित पुलिस दल योजना

लोत्तमभा में 3 मार्च को स्वराष्ट्र मंत्री, श्री गोविन्द वल्लभ पन्त ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि पूर्व तथा उत्तर की क्षेत्रीय परिषदों में आरक्षित पुलिस दल की योजनाएँ स्वीकार कर ली हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद में इस योजना के बारे में विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी और उसमें जो रिपोर्टें दी हैं वह परिषद की अगली बैठक में पेश की जाएगी। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद ऐसा दल नियुक्त करने की कोई जरूरत नहीं समझती है।

इस योजना के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य या केन्द्र प्रशासित क्षेत्र अपने यहाँ आरक्षित पुलिस दल की कुछ पुलिस क्षेत्रीय आरक्षित पुलिस दल के लिए

भेजे, जिनमें यह पुलित दल क्षेत्र में कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर भेजा जा सके। विभिन्न राज्यों में हर माल आरक्षण पुलित दल को वारी-वारी में थोड़े समय के लिए मनुक्त ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई है।

### राज्यों में जिला विकास समितियाँ

**श्री** प्रदेन और राजस्थान सरकार जिलों में विभिन्न विभागों के काम में मेल रखने का काम जिला परिषद को सौंप चुकी है। अब मद्रास, मैसूर, उड़ीसा और आसाम सरकार भी जल्दी ही यही काम करने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में यह काम अन्तर्गत जिला परिषद को और बिहार, बम्बई, केरल और मध्य प्रदेश में जिला काउन्सिल या बोर्ड को सौंपा है। पंजाब में जिलों में स्थायी समिति का बनाई गई है और पश्चिम बंगाल में यह काम मण्ड विकास समितियों को सौंपा है।

### दिल्ली प्रदेश में सहकारी रूप समितियाँ

**दि**ल्ली प्रदेश में इन समय २३ सहकारी रूप समितियाँ दखें हैं। यह सूचना १० फरवरी को लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में उत्तर में केन्द्रीय सामुदायिक विकास और गृहण उपमंत्री, श्री बी० एम० मुनि ने दी।

उन्होंने बताया कि जय महसारी समितियों की तरह गृहण, रूप समितियाँ दिल्ली महसारी क्षेत्र में करने के मन्तव्य हैं। इन समय महसारी क्षेत्र में प्रथम या गृहण के रूप में कोई भी गृहण समिति नहीं दी जा रही है। परन्तु एक महसारी समिति को चार गांव प्रथम सामुदायिक विभाग गृहण के बजट में २०,००० रु० प्रदान किया गया।

### दिल्ली प्रदेश की पंचायतें

**के**न्द्रीय सामुदायिक विभाग और महसारी उपमंत्री, श्री बी० एम० मुनि ने १० फरवरी को लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया कि दिल्ली प्रदेश की महसारी और पंचायतों का नामन और विकास दिल्ली कमिश्नर के अन्तर्गत विकास

आयुक्त को दे दिया गया है। इस समय दिल्ली में २०५ ग्राम सभाएं और २२ सिकल पंचायतें काम कर रही हैं।

### पंजाब उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश

**श्री** प्रेमचन्द पण्डित को उनके कार्य-भार सम्भालने की तारीख से दो वर्ष के लिए पंजाब उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह सूचना २४ फरवरी की एक प्रेस-विज्ञापन में दी गयी है।

### मध्य प्रदेश का मकान नियंत्रण (संशोधन) कानून, १९६०

**म**ध्य प्रदेश में १९५५ में मकान नियंत्रण कानून लागू किया गया, जिसकी मियाद ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त हो गई थी। इन कानून को एक साल के लिए और बढ़ाना

जरूरी समझा गया, परन्तु उस समय वहाँ की विधानसभा को बैठक नहीं हो रही थी। अब ३० दिसम्बर को अध्यादेश जारी किया गया। अब उसी अध्यादेश के स्थान पर यह कानून लागू किया गया है।

### दिल्ली में आभारा बच्चे

**ल**ोकसभा में ११ मार्च को स्वराष्ट्र उपमंत्री, श्रीमती वायलेट अल्वा ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि बम्बई वाल अधिनियम १९२४ के अन्तर्गत दिल्ली में १९५९ में १,६५६ आभारा बच्चों को पकड़ा गया। यह अधिनियम दिल्ली में भी लागू कर दिया गया है।

श्रीमती अल्वा ने कहा कि उन बच्चों को जिन्हें अदालत ने, मामला चलाये जाने के दौरान अभिभावकों के पास छोड़ना उचित नहीं समझा है सुधार-मूर्तों में भेज दिया गया है।



### भारत तथा फिनलैंड के राजनयिक सम्बन्ध

**प**राष्ट्र मन्त्रालय की १९ फरवरी की एक विज्ञापन में बताया गया है कि भारत और फिनलैंड के बीच मैत्री सम्बन्ध को और दृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार ने दोनों देशों के दूतावासों का स्तर ऊँचा करके उन्हें राज-दूतावास बनाने का निर्णय किया है।

स्वीडन में भारत के राजदूत श्री केवल सिंह फिनलैंड के भी राजदूत नियुक्त किए गए हैं। भारत में फिनलैंड के अमात्य, डा० निरुडें बार्नेडर वान स्तुयमों को फिनलैंड का प्रथम राजदूत बनाया गया है।

### भारत और बर्मा के राजनयिक सम्बन्ध

**भ**ारत और बर्मा के राज्यों में आर्यों सम्बन्ध और दृढ़ करने के मकाल में सुगम हो अपने दूतों का दरजा बढाकर उन्हें राजदूत बनाने का निर्णय किया है।

इस निश्चय के अन्तर्गत अब अमरेश्वर में भारतीय राजदूत, श्री एम० गी० शर्मा तथा बर्मा में भी भारत के राजदूत होने और उनका कार्यालय वाशिंगटन में ही रहेगा।

यह सूचना परराष्ट्र मन्त्रालय की १४ मार्च की एक विज्ञापन में दी गई है।

### श्रीगणेश के भूचाल पीड़ितों की भारतीय सहायता

**श्री**गणेश (मोरचको) के भूचाल पीड़ितों को भारत ने जो सहायता भेजी है, वह है, उनको पहली रंग एयर इंडिया इन्टरनेशनल के विमान द्वारा ७ मार्च को वेनिज भेजी गई। वहाँ से मोरचको के विमान पर सामान मोरचको के जायेगा।

इन बरमुआं में वेनिजिलिन, एल्कोहॉल, मन्कलापकर्मक, टॉय बॉय का टीका, स्टूडेंट्स माइग्रेट, विटामिन की गोलीयाँ और अन्य दवाएँ हैं।

मार्शल के युद्ध पीड़ितों को भारत की  
महायन्त्र

भारत सरकार ने मार्शल के युद्ध  
पीड़ितों को महायन्त्र के लिए दो लाख  
रु० की बीमान का सामान भेजा है। इसके  
अलावा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रों के सं-  
योजन में ५३६ बरतन, ३,००० गज मारी का  
बर्दा और २,६०० गज चादर भी मुफ्त  
मिली है। इन सब सामान मुफ्त में 'रॉयल' को  
ने खाना कर दिया गया। 'रॉयल'  
८ मार्च को पोर्ट लैंड पहुँचा।

उत्कर्ता में भारतीय कला प्रदर्शनी  
के राष्ट्रीय पैमाने पर अनुसंधान और संरक्षण  
मंत्रों, श्री हुमानु खीर न २० कर्करों  
को योजना में एक प्रदर्शनी के लिए उत्कर्  
में बताया कि इन्डोनेशिया की राजधानी  
उत्कर्ता में हुई भारतीय कला प्रदर्शनी कृत  
करके रही है। पर प्रदर्शनी के शीर्षक 'भारत'  
का अर्थ क्या नहीं लगा है।

तेहगन की प्रदर्शनी में नेहरू जी की  
पुस्तक सर्वोत्तम घोषित

६ मार्च को तेहगन में टैगोर के निधा मंत्रों,  
श्री मदन मोहन मालवीय की पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।  
प्रदर्शनी में श्री जवाहर लाल नेहरू की पुस्तक  
'विचारनेत्र आठ वर्षों के लिए' के फार्मों  
अवकाश को १० मनीम पुस्तक में माना  
गया। इसका फार्मों प्रसार भी मद्रास  
सरकारों ने किया है।

निबिद्धन के शिक्षकों की भारत यात्रा

भारत सरकार ने निबिद्धन पर निबिद्धन  
के चार शिक्षकों का एक दल २ मार्च  
को देस की दार्शन की यात्रा के लिए तैयार  
दिया है। इन शिक्षकों में नवी दिल्ली में  
राष्ट्रीय विद्यापीठ शिक्षा मन्त्रा में ५ में ११  
मान पर आरम्भक दुनिया भी थी।

हंगरी के राजदूत द्वारा परिचय-पत्र पेश  
हंगरी के राजदूत डा० लागलो रोजार्ड ने  
१० मार्च को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति  
डा० राजेन्द्र प्रसाद को अपने परिचय-पत्र  
प्रस्तुत किए। वे भारत में अपने देस के प्रथम  
राजदूत हैं।

नीदरलैंड में भारतीय राजदूत द्वारा  
परिचय-पत्र पेश  
नीदरलैंड में भारतीय राजदूत, श्री आर०  
के० टण्डन न ३ मार्च को नीदरलैंड  
की राजी जुलियाना को अपने परिचय-पत्र  
पेश किए।

ट्यूनिस् के पुस्तकालय को भारतीय पुस्तकों  
को पेश करने में भारतीय राजदूत, श्री आर०  
मोहनलाल न ८ मार्च, १९६० को ट्यूनिस्  
के राष्ट्रीय पुस्तकालय को भारत सरकार  
की ओर न ९६ पुस्तकों भेंट की।

## स्थायी महत्व की पुस्तकें सुन्दर सजधज—कम दाम

- राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद के भाषण (१९५२-१९५६)
- भारत के पक्षी—राजेन्द्र प्रसाद नारायण सिंह
- स्वाधीनता और उसके बाद (जवाहरलाल नेहरू के भाषण १९४६-४९)
- भारत १९५८
- भारतीय कविता—१९५३
- भारत की एकता का निर्माण (सरदार पटेल के भाषण)
- भारतीय वास्तुकला के ५,००० वर्ष
- कद-जाँच श्रायोग के प्रतिवेदन का संक्षिप्त सार
- योजना से खुदाहली
- श्रद्धा के धर्म लेख
- पंचांग सुधार
- तपेदिक के रोगियों की घरेलू देखभाल

मूल्य	डाक खर्च
३.५०	०.८५
१२.५०	१.५०
५.००	१.३५
४.५०	०.७५
५.००	१.७५
५.००	१.३०
२.००	०.२५
२.५०	०.७५
०.७५	०.२०
१.००	०.२५
०.३५	०.१५
०.३५	०.१५

(रजिस्ट्रेशन व्यय अलग)

पच्चीस रुपये या इससे अधिक की पुस्तकों पर डाक व्यय नहीं लिया जाएगा।

प्रकाशन विभाग

पो. बा. नं० २०११, श्रोलड सेक्रेटेरियट, बिल्लो-८



भेजे, जिनमें यह पुलित दल क्षेत्र में कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर भेजा जा सके। विभिन्न राज्यों में हर साल आरंभित पुलिन दल को बारी-बारी से थोड़े समय के लिए सयुक्त ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई है।

**राज्यों में जिला विकास समितियां**  
**आंध्र** प्रदेश और राजस्थान सरकार जिलों में विभिन्न विभागों के काम में मेल रखने का काम जिला परिषद को सौंप चुकी है। अब मद्रास, मैसूर, उड़ीसा और आताम सरकार भी जल्दी ही यहाँ काम करने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में यह काम अन्तर्गत जिला परिषद को और बिहार, बम्बई, केरल और मध्य प्रदेश में जिला काउन्सिल या बोर्डों को सौंपा है। पंजाब में जिलों में स्थायी समितियां बनाई गई हैं और पश्चिम बंगाल में यह काम मण्डल विकास समितियों को सौंपा है।

**दिल्ली प्रदेश में सहकारी कृषि समितियां**  
 दिल्ली प्रदेश में इस समय २७ सहकारी कृषि समितियां दर्ज हैं। यह सूचना १० फरवरी को लॉकडाम में एक प्रश्न के जवाब में उत्तर में केंद्रीय सामुदायिक विकास और गठनाय उपमंत्री, श्री वी० एम० मूर्ति ने दी।

उन्होंने बताया कि अन्य महानगरीय समितियों की तरह गठनाय कृषि समितियां दिल्ली महानगरीय क्षेत्र में चले रहती हैं। इन समय सरकार की ओर से प्रश्न या गठनाय के रूप में कोई आधिकारिक मदद नहीं दी जा रही है। परन्तु एक गठनाय समिति को चार गांव पर एक सामुदायिक विकास मंडल के बजट में २०,००० रु० प्रदान किया गया।

**दिल्ली प्रदेश की पंचायतें**  
**केंद्रीय सामुदायिक विकास और गठनाय** उपमंत्री, श्री वी० एम० मूर्ति ने १० फरवरी को लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया कि दिल्ली प्रदेश की पंचायतें और पंचायतमाला का संगठन और नियंत्रण दिल्ली कमिश्नर के नियंत्रण में

आयुक्त को दे दिया गया है। इस समय दिल्ली में २०५ ग्राम सभाएं और २२ सजिल पंचायतें काम कर रही हैं।

**पंजाब उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश**

**श्री** प्रेमचन्द पण्डित को उनके कार्य-भार सम्भालने की तारीख से दो वर्ष के लिए पंजाब उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह सूचना २४ फरवरी को एक प्रेम-विज्ञप्ति में दी गयी है।

**मध्य प्रदेश का मकान नियंत्रण कानून, १९५०**

**मध्य** प्रदेश में १९५५ में मकान नियंत्रण कानून लागू किया गया, जिसकी मियाद ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त हो गई थी। इन कानून को एक साल के लिए और बढ़ाना

जरूरी समझा गया, परन्तु उस समय वहाँ के विधानसभा को बैठक नहीं हो रही थी। अब ३० दिसम्बर को अध्यादेश जारी किया गया। अब उन्नी अध्यादेश के स्थान पर यह कानून लागू किया गया है।

**दिल्ली में आबारा बच्चे**  
**लो**कसभा में ११ मार्च को स्वराष्ट्र उपमंत्री श्रीमती वायलेट अल्वा ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि बम्बई वाल अधिनियम १९२४ के अन्तर्गत दिल्ली में १९५९ में १,६६६ आबारा बच्चों को पकड़ा गया। यह अधिनियम दिल्ली में भी लागू कर दिया गया है।

श्रीमती अल्वा ने कहा कि उन बच्चों को जिन्हें अदालत में, मामला चलाये जाने के दौरान अभिभावकों के पास छोड़ना उचित नहीं समझा है सुधार-गृहों में भेज दिया गया है।



**भारत तथा फिनलैण्ड के राजनयिक सम्बन्ध**

**प**राष्ट्र मंत्रालय की १९ फरवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत और फिनलैण्ड के बीच नवीं सम्बन्ध की ओर दृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार ने दोनों देशों के दूतावासों का स्तर ऊँचा करके उन्हें राजदूतावास बनाने का निर्णय किया है।

स्वीडन में भारत के राजदूत श्री केवल गिह्र फिनलैण्ड के भी राजदूत नियुक्त किए गए हैं। भारत में फिनलैण्ड के असाय, डा० गिगुंन फाल्कबेर्ग यात न्यूमन को फिनलैण्ड का प्रथम राजदूत बनाया गया है।

**भारत और बर्मा के राजनयिक सम्बन्ध**  
**भा**रत और बर्मा की गठनायों में अग्रणी सम्बन्ध और दृढ़ बनने के लक्ष्य में सुदृढ़ हो आने दुर्गा का दर्जा बढ़ाकर उन्हें राजदूत बनाने का निर्णय किया है।

इस निश्चय के अनुसार अब अग्रणी में भारतीय राजदूत, श्री एम० गी० अण्णा मय्या में भी भारत के राजदूत होंगे और उनका वापसाल वाशिगटन में ही रहेगा।

यह सूचना परराष्ट्र मंत्रालय की १४ मार्च की एक विज्ञप्ति में दी गई है।

**अगाधिर के भूचाल पीड़ितों को भारतीय सहायता**

**अ**गाधिर (मोरक्को) के प्रवाल पीड़ितों को भारत ने जो सहायता भेजी है वह रही है, उसकी पहली संर एयर इंडिया इन्-गेनल के विमान द्वारा ७ मार्च को बर्लिन भेजी गई। वहाँ से मोरक्को के विमान पर सामान मोरक्को ले जाएंगे।

इन वस्तुओं में पेंसिलवैन, एकरोन, गन्तगायनविन, टो ए बी का टोप, फुटबे माइनी, विटामिन की गोलीया और इन् दबाए हैं।

# उपयोगी तथा रोचक प्रकाशन

## राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद के भाषण

(१९५२-५६)

मूल्य : डाक व्यय :

३.५० ०.८५

इन पुस्तक में डा० राजेन्द्र प्रसाद के जनवरी, १९५२ से मई, १९५६ तक के भाषण संग्रहीत हैं। विभिन्न-क्रम में दिए गए इन भाषणों तथा चर्चाओं में अनेक विषयों पर प्रकाश डाला गया है और उनमें डा० राजेन्द्र प्रसाद का व्यक्तित्व एक राजनीतिज्ञ, विद्वान, इतिहासकार, शिक्षा-मानवी, धार्मिकवादी, समाज सुधारक और सबसे अधिक एक महान् रचनात्मक विचारक के रूप में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

## स्वाधीनता और उसके बाद

(जवाहरलाल नेहरू के भाषण १९४६-४९)

मूल्य : डाक व्यय :

५.०० १.३५

भारत द्वारा आजादी प्राप्त करने के पश्चात् प्रायः डेढ़ वर्ष में दिए गए प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषणों का संग्रह।

प्रधान मंत्री के अनुक्रम व्यक्तित्व ने भाषणों के विषयों को एक आधारभूत एकता दान की है। ये भाषण, जिनमें कुछ सामयिक इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, कुछ में नीति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार है और कुछ में भावनाओं का संचार है, राष्ट्र को अत्यधिक योग करने के लिए अनुप्रेरित करते हैं।

## भारत की एकता का निर्माण

(मगदर पटेल के भाषण)

भारत की आजादी से पूर्व ५८४ देशों रियासतों के एकीकरण का श्रेय स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल को है। उर्गा महान् नेता के २७ विविध विषयक भाषणों का संग्रह।

मूल्य : डाक व्यय :

५.०० १.३०

(रजिस्ट्री व्यय मत्तग)

२५ रुपये या इससे अधिक की पुस्तकें मंगाने पर डाक खर्च नहीं लिया जाएगा। मूल्य अधिम धाना चाहिए, क्रासड पोस्टल ऑर्डर द्वारा सुविधा रहती है।

सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं से प्राप्य या सीधा लिखें :


## प्रकाशन विभाग

पो० बा० नं० २०११, श्रीलड सेक्रेटेरियट, दिल्ली-८

# प्रगति पथ पर अग्रसर एक आदर्श गांव की कहानी

पिछली गर्मियों में "समरगोपालपुर गांव की राष्ट्रीय बचत आन्दोलन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने का भेद्य प्राप्त हुआ। स्थानीय लोगों के खूब विलचस्पी लेने और कठोर प्रयास करने के कारण इस गांव का नाम आज भारत भर में प्रसिद्ध हो गया है। स्व-सहायता और परस्पर सहयोग की भावना के वशीभूत हो कर इन लोगों ने ९४,००० रुपये राष्ट्रीय बचत योजना पत्रों के लिए इकट्ठे किये। पंजाब के किसी गांव से इकट्ठी होने वाली यह सबसे बड़ी रकम थी। गांव के कुल ४१५ परिवारों में से ३६७ परिवारों ने इसमें योग दिया। यों कह लें कि गांव का प्रत्येक नर-नारी और बच्चा बच्चा इस अवसर पर सहयोग देने के लिए उठ खड़ा हुआ। इस गांव के लम्बरदार की पत्नी ने तो कमाल ही कर दिया। उसने अपने ६,००० रुपये के खेवर राष्ट्रीय योजना-बचत-पत्र खरीदने के लिए अर्पण कर दिये।


## एक अनुकरणीय उदाहरण



कुल क्षेत्रफल: ५,६१  
 ग्राम के अन्तर्गत क्षेत्र: ४,५४८ एकड़  
 नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र: १,९६५ एकड़  
 मुख्य फसलें: गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का,  
 मूला, अमृश्विन बगाम आदि।  
 विकास सुविधाएँ: दो ट्रेक्टर, मॉडल फार्म,  
 गाड़ चलाके के ८५ मट्टे, मिनाई के ६ कूप  
 और मेट्रो के अलावा मर्राँ आदि उपलब्ध।

भारत की सेवा  
 कीजिये  
 बचत कर  
 समृद्ध बनिये  
 राष्ट्रीय बचत योजनाओं में  
 धन लगाइये  
**राष्ट्रीय बचत संगठन**


DA 57 521




पंचों की मधी दिवली में भारत और जगामी इरागन मितान में एर  
 शीने दर हस्ताक्षर; बित्र में बंगरीय बालियय और वरीग मयरायय  
 बिब यो मयरायय (दायें) और जगामी इरागन मितान में लेता  
 मयरायय समशीने दर हस्ताक्षर बरते हुए

मयों दिवली में ११ मयों की भारत और यगोरलाविया में एक साकृतिक सम्  
 हस्ताक्षर हुए—बित्र में बंगरीय यैतानिक अनुमययान और मस्कृति मयरी डा० हु  
 और भारत में यगोरलाव रातदूत परमभेष्ट दूतान कवेडेर समशीने पर हस्ताक्षर क

पश्चिम जर्मनी में आयें हुए तिशा-  
 दिरी के मिष्टमययय के मययय मयरी  
 दिवली में १५ मयों की बंशतनिक  
 अनुमययान और मस्कृति मयरी डा०  
 मयय बंशर के मयय




मयययान में आयें बंश और शीपरा दल  
 मयययों का १५ मयों की दिवली केरुवे  
 मयय पशुयने पर लिशय मयय बित्र





३ मार्च से दिल्ली में हुई सेना के घोड़ों की प्रदर्शनी में यह अफगानिस्तान कप जीतने वाला घोड़ा 'शिवाजी' और उनके घुड़सवार मेजर मुहम्मद मिर्दा

केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल द्वारा १५ मार्च से नयी दिल्ली में आयोजित एक समाज कल्याण प्रदर्शनी में मणिपुर स्टान का एक



MAC

# भायवीया रुजमाचार



वर्ष ३

१५ मार्च, १९६० ( २५ फाल्गुन, १९८१ )

पृष्ठ १



भारतीय एवरेस्ट पर्वतारोहण-बल के सदस्य नयी दिल्ली में प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू के साथ



विश्व बैंक के तत्वावधान में संगठित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शिष्टमण्डल के सदस्य २५ फरवरी को नयी दिल्ली में प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू के साथ। बाएं से दाएं: सर ऑलिवर फ्रेंक (ब्रिटेन), डा० हरमन एब्स (पेरिचम जर्मनी), प्रधान मंत्री और श्री चाल्स ए० क्यूबस (अमरीका)

गेहूँ उपयोग शिष्टमण्डल, जिसमें अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, फ्रांस और अंतर्राष्ट्रीय कृषि संगठन के कुल सात प्रतिनिधि हैं, २० फरवरी को नयी दिल्ली में केन्द्रीय खाद्य और कृषि मंत्री, श्री एस० के० पाटिल के साथ



# भारतीय समाचार

वर्ष ३

१५ मार्च, १९६०  
२५ फासगुन, १८८१

पृष्ठ ४

एक प्रति ४० ०.३५ १ गिलिंग १४ सेंट

वार्षिक मूल्य ४० ७.०० १७ गि. ६ पेंस २.५ डालर

## मुख्य विषय

चीनी प्रधान मंत्री का पत्र	१११
संसद में १९६०-६१ का बजट पेश	११४
नेपाल की भारतीय सहायता	१२६
साइबेरिया और मिलाई की मनीनी का उत्पादन	१२९
१९६०-६१ का रेल बजट	१३४
मिन्बाई-भाषनों का पूरा उपयोग . विनोदवाधिकारियों की रिपोर्टें	१४२
विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्टें	१४५

**घावरण चित्र :** ६ मार्च को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर श्री ऊ नू प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू के साथ

(‘भारतीय समाचार’ में सरकारी गतिविधियों और घोषणाओं का संक्षिप्त रिकार्ड प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। स्थान संकोच के कारण अनेक विषयों को संक्षेप में ही दिया जाता है। ऐसे विवरणों को पूर्ण अधिकृत विवरण नहीं समझना चाहिए।)

...



## सोवियत प्रधान मंत्री की भारत - यात्रा पर संयुक्त विज्ञप्ति

सोवियत प्रधान मंत्री महामहिम निकिता ख्रुश्चोव की भारत-यात्रा की समाप्ति पर १७ फरवरी को नयी दिल्ली में निम्न-लिखित मयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई —

अजरबैजान सोगलिट्ट रिपब्लिक की परराष्ट्र मंत्री श्रीमती टी० ए० वैरोवा, सोवियत सघ के स्वास्थ्य मन्त्रालय के मण्डल के सदस्य श्री ए० एम० भाकोव और भारत में सोवियत सघ के राजदूत श्री आर्द० ए० बेनेदिकतोव भी आए।

देशों की जनता के मित्रतापूर्ण संबंधों का परिचायक है।

भारत सरकार के निमंत्रण पर सोवियत सघ की मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष, श्री एन० एस० ख्रुश्चोव ११ फरवरी, १९६० को भारत आए और १६ फरवरी, १९६० तक रहे। उनके साथ विदेश मंत्री श्री ए० ए० शोमिको, संस्कृति मंत्री श्री एन० ए० निरेलेव, सांस्कृतिक कार्य समिति के अध्यक्ष श्री जी० ए० जुकोव, परराष्ट्र अर्थ-कार्य समिति के अध्यक्ष श्री एम० ए० स्केचेकोव, सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत के हिन्दी श्री टी० यू० उलजावयेव,

दिल्ली में तथा अन्य स्थानों पर, जहां भी श्री ख्रुश्चोव गए, जनता ने उनका हार्दिक और सौहार्दपूर्ण स्वागत किया, जिससे जनता के प्रेम द्वारा उत्साह का परिचय मिला। जनता के इस राजनीतिक के प्रति, जो बड़ी निष्ठा से शांति के लिए प्रयत्न कर रहा है, सम्मान है तथा भारत और सोवियत सघ तथा दोनों

दिल्ली में श्री ख्रुश्चोव ने संसद सदस्यों के सम्मुख भाषण किया, विश्व कृषि प्रदर्शनी देखी, दिल्ली के नागरिक अभिनन्दन में भाग लिया तथा और बहुत-से सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लिया। बाद में वे सूरतगढ़ और मिन्दाई गए। ये दोनों ही स्थान क्रमशः कृषि और उद्योग क्षेत्र में भारत और सोवियत सघ की मित्रता के प्रतीक हैं। इन दोनों ही कार्यों में प्राप्त हुई सफलता दोनों देशों के लिए मत्रोप की बात है तथा भविष्य में दोनों देशों के आर्थिक सहयोग की सफलता का दृढ़ विश्वास है। भारत, जिस बड़े काम में लगा हुआ है तथा अपनी विकास योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति,



लिए जिग तेजी से आगे बढ़ रहा है, उनकी एक शक्ति श्री एडुचोव को इन दोनों केन्द्रों में मिलती ।

श्री एडुचोव ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा भारत सरकार के अन्य मंत्रियों से बातचीत की। प्रधान मंत्री से बहुत-से अंतरराष्ट्रीय मामलों तथा दोनों देशों से सम्बन्धित विनोय मामलों पर बड़ी ही मित्रतापूर्ण और गौहार्दपूर्ण बातचीत हुई ।

हाल ही में दुनिया की गतिविधियों में जो अनुकूल परिवर्तन हुए हैं और जिनसे अंतरराष्ट्रीय तनाव में काफी कमी हुई है, उन पर दोनों प्रधान मंत्रियों ने संतोष प्रकट किया। दुनिया की स्थिति में यह सुधार दो पहलुन राष्ट्रों के नेताओं—मोवियत संघ की मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष श्री एडुचोव और अमरीका के राष्ट्रपति श्री आइसनहावर—के प्रयत्नों का परिणाम है। उन्होंने सीधी बातचीत से आपस में जो सम्पर्क स्थापित किया है और जो एक-दूसरे के देश की यात्रा के द्वारा और बड़ रहा है, उससे अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में वे एक-दूसरे को काफी समझ पाए हैं तथा उनी के कारण सोवियत गण, अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस के चोटों के नेताओं का अन्तही मई में निरकर सम्मेलन करने का सम्मोक्षा हुआ है। गभीर शांति-प्रेमी लोगों की आशाएँ इस सम्मेलन पर तथा एमे ही सम्मेलन पर लगीं हुईं हैं। गव लोगों की यह प्रबल इच्छा है कि इन बड़े देशों के नेताओं के प्रयत्न पूरी तरह सफल हो। अपनी ओर से भारत शांति के प्रयत्नों के प्रति सहभावना प्रकट करने है तथा बराबर उनका नैतिक समर्थन करने का आग्रहमान देना है।

भारत के प्रधान मंत्री ने श्री एडुचोव के पुनः निरगौरवण के प्रस्ताव का फिर से समर्थन किया। भारत के दृष्टिकोण से यह प्रस्ताव एक तरह से अन्तरराष्ट्रीय सम्मोक्षाओं के रूप में अहिंसा का सिद्धान्त अपनाते का प्रयत्न है। इन प्रस्तावों के प्रति गव देशों की, विशेषतः गणतन्त्र राष्ट्र गण की दिलचस्पी इस बात का परिचायक है कि दुनिया के आरभी बन्तु-सुद्ध के गरीबों की समस्या है। अनु-अर्थों तथा अन्य विनाशकारी अर्थों पर प्रतिबन्ध लगाने के अन्दर गव की दोनों प्रयत्न मंत्रियों ने सुनिश्चित की। उन्होंने यह आशा प्रकट की कि दुनिया के बड़े देश गण प्रस्ताव के आधार पर

जो भारत में संयुक्त राष्ट्रीय महासभा के पिछले अधिवेशन में रखा था, अनु-अर्थों को समाप्त करने की ओर पहला कदम उठाएगा। सिर्फ अनु-अर्थ ही नहीं, पुराने तरीके के अर्थ भी मानव की प्रगति में बहुत बाधक हैं। हाल ही में सोवियत संघ ने अपनी सहाय सेनाओं में जो कमी की है और जैसी कि वह पहले भी कर चुका है, वह भारत के मत से शांति के स्वप्नों को पूरा करने की ओर महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधान मंत्री श्री नेहरू तथा अन्य भारतीय नेताओं से हुई बातचीत में मोवियत मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष श्री एन० एम० एडुचोव ने किसी भी भ्रूट में शामिल न होने तथा नैतिक सधियों से अलग रहने की भारत की नीति की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सोवियत संघ भारत की इस नीति पर सम्मान करता है। सोवियत सरकार का यह विश्वास है कि इस नीति को अपनाकर भारत और भारत के प्रधान मंत्री विद्वेषशांति कायम रखने में बहुत बड़ा योग दे रहे हैं। श्री एडुचोव ने भारत सरकार तथा भारतीय जनता की इस नीति की सफलता की कामना की और इस बात पर जोर दिया कि शांति को कायम रखने के लिए भारत और सोवियत संघ के संयुक्त प्रयत्न जारी रहेंगे और उनसे अंतरराष्ट्रीय तनाव में कमी होगी तथा दुनिया के देशों में सहयोग बढ़ेगा।

भारत और सोवियत संघ के बीच मित्रता अब पहले से अधिक दृढ़ हुई है और दोनों देश एक-दूसरे की अधिक अच्छी तरह से समझने लगे हैं। दोनों देश शांतिपूर्ण विश्वास के सिद्धान्त को मानते हैं और स्थायी शांति कायम करने में सहायता देने के लिए दृढ़ प्रतिज हैं। इसमें दोनों देश एक-दूसरे के और निरकृत आ गए हैं। संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य क्षेत्रों में भी उनका बराबर सहयोग है। दोनों देश अपने मानते हैं कि विज्ञान और गिनत-विज्ञान में जो उल्लेखनीय प्रगति हो रही है, और जिनमें मोवियत गण गवों आगे हैं, उनमें मानवता की तक तक टीक तरह से सेवा नहीं हो सकती, जब तक समार युद्ध के भय में मुचन न हो जाए और स्थायी शांति स्थापित न हो जाए। निर-स्वीकारण, देशों के बीच गद्मच, दुनिया के जो क्षेत्र अब तक गरीब और उपेक्षित रहे

उनकी तेजी से उन्नति—इन्होंने वे वास्तव में युद्ध एक सकता है। दोनों प्रधान मंत्रियों ने इस पर विश्वास प्रकट किया है कि इन बातों पर मानवता की शान्तिपूर्ण प्रगति निर्भर है, इसलिए उनके देश इन कामों के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे।

दोनों प्रधान मंत्रियों को यह ज्ञानकर सुनी हुई है कि दोनों देशों के आर्थिक और सांस्कृतिक सम्पर्क भी बढ़ते जा रहे हैं। भारत और सोवियत संघ के आर्थिक तथा शिल्पिक सहयोग से अनेक योजनाएँ चल रही हैं : भिलाई इस्पात कारखाना, जहाँ उत्पादन शुरू हो गया है और अब जिसकी क्षमता दुगुनी की जा रही है; रांची का मशीन बनाने का कारखाना; नैनेली का जिल्कीधर; कोरवा कोमला योजना; बरौनी का तेल साफ करने का कारखाना; तेल के लिए खुदाई आदि। सोवियत संघ ने अब तक जो ऋण देना स्वीकार किया, उनके अलावा उसने अभी हाल में १। अरब रुबल और देने का निर्णय किया है। यह ऋण तीसरी योजना के बड़े कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा। इस सम्बन्ध में श्री एडुचोव जब दिल्ली में थे, तब एक सम्मोक्षा हुआ था। उसी समय दोनों देशों के बीच पहली बार संस्कृति, विज्ञान और शिल्प के सहयोग के बारे में भी सम्मोक्षा हुआ।

श्री एडुचोव पिछली बार दिसम्बर १९५५ में भारत आए थे तब से ऐसी अनेक बातें हो चुकी हैं, जिनका प्रभाव भारत और दुनिया पर भी पडा। श्री एडुचोव को यहा आकर अब स्वयं यह देखने का मौका मिला है कि भारत ने अपने विकास के लिए, जनता की उन्नति के लिए और लोगों का रहन-सहन ऊंचा करने के लिए जो प्रयत्न किए, उनका क्या परिणाम निकला है। उनके भारत आने से दोनों प्रधान मंत्रियों को फिर उत्कण्ठित मित्रों के समान मिलने और अनेक मामलों पर विचार करने का मौका मिला है। दोनों ने व्यक्तिगत रूप से जो बातें की हैं, उनमें दोनों का ही साह हुआ है। जून १९५५ में भारत के प्रधान मंत्री ने मोवियत संघ की यात्रा करने भारत और मोवियत संघ के बीच जो नए सम्बन्ध जोड़े हैं, वे इसमें (श्री एडुचोव की यात्रा से) और दृढ़ हुए हैं।

## चीनी प्रधान मन्त्री का पत्र

प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने २६ फरवरी को जोरूमभा में चीन के प्रधान मंत्री श्री चाऊ एन-लाई का २६ फरवरी, १९६० का पत्र पेश किया। पत्र पेश करते हुए उन्होंने कहा—

“जैसा कि आप देखेंगे, चीन के प्रधान मंत्री श्री चाऊ एन-लाई ने भारत आने का मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मैंने मार्च के उत्तरार्ध में नोट करने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने लिया है कि अप्रैल का महीना अधिक उपयुक्त रहेगा। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमें अप्रैल का महीना उतना ही उपयुक्त है और हम जितनी जल्दी ही मनेगा एक तिथि निश्चित करने का प्रयत्न करेंगे। मैं अप्रैल के अन्त में, मध्यमन. ३० अप्रैल को, राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ। चूंकि यह अप्रैल का आखिरी दिन है, इसलिए हमने कोई रखावट नहीं पड़ेगी। मैं आशा करता हूँ कि बातचीत के लिए चीनी प्रधान मंत्री के भारत आने की तारीख निश्चित हो जाएगी। और साथ ही मुझे विश्वास है कि जब वह भारत आएंगे, तो जैसा हम अन्य विनिश्चित अतिथियों का स्वागत करने हैं, उनका भी स्वागत करेंगे।”

### पत्र का हिन्दी अनुबाद

प्रिय श्री प्रधान मंत्री,

मैं श्रीमान के ५ फरवरी, १९६० के उम पत्र के लिए धन्यवाद देना हूँ, जो चीन-स्वित्त भारतीय राजदूत श्री पार्ष्वमारथी १२ फरवरी को यहाँ लेकर आए। साथ ही २६ दिसम्बर, १९५९ के चीन लोकगणराज्य के परराष्ट्र मन्त्रालय के नोट का जवाब भी भारत सरकार के आदेश पर श्री पार्ष्वमारथी ने हमारे परराष्ट्र मन्त्रालय को दिया। भारतीय दूतावास के नोट का जवाब चीनी परराष्ट्र मन्त्रालय इसको अच्छी तरह पढ़ कर देगा।

आपने चीन सरकार और मेरे भारत और चीन के प्रधान मंत्रियों के जल्दी ही मिलने और सीमा के मामले के बारे में शांतिपूर्ण समझौते का मार्ग ढूँढ़ने से अपनी सहमति प्रकट की है और मुझे मार्च महीने के उत्तरार्ध में दिल्ली आने की शक्ति दी है। मैं आपके इस मैत्रीपूर्ण निमंत्रण के लिए हृदय से आभारी

हूँ। चीन सरकार का बराबर यह विश्वास रहा है कि चीनियों और भारतीयों की मित्रता धारवत है और दोनों देशों के बीच सीमा के मामले का निपटारा आवश्यक और पूर्णतः सम्भव है। दोनों देशों को कुछ अस्थायी मत-भेदों और दुर्भाग्यपूर्ण तथा अनपेक्षित दुर्घटनाओं के कारण सीमा के मामले को शांति से फँसला करने की अपनी इच्छा से तनिक भी नहीं इंगना चाहिए। इसी कारण चीन सरकार आगामी बैठक के बारे में आगाजनक रवैया और विश्वास रखती है। मुझे अपने बारे में यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं एक बार फिर महान भारत की राजधानी में आने, अपने देश की समृद्धि, शक्ति और उन्नति तथा विश्व-शांति के लिए निरन्तर सघर्ष करने वाले महान भारतवासियों को देखने और आपसे तथा उन अन्य मित्रों से मिलने का अवसर पाकर बहुत प्रसन्न हूँ, जिनसे अपनी पिछली भारत-यात्राओं में मिलने का मौन मिल। मुझे इस बात की विशेष रूप से आशा है कि हम दोनों के प्रयास में वे काली घटाए छट जाएंगी, जो हमारे दोनों देशों पर इस समय छाई हुई है, ताकि दोनों देशों के पुराने मैत्री सम्बन्ध मजबूत हो और बँधें।

कुछ राज-काज के कारणवश मैं अप्रैल में आपके देश आऊंगा। आने की निश्चित तारीख राजदूतों के जरिये विचार करके तय कर ली जाएगी।

मादर,

चाऊ एन-लाई

प्रधान मंत्री,

चीन लोकगणराज्य की राज्य परिषद

परमश्रेष्ठ श्री जवाहरलाल नेहरू, प्रधान मंत्री, भारतीय गणराज्य, नयी दिल्ली।

### भारत-चीन सम्बन्धों पर श्री नेहरू का वक्तव्य

प्रधान मंत्री, श्री नेहरू ने १६ फरवरी को लोकसभा में एक काम रोक प्रस्ताव के उत्तर में निम्नलिखित वक्तव्य दिया—

मुझे खेद है कि कुछ सदस्य यह समझते हैं कि हमारी नीति में फेरबदल हुई है। मेरे श्याल में मेरी सरकार की नीति में कोई

नहीं हुई है और जो बात राष्ट्रपति ने भाषण में कही थी, वह बात सरकार चीन को भेजे गए पत्र में कही गयी है।

जो कुछ मैंने कहा, उसमें से किसी बात का हवाला देते हुए एक सदस्य ने कहा है कि आज की हालत में दोनों प्रधान मंत्रियों की बैठक से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अब मेरे सामने यह सब बाने तो है नहीं, जो मैं इस सदन में या अन्य सदन में या पत्र-प्रतिनिधि सम्मेलन में या अन्य कहीं कह चुका हूँ। मेरी तो सदा यही नीति रही है कि किसी भी व्यक्ति से बात करने पर हल निकल ही आता है। मुझे तो पिछले ४० वर्षों में यही शिक्षा दी गयी है कि बातचीत से मामले सुलझाए जा सकते हैं और मेरे श्याल में मुझे या इस सदन को यह नीति नहीं अपनानी चाहिए कि हम विचार-विमर्श न करें। हम में से बहुतों ने इसी बात की टुंगिण ली है, बरिक्त यह पाकीसी उनके साथ भी अपनायी है, जिनने लडकर हमने आजादी की है।

लेकिन हमें देखना है कि इस मामले में हमारी क्या पोजीशन है। चीन के प्रधान मंत्री ने जब मुझे रूपाय बुलाया तो केवल ७-८ दिन का समय ही दिया। तब मैंने कहा था कि इस बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकलेगा और इसलिए मैं वहाँ न जा सका। मैं कई बार कह चुका हूँ कि मैं ऐसी हालत में हमेशा मिलने को तैयार हूँ, जिससे कुछ नतीजा निकले। इसके बाद मुझे कुछ ऐतिहासिक और अन्य तथ्य मालूम करने में काफी समय लगा। मुझे खेद है कि यहाँ कुछ बुराया सदन के सामने रखने में कुछ देरी हुई।

अब इस सदन को यह विचार करना है कि हमारी नीति में फेरबदल हुई है या नहीं। मेरा कहना है कि मेरी या हमारी नीति में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। हमने अपने पत्र में अपनी नीति बिल्कुल साफ कर दी है। हमारे श्याल से आजकल की परिस्थिति में दोनों प्रधान मंत्रियों में बातचीत जरूर होनी चाहिए।

इसलिए मेरा कहना है कि हमारी नीति में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। फिर भी यह मामला बड़ा महत्वपूर्ण है और इस सदन में इस विचार होना चाहिए। राष्ट्रपति के के सम्बन्ध में यहाँ जो बहस हो रही है,

इस पर भी विचार किया जा रहा है। हो सकता है आगे भी इस पर विचार किया जाए। मैं इस मामले में मदन की गहवाया हूर नमय लेना चाहता हूँ। लेकिन मेरे स्थान में यहाँ इस समय नमन रोको प्रस्ताव रखने की कोई जरूरत नहीं है।

### भारत में रहने वाले चीनी

इस समय बलरत्ता में ४,१०७ और बल्किंग में १७९ चीनियों के नाम दर्ज हैं। इनमें में किंगी के पास फारमोसा का पासपोर्ट नहीं है। फिर भी बलरत्ता के १,६७६ और बल्किंग में ३८ चीनियों के पास क्यू-मिंग सरकार के पासपोर्ट हैं, जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी है।

भारतीय नागरिक अधिनियम लागू होने के बाद में बलरत्ता के २,००५ और बल्किंग के १२ चीनियों ने भारतीय नागरिकता के लिए अर्जाया दी है।

यह सूचना केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री, श्री गीन्द्रिन बल्लभ पत ने १७ फरवरी को राज्य मंत्रालय में एक प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि इस समय बलरत्ता में १,६६३ चीनी राज्यविहीन नागरिक हैं। बल्किंग में ऐसा कोई भी चीनी नहीं है।

### १९५६ में विदेशियों को भारतीय प्रवेश-पत्र

पिछले वर्ष २५,७५२ विदेशियों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। इनमें से १०,११५ पर्यटक थे और २,१७७ व्यापारी। मुख्य अमरीका में १२,१७२, अफगानिस्तान में ८८३, बर्मा में ९११, पापु में १,३८३, जर्मनी में २,०६०, ईरान में ६५५, इटली में १,०६०, जापान में ५४६, मॉरिशस में ६६६, स्विट्जरलैंड में ५०० और थाईलैंड में ८२६ आने वाले व्यक्तिओं का प्रवेश-पत्र लिए गए। १९५८ में ३२,२८३ विदेशियों को भारतीय प्रवेश-पत्र दिए गए थे।

१९०० के भारतीय प्रवेश-पत्र अधिनियम और उनमें संशोधन विधायक के अनुसार, भारत में प्रवेश करने वाले हर विदेशी के पास प्रवेश-पत्र (पासपोर्ट) और भारत में प्रवेश करने का भारत में गी मुद्रा की अनुमति होनी जरूरी

है। राष्ट्रमण्डल के देशों (पाकिस्तान, लंका और मिस्र) को छोड़कर) और आयर के नागरिकों को प्रवेश-पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके पासत्र विधिवत् होने चाहिए।

### १९५६ में नजरबंद व्यक्ति

निरोधक नजरबंदी अधिनियम के अंतर्गत १९५९ के अंत तक विभिन्न राज्यों में ९६ व्यक्ति नजरबंद किए गए। इनका राज्य-वार ब्योरा इस प्रकार है :

पं० बंगाल ५६, बम्बई १४, मणिपुर १२, मध्य प्रदेश ५, दिल्ली ४, आसाम ३ और पंजाब २।

इनमें से ८८ व्यक्ति राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक शांति भंग करने के अपराध में नजरबंद किए गए। इनका राज्यवार ब्योरा इस प्रकार है - पं० बंगाल ५६, बम्बई १३, मणिपुर १२, मध्य प्रदेश ५, दिल्ली २।

भारत की सुरक्षा और विदेशों में भारत के सम्बन्धों के हित में आसाम और दिल्ली में २-२ तथा पंजाब में १ व्यक्ति नजरबंद किया गया। बम्बई में १ विदेशी को नजरबंद किया गया।

### छुआछुत के अपराध के मामले

विभिन्न राज्यों और केंद्र-शासित क्षेत्रों की सूचना के अनुसार जनवरी-जुलाई, १९५९ में छुआछुत (अपराध) अधिनियम के अंतर्गत १११ मामले दायर हुए थे। इनमें से १५ में लेकर ५० प्रतिशत तक मामलों में अपराधियों को गजा दी गई है।

इनमें बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास और उड़ीसा के आठे शामिल नहीं हैं। अन्य राज्यों के आठे इस प्रकार हैं : पश्चिम बंगाल २; केरल २७, मंगूर ४३, पंजाब ३, आंध्र प्रदेश ६, मद्रास १, उत्तर प्रदेश २०, बिहार ३, मणिपुर १; दिल्ली १ और त्रिशापत्र प्रदेश ४।

यह सूचना स्वराष्ट्र मंत्रालय में मंत्री, श्री बलरत्ता जगन दागार ने १९ फरवरी को मंत्रालय में एक प्रश्न के उत्तर में एक बखर्क में दी।

### श्रद्धाचार के मामले, जल्दी निपटाने के लिए विशेष जज

विशेष पुलिस दल श्रद्धाचार के जो मुकदमें दायर करता है, उनकी सुनवाई के लिए लक्ष्मण सभी राज्यों ने अंगकालिक विशेष जज और मेजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रकार की सुनवाई के हेतु पूरे समय के लिए विशेष जज नियुक्त किया है, क्योंकि अदालतों में मृत, उकती आदि के काफी मुकदमें रहते हैं, जिनमें श्रद्धाचार के मुकदमों में देर लग सकती थी।

कुछ समय पहले स्वराष्ट्र मंत्रालय ने राज्यों से कहा था कि वे श्रद्धाचार के मुकदमों के लिए अलग से जज नियुक्त करें, जिनमें उन्ना जल्दी फैसला हो सके।

विशेष पुलिस दल की हर राज्य में शाखाएं हैं और पूरे समय के लिए सरकारी बकील भी हैं। केवल कुछ विशेष मुकदमों में ही विशेष बकील रखे जाते हैं। यह दल स्वराष्ट्र मंत्रालय के अधीन है और यह पूरखोरी, श्रद्धाचार, गबन, डुराचरण, घोषापथी आदि को नम करने में प्रयत्नशील है।

दल ने पिछले तीन वर्षों में घससोरी, श्रद्धाचार आदि के २,३८५ और आपात-निर्णय के ७८६ मामलों की जांच की थी। १९५९ में दल ने जिन नये मामलों की जांच की, उनमें १,१६४ सरकारी कर्मचारी शामिल थे, जिनमें से २०७ गजेटेड अधिकारी थे। २०० सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से २२ गजेटेड अधिकारी थे।

### केरल के बारे में राष्ट्रपति की घोषणा रद्द

राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने २२ फरवरी को एक घोषणा पर हस्ताक्षर करते केरल के बारे में अपनी ३१ जुलाई, १९५९ की घोषणा को रद्द कर दिया।

राष्ट्रपति की नयी घोषणा २२ फरवरी के भारत सरकार के सूचना-पत्र के अनुसार एक में प्रकाशित कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद ३५६ के मन्त्र २ के अनुसार ११ जुलाई, १९५९ को केरल राज्य के बारे में जो घोषणा की थी, उसे वापस लिया जा रहा है।

**खरीद सत्ताहकार परियद की बँठक**  
**केन्द्रीय खरीद सत्ताहकार परियद की बँठक**  
 में, जो २७ फरवरी को नयी दिल्ली में हुई, यह निश्चय किया गया कि विभिन्न मर-  
 कारी विभागों को जिस मामान की जरूरत  
 होती है, उनकी एक स्थायी प्रदर्शनी नयी  
 दिल्ली के प्रदर्शनी-मंडान में रची जाए। इस  
 प्रदर्शनी का प्रबन्ध केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योग  
 मन्त्रालय करे। इनको देखकर देग के तरह-  
 तरह के मामान बनाने वाले यह जान मनेगे  
 कि मरकार को किन-किन चीजों की जरूरत  
 होती है।

बँठक के मन्त्रापीन केन्द्रीय निमांघ, आवाग  
 और प्रूति मन्त्री, श्री बयामम्बलनी चंगलराया  
 रेड्डी में।

मन्त्रालय के गचिव, श्री एम० आर० मधुदेव  
 ने बताया कि पिछले अक्टूबर में जहा ८,०१५  
 मामले विचाराधीन थे, वहा इस तरह के  
 मामलों की संख्या अब केवल ५,९९३ रह गयी  
 है। इस तरह के अनिर्णीत मामलों का अगले  
 ८ महीनों में फँसला हो जाएगा। यह मुन्नाब  
 भी मान लिया गया कि वाशिगटन स्थित  
 भारत मण्डल मिशन के द्वारा वहा जो टेंडर  
 देख किया जाए, उन उन भागनीय व्यापारी  
 को भी बताया जाए, जिनने उन मामान के  
 बारे में टेंडर भरा है।

### राइफल बलबों की स्थिति

देग के युवकों में अनुदानन और निगाने-  
 शाली का शीक बढ़ाने के लिए केन्द्रीय  
 स्वराष्ट्र मन्त्रालय की सहायता में पिछले वर्ष,  
 १९५९ में देग भर में ३०१ राइफल कन्व  
 कल रहे थे, जिनकी मददय सख्या ३६,०००  
 में भी ऊपर थी। सबसे अधिक मददय २४,७९६  
 उत्तर प्रदेश में थे और इसके बाद बम्बई  
 (५,४०७) और प० बंगाल (२,३२३) का  
 स्थान था।

राज्यों में राइफल कलबों की सख्या इस  
 प्रकार थी : आंध्र प्रदेश—७, आसाम—१०,  
 बम्बई—७९, बिहार—२, केरल—३,  
 मद्रास—४, मध्य प्रदेश—१५, मयूर—१९,  
 उड़ीसा—५, पंजाब—६, राजस्थान—११,  
 उत्तर प्रदेश—९४, प० बंगाल—३७, दिल्ली

—१, हिमाचल प्रदेश—५, मणिपुर—१  
 और त्रिपुरा—२।

राज्य सरकारें इन कलबों को कारतूस आदि  
 सस्ते दामों पर दिलाती हैं और चादमारी प्रति-  
 योगिताओं के लिए घन की सहायता करती  
 हैं। १९५८-५९ में नेशनल राइफल एसोसि-  
 येगन को १ लाख २० हजार ४० दिया  
 गया।

### दिल्ली से चाहर भेजे गए सरकारी कार्यालय

निर्माण, आवाग और प्रूति मन्त्री, श्री  
 बयामम्बलनी चंगलराया रेड्डी ने २९  
 फरवरी को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर  
 में गदन की भेज पर एक वचतव्य रखा, जिसमें  
 बताया गया है कि केन्द्रीय सरकार के कुछ  
 कार्यालयों को दिल्ली से निमला, म्वालयर  
 और फरीदाबाद भेजने के बारे में विचार किया  
 जा रहा है। अब तक ये कार्यालय बाहर जा  
 चुके हैं :

मयूरी आफिम आफ दि कस्टोडियन  
 जनरल आफ इवेकुई प्रापर्टी, मिनिस्ट्री आफ  
 रिट्रिविलिटेशन; मेडल कलेम आगनाइजेसन,  
 मिनिस्ट्री आफ रिट्रिविलिटेशन, एपीलेट आफि-  
 गर (मेपेरेशन), मिनिस्ट्री आफ रिट्रिविलि-  
 टेशन; आफिम आफ दि कस्टोडियन आफ  
 डिपोजिट्स, मिनिस्ट्री आफ रिट्रिविलिटेशन;  
 और आई०ए०एम० ट्रेनिंग स्कूल, दिल्ली और  
 स्ट्राफ कालेज, निमला।

नागपुर डाइरेक्टोरेट आफ एपीकल्चरल  
 मार्केटिंग एण्ड इस्पेसन, मिनिस्ट्री आफ फड  
 एण्ड एपीकल्चर; आफिम आफ दि चीफ  
 इस्पेक्टर आफ एक्सप्लोसिव्स, मिनिस्ट्री आफ  
 फवर्स, हाउसिंग एण्ड सफलाई, एक्सपेनेन्स  
 सेक्शन, प्रो-हिस्ट्री सेक्शन, एटलस सेक्शन एण्ड  
 मुस्लिम एपिग्राफी सेक्शन आफ दि डिपार्टमेंट  
 आफ आर्किथोलोजी, मिनिस्ट्री आफ साइडि-  
 फिक रिसर्च एण्ड कल्चरल अफेयर्स; और  
 इडियन ब्यूरो आफ माइन्स एण्ड फ्युअल,  
 दिल्ली और कलकत्ता।

जयपुर : आफिम आफ दि साल्ट कमिशनर,  
 मिनिस्ट्री आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री।

### राजनीतिक पीड़ितों को सहायता

**केन्द्रीय सरकार ने १ अप्रैल, १९५८ से १५**  
**फरवरी, १९६० तक ५०४ राजनीतिक**  
**पीड़ितों तथा उनके परिवारों को ३३,४२५ रु०**  
**की सहायता दी।**

यह सूचना २४ फरवरी को लोकसभा में  
 स्वराष्ट्र मन्त्री, श्री गोविन्द वल्लभ पत ने दी।  
 श्री पत ने बताया कि यह अनुदान, नकद अना-  
 बर्तक अनुदान, छोटे ऋण तथा व्यक्तितगत  
 अनुदान के रूप में दिया गया।

[राजनीतिक, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों  
 में अपना जीवन अर्पण करने वालों को आर्थिक  
 सहायता देने के लिए हर साल स्वराष्ट्र मंत्रालय  
 को ३ लाख रु० दिया जाता है। यह ऐच्छिक  
 अनुदान होता है। अत्यधिक वीरता या  
 सार्वजनिक हित के लिए महत्त्वपूर्ण काम  
 करने वालों को भी यह अनुदान दिया जा  
 सकता है।]

### हिमाचल प्रदेश में न्याय व्यवस्था

**न्यायाधीश, श्री सत्यनारायण राव की यह**  
**सिफारिस सरकार ने मान ली है**  
 कि हिमाचल प्रदेश में आजकल न्यायालयों  
 की जो व्यवस्था है उसमें कम से कम १० साल  
 तक कोई परिवर्तन न किया जाए। मई १९५७  
 में न्यायाधीश श्री सत्यनारायण राव से कहा  
 गया था कि वे इस बात की जांच करे कि  
 हिमाचल प्रदेश के लिए निमला में पंजाब उच्च  
 न्यायालय की सफिट बेंच खोली जाए या आज-  
 कल की व्यवस्था को ही चालू रखा जाए।

यह सूचना स्वराष्ट्र मन्त्री, श्री गोविन्द  
 वल्लभ पत ने २३ फरवरी को राज्यसभा में  
 एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

श्री पत ने बताया कि हिमाचल प्रदेश वकील  
 राप ने सरकार से यह भाग की थी कि निमला  
 में पंजाब उच्च न्यायालय की सफिट बेंच खोली  
 जाए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के चार  
 अन्य वकील सभों ने यह भाग की कि यह  
 आजकल की न्यायालय व्यवस्था ही जारी

## संसद में १९६०-६१ का वजट पेश

२६ फरवरी, १९६० को लोकसभा में १९६०-६१ का वजट पेश करते हुए वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने निम्न-लिखित भाषण किया —

में जातीय अनुमति मे भारत सरकार की १९६०-६१ की अनुमित प्राप्तिओ और व्यय का विवरण प्रस्तुत करना हूं।

अर्थ-व्यवस्था की चालू वर्ष की बड़ी बड़ी घटनाओ का विवेकन आर्थिक समीक्षा में किया गया है और मोटे तौर पर अगले वर्ष की सम्भाव्य स्थिति भी वनायी गयी है। यह समीक्षा वजट-पत्रों के माय प्रचारित की गयी है। यहां मे आर्थिक स्थिति के उन्ही पहलुओ का त्रिक कर्मा जितना अगले वर्ष के वजट मे गीया सम्भव्य है।

गरीबों की पैदावार में १९५८-५९ में बहुत बढ़ती हुई और औद्योगिक उत्पादन में ह्रास के महीनों में फिर उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पर उत्पादन की इन उल्लाहजनक प्रवृत्तियों मे वायव्यद धोस मूंगोओ और रहल-महन के वर्ष में काफी वृद्धि हुई है। रिजर्व बैंक के माय जो विदेशी मुद्रा प्रारंभित निधि है वह इन वर्ष प्राय स्थिर रही। निर्यात मे होने वाली आय में कुछ वृद्धि और आयात में कुछ घटती हुई है, पर विदेशी मुद्रा सम्बन्धी क्षमती स्थिति की मजदुरी का बरा बरारण विदेशी महायत्ना का अतिरिक्त माय में उपलब्ध होना ही रहा है। मुद्रा-नियंत्रण और ऋण सम्बन्धी प्रवृत्तियों मे ह्रास प्रकट होता है कि अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा-बाधक-बन्धी प्रभाव काफी प्रबल रहा है। मीसल बाजारों मे प्राय वर्ष भर तेजी रही। इन सब कारणों मे अतिरिक्त ह्रास है कि अगले वर्ष मूल्यों की दृष्टिकोण मे मायक में बहुत मजरा रहना और आयात मे कमी जारी रहना तथा माय की विदेशी बहान का प्रबल प्रतिक तेजी मे बलव आरम्भ होना।

विना कुछ वयो मे जो विदेश (इन्वैन्ट-...)

हम आशा कर सकते हैं कि अगले वर्षों में उत्पादन में काफी वृद्धि होगी। साथ ही, देश में खपत और निवेश दोनों के लिए मांग बढ रही है और निर्यात बढ़ाने की भारी आवश्यकता बनी हुई है। इन परिस्थिति में इन बात का अधिक से अधिक प्रयत्न करना बहुत आवश्यक है कि कुल मांग उपलब्ध से बढ न जाय। सन् १९६०-६१ दूसरी पंचवर्षीय आयोजना का आखिरी वर्ष है। इस लिए इस बात की सावधानी रखनी पड़ेगी कि जिस समय वर्ष समाप्त हो और तीसरी आयोजना प्रारम्भ हो उस समय अर्थ-व्यवस्था भली भांति सन्तुलित रहे।

### उत्पादन

चालू वर्ष में खेती की पैदावार के लक्षण अच्छे हैं। देश के कुछ भागों में वाड आने और कुछ में सूखा पटने पर भी, तरीफ की फसल लगभग उत्तनी ही अच्छी होने का अन्दाजा है जितनी पिछले वर्ष हुई थी। रबी की फसल की बुवाई भी अब तक संतोषजनक रही है। आशा है, १९५९-६० में अन्न की पैदावार का स्तर प्राय उत्तना ही ऊंचा रहेगा जितना पिछले साल था। हा, वन्यम और जूट की उपज में कुछ कमी हो सकती है।

औद्योगिक उत्पादन में १९५९ के पहले दस महीनों में लगभग ७४ प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि १९५८ की १७ प्रतिशत की वृद्धि और १९५७ की ३.५ प्रतिशत की वृद्धि में काफी अधिक है। इन वर्षों की एक बड़ी विशेषता यह रही कि छोटे, इण्डियन और अनु-मोनियम के उत्पादन में वृद्धि हुई जो औद्योगिक उत्पादन के सूचक अथवा की वृद्धि के मा-निर्देशों मे अधिक ध्यान का कारण थी। जिन अन्य उद्योगों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई उनमें मोटर गादियों, दीवार इन्वों, मशीनी औजारों, पॉली थी मशीनों, गुण-मायकेंटों, मोटा गुन, मोमेट तथा कागज और कागज के गन्ने के उद्योग थे। मिल के बन्दे का उत्पादन लगभग उत्तना ही रहा जितना १९५८ में हुआ था,

पर निरासती निश्चित रूप से अधिक हुई जिनका कुछ कारण निर्यात के लिए भाग का फिर पैदा होना था। हथकरघों और विजली से चलने वाले करघों के कपड़े के उत्पादन में लगभग १० करोड़ गज की वृद्धि हुई। जूट की बनी वस्तुओं का उत्पादन इस वर्ष १९५८ की अपेक्षा कुछ ही कम रहा, पर पिछले सितम्बर से यह बढ रहा है। यद्यपि विदेशी मुद्रा की तंगी बनी हुई है, तो भी कुल मिलाकर इस बात की व्यवस्था करना सम्भव हुआ है कि इन तंगी के कारण औद्योगिक उत्पादन में ह्रासवट न पड़े। सच तो यह है कि औद्योगिक उत्पादन में, सूचक अंक से प्रकट होने वाली वृद्धि की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई, क्योंकि जो उद्योग १९५१ के बाद स्थापित हुए वे इस सूचक अंक में शामिल नहीं हैं।

औद्योगिक उत्पादन की जिन वृद्धि का उल्लेख पहले किया गया है वह असात क्षमता का पहले से अधिक उपयोग किये जाने के कारण हुई है। पर बहुत से उद्योगों में कुल उत्पादन क्षमता भी बढ़ी है, जैसे लोहे और इस्पात, अल्यू-मोनियम, कागस, मूल रासायनिक वस्तुओं, मोमेट, विजली से चलने वाले पम्पों, निर्यात की मशीनों और मादकियों के उद्योगों में तैयार मशीनों और माजनामान के उत्पादन में भी प्रगति हो रही है। मंगाल में बिजली के भारी यंत्र बनाने के कारखाने के पहले दौर का निर्माण-कार्य प्रायः समाप्त हो रहा है और निरन्तर चला गया है कि भारी दौरों का काम ज्यादा तेजी से चला जाय और समता का भारी विस्तार किया जाय। राखी में भारी मशीनों बनाने के कारखाने की क्षमता भी बढ़ी जासगी जानी है कि प्रतिवर्ष ८० हजार टन की मशीनों बनायी जा सके। उर्वरकों (फर्टिला-जर), औषधियों और दवाओं तथा सल्फाई बस्तुओं (इन्टरमीडियेट्स) के बहुत से कार-खाने भी स्थापित किये जा रहे हैं और इनमें तीव्रता आयोजना की अवधि में उत्पादन होने लगेगा। देश की औद्योगिक उत्पादन-क्षमता

## अंतिम अनुमानों का सारांश

(लात रुपये में)

लिखते कुछ वर्षों में काफी बढ़ी है और तेजी से अधिकाधिक दिशाओं में फैल रही है। सरकार इस बात के लिए उत्सुक है कि यह प्रथमा और आगे बढ़े। छोटे पैमाने के उद्योग-धर्मों की भी सरकार से प्रोत्साहन और समर्थन मिलना जारी है और इन उद्योग-धर्मों को अधिक ऋण देने में बैंकों की महाजना करने की कुछ भारंवाइयों पर विचार किया जा रहा है।

इस वर्ष जहाजों की मर्यादा में बराबर वृद्धि होती रही। १९५९ के अन्त में भारतीय जहाजों का कुल टन भार लगभग ७,४०,००० पा और अनुमान है कि १९६०-६१ के अन्त तक, आयोजना के लक्ष्य के अनुसार, यह टन भार ९ लाख तक पहुँच जायगा। चालू वर्ष में जहाज विकास निधि (मिनिंग डेवलपमेंट फण्ड) के स्थापित होने से भारतीय जहाजों सम्पत्तियों को अपने विकास के लिए रुपये पूंजी प्राप्त करने का म्यादी माधन उपलब्ध हो गया है। विदेशी मुद्रा की वर्तमान तर्जों की हालत में यह बहुत आवश्यक है कि व्यापारिक बँदा बंधाया जाय और इस प्रकार बड़ा भारी रकम बचायी जाय जो विदेशी मुद्रा में आये के रूप में निकल जाय। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रयत्न में हमें विदेशी जहाजों के मालिकों से, जिन्होंने अपना काम पहले शुरू किया है, सहयोग और सहायता मिलेगी तथा वे प्रतिबन्धक प्रयाग त्याग दी जाएंगी जिनके कारण हमारे जहाजों का पूरा उपयोग नहीं हो सकता।

### मुद्रा सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ

मुद्रा-उपलब्धि की वृद्धि की गति, जो १९५८ में धीमी पड़ गयी थी, १९५९ में फिर बढ़ गयी। १९५९ में १७० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जब कि हमसे पहले के वर्ष में ७५ करोड़ रुपये की हुई थी। बैंकों द्वारा सरकार को दिये जाने वाले ऋणों में १९५९ में सबसे पहले के वर्ष की अपेक्षा कम वृद्धि हुई। दूसरी ओर, बैंकों के माय गैरसरकारी क्षेत्र द्वारा किये जाने वाले लेन-देनों का मुद्रा-मकोचकारी प्रभाव कम रहा और विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में, जिसमें पहले के वर्ष में कमी हुई थी, १९५९ में वृद्धि हुई।

अनुसूचित बैंकों की जमा रकमों में १९५९ में २५४ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। सरकारी

रामत्व	वजट १९५९-६०	संशोधित १९५९-६०	वजट १९६०-६१
मीमा मुला	३२२,७७	३६०,००	३६०,०० +२,५० } *
केन्द्रीय उत्पादन मुला	३२४,३२	३५०,८२	३५८,९१ +२१,०३ } *
निगम कर	५८,७५	७८,००	९३,५०
निगम कर के अनिश्चित आय पर कर	८७,६३	७२,६८	५२,९४
मृत सम्पत्ति मुला	१४	९	१०
गम्पति कर	१३,००	१२,००	७,००
रेलु विरासा कर	११	(-)-५१	११
व्यय कर	१,००	८०	९०
दान कर	१,२०	८०	८०
अर्फीम	३,९२	४,२६	५,६९
स्याज	१०,७५	८,२७	१५,७१
अर्नीतिक प्रसादान	३५,८०	४७,५४	५३,१९
मुद्रा और टकमाल	५५,६०	५५,८७	५७,२२
अर्नीतिक निर्माण कार्य	३,००	३,१३	३,०४
राजस्व के अन्तर्गत	४१,९३	३५,००	३९,७३
शक और तार—मानान्य राजस्व में			
वास्तविक अदान	४,२०	४,१६	४७
रेले—मानान्य राजस्व में वास्तविक अदान			
	५,९८	५,७५	५,६४
जोड—राजस्व	७८०,१०	८३८,६६	८९६,४५ +२३,५३ } *

### [व्यय]

राजस्व में प्रत्यक्ष व्यय	१०१,६५	१०३,५४	१०७,३३
सिंचाई	१६	१४	१७
ऋण-व्यवस्था	५७,८८	६५,१४	७४,५९
अर्नीतिक प्रसादान	२२२,७३	२३३,३५	२६७,७६
मुद्रा और टकमाल	९,८३	९,८६	१०,२७
अर्नीतिक निर्माण और विविध सार्वजनिक सुधार कार्य	१९,३५	१८,९४	२०,३२
पैगन	९,६३	१०,००	१०,११
विविध—			
विस्थापितों पर व्यय	१९,६९	२५,१७	२०,२८
अन्ध व्यय	७३,०२	७३,०२	१११,७०
राज्यों को अदान आदि असाधारण मदें	४६,०२	४८,९८	५१,८१
रक्षा सेवाएँ (वास्तविक)	३५,२६	२२,२१	३३,७५
	२४२,६८	२४३,७०	२७२,२६
जोड—व्यय	८३९,१८	८५४,०५	९८०,३५
कमी (-)	(-)-५९,०८	(-)-१५,३९	(-)-६०,३७

\* वजट प्रस्तावों का प्रभाव

प्रतिभूतियों (मिक्वांरिटीज) में इन बैंकों द्वारा विवे जाने वाले निवेश (इन्वेस्टमेंट) में १५१ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जब कि १९५८ में २०४ करोड़ रुपये की हुई थी। रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों द्वारा लिया जाने वाला वार्षिक ऋण कम था और घन की अधिक आवश्यकता की अवधियों को छोड़ बाकी समय में ऋण की दर का रुख प्रायः नीचे की ओर था। वड़े बड़े बैंकों के एक एंजिन्फ्र गमजोने के अनुसार अक्टूबर १९५८ में जो अधिनियम निर्धारण (डिजाजिट) दरें निश्चित की गयी थी वे मिनटव १९५९ में ३ प्रतिशत घटा दी गयी।

वर्ष के अधिकांश भाग में शेयर बाजारों में तेजी रही और सर्वोच्च प्रतिभूतियों (मिल्ट-एजेंड मिक्वांरिटीज) के मूल्यों में स्थिरता यनी रही। इन वर्ष नये औद्योगिक निर्गमों (इन्वज) में वे बढूतों के लिए ज्यादा मांग रही। परिवर्तनीय लागामों वाली औद्योगिक प्रतिभूतियों के मूल्यों का सूचकांक, जो १९५८ में १४ प्रतिशत बढ़ गया था, १९५९ में लगभग १७ प्रतिशत और बढ़ गया। बढती हुई अर्थ-व्यवस्था में जहाँ यह आवश्यक है कि पूजी बाजारों में विश्वास और आशा प्रकट हो वहाँ यह भी आवश्यक है कि गट्टेबाजी की हानिकारक प्रवृत्तियों पर कड़ी नजर रखी जाय।

### मूल्य

प्रांतीय मूल्यों के सामान्य सूचकांक अंक में जनवरी १९६० में गमाव हुए बावजूद महीनों में लगभग ४१। प्रतिशत की वृद्धि हुई। चावल के मूल्य का सूचकांक, जो नवम्बर १९५८ में १०८ था, पञ्चदश मार्च १९५९ में ९२ रह गया, पर फिर अक्टूबर १९५९ में ११२ हो गया। इसके बाद उम्मेद किर मीसामी बन्नी हुई और दिसम्बर १९५९ तक यह लगभग १०१ रह गया। ५२ मुपत्र अर्ध जनवरी १९६० के अन्त में १०८.५ था। गेहूँ के, तिष्ठते महीने के अन्त के अन्त एक वर्ष पहले के भावों में लगभग २५ प्रतिशत कम थे। कुल मिलाकर, अनाज और दानों के मूल्यों के सूचकांक अंकों में भी बन्नी हुई है पर 'गोट गन्तुप्रा' के मूल्यों के सूचकांक अंकों में वृद्धि हुई है जिसका मुख्य कारण माने के जाता है और और प्रायः के मूल्यों का बढ़ना है। इन के हरीतों में औद्योगिक बन्ने माने के भावों का सूचकांक अधिक तेजी से बढ़ा और

निमित्त वस्तुओं के मूल्य-सूचकांक अंक की प्रवृत्ति भी बढ़ाव की ओर दिखाई दी। रहन-सहन के वस्तु का अखिल भारतीय सूचकांक अंक दिसम्बर १९५९ में १४४ था जब कि वह एक वर्ष पहले १२२ था।

### शोधन-सन्तुलन

जैसा कि मैने पहले कहा है, रिजर्व बैंक की स्टॉलिंग परिसम्पद अपेक्षाकृत स्थिर रही। इसका स्तर १९ फरवरी, १९६० को २०३ करोड़ रुपया था, जब कि एक वर्ष पहले यह २११ करोड़ रुपया था। इस अवधि में हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि में अपना निर्धारित अना (कौटा) बढ़ाने के लिए सोने के रूप में अदायगी की और उससे २ करोड़ डालर का रुपया फिर खरीद लिया। यह वृद्धि उत्साहजनक है, पर साथ ही यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि मूलतः हमारी वर्तमान कमाई हमारी अदायगी से कहीं कम है और यह कमी विदेशी ऋणों और उधारों से पूरी की जा रही है।

१९५८-५९ में, शोधन-सन्तुलन में चालू खाते की कमी ३३९ करोड़ रुपया थी जब कि १९५७-५८ में वह ४७६ करोड़ रुपया थी। आयात में १५७ करोड़ रुपये की कमी हुई। गैर-सरकारी आयात में १७६ करोड़ रुपये की कमी और सरकारी आयात में १९ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। निर्यात में होने वाली आय में १९५८-५९ में १९५७-५८ की अपेक्षा लगभग १९ करोड़ रुपये की कमी हुई जिसका मुख्य कारण विदेशों की व्यापारिक मन्त्री थी। गवर्नारी दानों और अन्य अदृश्य मदों में १९५७-५८ की अपेक्षा १९५८-५९ में १ करोड़ रुपया कम प्राप्त हुआ। चालू खाते की ३३९ रुपये की कमी ३२० करोड़ रुपये की पूँजी के आने पर और विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में १९ करोड़ रुपये की रकम निकालने पर पूरी हुई। विविध लेनदेनों की मद में बाहर भेजी गयी २३ करोड़ रुपये की सांत्विक रकम को दगम में जोड़ने पर प्रारक्षित निधि में कुल ४२ करोड़ रुपये की कमी हुई।

चालू खाते की कमी १९५९-६० की पहली छमाही में १४२ करोड़ रुपया थी जबकि १९५८-५९ की पहली छमाही में वह २११ करोड़ रुपया थी। स्थिति में इस मुपार का

कारण यह था कि निर्यात में होने वाली आय में १९ करोड़ रुपये की वृद्धि और आयात में ५३ करोड़ रुपये की कमी हुई। पर सरकारी दानों से ३ करोड़ रुपया कम प्राप्त हुआ। १४२ करोड़ रुपये की कमी में से २७ करोड़ रुपये की कमी तो विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि से इतनी रकम निकाल कर पूरी की गयी और बाकी कमी प्राधानतः विदेशी सहायता से पूरी की गयी।

शोधन-सन्तुलन और विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि के विषय में चर्चा करते हुए मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमने १९५७ में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से २० करोड़ डालर का ऋण लिया था जिसमें सन्तुल के समय लिया गया ७ करोड़ २५ लाख डालर का ऋण शामिल था। इस ऋण के नियमों के अनुसार, इस प्रकार का ऋण तीन वर्षों के अन्दर चुका देना पड़ता है। इसलिए हमने इस महीने ५ करोड़ डालर की रकम चुका दी और हमारा विचार है कि २ करोड़ २५ लाख डालर की शेष रकम जून १९६० में चुका दें।

### विदेशी सहायता

जैसा कि मन्त्रा को मालूम है, अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने मार्च १९५९ में मित्र देशों का एक सम्मेलन इसलिए किया था कि उनमें इस बात पर विचार किया जाय कि चानू आयोजना की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकता पूरी करने में भारत की सहायता किम प्रकार की जा सकती है। इस सम्मेलन के बाद, ब्रिटेन की सरकार ने १ करोड़ ९० लाख पाइ (लगभग २५ करोड़ रुपये) का ऋण देना मंजूर किया। अमरीका की सरकार ने गैर-सरकारी धन की प्रायोजनाओं के निमित्त इत्याद का सामान करने के लिए जुलाई १९५९ में बिक्रम ऋण निधि में २ करोड़ डालर (लगभग ९१ करोड़ रुपये) का और ऋण देना मंजूर किया। २५ करोड़ ७० लाख डालर (लगभग १ अरब २२ करोड़ रुपये) के अन्त और दूसरे इति-पदाओं के आयात के लिए नवम्बर १९५९ में अमरीकी सरकार के माध्य की १०० एल. ४८० के अनुसार एक करार पर हस्ताक्षर किये गये। जनादा ने गेहूँ, बन्ने मास, उर्वरकों और औद्योगिक मात्र-सामान के आयात के लिए कुल २ करोड़ ५० लाख डालर (लगभग १ करोड़

रूपये) के अनुदान देना मंजूर किया है। चालू वित्त-वर्ष में अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के कुल ८ करोड़ ५० लाख डालर (लगभग ४०१ करोड़ रुपये) के और ऋण देना मंजूर किया। कुल १ अरब ६८ करोड़ रुबल (लगभग २ अरब १ करोड़ रुपये) के ऋणों और उधारों के लिए रूस के साथ इन वर्ष तीन करारों पर हस्ताक्षर किये गये। इस महायुद्ध का अधिकतर भाग तीसरी आयोजना के लिए है। चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया की सरकारों ने भी तीसरी आयोजना की अवधि में क्रमशः २३ करोड़ रुपये और १९ करोड़ रुपये तक उधार देना मंजूर किया है।

पहले के वर्षों की भांति, हमें आस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैण्ड जैसे देशों में कोलम्बो आयोजना के अनुसार महायुद्धा मिलनी रही। हमें मयूक राष्ट्र मध्य के तकनीकी महायुद्धा के बढ़ाये गये कार्यक्रम के अनुसार, मयूकनाष्ट्र मध्य के अन्य विविध अतिकरणों (एजेंसियों) में, और भारत-काम तकनीकी महायुद्धा कार्यक्रम के अनुसार तकनीकी महायुद्धा मिलनी है। हमने भी मित्र देशों को महायुद्धा दी है। हम कोलम्बो आयोजना के अनुसार नेपाल को जो आर्थिक और तकनीकी महायुद्धा दे रहे हैं उनको रकम चालू वर्ष में अनुमानत १३३ करोड़ रुपया हो जायेगी। हमने समुद्रपारीय देशों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ और प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्रस्तुत की हैं और इन देशों की सरकारों को महायुद्धा करने के लिए बहुत-से विनियोग भेजे हैं।

मैं फिनलैंड-अक्टूबर १९५९ में वाशिंगटन में अन्तर्राष्ट्रीय बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-निधि के प्रबन्धक-मण्डलों (बोर्ड्स आफ गवर्नर्स) के वार्षिक अधिवेशनों में मरिम्निलित हुआ। बैंक के प्रबन्धक-मण्डल के अधिवेशन में थमरीका का वह प्रस्ताव स्वीकार किया गया जिसमें कि बैंक के कार्यकारी निदेशकों (एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स) से कहा गया है कि वे उन स्थल विद्वानों के सम्बन्ध में विचार करें जिनके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की सम्बद्ध मत्स्या के रूप में एक अन्तर्राष्ट्रीय विकास मध्य (इंटरनेशनल डेवलपमेंट अर्मी-मियेशन) स्थापित किया जाय तथा सदस्य सरकारों के पास विचारार्थ भेजने के लिए इस

गंघ का इकारारनामा (आर्टिकल्स आफ एग्सी-मेण्ट) तैयार करे। इस गंघ का कार्य यह होगा कि वह ऐंगी मर्गी पर अतिरिक्त धन की व्यवस्था करके अल्प-विकसित क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा दे जिनमें ऋण लेने वाले देशों की शोषण-मनुजुलन सम्बन्धी स्थिति पर बम बोज पड़े। इस मध्य के इकारारनामा का मरगविडा अब तैयार हो गया है और उस पर मदस्य देना विचार करेंगे।

### वित्त वर्ष १९५६-६०

अब मैं चालू वर्ष के मरगोमित अनुमान और अगत्य वर्ष के बजट अनुमान का उल्लेख करूंगा।

चालू वर्ष के बजट में ७८० १० करोड़ रुपये के राजस्व और राजस्व में नियंत्रित वाले व्यय के लिए ८३९.१८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी जिनमें राजस्व रातों में ५९०८ करोड़ रुपये की कमी रही। वास्तविक आय की प्रवृत्ति को देखते हुए अब अनुमान है कि ८३८ ६६ करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति होगी और ८५४ ०५ करोड़ रुपये का व्यय होगा और कमी नेवल १५ ३९ करोड़ रुपये की रह जायेगी।

राजस्व में ५८ ५६ करोड़ रुपये की वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि सीमा शुल्क (कस्टम्स) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों (यूनियन एक्साइज) में अधिक प्राप्ति हुई। अब अनुमान है कि सीमा शुल्कों की प्राप्ति १३२ ७७ करोड़ रुपये में बढ़कर १६० करोड़ रुपये तक पहुँच जायेगी, हमारा मूल अनुमान, जो १९५७-५८ की वास्तविक राजस्व प्राप्ति पर आधारित था, बहुत कम निकला है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों से ३५०.८२ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी, जबकि बजट अनुमान में ३२४ ३२ करोड़ रुपये रये गये थे। उत्पादन के बढ़ते जाते से राजस्व में सभी और मुधार हुआ है, यामकर इस्पात के डल्लों, सीमेंट और टायर तथा ट्यूब के मामलों में। इस साल खनिज तेलों का शुल्क बढ़ने में भी राजस्व में वृद्धि हुई है। सम्भवत आयकर की प्राप्ति में, जिसमें निगम कर (कार्पोरेटेशन टैक्स) भी शामिल है, ५ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी, लेकिन सम्पत्ति कर (वैल्यू टैक्स), व्यय कर (एक्सापेंडीचर टैक्स) और दान कर (गिफ्ट टैक्स) में होने वाली कुल प्राप्ति में १६ करोड़ १ कमी

रहेगी। लोहे और इस्पात के अधिभार से, जं लोहा और इस्पात समकरण निधि (एण्ड स्टील इन्वेलाइज्मेंट फण्ड) को अन्त रित कर दिया जाता है, ९ करोड़ रुपया प्राप्त होने की सम्भावना है, जबकि पी०एल० ४८० कार्यक्रम के अनुसार अमरीकी सरकार से १३ करोड़ रुपये के कम अनुदान प्राप्त होगे।

अब इस वर्ष ६१०.३५ करोड़ रुपये का अरगतिक (सिविल) व्यय होने का अनुमान है, जबकि मूल बजट में ५९६ ५० करोड़ रुपये का अनुमान किया गया था और प्रतिरक्षा (डिफेंस) व्यय का अनुमान २४३ ७० करोड़ रुपया है, जब कि मूल बजट में २४२.६८ करोड़ रुपये का अनुमान किया गया था।

अरगतिक व्यय में १३.८५ करोड़ रुपये की वृद्धि कई शीपोंको के अन्तर्गत होने वाले परिवर्तनों का वास्तविक प्रभाव है। अब ऋण सम्बन्धी अदायगियों पर ७ २६ करोड़ रुपया अधिक खर्च होने का अनुमान है जिसका प्रधात कारण विदेशी ऋणों के व्याज के लिए ज्यादा अदायगियाँ किया जाना है। लोहे और इस्पात के अधिभार को इस्पात समकरण निधि में अन्तर्गत करने से ९ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। विस्थापित व्यक्तियों पर ५४८ करोड़ रुपया अधिक खर्च हुआ जिसका कारण कुछ बकाया ऋणों का अनुदानों में परिवर्तित किया जाना और निष्क्रान्त व्यक्तियों की सम्पत्ति की विक्री की रकम के अन्तर्ण के लिए और अधिक रुपये की व्यवस्था करना है, निष्क्रान्त-सम्पत्ति की विक्री की रकम को हिसाब में लेने से पूजीगत व्यय में, जिससे विस्थापित व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति के लिए अदायगी की गयी है, कमी हुई है। राजस्व में वृद्धि होने से, अब अनुमान है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों से राज्यों के हिस्से की अदा की जाने वाली रकम में, बजट व्यवस्था की अपेक्षा २० करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायेगी। इस वर्ष कम्पनी करों में परिवर्तन होने के कारण राज्यों के आय कर के हिस्से में जो कमी हुई है उसे पूरा करने के लिए उन्हें ३४६ करोड़ रुपये का अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है। ये वृद्धियाँ, पी० एल० ४८० कार्यक्रम के अनुसार अमरीकी होने वाले अनुदानों में, जो (स्पेंसल डेवलपमेंट फण्ड)



जायेंगी, १३ करोड़ रुपये की कमी होने में अनातः प्रतिमन्तुलिन (वाउण्टर वेंगन) हो जाएंगी।

चातु वर्ष में राजस्व में त्रिपं जाने वाले वार्षिक प्रतिक्रिया (ट्रिपेंस) व्यय के मर्गो-धिन अनुमान में, वजट अनुमान की अपेक्षा, १०० करोड़ रुपये की वृद्धि दिखलाई गयी है। इसका कारण वायुसेना के मन्व्य में ६ करोड़ रुपये की वृद्धि है, जो जलसेना के व्यय और निष्पन्न प्रमाण (मान-इंफोर्टव चार्जेज) में कमी और "प्राप्तियां और वसूलियां" मौखिक के अन्तर्गत कुछ वृद्धि होने में प्रतिमन्तुलिन हो गयी है। वायुसेना के वजट में वृद्धि का मुख्य कारण, विदेशों में गरीबों के मामलात के मन्व्य में, १०५,८५० में आगे लायी गयीं देनदारियां और वर्ष के अन्त में मन्व्य में नये प्रस्ताव हैं। जलसेना के व्यय में कमी का मुख्य कारण मामलात के मन्व्य में कमी होना है। "निष्पन्न प्रमाण" के अन्तर्गत सेना के कम-चांगियों की पेनाल में अन्वयो वृद्धियां करने के लिए जो व्यय का गयी थी उसकी इन वर्ष आवश्यकता पड़ने की सम्भावना नहीं है और उसे अगले वर्ष के वजट में शामिल किया गया है।

### वित्त वर्ष १९६०-६१

अगले वर्ष के अनुमान का उल्लेख करने में पहले मैं उन एक दो बातों का जिक्र करना चाहता हूँ जिनमें उस वर्ष के अनुमानों पर प्रभाव पड़ना है। पहली बात का मन्व्य मापारण राजस्व (जलसेना विसु) और डाक तथा तार विभाग के बीच हुई वित्तीय व्यवस्था में त्रिपं जाने वाले एक बड़े परिवर्तन में है। अभी तक डाक और तार विभाग का अधिनियम (मन्व्य), लग्ना हुई पुरी का ब्याज देकर मापारण राजस्व में चला जाता था। अधिनियम का कुछ भाग मापारण राजस्व में जाने वाला अग्रदान मसला जाता है जो वार्षिक विभाग द्वारा निजयामान रूप में लिया जाता है त्रिपं पर मात्र म कुछ हद दी जाती है। डाक में इन व्यवस्था की त्रिपं की गयी थी मान हीन में इस व्यवस्था में कि डाक और तार विभाग का उपर्ये बने हुए पुरी निरन्तर (कॉन्ट्रोल एन्ड रेगुलेशन) के मुहूर्त, पत्रालय प्रारम्भिक रूप से बना कर के लिए योजनात्मक रूप में व्यवस्था की है। वित्तवस्तु में विभाग की

प्रौद्योगिक विज्ञान मन्व्य की प्रगति (टैक्नोलॉजिकल इन्वेंशन) के साथ साथ विभाग के पुरी निवेश की गति हाल के वर्षों में बहुत ज्यादा बढ़ गयी है जिनके परिणामस्वरूप १९५८-५९ में ३८ करोड़ रुपये की लगी हुई कुल पुरी पिछले वर्ष के अन्त में १२१ करोड़ रुपये तक पहुंच गयी। विन्तु नवीकरण प्रारंभित निधि (रिप्लूएन्स रिजर्व फंड) की वृद्धि या पर्याप्त नहीं है, इसलिए प्रतिस्थापन (रिप्लेमेंट) के लिए आधिक रूप से ब्याज पुरी (इंटरस्ट-फ्रेडरिंग कैपिटल) से हथपा लेना पडा है। इसलिए निश्चय किया गया है कि अगले वर्ष में डाक और तार विभाग को उगी स्थिति में ले जाया जाय जिसमें सरकार के दूसरे बड़े बड़े व्यापारिक विभाग हैं, जैसे रेल (माधारण राजस्व के मुकाबले)। भविष्य में यह विभाग माधारण राजस्व को, लग्ना हुई मन्व्यमान (मीन) पुरी पर, उगी दर से लाभाग (डिवीडेड) देगा, जो भारतीय रेलों के लिए, वर्ष में मन्व्य मन्व्य पर लागू होंगा। लाभाग देने के बाद, विभाग अधिनियम की बाकी रकम को, अपनी प्रारंभित निधियों, सामकर नवीकरण प्रारंभित निधि (रिप्लूएन्स रिजर्व फंड) को बचाने के लिए रख लेगा।

दूसरी बात का मन्व्य केन्द्रीय वेतन आयोग (सेटुल वी कॉमिशन) में है। यह आयोग अगस्त १९५७ में वेतन आदि उल्लिखितों के ढांचे और केन्द्रीय सरकार के कार्यचारियों की सेवा मन्व्य की दानों की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था और इनमें अगस्त १९५९ में अपनी रिपोर्ट पेन कर दी। आयोग की कुछ बड़ी बड़ी गिफारियों के मन्व्य में सरकार के निधियों की धोरणा ३० नवम्बर, १९५९ को मन्व्य में कर दी गयी थी। आयोग की दूसरी गिफारियों की जांच की जा रही है और उनके मन्व्य में सरकार के निधियों, जिनकी जन्दी हो गयी, पॉसिबल कर दिने जायेंगी। आयोग की गिफारियों पर अमल करने में सरकार की वास्तविक रूप से, सब मिला कर, त्रिपं में पड़ने ही मन्व्य की गयी अन्वयो मन्व्यमान भी शामिल है, ८८ करोड़ रुपये मन्व्य करना पड़ेगा, त्रिपं में बाहर मन्व्यमान ५५ करोड़ रुपये तक पड़ने जा। की सम्भावना है। सरकार द्वारा आयात की स्वीकृत गिफारियों में १ जून, १९५९

में लागू है, लेकिन इस मन्व्य में चालू वर्ष के वजट अनुमानों में कोई व्यवस्था नहीं की गयी, क्योंकि सारी अदायगियां १९६०-६१ में की जायगी। इन तरह उम वर्ष के वजट में इन वर्ष के लिए एक वर्ष में ज्यादा के लिए व्यवस्था की गयी है।

माननीय सदस्यों में अर्गेनिक (निविल) व्यय की वृद्धि के सम्बन्ध में पिछले वर्ष कुछ चिन्ता प्रकट की थी। अधिक में अधिक मिन-व्ययता करने और साथ ही कार्यकुशलता भी बनायी रखने और सरकारी खर्च को अपभय में बचाने के प्रदन की ओर बराबर ध्यान दिया जा रहा है। आयोजना मन्व्य की ममिति के विभिन्न दलों और वित्त मन्त्रालय के विन्वय पुनर्गठन एकल (स्पेशल रिऑर्गनाइजेशन यूनिट) की रिपोर्टों मन्व्य मन्व्य पर मन्व्य में पेन की जाती रही है। केन्द्रीय मितव्ययता बोर्ड और विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा स्थापित आन्तरिक मितव्ययता ममिति का व्यय की वृद्धि, विन्वयता विकास में भिन्न बर्षों के लिए होने वाले खर्च पर बराबर नजर रखनी है। कार्य-प्रणालियों में सुधार करने और कार्य-कुशलता के साथ साथ मितव्ययता लाने के उद्देश्य में प्रत्येक मन्त्रालय के कार्यकलाप के विन्वय धोरणों में छात्रवीन धृष्ट कर दी गयी है। सरकार ने, एक माल के लिए, नयी जगह बनाने और माली जगह भरने पर पावन्दी लगा दी है, लेकिन ऐसी जगहों का मन्व्य यदि पक्व-वर्षीय आयोजना में होगा या मुद्रा की वृद्धि में उनकी आवश्यकता होगी, तो फिर यह पावन्दी नहीं होगी। मन्व्य मन्व्य की व्यवस्था में भी तदर्थ (एड हाक) बटौतियां की गयी हैं।

बन्वमान कर-व्यवस्था के आधार पर अगले वर्ष ८९६५ करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति और ९८०.३५ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है जिनमें राजस्व दिने में ८१.९० करोड़ की पटना रहेगी।

मीमा मन्व्य में अनुमान उतनी ही मन्व्य प्राप्ति होगी जिनकी चालू वर्ष के मर्गोधिन अनुमान में रखी गयी है, अर्थात् ११० करोड़ रुपये। केन्द्रीय उपायन मन्व्य में ३५८.९१ करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान है, जो मर्गोधिन अनुमान में ८०० करोड़ रुपये अधिक है। इस वृद्धि का कारण यह है कि इन

में उस्तादन की क्रमिक वृद्धि और चातू वर्ष में उपादान गुणवत्ता में की गयी वृद्धि में प्राप्त पुरे माल का गन्तव्य निर्दिष्ट है। आप कर और निगम कर की प्राप्ति में १० करोड़ रुपये की वृद्धि को सम्भावना है। सम्प्रति कर में ५ करोड़ रुपये की कमी होगी जिसका कारण यह है कि कम्पनी पर लगने वाला कर उनके आप कर में लिया दिया गया है। अर्थ में की बन्नी में प्राप्त होने वाली रकम में १ करोड़ रुपये की वृद्धि को छोड़, दूसरे मुख्य धीरों में प्राप्त होने वाले गन्तव्य और चातू वर्ष के निर्गमित अनुमानों के बीच भारी अन्तर होने की सम्भावना नहीं है। राज-प्राप्ति में ५ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी जिसका मुख्य कारण दो इन्फ्लेशन कम्पनीओं और राष्ट्रीय तथा प्रायः उद्योग आयों में होने वाली अनुमित प्राप्ति है। दूसरे बड़े बड़े परिवर्तनों में से नोट और इन्फ्लेशन के प्रभाव (गणना) की प्राप्ति में ३ करोड़ रुपये की वृद्धि और पी० एल० ८८० कार्यक्रम के अन्तर्गत अमरीकी सरकार ने अनुदान के रूप में प्राप्त ८ करोड़ रुपये का जिक्र किया जा सकता है। लेकिन वे वृद्धि, टार और तार विभाग में मिलने वाले अगदान (कटिन्टूशन) में ४ करोड़ रुपये की कमी होने से अन्तः प्रविष्टि-मुक्ति हो जायेगी। इस अगदान में कमी का कारण वही निर्गमित व्यवस्था है जिसका पहले उल्लेख किया जा चुका है। कम्पनी आय कर की निगम कर में लिया देने में अगले वर्ष आप कर में से राशियों की दिये जाने वाले हिस्से में २७.२६ करोड़ रुपये की कमी रहेगी, लेकिन, जैसा कि मैंने अपने पिछले माल के भाषण में कहा था, दरदा यह है कि उक्त माल तक एक विंग अन्तःदान द्वारा राशियों के घाटे की पूर्ति की जानी पड़े, जब तक अगला वित्त आयोग (फाइनेंस कमिशन) आय कर के बटवारे के मन्त्रय में अपने रिपोर्ट न दे दे और उनके आधार पर इस प्रयोजन के लिए व्यय अनुमानों में धन की आवश्यक व्यवस्था न कर दी जाय। रिजर्व बैंक के लक्ष्य की रकम ४० करोड़ रुपये रखी गयी है; चालू माल की रकम भी इसी ही है। अगले वर्ष ९८०.३५ करोड़ रुपये तक होने का अनुमान है जिसमें से २७२.२६ करोड़ रुपये प्रतिरक्षा सेवाओं पर और ७०८.०९ करोड़ रुपये अर्थिक कार्यों पर खर्च होगा।

अर्थिक व्यय में, निर्गमित अनुमानों की अपेक्षा, अगले माल ९७७ करोड़ रुपये की वृद्धि दिखायी गयी है। देशी और विदेशी क्रमों में प्रथम वृद्धि होने में शक सम्भवी अभावों पर ९.४५ करोड़ रुपये अधिक खर्च होने की सम्भावना है। चातू पत्रवर्षीय आयोजना के अन्तिम वर्ष में विराग और मार्गाधिक सेवाओं पर, जिन में सामुदायिक विकास निर्माण है, २७ करोड़ रुपये अधिक खर्च होने का अनुमान है। रोडे और इन्फ्लेशन गवनी अधिभार की अपन आप गनुक्ति होने वाली रकमा और पी० एल० ४८० कार्यक्रम के अन्तर्गत अमरीका में प्राप्त होने वाले अनुदानों के कारण जिनके लिए गन्तव्य अनुमानों में बटवारे की रकम दिखायी गयी है, १५ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। आप कर में से राशियों की दिये जाने वाले हिस्से में कमी होने से उन्हे धतिपूर्ति के रूप में अगले वर्ष दिये जाने वाले तदर्थ अनुदानों में २८ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। वृद्धि का बाकी हिस्सा कई धीरों में बाँट दिया गया है। इन परिवर्तनों के विस्तृत राष्ट्रीयकरण, मदा की भाति, व्यापारिक ज्ञान में दिये गये हैं।

अनुमान है कि अगले वर्ष प्रतिरक्षा व्यय, २४३.७० करोड़ रुपये के निर्गमित अनुमान की तुलना में २७२.२६ करोड़ रुपये होगा। यह २८.५६ करोड़ रुपये अधिक है। स्थल सेना के अनुमान में २६.७५ करोड़ रुपये की वृद्धि और जल सेना के अनुमान में ३.४६ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी, जबकि वायु सेना के खर्च में २.९४ करोड़ रुपये की कमी हो जायेगी। निष्पत्ति प्रभारों में १.२९ करोड़ रुपये की वृद्धि दिखायी गयी है। प्रतिरक्षा व्यय की सम्पूर्ण वृद्धि मूलतः गन्तव्य सेनाओं के अतिरिक्त धतिपूर्ति, प्राथमिक सेना और राष्ट्रीय नैय विभागों द्वारा दल के और अधिक विस्तार तथा पिछले वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिए बडी हडि अभावियों की व्यवस्था के कारण है। जैसा कि मैंने कहा चुका हूँ, निष्पत्ति प्रभारों के अन्तर्गत, नैतिक कर्मचारियों को दी जाने वाली छोटी पेंशनों की रकमों का बढ़ाने के लिए चालू वर्ष में जो व्यवस्था की गयी है उसे अगले वर्ष में ले जाया गया है। वायु सेना के अनुमित व्यय

में कमी का मुख्य कारण यही है कि चालू - के निर्गमित अनुमान में पहले के वर्ष की सेवादारियों की भारी रकमों को शामिल कर लिया गया है।

प्रतिरक्षा सेवाओं के अनुमान हमारी सीमाओं के मौजूदा तारों को ध्यान में रख कर बनाये गये हैं और मुझे विश्वास है कि सभा मूल में यह जानने की आना न खेगी कि देश की धनीय अलडता की रक्षा के लिए क्या उपाय किये गये हैं, या किन उपायों के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। हो सकता है, बाद में इसी वर्ष, परिस्थितिगत आवश्यकता पड़ने पर, मुझे अतिरिक्त रूपों के लिए इस गन्ना के मार्गमें आना पड़े; किन्तु मुझे तनिक भी शक नहीं है कि देश की सुरक्षा को निश्चित बनाने में सभी आवश्यक उपाय करने में सरकार को इस सभा के सभी दलों का समर्थन प्राप्त होगा।

### पूँजीगत व्यय

अब में पूँजी परिव्यय के लिए बजट में की गयी व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण दूँगा। चालू माल के बजट में कुल ४२०.१४ करोड़ रुपये के पूँजीगत व्यय के लिए व्यवस्था की गयी थी। इसमें अमरीका से प्राप्त पूँजीगत सहायता को विनियम विकास निधि में अन्तर्लिप्त करने की वह रकम शामिल नहीं है जिसे पूँजीगत व्यय माना जाता है। अब पूँजीगत आवश्यकता का निर्गमित अनुमान ३६२.८५ करोड़ रुपये, अर्थात् ५७.२९ करोड़ रुपये कम है। वचत मुख्यतः दो चीजों के अन्तर्गत हुई है। अब रैले १२१.८१ करोड़ रुपये के मूल अनुमान की तुलना में केवल ८५.०३ करोड़ रुपये खर्च करना चाहती है। अम की खरीद के वास्तविक व्यय में २१.०१ करोड़ रुपये की कमी होगी जिसका मुख्य कारण विपरी और वस्तुधियों से पहले की वनिस्वत अधिक प्राप्ति होना है।

पूँजी परिव्यय के इस वर्ष के ३६२.८५ करोड़ रुपये के निर्गमित अनुमान के मुकाबले अगले वर्ष की व्यवस्था ३७०.८४ करोड़ रुपये है। यदि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि को अतिरिक्त अंशदान देने की चालू माल की १५.२४ करोड़ रुपये की विनियम बद निश्चाल दी जाय तो चालू माल के निर्गमित अनुमान की तुलना में, अगले साल की पूँजीगत आवश्यकताओं में १०१.२३

करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायेगी। यह वृद्धि कई शीपों में बांटी गयी है और आयोजना के अन्तिम वर्ष में आयोजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये दो गयी अतिरिक्त रकमों को प्रवृत्त करती है। औद्योगिक विकास का परिष्कृत, मुख्यतः कोयला और तेल के विकास का खर्च, ३०.५६ करोड़ रुपया अधिक होगा। रेलों और डाक तथा तार विभाग भी, चालू माल को बलिष्ठ क्रमः ३५.७८ करोड़ रुपया और ३.६० करोड़ रुपया अधिक खर्च करेंगे। वन के लेनदेन के वार्षिक व्यय में १९.४१ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

अभी बताये गये प्रत्यक्ष पूंजी परिव्यय के अतिरिक्त, राशियों को ऋण देने के लिए, अनुमानों में इस वर्ष २८३.१८ करोड़ रुपये और अगले वर्ष ३३१.५१ करोड़ रुपये और दूसरी पाठियों को ऋण देने के लिए, जिनमें पत्तन न्याय (पोर्ट ट्रस्ट), नरकारी स्वामित्व के निगम और विदेशी नरकारों शामिल हैं, इस माल २२१.७४ करोड़ रुपये और अगले साल १७६.७४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

अगले वर्ष के अनुमानों में, आयोजना को अन्त में लाने के लिए, कुल ८८९ करोड़ रुपये की व्यवस्था है जिनमें से १७३ करोड़ रुपया राजस्व बजट में और ७१६ करोड़ रुपया पूंजी बजट में है। इस व्यवस्था में से ६४ करोड़ रुपया राजस्व बजट में और १७५ करोड़ रुपया पूंजी बजट में राशियों की महायोजना के लिए है। इनके अन्तर्गत, अन्त में गायनों में रेलों ३४ करोड़ रुपये और राज्य २५१ करोड़ रुपया खर्च करेगा। इस प्रकार १९६०-६१ का मधुर्ग आयोजना परिव्यय १,१७४ करोड़ रुपया होगा, जिनमें नदी पाटी प्रायोजनाओं के उन ऋणों का ब्याज, जो निगमों की अवधि में पूंजी में जोड़े जाते हैं, और छोटी अवधि के ऋणों का ब्याज शामिल है।

केन्द्रीय और राज्य नरकारों का, १९५८-५९ में मनाज होने वाले तीन वर्षों में मधुर्ग आयोजना परिव्यय २,४५० करोड़ रुपया था। चालू वर्ष में इस परिव्यय के लिए बजट में १,१७१ करोड़ रुपये की व्यवस्था है और जैना कि पहले ही बताया गया है, अगले वर्ष १,१७४ करोड़ रुपये के पूंजी परिव्यय का अनुमान है।

में गणराज्य होने वाली कमी की छोटी

हुए, नरकारी क्षेत्र में, पांच वर्ष की अवधि में लगभग ४,६०० करोड़ रुपये का वास्तविक परिव्यय होगा। अनुमान है कि मंगलित नरकारी क्षेत्र में निवेश (इन्वेस्टमेंट) उन कुल रकम तक पहुंच जायेगा, आयोजना में जिनकी कल्पना की गयी है; हो सकता है यह कुछ बढ़ भी जाय। मुझे विश्वास है कि सिंचाई, विजली, उद्योग, खनिजों के उत्पादन (माइनिंग) और परिवहन (ट्रान्पोर्ट) और मनाज सेवा के क्षेत्र में भी खानी रकमें लगायी जायेंगी।

### अर्थोपाय

चालू माल के बजट में २२३ करोड़ रुपये को राजकोष हटियाँ (ट्रेजरी बिल) के वार्षिक विस्तार की व्यवस्था की गयी थी जिन में से १५ करोड़ रुपये की हटियाँ जनता द्वारा खरीदे जाने के लिए जारी की जानी थीं। नवने हाल की प्रवृत्तियों के अनुसार अब अनुमान है कि १९० करोड़ रुपये का ही वास्तविक विस्तार होगा। ४७ करोड़ रुपये के इन अन्तर के कई कारण हैं। राजस्व के घाटे में अब ४४ करोड़ रुपये की कमी होने का अनुमान है। जैना कि पहले बताया जा चुका है, पूंजीगत व्यय में ५७ करोड़ रुपये की बचत होगी और दूसरे ऋण शीपों के अन्तर्गत ३२ करोड़ रुपये की। १३३ करोड़ रुपये की यह बचत, विदेशी ऋणों में ७१ करोड़ रुपये की कमी और अन्तिम टोकड़ बाकी (क्यौजिंग कैश बलेंस) को ५० करोड़ रुपये के मानान्य स्तर (मानल लेवल) तक बनाये रखने की आवश्यकता के कारण १५ करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था करने से अगतः प्रतिमनुल्लिप्त हो जायेंगी।

बजट में उधार लेने के जिन कार्यक्रमों की कल्पना की गयी थी उसे नरकरेंतापूर्वक पूरा किया गया है। बजट में मैंने २२५ करोड़ रुपये के एक बाजार ऋण का अनुमान किया था, किन्तु वास्तविक प्रगति २२९ करोड़ रुपये की हुई। जुलाई १९५९ में दो ऋण जारी किये गये थे; एक ३११ प्रविगत बन्ध-पत्र (बाण्ड) १९६९, जो ९८.८५ रुपये के निर्गम मूल्य पर जारी किया गया था और दूसरा ४ प्रविगत ऋण १९.७९, जो मम मूल्य (एट पार) पर जारी किया गया था। ३ प्रविगत द्वितीय विजन ऋण (विजरी लोन) १९५९-६१ और २११ प्रविगत हैदराबाद ऋण १९५४-५९ के लिए,

जो इसी मास चुकाने जाते थे, खरीदाओं (होल्डिंग्स) को रूपांतरण (कन्वर्जन) की सुविधाएं दी गयीं। इन ऋणों में जो रकम लगाया गया उसकी कुल रकम १८४ करोड़ रुपये तक पहुंची जिनमें से ८९ करोड़ रुपया ऋण-रूपांतरण द्वारा प्राप्त हुआ। बाद में पूंजी लगाने की बाजार की मांग को पूरा करने के लिए ९९.४ रुपये के निर्गम मूल्य पर २९ करोड़ रुपये का ३११ प्रविगत बन्ध-पत्र, १९६९ और ९९.६५ रुपये के निर्गम मूल्य पर २० करोड़ रुपये का ३११ प्रविगत ऋण १९५४ जारी करने का निश्चय किया गया। मानान्य प्रथा के अनुसार रिजर्व बैंक ने इन निर्गमों को बाजार में बेचने के लिए अपने निवेश खातों में ले लिया।

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि १९५८-५९ के बजट भाषण में, रिजर्व बैंक के निर्गम विभाग (इश्यू डिपार्टमेंट) में रवी राजकोष हटियाँ के एक भाग को ऋणों के रूप में क्रमः निहित (सेक्युरिटी फॉइंड) करने के प्रस्ताव का उल्लेख किया गया था। जुलाई १९५८ में इस विभाग में कार्य आरम्भ हुआ और रिजर्व बैंक की मर्यादा से ३०० करोड़ रुपये की राजकोष हटियाँ को निहित किया गया। चालू वर्ष में भी यह काम जारी रहा, जब कि १५० करोड़ रुपये की और भी राजकोष हटियाँ को दिनांकित प्रतिभूतियों (डेटेड लिक्विडिटीज) में निहित किया गया।

हाल के वर्षों में छोटी बचतों में बराबर वृद्धि हुई है। १९५८-५९ में ७८ करोड़ रुपये का वास्तविक मंजूर हुआ जो अब तक का सबसे अधिक मंजूर है। इस वर्ष ८२ करोड़ रुपये तक इकट्ठा होने का अनुमान है, जब कि बजट अनुमान ८५ करोड़ रुपया का है। दक्षिण अफ्रीका उत्पादक है, फिर भी इकट्ठा की गयी रकमें अब भी प्रति वर्ष १०० करोड़ रुपये के जीवन में, जिन की कल्पना आयोजना में की गयी है बहुत कम है। छोटी छोटी रकमें बचाने का आन्दोलन बचत की रकमें इकट्ठा करने के जीवन नाम से कही बच कर है। मधुपर्ग पुस्तक और रवी को विधान के राष्ट्रीय प्रयत्न में सम्मिलित होने का अन्तर्गत प्रदान करने के कारण हमका मनोवैज्ञानिक महत्त्व बहुत अधिक है। इन्हीं में देश के प्रत्येक

परिवार में अर्पण करता है कि वह और अधि-  
 बचन करे और इग तरह आन्दोलन को और  
 भी गफल बनाने में अपने हिस्से का अंशदान  
 दे ।

बचन आन्दोलन को लोकप्रिय बनाने के  
 लिए सरकार ने इग साल जो बचन उठाये हैं  
 यहाँ में उनका भी जिक्र कर दूँ । गम्भा को स्मरण  
 होगा कि पिछले अधिवेशन में डाकगाना मैजि-  
 स्ट्रेट में सवया जमा करने वाले और बचन  
 पत्रों (मैजिस्ट्रेट ऑफिस) के गरीबों को  
 नाम निर्दिष्टन (नामनिगन) की मुद्रिया देने  
 का कानून पान किया गया था । बड़े बड़े प्रिन्-  
 टरनों और कारखानों में काम करने वाले  
 व्यक्तियों के लाभ के लिए बचन में मोदी बचन  
 करने की एक नयी योजना (पे गैल स्कीम)  
 लागू की गयी है जिसके द्वारा छोटी बचनों  
 में स्थानों के लिए बचनकारियों की अनुमति है  
 उनके बचन में रकमें बाँटी जा सकती हैं । फेड  
 और गजनों की राष्ट्रीय बचन परामर्श समि-  
 तिया महिला बचन आन्दोलन (वॉमेन्स मैजि-  
 स्ट्रेट) के बचन बाँटने में मिला दी गयी है  
 और इनके म्युचुअल बाँटने बन गये हैं । इनमें से  
 एक फेड में और एक-एक हर गजनों में है और  
 इनमें कार्यकर्तियों की भी काफी मन्दा है ।  
 बचन पत्रों की विशेष की विभिन्न अधिकरण  
 (एजेंसी) प्रणालियों के सम्बन्ध में छानबीन  
 करके उन्हें वैधानिक गति दे दी गयी है और  
 आशा है कि गहरी और देहानी इलाकों के लिए  
 जल्दी ही एक प्रामाणिक एजेंसी प्रणाली जारी  
 कर दी जाएगी । अर्थात् एजेंसी को मिलने वाला  
 वसुधागत लजाना (ट्रेजरी) की माफ़न मागा  
 और दिया जाता है, जहा, स्वयं तोर में देहानी  
 इलाकों में, आगामी न ही पहुँचा जा सकता ।  
 इग कठिनाई को दूर करने के लिए यहाँ विचार  
 किया गया है कि कमीशन चुकाने की जिम्मे-  
 दारी अगले साल डाकघरों को सौंप दी जाय ।

गमय गमय पर कई तरफ में सुझाव आने  
 पर सरकार ने पुरस्कार-पत्र (प्राइज वाट)  
 जारी करने का निश्चय किया है । कल एक  
 अधिवृचन (नोटिफिकेशन) जारी की जायगी  
 जिसमें धर्तों का उल्लेख रहेगा, पुरस्कार-पत्र  
 १ अर्थ, १२६० में बँचे जायंगे । से पुरस्कार-  
 पत्र बाहक बन्ध-पत्रों (वेयरर वाट्स) के रूप  
 में, दो रकमों के—१०० रुपये और ५ रुपये

के—होंगे । इन पुरस्कार-पत्रों पर स्पष्ट नहीं  
 मिलेगा और ये पान माल बाद चुका दिये  
 जायंगे, लेकिन इनके गरीबों को उन साट-  
 रियों में शामिल किया जायगा जिन्हें डाल कर  
 हर तिसाही पुरस्कार विजेताओं के नाम निकाले  
 जायंगे । पुरस्कार पर आय कर नहीं लग्येगा ।  
 १०० रुपये वाले पुरस्कार-पत्रों की एक-एक  
 लाख की इकाइयों को प्रत्येक श्रेणी के लिए  
 हर निमाही कुल ६० पुरस्कार दिये जायंगे,  
 जो २५,००० रुपये में लेकर ५०० रुपये तक  
 के होंगे । ५ रुपये वाले पुरस्कार-पत्रों की दग-  
 दग माल की इकाइयों को प्रत्येक श्रेणी के लिए  
 हर निमाही २०८ पुरस्कार दिये जायंगे, जो  
 ७,५०० रुपये में लेकर ५० रुपये तक होंगे ।

अगले वर्ष के बजट में बाजार ऋण के २५०  
 करोड़ रुपये जमा किये गये हैं, जिनमें उन  
 पुरस्कार-पत्रों की प्राप्तिवा भी शामिल है  
 जिसका मने अभी जिक्र किया है । छोटी बचनों  
 की वार्षिक रकम ९० करोड़ रुपया रखी  
 गयी है जिस में इग वर्ष की गम्भाव्य प्राप्तियों  
 की तुलना में ८ करोड़ रुपये की थोड़ी-सी वृद्धि  
 को भी हिसाब में ले लिया गया है । मन्वेग हाल  
 की जानकारी के अनुसार अगले वर्ष ३६२  
 करोड़ रुपये की विदेशी गहायता प्राप्त होने  
 का अनुमान है ।

अगले वर्ष की गम्पूर्ण बजट स्थिति का  
 गाराना यह है

कर-व्यवस्था के वर्तमान स्तर के आधार  
 पर राजस्व में ८४ करोड़ रुपये की कमी  
 रहेगी, पूजी परिव्यय को रकम ३७१  
 करोड़ रुपये, राज्य सरकारों और दूसरों  
 को दिये जाने वाले ऋणों की रकम ५३१  
 करोड़ रुपये और ऋण अदा करने की रकम  
 १४० करोड़ रुपया होगी । १,१२६ करोड़  
 रुपये के इग गम्पूर्ण व्यय को पूरा करने की  
 दिशा में २५० करोड़ रुपया बाजार ऋणों  
 से, ९० करोड़ रुपया छोटी बचनों से, ३६२  
 करोड़ रुपया विदेशी सहायता से, १२८  
 करोड़ रुपया ऋणों की बसुली में और ११९  
 करोड़ रुपया विविध प्राप्तियों में आयेंगा,  
 और वाट १७७ करोड़ रुपये का रहे  
 जायगा जिमें राजकीय हडिया जारी करके  
 पूरा किया जायगा ।

### विकास के लिए आयोजन

राजस्व की इग भारी घटती की समस्या  
 को मने में पहले में कुछ शब्दों में यह कहना  
 चाहूंगा कि विकास के लिए आयोजन का अधि-  
 प्राय क्या है, क्योंकि इसी को सामने रख कर  
 हमारे सभी बजट बनाये जाते हैं । हमारी आयो-  
 जनाओं का वास्तविक उद्देश्य अर्थव्यवस्था  
 को जकड़वृद्धी में निकालना और इसे उत्पादन  
 तथा रहन-गहन के ऊँचे स्तरों तक पहुँचाना  
 है । लगभग १० साल पहले हमने इस काम को  
 हाथ में लिया था और अगले वित्त-वर्ष की  
 गमानित तब हम दूसरी आयोजना को पूरा  
 कर लेंगे । इग अधि में हमारी अर्थव्यवस्था  
 ने कई दिनाओं में उल्लेखनीय प्रगति की है ।  
 कोई भी व्यक्ति उन बड़ी बड़ी औद्योगिक  
 प्रायोजनाओं को देख सकता है, जो पूरी होती  
 जा रही हैं और देहात-सुधार के उन विविध  
 कार्यक्रमों की भी झाकी ले सकता है, जो अर्थ-  
 व्यवस्था की बढती हुई शक्ति से लाभ उठाने  
 के लिए पूरे किये गये हैं और पूरे किये जा रहे  
 हैं । अधिक विकास हमारे लिए धूपला या  
 दूर का आदर्श नहीं है, इसे तो हमें अपने  
 दैनिक चिन्तन और काम का अंग बनाना है ।  
 निम्नदेह हमें कठिनाइयों का सामना करना  
 पडा है और मुझे सन्देह नहीं कि आगे भी कुछ  
 कठिनाइया आयेगी, किन्तु ये कठिनाइया और  
 दबाव और घोर परिश्रम आधिक तथा सामा-  
 जिक विकास के ही इग है ।

दूसरी पचवर्षीय आयोजना की समाप्ति  
 पर देश विकास की ऐसी मजिल पर पहुँच  
 चुकेगा जहा रुकना उनके लिए लाभदायक न  
 होगा । इसलिए यह जरूरी है कि विकास की  
 गति न केवल ज्यों की त्यों रहने दी जाय, बल्कि  
 तेज भी की जाय । यही तीसरी पचवर्षीय  
 आयोजना का महत्वपूर्ण कार्य है । इस दिशा में  
 सफलता पाने के लिए ऐतों की पैदावार बढाना  
 सबसे जरूरी है । यह स्वयंसिद्ध है और हम एक  
 क्षण के लिए भी इसे आला से ओझल नहीं कर  
 सकते । किन्तु यदि अगले १० या १५ वर्षों  
 अर्थव्यवस्था को काफी तेजी से बढनी, उ-  
 चोग-उत्पादन (माडनिंग), बिजली, -  
 बहन और सवार जैसे दूसरे धर्तों का  
 से विकास करना पड़ेगा । तीसरी  
 आयोजना में इग बात को ध्यान  
 होगा ।



में अनुमान (एंड बेल्गोरम) १० प्रतिशत मुल्क लगाने के सम्बन्ध में है। इस तरह के सिधर (स्टेजिंग) इज्ती पर, जो माघारणत कार-मानों और खेतों के नाम आते हैं, मूल्य के अनु-मात्र ५ प्रतिशत की बचत देने का मुल्क लगाया जायगा। अनुमान है कि इसमें प्रति वर्ष १०० लाख रुपये की प्राप्ति होगी।

में माडरिजल के कुछ बखरी पुरजों पर भी घोषणा मुल्क लगाना चाहता है। हर 'की हकील' पर २ रुपये और हर 'रिम' पर ४ रुपये का मुल्क लगाया जायगा। इस में हर पूरी माडरिजल पीछे १० रुपये वगूल होगा, रेडिजल पुरजों की जोड़कर पूरी माडरिजल बनाने वाले छोटे-छोटे व्यापारी और माडरिजल पुरजा के निर्माता इस मुल्क की सीमा में नहीं आते। अनुमान है कि इसमें हर साल १०० लाख रुपये की प्राप्ति होगी।

अभी बिजली की मोटरों और उनके पुरजों पर मुल्क नहीं लगता। अब तरह-तरह के यानों के लिए इन्सुलान में आने वाली गय तरह की मोटरों पर मुल्क के अनुमात्र ५ प्रतिशत में तेकर १५ प्रतिशत का मुल्क लगाया जायगा। अनु-मान है कि इस में हर साल ८६ लाख रुपये की प्राप्ति होगी।

मिनिमा को उतरी टुट्टे (गुमपांगड) फिन्मां पर भी मुल्क लगाया जा रहा है। फिन्मां की क्रिम के आधार पर यह १० नये पैमे प्रति मोटर में लेकर ५० नये पैमे प्रति मोटर तक अलग-अलग होगा। ममाचार रीलों और छोटी छोटी महायक फिन्मां (गाट्टे) पर कम दर पर मुल्क लगाना। इसमें अनुमानतः ७५ लाख रुपये की प्राप्ति होगी।

नये उत्पादन मुल्कों के सम्बन्ध में मेरा अन्तिम प्रस्ताव रेवामी कपडों के बारे में है, जिस पर प्रति वर्ष गज ३० नये पैमे का मुल्क लगाया जायगा। हथकरघा क्षेत्र पर इस मुल्क का प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसमें ३० लाख रुपये की प्राप्ति का अनुमान है।

अब मैं कई चीजों के मुल्क की मौजदा दरों में हेरफेर करने का उल्लेख करूंगा।

ममा को याद होगा कि १९५६ में बड़ी-बड़ी मुनाफिर गाडियों पर उत्पादन मुल्क लगाया गया था, जबकि सभी तिजारीती गाडियों और छोटी य बीच के दर्जों की गाडियों,

मोटर गाडियों और स्कुटरो को छोड़ दिया गया था। अब मैं सभी तरह की मोटर गाडियों पर, मूल्य के अनुमात्र १५ प्रतिशत मुल्क लगा रहा हूँ। अनुमान है कि इसमें कुल ६२५ लाख रुपये की प्राप्ति होगी।

साफ़ किये गये डीजल तेल पर १९५६ में मुल्क लगाया गया था, जो प्रति गलन २५ नये पैमे था। यद्यपि तब में, यह मुल्क बढ़ा कर ८० नये पैमे प्रति गैलन कर दिया गया है, फिर भी इस तेल की खपत काफी तंजी में बढ रही है। इस तेल की अन्दरूनी पैदावार और खपत के बढते हुए अमनुकलन में देना के विदेशी मुद्रा मायनों पर बहुत बुराव पड़ रहा है। इसलिए मैं मुल्क की बुनियादी दर में २५ नये पैमे प्रति गैलन को और बूझ कर रहा हूँ। इस से हर साल ५०४ लाख रुपये की प्राप्ति होगी।

बिजली में चलने वाले कारखानों में बने जूतों पर १९५५ में उत्पादन मुल्क लगाया गया था, लेकिन बहुत-से छोटे-छोटे कारखानों को इस मुल्क के क्षेत्र से बाहर रखा गया था। पता लगा है कि कुछ बड़े-बड़े कारखाने, कर में बचने के लिए जान बूझ कर विकेन्ट्रीकरण (डिसेंट्रलाइजेशन) की नीति अपना रहे हैं। मुख्यतः राजस्व की रक्षा के लिए, चमड़े या लकड़ी के अलावा दूसरी चीजों में मशीन के बने नलों (मॉल) और एडियों (हील) पर मैं मुल्क लगा रहा हूँ। मुल्क की दर मूल्य के अनुमात्र १५ प्रतिशत होगी और इससे हर साल २० लाख रुपये की प्राप्ति होगी।

कपडे के क्षेत्र में दो परिवर्तन करने का विचार है, जिन से कुछ प्राप्ति हो सकेगी। 'स्टैपल' रेशे के धागों से बने कपडों, और सूती कपड़े के कटे टुकड़ों पर, जिन्हें 'फेण्ट' कहा जाता है, अभी कोई मुल्क नहीं लगता। अब मेरा प्रस्ताव है कि मौजूदा छूट हटा ली जाय। अब मुल्क के लिए, 'स्टैपल' रेशे के धागों से बने कपडों को भी नकली रेशाम (आर्टिफिशियल सिल्क) के कपडों के बराबर माना जायगा। कटे टुकड़ों के सम्बन्ध में, वर्तमान परिभाषा में संशोधन किया जा रहा है और इन पर, कपड़े के मुल्क से काफी नीचे के स्तरों पर, परिष्माण के आधार पर थोड़े से मुल्क लगाये जायेंगे। अनुमान है कि इन परिवर्तनों से प्रति वर्ष १९५ लाख रुपये की प्राप्ति होगी जिसमें से ६५ लाख रुपये राज्यों को दिया जायगा।

बिजली के पंगों, बल्बों और बैटरियों पर पहले-पहल १९५५ में उत्पादन मुल्क लगाया गया था और तबसे अब तक इन चीजों के शालक की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उत्पादन की प्रवृत्तियों में पता चलता है कि इन चीजों का उत्पादन बढ रहा है और इन पर शालक बढ़ाया जा सकता है। मौजदा मुल्कों में ५० प्रतिशत बूझि और इन चीजों के हिस्सों के मुल्क में भी मुनाफिब बूझि करने का मेरा प्रस्ताव है। इन परिवर्तनों में प्रति वर्ष ९० लाख रुपये की प्राप्ति होगी।

चाप उद्योग की शिकायत रही है कि विभिन्न सुगों द्वारा अनेक स्थलों पर कई करों के लगने से उसे कठिनाई होती है। सम्बद्ध राज्य सरकारों के विचौय हितों और इस बात का खयाल रखते हुए कि उनके सामनों पर बुरा असर न पड़े हम उत्पादन मुल्क में मुनाफिब हेरफेर कर के इस कठिनाई को दूर करने का रास्ता निकालना चाहते हैं। यह साध्य हो सके इसके लिए हम उत्पादन मुल्क की अधिकतम सीमा को, १९ नये पैमे से बढ़ा कर ३० नये पैमे प्रति पीण्ड कर रहे हैं जिसके लिए अनुमति है। यह सिर्फ अधिकार देने का प्रस्ताव है और इससे, जैसा कि सभा को मालूम है लगे हुए मुल्क की दरों में, जो २ नये पैमे से लेकर १२ नये पैमे प्रति पीण्ड है, कोई हेरफेर न होगा।

कुछ और भी छोटे छोटे परिवर्तन किये जा रहे हैं जिन के सम्बन्ध में मैं सभा को यकाना नहीं चाहता। इन परिवर्तनों से प्रति वर्ष २७ लाख रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी, जिसमें से ५ लाख रुपये राज्यों को दिया जायगा।

जिन मिश्र-भिन्न उपायों का मैंने जिक्र किया है उनका उद्देश्य राजस्व में २१.७३ करोड़ रुपये की बूझि करना है, जिसमें से ७० लाख रुपये राज्यों को चला जायगा।

जहा तक सीमा मुल्कों (कस्टम्स ड्यूटी) का सम्बन्ध है, मैं शराब और सुतासार (सिपरिट) और दूसरी तरह की मद्यमारीय शराबों (एल्कोहोलिक लिक्वर) के मुल्क में बूझि करने के सिवा कोई और परिवर्तन करना नहीं चाहता। उत्पादन मुल्कों में परिवर्तन होने से, आवश्यकतानुसार, प्र (काउण्टर बेल्डिंग) आयात मुल्क

व्यवस्था की जा रही है, जिसमें देगी उत्पादक को ज्ञान न पहुँचे। मोमा युक्तों में परिवर्तन होने में अगले वर्ष २५ करोड़ रुपये का प्राप्ति होने का अनुमान है।

### प्रत्यक्ष कर

जब में प्रत्यक्ष करों को लेना है। व्यक्तिगत आय कर (इनकम टैक्स) के दाये में किमी तरह का परिवर्तन करने का मेरा विचार नहीं है। कम्पनी करों के बारे में नयी योजना को, जो कायू गाल के बजट में जारी हुई थी, पूरी तरह में अमल में लाने के उपाय किये जा रहे हैं। १ अप्रैल १९६० का प्रारम्भ होने वाले वित्त वर्ष में, कम्पनियों पर लगने वाले सम्पत्ति कर (वेल्थ टैक्स) और अधिक लाभदाय (डिविडेण्ड) सम्बन्धी कर को ममान करने की नियमित कार्रवाई को जा रही है।

ममा को बाद होगा कि पिछले साल, ३१ मार्च, १९६१ को ममाप्त होने वाले कर्न-निर्धारण वर्ष (अंशमेष्ट ट्वयर) की पहले में अदायगी करों के लिए, मेंने कम्पनी करों के लिए अस्थायी रूप में ८५ प्रतिगत की दर स्वीकार की थी। इस दर का हमें काफी अनुभव नहीं है। इसलिए इस दर में किमी तरह का हेरफेर करने का प्रस्ताव नहीं है, बल्कि इसी का अन्तिम मान लिया जाएगा। छोटी-छोटी कम्पनियों पर, जिन की कुल आमदनी २५,००० रुपये में अधिक नहीं है, ५ प्रतिगत की कम दर में कर लगना रहेगा। पिछले साल मेंने कम्पनी करों की नयी प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ धारणां पर विचार करने का वचन दिया था, इसलिए में वित्त विधेयक (फाइनन्स बिल) में दो प्रबन्ध (प्रवीजन) ला रहा हूँ—एक उन लाभार्थों पर कर लगाने के सम्बन्ध में है, जो लाभ की उन रकमां में दिये जा चुके हैं जिन पर पहले कर लग चुका है और दूसरा उन कम्पनियों के करों के बारे में है जिनके दूगरी कम्पनी की हिस्सा पूजी में ५० प्रतिगत में कम वेंवर है और राजस्व-अनुमान संवार करने समय दूदने मेंने हिस्सा में ले लिया है।

मूल स्थान पर ही कर की रकम काट लेने के सम्बन्ध में में दो परिवर्तन करना चाहता हूँ। ममा को बाद होगा कि पिछले साल निश्चय किया गया था कि निवारणी व्यक्तियों को दिये गये लाभार्थों पर ३० प्रतिगत की दर में और धार्मिक कम्पनियों को दिये गये लाभार्थों पर

२५ प्रतिगत की दर में, मूल स्थान पर ही कर की रकम काट ली जानी चाहिए। आपत्ति की गयी है कि मूल स्थान पर कटौती करने की इस दर में अन्तर होने के कारण कुछ कठिनाइयां पैदा हो गयी हैं, इसलिए व्यक्तियों और कम्पनियों दोनों की कर की रकम काटने के सम्बन्ध में में ३० प्रतिगत की ममान दर लागू करना चाहता हूँ। इस परिवर्तन में राजस्व प्राप्ति में कमी न हो, इसलिए में धारा १८-क में मसौधन करना चाहता हूँ, जिन में सरकार भारतीय कम्पनियों में उनके द्वारा प्राप्त लाभार्थ पर अग्रिम कर के रूप में बाकी १५ प्रतिगत भी वसूल न कर सके।

सरजीही हिस्सेदारों (प्रिकरैस वेंवर-होल्डर्स) को दिये जाने वाले लाभार्थों में में मूल स्थान पर ही कर की रकम काटने के सम्बन्ध में जो उपबन्ध है, जान पड़ता है, उसके कारण भी कुछ कठिनाई हो रही है। कम्पनियों को, लाभार्थों को जो रकम हिस्सेदारों को देनी पड़ती है वह हिस्सेदारों के साथ किये गये उनके करार (कंट्रैक्ट) द्वारा विनियमित होती है, और वर्तमान वित्त अधिनियम के अनुसार, सरकार ऐसी रकमां के सम्बन्ध में किमी प्रकार का अनुमान न करेगी। इसलिए में वित्त विधेयक में ऐसी व्यवस्था करना चाहता हूँ जिसमें इन हिस्सेदारों को की जाने वाली अदायगियों में भी उमी तरह कटौती हो जाय जिन तरह किमी और लाभार्थों के सम्बन्ध में होती है, इन लाभार्थों की वास्तविक रकम क्या हो, इसका निर्णय में खुद कम्पनियों पर छोड़ता हूँ।

अब में आय कर अधिनियम (इनकम टैक्स ऐक्ट) में मसौधन करने के सम्बन्ध में कुछ अन्य प्रस्तावों का संक्षेप में उल्लेख करना। नये कारखानों को, धारा १५-ग के अनुसार जितनी अधिक के लिए छूट दी जाती है उसमें और पांच साल की वृद्धि करने का विचार है। जिन मोमा तक दानधन्य (चैरिटेबल) कार्यों के लिए दिये जाने वाले दान को कर में छूट मिलती है उमें, कुल आमदनी के ५ प्रतिगत या १,००,००० रुपये में, जो भी कम हो, बड़ा कर कुल आमदनी का ३१ प्रतिगत या १,५०,००० रुपये, जो भी कम हो, कर देने का प्रस्ताव है। अभी जो रकमें वैज्ञानिक खोज

के लिए, वैज्ञानिक वेंवरगा नवों (साइंटिफिक रिसेच एमोनिंगमेंट) और शिक्षा-लाभार्थों को दी जाती है उन्हें उम हालत में दान देने वाले की व्यापारिक आमदनी का हिस्सा लगाने समय बाद दे दिया जाता है जब वैज्ञानिक खोज का सम्बन्ध उम के व्यापार के साथ होता है। विचार है कि यदि ऐसी खोज का सम्बन्ध व्यापार में न भी हो, तो भी इस कटौती की अनुमति होनी चाहिए। प्रस्ताव है कि जिस सम्पत्ति का निर्माण १ अप्रैल, १९५० में पहले हुआ है उमके सम्बन्ध में स्थानीय अधिकारियों द्वारा लगायी और सम्पत्ति के मालिक द्वारा दी जाने वाली करों की पूरी रकम, सम्पत्ति की कर लगने योग्य आमदनी का हिस्सा लगाने समय, बाद दे दी जानी चाहिए, जबकि अभी ऐंम करों का आयों रकम ही बाद दी जाती है। मेरा अगला प्रस्ताव सहकारी समितियों पर कर लगाने के सम्बन्ध में है। अभी ऐंम समितियों की व्यापारिक आमदनी पर कर नहीं लगता। सहकारी समिति अधिनियम, १९१२ के उद्देश्य के अनुसार, अर्थात् छुपका, कारीगरी और चौड़े सावनों वाले व्यक्तियों को बचत और अपनी महायता अपने आप करने को उत्साहित करने के लिए सहकारी समितियों के निर्माण में सहायता देने के विचार में यह छूट उचित ही है। लेकिन जैसा कि सभा को मालूम है, कुछ समय में सहकारी समितियों ने अपना कार्य-क्षेत्र बड़ा दिया है और काफी कारवार करने लगी है, जिन में बड़े पैमाने पर गैर-सदस्यों के साथ किया जाने वाला कामकाज भी शामिल है। इन समितियों के व्यापारिक लाभ को कर की अदायगी में पूरी छूट देने में कोई तुक नहीं है। इसलिए प्रस्ताव है कि खेती, देहाती कर्ज और घरेलू उद्योग-वर्धों में सम्बन्ध रखने वाली सहकारी समितियों को आमदनी को तो कर में पूरी छूट मिलनी रहनी चाहिए, पर दूसरी समितियों के व्यापारिक लाभ को १०,००० रुपये की रकम तक ही छूट मिलनी चाहिए। इन प्रस्तावों में राजस्व पर विधेय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

व्यय-कर (एक्सेम्प्टेड टैक्स) और दान-कर (गिफ्ट टैक्स) अधिनियमों में कुछ छोटे-छोटे मसौधन करने का विचार है। व्यय-कर

प्रतिनिधिम के गणोपनां मे भाग्य मे छुट्टी सम्बन्धी बाधा पर किये गये गणों और भाग्य में बच्चों की शिक्षा पर किये गये गणों को छुट्ट देने की व्यवस्था है। यह भी विचार है कि कर्दावात द्वारा विदेशी मन्त्रालय को दिये गये गणों की कुल रकम को छुट्ट मिलनी चाहिए, जबकि अभी निरक एक स्थिति को ही मिलनी है। दान-कर प्रतिनिधिम के गणोपनां में व्यवस्था है कि पहले मे दिये जाने वाले कर को दण बही होगी, जो निरन्तर सम्बन्धित गणों के आधार पर दिये जाने वाले कर के लिए है। इन परिवर्तनों मे राज्य पर तिगो प्रभाव का गण्य प्रभाव पटने की सम्भावना नहीं है।

### प्रगतांशो का वारतयिक प्रभाव

जर में बजट प्रस्तावों के वास्तविक प्रभाव का माराग बनाता है। केन्द्रीय उत्पादन मुक्तों के परिवर्तनों मे, गणों को दिये जाने वाले राज्य को छोड कर, २१.०३ करोड रुपये की अनिश्चित प्राप्ति का अनुमान है। सीमा मुक्तों के परिवर्तनों मे, जो अधिप्राय में केन्द्रीय उत्पादन मुक्तों के परिवर्तनों का परिणाम है, ०.५ करोड रुपये की प्राप्ति का अनुमान है। इन तरह कुल २३.५३ करोड रुपये के अनिश्चित राज्य को प्राप्ति होगी, जिसमे राज्य खाने का घाटा ८३.१ करोड रुपये में कम होकर ६०.३३ करोड और सम्पूर्ण घाटा १७३ करोड रुपये में कम होकर १५३ करोड रुपया रह जायगा। राज्य के घाटे को पूरा किये बिना ही छोट देन का विचार है, सम्पूर्ण घाटे को पूरा किये बिना ही छोट देने का विचार है, सम्पूर्ण घाटे को राजकोष द्विधियां (ट्रेजरी बिल) के विन्गार मे पूरा किया जायगा।

### निष्कर्ष

अगले वर्ष के बजट का सम्बन्ध चालू वर्षीय आयोजना के अन्तिम वर्ष मे है और यथा मे शोध मे बनाता चाहता है कि, जहा तक वर्तमान आयोजना की अन्त्य में लाते का सम्बन्ध है, उम वर्ष के अन्त में स्थिति क्या होगी। अर्पण भावण मे कुछ पहले, मे बता चुका है कि बजट वर्ष के अन्त में आयोजना का कुल खर्च लगभग ४,६०० करोड रुपये तक पहुँचेगा।

चाणू आयोजना की अवधि मे, केन्द्र में, हम मे, आयोजना के दायित्वों को पूरा करने के लिए, त्रिम में राज्य बजट मे राज्यों को दी गयी महायता भी प्राप्ति है, राज्य को भारी रकमें प्राप्त की है। मुझ आगा है कि आयोजना की पांच वर्ष की अवधि में, आयोजना के सभी दायित्वों को पूरा कर लेने और राज्यों को उनकी आयोजनाओं के लिए काफी महायता देने के बाद हमारे पास ५० करोड रुपये मे भी अधिक का राज्य अधिमण्य (रेविन्यू सर्प्लस) घट्टा हो जायगा। मुझ पता है कि आयोजना के पूर्णगत व्यय को पूरा करने के लिए जिस गोमा तब हमें घाटे की वित्त-व्यवस्था (डेफिगिट फाइनेंगिंग) का महारा लेना पडा है उसके सम्बन्ध में कुछ आलोचना हुई है। यहाँ भी मे यही बहूया कि हमारा लेखा इतना खराब नहीं है जितना आलोचक उमे बताता चाहते हैं। आयोजना के पहले तीन वर्षों में घाटे की वित्त-व्यवस्था की कुल रकम लगभग ८८५ करोड रुपया थी। चालू वर्ष में—यह मानते हुए कि राज्य सरकारें दूने काफी मात्रा में बचावगी नहीं और सम्भावना यही है कि नही बचावगी—घाटे की वित्त-व्यवस्था की रकम सम्भवत ११.० करोड होगी। अगले वर्ष के लिए भी यदि १५३ करोड रुपये की रकम मान ले, तो आयोजना की मारी अवधि मे घाटे की वित्त-व्यवस्था की कुल रकम १,२०० करोड रुपये मे कुछ ही अधिक होगी, जिसकी कल्पना आयोजना में कर ली गयी थी। यद्यपि बचतों के सम्बन्ध में हम उतना अच्छा काम नहीं कर सके जितना करना चाहते थे, फिर भी साधन जुटाने और घाटे की वित्त-व्यवस्था को जहाँ तक सम्भव और माध्य हुआ कम मे कम रकम तक सीमित रहने का हमारा काम, मेरे विचार मे, काफी अच्छा रहा है।

फिर भी स्थिति को देख कर गन्तोप कर लेन का कोई कारण नहीं है। दूसरी आयोजना की समाप्ति तीसरी आयोजना के आरम्भ का सकेतमात्र है और यदि देश को पहले से बड़ी आयोजना को समालना ह, जो अनिवार्य है, तो समाज को पहले से अधिक उद्यम और त्याग करना पड़ेगा। जब तक हमारी अर्थ-व्यवस्था कठिनाइयों को पार कर आत्म-निर्भर नहीं

हो जाती, तब तक हमारी प्रगति का मार्ग जटिल बना रहेगा। जब तक ऐसी स्थिति न आयी और जिसके अगली योजना की समाप्ति तक आने की आगा की जा सकती है, तब तक हमें कठोर और बचतों मे अधिक से अधिक साधन जुटाने के लिए ऐंडी-चांटी का पनीना एक करना होगा, ताकि देश, हमें जीवित रखने के लिए, आगे बढ सके। यह तो जानीमानी बात है कि हाय पर हाय रख कर बँड रहने मे किमी का भी गुजारा नहीं हो सकता, भारत जैसे कम बिकसित देश का तो और भी नहीं। हमें आगे बढ़ना है और इसके लिए जो भी त्याग करना पडे करना ही है। मुझे सम्यह नहीं कि ऐसा किया जायगा, इसलिये मे मभा से प्रार्थना करूंगा कि जो बजट में पेश कर रहा हू उम पर वह इधी दृष्टि मे विचार करे।

### मधुबन १९६० से सफेद दुश्मनी और अर्थन का चलन बन्द

वित्त मन्त्रालय के अर्थ विपयक विभाग की एक विज्ञप्ति मे कहा गया है कि १ अक्टूबर, १९६० से सफेद दुश्मनों और अधम्रों का आम चलन बन्द हो जाएगा। इसके बाद ३१ मार्च, १९६१ तक ये सिक्के रिजर्व बैंक की सब शाखाओं मे जनता से लिये जाते रहेंगे। रेनों और डाकखानों में भी टिकट आदि लेने या तार देने अथवा रेडियों लाइसेंस का शुल्क आदि देने पर ये सिक्के लिये जायेंगे।

३१ मार्च, १९६१ के बाद भी किसी दूसरी सरकारी सूचना के निकलने तक ये सिक्के रिजर्व बैंक के कल्पकता, बम्बई, मद्रास, कानपुर, नयी दिल्ली, बंगलौर और नामपुर स्थित कार्यालयों में लिये जाते रहेंगे।

सफेद इकस्त्रिया और ताबे का पंजा बराबर चलते रहेंगे और इन पर सफेद दुश्मनों और अधम्रों का चलन बन्द करने की बात लाग नहीं होगी। इन्ही प्रकार रुपया, अठमरी चवथी भी बराबर चलती रहेगी।



# नेपाल को भारतीय सहायता

**वि**त्त मंत्री, श्री मॉरारजी देसाई ने २४ फरवरी को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि भारत नेपाल की विकास योजनाओं के लिए जो वित्तीय तथा आर्थिक सहायता दे रहा है उसकी कुल राशि १ अरब, १९५६ से ३१ मार्च, १९६० तक लगभग ३,६८,२२,८७२ रु० हो जाएगी।

उन्होंने बताया कि नेपाल को सहायता देने के कार्यक्रम के अंतर्गत मार्च १९५९ से निम्नलिखित काम किए गए हैं

(१) ये समझौते हुए (क) जच्चा-बच्चा और बाल हितकारी केन्द्र के लिए ६ लाख रु० देने के लिए कागज-पत्र बदले, (ख) गांव विकास कार्यक्रम और सड़क घाटी विकास योजनाओं के लिए २ करोड़ ५० लाख रु० की सहायता देने का समझौता हुआ, और (ग) नेपाल के विभिन्न जिलों में स्थानीय विकास कर्मियों के लिए ३० लाख रु० की सहायता के लिए कागज-पत्र बदले।

(२) नेपाल सरकार और विकास मंडलों की मारफ़्त इन सव्याओं को नकद अनुदान दिया गया (क) जच्चा-बच्चा और बाल हितकारी मण्डल को १ लाख ५० हजार रु०, (ग) गांव विकास मंडल को १० लाख रु०, (ग) स्थानीय विकास कार्य मण्डल को १० लाख रु०, (घ) बिचन्द्र कालेज के विकास के लिए २ लाख रु० और (ङ) राजदूत अपने निर्णय में जो अनुदान देते हैं उसमें अब तक विभिन्न शिक्षा और डाक्टरी सव्याओं को ४ लाख ४५ हजार रु० दिया गया।

(३) ये काम और सर्वे हुए (क) त्रिदली नगर के अंतर्गत, सड़क बनाने के लिए २९८ मील तक दो फुटो गरता बना दिया गया है और २१० मील तक का सर्वे किया गया है। १६० मील तक जीप जाने योग्य और ७८ मील तक मोटरगाड़ी जाने योग्य सड़क बना दी गयी है, (ग) त्रिभुवन राजघर को देवभाल की गयी और मार्च १९५९ में ८ मील २ फुटों तक रामर बिछा दिया गया है और १२ मील ३ फुटों तक सड़क पारंग कर दी गयी है, (ग) घाटी सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत,

फेवाताल बाघ की नीच में कंकरीट विद्या दी गयी है और अब वहा गरि-मिट्टी का काम हो रहा है। टीका मंत्रक योजना में हेडक्वार्ट, नहर और रेगुलेटर बना दिए गए और नहरों का काम भी दो-तिहाई पूरा हो गया है। महादेव खोला का काम पूरा होने पाला है। लोअर विजयपुर नहर में हेडक्वार्ट और गरि मिट्टी का काम पूरा हो गया है। झज सिंचाई योजना के अंतर्गत, मुख्य नहर में हेडक्वार्ट और गरि मिट्टी का काम पूरा हो गया है और गूले बनाने का काम चल रहा है, (घ) धूली खोल, कर्की-मधाली और पंचमण पानी मलाई योजनाएं पूरी हो गयी है, (ङ) त्रिदली पन-विजली योजना के अंतर्गत बस्ती बनाने, बाघ के लिए जमीन साफ करने और वहा तक जाने के लिए ५ मील लम्बी सड़क बनाने के ठेके दिए गए हैं, तथा यत्र-ओजार, मशीनें आदि मगाने का प्रबन्ध किया जा रहा है, (च) मंत्रक, विराट-नगर पोखडा और तिमारा में हवाई पट्टियां बन रही हैं। नेपालगञ्ज और जनकपुर में और हवाई अड्डे बनाने के लिए पडताल हो चुकी है, (छ) भूगर्भ सर्वे करने की योजना के अंतर्गत वहा भारतीय भूगर्भ सर्वे के ५ भूगर्भशास्त्री काम कर रहे हैं और काठमांडू में भूगर्भ सर्वे की प्रयोगशाला में निरंतर काम हो रहा है, (ज)

२०,३१८ मील का सर्वे हो चुका है और १३,३८० वर्गमील का नकशा तैयार हो गया है, और (झ) नेपाल के पहले ग्राम चुनावों का वृत्तचित्र बनाया जा चुका है।

(४) शिक्षा, बागवानी और सामुदायिक योजनाओं के लिए और वित्तीय सहायता दी गयी। नेपाली कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए ग्राम संस्था खोली गयी। ट्रेनिंग के बाद इन्हे गांव विकास खण्डों में नियुक्त किया जाएगा। आरम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के विकास तथा नेत्रहीनों के लिए स्कूल खोलने की योजनाएं नेपाल सरकार को भेजी गयी हैं। त्रिभुवन आदर्श विद्यालय को पब्लिक स्कूल के समान बनाने के लिए २ लाख रु० देना स्वीकार किया गया। आदर्श महिला विद्यालय को भी १ लाख २४ हजार रु० देना स्वीकार किया गया। वित्त मंत्री ने बताया कि जो काम भारत सरकार को सौंपे गए, उन्हें तेजी से चलाने के लिए यहा में कुशल कर्मचारी भेजे गए हैं। यहा स्थित इजीनियरी स्कूल और ग्राम संस्था में नेपाली छात्रों को शिक्षा दी जाती है, ताकि नेपाल को कारीगर मिल सके।

उन्होंने कहा कि जो काम नेपाल सरकार स्वयं कर रही है, उनके लिए उसमें विकास मण्डल बनाए है। भारत सरकार इन मण्डलों को कुशल कर्मचारी, धन और सामान देती है।

## देहाती क्षेत्रों के वारे में योजना आयोग के सुभाव

### गूले बनाने का काम

योजना आयोग ने राज्यों से कहा है कि वे कानून बनाकर पचायतों को सिंचाई मापनों का उपयोग करने वालों में गूलों की देवभाल कराने और सिंचाई के मापनों का भरपूर उपयोग कराने का अधिकार दें।

यदि सिंचाई मापनों का लाभ उठाने वाले लोग समय पर गले आदि नहीं बनाते, तो उन्हें पचायतें बनाए और बाद में लोगों से उनकी लागत वसूल करे। यदि पचायतें भी मह काम न करे तो सरकार अथवा मन्त्रालय की ओर से सड़कों की पचायत गमिंतिया यह बाय करे और बाद में लोगों से इगची लागत वसूल करे।

देव के अधिकार क्षेत्रों में गूलों आदि की देवभाल के लिए नियम हैं और वे मालगुजारी के खाते में दर्ज हैं। फिर भी इन नियमों को ठीक तरह से निश्चित करने और स्थानीय लोगों द्वारा उसका फायदा बराने के लिए योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकारें सिंचाई और मंड बाधतें तथा भू-संरक्षण की योजनाओं के अंतर्गत उन नियमों को मिनाकर एक कानून बनाए।

कम्पर्ट, मद्रास, आंध्र प्रदेश और मैसूर में ऐसे कानून हैं, जिनके अन्तर्गत छोटी सिंचाई के मापनों का उपयोग करने वालों के लिए इनकी देवभाल करना अनिवार्य है। यदि वे देवभाल, बरम्मत आदि नहीं करने तो उन्हें सरकार करती है और मापनों का उपयोग

करने वालों में उमकी लागत वसूल करनी है। बम्बई में यंत्रों तक पहुँच बनाने के लिए १८७९ में बानून चला गया है। केरल, मद्रास, आंध्र प्रदेश और मैसूर में कैंटी बानून तो नहीं है, पर सिचाई माथना वा लाभ उठाने वालों में उम्मीद की जाती है कि वे संघा तक पहुँच बनाएँगे। उड़ीसा में हाल ही में एक बानून लागू हुआ है और मैसूर में भी बानून बनाया गया है। मंड वायने के बारे में भी बम्बई में बानून है। मद्रास में भी १९०९ में बानून बना जो आंध्र प्रदेश पर भी लागू होना है। उम बानून में अब मर्यादा किया गया है और इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। मैसूर में भी बानून लागू हो चुका है।

### सिचाई माथन

सिचाई माथना के लिए य नियम है वहाँ और मसरी सिचाई यात्राओं के अन्तर्गत, त्रिस्टे सिचाई के लिए पानी मिलेगा, उन्हें निश्चिन्त अवधि के अन्दर मूल बना देनी चाहिए, जो हर साल उनकी देखभाल तथा मरम्मत करना चाहिए। छोटी सिचाई के अन्तर्गत, सिचाई वा उपयोग करने वालों को नहरों को साफ करना चाहिए और जलाशयों को मरम्मत करने रहना चाहिए। यदि जलाशय की बहुत दिनों में देखभाल नहीं हुई तो, उमकी मरम्मत सरकार करने की अथवा उमका उपयोग करने वालों को ही उमकी मरम्मत आदि करनी चाहिए।

मंड वायने और भू-संरक्षण के लिए योजना आयोग ने ये सुझाव दिये हैं सरकार को बानून के अन्तर्गत, नदी की तटवर्ती करने या कुछ गावों के लिए मंड वायने के लिए योजना तैयार करने और उम योजना का अधिकार होना चाहिए। योजना चलाने में पहले सरकार उमकी घोषणा करे, ताकि यदि कोई चाहे तो आपत्ति उठा सके। जो योजना एक में अधिक गावों के लिए है, उमका तथा नदी के किनारे मंड लगाने का सर्व सरकार को उठाना चाहिए। यदि योजना एक ही गाव के लिए है, तो गाव वालों में उमके खेतों के अनुपात में सर्व वसूल करना चाहिए। इसके लिए सरकार या मह-कारी समिति उन्हें श्रेय दे जिसे वह ५-१०

वर्ष में वसूल करे। खेतों में मंड बनाने आदि का काम वही करे, जिनके खेत हैं।

### स्थानीय विकास-कार्यों का विस्तार

आयोजन आयोग ने राज्यों को कुछ ऐसे सुझाव भेजे हैं, जिनमें स्थानीय विकास कार्यों और गाव वालों की आमदनी बढ़ाने के काम बनाए गए हैं। इन कार्यों में गावों में बंशर और गरीब लोगों को रोजगार मिल गटना है और गावों की अर्थ-व्यवस्था सुधर गवनी है।

राष्ट्रीय विकास परिषद ने अक्टूबर १९५९ में तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में गावों में कुछ न्यूनतम सुविधाएँ पैदा करने का विचार रखा था। ये सुविधाएँ हैं पीने के पानी की व्यवस्था, हर गाव को पाम की वड़ी मडक या टेल के स्टेशन में मिलाने के लिए मडके, हर गाव के लिए स्कूल की इमारत जिनका पचायत आदि के लिए भी उपयोग हो सके और गावों में पुस्तकालयों का प्रबन्ध। इन कामों के लिए स्थानीय लोग धनदान करने तो सरकार भी कुछ महत्वता दे सकती है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस तरह के कामों को और अधिक महत्वता देने का विचार है, ताकि आगे चलकर ये सुविधाएँ देश के सब गावों में हो सके। आयोजन आयोग का कहना है कि मुरु में राज्य सरकारें पिछड़े और उन क्षेत्रों के लिए अधिक धन रखें, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम आदि के अंतर्गत नहीं आते। राज्य सरकारों में अनुरोध किया गया है कि वे पिछड़े इलाकों के लिए इस मद की कुल राशि का १० प्रतिशत तक खर्च करें। आयोग का सुझाव है कि गावों में तालाब बनाने, ईंधन की लकड़ी के पेड़ लगाने, चरागाह छोड़ने और मछली पालने और चराइने जैसे कार्यों को हाथ में लिया जाए, जिससे व्यक्ति नहीं सारे गाव का लाभ हो। इसी प्रकार मुर्गे-भूगिया पालने और ग्रामीणों खड़े करने से भी गाव वालों को सामूहिक लाभ होगा। सम्यक विभाग गाव वालों को मिस्त्रिक जानकारी दे और ऐसी कोशिश की जाए कि इस तरह के कार्यों से हर पाम पचायत को कम से कम १ हजार से ८० वारिक की आमदनी होने लगे।

### ग्रामीण मजदूरों को काम

खेती की पैदावार बढ़ाने और सामाजिक मर्यादा के निर्माण के लिए अकुशल और अर्थकुशल ग्रामीण मजदूरों को निर्माण-कार्य में लगाने की परम आवश्यकता है। यह मुझाव योजना आयोग ने राज्यों को एक पत्र में दिया है। खेतों के लिए दी गई नयी सुविधाओं का शीघ्र में शीघ्र लाभ उठाने के लिए ऐसे व्यापक कार्यक्रम बनाने जरूरी है, जिससे मजदूरों को काम मिल सके। इसके लिए श्रम महकारी समितियों के गठन की सिफारिश की गई है।

राज्यों की सिचाई, बाढ़-नियंत्रण, भूमि सुधार कार्यक्रम-निचली जमीन का पानी निकालने तथा ऊपर को उपजाऊ बनाने (जैसे लयनऊ के समीप बनयरा का फार्म) — और जंगल लगाने तथा भूमि संरक्षण तथा सडक विकास योजनाओं में अकुशल और अर्थकुशल मजदूरों को काम मिल सकता है।

योजना आयोग की राय में काम पूरा हो जाने के बाद उसे किसानों पर बिल्कुल छोड़ देने की पुरानी परिपाटी को बदलना होगा। आज की बदली हुई परिस्थिति में यह बिल्कुल लाभदायक नहीं है। ऐसे निर्माण कार्यों के चार चरण हैं, जो एक-दूसरे से गुंथे हुए हैं। इनका तारतम्य नहीं टूटना चाहिए। ये कार्य हैं : पानी इकट्ठा करने के लिए बाध का निर्माण; प्रत्येक गाव में सरलता से पानी पहुँचाने के लिए नहरों और नालियों का निर्माण; यह कार्य इस प्रकार होना चाहिए कि खेतों की नालिया समय से बन जाएँ, ताकि नहरों में पानी आते ही फसल की सिचाई शुरू हो जाए; और खेती के तरीकों में ऐसे सुधार किए जाएँ कि अधिक से अधिक पैदावार बढ़ायी जा सके। निर्माण-कार्य के प्रत्येक चरण की योजना और अमल में ऐसा सामंजस्य होना चाहिए कि प्रभावशाली लाभ हो।

### अन्य सहकारी समितियाँ

यदि इन योजनाओं के जरिये ग्रामीण मजदूरों को अधिक से अधिक काम देना है, तो काम लेने के भीरूदा तरीकों में कुछ परिवर्तन करना जरूरी है। योजना आयोग में सुझाव दिया है कि जहाँ तक सम्भव हो, ऐसे सार्व विकास खण्ड सादरनों, पचायतों और गाव मन्नाओं से से किए जाएँ। जहा सुमकिन हो, वहा अधिक श्रम महकारी समितियाँ

ऐसी समितियाँ काम करने के जीवाओं की मण्डली और विभाग से ठेके प्राप्त कर सकती हैं। विभिन्न गांवों में मजदूरों की टुकड़ियाँ घरो में सुविधाजनक दूरी पर काम करने के लिए भेज सकती हैं।

महकारी मगठन से कई लाभ होंगे। नहरों के निर्माण से गांव का बहुत धन मिलेगा, जो खेती की पैदावार बढ़ाने में काम आ सकता है। सहकारी आन्दोलन को बल मिलेगा। राज्यों को देहातियों में बचत और पूंजी लगाने की आदत डालने के लिए प्रबन्ध करना सम्भव होगा। ग्रामीणों में सहकारी भावना प्रबल होगी और दूसरे क्षेत्रों में भी सहकारिता का प्रादुर्भाव होगा। ऐसे क्षेत्र राज्य के दूसरे भागों के लिए आदर्श उपस्थित करेंगे।

अपने सुझाव में आयोग ने कहा है कि निर्माण-कार्य ऐसे मोहकों में शुरू किए जाए, जब ग्रामीण मजदूरों को फमलों के बीच बेकार बैठें हों। योजनाएँ काफी पहले बनाई जाएँ, ताकि विकास खण्ड मगठनों में आवश्यक सामग्री स्यापित किया जा सके। सभी काम गांव वालों से कराए जाएँ और मजदूरों गांव की दर से दौ जाएँ। भारत मेवक समाज और अन्य सहकारियों का उपयोग किया जाए। विकास खण्ड में निर्माण कार्य पूरा कराने की जिम्मेदारी खड अधिकारियों को सौंपी जाए। ठेकेदारों की जगह पर जहाँ ग्रामीणों को काम दिए जाएँ, वहाँ काम पूरा करने के लिए ओमलत समय से अधिक दिया जाए। मजदूरों की भुगतान और काम का माप जल्दी किया जाए। यदि निर्माण-स्थल पर स्थानीय मजदूर न मिल सकें तो काम शुरू होने के पहले बाहर से मजदूर लाने का प्रबन्ध किया जाए। विकास खण्ड स्तर पर कुशल मजदूरों की छोटी टुकड़ी के समूह के प्रदन पर भी विचार किया जा सकता है।

### गांवों की जन-शक्ति का उपयोग

योजना आयोग ने राज्य सरकारों को नती की पैदावार बढ़ाने और सामुदायिक गणराज की वृद्धि के लिए देहाती जन-शक्ति का अधिन में अधिक उपयोग करने का सुझाव दिया है। यह सुझाव आयोग के एक परिपत्र में दिया गया है जो सभी राज्यों के पास भेजा गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि प्रत्येक देहात में निर्माण-निर्माण-कार्य शुरू किए जाएँ।

देश के अधिकांश भाग में खेती वर्षा पर निर्भर करती है। छोटे-छोटे और दूर-दूर होने के कारण खेती में पैदावार कम होती है। इन कारणों से पूरे साल तक लगातार काम नहीं होता और काफी सख्ता में अनुकूल मजदूर महीनों बेकार बैठे रहते हैं। देश की बढ़ती हुई आबादी के कारण यह समस्या और भी जटिल होती जा रही है।

इस समस्या का स्थायी हल निकालने के लिए यह जरूरी है कि जन-शक्ति के माधन का उचित उपयोग किया जाए। वैज्ञानिक ढंग की खेती की जाए और अवकाश के समय को दूसरे कामों में लगाया जाए ताकि देहाती क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के विस्तार के लिए प्रमुख उपाय यह होना चाहिए कि खेती की खुदाई, जुलाई आदि अधिकता से की जाए, सिंचाई और और सुधरे हुए तरीके अपनाए जाएँ। मिर्ची-जुली फसलों को खेती हों। देहाती में ऐसे उद्योग-पध शुरू किये जाएँ, जो पास के नगरो की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करे, लोगों को दूसरे काम-पधों में लगाया जाए।

### निर्माण-कार्यक्रम

जन-शक्ति का अधिक उपयोग करने के लिए आयोग ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक देहाती क्षेत्र में निर्माण के व्यापक कार्यक्रम बनाए जाएँ। विकास खड अपनी पंचवर्षीय योजना बनाते समय निर्माण के कार्यक्रम को सबसे अधिक महत्व दें। विकास खड की योजना में प्रत्येक क्षेत्र के निर्माण कार्य होने चाहिए और इनमें प्रत्येक गांव के लिए योजना होनी चाहिए।

साधारणतया निर्माण-कार्य में ५ प्रकार के काम होंगे। राज्य सरकार और स्थानीय संस्थाओं की योजनाएँ, जिनमें अनुकूल और अर्द्ध-नुकूल मजदूरों में काम लिया जाए। दूसरे प्रकार के कार्यक्रम वे होंगे, जो समुदाय स्वयं पूरे करें। तीसरी श्रेणी में ऐसे कार्य शामिल हों, जिनमें मेहनत-मजदूरी का काम स्थानीय जनता करे और सरकार कुछ सहायता करे। चौथे प्रकार का काम ऐसा होना चाहिए, जिनमें गांव समुदाय की पूंजी का निर्माण हो, ताकि उनमें लाभ मिलना रहे और गांववा पुरक कार्यक्रम हो, जो ऐसे क्षेत्रों के लिए होगा जहाँ काम-पधों की व्यवस्था कम है।

### मकानों के लिए जीवन बीमा

#### निगम की ऋण योजना

**जी**वन बीमा निगम ने शोमागुदा व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए ऋण देने की एक योजना बनाई है। यह दो महीने के अन्दर चालू हो जाएगी। यह सूचना १९ फरवरी को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त उप-मंत्री, श्रीमती तारकेश्वरी मिन्हा ने दी।

उन्होंने योजना का ब्योरा मदन की मेज पर रखा। इसमें बताया गया है कि बम्बई, कलकता, मद्रास, दिल्ली और हैदराबाद में जो सम्पत्ति होगी, केवल उसी की जमानत पर ऋण दिया जाएगा।

ऋण के लिए अर्जों देने वाले जिस बीमागुदा व्यक्ति का बीमा अर्जों के दिन से ५ वर्ष पहले से चल रहा हो और जिनमें सभी किराने (श्रीमियम) दे दी हों, तथा जिनकी पालिसी ऋण चुकाने की तारीख से पहले ही पूरी हो जाती हो, उसे इस योजना के अन्तर्गत ऋण दिया जा सकता है। बीमा की कुल रकम और बीमा (यदि हो तो) मिलकर, कम से कम ऋण और उनके दसवें भाग के योग के बराबर होनी चाहिए। ऋण मिल जाने के बाद उम व्यक्ति को अपनी पालिसी निगम के नाम कर देनी होगी और वह व्यक्ति नियमित रूप से बीमा की किराने देता रहेगा।

यह ऋण लरीदी हुई या पट्टे पर ली हुई जमीन पर दिया जाएगा, परन्तु पट्टे की बाकी अवधि कम से कम ३० साल और होनी चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा मामला नहीं होना चाहिए, जिसमें पट्टेदार को कुछ कार्रवाई करनी पड़े।

जमीन और मकान की कुल लागत का ७० प्रतिशत ऋण दिया जाएगा; बाकी ३० प्रतिशत खर्च ऋण लेने वाला उठाएगा। ऋण की रकम कम से कम २० हजार रु० और अधिक से अधिक १ लाख रु० होगी।

ऋण उस जमीन और मकान पर दिया जाएगा, जो बाद में तैयार होगा या तैयार हो रहा है। निगम ममय-ममय पर जमीन और निर्माण को मोंके पर देखकर उम समय की लागत का अधिक से अधिक ७० प्रतिशत मर्च देगा। बचत-पत्र पर यह स्पष्ट किया रहेगा कि ऋण लेने वाला उम समय को बँवल मकान बनाने पर ही मर्च करेगा, अन्य मामलों पर नहीं।

ऋग्य प्र ७ प्रतिमान मान्यता व्याज लग्योगा जोर यदि ऋग्य नियमित रूप में चुकाना जाए, तो आधा प्रतिमान छूट जायेगी।

ऋग्य अधिक से अधिक २० माल के लिए दिना जाएगा, परन्तु उन समय तक ऋग्य देने वाले को उम्र ७० माल से अधिक नहीं हो जानी चाहिये।

ऋग्य देने वाले को नियम द्वारा महापत्या प्राप्त बीमा कम्पनी में सम्पत्ति का जग आदि का बीमा करना होगा और उसे हर माल नया करना होगा।

ऋग्य देने वाले को नियम के मोर्चे को जान टिकट, रजिस्ट्री आदि सभी चीजों का मर्च उठाना होगा।

### धरमरीक्षा से एक कारखाने के लिए ऋग्य

वाणिज्य के एक्स्पॉर्ट-इम्पोर्ट बैंक ने गुणाव क्रिंठ (पत्राव) के बल्लभगढ़ में औद्योगिक कारखाना खोलने के लिए २ करोड़ ६० का ऋग्य देने का निर्णय किया है।

यह सूचना १९ फरवरी को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त उपमन्त्री, श्री बलिराम भगत ने दी।

उन्होंने कहा कि बरेल नदी पर ८८० रुपया फुट घ जोर नव व्यापारी कम्पनियों को उपार देने के लिए रखा है, उनमें से गुड्डियर टायर एण्ड रबर कम्पनी आफ ट्रिडिया (प्रायवेट) को ऋग्य देने की बात, बैंक ने मिदाल रूप में मान ली है। यह ऋग्य भारत में जमीन खरीदने और रबर का मादान बनाने के कारखाने के लिए उमान बनाने तथा भारतीय मर्गोने परीदन पर खर्च किया जाएगा। यह ऋग्य १५ फरवरी, १९६३ में पहले से ही १८ छमाही किश्तों में चुकाना शुरू किया जाएगा। इस पर ६ प्रतिमान मान्यता व्याज लग्योगा, जो छमाही देना होगा।

### भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट

कुछ विदेशी खुले बाजारों में भारतीय रुपये का मूल्य गिरा है। इसका कारण भारत सरकार की यह कार्रवाई है, जिसके कारण भारतीय नोटों का चीनी में विदेशों में जाना एक गया है। यह रुपया मोने और अन्य पावन्दी

बाजी चॉंजे के भागत में चीनी में लाने के बदले बाहर जाना था।

यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री, श्री बलिराम भगत ने २४ फरवरी को लोकसभा में दी।

उन्होंने बताया कि रुपये के मूल्य में भिन्न-भिन्न बाजारों में भिन्न-भिन्न अनुमान में गिरावट आई है। गिगापुर में मई १९५९ में अब तक २८ प्रतिमान, हांगकांग में जनवरी १९६० में मई १९५९ में ३० प्रतिमान, लका जीर बर्मा में प्रथम १७ और १३ प्रतिमान गिरावट हुई है। न्यूयार्क में नाम माय को गिरावट आई है। लरा और बर्मा में गिरावट के बाद भी भारतीय रुपये का मूल्य गुटे बाजार में सरकारी मूल्य से अधिक है। नेवाल में भारतीय रुपये का मूल्य २८ प्रतिमान पटा है।

### रेल-डिब्बे में प्रदर्शनी

सूचना और प्रचारण मंत्रालय के विभागन और दृश्य प्रचार निदेशालय का प्रदर्शनी और निवेदा दिखाने वाला रेल-डिब्बा ३० नवम्बर, १९५९ में १६ फरवरी, १९६० तक ३८ स्टेशनों पर घूम चुका है। यह सूचना १७ फरवरी को लोकसभा में डा० केमकर ने एक प्रश्न के उत्तर में दी।

डा० केमकर ने बताया कि छोटी लाइन पर भी इस प्रकार का एक सवारी-डिब्बा घुमाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।



### साइकिलों और सिलाई की मशीनों का उत्पादन

दूसरी योजना में साइकिलों और सिलाई की मशीनों के उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया था, वह योजना की अवधि से एक वर्ष पहले ही पूरा हो गया है।

अन्य हल्के इजीनियरी उद्योगों के उत्पादन में भी ऐसा लगता है कि योजना के लक्ष्य में बढ़कर वहीं लो कम से कम योजना के लक्ष्य के बराबर उत्पादन अवश्य बढ़ जाएगा।

चलती-फिरती प्रदर्शनी-गाडियों के बारे में उन्होंने बताया कि इस तरह की ३ गाडियां विभिन्न जगहों पर घूम जा रही हैं। इन गाडियों में रेल के विभिन्न उपकरण दिखाए गए हैं। इनमें से ५ गाडी जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में घूमेंगी, अन्य दो, पूर्व और दक्षिण राज्यों के लिए भेजी गई हैं। ये गाडियां उन स्थानों पर जाएंगी, जहाँ रेल-लाइन नहीं गुजरनी है।

### बम्बई में अवैध सोने की प्राप्ति

वित्त उप मंत्री, श्री बलिराम भगत ने १९ फरवरी को लोकसभा में बताया कि २६ दिसम्बर, १९५९ को बम्बई के प्रसिद्ध जहाज 'इफरिन' के कुछ नाविकों को नाव से अपने जहाज पर लौटते समय रोगन के तीन पीपे समुद्र में तंगते हुए दिखाई दिये। तीनों पीपे एक साथ बंधे थे। इन पीपों को खोलने पर इनमें १०-१० तोले की १०० छोटे मिली। इन छोटों पर किसी अन्य देश की मोहर है। सोने का मूल्य लगभग १ लाख ३० हजार ६० आका गया है। सोने के मिलने की सूचना पाने पर बम्बई के तटकर अधिकारी ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। उपमन्त्री महोदय ने कहा कि इस मामले पर अभी कार्रवाई हो रही है। अतः सोना पाने वालों को पुरस्कार देने के बारे में अभी कार्रवाई नहीं की गई है।

पुजें प्रत्येक साइकिल में लगते हैं। निकट त्वय में इनका भी इस्तेमाल नहीं होगा और जना के अन्त तक फ्री-व्हील, चैन, ह्वेल जैसे (जो अभी बाहर में भी मगाने पड़ते हैं, देस ही पर्याप्त मर्यादा में बनने लगेंगे)।

साइकिलों का निर्यात भी हाल में बढ़ा है। तम्रम एक वर्ष पहले तक साइकिलों का निर्यात नगण्य था। परन्तु पिछले कुछ महीनों में ६ लाख रु० मूल्य की ६ हजार साइकिलें बाहर भेजी गईं।

विक्रम परिपटन में तीसरी योजना के लिए ५ लाख साइकिलों के उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

### मिलार्ड की मशीनों

मिलार्ड की मशीनों के उत्पादन का लक्ष्य भी पूरा हो गया है। अन्तिम सूचना के अनुसार १९५९ में मिलार्ड की ३ लाख मशीनें बनाई गईं। दूसरी योजना में, १९६०-६१ तक इतनी ही मशीनों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था।

इस उद्योग की भी खास बात यह है कि अब मशीनों के मशी पुजें देग ही में बनाए जाते हैं। कुछ कारखानों की बाहर से मंगाए गए पुजों का इस्तेमाल करना पड़ता है, परन्तु प्रत्येक मशीन में ८ से १० रु० तक कीमत के ही विदेशी पुजें लगते हैं। वास्तव में एक फर्म तो मशीन के मशी पुजें अपने आप बनाती है और विदेशी पुजों का इस्तेमाल नहीं होता।

देग में मिलार्ड की मशीनों की जितनी माग है, वह सब अब देग के उत्पादन से पूरी हो जायेगी है।

मिलार्ड की मशीनों का निर्यात भी बराबर बढ़ा है। १९५८-५९ में ३० लाख रु० मूल्य की मशीनें बाहर भेजी गईं, जबकि १९५५-५६ में ६ लाख ५० हजार रु० मूल्य की मशीनें बाहर भेजी गई थीं।

विक्रम परिपटन में तीसरी योजना में ६ लाख मिलार्ड की मशीनों के उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

### अन्य उद्योग

अन्य हल्के इंड्रियल उद्योगों, जैसे टाइगर राइटर, ब्लेड, पेंटिंग और काल्ड्रेंट का उत्पादन भी बढ़ाई बढ़ा है। टाइगर राइटर का उत्पादन दूसरी योजना के दौरान में ही शुरू हुआ था। १९५९ में १९५६ के मुकाबले ७० प्रतिशत अधिक टाइगर राइटर बन। यह अनुमान है

कि १९६०-६१ तक टाइगर राइटरों का उत्पादन वरकर ३५ हजार हो जाएगा।

### ब्लेड

पिछले ८ वर्ष में ब्लेडों का उत्पादन १६ गुना बढ़ा है। १९५९ में ३९ करोड़ ५० लाख ब्लेड बनाए गए, जबकि १९५१ में २ करोड़ ५० लाख ब्लेड बनाए गए थे। यह आशा है कि दूसरी योजना के अन्त तक देग में ६५ करोड़ ब्लेड बनने लगेंगे।

### घड़ी

कलाई घड़ी, दीवार घड़ी और अलार्म घड़ी बनाने के लिए अनेक नयी योजनाएँ स्वीकार की गई हैं और उन पर अमल किया जा रहा है। दो कारखाने इस समय विजली से चलने वाली घड़ियां बनाते हैं। खीवर वाली घड़ियां बनाने की दो योजनाओं पर अमल हो रहा है। अलार्म घड़ियां बनाने की दो योजनाएँ स्वीकार की जा चुकी हैं और अन्य योजनाओं पर विचार हो रहा है। जहाँ तक कलाई घड़ियों का संबंध है, कुछ फ्रांसीसी फर्मों से मिल कर निजी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करने की योजना स्वीकार की जा चुकी है। एक जापानी फर्म की महायत्ना से सरकार क्षेत्र में भी एक कारखाना खोलने की योजना तैयार हो रही है। इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिवर्ष ७ लाख घड़ियां बनेंगी।

### नयी वस्तुओं का उत्पादन

मिलार्ड की मशीनों की मुद्रया, हाथ की मिलार्ड की मुद्रया, इजेक्शन लगाने की मुद्रया और प्रेसर-बुककर जैसी अनेक नयी वस्तुओं का उत्पादन देग में आरम्भ हो गया है और यह उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ रहा है।

### १६५६ में खनिज लोहे का उत्पादन

भारतीय ग्वात कार्यालय के अनुमान के अनुसार, १९५९ में ७९ लाख ३ हजार मीट्रिक टन खनिज लोहे का उत्पादन हुआ। जबकि १९५८ में ६१ लाख ३० हजार मीट्रिक टन खनिज लोहा निर्यात किया गया था। इस प्रकार १९५९ में लगभग २९ प्रतिशत उत्पादन बढ़ा।

उत्तम गव राज्यों में, जहाँ पर लोहे की खानें हैं, खनिज लोहे का उत्पादन बढ़ा। बिहार में ३२,७९,००० मीट्रिक टन और उड़ीसा में २५,८१,००० मीट्रिक टन खनिज लोहा निर्यात गया। इनके अन्तर्गत मैंग्रूट में

१०,२०,०००, मध्य प्रदेश में ४,१४,००० और बम्बई में ३,११,००० मीट्रिक टन खनिज लोहा निकाला गया।

१९५९ में लोहा और इस्पात कारखानों को ५६ लाख ६२ हजार मीट्रिक टन खनिज लोहा भेजा गया। यह १९५८ में ६१ प्रतिशत अधिक है। इस वर्ष २० लाख १२ हजार मीट्रिक टन खनिज लोहा निर्यात हुआ। यह १९५८ के निर्यात से ९ प्रतिशत अधिक है।

### स्कूटरों का निर्माण

केन्द्रीय उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई माह ने २४ फरवरी को राज्यमन्त्रा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि सरकार दो और कम्पनियों को स्कूटर बनाने के लाइसेंस देने पर विचार कर रही है। इनके साथ ही विदेशों से काफी मर्यादा में स्कूटरों के आयात के प्रश्न पर भी विचार हो रहा है।

श्री माह ने बताया कि विदेशी विनिमय के अभाव में बाहर से पुजें न आने के कारण देग में आगामी से स्कूटर नहीं मिल रहे हैं। इम कमी को दूर करने के लिए सरकार ने पिछले कुछ महीनों में कई उपाय किए हैं। उन्होंने बताया कि इस समय प्रति माह ९०० स्कूटर बन रहे हैं। इन साल के अप्रैल-मई में जब एक और कारखाने में स्कूटर बनने लगेंगे तो इनकी मर्यादा प्रति मास १,५०० हो जाएगी। उत्पादन बढ़ाने के लिए विदेशी विनिमय का प्रवर्ण किया जा रहा है, ताकि और अधिक पुजें आयात किए जा सकें।

### रासायनिक और इंड्रियरी उद्योगों के लिए देशी कच्चा माल

२५ फरवरी को लोकमन्त्रा में उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई माह ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि चुने हुए रासायनिक तथा इंड्रियरी उद्योगों के लिए विदेश में मगाने जाने वाले कच्चे माल के स्थान पर देशी कच्चा माल इस्तेमाल करने के बारे में मन्त्रालय ने के लिए सरकार ने गुजरात राज्य इन्ड्रियरी मर्यादा मन्त्रालय के अन्तर्गत ५ विभागों का एक दल भेजने का अनुरोध किया था।

श्री माह ने बताया कि दल के नेता तथा एक अन्य सदस्य ने वाम गुरु कर दिया है।

## देश में आधुनिक मशीनों के निर्माण को प्रगति

● कोई कम उन्नत देश बिनाही मशीनों और मशीनों जोड़कर आदि बनाता है, इनमें टन वान की जानकारी हो सकती है कि उनमें आधुनिक मिल्न-प्लांटों में बिनाही उन्नति की है। भारत अब राम और आम मशीनी औद्योगिक जिन—मशीन की मशीनें, यमें पिपाटी और रसा मशीनों आदि बनाने लगा है। हिन्दुस्तान मशीनी औद्योगिक कारखाना (दिल्ली) इस तरह की मशीनें बनाने वाले बनें कारखानों में गिना जाता है। वान की मशीन मशीनों आदि में १५ प्रतिशत भाग देनी हो लगते हैं। यमें आदि मशीनों में ८० प्रतिशत पुर्जे देनी टर्म्पे-नाइ होने हैं और एक मास में १५ प्रतिशत होने लगेंगे।

● कुछ ही वर्ष पहले देश में भारी चीनी मिल्नों की मशीनरी बाहर से मंगानी जाती थी, लेकिन अब इन मशीनों के ८० प्रतिशत हिस्से भारत में ही बनने हैं। विद्युत् की मशीनों का निर्माण भी देश में बहुत बढ़ गया है। विद्युत् के ट्रान्स्फार्मर मोटर और स्विच-गोबल देश में ही बनने हैं और भारत के भारी मशीनों के कारखानों के पूरे हो जाने पर, देश विद्युत् की हर तरह की मशीनें बनाने लग जाएगा।

● १९५३ में देश में विदेशी पुर्जों का जोड़कर ही मोटोकार्डिया बनायी जाती थी लेकिन आज मिश्र-मिश्र प्रकार की मोटोकार्डियों के ५० में केकर ७३ प्रतिशत तक हिस्से भारत में ही बनने हैं और दूसरी पक्वर्षीय यंत्रणा के अत तक बड़ अनुमान ७५ में ८५ प्रतिशत तक बड़ जाएगा।

● एक पूरी तरह स्वदेशी पेंसिलीयल कारखाना बसा करने का प्रयत्न किया गया है और आया है इन मास के मध्य में यह कारखाना चारू ही जाएगा। इस कारखाने की गव मशीनें भारत में ही बनायी जा रही हैं।

● गवक के नेत्राय का उत्पादन देशों की औद्योगिक प्रगति का माप माना जाता है। भारत में, १९५१ में केवल १ लाख टन गवक का नेत्राय बनाया था, जो १९५८ में बढ़कर २५ लाख टन हो गया। नेत्राय बनाने की मशीनी

मशीनें पहले विदेशों में मंगानी पड़ती थी, लेकिन हाल ही में ५० प्रतिशत मशीनें देश में ही बनने लगी हैं।

● मिल्नरी का रामायनिक ग्वाद कारखाना विदेशी वंशान्तिकों ने गडा किया था, लेकिन वडा काम करने वाले भारतीयों ने इन कारखानों में इनका अनुभव प्राप्त कर लिया है कि गडरुकेला में बनने वाले रामायनिक ग्वाद कारखानों की कुल १६ करोड़ ४० की लागत में में ८ करोड़ ४० का काम उन्होंने अपने जिम्मे लिया है। इसी प्रकार दूसरे ८ करोड़ ४० के काम में में भी कम में कम ५ करोड़ ४० का काम भारतीयों ही करेंगे।

● हिन्दुस्तान जहाज कारखाने में अपने १२ वर्ष के जीवन में इंजल में चलने वाले आधुनिक टन के ३८ मासवादी जहाज बनाकर मासिकों को दिये हैं। इनके अलावा तीन और जहाजों को नये गिने में फिट किया गया है। चार जहाजों का निर्माण चारू है। इनमें में तीन १५-११॥ जहाज टन के होंगे। इन जहाज कारखाने में यार्डों और माल जहाजों के अथवा समुद्री पटनाल करने वाले जहाज और कई तरह की नावें और जहाजों को लीचने वाले जहाज भी बनें हैं।

● नेल डिब्बे बनाने वाले कारखानों में, जहा दुर्ग के डिब्बों में प्रति डिब्बा पीछे ३७ हजार ४० का कच्चा और दूसरी तरह का विदेशी गामन काम आता था, वहा अब केवल एक डिब्बे में १८ हजार ४० की विदेशी सामग्री लगती है। १९६०-६१ में इसका की छेडे और मिल्ने लगेगी और तब तो, जहा तक कच्चे मास का सम्बन्ध है, ये डिब्बे १५ प्रतिशत स्वदेशी होंगे।

## इस्पात कारखानों के इंजीनियरों का उच्च प्रशिक्षण

लोहमा में १६ फरवरी को इस्पात, खान और इंधन मंत्री, सरदार-स्वरन सिंह ने एक प्रसंग के उत्तर में बताया कि पिछले दो मासों में इस्पात कारखानों में काम करने वाले ४४४ इंजीनियरों को उच्च प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया। मंत्री महोदय ने बताया कि इन इंजीनियरों में ब्रिटेन, अमरीका, रूस, ५० जर्मनी और आस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग ली।

## निर्घात के लिए कृषि उपज का वर्गीकरण

१६ ५९ में एगमार्क योजना के अंतर्गत निर्घात के लिए ३० करोड़ २२ लाख ४० की कृषि उपज का वर्गीकरण किया गया। १९५८ में २८ करोड़ ९३ लाख ४० की कृषि उपज का वर्गीकरण किया गया था।

इनमें मन, तम्बाकू, ऊन, सूअर के बाल, अगिनघास के तेल और चदन के तेल का वर्गीकरण किया गया। कृषि उत्पादन (वर्गीकरण और निरहित करना) अधिनियम के अंतर्गत इन वस्तुओं के निर्घात में पहले इनका वर्गीकरण कराना आवश्यक है। वर्गीकरण का काम कृषि और राय मन्त्रालय का हाट व्यवस्था और निरीक्षण निदेशालय करता है।

१९५९ में ९८ लाख ५० हजार ४० के मूल्य की मन की ८२ हजार गाठे, १३ करोड़ १० लाख ४० की ९ करोड़ पीड तम्बाकू की पत्ती, १ करोड़ ७० लाख ४० के ४ लाख ५४ हजार पीड सूअर के बाल, १२ करोड़ ३६ लाख ४० की ४ करोड़ ७७ लाख पीड ऊन, ९१ लाख ८० हजार ४० के २० लाख ३० हजार पीड अगिनघास के तेल और १ करोड़ १५ लाख ४० के २ लाख १६ हजार पीड चदन के तेल का वर्गीकरण किया गया।

जबकि १९५८ में मन की ७० हजार गाठों और ३ करोड़ ६० लाख पीड ऊन का वर्गीकरण हुआ था, १९५९ में सूअर के ७ हजार पीड बालों और चदन के ९ हजार पीड अधिक तेल का वर्गीकरण हुआ।

## जस्ते का आयात-कोटा

आयात व्यापार नियंत्रण सूचना में घोषणा की गई है कि भारत सरकार ने जस्ते का आयात-कोटा बड़ा दिया है। पुराने आयात-कोटे के लिए जनरल और साफ्ट, दोनों प्रतिशत २०-२० प्रतिशत में बढ़ाकर ३०-३० प्रतिशत कर दिए गए हैं।

इस अतिरिक्त कोटे के लाइसेंस के लिए १० मार्च, १९६० तक बन्दरगाहों पर लाइसेंस देने वाले दफ्तरों के काम अर्थात् भेज देनी चाहिए।

## सोने का तस्कर व्यापार

## तम्बाकू का निर्यात

प्रदर्शन और मेले में भारतीय तम्बाकू का प्रदर्शन और दुतरफा व्यापार समझौता में तम्बाकू को भी शामिल करना। इसके अलावा जर्मन लोगों की रुचि के अनुसार तम्बाकू पैदा करने के लिए जर्मनी के तम्बाकू विशेषज्ञों के सहयोग से यहाँ एक योजना भी चलाई जा चुकी है। इसके अलावा तम्बाकू के उत्पादन क्षेत्रों से बन्दरगाह तक रेल द्वारा तम्बाकू ले जाने को प्राथमिकता दी जाती है।

श्री सतीश चन्द्र ने बताया कि तम्बाकू की किस्म में सुधार करने, दाम घटाने और पीली पत्ती की तम्बाकू का उत्पादन घटाने के लिए तम्बाकू विस्तार सेवा तथा अन्य अनुमधान केन्द्रों और फार्मों की मार्फत प्रचार करने का विचार किया जा रहा है।

## क्या आप जानते हैं ?

### देश का निर्यात व्यापार

● पिछले साल देश से ६ अरब २६ करोड़ ६० का माल निर्यात किया गया था और अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति सुधर जाने में, आशा है कि भारत दूसरी योजना की अवधि में लक्ष्य, अर्थात् ३० अरब ६० से अधिक का माल निर्यात करेगा।

● पिछले साल जुलाई से निर्यात व्यापार बराबर बढ़ रहा है और १९५९ के अंतिम महीने में यहाँ से ७१ करोड़ ६० का माल बाहर भेजा गया, जो अब तक के मासिक निर्यात से सबसे अधिक है।

● पिछले साल के पहले ११ महीनों में सबसे अधिक तेल की खली का निर्यात बढ़ा। जनवरी में नवम्बर १९५९ तक १६ करोड़ ६० लाख ६० की तेल की खली बाहर भेजी गई, अर्थात् जनवरी-नवम्बर १९५८ की तुलना में १० करोड़ ५० लाख ६० अधिक की खली भेजी गई।

● १९५९ में कमाया हुआ चमड़ा भी, १९५८ की तुलना में १० करोड़ ५० लाख ६० अधिक का, अर्थात् २८ करोड़ ७० लाख ६० का बाहर भेजा गया। विदेशों में कच्ची माल और चमड़े की मांग बढ़ने के कारण १९५९ में ये चीजें भी ३ करोड़ ६० अधिक की भेजी गईं।

● १९५८ के मुकाबले १९५९ में, १५ करोड़ ३० लाख ६० अधिक का सूती कपड़ा निर्यात किया गया।

● वीरों का भाव गिरने के बावजूद १९५९ में लगभग १६ करोड़ ६० अधिक का पटन का सामान बाहर भेजा गया।

● लोहे और इस्पात के टुकड़े भी ३ करोड़ ६० अधिक के, अर्थात् कुल ६ करोड़ ६० के भेजे गये। लोहे के ढोके देश में हाल ही में तैयार होने लगे हैं, फिर भी ये १ करोड़ ६० के निर्यात किये गये।

● सीमेंट का निर्यात भी हाल ही में शुरू हुआ है और १९५९ में लगभग १ करोड़ ६० का सीमेंट निर्यात किया गया।

● १९५९ में ५० लाख ६० के आलू बाहर भेजे गए। इसमें पता चलता है कि यदि देश में और अधिक आलू उगाया जाए, तो इसका निर्यात बढ़ सकता है।

● चाय के निर्यात में देश को काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। परन्तु १९५९ में १० करोड़ ६० कम मूल्य की चाय निर्यात हुई। अब दिसम्बर से इसका निर्यात फिर बढ़ने लगा है और इस महीने, नवम्बर से १ करोड़ ५० लाख ६० अधिक की चाय बाहर भेजी गई।

● यदि पिछले साल की ही तरह निर्यात होता रहा तो आशा है कि १९६१ में लगभग ७ अरब ६० का माल बाहर भेजा जाएगा।

सोना शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने १९५९ में ५३ लाख ३८ हजार ७६९ ६० मूल्य का ४७,५०७ तोले सोना और ३८ गिनििया पकड़ी, जबकि मन् १९५८ में १ करोड़ ६ लाख ४० हजार ११३ ६० के मूल्य का १,०२,४६० तोला सोना ६ गिनििया पकड़ी गई थी।

यह सूचना वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने १६ फरवरी को लोकरुमभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि सोना तथा अन्य ऐसी सभी वस्तुओं का, जिनके आयात-निर्यात पर प्रतिबन्ध है, तस्कर व्यापार रोकने के लिए कानूनी और व्यावहारिक उपाय समय-समय पर किए जा रहे हैं।

इसके लिए, सीमा शुल्क अधिकारियों के जाच मचवी अधिकार बढ़ा दिए गए हैं, जहाजों और हवाई जहाजों की खोज करनी आरम्भ कर दी गई है, तटवर्ती और सीमा-प्राप्ती में अचानक गस्त लगाना चालू कर दिया गया है और एक ऐसे यंत्र का उपयोग भी आरम्भ कर दिया गया है, जिसकी सहायता से सोना छिपाए हुए व्यक्ति का या चीज का पता लग जाता है। मंत्री महोदय ने आगे बताया कि समुद्र सीमा शुल्क अभिनियम के अन्तर्गत इन अपराध के लिए बड़ा जुर्माना देने और वस्तु कब्जे में लेने की भी व्यवस्था है। इन अपराधों के बारे में राजस्व खुफिया निदेशालय विनियम तत्परता से कार्यवाही करता है। सोने का तस्कर व्यापार बन्दरगाहों, हवाई-अड्डों तथा मोरारपुर के किनारों से और गांधी, दमन, पं० पाकिस्तान, राजस्थान, वर्मा और पूं० पारिम्मान की सीमाओं पर विदोय प्रचलित है।

## दस्तकारी की चीजों पर किस्म नियन्त्रण

अनेक भारतीय दस्तकारी मंडल द्वारा नियुक्त किस्म नियन्त्रण की गिल्ड गमिनि की बैठक २६ फरवरी को नयी दिल्ली में हुई।

बैठक में जरी, कड़े हुए बटुवे, पेटिया और बालर बनाने में धाम आने वाले मुनहरी तार और बनीदासारी के अन्य मामान की निर्द्धमें निर्धारित की गईं। मुनहरी तार और बनीदासारी का मामान बनाने के प्रत्येक केन्द्र गुस्त में सीधे ही किस्म नियन्त्रण कार्यक्रम लागू किया जाएगा।

## औद्योगिक सहकारी समितियां

कुल ७ मंत्री, श्री मनुभाई शास्त्र ने २२ फरवरी को मंत्रालय में बतारा कि मंत्रालय पूर्वी इंडो-ऑस्ट्रेलिया सहकारी समितियों का विभाग बनाना चाहती है। मंत्रियों में समितियों का चुनाव किया जा चुका है और १०१ पूर्वी इंडो-ऑस्ट्रेलिया के विभाग बायंत्रम लागू हो गया है। मंत्र मंत्रालय और सहकारी बैंक को और ने ५५ समितियों को २० लाख १० में अधिक काम दिया जा चुका है। इनके अलावा, २३ समितियों का ३ लाख ३० हजार १० का अनुदान दिया गया है। मंत्री एडवेलिया के नाम में मन्त्रालय लान के लिए / मंत्रियों में समितियों बनाई जा चुकी है।

श्री शास्त्र ने बताया कि मंत्र उद्योग सेवा मंत्रियों में लगभग ६५ समितियों को निर्माण मंत्रालयों की और बाकी समितियों को जल्दी मंत्रालयों पर लान के उपाय किए जा रहे हैं। इनमें में २९ समितियों का मातृ बचन मंत्रालयों पर लान के उपाय किए जा रहे हैं। १० समितियों को कच्चा मातृ प्राप्ति करने में मदद पर लान के उपाय किए जा रहे हैं।

तेल की खोज में पश्चिम जर्मनी का सहयोग खान और तेल मंत्री, श्री देवादेव ने १७ फरवरी को मंत्रालय में प्रश्नों के उत्तर में बताया कि देश में तेल निकालने के बायंत्रम को बढ़ाने के लिए पश्चिम जर्मनी को मंत्रालय में भौतिक उपकरण देने और वैज्ञानिक भजन का जो नियम किया था, उसे भारत मंत्रालय में स्वीकार कर लिया है।

उन्होंने बताया कि मंत्रों में एक मातृ तेल मंत्री पर लान करने के लिए पश्चिम जर्मनी में एक दल मंत्र मंत्रालयों में भेजा है। इनका पूरा खर्च पश्चिम जर्मनी ही दया, मंत्र और प्राकृतिक मंत्र जायेंगे केन्द्र पर लान करने का खर्च उठाया है।

## मिलाई कारखाने के रूसी इंजीनियर की दुर्घटना में मृत्यु

२२ फरवरी को मिलाई इस्पात कारखाने के रूसी उप-मुख्य इंजीनियर, श्री एम० पी० पेनेन्को की कारखाने की बेलन मिल में दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उनका शव हवाई जहाज में मारको भेज दिया गया है।



## मिलाई में हड़ताल से नुकसान : इस्पात मंत्रों का दृष्टिकोण

२५ फरवरी को मंत्रालय में एक प्रश्न के उत्तर में इस्पात, खान और ईंधन मंत्री, मरदार स्वराज सिंह ने मिलाई इस्पात कारखाने के मजदूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में निम्नलिखित दृष्टिकोण दिया :

मुझ यह कहते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि १७ और १८ फरवरी को मिलाई में मजदूरों की हड़ताल से कारखाने का काम बन्द रहा। बात यह है कि मिलाई इस्पात कारखाने में प्रभाव मंत्री, श्री देवमल कुंठे ने कोक भट्टी क्षेत्र के पास १० फरवरी से मूल हड़ताल शुरू की थी। उन्होंने निर्माण-कार्य में लगे कुछ मजदूरों की छटनी की सम्भावना और भजन, पानी, मुरसा आदि की तय-तयिनी ५५५

दुर्घटना के समय श्री पेनेन्को रेल और डॉक्टरों के काम का निरीक्षण कर रहे थे। अचानक दुर्घटना का एक भागी दुर्घटना उनके ऊपर गिरा और वे उसके नीचे दब गये।

दुर्घटना की जांच के लिए आदेश दिया गया है।

## खनिज सीसे-जस्तों का उत्पादन

मासिक खान कार्यालय के अनुसार, भारत में १९५९ में १ लाख ६२ हजार मेट्रिक टन खनिज सीसे-जस्तों का उत्पादन हुआ। यह उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में ३८ प्रतिशत अधिक है।

मासिक उत्पादन राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित जयपुर पारंगों में हुआ।

गुजरात और जस्ता भी अधिक मात्रा में उपलब्ध हुआ। १९५९ में ६,४८८ मेट्रिक टन सीसा और ९,९७८ मेट्रिक टन जस्ता उपलब्ध हुआ, जबकि इससे पिछले वर्ष ५,३४१ मेट्रिक टन सीसा और ७,३९१ मेट्रिक टन जस्ता उपलब्ध हुआ था।

## मन्त्रालय भारतीय सहकारी चीनी मिल गोष्ठी

तीसरी अक्टूबर भारतीय सहकारी चीनी मिल गोष्ठी में, श्री अर्भी हाज्ज ने नयी दिल्ली में हुई, यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया कि सहकारी चीनी मिलों का एक राष्ट्रीय मंत्र बनाया जाए। मंत्र का विधान तैयार करने के लिए ६ मंत्रों को एक समिति नियुक्त कर दी गई है।

गोष्ठी में, तीसरी अक्टूबर की योजना में सहकारी चीनी मिलों द्वारा ३० लाख टन चीनी तैयार करने के लक्ष्य का स्वागत किया गया। आया है कि तीसरी अक्टूबर की योजना की अग्रिम में सहकारी चीनी मिलों की सम्ख्या २५ तक बढ़े जायेंगी। सहकारी चीनी मिलों के उत्पादन, प्रचार, उत्पादन-व्यय इत्यादि विषयों पर भी गोष्ठी में विचार किया गया।

व्यवस्था के विरोध में मूल हड़ताल शुरू की। १२ और १३ फरवरी को और फिर १६ तारीख को निर्माण-कार्य में लगे कुछ मजदूरों ने काम करना बन्द कर दिया लेकिन समझाने पर उन्होंने काम फिर शुरू कर दिया।

१७ फरवरी की सुबह स्थिति और ज्यादा बिगड़ गयी, जबकि मजदूरों की भीड़ ने एक इंजीनियर को घेर कर मजदूरों बढ़ाये, तरफकी दिलवाने आदि की मांग करनी शुरू की। इन पर इंजीनियर ने समझा बुझाकर मजदूरों को तितर-बितर करना चाहा, लेकिन मजदूरों ने उनके साथ घबरावपूर्ण की और उनकी तथा एक अन्य जीप को आग लगा दी। इसके बाद अन्य कई स्थानों पर मजदूरों की भीड़ इकट्ठी होने लगी और जिला मजिस्ट्रेट का कुछ कार्टूनलों के साथ पुलिस ३५५ गये। फिर भी भीड़ परत



और कारखाने में काम करने वाले अन्य चारियों को तग करना बंद कर दिया। भट्टियों में लोहा आदि ले जाने वाले चारियों को घेर लिया गया और फलस्वरूप धमन भट्टियों का काम बन्द कर देना पड़ा। इसी दिन शाम को रामपुर डिवीजन के चारियों ने बहा पहुंच गए और उन्होंने पुलिस को इन्तजाम और मजदूरी का दिया।

१८ फरवरी की सुबह को स्थिति और भी खराब हो गयी। माई दम बजें और दोबहर के बाद बिजलीघर में बहुत से आदमी इकट्ठे हो गए और तरल ईंधन के पाइप काट डाले तथा रात के पम्पर पर कब्जा कर लिया। अतः बिजलीघर का मारा काम बन्द कर देना पड़ा। इस पर जिला मजिस्ट्रेट ने कारखाने के क्षम में दफा १४४ लागू कर दी। स्थिति को काबू में लाने के लिए पुलिस को बेंत चलाना पड़ी और आसू गैस छोडनी पड़ी। अतः कुछ व्यक्तियों को चोट आई और ६० व्यक्ति पकटे गये।

१८ फरवरी की शाम तक कारखाने की कोप भट्टी, बिजलीघर और पहली धमन भट्टी चालू हो गयी थी। कुछ देर बाद दूसरी धमन भट्टी भी चालू हो गयी। सारी रात पुलिस बहा पहरा देती रही। तब से कोई अन्य वारदात नहीं हुई है और बहा स्थिति सामान्य है। इस गडबड के कारखाने के उत्पादन का काफी धक्का लगा है। इस झगडे से पहले प्रति दिन बहा करीब १,९५० टन लोहे के खोके बनते थे, जबकि १७ फरवरी को केवल ६८० टन लोहे के खोके बने। २० फरवरी में यह उत्पादन बढ़ना शुरू होने लगा है और आशा है कि आज रात तक सामान्य उत्पादन होने लगेगा।

हृदयनाल के दिनों में कारखाने में अमानियम मन्केट और गन्धक के सेजाब का तेल कुछ भी उत्पादन न हुआ। १७ फरवरी को केवल २४० टन इस्पात बना और १८ तथा १९ तारीख को इस्पात का उत्पादन बन्द रहा। इसी प्रकार प्रतिदिन ७३० टन इस्पात बनना था। २० फरवरी को बहुत थोडा इस्पात बना। आशा है आज रात दिन में इस्पात का सामान्य उत्पादन शुरू हो जाएगा।

को मरना है, एकराम काम बन्द हो जाने के कारण चार, धमन और आनन लय भट्टियों

को काफी नुकसान पहुंचा हो। किन्तु इसका पता तो कुछ समय बाद ही लग पाएगा। इसके अलावा कारखाने को अन्य कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है।

ऐसी हालत में सरकार के लिए जो करना उचित था, वह उसने किया। इस प्रकार के झगडे में देश को बहुत हानि होती है। मजदूरों को मार्गों पर महानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा, लेकिन हिमा पर उतर आना और गडबड करना मजदूरों के लिए उचित नहीं था।

### दमुआ कोयला खान दुर्घटना

मध्य प्रदेश के दमुआ कोयला खान में ५ जनवरी को जो दुर्घटना हुई थी, उसकी ओर ध्यान दिलाने पर श्रम मंत्री के ममदीय गचिव श्री एल० एन० मिश्र ने १७ फरवरी को लोकप्रभाम में दम आराय का बक्तव्य दिया।

माननीय मन्त्रय जानते हैं कि ५ जनवरी, १९६० को बिन के लगभग १॥ बजे दमुआ कोयला खान में एक दुर्घटना हुई। यह खान धमन फूटने वाली कोल कम्पनी लि० की है और यह मध्य प्रदेश के छिंदवाडा जिले में है।

चारों के अतिग्वित मुख्य निरीक्षक ने दुर्घटना की जांच की। ऐसा प्रतीत होता है कि पानी में भगी हुई गैरी के निकट दूसरी गैलरी में कुछ काम किया जा रहा था, तभी दोनों गैलरियों के बीच की परत गिर गई और बहा पानी भर गया। इससे विभिन्न स्थानों पर काम करने वाले १६ मजदूर मर गये। इस दुर्घटना के जिम्मेदार प्रबन्धक है, इसलिए इस सम्बन्ध में आन्तरिक कार्रवाई की जा रही है।

मान जाचने वाले अधिकारियों ने अन्य खानों के प्रबन्धकों को महायत्ना में खान से पानी निकालना शुरू किया और १७ जनवरी को सुबह ९ बजे तक सभी मृत मजदूरों के शव मिल गए।

दम खान में लगभग २५० कर्मचारी थे। उन्हें अब अन्य जगह नीरगिया दे दी गई है। मृत मजदूरों के परिवारों को खान कर्मचारियों आगद महायत्ना बोप में १००-१०० २० की महायत्ना दी गई। खान के प्रबन्धकों ने भी फौजनी १६०० २० की महायत्ना दी। कोयला खान यजदूर दिनचारी बोप में भी १२ विधायकों को दी साल तर १०-१० २० महीना

देने के लिए २,८८० रु० दिया गया है। मृत मजदूरों के स्कूल जाने वाले बच्चों को ३ साल तक ५-५ रु० मासिक छात्रवृत्ति देना न्योकार किया गया है। यह सहायता उनके अतिरिक्त है, जो खान-मालिक, मजदूर मुआवजा कानन के अन्तर्गत, मृत मजदूरों के उत्तराधिकारियों को देगे।

### बैंक-कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

भारत सरकार ने बैंक पंचाट आयोग (बैंक अवार्ड कमीशन) द्वारा बैंक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का घटाने या बढ़ाने के बारे में सुझाई गई विधि में कुछ संशोधन किया है। संशोधित विधि के अनुसार हर तिमाही में रहन-गहन के अखिल भारतीय सूचक अंक के ५ अंक के न्यूनाधिक होने पर महंगाई भत्ता घटाया या बढ़ाया जाएगा। १९४४ के सूचक अंक को १०० मानकर, यह सुलना १४४ अंक से की जाएगी। बैंक पंचाट आयोग ने ६ महीने में १० अंक की गटबड के हिसाब में महंगाई भत्ते में घटबड करने की मिकारिका की थी।

भारत सरकार का इस विधि में संशोधन करने का निर्णय सरकारी सूचनापत्र में भी प्रकाशित हुआ है। सूचना में कहा गया है कि ३१ मार्च, १९५९ के बाद की जिस तिमाही में भी १४४ से सूचक अंक ५ अंक बड़े या घटेगा, उसी के हिसाब से अगली तिमाही का महंगाई भत्ता बढ़ाया या घटाया जाएगा। बलकों के लिए हर ५ अंक पर १/१० की घटबड होगी और दूसरे छोटे कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की ३/१० की।

दिसम्बर १९५७ में स्टेट बैंक आफ इडिया और इसके कर्मचारियों में समझौता होने के फलस्वरूप, बैंक पंचाट आयोग की बताई हुई विधि में गंभीरान किया गया था और उसी समय ६ महीने में १० अंकों की घटबड की बजाय ३ महीने में ५ अंकों की घटबड के हिसाब से महंगाई भत्ते में घटबड करने का निश्चय कर लिया गया था। बाद में अन्य बैंकों के कर्मचारियों ने भी इस बात की निरायत की कि ६ महीने का समय बहुत अधिक है और ६ महीने के बाद महंगाई भत्ते में परिवर्तन करने में कर्मचारियों को ज्यादा दिक्कत उठानी पड़ेगी। १९५८ में आनन सरकार ने बैंक पंचाट

आयोग की विचारियों में मनोरंजन करने का विचार किया और ३१ दिसम्बर, १९५७ के बाद की किसी भी अवधि के महासूची भ्रम में आयोग की सुनवाई हुई सीमा के अन्दर किसी तरह के भी मनोरंजन करने या करने की प्रतिकार के लिए पा।

### मद्रास में कर्मचारियों का राज्य पीमा योजना का विस्तार

मद्रास में नौ उद्योग-केन्द्रों में कर्मचारियों की राज्य पीमा योजना लागू कर दी गई है और २७ फरवरी में योगमैट्टु, पेरियारनायकनल्लयम्, गिरिवर्गी और राजनल्लयम् के क्षेत्रों के ८,२०० मजदूरों का इस योजना के लाभ मिलने शुरू हो गए हैं।

गिरिवर्गी और राजनल्लयम् में राज्य सरकार की ओर से अग्रजाल गांठे जालों, जहा बाग्यानों के मजदूरों का विचित्रता की सुविधा मिलेगी। पेरियारनायकनल्लयम् और पीला-मैट्टु में विचित्रता का द्वारा प्रकल्प होगा। कर्म-चारियों को इस योजना के अर्थात् नए महा-योजना देन के लिए कई कार्यालय गांठे गए हैं।

बाग्यानों के मालिकों को अब इस योजना में अपने बाग्यानों के कुछ क्षेत्र-व्यय का ११ प्रतिशत देना होगा, अब तर मालिकों को योजना का चलाय के लिए ७५ प्रतिशत देना पड़ता था।

### कामदिलाज दफ्तरी में रजिस्टर्ड वेकार

पिछले माल दिग्म्वर १९५८ के अन्त तक कामदिलाज दफ्तरी में ११ लाख ८३ हजार २०९ व्यक्तिगणों के नाम दर्ज थे, किन्तु दिसम्बर १९५९ के अन्त तक में १८ लाख २० हजार ९०१ नाम बढ़ा के रजिस्ट्रियों में दर्ज थे। यह मूलना २५ फरवरी को लोकमभा में भ्रम उपमर्श, श्री आबिद जली ने एक प्रश्न के उत्तर में दी।

उन्होंने बताया कि १९५८ की अन्तिम निमाही की अपेक्षा १९५९ की अन्तिम निमाही में देश के विभिन्न कामदिलाज दफ्तरी में नाम के उम्मीदवारों के नामों की संख्या में वृद्धि हुई। १९५८ की अन्तिम निमाही में यह संख्या ५ लाख ७३ हजार ४०६ थी, जबकि १९५९ की निमाही में यह संख्या बढ़कर ६ लाख १२ हजार ९८५ हो गयी।

### दिसम्बर १९५६ में मजदूरों के व्यवहार की चीजों के मूल्य का सूचक अंक


भा

वित्तिक के अनुसार, दिसम्बर १९५९ में मजदूरों के व्यवहार की वस्तुओं के मूल्य का सूचक अंक (१९६९ को आधार=१०० मानकर) ११ केन्द्रों में गिरा, ७ केन्द्रों में बढ़ा और ३ केन्द्रों में पिछले मूल्य अंक पर स्थिर रहा। निगमविधियाँ और अद्योग में मूल्य अंक मध्य अर्ध ३ अंक गिरा। दिल्ली, डेहली-आन-गान, कन्नमपुर, मुंबाहाटी, गिन्वर, बरावर (अगस्त १९५९ में जुलाई १९५७ तक का आधार १०० मानकर) तथा मनना (१९५३ का आधार=१०० मानकर) १-१ अंक गिरकर, क्रमशः ११९.९९, ११६.९९, १०८.१०३ और १०० रहे गया।

एन गर्भो केन्द्रों में से ११ केन्द्रों में गाठ-

मजूर का सूचक अंक गिरा, ईवन और प्रकाश मजूर का अंक २ केन्द्रों में गिरा और विविध सामग्रियों का सूचक अंक ३३ केन्द्रों में घटा।

शरिया का सूचक अंक २ अंक बढ़कर १०९ हो गया, जबकि सरकार का सूचक अंक (आधार १९५३=१००) १ अंक बढ़कर १३१ हो गया। गाठ-मजूर का सूचक अंक दोना केन्द्रों में बढ़ा और विविध सामग्रियों का सूचक अंक केवल शरिया में बढ़ा। जबलपुर, गडगपुर और भोपाल में मूल्यों के सूचक अंक में बहुत थोड़ा हेमफेण हुआ और इन केन्द्रों के सूचक अंक क्रमशः १०८, ११६ और ११८ पर स्थिर रहे। जमनेश्वर और मुंजर केन्द्रों के स्थायी सूचक अंक क्रमशः १२७ और ९१ पर रहे। दिसम्बर, १९५९ में अखिल भारतीय अस्थायी सूचक अंक २ अंक घटकर १२४ रहे गया।



### १९६०-६१ का रेल बजट

केन्द्रीय रेल मंत्री, श्री जगजीवनराम ने १७ फरवरी को लोकमभा में १९६०-६१ का रेल बजट प्रस्तुत करने हुए कहा कि वेतन आयोग की सिफारिशों आदि के कारण खर्च में होने वाली अनिश्चित वृद्धि को पूरा करने के बाद मौजूदा रेल किनारे तथा भाड़े के आधार पर अगले वर्ष में लगभग ४.५ करोड़ ६० की बचत होगी।

उन्होंने बताया कि चालू वर्ष में बजट में २१ १९ करोड़ ६० की बचत का अनुमान लगाया गया था, लेकिन समायोजित अनुमानों के अनुसार, यह बचत १८ ७५ करोड़ ६० होगी। उन्होंने बताया कि वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण १ जुलाई, १९५९ से ३१ मार्च, १९६१ तक होने वाले लगभग २० करोड़ ६० के अतिरिक्त खर्च के लिए नये बजट में व्यवस्था कर दी गई है।

मंत्री महोदय ने कहा कि रेलों की बहाती हुई निम्नकारी के कारण यह आवश्यक हो गया है कि माल भाड़े की दरों में उपयुक्त परिवर्तन किए जाएं।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष पहली अप्रैल से आयात की जाने वाली खनिज वस्तुओं, मैनिक सामान, डाक और रेलों के अपने माल को छोड़कर बाकी सब माल तथा कोयले के भाड़े में प्रति हजय पीछे ५ नये पैसे का पूरक चार्ज लगाया जाएगा। इस पूरक चार्ज से प्रति वर्ग १४ करोड़ ६० की आय का अनुमान है।

मंत्री महोदय ने ध्यान दिलाया कि माल भाड़े चार्ज समिति ने सब प्रकार के माल पर १३ प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी, लेकिन १ अक्टूबर, १९५८ से माल भाड़े में केवल ४ प्रतिशत वृद्धि ही की गई थी।

रेल मंत्री ने बताया कि १९६०-६१ में यात्री यातायात में १२५.५० करोड़ ६० की आय का अनुमान है। यह आय पिछले वर्ष की यात्री-यातायात में हुई आय में १.४२ करोड़ ६० अधिक है। मौजूदा माल भाड़े की दरों पर माल यातायात में २९१ करोड़ ६० की का अनुमान है, जो चालू वर्ष के अनुमान में २७ करोड़ ६०

ार मौजूदा किरागे-भाडे की दरों के आधार १९६०-६१ में यातायात में ४५०.५० ट्रेड रु० की कुल प्राप्ति का अनुमान है। रु भाडे में जो पूरक चार्ज लगाया गया है, केकेर ४६४.५० करोड़ रु० की कुल प्ति का अनुमान है।

बजट में साधारण संचालन पर ३२६.९० रोड रु० के व्यय का अनुमान है, जो वाकू रं के गनोपित अनुमान में ३४१८ करोड ० अधिक है। संचालन-व्यय में हुई इस वृद्धि वेतन आयोग की सिफारिशों की १ जुलाई, १९५९ में ३१ मार्च, १९६१ तक लागू करने (होने) वाली २०.१२ करोड रु० की तथा ल-भाडा जाच र्मातित की सिफारिश के अनुसार रेलों द्वारा पब्लिक कंरियर की तरह ढाल की जोक्ति उठाने की जिम्मेदारी लेने के कारण लचं में होने वाली १ करोड रु० की वृद्धि भी शामिल है।

### १९५८-५९ में लाभ-हानि

रेल मंत्री ने बताया कि १९५८-५९ में यात्री-यातायात में ३९०.२१ करोड रु० की कुल प्राप्ति हुई, जो गनोपित अनुमान में ४१३ करोड रु० कम थी। आय में यह कमी मुख्यतः माल यातायात तथा थोड़ी-बहुत यात्री-याता-यान में हुई। आय में कमी मुख्यतः आर्थिक स्थिति संबंधी कारणों में और अगत गडक-यातायात में होड के कारण हुई।

गुड बचन ८.९३ करोड रु० हुई, जबकि गनोपित अनुमान १३ करोड रु० का था। गुड बचन में इन तरह ६०३ करोड रु० की कमी हुई, जो आय में होने वाली कमी के लग-भग बराबर थी। बचत की पूर्ण राशि वित्तिय निधि में जमा कर दी गई।

### दूसरी योजना की प्रगति

रेल मंत्री ने बताया कि दूसरी योजना में रेलों के लिए कुल १,१२,१५० करोड रु० की राशि र्मा गई है। इसमें से मार्च १९६० तक पूरे होने वाले ६ वर्षों में रेलों लगभग ८३७ करोड रु० खर्च कर लगीं। आना है कि ये राशि दूसरी योजना के वाली समय में पूर्ण खर्च हो जाएगी।

योजना के पहले चार वर्षों में लिए गए ढाय का उल्लेख करने हुए मंत्री महोदय ने कहा कि लक्ष्य ३०० करोड रुपये पर्यंत

## रेलवे बजट एक दृष्टि में

(करोड रुपयों में)

	वास्तविक १९५८-५९	गनोपित अनुमान १९५९-६०	बजट अनुमान १९६०-६१
यातायात से कुल प्राप्ति	३९०.२१	४२२.०३	४६४.५०
साधारण संचालन व्यय	२७६.३३	२९१.९२	३२६.९०
गुड विविध व्यय	९.३५	१५.७८	१६.८२
मूल्य ह्वाम आरक्षित निधि के लिए विनिमय चालिन (बचड) लाडनों की भुगना	४५.००	४५.००	४५.००
	०.११	०.०७	०.०८
जोड	३३०.८९	३५२.७७	३८८.८०
गुड रेलवे राजस्व	५९.३२	६९.२६	७५.७०
सामान्य राजस्व को लाभान	५०.३९	५४.५१	५७.२७
गुड बचत	८.९३	१४.७५	१८.४३

वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप १ जुलाई, १९५९ से ३१ मार्च, १९६१ तक होने वाले २० करोड रु० का अतिरिक्त लचं भी इसमें शामिल है।

दोहरी की जा चुकी है और ६०० मील लम्बी नई लाइने बिछाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इन कामों में इस्पात कारखानों की आव-श्यकताओं को समुचित प्राथमिकता दी गई है। इस्पात तथा कोयला खानों के क्षेत्र में अनेक नई लाइने बिछाई गईं हैं, जिनमें इस्पात कार-खाना की समय पर कच्चा माल मिल गके।

लगभग ९०० मील लम्बी लाइने बिछाने के लिए पटनाल चल रही है।

### बिजली की रेलें

पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी रेलों की दुर्गापुर-गया, आसनगोल-गिनी-टाटानगर-गडरकेला गाणाओं और राजखरखान-कोमुआणों धावा पर बिजली की रेलें चलाने का काम दूसरी योजना की अवधि में ही पूरा हो जाने की आना है।

गया-भुगलमराय और गडगपुर-टाटानगर गाणाओं पर बिजली सम्बंधी गाणन की गन्धर्व के लिए जल्दी ही ठेके दे दिए जाएंगे। म्यालदा-गलागाड और दमरम-बीनगाव गाणाओं पर निर्माण का काम चल रहा है।

इगतपुरी-भुसावल धावा पर भी निर्माण-कार्य के लिए म किया जा रहा है। मद्रास-ताम्बर-म्विल्लपुरम धावा पर ८० प्रतिशत निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है और बिजली सम्बंधी काम शुरू करने के लिए निम्निक म्योरा तैयार किया जा रहा है।

### यातायात बढ़ने की आशा

मंत्री महोदय ने कहा कि योजना के तीसरे वर्ष में आर्थिक विकास की गति में कुछ रुकावटें हुईं। लेकिन अब राष्ट्रीय अर्थ-स्थवस्था फिर मजबूत दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि भविष्य काफ़ी आशाप्रद दिखाई देता है। इस निष्कर्ष में उन्होंने इम्पान के बडे हुए उदा-दन और मुकाम के पाग राजेंद्र गुल गुलने तथा मुयाहादी और बेरोनी में दो नये तेल-नीयक कारखाने खुलने का जिक किया। उन्होंने कहा कि इन सब बातों को देखते हुए गुंमा अनु-मान है कि आगामी वर्ष में रेलों की १ करोड ७० लाख टन अतिरिक्त माल ढंतान परेगा और दग प्रथम योजना के अन्त तक १ अरब ६ करोड २० लाख टन माल की दुलाई का जो लक्ष्य रखा गया था, बर पूरा हो जाएगा।

योजना के पहले तीन वर्षों के अन्त तक यात्री-यातायात में लगभग १२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अनुमान है कि पिछड़े तीन वर्षों की अवधि का यह वर्ष में यातायात सबसे अधिक बढ़ा है। उन्होंने कहा कि यह उम्मीद है कि योजना के अन्त तक यात्री-यातायात में १५ प्रतिशत की वृद्धि का जो अनुमान लगाया गया था, यातायात उम्मेद बनी अधिक बढ़ जाएगा।

उन्होंने यह भी आशा प्रकट की कि दूसरी योजना में रेलों की जितनी बिदेगी मुद्रा खर्च करने का अधिकार दिया गया है, उम्मेद में लगभग ९० करोड़ रु० की बचत होगी।

### तीसरी योजना और रेलें

तीसरी योजना में रेलों के विभाग के बारे में मंत्री महोदय ने कहा कि हृदय और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के अनुसार यातायात की सुविधाओं में जितनी वृद्धि की आवश्यकता होगी, उन्नी के आधार पर रेलों के विभाग की योजना बनाई जाएगी। जल्दब जल्द तक हृदय और उद्योग के विभाग के बारे में पूरी योजना नहीं बन जाती, तब तक रेलों की विभाग योजना अतिरिक्त ही रहेगी। उन्होंने बताया कि इस समय योजना आयोग इन बातों पर विचार कर रहा है।

मंत्री महोदय ने कहा कि अपनी अल्पव्यवस्था को आमनिर्भर बनाने की दृष्टि में हमने बड़ी योजना में औद्योगिक प्रगति का उद्देश्य रखा है। हमारे इस प्रयत्न में भारी उद्योगों का सबसे अधिक महत्व है। इस बात को देखते हुए निम्नलिखित हमारी विभागमाल अल्पव्यवस्था में रेल-यातायात का महत्त्व बना रहना है। उन्होंने कहा कि उद्योगों के इस विकास में रेलों के ऊपर जो जिम्मेदारी आएगी, उसे पूरा करने में वे तनिक भी नहीं हिचकिचाएंगी।

### यातायात की स्थिति

१९५८-५९ में यातायात की स्थिति की समीक्षा करने हुए मंत्री महोदय ने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में कुछ मुम्मी का रत्न रहने के कारण यातायात जतना नहीं बढ़ा, जितनी आशा थी, लेकिन चालू वर्ष में यह अच्छा है और ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष के अन्त तक

यातायात में १ करोड़ टन में कुछ अतिरिक्त वृद्धि हो जाएगी। लेकिन यह वृद्धि १ करोड़ ५० लाख टन की अनुमानित वृद्धि में कम ही रहेगी। यह तभी सम्भव कोयले का उत्पादन कुछ घट जाने के कारण हुई है।

प्रति वॉगन पाँच माल की टुआई की स्थिति सुधारने का वाकौ प्रयत्न किया गया है और केवल ३ प्रतिशत वॉगन बहा कर १९,५८-५९ की अपेक्षा १० प्रतिशत अधिक यातायात हुआ है।

मंत्री महोदय ने व्यापारियों और औद्योगिकों में सहयोग की अपेक्षा करने हुए कहा कि उन्हें यह चाहिए कि जितने दिनों रेलों पर यातायात बंद रहना है, उन दिनों वे धानुओं तथा गोबर आदि के स्टार्क इनमें जमा कर के कि माली दिनों में उन्ने उनको डों मने और इस तरह माल होने की हमारी जो क्षमता है, उसका अधिकतम उपयोग हो सके। गाड़ियों की रफ्तार और समय पर पहुँचना रेल मंत्री ने कहा कि मंत्री रेलों पर माल-गाड़ियों की रफ्तार में काफी सुधार हुआ है। सुविधाएँ और मिलने पर, गाड़ियों की रफ्तार प्रदान के कारण दूर होने पर तथा रेल प्रदान के निम्नतर प्रदान में भविष्य में गाड़ियों की रफ्तार और भी तेज होने की आशा है।

यात्री-गाड़ियों के समय में पहुँचने के बारे में रेल मन्त्रालय परावर ध्यान दे रहा है। अप्रैल में अबतूबर १९५९ तक मंत्री रेलों में बड़ी लाइन की गाड़ियाँ ८२९ प्रतिशत और छोटी लाइन की गाड़ियाँ ८१८ प्रतिशत समय से पहुँची, जबकि पिछले वर्ष बड़ी लाइन की ७६.३ प्रतिशत गाड़ियाँ और छोटी लाइन की ७९ प्रतिशत गाड़ियाँ समय से पहुँची थी।

हम्यात और कोयला क्षेत्रों में यातायात की समस्या को हल करने के लिए लम्बी और भारी माल डोने के योग्य गाड़ियाँ शुरू किए जाने का जिक्र करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि जैम-जैम उद्योग बंधें, वैम ही वैम इस प्रकार की गाड़ियाँ और क्षेत्रों में भी चला दी जाएगी।

### १९५९-६० के संशोधित अनुमान

चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के बारे में बोलते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि पिछले

वर्ष के अन्त में यात्री-यातायात में जो वृद्धि शुरू हुई थी, वह इस वर्ष भी कायम रही है। यात्री-यातायात में १२४ करोड़ ८ लाख रु० की आय का मशीनित अनुमान है, जो बजट के अनुमान में ५ करोड़ ७८ लाख रु० अधिक है। इसके अतिरिक्त रेल विभाग की और से यात्री-गाड़ियों में साने-पीने की व्यवस्था करने तथा अन्य माधनों में २ करोड़ ८० लाख रु० आय और बटने का अनुमान है।

माल-यातायात में अब २६४ करोड़ रु० की आय आनी गई है, जो बजट में अनुमानित २७२ करोड़ ५८ लाख रु० की आय से ८ करोड़ ५८ लाख रु० कम है। लेकिन यात्री-यातायात आदि में आय में जो वृद्धि हुई है, उसके कारण ४२२ करोड़ ३ लाख रु० की कुल प्रगति के अनुमान में कोई फेरबदल नहीं की जाएगी।

चालू वर्ष में रेलों के साधारण मचालन पर बजट में २८३ करोड़ ७१ लाख रु० के व्यय का अनुमान लगाया गया था, लेकिन संशोधित अनुमान ८ करोड़ २१ लाख रु० अधिक है। व्यय में हुई इस वृद्धि में से ६ करोड़ रु० की वृद्धि कुछ ऐसे कारणों से हुई है जो अपरिहार्य हैं, जैसे—मशीनों की मरम्मत, बाढ़ के कारण पुलों तथा अन्य चीजों को हानि, कोयले की कीमत में वृद्धि, अच्छी किस्म का कोयला न मिलने के कारण कोयले की खपत में वृद्धि आदि। मंत्री महोदय ने कहा कि खर्च पर बहुत कड़ा नियन्त्रण रखा जा रहा है और केवल ऐसे ही कामों में खर्च किया जाता है जो अनिवार्य हैं।

मूल्य ह्रास आरक्षित निधि में और वर्षों की तरह ४५ करोड़ रु० जमा किए गए हैं। इस प्रकार अब १४ करोड़ ७५ लाख बचत की आशा है। यह राशि विकास-निधि में जमा कर दी जाएगी। चालू वर्ष में निर्माण-कार्य, मशीन और चल-स्टाक पर खर्च का संशोधित अनुमान १९६ करोड़ १० लाख रु० है, जो बजट में स्वीकृत राशि में ३९ करोड़ ८ लाख रु० कम है।

मंत्री महोदय ने कहा कि १९६०-६१ के अन्त तक मूल्य ह्रास आरक्षित निधि और और राजस्व आरक्षित निधि में अनुमानित लगभग ७१ करोड़ रु० होंगे। मूल्य ह्रास आरक्षित निधि दूसरी योजना के शुरू में ९८

तर मोजूदा किराये-भाडे की दरों के आधार पर १९६०-६१ में यातायात में ४५०.५० रोड रु० की कुल प्राप्ति का अनुमान है। ल भाडे में जो धूस्क चार्ज लगाया गया है, मकी लेकर ४६४.५० करोड़ रु० की कुल णि का अनुमान है।

बजट में माध्याग्न मन्चालन पर ३२६.९० रोड रु० के व्यय का अनुमान है, जो चालू र्ण के मंगोषित अनुमान से ३४.१८ करोड ० अधिक है। मचालन-व्यय में हुई इग वृद्धि व नेतन आयोग की सिफारियों को १ जुलाई, १९५९ में ३१ मार्च, १९६१ तक लागू करने े होने वाली २०.१२ करोड रु० की तथा ल-भाडा डाच ममिति की गिपारिय के अनुमार रेखा द्वारा पब्लिक कैरियर की तरह माल की जोखिम उठाने की जिम्मेदारी लेने के कारण खर्च में होने वाली १ करोड रु० की वृद्धि भी शामिल है।

### १९५८-५९ में लाभ-हानि

रेल मंत्री ने बताया कि १९५८-५९ में यानी-यातायात में ३९०.२१ करोड रु० की कुल प्राप्ति हुई, जो गंगोषित अनुमान में ४.१७ करोड रु० कम थी। आय में यह कमी मुख्यतः माल यातायात तथा घोड़ी-बहुत यानी-याता-यात में हुई। आय में कमी मुख्यतः आर्थिक रिपिन गवामी कारणों से और अगत गडक-यातायात में होड के कारण हुई।

गुड बचन ८.९३ करोड रु० हुई, जबकि गंगोषित अनुमान १३ करोड रु० का था। गुड बचन में इग तरह ८.०७ करोड रु० की कमी हुई, जो आय में होने वाली कमी के लग-भाग बराबर थी। बचन की पूरी राशि विधान निधि में जमा कर दी गई।

### दूधरी योजना की प्रगति

रेल मंत्री ने बताया कि दूधरी योजना में रेखा के लिए कुल १,१२,१.५० करोड रु० की राशि मंगी गई है। टगमें में मार्च १९६० तक पूरे होने वाले ८ बरों में रेखा लगभग ८७० करोड रु० खर्च कर लेगी। आना है कि षोड राशि दूधरी योजना के बारी समय में पूरी खर्च हो जाएगी।

योजना के पहले चार बरों में लिए गए काम का उल्लेख करने हुए मंत्री महोदय ने कहा कि लगभग ७०० मीटर लम्बी पटरियां

## रेलवे बजट एक दृष्टि में

(करोड रुपया में)

	वास्तविक १९५८-५९	मंगोषित अनुमान १९५९-६०	बजट अनुमान १९६०-६१
यातायात में कुल प्राप्ति	३९०.२१	४२२.०३	४६४.५०
साधारण मचालन व्यय	२७६.३३	२९१.९२	३२६.९०
गुड विधि व्यय	१.४५	१५.७८	१६.८२
मूल्य हानि आरक्षित निधि के लिए विनियम	४५.००	४५.००	४५.००
चालिन (बर्कड) लाइनों को भुगतान	०.११	०.०७	०.०८
<b>जोड</b>	<b>३३०.८९</b>	<b>३५२.७७</b>	<b>३८८.८०</b>
गुड रेलवे राजस्व	५९.३२	६९.२६	७५.७०
गामान्य राजस्व को लाभदा	५०.३९	५४.५१	५७.२७
गुड बचन	८.९३	१४.७५	१८.४३

वेतन आयोग की सिफारियों के परिणाम स्वरूप १ जुलाई, १९५९ से ३१ मार्च, १९६१ तक होने वाले २० करोड रु० का अतिरिक्त खर्च भी इसमें शामिल है।

दोहरी की जा चुकी है और ६०० मील लम्बी नई लाइने बिछाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इन कामों में इस्पत कारखानों की आवश्यकताओं को समुचित प्राथमिकता दी गई है। इस्पत तथा कोयला खानों के क्षेत्र में अनेक नई लाइने निछाई गई है, जिनसे इस्पत कार-खानों को गमय पर कच्चा माल मिल गये।

लगभग ९०० मील लम्बी लाइने बिछाने के लिए गटनाल चल रही है।

### बिजली की रेलें

पूर्व और दक्षिण-पूर्वी रेलों की दुगापुर-गया, आगनगोल-गिनी-टाटानगर-राउकेला गानाओं और राजबरेखान-डोंगुआंगी गाना पर बिजली की रेलें चलाने का काम दूधरी योजना की अवधि में ही पूरा हो जाने की आशा है।

गया-मुजफ्फराघ और मुडुगपुर-टाटानगर गानाओं पर बिजली सम्बन्धी गामान की गन्लाई के लिए जल्दी ही ट्रेके दे दिए जाएंगे। म्याडरा-गानापाट और दमदम-बोलागव गानाओं पर निर्माण का काम चल रहा है।

इगतपुरी-भुसावल शाखा पर भी निर्माण-कार्य के लिए म किया जा रहा है। मद्रास-ताम्बरम्-विल्लुपुत्तु शाखा पर ८० प्रतिशत निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है और बिजली सम्बन्धी काम शुरू करने के लिए सार्विक ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

### यातायात बढ़ने की आशा

मंत्री महोदय ने कहा कि योजना के तीगरे बर्ष में आर्थिक विकास की गति में कुछ रुकावट हुई। लेकिन अब राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था फिर मजबूत दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि भविष्य काफ़ी आशाप्रद दिखाई देता है। इस मिलनिले में उन्होंने इरादा के बरते हुए उदा-दत और मुफामा के पाग गजेड गुड गुडने तथा गुवाहाटी और बरौनी में दो नये तेल-गोषधक कारखाने मुदने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन गध बरानों को देखते हुए ऐसा अनु-मान है कि आगामी बर्ष में रेलों की १ करोड ७० लाख टन अनरिक्न माल डोना पड़ेगा और दर प्रवार योजना के अन्त तक १ अरब ६ करोड २० लाख टन माल की दुमाई का ती लक्ष्य रखा गया था, बत पूरा हो जाएगा।

योजना के पहले तीन वर्षों के अन्त तक यात्री-यातायात में लगभग १२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अनुमान है कि पिछड़े तीन वर्षों की अपेक्षा चालू वर्ष में यातायात मसूमे अधिक बढ़ा है। उन्होंने कहा कि यह उम्मीद है कि योजना के अन्त तक यात्री-यातायात में १५ प्रतिशत की वृद्धि का जो अनुमान लगाया गया था, यातायात उमरे बड़ी अधिक बढ़ जाएगा।

उन्होंने यह भी आशा प्रकट की कि दूसरी योजना के तैयारी के अन्त में विदेशी विदेशी मुद्रा खर्च करने का अधिकार दिया गया है, उमरे में लगभग १० करोड़ २० को बचत होगी।

### होमरो योजना और रेलें

तीसरी योजना के तैयारी के विषय के बारे में मंत्री महोदय ने कहा कि श्रृंग और ओद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के अनुसार यातायात की सुविधाओं में जितनी वृद्धि की आवश्यकता होगी, उमरे के आधार पर रेलों के विषय की योजना बनाई जाएगी। अतएव जब तक श्रृंग और उद्योग के विषय के बारे में पूर्ण योजना नहीं बन जाती, तब तक रेलों की विषय योजना बनाई नहीं जायेगी। उन्होंने बताया कि इस समय योजना आयोग तथा बायो पर विचार कर रहा है।

मंत्री महोदय ने कहा कि अपनी अवस्था का आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि में हमने बड़ी दीर्घकालीन और औद्योगिक प्रगति का उद्देश्य रखा है। हमारे इस प्रयत्न में भारी उद्योगों का मसूमे अधिक महत्व है। इस बात को देखते हुए निम्नलिखित हमारी विकासवादी अवस्था का नेत्र-यातायात का महत्व बना रहता है। उन्होंने कहा कि उद्योगों के इस विकास में रेलों के ऊपर जो जिम्मेदारी आएगी, उसे पूरा करने में वे तब तक भी नहीं हिचक-चाएगी।

### यातायात की स्थिति

१९५८-५९ में यातायात की स्थिति की मसूमा करने हुए मंत्री महोदय ने कहा कि आधिक धन में कुछ मुम्मी का रख रहने के कारण यातायात उतना नहीं बढ़ा, जितनी आशा थी, लेकिन चालू वर्ष में सब अच्छा है और ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष के अन्त तक

यातायात में १ करोड़ टन में कुछ अधिक वृद्धि हो जाएगी। लेकिन यह वृद्धि १ करोड़ ८० लाख टन की अनुमानित वृद्धि में कम हो गयेगी। यह सभी मसूमे की वृद्धि का उलटाव कुछ परत करने के कारण हुई है।

प्रति बंगन पाँच लाख की टुकड़ों की स्थिति मुम्मा करने का काफी प्रयत्न किया गया है और रेल ३ प्रतिशत बंगन बढ़ा कर १९,५८-५९ की अपेक्षा १० प्रतिशत अधिक यातायात हुआ है।

मंत्री महोदय ने व्यापारिक और औद्योगिकों में मसूमा की अपेक्षा करने हुए कहा कि उन्हें यह चाहिए कि जितने दिनों रेलों पर यातायात बहुत रहता है, उन दिनों के धानुओं तथा कीचड़ों आदि के स्टार इनने जमा कर ले कि वान्नी दिनों में रेलें उनको दौं गने और इस तरह माल दौंने की हमारी जो क्षमता है, उतना अधिक में अधिक उपयोग हो गके। गाडियों की रचना और समय पर पहुचना रेल मंत्री ने कहा कि मंत्री रेलों पर माल-गाडियों की रचना में काफी सुधार हुआ है। सुविधाएँ और मिलन पर, गाडियों की रचना करने वाले कारण दूर होने पर तथा रेल प्रदान के निम्न प्रदान में भावप्य में गाडियों की रचना और भी तेज होने की आशा है।

यात्री-गाडियों के समय में पहुचने के बारे में रेल मन्त्रालय वरगव ध्यान दे रहा है। अप्रैल में अक्टूबर १९५९ तक मंत्री रेलों में बड़ी लाइन की गाडिया ८०९ प्रतिशत और छोटी लाइन की गाडिया ८१८ प्रतिशत समय में पहुची, जबकि पिछले वर्ष बड़ी लाइन की ७६.३ प्रतिशत गाडिया और छोटी लाइन की ७९ प्रतिशत गाडिया समय में पहुची थी।

इम्पात और कोयला क्षेत्रों में यातायात की मसूमा की हल करने के लिए लम्बी और भारी माल दौंने के योग्य गाडिया शुरू किए जाने का जिक्र करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि जैमे-जैमे उद्योग बड़े, वैमे ही वैमे इस प्रकार की गाडिया और क्षेत्रों में भी चला दी जाएगी।

१९५९-६० के सशोधित अनुमान चालू वर्ष के मसूमा अनुमानों के बारे में बोलते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि पिछले

वर्ष के अन्त से यात्री-यातायात में जो वृद्धि शुरू हुई थी, वह इस वर्ष भी कायम रही है। यात्री-यातायात में १२८ करोड़ ८ लाख २० की आय का मसूमा अनुमान है, जो बजट के अनुमान में ५ करोड़ ७८ लाख २० अधिक है। इसके अतिरिक्त रेल विभाग की ओर से यात्री-गाडियों में पाने-पाने की व्यवस्था करने तथा अन्य माधनों में २ करोड़ ८० लाख २० आय और बढने का अनुमान है।

माल-यातायात में अब २६४ करोड़ २० की आय आकी गई है, जो बजट में अनुमानित २७२ करोड़ ५८ लाख २० की आय से ८ करोड़ ५८ लाख २० कम है। लेकिन यात्री-यातायात आदि में आय में जो वृद्धि हुई है, उसके कारण ४२२ करोड़ ३ लाख २० की कुल प्राप्ति के अनुमान में कोई फेरबदल नहीं की जाएगी।

चालू वर्ष में रेलों के साधारण मचालन पर बजट में २८३ करोड़ ७९ लाख २० के व्यय का अनुमान लगाया गया था, लेकिन मसूमा अनुमान ८ करोड़ २९ लाख २० अधिक है। व्यय में हुई इस वृद्धि में से ६ करोड़ २० की वृद्धि कुछ ऐसे कारणों से हुई है जो अपरिहार्य हैं, जैसे—मटरियों की मरम्मत, बाड के कारण पुठों तथा अन्य चीजों को हानि, कोयले की कीमत में वृद्धि, अच्छी किसम का कोयला न मिलने के कारण कोयले की खपत में वृद्धि आदि। मंत्री महोदय ने कहा कि खर्च पर बहुत कडा नियन्त्रण रखा जा रहा है और केवल ऐसे ही कामों में खर्च किया जाता है जो अनिवार्य हैं।

मूल्य हटम आरक्षित निधि में और वर्षों की तरह ४५ करोड़ २० जमा किए गए हैं। इस प्रकार अब १४ करोड़ ७५ लाख बचत की आशा है। यह राशि विकास-निधि में जमा कर दी जाएगी। चालू वर्ष में निर्माण-कार्य, मशीन और चल-स्टाक पर खर्च का मसूमा अनुमान १९६ करोड़ १० लाख २० है, जो बजट में स्वीकृत राशि में ३९ करोड़ ८ लाख २० कम है।

मंत्री महोदय ने कहा कि १९६०-६१ के अन्त तक मूल्य हटम आरक्षित निधि और और राजस्व आरक्षित निधि में अनुमानतः लगभग ७९ करोड़ २० होंगे। मूल्य हटम आरक्षित निधि दूसरी योजना के शुरू में ९८

तार मौजूदा किराये-भाडे की दरों के आधार पर १९६०-६१ में यातायात में ४५०.५० रोड रु० की कुल प्राप्ति का अनुमान है। तल भाडे में जो पूरक चार्ज लगाया गया है, गकी लेकर ४६४.५० करोड रु० की कुल िप्ति का अनुमान है।

वज्रट में साधारण मचालन पर ३२६.९० रु० के व्यय का अनुमान है, जो चालू र्ष के मसोधित अनुमान में ३४१८ करोड ० अधिक है। मचालन-व्यय में हुई इग वृद्धि नेतन आयोग की सिफारिशों की १ जुलाई, १९५९ में ३१ मार्च, १९६१ तक लागू करने में होने वाली २०.१२ करोड रु० की तथा ल-भाडा जाच ममिति की सिफारिश के नुमार रेलों द्वारा पब्लिक कंरियर की तरह की जोड़िम उठाने की जिम्मेदारी लेने के कारण लच में होने वाली १ करोड रु० की इद्धि भी शामिल है।

### १९५८-५९ में लाभ-हानि

रेल मंत्री ने बताया कि १९५८-५९ में यामी-यातायात में ३९०.२१ करोड रु० की कुल प्राप्ति हुई, जो मसोधित अनुमान से ४१७ करोड रु० कम थी। आय में यह कमी मुख्यतः माल यातायात तथा डीडी-बहुत यात्री-यातायात में हुई। आय में कमी मुख्यतः आर्थिक स्थिति मचधी कारणों में और अगत मडक-यातायात में होड के कारण हुई।

मुड बचन ८.९३ करोड रु० हुई, जबकि मसोधित अनुमान १३ करोड रु० का था। मुड बचन में इग तरह ८०३ करोड रु० की कमी हुई, जो आय में होने वाली कमी के लगभग परावर थी। बचन की पूर्ण राशि विनाय निधि में जमा कर दी गई।

### दुगरी योजना की प्रगति

रेल मंत्री ने बताया कि दुगरी योजना में रेला के लिए मुड ११२१.५० करोड रु० की प्राप्ति रगी गई है। इसमें से मार्च १९६० तक पूरे होने वाले ६ वर्षों में रेले लगभग ८३२ करोड रु० लचें कर मेंगी। आगा है कि प्रोय राशि दुगरी योजना के यकी ममय में पूर्ण भवें ही जाएगी।

योजना के यकी चार वर्षों में लिए गए काम का उल्लेख करने हुए मंत्री महोदय ने कहा कि लगभग ३०० मीट लम्बी पर्वतीय

## रेलवे वजट एक दृष्टि में

(करोड रुपयों में)

	वास्तविक १९५८-५९	मसोधित अनुमान १९५९-६०	वजट अनुमान १९६०-६१
यातायात में कुल प्राप्ति	३९०.२१	४२२.०३	४६४.५०
साधारण मचालन व्यय	२७६.३३	२९१.९२	३२६.९०
शुड विविध व्यय	९.४५	१५.७८	१६.८२
मूल्य हान आरक्षित निधि के लिए विनिमय	४५.००	४५.००	४५.००
चालिन (वकड) लाडनों को भुगतान	०.११	०.०७	०.०८
जोड	३३०.८९	३५२.७७	३८८.८०
मुड रेलवे राजस्व	५९.३२	६९.२६	७५.७०
सामान्य राजस्व को लाभांश	५०.३९	५४.५१	५७.२७
मुड बचन	८.९३	१४.७५	१८.५३

नेतन आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप १ जुलाई, १९५९ से ३१ मार्च, १९६१ तक होने वाले २० करोड रु० का अतिरिक्त खर्च भी इसमें शामिल है।

दोहरी की जा चुकी है और ६०० मील लम्बी नई लाइन बिछाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इन कामों में इस्पात कारखानों की आवश्यकताओं को समुचित प्राथमिकता दी गई है। इस्पात तथा कोयला खानों के क्षेत्र में अनेक नई लाइनें बिछाई गई हैं, जिनमें इस्पात कारखानों को ममय पर कच्चा माल मिल सके।

लगभग ९०० मील लम्बी लाइनें बिछाने के लिए मडनायक नल रही है।

### बिजली की रेलें

पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी रेलों की दुगर्गुर-गया, आगनगोल-गिनी-टाटानगर-राउरकेला गान्गाओं और राजबस्सवान-डोणुआणगी गान्गा पर बिजली की रेलें चलाने का काम दुगरी योजना की अवधि में ही पूरा हो जाने की आगा है।

गया-मुगलगराम और मडगपुर-टाटानगर गान्गाओं पर बिजली मम्बन्धी गान्गात की मन्कट के लिए जन्दी हो डंके दे दिए जाएंगे। म्यालडा-गनागापट और दमदम-बौनगाव गान्गाओं पर निर्माण का काम चल रहा है।

इगतपुरी-भुसानल शाखा पर भी निर्माण-कार्य के लिए म किया जा रहा है। मद्रास-ताम्बरम-विल्लपुरम वाला पर ८० प्रतिशत निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है और बिजली सम्बन्धी काम शुरू करने के लिए सिटिफिक यंत्रों तैयार किया जा रहा है।

### यातायात बढ़ने की आगा

मंत्री महोदय ने कहा कि योजना के तीगरे वर्षों में आर्थिक विकास की गति में कुछ रुकावटें हुई हैं। लेकिन अब गण्टीय अर्थ-मचवरथा फिर मजबूत दिखाई देती हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य काकी आगापद दिखाई देता है। इस मिलमिले में उन्होंने इस्पात के बढ़ने हुए उत्पादन और मुकामा के पास गजरेड पुल मुलने तथा गुवाहाटी और बरौनी में दो नये मेल-गोष्क कारखाने खुलने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन सब बातों को देखते हुए ऐगा अनुमान है कि आगामी वर्ष में रेलों की १ करोड ७० लाख टन अतिरिक्त माल डोना करेगा और दूग प्रकार योजना के अल तल १ अरब ६ करोड २० लाख टन माल की वृद्धि का जो लक्ष्य गया गया था, वह पूरा हो जाएगा।

योजना के पहले तीन वर्षों के अन्त तक यात्री-यातायात में लगभग १२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अनुमान है कि पिछले तीन वर्षों की अपेक्षा चालू वर्ष में यातायात मन्त्रम अधिक बढ़ा है। उन्होंने कहा कि यह उम्मीद है कि योजना के अन्त तक यात्री-यातायात में १५ प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था, यातायात उमने बड़ी अधिक बढ़ जाएगा।

उन्होंने यह भी आशा प्रकट की कि दूसरी योजना में रेलों को जिनकी विदेशी मुद्रा खर्च करने का अधिकार दिया गया है, उमने में लगभग १० करोड़ रु० की बचत होगी।

### तीसरी योजना और रेलें

तीसरी योजना में रेलों के विभाग के बारे में मंत्री महोदय ने कहा कि हरिण ओद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के अनुसार यातायात की सुविधाओं में जिनकी वृद्धि की आवश्यकता होगी, उमने के आधार पर रेलों के विभाग की योजना बनाई जाएगी। अतएव जब तक हरिण ओद्योग के विभाग के बारे में पूरी योजना नहीं बन जाती, तब तक रेलों की विभाग योजना अर्न्तविष्ट नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि इस समय योजना आयोग दस बार्नों का विचार कर रहा है।

मंत्री महोदय ने कहा कि अपनी अर्ध-व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि में हमने बड़ी शीघ्रता से औद्योगिक प्रगति का उद्देश्य रखा है। हमारे इस प्रयत्न में भारी उद्योगों का सबसे अधिक महत्व है। इस बात को देखते हुए निम्नलिखित हमारी विकासशील अर्ध-व्यवस्था में रेल-यातायात का महत्व बना रहता है। उन्होंने कहा कि उद्योगों के इस विकास में रेलों के ऊपर जो जिम्मेदारी आएगी, उसे पूरा करने में वे तनिक भी नहीं हिचकिचाएंगी।

### यातायात की स्थिति

१९५८-५९ में यातायात की स्थिति की समीक्षा करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में कुछ सुन्नी का रुख रहने के कारण यातायात उतना नहीं बढ़ा, जितनी आशा थी, लेकिन चालू वर्ष में यह अच्छा है और ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष के अन्त तक

यातायात में १ करोड़ टन में कुछ अधिक वृद्धि हो जाएगी। लेकिन यह वृद्धि १ करोड़ ८० लाख टन की अनुमानित वृद्धि में कम हो रहेगी। यह सभी मुख्य बॉयले का उत्पादन कुछ घट जाने के कारण हुई है।

प्रति बेंगल पाँच माल की दुष्टाई की स्थिति सुधारने का कार्रवाई प्रयत्न किया गया है और केवल ३ प्रतिशत बेंगल बढ़ा कर १९५८-५९ की अपेक्षा १० प्रतिशत अधिक यातायात हुआ है।

मंत्री महोदय ने धारावाहिकों और ओद्योगिकों में नरयोग की अपील करते हुए कहा कि उन्हें यह चाहिए कि जिनमें दिनों रेलों पर यातायात बढ़ाने का उद्देश्य है, उन दिनों वे धानुओं तथा बॉयले आदि के स्टॉक इनमें जमा कर के कि गारंटी दिनों में रेलें उनको दें। मने और इस तरह माल ढोने की हमारी जो क्षमता है, उमना अधिक से अधिक उपयोग हो सके। गाड़ियों की रफ्तार और समय पर पहुँचना रेल मंत्री ने कहा कि सभी रेलों पर माल-गाड़ियों को रफ्तार में काफी सुधार हुआ है। सुविधाएँ और मिलने पर, गाड़ियों की रफ्तार रोहने वाले कारण दूर होने पर तथा रेल प्रशासन के निरन्तर प्रयास में भविष्य में गाड़ियों की रफ्तार और भी तेज होने की आशा है।

यात्री-गाड़ियों के समय में पहुँचने के बारे में रेल मन्त्रालय बराबर ध्यान दे रहा है। अप्रैल में अक्टूबर १९५९ तक सभी रेलों में बड़ी लाइन की गाड़ियाँ ८२.९ प्रतिशत और छोटी लाइन की गाड़ियाँ ८१.८ प्रतिशत समय में पहुँची, जबकि पिछले वर्ष बड़ी लाइन की ७६.३ प्रतिशत गाड़ियाँ और छोटी लाइन की ७९ प्रतिशत गाड़ियाँ समय में पहुँची थी।

इम्पात और कोयला क्षेत्रों में यातायात की समस्या को हल करने के लिए लम्बी और भारी माल ढोने के योग्य गाड़ियाँ शुरू किए जाने का जिक्र करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि जैत-जैत उद्योग बढेंगे, वैसे ही वैसे इस प्रकार की गाड़ियाँ और क्षेत्रों में भी चला दी जाएगी।

### १९५९-६० के संशोधित अनुमान

चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के बारे में बोलते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि पिछले

वर्ष के अन्त से यात्री-यातायात में जो वृद्धि शुरू हुई थी, वह इस वर्ष भी कायम रही है। यात्री-यातायात में १२४ करोड़ ८ लाख रु० की आय का संशोधित अनुमान है, जो बजट के अनुमान में ५ करोड़ ७८ लाख रु० अधिक है। इसके अतिरिक्त रेल विभाग की ओर से यात्री-गाड़ियों में खाने-पीने की व्यवस्था करने तथा अन्य माधनों से २ करोड़ ८० लाख रु० आय और बढ़ने का अनुमान है।

माल-यातायात में अब २६४ करोड़ रु० की आय आने की गई है, जो बजट में अनुमानित २७२ करोड़ ५८ लाख रु० की आय से ८ करोड़ ५८ लाख रु० कम है। लेकिन यात्री-यातायात आदि में आय में जो वृद्धि हुई है, उसके कारण ४२२ करोड़ ३ लाख रु० की कुल प्राप्तियों के अनुमान में कोई फेरबदल नहीं को जाएगा।

चालू वर्ष में रेलों के माधुरण संचालन पर बजट में २८३ करोड़ ७१ लाख रु० के व्यय का अनुमान लगाया गया था, लेकिन संशोधित अनुमान ८ करोड़ २१ लाख रु० अधिक है। व्यय में हुई इस वृद्धि में से ६ करोड़ रु० की वृद्धि कुछ ऐसे कारणों से हुई है जो अपरिहार्य थे, जैसे—पटरियों की मरम्मत, बाढ़ के कारण पुलों तथा अन्य चीजों को हानि, कोयले की कीमत में वृद्धि, अच्छी किसम को कोयला न मिलने के कारण कोयले की छपत में वृद्धि आदि। मंत्री महोदय ने कहा कि वर्ष पर बहुत कड़ा नियन्त्रण रखा जा रहा है और केवल ऐसे ही कामों में खर्च किया जाता है जो अनिवार्य हैं।

मूल्य ह्रास आरक्षित निधि में और वर्षों की तरह ४५ करोड़ रु० जमा किए गए हैं। इस प्रकार अब १४ करोड़ ७५ लाख बचत की आशा है। यह राशि विकास-निधि में जमा कर दी जाएगी। चारू वर्ष में निर्माण-कार्य, मशीन और चल-स्टॉक पर खर्च का संशोधित अनुमान १९६ करोड़ १० लाख रु० है, जो बजट में स्वीकृत राशि से ३९ करोड़ ८ लाख रु० कम है।

मंत्री महोदय ने कहा कि १९६०-६१ के अन्त तक मूल्य ह्रास आरक्षित निधि और और राजस्व आरक्षित निधि में अनुमानतः लगभग ७१ करोड़ रु० होंगे। मूल्य ह्रास आरक्षित निधि दूसरी योजना के शुरू में ९८



रोड़ ह० की राशि में आरम्भ की गई थी । प्रथम अनेक कारणों से इस राशि में से काफी पया खर्च हुआ है और वर्ष के अन्त तक इसमें लगभग १८ करोड़ ह० बाकी रहेंगे । मंत्री महोदय ने कहा कि मूल्य ह्रास आरक्षित निधि में काफी राशि जमा करने की आवश्यकता को मैं समझता हूँ । इस मामले को और बहुत-से महत्वपूर्ण मामलों के साथ विवेक रूप में अगली अभिसमय समिति में रखा जाएगा ।

राजस्व आरक्षित निधि में कोई गड़बड़ नहीं है और उनमें ५३ करोड़ ह० बाकी होंगे । मंत्री महोदय ने कहा कि १९५९-६० में मीमांसा राजस्व में १० करोड़ ८८ लाख ह० का जो आम्हारी ऋण विकास निधि के लिए लिया गया था वह पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि चान्द्र वर्ष के संशोधित अनुमान में वचत कम होने की आशा है । अतएव यह ऋण बढ़ाकर १४ करोड़ ८५ लाख ० कर दिया जाएगा । अगले वर्ष भी ऋण की आवश्यकता होगी, लेकिन उमकी राशि कुछ कम होगी ।

#### अभिसमय समिति

मंत्री महोदय ने बताया कि १९५४ की अभिसमय समिति ( कन्वेंशन कमेटी ) का कार्यकाल ३१ मार्च, १९६१ तक है । उन्होंने कहा कि मैं अगली अभिसमय समिति नियुक्त करने की प्रार्थना करूंगा जो मौजूदा अभिसमय में हुए काम को समीक्षा करे तथा १९६१ में १९६६ तक के अगले अभिसमय के लिए अग्रिम सिफारिशें करे ।

#### वेतन आयोग की सिफारिशें

मंत्री महोदय ने बताया कि वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में वार्षिक खर्च में लगभग १३ करोड़ ह० की वृद्धि होगी । १९६०-६१ के बजट अनुमानों में वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अगले बजट वर्ष में तथा चालू वर्ष में १ जुलाई, १९५९ में वर्ष के अन्त तक भत्तों आदि का भुगतान करने के लिए लगभग २० करोड़ ह० की व्यवस्था की गई है ।

वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों की जल्दी में जल्दी लागू करने के लिए विवेक व्यवस्था कर दी गई है । फिर भी चान्द्र वर्ष में काम चलाने तथा भुगतान करना सम्भव नहीं है । यह भुगतान अगले वर्ष

ही किया जाएगा जिसमें चालू वर्ष की राशि भी शामिल होगी ।

#### १९६०-६१ के बजट अनुमान

१९६०-६१ के बजट अनुमानों के सम्बन्ध में रेल मंत्री ने बताया कि यात्री-यातायात में चालू वर्ष में जो वृद्धि शुरू हुई थी, वह कायम रह सकती है । अतएव १९६०-६१ में यात्री-यातायात में १२५ करोड़ ५० लाख ह० की आय का अनुमान लगाया गया है, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान में १ करोड़ ४२ लाख ह० अधिक है । पार्सल आदि की दुलाई से २५ करोड़ ह० की आय का अनुमान है, जो करीब-करीब चालू वर्ष के अनुमान के बराबर हुई है । अगले वर्ष माल-यातायात में १ करोड़ ७० लाख टन की वृद्धि होने की आशा है । इस आधार पर मौजूदा माल-भाड़े की दर में माल-यातायात में २९१ करोड़ ह० आय का अनुमान लगाया गया है, जो चालू वर्ष से २७ करोड़ ह० अधिक है । फुटकर आय का अनुमान १० करोड़ ह० का है, जो चान्द्र वर्ष के संशोधित अनुमान के बराबर है । माल-यातायात में यदि थोड़ी वृद्धि कमी भी हो जाए तो भी यातायात में १९६०-६१ में मौजूदा किराये-भाड़े की दर के आधार पर ४५० करोड़ ५५ लाख ह० की कुल प्राप्ति का अनुमान है ।

१९६०-६१ में माधारेण मचालन-व्यय का अनुमान ३२६ करोड़ ९० लाख ह० है जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान की राशि २९१ करोड़ ९२ लाख ह० से ३४ करोड़ ९८ लाख ह० अधिक है । व्यय वृद्धि के इन अनुमान में २० करोड़ १२ लाख ह० की वह राशि भी शामिल है, जो वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप १ जुलाई, १९५९ में ३१ मार्च, १९६१ तक कर्मचारियों को दी जाएगी । पब्लिक कैरियर की तरह माल की जीवित उठाने की रेलों में जो जिम्मेदारी ली है, उनके लिए १९६०-६१ में १ करोड़ ह० की व्यवस्था की गई है । इसके अनिश्चित माल-यातायात में वृद्धि होने के कारण भी कुछ खर्च बढ़ेगा ।

चान्द्र लाइनों के निर्माण पर १४ करोड़ ह० व्यय का अनुमान है । पूंजीगत व्यय में कुछ और वृद्धि होने के कारण सामान्य राजस्व में २ करोड़ ७५ लाख ह० अधिक देने होंगे ।

वेतन आयोग की सिफारिशों आदि के कारण बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के बाद शुद्ध वचत अनुमानत केवल ४ करोड़ ५० लाख ह० के करीब होंगे, जो थिकाने निधि में जमा कर दी जाएगी ।

#### माल के जोखिम की जिम्मेदारी

पब्लिक कैरियरों की तरह रेलों द्वारा माल के जोखिम की जिम्मेदारी उठाने के बारे में भाडा-दर जाच समिति ने जो सिफारिशें की थी, उनकी जाच अब पूरी हो चुकी है । व्यापारियों की भी बहुत अमें से यह मामल रही है । अतएव इस सिफारिश पर अमल करने का विचार है और उसके लिए जल्दी ही आवश्यक विधेयक पेश किया जाएगा ।

मंत्री महोदय ने कहा कि इन बढती हुई जिम्मेदारियों के कारण यह आवश्यक है कि माल-भाड़े की दर में उपयुक्त परिवर्तन किया जाए ।

माल-भाडा दर जाच समिति की सिफारिशों पर अमल के सम्बन्ध में बोलते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि समिति ने भाडे में १३ प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी, लेकिन माल-भाडा अधिक न बढ़े, इसलिए केवल ४ प्रतिशत वृद्धि ही की जा रही है । जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मौजूदा स्थिति में खनिज वस्तुओं, नैतिक सामान, डाक और रेलों के अपने सामान को छोड़कर पहली अप्रैल में वाकी सब माल तथा कोयले की भाडा-दर में प्रति टनका पीछे ५ नये पैसे का भाडे चार्ज लगाया जाएगा । उन्होंने कहा कि माल में यह वृद्धि औसतन ५ नये पैसे प्रति टन से भी कम, यानी लगभग १/८ नया पैसे प्रति टन देवेगी । इन वृद्धि में प्रति टन लगभग १४ करोड़ ह० की आय का अनुमान है ।

मंत्री महोदय ने कहा कि मैंने जानबूझ कर यह ध्यान रखा है कि यथासम्भव कम रखा है ।

निर्माण-कार्य, मशीन और चल-स्टाक पर बजट में २२२ करोड़ ८१ लाख ह० व्यय का अनुमान है । इसमें से चल-स्टाक के लिए ७९ करोड़ ६ लाख ह०, मशीनों के लिए ४ करोड़ ६४ लाख ह०, नई लाइनों बनाने तथा उमकी हुई लाइनों को फिर से बिछाने के लिए ५५ करोड़ ८६ लाख ह०, पट्टियों की मरम्मत के लिए २७ करोड़ २० लाख ह०, चाल लाइनों पर और कामों के लिए ५४ करोड़ ३० लाख

१० रक गए हैं। रेल उद्योगियों के लिए २ करोड़ २० लाख १० तथा वर्गमार्गियों को सुविधाओं और वर्गमार्गियों के बसों के लिए १ करोड़ १० को व्यय का भी गई है।

### ईपन के खर्च में बर्बादी

रेल ड्राग खर्च किए जाने वाले बोयले के मन्वय में लगभग १९५८ में विनोद गमिनि ने जो ४१ निष्कारियों की थी, उनमें से चार को छोड़कर बाकी सब स्वीकार कर ली गई है और उन पर अन्त किया जा रहा है। रेलों में एक मण्डल बनाया है, जो इन बात को निगरानी करेगा कि रेलों में उनी बिम्बा का बोयला क्या काम देगा रेलों के लिए चाहिए। रेल बोयला मन्वय करने वाला में एक टैंक करेगी, जिसमें कि मगब माल मिलन पर वे मूद कर-बाई कर गने और बोयला-नियन्त्रक पर नियंत्रण न रहे। मन्वी महोदय ने कहा कि यह जरूरी है कि बोयला धीने के कारणों जल्द में जल्द बनाए जाए, जिसमें कि रेलों को बचाव अच्छी बिम्बा का बोयला मिले गये।

### विदेशी मन्वयता

रेलों को विदेश में प्राप्ता होन वाली मन्वयता के बारे में रेल मन्त्री ने बताया कि अमरीका की विचारण प्रण निर्धि में ३ करोड़ डालर के एक और ऋण के बारे में बातचीत करीय-करीय पूरी हो चुकी है।

विश्व बैंक में ८ करोड़ ५० लाख डालर का जो ऋण मिनम्बर १९५८ में मिला था, उसका पूरी तरह में उपयोग किया जा चुका है। जुलाई १९५९ में विश्व बैंक में ५ करोड़ डालर का एक और ऋण मिला।

### अधिक आधुनिकता

रेल मन्त्री ने कहा कि रेलों में अधिक नें अधिक आधुनिकता होने की नीति अपनाई है। इस मन्वय में हुई प्रगति को मनीषा करने हुए, उन्होंने कहा कि चित्तूरजन रेल ड्रेजन कारखानों में ७ हजार टन क्षमता वाला द्रव्यता का एक प्लाई कारखाना बनाया जा रहा है, जिस की क्षमता १० हजार टन तक हो सकेगी।

चित्तूरजन कारखानों में चालू वर्ष में १७३ और अगले वर्ष १९८ इन्जन तयार होने की आशा है। मन्वय, टेलको चालू वर्ष में १०० इन्जन दे देगा और इतने ही इन्जन अगले वर्ष तयार करेगा। मन्त्री महोदय ने बताया कि

टेलको ड्राग १ अग्रे, १९५८ में ३१ मार्च, १९५० तक मन्वय किए जाने वाले इन्जनों का मन्वय निर्धारित करने के लिए जो पंच नियुक्त किया गया था उनमें एक इन्जन का मूल्य ३ लाख ८० हजार ९१७ रु० निर्धारित किया है। टेलको में ३ लाख ९२ हजार ८६१ रु० मार्ग में और रेल मन्डल में ३ लाख ७४ हजार ९९४ रु० देने वाले थे।

### चल स्टार का निर्माण

स्टीम इन्जनों में आधुनिकता का जिक्र करने हुए मन्त्री महोदय ने कहा कि अब हम दुनने इन्जन मन्वय करने लगे हैं कि कुछ नियमित भी कर गये हैं। हमारे इन्जनों का स्टैंडर्ड ऊंचा है और दाम मुताबिक में ठीक है। इसी तरह माट्ट डिब्बे और मवारी डिब्बे भी हम अपनी आवश्यकता के अनुसार तैयार बनाने लगे हैं, अब निर्माण के लिए भी बना सकते हैं।

१९५८-५९ में रेलों द्वारा की गई परीद का उल्लेख करते हुए मन्त्री महोदय ने बताया कि ऋषि माल और इस्पात को छोड़कर कुल परीद का केवल १० प्रतिशत ही विदेशों में मंगाया गया। रेल प्रशासन को कुछ समय चिंते छोड़ें उद्योगों में ही मशीनें के लिए हिदायते दी गई हैं।

मन्त्री महोदय ने यह भी बताया कि लोहे की जो चीजें रही हैं जानी हैं, उन्हें रद्दी करके बेचने की बजाय ठीक करने उपयोग में लाने के लिए रेलों में विनियम प्रचलन शुरू किया है। बड़ी लाइन के जो एक्सिल और इस्पात के स्टीयर कुछ घिस जाते हैं, उन्हें ठीक करने छोटी लाइन पर काम में लाया जाता है।

### उत्पादकता विभाग

रेल मन्डल के नगरालय में एक उत्पादकता विभाग खोला गया है, जिसका काम चित्तूरजन कारखानों में उत्पादन बढाने के लिए दिए जाने वाले बोनस को पद्धति को और रेल कारखानों में भी मुरु करके उत्पादकता बढाना है। यह कदम मजदूर मन्त्री को राय से उठाया गया है और इस काम में उनका पूरा सहयोग है।

रेलवे के अनुसंधान, डिजाइन और मानक मण्डल का काम और बढाया गया है। अनुसंधान तथा गिरिषक विकास के कार्यमन्त्री के बारे में मन्वय देने के लिए तथा वैज्ञानिकों की एक

बनाने का निश्चय किया गया है।

माल यातायात में मुधार के लिए बहुतसे उपाय किए गए हैं। बहुतसे सामानों की दुलाई में रियायते दी जाती हैं। ये रियायतें १६ और चीजों पर दी गई हैं। निर्यात के लिए भेजे जाने वाले माल को जल्दी से जल्दी दुलाई हो सके, इसके लिए एमं माल को प्राथमिकता की श्रेणी में रख लिया गया है।

### दशमिक प्रणाली

रेलों में १५ मिनम्बर, १९५७ से रेल किराया दशमिक मिनकों में लेना शुरू कर दिया है। १ अक्टूबर, १९५८ में माल-भाडा भी दशमिक मिनकों में लिया जाता है। पहली अप्रैल १९६० में रेलों का व्यावसायिक विभाग नाग-गोल की भी दशमिक प्रणाली अपना लेगा।

### यात्रियों को सुविधाएं

रेल मन्त्री ने कहा कि मुझे यह बताते हुए काफी हर्ष है कि रेलों में भी ३ को काफी कम कर दिया गया है। १९५८-५९ में १७० नयी गाडिया चलाई गईं तथा ८५ गाडियों का यात्रा-मार्ग बढाया गया। चालू वर्ष में १ दिसम्बर, १९५९ तक १७८ नई गाडियों चालू की गईं तथा ११८ गाडियों का यात्रा-मार्ग बढाया गया।

५०० मील से अधिक दूरी की यात्रा करने वाले तीवरे दर्जे के यात्रियों को बिना अतिरिक्त चार्ज के सोने की जगह को व्यवस्था के बारे में मन्त्री महोदय ने कहा कि उद्देश्य यह है कि दूर की यात्रा वाली हर गाड़ी में कम से कम एक ऐसा डिब्बा जरूर हो। उन्होंने बताया कि बड़ी लाइन के २०० सोने के डिब्बे तथा इतनी ही मन्वया में छोटी लाइन के भी सोने के डिब्बे बनाने का आर्डर दे दिया गया है। ये डिब्बे मंथे डिजाइन के होंगे।

### रेल-बुर्घंडा

रेल मन्त्री ने इस बात पर संतोष प्रकट किया कि चालू वर्ष में कोई बड़ी रेल-बुर्घंडा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यातायात में जिनकी वृद्धि हुई है, उनको देखते हुए स्थिति सतोषजनक है। लेकिन फिर भी इस दिशा में गमि-लता नहीं है और रेल-यात्रा को अधिक नें अधिक सुरक्षित बनाने के लिए बराबर दिया जा रहा है तथा राज्य सरकारों गत्योग प्राप्त किया जा रहा है।

ग्रहणाचार को खत्म करने के लिए बराबर स्थल जारी है। व्यापार मंडलों, अधिकांशियों या रेल कर्मचारियों के सहयोग में ग्रहणाचार को बिल्कुल खत्म करने के प्रयत्न काफी कारगर हो रहे हैं।

मन्त्री महोदय ने डम वात पर दुख प्रकट किया कि बराबर प्रयत्न करने के बाद भी त्रजीर शीघ्र कर गाठी रोकने की घटनाओं में कमी नहीं हुई है, बल्कि वे बढ़ ही रही हैं। बिना टिकट यात्रा करने का मिलाजिला भी अभी जारी है।

### कर्मचारियों को सुविधाएं

द्रुमती योजना के पहले तीन वर्षों में कर्मचारियों के लिए ३६ हजार क्वार्टर बनाए जा चुके हैं और बाकू वर्ग में ९ हजार और क्वार्टर बनने की आशा है। १९६०-६१ में १० हजार क्वार्टर बनाने की व्यवस्था की गई है। इस तरह योजना के अन्त तक ५५ हजार क्वार्टर बन जाएंगे। मन्त्री महोदय ने बताया कि रेल-कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, उनके रहने के लिए छात्रावास बनाए गए हैं, रेल कर्मचारियों को ट्रेनिंग के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं, पहलगाव में एक छुट्टीघर बनाया गया है तथा खेल-कूद को प्रोत्साहन देने के लिए रेलों में विविध सुविधाएं दी हैं।

### अभ्यसम्बन्ध

रेल प्रशासन और रेल-कर्मचारियों के सम्बन्ध पुरे वर्ष बहुत अच्छे रहे। दुर्भाग्य से रेल कर्मचारियों के दो गधों को एक करने के प्रयत्न मफल नहीं हो सके। आन्दारकार अगस्त १९५९ में यह निर्णय करना पड़ा कि अगिल भारतीय रेल कर्मचारी गध (आन्ड इण्डिया रेलवे मेंग फेडरेशन) को भी बही सुविधाएं दी जाए, जो भारतीय राष्ट्रिय रेल कर्मचारी गध (नेशनल फेडरेशन आफ इण्डिया रेलवे-में) को प्राप्त है। उन्होंने कहा कि मुझे अब भी आशा है कि ये दोनों गध एक हो जाएंगे। मुझे विश्वास है कि इनकी एकरा कर्मचारियों के लिए शिकायती गिद्ध होंगी।

मन्त्री महोदय ने बताया कि प्रबन्ध के काम में मन्त्रियों के शिमा म्ने के बारे में विचार करने के लिए एक विविध अरिचारी नियुक्त किया गया था। उम्ने अपनी रिपोर्ट और प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं, जो विचारार्थित हैं।

## रेल के व्यापारिक विभाग में मेट्रिक माप-तोल

**भा**तीय रेलों के व्यापारिक विभाग १ अप्रैल, १९६० में माप और तोल की मेट्रिक प्रणाली अपना लगे। यह सूचना रेल मण्डल की २१ फरवरी की एक विज्ञप्ति में दी गई है।

उस दिन से यात्रियों के किराये की तालिका में किराये मीलों के स्थान पर किलोमीटरों के हिसाब से दिए जाएंगे। एक किलोमीटर ०.६२ मील के बराबर होता है।

यात्रियों के किराये पर जो कर लगता है, वह १५, ३० और ५० मील की दूरी के स्थान पर, २५, ४९, और ८०५ किलोमीटर के हिसाब से लगाया जाएगा।

माल-भाडा भी क्विंटल (१०० किलो-ग्राम) के हिसाब से लिया जाएगा। एक क्विंटल लगभग २ मन २७ सेर के बराबर होता है।

कोयला ले जाने की दूरी भी प्रति टन के स्थान पर प्रति मेट्रिक टन के हिसाब से सूचित की जाएगी। एक मेट्रिक टन १,००० किलो-ग्राम या लगभग ०.९८ टन के बराबर होता है।

माप और तोल की मेट्रिक प्रणाली अपनाने के फलस्वरूप यात्रियों के किराये और माल-भाडे में कुछ मामूली परिवर्तन होगा। यह परिवर्तन अनिवार्य है, पर यह कोटिग की गई है कि यह कम से कम हो।

यात्रियों के किराये और माल-भाडे की छठी हुई तालिकाएं, जिनमें किलोमीटरों के हिसाब से किराया और भाडा दिया होगा, मार्च १९६० के आरम्भ में वित्री के लिए उपलब्ध की जाएगी।

पट्टी के माप-माप मीलों के जो नियान लगे हैं, उनका भी धीरे-धीरे किलोमीटरों में बदला जा रहा है।

मालगाडियों के डिब्बों पर बजन आदि की जो सूचना लिखी रहनी है, वह भी मेट्रिक टिगाव में अंकित की जा रही है।

### उत्तर-पूर्व सीमांत में नयी रेल लाइन

रेल मण्डल ने खजूरियाघाट और मालदा के बीच २३ मील लम्बी नयी रेल लाइन बिछाने की मजूरी दे दी है। यह काम उत्तर-

पूर्व सीमांत रेल प्रशासन को मीपा गया है।

५० बगाल में पूर्व रेलवे के तिलदगा से उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे के मालदा तक रेल की लाइन बिछाने की योजना है। यह लाइन फरक्का और खजूरियाघाट से होकर गुजरेगी। इस योजना के अन्तर्गत ही उक्त मजूरी दी गयी है। जब यह लाइन बिछकर तैयार हो जाएगी तब कलकत्ता से मालदा और उससे आगे के क्षेत्र तक जाने की दूरी में लगभग १०० मील की कमी हो जाएगी। इससे हावडा तक की मुख्य लाइन पर यातायात की भीड़ भी कम होने की आशा है।

मन् १९४७ में विभाजन के बाद अगाम और पश्चिम बगाल के उत्तरी जिले में देश के बाकी भागों तक रेल यातायात बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो गया था। ५० दिनाञ्चुर और मालदा जिलों तक मनिहारीघाट में चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। उक्त लाइन के बिछ जाने से मीघे यातायात की सुविधा हो जाएगी।

### रेलों की छोटी लाइनों के लिए इंजन और डिब्बे

१६ ५९-६० में भारतीय रेलों की छोटी लाइनों के लिए ९८ इजनों, ९५६ मवारी गाडी के डिब्बों और १४८ माल डिब्बों (चार पहियों वाले) की जरूरत हुई।

१ अप्रैल, १९५९ में २१ दिमम्बर, १९५९ तक देश में ८० इजान, ४०२ सवारी गाडी के डिब्बे और ३७० माल डिब्बे (चार पहियों वाले) बनाए गए।

यह सूचना रेल उपमन्त्री, श्री गान्धनवाज खा ने एक प्रसन्न के लिखित उत्तर में २३ फरवरी को लोकसभा में दी।

### उत्तरी रेलों पर आउट-एजिसियाँ

रेल उपमन्त्री, श्री रामस्वामी ने १८ फरवरी को प्रश्नोत्तर के मध्य लोकसभा में बताया कि उत्तरी रेलवे क्षेत्र में १०,००० या डममें ज्यादा की आवेदनी वाले बम्बों में, जो स्टेशनों में ५ मील में ज्यादा की दूरी पर हैं, २१ आउट-एजिसिया खालू हैं।

उन्होंने कहा कि रेल प्रशासन में मीघी ही ज्यादा में ज्यादा आउट-एजिसियाँ खालू की पठा गया है।

## रेल कारखानों में मचारी दिव्यों का निर्माण

२६ फरवरी को लोभमभा में रेल उपमंत्रि, श्री माहनवाज सा ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि अक्टूबर १९५९ में डिसेम्बर १९५९ के अन्त तक रेल के मचारी दिव्यों का विस्तार भी निर्माण नहीं किया गया।

श्री माहनवाज सा ने बकवच्य में बताया कि इन अवधि में नौमने दर्जे के ८८९, मचारी दिव्ये बनाए गए हैं। इसमें गांने वाले दिव्ये भी शामिल हैं। ८८९ दिव्यों में में ५३८ दिव्ये बड़ी लाइन के, २३३ छोटी लाइन के और ३८ मचारी लाइन के थे। फेब्रुअरी के रेल के मचारी दिव्ये कार्यक्रमों में बड़ी लाइन के ३१६ दिव्ये, बगलौर के इन्डुस्त्रियल एम्पलायमेंट में बड़ी लाइन के १५६ दिव्ये और सेमने जेम्बर एक्ट काननी, कलकत्ता में छोटी लाइन के तीसरे दर्जे के १९३ दिव्ये बनाए गए। विभिन्न रेल कारखानों में १०६ बड़ी लाइन के, ८० छोटी लाइन के और ३८ मचारी लाइन के दिव्ये बनाए गए।

बकवच्य में बताया गया कि इन अवधि में छोटी लाइन के पहले दर्जे के ५ दिव्ये बनाए गए, विन्तु दूसरे दर्जे के कोई दिव्ये नहीं बनाए गए। बकवच्य में यह भी बताया गया कि ये दिव्ये किस हिसाब में विभिन्न शोधों को दिए गए।

## तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए सोने की सुविधाएं

केंद्रीय रेल उपमंत्रि, श्री माहनवाज सा ने २५ फरवरी को राज्यमभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि तीसरे दर्जे के यात्रियों के गांने के मचारी-दिव्ये बनाये जा रहे हैं। जेने ही ये दिव्ये बनकर तैयार हो जाएंगे, वैसे ही ये सुविधाएं छोटी और बड़ी लाइन पर ५०० मील में अधिक दूर की रेलगाडियों में दी जाएंगी।

उपमंत्रि ने सदन के मम्मुख एक विवरण पेश किया, जिसमें उन गाडियों का ब्योरा दिया गया है, जिनमें वे सुविधाएं मिलेगी। बड़ी लाइन की दस रेलगाडियों और छोटी लाइन की चार रेलगाडियों में तीसरे दर्जे के तीन वर्ष वाले दिव्ये लगाये जाएंगे। नये डिजा-

इन के दिव्ये बड़ी लाइन की दो और छोटी लाइन की एक गाड़ी में चल रहे हैं।

तीसरे दर्जे के दो वर्ष वाले मोने-बैठने के दिव्ये बड़ी लाइन की ३ गाडियों और छोटी लाइन की चार गाडियों में काम में लाए जा रहे हैं।

## रेलो द्वारा इस्पात की कतरनों का उपयोग

रेल उपमंत्रि, श्री माहनवाज सा ने १८ फरवरी को लोभमभा में बताया कि रेल कारखानों में मात्तना लगभग १,३६,००० टन इस्पात की बनने में विस्तृत हैं और उन कतरनों को फेंकने की बजाय काम में लाने की एक योजना भारत सरकार ने बनाई है।

श्री माहनवाज सा ने योजना के बारे में विस्तार में बताते हुए कहा कि इस्पात, खान और ईंधन मन्त्रालय के सहयोग में तैयार की गयी मगोपित योजना में रेल के लिए सामान तैयार करने में अधिक से अधिक इस्पात की कतरनें काम में लाने की व्यवस्था की गई है। योजना के अनुसार इन कतरनों से रिस्टन रॉड, स्पाइड बार, पूरा, बड़ी लाइन के स्लीपर आदि रेल वर्कनाप में बनाये जाएंगे।

## रेल विभाग द्वारा कोयले की राख की बिक्री

रेल उपमंत्रि, श्री माहनवाज सा ने १६ फरवरी को राज्यमभा में बताया कि कोयले की राख की बिक्री से विभिन्न रेलों को हर साल लगभग ५१ लाख ८२ हजार १८३ रु० मिलता है। उपमंत्रि महोदय एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

उपमंत्रि महोदय ने कहा कि साधारणतया रेल के कामों में ही इस्तेमाल होती है। जो राख बचती है, उसे नीलाम कर दिया जाता है या टैंडर द्वारा बेच दिया जाता है। रेल विभाग की जरूरत से अधिक होने पर वह राख भी बेची जाती है, जिसमें जले हुए कोयले के आवे द्य में छोटे टुकड़े होते हैं। पर यह राख विभाग-कामों में लगी हुई सहकारी समितियों, ग्राम उद्योग आयोग आदि सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थाओं को बेची जाती है।

मभा और संसद के सदस्यों का प्रमाणपत्र होने पर यह राख स्कूलों, छात्रावासों और सार्व-जनिक संस्थाओं को भी बेची जाती है।

## सड़कों से माल के यातायात का सर्वे

यातायात नीति और समन्वय समिति ने संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से सड़क में माल की दुलाई के बारे में आंकड़े जमा किए हैं कि सड़कों से किस प्रकार का तथा कितना माल भेजा तथा मगाया जाता है। समिति ने ये आंकड़े चुनी हुई सड़कों का सर्वे करके जमा किए हैं। अमृतसर-दिल्ली, दिल्ली-कानपुर और कलकत्ता-पटना सड़कों का सर्वे हो चुका है।

योजना आयोग ने श्री के० सी० नियोगी की अध्यक्षता में इस समिति की स्थापना की थी।

इस समय बम्बई-बगलौर सड़क का सर्वे किया जा रहा है। आंकड़े जमा करने के लिए १२ चौकियां स्थापित की हैं। माल ले जाने वाली सभी कारियां तथा ट्रैक्टर यहां रोक लिये जाते हैं तथा उनके माल के परिमाण तथा किसम की जाच करके उनके आंकड़े जमा किए जाते हैं। ये गाड़िया कहां से चली हैं तथा उनका गतव्य स्थान क्या है, तथा किस प्रकार के पर-मिट के अंतर्गत ये कारिया काम कर रही हैं, इन बारे में आंकड़े जमा किए जाते हैं।

यह सूचना यातायात नीति और समन्वय समिति की १४ फरवरी की विज्ञापि में दी गई है।

## मध्य रेल के नये जनरल मैनेजर

रेल मन्त्रालय की १८ फरवरी की एक विज्ञापि में बताया गया है कि श्री आर० बी० डाल के स्थान पर श्री डी० आर० सत्रा, चीफ आपरेटिंग सुपरिंटेंडेंट, मध्य रेलवे को जनरल मैनेजर नियुक्त किया गया है। श्री डाल ने अबकाय प्रहण कर र

## नदी योजनाएं और बिजली

### सचाई के साधनों का पूरा उपयोग: विशेषाधिकारियों की रिपोर्ट

केन्द्रीय मिचाई और बिजली उपमंत्री, श्री जयमुललाल हाथी ने १५ फरवरी को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि मिचाई के साधनों के उपयोग के बारे में विशेषाधिकारियों को मुख्य मिफारियों की ओर राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया गया है। उपमंत्री महोदय ने कहा कि मिचाई के साधनों के विकास का काम राज्य सरकारों के जिम्मे होने के कारण उनमें इन बारे में उचित कार्रवाई करने को कहा गया है।

श्री हाथी ने एक बक्तव्य भी सदन की मेज पर रखा। बक्तव्य में विशेषाधिकारियों की नाम-नाम मिफारियों दी गयी है। सिफारियों दम प्रकार है —

(१) पिछली पड़ताल में जिन खेतों तक पड़ताल हो चुकी है, वहां तक या उनके पास तक मिचाई के लिए गूले बनाई जाए, (२) अनिवार्य मिचाई-गुलक लिया जाय, (३) पहले माल मिचाई-गुलक में रियायत दी जानी चाहिए, (४) प्रदर्शन और अनुभवान में बनाने चाहिए, (५) उर्वरक, अच्छे किस्म के बीज, मंत्रों के आधुनिक औजार और फलक को मरुत करने वाले कौड़े मारने की दावा दी जानी चाहिए, (६) बाजार में अनाज ले जाने के लिए अच्छी यानायायन व्यवस्था और बिक्री के लिए अच्छी हाट-बजबस्था होनी चाहिए, और (७) मंत्रों, राजस्व, महारानिना आदि विभागों को विभाग-पापों के लिए मिल-जुल कर आवश्यक प्रवस्था करने चाहिए।

#### मिचाई के साधनों का उपयोग

बक्तव्य में मिचाई के साधनों और उनका क्या किस उपयोग हुआ है, इसका ब्योरा भी दिया गया है। ब्योरा दम प्रकार है —

क्रम सं० राज्य का नाम

- १ आंध्र प्रदेश
- २ आसाम
- ३ बिहार
- ४ बम्बई
- ५ जम्मू-कश्मीर
- ६ केरल
- ७ मध्य प्रदेश
- ८ मद्रास
- ९ मैसूर
- १० उड़ीसा
- ११ पंजाब
- १२ राजस्थान
- १३ उत्तर प्रदेश
- १४ प० बंगाल

मार्च ५८ में कुल कितने एकड़ की सिचाई सम्भव थी

मार्च ५८ में कुल कितने एकड़ की सिचाई हुई

प्रति-शत

३,२२,७५४	१,७८,०६१	५५
कोई भी बड़ी या मध्यम योजना नहीं थी		
३,६४,५४०	३,००,२४०	८२
२,२८,७९२	१,३१,९५५	५९
१०,०००	३,३३०	३३
३,३३,३३६	३,२२,९३६	९८
२५,०००	१६,४०८	६६
४,४०,३०२	३,८३,६०२	८७
२,४३,५७१	१,२८,१३९	५३
२,०७,२००	१,३९,१६०	६८
२०,७०,३००	१६,८५,२१०	८२
२,८२,७००	२,२९,१४०	८१
१४,०७,७२०	१०,४१,४८६	७४
८,०१,५६०	४,९५,९४७	६२
कुल जोड़ :	६७,३९,७७५	७५

#### राज्यों की बाढ़ नियंत्रण की योजनाएं

केन्द्रीय सिचाई और बिजली मन्त्रालय ने राज्य सरकारों को कहा है कि वे अपने यहां की प्रत्येक नदी की बाढ़ के नियंत्रण के लिए विस्तृत योजना बनाएं। यह सूचना १५ फरवरी को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में केन्द्रीय मिचाई और बिजली उपमंत्री, श्री जयमुललाल हाथी ने दी।

श्री हाथी ने बताया कि जिन राज्यों ने बाढ़ नियंत्रण की दीर्घ योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है, उनके नाम दम प्रकार हैं — आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, जम्मू-कश्मीर (कश्मीर घाटी के लिए मास्टर प्लान और जम्मू योजना की रूपरेखा), केरल, पंजाब (बिबल दूरीय पंच-वर्षीय योजना के लिए), उड़ीसा (दूरीय योजना के बाद १५ बरों के लिए), उत्तर प्रदेश, और प० बंगाल (बिबल इन नदियों के लिए—

गोस्ता, नेरमा, रायदाक, महानदी, भागीरथी-हुगली और जलदाका)।

राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे बाढ़ की उच्च स्तरीय ममिति के मुद्दों के आधार पर अपनी योजनाओं की रूपरेखा फिर से तैयार करें।

#### चम्बल योजना की प्रगति

केन्द्रीय मिचाई और बिजली उपमंत्री, श्री जयमुललाल हाथी ने १५ फरवरी को लोकसभा में बताया कि अगस्त १९६० में चम्बल योजना के बिजलीघर में बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी और १९६० की गरीब की फलक की मिचाई भी हो सकेगी।

उपमंत्री महोदय ने चम्बल योजना की प्रगति के बारे में एक बक्तव्य सदन की मेज पर रखा।

वर्षा में बनाया गया है कि जनवरी १९६० तक चम्बल योजना के माध्य प्रदेश वाले भाग में वायीमाना बांध की विचारों का काम लगाने ८८ ८८ प्रतिशत पूरा हो चुका था। वायीमाना बांध के बिजलीघर का हमसंगी काम प्रायः पूरा हो गया है। बिजलीघर में उत्कृष्टतम बिजली के तार के लिए तार लगाने का काम भी लगभग पूरा हो गया है।

चम्बल योजना के रात्रगन्धान वाले भाग में दिसम्बर १०५० तक कोटा बांध में फाटक लगाने के अलावा मध्य निर्माण-कार्य पूरा हो गया था। फाटक लगाने के काम की प्रगति सर्वोत्कृष्ट है और १०५० की रात्रीय फाटक के लिए कोटा बांध में पानी मिलने लगता है। बिजलीघर में रात्रगन्धान के विभिन्न भागों को बिजली के तार के लिए तार लगाने के काम में पर्याप्त प्रगति हुई है। दाहिनी ओर बाईं मुख्य नहर के निर्माण का अधिकांश काम पूरा हो गया है।

**गंगुवाल घोर कोटला के बिजलीघर**  
गंगुवाल और बाटला बिजलीघर नगल नहर के बिनारे पर हैं। इन बिजलीघरों में नगल नहर के पानी की मदद में ८८-४८ हजार विजलीघर निर्माण होनी हैं, जो पजाब तथा केन्द्रशासित राज्य दिल्ली को दी जायेंगी हैं। नगल नहर में भारता जलामय के रात्रे गनल नदी का पानी आता है।

दोनों बिजलीघरों में आधुनिक ढंग के यंत्र लगे हुए हैं। गंगुवाल और कोटला बिजलीघरों में इस समय बिजली तैयार करने के दो-दो यंत्र हैं। अब १९६१ के आरम्भ में प्रत्येक में तीसरा यंत्र लगा दिया जाएगा। इसमें दोनों बिजलीघरों की बिजली तैयार करने की क्षमता १,५४,००० विजलीघर हो जाएगी।

जाड़ा में दिसम्बर १९५९ में फरवरी १९६० तक मलज नदी का पानी इतना कम हो गया था कि वह दोनों बिजलीघरों के लिए पूरा नहीं पडा, इसलिए नहर में भावडा जलामय में अनिक्ता पानी छोडा गया, ताकि दोनों बिजलीघर चालू रहे और आगं सेवों में सिंचाई भी बेसी प्रकार होनी रहे।

३ अक्टूबर में १० दिसम्बर, १९५९ तक बिजली तैयार करने तथा सिंचाई के लिए कुल ९,८४,७०० एकड़ फूट पानी दिया गया, अर्थात्

जलामय में मलज नदी के पानी के अलावा प्रति मेघपट औसतन ७,४६० घनफूट और पानी छोडा गया।

फिर ११ दिसम्बर, १९५९ में २० जनवरी, १९६० तक ७८,६०० एकड़ फूट, अर्थात् प्रति मेघपट ९,५८ घनफूट और पानी छोडा गया।

इनके बाद २१ जनवरी में १५ फरवरी तक १८,७१० एकड़ फूट, अर्थात् प्रति मेघपट १५० घनफूट पानी छोडा गया।

### राजगढ़ (राजस्थान) को भारत-हा-नगल से बिजली

राजस्थान में राजगढ़ में जो बिजलीघर बन रहा है, उसे मार्च १९६० के पहले गलाह में, भारत-हा-नगल में बिजली मिलने लग जायगी।

श्रीमगलनगर को १५ जनवरी में भावडा-नगल में बिजली मिलने लगी है और राजसिंहपुर, बंसारीसिंहपुर, कर्णपुर तथा रायसिंहनगर और अन्य स्थानों को बिजली पहुंचाने का काम चालू है। इसी प्रकार हनुमानगढ़, मगरिया मंडी और भूरतगड को भी बिजली देने की व्यवस्था की जा रही है। इन कामों के पूरे हो जाने पर राजस्थान के बीकानेर और श्री-गलनगर जिलों के सब स्थानों को भावडा-नगल में बिजली पहुंचने लगेंगी।

### नेपाल, भूटान और सिक्किम में जलविज्ञान केंद्र

भारत सरकार ने वाड-नियन्त्रण के लिए योजना बनाने के हेतु नेपाल, सिक्किम और भूटान में, वहां की सरकारों की सहमति

## खाद्य और कृषि

### अन्न-भंडारों के काम की शिक्षा

नयी दिल्ली में १ मार्च से अन्न-भंडारों के प्रबन्ध आदि की शिक्षा आरम्भ हो रही है, जिसमें केन्द्र और राज्यों के भंडार निगमों के लगभग १५० कर्मचारी लाभ उठाएंगे।

भंडारों के काम के लिए हाट और उपज के वर्गीकरण, रणयों के लेनदेन, सहकार और

से, कुछ जलविज्ञान तथा ऋतुविज्ञान केन्द्र गोंले हैं। यह सूचना १० फरवरी को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सिंचाई और बिजली उपमन्त्री, श्री जयमुख लाल हाथी ने दी। उन्होंने यह भी बताया कि अभी वहा और केन्द्र गोंलेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री हाथी ने सदन की मेज पर एक विवरण रखा, जिसमें बताया गया कि भारत सरकार ने नेपाल में ५८, मिक्किम में ३ और भूटान में २० केन्द्र गोंले गए हैं।

### आंध्र प्रदेश को सिंचाई और बिजली योजनाओं के लिए अनुदान

भारत सरकार ने १९५६-६० में आंध्र प्रदेश को सिंचाई और बिजली योजनाओं के लिए कुल ३९ करोड़ २५ लाख ६० की महायता दी है। इसमें १९५९-६० की निर्धारित रकम भी शामिल है।

इस धन राशि में से २४ करोड़ ९६ लाख ६० तागार्जुनसागर योजना तथा ११ करोड़ १० लाख ६० विभिन्न विकास योजनाओं के लिए दिया गया। अभावग्रस्त क्षेत्रों में सुधार के स्थायी कामों के लिए ३ करोड़ १९ लाख ६० की व्यवस्था की गई।

यह सूचना १५ फरवरी को लोकसभा में केन्द्रीय सिंचाई और बिजली उपमन्त्री, श्री जयमुखलाल हाथी ने एक प्रश्न के उत्तर में दी। श्री हाथी ने सदन की मेज पर एक बखतब्य भी रखा, जिसमें दूसरी योजना के अंत तक पूरी होने वाली आंध्र प्रदेश की बडी और मझली सिंचाई योजनाओं के नाम दिए गए थे।

को संभालकर रखने आदि के बारे में कर्मचारियों को अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इन कर्मचारियों को व्यावहारिक निष्पण के लिए चण्डीनी, भोपा, नयी दिल्ली और हाडुड के भंडारों में भेजा जाएगा।

अगस्त-नितम्बर, १९५९ में नयी तरह की निष्ठा की

## पशुपालन की नयी योजनाएं

कृषि अनुमधान परिषद की पशुपालन की पूर्वी और ममणीतोष्ण क्षेत्र समितियों की दो दिन की बैठक २२ और २३ फरवरी को लखनऊ में हुई। इसमें पशुपालन सम्बन्धी अनुमधान की २६ योजनाओं का विचार किया गया। बैठक में ३० प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें पूर्वी और ममणीतोष्ण क्षेत्रों के राज्यों के प्रतिनिधियों के अलावा भारत सरकार के अधिकारी और विशेषज्ञ भी शामिल थे। बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार के पशुपालन के आयुक्त श्री एल० महपाय ने की और उद्घाटन उत्तर प्रदेश के कृषि और सहकार मंत्री ने किया।

क्षेत्रीय समितियों के प्रतिनिधि समय-समय पर मिलते हैं और अपने क्षेत्र की पशुपालन सम्बन्धी अनुमधान समस्याओं पर बातचीत करते हैं। इन अवसरों पर विभिन्न राज्यों के कार्यकर्ताओं को परस्पर विचार-विमर्श का मौका मिलता है।

पूर्वी और ममणीतोष्ण क्षेत्रों की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण योजनाएँ सुझाई गईं। मसलन मवेशियों की कुछ सामान्य बीमारियों का उन्मुलन, मुर्गी के चारे आदि की जानकारी कराने, मछलियों की उत्पत्ति बढ़ाने आदि की योजनाएँ।



### औद्योगिक योजनाएँ

विकास क्षेत्रों की अल्पयन टोली की रिपोर्ट

सामुदायिक विभाग क्षेत्रों में औद्योगिक योजनाएँ बनाये जाने वाली अल्पयन टोली में सुझाव दिया है कि मन्थन में नगरों में उद्योगों का केन्द्रितरण होना चाहिए। उनका विस्तार देना ही ठीक है और इन मन्थन में क्षेत्रीय अधिकाधिक को पूरे अधिकार दिए जाएँ। टोली में अपनी रिपोर्ट में बता है कि २६ मन्थन देना ही ठीक है और उनका विस्तार की व्यवस्था

## केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद की बैठक

नवम्बर में २५ फरवरी को केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद की आठवीं वार्षिक बैठक हुई। बैठक में गोसंवर्धन सप्ताह मनाने, अधिक अखिल भारतीय दूध उत्पादन प्रतियोगिताएँ करने और अधिक चारा उपजाने की प्रतियोगिताएँ शुरू करने पर विचार हुआ। दूध न देने वाली गायों को शहरो से हटाने, गी-दालाएँ और पिजरापोल खोलने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ाने पर भी बैठक में विचार किया गया।

केन्द्रीय कृषि मंत्री, श्री सदासिव कान्होजी पाटिल ने इस अवसर पर पिछले साल की अखिल भारतीय दूध उत्पादन प्रतियोगिता के पहले चार विजेताओं को २-२ हजार ६०० का प्रथम पुरस्कार और दूसरे ४ विजेताओं को ५००-५०० ६० का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया।

[पशुपालकों को गायों की नसल सुधारने और पशुपालन के अच्छे तरीके अपनाने में प्रोत्साहन देने के लिए ये प्रतियोगिताएँ की जाती हैं। १० हजार ६०० के नकद इनामों और योग्यता के प्रमाण-पत्रों के अलावा, सबसे अधिक दूध देने वाली गाय के स्वामी को गोपाल-रत्न की उपाधि और पदक भी दिया जाता है।]

आजमाइशी योजनाओं में मंद किन्तु व्यापक प्रगति की है। इन पर जो धन व्यय किया गया है उससे लाभ हुआ है। टोली ने देहातों के उद्योग विकास कार्यक्रम और ग्राम सुधार के साधारण कार्यक्रम में मेल और एकीकरण को बहुत आवश्यक बताया है और इस बात पर जोर दिया है कि इन कार्यक्रमों का औद्योगिक विकास के सामान्य कार्यक्रम के साथ भी समन्वय होना चाहिए। टोली ने यह मत प्रकट किया है कि तीसरी योजना में प्रत्येक राज्य में छोटे उद्योगों के विकास कार्यक्रम में आजमाइशी योजनाओं को महत्व देना चाहिए।

रिपोर्ट में सिकरिडस की गई है कि तीसरी योजना में प्रत्येक विकास खंड में कम से कम ५ औद्योगिक सहकारी समितियाँ स्थापित की जाएँ और ३०० खानदानी कारीगरों को आर्थिक और शिल्पिक सहायता दी जाए। उद्योग विस्तार अधिकारी को विकास खंड स्तर पर कारीगरी के विशेषज्ञ और अन्य शिल्पिक व्यक्ति सहायता दें।

देश में कुछ ऐसे गाँव हैं, जहाँ व्यापार और उद्योगों की अच्छी प्रगति हो रही है। ऐसे गाँवों में 'सामान्य सुविधा केन्द्र' स्थापित किए जाएँ। इन क्षेत्रों में ग्रामीण या छोटी उद्योग बस्तियाँ बसाकर रोजगार का क्षेत्र बढ़ाया जाए। इन बस्तियों का प्रबंध किसी समिति या निगम को सौंपा जाए, जो क्षेत्र की औद्योगिक क्षमता को पड़ताल और उसका सुधार करे। योजना का ढांचा बनाने में सहायता करे, कारखानों की इमारत बनवाएँ तथा बिजली, रुपये और कच्चे माल का प्रबंध करे।

मार्च १९५९ के अन्त तक २६ आजमाइशी योजनाओं में से २५ काम कर रही थी। इन पर कुल ३ करोड़ ३० लाख ६० खर्च हुआ। ४२ प्रतिशत खर्च—नैसर्गिक (४६ लाख ६०), विहार नरीफ (२८.८ लाख ६०), और काकोनाडा-मेहापुरम (२२.१ लाख ६०) योजनाओं पर हुआ। ६ योजनाओं पर ३३ प्रतिशत और दूसरी ६ पर १५ प्रतिशत खर्च किया गया। ३९,००० व्यक्तियों को पूरा और ७९,००० को अंशकालिक काम दिया गया।

मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले तीन वर्षों में ४ करोड़ ६० लाख माल बनना, जिसमें से ३ करोड़ ५० लाख ६० की बिक्री हुई। ये मामलात गाम तौर में महत्वाची समितियों और

नहीं होनी, सब तक शहरो में लोगों का आना जारी रहेगा।

यह टोली सामुदायिक विभाग और महत्वाकर मंत्री के मन्दीय मन्थन, श्री रामाधर मिथ की अध्यक्षता में पिछले मास नुमाई में नियुक्त की गई थी। इनमें आजमाइशी योजनाओं की कार्य-योजना, मन्थन-पत्रों और अन्वय-पत्रों का अध्ययन किया। सामुदायिक विभाग मन्थनों में छोटे और बड़े उद्योगों के विभाग के उपायों पर विचार किया।

टोली ने अपनी रिपोर्ट में बता है कि अन्वय-पत्रों का ध्यान और बड़ियाइयों के बाबजूद

भारतीय उत्पादन केन्द्रों में तैयार हुआ। १,०३४ औद्योगिक मजदूरी गमनिर्माणा गण-  
ठित की गई और ३३,००० मजदूर बनाए गए  
तथा १४ लाख ६० दस्त (पेट अप) हिस्सा  
पूंजी जमा हुई। १० क्षेत्रों में छोटी उद्योग  
बनियोंने की स्वीकृति दी गई, जिनमें ७ पूरी  
ही गई हैं।

बिहार, मद्रास और केरल के कुछ क्षेत्रों में  
राज्य सरकारों की महानता में मामान बंधने  
का कार्यक्रम मरुतना में चल रहा है।

टोनी में मुस्ताव दिया है कि उहा बिजनी  
नहीं है या उमका अनाब है वहा पर पेनेबर या  
सातदानी धाम उद्योग मरुतनापूर्वक पनाए  
जा मरने हैं।

पेनेबर बागेशरी को उधार नहीं मिलना,  
स्मॉल बि गरीब हूने के बाण्य जमानत नहीं  
दे मरने। अत टोनी की गय में इस ममामना  
को टल मरने में प्रायमिजना देनी चाहिए।  
उहें अच्चे ओमर, बिजनी, बिनी आदि  
की महानता देनी चाहिए।

प्रत्येक बिबाम मर अरने क्षेत्र में इस बात  
की पडताल करे कि वहा पर कोन-या उद्योग  
लाभदायक हो मरना है। प्रत्येक मर में ऐसा

विस्तृत बाण्यक्रम बनाया जाए जो अन्य औद्यो-  
गिक विकाम बाण्यक्रमों की एक कडी के रूप  
में हो।

## विकस क्षेत्रों में फसलों की उत्पादन दर

पिछले चार वर्षों में मामुदायिक विकाम  
मण्डनों में मुख्य फसलों की उत्पादन  
दर अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक रही। यह  
तथ्य नेशनल सम्फल मर्गे के १९५५-५६ में  
१९५८-५९ तक के मर्गे से प्रकट होता है।

विबाम मण्डनों में मूहू के उत्पादन की दर  
२० प्रतिगत और धावल की उत्पादन दर  
१५ प्रतिगत अधिा रही। ज्वार की फमल में  
तो यह अन्तर और भी स्पष्ट हो जाता है।  
बिबाम क्षेत्रों में ज्वार की फमल की उत्पादन  
दर २५ प्रतिगत अधिा रही।

पहले वर्ष केवल उन विकाम मण्डनों में सर्वे  
किया गया, जो १९५३ तक स्थापित किए गए  
थे। १९५८-५९ में उगने लाभम तीन गुना  
अधिक क्षेत्र का मर्गे बिया गया।

मर्गे का एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया  
जा रहा है, जो नीच ही प्रकाशित कर दिया  
जाएगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अप्रैल  
१९५८ से मार्च १९५९ तक की मह रिपोर्ट  
२३ फरवरी की केन्द्रीय शिक्षा मंत्री, डा०  
कानुलाल श्रीमाली ने राज्यसभा के सामने  
रखी।

## कालेजों में प्रवेश

अपनी रिपोर्ट में आयोग ने कालेजों में प्रवेश  
के लिए कुछ सिद्धान्त निर्धारित करने की आव-  
श्यकता पर जोर दिया। इससे अनावश्यक रूप  
से विद्यार्थी कालेजों में भर्ती न हो सकेंगे और  
इस तरह राष्ट्रीय माधम बरबाद होने से बच  
जाएगा। आयोग का कहना है कि विश्वविद्यालय  
का प्रयोग प्रतीक्षालय की तरह नहीं किया  
जाना चाहिए, जिसमें नीकरी मिलने से पहले  
खाठी बंटे छात्र बचत काटने के लिए आकर  
भर्ती हो जाए।

रिपोर्ट में बताया गया है कि सम्भवतः अभी  
काफी समय तक उच्च शिक्षा के लिए हमें ऐसे  
विश्वविद्यालयों पर ही निर्भर करना पड़ेगा,  
जिनमें केवल पदानों की व्यवस्था हो या जिनके  
माथ कालेज सम्बद्ध हो। इसमें सन्देह नहीं कि  
आदर्श विश्वविद्यालय वही होगा, जहा छात्र  
रहते भी हों, लेकिन यह काफी खर्चीली व्यवस्था  
है। इसके साथ ही ऐसे विश्वविद्यालयों में जब  
छात्रों की संख्या ५,००० से अधिक बढ जाती  
है तो उनमें न तो शिक्षा ही सन्तोपजनक होती  
है और न प्रबन्ध ही ठीक हो पाता है। हाल के  
अनुभवों से पता लगा है कि छात्रों में अनुदासन-  
हीनता की अधिकांश घटनाएँ ऐसे ही विद्यालयों  
में हुई हैं।

## शिक्षकों की स्थिति में सुधार

आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि  
जिन विश्वविद्यालयों में छात्रों के रहने की भी  
व्यवस्था हो, उनमें छात्रों की संख्या सीमित  
रखने के बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए।  
साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विश्व-  
विद्यालयों में काफी योग्य छात्रों को ही दाखिला  
दिया जाए।

आयोग ने इस बात पर सतों प्रकट किया  
है कि अधिकांश विश्वविद्यालयों में शिक्षकों  
के वेतन-क्रम बढाए गए हैं। अपनी ओर से  
कुछ आर्थिक सहायता देकर शिक्षकों के वेतन-  
क्रम बढाने के लिए आयोग ने जो योजना रखी  
थी, उस पर विभिन्न राज्यों के २०  
विद्यालयों में अमल किया है।



# विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तीसरी  
रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च शिक्षा  
की बढती हुई माग को पूरा करने के लिए अधिक  
संख्या में नये कालेज खोलने की आवश्यकता  
है। इनमें से प्रत्येक कालेज में शिक्षा के लिए  
आवश्यक मध उपकरण होने चाहिए तथा  
विद्यार्थियों की संख्या इतनी होनी चाहिए  
जिसमें उनका पूरा ध्यान रखा जा सके।

रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्वविद्यालयों  
में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने वाले छात्रों  
की संख्या पिछले कुछ वर्षों से प्रतिवर्ष ५०  
हजार के हिसाब से बढ रही है। यदि संख्या  
इसी तरह बढती रही तो बहुत जल्द ही कुल  
संख्या १० लाख के करीब हो जाएगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि चार नये विश्व-  
विद्यालयों को शामिल करके १९५८-५९ में  
भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या ३५ थी।  
इसके अतिरिक्त आयोग की सिफारिश पर  
भारत सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान  
संस्था को भी विश्वविद्यालय घोषित कर दिया  
है। विश्वविद्यालयों के अग होने के नाते कालेजों  
को भी आयोग के अधिकार क्षेत्र में लाने का  
निर्णय जब से बना है, तब से ७१८ कालेज  
सम्बद्ध हो चुके हैं। इनमें से २६७ कालेजों में  
१९५८-५९ में अपने यहाँ शिक्षकों की तन-  
हवाही बढाने की योजना लागू की। इस योजना  
को पूरा करने के लिए आयोग ने लगभग १७  
लाख ६० दिवें।



बरी को शिक्षा मंत्री, डा० कालूशाल श्रीमाली ने एक विनोद ममारोह में पंजाब विश्वविद्यालय को भेंट की।

'अबुल कलाम आजाद' ट्राफी उस विश्वविद्यालय को दी जाती है, जो हर वर्ष राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सबसे अधिक छात्रों को भाग लेने के लिए भेजता है। मोलाना आजाद स्वयं खेलों को बढ़ाने में बहुत दिलचस्पी लेते थे, इसलिए यह पुरस्कार उन्हीं के नाम पर रखा गया है। १९५६-५७ में इसे चम्बई विश्वविद्यालय ने जीता था और अब दो माल में पंजाब विश्वविद्यालय जीत रहा है।

**आकाशवाणी में उर्दू का नया कार्यक्रम**  
**२२** करवरी से आकाशवाणी ने उर्दू का एक नया कार्यक्रम—उर्दू मजलिस शुरू किया। इसका उद्घाटन डा० राजेन्द्र प्रसाद ने किया। कार्यक्रम आधे घण्टे का होता है और इसमें नाटक, वार्ता, बहस, गंगीत

और समाचार दर्शन, यह सब प्रसारित किया जाता है।

उर्दू मजलिस की एक विशेषता यह है कि इसमें उर्दू साहित्य के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं का साहित्य भी उर्दू अनुवाद के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।



### हिमाचल प्रदेश और नागा पहाड़ियों में गलगण्ड की पड़ताल

**स्वा**स्थ्य मंत्रालय का गलगण्ड पड़ताल दल मार्च १९५९ से हिमाचल प्रदेश में पड़ताल कर रहा है। अब तक दल ने बिलासपुर, महाभू, मण्डी और सिरमौर जिलों में ३७,६७१ व्यक्तियों की जांच की। इनमें से १०,८७० व्यक्तियों के गले की गिल्टिया बड़ी हुई थी। इन जिलों की कुल आबादी ४०,२१० है और वहाँ २७२ गांव तथा ११९ स्कूल हैं।

एक और दल नागा पहाड़ियों में दिसम्बर १९५९ से पड़ताल कर रहा है। वहाँ अब तक १,५४० व्यक्तियों की जांच कर चुका है। इनमें से ४३३ के गले की गिल्टिया बड़ी हुई थी।



### पश्चिम बंगाल के विस्फापितों को शिविर छोड़ने का नोटिस

पश्चिम बंगाल के शिविरों में जो विस्फापित परिवार रह रहे हैं, उन्हें शिविर छोड़ने के लिए ९० दिन का नोटिस देने के बारे में केंद्रीय पुनर्स्थापन मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार में विंगी प्रकार का मतभेद नहीं है। राज्य और केंद्र के पुनर्स्थापन मंत्रियों के परामर्श के बाद ही नोटिस दिये गये हैं। इसलिए इन विषय में मतभेद के जो समाचार प्रकाशित हुए हैं, वे निराधार हैं।

यह सूचना केंद्रीय पुनर्स्थापन उपमंत्री,

ये दल कुछ क्षेत्रों को निर्धारित करेंगे, जहाँ के लोगों को आयोडीनयुक्त नमक दिया जाएगा। वहाँ यह नमक साधारण नमक के ही भाव पर दिया जाएगा और इस आयोडीन का खर्च भारत सरकार उठाएगी।

आयोडीनयुक्त नमक बनाने के लिए, संयुक्त राष्ट्र का अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष कारखाना देगा। यह साभर झील के निकट खड़ा किया जाएगा और इसमें नवम्बर १९९० से आयोडीनयुक्त नमक बनाया जाने लगेगा। इस कारखाने की क्षमता १६,००० टन होगी और इससे २७ लाख ५० हजार व्यक्तियों को आयोडीनयुक्त नमक मिल सकेगा।

दूसरी योजना में गलगण्ड की रोकथाम के लिए १८ लाख २० खर्च गये हैं।

श्री पूर्णेंद्र शंकर नस्कर ने २४ फरवरी को राज्यमन्त्रा में एक प्रश्न के उत्तर में एक वक्तव्य में दी, जो उन्होंने सदन की भेज पर रखा।

श्री नस्कर ने कहा कि शिविरों में रहने वाले विस्फापितों को नोटिस देना हमारी नीति के अनुकूल है और इस पर केंद्र और राज्यों के मंत्रियों में सलाह होनी रहती है। २९ दिसम्बर, १९५९ की पुनर्स्थापन मंत्रियों की बैठक में ये मुख्य निर्णय हुए :

(१) विस्फापित विभागों को ९० दिन की बजाय ६० दिन में दण्डकारण्य

### १९५६-६० में दिल्ली में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई

केंद्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान और मस्कृति उपमंत्री, डा० मनमोहन दास ने प्रश्नोत्तर के समय १९ फरवरी को लोकसभा में १९५९-६० में दिल्ली में हुई पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई का ब्योरा दिया।

डा० दास ने बताया कि निम्नलिखित स्थानों पर खुदाई हुई

(१) लाल कोट . आदम खां के मकबरे के पश्चिम भीतरी दीवार और लाल कोट की दीवार के जोड़ पर जो खुदाई हुई उससे पता चला कि जो नई दीवार मिली है वह किसी पुरानी गद्दी की है। जिम स्थान पर खुदाई नहीं हुई है, वहाँ पर पड़ा हुआ मलबा हटाने पर दो अर्ध-नूतकार बुरज मिले हैं। लाल कोट की दीवार में कुतुब मीनार के पूरव तक जो खुदाई निछले साल और इस साल हुई उससे पता चला है कि लाल कोट की भीतरी गद्दी जितनी ममगी जानी रहती है, उसमें वही अधिक मुद्द था। जिम ऊँची दीवारों को गडनी ने तोड़ा था वे और रणजीत फाटक बाद के बने हुए हैं। ये दीवारें और फाटक गद्दी की सुरक्षा के लिए या गद्दी के बाहर रहने वाले साधारण लोगों को परकोटे के भीतर सुरक्षित रहने के लिए बनाए गए होंगे।

(२) कोटला धीरोत्रगाहा : यहाँ पर हुई खुदाई में उत्तरी परकोटे की पूरव की ओर की दीवार निरन्धी है। इस दीवार में साधारण-तया किले की दीवारों में मिलने वाले बुरज नहीं हैं।


जाने का नॉटिस दिया जाए। राज्य सरकार चाहे तो इन मियाद को 60 दिन और बढ़ा सकती है। जो लोग दफ्तारवाले जमाने में इनकार करते उन्हें 6 महीने की कृति देकर सिविल में उनके नाम काट दिए जाए।

(2) बेंगलूर में मीर-बाइरकाग को फिर से बन्धन की दाखलना बननी जाए बेंगलूर में उनका नाम काट दिया जाए।

पाकिस्तान में बिस्वाफिनो की छूटी हुई बल-सम्पति

पुनर्स्थापित सरकार को 10 फरवरी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच दो बल-सम्पति बगल हुआ था, उनके अनुरोध भारत सरकार को पाकिस्तान से बहा की कुछ अंदाजा में बना सरकार उमाने, सरकार के बंधन हिया और नगल मांय मॉर्टिकेट, बंधन में बना गया का लिपार आदि प्राण हुआ है।

यह सम्पति सवुन मिल जान पर उनके शकसो को दे दी जाएगी।



वायुसेना का बेनीबोलेट एसोसिएशन वायुसेना के मैनिकों को गहायता देने वाली मय्या, बेनीबोलेट एसोसिएशन ने पिछले माल मैनिकों और उनके परिवार बागों को 70,000 रु का अनुदान और 20,000 रु का ऋण दिया।

एसोसिएशन की वारिक बंडक 24 फरवरी को नयी दिल्ली में हुई। उमी में सदस्यों को उक्त जानकारी दी गई। बंडक की अध्यक्षता एयर कमांडोर एच० एन० चटर्जी ने की। इसमें 400 से भी अधिक सदस्यों ने भाग लिया।

यह एसोसिएशन, मूल वायुसेनिकों के अधिकारों को तथा ऐसे वायुसेनिकों को सहायता देता है, जो बीमार है या किसी दुर्घटना से

जिनके अंग भंग हो गए हैं। यह एसोसिएशन 1940 में स्थापित हुआ था और यह सदस्यों के चने और दाखल मय्याओं तथा दानी व्यक्तियों के चने में चलता है। पिछले माल इसके लिए दिल्ली में जो वायुसेना दिवस मनाया गया था, उसमें 11,000 रु० में भी अधिक प्राण हुए थे।

वायुसेना प्रधान कार्यालय में नियुक्ति

एयर कमांडोर एच० एन० चटर्जी को वायुसेना के प्रधान कार्यालय में प्रमाणन का एयर अकनर इनचार्ज नियुक्त किया गया है। श्री चटर्जी के स्थान पर जामनगर वायुसेना केंद्र के कमांडिंग अकनर युव कॅप्टन ओ० पी० मेहरा को वायुसेना प्रधान कार्यालय में एयर अकनर इनचार्ज, नीति और योजना, नियुक्त किया गया है।

सैनिक पदों पर सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति

पिछले तीन वर्षों में, यानी 1946 से 1948 तक केंद्रीय सरकार के सैनिक पदों पर 330 सैनिक अधिकारी नियुक्त किए गए। 1946 में 111, 1947 में 112 और 1948 में 112 सैनिक अधिकारी नियुक्त किए गए।

यं नियुक्तियां इस लिए की गई कि इन पदों के लिए उपयुक्त योग्यता वाले सैनिक अधिकारी नहीं मिल सके थे।

अर्थात् नियम में यह व्यवस्था की गई है कि ऐसे पदों पर जिनके लिए सैनिक अधिकारियों को नियुक्त आवश्यक हो, उन पर सैनिक अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं।

सैडहस्टेंट मिलिट्री अकादमी को जाट रेगुल्ट की चादी की मूर्ति भेंट

23 फरवरी को बरेली के जाट रेजीमेंट केंद्र के एक दरबार किया गया और रेजीमेंट के कर्नल, सिग्नेडियर हरभजन सिंह ने अकादमी प्रांत ब्रिटिश अधिकारी कर्नल जे० जे० लियस को जाट रेगुल्ट की एक चादी की मूर्ति भेंट में दी। यह मूर्ति, सैडहस्टेंट की राष्ट्रीय मुद्र अकादमी की भारतीय सैनिक शाखा में रखने के लिए दी गई है। यह मूर्ति,

जाट बटालियन को पुरस्कार रूप में मिली मूर्ति की नकल है। यह पुरस्कार मूर्ति 100 माल से अधिक समय से इन बटालियन के पास है।



राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति

राष्ट्रपति ने निम्नलिखित राज्य विधेयकों पर अपनी स्वीकृति दे दी है:—

बम्बई का भील निरोधक विधेयक, 1948

इस विधेयक के द्वारा भील मागना रोकने तथा भिलमंगों को काम दिलाने के बारे में बम्बई राज्य के लिए एक-सा कानून बनाया गया है। पुनर्गठन में पहले बम्बई राज्य में बम्बई भील अधिनियम, 1944 लागू होता था। मराठवाड़ा क्षेत्र में भील निरोधक अधिनियम लागू होता है। सोराष्ट्र, कच्छ और विदर्भ में ऐसा कोई कानून नहीं है। इस विधेयक के द्वारा पूरे बम्बई राज्य में भिलमंगों के बारे में एक-सा कानून लागू होने लगेगा।

उड़ीसा का निजी वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1948

इस विधेयक के द्वारा उड़ीसा के निजी वन संरक्षण अधिनियम, 1947 की अवधि दो साल और बढ़ा दी गई है। यह अधिनियम वैशे मार्च 1948 को समाप्त हो जाता। निजी वनों की सुरक्षा तथा उन्हें काटने से रोकने के लिए ही यह अधिनियम बनाया गया था।

उड़ीसा राज्य में अभी ऐसी स्थिति नहीं हो पाई है कि यह अधिनियम समाप्त किया जा सके। यह बता चला था कि अधिनियम में सूखी पत्तियों या पेड़ काटने की जो व्यवस्था की गई थी, उसके अन्तर्गत कई हरे पेड़ काटे जा रहे थे। इसे रोकने के लिए ही अधिनियम में यह संशोधन करना पड़ा है।

# दूसरा चरण



१ अक्टूबर, १९५८ को सभी राज्यों व केन्द्र शासित क्षेत्रों के कुछ चुने हुए इलाकों में घोर नियंत्रित मंडियों में मेट्रिक बाटों का प्रयोग वास्तु किया गया था और इस प्रकार का परिवर्तन पूरा करने के लिए २ वर्ष का समय रखा गया था।

यह दो वर्ष की अवधि ३० सितम्बर, १९६० को समाप्त हो जाएगी और उसके बाद इन क्षेत्रों में मेट्रिक बाटों का प्रयोग अनिवार्य हो जाएगा।

इस प्रकार के परिवर्तन का दूसरा चरण शुरू करने और बाकी क्षेत्रों में मेट्रिक बाटों का प्रयोग शुरू करवाने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। समूचे केरल प्रदेश में मेट्रिक बाटों का प्रयोग शुरू हो चुका है और शीघ्र ही अन्य राज्यों में भी ऐसा ही होगा।

अपनाइये

मेट्रिक प्रणाली

सरलता व एकक्यता के लिए  
भारत सरकार द्वारा प्रचारित

DA 59/541

नयी दिल्ली में २१ फरवरी को जापानी हस्तात सिटिसमन्ट के मेला थी तिगो नगानी, बेन्डीय पान और तेल संघो, थी बे० डी० मालवीय के माय



२७ फरवरी को नयी दिल्ली में संयुक्त राष्ट्रीय विधाय निधि के प्रबन्ध निदेशक, थी पॉल हॉफमैन, बेन्डीय थम, रोजगार और आयोजन मन्त्री थी मुल्जारी लाल नन्दा के माय



जर्मन गणराज्य सप के विदेश मन्त्री, डा० हेनरिक वॉन ब्रैंडानो (बाएँ) नयी दिल्ली के सफदरजग हवाई अड्डे पर आयमन के समय परराष्ट्र उपमन्त्री, थीमती लक्ष्मी मेनन के माय





उपरोक्त सांवेदेशिक खेल-कूद समारोह में, जिसका नया दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में २५ फरवरी को उद्घाटन हुआ, लड़कों की गोला फेंकने की प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले पटियाला के यादवेन्द्र पब्लिक स्कूल के अमर दलजीत सिंह

१७ फरवरी को नयी दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय शारीरिक-क्षमता आन्दोलन के उद्घाटन के अवसर पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री, श्री के० एल० धीमाली छात्रों के मार्च-पास्ट की सलामी लेते हुए



# भायनीया समाचार


Handwritten signature or initials.



वर्ष ३

१ मार्च, १९६० ( ११ फाल्गुन, १९९१ )

पृष्ठ ३





केन्द्रीय वंशान्तिक अनुसंधान और संस्कृति मंत्री, डा० हुमायूँ कबीर तथा परमश्रेष्ठ श्री० जी० ए० जुझेव, जो सोवियत संघ के विदेशों से सांस्कृतिक सम्बन्धों की मंत्रि-समिति के अध्यक्ष हैं, १२ फरवरी को नयी दिल्ली में भारत और सोवियत संघ के बीच एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए। इस अवसर पर श्री जवाहरलाल नेहरू और परमश्रेष्ठ श्री निकिता ख्रुश्चेव भी उपस्थित थे



किरिलेंड के प्रधान मंत्री, डा० वी० जे० सुबसेलेनिन १२ दिन की राजकीय यात्रा पर १३ फरवरी को पालम हवाई अड्डे पहुंचने के बाद श्री नेहरू के साथ



जर्मन जनतन्त्रीय गणतन्त्र मंत्रि-परिषद के उपाध्यक्ष परमश्रेष्ठ हर रोनरिख राउ, (दायें में दूसरे) जो जर्मनी के संदीर्गक और आन्तरिक व्यापार मंत्री भी हैं, ९ फरवरी को नयी दिल्ली में केन्द्रीय पाठ और कृषि मंत्री, श्री एम० के० पाटिल के साथ

# भारतीय समाचार

वर्ष ३

१ मार्च, १९६०  
११ फाल्गुन, १८८१

अंक ३

एक प्रति ६० ०.३५ १ तिमाही १४ पैसे


वार्षिक मूल्य ६० ७.०० १७ डि. ६ पैसे २.५ डालर

## मुख्य विषय

सोवियत प्रेसिडेंट को भांगल-यात्रा पर मद्रास विमोचन	७४
रूस में १॥ अग्रह ग्रहण के क्षण के लिए कक्षा	७८
नया उद्योगों की प्रगति जापानो निष्कर्मण्य की गिना	८१
रेड मन्त्रालय की १९५८-५९ की गिना	८९
मद्रास में श्री कामेश्वरि दत्त की रिपोर्ट	९३
विद्यालय आगुप्तों का सम्मेलन	९४
गिना मन्त्रालय मण्डल की गिना	९६
ऐतिहासिक आयोग आयोग का अधिवेशन	९७
रिपोर्ट वरी का सम्मेलन राज्य मन्त्रियों का सम्मेलन	१००

**प्रावरण चित्र :** सोवियत प्रधान मंत्री परमश्रेष्ठ श्री एन० एस० ख्रुश्चेव १२ फरवरी को जहाँ के सम्मान में दिल्ली में आयोजित नागरिक अभिनन्दन समारोह में प्रधान मंत्री श्री नेहरू को उस भँडे की प्रति-भूति भेंट करते हुए जो सोवियत संघ में चन्द्रमा पर गाड़ा है

(‘भारतीय समाचार’ में सरकारी गतिविधियों और घोषणाओं का संक्षिप्त रिकार्ड प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। स्थान संकोच के कारण अनेक विषयों को संक्षेप में ही दिया जाता है। ऐसे विवरणों को पूर्ण अधिकृत विवरण नहीं समझना चाहिए।)



## संसद के समक्ष राष्ट्रपति का भाषण

८ फरवरी, १९६० को संसद के वज्र मण्डल का उद्घाटन करने हुए राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने दोनों सदनो की मधुवन बैठक में निम्न-लिखित भाषण दिया —

बैठक में मेरी मन्त्रालय और हमारे लोग पहले से कहीं अधिक राष्ट्र-निर्माण के काम में मगल रहे। देशान्तों और नहरों में रहने वाले हमारे लोग आर्थिक और सामाजिक उन्नति की आवश्यकताओं और मफलताओं को अधिकारिता समझने लगे हैं और इन्हें अपने दैनिक जीवन के श्रेष्ठ महत्वपूर्ण और अनवी स्थिति और रहन-सहन के स्तर में सुधार के लिए आधारभूत मानते हैं।

### चीनी अतिक्रमण

हमारी परम्परागत और सुपरिचित सीमाओं को लाघ कर, भारतीय गणराज्य

की भूमि के कुछ भागों पर चीनी लोगों के घुस आने से हमारे लोगों को भारी दुःख हुआ है और उनमें टोक ही व्यापक क्षोभ की भावना फैली है। इनके कारण हमारे साधनों और राष्ट्रनिर्माण के प्रयासों पर बहुत भार पड़ा है। हमें इन सीमावर्ती घटनाओं का दुःख है और अफसोस भी है। हमारे आपसी सम्बन्धों के निर्वारण के लिए जिन मिदान्तों को हमने परस्पर स्वीकार किया था चीन द्वारा उनकी अवहेलना के कारण हों घटनाएँ घटी हैं। हमारी सम्पूर्ण मत्ता के लिए पैदा हुए इन खतरों का मुकाबला करने के हेतु मेरी सरकार ने प्रतिरक्षा और राजनयन के क्षेत्रों में मत्वेर और सुविचारित कई कदम उठाये हैं।

मेरी मन्त्रालय को लाम तीर से इन बान का अफसोस है कि हमारे पड़ोसी ने हमारी सामान्य

सीमा पर, जहाँ हमारी सेना तैनात नहीं थी, सैनिक बल का एकतरफा प्रयोग किया। यह विद्वांसघात है, किन्तु उन मिदान्तों में जिन्हें हमें अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिए आधारभूत मानते हैं अभी भी हमारी आस्था है।

संसद के सदस्यगण, समय समय पर हमारे प्रधान मन्त्री और चीन के प्रधान मन्त्री के बीच पत्रव्यवहार के प्रकाशन द्वारा आन की, हमारे दोनों देशों के बीच जो स्थिति रही है, उत्तम अवगत रखा गया है। मेरी मन्त्रालय ने यह अमिदग्य रूप से स्पष्ट कर दिया है कि उन विचारव्यवहार मामलों को मुकम्मल के लिए हम शांतिपूर्ण प्रयत्न करना चाहते हैं। उतनी ही स्पष्टता में हमने यह भी कहा और दोहराया है कि चीन ने जो हल अनर्नाया है और जो तत्काल कार्य या निर्णय किया है, व



पंचमई में श्रीर महाराजी नदिनिधियों द्वारा आत्म-नहायणा की योजनाओं का चालू किया गया है। भूतपूर्व मंत्रियों का पुनःस्थापन और कल्याण प्रतिरक्षा की योजनाओं का आवश्यक अंग है और यह मंगलर मेनाओं में काम करने वालों में उचित आशा, उत्साह और विश्वास की भावना का मंचार करने का माध्यम है।

### केरल

मंद के मदस्य इस बात से परिचित है कि केरल राज्य के सम्बन्ध में ३१ जुलाई, १९५९ को जारी होने वाली उद्घोषणा में, जिसका अनुमोदन लोक सभा और राज्य सभा में अपने प्रस्तावों द्वारा किया, यह व्यवस्था की गई थी कि राज्य की विधान सभा के लिए अतिथी भी जन्दा सम्भव हों चुनाव किये जाए। तदनुसार गांधारण चुनाव हुए और मारे राज्य में १ फरवरी को मतदान हुआ। इस चुनाव में मत देने वालों की संख्या अभी तक अधिकतम मतदान वाले चुनावों में से रही। घोषणा ही उद्घोषणा को वापस लेकर राज्य में साधारण वैधानिक व्यवस्था लागू की जायेगी।

मद के पिछे से मने में अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के मदस्य के लिए लोक सभा में और राज्यों की विधान सभाओं में मोटों सुरक्षित रखने सम्बन्धी अभिप्रेक्षण की १० मातः तक और बड़ाने ना निरन्तर किया गया था, और इन निर्णय में सम्बन्धित मन्त्रिवात (आठवां मन्त्रिवात) अधिनियम के लिए में अपनी स्वीकृति दे चुका हू। हमारे मन्त्रिवात के अनुच्छेद ३३९ के अनुसार, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रमाण और राज्यों में जन-जातियों के कल्याण के सम्बन्ध में आच के लिए मन्त्रार एक आर्यण की नियुक्ति करने का विचार कर रही है।

### संसार के सम्मुख कार्य

१९५९ में मगद ने ६३ विधेयक पारित किये। १५ विधेयक आगे के मगद विधारापीन हैं। विधेयकों और मगदों के रूप में मेरी मन्त्रार बर्द वैधानिक प्रमाण प्रमुन करना जाती है। इन प्रमाणों में निम्नलिखित शामिल हैं—

दि एटमिक एनर्जी बिल  
दि इंडियन टेलिग्राफ (अमेंडमेंट) बिल  
दि एथीकलरल प्रोड्यूस (डिवेलपमेंट एंड वेपर-हाउसिंग) कारपोरेशन बिल  
दि फारवर्ड कांस्ट्रक्चर्स (रेग्युलेशन) अमेंडमेंट बिल  
दि इंडियन पेटेंट्स एंड डिजाइन बिल  
दि एम्पलाईज प्राविडेंट फंड (अमेंडमेंट) बिल  
दि डोक वर्कर्स (रेग्युलेशन आब एम्पलायमेंट) बिल

दि फ्लॉटेशन लेबर (अमेंडमेंट) बिल  
दि मेट्रल मेट्रिटी वेनिकिट बिल  
दि इंडियन सेल आब गुड्स (अमेंडमेंट) बिल  
दि रिलिज्यूस ट्रस्ट्स बिल  
दि ट-मेम्बर कास्टिट्यूटर्मीज (अवॉ-लोयन) बिल  
और, दि पेमेंट आब वेजेज (अमेंडमेंट) बिल।

मोजूदा बम्बई राज्य के पुनर्गठन और दो अलग राज्यों के स्थापन के लिए मेरी सरकार एक विधेयक प्रस्तुत करेगी।

वेतन आयोग की प्रमुख सिफारिशों पर मेरी सरकार अपना निर्णय पहले ही घोषित कर चुकी है। दूसरी सिफारिशों सकिम रूप से विचारापीन हैं। जगन्नाथदास आर्यण जाच के अन्तर्गत आने वाली सेवाओं के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेन्शन आदि में वृद्धि के कारण, अनुमान है, करीब ३१ करोड़ प्रतिवर्ष का अतिरिक्त व्यय घटेगा।

१९९०-६१ वितीय वर्ष के लिए भारत सरकार के आय-व्यय के अनुमानित आकड़े आपके सामने रखे जाएंगे।

### अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति

ममार में तनाव की भावना में डिलाई और निःसस्वीकरण और शान्ति की स्थापना के उद्देश्य से राष्ट्रों के अघ्यशां के बीच उच्च स्तर के सम्बन्धों की संभावनाओं पर मेरी सरकार मन्तोय प्रगट करती है। महान राजनीतिज्ञों, विमोचकर अमरीका के राष्ट्रपति और मॉन्वियन मय के मन्त्री परिषद के अध्यक्ष, हमारे देश और देशवासियों की प्रमगा और मन्त्रावना के अधिपतरी है। स्वेच्छा में अपने अपने देश में मन्त्रुनीय विरोधों के स्थान को जारी रखने और इन मन्त्रावनों को मुलमाने के लिए

अमरीका और सोवियत मय के बड़ते हुए प्रयत्नों का मेरी सरकार स्वागत करती है, पर इस विचार को फिर से दोहराती है कि विध्वंस के अर्थों का परीक्षण बन्द होना चाहिए।

बड़े राष्ट्रों के मन्त्राओं में प्रत्यक्ष सम्पर्क और इन प्रवृत्तियों का हम स्वागत करते हैं और इन प्रयासों की मफलता चाहते हैं। हमें विश्वास है कि ये प्रयास विश्व शान्ति के लिए और नरशत्रुओं के मचय की दौड को रोकने की मन्ची इच्छा से प्रेरित हुए हैं।

शत्रुताओं की भयानक उत्पत्ति और उनमें पैदा होने वाले तथा उन पर आश्रित भय और डरों के बीच मेरी सरकार दिल से ऐसे मुद्दहोन विश्व की कल्पना जागृत करने वाली नई पटनाओं का स्वागत करती है जिनमें राष्ट्र हथियारों को ही नहीं त्याग देगे बल्कि आपसी मगडों के निपटारे के लिए युद्ध का परित्याग कर देंगे और अपनी सभी शान्तिवादी और साधनों को शान्तिपूर्ण विश्व के निर्माण में लगा देंगे।

हमारी सरकार और लोम संसार में शान्ति और सहयोग बनाये रखने के लिए तत्पर है। वे शान्तिपूर्ण उपायों और तटस्थता की नीति पर, जिसका आधार हमारा इतिहास और दुष्टिकोण, हमारा विरवास और व्यवहार और हमारे लोगों की उलट इच्छाएं तथा धारणाएं हैं, स्थिर रहने के लिए दृढ़-सकल्प हैं। इस नीति का ससद ने कई अवसरों पर स्पष्ट शब्दों में समर्थन किया है।

मुझे कम्बोडिया, विप्लेनाम गणराज्य, विप्लेनाम प्रजातन्त्रात्मिक गणराज्य, लाओस और लका की यात्रा करने का मौभाय्य मिला और इन देशों की सरकारों तथा लोगों द्वारा मुगद और उदार स्वागत का मुझे श्रेय प्राप्त हुआ।

मुझे अपने देश की राजधानी में अमरीका के राष्ट्रपति और बाद में सोवियत मय के राष्ट्रपति का स्वागत करने में हर्ष हुआ। ये दोनों महानुभाव अपने व्यक्तित्व में अपने देशों की शान्ति और मगलताओं का प्रतिनिधित्व ही नहीं करते, बल्कि विश्व शान्ति के लिए अपने देशवासियों की प्रबल इच्छाओं के प्रति-बिम्ब हैं। सोवियत मय की मन्त्री परिषद के अध्यक्ष, श्री म्कुश्चेव के आगमन की, जो मगद

में एक ओर शान्ति दूत हैं, हम उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। निःशस्त्रीकरण और शान्ति को मोक्ष में इन दोनों महान् देगों और दूरियों के भी प्रयत्नों के पीछे हमारी पूर्ण सद्भावना और नैतिक समर्थन होगा।

मेरी सरकार को अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, बम्बोईया, पाना, नेराल और स्वीडन के प्रधान मंत्रियों का स्वागत कर खुशी हुई। मधुसूदन अरब गणराज्य के राष्ट्रपति नागर, महामहिम मुत्सुक को मर्याद और किरिन्डे के प्रधानमंत्री को हम उत्सुकता में राह देख रहे हैं।

हमारे उन राष्ट्रपति ने किरिन्डे, नारवे, स्वीडन, डेन्मार्क और किरिन्डे की यात्रा की और इन सभी जगह की सरकारों और लोगों ने उनका हार्दिक स्वागत किया।

हमारे प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान, ईरान और नेराल की यात्रा की और वहाँ उनका सद्भावना में औद्योगिक स्वागत हुआ।

भारत और नेराल के प्रधान मंत्रियों की एक दूतों के यहाँ यात्राओं के फलस्वरूप दोनों देशों के बीच मैत्री और मित्रता की भावना को और दृढ़ता मिली और दोनों देशों के हित में सहयोग का निश्चय हुआ और उनके लिए प्रबल इच्छा प्रकट हुई।

राष्ट्रपति के देशों के साथ हमारे सम्बन्धों को कई राष्ट्रमंडलीय सम्मेलनों में हमारे भाग लेने के कारण बढ़ावा मिला और हमारी आन्तरिक और विदेश नीतियों तथा हमारे आर्थिक विकास कार्यक्रमों के प्रति अधिक सद्भावना पैदा हुई।

#### पाकिस्तान से सम्बन्ध

मुझे खुशी है कि हमारे और पाकिस्तान के बीच मौसम सम्बन्धी झगड़ों पर गमतीला हो गया है। मेरी सरकार को आशा है कि पाकिस्तान के साथ इस सम्मेलन के फलस्वरूप हमारे पड़ोसी के साथ, जिसमें मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखने की हमारी हेतुना इच्छा रही है, मौसम-निर्धारण का कार्य सफलतापूर्वक हो सकेगा।

भारत और पाकिस्तान के बीच आर्थिक सम्बन्धों को सुलझाने की दिशा में भी प्रगति हुई है और यह आशा है कि नहरी पानी संबंधी पुराने झगड़ा दृष्टि ही तप हो जाएगा। इन घटनाओं का, जिनमें हमें पूर्ण आशा है कि दोनों देश एक दूसरे के निकट आएंगे, में स्वागत करता हूँ।

गत २५ नवम्बर, १९५९ को स्वर्णिम एम० डब्ल्यू० आर० डी० मंडारनायके, लंका के प्रधानमंत्री, की हत्या के गमाचार में भारत के लोगों और सरकार को बहुत दुःख हुआ और चोट पड़नी। वे भारत के बड़े मित्र थे और हमारे देश में कई बार आए थे। श्रीमती भंडारनायके, उनके बच्चों और लंका के लोगों और सरकार के प्रति हमने हार्दिक समवेदना प्रकट की।

मधुसूदन राष्ट्र में हमारे प्रतिनिधि ने, उपनिवेश देशों की आजादी की समस्या, विशेषकर अन्तर्गमिया के लोगों के निरंतर स्वातंत्र्य युद्ध के प्रति हमारे देश के लोगों की महानुभूतिपूर्ण भावना प्रकट की।

कैम्ब्रज की, जो अभी तक फ्रांसीसी शासन के अधीन था, स्वाधीनता का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आगामी वर्षों में अर्कोला के कई उपनिवेश देश इसी प्रकार राष्ट्र पद प्राप्त कर लेंगे।

दक्षिण अफ्रीकी गवर्नर की जाति के आधार पर पृथक्ता की नीति के कारण उम्र देश के अधिकांश लोगों को जो उम्र देश के नागरिक हैं अनेक कष्ट और अपमान सहने पड़ रहे हैं। इन लोगों में बहुत से मूल भारतीय भी शामिल हैं। यह नीति मधुसूदन राष्ट्र के अधिकारपूर्ण दिग्गव मानवीय अधिकारों के प्रतिकूल है और मधुसूदन राष्ट्र की माधारण मर्यादा के पीछे सत्र में इस नीति की फिर से धार निन्दा की गई।

मेरी सरकार ने दक्षिण अमरीका में बपूजा, वेनेजुएला और कोलम्बिया में तथा अफ्रीका में गिनी के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने का निश्चय किया है।

मसद के सदस्यगण, मैंने आपके सामने गत वर्ष की प्रमुख घटनाएँ, सफलताएँ और चिन्ताएँ रखी हैं। मैंने आप को उन सब महान् कार्यों और भारी जिम्मेदारियों का दिग्दर्शन कराया जो इस समय हमारे सामने हैं। ये सब आपके सम्मेलनी चिन्तनों की अपेक्षा करती हैं। हमारे आर्थिक आयोजन, देश की प्रतिरक्षा और विश्व शान्ति में हमारे योगदान के लिए, देश की सरकार और लोगों को अधिकाधिक आपकी मुहूर्त तथा सहयोग की आवश्यकता है। इस प्रकार मसद सचिवालय के द्वारा इस ऐतिहासिक कार्य को सम्पन्न करेगी।

हमने इस वर्ष अपने नहरे गणराज्य की ११वीं वर्यगण मनाई। हमारा सचिवालय, जो हमने अपने लिए निश्चित किया और जिसके अनुसार समस्त सत्ता देश की जनता पर आश्रित है और जनता में ही प्रवाहित होती है, स्थिर रहा और उसमें शान्ति का संचार हुआ। मेरी सरकार और हमारे लोगों की नीतियों तथा सफलताओं में हमारे प्रजातन्त्र को बल मिला और उसमें आर्थिक और सामाजिक कल्याण की धमता बराबर बढ़ती जा रही है।

हमारा यह सौभाग्य है कि हमारा स्वातंत्र्य युद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से इस प्रकार किस्तित हुआ कि अपने राष्ट्रपिता के जीवन और उदाहरण से हमें रेरगा मिली। अपने नहरे गणराज्य के इस ११वें वर्ष में हम अपने अतीत और भविष्य को गर्व और विश्वास के साथ, किन्तु अत्यधिक निश्चिन्ता के साथ नहीं देख सकते हैं। हमारे सामने जो कार्य हैं, वे विचाल हैं। उन्हें सम्पन्न करने के लिए अनेकों लोगों और देश के प्रशासन में निरंतर सतर्कता, अधिकार-धिक दृष्टता, अनुशासन और उद्योग की भावना की जरूरत है। इस प्रकार ही देश के जन गण के लिए हमारा प्रजातन्त्र यथायथ और सच्चा हो सकता है।

हमारे विस्तृत माधन और हमारे लोगों की योग्यताएँ, निर्माण और उन्नति के उम्र महान् कार्य में लगी हैं, जो हमारे सामने हैं। इसके लिए यह अत्यन्त आवश्यक और विचारणीय है कि हमारे प्रशासन की योग्यता भी उन्नी कोटि की हो, उममें बराबर बढ़ती हुई शीघ्रता की भावना लाई जाए, कार्यप्रणाली को सरल और सुवीच बनाया जाए और उसे इस प्रकार चलाया जाए कि उस में सभी वर्गों और श्रेणियों के लोगों का विश्वास बढ़ता जाए और जन-शक्ति तथा समय का अपव्यय न हो।

मेरी सरकार का यह बराबर यत्न रहेगा कि नीतियों के निर्माण और उनको कार्यान्वित होने में जो समय लागता है वह कम से कम हो, सभी वर्गों और आर्थिक तथा सामाजिक स्तरों के लोग हमारी योजनाओं में भाग ले सकें और इस प्रकार योगदान देकर वे आत्मसंतोषिता और गर्व की भावना का अनुभव कर सकें जो हमें स्वतन्त्रता से मिली है।

मेरी सरकार माधुसूदन की स्वाधीनता और हमारे लोगों के गरिमा को बनाए रखन, एकता की भावना को प्रेरणाहित

# वेतन आयोग : सरकार द्वारा कुछ और निर्णय

वित्त उपमंत्री, श्री बलिराम भगत ने एक प्रश्न के उत्तर में ११ फरवरी को लोकसभा में बताया कि सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों पर कुछ और निर्णय किए हैं।

श्री भगत ने मदन की मेज पर निम्नलिखित वक्तव्य रखा —

## वेतन आयोग की सिफारिशों

१. निम्नलिखित शर्तों के अनुसार, पेंशन के लिए, क्वालिफाइंग सर्विस में अतिरिक्त वर्ष जोड़ने की व्यवस्था की जाए
  - (१) यह सुविधा उन्हीं कर्मचारियों को दी जानी चाहिए जिनकी नियुक्ति के लिए स्नातकोत्तर अनुसंधान, विज्ञान, शिक्षण तथा व्यावसायिक क्षेत्र की विनियम योग्यता या अनुभव होना आवश्यक है, जैसे कानून या डाक्टरों।
  - (२) यह सुविधा उन कर्मचारियों को दी जानी चाहिए जिनकी भर्ती २८ साल की उम्र के बाद हुई हो।
  - (३) यह सुविधा देने का निश्चय केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की मसला में करना चाहिए।
  - (४) यह सुविधा सभी दी जानी चाहिए जब कर्मचारी रिटायर होने की निर्धारित उम्र में ही सेवा निवृत्त हो।
  - (५) क्वालिफाइंग सर्विस में नौकरी के पूरे समय का चौथाई समय, पर अधिक में अधिक पांच साल जोड़े जाने चाहिए।

## सरकार के निर्णय

निम्नलिखित मंशोधनों सहित स्वीकार :

- (१) यह सुविधा भविष्य में इन योग्यताओं वाले उन कर्मचारियों को दी जानी चाहिए, जिनकी भर्ती २५ साल की उम्र के बाद हो।
- (२) यह सुविधा देने का निश्चय सवधित मन्त्रालय को, कर्मचारी की भर्ती के समय वित्त मन्त्रालय और केन्द्रीय लोकसेवा आयोग की सलाह से करना चाहिए।
- (३) सेवा निवृत्ति के समय कम से कम १० साल की क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए।
- (४) क्वालिफाइंग सर्विस में अतिरिक्त वर्ष इस प्रकार जोड़े जाएंगे :
  - (क) भर्ती के समय कर्मचारी की उम्र २५ साल से जितने वर्ष अधिक हो, या
  - (ख) नौकरी के पूरे समय का चौथाई समय, या
  - (ग) ५ वर्ष, इन तीनों में से जो भी कम हो।

२. उच्च योग्यता वाले वैज्ञानिकों और शिल्पियों को, जो ३५ साल का इमके अधिक उम्र में भर्ती हुए हो, पेंशन योजना की वजाय अग्रदायी भविष्य निधि योजना में शामिल होने की छूट दी जानी चाहिए।

स्वीकार।

३. जो वैज्ञानिक कर्मचारी पहले एमि अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं में नौकरी करते थे, जिनका सर्व सरकारी अनुदान या किसी विनियम प्रकार के कर में चलना है, उनकी उक्त संस्थाओं में नौकरी का समुद, स्थायी और पेंशन वाले पदों पर नियुक्ति के बाद क्वालिफाइंग सर्विस में जोड़ दिया जाए। यद्यपि कि ये संस्थाएँ इन कर्मचारियों को पेंशन के धन का अपना हिस्सा देने को राजी हो।

स्वीकार। जो कर्मचारी किसी अर्द्ध-सरकारी संस्था की अग्रदायी भविष्य निधि योजना में रहा हो, उनकी भविष्य निधि का वह भाग जो उक्त संस्था ने अपनी ओर से दिया है, सरकार को दे दिया जाना चाहिए और कर्मचारी की पूरी नौकरी पेंशन के लिए गिनी जानी चाहिए।

४. सरकार और विद्यार्थिदालयों के बीच वैज्ञानिकों और शिल्पियों का आदान-प्रदान बढ़ाने के लिए यह विचार जाना चाहिए कि यदि कोई विद्यार्थिदालय किसी सरकारी वैज्ञानिक को अपने महा बलाएँ तो अपने महा स्नातु भविष्य निधि की दर में ही वैज्ञानिक को पेंशन के लिए अपने हिस्से का धन दे।

स्वीकार।

५. प्रत्येक श्रेणी में वित्तने स्थायी कर्मचारियों की आवश्यकता है, इसका निश्चय यथाशीघ्र विचार जाना चाहिए और इसके बाद अस्थायी पदों का यही अनुपात सब श्रेणियों में रहना चाहिए।

यदि सवधित मन्त्रालय यह समझते हैं कि उनकी स्थायी स्तर में आवश्यकता है तो सर्वनायों और शरणालों के अलावा सब स्थायी विभागों में सब श्रेणियों और पदों के ८० प्रतिशत तक को, जिनको १-३-५९ को कम से कम तीन साल हो गए हैं, स्थायी कर देना चाहिए।

वक्तव्य में यह भी बताया गया है कि सरकार ने उक्त निर्णयों को लागू करने के लिए बार्बार्ड की जा चुकी है और वेतन आयोग की शेष सिफारिशों पर सर्विस स्तर में विचार हो रहा है।

## भारत-पाकिस्तान महतो पानी विवाद पर चर्चा

**केन्द्रीय विचार और बिजली उपमन्त्री, श्री जयसुखदास हाथी** ने १५ फरवरी को लोकसभा में कहा कि भारत-पाकिस्तान महतो पानी विवाद सन्तोषजनक रूप में चल रही है और निर्यात प्रतिबन्ध में कोई सम्मोचा हो जाने की कान्फि आशा है।

श्री हाथी ने बताया कि सिन्धु नदी के पानी के बारे में मधि का पहला सम्मोचा सन् १९५१ में प्रारंभ हो गया है, पर वह सम्मोचा पूरा नहीं है क्योंकि सम्मोचे के अन्तर्गत परिगणित अन्धे तब नहीं मिले हैं। मधि के सम्मोचे पर विचार हो रहा है, लेकिन प्रारंभ उस समय तक अपनी रूप बान्धन नहीं कर सकता, जब तक मधि में सम्मोचा परिगणित भी विचार के लिए न मिल जाए।

उपमन्त्री महोदय भारत-पाकिस्तान महतो पानी विवाद के विषय में एक वक्तव्य दे रहे थे। इसी प्रकार का एक वक्तव्य राज्यसभा में भी पेश की गया था।

उपमन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया, वह इस प्रकार है—

जाने १६ नवम्बर, १९५९ के वक्तव्य में मैंने सदन को सूचित किया कि अगस्त-सितम्बर १९५९ में सदन में जो बातचीत हुई, उसमें अनेक बातों पर सम्मोचा की दिसा में काफी प्रगति हुई है। मैंने सदन को यह भी बताया था कि बातचीत अक्टूबर १९५९ में वाणिज्य में भी जारी रही। इन बातों पर सदन में सम्मोचा हुआ था, उन्हें तथा कुछ अन्य बातों को अन्तर्गत विचार का रूप दिया जाना था।

सिन्धु पानी मधि का पहला सम्मोचा अब मिल गया है परन्तु वह अपूर्ण है, क्योंकि मधि में सम्मोचा कुछ परिगणित अन्धे—अन्तर्गत काल में भारत का पानी लेते रहना, अभी नहीं मिला। मधि के सम्मोचे पर विचार हो रहा है। परन्तु हम उस समय तक कोई राय कायम नहीं कर सकते जब तक मधि में सम्मोचा परिगणित भी हमारे सामने न हो। मधि का सम्मोचा सन्तोषजनक है। अतः मैं अन्धे उसको आपके सामने नहीं रख सकता। पर मैं सदन को यह बता सकता हू कि बातचीत सन्तोषजनक रूप में चल रही है और निर्यात प्रतिबन्ध में कोई सम्मोचा हो जाने की कान्फि आशा है।

भारतीय समाचार

## पाकिस्तान के साथ कर्णकुली योजना पर बातचीत

**राज्यसभा में ११ फरवरी को विचार और बिजली उपमन्त्री, श्री जयसुखदास हाथी** ने बताया कि पाकिस्तान के साथ कर्णकुली योजना के बारे में बातचीत करने के लिए यहाँ में इन्जीनियरों का जो दल बनाया गया था, उसे वहाँ में योजना के डिजाइन तथा उनमें पाठ्य होने की ठीक तारीख के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। यह दल पाकिस्तान में कर्णकुली योजना के अन्तर्गत बनाए जाने वाले कर्णकुली बांध के बारे में बातचीत करने के लिए विचार और बिजली मन्त्रालय के मुख्य इन्जीनियर के नेतृत्व में शवा गया था।

श्री हाथी ने बताया कि सुनाई पहाड़ी जिले का कुछ क्षेत्र भी शामिल करने का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत १,८०० फुट लम्बा सिट्टी का बांध बनाया जाएगा और एक जलाशय होगा तथा बिजली घर होगा, जहाँ मधु में तो ८०,००० किलोवाट तथा आगे चलकर १,२०,००० किलोवाट बिजली तैयार की जा सकेगी।

भारतीय इन्जीनियरों के प्रतिनिधिमण्डल ने यह सुझाव दिया था कि योजना के पहले चरण में तो बिजली त्रिपुरा को दी जाए, किन्तु बाद में आसाम को सप्लाई की जाए। पाकिस्तानी प्रतिनिधि इस सुझाव पर विचार करने के लिए सहमत है।

### विदेशों में भारतीय इन्जीनियर

प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने १० फरवरी को राज्यसभा में कहा कि उन्होंने विदेशों में रहने वाले भारतीय इन्जीनियरों से कान्फि कोई सार्वजनिक अपील नहीं की है कि वे भारत लौट आए। वैसे उन्होंने ४ जनवरी, १९६० को बम्बई में वैज्ञानिक कार्यकर्ता संघ की बैठक में भाषण देते हुए इस विषय का जिक्र जरूर किया था।

एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि विदेशों में रहने वाले भारतीय इन्जीनियरों का पूरा ब्योरा प्राप्त करने के लिए सरकार विशेष प्रयत्नशील है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने वैज्ञानिक और शिल्पिक

कर्मचारियों का राष्ट्रीय रजिस्टर बना रखा है। इसमें एक विशेष श्रेणी के अन्तर्गत विदेशों में ३,५०० भारतीय वैज्ञानिकों के नाम हैं। इनमें से १,१०० में भी ज्यादा वैज्ञानिकों ने सूचना दी है कि वे भारत लौट आए हैं।

प्रधान मन्त्री ने आगे कहा कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों, राज्य सरकारों और अन्य संस्थाओं को, जो इन्जीनियर नियुक्त करती हैं, विदेशों में रहने वाले भारतीय इन्जीनियरों का ब्योरा भेज दिया जाता है। इन्जीनियरों की एक सूची बनी हुई है जिसमें विदेशों में भारतीय इन्जीनियरों के भी नाम हैं और आवश्यकतानुसार उन्हें उचित नौकरों दे दी जाती है, भले ही वे नौकरों के लिए अर्जी भी न भेजें।

केन्द्रीय लोकसेवा आयोग तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने भी ऐसे इन्जीनियरों को नियुक्त करने के बारे में अपने नियम कुछ आसान कर दिए हैं।

### गुलमर्ग में बहावद फिएर प्रयोगशाला

प्रधान मन्त्री, श्री नेहरू ने १० फरवरी को राज्यसभा में प्रश्नोत्तर के समय बताया कि कश्मीर में दो बहामण्ड विद्युत प्रयोगशालाएँ बनाने का निश्चय किया गया है। इनमें से अतिउच्च प्रयोगशाला अफरवट पर बनाई जाएगी और दूसरी प्रयोगशाला गुलमर्ग में होगी। दोनों प्रयोगशालाओं का सम्मोचा तारगाड़ी से रहने।

गुलमर्ग की प्रयोगशाला बनाने का काम शुरू हो गया है। इस प्रयोगशाला पर ६ लाख २२ हजार ७०० रु० लागत आने का अनुमान है। अफरवट की अतिउच्च प्रयोगशाला और तारगाड़ी की लागत का ब्योरा तैयार किया जा रहा है।

### अग्नि निरोधक सप्ताह

इस साल देश भर में ८ से १४ फरवरी तक सप्ताह अग्नि निरोधक मनाया गया। लोगों को आग के सतरे के कारणों और उससे बचने के तरीकों से अवगत कराने के लिए यह सप्ताह हर साल मनाया जाता है। फिल्मों, रेडियो-कार्यक्रम, इतिहास और अन्य प्रचार-सामग्री द्वारा लोगों को

जाता है कि किस प्रकार आग से रक्षा की जाए और आग की दुर्घटनाओं को कैसे कम किया जाए। बड़े शहरों में फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने, आग लगी इमारतों से बाहर निकलने और वहाँ से लोगों को बचाने के तरीके दिखाए।

देश में हर साल आग से करोड़ों ६० का नुकसान होता है। आग प्रायः लापरवाही, बिजली की खराबी, अंगीठी आदि या नासमझी के कारण लगती। अगस्त १९५५ में सभी राज्यों के मुख्य अग्निरक्षा अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था। उसकी सिफारिश पर एक स्थायी अग्निरक्षा सलाहकार समिति बनाई गई, जो सरकार को आग से रक्षा की व्यवस्था ज़रूरत के बारे में सलाह देती है। स्वराष्ट्र मंत्रालय ने भी आग से रक्षा की ट्रैनिंग देने के लिए जुलाई १९५६ से नेशनल फायर मविट कालेज खोला है।

### एवरेस्ट अभियान टोली

हिमालय पर्वतारोहण मस्या के अध्यक्ष कर्नेल आन गिहू के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय टोली एवरेस्ट पर चढ़ने का यत्न करेगी। यह टोली ४-५ मार्च, १९६० को जयनगर में नैपाल में प्रवेश करेगी। इस टोली में १२ व्यक्ति, कुछ वैज्ञानिक, एक डाक्टर, एक शरीर-विज्ञान विद्वान और लगभग ४० संरक्षक होंगे। फरवरी में प्रारम्भिक प्रबंध के लिए दिन्धी में दल की बैठक होगी।

### १९६१ की जनगणना का समाारम्भ

उत्तर-पूर्व सीमांत अभिकरण और नागा पहाड़ी रेन्गांग क्षेत्र के कुछ भागों में १९६१ की जनगणना का काम शुरू हो गया है। इन भागों की बोट्ट और हुमन गियित के कारण जनगणना का काम समय से पहले शुरू कर दिया गया है और यह अगस्त १९६० तक समाप्त हो जाएगा।

इसी प्रकार दस साल के गिनतबर-अनुसूचक महीने में झारखंड, छत्तीस, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों तथा गिरिधर

के उत्तरी क्षेत्र की जनगणना की जाएगी, क्योंकि इन भागों में नवम्बर से बर्फ गिरने लगती है। इन क्षेत्रों के मगहूर रास्तों की निगरानी चौकिया जनगणना को दुहराने का काम करेंगी।



## रूस से ११ अरब रूबल के ऋण के लिए करार

सोवियत संघ ने भारत को ११ अरब रूबल का जो नया ऋण देना स्वीकार किया है उसके बारे में १२ फरवरी को नयी दिल्ली में दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों ने एक करार पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर भारत और सोवियत संघ के प्रधान मंत्री उपस्थित थे।

करार में इस ऋण से होने वाले कार्यक्रमों की सूची और इस संबंध में दोनों देशों में वित्तीय सहयोग की तकसील दी हुई है।

भारत सरकार को और से थ्री सेडन ने और सोवियत संघ की ओर से थ्री स्काचकोफ, मोवियत संघ की मंत्रि-परिषद की वैदेशिक आर्थिक संबंध समिति के अध्यक्ष ने करार पर हस्ताक्षर किए। इस ऋण का उपयोग निम्न-लिखित कार्यों के लिए किया जाएगा:

१. मिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार जिससे इसकी वार्षिक क्षमता २५ लाख टन हो जाएगी।
२. रांची के भारी मशीन कारखाने का विस्तार, जिसमें इसकी वार्षिक क्षमता ८० हजार टन हो जाएगी।
३. खान की मशीनों का कारखाना और इगवा विस्तार।
४. बरौनी के तेल शोधक कारखाने को पूरा करना।
५. बिजली के भारी सामान का निर्माण।
६. गूदम यंत्रों का निर्माण।
७. माशिन और अन्य क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस का उपयोग द्वारा तेल और गैस की खोज और उनके निष्पादन और काम में खानों की व्यवस्था।

जनवरी १९६१ में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के एजेंसी क्षेत्र में जनगणना होगी।

१९६१ की जनगणना २२ दिन (१० फरवरी से ३ मार्च) तक चलेगी। आखिरी ३ दिन में सारी गणना को दुहराया जाएगा।

८. नवेली (मद्रास) बिजलीघर की क्षमता को २१ लाख किलोवाट से बढ़ाकर ४ लाख कि० वा० करना।
९. कोरबा (मध्य प्रदेश) ताप-बिजलीघर में २ लाख किलोवाट उत्पादन-क्षमता की मशीनें और लगाना।
१०. सिंगरीकी (उत्तर प्रदेश) में २१ लाख कि० वा० क्षमता का नया ताप-बिजली-घर खोलना।

पृष्ठभूमि  
सोवियत संघ ने भारत को निम्नलिखित सहायता दी है:

सन् १९५५ फरवरी में मिलाई में इस्पात कारखाना बनाने का समझौता हुआ जिसमें अब उत्पादन होने लगा है।

सन् १९५५-५६ में मोवियत विद्योपयोगों में सोवियत संघ और रूमानिया से बनें और विद्योपयोगों की सहायता से भारत में तेल की खोज का कार्यक्रम बनाया जो इस समय चालू है।

नवंबर १९५७ में एक और समझौता हुआ जिससे भारत को ६० करोड़ ० या ५० करोड़ रूबल का ऋण मिला। इनमें रांची में भारी मशीनों का कारखाना, दुर्गापुर में कोयले की खान की मशीनों का कारखाना, नवेली में ताप-बिजलीघर और कोरबा में कोयला खानों के विभाग का काम किया जा रहा है।

सिंगरी योजना में मोवियत सहायता के बारे में बातचीत करने के लिए मई १९५९ में गदरार स्वल्प गिहू की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमण्डल रूस गया था। उगी महीने में भारत में दवा का कारखाना मोहन के मगमतीना हुआ और मित्तलबर में बरौनी में तेल-शोधक कारखाना खोलने का निश्चय हुआ।

और उनी महीने में मास्को में सम्मतीना हुआ, जिसके फलस्वरूप सोवियत सरकार ने तीसरी योजना के लिए १८० करोड़ ० का ऋण देना स्वीकार किया। इस ऋण का उपयोग किन कामों में किया जाए इस पर विचार करने के लिए भारत सरकार के निम्न पर गांवियत मप को बंदेशिक आर्थिक मन्त्र ममिति के अध्यक्ष श्री स्वाचक्रोड दिग्म्वर में भारत आए। उनसे बात करने के लिए भारत सरकार ने एक विवेक ममिति बनाई जिसके अध्यक्ष, थोएम० एम० मेहासे। श्री स्वाचक्रोड भिलाई और सम्मान मी गूए और वहा मे ९ फरवरी को दिम्नी ब्राए जिम्मे वे श्री एडुंसेच के आयु-म के मन्त्र मोवियत ऋण मे होने वाले कामों की सूची पत्रकी कर गके।

### मैकेनिकल इंजीनियरी संस्था के लिए यूनेस्को से सहायता

वैश्वानर अनुभवान और मन्वति मनी, श्री हुमायू कबीर ने ९ फरवरी की राज्य-समा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि मन्वत राष्ट्र मप के शिक्षा, विज्ञान और मस्त्रुति मण्डन ने दुर्गापुर में बनाई जाने वाली इंजीनियरी मम्पा के लिए अपनी विवेक निधि में सहायता दी है।

मनी महोदय ने बताया कि ६ लाख ९१ हजार ४०० डालर की यह सहायता चार साल के लिए मन् १९६० में मिलेगी। सहायता बंशानिक उपकरणों, कलों, औजारों, विवेकजों और छात्रवृत्तियों के रूप में मिलेगी।

मन् इय आचार पर दी जा रही है कि रिपोजना के खर्च का बडा भाग, भारत सरकार देगी जो इमारत बनाने, कर्मचारियों, शरकर और दूसरे स्थानीय खर्चों के रूप में होगा।

### विदेशी मुद्रा नियंत्रण के नियमों के उल्लंघन के मामले

केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय के परिपालन निदेश-मालय ने नवम्बर और दिसम्बर, १९५९ तथा जनवरी १९६० में विदेशी मुद्रा नियम के उल्लंघन के ४० मामलों का निर्णय किया। कम्पनी तथा फर्मों के साझेदारों और मालिकों आदि को शिक्षा कर सभी मन्वन्वित व्यक्तियों पर कुल ७०,९४१ रु० का जुर्माना किया गया।

## राज्यों की १९६०-६१ की योजनाएं बम्बई

बम्बई राज्य सरकार और योजना आयोग के प्रतिनिधियों की बैठक में बम्बई की १९६०-६१ की वार्षिक योजना के लिए ९८ करोड़ ७५ लाख रु० स्वीकार किया गया।

इसमें से ३५ करोड़ रु० सिंचाई और बिजली योजनाओं पर गवर्च होगा। बिजली योजनाओं पर १७ करोड़ ६० लाख रु० होगा, जिसमें से कोयना योजना पर ७ करोड़ ५० लाख ० खर्च किया जाएगा। राज्य बिजली मण्डल की योजनाओं पर २ करोड़ ७५ लाख रु० गवर्च होगा, जिसमें से १३ लाख रु० गवर्कत बिजली योजना पर गवर्च होगा। सिंचाई पर १७ करोड़ ४० लाख रु० गवर्च होगा, जिसमें से उर्कई और पुरना की बहुमूली योजनाओं पर क्रमशः ८४ लाख रु० और १ करोड़ ६५ लाख रु० गवर्च किया जाएगा। धीर योजना पर १ करोड़ ० और सहकरनामला योजना पर १ करोड़ ५० लाख ० खर्च किया जाएगा। महाराष्ट्र क्षेत्र की पीड योजना पर ७५ लाख रु० खर्च होगा।

श्रुति तथा सहकारी समिति, पंचायत आदि पर २२ करोड़ ६० लाख रु० गवर्च होगा। इसमें से छोटी सिंचाई पर ५ करोड़ ७ लाख रु० और श्रुति जिंसां पर ३ करोड़ ९८ लाख रु० खर्च किया जाएगा। इस साल के अन्त तक ३२३ बीज-फार्म बना दिए जाएंगे। भू-मरक्षण योजनाओं पर २ करोड़ ९५ लाख रु०, सहकारी समितियों पर ३ करोड़ २० लाख रु० और पंचायतों पर ३ करोड़ १३ लाख रु० खर्च किया जाएगा।

सामुदायिक विकास के लिए १९६०-६१ में ७ करोड़ ४५ लाख रु० रखा गया है।

१९६०-६१ में बम्बई राज्य में परिवहन पर ८ करोड़ ४० लाख रु० और स्वास्थ्य, मकान, पिछड़ी जातियों के हित, समाज कल्याण, मजदूरों के हित आदि समाज-सेवाओं पर २१ करोड़ ९० लाख रु० खर्च किया जाएगा। इसमें से शिक्षा पर ६ करोड़ ४२ लाख रु०, स्वास्थ्य पर ६ करोड़ ६६ लाख

रु० और मकानों पर ५ करोड़ रु० खर्च किया जाएगा।

मजदूरों के लिए मकान बनाने की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने १९५९-६० में ६,५२९ और १९६०-६१ में ४,३२६ मकान बनाने का कार्यक्रम तैयार किया है। बम्बई सरकार ने गांव वालों के लिए मकान बनाने की योजना का भी आरम्भिक काम पूरा कर दिया है। मकान बनाने के लिए १३७ गांव चुन लिए गए हैं और ८२ गांवों की सामाजिक तथा आर्थिक पडताल की जा चुकी है। १९६०-६१ में गांवों में मकान बनाने का विचार है।

१९६०-६१ में उद्योगों पर २ करोड़ १९ लाख रु० खर्च होगा, जिसमें से ग्राम तथा छोटे उद्योगों पर १ करोड़ ९३ लाख रु० और बड़े तथा मंजले उद्योगों पर २२ लाख रु० खर्च किया जाएगा।

### उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश की १९६०-६१ की वार्षिक योजना के लिए ५५ करोड़ रु० मंजूर किया गया है। इसमें राज्य के पहाड़ी इलाकों और पूर्वी जिलों के विकास-कामों के लिए २ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। यह निर्णय हाल ही में योजना आयोग और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की एक बैठक में किया गया।

इस वर्ष की योजना में सबसे अधिक धन १६.१८ करोड़ रु० सिंचाई और बिजली पर खर्च किया जाएगा। इसमें से ११.१२ करोड़ रु० बिजली और ५ करोड़ रु० सिंचाई योजनाओं पर व्यय होगा। देड पन-बिजली योजना पर इस वर्ष ६ करोड़ रु० खर्च होगा। हरदुआ-गज में भाप-बिजली घर बनाने के लिए १ करोड़ ७३ लाख रु० की व्यवस्था की जाएगी। नल-कूपों में बिजली लगाने पर २५ लाख रु० व्यय होगा। राज्य सरकार ने ३५० और नल-कूपों के लिए मशीनें मंगाई हैं।

सिंचाई में रामगंगा नदी सिंचाई योजना पर ९५ लाख रु० खर्च होगा। इससे नहरों का पुनर्निर्माण और पानी का बहाव मोड़ने वाली सुर्यो बनाई जाएगी।

श्रुति कार्यों के लिए ११ करोड़ रु० की व्यवस्था है। इस वर्ष श्रुति-उत्पादन में २८ लाख टन वृद्धि होने का अनुमान है। चारू साल में ७७७ बीज फारम शुरू जाएंगे और १९६

६१ में ९९ बीज-कारम खलने का अनुमान है। मछली-पालन के नमूने के केन्द्र स्थापित होंगे और मछली रखने के छंटे गोदाम और ठंडी मशीनें का प्रबन्ध किया जाएगा।

सामुदायिक विकास के लिए ७५ करोड़ रुपये नियत किए गए हैं। १९६०-६१ में ९२ पूर्व-विस्तार पथ और ७४ प्रथम चरण नये खंड खोले जाएंगे। इस वर्ष में १,५०० नयी ग्राम सहकारी समितियां संगठित की जाएंगी। वर्तमान ३,५०० ग्राम-सहकारी समितियों का पुनर्संगठित किया जाएगा।

सामाजिक सेवाओं के लिए ११ करोड़ ४० मजूर किया गया है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, विद्युत्‌यंत्रों की मरम्मत, समाज कल्याण और श्रम हितकारी कार्य शामिल हैं। इसमें से शिक्षा पर ४ करोड़ ७५ लाख ४० और स्वास्थ्य पर ३ करोड़ ३७ लाख ४० खर्च किये जाएंगे।

परिवहन पर ३ करोड़ ३ लाख ४० खर्च होंगे। चालू वर्ष के अंत तक १,३३५ मील लम्बी पक्की सड़के बन जाएंगी। दूसरी योजना में १,७७२ मील सड़के बनाने का लक्ष्य है। नव ४३७ मील गटके १९६०-६१ में बनेंगे। चालू वित्त वर्ष के अंत तक ४८ बड़े पुलों पर योजनागत मरु हो जाएगा। १९६०-६१ में ६२ बड़े पुल बनाने का प्रस्ताव है।

उद्योग और शक्ति के लिए २ करोड़ ५९ लाख ४० की स्मरणा की गई है। इनमें से १,८६८ लाख ४० प्रांतीय और छोटे उद्योगों के लिये होंगे। मत्स्यारी मांगठ कार-निक के विस्तार में ५७ लाख ४०, मत्स्यारी मूद्यम यंत्र कारखाने के विस्तार में ४ लाख ४० खर्च होंगे।

### सहस्रद्वीप, मिनीकाय और प्रमोन्दीय की वार्षिक योजना

सहस्रद्वीप, मिनीकाय और प्रमोन्दीय की १९६०-६१ की वार्षिक योजना पर ४४ लाख ४० खर्च किया जाएगा। अभी हाल में योजना आयोग, स्वराज्य मन्त्रालय और इन द्वीपों के शासन के प्रतिनिधियों ने वार्षिक योजना पर विचार किया।

१९६०-६१ में ग्रहण अधिक १५ लाख ०० हजार ४० परिवहन पर खर्च किया जाएगा। द्वीपों के बीच २० मील में केवल १००

मील तक का फासला होने के कारण विकास-कार्यों के सफरतापूर्वक किए जाने के लिए अच्छे परिवहन का होना बहुत जरूरी है।

समाजसेवा के कार्यों के लिए १५ लाख ४० हजार ४० रखा गया है। १९६०-६१ में विद्यार्थियों की संख्या बढकर ४ हजार हो जाने की आशा है। १९५९-६० में विद्यार्थियों की संख्या ३,३२० थी। १९६०-६१ में अमेनी में एक हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। इन द्वीपों का यह पहला हाई स्कूल होगा।

इस समय द्वीपों में ७ सरकारी डिस्पेंसरीयों है। मिनीकाय की डिस्पेंसरी को अस्पताल बनाने के लिए काम हो रहा है। इस साल द्वीपों में इमारतें बनाने का काम बहुत बढ़ने की आशा है। यहा पर विद्योपकरण स्कूलों और अस्पतालों की इमारतें बनायी जाएंगी।

इस वर्ष खेती पर ८ लाख ४० खर्च किया जाएगा। इन द्वीपों में केवल नायलस की ही खेती होती है। इनके अलावा बिजली पर १ लाख ३० हजार ४०, घरेलू उद्योगों पर ९४ हजार ४० और सामुदायिक विकास पर १८ हजार ४० खर्च किया जाएगा।

### सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन कर सलाहकार परिषद की बैठक

नयी दिल्ली में ६ फरवरी को सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन कर सलाहकार परिषद की दूसरी बैठक में राजस्व और अर्थनिक मन्त्री, डा० गोपाल देवदी ने बताया कि परिषद ने पिछले सितम्बर में अपनी पहली बैठक में जो सिफारिशों की थीं, सरकार ने उन पर अमल करना शुरू कर दिया है। यह बैठक ७ फरवरी को समाप्त हुई।

डा० देवदी ने सीमा शुल्क पुनर्गठन समिति की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि उसने जो ३२० सिफारिशों की थीं, उनमें से ३१८ सिफारिशों के बारे में सरकार निर्णय कर चुकी है। कई सिफारिशों के कारी जटिल होने तथा उनमें कानूनी दिक्कतें होने के बावजूद भी काम की यह प्रगति मराहतीय है। यही महीयन में कहा कि हालांकि इन विषयों के लिए अन्य विभागों या मन्त्रालयों में राय लेनी थी या इनके लिए अनिश्चित बर्नकारी या बर्नयों की जरूरत थी, उन पर फौरन कार्रवाई

करना सम्भव न था। किन्तु सरकार ईत बातों के लिए उत्सुक थी कि सीमा शुल्क पुनर्गठन समिति की स्वीकृत सिफारिशों को यथाशीघ्र अमल में लाया जाए और इस दिना में सरकार आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

परिषद की कार्रवाई  
परिषद के दो दिन के अधिवेशन में ७१ विषयों पर विचार किया गया। अधिवेशन के अध्यक्ष, केन्द्रीय राजस्व और नागरिक मन्त्री, डा० बी० गोपाल देवदी थे।

सीमा शुल्क प्रदासन के संबंध में प्रायः ३० विषयों पर विचार किया गया। इनमें असवाब संबंधी नियमों का सतोचन, कर निर्धारण के संबंध में मुख्य निश्चित करने की विधि, किसी वस्तु के आयात के समय यदि पूरी जानकारी प्राप्त न हो तो अस्थायी रूप से शुल्क निश्चित करने संबंधी नियम, बड़े-बड़े बदराहों में सीमा शुल्क सलाहकार समितियों की नियुक्ति आदि विषय मुख्य थे। परिषद के सदस्यों ने जो सुझाव दिये उन पर विचार किया गया और प्रत्येक के संबंध में वास्तविक स्थिति उन्हें बताया गया। कुछ बातों अमल में लाने के लिए और कुछ आगे विचार के लिए स्वीकृत की गयीं।

सीमा शुल्क के संबंध में कार्यक्रम में जो विषय थे उनके समाप्त होने के बाद सीमा शुल्क के लिए उत्तरदायी केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के सदस्य ने परिषद को बताया कि उन १५ विषयों के संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है जिन्हें विचार के लिए सुझाया गया था, पर जो पहले ही गतीयजनक रीति में तय हो चुके हैं। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि सीमा शुल्क भवनों में मार्बलनिक मम्पक और सूचना संबंधी सेवाओं को और भी अधिक अच्छा बनाने के लिए तथा भारतीय सीमा शुल्क की सलाहकार प्रकाशित करने के लिए तथा समुद्री सीमा शुल्क की पुस्तिका प्रकाशित करने के लिए क्या व्यवस्था की गयी है।

श्रीमों को अपना अपना वापस मिशन में बहुत देर लगनी है इगवा भी उल्लेख किया गया। परन्तु सीमा शुल्क विभाग की ओर से जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये उनसे प्रष्ट हुआ कि ज्यादातर एक महीने के भीतर रुपये की वापसी की माता दे दी जाती है। इनके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि माल निर्यात

करने के संबंध में जो स्थिति वर्णन करना पड़ता है उनमें जो फिर भी कम समय लगाता है।

मौसम मूल्य और केन्द्रीय उत्पादन कर मन्त्रालय परिषद की स्थापना पिछड़े वर्षों की गयी थी। इनमें केन्द्रीय मन्त्रालय मण्डल के वित्त-कारियों की छोड़कर ११ मन्त्रों में ६ पदेन सदस्य हैं जो मन्त्रों के व्यापार और उद्योग मन्त्रों के साथ, अ० भा० उत्पादन मण्डल, अ० भा० आयातकों और निर्यातकों के मण्डल तथा भारतीय व्यापार मण्डल के साथ के प्रतिनिधि हैं। मंत्र ५ मन्त्र मन्त्रालय द्वारा मनोनीत मंत्र-परिषद् की है।

### विजली करों के कूड़े पर उत्पादन शुल्क की रियायत

वित्त मन्त्रालय के मन्त्र विभाग की १० फरवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि विजली करों के छूट का मन्त्रालय के लिए, उदा० १०० में अधिक तथा ३०० तक विजली करों के अर्ध १९५८ में फरवरी १९६० तक उत्पादन शुल्क की दर में गिरावट कर दी गई थी। यह रियायत उनको आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए दी गई थी। इन उद्योगों के प्रतिनिधियों में मन्त्रालय के पाय मंत्र प्रत्येक-मन्त्र भेजा है कि उद्योगों की आर्थिक स्थिति में मन्त्रालय सुधार नहीं हो पाया है, इसलिए उत्पादन शुल्क की दर में रियायत देने की आवश्यकता बता दी जानी चाहिए। मन्त्रालय ने इन मामलों पर मन्त्रों के माध्यम से विचार करने के बाद इन रियायतों की सार्वजनिक फरवरी १९६० के बाद बहाने का निर्णय किया है।


### संयुक्त श्रम मण्डल का शिष्टमंडल भारत में

१३ फरवरी, १९६० को मद्रास अरब गणराज्य में तीन मद्रासों का एक प्रतिनिधि मंडल नयी दिल्ली आया। इस मंडल ने यहाँ छोटी बचत योजना के मामलों का अध्ययन किया। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं— नेगमल वेंकट आर्क ईन्ड्रे के उम-वर्धन, श्री एम० अम्बुगुडी, पॉस्ट आफिस मैरिज बैंक के निदेशक, श्री अहमद मोमी वल्लु दार्जा और काहिदा के अर्थ मन्त्रालय के आर्थिक अनुसंधान विभाग के वित्तीय

कार्यक्रम के निदेशक, श्री अबदल एल गरीही। यह मंडल यहाँ पांच दिन ठहरा और उसने वित्त मन्त्रालय के उच्च अधिकारियों और डाक तार विभाग के महानिदेशक के साथ बातचीत की।

१९५७-१९५६ में जारी किए गए धोस ११ जनवरी को लोकसभा में वित्त मंत्री, श्री मंत्रालय की देनाई ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि १९५९ में ३ करोड़ ८८

लाख रु० के बोनस घोषित जारी करने की स्वीकृति दी गई, जिसमें से ३५ लाख ८४ हजार रु० के बोनस जारी किए गए; जबकि १९५८ में १०,२५,६२,००० रु० के और १९५७ में १५,५१,९८,००० रु० के बोनस घोषित जारी की स्वीकृति दी गई थी और पहले साल, यानी १९५८ में ८,८१,७१,००० रु० के और दूसरे साल १०,११,०५,००० रु० के घोषित जारी किए गए थे।



## लघु उद्योगों की प्रगति : जापानी शिष्टमंडल की रिपोर्ट

पिछले साल जापानी विद्यार्थियों का जो शिष्टमंडल भारत के छोटे उद्योगों का अध्ययन करने आया था, उसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दे दी है। शिष्टमंडल ने छोटे उद्योगों में धीरे-धीरे अधिक और नई मशीनों का प्रयोग करने की सिफारिश की है। शिष्टमंडल ने अधिक वित्तीय और आर्थिक सहायता देने की भी सिफारिश की है।

पाच मद्रासों के जापानी शिष्टमंडल के नेता, श्री नेरुहिबोको दयालोक थे। शिष्टमंडल ने छोटे उद्योगों के विस्तार के बारे में अपनी राय जाहिर करते हुए कहा है कि सरकार की नीति छोटे उद्योगों के संरक्षण और पालन की बजाय उनके मार्गदर्शन और उत्पाद बढ़ाने की होनी चाहिए। शिष्टमंडल ने कहा है कि छोटे उद्योगों को बढ़ाने का सरकार का कार्यक्रम बहुत मोबा-विचार कर तैयार किया गया है और इसमें तथा जापान के कार्यक्रम में बहुत-कुछ समानता है।

### आर्थिक सहायता

छोटे उद्योगों की आर्थिक सहायता देने की चर्चा करते हुए शिष्टमंडल ने विचार प्रकट किया है कि इन कामों के लिए ऋण-जीमा योजना चलाई जानी चाहिए और छोटे उद्योगों की सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता देने के लिए प्रत्येक राज्य में सहकारी बैंक खोले जाने चाहिए। शिष्टमंडल ने यह भी सिफारिश की है कि छोटे उद्योगों को ऋण सरकार से न

मिलकर राज्यों के वित्त विभागों से मिलें ता अन्वया हो।

### औद्योगिक बस्तियाँ

शिष्टमंडल ने भारत के औद्योगिक बस्तियों के कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा की है और कहा है कि यह अपने-किस्य का एक निराला कार्यक्रम है, जिसमें विशेष उद्योगों के विकास और उद्योगों के विकेन्द्रीकरण में सहायता मिलेगी। इनमें स्थानीय उद्योगों की भी प्रशंसा मिलेगी। शिष्टमंडल ने देश के विभिन्न भागों में ऐसी ही और बस्तियाँ खोलने की सिफारिश की है। शिष्टमंडल ने कहा है कि औद्योगिक बस्तियों को सहकारिता के आधार पर चलाना चाहिए। जिन इलाकों में इन बस्तियों के लिए बिजली न मिले वहाँ पर डीजल तेल से चालित पैदा की जानी चाहिए।

### राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

शिष्टमंडल ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का संगठन और मजबूत करने की सिफारिश की है। शिष्टमंडल ने यह भी सुझाव दिया है कि प्रत्येक राज्य में लघु उद्योग निगम खोले जाए, जो देश में बनी हुई मशीनों को आसान किस्तों पर बेचने का प्रयत्न करे। ये निगम इसका भी प्रयत्न करे कि सरकारी विभागों द्वारा खरीदे जाने वाले सामान को खरीद छोटे उद्योगों से ही हो।

### वित्तीय सहायता और मुद्रियाएँ

जापानी शिष्टमंडल ने लघु उद्योग सहायता संस्थाओं और विस्तार केन्द्रों को अधिक मुद्रा बनाने और



दिया है, जिससे इनमें अनुसंधान और परीक्षण का काम हो सके। शिफ्टमंडल ने इस प्रकार की और अधिक संस्थाएं और केन्द्र खोलने की भी सिफारिश की है।

शिफ्टमंडल ने कहा है कि इस समय छोटे उद्योगों के सिल्विकों की ट्रेनिंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इस काम के लिए शिफ्टमंडल ने सुझाव दिया है कि इन लोगों को महकारी कारखानों में काम सिखाया जाना चाहिए।

शिफ्टमंडल ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जहां जरूरत हो, वहां पर विदेशों से सिल्विक बुलाए जाने चाहिए और भारतीय सिल्विकों को उचित प्रशिक्षण के लिए बाहर भेजना चाहिए। शिफ्टमंडल ने राज्यों में सिल्विक समितियों की स्थापना की भी सिफारिश की। ये सिल्विक समितियाँ स्थानीय साधनों के विकास और उपयोग के बारे में पड़ताल करेगी।

### छोटे उद्योगों के मालिकों की सहकारी समितियाँ

शिफ्टमंडल ने औद्योगिक सहकारी समितियों के गठन को मजबूत करने और छोटे उद्योगों के मालिकों की नई सहकारी समितियाँ बनाने का सुझाव दिया है। इन सहकारी समितियों को कच्चा माल खरीदने, माल को बेचने, भरने और दूसरी जगह भेजने के काम सम्मिलित रूप में करने चाहिए। सबसे छोटी सहकारी समिति एक जिले से कम इलाके में होनी चाहिए। शिफ्टमंडल ने अनुसंधान करने, सिल्विक जानकारी देने, उद्योगों के प्रबन्ध और जनता तथा सरकार में सम्पर्क बनाए रखने के लिए व्यापार सघों की स्थापना को सिफारिश की है।

### निर्यात की प्रोत्साहन

शिफ्टमंडल ने कहा है कि छोटे उद्योगों में बने सामान का निर्यात बढ़ाना जरूरी है, पर इससे पहले इस माल की बिक्री देश में ही होनी चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि माल को किस अच्छी है और दाम भी उचित है। शिफ्टमंडल ने राय जाहिर की है कि हथकरघे और दस्तकारी के काम की चीजों के निर्यात में बहुत गुणाइस है। शिफ्टमंडल ने विदेशों में इनकी बिक्री के लिए विज्ञापन देने की सलाह दी है।

### औद्योगिक आंकड़े

शिफ्टमंडल ने सब उद्योगों के पूरे आंकड़े इकट्ठा करने पर जोर दिया है। यह भी सुझाव दिया गया है कि योजनाओं की सफाई के लिए यह आवश्यक है कि आंकड़े इकट्ठा करने वाली मस्थाओं का पुनर्गठन किया जाए और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत औद्योगिक अंक अनुसंधान निदेशालय बनाया जाना चाहिए। शिफ्टमंडल ने यह भी सुझाव दिया है कि भारतीय अंक अनुसंधान सस्था को औद्योगिक आंकड़े इकट्ठा करने और औद्योगिक पडतालों की सूची तैयार करने में सहायता देनी चाहिए।

### अच्छे क्रिम का माल

शिफ्टमंडल ने छोटे उद्योगों में अच्छे क्रिम का गमान बनाने पर जोर दिया है। शिफ्टमंडल ने सिफारिश की है कि इस काम के लिए भारतीय मानक सस्था के मानकों के अनुसार ही सामान बनाया जाना चाहिए। छोटे उद्योगों के मालिकों को सही और अच्छा कच्चा माल चुनने और नई तथा सुधरी हुई विधिमा इस्तेमाल करने में लक्ष्य उद्योग सहायक सस्थाओं का सहायता देनी चाहिए।

### निर्यात प्रोत्साहन सलाहकार परिषद की बैठक

नयी दिल्ली में १४ फरवरी को निर्यात प्रोत्साहन सलाहकार परिषद की बैठक का उद्घाटन करते हुए, केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति को देखते हुए, इस बात की पूरी सम्भावना है कि दूसरी पधवर्षीय योजना में ३० अरब ८० से अधिक का गमान विदेशों का भेजा जा सकेगा। दूसरी योजना में ३० अरब ८० के सामान के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। श्री शास्त्री ने कहा कि पिछले साल ६ अरब २६ करोड़ ८० के सामान का निर्यात हुआ। कोरिया की लड़ाई के समय के निर्यात को छोड़कर, इतना निर्यात इससे पहले कभी नहीं हुआ था।

देश को आयात की आवश्यकताओं का जिक्र करते हुए, श्री शास्त्री ने कहा कि आने

वाले सालों में हमें प्रतिवर्ष लगभग १० अरब ८० का सामान बाहर से मंगाना पड़ेगा। अतः विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरी करने के लिए निर्यात बढ़ाना नितान्त आवश्यक है। हमें इस वर्ष पिछले साल से कम से कम ५० करोड़ ८० का अधिक सामान विदेशों को भेजने का लक्ष्य रखना चाहिए। यदि यह प्रगति जारी रहे, तो देश १९६१ में निर्यात ७ अरब ८० कमा सकता है।

श्री शास्त्री ने कहा कि जनवरी १९५९ के अन्त में देश का पीडी-याचना १ अरब ९२ करोड़ ८० लाख ० था और वह बढ़कर १ जनवरी, १९६० को २ अरब १३ करोड़ २८ लाख ८० हो गया है। पिछले वर्ष अधिक आयात के कारण २ अरब ४३ करोड़ की विदेशी मुद्रा की कमी पड़ी। यह कमी अधिकांश मित्र-देशों की सहायता से पूरी हुई। पर, पश्चिमी यूरोप के देशों से जो माल मंगाया गया है, उसकी भुगतान-स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इन देशों से आयात की समस्याओं पर विचार करने के लिए हमारा एक शिफ्टमंडल यूरोप गया और उसे अपने काम में पर्याप्त सफलता मिली है।

एशिया और अफ्रीका के देशों को निर्यात करने की चर्चा करते हुए, श्री शास्त्री ने कहा कि मुझे इस बात पर खेद है कि इन देशों को जितना निर्यात सम्भव था, उतना निर्यात नहीं हो सका है। यह स्पष्ट ही है कि हम अपनी सामान्य स्थिति और अन्य सम्बन्धों के कारण इन देशों से अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। ये देश भी अपने यहाँ नये-नये उद्योग और कारखाने चालू करने के लिए प्रयत्नशील हैं। यदि हम किसी भी रूप में इन देशों को इस काम में सहायता दे सके, तो हमें इसमें बहुत प्रसन्नता होगी। पर इन देशों में हमारा माल अन्य देशों के माल के मुकाबले में बेचा जाए, तो उचित ही है। अतः यह अच्छा होगा कि एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों में व्यापार बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ से शिफ्टमंडल जाए।

श्री शास्त्री ने कहा कि जिन देशों में राज्य की ओर से भी व्यापार होता है, वहाँ पर हमारा निर्यात बढ़ा है।

तुल्य माल की माल विदेशों को अर्थिक प्रभाव में डालना, उनको पचास करोड़ रुपए की मात्रा में बहा कि इस वर्ष में ११ महीना के दो अंशक मिले हैं, उनके अनुसार सबसे अधिक वृद्धि मालों के निर्यात में हुई है। नवम्बर १९५८ तक १६ करोड़ ६० लाख ४० की माल विदेशों को भेजा गई। यह जनवरी में नवम्बर १९५८ के निर्यात में १० करोड़ ५० लाख ४० अधिक है। १९५९ में २८ करोड़ ३० लाख ४० का बनावट हुआ बनावट विदेशों को भेजा गया, जो तुल्य वर्ष के निर्यात में १०॥ करोड़ ४० अधिक है। इसके अलावा मृत और दसमन के सामान, सोने और इस्पात की बनावट, इस्पात पाईप, सोमेट, माल और बनावट, आदि, मूलकरी के तेल और बच्चे सोने का निर्यात बढ़ा बहा है। अग्रज मछली, मायागम और इस्पात की बनावट, गीद, रेजिन, कार्बोन और बनावट, गार्मिन्ट के रंगों का सामान और मिटाई की मशीनों के निर्यात में भी कुछ वृद्धि हुई है। श्री मायागम में बहा कि हमें सबसे अधिक विदेशों मुद्रा पाय के निर्यात में मिलती है, पर इस वर्ष १० करोड़ ४० की बम पाय विदेशों की भेजी गयी। इतना होने पर भी, देश के कुछ निर्यात में वृद्धि होना उम्माहवर्षक है। उन्होंने बहा कि अपने दसमन्य को पूर्णता देने के लिए यह जरूरी है कि राज्य व्यापार निगम ने निर्यात-वृद्धि के लिए जो काम किया है, में उसकी भी पचास करोड़। इस वर्ष निगम ने निर्यात बढ़ाने में बहुत सहायता दी है। मैं यह जानना है कि व्यापारी वर्ग निगम के प्रति विवेक आवृत्ति नहीं है। पर यह बात गहरी है कि निगम का महत्व बढ़ गया है और सरकार इसकी आवश्यकता दिन प्रति दिन अधिक महसूस करती जा रही है। यदि मैं यह कहूँ कि कुछ उद्योगों को निगम को बहुत आवश्यकता है, तो अतिवाचोक्ति नहीं होगी।

छोटे उद्योगों के माल का निर्यात बढ़ाने का निष्कर्ष करते हुए श्री चार्लो ने कहा कि मैं समझता हूँ कि इस माल के निर्यात की बहुत सम्भावना है। जैसे, डिब्बा-बन्द फल, दस्तकारी का सामान, मगालि, अचार-मुरख्य और ऐंगी की बहुत-सी चीजें विदेशों के बाजारों में ही बहुत-सी चीजें विदेशों के बाजारों में आसानी से बची जा सकती हैं। इन चीजों के

निर्यात देश भर में फैले हैं। मैं समझता हूँ कि इन वस्तुओं के निर्यात के लिए किसी सरका का गठन किया जाए।

श्री मायागम ने अंत में कहा कि एक समय ऐसा लगता था कि हम दूसरी पंचवर्षीय योजना के निर्यात के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकेंगे, पर अब यह निश्चित ही है कि लक्ष्य में अधिक का निर्यात हो गयेगा। पर तीसरी पंचवर्षीय योजना की अपनी आवश्यकता को देखते हुए हमें अपने निर्यात को और भी अधिक बढ़ाने के लिए बटवड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि हम अपने शोध-कार्य पर अधिक निवेश नहीं कर सकते। यह पायां निर्यात की वृद्धि के द्वारा ही सम्भव हो सकता है।

### १९५६ के पूर्वार्द्ध में औद्योगिक प्रगति

औद्योगिक प्रगति के सम्बन्ध में जो तथ्य मिले हैं, उनमें पता चलता है कि मई १९५९ को पहली छमाही में सरकार की और निर्यात क्षेत्र में कुछ ३५ कार्यक्रमों का शुरू हुए। सरकार की ध्यान में जिन कारखानों में उत्पादन शुरू किया, उनमें राज्यकेन्द्र और मिलाई के इस्पात कारखानों भी शामिल हैं। इस अवधि में निर्यात क्षेत्र में अष्टमिनियम के विट, सोमेट, पाय की मशीनों, गार्डबिल के पेल आदि बनावट वाले कारखानों का शुरू हुए।

इनके अलावा १९५९ की पहली छमाही में ३१ कारखानों का विस्तार कार्यक्रम पूरा हुआ। इनमें सोमेट, पोलिथीन और कागज बनावट-शाले कारखानों भी शामिल हैं। रॉक ड्रिल, अलकाइड रेजिन, फॅनेलिक आदि कुछ वस्तुएँ पहली बार देश में बनायी गयी हैं।

जनवरी-जून, १९५९ में उद्योग विकास और निगमन कानून के अंतर्गत ४५७ लाइसेंस दिए गए थे। इनमें से ८८ लाइसेंस नये कारखानों के लिए और ८६ लाइसेंस नयी चीजें बनाने के लिए दिए गए। इस अवधि में ६८ लाइसेंस इंजीनियरी का सामान और ५५ लाइसेंस लोहा और इस्पात बनावट वालों को, ४४ लाइसेंस विजली का सामान और ४१ लाइसेंस रासायनिक पदार्थ बनाने के लिए दिए गए।

### सारकारी क्षेत्र के कारखानों

सरकारी क्षेत्र के हिन्दुस्तान इन्सुलिवि-गाइडम, मेगनल इस्ट्रुमेंट्स फैक्टरी, प्राग दूध कारपोरेशन, हिन्दुस्तान एण्टिबायोटिक्स, हिन्दुस्तान मशीन दूध और हिन्दुस्तान केबल कारखानों के उत्पादन में वृद्धि जारी रही। वैसे नाहन फ़ाउण्ड्री और सिन्धी उर्वरक कारखानों का उत्पादन कुछ कम हो गया। निर्यात क्षेत्र में भी कारखानों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। कोयले, इस्पात, सीमेंट, मशीनें, गार्मिन्ट, रासायनिक चीजों आदि के उत्पादन में विशेष रूप में वृद्धि हुई। किन्तु सूती कपड़ा उद्योग, मशीनी वेच, चक्की के पाटों, पम्पा ठंडा करने के यंत्रों और माचियों के उत्पादन में कुछ कमी आई।

छोटे उद्योगों से सामान बना कर भारत सरकार को देने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने सरकार ने ४६० ठेके प्राप्त किए, जबकि इसमें पहली छमाही में ३५६ ठेके ही लिए गए थे। इस निगम ने छोटे उद्योगों को ५५ लाख ४० की ६३७ मशीनें किस्मों पर दी। इस अवधि में निगम ने कुल १,१९२ मशीनें देने के लिए छोटे उद्योगों से अर्जियां मजूर की, जिनकी कीमत १ करोड़ २९ लाख ४० बंधनी है।

### कागज उद्योग विकास परिषद की बैठक

नयी दिल्ली में १ फरवरी को कागज, लुगदी और सम्बन्धित उद्योगों की विकास परिषद की पहली बैठक का आरम्भ करते हुए उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई साहू ने बताया कि तीसरी योजना में कागज उद्योग का उत्पादन १६५ ७ लाख टन है और उत्पादन क्षमता ९ लाख टन होगी। उन्होंने बताया कि दूसरी योजना में जो ४॥ लाख टन का लक्ष्य था, वह पूरा हो चुका है। और जितने कारखाने लग चुके हैं और जिन मशीनों के आर्डर दिए जा चुके हैं, उन सबको मिलाकर कागज उद्योग की पूरी क्षमता ६ लाख ८८ हजार टन होगी। श्री साहू ने बताया कि १९५९ में २ लाख ९२ हजार टन कागज बनाया गया। सन् १९१३। करोड़ ४० का कागज जबकि पिछले साल २०

। तीसरी योजना के पूरा होने पर ४८ रोड ६० का बनने लगेगा ।

### अखबारी कागज

उद्योग मंत्री ने बताया कि नेफा मिल का बराबर बंद रहा है और इसकी क्षमता १०० टन कागज प्रति दिन बनाने की की जा है । १०० टन कागज प्रति दिन बनाने ३-४ और मिलों को स्थापित करने के स्तावों पर भारत सरकार विचार कर रही । शुरू में अखबारी कागज की लुगदी बाहर मंगायी जाएगी । बाद में देशी सामान में बनने लगेगा ।

उद्योग मंत्री ने बताया कि इस समय देश में रेयन किस्म की लुगदी बनाने का मामान कठिनाई से मिलता है । मन् १९६१ में इस प्रकार की ७४ हजार लुगदी की जरूरत होगी । अब इस काम के लिए बास की लुगदी को काम में लाने के परीक्षण किए जा रहे हैं । केरल में १०० टन रेयन किस्म की लुगदी बनाने का कारखाना विठाया जा रहा है और तीन और योजनाओं को स्वीकृति दी जा रही है । आशा है कि सन् १९६३ तक देश में रेयन की जितनी लुगदी की दकतर होगी, मव यहाँ बनने लगेगी ।

श्री शाह ने बताया कि दूसरी योजना के आरम्भ में दफती बनाने के २३ कारखाने देश में थे, जिनकी क्षमता ७० हजार टन की थी । तब से ९ और कारखाने कायम करने की और ६ को बढाने की मजूरी दी जा चुकी है, जिससे करीब ५० लाख टन दफती और बन सकेगी । इस प्रकार पूरी क्षमता १२ लाख टन की हो जाएगी । उद्योग मंत्री ने यह भी बताया कि देश में टिण्डू कागज बनाने का एक कारखाना चल रहा है और दूसरा शुरू हो गया है ।

श्री शाह ने यह भी बताया कि अभी हाल में भारत सरकार ने ५० से १०० टन प्रति दिन कागज बनाने के छ कारखानों की योजना और प्रति. दिन ५ से १० टन के चार छोटे कारखानों की योजना स्वीकार की है । खास किस्म के कागज बनाने के लिए भी कोमिष की जा रही है । श्री शाह ने बताया कि इस समय देश में कागज का एक कारखाना ईल की खोई से कागज बना रहा है, और करीब १५ हजार टन खोई, इस समय कागज बनाने के काम आ रही है । यदि चीनी मिलों से

निकलने वाली सारी खोई का इस्तेमाल किया जाए तो इससे प्रति वर्ष २७ लाख टन कागज बन सकता है ।

श्री शाह ने बताया कि राज्य व्यापार निगम २५ से ५० हजार टन तक कागज बाहर से मगा रहा है, जिसमें देश में कागज की बढती हुई माग पूरी हो सके । उन्होंने यह भी बताया कि प्रति वर्ष २,५०० टन कागज निर्यात भी किया जाता है ।

### कपड़े की कीमतें

केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री, श्री नित्यानन्द कानूनगो ने १० फरवरी को राज्यमन्त्रा में बताया कि कपड़े के दाम धटाने के लिए सरकार ने जो उपाय किए, उनमें बाजार में भाव स्थिर हुए हैं । उन्होंने बताया कि अगले कुछ सप्ताहों में और भाव गिरने की आगा है । सरकार स्थिति का अध्ययन कर रही है । यह सूचना वाणिज्य मंत्री ने प्रश्नोत्तर के समय दी ।

श्री कानूनगो ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में कपड़े का थोक और फुटकर भाव बढ़ गया है । इस वृद्धि के कुछ कारण ये हैं - (१) देश और विदेशी रुई की कीमतों में वृद्धि; (२) कई कारणों, जैसे महंगाई भले में वृद्धि आदि से उत्पादन खर्च में बढोतरी; और (३) सट्टेबाजी । उन्होंने बताया कि पिछले मौसम में भारतीय रुई की फसल अच्छी नहीं हुई, जिससे सट्टेबाजी तेजी से चली । सरकार ने काफी मात्रा में रुई आयात करने का प्रबन्ध किया है और उद्योगों को कच्चा माल सप्लाई होने में कमी न होगी ।

श्री कानूनगो ने बताया कि देशी रुई के बितरण का प्रबन्ध किया गया है । सरकार ने उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बात की है और वे सट्टेबाजी के खिलाफ और भाव गिराने की कोशिश कर रहे हैं । उद्योग के प्रतिनिधियों ने यह आश्वासन दिया है कि वे आवश्यकता पड़ने पर भाव स्थिर करने के लिए प्रमुख केन्द्रों में अपने बिक्री केन्द्र खोल सकते हैं ।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री कानूनगो ने बताया कि सूती धागों की कीमतों में वृद्धि करने के लिए एक प्रतिनिधि मण्डल मिला था । उन्होंने कहा कि सरकार सूती धागों की कीमतों को चौकसी से देख रही है और उम्मीद है कि स्थिति सामान्य हो जाएगी ।

### क्या आप जानते हैं ?

#### राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद

● अक्टूबर-नवम्बर १९५६ में भारत से एक प्रतिनिधिमंडल जापान में उत्पादकता बढाने के तरीकों के अध्ययन के लिए गया था । इसी के बाद देश में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद स्थापित करने का विचार हुआ ।

● राष्ट्रीय धन बढाने और लोगों का रहन-सहन अच्छा करने के लिए उत्पादकता बढाने की जरूरत है । इसका मतलब है कि सब प्रकार के साधनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके, कम लागत पर बढिया चीजें बनाई जाए ।

● केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय ने इस विषय पर विचार करने के लिए नवम्बर १९५७ में एक बैठक बुलाई । इसमें मालिकों और मजदूरों की सस्थाओं, प्रबन्ध मंचों और शिल्पिक सस्थाओं के विद्वानों तथा अमरीका के शिल्प सहयोग मंडल और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इस बैठक की सिफारिश पर १२ फरवरी, १९५८ को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद स्थापित और रजिस्टर हुई ।

● यह परिषद देश में ५ क्षेत्रीय उत्पादकता निदेशालय स्थापित कर चुकी है । इनमें उत्पादकता बढाने की शिक्षा देने के लिए विशेषज्ञ रखने की व्यवस्था है, जिनसे उद्योगों को मदद मिले ।

● यह परिषद अब तक देश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में ३४ स्थानीय उत्पादकता परिषद खोल चुकी है । कानपुर, फरीदाबाद, बडौदा, लुधियाना, कलकत्ता और अमृतसर में भी शोध ही स्थानीय परिषद खल जाएगी । लगभग २० अन्य स्थानों पर भी परिषद खोलने के बारे में प्रारम्भिक कार्रवाई की जा चुकी है ।

● अमरीका के शिल्प सहयोग मंडल की सहायता से १२ विदेशी शिल्पिकों और विशेषज्ञों को बुलाने का प्रयत्न किया जा रहा है । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन भी, कुछ विशेषज्ञ भेज रहा है, जो उत्पादकता बढाने की शिक्षा देंगे ।

● राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का कार्यक्रम बनाने और चलाने के लिए भारतीय विशेषज्ञ नियुक्त किए गए हैं ।

● प्रथम बर्माचारियों, फोर्सेनो आदि को भी नियतने का बार्नक्रम तैयार किया गया है। उपानदकता को बढाने के लिए अनुसंधान करने और दूररे देगों मे मिलितर ज्ञान को भी बढावा दिया जा रहा है।

● उपानदकता के नगीको और विभिन्न उद्योगों का कल्पन करने के लिए बिदेगों में कल्पन टोर्नियों भी भेजी जाएगी।

**चर्चीगढ़ मे ऐटिबाओटिक क्रीपडिया बनाने का कारखाना**

उजोग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने १० फरवरी को राउमना में एक मन्त्र के उत्तर में बढावा कि सरकार ने एक अमरीकी बन्पनी को चर्चीगढ़ में टेंगुलाइमिन्ड ओर्नडिया बनाने का बार्गषाना शोलने की स्वीडि दे हो है। मंत्री महोदय ने बढावा कि बार्गषाना शोलने का प्रस्ताव मेगमें द्युमेबम (प्रोडेट) लि० में रखा था। इस बार्गषाने के अधिबान हिमने अमरीकी बन्पनी फाडबर्म के होंगे। श्री शाह ने कहा कि बन्पनी को फाडनेम दिया जा चुका है।

**रेयन बनाने मे देश मे मिलने वाले कच्चे माल का प्रयोग**

भारत में आरजब रेयन बनाने के तीन कारखाने हैं, जो प्रतिवर्ष लगभग षाई करोड पीट रेयन के घागे बनाने हैं। अनुमान है कि देग की रेयन की आवश्यकता लगभग ६८ करोड पीट है। देग में रेयन उद्योग का निरन्तर विस्तार हो रहा है। रेयन को बनावटी देगम भी कहा गया है। इसके घागे सेलूगोस की विट्टी या विस्कोग से तैयार किए जाते हैं। सेलूगोस विभिन्न वनस्पतियों का तैयार किया जा सकता है। विभिन्न वनस्पतियों के सेलूगोस रेयन बनाने के लिए कहा तक उपयोगी हैं, इसका पता लगाने के लिए दिल्ली के शौराम औद्योगिक अनुसंधान सस्थान में एक मन्त्र लगाया गया है। इस मन्त्र में एक किलोग्राम लुगदी एक घान में इस्तेमाल की जा सकती है। इस मन्त्र का आकार निश्चित करते समय इस प्रकार के अनुसंधान करने वाले दूररे अनुसंधान सस्थानों में रुगे ऐसे मन्त्रों की क्षमता को ध्यान में रखा गया।

**बिजली के लिए पीने दो लाख टन चीनी खाद** और इति मनालय के चीनी और वनस्पति निदेनालय की ४ फरवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत सरकार ने बिजली के लिए १ लाख ७५ हजार टन चीनी देने का निर्णय किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार और पंजाब को चीनी मित्रों से गुनी बिजली के लिए चीनी नहीं दी जाएगी। यहा मे केवल वही के बर्माचारियों के लिए कुछ चीनी दी जाएगी।

मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, प० बंगाल, उड़ीसा, केरल, बम्बई, हिमाचल प्रदेश, आनाम, मणिपुर और त्रिपुरा में नियमित धारा की मित्रों मे यहा की राज्य सरकार के नामजनों को चीनी दी जाएगी। पंजाब और जम्मू-कश्मीर में गीधे राज्य सरकार को या उनके नामजनों को दी जाएगी। दिल्ली में चीनी के विवरण का यहा तरीका रहेगा, जो इस समय प्रबलित है।

चीनी का भाव भी यहा रहेगा, जो २५ अक्टूबर, १९५९ की अधिमूचना सस्था जी एच आर ११८८ ई म गनों ओ एम गुगर में दिया गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में चीनी का कारखाना भाव ३७ ष० ८५ न० ९० मन है। पंजाब की मित्रों में आई एत एत ष०-२९ प्रेड की चीनी का भाव ३८ ष० ३५ न० ९० मन है और अन्य प्रकार की चीनी के भाव इससे कुछ कम-बेश है। कानपुर और कलकता में आई एत एत ष०-२९ प्रेड चीनी का भाव स्टेशन पर क्रमगः ३८ ष० ६० न० ९० और ३९ ० ८५ न० ९० है।

**मिलार्ई इस्पात कारखाने का उत्पादन**  
जानवरी १९६० में मिलार्ई इस्पात कारखाने में २१,२६२ टन इस्पात पिंड बनाए गए, जबकि दिसम्बर १९५९ में १५,३९६ टन बने थे।

इस कारखाने की एली भट्टी में १२ अक्टूबर १९५९ से इस्पात बनाता शुरू हुआ था। तब से अब तक कुल ५०,००० टन इस्पात बनाया जा चुका है। जनवरी १९६० के अन्त तक लगभग ५,५०० टन इस्पात बने हैं। देश के विभिन्न भागों को भेजी

जनवरी १९६० में कुल ५८,३८८ टन लोहे के ढोके बने, जबकि दिसम्बर १९५९ में ३४,९७५ टन बने थे। ४ फरवरी, १९५९ को पहली घनम भट्टी चालू हुई थी। तब से अब तक कुल ३,८०,००० टन लोहे के ढोके बनाए जा चुके हैं। जनवरी १९६० तक ३ लाख टन लोहा कारखाने के बाहर भेजा गया।

**नंगल उधरक कारखाने की प्रगति**  
लोहा उद्योग में १२ फरवरी को प्रयोत्तर के समय लोकसभा में वाणिज्य और उद्योग उपमन्त्री, श्री सतीशचन्द्र ने नगल में उर्वरक कारखाने की प्रगति के बारे में एक विवरण सदन की भेज पर रखा। विवरण में बताया गया है कि एलेक्ट्रोलाइसिस शाखा की इमारत बनाने का काम एक तरह से पूरा हो गया है और सभी यन्त्र लगाए जा चुके हैं। बिजली सम्बन्धी काम अभी हो रहे हैं। बिजली शाखा की इमारत अभी बन रही है और उस का लगभग ८५ प्रतिशत काम पूरा हो गया है। इसका सभी साज-सामान पहुंच गया है और लगाया जा रहा है। फर्टिलाइजर ग्रुप आफ प्लाण्ट्स के लिए सभी उपकरण आगए है और इसके काफी यन्त्र लगाए जा चुके हैं और बाकी यन्त्र लगाने का काम जारी है। भारी पानी शाखा की इमारत का डिजाइन बनाया जा चुका है और खुदाई का काम शुरू हो गया है। इसके लिए सामान फरवरी १९६० में जहाज से रवाना कर दिया जाएगा। यहा के मजदूरों और कर्मचारियों के लिए बस्ती का काम भी शुरू कर दिया गया है और लगभग ९१ प्रतिशत बसाटर बन चुके हैं और इनमें बिजली भी पहुंचाई जा चुकी है।

**सीमेंट का उत्पादन**  
केन्द्रीय उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने ९ फरवरी को लोकसभा में बताया कि १९६०-६१ में देश के सीमेंट कारखानों की क्षमता १ करोड टन सीमेंट की है और वर्ष कुल ९० लाख टन सीमेंट बनने हैं। श्री शाह ने बताया कि १९५९ में २० हजार टन सीमेंट बना था।

## देश में चमड़े की कमाई का काम

● भारत में लगभग २० करोड़ मवेशी हैं। यह सध्या अमरीका के मवेशियों की संख्या से तिगुनी है।

● भारत में प्रतिवर्ष लगभग २ करोड़ मवेशियों की खाल से चमड़ा बनाया जाता है। इनमें ८५ से ९० प्रतिशत तक ऐसे जानवर होते हैं, जो अपनी प्राकृतिक मीत मरते हैं।

● इनके अतिरिक्त भारत में साढ़े सात करोड़ बकरियाँ और चार करोड़ भेड़ें हैं। इनमें से प्रतिवर्ष साढ़े तीन करोड़ बकरियों और १ करोड़ ७० लाख भेड़ों की खाल से चमड़ा बनता है। इनमें लगभग ८५ प्रतिशत भेड़-बकरियाँ ऐसी होती हैं, जिनका मास बेचा जाता है।

● बकरियों की खाल ज्यादातर निर्यात की जाती है। अन्य सभी जानवरों की खालों और कुछ आयातित खालों को भारत में ही कमाई की जाती है।

● भारत में चमड़े की कमाई का ज्यादातर काम छोटे पैमाने पर होता है। वैसे मद्रास, कानपुर, कलकत्ता और बम्बई में कमाई करने के कुछ बड़े कारखाने भी हैं। देश में चमड़े की कमाई के लगभग ७२५ कारखाने ऐसे हैं, जहाँ ५० से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। यह उद्योग लगभग सारा ही निजी क्षेत्र में है।

● गाँवों में इस उद्योग का काफी सुधार किया जा सकता है। उत्तर भारत में कई गावों में खाल के धूले बनाकर सिझाई की जाती है। सिझाई करने वालों को इकट्ठा करके किसी खास स्थान पर बसाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस प्रकार इनकी सहकारी समितियाँ बनाई जाएँगी और चमड़े की कमाई की सभी सुविधाएँ दी जाएँगी। थंला बनाकर सिझाई करने की प्रथा हटाकर आधुनिक तरीकों का प्रयोग कराने की कोशिश की जा रही है। बहुत-से गावों में चमड़े की कमाई करने के केंद्र खोले जा रहे हैं, जहाँ आधुनिक तरीकों का प्रचार किया जाएगा। आजकल पंजाब, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, बम्बई,

मद्रास, पं० बंगाल, बिहार और कर्नाटक में इस तरह के केंद्र चालू हैं।

● इस देशी उद्योग के विकास और कमाई किए हुए चमड़े का निर्यात बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने १५ जून, १९५९ से बकरियों की खाल के निर्यात पर नियंत्रण लगा दिया है।

● भारत में चमड़े की कमाई करने वाले सामान, जैसे छड़ी आदि की काफी कमी है। देश में इस प्रकार की लगभग १५,००० टन छड़ियाँ प्रति वर्ष आयात हो रही हैं।

● इन छड़ियों की खेती करने का भी विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है। आशा है, दूसरी योजना के अंत तक २७ हजार एकड़ जमीन पर इसकी खेती होने लगेगी।

● मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और जालंधर में क्षेत्रीय सत्याएँ हैं, जहाँ चमड़े की कमाई करना सिखाया जाता है। जनवरी १९५३ में मद्रास में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था भी खोली गई थी। यहाँ प्रशिक्षण और अनुसंधान की सभी सुविधाएँ दी जाती हैं।

● कानपुर के चमड़ा प्रशिक्षण स्कूल को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। अब यहाँ उच्च शैलिक प्रशिक्षण की भी सुविधाएँ दी जाती हैं।

### तापसह ईंटें बनाने की नयी विधि

जमशेदपुर की राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला ने नये प्रकार की तापसह ईंटें बनाने का तरीका निकाला है। तापसह ईंटें लोहा और इस्पात बनाने की भट्टियों में लगाई जाती हैं। इन नयी ईंटों में यह विशेष गुण होना कि भट्टी को पहली बार तापने पर, रासायनिक क्रिया द्वारा इनके जोड़ मिल जाएँगे और पूरी सतह हमबार हो जाएगी।

ये तापसह ईंटें बहुत अधिक ताप बर्दाश्त कर सकती हैं और इन पर इस्पात के कचरे का भी कोई असर नहीं होता।

इन ईंटों को बनाने में मैंगनेसाइट, क्रोमाइट और मैंगनेशियम क्लोराइड काम आता है। अच्छे किसमें मैंगनेसाइट और मैंगनेशियम क्लोराइड के सलेम और मैंगूर में भण्डार है। उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में भी मैंग-

नेसाइट के भण्डार मिले हैं। क्रोमाइट के भण्डार बिहार और उड़ीसा में हैं। समुद्र के पानी से नमक बनाने में मैंगनेशियम क्लोराइड उपजाव (बाइ-प्राडक्ट) के रूप में मिलता है।

दूसरी योजना के अंत तक ८३,१२० टन तापसह ईंटें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरी योजना में इस्पात का अधिक उत्पादन होने पर ज्यादा तापसह ईंटें बनाई जाएँगी।

उक्त प्रकार की ईंटें इस समय देश में नहीं बनायी जा रही हैं। इन तापसह ईंटों को बनाने के लिए विनोय यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें साधारण तापसह ईंटें बनाने की मशीनों से ही तैयार किया जा सकता है। हर साल १५ हजार टन ईंटें बनाने वाले कारखाने को खड़ा करने में २७ लाख ९१ हजार ४० का पूंजीगत व्यय होगा।

### मकानों की छत ढालने की एस्फाल्ट की चादरें

राष्ट्रीय इमारत मण्डन ने मकानों की छतों में लगाने के काम की एस्फाल्ट की चादरें देश में ही बनाने के लिए कारखाना खड़ा करने की योजना बनाई है। इस सम्बन्ध में इमारत संगठन ने जो पड़ताल की थी, उस से पता चला है कि इन चादरों को देश में ही बनाने की पर्याप्त गुंजाइश है।

संगठन का अनुमान है कि एस्फाल्ट की चादरें बनाने पर एम्बेस्टर सीमेंट की चादरों से आधी लागत आएगी। साथ ही एम्बेस्टर सीमेंट की चादरें बनाने के लिए कच्चा माल विदेशों से मगाने पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है उसमें भी बचत होगी।

### कैल्शियम-युक्त नमक

मैंगूर की खाद्य प्रयोगिकी अनुसंधानोन्साला ने खाने का जो कैल्शियम-युक्त नमक तैयार किया है, वह भारतीय खुराक की आमतौर से पाई जाने वाली कैल्शियम की मौजूदा कमी को पूरा कर देगा। यह सूचना वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मंत्रों, श्री हुमायूँ कबीर ने एक प्रदत्त के उत्तर में ९ फरवरी को राय-

बना में दी। उन्होंने बताया कि मैट्रिक्सम वाले नरक के पीछे नरकों के बारे में ज़रूरत बनना में प्रयोग हो रहे हैं। नवीन अस्था रहा है लेकिन प्रयोग अभी पूरे नहीं हुए।

### प्लास्टिक उद्योग का विकास

उद्योग मंत्री, श्री मनुमाई माह ने रायचवला में १५ फरवरी को एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि प्लास्टिक उद्योग के लिए कच्चे सामान, जैसे पार्थिवीय और वा उत्पादन शुरू हो गया है। आमतौर पर इनको मरुस्थल में प्लास्टिक की बॉटल बनने लगती है। इनका निर्यात भी काफी बढ़ाया जा रहेगा। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक उद्योग के लिए देश में आवश्यक सामानिह पदार्थों की उत्पादन को कोशिश सरकार ने मजूर की है।

### सैनिक मैंगनीज का निर्यात

वाणिज्य और उद्योग उन्नयनी, श्री मनीम-चन्द्र ने १२ फरवरी को प्रश्नोत्तर के समय लोकसभा में बताया कि राज्य सरकार निगम अपने मरुस्थली कृषि जलसंधी व्यापारियों को सैनिक मैंगनीज निर्यात करने के दीर्घकालीन ठेके दिलवा रहा है।

इनका कारण पूछे जाने पर श्री मनीमचन्द्र ने कहा कि पुष्पाने मरुस्थली में यह विद्यमान बनाए रखना जरूरी है कि सैनिक मैंगनीज के निर्यात में कोई कमी नहीं आए। इसके लिए उचित दामों पर दीर्घकालीन ठेके देना भी जरूरी है। छोटे-मोटे निर्यातक व्यक्तिगत रूप से ३ से ५ लाख तक के ठेके देने में अक्षम हैं। वतः राज्य सरकार निगम से कहा गया है कि वह अनुभवों निर्यातकों से मिल कर सैनिक मैंगनीज का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न करे और उनको गृहयुत्पात्ता से दीर्घकालीन ठेके प्राप्त करे।

### स्ट्रुडियो के समान का आयात

माल सरकार ने आयातकों को बाहर में जितने मूल्य की गैर-इलेक्ट्रॉनिकी किन्हीं मगाने के लादेम दिए हैं, अब वे उसके २५ प्रतिशत मूल्य तक के स्ट्रुडियो उपकरण मंगा सकते हैं। सरकार ने यह निर्णय निर्यात करने की योजना के अन्तर्गत किया है। यह धारणा आयात व्यापार नियंत्रण सांजिक नॉटिस में कर दी गई है।

### दिसम्बर १९५६ में भारत का विदेशी व्यापार

१९५९ में भारत के विदेशी व्यापार में कुल मिलाकर वारिक पाटा कम रहा और दिसम्बर के महीने में निर्यात व्यापार में बचत रही। व्यापारिक आरंभ में क्लिप्त करने वाले विभाग ने अनुमान लगाया है कि दिसम्बर में व्यापार मजसूर १ करोड़ १८ लाख ६० में भाग के पक्ष में रहा।

इस महीने में भाग में ७० करोड़ ९४ लाख ६० का मान्य निर्यात या पुननिर्यात किया गया। पिछले वर्ष दिसम्बर में यह मरुत्वा ५२ करोड़ ३९ लाख थी। दिसम्बर १९५९ में व्यापारिक माह और मीने का आयात ६९ करोड़ ७९ लाख ६० का रहा। दिसम्बर १९५८ में ८५ करोड़ ८३ लाख ६० का माल और मोना आयात किया गया था। १९५९ में कुल मिलाकर निर्यात-आयात व्यापार में २४३ करोड़ १६ लाख ६० का पाटा रहा। यह मरुत्वा पिछले वर्ष की अपेक्षा ४३ करोड़ १ लाख ६० कम है। इस वर्ष ९१९ करोड़ ९० लाख ६० के माल का निर्यात किया गया, जबकि

१९५८ में यह मरुत्वा ५७० करोड़ ५६ लाख थी। इस वर्ष विभिन्न प्रकार के माल के आयात में केवल ४ करोड़ ४५ लाख ६० की वृद्धि हुई।

### डाक्टरी सामान का आयात

जनवरी-नवम्बर १९५९ की अवधि में कुल १ करोड़ १७ लाख ६० के डाक्टरी सामान का आयात हुआ था।

यह सूचना उद्योग मंत्री, श्री मनुमाई माह ने लोकसभा में १२ फरवरी को प्रश्नोत्तर के समय दी। उन्होंने बताया कि देश में नये-नये कारखानों को डाक्टरी और दन्त चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण बनाने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हाल ही में एक्सरे और चिकित्सा सम्बन्धी विजली का सामान बनाने की चार योजनाएं मजूर की गई हैं। पिछले साल धर्माधीन बनाने की भी तीन योजनाएं मजूर की गई थीं। सरकारी क्षेत्र में रूस की सहायता से बीर-फाड़ के औजार बनाने की एक योजना पर आजकल विचार किया जा रहा है।



### मजदूरों के लिए मकान : राज्य सरकारों द्वारा सहायता

मध्य प्रदेश, मंजूर, पंजाब, राजस्थान और अरुंधती की राज्य सरकारों ने नवम्बर १९५९ में ९५७ मकान बनाने की स्वीकृति दी है। ये मकान, मजदूरों के मकान बनाने के लिए सरकारी सहायता देन की योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। ये योजनाएं लगभग ३६ लाख ६५ हजार ६० की हैं। इन योजनाओं की या तो राज्य सरकार स्वयं या उनकी एजेंसियां लागू करेंगी और इसमें मजदूरों को ५० प्रतिशत रकम सहायता के रूप में और बाकी शेष राशियां ऋण के तौर पर दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश सरकार ने सतना में एक कमरे वाले ७५ मकान बनाने की स्वीकृति दी। इस पर लगभग २ लाख ४६ हजार ६० खर्च बैठेगा।

मंजूर सरकार ने जिस योजना की स्वीकृति दी है उसके अंतर्गत कम्पनी में लगभग ४

लाख ४ हजार ६० की लागत में एक कमरे वाले १०० और २ कमरे वाले १२ मकान बनाए जाएंगे। इसके अलावा बेतारामपुर में ४ लाख ६० की लागत के २ कमरे वाले १०४ मकान बनाए जाएंगे।

पंजाब सरकार ने लुधियाना में २ कमरे वाले ३६, पानीपत में दो कमरे वाले ९६, हिसार में एक कमरे वाले १२४, जगाधरी और यमुना नगर में दो कमरे वाले ३६-३६ मकान बनाने की योजना को स्वीकार किया है। इस योजनाओं पर क्रमशः १ लाख ५२ हजार ६०; ४ लाख ३ हजार ६०; ४ लाख ९ हजार ६०; १ लाख ५१ हजार ६० खर्च बैठेगा। यमुना नगर के मकानों को बनाने में भी १ लाख ५१ हजार ६० खर्च होगा।

राजस्थान में जिस योजना की स्वीकृति दी गई है उसके अंतर्गत पाली में १२ लाख ७२ हजार ६० की लागत के १ कमरे वाले १९२ और २ कमरे वाले १२० मकान

एंगे ।

बम्बई सरकार ने सूत्र में लगभग ७७ हजार ० की लागत के एक कमरे वाले २६ मकान नाने की श्रमजीवी कोऑपरेटिव हाउसिंग सापटी की योजना स्वीकार कर ली है ।

आसाम सरकार ने खरगली में एक कमरे वाले ६५ मकान और तिनसुकिया में एक कमरे वाले ३४ मकान बनाने की योजना स्वीकार की है । इन पर ३ लाख २६ हजार ६० खर्च होगा ।

श्री गंगानगर में २ कमरे वाले ५० और एक कमरे वाले २०० तथा जवार खानों के पास एक कमरे वाले १०० मकान बनाने की योजना पर राजस्थान सरकार ने स्वीकृति दे दी है । इन योजनाओं पर क्रमशः ८ लाख २४ हजार ६० और ३ लाख ३० हजार ६० खर्च होगा ।

### नवम्बर १९५६ में औद्योगिक ऋण्डे

भारत सरकार के श्रम कार्यालय से जानकारी मिली है कि नवम्बर १९५९ में औद्योगिक ऋण्डे औसतन ५.३ दिन तक चले जबकि अक्टूबर में ऐसे ऋण्डे ४.० दिन तक चले थे ।

नवम्बर १९५९ में ९३ नये औद्योगिक ऋण्डे हुए । इस प्रकार इस महीने एक समय में अधिक से अधिक १३९ ऋण्डे रहे, जिसमें १० तालाबदियों भी शामिल हैं । इससे पहले महीने १३१ नये औद्योगिक ऋण्डे हुए और १६८ ऋण्डे चालू रहे ।

इस महीने ९६ औद्योगिक ऋण्डे समाप्त हुए । इनमें से ७३ ऋण्डे ५ दिन से अधिक नहीं चले । ६ ऋण्डे ३० दिन से अधिक चले ।

इस महीने 'निर्माण उद्योगों' में १,८९,३७२; 'खानों' में २४,४२७; और 'परिवहन तथा संचार' में २४,१७५ जन-दिनों की हानि हुई ।

नवम्बर १९५९ में पश्चिम बंगाल में १,३०,७७०, राजस्थान में ३९,५९८, बम्बई में ३४,०३९ और बिहार में २२,७७८ कार्य-घंटों की हानि हुई ।

निर्माण उद्योग में नवम्बर १९५९ में औद्योगिक ऋण्डों का सूचक अंक (आधार १९५१ = १००) ४९ (अस्थायी) रहा, जबकि इससे पिछले महीने ६३ था ।

### श्रमजीवी पत्रकार प्राधिनियम में संशोधन

भारत सरकार ने १९५७ के श्रमजीवी पत्रकार (नौकरी की शर्तों) और विविध नियमों में कुछ संशोधन किए हैं और ये संशोधन भारत सरकार के सूचना-पत्र में प्रकाशित हो चुके हैं ।

नियम ७ में काम के घंटे के बारे में दिया गया है और उसके उपनियम (२) में संशोधन किया है । इसके अनुसार अब किसी ऐसी समाचार एजेंसी अथवा समाचार-पत्र के कार्यालय में, जहां एक से ज्यादा पत्र-प्रतिनिधि, संवाददाता या फोटोग्राफर काम करते हैं और जो समाचार-पत्र कार्यालय छापेखानों से दूर हैं, उनके पत्र-प्रतिनिधियों, संवाददाताओं और फोटोग्राफरों को उक्त उपनियम (२) की सुविधाएं दी जाएंगी । पहले इस उपनियम के अन्तर्गत केवल उन्हीं पत्र-प्रतिनिधियों, संवाददाताओं और फोटोग्राफरों को उक्त सुविधाएं दी जाती थीं, जो समाचार-पत्र के प्रकाशन स्थान में ही काम करते थे ।

नियम २ के उपनियम (६) में जो 'पुत्र' और 'पुत्री' शब्द दिए गए हैं, उसके अन्तर्गत गोद लिया हुआ पुत्र या पुत्री भी शामिल होगा ।

नियम २९ प्रसूति छुट्टी के बारे में है । सरकार ने इस नियम में संशोधन किया है । संशोधित नियम के अनुसार महिला श्रमजीवी पत्रकार को किसी मायता-प्राप्त डाक्टर के सर्टिफिकेट दिखाने पर कुछ समय के लिए सवेतन प्रसूति छुट्टी दी जाएगी ।

### राज्यों के कर्मचारियों के लिए मकान

भारत सरकार ने निर्माण, आवास और पूंति मंत्रालय की किराये पर मकान बनाने की योजना के अन्तर्गत ९ राज्य सरकारों को अपने कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के लिए ब्यालू वित्त वर्ष में ८२ लाख ६० की और सहायता देना मंजूर किया है ।

राज्यों की मांग, दिए गए रुपये और वतमान अनुदान तथा कुल रुपये का ब्योरा इस प्रकार है —

(लाख रु० में)

राज्य	राज्य की मांग	राज्य को दिया गया रु०	वर्तमान अनुदान	कुल जोड़
आंध्र प्रदेश	४५	१५	१२.४५	२७.४५
बिहार	१२०	६	६.२०	१२.२०
केरल	२०	६	६.२०	१२.२०
मध्य प्रदेश	१००	३३	२८.००	६१.००
मद्रास	३०	१०	८.३०	१८.३०
मंसूर	१७	४	६.३०	१०.३०
उड़ीसा	२०	६	६.२०	१२.२०
राजस्थान	२०	८	४.२०	१२.२०
प० बंगाल	१५	५	४.१५	९.१५

देना स्वीकार किया था । चालू वित्त वर्ष में बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखकर निगम ने यह रकम बढ़ाकर १ करोड़ ७५ लाख ६० कर दी है । यह अग्रे २० वर्षों में चुकाना पड़ेगा और इस पर ५ प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगेगा ।

यह योजना निर्माण, आवास और पूंति मंत्रालय ने मार्च १९५९ में चालू की थी और जीवन बीमा निगम ने राज्यों को १९५८-५९ से १९६०-६१ तक प्रति वर्ष १ करोड़ ६० अग्रण

## रेल मंत्रालय की १९५८-५९ की रिपोर्ट

रेल मंत्रालय की १९५८-५९ की रिपोर्ट के अनुसार इन वर्षे माल-यातायात में १८ प्रतिशत तथा यात्री-यातायात में ०.३४ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इन वर्षे रेलों में १३ करोड़ ६० लाख टन माल बोझा जबकि पिछले वर्षे १३ करोड़ ४० लाख टन माल बोझा मंगाया गया। १९५७-५८ में यात्री-यातायात १ अरब ४३ करोड़ थी, जबकि इन वर्षे १ अरब ४६ करोड़ १० लाख रही।

कुल १३ करोड़ ६० लाख टन माल में से १३ करोड़ ५० लाख टन माल मन्वारी रेलों में बोझा। इसी प्रकार कुल १ अरब ४६ करोड़ १० लाख यात्रियों में से १ अरब ४२ करोड़ २० लाख यात्रियों ने मन्वारी रेलों में यात्रा की।

### रेल-मीलों की संख्या बढ़ी

१९५८-५९ में माल की दूरातें ६६ हजार ७५२ टन-मील रही, जबकि पिछले वर्षे ४५ हजार ९४४ टन-मील थी।

इन वर्षे यात्रि यात्रियों की संख्या बढ़ी, लेकिन यात्री-मीलों की संख्या पिछले वर्षे की अपेक्षा कम हो गई। पिछले वर्षे रेलों ने ४३ अरब ३२ करोड़ ९० लाख यात्री-मील तय किए थे, जबकि इन वर्षे यात्री-मीलों की संख्या ४२ अरब ५० करोड़ १० लाख रही। तीगरे वर्षे के यात्री-मीलों की संख्या कम होने का कारण यह रहा कि इन वर्षे ओगनत एक यात्री ने २८.७ मील यात्रा की, जबकि पिछले वर्षे यह औसत २९.६ मील था।

### माल-डिब्बा लदान

इन वर्षे रेलवे ने अपने काम के लिए लादे गए माल-डिब्बों को छोड़कर प्रति दिन बड़ी लाइन पर औसतन १२ हजार ८५० और छोटी लाइन पर ८,०५० डिब्बे लादे गए, जबकि पिछले वर्षे बड़ी लाइन पर १२,९६२ और छोटी लाइन पर ८,३३१ डिब्बे लादे गए थे। इन प्रकार बड़ी लाइन पर माल-डिब्बा लदान में १.४८ प्रतिशत की वृद्धि और छोटी लाइन पर ३.३७ प्रतिशत की कमी हुई।

यदि रेलवे के अपने काम के लिए लादे गए माल-डिब्बों को भी जोड़ लिया जाए तो बड़ी

ओर छोटी लाइनों पर कमना प्रतिदिन औसतन १५ हजार १५० और ९ हजार ५३ माल-डिब्बें लादे गए। पिछले वर्षे यह संख्या क्रमशः १४ हजार ९५२ और ९ हजार ३१२ थी। इन प्रकार बड़ी लाइन पर १.३४ प्रतिशत वृद्धि और छोटी लाइन पर २.७८ प्रतिशत कम माल-डिब्बे लादे गए।

### आय और व्यय

इन वर्षे मन्वारी रेलों की यातायात में कुल ३९०.२१ करोड़ २० की आय हुई, जिसमें से ११६.७४ करोड़ ४० की आय यात्री-यातायात में और २४०.८२ करोड़ ० की आय माल-यातायात में हुई। मंत्र ३२.६५ करोड़ ४० की आय पारंगतों तथा दूसरे कुटुंबर मायान की दुरातें में हुई।

इन वर्षे यात्री-यातायात से २.३६ करोड़ ४० की कम आय हुई। माल-यातायात से ११.१४ करोड़ २० की अधिक आय हुई, लेकिन आय में यह वृद्धि उतनी नहीं जितनी आया थी।

पिछले वर्षे की अपेक्षा आलोच्य वर्षे में रेलों का मायाधारण मंचालन व्यय १२.१५ करोड़ ४० अधिक रहा। पिछले वर्षे यह व्यय २६४.१८ करोड़ ४० था, जबकि आलोच्य वर्षे में २७६.३३ करोड़ ४० हुआ। पिसाई खाते में ४५.८७ करोड़ ० डाले गए।

इन वर्षे रेलों के मंचालन व्यय का अनुपात ८२.७२ प्रतिशत रहा, जबकि पिछले वर्षे ८१.२१ प्रतिशत था।

रेलों के संचालन व्यय में वृद्धि होने के कई कारण हैं। कर्मचारियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। वारिक वृद्धि के कारण वेतन का हिसाब खाता भी बढ़ा। ३०० ४० से कम मासिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को पूरे वर्षे अतिरिक्त मंहगाई भत्ता दिया गया। रेल-डिब्बों तथा पटरियों आदि की मरम्मत में भी खर्चा बढ़ा। कोयले के भाव बड़ गए। रेलों के लिए आवश्यक दूसरे सामान के भाव भी बढ़े। कोयले पर बिक्री कर लगा।

कर्मचारी लाभ निधि तथा कर्मचारियों के भलाई के कामों में अधिक अयादान किया गया। सर्वे कम करने के लिए तथा सर्वे पर बड़ी निगरानी रखने के लिए १९५८-५९ में विनये व्यवस्था की गई। रेलों का सारा खर्च पूरा करने तथा ४५ करोड़ ४० पिसाई खाते में डालने के बाद आलोच्य वर्षे में ५९.३२ करोड़ ४० की बिलुद्ध आय हुई, जिसमें से ५०.३९ करोड़ ० लाभानों के रूप में केन्द्रीय राजस्व में दिए गए।

इन प्रकार इन वर्षे ८.९३ करोड़ ४० की आय हुई, जबकि १९५७-५८ में १३.३८ करोड़ ० की आय हुई थी।

### काम्यकुशलता

इस वर्षे यात्री रेल-मीलों की संख्या १.४८ प्रतिशत बढ़कर १२ करोड़ ३१ लाख ८० हजार हो गई। लेकिन यात्री-मीलों की संख्या १.८२ प्रतिशत कम हुई। मालगाड़ी-मीलों में पिछले वर्षे की अपेक्षा १.१३ प्रतिशत की वृद्धि हुई और इस तरह इस वर्षे मालगाड़ी-मीलों की कुल संख्या ९ करोड़ २० लाख ४० हजार हुई। टन-मीलों में भी इस वर्षे २.३४ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

१९५७-५८ में प्रति वेंगन दिन टन-मीलो का सूचक अंक बढ़ी लाइन पर उससे पहले वर्षे के सूचक अंक ५७० से बढ़कर ५९८ और छोटी लाइन पर २१० से बढ़कर २२५ हो गया था। लेकिन १९५८-५९ में यह सूचक अंक गिर गया और बढ़ी तथा छोटी लाइनों पर क्रमशः ५७३ तथा २१६ रहा। सूचक अंक गिरने का मुख्य कारण यह था कि माल-यातायात जितना बढ़ने की आशा थी और उसके हिसाब से जितने डिब्बे बढ़ाए गए, उतना नहीं बढ़ा और बहुत-से डिब्बे खाली खड़े रहे।

मालगाड़ी के प्रति इंगन पीछे टन मीलो के दैनिक सूचक अंक का प्रतिशत बढ़ी लाइन पर बढ़ा, लेकिन छोटी लाइन पर घट गया। प्रति वेंगन प्रति दिन औसत मील दुलाई का प्रतिशत भी बढ़ी लाइन पर ३.५९ और लाइन पर ४.३२ कम हो गया।



बड़ी लाइन पर १९५७-५८ को अपेक्षा आलोच्य वर्ष में मालगाड़ियों की रफतार (मील प्रति घंटा) में भी सुधार हुआ। वह पिछले वर्ष में ९.३२ से बढ़कर आलोच्य वर्ष में ९.४२ हो गई, लेकिन छोटी लाइन पर रफतार कम रही। १९५७-५८ की कठिनाइयों, नये ढग के यात्रियों का काम शुरू होने के कारण तथा लाइनों का बड़ा-बड़ा रफतार में और सुधार नहीं किया जा सका।

इस वर्ष छोटी और बड़ी दोनों ही लाइनों में गाड़ियों के ठीक समय पर अपने स्थान पर जाने के मामले में सुधार हुआ, लेकिन डाक-गाड़ियों तथा कुछ खास-खास सीधी गाड़ियों (एक्सप्रेस) के समय पर पहुँचने का प्रतिशत भी लाइन पर कुछ गिर गया और १९५७-५८ में ७०.८१ प्रतिशत की बजाय १९५८-५९ में ६९.६० रह गया।

### दूसरी योजना का तीसरा वर्ष

आलोच्य वर्ष दूसरी योजना का तीसरा वर्ष है। इस वर्ष रेलों ने २४५.७ करोड़ ६० लाख किलोमीटर की दूरी तय की। इस तरह योजना के नतीजे वर्षों में कुछ मिलाकर रेलों ने ६७५.५९ करोड़ ६० लाख किलोमीटर की दूरी तय की।

रेलो के लिए आवश्यक सामान देश में ही बनाने और इस प्रकार आत्मनिर्भर होने दिशा में, इस वर्ष कुछ और प्रगति हुई।

वित्तरजन कारखाने में १९५८-५९ में ६.४ डब्ल्यू जी इंजन तैयार किए गए। इस वर्ष पहला डब्ल्यू टी इंजन भी तैयार हुआ।

लोकोमोटिव एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी में इस वर्ष छोटी लाइन के १०३ इंजन तैयार किए गए, जबकि पिछले वर्ष ८५ इंजन तैयार किए गए थे। पैराम्बूर के रेल डिब्बा कारखाने उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी पाली शुरू की गई, जिससे कारखाने में प्रति वर्ष रेल-डिब्बों के ३५० ढाँचों की बजाय ६५० ढाँचे तैयार किए जा सकेंगे। विदेशी फर्नीचर की सहायता

निजी क्षेत्र में डीजल इंजन भारत में ही बनाने के लिए कदम उठाए गए। सरकारी क्षेत्र में बिजली-गाड़ियों के लिए इंजन बनाने लिए भी कदम उठाए गए।

१९५८-५९ में १,७५० नये सवारी-डिब्बे तैयार हुए, जिनमें से १,६४५ डिब्बे भारत में ही तैयार किए गए थे। इस वर्ष १६,७०१ नये डिब्बे तैयार कर आए, जिनमें से १२,९६३ देश में तैयार किए गए थे।

रेलो के लिए आवश्यक और उपकरण भी देश में तैयार किए जा रहे हैं और चालू वर्ष में इनका उत्पादन बढ़ा है। दुर्गापुर में रेलों के पहिये बनाने का कारखाना खड़ा करने के बारे में बातचीत पूरी हुई। इस कारखाने के बनने से सब तरह के रेल-पहिये देश में ही बनने लग जाएंगे।

### नयी लाइनें और निर्माण-कार्य

आलोच्य वर्ष में १९१ मील नयी रेल-लाइनें चालू हुईं। इनमें डेहली-होतास लाइट रेलो की १७ मील की लाइन भी शामिल है। हावडा-बर्दवान रेल-लाइन और घोराफुली-तारकेचर शाखा पर बिजली की रेलें शुरू हुईं और शाखाओं पर भी बिजली की रेलें शुरू करने के काम में सस्ती-इंजन प्रगति हुई। १९५८-५९ में बिजली की रेलों के लिए कुल ५४४ मील लम्बी लाइनें बिछाने की स्वीकृति दी गई, जिनमें से कुछ लाइनें बिछायी जा रही हैं। विभिन्न रेलों पर कितने ही यात्रों में सुधार और विस्तार किया जा रहा है। इस वर्ष २९९ मील लम्बी पटरियों को दोहरा करने की स्वीकृति दी गई। भीमावरम-मुडिवाड़ा लाइन पर ४१ मील लम्बी छोटी लाइन बड़ी लाइन में बदलने की स्वीकृति दी गई।

इस वर्ष बड़ी तथा छोटी, दोनों लाइनों पर १,२६४ मील लम्बी पुरानी पटरियों की जगह नयी पटरियां बिछाई गईं तथा १,२६१ मील लाइन पर स्लीपर बदले गए। इस तरह दूसरी योजना में जब से पुरानी पटरियों को हटकर नयी पटरियां बिछाने और स्लीपर बदलने का काम शुरू हुआ है, तब से अब तक ३,०८० मील पटरियां बदली जा चुकी हैं और ३,७०५ मील लम्बी लाइन पर स्लीपर बदले गए हैं।

इस वर्ष सिगनल-व्यवस्था में बहुत-से सुधार किए गए। मुक्ता के लिए कुछ नए उपाय किए गए तथा लाइन-क्षमता बढ़ाने के लिए तथा अधिक गाड़ियां चलाने के वास्ते कुछ नये निर्माण-कार्य किए गए।

रिपोर्ट में बटमपुत्र पर आसाम में अलीगव के पाम बनने वाले पुल तथा गडक पर हाजीपुर और सोनपुर के बीच बनने वाले पुल के निर्माण में हुई प्रगति के बारे में भी बताया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वर्ष अनेक पुलों को मजबूत बनाया गया तथा इती तरह सुरक्षा के लिए और भी निर्माण-कार्य शुरू किए गए।

### यात्रियों की सुविधा

पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी रेलों से यात्रा करने वालों तथा अन्य प्रकार से रेलों का प्रयोग करने वालों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। इन सुविधाओं पर इस वर्ष कुल २.७२ करोड़ ६० लाख रुपए एक निश्चित दूरी से अधिक यात्रा करने वाले तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए स्थान सुरक्षित करने की योजना तीन और गाड़ियों पर लागू की गई। छ. और स्टेशनों पर, जहाँ विश्राम के लिए कमरे नहीं हैं, ऐसे डिब्बे रखे गए जिनमें यात्री विश्राम कर सकें। चार और गाड़ियों पर तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए सोने की व्यवस्था की गई। बड़ी लाइन पर नये डिजाइन के तीन बर्थ वाले मोने के दो डिब्बे यात्रियों को राय जानने के लिए चलाए गए।

इस समय सभी सवारी-डिब्बे नये से नये डिजाइन के अनुसार बनाए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को अधिक सुविधाएं मिल सकें। १९५८-५९ में बड़ी लाइन पर तीसरी श्रेणी के ८२२ सवारी डिब्बे, छोटी लाइन पर ४६१ सवारी डिब्बे और सवारी लाइन पर १२ सवारी-डिब्बे नये चालू किए गए।

गरीब यात्रियों की सुविधा के लिए बड़े-बड़े स्टेशनों पर सस्ती तथा स्वास्थ्यकर खाने की चीजें बेचने की व्यवस्था की गई। जिन स्टेशनों पर अच्छा दूध मिल सकता है, वहां दूध की दुकानें खोली गईं। इनके अतिरिक्त और भी सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई—स्टेशनों पर प्रतीक्षा-गृह बनाए गए, कुछ नये स्टेशन खोले गए, आराम से टिकट खरीदने के लिए व्यवस्था की गई, स्टेशनों पर बिजली लगाई गई तथा बिजली के पंखों की व्यवस्था की गई, कुछ स्टेशनों पर प्लेटफार्म ऊँचे किए गए, कुछ पक्के प्लेटफार्म बनाए गए तथा कुछ प्लेटफार्मों पर छाया की व्यवस्था की गई, स्टेशनों पर पीने के पानी की व्यवस्था की गई, कुछ प्लेटफार्मों पर आधुनिक ढंग से शौचालय तथा स्नानागार बनाए गए।

### रेलों में लगी कुल पूंजी

३१ मार्च, १९५९ तक नयी बनने वाली लाइनों की धुमार करके सब रेलों में कुल १६ अरब २१ करोड़ २० लाख ० की पूंजी लगी हुई थी। इसमें से १६ अरब १४ करोड़ ८९ लाख ६० की पूंजी सरकारी रेलों की थी।

इसमें पूंजी (ऋण खाते) को १३ अरब ५६ करोड़ ५९ लाख ६० की राशि, विसाई कोष की ७३ करोड़ १७ लाख की राशि, विकास कोष की १ अरब २१ करोड़ ९७ लाख ६० की राशि तथा रेल राजस्व की ६३ करोड़ १६ लाख ६० की राशि थी। घेप ६ करोड़ ३१ लाख ६० की पूंजी गैर-सरकारी रेलो पर विभिन्न कम्पनियों तथा जिला बोर्डों की लगी हुई थी।

आलोच्य वर्ष के अन्त में सारे देश में रेल-पटरियों की कुल लम्बाई ३५,०८१ मील थी, जिसमें से ३४,६३६ मील लम्बी रेल-पटरियाँ सरकारी रेलों की थी।

### सामान की खरीद

इस वर्ष रेलों ने २ अरब ५४ करोड़ ६० का सामान खरीदा, जबकि पिछले वर्ष २ अरब २२ करोड़ ६० का सामान खरीदा था। इस प्रकार इस वर्ष सामान की खरीद में ३२ करोड़ ६, यानी १४.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसमें से १ अरब ६७ करोड़ ९३ लाख ६० का देशी माल खरीदा गया। ४३ करोड़ ९२ लाख ६० का माल रेलों ने विदेशों से अपने-आप मंगाया तथा ४२ करोड़ २३ लाख ६० का विदेशी माल एजेंटों के द्वारा मंगाया।

इस वर्ष ६७ लाख ६० की खादी खरीदी गई, जबकि पिछले वर्ष लगभग ६२ लाख ६० की खरीदी गई थी। २ करोड़ १५ लाख ६० का ऐसा सामान खरीदा गया, जो कुटीर उद्योगों तथा छोटे उद्योगों में तैयार किया गया था।

रेलों ने इस वर्ष कुल २ अरब ३९ करोड़ ३२ लाख ६० के आवश्यक उपकरण तथा अन्य सामान खरीदने का आर्डर दिया। इसमें से ७२ करोड़ २३ लाख ६० का आर्डर विभिन्न रेलों ने तथा ६९ करोड़ ६७ लाख ६० का आर्डर रेल मण्डल ने दिया। ६८ करोड़ ६१ लाख ६० के सामान का आर्डर निर्माण, आवास और पूंजि मंत्रालय की मार्फत तथा २८ करोड़ ८१ लाख ६० के सामान का आर्डर दूसरे मंत्रालयों की मार्फत दिया गया।

### दावों का निपटारा

इस वर्ष रेलों ने ४ लाख ६२ हजार ५७९ दावों का फैसला किया, जबकि पिछले वर्ष ४ लाख ८९ हजार ११५ दावों का फैसला किया गया था। ४४ हजार ८४ दावों का फैसला वर्ष के अन्त तक नहीं किया जा सका। मत वर्ष ऐसे अनिर्णीत दावों की संख्या ४२,५९२ थी। इस

वर्ष औसतन १ दावे के निपटारे में ५२ दिन लगे, जबकि पिछले साल यह औसत ४९ दिन था।

### कर्मचारियों की स्थिति

भारतीय रेलों में जितने कर्मचारी काम करते हैं, उतने देश के कितनी भी अन्य एक उद्योग में नहीं करते। ३१ मार्च, १९५९ को सरकारी रेलों में काम करने वाले स्थायी, अस्थायी तथा अन्य सभी प्रकार के कर्मचारियों की कुल संख्या ११,४३,९१८ थी। पिछले वर्ष यह संख्या ११,१२,९९६ थी। इस वर्ष रेलों में कर्मचारियों को वेतन, भता, भविष्य निधि अंशदान, तथा प्रेच्युटी के रूप में कुल १ अरब ८३ करोड़ ५ लाख ६० दिए, जबकि पिछले वर्ष १ अरब ७३ करोड़ ६१ लाख ६० दिए गए थे। इस वर्ष माल-यातायात में काफी वृद्धि होने की आशा थी, अतएव उसके आधार पर नये कर्मचारी भर्ती किए गए। लेकिन यातायात में आसानुहूळ वृद्धि नहीं हुई। भविष्य में भर्तों पर नियंत्रण रखने के लिए कार्रवाई कर दी गई है, जिससे कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता के अनुसार रहे। कर्मचारियों पर खर्च में वृद्धि मूष्यत. संख्या बढ़ने, पूरे वर्ष अतिरिक्त महंगाई-भता देने तथा कर्मचारियों के वेतन में वार्षिक वृद्धि के कारण हुई है।

आलोच्य वर्ष में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए ११ हजार ४८१ क्वार्टर बनाए गए।

आलोच्य वर्ष के अन्त तक रेलों के चिकित्सा सगठन के अन्तर्गत ७० अस्पताल और ४४८ डिस्पेंसरियाँ थी, जिनमें रेल कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए ४,४०४ रोगी-शैयाओं की व्यवस्था थी। इस वर्ष १२ नयी डिस्पेंसरिया खोली गई, ३८४ रोगी-शैयाएं बढ़ाई गई, ५ चलते-फिरते अस्पताल खोले गए तथा ४९ प्रभूति-केन्द्र खोले गए। ६ तपेदिक के अंत्यताल भी खोले गए। तपेदिक के मरीजों के लिए स्वीकृत अस्पतालों में सुरक्षित रोगी-शैयाओं की संख्या ५३८ से बढ़ाकर ९२८ कर दी गई। इनके अतिरिक्त २२८ रोगी-शैयाओं की व्यवस्था रेल-अस्पतालों में है।

रेलों की आय में से कर्मचारी लाभ कोष में अंशदान की दर प्रति व्यक्तित पीछे २ • से बढ़ा

कर पहली अप्रैल, १९५८ से ४ •० कर दी गई, जिससे कर्मचारियों की भलाई के कामों पर अधिक खर्च किया जा सके तथा कर्मचारियों के बच्चों की ट्रेनिंग के लिए अधिक छात्र-वृत्तिया दी जा सके। यह भी निश्चय किया गया कि प्राथमिक स्कूलों की संख्या बढाकर ५१० कर दी जाए और और ये स्कूल जून १९५९ तक खोल दिए जाए।

रेलों के निगरानी सगठन ने भी बड़ी सजगता से काम किया। विभागीय कार्रवाई के बाद इस वर्ष १,३४९ कर्मचारियों को सजाए दी गई। पिछले वर्ष ७६४ कर्मचारियों को सजा दी गई थी। इस वर्ष २४२ कर्मचारियों को कसूरवार होने के कारण नौकरी से अलग किया गया। पिछले वर्ष १६३ को बर्खास्त किया गया था। इसके अतिरिक्त रेल मण्डल के केन्द्रीय जांच-मण्डल विभाग ने ग्यप्टाचार के २६० मामलों की जांच की।

### कर्मचारियों से सम्बन्ध

रेल प्रशासन और कर्मचारियों के सम्बन्ध इस वर्ष सामान्यतः अच्छे रहे। कर्मचारियों से सम्बन्ध बनाए रखने तथा कर्मचारियों और प्रशासन के बीच होने वाले मतभेदों को दूर करने के लिए १९५२ में जो स्थायी सगठन बनाया गया था, उसका काम जो उपयुक्त रूप से चलता रहा।

राष्ट्रीय रेल कर्मचारी संघ की कार्य समिति की इस वर्ष चार बैठके हुईं। अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ, जो पिछले वर्ष फिर से गठित किया गया था, मगठन को मजबूत बनाने के लिए काम करता रहा और इसके प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों से सम्बन्धित कुछ मामलों पर रेल मण्डल से दो बार बातचीत की। राष्ट्रीय रेल उपयोगिता सलाहकार परिषद की इस वर्ष एक बैठक हुई और इसमें बहुत-से मामलों पर बातचीत की गई। इनके अन्तर्गत क्षेत्रीय रेल उपयोगिता सलाहकार समितियों की १८३ बैठकें हुईं।

### विदेशों से सहायता

भारतीय रेलों को विदेशों के लिए विदेशों से सहायता मिली। इस वर्ष विरव बंक ने ८ करोड़ ५० लाख डालर (४० ५ लाख ६०) की सहायता

होली गई। १९५७-५८ में विश्व बैंक ने भारतीय रेलों के लिए जो ऋण देना स्वीकार किया था, उसमें से १६ करोड़ ४१ लाख ६० इस वर्ष लिए गए। भारतीय रेलों के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिए अमरीका के विकास ऋण कोष में ४ करोड़ तथा ३ करोड़ ५० लाख डालर के दो ऋण स्वीकार किए, जिनकी अदायगी रूपियों में की जाएगी।

कॉलम्बो योजना के अंतर्गत आस्ट्रेलिया से ६६० छोटी लाइन के माल-डिब्बे तथा बड़ी लाइन की १२ डोजल रेल-कारों मिली। अमरीका के शिल्पिक सहयोग मिशन ने अपने सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत ४ करोड़ ८ लाख ३१ हजार ६० की कीमत का विभिन्न सामान भारतीय रेलों को दिया।

### तीसरे दर्जे के लम्बे सफर के यात्रियों के लिए सोने की व्यवस्था

५०० मील से अधिक यात्रा करने वाले तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए अधिक गाड़ियों में सोने की जगह का व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए इन गाड़ियों में नये डिब्बे लगाए जाएंगे। इस सुविधा के शुरू होने की तारीख को पानगा संबंधित रेले बाद में करेगी।

हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस, बम्बई-मद्रास मेल, अहमदाबाद-दिल्ली एक्सप्रेस, पूना-बंगलौर मेल और बरोनो तथा अमिनगवा के बीच चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ियों में तीसरे दर्जे के यात्रियों के सोने के लिए डिब्बे लगाए जाएंगे। सप्ताह में एक बार चलने वाली हावड़ा-देहरादून एक्सप्रेस में भी सोने की जगह की व्यवस्था की जाएगी।

५०० मील से अधिक की यात्रा करने वाले यात्रियों से सोने की जगह के लिए अतिरिक्त भाड़ा नहीं लिया जाएगा।

रेल मंडल ने विभिन्न रेलों को यह सलाह दी है कि यदि ५०० मील से अधिक सफर करने वाले यात्रियों के सोने के लिए लगाए गए डिब्बों में जो जगह बचे वह ५०० मील से कम सफर करने वाले यात्रियों को दे दी जानी चाहिए। पर इसके लिए उनसे ३ ६० प्रति यात्री के हिसाब से अतिरिक्त भाड़ा लेना चाहिए।

५०० मील से ऊपर की यात्रा करने वाले यात्रियों के सोने के डिब्बे इस समय मद्रास-हावड़ा मेल और दिल्ली-बम्बई सेंट्रल जनता एक्सप्रेस में लगाए जाते हैं।

### रेल-स्टेशनों पर टेलीफोन

रेल उपमंत्री, श्री शाहनवाज खा ने १० फरवरी को लोकसभा में बताया कि अगस्त १९५७ में सरकार ने उन सभी कस्बों के रेलवे स्टेशनों पर टेलीफोन लगाने का आदेश दिया था, जहाँ डाक-तार विभाग द्वारा टेलीफोन के तार पहुँचाए जा चुके हैं। इसमें उपनगर के वे स्टेशन नहीं शामिल हैं, जहाँ माल या पार्सल गाड़ियाँ नहीं आती-जाती हैं। श्री शाहनवाज खा ने बताया कि इस आदेश के जारी करने के पहले ४७० रेलवे स्टेशनों पर टेलीफोन थे, तब से लगभग ३८० स्टेशनों पर टेलीफोन लगाए जा चुके हैं तथा २३० स्टेशनों पर और टेलीफोन लगाने की मांग पर डाक-तार विभाग अभी विचार कर रहा है।

### बरोनी-समस्तीपुर रेल-लाइन की मजदूरी

रेल-मण्डल ने ३३ मील लम्बी बरोनी-समस्तीपुर रेल लाइन बनाने की मजदूरी दे दी है। उत्तर-पूर्वी रेलवे की यह बड़ी लाइन (ब्रॉड गेज) होगी। इसका निर्माण उत्तर-पूर्वी रेल प्रशासन करेगा।

पिछले मई में मोकामा में गंगा नदी पर पुल बन जाने से बड़ी लाइन बरोनी तक ले जाई गई। उसके बाद दस लाइन को बढ़ाने की जल्द महसूस हुई। अतः यह लाइन उत्तरी बिहार में समस्तीपुर तक बढ़ाई जाएगी।

### रेलों में आकाशवाणी का कार्यक्रम

रेल उपमंत्री, श्री रामास्वामी ने ११ फरवरी को राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि आकाशवाणी ने प्रयोग के तौर पर रेलों में समाचार-बुलेटिन और वाद्य-संगीत सुनाने का निर्णय किया है। यह कार्यक्रम हावड़ा-नयी दिल्ली-मद्रास वातानुकूलित एक्सप्रेस गाड़ियों में शुरू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस पर १,००० ६० खर्च होंगे, जिसमें लाउड-स्पीकरों का खर्च शामिल नहीं है।

### भारत और चेकोस्लोवाकिया के बीच हवाई-करार

भारत और चेकोस्लोवाकिया के बीच विमान चलाने के बारे में समझौता करने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि ८ फरवरी, १९६० से जो बात कर रहे थे, वह १३ फरवरी को समाप्त हो गई। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने करार सम्बन्धी पक्षों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब करारनामों पर दोनों देशों की सरकारों के अधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर होंगे।

एयर इंडिया इटलेनलनल के विमान १९५६ से चेकोस्लोवाकिया के रास्ते और चेकोस्लोवाकियन एयर लाइन के विमान अगस्त १९५९ से भारत के रास्ते आते-जाते हैं। इनकी उड़ान के लिए अभी तक अस्थायी व्यवस्था थी, अब करार के बाद यह व्यवस्था पक्की हो जाएगी।

### बंदरगाहों पर अवैतनिक व्यापार सलाहकारों की नियुक्ति

भारत सरकार ने बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के बंदरगाहों पर चार प्रमुख व्यापारियों के, अवैतनिक विशेषज्ञ सलाहकारों के पद पर नियुक्ति की है। इनके नाम हैं: स'श्री आर० जो० सरस्वती (बम्बई के लिए), बी० पी० सिंह राय (कलकत्ता), और सर्वश्री फिलिप हैडफील्ड तथा नाएल टाड (मद्रास)।

ये सलाहकार चाण्डिय तथा उद्योग और वित्त मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ सम्पर्क रखने और ये इन अधिकारियों तथा अन्य व्यापारियों के बीच की कड़ी के तौर पर होंगे। ये नियत प्रोत्साहन सलाहकार समितियों की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और व्यापारियों तथा सरकारी अफसरों के साथ बातचीत करके व्यापारियों की कठिनाइयों दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

## सहकारी खेती कार्यकारी दल की रिपोर्ट

सहकारी खेती सम्बन्धी कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट में यह विद्वान प्रकट किया है कि छोटे और मध्यम किसानों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए सहकारी खेती का तरीका बहुत अच्छा होगा।

कार्यकारी दल में १० सदस्य थे और इनके अध्यक्ष श्री एम० निजलिगप्पा थे। इनकी रिपोर्ट का पहला भाग १४७ पन्नों का है। इसमें कहा गया है कि भारत में सहकारी खेती मफूज हो सकती है और इसके लिए प्रारम्भिक कार्यक्रम सुझाया गया है। रिपोर्ट के दूसरे भाग में कुछ सहकारी खेती समितियों के काम का अध्ययन है और यह अलग से प्रकाशित होंगे।

भारत सरकार ने जून १९५९ में इस कार्यकारी दल को नियुक्त किया था और इसे मनुज सहकारी खेती का कार्यक्रम सुझाने का काम सौंपा था। इस दल ने ८ राज्यों में भ्रमण किया और वहाँ अनेक सहकारी खेती समितियों के काम को देखा और सरकार की तथा नै-सहकारी लोगों से विचार-विमर्श किया। कार्यकारी दल ने सहकारी खेती समिति की परिभाषा इस प्रकार की है

यह किसानों का स्वेच्छा संगठन है जिसका उद्देश्य जमीन, ध्रम और खेती के साधनों की पैदावार बढ़ाना और लोगों को काम देने के लिए अच्छी तरह उपयोग करना है और जिसके अधिकांश सदस्य स्वयं खेती करते हैं। कार्यकारी दल ने इस बात पर जोर दिया है कि सहकारी खेती बिल्कुल स्वेच्छा से होनी चाहिए। कुछ राज्यों में ऐसे कानून हैं जिनके अनुसार बहुमत यदि सहकारी खेती के पक्ष में हो तो अल्पमत को भी सहकारी खेती संगठन में शामिल होने को बाध्य किया जा सकता है, कार्यकारी दल ने इसे अनुचित माना है और यह राय दी है कि इन कानूनों को चाहे वे लागू होते ही या नहीं, रद्द कर देना चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में अभी तक सहकारी खेती का विकास नियोजित ढंग से नहीं हुआ है, इसलिए इसके फायदे को प्रत्यक्ष दिखाना कठिन है। इसमें और भी कई बाधाएँ

हैं। साधारणतः किसान को यह डर है कि सहकारी खेती से उनकी आमदनी कम हो जाएगी। सरकारी कर्मचारियों का स्वयं भी बहुत सहामता पूर्ण नहीं रहा है और सहकारी खेती समितियों को कानून और नियम की कठिनाइयों के कारण खपता उधार मिलने में भी कठिनाई होती है।

### नमूने की योजनाएं

दल ने सुझाव दिया है कि चुने हुए सामुदायिक विकास क्षेत्रों के विस्तार खण्डों में जहाँ सहकारिता का काम अच्छा हुआ है अगले चार माल में जो जिले में एक के हिसाब से ३२० नमूने की सहकारी खेती योजनाएँ शुरू की जाएँ। प्रत्येक योजना में १० सहकारी खेती समितियाँ बनाई जाएँ। इस प्रकार १९६३-६४ के अन्त तक ३,२०० समितियाँ काम करने लगेंगी। इनके काम में जो सफ़रता मिलेगी उससे आशा है कि अन्य क्षेत्रों में भी २०,००० और सहकारी खेती समितियाँ बन जाएँगी।

सहकारी खेती में सफलता के लिए दल ने इन बातों पर बहुत जोर दिया है (१) सहकारी खेती समिति के सदस्य ही इस काम में अग्रणी हों। (२) समिति के सदस्यों के हितों या स्वार्थों में सघर्ष न हो। (३) सदस्यों की सख्या या समिति का आकार इतना ही होना चाहिए कि लोग एक-दूसरे को अच्छी तरह से जानते हों, साथ ही सहकारी खेती लाभप्रद हो। (४) प्रत्येक सदस्य को प्रबन्ध में भाग लेने का अधिकार हो चाहे उसकी जमीन छोटी हो या बड़ी।

### जमीन का स्वामित्व

दल की राय में सहकारी खेती में जो जमीनें शामिल हों वे साधारणतः ५ वर्ष के लिए होनी चाहिए। जमीनों पर सदस्यों का अधिकार अशुद्ध रहना चाहिए और अलग हों वे वाले सदस्य को यदि वही जमीन न दी जा सके तो उतनी ही पैदावार की जमीन वापस मिलनी चाहिए। सहकारी खेती का प्रबन्ध और मबांलन का काम सदस्यों की चुनी हुई समिति के हाथ में रहना चाहिए। इस समय कुछ राज्यों में सरकार समिति के सदस्यों या मभापति को नामजद करती है। यह प्रथा बन्द होनी चाहिए।

दल ने यह राय भी दी है कि सहकारी समिति के काम को आकने के लिए एक स्वतन्त्र समिति बननी चाहिए। सदस्यों में से एक आदमी को जो हिमायत-किताब रख सके, समिति का मंत्री बनना चाहिए।

### खेती समिति की सदस्यता

दल की राय में सहकारी खेती समिति में ऐसे सदस्यों को नहीं शामिल करना चाहिए जो खुद खेती का काम न कर सकें। इनकी जमीन को सहकारी खेती में शामिल करने की बजाय पट्टे पर लेना चाहिए। सदस्यों को अपने एवज में काम करने के लिए दूसरे आदमी देने की भी इजाजत न देनी चाहिए। अच्छा काम करने में सदस्य एक-दूसरे से होंड कर सके इसलिए काम करने वालों की टोलियाँ बना देनी चाहिए। परन्तु फसल को कटाई और एकत्रित करने का काम सम्मिलित रूप से होना चाहिए। सहकारी खेती समितियों को ऐसे घरेलू और घागीण धर्म भी चलाने चाहिए जिनमें सदस्यों को काम मिल सके और उनकी श्रम शक्ति का पूरा उपयोग हो सके।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सहकारी खेती की सफलता इस बात से आकी जानी चाहिए कि उसके सदस्यों की सम्मिलित या कुल आय कितनी हुई, न कि दैनिक मजदूरी से। योग्य और मेहनती कार्यकर्ताओं को ज्यादा मजदूरी मिलनी चाहिए। सहकारी खेती में जो मुनाफ़ा हो उसमें से खेती के विकास, सुरक्षित कोष, भोजन कोष आदि के लिए व्ययचित धन रखकर बाकी रकम सदस्यों को उनके काम के अनुसार बोनस के तौर पर दे देनी चाहिए। बोनस जमीन के हिसाब से भी दिया जा सकता है।

कार्यकारी दल ने ऐसी मनोनों में काम लेने की राय दी है, जिससे लोगों की रीढ़ी न छिनें, जैसे सिंचाई के लिए पम्प आदि।

कार्यकारी दल ने सिफारिश की है कि सहकारी खेती को योजना बनाने के लिए केन्द्र तथा राज्यों में सलाहकार मण्डल बनाए जाएँ। ये मण्डल जो सुझाव दें, उन्हें तेजी में चलाने के लिए केन्द्र तथा राज्यों के महापिता विभाग सार्वजनिक कार्यकर्ताओं का मत्पयोग ले। इनके अलावा प्रत्येक योजना मण्ड में गिनियर मन्त्रालय देने के लिए विद्योग अधिकारी भी नियुक्त किया जाए।

### शिक्षा और ट्रेनिंग

दल ने यह भी सुझाव दिया है कि लगभग २ लाख युवक विमानों को सहकारी मंत्री की

शिक्षा देने के लिए दो-दो सप्ताह की ट्रेनिंग देने का अवयव किया जाए, ताकि प्रत्येक ५-५ गावों के समूह में कम से कम दो-दो ट्रेनिंगशुदा कर्मचारी हो जाए।

कार्यकारी दल में सिफारिश की है कि सहकारी खेती के लगभग २६ हजार मंत्रियों को भी तीन-तीन महीने की ट्रेनिंग दी जाए। ग्राम सेवकों, सहकारी खेती के कर्मचारियों आदि को नयी ट्रेनिंग देने के लिए अगले चार वर्षों में १६० ट्रेनिंग केन्द्र खोले जाएँ।

दल ने यह भी सुझाव दिया है कि शिक्षकों, विद्योप अधिकारियों, सार्वजनिक कार्यकर्ताओं और सम्बन्धित कर्मचारियों को नयी ट्रेनिंग देने के लिए तथा अनुसन्धान करने के लिए सहकारी खेती को राष्ट्रीय सत्या स्थापित की जाए।

### आर्थिक सहायता

रिपोर्ट में बताया गया है कि बैंकों आदि द्वारा सहकारी खेती का महत्त्व न ममज्ञान, सहकारी खेती समिति द्वारा जमीन आदि की जमानत देने में असमर्थता के कारण सहकारी खेती समितियों को काफी कठिनाई हुई है। इसलिए सरकार को उपज के कार्यक्रम को देखते हुए प्रत्येक समिति को अधिक से अधिक ४ हजार रु० तक का ऋण देना चाहिए। जो ऋण थोड़े ही अवधि में चुकाया जाने वाला हो, उसे बिना सरकार की गारंटी लिये ही केन्द्रीय सरकारों बैंकों में भोजी मिलना चाहिए।

कार्यकारी दल ने सुझाया है कि समितियों की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सरकार हरेक सोसाइटी से अधिक से अधिक २ हजार रु० के शेयर ले। यह शेयर समिति की शक्ति बढ़ाने के लिए है, उस पर नियंत्रण रखने के लिए नहीं। इसलिए समिति में सरकारी प्रतिनिधि का होना जरूरी नहीं है। ये शेयर १० वर्ष में मजिद द्वारा खरीद लिये जाए।

जखुरत पड़ने पर सरकार गोदाम बनाने तथा गीमाला बनाने के लिए समितियों को ऋण तथा सहायता के रूप में ५ हजार रु० तक दे। समिति के प्रबन्ध के लिए भी तीन माल के लिए १,८०० रु० की सहायता दे।

### इयवस्था

सहकारी खेती के कार्यक्रम पर लगभग ३५ करोड़ २६ लाख रु० खर्च होगा। इसमें से २८ करोड़ ६५ लाख रु० समितियों को सहायता देने के लिए, ४ करोड़ २४ लाख रु० ट्रेनिंग और शिक्षा देने तथा २ करोड़ ३७ लाख रु० कर्मचारी पर खर्च किया जाए।

कार्यकारी दल ने कहा है कि उनमें जो सिफारिशों की हैं, उनको परिस्थितियों के अनुसार धटा बड़ा कर लागू किया जा सकता है।

भारत सरकार, राज्य सरकारों और अन्य सम्बन्धित विभागों की सलाह लेने के बाद, कार्यकारी दल को इन सिफारिशों पर निर्णय करेगी।

### सहकारी खेती समितियाँ

१९५८ में देश में १,४४० समुक्त और सामूहिक सहकारी खेती समितियाँ थीं। इनमें से १,०९८ समितियाँ काम कर रही हैं। यह सूचना सामूहिक खेती के विचारक वर्ग की रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट १५ फरवरी को प्रकाशित हुई है।

इन सहकारी समितियों के ३९ हजार ७५ सदस्य हैं, पर केवल २४ हजार ६८७ व्यक्ति खेती में काम करते हैं। इन सहकारी समितियों के पास ३ लाख एकड़ जमीन थी, जिसमें से १९५७-५८ में २ लाख १२ हजार



### विकास आयुक्तों का सम्मेलन

नयी दिल्ली में २१ और २२ जनवरी को राज्यों के विकास आयुक्तों की बैठक हुई। बैठक का उद्घाटन केन्द्रीय सामुदायिक विकास और सहकार मंत्री, श्री सुरेन्द्र कुमार दे ने किया।

विकास आयुक्त इस बात में सहमत हुए कि राज्य सरकारों को चाहिए कि वे ग्रामदान वाले १५वीं की ग्राम सभाओं को ऋण दें, जो ऐसे लोगों को कर्ज दे सके जिनके पास सिक्को-रिट्टी देने के बास्ते अच्छे सम्पत्ति नहीं है।

सामुदायिक विकास मंत्री, श्री दे ने कहा कि ग्रामदान वाले गावों के गीब निवासियों को सहायता करना राज्य का विशेष उत्तरदायित्व है। योजना आयोग के सदस्य श्रीयुक्त श्रीमश्रायण ने बैठक में यह विचार व्यक्त किया कि ग्रामदान एक नयी विचारधारा है और ग्राम सभा सदस्यों तथा सहायता करता आवश्यक है।

इस सम्मेलन ने इस बात पर फिर जोर दिया कि खण्ड विकास अधिकारियों और

एकड़ पर खेती हो रही थी।

सबसे कम सहकारी समितियाँ जम्मू-कश्मीर और भद्रास में हैं। यहाँ ४-४ सहकारी समितियाँ हैं।

### श्रीमती का उत्पादन

लोहसमा में वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने बताया कि देश में १९५९ में २०,३२९ मन अफीम तैयार की गई, जबकि १९५८ में १७,५७२ मन और १९५७ में १२,९५० मन और १९५६ में ९,२७९ मन तैयार की गई थी।

श्री देसाई ने बताया कि अफीम खाने पर जो रोक लगाई है, उससे अफीम के उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई। उन्होंने बताया कि अफीम अब मुख्यतया विदेशों को निर्यात करने के लिए तैयार की जाती है, जहाँ यह दवा आदि बनाने के काम आती है। इसकी माग गत कुछ वर्षों में अपेक्षाकृत बढ़ गई है।

खण्ड विकास समितियों अथवा पचायत समितियों से ग्रामदान वाले गावों के विकास को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया जाता चाहिए। अखिल भारत सर्वे सेवा संघ के डम सुझाव का भी अनुमोदन किया गया कि उन खण्डों में जहाँ ग्रामदान वाले गांव अधिक हैं, जन-संस्थाओं को विभिन्न योजनाओं का खर्च नियत करने और कर्मचारियों को नियुक्त के तरीके के सम्बन्ध में पूरी स्वाधीनता होनी चाहिए।

सम्मेलन में सब इस बात से सहमत थे कि बीजों के उत्पादन व उसके तकनिकल पहलुओं की देखभाल कृषि विस्तार एजेंसी के जिम्मे रहे, लेकिन खरीद, भण्डार और वितरण की जिम्मेदारी सहकार समितियों को होनी चाहिए।

पचायत राज कानून की प्रगति के सम्बन्ध में सम्मेलन ने सिफारिश की कि कानून के अन्तर्गत ग्राम पचायतों को जो वित्तीय साधन प्रदान किए गए हैं उनसे कम-से-कम एक रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से आमद होनी चाहिए।

सम्मेलन में सामुदायिक विकास खण्डों में कृषि उत्पादन, पशुपालन, मत्स्यपालन, छोटी सिंचाई योजनाओं, स्वास्थ्य-सफाई और मचार व्यवस्था की समस्याओं पर भी विचार किया गया।

श्री दे ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि पंचायती राज्य के तीन मुख्य पहलू हैं— शिक्षा, उत्पादन और अपने चल से काम की शुभ्रता।

राजस्थान और भारत के अन्य राज्यों में आने वाले किसानों ने अपनी बातचीत का उल्लेख करते हुए श्री दे ने कहा कि मुझे यह

विश्वास हो चला है कि राज्यों में आवेदन करने और अपनी शिकायतें पेश करने का युग बीत चुका है। राज्यों में विकास कार्यक्रम बनाने और उन्हें लागू करने का भार उत्तरदायित्व जनता पर ही आ गया है।

मथी महोदय ने कहा कि राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश में पंचायती राज्य प्रणाली ने काफी प्रगति की है और केरल के २० विकास खण्डों में भी यह प्रणाली शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मद्रास, मैसूर, आसाम और उडिसा में भी शीघ्र ही पंचायती राज्य प्रणाली शुरू कर दी जाएगी।

## हायस्ट चेम्बर

दाहिनी सुरंग का मुह बन्द करने के बाद हायस्ट चेम्बर में पानी गिरकर फर्श की सतह तक आ गया था। तब वहाँ देखा गया कि सभी यंत्र आदि बह गए और वहाँ मलबा जमा हो गया। अब उसे साफ कर दिया गया है।

हायस्ट चेम्बर का पानी बन्द करने से पहले वहाँ जाने वाले लगभग ३०० बयूसेक पानी को रोकना पड़ा। इसके लिए प्रयत्न किया गया और ८ फरवरी को हायस्ट चेम्बर का पानी पूरी तरह निकाल दिया गया। अब हायस्ट चेम्बर बन्द करने का काम १० फरवरी को शुरू किया जाएगा।

## मरम्मत पर खर्च

श्री हाथी ने बताया कि भावड़ा बांध की मरम्मत पर जनवरी के अन्त तक ७७ लाख ४० खर्च हुआ। अनुमान है कि पूरी मरम्मत पर १ करोड़ १० लाख ४० के लगभग खर्च होगा।

१९६०-६१ में जलाशय में १,४४० फुट तक पानी आ जाएगा। बाएँ विजली घर के लिए इतने ही ऊँचे पानी को जरूरत है। यह विजली घर अक्टूबर १९६० में चालू हो जाएगा।

यह भी डर था कि बांध के अन्दर की गैलरियों को भी नुकसान पहुँचा होगा। उन गैलरियों में अब पानी नहीं है और केवल कुछ स्थानों को छोड़कर उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा।

## जांच समिति

श्री हाथी ने आगे बताया कि भावड़ा-दुपंटना की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गयी थी, परन्तु हायस्ट चेम्बर में पानी भरे रहने के कारण समिति जांच नहीं कर सकी। वहाँ में पानी निकल जाने के फौरन बाद ८ फरवरी को समिति की बेंचर हुई और उसने चेम्बर तथा उनको दाहिनी सुरंग को देना। समिति जल्दी ही अपनी रिपोर्ट दे देगी।

अन्त में उन्होंने कहा कि हायस्ट चेम्बर की जन्दी ही मरम्मत हो जाएगी और दाहिनी सुरंग भी बरगान में पड़ने ही बन्द कर दी जाएगी। इस दुपंटना में बांध बनाने का काम पूरा करने और सिंचाई तथा विजली के लिए पानी देने में अधिक देर नहीं होगी।

## नदी योजनाएं और विजली

### भाखड़ा बांध की मरम्मत : सिंचाई उपमंत्रि का वक्तव्य

सिंचाई और विजली उपमंत्री, श्री जयमुखला हाथी ने ९ फरवरी को लोकसभा में एक वक्तव्य में बताया कि १९६०-६१ के जाड़ों में भावड़ा बांध के गॉबिन्दगगर जलाशय में सिंचाई और विजली के लिए लगभग ३,३०,००० एकड़-फुट पानी दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि १९५९-६० में अक्टूबर १९५९ से मई १९६० तक जो पानी छोड़ा जाना था, वह कुछ कारणों से अक्टूबर और नवम्बर १९५९ में ही छोड़ दिया गया, इसलिए बाकी महानों में पानी की मर्यादा में कमी रही। परन्तु अब १९६१-६२ में वहाँ से पानी की मर्यादा में कोई कमी नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि भाखड़ा-दुपंटना के होते हुए भी रवी फमल बाँधे समय लगभग १० लाख एकड़-फुट पानी दिया गया और उसके बाद भी नदी के पानी के अलावा ८०,००० एकड़-फुट और पानी दिया गया। इससे पंजाब में ही रवी के ५,९२,००० एकड़ अधिक ज़ेता में सिंचाई हुई और गुग्गल तथा काठला विजली-घरों में विजली तैयार करने में भी मदद मिली।

हायस्ट चेम्बर में पानी रोकने की समस्या श्री हाथी ने अपने वक्तव्य में कहा कि अब भावड़ा बांध अधिकारियों के सामने हायस्ट

चेम्बर में जाने वाला पानी रोकने की समस्या है। यह काम १० फरवरी, १९६० को बन्द कर दिया जाएगा। इसके बाद पानी के बहाव को दाहिनी ओर मं.डने वाली सुरंग को बन्द करने का काम शुरू किया जाएगा। हायस्ट चेम्बर के नीचे सुरंग को जून १९६० के अन्त तक बाफ़ी दूर तक पक्की तरह बन्द कर दिया जाएगा, जिनमें वह जलाशय के पानी के दबाव को मह सके।

## प्रशंसीय काम

श्री हाथी ने कहा कि मैंने २३ नवम्बर, १९५९ को मसद में बताया था कि भावड़ा बांध के बाएँ विजलीघर से पूरी तरह पानी निकाल दिया गया है और अब दाहिनी सुरंग बन्द करने का काम बाकी रह गया है, जो अप्रैल १९६० तक पूरा हो जाएगा।

यह खुशी की बात है कि हमें दिसम्बर १९५९ के अन्त तक दाहिनी सुरंग का मुह बन्द करने में आशावादी मफलता मिली। पहले वहाँ से ३,७०० बयूसेक पानी जाता था और अब केवल लगभग ३०० बयूसेक पानी जाता है। यह सुरंग पानी की ऊँचरी सतह से १८० फुट नीचे है और इसका व्यास २० फुट है। इसे बन्द करने में जो मफलता मिली वह जल-इंजीनियरों के क्षेत्र में अद्वितीय है। इस मफलता का श्रेय भाखड़ा बांध के सलाहकारों, अधिकारियों और भारतीय मेना के इंजीनियरों को है।

दिशा देने के लिए दो-दो सप्ताह की ट्रेनिंग देने का प्रबन्ध किया जाए, ताकि प्रत्येक ५-५ गांवों के समूह में कम से कम दो-दो ट्रेनिंगभूदा कर्मचारी हो जाए।

कार्यकारी दल में सिफारिश की है कि सहकारी खेती के लगभग २६ हजार मजदूरों को भी तीन-तीन महीने की ट्रेनिंग दी जाए। ग्राम सेवकों, सहकारी खेती के कर्मचारियों आदि को नयी ट्रेनिंग देने के लिए अगले चार वर्षों में १६० ट्रेनिंग केंद्र खोले जाएं।

दल ने यह भी सुझाव दिया है कि शिक्षकों, विशेष अधिकारियों, सार्वजनिक कार्यकर्ताओं और सम्बन्धित कर्मचारियों को नयी ट्रेनिंग देने के लिए तथा अनुसंधान करने के लिए सहकारी खेती की राष्ट्रीय सस्था स्थापित की जाए।

### आर्थिक सहायता

रिपोर्ट में बताया गया है कि बैंकों आदि द्वारा सहकारी खेती का महत्व न ममज्ञान, सहकारी खेती समिति द्वारा जमीन आदि की जमानत देने में अममर्थता के कारण सहकारी खेती समितियों को काफी कठिनाई हुई है। इसलिए सरकार को उपज के कार्यक्रम को देखते हुए प्रत्येक समिति को अधिक से अधिक ४ हजार रु० तक का ऋण देना चाहिए। जो ऋण थोड़े ही अर्ध में चुकाया जाने वाला हो, उसे बिना सरकार की गारंटी लिये ही केन्द्रीय सरकारी बैंकों ने मीथे मिलाना चाहिए।

कार्यकारी दल ने सुझाया है कि समितियों को सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सरकार हरेक मोस-दूटी से अधिक से अधिक २ हजार रु० के शेरर ले। यह शेरर समिति की शक्ति बढ़ाने के लिए है, उस पर नियंत्रण रखने के लिए नहीं। इसलिए समिति में सरकारी प्रतिनिधि का होना जरूरी नहीं है। ये शेरर १० वर्ष में समिति द्वारा खरीद लिये जाए।

जहरूत पड़ने पर सरकार गोदाम बनाने तथा गोमाला बनाने के लिए समितियों को ऋण तथा सहायता के रूप में ५ हजार रु० तक दे। समिति के प्रबन्ध के लिए भी तीन साल के लिए १,८०० रु० की सहायता दे।

### व्यवस्था

सहकारी खेती के कार्यक्रम पर लगभग ३५ करोड़ २६ लाख रु० खर्च होगा। इसमें से २८ करोड़ ६५ लाख रु० समितियों को सहायता देने के लिए, ४ करोड़ २४ लाख रु० ट्रेनिंग और दिशा देने तथा २ करोड़ ३७ लाख रु० कारीगरों पर खर्च किया जाए।

कार्यकारी दल ने कहा है कि उमर्न जो सिफारिशों की है, उनको परिस्थितियों के अनुसार घटा बढा कर लागू किया जा सकता है।

भारत सरकार, राज्य सरकारी और अन्य सम्बन्धित विभागों की सलाह लेने के बाद, कार्यकारी दल की इन सिफारिशों पर निर्णय करेगी।

### सहकारी खेती समितियां

१६५८ में देश में १,४४० सयुक्त और सामूहिक सहकारी खेती समितियां थीं। इनमें से १,०९८ समितियां काम कर रही हैं। यह सूचना सामूहिक खेती के विचारक बंग की रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट १५ फरवरी को प्रकाशित हुई है।

इन सहकारी समितियों के ३९ हजार ७५ सदस्य हैं, पर केवल २४ हजार ६८७ व्यक्ति खेतों में काम करते हैं। इन सहकारी समितियों के पास ३ लाख एकड़ जमीन थी, जिसमें से १९५७-५८ में २ लाख १२ हजार



## विकास आयुक्तों का सम्मेलन

नयी दिल्ली में २१ और २२ जनवरी को राज्यों के विकास आयुक्तों की बैठक हुई। बैठक का उद्घाटन केन्द्रीय सामुदायिक विकास और सहकार मंत्री, श्री सुरेन्द्र कुमार दे ने किया।

विकास आयुक्त इस बात से सहमत हुए कि राज्य सरकारों को चाहिए कि वे ग्रामदान वाले गांवों की ग्राम सभाओं को ऋण दे, जो ऐसे लोगों को कर्ज दे सके जिनके पास सिन्थो-रिटी देने के वास्ते अबल सम्पत्ति नहीं है।

सामुदायिक विकास मंत्री, श्री दे ने कहा कि ग्रामदान वाले गांवों के गीब निवासियों की सहायता करना राज्य का विद्येय उत्तरदायित्व है। योजना आयोग के सदस्य श्रीयुत श्रीमश्रायण ने बैठक में यह विचार व्यक्त किया कि ग्रामदान एक नयी विचारधारा है और ग्राम सभा सरीखी सस्थाओं की सहायता करना आवश्यक है।

इस सम्मेलन ने इस बात पर फिर जोर दिया कि खड्ड विकास अधिकारियों और

एकड़ पर खेती हो रही थी।

सबसे कम सहकारी समितियां जम कश्मीर और मद्रास में हैं। यहाँ ४-४ महदा समितियां हैं।

### अफ्रीम का उत्पादन

लो कमला में वित्त मंत्री, श्री मोरार देसाई ने बताया कि देश में १९५९ २०,३९२ मन अफीम तैयार की गई, जबकि १९५८ में ७७,५७२ मन और १९५७ में १२,९५० मन और १९५६ में ९,२७९ मन तैयार की गई थी।

श्री देसाई ने बताया कि अफीम खाने पर जो रोक लगाई है, उससे अफीम के उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई। उन्होंने बताया कि अफीम अब मुख्यतया विदेशों को निर्यात करने के लिए तैयार की जाती है, जहाँ यह दवा आदि बनाने के काम आती है। इसकी माग गत कुछ वर्षों में अपेक्षाकृत बढ गई है।

खड्ड विकास समितियों अथवा पंचायत समितियों से ग्रामदान वाले गांवों के विकास को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया जाना चाहिए। अखिल भारत सर्व सेवा सघ के इस सुझाव का भी अनुमोदन किया गया कि उन खड्डों में जहाँ ग्रामदान वाले गाव अधिक हैं, जन-संस्थाओं को विभिन्न योजनाओं का खर्च नियत करने और कर्मचारियों की नियुक्ति के तरीके के सम्बन्ध में पूरी स्वाधीनता होनी चाहिए।

सम्मेलन में सब इस बात से सहमत थे कि बीजों के उत्पादन व उसके तकनिकल पहलुओं की देखभाल कृषि विस्तार एजेंसी के जिम्मे रहे, लेकिन खरीद, भण्डार और वितरण को जिम्मेदारी सहकार समितियों की होनी चाहिए।

पंचायत राज कानून की प्रगति के सम्बन्ध में सम्मेलन ने सिफारिश की कि कानून के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को जो वित्तीय साधन प्रदान किए गए हैं उनसे कम-से-कम एक रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से आमद होनी चाहिए।

सम्मेलन में सामुदायिक विकास खण्डों में कृषि उत्पादन, पशुपालन, मत्स्यपालन, छोटी मिचाई योजनाओं, स्वास्थ्य-सफाई और मंचार व्यवस्था की समस्याओं पर भी विचार किया गया।

श्री दे ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि पंचायती राज्य के तीन मुख्य पहलू हैं— शिक्षा, उत्पादन और अपने यत्न से काम की गृहआत।

राजस्थान और भारत के अन्य राज्यों में आने वाले किसानों में अपनी बातचीत का उल्लेख करते हुए श्री दे ने कहा कि मुझे यह

विश्वास हो चला है कि राज्यों में आवेदनरत, देने और अपनी शिकायतें पेश करने का युग बीत चुका है। राज्यों में विकास कार्यक्रम बनाने और उन्हें लागू करने का सारा उत्तर-दायित्व जनता पर ही आ गया है।

मश्री महोदय ने कहा कि राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश में पंचायती राज्य प्रणाली ने काफी प्रगति की है और केरल के २० विकास खण्डों में भी यह प्रणाली शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि भद्राम, मंसूर, आमाम और उनीमा में भी शीघ्र ही पंचायती राज्य प्रणाली शुरू कर दी जाएगी।

दाहिनी सुरग का मुह बन्द करने के बाद हायस्ट चेम्बर में पानी गिरकर फर्श को सतह तक आ गया था। तब वहाँ देखा गया कि सभी यंत्र आदि बह गए और वहाँ मलवा जमा हो गया। अब उसे साफ कर दिया गया है।

हायस्ट चेम्बर का पानी बन्द करने से पहले वहाँ जाने वाले लगभग ३०० ब्यूसेक पानी को रोकना पड़ा। इसके लिए प्रयत्न किया गया और ८ फरवरी को हायस्ट चेम्बर का पानी पूरा तरह निकाल दिया गया। अब हायस्ट चेम्बर बन्द करने का काम १० फरवरी को शुरू किया जाएगा।

### मरम्मत पर खर्च

श्री हाथी ने बताया कि भाखड़ा बांध की मरम्मत पर जनवरी के अन्त तक ७७ लाख रु० खर्च हुआ। अनुमान है कि पूरी मरम्मत पर १ करोड़ १० लाख रु० के लगभग खर्च होगा।

१९६०-६१ में जलाशय में १,४४० फुट तक पानी आ जाएगा। बाएँ विजलीघर के लिए इतने ही ऊँचे पानी की जरूरत है। यह विजलीघर अक्टूबर १९६० में चालू हो जाएगा।

यह भी डर था कि बांध के अन्दर की गैलरियों को भी नुकसान पहुँचा होगा। उन गैलरियों में अब पानी नहीं है और केवल कुछ स्थानों को छोड़कर उनको कोई नुकसान नहीं पड़ना।

### जांच समिति

श्री हार्थी ने आगे बताया कि भाखड़ा-दुर्घटना की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गयी थी; परन्तु हायस्ट चेम्बर में पानी भरने रहने के कारण समिति जाच नहीं कर सकी। वहाँ से पानी निकल जाने के फौज बाद ८ फरवरी को समिति की बैठक हुई और उगने चेम्बर तथा उसकी दाहिनी सुरग को देना। समिति जल्दी ही अपनी रिपोर्ट दे देगा।

अन्त में उन्होंने कहा कि हायस्ट चेम्बर की जल्दी ही मरम्मत हो जाएगी और दाहिनी सुरग भी भराने में सफल हो बन्द कर दी जाएगी। इस दुर्घटना में बांध बनाने का काम पूरा करने और मिचाई तथा विजली के लिए पानी देने में अग्रिम देर नहीं होगी।

## नदी योजनाएं और विजली

### भाखड़ा बांध की मरम्मत :

#### सिंचाई उपमंत्रि का वक्तव्य

सिंचाई और विजली उपमन्त्री, श्री जयमुक्ताल हार्थी ने ९ फरवरी को लोकसभा में एक वक्तव्य में बताया कि १९६०-६१ के जाड़े में भाखड़ा बांध के गाँवन्दनागर जलाशय में मिचाई और विजली के लिए लगभग ३,३०,००० एकड़-फुट पानी दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि १९५९-६० में अक्टूबर १९५९ में मई १९६० तक जो पानी छोड़ा जाना था, वह कुछ कारणों से अक्टूबर और नवम्बर १९५९ में ही छोड़ दिया गया, इसलिए बाकी महीनों में पानी की सफाई में कमी रही। परन्तु अब १९६१-६२ में वहाँ से पानी को सफाई में कोई कमी नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि भाखड़ा-दुर्घटना के होते हुए भी रवी कानल बोले समय लगभग १० लाख एकड़-फुट पानी दिया गया और उसके बाद भी नदी के पानी के अलावा ८०,००० एकड़-फुट और पानी दिया गया। इसमें पंजाब में ही रवी के ५,९२,००० एकड़ अधिक खेतों में मिचाई हुई और गंगाल तथा कोटला विजलीघरों में विजली तैयार करने में भी मदद मिली।

### हायस्ट चेम्बर में पानी रोकने की समस्या

श्री हार्थी ने अपने वक्तव्य में कहा कि अब भाखड़ा बांध अधिकारियों के सामने हायस्ट

चेम्बर में जाने वाला पानी रोकने की समस्या है। यह काम १० फरवरी, १९६० को बन्द कर दिया जाएगा। इसके बाद पानी के बहाव को दाहिनी ओर में उठने वाली सुरग को बन्द करने का काम शुरू किया जाएगा। हायस्ट चेम्बर के नीचे सुरग को जून १९६० के अन्त तक काफी दूर तक पक्की तरह बन्द कर दिया जाएगा, जिससे वह जलाशय के पानी के दबाव को सह सके।

### प्रशंसीय काम

श्री हाथी ने कहा कि मने २३ नवम्बर, १९५९ को मसद में बताया था कि भाखड़ा बांध के बाएँ विजलीघर से पूरी तरह पानी निकाल दिया गया है और अब दाहिनी सुरग बन्द करने का काम बाकी रह गया है, जो अप्रैल १९६० तक पूरा हो जाएगा।

यह खुशी की बात है कि हमें दिसम्बर १९५९ के अन्त तक दाहिनी सुरग का मुह बन्द करने में आयातीत सफलता मिली। पहले वहाँ में ३,७०० ब्यूसेक पानी जाता था और अब केवल लगभग ३०० ब्यूसेक पानी जाता है। यह सुरग पानी की ऊपरी सतह से १८० फुट नीचे है और इसका व्यास २० फुट है। इसे बन्द करने में जो सफलता मिली वह जल-इंजीनियरी के क्षेत्र में अद्वितीय है। इस सफलता का श्रेय भाखड़ा बांध के सलाहकारों, अधिकारियों और भारतीय मेना के इंजीनियरों को है।



## शिक्षा सलाहकार मंडल की बैठक

‘बा’ओं में अनुशासनहीनता की भावना महामारी के समान बढ़ती जा रही है और इसने हमारे दिमाग परेशान कर डाले हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में दो विश्वविद्यालय बन्द करने पड़े। मैसूर में अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह के अवसर पर भी अवांछनीय घटनाएँ हुईं। ये शब्द ६ फरवरी को नयी दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री, डा० कालूलाल श्रीमाली ने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल की २७वीं बैठक में अध्यक्ष-पद से भाषण देते हुए कहे।

उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में छात्रों ने जरा-जरा-सी बातों पर हड़ताल की है। वे शिक्षा शुरू घटवाना चाहते हैं, मास्करतिक समारोहों में मुफ्त प्रवेश चाहते हैं, अयोग्य छात्रों को विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिलाना चाहते हैं, अध्यापकों को निकलवाना चाहते हैं, इत्यादि। जब विश्वविद्यालय के अधिकारी ये मांगे नहीं मानते तो छात्र हड़तालें, भूख-हड़तालें, प्रदर्शन आदि करने हैं और हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। इससे विश्वविद्यालयों की बदनामी होती है। आज जबकि हमारे विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्र ज्यादा से ज्यादा सभ्यता में पढ़ने आ रहे हैं और जबकि देश में विकास-कार्य हो रहे हैं, ये घटनाएँ बड़ी लज्जाजनक हैं। अगर इस अनुशासनहीनता पर अभी से रोक न लगाई गई तो देश का भविष्य अंधकारमय और खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये छात्र ही आम चल्कर देश के कर्णधार बनने वाले हैं।

इस अनुशासनहीनता के बढ़ने के कारण हो सकते हैं। देश की बुरी आर्थिक स्थिति और नोकरी की सुविधाएँ न होना भी इसके मुख्य कारण हैं। कुछ भी हो, हमें इस स्थिति को सुधारना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों को अनुशासनहीनता के कारणों का पता लगाने के लिए समिति नियुक्त की है। डा० श्रीमाली ने कहा कि इस अनुशासनहीनता के लिए छात्रों के अभिभावक और अध्यापक

दोनों ही कसूरवार हैं। सबसे अधिक दुःख की बात तो यह है कि कभी-कभी तो अध्यापक छात्रों को आन्दोलन करने के लिए भड़काते हैं और राजनीतिक दलों के नेता अशान्त छात्रों से अपना मतलब मिट्ट करवाते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़कर कोई अन्य सामाजिक अपराध नहीं है।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे छात्रों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और उनकी जो जायज मांगें हैं, उन्हें स्वीकार करें। किन्तु उन्हें छात्रों से साफ कह देना चाहिए कि वे किसी भी हाज़त में छात्रों की धमकी में नहीं आएं। छात्रों की भलाई के लिए काम करना विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक है, किन्तु जुस्तु निकासना, हड़ताल आदि करना भी छात्रों की शोभा नहीं देता। जो छात्र विश्वविद्यालय की शान्ति भंग करते हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए।

डा० श्रीमाली ने बताया कि अगर छात्र मिलकर अध्यापकों के व्यवहार के खिलाफ खुले आम कोई आन्दोलन करते हैं तो स्वाभाविक है कि अध्यापकों की ही उसमें कोई गलती है। अतः विश्वविद्यालयों को ऐसे अध्यापकों के भी खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर अध्यापक अपने कार्य और छात्रों में रुचि ले तो निःसंदेह छात्रों में उनके प्रति आदर पैदा होगा और वे अनुशासनहीन नहीं बनेंगे। छात्रों में अशान्ति तभी होती है, जबकि अध्यापक पद-लोलुप होते हैं और उनमें तथा छात्रों में व्यक्तिगत सम्पर्क नहीं होता। अतः विश्वविद्यालयों के अधिकारियों को ऐसे अध्यापकों को निकाल देना चाहिए। इनके अलावा छात्र-अध्यापक सम्पर्क बढ़ाने के पूरे प्रयत्न किए जाएँ, तभी यह समस्या हल हो सकती है।

डा० कालूलाल श्रीमाली ने कहा कि बहुत समय से सरकार यह विचार कर रही है कि ‘राष्ट्रीय सेवा’ नाम की योजना चालू की जाए, ताकि राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में छात्रों

से पूरा सहयोग लिया जाए। पिछले शिक्षा मंत्री सम्मेलन में भी इस योजना पर विचार हुआ था। इस सम्मेलन ने इस योजना का ब्योरा तैयार करने के लिए एक समिति बनाने की सिफारिश की। डा. चिन्तामणि द्वारकानाथ देगमूख की अध्यक्षता में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। इन्होंने यह सिफारिश की है कि हायर सेकेण्डरी स्कूल और पूर्व-विश्वविद्यालय-बलास पास करने के बाद प्रत्येक छात्र को अनिवार्य रूप से ९ महीने से १ माल तक राष्ट्र-सेवा के काम में लगाया जाए। इस अवधि में उन्हें सैनिक अनुशासन में रखा जाए और विकास-कार्यों में उनका योग दिया जाए, ताकि समाज को भी कुछ फायदा हो। डा० श्रीमाली ने कहा कि मेरे खालस से इस प्रकार की राष्ट्रीय सेवा से छात्रों को जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने का मौका मिलेगा। जो छात्र आम पैदाई बन्द करना चाहेंगे उन्हें जीवन में लाभ होगा और जो छात्र विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेना चाहेंगे वे उच्च शिक्षा अच्छी प्रकार ग्रहण कर सकेंगे, क्योंकि इतने दौरान उनका काफी मानसिक विकास हो चुकेगा। इस प्रकार देश के युवक-युवतियाँ राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के काम में सहयोग देंगे, अनुशासनहीन भी नहीं बनेंगे और आगत काल में देश की रक्षा में भी हाथ बटा सकेंगे। उन्होंने कहा कि मण्डल सदस्यों के विचार सुन कर इन सिफारिशों पर निर्णय करेंगे।

### अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा

डा० श्रीमाली ने कहा कि तीसरी योजना में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा, ६ में ११ वर्षों की आयु के बच्चों को अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देना। इसके अन्तर्गत स्कूलों में लगभग २ करोड़ बच्चे और ४ लाख अतिरिक्त अध्यापक भर्ती किए जाएँ और लगभग ३०० करोड़ रु० का खर्च आएगा। यह बड़ा विस्तृत कार्यक्रम है, जिनमें केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा जनता की पूरा सहयोग देना होगा।

अन्त में डा० श्रीमाली ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में ई-सरकारी सस्थाओं को काफी प्रोत्साहन दिया जाता रहा है। किन्तु इधर कुछ वर्षों में कर आदि बढ़ जाने से निजी सस्थाओं के पास रुपये की कमी होती जा रही

# ऐतिहासिक आलेख आयोग का ३५वाँ अधिवेशन

प्रधान मंत्री, श्री नेहरू ने ४ फरवरी को नयी दिल्ली में भारतीय ऐतिहासिक आलेख आयोग के ३५वें अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए कहा कि अब युग बदल रहा है और उसी हिसाब मे युग के इतिहासकारों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के भारत की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक पुराने ढंग को छोड़कर टेक्नो-क्रोजी के युग में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ ही एक बात और भी महत्व की है। पहले इतिहास में किसी एक व्यक्ति का—राजा या बादशाह का महत्व होता था, लेकिन आज का इतिहास जनता का इतिहास है।

पिछले युग का इतिहास लिखने वालों का केन्द्र-बिन्दू कोई खास व्यक्ति रहा करता था, क्योंकि उस जमाने में किसी राजा का हुबूम या बात सबसे महत्वपूर्ण बात होती थी और वही इतिहास था। आज के इतिहासकार को अपना आवाज बदलना पड़ेगा।

प्रधान मंत्री ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि भारत में अब वैज्ञानिक दृष्टि में इतिहास का अध्ययन करने की ओर ध्यान दिया जा रहा है।

प्रधान मंत्री ने अगले कहा कि कोई भी इतिहासकार किसी भी युग का वास्तविक इतिहास तभी लिख सकता है जब वह उस युग में रम जाए। हो सकता है कि ऐसा करने पर उसकी अपनी व्यक्तिगत भावनाओं का इतिहास लिखने पर कुछ प्रभाव पड़े और वह इतिहास निरपेक्ष न रहे जाए, लेकिन वह निरपेक्ष भले ही न हो, सजीव जरूर होगा और माथ ही रोचक होगा। जब तक इतिहास में यह सजीवता नहीं होगी, तब तक वह किसी विद्यार्थी की परीक्षा पास करने के लिए कोई ऐतिहासिक घटनाओं का किताब-जोबा भले ही हो जाए, उसे कोई और नहीं पड़ेगा।

## डा० श्रीमती का माथपू

अधिवेशन के अध्यक्ष केन्द्रीय शिक्षा मंत्री डा. बालुगल श्रीमती ने अपने न में कहा—'दिग में खनी इन बात

गया। इसने यह प्रस्ताव रखा कि उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए दो प्रकार की परीक्षाएं होनी चाहिए। एक उन छात्रों के लिए जो अनिवार्य रूप से अंग्रेजी लेते हैं तथा एक उन छात्रों के लिए जो उच्च माध्यमिक कक्षा में अंग्रेजी नहीं लेते। इसके अलावा राज्यों में छात्रों की प्रतिभा आंकने की सत्याओं की स्थापना, हर माध्यमिक स्कूल में विज्ञान की पढाई की व्यवस्था, विज्ञान के प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव रखा गया। सहायता प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों की वर्तमान स्थिति पर भी विचार किया गया। समिति ने माध्यमिक शिक्षा के बारे में निम्नलिखित भारतीय परिपद के कामों की रिपोर्ट तथा माध्यमिक शिक्षा के विस्तार-कार्यक्रम निदेशालय की रिपोर्ट पर भी विचार किया।

उच्च शिक्षा की स्थायी समिति ने विश्व-विद्यालय शिक्षा योजनाओं के लिए राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता, ग्रामीण उच्च शिक्षा मस्याओं के काम, विश्वविद्यालयों और कालेजों के प्रोफेसरो तथा लेक्चररारों को एक दूसरे कालेज या विश्वविद्यालयों में भेजने की योजना, सरकारी कालेजों को आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता आदि पर विचार किया। इस समिति की बैठक की अध्यक्षता कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति, प्रो० एन० के० सिद्धान्त ने की।

सामान्य कार्यसमिति की अध्यक्षता डा० मुशीला नायर संसद सदस्य ने की। इनमें अन्य बातों के अलावा महायत्नाप्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों की प्रबन्ध-व्यवस्था और उनकी स्थिति, और हिन्दी के प्रसार तथा विकास के लिए शिक्षा मन्त्रालय की हिन्दी शाखा के कामों की रिपोर्ट, राष्ट्रीय अनुशासन योजना की प्रगति, भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं की रिपोर्ट तथा अंक-संकलन शाखा के कामों के बारे में विचार किया गया।

समी समितियों में धर्म और नैतिक निर्देशन समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया।

शिक्षा के केन्द्रीय सलाहकार मण्डल की बैठक में इन समितियों की उपरुक्त निकारियाँ पर विचार किया जाएगा।

है। कुछ लोग यह चाहते हैं कि सरकार ऐसी सत्याओं को अपने हाथ में ले ले। किन्तु ऐसा सोचना गलत है। सरकार तो इन सत्याओं के व्यवस्थापकों को मदद देना चाहती है। जन-तांत्रिक ढांचे में जनता को भी शिक्षा के विकास में अपना पूरा योग देना चाहिए। अतः सरकार निजी सत्याओं, ट्रस्टों आदि को आर्थिक सहायता दे रही है। मुझे पता है कि कुछ गैर-सरकारी सत्याओं में बाकी गड़बड़ है। बहुत-सी सत्याएं अध्यापकों का धोषण करती हैं, जनता के रुपये का दुहनयोग करती हैं और उनके सदस्यों में झगटारार तथा साम्प्रदायिकता का बोलबाला है। मेरे खयाल मे अगर इन बुराइयों पर नियन्त्रण रखा जाए तो इन्हे दूर किया जा सकता है। अतः निजी सत्याओं का राष्ट्रीयकरण करना अनुचित होगा। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय अखिल भारतीय महत्व की सत्याओं को सहायता दे रही है। राज्य सरकारों को भी ऐसी सत्याओं को अनुदान देने के अपने नियम और आमान बना देने चाहिए।

## स्थायी समितियों की बैठक

इससे पूर्व मण्डल की विभिन्न स्थायी समितियों की बैठक ३ फरवरी से ५ फरवरी तक नयी दिल्ली में हुई। बुनियादी शिक्षा की स्थायी समिति की बैठक, योजना आयोग के सदस्य, श्री श्रीमन्नारायण की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा लागू किये गये बुनियादी शिक्षा के विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करने के अलावा स्त्री-शिक्षा की अखिल भारतीय परिपद के कामों की रिपोर्ट तथा अक्टूबर १९५८ और नवम्बर १९५९ के बीच प्रारम्भिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिपद द्वारा किए गए कामों पर भी विचार किया गया।

समाज शिक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय उपकुलपति, श्री को० एस० शा ने की। समिति में अन्य बातों के अलावा केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा चलायी गयी शिक्षा के विकास योजनाओं की प्रगति पर विचार किया गया।

माध्यमिक शिक्षा की स्थायी समिति की बैठक, धीमती हुंमा मेहता की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कई विषयों पर विचार किया

नहीं दिया जाता कि इतिहास हमें  
कठिनाइयों को दूर करने में बहुत  
दे सकता है। वास्तव में इतिहास  
की तारीखवार सूची नहीं है, बल्कि  
में पुरानी घटनाओं को आज की परि-  
में आका जाता है। इससे मनुष्य को  
से बचने और सर्वांगीण काम करने  
प्रेरणा मिलती है।”

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अभिलेखागार  
को से ऐतिहासिक महत्व के कागज-पत्रों  
में संरक्षित लेने या खरीदने का कार्यक्रम  
है। इस संबंध में अभिलेखागार के  
को मदद देने के लिए सरकार ने एक  
समिति नियुक्त की है।

अभिलेखागार इस कार्यक्रम के अंतर्गत  
महत्वपूर्ण कागज-पत्र प्राप्त कर चुका  
। डा० एन० वी० खरे के पत्र जो उन्होंने  
गांधी, डा० राजेन्द्र प्रसाद, पण्डित  
नेहरू और डा० श्यामा प्रसाद  
को लिखे थे या उनसे डा० खरे के पास  
थे, अभिलेखागार की अंत संरक्षित मिले हैं।  
नाक पब्लिक लाइब्रेरी में भी लाख  
को एक पाण्डुलिपि भेजी है। अब  
अभिलेखागार १७० कागज-पत्र और  
खरीद चुका है। इसके अलावा  
अनेक कागज-पत्रों की माइक्रोकॉपि  
भी ली है।

अभिलेखागार ने इसके साथ ही उन  
महत्वपूर्ण कागज-पत्रों की सूची तैयार करने  
की भी योजना बनायी है, जो अभी लोगों के  
पास हैं। पर्याप्त जानकारी न मिलने के कारण  
इसमें कठिनाई हो रही है। यह कठिनाई राज्य  
सरकारें दूर कर सकती हैं।

सरकार ने महत्वपूर्ण कागज-पत्रों और  
पाण्डुलिपियों को माइक्रोकॉपि में तैयार  
करने की योजना बनायी है, ताकि इन्हें देश के  
चार चूने हुए पुस्तकालयों में रखा जा सके।  
इससे उनके क्षीने का भय नहीं रहेगा। सरकार  
विदेशों से भी महत्वपूर्ण कागज-पत्रों की  
माइक्रोकॉपि में मंगाने का प्रयत्न कर रही है।

भारतीय अभिलेखागार ने इस साल ६  
पुस्तकें प्रकाशित की हैं। उनमें अपने यहाँ के  
पुराने कागज-पत्रों के अलावा माहुर अन्य लोगों  
के पास पड़े हुए महत्वपूर्ण कागज-पत्रों की भी

मरम्मत की है, ताकि वे सुरक्षित रहें। इनमें  
गांधी स्मारक निधि के महात्मा गांधी संबंधी  
पत्र, 'इंडियन ओरीजिन' की पूरी फाइल और  
श्री मंगल लाल-गांधी पत्र-व्यवहार की फाइल  
उल्लेखनीय है।

भारत सरकार ने आयोग की सिफारिश  
पर अगस्त १९५९ में डा० ताराचन्द्र की  
अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, जो सर-  
कार को अभिलेखागार संबंधी कानून बनाने  
के बारे में सलाह देगी। समिति की रिपोर्ट के  
बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगी।

छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए अनु-  
संधान के हेतु दी जाने वाली छात्रवृत्ति बढ़ा  
दी गयी है। ट्रेनिंग योजना में भी सुधार किया  
गया है और अब इसके अंतर्गत अधिक छात्र-  
वृत्तियाँ दी जाने लगी हैं। राष्ट्रीय अभिलेखा-  
गार में १९५९ में १५० छात्र अनुसंधान कर  
रहे थे, जबकि १९४७ में केवल ६३ थे।

## १८वीं सदी के उत्तरार्द्ध में मुगल शासन : मेजर जेम्स ब्राउन के पत्र प्रकाशित

१८वीं सदी के उत्तरार्द्ध में मुगल शासन  
का जो विपटन हो रहा था, उसको  
अच्छी जानकारी राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा  
प्रकाशित मेजर जेम्स ब्राउन के पत्रों से मिलनी  
है। इन पत्रों को भारतीय अभिलेख प्रकाशन  
मार्ग में प्रकाशित किया गया है।

बारेन हेस्टिंग्स ने मेजर जेम्स ब्राउन को  
शाह आलम के दरबार में वहाँ की स्थिति का  
विस्तृत ब्यौरा देने के लिए भेजा था। मेजर  
ब्राउन ने अपने पत्रों में शाह आलम के दरबार  
के पड़मंत्रों और तत्कालीन मुगल शासन की  
शक्तिहीनता और विध्वंसिता का विचित्र  
वर्णन किया है।

१७८२ में नजफखान की मृत्यु के बाद शाह  
आलम के सरदारों के गुटों में अधिकार और  
प्रभाव के लिए होड़ लग गई थी। मुगल शाहशाह  
अपने सरदारों को कब् में रखने में संवैया  
असमर्थ और अशक्त था। वह तब सबसे प्रभाव-  
शाली गुट को अपना संरक्षण देने को तैयार  
रहता था।

स्थिति यह भी थी कि मुगल शासन केवल  
दिल्ली पर ही रह गया था और आसपास के

इलाके में इसका खेरा भी प्रभाव नहीं था।  
पर मुगल साम्राज्य के बड़े नाम की शक्ति अभी  
बची थी। मुगल सम्राट के नाम का असर था  
और इसे सर्वोच्च सत्ता और अधिकार का  
स्रोत समझा जाता था। भारत की राजनीति  
में शाह आलम का अभी भी महत्व था। इसका  
कारण उसका व्यक्तिगत प्रभाव नहीं था बल्कि  
यह इसलिए था कि वह शक्तिशाली मुगल  
सम्राटों का वंशज था। जो लोग अपना प्रभाव  
और शक्ति बढाना चाहते थे, उनके लिए शाह  
आलम का साथ बहुत महत्वपूर्ण था।

इतिहासकारों ने इस काल का इतिहास  
लिखने में जेम्स ब्राउन के पत्रों का उपयोग  
किया है, पर अब ब्राउन के पूरे पत्रों का मूल  
रूप में प्रकाशन हो रहा है। घटनाओं की पूरी  
तरह से समझने के लिए पुस्तक में जो टिप्प-  
णियाँ दी गई हैं, उनसे इसका महत्व और भी  
बढ़ जाता है। इसमें दी गई अनुसंधानिका,  
सर्वभूषण पुस्तकों की सूची और तत्कालीन भारत  
के नक्शों में इस पुस्तक की उपयोगिता को  
और भी बढ़ा दिया है।

संग्रहालय शास्त्र की विदेशों में ट्रेनिंग  
केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति  
मंत्री, डा० हुमायूँ कबीर ने ११ फरवरी  
को प्रशोत्तर के समय लोकसभा में बताया  
कि संग्रहालय शास्त्र की ट्रेनिंग लेने के लिए  
चार अधिकारी विदेश भेजे गए थे, जिनमें  
से एक वापस आ गया है।

उन्होंने बताया कि इन अधिकारियों को  
बिचों की भरमत्त तथा संग्रहालय के काम  
में विशेष ट्रेनिंग दी गई है। मंत्री महोदय  
ने बताया कि वापस आने वाले अधिकारी  
को राजस्थान सरकार ने भेजा था और वह  
राजस्थान के संग्रहालयों के विकास के लिए  
काम कर रहा है।

रेडियो सप्ताह  
आकाशवाणी ने हृदय की तरह इस वर्ष  
भी ७ फरवरी से १३ फरवरी, १९६०  
तक रेडियो मण्डल मनाया। इस अवसर पर  
विभिन्न केंद्रों में आमंत्रित व्यक्तियों के सामने  
विशेष कार्यक्रम किए गए।

## राष्ट्रमण्डल प्रसारण सम्मेलन

राष्ट्रमण्डल प्रसारण मंडल, जो नयी दिल्ली में २२ जनवरी को शुरू हुआ था, ११ फरवरी को समाप्त हो गया। सम्मेलन में आस्ट्रेलिया, कनाडा, लंका, पाना, भारत, मलाया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड को राष्ट्रीय प्रसारण मन्थ्याओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में प्रसारण संबंधी जानकारी के आदान-प्रदान के अलावा राष्ट्रमण्डल देशों में प्रसारण के विकास के लिए भी कई प्रस्ताव स्वीकार किए गए।

### देहाती कार्यक्रम

देहाती कार्यक्रमों पर विचार करने के लिए विशेष उपसमिति नियुक्त की गई। समिति ने राय दी है कि इन कार्यक्रमों में श्वेती संबंधी जानकारी देने के साथ लोक-कथाएँ, गीत और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होना चाहिए। सम्मेलन में देहाती कार्यक्रमों की पत्रिका का प्रकाशन जारी रखने का निर्णय हुआ। अब तक आस्ट्रेलिया इन पत्रिका का प्रकाशन कर रहा था। अब इसके सम्पादन की जिम्मेदारी भारत को सौंपी गई है।

सम्मेलन ने रेडियो रूपकों को मिल-जुल कर तैयार करने के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया है।

सम्मेलन में इस बात पर भी जोर दिया गया कि स्कूलों के लिए प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से पूरा लाभ हो, इसके लिए प्रसारण अधिकारियों और शिक्षा अधिकारियों में सहयोग होना चाहिए।

### टेलीविजन का विकास

ब्रिटेन, कनाडा और आस्ट्रेलिया में हुए टेलीविजन के विकास में प्रतिनिधियों ने विशेष दिलचस्पी दिखाई। इसके अलावा आक्रामक वाणी ने तो अभी हाल ही में आजमाइशी तौर पर टेलीविजन शुरू किया है और न्यूजीलैंड, मलाया, पाना और पाकिस्तान में इसे शुरू करने की योजना है। अतः इन देशों में टेलीविजन शुरू करने में अधिक विकसित राष्ट्रमण्डल देशों की मदद पर विस्तार से विचार किया गया।

सस्ते रेडियो के लाइसेंस शुल्क में कमी घोषित में लगाये जाने वाले जिन रेडियो सेटों का मूल्य १२० रु. से कम है, उनका

लाइसेंस शुल्क घटाकर ७॥ रु. प्रतिवर्ष कर दिया गया है। यह नियम १ जनवरी, १९६० को या उसके बाद जारी किये गये लाइसेंसों पर लागू होगा। जो लोग ऐसे रेडियो सेटों का लाइसेंस १५ रु. में बनवा चुके हैं, उन्हें आवेदन-पत्र देने पर बाकी खर्चा वापस कर दिया जाएगा। इसके लिए सर्वप्रथम पोस्टल ऑफिस के पास ३१ जुलाई, १९६० तक आवेदन भेजने चाहिए। इसके बाद भेज गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

यह रियायत केवल उन रेडियो सेटों पर दी जा रही है, जो लाइसेंससूदा रेडियो की दुकानों से १ जनवरी, १९६० के पहले या बाद में खरीदे गये हैं। इसके लिए अभिकृत दुकानदारों से रेडियो खरीदने का प्रमाणपत्र निर्धारित फार्म में भरवाकर देना होगा। यह नियम १२० रु. या उससे कम वाग में खरीदे गये उन पुराने रेडियो सेटों पर नहीं लागू होगा, जिनकी कीमत पहले उससे अधिक थी।

यह नियम उन व्यक्तियों द्वारा बनाये गये रेडियो सेटों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्होंने डाक तार विभाग से रेडियो बनाने का लाइसेंस नहीं लिया है।

एक ही घर में दो रेडियो होने पर १२० रु. से कम कीमत वाले रेडियो पर २५० रु. के हिसाब से अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क देना पड़ेगा।

यह सूचना डाक तार महानिदेशालय की ५ फरवरी की एक विज्ञापित व दी गई है।

### वैज्ञानिक प्रकाशनों की प्रदर्शनी

७ फरवरी, १९६० को केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मंत्री, डा० हुमायूँ कबीर ने विश्व कृषि प्रदर्शनी के विज्ञान मंडप में भारत में प्रकाशित वैज्ञानिक और शिल्पिक पुस्तकों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन नयी दिल्ली की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने किया। इनमें अरबी और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित लगभग ५,००० पुस्तकें रखी गईं। इन पुस्तकों में विद्युत कोष, निष्पत्ति, विचार-गोष्ठियों की कार्टवार्ड, वैज्ञानिक पड़तालो आदि की रिपोर्टें, बुलेटिन और पत्रिकाएँ थीं।

## राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अंतर्गत बच्चों को ट्रेनिंग

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री, डा० कालूलाल श्रीमाली ने ९ फरवरी को राज्यसभा में बताया कि बम्बई, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और प० बंगाल में राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अंतर्गत ३ लाख बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मंत्री महोदय ने कहा कि इस समय ६२२ शिक्षा संस्थानों में अनुशासन योजना चालू है। अनुशासन योजना सफल रहो है और इसे देश के अन्य भागों में भी लागू किया जाएगा।

## शारीरिक शिक्षा योजनाओं की मूल्यांकन समिति

देश की शिक्षा संस्थाओं में शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन, चरित्र-निर्माण और अनुशासन सम्बन्धी जो विभिन्न योजनाएँ चल रही हैं, उनका मूल्यांकन करने के लिए भारत सरकार ने प० हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में समिति नियुक्त की है। यह समिति इनमें से सर्वोत्तम योजनाओं को चुन कर उनसे सुधार के बारे में सिफारिशें देगी।

इस सम्बन्ध में एक प्रस्तावनी तैयार करके देश के सभी कालेजों और हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों को भेजी गई है।

## केन्द्रशासित क्षेत्रों के उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति

प्रतिवर्ष केन्द्रशासित क्षेत्रों से एक उम्मीदवार को अध्ययन या अनुसंधान के लिए विदेश भेजने की योजना के अंतर्गत केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अजिया मांगी है। इनके अंतर्गत उस उम्मीदवार को छात्रवृत्ति दी जाएगी, जो जन्म से या स्थायी रूप से अल्पमान और निकोबार द्वीप, दिम्परी, हिमाचल प्रदेश, सदा, मित्रिकाय और अमिन्दोप, मणिपुर, त्रिपुरा या पाटीचेरी का निवासी है।

यह छात्रवृत्ति इतिहास आदि विभिन्न विषय में अध्ययन या अनुसंधान करने के लिए दी जाएगी, जिसकी भारत में पर्याप्त सुविधा नहीं है। छात्रवृत्ति ३ साल के लिए या २० मसय के लिए होगी।

नहीं दिया जाता कि इतिहास हमें कठिनाइयों को दूर करने में बहुत मदद दे सकता है। वास्तव में इतिहास की तारीखवार सूची नहीं है, बल्कि यह हमें पुरानी घटनाओं को आज की परिस्थितियों में आंका जाता है। इससे मनुष्य को से बचने और सर्वोपयोगी काम करने की प्रेरणा मिलती है।'

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अभिलेखागार को लोगों से ऐतिहासिक महत्त्व के कागज-पत्रों को भेंट स्वरूप लेने या खरीदने का कार्यक्रम बनाया है। इस संबंध में अभिलेखागार के निदेशक को मदद देने के लिए सरकार ने एक सलाहकार समिति नियुक्त की है।

अभिलेखागार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक महत्त्वपूर्ण कागज-पत्र प्राप्त कर चुका है। डा० एन० वी० खरे के पत्र जो उन्होंने महात्मा गांधी, डा० राजेन्द्र प्रसाद, पण्डित जवाहरलाल नेहरू और डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखे थे या उनसे डा० खरे के पास आए थे, अभिलेखागार को भेंट स्वरूप मिले हैं।

पब्लिक लाइब्रेरी में भी लाला लाजपतराय की एक पाण्डुलिपि भेजी है। अब तक अभिलेखागार १७० कागज-पत्र और पाण्डुलिपियां खरीद चुका है। इसके अलावा उसने अनेक कागज-पत्रों की माइक्रोफिल्म भी ली है।

अभिलेखागार ने इसके साथ ही उन महत्त्वपूर्ण कागज-पत्रों की सूची तैयार करने की भी योजना बनायी है, जो अभी लोगों के पास हैं। पर्याप्त जानकारी न मिलने के कारण इसमें कठिनाई हो रही है। यह कठिनाई राज्य सरकारें दूर कर सकती हैं।

सरकार ने महत्त्वपूर्ण कागज-पत्रों और पाण्डुलिपियों की ४-४ माइक्रोफिल्मों तैयार करने की योजना बनायी है, ताकि इन्हें देश के चार चूने हुए पुस्तकालयों में रखा जा सके। इससे उनके खोने का भय नहीं रहेगा। सरकार विदेशों से भी महत्त्वपूर्ण कागज-पत्रों की माइक्रोफिल्में मगाने का प्रयत्न कर रही है।

भारतीय अभिलेखागार ने इस साल ६ पुस्तकें प्रकाशित की हैं। उसने अपने यहां के पुराने कागज-पत्रों के अलावा बाहर अन्य लोगों के पास पड़े हुए महत्त्वपूर्ण कागज-पत्रों की भी

मरम्मत की है, ताकि वे सुरक्षित रहें। इनमें गांधी स्मारक निधि के महात्मा गांधी संबंधी पत्र, 'इंडियन ओरोनियन' की पूरी फाइल और श्री मगन लाल-गांधी पत्र-व्यवहार की फाइल उल्लेखनीय हैं।

भारत सरकार ने आयोग की सिफारिश पर अगस्त १९५९ में डा० ताराचन्द्र को अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, जो सरकार को अभिलेखागार संबंधी कानून बनाने के बारे में सलाह देगी। समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगी।

छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुसंधान के हेतु दी जाने वाली छात्रवृत्ति बड़ा दी गयी है। ट्रेनिंग योजना में भी सुधार किया गया है और अब इसके अन्तर्गत अधिक छात्रवृत्तियां दी जाने लगी हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार में १९५९ में १५० छात्र अनुसंधान कर रहे थे, जबकि १९४७ में केवल ६३ थे।

## १८वीं सदी के उत्तरार्द्ध में मुगल शासन : मेजर जेम्स ब्राउन के पत्र प्रकाशित

१८वीं सदी के उत्तरार्द्ध में मुगल शासन का जो विघटन हो रहा था, उसकी अन्वेषी जानकारी राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित मेजर जेम्स ब्राउन के पत्रों से मिलती है। इन पत्रों को भारतीय अभिलेख प्रकाशन माला में प्रकाशित किया गया है।

वारेन हेस्टिंग्स ने मेजर जेम्स ब्राउन को शाह आलम के दरबार में वहां की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा देने के लिए भेजा था। मेजर ब्राउन ने अपने पत्रों में शाह आलम के दरबार के पड़वपत्रों और तत्कालीन मुगल शासन की शक्तिहीनता और विध्वंसलता का विषय वर्णन किया है।

१७८२ में नजफाबाद की मृत्यु के बाद शाह आलम के सरदारों के गुटों में अधिकार और प्रभाव के लिए होड़ लग गई थी। मुगल शाहवाह अपने सरदारों को काबू में रखने में सर्वथा असमर्थ और अनाकत था। वह तीनों सबसे प्रभावशाली गुट को अपना परासण देने को तैयार रहता था।

स्थिति यह भी थी कि मुगल शासन केवल दिल्ली पर ही रह गया था और आसपास के

इलाकों में इसका खेरा भी प्रभाव नहीं था। पर मुगल साम्राज्य के बड़े नाम की शक्ति अभी बची थी। मुगल सम्राट के नाम का अंतर था और इसे सर्वोच्च सत्ता और अधिकार का स्रोत समझा जाता था। भारत की राजनीति में शाह आलम का अभी भी महत्त्व था। इसका कारण उसका व्यक्तिगत प्रभाव नहीं था बल्कि यह इसलिए था कि वह शक्तिशाली मुगल सम्राटों का वंशज था। जो लोग अपना प्रभाव और शक्ति बढ़ाना चाहते थे, उनके लिए शाह आलम का साथ बहुत महत्त्वपूर्ण था।

इतिहासकारों ने इस काल का इतिहास लिखने में जेम्स ब्राउन के पत्रों का उपयोग किया है, पर अब ब्राउन के पूरे पत्रों का मूल रूप में प्रकाशन हो रहा है। घटनाओं को पूरी तरह से समझने के लिए पुस्तक में जो टिप्पणियां दी गई हैं, उनसे इसका महत्त्व और भी बढ़ जाता है। इसमें दी गई अनुक्रमणिका, सदर्भ पुस्तकों की सूची और तत्कालीन भारत के नक्शे ने इस पुस्तक की उपयोगिता को और भी बढ़ा दिया है।

## संग्रहालय शास्त्र की विदेशों में ट्रेनिंग के

देशीय वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मंत्री, डा० हुमायूँ कबीर ने ११ फरवरी को प्रगतिशील के समय लोकसभा में बताया कि संग्रहालय शास्त्र की ट्रेनिंग लेने के लिए चार अधिकारी विदेश भेजे गए थे, जिनमें से एक वापस आ गया है।

उन्होंने बताया कि इन अधिकारियों को चित्रों की मरम्मत तथा संग्रहालय के काम में विशेष ट्रेनिंग दी गई है। मंत्री महोदय ने बताया कि वापस आने वाले अधिकारी को राजस्थान सरकार ने भेजा था और वह राजस्थान के संग्रहालयों के विकास के लिए काम कर रहा है।

## रेडियो सप्ताह

आकाशवाणी ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ७ फरवरी से १३ फरवरी, १९६० तक रेडियो मन्नाह मनाया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में आमंत्रित व्यक्तियों के सामने विशेष कार्यक्रम किए गए।

राष्ट्रमण्डल प्रसारण मंडल, जो नयी दिल्ली में २२ जनवरी को शुरू हुआ था, ११ फरवरी को समाप्त हो गया। सम्मेलन में आस्ट्रेलिया, कनाडा, लंका, पाना, भारत, मलाया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड को राष्ट्रीय प्रसारण सत्याजों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में प्रसारण संबंधी जानकारी के आदान-प्रदान के अलावा राष्ट्रमंडल देशों में प्रसारण के विकास के लिए भी कई प्रस्ताव स्वीकार किए गए।

### देहाती कार्यक्रम

देहाती कार्यक्रमों पर विचार करने के लिए विशेष उपसमिति नियुक्त की गई। समिति ने राय दी है कि इन कार्यक्रमों में खेती मजदूरी जानकारी देने के साथ लोक-कथाएं, गीत और अन्य साम्प्रदायिक कार्यक्रम भी होना चाहिए। सम्मेलन में देहाती कार्यक्रमों की पत्रिका का प्रकाशन जारी रखने का निर्णय हुआ। अब तक आस्ट्रेलिया इस पत्रिका का प्रकाशन कर रहा था। अब इसके सम्पादन की जिम्मेदारी भारत को मानी गई है।

सम्मेलन ने रेडियो रूपकों को मिल-जुल कर तयार करने के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया है।

सम्मेलन में इन बात पर भी जोर दिया गया कि स्कूलों के लिए प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से पूरा लाभ हो, इसके लिए प्रसारण अधिकारियों और शिक्षा अधिकारियों में सहयोग होना चाहिए।

### टेलीविजन का विकास

ब्रिटेन, कनाडा और आस्ट्रेलिया में हुए टेलीविजन के विकास में प्रतिनिधियों ने विशेष दिलचस्पी दिखाई। इसके अलावा आकाशवाणी ने तो अभी हाल ही में आजमाइशीतीर पर टेलीविजन शुरू किया है और न्यूजीलैंड, मलाया, पाना और पाकिस्तान में इसे शुरू करने की योजना है। अतः इन देशों में टेलीविजन शुरू करने में अधिक विकसित राष्ट्रमंडल देशों की मदद पर विस्तार से विचार किया गया।

सस्ते रेडियो के लाइसेंस शुल्क में कमी घटियों में लगाये जाने वाले जिन रेडियो सेटों का मूल्य १२० ह० से कम है, उनका

लाइसेंस शुल्क घटाकर ७। ह० प्रतिवर्ष कर दिया गया है। यह नियम १ जनवरी, १९६० को या उसके बाद जारी किये गये लाइसेंसों पर लागू होगा। जो लोग ऐसे रेडियो सेटों का लाइसेंस १५ ह० में बनवा चुके हैं, उन्हें आवेदन-पत्र देने पर वापसी रूपया वापस कर दिया जाएगा। इसके लिए सत्रित पोस्टल सर्किल के पास ३१ जुलाई, १९६० तक आवेदन भेजने चाहिए। इसके बाद भेज गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

यह रियायत केवल उन रेडियो सेटों पर दी जा रही है, जो लाइसेंसमुदा रेडियो की दुकानों से १ जनवरी, १९६० के पहले या बाद में खरीदे गये हैं। इसके लिए अधिकृत दुकानदारों से रेडियो खरीदने का प्रमाणपत्र निर्धारित फार्म में भरवाकर देना होगा। यह नियम १२० ह० या उससे कम दाम में खरीदे गये उन पुराने रेडियो सेटों पर नहीं लागू होगा, जिनकी कीमत पहले उससे अधिक थी।

यह नियम उन व्यक्तियों द्वारा बनाये गये रेडियो सेटों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्होंने डाक तार विभाग से रेडियो बनाने का लाइसेंस नहीं लिया है।

एक ही घर में दो रेडियो होने पर १२० ह० से कम कीमत वाले रेडियो पर २५० ह० के हिसाब से अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क देना पड़ेगा।

यह सूचना डाक तार महानिदेशालय की ५ फरवरी की एक विज्ञापित मं दी गई है।

### वैज्ञानिक प्रकाशनों की प्रदर्शनी

७ फरवरी, १९६० को केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मंत्री, डा० हुमायूँ कबीर ने विश्व रूपि प्रदर्शनी के विज्ञान मंडप में भारत में प्रकाशित वैज्ञानिक और शैक्षणिक पुस्तकों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन नयी दिल्ली की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने किया। इसमें अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित लगभग ५,००० पुस्तकें रखी गईं। इन पुस्तकों में विषय कोष, निबन्ध, विचार-मोडियों की कार्टून्स, वैज्ञानिक पड़तालो आदि की रिपोर्टें, नुलेटिन और पत्रिकाएँ थीं।

### राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अंतर्गत बच्चों को ट्रेनिंग

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री, डा० कालूलाल श्रीवास्तव ने ९ फरवरी को राज्यसभा में बताया कि बम्बई, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और प० बंगाल में राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अंतर्गत ३ लाख बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मंत्री महोदय ने कहा कि इस समय ६२२ शिक्षा सत्यानों में अनुशासन योजना चालू है। अनुशासन योजना सफल रही है और इसे देग के अन्य भागों में भी लागू किया जाएगा।

### शारीरिक शिक्षा योजनाओं की मूल्यांकन समिति

देश की शिक्षा मंत्र्याओं में शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन, चरित्र-निर्माण और अनुशासन सम्बन्धी जो विभिन्न योजनाएँ चल रही हैं, उनका मूल्यांकन करने के लिए भारत सरकार ने प० हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में समिति नियुक्त की है। यह समिति इनमें से सर्वोत्तम योजनाओं को चुन कर उनके सुधार के बारे में सिफारिशें देगी।

इस सम्बन्ध में एक प्रस्तावकी तैयार करके देश के सभी कालेजों और हाई तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों को भेजी गई है।

### केन्द्रशासित क्षेत्रों के उम्मीदवार को छात्रवृत्ति

प्रतिवर्ष केन्द्रशासित क्षेत्रों से एक उम्मीदवार को अध्ययन या अनुसंधान के लिए विदेश भेजने की योजना के अंतर्गत केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अजिया मांगी है। इसके अंतर्गत उस उम्मीदवार को छात्रवृत्ति दी जाएगी, जो जन्म से या स्वामी रूप में अफ़झान और निकोबार द्वीप, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मित्रिकाय और अमिनद्रीय, मंगिपुर, त्रिपुरा या पाठोचेरी का निवासी है।

यह छात्रवृत्ति इतिहास आदि विभिन्न विषय में अध्ययन या अनुसंधान करने के लिए दी जाएगी, जिनकी भारत में पर्याप्त सुविधा नहीं है। छात्रवृत्ति ३ साल के लिए ५५०० ममय के लिए होगी।

## अनुसूचित जातियों के छात्रों की शिक्षा पर ध्यान

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले तीन सालों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं और इसी तरह के दूसरे कामों पर १०.६ करोड़ रुपये खर्च किया जा चुका है।

इसके अलावा भारत में और विदेशों में मैट्रिक से आगे की पढ़ाई के लिए केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने १९५८-५९ के अन्त तक पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए ६.१४ करोड़ ४० की छात्रवृत्तियाँ दी। छात्रवृत्तियाँ मिलने में देर न हो, इसके लिए शिक्षा सस्थाओं को इकट्ठी रकम देने और बाकायदा छात्रवृत्ति की मजूरी मिलने से पहले अवयव सहमतता देने की व्यवस्था काफ़ी सफल रही है। इससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को पढ़ाई शुरू करते ही छात्रवृत्ति मिलने लगती है।

पिछड़े वर्गों के छात्रों की सख्या इयर कुछ सालों में काफी बढ़ी है। १९५१-५२ में मैट्रिक से पहले की कक्षाओं में इन जातियों के जितने छात्र प्रवेश करते थे, १९५५-५६ में उनको संख्या ५० प्रतिशत बढ़ गई। इसके अगले साल इनकी संख्या में ३.८ प्रतिशत और वृद्धि हुई। इसी प्रकार मैट्रिक के आगे की कक्षाओं में १९५१-५२ और १९५५-५६ के बीच पिछड़े वर्गों के छात्रों की संख्या में १४५.११ प्रतिशत की वृद्धि हुई। १९५६-५७ में तो इससे भी २०.४ प्रतिशत अधिक छात्रों ने ऊँची कक्षाओं में दाखिला लिया।

## सार्वजनिक स्कूलों के लिए छात्रवृत्तियाँ

शिक्षा मंत्रालय की ८ फरवरी की एक विज्ञप्ति में उन ६० छात्रों के नाम दिए गए हैं जिन्हें सार्वजनिक स्कूलों के योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति देने की योजना के अन्तगत इस साल के लिए चुना गया है। इनमें से १७ छात्र अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों के हैं।

योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति देने की योजना शिक्षा मंत्रालय ने १९५२ में चलाई थी, जिससे कम आय वालों के बच्चे सार्वजनिक स्कूलों में शिक्षा पा सके। यह छात्रवृत्ति छात्रों के माता-पिता या अभिभावकों की कुल आय

ध्यान में रखकर दी जाएगी और विशेष मामलों में स्कूल और छात्रावास की फीस देने के अलावा स्कूल आने-जाने का खर्च भी दिया जाएगा।

## हिन्दी अध्यापकों की गोष्ठी

मद्रास में ३ फरवरी, से हिन्दी अध्यापकों की १० दिन की एक गोष्ठी हुई। इस गोष्ठी में प्रत्येक राज्य से दो अध्यापकों तथा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के केन्द्र साक्षित क्षेत्रों से एक-एक अध्यापक प्रतिनिधि ने भाग लिया। गोष्ठी का आयोजन हिन्दी के प्रचार तथा विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अन्तर्गत किया गया। गोष्ठी के आयोजन का काम मद्रास की दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा को सौंपा गया था।

ये गोष्ठीयाँ इसलिए की जाती हैं कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हिन्दी अध्यापकों और हिन्दी-भाषी क्षेत्रों के हिन्दी अध्यापकों के बीच सम्पर्क हो सके। इसके अतिरिक्त गोष्ठियों का उद्देश्य अध्यापकों की योग्यता के स्तर को बढ़ाना तथा हिन्दी भाषा की नवीनतम गति-विधियों से उन्हें परिचित कराना है। अब तक इस प्रकार की चार गोष्ठीयाँ भ्यालियर, वाराणसी, पटना और उदुपपुर में हो चुकी हैं। विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र साक्षित क्षेत्रों के अध्यापक प्रतिनिधियों के अतिरिक्त इन गोष्ठीयों में स्थानीय साहित्यिक और अध्यापक तथा हिन्दी क्षेत्रों के कवि, लेखक, विद्वान और शिक्षाविद् भी बुलाए जाते हैं।

## उदीयमान कलाकारों को छात्रवृत्तियाँ

वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति मंत्रालय की १६ जनवरी की एक विज्ञप्ति में उन ३२ कलाकारों के नाम दिए गए हैं जिनको नये कलाकारों को छात्रवृत्ति देने की योजना के अन्तर्गत १९५९-६० में यह छात्रवृत्ति देने के लिए चुना गया है।

इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार होनहार कलाकारों को देश में संगीत, नृत्य, नाटक और लिखित कला की शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियाँ देती है। एक बार अधिक से अधिक १०० कलाकारों को छात्रवृत्ति दी जा सकती है।

## उत्तर भारत में उर्दू की पढ़ाई की सुविधाएं

उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब की सरकारों तथा दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार को यह सूचित किया है कि उनके यहां उर्दू की पढ़ाई की क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के ऐसे स्कूलों में उर्दू के माध्यम से पढ़ाई होती है जहाँ कम से कम ४० छात्र उर्दू बोलते हैं या किसी एक बलास में कम से कम १० छात्र उर्दू लेते हैं। पंजाब सरकार ने उन क्षेत्रों के स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई की सुविधाएं दे रपी हैं जहाँ उर्दू की मांग है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर रखा है, जो यह देखता है कि सरकार की उर्दू संबंधी नीति ठीक प्रकार लागू की जा रही है या नहीं।

उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के माध्यमिक स्कूलों में भी उर्दू की पढ़ाई का उचित प्रबन्ध है। पंजाब सरकार भी इन सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

## उर्दू की पाठ्य-पुस्तकें

उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने तो उर्दू की पाठ्य-पुस्तकें लिखाने का भी प्रबन्ध कर रखा है। पंजाब सरकार उर्दू की पाठ्य-पुस्तकों से काम चलाती है जो अजिया मिल्लिया, दिल्ली से प्रकाशित होती हैं।

बिहार और उत्तर प्रदेश में उर्दू के अध्यापकों के प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध है। दिल्ली की सह-शिक्षा अध्यापक प्रशिक्षण संस्था में उर्दू के अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक बरिष्ठ अध्यापक का पद स्थापित किया गया है।

## अबालतों में उर्दू

उत्तर प्रदेश की मन्त्री अबालतों और दफतारों में ऐसी अजिया और आवेदन-पत्र मंजूर कर लिए जाते हैं जो फारसी लिपि में उर्दू में लिखे होते हैं। दिल्ली प्रशासन ने यह आदेश जारी किए हैं कि आवेदन-पत्र उर्दू में भी मंजूर किए जाएँ। भूतपूर्व पंजाब राज्य के क्षेत्रों की अबालतों में उर्दू के आवेदन-पत्र मंजूर कर लिए जाते हैं। मारे बिहार में उर्दू के कागज-पत्रों का

विभूतमान हो जाता है ।

उत्तर प्रदेश के रामपुर, बिजनौर, बरेली, मुरादाबाद, महाराजपुर और मुजफ्फरनगर जिलों में और लखनऊ नगर में गभीर महत्वपूर्ण कानून, आदेश, नियम, अधिसूचनाएँ आदि उर्दू में भी जारी होती हैं । राज्य सरकार ने लोक-सेवा आयोग के विज्ञापन उर्दू में भी प्रकाशित करवाने का निश्चय किया है ।

पंजाब में कुछ कानून आदि उर्दू में भी छपे हुए हैं । दिल्ली के जन-मार्फत निदेशालय में उर्दू का एक टाइपिस्ट है और विनस्पिया आदि उर्दू में भी जारी होती हैं । बिहार सरकार कुछ क्षेत्रों में कानून, सूचनाएँ आदि उर्दू में प्रकाशित करवाने पर विचार कर रही है ।

कुछ दिन पहले भारत सरकार ने राज्य सरकारों का एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि मविद्यालय में उर्दू भी राष्ट्रीय भाषा माननी गई है । अतः जिन क्षेत्रों में उर्दू बोली जाती है वहाँ निम्नलिखित सुविधाएँ दी जानी चाहिए .

(१) जो मानव बच्चों को प्रारम्भिक स्कूलों में उर्दू पढ़वाना चाहे, उन्हें उर्दू पढ़ाई जाए और उर्दू में परीक्षा ली जाए ।

(२) उर्दू के अध्यापकों को प्रशिक्षण देने और उर्दू की पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध करने की व्यवस्था की जाए ।

(३) माध्यमिक स्कूलों में भी उर्दू पढ़ाने का प्रवण हो ।

(४) गभीर अदालतों और दफ्तरों में उर्दू के कागज-पत्र भजूर किए जाने चाहिए ।

(५) आवश्यक कानून, अधिसूचनाएँ, आदेश आदि उर्दू में भी जारी किए जाने चाहिए ।

### राष्ट्र सेवा समिति की रिपोर्ट

डाक्टर सी० डी० देवमुख की अध्यक्षता में नियुक्त राष्ट्र सेवा समिति ने छात्रों के लिए ९ से १२ महिने तक की अनिवार्य राष्ट्र सेवा की मिकारिस की है । समिति का कहना है कि इससे छात्रों में अनुनासन पैदा होगा, वे समाज सेवा का मूल्य तथा धर्म का सम्मान करना सीखेंगे और उनमें राष्ट्र भक्ति की भावना पैदा होगी ।

समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दी है । अपनी मिकारिस में समिति

ने कहा है कि राष्ट्र सेवा के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था वह होगी, जब छात्र हायर सेकेडरी या विश्वविद्यालय से पहले की शिक्षा पूरी करके निकले ।

राष्ट्र सेवा का कार्यक्रम बनाने तथा उसे अमल में लाने के लिए समिति ने एक राष्ट्रीय मडल बनाने का सुझाव दिया है ।

### राष्ट्र सेवा का कार्यक्रम

राष्ट्र सेवा के कार्यक्रम के बारे में समिति ने सुझाव दिया है कि इस दौरान छात्रों का जीवन ऐसा होना चाहिए, जैसा सैनिकों का होता है । काम करने के लिए कुछ क्षेत्र चुन लिए जाने चाहिए और उनमें प्रत्येक छात्र से प्रतिदिन कम से कम ४ घंटे काम कराना चाहिए । इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी कार्यक्रम होने चाहिए, जिनमें छात्रों में एकता की भावना तथा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कामों में रुचि पैदा हो ।

समिति ने सिफारिस की है कि धीरे-धीरे राष्ट्र सेवा की इस योजना का इतना प्रसार हो जाना चाहिए कि देश का प्रत्येक नौजवान उसमें आ जाए । लेकिन इसके लिए पहले यह आवश्यक होगा कि १७ वर्ष की आयु से कम के सभी युवक हायर सेकेडरी शिक्षा प्राप्त कर चुके हों ।

### अनिवार्य क्यों ?

राष्ट्र सेवा की अनिवार्य बनाने के बारे में समिति ने कहा है कि यदि उसे स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाएगा तो बहुत-से युवक उसमें शामिल नहीं होंगे । इसके अतिरिक्त जब तक राष्ट्र सेवा की योजना में शामिल होने के लिए कोई विशेष प्रलोभन नहीं होगा तब तक बहुत-से छात्र उसमें शामिल नहीं होंगे और इस तरह योजना सफल नहीं हो पाएगी । समिति ने कहा है कि इसमें किसी को भी किसी भी आधार पर छूट नहीं मिलनी चाहिए । जो लोग बीमारी हों, उर्दू बीमारी की अवधि में छूट दी जा सकती है । जो छात्र शारीरिक धम करने के योग्य न हों, उनसे कोई दूसरा उपयुक्त काम कराया जा सकता है ।

समिति ने कहा है कि राष्ट्र सेवा के इस कार्यक्रम से शिक्षा अधिकारियों को किताबी शिक्षा के साथ ही साथ अन्य योग्यताओं को देखने तथा उच्च शिक्षा के लिए इन आधारों पर छात्र चुनने की सुविधा हो जाएगी ।

अर्थात् में जो छात्र योग्य प्रतीत हों, उन्हें छात्र-वृत्तियाँ तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए और सुविधाएँ देने की व्यवस्था करनी चाहिए ।

[अगस्त १९५९ में शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में प्रकट किए गए विचारों के आधार पर शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्र सेवा की एक योजना बनाई थी । इसी योजना पर फिर से विचार करने के लिए तथा गंभीरता से योजना प्रस्तुत करने के लिए २८ अगस्त, १९५९ को भारत सरकार ने डा०सी० डी० देवमुख की अध्यक्षता में राष्ट्र सेवा समिति नियुक्त की थी । समिति के अन्य सदस्य ये हैं : डा० डी० सी० पवार, उपकुलपति कर्नाटक विश्वविद्यालय; प्रोफेसर डी० जी० कर्वे, उपकुलपति, पूना विश्वविद्यालय; डा० बी० प्रसाद, उप कुलपति, पटना विश्वविद्यालय; डा० ए० सी० जोशी, उप-कुलपति, पंजाब विश्वविद्यालय; श्री एच०सी० सरौत, सयुक्त सचिव, प्रतिरक्षा मंत्रालय; श्री के० बालचन्द्रन, संयुक्त सचिव, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय; श्री पी० एन० कृपाल, सयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय, तथा डा० एन० एस० जुनाकर, शिक्षा उपसलाहकार, शिक्षा मंत्रालय (मंत्री) ]

### भारत-रूस सांस्कृतिक समझौता

भारत और रूस के मध्य १२ फरवरी को नयी दिल्ली में एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए । दोनों देशों की मित्रता को और सुदृढ़ करने तथा एक-दूसरे को संस्कृति, विज्ञान, शिक्षा, कला, कारीगरी आदि में और अधिक सहयोग देने के लिए यह समझौता हुआ है ।

समझौते पर रूस की ओर से वहाँ के विद्वानों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध की मन्त्रि-मन्त्रि के अध्यक्ष, श्री जी० ए० जुकोव और भारत की ओर से वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मंत्री, डा० हुमायूँ कबीर ने हस्ताक्षर किए ।

इस समझौते का अनुसमर्पण माम्को में किया जाएगा और उसके बाद यह लागू हो जाएगा ।

समझौते में बड़ा गया है कि दोनों देश परस्पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान करना चाहते हैं, महयोग बढ़ाना चाहते हैं और विज्ञान, विन्य विज्ञान, संस्कृति, ..



## अनुसूचित जातियों के छात्रों की शिक्षा पर ध्यान

मजदूरी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन सालों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं और इसी तरह के दूसरे कामों पर १०.६ करोड़ २० लाख किया जा चुका है।

इसके अलावा भारत में और विदेशों में मैट्रिक से आगे की पढ़ाई के लिए केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने १९५८-५९ के अन्त तक पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए ६.१४ करोड़ २० की छात्रवृत्तियाँ दीं। छात्रवृत्तियाँ मिलने में देर न हो, इनके लिए शिक्षा सस्थाओं की इकट्ठी रकम देने और बाकायदा छात्रवृत्ति की मजदूरी मिलने से पहले तदर्थ सहायता देने की व्यवस्था काफ़ी सफल रही है। इससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को पढ़ाई शुरू करते ही छात्रवृत्ति मिलने लगती है।

पिछड़े वर्गों के छात्रों की संख्या इधर कुछ सालों में काफी बढ़ी है। १९५१-५२ में मैट्रिक से पहले की कक्षाओं में इन जातियों के जितने छात्र प्रवेश करते थे, १९५५-५६ में उनकी संख्या ५० प्रतिशत बढ़ गई। इसके अगले साल इनकी संख्या में ३.८ प्रतिशत और वृद्धि हुई। इसी प्रकार मैट्रिक के आगे की कक्षाओं में १९५१-५२ और १९५५-५६ के बीच पिछड़े वर्गों के छात्रों की संख्या में १४५.११ प्रतिशत की वृद्धि हुई। १९५६-५७ में तो इससे भी २०.४ प्रतिशत अधिक छात्रों ने ऊँची कक्षाओं में दाखिला लिया।

### सार्वजनिक स्कूलों के लिए छात्रवृत्तियाँ

शिक्षा मन्त्रालय की ८ फरवरी की एक वित्तपत्र में उन ६० छात्रों के नाम दिए गए हैं जिन्हें सार्वजनिक स्कूलों के योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति देने की योजना के अन्तगत इस साल के लिए चुना गया है। इनमें से १७ छात्र अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों के हैं।

योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति देने की योजना शिक्षा मन्त्रालय ने १९५२ में चलाई थी, जिससे कम आय वालों के बच्चे सार्वजनिक स्कूलों में शिक्षा पा सकें। यह छात्रवृत्ति छात्रों के माता-पिता या अभिभावकों की कुल आय

ध्यान में रखकर दी जाएगी और विशेष मामलों में स्कूल और छात्रावास की फीस देने के अलावा स्कूल आने-जाने का खर्च भी दिया जाएगा।

### हिन्दी अध्यापकों की गोष्ठी

मद्रास में ३ फरवरी, से हिन्दी अध्यापकों की १० दिनों की एक गोष्ठी हुई। इस गोष्ठी में प्रत्येक राज्य से दो अध्यापकों तथा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के केन्द्र शासित क्षेत्रों से एक-एक अध्यापक प्रतिनिधि ने भाग लिया। गोष्ठी का आयोजन हिन्दी के प्रचार तथा विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अन्तर्गत किया गया। गोष्ठी के आयोजन का काम मद्रास की दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समाज की सौंपा गया था।

ये गोष्ठीया इसलिए की जाती हैं कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हिन्दी अध्यापकों और हिन्दी-भाषी क्षेत्रों के हिन्दी अध्यापकों के बीच सम्पर्क हो सके। इसके अतिरिक्त गोष्ठीयों का उद्देश्य अध्यापकों की योग्यता के स्तर को बढ़ाना तथा हिन्दी भाषा में नवीनतम गति-विधियों से उन्हें परिचित कराना है। अब तक इस प्रकार की चार गोष्ठीया म्यालयूर, वाराणसी, पटना और उदयपुर में हो चुकी हैं। विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के अध्यापक प्रतिनिधियों के अतिरिक्त इन गोष्ठीयों में स्थानीय साहित्यिक और अध्यापक तथा हिन्दी क्षेत्रों के कवि, लेखक, विद्वान और शिक्षाविद् भी बुलाए जाते हैं।

### उदीयमान कलाकारों को छात्रवृत्तियाँ

वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति मन्त्रालय की १६ जनवरी की एक वित्तपत्र में उन ३२ कलाकारों के नाम दिए गए हैं जिनको नये कलाकारों को छात्रवृत्ति देने की योजना के अन्तर्गत १९५९-६० में यह छात्रवृत्ति देने के लिए चुना गया है।

इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार होनहार कलाकारों को देश में समीप, नृत्य, नाटक और ललित कला की शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियाँ देती है। एक बार अधिक से अधिक १०० कलाकारों को छात्रवृत्ति दी जा सकती है।

## उत्तर भारत में उर्दू की पढ़ाई की सुविधाएं

उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब की सरकारों तथा दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार को यह सूचित किया है कि उनके यहाँ उर्दू की पढ़ाई की क्या-नया सुविधाएँ दी जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के ऐसे स्कूलों में उर्दू के माध्यम से पढ़ाई होती है जहाँ कम से कम ४० छात्र उर्दू बोलते हैं या किसी एक क्लास में कम से कम १० छात्र उर्दू बोलते हैं। पंजाब सरकार ने उन क्षेत्रों के स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई की सुविधाएँ दे रची हैं जहाँ उर्दू की भाषा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर रखा है, जो यह देखता है कि सरकार की उर्दू संबंधी नीति ठीक प्रकार लागू की जा रही है या नहीं।

उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के माध्यमिक स्कूलों में भी उर्दू की पढ़ाई का उचित प्रबन्ध है। पंजाब सरकार भी इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

### उर्दू की पाठ्य-पुस्तकें

उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने तो उर्दू की पाठ्य-पुस्तकें लिखाने का भी प्रबन्ध कर रखा है। पंजाब सरकार उर्दू पाठ्य-पुस्तकों से काम चलाती है जो जामिया मिल्लिया, दिल्ली से प्रकाशित होती हैं।

बिहार और उत्तर प्रदेश में उर्दू के अध्यापकों के प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध है। दिल्ली की सह-शिक्षा अध्यापक प्रशिक्षण संस्था में उर्दू के अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक का पद स्थापित किया गया है।

### अदालतों में उर्दू

उत्तर प्रदेश की सभी अदालतों और दफतरो में ऐसी अजियाँ और आवेदन-पत्र मजूर कर लिए जाते हैं जो फारसी लिपि में उर्दू में लिखे होते हैं। दिल्ली प्रशासन ने यह आदेश जारी किए हैं कि आवेदन-पत्र उर्दू में भी मजूर किए जाएँ। भूतपूर्व पंजाब राज्य के क्षेत्रों की अदालतों में उर्दू के आवेदन-पत्र संभव कर लिए जाते हैं। मारे बिहार में उर्दू के कागज-पत्रों का

बेहतर हो जाता है।

उत्तर प्रदेश के रामपुर, बिजनौर, बरेली, राधाबाद, महारामपुर और मुजफ्फरनगर तलों में और लखनऊ महूर में सभी महत्वपूर्ण ज्ञान, आदेश, नियम, अधिमूचनाएँ आदि उर्दू में ही जारी होनी हैं। राज्य सरकार ने लोक वा आयोग के विज्ञापन उर्दू में भी प्रकाशित करने का निश्चय किया है।

पंजाब में कुछ कानून आदि उर्दू में भी छपे हुए हैं। दिल्ली के जन-संपर्क निदेशालय में उर्दू का एक टाइपिस्ट है और विगन्तिया आदि उर्दू में भी जारी होनी हैं। बिहार सरकार कुछ सेवाओं में कानून, मूचनाएँ आदि उर्दू में प्रकाशित करने पर विचार कर रही है।

कुछ दिन पहले भारत सरकार ने राज्य सरकारों का एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि गवियान में उर्दू भी राष्ट्रीय भाषा गानी नहीं है। अतः जिन क्षेत्रों में उर्दू बोली जाती है वहाँ निम्नलिखित मुविधाएँ दी जानी चाहिए :

(१) जो मा-बाप बच्चों को प्रारम्भिक स्कूलों में उर्दू पढ़वाना चाहें, उन्हें उर्दू पढाई जाए और उर्दू में परीक्षा ली जाए।

(२) उर्दू के अध्यापकों को प्रशिक्षण देने और उर्दू को पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध करने की व्यवस्था की जाए।

(३) माध्यमिक स्कूलों में भी उर्दू पढ़ाने पर प्रवृत्त हो।

(४) सभी अदालतों और दफतरो में उर्दू के काम-गम मजूर किए जाने चाहिए।

(५) आवश्यक कानून, अधिमूचनाएँ, आदेश आदि उर्दू में भी जारी किए जाने चाहिए।

## राष्ट्र सेवा समिति की रिपोर्ट

दिल्ली सी० डी० देसायूख की अध्यक्षता में नियुक्त राष्ट्र सेवा समिति ने छात्रों के लिए ९ से १२ महीने तक की अनिवार्य राष्ट्र सेवा की सिफारिश की है। समिति का कहना है कि हमसे छात्रों में अनुयासन पैदा होगा, के समाज सेवा का मूल्य तथा धर्म का सम्मान करना सीखेंगे और उनमें राष्ट्र भक्ति की भावना पैदा होगी।

समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्टें भारत सरकार को दी हैं। अपनी सिफारिशों में समिति

ने कहा है कि राष्ट्र सेवा के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था यह होगी, जब छात्र हायर सेकेण्डरी या विश्वविद्यालय से पहले की शिक्षा पूरी करके निकले।

राष्ट्र सेवा का कार्यक्रम बनाने तथा उसे अमल में लाने के लिए समिति ने एक राष्ट्रीय मंडल बनाने का सुझाव दिया है।

### राष्ट्र सेवा का कार्यक्रम

राष्ट्र सेवा के कार्यक्रम के बारे में समिति ने सुझाव दिया है कि इस दौरान छात्रों का जीवन ऐसा होना चाहिए, जैसा सैनिकों का होता है। काम करने के लिए कुछ क्षेत्र चुन लिए जाने चाहिए और उनमें प्रत्येक छात्र से प्रतिदिन कम से कम ४ घंटे काम कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी कार्यक्रम होने चाहिए, जिसमें छात्रों में एकता की भावना तथा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्य में रुचि पैदा हो।

समिति ने सिफारिश की है कि धीरे-धीरे राष्ट्र सेवा की इस योजना का इतना प्रसार हो जाना चाहिए कि देश का प्रत्येक नौजवान उसमें आ जाए। लेकिन इसके लिए पहले यह आवश्यक होगा कि १७ वर्ष की आयु से कम के सभी युवक हायर मेंकेण्डरी शिक्षा प्राप्त कर चुके हों।

### अनिवार्य क्यों ?

राष्ट्र सेवा को अनिवार्य बनाने के बारे में समिति ने कहा है कि यदि उसे स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाएगा तो बहुत-से युवक उसमें शामिल नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त जब तक राष्ट्र सेवा की योजना में शामिल होने के लिए कोई विशेष प्रलोभन नहीं होगा तब तक बहुत-से छात्र उसमें शामिल नहीं होंगे और इस तरह योजना सफल नहीं हो पाएगी। समिति ने कहा है कि इसमें किसी को भी किसी भी आधार पर छूट नहीं मिलनी चाहिए। जो लोग बीमार हों, उन्हें बीमारी की अवधि में छूट दी जा सकती है। जो छात्र धारीरिक धम करने के योग्य न हों, उनसे कोई दूसरा उपयुक्त काम करामा जा सकता है।

समिति ने कहा है कि राष्ट्र सेवा के इस कार्यक्रम से शिक्षा अधिकारियों को किताबी शिक्षा के साथ ही साथ अन्य योग्यताओं को देखने तथा उच्च शिक्षा के लिए इन आधारों पर छात्र चुनने की सुविधा हो जाएगी। इस

अर्थ में जो छात्र योग्य प्रतीत हों, उन्हें छात्र-वृत्तियाँ तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए और सुविधाएँ देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

[अगस्त १९५९ में शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में प्रकट किए गए विचारों के आधार पर शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्र सेवा की एक योजना बनाई थी। इसी योजना पर फिर से विचार करने के लिए तथा सशोधित योजना प्रस्तुत करने के लिए २८ अगस्त, १९५९ को भारत सरकार ने डा० सी० डी० देसायूख की अध्यक्षता में राष्ट्र सेवा समिति नियुक्त की थी। समिति के अन्य सदस्य थे : डा० डी० सी० पवाटे, उपकुलपति कर्नाटक विश्वविद्यालय; प्रोफेसर डी० जी० कर्वे, उपकुलपति, पुना विश्वविद्यालय; डा० बी० प्रसाद, उप कुलपति, पटना विश्वविद्यालय; डा० ए० सी० जोगी, उप-कुलपति, पंजाब विश्वविद्यालय; श्री एच० सी० सरौत, सयुक्त सचिव, प्रतिरक्षा मंत्रालय, श्री के० बालचन्द्रन, सयुक्त सचिव, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय, श्री पी० कृपाल, सयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय, तथा डा० एन० एस० जुगानकर, शिक्षा उपसलाहकार, शिक्षा मंत्रालय (मंत्रो) ]

## भारत-रूस सांस्कृतिक समझौता

भारत और रूस के मध्य १२ फरवरी को नयी दिल्ली में एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों की मित्रता को और सुदृढ़ करने तथा एक-दूसरे को संस्कृति, विज्ञान, शिक्षा, कला, कारीगरी आदि में और अधिक सहयोग देने के लिए यह समझौता हुआ है।

समझौते पर रूस को ओर से वहाँ के विदेशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध की मधि-समिति के अध्यक्ष, श्री जी० ए० जुकोव और भारत की ओर से वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मंत्री, डा० हुमायूँ कबीर ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते का अनुसमर्पण मास्को में किया जाएगा और उसके बाद यह लागू हो जाएगा।

समझौते में कहा गया है कि दोनों देश परस्पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान करना चाहते हैं, सहयोग बढ़ाना और शिक्षा, विज्ञान, गिल्स और

राज्य	राज्य की माम	राज्य को दिया गया रु०	अतिरिक्त अनुदान	कुल जोड़
आंध्र प्रदेश	७५	१८ ७५	५६.२५	७५
आसाम	१०	८ २५	१.७५	१०
बिहार	२०	१५.५०	४.५०	२०
जम्मू कश्मीर	५	२.२५	२ ७५	५
केरल	६	६	—	६
मध्य प्रदेश	२५ ५०	९ ७५	१५ ७५	२५.५०
मद्रास	४०	२६ २५	१३ ७५	४०
मैसूर	३५	१५ ५०	१९ ५०	३५
उड़ीसा	१५	४ २५	१०.७५	१५
पंजाब	९० ८५	१४	७६ ८५	९०.८५
राजस्थान	२७ २५	१२ २५	१५	२७ २५
उत्तर प्रदेश	५०	३४	१६	५०
प. बंगाल	४४	४४	—	४४

यह योजना ६,००० रु० से १२,००० रु० की मालाना आय वालों को मकान बनाने में सहायता देने के लिए चलायी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत जो ऋण दिया जाता है उस पर ५। प्रतिशत का दर से व्याज लगता है और मूलधन तथा ब्याज को कुल रकम २५ बराबर किश्तों में वसूल की जाती है।

यह योजना फरवरी १९५९ में चाल हुई

थी। केन्द्र-शासित क्षेत्रों को छोड़कर राज्य सरकारों को जीवन बीमा निगम ऋण देता है और राज्य मकान बनाने वालों को इत रकम में ऋण देता है। शुरू में निगम ने १९५८ से १९६१ तक तीन वर्षों में ३ करोड़ रु० प्रति वर्ष देना मंजूर किया था। परन्तु बढी हुई माग को ध्यान में रखकर निगम ने चालू वित्त वर्ष में और बढी रकम देना स्वीकार किया है।

देश भर के आजमाइशी योजना क्षेत्रों में होने वाले काम के समन्वय के लिए स्वास्थ्य महानिदेशालय एक केन्द्रीय संगठन स्थापित करेगा।

चेचक उन्मूलन की आजमाइशी योजनाओं पर लगभग ३४ लाख रु० खर्च होगा। यह खर्चा केन्द्रीय सरकार उठाएगी।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे आजमाइशी योजना के लिए तुरंत ही क्षेत्रों का चुनाव कर ले तथा कर्म-चारियों और उपकरणों की व्यवस्था कर ले, जिससे १ अर्ब तक ये योजनाएँ शुरू हो जाएं।

### शालों में पुतली लगाने की व्यवस्था

स्वास्थ्य मंत्री, श्री दत्तात्रेय परशुराम कर्मकर ने ११ फरवरी को प्रश्नोंत्तर के समय राज्यसभा में बताया कि निम्नलिखित अस्पतालों में आलों में पुतली लगाने के आपरिगण की व्यवस्था है -

मद्रास : गवर्नमेंट आर्थापेल्थिक अस्पताल, मद्रास, गवर्नमेंट स्टेनले अस्पताल, मद्रास, गवर्नमेंट ऑस्किन अस्पताल, मद्रास; और मेडिकल कालेज अस्पताल, बेल्लोर। बम्बई : पाट मेडिकल कालेज, बम्बई, सी० जे० आर्थापेल्थिक अस्पताल, बम्बई, के० ई० एम० अस्पताल, बम्बई, रामवेदी की आई अस्पताल, बम्बई, और वी० वार्ड० ई० नायर चैरिटेबल अस्पताल, बम्बई। मध्य प्रदेश : मेडिकल कालेज, इन्दौर, मेडिकल कालेज, भ्वालयर, और मेडिकल कालेज, जवल्पुर। पंजाब : वी० जे० अस्पताल, अमृतसर, और राजेंद्र अस्पताल, पटियाला। आसाम : आताम मेडिकल कालेज। उत्तर प्रदेश : मेडिकल कालेज, आगरा, मेडिकल कालेज, लखनऊ, मेडिकल कालेज, कानपुर, आई अस्पताल, सीतापुर, और गांधी आई अस्पताल, अलीगढ़। मैसूर : मिटो आर्थापेल्थिक अस्पताल, बंगलूर। प० बंगाल : मेडिकल कालेज, कलकत्ता। बिहार : मेडिकल कालेज, दरभंगा। दिल्ली : इरविन अस्पताल, नयी दिल्ली; और डा० गणप चैरिटी अस्पताल, दिल्ली।



## चेचक उन्मूलन आंदोलन

चेचक उन्मूलन आन्दोलन के अन्तर्गत भारत सरकार ने १९६०-६१ में प्रत्येक राज्य के एक-एक जिले में तथा केन्द्रशासित क्षेत्र दिल्ली में आजमाइशी योजना शुरू करने का निश्चय किया है। यह भी निश्चय किया गया है कि आजमाइशी योजना के लिए जो क्षेत्र चुना जाए, उनमें जनसंख्या १० लाख में अधिक नहीं होनी चाहिए।

भारत सरकार ने यह विषय चेचक तथा हंटे को रोकथाम के लिए नियुक्त की गई केन्द्रीय विज्ञान समिति की मिकारिया पर किया है। इस समिति ने चेचक उन्मूलन के

लिए ऐसी कार्यक्रम बनाने की मिकारिया की थी, जिससे तीन साल के अन्दर-अन्दर नव लोगों को चेचक के टोके लगा दिए जाएं। यह समिति भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को देखरेख में कायम की थी।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब सब राज्य सरकारों तथा दिल्ली प्रशासन को लिखा है कि वे चेचक उन्मूलन की आजमाइशी योजना शुरू करें। राज्य सरकारों से एक ऐसा संगठन बनाने के लिए भी कहा गया है, जो इन आजमाइशी योजना क्षेत्रों में किए गए काम की निगरानी करे।



राज्य	राज्य की माग	राज्य को दिया गया र०	अतिरिक्त अनुदान	कुल जोड़
आंध्र प्रदेश	७५	१८७५	५६.२५	७५
आसाम	१०	८२५	१.७५	१०
बिहार	२०	१५.५०	४.५०	२०
जम्मू कश्मीर	५	२.२५	२.७५	५
केरल	६	६	—	६
मध्य प्रदेश	२५.५०	९.७५	१५.७५	२५.५०
मद्रास	४०	२६.२५	१३.७५	४०
मैसूर	३५	१५.५०	१९.५०	३५
उड़ीसा	१५	४.२५	१०.७५	१५
पंजाब	९०.८५	१४	७६.८५	९०.८५
राजस्थान	२७.२५	१२.२५	१५	२७.२५
उत्तर प्रदेश	५०	३४	१६	५०
प० बंगाल	४४	४४	—	४४

यह योजना ६,००० र० से १२,००० र० की सालाना आय वालों को मकान बनाने में सहायता देने के लिए बनायी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत जो ऋण दिया जाता है उस पर ५॥ प्रतिशत की दर में ब्याज लगता है और मूलधन तथा ब्याज की कुल रकम २५ बराबर बित्ता में वसूल की जाती है।

यह योजना फरवरी १९५९ में चाल हुई

थी। केन्द्र-शासित क्षेत्रों को छोड़कर राज्य सरकारों को जीवन बीमा निगम ऋण देता है और राज्य मकान बनाने वालों को इस रकम में कर्ज देता है। शुरू में निगम ने १९५८ में १९६१ तक तीन वर्षों में ३ करोड़ र० प्रति वर्ष देना मंजूर किया था। परन्तु बढ़ती हुई माग को ध्यान में रखकर निगम ने चालू वित्त वर्ष में और वही रकम देना स्वीकार किया है।



## चेचक उन्मूलन आंदोलन

चेचक उन्मूलन आन्दोलन के अन्तर्गत भारत सरकार ने १९६०-६१ में प्रत्येक राज्य के एक-एक जिले में तथा केन्द्रशासित क्षेत्र दिल्ली में आजमाइशी योजना शुरू करने का निश्चय किया है। यह भी निश्चय किया गया है कि आजमाइशी योजना के लिए जो क्षेत्र चुना जाए, उनमें जनसंख्या १० लाख में अधिक नहीं होनी चाहिए।

भारत सरकार ने यह निर्णय चेचक तथा हंसे को रोक्थाम के लिए निवृत्त की गई केन्द्रीय विमोचन समिति की सिफारिश पर किया है। एम समिति ने चेचक उन्मूलन के

लिए ऐसा कार्यक्रम बनाने की सिफारिश की थी, जिससे तीन माल के अन्दर-अन्दर सब लोगों को चेचक के टोके लगा दिए जाए। यह समिति भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की देखरेख में कायम की थी।

स्वास्थ्य मन्त्रालय ने अब सब राज्य सरकारों तथा दिल्ली प्रशासन को लिखा है कि वे चेचक उन्मूलन की आजमाइशी योजना शुरू करें। राज्य सरकारों से एक ऐसा मण्डल बनाने के लिए भी कहा गया है, जो इन आजमाइशी योजना क्षेत्रों में किए गए काम की निगरानी करे।

देश भर के आजमाइशी योजना क्षेत्रों में होने वाले काम के समन्वय के लिए स्वास्थ्य महानिदेशालय एक केन्द्रीय संगठन स्थापित करेगा।

चेचक उन्मूलन की आजमाइशी योजनाओं पर लगभग ३४ लाख र० खर्च होगा। यह खर्चा केन्द्रीय सरकार उठाएगी।

स्वास्थ्य मन्त्रालय ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे आजमाइशी योजना के लिए तुरंत ही क्षेत्रों का चुनाव कर लें तथा कर्म-चारियों और उपकरणों की व्यवस्था कर लें, जिससे १ अप्रैल तक वे योजनाएँ शुरू हो जाएं।

आंखों में पुतली लगाने की व्यवस्था  
स्वास्थ्य मंत्री, श्री दत्तात्रेय परचुराम

करमरकर ने ११ फरवरी को प्रश्नोत्तर के समय राज्यसभा में बताया कि निम्नलिखित अस्पतालों में आंखों में पुतली लगाने के आपरेशन की व्यवस्था है :

मद्रास . गवर्नमेंट आस्पतालिक अस्पताल, मद्रास, गवर्नमेंट आस्कन अस्पताल, मद्रुराई; और मेडिकल कालेज अस्पताल, वेल्लोर। बम्बई : प्राट मेडिकल कालेज, बम्बई; सी० जे० आप्थेलमिक अस्पताल, बम्बई; के० ई० एम० अस्पताल, बम्बई, रामवेदी फी आई अस्पताल, बम्बई, और वी० वाई० ई० नायर चैरिटेबल अस्पताल, बम्बई। मध्य प्रदेश मेडिकल कालेज, इन्दौर, मेडिकल कालेज, खालियार; और मेडिकल कालेज, जबलपुर। पंजाब : वी० जे० अस्पताल, अमृतसर; और राजेन्द्र अस्पताल, पटियाला। आसाम : आनाम मेडिकल कालेज। उत्तर प्रदेश मेडिकल कालेज, आगरा, मेडिकल कालेज, लखनऊ, मेडिकल कालेज, कानपुर; आई अस्पताल, सीतापुर; और गांधी आई अस्पताल, अलीगढ़। मैसूर : मिटो आप्थेलमिक अस्पताल, बंगलौर। प० बंगाल : मेडिकल कालेज, कलकत्ता। बिहार . मेडिकल कालेज, दरभंगा। दिल्ली . इरविन अस्पताल, नयी दिल्ली; और डा० गुराफ चैरिटी अस्पताल, दिल्ली।

संयुक्त राष्ट्र आपात सेना की भारतीय टुकड़ी के दो सैनिक ५ जनवरी को एक रेल-मोटर ट्रक भिड़त में मर गए। इस दुर्घटना में ९ अन्य सैनिक घायल हुए, जो अस्पताल में भर्ती किए गए। दुर्घटनाग्रस्त सभी सैनिक सिल धे, जो गुरुद्वारा से एक मोटर ट्रक में आ रहे थे। लगभग १० बजे रात को खान यूनिंस नामक स्थान पर रेल लाइन पार करते समय उनकी मोटर ट्रक का पिछला हिस्सा बाईं ओर से आने वाली एक तेज ट्रेन से टकरा गया। रेल-क्रॉसिंग पर कोई चौकीदार नहीं था और बत्ती भी नहीं थी। कहा जाता है कि ट्रेन में (एक इंजन और एक टैंक कार) भी रोगी नहीं थी और बिना सिगनल के जा रही थी। भारतीय सैनिकों का मोटर ट्रक लगभग ८०० गज तक पटरी पर घिसटता चला गया। संयुक्त राष्ट्र आपात सेना के कार्यकारी कमाण्डर और भारतीय टुकड़ी के कमांडर, कर्नल आई० जे० रिखी, भारतीय टुकड़ी के मनोनीत कमाण्डर कर्नल आर० के० रजीत सिंह और कमांडिंग अफसर ले० कर्नल तेग बहादुर कपूर घटनास्थल पर पहुंच गए। खान युनिंस और उेर-इल-बल्लर के गवर्नर और स्थानीय अधिकारियों ने पहले पहुंचकर घायलों की सहायता की। ई० एम० ई० के कारीगर मोहंर सिंह तत्काल मर गए। चौथी कुमायू रेंजिमेंट के निपाही विजय सिंह मृत्यु दूसरे दिन दोपहर बाद हो गई। ६ जनवरी को पार घायल सैनिक तेल अबीव के हनीमर अस्पताल में ले जाए गए। संयुक्त राष्ट्र आपात सेना के अस्पताल में बाकी घायल सैनिकों को भर्ती किया गया।

## राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयकों को स्वीकृति

राष्ट्रपति ने निम्नलिखित राज्य विधेयकों पर अपनी स्वीकृति दे दी है

**मैसूर का पशु बलि निरोधक विधेयक, १९५६**

इसमें मैसूर राज्य भर में हिन्दू मंदिरों में पशु बलि को मनाही की गई है। इस समय मैसूर में पशु बलि निरोधक अधिनियम, १०/८८ और मद्रास में पशु और पशुओं बलि निरोधक अधिनियम, १९५० लागू हैं, किन्तु राज्य के अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार का कोई नियम नहीं लागू है। इस कानून में एकलवृत्ता खान के लिए ही यह विधेयक पास किया गया है।

**राजस्थान का मृत्यु-भोज प्रतिबन्ध विधेयक, १९५६**

इसमें मृत्यु के बाद दो जाने वाले दावनों पर प्रतिबन्ध लगाने को व्यवस्था है। राज्य के अनेक भागों में इस प्रकार को दावने करने की प्रथा है। कहीं-कहीं तो किर्मा व्यक्ति की मृत्यु के बाद मवधियों तथा जाति-व्यवस्था में कुछ सामान वाटने का भी रिवाज है। यद्यपि ये रीति-रिवाज कुछ धार्मिक मस्कारों से मव-सिद्ध हैं, लेकिन इनका आधिक दृष्टि में बहुत बुरा प्रभाव होता है और कभी-कभी तो मरने वाले व्यक्ति के लड़कों अथवा आश्रितों को बहुत मुर्गावत उठानी पड़ती है।

इस विधेयक का उद्देश्य धार्मिक मस्कारों में हस्तक्षेप करना नहीं है, लेकिन राज्य सरकार इस प्रकार की दावनों पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक समझती है।

**आसाम का नगर और गाँव योजना विधेयक, १९५६**

दूसरे महायुद्ध के बाद आसाम के गाहरों की आबादी बहुत बढ़ी है। शहरों में मकान आदि बनाने का जो काम हो रहा है, उस पर नगरपालिकाओं और नगर ममितियों का पर्याप्त नियंत्रण नहीं रह पाता।

मकानों की समुचित व्यवस्था न होने के कारण और सरकारों तथा खुली जगह को कमी के कारण ऐसी बहुत-सी समस्याएँ उठ पड़ी

हईं जिनकी ओर तुरन्त ध्यान देना आवश्यक है। अतः राज्य सरकार ने इन समस्याओं के समाधान के लिए यह कानून बनाया।



## राष्ट्रमण्डल देशों की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास

१४ फरवरी को कोचीन में राष्ट्रमण्डल देशों की नौसेनाओं के वार्षिक संयुक्त अभ्यास और ट्रेनिंग का दूसरा कार्यक्रम शुरू हुआ। इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना के जगो जहाज कोचीन बन्दरगाह से रवाना हुए। भारतीय जहाजी बंदे का नेतृत्व ध्वजपोत 'मैसूर' कर रहा था, जिस पर कमांडिंग पतैंग-अफसर रियर एडमिरल ए० चक्रवर्ती का झंडा फहरा रहा था। इसके साथ कूजर 'दिल्ली', विध्वंसक 'गोदावरी', 'गोमती' और 'गंगा', लडाकू 'कृष्णाग', 'कुठार', 'बुकर्री' और 'कावेरी'; टैंकर 'शक्ति' और रम्ब जहाज 'धार्मिणी' थे।

अभ्यास में ब्रिटिश नौसेना की पनडुब्बी 'टैंकोनियन' को लक्ष्य बना कर पनडुब्बी नष्ट करने का अभ्यास किया गया। अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाजों के अलावा, ब्रिटिश नौसेना के जहाज 'लोवफिन'; लता की नौसेना के जहाज 'विजया' और साही नौसेना के सहायक बंदे के 'गोल्ड रेज' ने भी भाग लिया।

## एयर वाइस-मार्शल राजा राम

एयर कमांडोर आर० राजा राम को नयी दिल्ली के नेशनल डिफेंस कालेज में सीनियर डायरेक्टिंग स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है। इस पद पर वे एयर वाइस-मार्शल की हैमियत से काम करेंगे।

एयर वाइस-मार्शल राजा राम हाल ही में इंग्लैंड के इम्पीरियल डिफेंस कालेज में प्रशिक्षण लेक्टर लौटे हैं। इनमें पहले वे आपरेटानल कमान में सीनियर एयर स्टाफ आफिसर के पद पर काम कर रहे थे।

## उड़ीसा के एक सिपाही को धीरता के लिए पुलिस पदक

उड़ीसा के बोलनगर जिले के बाम्बेटल थी ब्रजबिहारी जेना को ६ म्त्रियों को जलने हुए मकानों में बाहर निबाधने के लिए राष्ट्र-पति का पुलिस पदक दिया गया है। यह मन्त्रा और इसने मन्बद्ध प्रगति ६ मन्त्रर के मन्बनामन में ० ०

# ग्रामीण-उद्योगों से अधिक रोजगार



स्थानीय लोगों के उत्साह और कुशल संगठन द्वारा उड़ीसा के पुरी जिले के तेजपुर गांव में रोजगार की सुविधाएं बढ गयी हैं ।

इस गांव के निवासी श्री अर्जुनदास ने एक बहुमूली सहकारी समिति शुरू की । यह समिति बड़ई का काम सिललाईती है । इसके कारखाने में भोज, कुतिया और लिठकियों व दरवाजों की चीलटें बनाई जाती हैं, जिन्हें सरकारी या गैर सरकारी सत्याएं खरीद लेती हैं ।


साथ ही एक और उपयोगी घटा इस समिति ने शुरू किया है—नारियल रेशे का उद्योग । इन्हें रस्ते, रसियां, घटाइयां और अन्य चीजें तैयार की जाती है, जो आस पास के गांवों में बिक जाती हैं ।

गांवों की दलकारियों की प्रोत्साहन दीजिये । इनके रोजगार बढना है और भाव भी


## योजना की सिद्धि आपकी समृद्धि

BA-59/314

५ भारतीय भाषाओं को १९५९ की  
 ६ पुस्तकों पर पुरस्कार देने के  
 ७ साहित्य अकादमी द्वारा १३  
 ८ को नयी दिल्ली में आयोजित  
 ९ में अपनी मराठी भाषा की  
 १० पर श्री जी० टी० देशपांडे  
 ११ के अध्यक्ष, श्री मेहुड़ से  
 १२ लेते हुए




१३ फरवरी को नयी दिल्ली में केन्द्रीय  
 १४ साग और ईंधन मंत्री, सरदार  
 १५ सिंह अमरीका से आए इस्पात  
 १६ के साथ



(नीचे बायें) सोवियत सघ प  
 १७ शक्ति के उपयोग से सम्बद्ध  
 १८ समिति के केन्द्रीय प्रशासन के  
 १९ प्रोफेसर वी० एस० येमेल्यानो  
 २० दिल्ली के पालम हवाई अ  
 २१ आगमन के समय राष्ट्रीय  
 २२ प्रयोगशाला के निदेशक, डा  
 २३ एस० कुट्यन के साथ

(नीचे दायें) १३ फरवरी को  
 २४ दिल्ली में नागरिक उद्घरण ७  
 २५ श्री अहमद मोहिउद्दीन और चेक  
 २६ वाकिया के परिवहन ७ २७  
 २८ श्री कारिल स्ट्रकल (बाएँ से)  
 २९ भारत और चेकोस्लोवाकिया के  
 ३० एक हवाई मेवा समझौते पर  
 ३१ करते हुए







# भायनीया समाचार

*Handwritten signature*  
2/11



सत्यमेव जयते

पृ ३

१५ फरवरी, १९६० ( २६ माघ, १९८१ ) :

प्र. २






पोलिश कानून-शास्त्रियों का विद्व  
मण्डल, जोकि आजकल भारत में  
दोरा कर रहा है, २३ जनवरी  
नयी दिल्ली में प्रधान मंत्री श्री  
लाल नेहरू के साथ



ब्रिटेन की एसोसिएटेड इन्  
इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष लार्ड ए  
२५ जनवरी को नयी दिल्ली में के  
वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसा  
साथ

नयी दिल्ली में हुए राष्ट्रमण्डल प्रत  
सम्मेलन का २२ जनवरी को उद्घ  
करते हुए केन्द्रीय सूचना तथा प्रत  
मन्त्री डा० बी० बी० केसकर



# भारतीय समाचार

वर्ष ३

१५ फरवरी, १९६०  
२६ माघ, १८८१

शुक्र, २

एक प्रति ६० ०.३५ १ मिलिंग १४ सेंट

वार्षिक मूल्य ६० ७.०० १७ डि. ६ पेंस २.५ डालर

## मुख्य विषय

गणराज्य दिवस के अवसर पर अलकार	३८
भारत और नेपाल के प्रधान मंत्रियों की समुक्त वित्तित	४४
राज्यों की १९६०-६१ की योजनाएं	४५
पिछले दशक में भारी उद्योगों का विकास	५१
१९५९ में लघु उद्योगों की प्रगति	५२
धार्मिक और नैतिक शिक्षा समिति की रिपोर्ट	६२
तेपेदिक की सांविदेशिक पडताल	६४

**आवरण चित्र :** राष्ट्रपति भवन, नयी दिल्ली, में २४ जनवरी को नेपाल के प्रधान मन्त्री के सम्मान में भारतीय प्रधान मन्त्री द्वारा दिए गए एक भोज में प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू का नेपाल के प्रधान मन्त्री श्री बी० पी० कोइराला के साथ आगमन

(‘भारतीय समाचार’ में सरकारी गतिविधियों और घोषणाओं का संक्षिप्त रिकार्ड प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। स्थान संकोच के कारण अनेक विषयों को संक्षेप में ही दिया जाता है। ऐसे विवरणों को पूर्ण अधिष्ठित विवरण नहीं समझना चाहिए।)



## गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को राष्ट्रपति का सन्देश

गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, २५ जनवरी की रात को आकाशवाणी में राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसाद ने राष्ट्र के नाम निम्नलिखित मन्देश प्रसारित किया —

११वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं अपने देशवासियों का अभिनन्दन करता हूँ और नये वर्ष में उनकी सुख-समृद्धि की कामना करता हूँ। इस शुभ अवसर पर हम हर साल एक-दूसरे को बधाई देते हैं, देश की स्थिति पर चिन्तित हैं और राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था तथा मापनों का विकास होते देख खुश होते हैं। इन घटनाओं की हम अपनी दीर्घकालीन योजनाओं और अपने मुनहले स्वप्नों से तुलना करते हैं। करोड़ों की आबादी वाले एक पिछड़े हुए देश को ऐसे सम्पन्न राज्य में बदल देना, विकास प्रत्येक नागरिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्वस्त हो, सुखी

जीवन बिता सके—यही हमारा स्वप्न है। राज्य की सारी शक्तिया ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के सभी माधन इमी एक स्वप्न को यथार्थ में बदलने के लिए लगाये जा रहे हैं।

जब मैं हम स्वाधीन हुए और हमने सामन व्यवस्था अपने हाथ में ली, हम अधिकतर घरेलू कामकाज में अर्थात् अपनी आन्तरिक समस्याओं को निबटाने में व्यस्त रहे हैं, यद्यपि, जैसा कि सभी जानते हैं, इस अवधि में हम बराबर अपनी विदेश नीति का निर्धारण करते रहे हैं—ऐसी नीति, जिसे हम भारत के लिए सर्वोत्तम समझते हैं। दूसरे देशों की स्वाधीनता का आदर करना, अन्य राष्ट्रों के प्रति दोस्ती की भावना रखना, प्रत्येक देश अपने विचारों और इच्छा के अनुसार अपने जीवन का नियमन करने में स्वच्छन्द हैं—इस बात में विद्वान रचना, हिंसा और पशुबल के प्रयोग

का परित्याग करना और विद्व-गान्ति के लिए सदा प्रयत्न करते रहना—हमारी विदेश नीति के ये कुछ प्रमुख सिद्धान्त हैं। इन नीतियों, जिने धान्तिपूर्ण सह-अभिनव का नाम भी दिया गया है, मगर के बहुतेरे देशों ने भी अपनाया है।

इधर कुछ घटनाएँ ऐसी घटी हैं, जिनमें हम सिद्धान्त में हमारी आत्मा को कुछ धक्का लगा है। हमारे एक पड़ोसी ने जितने नाप सदा से हमारे सम्बन्ध मर्यादित रहे हैं और जो पञ्चशोल के सिद्धान्तों के प्रतिगहन में हमारे नाप धा, हमारे सीमा में आकर हमारे देश के कुछ भाग पर बरका कर दिया है। देश में ध्यानक क्षोभ की भावना होने हुए भी, हम इन या और भी जिनो प्रकार के झगड़े को धान्तिपूर्ण तथा मर्यादित ढंग में मुहलाने के लिए बराबर वानचौन पर ही मरगा

आ रहे हैं। किन्तु मंत्री बनाये रखने और बल का प्रयोग न करने की हमारी उत्कण्ठा की अभीष्ट प्रतिक्रिया दूसरी ओर से अभी तक नहीं हुई है। भगल कामना करते हुए हमें सतर्क और सजग रहना होगा। यद्यपि शान्ति और पान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व में हमारा विश्वास पहले की तरह ही दृढ़ बना है, फिर भी हम इस बात की अवहेलना नहीं कर सकते कि सतत सतर्कता ही एक राष्ट्र की स्वाधीनता का मूल्य होता है।

हाल की घटनाओं के कारण सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, हम राष्ट्र-निर्माण की योजनाओं को कार्य-रूप देने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। हमारी कुछ योजनाएँ पहले ही पूरी हो चुकी हैं या पूरी होने जा रही हैं। दूसरी योजनाओं पर कार्यक्रम के अनुसार काम चल रहा है। बिहार में गंगा पर पुल बनकर तैयार हो चुका है और इसी वर्ष यातायात के लिए खोल दिया गया है। इसके फलस्वरूप उत्तर बिहार और आसाम का, दक्षिण बिहार और पश्चिम बंगाल का सीधा सम्पर्क हो गया है। इस महान सफलता से प्रेरणा पाकर अब हमने गुवाटी के निकट ब्रैमपुत्र पर पुल बनाने का निश्चय किया है और इसी महीने हमारे प्रधान मंत्री ने इस पुल की नींव रखी है। भाखड़ा, नागार्जुनसागर, चम्बल, नैनेडी और कुण्डा नदी घाटी योजनाओं के काम में भी प्रगति हो रही है। लोहे के तीन बड़े कारखाने राउरकेला, मिलाई और दुर्गापुर में चालू हो गए हैं और भद्रिद्या लोहा तैयार करने लगी है। आसाम है कि इन कारखानों द्वारा हमारी घरेलू जरूरतों से भी अधिक लोहा तैयार किया जा सकेगा।

कुछ समय हुआ इस वर्ष खाद्य स्थिति कुछ अधिक गम्भीर होती दिखायी दी थी, किन्तु देश भर में सस्ते अनाज की दुकानें खोलने और सप्लाय की स्थिति में सुधार कर देने से जल्दी ही कीमते उचित स्तर पर आ गईं। तब से स्थिति में सुधार के लक्षण दिखायी दे रहे हैं और मौसुम फसलों की स्थिति और बाफी मात्रा में विदेशों से अनाज के आयात को देखते हुए एम। विरवास करने के कारण है कि हम प्रबुद्धि में स्थिति में और भी सुधार हो गयेगा।

बहनों और भाइयों, मैं चाहता हूँ कि आप सब इन गम्भीर प्रश्नों में विचार करे जो हमारे देश के गामने हैं। मुझे आपको यह विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं कि आपके नेतागण, जिनके हाथों में आपने देश की व्यवस्था सौंपी है, इन प्रश्नों पर पूरी तरह से विचार कर रहे हैं, किन्तु एक प्रजातन्त्र राज्य में राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न प्रत्येक नागरिक द्वारा विचार के विषय होते हैं।

एक बार फिर मैं आप सब का अभिनन्दन करता हूँ और सब की सुख-समृद्धि की कामना करता हूँ।

## प्रवासी भारतीयों को राष्ट्रपति का सन्देश

गणतन्त्र दिवस के अवसर पर प्रवासी भारतीयों के नाम राष्ट्रपति ने निम्नलिखित सन्देश प्रसारित किया :

एक बार फिर गणतन्त्र दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों का अभिनन्दन करने में मुझे खुशी ही रही है। हम अपने घरेलू कामों में चाहे कितने ही व्यस्त हों, आप लोगों की तरफ हमारा खयाल प्राय जाता है और आपका कल्याण हमें बहुत प्रिय है। मेरी यही कामना है और प्रार्थना है कि आप लोग सुखी रहें और अपने सत्कार्यों और अच्छे व्यवहार से अपने देश का नाम उज्ज्वल करें।

आज हमारा गणराज्य अपने जीवन के ग्यारहवें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इन १० वर्षों में हम अपने भौतिक साधनों का विकास करने और भारत को शांति और सम्पन्नता का देश बनाने में प्रयत्नशील रहे हैं। हमने औद्योगिकरण का मा' प्रहण किया है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो योजनाएँ हमने हाथ में ली थी, उनमें से आठिक् अथवा पूर्ण रूप से कद्रयो को हम कार्यरूप दे सके हैं। जब कभी भी आप अब स्वदेश आएंगे, मेरा विश्वास है कि आपको कई सुखद आश्चर्य देखने को मिलेंगे। कई राज्यों के देहातों में आप बिजली की चमक-दमक देखेंगे, नई सड़कें और रेल बनी देखेंगे, बरद जल से पूर्ण बहती हुई नहरें आपको मिलेंगी और आप इस्पात के तीन महान कारखाने हर समय लोहा उगलते हुए देखेंगे। इसके साथ ही देश भर में सामुदायिक विकास और समाज सुधार के केन्द्रों का जाल बिछा हुआ भी आप देखेंगे।

मैं जानता हूँ कि यह सब देख कर आपको खुशी होगी। किन्तु आप यह समझ ले कि यह इस क्रम का आरम्भ मात्र है। हमारे महान लक्ष्य तक पहुँचने का मा' बहुत लम्बा और कष्टप्रद है। फिर भी, भारत के भविष्य में हमारी आस्था और हमारे लोगों के सकल्प ने इस महान कार्य में हमें यथोचित बल दिया है। ऐसे बड़े काम में कठिनाइयाँ और जोखिम होना स्वाभाविक है, और निश्चय ही इन सबसे हमें लोहा लेना पड़ रहा है, यद्यपि अन्त में ईश्वर की कृपा से निश्चय ही इन हमें पर विजय पा सकेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे।

बहनों और भाइयों, आप भी आज भारत के सम्बन्ध में सोच रहे होंगे। मैं चाहूँगा कि आप भारत के आध्यात्मिक और नैतिक आदर्शों का भी ध्यान करें, जिनसे हमने अपनी घरेलू और विदेशी नीतियों के निर्धारण में प्रेरणा ली है।

आप लोग जहाँ भी हैं और जैसे भी हैं, एक बार फिर मैं आप सबकी सम्पन्नता और सुख की कामना करता हूँ।

## गणराज्य दिवस के श्रवसर पर श्रलंकार

ग्यारहवें गणराज्य दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने ३१ व्यक्तियों को अलंकार दिए हैं। इनमें से एक पद्म विभूषण, १० पद्म भूषण और २० पद्म श्री हैं। अलंकार पाने, शालों में ४ महिलाएँ भी हैं।

इन अलंकारों की घोषणा और उनके नाम २६ जनवरी, १९६० के भारत सरकार के असाधारण सूचना-पत्र में दिए गए हैं।

### पद्म भूषण

श्री नारायण राघवन पिल्लै, महासचिव, परराष्ट्र मंत्रालय।

### पद्म भूषण

श्री अय्यादेवरा कालेश्वर राव, अध्यक्ष, आन्ध्र विधान सभा; पंडित बालकृष्ण दामर् 'मवीन', कवि, नमी दिल्ली; उस्ताद हाफिज अली सा, संगीतज्ञ, नमी दिल्ली; श्री हरिदास सिद्धान्तवागीश, सस्कृत के विद्वान, कलकत्ता; नाडी नेजल इस्लाम, कवि, कलकत्ता; डॉ० नीलकंठ दाम, अध्यक्ष, उड़ीसा विद्यालय;।

डा० खीन्द्र नाथ चौधरी, निदेशक, स्कूल आफ ट्रॉपिकल मेडिसिन, बलकृता; पंडितराज राजेश्वरदास मास्त्री द्रविड, संस्कृत के विद्वान, वाराणसी; श्री गिबपूजन महाय, हिन्दी के विद्वान, पटना; डा० विट्ठल नागेंग विरोड्-कर, स्त्री रोग विज्ञान, बम्बई ।

### पद्म श्री

डा० आदिनाथ लहरी, निदेशक, केन्द्रीय ईधन अनुसंधान संस्था, धनबाद; श्री अनिल कुमार दाम, उप महानिदेशक, कोडईकनाल पर्यवेक्षणालय; कुमार आरती साहा, तैराक, बलकृता; डा० आतंवल्लभ महन्ती, अवकान-प्रान्त प्रॉफेसर, उत्कल विश्वविद्यालय; श्री अद्यागिरि सम्भा शिवराव, एटासिमा एनर्जी एंटरप्राइजमेंट, ट्राम्बे; श्री बेलाती रामना केमवन्, पुस्तकालयाध्यक्ष, बलकृता; श्रीमती बीणादास, ममाज कार्यकर्त्री, बलकृता; श्री दया भाई जीवनजी नायक, ममाज कार्यकर्ता, बम्बई; श्री हरकृष्ण लाल मेठी, जनरल मैनेजर, गंगा पुल योजना, कंस्टेन हरमन्दर सिंह, पॉलिटेक्निक आफिमर, कामेंग प्रस्टियर डिवीजन, नेफा; श्री जस्सू पटेल, क्रिकेट खिलाडी, अहमदाबाद; श्री कालपति रामा अखर दोरावस्तानी, निदेशक, श्रीमियर रेडियो लाजिबल इन्स्टिट्यूट एण्ड केंटर हास्पिटल, मईलापुर, मद्रास; श्रीमती कुलमुम सयाणी, समाज और विद्या कार्यकर्त्री, बम्बई; श्री नामाभाई भट्ट, विद्या और समाज कार्यकर्ता, मीरापुर, श्री नृपचकी भानु प्रमाद, एटासिक एनर्जी एंटरप्राइजमेंट, ट्राम्बे, श्री रस्तम मीराजी अल्पईवाला, बम्बई स्थित कार्यकर्ता के राष्ट्रीय एंफोसिएशन के अध्यक्ष; श्रीमती मोक्षिषा वाडिया, ममाज कार्यकर्त्री, बम्बई, डा० विद्यानाथ मुब्रहमण्यम, निदेशक केन्द्रीय साध और विज्ञान विज्ञान अनुसंधानशाला, मंमूर; श्री निजय हजारे, क्रिकेट खिलाडी, बंगौरा, और श्रीमती वीरवती, वास्तुकलाकार, दिल्ली ।

### स्थल सेना में श्रवैतनिक कमीशन

इस साल गणराज्य दिवस के अवसर पर स्थल सेना के उन चुने हुए जूनियर कमीशनरों के अफसरों को, जो सामरिक सूची पर हैं, अर्धवैतनिक कमीशन और जूनियर कमीशन-प्रान्त तथा गैर कमीशन वाले अफसरों को सेवा निवृत्त होने पर अवैतनिक पद दिए गए

हैं । ये कमीशन और पद इन अफसरों की असाधारण सेवाओं के लिए दिए गए हैं ।

पुरस्कृत व्यक्तियों की सूची इस प्रकार है :

### सामरिक सूची से

#### अवैतनिक कप्तान

जें सी-२१२१५ रिता० मेजर और अवैतनिक ले० कमीशनर, सेट्रल इंडिया हॉर्सेस; जें सी-१४२८७ रि० मे० और अवै० ले० अमीरसिंह, ६२वीं कैवलरी, जें सी-२१३५६, सूबे० मे० और अवै० ले० रामीबद, तोप-पाना; जें सी-१३६२९, सूबे० मे० और अवै० ले० वी० गंगाधरराम, वीरचक्र, त्रिगंड आफ गार्ड्स, जें सी-४३३६७ सूबे० और अवै० ले० प्रीतम सिंह, एम० सी०, पैरासूट रेजिमेंट; जें सी-१७९३१ सूबे० मे० और अवै० ले० हुकमसिंह, आई० ओ० एम०, पंजाब रेजिमेंट, जें सी-१४८६६ सूबे० मे० और अवै० ले० अमोन्द्र कोलोय नारायणन नम्बियार, मद्रास रेजिमेंट; जें सी-१३३३१ सूबे० मे० और अवै० ले० श्रीलाल राम, त्रिनेडियंस; जें सी-२२७०२ सूबे० मे० और अवै० ले० छाजूसिंह, एम० सी०, राजपूताना राइफल, जें सी-४५६९९ सूबे० और अवै० ले० कालू राम, एम० सी०, राजपूताना राइफल्स; जें सी-२१०१४ सूबे० मे० और अवै० ले० धरमपालसिंह, राजपूत रेजिमेंट, जें सी-१२८९२ सूबे० मे० और अवै० ले० जोगिन्दर सिंह, एम० सी०, सिख रेजिमेंट, जें सी-२०५५० सूबे० मे० और अवै० ले० दरयाब सिंह राम, एम० सी०, बिहार रेजिमेंट, जें सी-२६९८७ सूबे० मे० और अवै० ले० प्रेम बहादुर थापा, ८-नोरखा राइफल्स, जें सी-२३४२४ सूबे० मे० और अवै० ले० खडग बहादुर सुवर, एम० सी०, ११-नोरखा राइफल्स ।

#### अवैतनिक लेफ्टिनेंट

जें सी-१२१३३ रिता० मे० अब्दुल अजीब, १६ कैवलरी; जें सी-१३७९२ रिता० विद्याल सिंह, २ लेन्सर्स; जें सी-४३५६५ रिता० मे० गिदर सिंह, १७ हॉर्सेस, जें सी-३५०८२ रिता० नजर सिंह, १४ हॉर्सेस, जें सी-४५९८० रिता० रामभज, आई० ओ० एम०, आई० डी० एस० एम०, सेट्रल इंडिया हॉर्सेस; जें सी-१८८०८ सूबे० मे० मूरत सिंह, एम० सी० आर्टिलरी,

जें सी-४४३५८ सूबे० मे० पी० के० गोविन्द राजू, आर्टिलरी; जें सी-१४१८३ सूबे० मे० सुनिस्वामी, मद्रास इंजीनियर्स; जें सी-५३२७ सूबे० मे० नजारत जान, मद्रास इंजीनियर्स; जें सी-१२६७२ सूबे० मे० अजायब सिंह, बंगाल इंजीनियर्स; जें सी-२७०९९ सूबे० मे० उदय राम, बंगाल इंजीनियर्स; जें सी-१५०६२ सूबे० मे० विक्रम मोर, बम्बई इंजीनियर्स; जें सी-१५२६५ सूबे० मे० रणसिंह, कोर आफ सिगनल्स; जें सी-१८३४८ सूबे० मे० ज्ञान सिंह, कोर आफ सिगनल्स; जें सी-१७६६१ सूबे० मे० जे० वी० मोजेंज, कोर आफ सिगनल्स; जें सी-५७६६९ सूबे० लछमन सिंह, पंजाब रेजिमेंट; जें सी-१८६८४ सूबे० मे० वी० मधु कृष्ण, मद्रास रेजिमेंट; जें सी-२७७८३ सूबे० धरमसिंह, त्रिनेडियर्स, जें सी-४२३७१ सूबे० काशीनाथ फदतार, मराठा लाइट इन्फेण्ट्री; जें सी-६०५९६ सूबे० जें एक एवस फिलिप्स, एम० एम०, मराठा लाइट इन्फेण्ट्री; जें सी-४११८१ सूबे० मेघ सिंह, वीर चक्र, राज-पूताना राइफल्स, जें सी-१७७० सूबे० अनुमान सिंह, राजपूताना राइफल्स, जें सी-१९९४४ सूबे० मोहन राम, राजपूत रेजिमेंट, जें सी-४३९२३ सूबे० मरदावा सिंह, आई डी एस एम, सिख रेजिमेंट, जें सी-५९६१३ सूबे० प्रीतम सिंह, सिख रेजिमेंट, जें सी-३०१६६ सूबे० छम्बू राम, आई ओ एम, डोगरा रेजिमेंट, जें सी-४७०९३ सूबे० शामलाल, डोगरा रेजिमेंट, जें सी-३१०७१ सूबे० गोपाल सिंह गोसाई, वीर चक्र, गडवाण राइफल्स, जें सी-२७८१५ सूबे० मे० भवन सिंह, कुमाऊ रेजिमेंट, जें सी-२३६२ सूबे० मे० मरनाम सिंह, कुमाऊ रेजिमेंट; जें सी-१८०५५ सूबे० मे० घानी चन्द, कुमाऊ रेजिमेंट, जें सी-६१३२४ सूबे० गेर सिंह, वीर चक्र, कुमाऊ रेजिमेंट, जें सी-३५५२८ सूबे० मे० तरुण चन्द्र रात्रगणी, ग्रामाम रेजिमेंट; जें सी-२६१०० सूबे० मे० नगंय सिंह, सिख लाइट इन्फेण्ट्री, जें सी-४६९८६ सूबे० छत्रीलाल गुरुण, आई डी एस एम, ३ गोरखा राइफल्स, जें सी-२९९४३ सूबे० मे० एडमिनर कान्ना, ५-गोरखा राइफल्स, जें सी-५३४३१ सूबे० जम बहादुर गुगन, आई डी एस एम,

आ रहे हैं। किन्तु मंत्री बनाये रखने और बल का प्रयोग न करने की हमारी उत्कण्ठा की अभीष्ट प्रतिक्रिया दूसरी ओर से अभी तक नहीं हुई है। मगल कामना करते हुए हमें सतर्क और सगठित रहना होगा। यद्यपि शान्ति और दान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व में हमारा विश्वास पहलके की तरह ही दृढ़ बना है, फिर भी हम इस बात की अवहेलना नहीं कर सकते कि सतत सतर्कता ही एक राष्ट्र की स्वाधीनता का मूल्य होता है।

हाल की घटनाओं के कारण सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, हम राष्ट्र-निर्माण की योजनाओं को कार्य-रूप देने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। हमारी कुछ योजनाएँ पहले ही पूरी हो चुकी हैं या पूरी होने जा रही हैं। दूसरी योजनाओं पर कार्यक्रम के अनुसार काम चल रहा है। बिहार में गंगा पर पुल बनकर तैयार हो चुका है और इसी वर्ष यातायात के लिए खोल दिया गया है। इसके फलस्वरूप उत्तर बिहार और आसाम का, दक्षिण बिहार और पश्चिम बंगाल का सीधा सम्पर्क हो गया है। इस महान सफलता से प्रेरणा पाकर अब हमने गुहाटी के निकट ब्रह्मपुर पर पुल बनाने का निश्चय किया है और इसी महीने हमारे प्रधान मंत्री ने इस पुल की नींव रखी है। भाखड़ा, नगार्जुनसागर, चम्बल, नैवेली और कुण्डा नदी घाटी योजनाओं के काम में भी प्रगति हो रही है। लोहे के तीन बड़े कारखाने राउरकेला, मिलाई और दुर्गापुर में चालू हो गए हैं और मट्टिया लोहा तैयार करने लगी है। आशा है कि इन कारखानों द्वारा हमारी घरेलू जरूरतों से भी अधिक लोहा तैयार किया जा सकेगा।

कुछ समय हुआ इस वर्ष खाद्य स्थिति कुछ अधिक गम्भीर होती दिखायी दी थी, किन्तु देश भर में सस्ते अनाज की दुकानें खोलने और सप्लाई की स्थिति में सुधार कर देने से जल्दी ही कीमतें उचित स्तर पर आ गईं। तब से स्थिति में सुधार के लक्षण दिखायी दे रहे हैं और मौजूदा फसलों की स्थिति और काफी मात्रा में विदेशों से अनाज के आयात को देखते हुए ऐसा विश्वास करने के कारण है कि इस प्रवृत्ति में स्थिति में और भी सुधार हो सकेगा।

बहनों और भाइयों, मैं चाहता हूँ कि आप सब इन गम्भीर प्रश्नों पर विचार करें जो हमारे देश के सामने हैं। मुझे आपको यह विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं कि आपके नेतागण, जिनके हाथों में आपमें देश की व्यवस्था सीपी है, इन प्रश्नों पर पूरी तरह से विचार कर रहे हैं, किन्तु एक प्रजातन्त्र राज्य में राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न प्रत्येक नागरिक द्वारा विचार के विषय होते हैं।

एक बार फिर मैं आप सब का अभिनन्दन करता हूँ और सब की सुख-समृद्धि की कामना करता हूँ।

## प्रवासी भारतीयों को राष्ट्रपति का सन्देश

गणतन्त्र दिवस के अवसर पर प्रवासी भारतीयों के नाम राष्ट्रपति ने निम्नलिखित सन्देश प्रसारित किया :

एक बार फिर गणतन्त्र दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों का अभिनन्दन करने में मुझे खुशी ही रही है। हम अपने घरेलू कामों में चाहे कितने ही व्यस्त हों, आप लोगों की तरफ हमारा ख्याल प्रायः जाता है और आपका कल्याण हमें बहुत प्रिय है। मेरी यही कामना है और प्रार्थना है कि आप लोग सुखी रहे और अपने सत्कार्यों और अच्छे व्यवहार से अपने देश का नाम उज्ज्वल करें।

आज हमारा गणराज्य अपने जीवन के ग्यारहवें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इन १० वर्षों में हम अपने मौखिक साधनों का विकास करने और भारत को शांति और सम्पन्नता का देश बनाने में प्रयत्नशील रहे हैं। हमने औद्योगिकरण का मार्ग प्रहण किया है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो योजनाएँ हमने हाथ में ली थी, उनमें से आंशिक अथवा पूर्ण रूप से कइयों को हम कार्यरूप दे सके हैं। जब कभी भी आप अब स्वदेश आएं, मेरा विश्वास है कि आपको कई सुखद आश्चर्य देखने को मिलेंगे। कई राज्यों के केंद्रों में आप बिजली की चमक-दमक देखेंगे, नई सबके और रेले वनी देखेंगे, बरद जल से पूर्ण बहती हुई नहरें आपको मिलेंगी और आप इस्पात के तीन महान कारखाने हर समय लोहा उगलते हुए देखेंगे। इसके साथ ही देश भर में सामुदायिक विकास और समाज सुधार के केन्द्रों का जाल बिछा हुआ भी आप देखेंगे।

मैं जानता हूँ कि यह सब देख कर आपको खुशी होगी। किन्तु आप यह समझ लें कि यह इस क्रम का आरम्भ मात्र है। हमारे महान लक्ष्य तक पहुँचने का मार्ग बहुत लंबा और कष्टप्रद है। फिर भी, भारत के भविष्य में हमारी आस्था और हमारे लोगों के संकल्प ने इस महान कार्य में हमें यथोचित बल दिया है। ऐसे बड़े काम में कठिनाइयाँ और जोशिम होना स्वाभाविक है, और निश्चय ही इन सबसे हमें लोहा लेना पड़ रहा है, यद्यपि अन्त में ईश्वर की कृपा से निश्चय ही हम इन पर विजय पा सकेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे।

बहनों और भाइयों, आप भी आज भारत के सम्बन्ध में सोच रहे होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप भारत के आध्यात्मिक और नैतिक आदर्शों का भी ध्यान करें, जिनसे हमने अपनी घरेलू और विदेशी नीतियों के निर्धारण में प्रेरणा ली है।

आप लोग जहाँ भी हैं और जैसे भी हैं, एक बार फिर मैं आप सबकी सम्पन्नता और सुख की कामना करता हूँ।

## गणराज्य दिवस के अवसर पर श्र्लंकार

गया रहते गणराज्य दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने ३१ व्यक्तियों को अलंकार दिए हैं। इनमें से एक पद्म विभूषण, १० पद्म भूषण और २० पद्म श्री हैं। अलंकार पाने वालों में ४ महिलाएँ भी हैं।

इन अलंकारों की घोषणा और उनके नाम २६ जनवरी, १९६० के भारत सरकार के असाधारण सूचना-पत्र में दिए गए हैं।

## पद्म विभूषण

श्री नारायण रावचन पिल्ले, महासचिव, परराष्ट्र मंत्रालय।

## पद्म भूषण

श्री अय्यादेवरा कालेश्वर राव, अध्यक्ष, आन्ध्र विधान सभा; पंडित बालकृष्ण समी 'नवीन', कवि, नयी दिल्ली; उस्ताद हाफिज अली खाँ, संगीतज्ञ, नयी दिल्ली; श्री हीरदास सिंढान्तवागीस, संस्कृत के विद्वान, कलकत्ता; काजी नजल्ल इस्लाम, कवि, कलकत्ता; डॉ० नीलकंठ दास, अध्यक्ष, उड़ीसा विधानसभा;

## पुलिस अधिकारियों को पदक

गाराय्य दिवन त्तारोह के अवगार १२ इन बार राष्ट्रपति ने ६१ पुलिस अफसरों को उनकी प्रगतनीय सेवाओं के लिए पदक प्रदान किए हैं।

पाच अधिकारियों को राष्ट्रपति का पुलिस और अग्निसेवा पदक तथा ५६ को पुलिग पदक दिया गया है। पुलिस और अग्निसेवा पदक पाने वाले अधिकारियों के नाम इन प्रकार हैं :—

श्री पनीराम कांवर, सहायक कमांडेंट, इन समय हुनरो अमाम बटालियन से सन्नि, धामाम; श्री तेरेन्म जान विवन, कमांडेंट, स्पेसल आम्ड पुलिग, चौथी बटालियन, ग्वालियर, मध्य प्रदेश; श्री कुरुपय विन्वनायन् नायर, आई० पी० एम०, पुलिग मुफरिडेण्ट, तञ्जौर, मद्रास; श्री शरद चन्द्र मिय, आई० पी०, डिप्टी इस्पेक्टर जनरल आफ पुलिग, कृषिया विभाग उत्तर प्रदेश; और श्री वीरेन्द्र चन्द्र चक्रवर्ती, आई० पी० एम०, सहायक इस्पेक्टर जनरल आफ पुलिग, पश्चिम बंगाल।

पुलिग पदक पाने वाले अधिकारियों के नाम निम्न प्रकार हैं —

श्री वेमपल्ली वेण्टरमण, इस्पेक्टर आफ पुलिस, स्पेसल ब्राच, कृषिया विभाग, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश, श्री मल्लेला सत्यनारायण, इस्पेक्टर आफ पुलिस, स्पेसल ब्राच, कृषिया विभाग, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश; श्री रवीन्द्र नाथ राव, आई० पी० एम०, मीनिअर मुफरिडेण्ट पुलिस, पटना, बिहार; श्री म्नेहयम घोष, आई० पी० एम०, इस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस के सहायक, पटना, बिहार, श्री मेहरुजी दिनगा फेमरोज, पुलिस मुफरिडेण्ट, बृहत्तर बम्बई; श्री सोहगण हारमोसतजी जगमोरोजी, कागा, पुलिस मुफरिडेण्ट, बृहत्तर बम्बई; श्री गोसाल केनय भूयत्कर, डिप्टी मुफरिडेण्ट पुलिस, एण्टी कोरेपान एड प्रोहिबिशन इन्वेन्सिबल ब्यूरो, बम्बई; श्री दिलीप सिंह जी जग सिंह जी जदेशा, डिप्टी मुफरिडेण्ट पुलिस, पश्चिम बेल, अहमदाबाद, बम्बई; श्री नरगिह तोषाराम पन्ना, डिप्टी मुफरिडेण्ट पुलिस, उनाद सन्निधीजन, जिला यंथोतमल, बर्बई, श्री वसवन्त विन्मन् बावले, इस्पेक्टर पुलिस,

बृहत्तर बम्बई; श्री गंकर हरि यादव, पुलिस नायक, बृहत्तर बम्बई; श्री लछमन धाम ठाकुर, आई० पी० एम०, डी० आई० जी० पुलिस, जम्मु और कश्मीर; श्री छक्कराज गोपाल नायडू, आई० पी० एम०, मुफरिडेण्ट पुलिस, तुंग, मध्य प्रदेश, श्री बापू साहिब बापू राव माणे, आई० पी० एम०, एम० पी०, लण्डवा, मध्य प्रदेश; श्री चंन सिंह कव्यम, आई० पी० एम०, एम० पी०, मुंरना, मध्य प्रदेश; श्री विरिग्यम एयनी ध्रिन्ना, आई० पी० एम०, कमांडेंट, स्पेसल आम्ड फोर्स, हुसरी टेंगिन बटालियन, इन्दौर, मध्य प्रदेश; श्री अब्दुल रहमान सिद्दीकी, डी० एम० पी० (मुकुदमा), जवलपुर, मध्य प्रदेश, श्री चित्तामण सीताराम चफेरे, सहायक कमांडेंट, स्पेसल आम्ड पुलिग, चौथी बटालियन, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, श्री बापू साहब गिरे, कम्पनी कमांडर, पहली बटालियन, स्पेसल आम्ड फोर्स, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, श्री वाला साहिब महादिक्, प्लाटून कमांडर, पहली बटालियन, स्पेसल आम्ड फोर्स, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, श्री कोल्लाडकल परमेस्वर मेनन, डी० एम० पी०, (स्थानापन्न), उयकमडल, जिला नीलगिरि, मद्रास, श्री पेरुन्थोत्तम नटेश अय्यर सुन्नमण्यन्, इस्पेक्टर पुलिस, स्पेसल ब्राच, कृषिया विभाग, मद्रास; श्री परमोवल जोसेफ तेविस, आई० पी० एम० एम० पी०, मद्रास; श्री अयनराव बंकोवाराव, स्पेसल मुफरिडेण्ट पुलिस, मंसूर, श्री लॉर्ड हेंरोल्ड स्माले, कमांडेंट, मंसूर राज्य रिजर्व पुलिस, बगलोर, मंसूर; श्री आर्ग मरिस्वामी, डिप्टी मुफरिडेण्ट पुलिस, मंसूर, श्री गुरिकर मुवला, इस्पेक्टर पुलिस, मंसूर, श्री वी० एल० एम० कृष्णमूर्ति, सब इस्पेक्टर पुलिस, मंसूर, श्री रामकृष्ण पाडी, आई० पी०, डी० आई० जी०, उडीसा; श्री नारायण चन्द, आई० पी० एम०, एम० पी०, उडीसा, श्री कोरी अण्णा राव, सूबेदार, उडीसा मिळिटी पुलिस, उडीसा; श्री धाकर सामन्त मिनहार इस्पेक्टर आफ पुलिस (स्थानापन्न), उडीसा, श्री दलोपसिंह साडू, इस्पेक्टर पुलिस (स्थानापन्न), न० ए।ए।६६, पजाब, श्री दलोप सिंह दिन्डवा, इस्पेक्टर पुलिस (स्थानापन्न), न० ए।३, पजाब; श्री एजानुल ह्ज, डिटेक्टिव इस्पेक्टर, प्राइमरी ब्राच, कृषिया विभाग,

उत्तर प्रदेश; श्री करीम वरग, सब-इस्पेक्टर, घुडसवार पुलिस, पुलिस ट्रेनिग कालेज, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश; श्री परिमल चन्द्र बोस, असिस्टेंट कमिश्नर आफ पुलिस (स्थानापन्न), यातायात विभाग, कलकत्ता; श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा, इस्पेक्टर आफ पुलिस गोलावाजी सन्निधीजन, जिला हुबडा, पश्चिम बंगाल; श्री वीरेंद्र रजान चन्द, इस्पेक्टर पुलिस, इन्टेलीजेन्स ब्यूरो, पश्चिम बंगाल; श्री प्रमथ नाथ चक्रवर्ती, इस्पेक्टर पुलिस, कलकत्ता; श्री सत्येन्द्र नाथ भट्टाचारजी, सब-इस्पेक्टर पुलिस, कलकत्ता; श्री मनोरजन बनर्जी, सब-इस्पेक्टर पुलिस, गुप्तचर विभाग कलकत्ता; श्री त्रिवेणो सिंह, सब-इस्पेक्टर पुलिस, अडमान और निकोबार द्वीप, श्री अमर सिंह, डी० एम० पी०, दिल्ली, श्री लालचन्द, इस्पेक्टर पुलिस (स्थानापन्न), दिल्ली, श्री गोविन्द सिंह मेहता, मुफरिडेण्ट पुलिस, सिरमूर जिला, हिमाचल प्रदेश, श्री विमोश्वर चटर्जी, आई० पी०, डिप्टी डाइरेक्टर, इन्टेलीजेन्स ब्यूरो, स्वराष्ट्र मन्त्रालय, भारत सरकार, श्री तारक दास बोस, असिस्टेंट डाइरेक्टर, सवनीडियरी इन्टेलीजेन्स ब्यूरो, जमशेदपुर; श्री मधवजी श्रीनिवास आचार्य, सेट्रल इन्टेलीजेन्स आफिसर, विजयवाडा, श्री पी० के० नारायण नायर, डिप्टी सेट्रल इन्टेलीजेन्स आफिसर, पूना, श्री दौलेन्द्र कुमार हलधर, भूतपूर्व डिप्टी सेट्रल इन्टेलीजेन्स आफिसर, सवनीडियरी इन्टेलीजेन्स ब्यूरो, कलकत्ता, श्री लक्ष्मण स्वप्न दरवारी, मुफरिडेण्ट आफ पुलिस, एण्टी फाउस्ववाट, स्पेसल पुलिस एस्टेब्लिशमन्ट, नयी दिल्ली; श्री रामचन्द्र बलवन्त पैमकर, इस्पेक्टर आफ पुलिस, स्पेसल पुलिस एस्टेब्लिशमन्ट, बम्बई और श्री जेठानन्द, इस्पेक्टर पुलिस, स्पेसल पुलिस एस्टेब्लिशमन्ट, नयी दिल्ली।

**वायुसैनिक को अवैतनिक कमीशन**  
भूतपूर्व वारंट अफसर, बेजन्त सिंह को, जो वायुसेना में १५ मई, १९५८ को रिटायर हो गए थे, पलाइग अफसर का अवैतनिक कमीशन दिया गया है। श्री बेजन्त सिंह वायुसेना में अवैतनिक कमीशन पाने वाले दूसरे रिटायर वायुसैनिक हैं।



५ गोरखा राइफल्स; जे मी-५१८७३ सूबे०  
 तिम बहादुर लिम्बू, ११ गोरखा राइफल्स;  
 जे मी-२४७८४ सूबे० मे० जगदीश सिंह,  
 आर्मी सर्विस कोर (सप); जे सी-२०९२५  
 सूबे० मे० आई० स्वामी, आर्मी सर्विस कोर  
 (मप); जे सी-४२५२९ सूबे० मे० प्रेम स्वस्व  
 वाल, आर्मी सर्विस कोर (सप); जे सी-  
 १७३४२ सूबे० रामसरूप राम, आर्मी सर्विस  
 कोर (एम टी), जे सी-२२७९ सूबे० एस  
 एम एम शेरसिंह गिल, आर्मी मेडिकल कोर;  
 जे मी-१३७३२ सूबे० मे० रिमाल सिंह, आर्मी  
 आडिनेस कोर, जे सी-१३७३३ सूबे० मे०  
 अमर सिंह राम, कोर आफ इलेक्ट्रिकल एण्ड  
 मेकेनिकल इंजीनियर्स, जे सी-२५१२८ सूबे०  
 मे० ज्योती राम सिंह, कोर आफ इलेक्ट्रिकल  
 एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स, जे सी-२७९१७  
 सूबे० छप्पलाल, कोर आफ इलेक्ट्रिकल एण्ड  
 मेकेनिकल इंजीनियर्स; जे सी-२८२६८ सूबे०  
 मे० जोगिन्दर सिंह, आर्मी एजुकेशन कोर,  
 जे मी-२१५३६ सूबे० मे० मूलक राज, आर्मी  
 एजुकेशन कोर, जे मी-१९०१९ सूबे०  
 रामचरण दास, डेटेलजेस कोर, जे मी-  
 ३९०७६ सूबे० मे० नारायण सिंह, कोर आफ  
 मिलिटरी पुलिस, जे मी-२१४७७ सूबे० मे०  
 आ० पी० बालकृष्णन, पायनियर कोर ।

### अचक्राश-प्राप्ति पर

#### अवैतनिक कप्तान

जे मी-२९४९१ सूबे० मे० ओर अर्बे०  
 ले० इशरसिंह, आटिलरी, जे सी-२२०२७  
 सूबे० मे० ओर अर्बे० ले० मोनाराम सिंह,  
 बगाल इंजीनियर्स, जे मी-२२९०७ सूबे०  
 मे० ओर अर्बे० ले० गंगा राम, कोर आफ  
 सिग्नल, जे मी-३६९०४ सूबे० मे० ओर  
 अर्बे० ले० विद्यान चन्द, आर्मी सर्विस कोर  
 (मप), जे मी-३६९४७ सूबे० मे० ओर अर्बे०  
 ले० ए० एम० भानु पत, आर्मी सर्विस कोर  
 (मप); जे मी-१११३९ सूबे० मे० ओर  
 अर्बे० ले० परम सिंह, आर्मी आडिनेस कोर;  
 जे मी-५५०८८ सूबे० मे० ओर अर्बे० ले०  
 अमर सिंह, आर्मी आडिनेस कोर; जे मी-  
 ५२३२५ सूबे० मे० ओर अर्बे० ले० मोहन  
 सिंह, कोर आफ इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकेनिकल  
 इंजीनियर्स; जे मी-२०६०० सूबे० मे० ओर  
 अर्बे० ले० प्याग सिंह थापा, आर्मी एजुकेशन  
 कोर ।

#### अवैतनिक लेफिटेनंट

जे सी-३१९३८ रि० उमराव सिंह, ७  
 केवेलरी; जे मी-५२६५९ सूबे० हरवन्स सिंह,  
 ब्रिगड आफ गार्ड्स; जे सी-४५३९६ सूबे०  
 हरवन्स सिंह, पॅराशूट रेजिमेंट; जे सी-  
 १७२२६ सूबे० नुम राम, प्रिन्डिपर्स, जे सी-  
 ४८४८२ सूबे० शेर बहादुर थापा, एम० सी०,  
 ३ गोरखा राइफल्स; जे सी-४६९८८ सूबे०  
 बहादुर थापा, ३ गोरखा राइ०; जे सी-  
 ३६९४८ सूबे० मे० विहारी लाल आहूजा,  
 आर्मी सर्विस कोर; जे सी-५५९२२ सूबे०  
 मे० मूल राज, आर्मी आडिनेस कोर, जे मी-  
 ४८६६६ रि० मे० हर गोविन्द लाल,  
 रिमाउण्ट्स, वेटरिनरी ओर फार्मस कोर;  
 जे सी-२०६१७ सूबे० मे० राम चरण सिंह  
 यादव, आर्मी एजुकेशन कोर ।

#### अवैतनिक रिटालदार सूबेदार मेजर

जे मी- ५६ सूबे० रतन सिंह, आटिलरी,  
 जे सी-२७१०३ सूबे० हरि दत्त, बगाल इंजी-  
 नियर्स, जे सी-५०३८१ सूबे० रण सिंह  
 पञ्जाब रेजी०; जे सी-४६४५१ सूबे० मधर  
 सिंह, सिख रेजी०, जे सी-३५१३१ सूबे०  
 जगद्व सिंह, सिख रेजीमेंट, जे मी-६६८५३  
 सूबे० अम्जन सिंह राणा, ३ गोरखा राइ० ।

#### अवैतनिक रिटालदार सूबेदार

जे सी-५७८१ जमा० अमरीक सिंह, १४  
 हॉर्म, जे सी-७०३१ जमा० मखनसिंह, ६३  
 कैवलरी, जे सी-६५७ जमा० भागल सिंह,  
 बगाल इंजीनियर्स; जे मी-८०७ जमा० शकर  
 सिंह, बम्बई इंजीनियर्स, जे मी-५८३८७  
 वामन बागले, बम्बई इंजीनियर्स, जे मी-  
 ६५९३ जमा० करम सिंह, पॅराशूट रेजिमेंट,  
 जे मी-२६६८ जमा० दिगम बहादुर गल्या,  
 ५ गोरखा राइ०, जे मी-५४३१ जमा०  
 बलबीर राणा, ५ गोरखा राइ०, जे सी  
 २०१९ जमा० जय सिंह, आर्मी सर्विस कोर  
 (एम टी); जे मी-३०३० जमा० नन्द लाल,  
 आर्मी सर्विस कोर (एम टी); जे सी-३०२७  
 जमा० सिव चन्द, आर्मी सर्विस कोर (एम  
 टी); जे सी-४४२८६ जमा० एस० के०  
 जैरिफ, आर्मी मेडिकल कोर; जे सी-५२४१९  
 जमा० हल्लेक सिंह, आर्मी मेडिकल कोर;  
 जे सी-३४४१ जमा० शिव देव सिंह, कोर आफ  
 इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स ।

#### अवैतनिक जमादार

१०१८४१८ दफेदार कृष्णजी सावत,  
 ६१ कैवलरी; ११५६१५५ हब० सीता राम  
 आटिलरी; २३३२१८६ हब० जसवंत सिंह  
 आटिलरी; ११०७०६५ हब० ईशर सिंह  
 आटिलरी; २७४४८३२ हब० महाद्व सलुक,  
 आई डी एस एम, मद्रास इंजीनियर्स;  
 १३१६२११ हब० वीररागावेलु, मद्रास इंजी-  
 नियर्स; १३१६२०९ हब० शोक बहादुर,  
 मद्रास इंजीनियर्स; १५१२९७२ हब० येमाजी  
 मणे, बम्बई इंजीनियर्स; १५१२९७३ हब०  
 जेल सिंह, बम्बई इंजीनियर्स, ६२७४७७३  
 मी ब्यू एम एफ सिविलराम नायर, कोर आफ  
 सिग्नल, ६२७४८१८० सी एफ एम नरजन  
 सिंह, कोर आफ सिग्नल; ६२७४९५२ सी  
 एफ एम प्रेम सिंह, कोर आफ सिग्नल;  
 ६२७४९९७ आर ब्यू एम एच सत राम, कोर  
 आफ सिग्नल; १३६००१०७ बी ओ एम  
 एच गोविन्द भोसले, पॅराशूट रेजी०;  
 २४३१४८२ हब० करोडी राम, पञ्जाब रेजी०  
 ३३३१८९६ हब० मुजन सिंह, पञ्जाब रेजी०;  
 २९१५४४७ हब० अनन्त सिंह, प्रिन्ने०;  
 २९११९०५ हब० छोटे, राजपूत रेजीमेंट;  
 २९३१०७१ हब० राम सरूप राम, आई डी  
 एस एम, राजपूत रेजी०; ३३४७०२७ हब०  
 गुरमित सिंह, सिख रेजी०; ३३३४२५५  
 हब० भजन सिंह, सिख रेजी०; ४४४४८८९  
 हब० दान सिंह, कुमायू रेजी०; ५३३११९५  
 हब० दीवान सिंह, थापा, आई डी एम एम,  
 आगाम रेजी०; ९०१५१२० हब० कर्नल  
 सिंह, माहर मशीनगन रेजी०, ९३०९२२२  
 हब० करतार सिंह, माहर मशीनगन रेजी०,  
 ५२३४८१२ हब० हलक बहादुर गुला, ३  
 गोरखा राइ०; ५३३०९५९ हब० रमन सिंह  
 थापा, ४ गोरखा राइफल्स; १३७१११६०  
 हब० मोतीराम, जम्मू-कश्मीर इन्फेन्ट्री,  
 ६७६२२१३ हब० के० डी० अल्पम, आर्मी  
 मेडिकल कोर; ६८४५९९३ हब० तारा सिंह,  
 आर्मी आडिनेस कोर; ६८४५२८० हब०  
 महावीर सिंह, आर्मी आडिनेस कोर;  
 ३३३१४७७ हब० मेहर सिंह, आर्मी एन्-  
 केसाकोर; ९५५००४६ सी० एच० एम०  
 जोगिन्दर सिंह, आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग  
 कोर ।

नरकता; श्री नरद वग्न गहना, मुग्धा-  
ध्यापक, पी० पी० इन्स्टिट्यूशन, मगधारा;  
श्रीधारी प्रमद विश्वाम, कृष्णाथ कालेज स्कूल,  
बरहमपुर; श्री अजित चन्द्र वॉन, दुर्गादेवी  
रोनवम्पु प्राइमरी स्कूल, मान्दा, श्री ज्योतिग-  
चन्द्र विश्वाम, प्राइमरी स्कूल, जीतपुर; और  
श्री रवि लॉनन राजन, मुद्दुधाध्यापक, प्राइ-  
मरी स्कूल, वडपुर।

केन्द्रशासित क्षेत्र डा० कृष्णदत्त भार-  
दान, माडर्न हायर सेकेण्डरी स्कूल, नयी  
दिल्ली; और श्री बंजम गुरमानी सिंह, मुद्दुधा-  
ध्यापक, वावागवाी वावाज एल० पी० स्कूल,  
वावागवाी, मणिपुर।

### प्रसिद्ध भारतीय सर्वभाषा कवि सभा

गणराज्य दिवस समारोह के उपलक्ष्य में  
नयी दिल्ली के ब्राउन्कास्टिंग हाउस में २५  
जनवरी, १९६० को अखिल भारतीय सर्व-  
भाषा कवि सभा हुई। इन कवि सभा में भाग  
लेने वाले विभिन्न कवियों के नाम इस प्रकार  
हैं—

- महत्तः श्री महान्दिग नाम्नी,
- अममिया: श्री आनन्द चन्द्र बरुआ;
- उडिया: श्री वैकुण्ठनाथ पट्टनायक;
- उर्दू: डा० मोहिन अहमद जजवी;
- कन्नड: श्री वी० मोतारमैया,
- कन्नड़ी: श्री मुलाम नवी 'फिराक',
- गुजराती: डा० कृष्ण लाल श्रीधाराणी,
- तामिल: श्रीमती तन्ममल भारती,
- तेलगू: श्री अनुमत् शास्त्री;
- पंजाबी: श्री एन० एम० देवद,
- बंगला: श्री अजित दत्त;
- मराठी: श्री ना० घ० देववाडे,
- मलयालम: श्री विजयलक्ष्मि श्रीवर  
मेनन,

हिन्दी: श्री सुमित्रा नदन पत, और  
श्री केदारनाथ मिश्र 'प्रभात'

चिठ्ठे चार वर्षों में आकाशवाणी इस कवि  
सभा का आयोजन कर रही है। इस अवसर पर  
भारत के सर्विधान में गिनती गई सभी भारतीय  
भाषाओं के प्रमुख कवि एक मंच पर एकत्रित  
होकर अपनी-अपनी कविताओं का पाठ करते  
हैं। यह कवि सभा भारत की विशालता,  
भिन्नता, एकता और नई उमगी की प्रतीक है।

### गणराज्य दिवस की सांस्कृतिक भाँकियों पर पुरस्कार

गणराज्य दिवस की परेड में मध्य प्रदेश  
की शाकी मर्वॉनम ठहराई गयी है। यह  
चुनाव उस निर्भाषिक मण्डल ने किया है, जो  
इस आगय के लिए स्वाम तोर पर निर्भृत  
किया गया था। इस शाकी में ग्रामीण जीवन  
का गजीव चित्रण किया गया था, जिस में  
चावल की फणल की कटाई दिव्यायी गयी थी।  
एक और ती एक किमान धान की पूलियाँ  
बना-बना कर बेलगाड़ी में लद रहा था और  
दूमरी और ऊँचे मचान पर कुछ अरिती बँठी  
खेत की रखावली कर रही थी।

आवान, निर्माण और प्रति मन्त्रालय के  
उद्यान विभाग की शाकी दूसरे नम्बर पर  
रखी गयी है। इसमें रंग-विशंग फूलों का बना  
एक रथ दिवाया गया था। इसमें प्राचीन  
परम्परानुसार रथ के भुज और तुर्जी बड़े  
आकर्षक थे, जिन पर बड़े कलात्मक ढग में  
बनाए गए फूलों के इन्द्र-धनुज की छटा दिवायी  
गयी थी।

मन्दिरों, मन्दिर्वादी और गिर्जाघरों के प्रदेश  
केरल के सामाजिक और धार्मिक मेले तयट्टम  
का मान्कृतिक स्वरूप प्रस्तुत करने वाली  
केरल की शाकी को तीमरा स्थान दिया गया  
है।

इस निर्माणिक मण्डल में ये ध्यक्ति शामिल  
थे—शरम वीरुजी के श्री के शकर पिल्ले,  
दिल्ली पालीटेक्नीक के कला विभाग के अध्यक्ष,  
श्री वी० सान्याल और स्टेट्समैन के डा०  
चाल्स फावरी।

### २६ जनवरी को समापन-समारोह

शुक्रवार, २९ जनवरी को सूर्यास्त के समय  
नयी दिल्ली के विजय चौक में गणराज्य  
दिवस समारोह का अन्तिम समारोह—  
'वॉटिंग रिट्टीट' हुआ। इनमें स्थल, नी और  
वायुसेना के १२ बँडों और विगल बजाने वालों  
ने भाग लिया। इस अवसर पर रस-विशंगी  
पोसाकों में ड्रम और तुहरी बजाने हुए और  
संगीत की मधुर ध्वनि पर परेड करते हुए  
बँड वालों ने बडा मनमोहक दृश्य प्रस्तुत  
किया।

जिन जमाने में सूर्यास्त था उसके फोरन  
बाद युद्ध बन्द कर दिया जाता था,

उगी जमाने में विगल बजाकर नैनिकों, वॉ  
लडाई बन्द करने और हथियारों को म्यान  
में रखने का संकेत दिया जाता था।  
'वॉटिंग रिट्टीट' की यह नैनिक प्रथा उगी  
जमाने की है। आजकल इस समारोह का यहीं  
उद्देश्य है कि इससे यह घोषणा की जाती है  
कि गणराज्य दिवस समारोह समाप्त हो गया  
है और इस अवसर पर शंभे नीचे कर लिये  
जाते हैं।

इस अवसर पर राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री  
भी उपस्थित थे।

### सैनिकों के लिए छः नये पदक

२६ जनवरी के भारत सरकार के सूचना-  
पत्र में सेनाओं के लिए छ नए पदक  
और वर्तमान जनरल नविस मेडल (पदक)  
के साथ पहनने के लिए एक नये फीते की दुह-  
आत की घोषणा की गयी है।

ये पदक (१) मैन्स मेवा, (२) विदेश  
मेवा, (३) मेना, (४) नीमेना, (५)  
वायुसेना और (६) विविष्ट मेवा के लिए  
दिये जायेंगे। 'नागा हिल्स' में अवित फीला  
१९४७ के जनरल नविस मेडल के साथ पहना  
जायगा।

भारत की सेनाओं ने जम्मू-कश्मीर, नागा  
पहाडियों और उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण  
के दुर्गम स्थानों और अनाहत्य जलवायु में बडा  
पराक्रम दिवाया है। इसी प्रकार उन्होंने  
मयुक्त राष्ट्र सभ के अनुरोध पर विदेशों में  
जाकर भी बहुत न काम किये हैं। जिम्मेदारी  
और वीरता के इस तरह के अमावागण कार्यों  
के लिए नैनिकों का पुरस्कन करना अर्भाष्ट  
था और ये पदक और फीते १५ अगस्त, १९६०  
से अब तक और आगे की सेनाओं के लिए दिए  
जायेंगे।

विदेश मेवा पदक भाग में बाहर की  
सेनाओं के लिए दिया जायगा। इनके नीचे  
एक फीते पर उस स्थान का नाम होगा, जहा  
नैनिक ने मेवा की। यदि दुगरे स्थान पर उगी  
नैनिक ने फिर उगी पदक के संय मेवा की  
होगी, तो दूसरी बार या अगरी बार उगे फीते  
हो सिकेंगे पदक नहीं।

मेना नीमेना और वायुसेना पदक इन  
सेनाओं के हथ धर्मों के निर्माता या अचरक बः

## शिक्षकों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

२५ जनवरी, १९६० को नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में एक विशेष समारोह हुआ, जिसमें राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने देश के राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों के माध्यमिक तथा आरम्भिक स्कूलों के ७१ शिक्षकों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिये।

केन्द्रीय सरकार ने शिक्षकों की उत्कृष्ट सेवाओं की कदर करने और समाज में उनका गम्मान बढ़ाने के लिए पिछले साल से राष्ट्रीय पुरस्कार देना शुरू किया है। प्रत्येक पुरस्कृत शिक्षक को ५०० रु० नकद और योग्यता का प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

पुरस्कृत शिक्षकों के नाम इस प्रकार हैं—  
आंध्र प्रदेश श्री सी० ए० चारी, विवेक-वर्धनी हाई स्कूल, हैदराबाद, श्री ए० मल्लिकार्जुनिय्या, मुख्याध्यापक, बोर्ड ऑफ सीनियर बैंगिक स्कूल, चिन्नाचेरुकर, श्री के० वाई० मुन्नहम्मद, मुख्याध्यापक, म्मिनिसिपल हायर एलिमेंटरी स्कूल, तिरुपति, श्री दाविद अनन्त जगन्नाथराय, मुख्याध्यापक, कोर्ड एलिमेंटरी स्कूल, जालपुर, और श्री एम० खैर्या, बोर्ड एलिमेंटरी स्कूल, नदीकोटकुर।

आसाम श्री हरेन्द्र नाथ शर्मा, मुख्याध्यापक, पनचारकुची विद्यापीठ, पलवार-कुची, श्री प्राणेश्वर शर्मा, मुख्याध्यापक, रोहिदा हाई स्कूल, रोहिमा, श्री प्रभात चन्द्र चौबरी, लोटासोल एल० पी० स्कूल, मुवा-हाटो, और श्री गिबनाथ मैकिया, मुख्याध्यापक, टाउन माटल जूनियर बैंगिक स्कूल, गोलापाट।

बिहार श्री रामानुज नारायण शर्मा, मुख्याध्यापक, एम० एम० हाई स्कूल, सिम-डेगा, श्री सिगुर कुमार, मुख्याध्यापक, एम० एल० अशारमी, केहरिया सराय, श्री नरत कियोर शा, मुख्याध्यापक, टी० एन० बी० कानिजियेट स्कूल, भागलपुर; श्री बाबू राम पाठर, मुख्याध्यापक, टी० ए० वी० हाई स्कूल, मिवाय; श्री ईश्वर दयाल पाठर, मुख्याध्यापक, प्रिन्टिंग अपर प्राइमरी स्कूल, दुमराय; श्री गण चन्द्र मिहा, बोर्ड मिडल स्कूल, भवतारपुर; श्री लीननाथ सिंह,

मुख्याध्यापक, म्मूनिपल मिडल स्कूल, बंकापुर; और श्री जगन्नाथ प्रसाद, हिन्दी मिडल स्कूल, कोहाराडगा।

बम्बई श्री ईश्वरभाई जंठाभाई पटेल, मुख्याध्यापक, डी० एन० हाई स्कूल, आनन्द; श्री मदाशिव चिन्तामण वालिंबे, मुख्याध्यापक, अमेरिकन मिरान गर्ल्स हाई स्कूल, अहमदनगर, डा० जी० एम० खैर, मुख्याध्यापक, महाराष्ट्र विद्यालय, पूना; श्री चन्द्रवदन चुनीलाल गाह, प्रिंसिपल, जीवन भारती, भूतार; श्री मो० के० दांबोलकर, विलसन हाई स्कूल, गिरगाव, बम्बई; श्री महादेव कोदिवा घातगे, कोरेगाव प्राइमरी स्कूल, बटार, श्रीमती अमृतबेन कल्याणजी पाडया, मुख्याध्यापिका, तालुका गर्ल्स स्कूल, जामनगर; श्री सदाशिव सीताराम भूटे, मुख्याध्यापक, गवर्नमेंट गोनियर वनिक स्कूल, पीतार, श्री बी० एन० नायक, मुख्याध्यापक, डी० एस० वी० स्कूल, वजीपुरा, और श्री जी० के० रावत, डी० एस० वी० स्कूल, वाल्की (बम्बई)।

जम्मू-कश्मीर श्री हुसैन अली अन्सारी, मुख्याध्यापक, टी० चर्च ड्रेनिंग स्कूल, सोपुर, और श्री गौरीशंकर, बैंगिक स्कूल, जम्मू त 1।

केरल डा० सी० टी० कोट्टाराम, मुख्याध्यापक, सेंट थामस हायर सेकेंडरी स्कूल, एलाई; श्री सी० जे० चैरिया, एम० टी० एम० हाई स्कूल, कोट्टायम; और श्री कृष्ण नायर, मुख्याध्यापक, गवर्नमेंट बैंगिक एण्ड अपर प्राइमरी स्कूल, कोनगाड।

मध्य प्रदेश श्री वासुदेव शर्मा, मुख्याध्यापक, हाई स्कूल, वदनावर; श्री श्याम विहारी वर्मा, मुख्याध्यापक, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, डिंडोरी; श्री महादेव प्रसाद शर्मास्तव, हाई स्कूल, लखर; श्री गिब प्रसाद शर्मास्तव, मुख्याध्यापक, गवर्नमेंट सीनियर बैंगिक ट्रेनिंग स्कूल, डामडा; श्री नीलकण्ठ नायक, मुख्याध्यापक, मराठी प्राइमरी स्कूल, इन्दौर; और श्रीमती लक्ष्मी बेटो बाई श्रीवास्तव, मुख्याध्यापिका, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, धतिया।

मद्रास श्री एन० चिन्नात्सामी नायडू, मुख्याध्यापक, मणि हाई स्कूल, कोयमुटुर; श्री एन० बंकाटवलम, मुख्याध्यापक, पी०

एम० एम० गोनियर बैंगिक स्कूल, कुलसेका-रापतनम; श्री वी० पणिकावन्नम, कारपो-रेशन हायर एलिमेंटरी स्कूल, गंगाशंकरम्, मद्रास; और श्री ए० अन्बालवानन, मुख्याध्यापक, बोर्ड बैंगिक स्कूल, वरकलपट्टूर।

मंसूर : श्री वी० टी० पोर्टार, मुख्याध्यापक, दूरगाड हाई स्कूल, हीनारानी; श्री एन० एस० मिर्मी, मुख्याध्यापक, कन्नडाबायन स्कूल, कडवान; और श्री पुट्टशर्माया, मुख्याध्यापक, गवर्नमेंट मिडल स्कूल, मिलनाहली।

उड़ीसा श्री दिव्य सिन्हा पट्टानाथक, बल्ली जगन्नु विद्याघर हाई स्कूल, लुई; श्री लिंगराज पंडा, मुख्याध्यापक, काराबाला अपर प्राइमरी स्कूल, गजाम; और श्री अर्जुन बिसवाल, मुख्याध्यापक, हेमागुप्ताडा अपर प्राइमरी स्कूल, बंकाजल।

पंजाब कुमारी कामिनी वी० घोष, मुख्याध्यापिका, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फार गर्ल्स, जालंधर बाहर; श्री ईशरदास मंत्री, मुख्याध्यापक, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, पठानकोट; श्री शानू राम, एम० बी० टी०चर, गवर्नमेंट मिडल स्कूल, तरोरी, और श्री मुरजिम सिंह, मुख्याध्यापक, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, धोरेवाह।

राजस्थान श्री डी० एम० जैन, मुख्याध्यापक, गवर्नमेंट एम० पी० हायर सेकेंडरी स्कूल, अजमेर; और श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी, आदर्श प्राइमरी स्कूल, श्री माधोपुर।

उत्तरप्रदेश श्री पी० सी० जोशी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, नन्दीहाल; श्री प्रेम सिंह, प्रिंसिपल, गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल, कानपुर; श्री हरिहर पांडे, जे० पी० मेहता म्मूनिपल हायर सेकेंडरी स्कूल, वाराणसी, श्री वी० एस० भटनागर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, इलाहाबाद; श्रीमती ताए लता सिंह, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फार गर्ल्स, फतेहगढ़; श्री विद्या गंगाल मायूर, स्काउट मास्टर और फिजिकल इंस्ट्रक्टर, अन्तरिम जिला परिषद, अलीगढ़; श्री गिनुपाल सिंह 'श्याम', प्राइमरी स्कूल, जूरी, श्री मधुरा सिंह, जूनियर बैंगिक स्कूल, रौनमर कोठी; और श्री अत्तार सिंह, गोनियर बैंगिक स्कूल, देहरादून।

प० बंगाल : श्री ज्योतिविकाय मिश्र, मुख्याध्यापक, गोलेश्वर मन्कार विद्यालय,

रुद्रकता; श्री नारद उग्र गहना, मुग्धा-  
ध्याक, पी० पी० इन्स्टिट्यूशन, गजपारा;  
श्री गीरी प्रबल विद्यालय, कुप्नाथ बाण्डेज स्कूल,  
बहमपुर, श्री अजित चन्द्र बॉस, दुर्गादेवी  
दीनकण्डु प्राइमरी स्कूल, मान्डा; श्री ज्योतिषा-  
चन्द्र विरानाम, प्राइमरी स्कूल, जालपुर; और  
श्री रवि लॉकन राजन, मुह्याध्यापक, प्राइ-  
मरी स्कूल, बडपुर।

केन्द्रसहित क्षेत्र. डा० कृष्णदत्त भार-  
दाज, माडन हायर सेकेडरी स्कूल, नजी  
दिल्ली; और श्री बंजम गुरमानी निह, मुह्या-  
ध्यापक, बाबागयी बायज एल० पी० स्कूल,  
बाबागयी, मणिपुर।

### प्रसिद्ध भारतीय सर्वभाषा कवि सभा

गणराज्य दिवस समारोह के उपलक्ष्य में  
नजी दिल्ली के ब्राडकास्टिंग हाउस में २५  
जनवरी, १९६० को अखिल भारतीय सर्व-  
भाषा कवि सभा हुई। इस कवि सभा में भाग  
लेने वाले विभिन्न कवियों के नाम इस प्रकार  
हैं:—

मस्कृत: श्री महाश्विना पाण्डे,  
अभिमिया. श्री आनन्द चन्द्र बहशा;  
उड़िया: श्री बंजुप्रनाथ पट्टनायक;  
उर्दू: डा० मोहंन अहमद अजवी;  
कन्नड़: श्री बी० मोतारमैया,  
कश्मीरी: श्री गुलाम नवी 'फिराक',  
गुजराती डा० कृष्ण लाल शंकररायो,  
नामक श्रीमती तदाम्मल भार्गवी,  
तेलगू श्री अनुमत् शास्त्री,  
पंजाबी श्री एन० एन० देवत,  
बंगला श्री अजित दत्त,  
मराठी. श्री ना० च० देगडाडे,  
मलयालम श्री विन्दापिण्डिक शंकर  
मेनन;

हिन्दी श्री मुमिता नदन पत, और  
श्री केदारनाथ मिश्र 'प्रभात'

पिछले चार वर्षों में आकाशवाणी इस कवि  
सभा का आयोजन कर रही है। इस अवसर पर  
भारत के मखियात म निताई गई सभी भारतीय  
भाषाओं के प्रमुख कवि एक मंच पर एकत्रित  
होकर अपनी-अपनी कविताओं का पाठ करते  
हैं। यह कवि सभा भारत की विद्यालता,  
भिमता, एना और नई उमगी की प्रतीक है।

भारतीय समाचार

### गणराज्य दिवस की सांस्कृतिक भाँकियों पर पुरस्कार

गणराज्य दिवस की परेड में मध्य प्रदेश  
की झाँकी मर्वॉनम ठहराई गयी है। यह  
चुनाव उस निर्णायक मण्डल ने किया है, जो  
इस आगम के लिए खाम तौर पर नियुक्त  
किया गया था। इस झाँकी में ग्रामीण जीवन  
का गजीव चित्रण किया गया था, जिस में  
चावड की फल की कटाई दिखायी गयी थी।  
एक ओर तो एक किमान धान की पूलियां  
बना-बना कर बेलगाड़ी में लाद रहा था और  
दूसरी ओर ऊँच मचाप पर कुछ ओरतें बेंदी  
मेन की खवाली कर रही थीं।

आवाज, निर्माण और पूर्ति मन्त्रालय के  
उच्चान विभाग की झाँकी दूसरे नम्बर पर  
रखी गयी है। इसमें रंग-बिरंगे फूलों का बना  
एक रथ दिखाया गया था। इसमें प्राचीन  
परम्परानुसार रथ के मुञ्ज और दुर्गी बड़े  
आकर्षक थे, जिन पर बड़े कलात्मक ढग में  
बनाए गए फूलों के इन्द्र-धनुज की छटा दिखायी  
गयी थी।

मन्दिरों, मस्जिदों और गिर्जाघरों के प्रदेश  
केरल के सामाजिक और धार्मिक मेले तपट्टम  
का सांस्कृतिक स्वरूप प्रस्तुत करने वाली  
केरल की झाँकी को तीमरा स्थान दिया गया  
है।

इस निर्णायक मण्डल में ये व्यक्ति शामिल  
थे—अक्रम चौकडी के थो के चकर पिल्ले,  
दिल्ली पार्सीटैगनीक के कला विभाग के अध्यक्ष,  
श्री बी० मान्याल और स्टेट्समैन के डा०  
चाल्स फाबरी।

### २६ जनवरी की समापन-समारोह

शुक्रवार, २९ जनवरी को मूपल्ल के ममय  
नजी दिल्ली के विजय चौक में गणराज्य  
दिवस समारोह का अन्तिम समारोह—  
'वॉटिंग रिट्रीट' हुआ। इसमें स्थल, तो और  
वायुसेना के १० बेंडों और बिगुल बजाने वालों  
ने भाग लिया। इस अवसर पर रंग-बिरंगी  
पोसाकों में ड्रम और तुड्डी बजाते हुए और  
सगीत की मधुप ध्वनि पर परेड करते हुए  
बैंड वालों ने बडा मनमोहक दृश्य प्रस्तुत  
किया।

जिन जमाने में सूर्यास्त था उसके फॉरन  
बाद मुद्र बन्द कर दिया जाता था,

उगी जमाने में बिगुल बजाकर मैडिजे को  
लडाई बन्द करने और हजियारों को स्थान  
में रखने का संकेत दिया जाता था।  
'वॉटिंग रिट्रीट' की यह सैनिक प्रथा उगी  
जमाने की है। आजकल उस समारोह का यही  
उद्देश्य है कि इससे यह घोषणा की जाती है  
कि गणराज्य दिवस समारोह समाप्त हो गया  
है और इस अवसर पर झंडे नीचे कर लिये  
जाते हैं।

इस अवसर पर राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री  
भी उपस्थित थे।

### सैनिकों के लिए छः नये पदक

२६ जनवरी के भारत सरकार के सूचना-  
पत्र में सेनाओं के लिए छ नए पदक  
और वर्तमान जनरल सर्विम मेडल (पदक)  
के साथ पहनने के लिए एक नये फीते की मुद्र-  
आत की घोषणा की गयी है।

ये पदक (१) मॅन्च मेवा, (२) विदेम  
मेवा, (३) मेना, (४) नोमेना, (५)  
वायुसेना और (६) विमिष्ट मेवा के लिए  
दिये जाएंगे। 'नागा हिल्स' में अतिव फीता  
१९४७ के जनरल सर्विम मेडल के साथ पहना  
जाएगा।

भारत की मेनाओं ने जम्मु-कश्मीर, नागा  
पहाडियों और उत्तर-पूर्वी सीमागत अभिकरण  
के दुर्गम स्थानों और अगहय जलवायु में बडा  
परकम दियाया है। इसी प्रकार उन्होंने  
मयुक्त राष्ट्र सघ के अनुरोध पर विदेशों में  
जाकर भी बहुत मे काम किये हैं। जिम्मेदारी  
और वीरता के इस तरह के अभावपूर्ण कार्यों  
के लिए सैनिकों को पुरस्कान करना अभीष्ट  
था और ये पदक और फीते १५ अगस्त, १९६०  
में अब तक और आगे की मेनाओं के लिए दिए  
जाएंगे।

विदेम मेवा पदक भारत में बाहर की  
मेवाओं के लिए दिया जाएगा। इसके नीचे  
एक फीते पर उस स्थल का नाम होगा, जहा  
सैनिक ने मेवा की। यदि दुनरे स्थान पर उनी  
सैनिक ने फिर उनी पदक के योग्य सेवा की  
होगी, तो दूसरी बार या अगरी बार उने फीते  
ही सिन्धेने पदक नहीं।

मेना, नोमेना और वायुसेना पदक, इन  
मेनाओं के हर धेने के निरिदी

## शिक्षकों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

२५ जनवरी, १९६० को नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में एक विशेष समारोह हुआ, जिसमें राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने देश के राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों के माध्यमिक तथा आरम्भिक स्कूलों के ७१ शिक्षकों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिये।

केन्द्रीय सरकार ने शिक्षकों की उत्कृष्ट सेवाओं की कदर करने और समझ में उनका सम्मान बढ़ाने के लिए पिछले साल से राष्ट्रीय पुरस्कार देना शुरू किया है। प्रत्येक पुरस्कृत शिक्षक को ५०००० रु० नकद और योग्यता का प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

पुरस्कृत शिक्षकों के नाम इस प्रकार हैं—  
**आंध्र प्रदेश** श्री मी० ए० चारी, विवेक-वधिनी हाई स्कूल, हुंदराबाद, श्री ए० मल्ली-कार्जिनिया, मुस्थाध्यापक, बोंडं आर्क मीनियर गैमिक स्कूल, चित्ताचेत्कर, श्री के० बाई० मुन्ट्टम्पम, मुस्थाध्यापक, म्मिनिसिपल हायर एलिमेंटरी स्कूल, तिरुपति, श्री दाविह अनन्त जगन्नाथराव, मुस्थाध्यापक, बोंडं एलिमेंटरी स्कूल, जाय्मुह, और श्री एम० रुद्रैया, बोंडं एलिमेंटरी स्कूल, नदीकोटगुडर।

**आसाम** श्री हरेन्द्र नाथ शर्मा, मुस्थाध्यापक, पतनचरकुली विद्यापीठ, पतचर-कुञ्जी, श्री प्राणेश्वर शर्मा, मुस्थाध्यापक, रोंगिया हाई स्कूल, रोंगिया, श्री प्रभात चन्द्र चौधरी, लोटांगल एल० पी० स्कूल, गुका-हाटी; और श्री गिबनाथ भंजिया, मुस्थाध्यापक, टाउन माडल जूनियर गैमिक स्कूल, गोंलाघाट।

**बिहार** श्री रामानुज प्रहारायण वर्मा, मुस्थाध्यापक, एम० एम० हाई स्कूल, सिम-ढंगा, श्री त्रिगुण कुमारा, मुस्थाध्यापक, एम० एल० आराम्बी, केहरिया मराय, श्री नवल विशारो शा, मुस्थाध्यापक, टी० एल० बी० कालिचरित स्कूल, भागलपुर; श्री बाबू राम पाटा, मुस्थाध्यापक, टी० ए० पी० हाई स्कूल, गिबान; श्री ईश्वर दयाल पाटेय, मुस्थाध्यापक, प्रैक्टिसिंग अपर प्राइमरी स्कूल, दुमराय, श्री राम चन्द्र मिश्रा, बोंडं मिडल स्कूल, भगवानपुर, श्री मोरनाथ मिश्र, भारतीय समाचार

मुस्थाध्यापक, म्मिनिसिपल मिडल स्कूल, बंकापुर; और श्री जगन्नाथ प्रसाद, हिन्दी मिडल स्कूल, कोहारडवा।

**बम्बई**: श्री ईश्वरभाई जेठामाई पटेल, मुस्थाध्यापक, डी० एन० हाई स्कूल, आनन्द; श्री सदाशिव विन्तामण वालिबे, मुस्थाध्यापक, अमेरिकन मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, अहमदनगर; डा० जी० एस० खैर, मुस्थाध्यापक, महाराष्ट्र विद्यालय, पूना, श्री चन्द्रवदन चूनीलाल शाह, प्रिंसिपल, जीवन भारती, सूरत; श्री सी० के० शखोलकर, विलसन हाई स्कूल, गिरगाव, बम्बई; श्री महादेव कोंदिवा घातंगे, कोरगाव प्राइमरी स्कूल, वठार, श्रीमती अमृतवती कल्याणजी पाड्या, मुस्थाध्यापिका, तालुका गर्ल्स स्कूल, जाम-नगर; श्री सदाशिव सीताराम भूटे, मुस्थाध्यापक, गवर्नमेंट मीनियर बसिक स्कूल, पीनार, श्री बी० एन० नायक, मुस्थाध्यापक, डी० एम० बी० स्कूल, वजीपुरा, और श्री जी० के० रावत, टी० एस० बी० स्कूल, वाल्की (बम्बई)।

**जम्मू-काश्मीर**: श्री हुसैन अली अन्वारी, मुस्थाध्यापक, टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल, सोपुर, और श्री गीरीशकर, बसिक स्कूल, जम्मू टी०।

**केरल**: डा० मो० टी० कोट्टाराम, मुस्थाध्यापक, सेट थामस हायर सेकेडरी स्कूल, पलाई; श्री मी० जे० चैरिया, एम० टी० एम० हाई स्कूल, कोट्टायम; और श्री कृष्णन नायर, मुस्थाध्यापक, गवर्नमेंट बसिक एडु अपर प्राइमरी स्कूल, कोनगाड।

**मध्य प्रदेश**: श्री बामुदेव शर्मा, मुस्थाध्यापक, हाई स्कूल, वदनावर; श्री श्याम बिहारी वर्मा, मुस्थाध्यापक, गवर्नमेंट हायर सेकेडरी स्कूल, डिंडोरी; श्री महादेव प्रसाद श्रीवास्तव, हाई स्कूल, लखनूर; श्री गिब प्रसाद स्वर्णकार, मुस्थाध्यापक, गवर्नमेंट मीनियर बसिक ट्रेनिंग स्कूल, डामडा; श्री नीलकंठ नायक, मुस्थाध्यापक, मराठी प्राइमरी स्कूल, इन्दौर; और श्रीमती डाकुर् नेटो बाई श्रीवास्तव, मुस्थाध्यापिका, गवर्न प्राइमरी स्कूल, दतिया।

**मद्रास**: श्री एन० विन्नात्तवामी नायडू, मुस्थाध्यापक, मनि हाई स्कूल, कोयमटूर, श्री एन० बंकाचन्द्रम, मुस्थाध्यापक, पी०

एम० एम० मीनियर बसिक स्कूल, कुलसेक रापतनम; श्री बी० मणिकावसगम्, काए रेगन हायर एलिमेंटरी स्कूल, गंधाेश्वर मद्रास; और श्री ए० अम्बालवानन, मुस्थाध्यापक, बोंडं बसिक स्कूल, वरकलपट्टु।

**मंसूर**: श्री बी० टी० गेंट्टार, मुस्थाध्यापक, दूरगड हाई स्कूल, होतगावी; श्री एन० एस० विम्पी, मुस्थाध्यापक, कन्नडव्यापक स्कूल, चडाचन; और श्री पुट्टशर्मया, मुस्थाध्यापक, गवर्नमेंट मिडल स्कूल, मिलनाहल्ली उडोसा। श्री दिव्य सिन्हा पटनायाक बस्ती जगन्धु विद्याधर हाई स्कूल, लुई, श्री लिंगराज पडा, मुस्थाध्यापक, कारावाला अपर प्राइमरी स्कूल, गजाम; और श्री अर्जुन विसवाल, मुस्थाध्यापक, हेमासुराशा अपर प्राइमरी स्कूल, बंकाणल।

**पंजाब** कुमारी कामिनी बी० पोप, मुस्थाध्यापिका, गवर्नमेंट हायर सेकेडरी स्कूल फार गर्ल्स, जालंधर शहर; श्री ईशरदास मैनी, मुस्थाध्यापक, गवर्नमेंट हायर सेकेडरी स्कूल, पठानकोट; श्री शानू राम, एस० बी० टीचर, गवर्नमेंट मिडल स्कूल, तरौरी; और श्री मुरजन मिह, मुस्थाध्यापक, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, घोरेवाह।

**राजस्थान** श्री डी० एम० जंन, मुस्थाध्यापक, गवर्नमेंट एम० पी० हायर सेकेडरी स्कूल, अजमेर; और श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी, आदर्श प्राइमरी स्कूल, श्री माधोपुर।

**उत्तरप्रदेश** श्री पी० मो० जोषी, गवर्नमेंट हायर सेकेडरी स्कूल, नैनीताल; श्री प्रेम सिंह, प्रिंसिपल, गुरु नानक हायर सेकेडरी स्कूल, कानपुर; श्री हरिहर पाडे, जे० पी० मेहता म्मिनिसिपल हायर सेकेडरी स्कूल, वाराणसी; श्री बी० एस० भटनागर, गवर्नमेंट हायर सेकेडरी स्कूल, इलाहाबाद; श्रीमती ताश लता सिंह, गवर्नमेंट हायर सेकेडरी स्कूल फार गर्ल्स, फतेहगढ़; श्री बिष्णु गंगाल माथुर, स्नाउट मास्टर और प्रिजिकल इंस्ट्रक्टर, अन्तरिम जिला परिषद, अलीगड; श्री गिदुपाल सिंह 'सिन्धु', प्राइमरी स्कूल, ऊरी; श्री मथुरा सिंह, जूनियर बसिक स्कूल, रौनपर कोठी; और श्री अत्तार सिंह, मीनियर बसिक स्कूल, देहरादून।

**प० बंगाल**: श्री ज्योतिविक्रम मिश्र, मुस्थाध्यापक, दक्षिण मयूरत विद्यालय,

नयी ग्राम सहकारिताएँ स्वीकी जानी हैं ।  
परिवहन के विकास के लिए ३ करोड़ ६०  
और उद्योगों के लिए २ करोड़ ६० रखा गया  
है । इन गाल पटना, रांची और आदित्यपुर  
में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होगा ।

## राजस्थान

राजस्थान सरकार और योजना आयोग  
के प्रतिनिधियों की बैठक में यह निश्चय  
किया गया कि राजस्थान को दूसरी पंचवर्षीय  
योजना के अंतर्गत, १९६०-६१ में वहाँ के  
विकास-नायों पर २८ करोड़ १० लाख ६०  
खर्च किया जाएगा ।

इसमें से ९ करोड़ ९० लाख ६० मिर्चाई  
और बिजली योजनाओं पर खर्च होगा । इसमें  
चम्बल योजना का ३ करोड़ ९० लाख ६०  
का खर्च भी शामिल है । ऊर्जा और महत्कारिता  
आदि पर ४ करोड़ १८ लाख ६० खर्च होगा ।  
राजस्थान सरकार ने राज्य में ६ लाख ७०  
हजार टन अधिक पदावार वधाने का लक्ष्य  
रखा है । जमीन सुधार कर और अधिक फसले  
को कर यह लक्ष्य पूरा किया जाएगा । सरकार  
इस साल १००-१०० एकड़ के ४१ बीज फार्म  
खोलने का लक्ष्य भी पूरा करेगी । अब तक  
३७ फार्म खोले जा चुके हैं ।

१९६०-६१ में गाँवों में १,७८५ सहकारी  
गमितिया खोलने और १,५०० गमितियों  
को पुनर्गठित करने का विचार है । इसके  
अलावा अधिक बड़ी सहकारी गमितिया,  
केन्द्रीय सहकारी बैंक, जमीन बंधक स्वकार  
रूप देने वाले बैंक, खतिया, ऋण देने की  
संस्थाएँ, अनाज की खरीद-बिक्री की गमि-  
तिया आदि भी खोली जाएगी ।

१९६०-६१ में सामुदायिक विकास पर  
२ करोड़ ६० और परिवहन पर २ करोड़ २९  
लाख ६० खर्च किया जाएगा । अजमेर क्षेत्र  
में और अधिक गड्ढे बनाई जाएगी । शिक्षा,  
स्वास्थ्य, मरान, पिछड़ी जातियों के हित,  
मजान कल्याण और मजदूरों के हित आदि  
मजान सेवाओं पर ७ करोड़ ३० लाख ६०  
खर्च किया जाएगा । राज्य सरकार ने हामर  
मैकेनिकी स्कूलों की समीक्षा करने और उनका  
स्तर उठाने के लिए सुझाव देने के हेतु एक  
गमिति नियुक्त की है । बीकानेर में इस साल  
एक पॉलिटेक्निक संस्था खोलने का विचार है ।

गाँवों में पानी पहुंचाने की योजना के अंत-  
र्गत, हरेक गाँव में गुए खोदे जाएंगे । स्वास्थ्य  
योजनाओं पर २ करोड़ ४० लाख ६० खर्च  
किया जाएगा । इसके अंतर्गत २६ आरम्भिक  
स्वास्थ्य केन्द्र और ४ तपेदिक के अस्पताल  
खोले जाएंगे ।

छोटे तथा ग्राम उद्योग और खानों के  
विकास पर १ करोड़ ५ लाख ६० खर्च किया  
जाएगा । इसमें से ८८ लाख ५८ हजार ६०  
छोटे और ग्राम उद्योगों पर खर्च होगा । इसके  
अंतर्गत गॉडियम सफ्टक निकालने के लिए  
डिब्बाना में आजमाइशी कारखाना खोला  
जाएगा । राजस्थान में अन्नक पीसने का एक  
कारखाना भी खोला जाएगा ।

दूसरी योजना में राजस्थान के लिए १ अरब  
५ करोड़ २७ लाख ६० रके गए हैं । इसमें से  
१९५६-५७ में १३ करोड़ ३० लाख ६० और  
१९५७-५८ में १५ करोड़ ३० लाख ६० खर्च  
किया गया । १९५८-५९ में २० करोड़ ६०  
(अनुमानित) खर्च हुआ और १९५९-६०  
में २४ करोड़ १० लाख ६० खर्च होने का  
अनुमान है ।

## केरल

केरल राज्य और योजना आयोग के  
प्रतिनिधियों की बैठक में यह निश्चय किया  
गया कि केरल की दूसरी पंचवर्षीय योजना  
के अंतर्गत, १९६०-६१ में वहाँ के विकास-  
कार्यों पर २१ करोड़ ६० खर्च किया जाए ।

इसमें से ८ करोड़ ६० मिर्चाई और बिजली  
योजनाओं पर खर्च होगा । इसमें काफी रकम  
पम्वा बिजली योजना के पहले दौर पर और  
पनियार बिजली योजना पर खर्च की जाएगी ।

१९६०-६१ में समाज सेवाओं पर ५ करोड़  
७० लाख ६० खर्च होगा । पालघाट में सर-  
कारी इजीनियरी कालेज खोला जाएगा ।  
केन्द्रीय सरकार फीलडोंग की रोकथाम के  
लिए १६ लाख ६० और परिवार आयोजन  
कार्यक्रम के लिए ५ लाख ६० की महायत्ना  
देगी । गाँवों में पानी देने और सफाई की  
११ योजनाओं पर २५ लाख ६० खर्च किया  
जाएगा और राहों में पानी तथा सफाई की  
भी ६ योजनाएँ चलाई जाएगी । कम आय  
वालों के लिए भवजन बनाने की योजना पर  
४५ लाख ६० और गदी बस्तियों की सफाई  
योजना पर १० लाख ६० खर्च किया जाएगा ।

१९६०-६१ में ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रमों  
पर २ करोड़ ६० लाख ६० खर्च किया जाएगा ।  
दूसरी योजना में २४ बीज फार्म बनाने का  
लक्ष्य है । इनमें से १० बीज फार्म बन  
चुके हैं और ६ चालू वित्तीय वर्ष में बनाए  
जाएंगे । बाकी ८ फार्म अगले साल बनाए  
जाएंगे । १९६०-६१ में ऊर्जा कालेज के लिए  
६६ एकड़ अतिरिक्त जमीन लेने का भी विचार  
है । सिचाई की छोटी योजनाओं की पूरी  
तैयारी हो चुकी है, इसलिए उन्हें चलाने के  
लिए ७० लाख ६० रके गए हैं । मछली-मालन  
पर भी २३ लाख ६० खर्च किया जाएगा ।  
भू-संरक्षण पर ६ लाख ८० हजार ६० खर्च  
किया जाएगा । उद्योगों के अंतर्गत टायर और  
द्रव्यफार्म बनाए जाएंगे तथा साबुन और  
प्लाईवुड के कारखानों में नये यंत्र लगाए  
जाएंगे । इस पर १ करोड़ ७० लाख ६० खर्च  
होगा ।

सामुदायिक विकास पर १ करोड़ २० लाख  
६० खर्च किया जाएगा । इसके अंतर्गत १९६०-  
६१ में १०० नयी ग्राम सहकारी गमितिया  
बनाई जाएगी और खरीद-बिक्री की गमि-  
तियों तथा बड़ी सहकारी गमितियों के लिए  
गोदाम बनाने के हेतु महायत्ना दी जाएगी ।  
मडक परिवहन और पर्यटन पर १ करोड़ ६०  
खर्च किया जाएगा । इसके अंतर्गत कोवालम  
में पर्यटक होटल बनाने को ऊंची प्राथमिकता  
दी जाएगी । यह स्थान केन्द्र की राजधानी,  
निम्नअन्तपुरम् के निकट समुद्र के तट पर है ।

## उड़ीसा

उड़ीसा राज्य और योजना आयोग के  
प्रतिनिधियों की बैठक में यह निश्चय किया  
गया कि उड़ीसा की दूसरी पंचवर्षीय योजना  
के अंतर्गत १९६०-६१ में वहाँ के विकास  
कार्यों पर २१ करोड़ ६० लाख ६० खर्च किया  
जाए ।

इसमें से ८ करोड़ ८२ लाख ६० मिर्चाई  
और बिजली योजनाओं पर खर्च होगा । इसमें  
अन्तर्गत हंगुडुग के हुनगे मण्ड और मुननें  
पर मिर्चाई की योजनाएँ चलाई जाएगी ।  
इसी साल हंगुडुग की बिजली की मन्दार  
का भी पूरा प्रबन्ध बन दिया जाएगा ।

१९६०-६१ में सामुदायिक विकास पर  
३ करोड़ ६० और ऊर्जा मन्त्री नामों पर १

सहकार विकास योजना के अधीन ५०० नई ग्राम सहकार समितियाँ मगठित करने का और ५०० मोजूदा समितियों को शक्तिशाली बनाने का कार्यक्रम है। १०० अतिरिक्त ऋण-यूनियन को और उनसे सम्बद्ध ५०० ग्राम सहकार समितियाँ तथा ५ भूमि बन्धक रखने वाले बैंक १९६०-६१ में मगठित किए जाएंगे।

वार्षिक योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए ३२० करोड़ रुपया निश्चित किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत २० सण्डों का पहले चरण के खण्डों में परिवर्तन किया जाएगा और २६ पूर्व विस्तार खण्ड खोलने का फैसला किया गया है।

१० करोड़ रुपया शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, समाज कल्याण, पिछड़े वर्गों के कल्याण, धर्म और धर्म कल्याण आदि सामाजिक सेवाओं के लिए निश्चित किया गया है। सामान्य शिक्षा के लिए ३.७६ करोड़ रुपया रखा गया है। इस योजना में शिक्षित बेरोजगारों की मदद और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का विस्तार भी सम्मिलित है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को इस तरह शुरू किया जाएगा कि अगली योजना के अन्त तक राज्य में सब बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था का लक्ष्य पूरा हो जाए।

स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत १९६०-६१ में २० प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की व्यवस्था है। गन्दी बस्ती सफाई योजना के अंतर्गत १,७९२ पक्के घर और ३,६४५ खुले विक्रमिष्ठ प्लाट बनाने की योजनाएँ राज्य सरकार पहले ही मजूर कर चुकी है तथा इस तरह की योजनाएँ अगले वर्ष आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

ग्राम आवास योजना पर अमल करने के लिए राज्य सरकार ने ग्राम आवास इकाई मगठित की हैं, जो मकानों के वास्ते ऋण देने के उद्देश्य में १०८ गावों का चुनाव कर चुकी हैं। दशार्द में ९६ गावों का सामाजिक-आर्थिक सर्वे और ६९ गावों का सामान्य सर्वे कर लिया है। १९६०-६१ में मगार कल्याण कार्यक्रम के अर्धान २० कल्याण विस्तार योजना-कार्य शुरू किए जाएंगे।

उद्योगों के लिए वार्षिक योजना में २.४६ करोड़ रुपया नियत किया गया है, जिसमें से २.४१ करोड़ रुपया और लघु उद्योगों पर

खर्च किया जाएगा। इस राशि में से १.०३ करोड़ रुपया हथकरघा उद्योग और १.३८ करोड़ रुपया लघु उद्योग के लिए है।

परिवहन के लिए १.३६ करोड़ रुपया नियत किया गया है। आशा है कि दूसरी योजना में सड़कों के विकास के लिए निर्धारित लक्ष्य पूरा हो जाएगा।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में मद्रास राज्य के लिए १५२३ करोड़ रुपया रखा गया था। १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ में क्रमशः लगभग २८४६ करोड़, ३०.२१ करोड़ रुपया और ३४.५० करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। १९५९-६० में अनुमान है ३७.५० करोड़ रुपया खर्च हुआ होगा। अतः सम्भावना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में विकास योजनाओं पर उस राशि से अधिक खर्च होगा, जितने की व्यवस्था आरम्भ में की गई थी।

## मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश की १९६०-६१ की वार्षिक योजना के लिए ३७ करोड़ रुपया मजूर किया गया है। योजना आयोग और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की एक बैठक में चालू वर्ष का कार्यक्रम तय किया गया।

इस वर्ष की योजना में सिंचाई और बिजली पर सबसे अधिक, १० करोड़ ८५ लाख रुपया खर्च किया जाएगा, जिसमें से चम्बल योजना के लिए ५॥ करोड़ रुपया निर्धारित है। बिजली योजनाओं के लिए ४ करोड़ रुपया की व्यवस्था है, जिसमें से १ करोड़ रुपया कोरवा से भिलाई को बिजली पहुँचाने पर खर्च किया जाएगा।

कृषि, सहकारिता, पचायत आदि के लिए ६ करोड़ ६३ लाख रुपया की व्यवस्था है जिसमें से २ करोड़ १० लाख रुपया सिंचाई की छोटी योजनाओं पर खर्च किये जाएंगे। इनके अतिरिक्त छोटे तालाबों और कुओं का निर्माण तथा मरम्मत, नलकूप खोदना, पप लगवाना आदि शामिल है।

हीराकुंड बांध से प्रभावित क्षेत्र में भू-संरक्षण की योजना इस वर्ष के कार्यक्रम में शामिल है। महकारी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ५०० नई महकारी समितियाँ बनाई जाएंगी और वर्तमान २,५०० समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा।

सामाजिक सेवाओं के लिए ९ करोड़ ६ लाख रुपया मजूर किया गया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पिछड़े वर्गों की भलाई, मजाल कल्याण, धर्म और धर्मिकों के भलाई के काम आदि शामिल हैं। इस राशि में से ३ करोड़ ६५ लाख रुपया शिक्षा पर और २ करोड़ ८८ लाख रुपया स्वास्थ्य पर खर्च किए जाएंगे।

सामुदायिक विकास के लिए ३ करोड़ २८ लाख रुपया, परिवहन के लिए १ करोड़ ८१ लाख रुपया, उद्योग तथा खनिज के लिए १ करोड़ ३९ लाख रुपया की व्यवस्था है, जिसमें से ९६ लाख रुपया छोटे और ग्राम उद्योगों पर खर्च किए जाएंगे। बड़े और मजाले उद्योगों के अतिरिक्त सूती और कताई मिल और पावर अल्कोहल डिस्टिलरी खोलने की व्यवस्था की गई है।

## बिहार

हाल ही में बिहार सरकार और योजना आयोग के प्रतिनिधियों की बैठक में यह निश्चय किया गया है कि १९६०-६१ में बिहार की वार्षिक योजना पर ४५ करोड़ ६० लाख रुपया खर्च किया जाएगा।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बिहार राज्य में १९० करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। आशा है, चौथे साल के अतः तक वहाँ १२५ करोड़ रुपया खर्च हो चुकेगा। सन् १९६०-६१ में सबसे ज्यादा—१३ करोड़ रुपया सिंचाई और बिजली के लिए रखा गया है। इसमें से १ करोड़ रुपया गण्डक योजना पर खर्च होगा। सामाजिक सेवाओं पर भी १३ करोड़ रुपया खर्च होगा। शिक्षा सर्वश्री कार्यक्रम पर ६ करोड़ ६० लाख रुपया खर्च किया जाएगा। शिल्प शिक्षा के अंतर्गत जमशेदपुर में इंजीनियरी कालेज और पूर्णिया तथा दरभंगा में एक-एक पॉलिटेक्निक खोला जाएगा।

खेती के लिए ८ करोड़ १० लाख रुपया निर्धारित हुआ है। छोटी सिंचाई योजनाओं पर १ करोड़ ६२ लाख रुपया खर्च किया जाएगा। इस कार्यक्रम की प्रगति बिहार में काफी सतीर-जनक रही है। बिहार पशु चिकित्सा कालेज, पटना में एम०एच०मो० का कोर्स शुरू करने के लिए २ लाख ४० हजार रुपया की व्यवस्था की गई है।

सामुदायिक विकास के लिए ६ करोड़ १० लाख रुपया निर्धारित हुआ है। इस साल ५००

आयोग ने नहीं किया है। पिछड़े वर्षों के व्यय के आधार पर १९६०-६१ के लिए खर्च की राशि नियत की गई है।

इस वर्ष की योजना में ७० लाख रु० मजदूरी-विकास और ५० लाख रु० समाज-सेवाओं के लिए नियत किया गया है। समाज-सेवाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और समाज-व्यवस्था के कार्यक्रम सम्मिलित हैं। ३० लाख रु० को केवल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए रखा गया है।

१३ लाख रु० सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए रखा गया है। १९५९-६० में ९ खण्ड खोलने की योजना है। इनमें से २ पूर्व विस्तार खण्ड, ५ प्रथम चरण के और २ दूसरे चरण के खण्ड होंगे। १९६०-६१ में २ और पूर्व-विस्तार खण्ड खोले जाएंगे।

इष्टि तथा तत्सम्बन्धी मदों के लिए १२ लाख रु० रखा गया है। कोहिमा जिले में एक बीज फार्म खोला जाएगा। इस तरह के और फार्म खोलने के बारे में प्रगतिमान वाद में निर्णय करेगा। चर्की घाटी में फूड की डिब्बाबन्दी करने का केन्द्र खोलने की भी योजना है। कोहिमा में मुजर-पालन तथा कुम्भुट पालन केन्द्र खोलने की व्यवस्था भी की गई है।

पानी की व्यवस्था के लिए वार्षिक योजना में ११ लाख रु० रखा गया है। चालू वर्ष में चार गहरों में बिजली लग जाने की उम्मीद है और १९६०-६१ में तीन और कस्बों में भी बिजली पड़वाने का प्रस्ताव है। इसके लिए डोजल वन प्राप्त हो चुके हैं और उन्हें लगाया जा रहा है।

ग्राम और लघु उद्योगों के लिए १ लाख रु० निश्चित किया गया है। इसके अन्तर्गत बुनकरों और छोटे औद्योगिक इकाइयों को कर्न देने की व्यवस्था है।

**रिजर्व बैंक के नये डिप्टी गवर्नर**  
वित्त मन्त्रालय के आर्थिक विभाग की २५ जनवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत सरकार ने वित्त मन्त्रालय के आर्थिक विभाग के विशेष सचिव, श्री एम० बी० रंगाचारी को पाच साल के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति की ०० जी०

अभ्येगावकर के स्थान पर की जा रही है, जो कि १ मार्च, १९६० से बैंक की नौकरी से अवकाश ग्रहण कर रहे हैं।

## देश के आर्थिक विकास में उत्पादन शुल्क का महत्व

देश में ३३ जिस्तों पर, विभिन्न दरों से, उत्पादन शुल्क पड़ता है। अनुमान है कि इससे चालू वित्त वर्ष में ३ अरब २६ करोड़ ७० लाख रु० की आय होगी। यह रुकम करो से होंने वाली कुल आय (७ अरब १३ करोड़ ५० लाख रु०) का ४६ प्रतिशत है। परन्तु सरकार इन करों को केवल आमदनी का ही साधन नहीं समझती, बल्कि यह इनके द्वारा छोटे उद्योगों की रक्षा करने का भी प्रयत्न करती है।

देश में उत्पादन शुल्क का इतिहास मुगल काल में आरम्भ होता है। उस समय नमक पर यह शुल्क लगाया गया था। ब्रिटिश शासन काल में सन् १८८२ में नमक पर नियमित रूप से उत्पादन शुल्क लगाया गया। इसके बाद युद्ध के फलस्वरूप आर्थिक स्थिति गिरने के कारण अन्य चीजों पर भी उत्पादन शुल्क लगाया गया।

इस समय देश में लगभग केवल १० लाख लोग ही आय कर देते हैं। इसके अलावा आयत पर प्रतिवृत्त होने से सीमा शुल्क की आय में भी काफी कमी हुई। परन्तु दूसरी ओर उद्योगों के बढ़ने से उत्पादन शुल्क की आय में काफी वृद्धि हुई है। तात्पर्य यह कि इस समय देश की विकास योजनाओं को चलाने के लिए उत्पादन शुल्क सरकार की आय का बड़ा स्रोत है।

**आर्थिक उन्नति का साधन**  
परन्तु उत्पादन शुल्क केवल आय बढ़ाने का ही जरिया नहीं है, यह देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति का भी साधन है।

यदि उत्पादन शुल्कों द्वारा हमारे घरेलू और छोटे उद्योगों को सहायता न दी जाती तो वे मिलों के सामने समाप्त हो गए होंगे। उत्पादन शुल्क की दरें यह देखकर निश्चित की जाती हैं कि किस धंधे को कितनी सहायता की आवश्यकता है और उसका उत्पादन कितना है। छोटे उद्योगों को कसती यह है कि उसमें मशीनों या बिजली का उपयोग होता

है या नहीं, कितने मजदूर लगे हैं, किम किसम का माल तैयार होता है आदि।

उदाहरण के लिए दियामलाई के बहुत छोटे या घरेलू कारखानों पर, जहाँ थोड़ा माल बनता है, सबसे कम शुल्क लगाया गया है। शुल्क की इन कम दरों के बल पर ही दियासलाई के छोटे कारखाने चल रहे हैं, अन्यथा वे कभी के खतम हो गए होते। इसी प्रकार अन्य उद्योगों के सामान पर भी कारखानों के आकार के हिसाब से शुल्क लगाया गया है। वनस्पति उद्योग के छोटे कारखानों पर भी उत्पादन शुल्क की दर बहुत कम है।

इस प्रकार बिजली इस्तेमाल करने या न करने पर भी उत्पादन शुल्क की दर निर्भर है। चीनी, कपड़ा, रयान, नकली रेशम और ऊन के जो कारखाने बिजली से नहीं चलते, उन पर उत्पादन शुल्क नहीं लगता। कपड़े की मिलों पर अधिक उत्पादन शुल्क लगाने के ही कारण आज हथकरघा उद्योग पतन रहा है। इसी प्रकार उत्पादन शुल्क की अधिकता के कारण मशीनों से बड़ी धानना महंगा पड़ता है, बजाय हाथ से बनाने के, क्योंकि घर पर यह शुल्क नहीं पड़ता। इसी वे देश में हाथ से बौद्धिया बनना बंद नहीं हुआ है और देश के हजारों मजदूरों को रोजी छिनने में बची है।

**मजदूरों की संस्था**  
उत्पादन शुल्क की दर निश्चित करने समय कारखानों के मजदूरों की नब्बया को भी ध्यान में रखा जाता है, ममलन, जूते बनाने के जिन कारखानों में ५० से कम या वैटरी बनाने के जिन कारखानों में ५ से कम मजदूर हैं, उन पर उत्पादन शुल्क नहीं लगता।

इसी तरह मूल, नकली रेशम और ऊन के जिन कारखानों में बिजली के ५ से कम वर्गपे हैं, उन पर उत्पादन शुल्क नहीं लगता। इनमें अधिक करपे वाले कारखानों पर करपों को मद्दया के अनुसार शुल्क बढना जाता है। छोटे कारखानों में बनने वाले साधुन पर भी शुल्क नहीं लगता। साट पर चीनी के मुगारदे कम शुल्क लगता है।

देश में खपत बढ़ाने का सही वन करने निर्णय बढाने के प्रयोजन में भी उत्पादन शुल्क लगाया जाता है। जैसे, १९५३ में चीनी का उत्पादन शुल्क बढा दिया गया था, ताकि देश में इसकी खपत बढे और निर्यात



करोड़ ९५ लाख २० खर्च किया जाएगा । उड़ीसा में बीज के ६८ फार्म बनाए जा चुके हैं और अगले साल ३२ नये फार्म बनाए जाएंगे । ११ नलकूप लगाए जा चुके हैं और अब बल-सौर, कटक तथा अन्य तटवर्ती जिलों में नल-कूप लगाए जाएंगे, क्वांफिक बहाई इसके अलावा निष्पाई करने का और कोई साधन नहीं है । व्यापारी फर्मों की पैदावार बढ़ाने के कार्य-क्रम के अन्तर्गत पटसन और कोकों की पैदा-वार की योजनाएँ चलाई जाएंगी । इसके अलावा अधिक मछली पैदा करने के केन्द्र भी खोले जाएँ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, समाज-कल्याण आदि समाजसेवाओं पर ५ करोड़ ५ लाख २० खर्च किया जाएगा, जिनमें से शिक्षा पर २ करोड़ २ लाख २० खर्च होगा । स्वास्थ्य कार्य-क्रमों के अन्तर्गत मार्च १९५९ तक ६२ आर-म्भिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए थे । चालू वर्ष में ५४ और १९६०-६१ में ५२ केन्द्र खोले जाएंगे । उद्योग और खानों के विकास पर ९८ लाख ९६ हजार २० खर्च किया जाएगा, जिसमें से छोटे तथा ग्राम-उद्योगों पर ९२ लाख ८९ हजार २० खर्च होगा । परिवहन पर ९४ लाख २० हजार २० खर्च किया जाएगा ।

दूसरी योजना में उड़ीसा के लिए ९९ करोड़ ९७ लाख २० रखा गया था, जिनमें से १९५९-६० तक लगभग ६९ करोड़ ८६ लाख २० खर्च हो जाएगा ।

### आसाम

हाल ही में आसाम सरकार और योजना आयोग के प्रतिनिधियों की बैठक में यह निश्चय किया गया है कि आसाम को १९६०-६१ की योजना पर १४ करोड़ ४० लाख २० खर्च किया जाएगा ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू में आसाम के लिए ५७ करोड़ ९० लाख ० निर्धारित किया गया था । इसमें से बाद में १ करोड़ ९० लाख २० नागा पहाड़ी क्षेत्र के लिए निर्धारित कर दिया गया । योजना के पहले चार वर्षों में आसाम में ३९ करोड़ २० खर्च हो चुकेंगे ।

मनु १९६०-६१ में सामाजिक सेवाओं पर गवर्नर उदात्त, ५ को ५० लाख २० खर्च

होगा । कम आय वालों के लिए मकान बनाने की योजना आसाम में काफी सफल हुई है । अतः इसके लिए ८९ लाख २० निर्धारित किया गया है । आसाम में दूसरी योजना में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का लक्ष्य भी अगले साल पूरा हो जाएगा ।

खेती आदि के लिए २ करोड़ ३० लाख २० की व्यवस्था की गई है । इस राज्य में एक कृषि कालेज खोलने की भी व्यवस्था की गई है । इसके तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति मिल सकेंगे । भूमिहीन खेति-ह्वर मजदूरों के पुनःस्थापन की भी व्यवस्था की गई है । किसानों को उधार और सहायता के रूप में पम्प भी दिए जाएंगे । १९६०-६१ में १५० पम्प बाटने का लक्ष्य रखा गया है । उमथो योजना के अन्तर्गत मछली पालन के लिए भी कुछ रकम रखी गई है ।

परिवहन विकास के लिए १ करोड़ ४० लाख २० और शिक्षा के लिए १ करोड़ ९० लाख २० रखा गया है । शिल्प शिक्षा के अन्त-र्गत गुवाहाटी और जोरहट में एक-एक इजीनियरी कालेज और मिस्चर में पाली-टेक्नीक खोलने की व्यवस्था की गई है ।

सामुदायिक विकास पर १ करोड़ २० लाख २० खर्च किया जाएगा । १९६०-६१ में ३०० नयी ग्राम सहकारिताएँ खोली जाएंगी और ९०० का पुनर्गठन किया जाएगा । इसके अलावा २० नयी हाट-समितियाँ भी खोली जानी हैं । मिचाई और विजली योजनाओं के लिए २ करोड़ ३० लाख २० रखा गया है । बडोपानी पनबिजली योजना से २-३ साल बाद पानी मिलना शुरू होगा । अतः फिलहाल बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए ८ स्थानों पर डीजल के इंजन लगाने की योजना मजबूत की गई है, ताकि राज्य के औद्योगिक विकास में कोई बाधा न पड़े ।

उद्योगों के विकास के लिए कुल १ करोड़ २० लाख २० की व्यवस्था की गई है ।

### जम्मू-कश्मीर

हाल में ही योजना आयोग और जम्मू-कश्मीर के प्रतिनिधियों में राज्य के १९६०-६१ की वार्षिक योजना मधुवी व्यय पर विचार-निबन्धन हुआ और इन मामलों के लिए ८ करोड़ ३७ लाख ५० हजार २० खर्च करना स्वीकार किया गया । गवर्नर अधिक पन,

१ करोड़ ७१ लाख २० सिंचाई और बिजली योजनाओं के लिए दिया गया है । बिजली की योजनाओं में जम्मू से पठानकोट तक बिजली की एक और लाइन डालने की व्यवस्था की गयी है । सड़क और परिवहन के लिए १ करोड़ ३७ लाख २० और उद्योगों की उन्नति के लिए, जिसमें रानिजो की खुदाई भी शामिल है, १ करोड़ १६ लाख ६० हजार २० रखा गया है । राज्य सरकार चालू वर्ष में ५० लाख २० की पूंजी से एक वित्त निगम स्थापित करेगी । जम्मू-कश्मीर में १९६०-६१ में मिट्टी की चीजें बनाने का एक कारखाना खोला जाएगा और आदा है टाइल और इंटें बनाने की योजना भी इसी साल पूरी हो जाएगी ।

ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए वार्षिक योजना में ४५ लाख २० रखा गया है । खानों के विकास के लिए राज्य सरकार का ध्यान तथा खनिज पदार्थ निगम स्थापित करने का भी विचार है ।

खेती और खेती से सम्बद्ध दूसरे कार्यों के लिए ९४ लाख २० दिया गया है । इस मद के अन्तर्गत राज्य में एक कृषि कालेज खोलने का विचार है । मछली पालने और पकड़ने के धंधे को बढ़ाने के लिए सामुदायिक विकास खण्डों में से किसी एक स्थान पर आर्जमायभी योजना शुरू करने का प्रस्ताव है ।

सामुदायिक विकास के लिए ९० लाख २० और शिक्षा, स्वास्थ्य, मकानों के निर्माण और समाज कल्याण आदि समाज सेवाओं के लिए १ करोड़ ८३ लाख २० नियत किया गया है । इस वर्ष धीनगर में मेडिकल कालेज के लिए इमारत बनाने का विचार है । राज्य में १५ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाएंगे । इसी तरह के २३ केन्द्र इस समय जम्मू-कश्मीर में काम कर रहे हैं ।

### नागा पहाड़ी-तुएनसांग क्षेत्र

नागा पहाड़ी-तुएनसांग क्षेत्र की १९६०-६१ की योजना पर लगभग १.५८ करोड़ खर्च रखा होगा । इसका निश्चय योजना आयोग ने परराष्ट्र मंत्रालय तथा तुएनसांग क्षेत्र प्रशासन के प्रतिनिधियों ने विचार-विमर्श के उपरान्त किया है ।

इस क्षेत्र में दूसरी योजना के अधीन वित्तों रपया खर्च हो, इनका अन्तिम कैलकुलेशन योजना

## भारी उद्योगों का पिछले दशक में विकास

इस समय देश में १३ लाख टन इस्पात (फिनिश), १२ हजार माल डिब्बे और डिब्बों के नीचे के ढांचे और चीनी मिर्चों की बहुत-सी मशीनें तैयार होनी हैं। २॥ करोड़ रुपये के मूल्य की चीनी मिर्चों की मशीनों के अलावा, सीमेंट, रसायन, इमारती और खेती की ३ करोड़ ६० के मूल्य की मशीनें बननी हैं, ४ करोड़ ६० के मशीनों औजार, ३० हजार डोइल ड्रजन, ३४ हजार मोटर गाड़ियां, २० लाख बाल विद्युत, ६ लाख अर्ध शक्ति की बिजली की मोटर्स और बहुत-से बिजली के ट्रांसफार्मर तथा झालने के यंत्र बनते हैं। पांच माल पहले भारत में १० करोड़ ५० में काम की मशीनें बनती थीं। आज इसके मुकाबले १ अरब २० करोड़ ६० की मशीनें बनती हैं। अब वह दिन दूर नहीं, जब भारत के तीनों मरकाती इस्पात कारखानों में काफी इस्पात बनने लगेंगे। तब तो मशीनों का निर्माण और भी बढ़ जाएगा।

### धातु उद्योग

अब धातु उद्योग को लीजिए। इन समय देश में १६ हजार टन अलमुनियम, ७ हजार टन तांबा, १६ हजार टन लीड-भंगनीज तथा जस्त, सीसा और एंटीमनी तैयार होना है। रसायन उद्योगों में भी देश काफी आगे बढ़ा है और कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, गन्धक का तेजाब तथा सीमेंट आदि काफी मात्रा में बनता है। हाइड्रोजन पेरॉक्साइड, खानों के खोदने और अन्य उद्योगों में काम आने वाले विस्फोटक पदार्थ, एमोनियम नाइट्रेट, एसॉटीन आदि पदार्थों के नये उद्योग हमारे देश में शुरू हुए हैं।

### अगले तीन वर्षों में विस्तार

यद्यपि देश में अभी भी भारी उद्योगों की स्थिति नगण्य नहीं है, फिर भी अगले तीन सालों में इनका बहुत अधिक विस्तार होगा। इस समय सरकार जो बहुत-से उद्योग खटे कर रही है, वे इन तीन सालों में पूरे हो जाएंगे। इन उद्योगों में भोपाल का भारी बिजली का गामान बनाने का कारखाना, रांची का भारी मशीन और डलाई कारखाना, दुर्गापुर के कोयले

की खानों की मशीनें बनाने वाले कारखानों को स्थापना और बगलोर के हिन्दुस्तान मशीन टूलस कारखाने में डलाई विभाग खोलने का काम उल्लेखनीय है। भोपाल के कारखाने में बिजली के बड़े ट्रांसफार्मर, मोटर स्विच और फट्टील गियर, जेनरेटर और टर्बाइन आदि बनेंगे। यहाँ इसी साल के मध्य में उत्पादन शुरू हो जाएगा और १९६३-६४ में यहाँ १२॥ करोड़ ६० का माल तैयार होने लगेंगे। रांची के कारखाने में धमन भट्टियों में काम आने वाला सामान, कैंब, इस्पात डालने की मशीनें और भट्टियाँ आदि के हिस्से तैयार होंगे। आग है यह कारखाना १९६३ में चालू हो जाएगा। रांची के डलाई कारखाने के पहले भाग में ७० हजार टन वजन की भारी मशीनें डाली जाएगी। दुर्गापुर के कारखाने में ३० हजार टन की खानों में काम आने वाली मशीनें बना करेगी। यह कारखाना भी १९६३ में चालू हो जाएगा। इन कारखानों में भाँ गढाई और डलाई का काम हुआ करेगा। इसी प्रकार हिन्दुस्तान मशीन टूलस कारखाने में जो गढाई और डलाई विभाग खोला जा रहा है, उससे भी देश में मशीनों का निर्माण काफी बढ़ेगा।

### निजी उद्योगों की प्रगति

निजी उद्योगों में भी काफी प्रगति हो रही है। चीनी कारखानों की काफी मशीनें निजी कारखानों में तैयार होती हैं। इनके अलावा ट्रांसफार्मर और इमारतों में काम आने वाला इस्पात का सामान भी बनता है। नये कारखाने बनने और पुराने कारखानों के विस्तार से अलुमिनियम का उत्पादन बढ़ेगा—अलुमिनियम का ९० हजार टन, जस्ते का १५ हजार टन और सीसे का ८ हजार टन हो जाएगा।

अगले दो-तीन मास में कारखानों की बड़ी-बड़ी मशीनें बनाने वाले कुछ और कारखाने चालू हो जाएंगे। पश्चिम जर्मनी को प्रमुख फर्मों के सहयोग से कामज, उर्वरक, रसायन और दूसरे उद्योगों की मशीनें उद्योग में बनने लगेंगी। दुर्गापुर में एक ब्रिटिश फर्म

की महायत्ना में सीमेंट कारखाने की मशीनें बनाने का विचार है।

### भाषी विकास

अगली पंचवर्षीय योजना में देश को अपने भारी उद्योगों का और अधिक विस्तार करना होगा, क्योंकि अब देश, विदेशों में आयात पर निर्भर नहीं रह सकता। इसके लिए कई उद्योगों को तेजी से बढ़ाने का निश्चय किया गया है। रांची के भारी मशीनें बनाने के कारखाने की क्षमता को बढ़ाकर ८० हजार टन करने का विचार है। जब यह काम पूरा हो जाएगा तो देश में प्रति वर्ष १० लाख टन इस्पात तैयार करने के कारखाने की मशीनें यहाँ बनने लगेंगी।

भोपाल के कारखाने के उत्पादन को चार गुना बढ़ाकर ५० करोड़ रुपये का कर देने की योजना है। यह काम चौथी पंचवर्षीय योजना के शुरू तक हो जाने की उम्मीद है। देश में बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारी बिजली की मशीनों को जरूरत होगी। दुर्गापुर के कोयला खानों की मशीनों के कारखाने को भी लाभमय दुगुना करने की योजना है। इसके अलावा, यहाँ नेत्र खोदने की मशीनें भी बनेंगी। हिन्दुस्तान मशीन टूलस कारखाना भी १९६३ तक अपनी क्षमता तिगुनी कर लेगा। भारत सरकार ने हाल में ही स्ट्रुक्चरल प्लेट और बेसिल वर्म बनाने के दो कारखाने और खोलने की घोषणा की है। ये दोनों १९६२ के शुरू में चालू हो जाएंगे। और यहाँ प्रतिवर्ष १० हजार टन प्लेट और १२ हजार बेसिल वर्म बनेंगे।

### विचाराधीन योजनाएँ

इनके अलावा भारत सरकार और बहुजन के भारी उद्योगों की कई योजनाओं पर विचार कर रही है। इनमें बिजली के भारी सामान बनाने के कारखाने मुख्य होंगे। उनमें से एक कारखाना सोवियत सरकार के सहयोग में और दूसरा चेकोस्लोवाकिया की सरकार के सहयोग में बड़ा किया जाएगा। भारी मशीनों औजार बनाने के एक कारखाने के लिए भी चेकोस्लोवाकिया की सहायता मिलेगी। इन कारखानों के आवाज आदि के बारे में अभी विचार होना है।

नीमरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में केवल यही नहीं, और भी बहुत-से काम होंगे और इन पर सरकार हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था और मुद्रा देगी।

के लिए अधिक चीनी उपलब्ध हो। अगस्त १९५० में विन्नेपे के तेल पर उत्पादन शुल्क की छुट्ट दे दी गयी थी, जिससे वनस्पति वना में उमका उपयोग हो नके और इस प्रकार मूककी का तेल निर्यात के लिए बच सके।

इस प्रकार देश की सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति के लिए उत्पादन शुल्क काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इससे देश को आय बढ़ती है, जो विभिन्न विकास-कार्यों पर खर्च की जाती है।

जाएगा। यह मामला भारत से बाहर खरीदा जाएगा।

इस नवीनतम समझौते के अन्तर्गत दो जाने वाली रकम मिलाकर, अमरीका मेशेरिया नियंत्रण और उम्मूलन कार्यक्रम के लिए २९ करोड़ २० मे अधिक (६.१५ करोड़ डालर) की सहायता दे चुका है। यह पिछले वर्ष दिए गए ८ करोड़ २० के पी०एल० ४८० अनुदान के अलावा है।

आज के समझौते पर केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय के सयुक्त सचिव, श्री तेजगुप्त और सिल्विक सहयोगी मन्त्र के निदेशक, श्री सी० टाइलर बुड ने हस्ताक्षर किए।

दिसम्बर १९५९ मे योजना आयोग न इस कार्यक्रम के अंतर्गत १८ योजनाओं को सहायता देना मजूर किया। इनका आधा खर्च लगभग ८१,००० २० केन्द्रीय सहायता के रूप में दिया जाएगा। आधा खर्च जनता स्वयं उठाएगी। इन कार्यों में रिग-वेल और नल-कूपी (ट्यूब वेल) का लगाना, तालाब खोदना और जलकल-व्यवस्था का निर्माण शामिल है। उड़ीसा के कटक और बालासोर जिलों में १० और बम्बई के अहमदाबाद और मेहसाणा जिलों में ८ योजनाएँ पूरी की जाएगी।

## कनाडा से २.५ करोड़ डालर की सहायता

कनाडा के परराष्ट्र मंत्री, श्री हावर्ड सी० ग्रीन ने १८ जनवरी को आंटावा में घोषणा की कि कोलम्बो योजना के अंतर्गत १९५९-६० के वित्तीय वर्ष में भारत को २५ करोड़ डालर की सहायता दी जाएगी।

यह पिछले वित्तीय वर्ष में भारत को दी गई सहायता में ८० लाख डालर अधिक है, परन्तु इसमें कनाडियन विज्ञानियों को भेजने और शैक्षणिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण को सुविधाएँ देने के लिए रखी गई रकम शामिल नहीं है। यह रकम श्री मिल्ली रैग्नी और अनामी वर्ष में बढ़ा दी जाएगी।

यह घोषणा उस समय की गई, जब कोलम्बो योजना के सदस्य राष्ट्र योजना की दृष्टि से जन्यता मना रहे थे।

## मत्स्य उम्मूलन कार्यक्रम : अमरीका से नया समझौता

भारत के मत्स्य उम्मूलन कार्यक्रम के लिए अमरीका ने ३०.६ लाख २० (६,६५,५५०) डालर) की और सहायता देना मजूर किया है।

२२ जनवरी को नवी दिल्ली में भारत सरकार और अमरीका के शैक्षणिक सहयोग मन्त्र के बीच एक पूरक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अन्तर्गत भारत को बर्कली-बर्कली और प्रोडक्शन फास्ट टैक्निक, १५० बॉय, माइक्रोस्कोप, स्पार्क और डिवाइस-निर्मात्र की मशीनों की खरीदने के लिए धन दिया

## स्थानीय विकास निर्माण कार्यों के लिए धन

दूसरी योजना के आखिरी साल १९६०-६१ में केन्द्रीय योजना के अंतर्गत स्थानीय विकास निर्माण कार्यों के लिए ३ करोड़ २० की अस्थायी तौर पर व्यवस्था की गई है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन कामों के लिए सहायता दी जाएगी, जिनकी जनता श्रमदान या अन्य तरीकों से बनाएँगी। जैसे गाव के कुएँ, स्कूल-इमारत, गाव की पक्की सड़कें या स्टेशन से मिलाने वाली सड़कें का निर्माण। अर्बल १९५९ में राष्ट्रीय विकास परिषद ने अपनी बैठक में यह मुसाल दिया था कि तीसरी योजना में तीन बुनियादी सुविधायाँ—पाने के पानी, गाव के सड़कें और गाव की सड़कें का स्थानीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पूरा किया जाए। इससे देहाती जनता के खाली मगध का भी हलमाल होगा।

दूसरी योजना में इस विकास-कार्य की मद में १५ करोड़ २० रखे गए थे। योजना के पहले तीन सालों में यह धन-राशि राज्य सरकारों को दे दी गई। फिर भी विभिन्न राज्य सरकारों ने सहायता की मांग जारी रखी। अतः १९५९-६० में ३ करोड़ २० की अतिरिक्त स्वीकृति दी गई।

## सीमा शुल्क में और रियायत

वित्त मन्त्रालय के राजस्व विभाग की २८ जनवरी की एक वित्ति में बताया गया है कि भारत सरकार ने निर्यात बढ़ाने के कार्यक्रम के अंतर्गत सूची कपड़ा बनाने वाली मशीनों को डरकी, बाबिन (अष्टी) और जमीन छेदने के बरमों, जस्ते के पहियों तथा बजन के काटों के बनाने में काम आने वाली चीजों के सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क में रियायत देने का निर्णय किया है। नकली रेशम के कपड़े, रेशों के सूत और बॉतलों के डबकन पर दी जाने वाली रियायत की दर में परिवर्तन किया गया है। कई तरह के रोगनों पर नियत दर पर रियायत दी गयी है।

## मिलाई में बचत योजना का उद्घाटन

केन्द्रीय वित्त, मंत्री मोरारजी देसाई ने ३० जनवरी को मिलाई इम्पाट कारखाने में बचत योजना का उद्घाटन किया। इसके अनुसार कर्मचारियों के वेतन का उतना अंश लिया जाएगा जिसके लिए वे आवश्यक अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर कर देंगे। इस रकम में नेशनल मेविंग और ट्रेडर्स गटिफिकेंट तरीके जाएँगे।

क्षेत्र में ७ लाख २० हजार व्यक्तिगणों की मौकरी मिल सकती है।

### शिल्पिक सहायता

मण्डल ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक विस्तार सेवा को और भी बड़े पैमाने पर चलाना चाहिए। राज्यों में लघु उद्योग सेवा संस्थाओं का और विकास किया जाना चाहिए तथा मनीषी औजारों की दुकानें भी और खोली जानी चाहिए। उद्योग मंत्री, श्री माहू ने कहा कि छोटे उद्योगों को शिल्पिक सहाय्य आदि देने की सभी राज्यों में व्यवस्था होनी चाहिए।

### नमूने की मशीनें और प्रशिक्षण

मण्डल ने यह निश्चय किया कि तीसरी योजना में प्रत्येक राज्य में वर्तमान नमूनों की मशीनें बनाने का केन्द्र खोला जाए।

लघु उद्योग कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि लोगों की उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाए। मण्डल ने कार्यकारी दल की यह सिफारिश मान ली कि केन्द्रीय औद्योगिक विस्तार प्रशिक्षण मस्या खोली जाए। मण्डल ने फ़ैसला किया कि तीसरी योजना में यह मस्या तुरन्त खोल दी जाए, जहां विस्तार अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था हो।

### राज्यों की योजनाएं

राज्य सरकारों की लघु उद्योग योजनाओं में काफी प्रगति की है। मण्डल ने यह विचार प्रकट किया कि केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल की जो औद्योगिक योजनाएं राज्यों के मण्डल चला रहे हैं, वे सीधी केन्द्रीय मण्डल द्वारा बनाई जानी चाहिए।

### औद्योगिक सहकारिताएं

मण्डल ने इस बात पर जोर दिया कि औद्योगिक सहकारी समितियां काफी बड़ी मस्या में खोली जाएं। इस सम्बन्ध में कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर औद्योगिक सहकार समितियों का विकास किया जाना चाहिए।

### औद्योगिक बस्तियां

तीसरी योजना में ५० करोड़ ६० के खर्च में लगभग ५०० औद्योगिक बस्तियां खोली जानी चाहिए। इन बस्तियों से औद्योगिक विकास को काफी प्रोत्साहन मिला है।

### आर्थिक सहायता

दूसरी योजना में आर्थिक सहायता कार्यक्रम काफी सफल रहा है। तीसरी योजना में इसे और तेज गति में चाल रखना चाहिए। छोटे उद्योगों को ऋण आदि देने के लिए तीसरी योजना में कम-से-कम ३०० करोड़ ६० की व्यवस्था की जाए। इसमें से ५० करोड़ ६० उद्योगों को सरकारी सहायता देने के अधिनियम के अन्तर्गत लिए जाए और बाकी की रकम अन्य माध्यमों से जुटाई जाए। श्री माहू ने कहा कि ऋण देने वाली संस्थाओं और बैंकों का विकास किया जाना चाहिए और उनसे पूरी सहायता लेनी चाहिए।

### बिक्री की व्यवस्था

मण्डल ने सिफारिश की है कि छोटे उद्योगों के सामान को और ज्यादा बिक्री का प्रयत्न किया जाए। जहां तक हों सरकार अपने लिए इन उद्योगों से सामान खरीदे, निर्यात को प्रोत्साहन दे और जगह-जगह दुकानें खोलवाए। लोहा और इस्पात का कोटा देने के सम्बन्ध में आधारभूत योजनाओं के बाद छोटे उद्योगों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मण्डल ने यह भी सिफारिश की कि छोटे उद्योगों को, खासकर गांधी में, बिजली आजकल से ज्यादा मात्रा में और सस्ते दामों पर दी जानी चाहिए।



### आसाम और आंध्र प्रदेश के कोयला खान क्षेत्रों में कोयले का दाम

कोयला दाम पुनर्निर्धारण समिति ने आंध्र और आसाम क्षेत्र की कोयला खानों तथा साष्ट कोक के दामों के बारे में जो सिफारिशों की थीं, उन्हें भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

आसाम के कोयला खान क्षेत्रों में कोयले के वर्तमान दाम में जो परिवर्तन किया गया है, उसकी अधिसूचना फौरन ही खान मालिकों को दी जा रही है।

समिति ने सिंगरेनी कोयला खान क्षेत्रों के कोयले के लिए किसम के अनुसार कोयले का दाम निर्धारित करने को सिफारिश की है। इस समय कोयला मण्डल इन क्षेत्रों के कोयले की किसम का निर्धारण कर रहा है और जैसे ही यह काम पूरा हो जाएगा, वहां

कोयले की किसम के आधार पर उसका मूल्य निर्धारित कर दिया जाएगा।

समिति ने हाई कोक के दामों के बारे में जो सिफारिश की थी, सरकार उस पर विचार कर रही है।

समिति ने जो सिफारिशों की हैं, वे इन प्रकार हैं :

### आसाम

(१) आसाम के कोयला खान क्षेत्रों के कोयले के वर्तमान दाम किसी विशेष सिद्धांत के आधार पर निर्धारित नहीं किए गए हैं। यहां समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार दाम बदलते रहे हैं। अतः बंगाल और बिहार की कोयला खानों की तरह आसाम की कोयला खानों के लिए दाम निर्धारित करने का कोई साधारण सिद्धांत नहीं बन पाया है। यहां एकसो कीमती का सिद्धांत न हो अपनाया जा सकता है और न ही उसे लागू करना ही संभव है। समिति ने जो आंकड़े जमा किए हैं, उनके आधार पर खान के बाहर कोयले का उचित दाम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए समिति ने सिर्फ़ इस बात की जांच की है कि खान के बाहर कोयलों का जो दाम है, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है या नहीं।

(२) आसाम रेलवे एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी के माध्यम से कोयला खान क्षेत्र के कोयले का रेल से पहुंचता मूल्य २८ ४४ ६० है। समिति का विचार है कि इसमें परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं।

(३) डिब्रूगढ़, जयपुर कोयलाखान और नजीरा कोयला खान क्षेत्रों के कोयले के दाम के बारे में समिति का विचार है कि खान में रेल तक कोयला ले जाने में जो खर्च बँटता है यदि उसे घटा दिया जाए तो वहां के कोयले का जो वर्तमान दाम २५ ९६ ६० है, वह बिल्कुल उचित है और इन क्षेत्रों में खान में बाहर कोयलों का यही दाम रहना चाहिए। किन्तु इन क्षेत्रों के कोयलों का रेल में पहुंचने दामों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ खान में रेल तक मात्र न केवल कोयला खानों की छोड़कर बाकी अन्य कोयला खानों में मात्र की दामों का नाश होने तक

## १९५६ में लघु उद्योगों की प्रगति

**केन्द्र** लघु उद्योग समठन के अंतर्गत छोटे उद्योगों के मरम्मत और विस्तार केन्द्रों के निरिपक सहायता कार्यक्रम की प्रगति पिछले वर्ष बहुत तेज रही। इस अवधि में केन्द्रों ने लगभग २०,००० मूनिटाँ की सहायता की। इसमें उन्नत तरीके, सही मशीनों का चुनाव, उत्पादन का आयोजन, माल की बिक्री आदि शामिल हैं। उद्योग-विस्तार कर्मचारियों ने इस सिलसिले में लगभग ३०,००० छोटे उद्योग-धर्मों को देखा।

१९५९ में दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं के डिजाइनों में सुधार के हेतु औद्योगिक डिजाइन केन्द्र खोला गया। इसने अभी तक लगभग ६०० मौलिक डिजाइन तैयार किये हैं, जिनमें से अधिकांश डिजाइनों का उपयोग किया गया है।

इन अवधि में छोटे उद्योग चालू करने के लिए आवश्यक जानकारी देने के हेतु नमूने के तौर पर ४० योजनाएँ तैयार की गईं। लोगों को काम सिलाने का कार्यक्रम भी बढ़ाया गया। इनके अलावा छोटे उद्योगों के सिलसिले में २०० से अधिक रिफॉर्म तैयार की गईं और जांच-पड़ताल भी की गई। देश के पिछड़े हिस्सों में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विगोप रूज ने प्रयत्न किया गया। यह कार्यक्रम मुरु में १० राज्यों में चालू किया गया और शोषा ही अन्य राज्यों में चालू किया जाएगा। यह कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा है। मंत्र राज्य के कोलार जिले में फाउन्टेनपेन, ल्हास्टिक के मिश्रीने आदि का उद्योग आरम्भ करने के लिए १२ टॉरिलियों ने आवेदन दिया। दिल्ली के गाम अलापुर में लगभग १०० लोग बडईगिरी, चमडे का काम, लोहारगिरी आदि सिलाने के लिए तैयार हुए। आंध्र प्रदेश और मद्रास में भी मराठवीय प्रयत्न किए गए।

### कच्चा माल

छोटे उद्योगनियंत्रण को कच्चा माल मुहैया करने के लिए कई कदम उठाए गए। इन उद्योगों को १९५७-५८ में ५२,७०० टन कोटा और इन्पान दिया गया था, जिनमें बड़ाकर १९५९-६० में २ लाख ७५ हजार ५०० टन कर दिया गया। इनके लिए निर्धारित कोटा

इन्हें प्राप्त हो इसके लिए कोशिश की गई। राज्य सरकारों ने जो प्रगति की है उतना अनुमान उनकी बड़ी हुई लागत के प्रतिगत से लगाया जा सकता है। १९५६-५७ में यह ४१.७ प्रतिगत था, जबकि १९५८-५९ में यह ७६.३ प्रतिगत हो गया।

पिछले साल राज्य वित्त निगम, स्टेट बैंक और सहकारी बैंकों ने मिलकर छोटे उद्योगों के लिए १२ करोड़ से अधिक का ऋण दिया। इनको ऋण की अधिक सुविधाएँ देने के लिए रिजर्व बैंक ने एक योजना बनाई है जो इस वर्ष मार्च से लागू हो जाएगी।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने छोटे उद्योग-पतियों की सहायता का कार्यक्रम तेज रफतार से जारी रखा। निगम की मार्फत १९५५-५६ में ४ लाख ७० हजार ४० के ठेके मिले थे, जबकि १९५८-५९ में २ करोड़ ६० लाख ४० के मिले। १९५९-६० के पहले ९ महीने में १ करोड़ ७० लाख ४० के ठेके प्राप्त हो चुके हैं। निगम ने कुछ उद्योगों को बडे कारखानों के लिए सहायक माल तैयार करने का काम भी दिया।

छोटे उद्योगों में वन माल के निर्यात की, विगोवतपा जूतों के निर्यात की प्रगति काफी अच्छी रही। अभी तक रूस, पोलैंड तथा पूर्वी जर्मनी को ६ लाख जोडी जूते भेजे जा चुके हैं।

किस्मों पर मशीनें देने की योजना के अनुसार १९५९ में १ करोड़ ४० को ९७० मशीनें दी गईं। मशीनें देने की शर्तें काफी ढीली कर दी गईं हैं और मशीनें भी जल्दी-जल्दी मुहैया की जाती हैं।

पिछले वर्ष 'लघु उद्योग' की व्याख्या विस्तृत करके इसमें वह उद्योग भी शामिल किए गए जिनकी पूंजी ५ लाख ४० थी।

प्रोटोटाइप एवं उत्पादन केन्द्र दिल्ली के पास ओखला में प्रोटोटाइप एवं उत्पादन केन्द्र खोले जा रहे हैं जिनके कारखाने का काम पूरा हो चुका है। केन्द्र के लिए आवश्यक उपकरण तैयार किए जा रहे हैं। इनके लिए पश्चिम जर्मनी ने ३६ लाख ४० को मशीनें देने का वायदा किया है, जिसमें से २५ लाख ४० की मशीनें आ चुकी हैं।

राजकोट के केन्द्र में इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लकड़ी का काम और नमूने आदि बनाने का काम सिलाने की व्यवस्था पूरी हो चुकी है। इन केन्द्र के लिए सिल्पिक सहयोग मिशन (टी० सी०एम०) ने यत्र आदि देना मंजूर किया है और अधिकांश सामग्री वहां भजी जा चुकी है।

## लघु उद्योग मंडल का अधिवेशन

नयी दिल्ली में २१ और २२ जनवरी को लघु उद्योग मण्डल का अधिवेशन हुआ। इसने सिफारिश की है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार को छोटे उद्योगों के विकास के लिए २३२ करोड़ ० खर्च चाहिए। यह रकम केवल सरकारी क्षेत्र में खर्च किया जाए। दूसरी योजना में छोटे उद्योगों के लिए ६१ करोड़ ४० खर्च गए थे।

उद्योग मन्त्री, श्री मनुभाई शाह ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसमें कई राज्यों के मंत्रियों ने भाग लिया। मण्डल ने यह विचार प्रकट किया कि अब तक छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में जो कुछ किया गया है, वह तीसरी योजना में जारी रखा जाए और उम कार्यक्रम को और विस्तृत किया जाए।

यह रकम छोटे उद्योगों को सिल्पिक सहायता, प्रशिक्षण योजना; औद्योगिक बस्तियों और औद्योगिक महकूरिस्ता की स्थापना; आर्थिक सहायता; सामान की बिक्री के प्रबन्ध आदि पर खर्च किया जाना चाहिए।

बैठक में कहा गया कि देश के विभिन्न हिस्सों में, खासकर कम विकसित भागों में आधुनिक किस्म के छोटे-छोटे उद्योग खोलकर देश का औद्योगीकरण करना ही तीसरी योजना का लक्ष्य रखा जाना चाहिए।

सदस्यों ने यह सलाह प्रकट किया कि दूसरी योजना में छोटे उद्योगों के क्षेत्र में १ लाख ६० हजार नौकरियों की व्यवस्था करने का जो लक्ष्य रखा था, वह पूरे से भी बढ़ जाएगा। योजना के पहले चार वर्षों में ही इतने लोगों को नौकरी मिल चुकी है। तीसरी योजना में भी अगर उक्त प्रस्ताव के अनुसार छोटे उद्योगों का विकास किया जाए तो यह

क्षेत्र में ७ लाख २० हजार व्यक्तियों को नौकरी मिल सकती है।

### मिथिलक सहायता

मण्डल ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक विस्तार सेवा को और भी बड़े पैमाने पर चलाना चाहिए। राज्यों में लघु उद्योग सेवा संस्थाओं का और विकास किया जाना चाहिए तथा मगनीनी औजारों की दुकानें भी और खोली जानी चाहिए। उद्योग मंत्री, श्री माहू ने कहा कि छोटे उद्योगों को मिथिलक मलाह आदि देने की सभी राज्यों में व्यवस्था होनी चाहिए।

### नमूने की मशीनों और प्रशिक्षण

मण्डल ने यह निश्चय किया कि तीसरी योजना में प्रत्येक राज्य में वर्तमान नमूनों की मशीनों बनाने का केन्द्र खोला जाए।

लघु उद्योग कार्यक्रम को मफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि लोगों को उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाए। मण्डल ने कार्यकारी दल को यह सिफारिश मान ली कि केन्द्रीय औद्योगिक विस्तार प्रशिक्षण संस्था खोली जाए। मण्डल ने फंमला किया कि तीसरी योजना में यह संस्था तुरन्त खोल दी जाए, जहां विस्तार अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था हो।

### राज्यों की योजनाएं

राज्य सरकारों की लघु उद्योग योजनाओं ने काफी प्रगति की है। मण्डल ने यह विचार प्रकट किया कि केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल की औद्योगिक योजनाएं राज्यों के मण्डल चला रहे हैं, वे सीपी केन्द्रीय मण्डल द्वारा बनाई जानी चाहिए।

### औद्योगिक सहकारिताएं

मण्डल ने इस बात पर जोर दिया कि औद्योगिक सहकारी समितियां काफी बड़ी संख्या में खोली जाएं। इस सम्बन्ध में कार्यकारी दल को सिफारिशों के आधार पर औद्योगिक सहकार समितियों का विकास किया जाना चाहिए।

### औद्योगिक बस्तियां

तीसरी योजना में ५० करोड़ ६० के खर्च में लगभग ५० औद्योगिक बस्तियां खोली जानी चाहिए। इन बस्तियों से औद्योगिक विकास को काफी प्रोत्साहन मिला है।

### आर्थिक सहायता

दूसरी योजना में अधिक सहायता कार्यक्रम काफी सफल रहा है। तीसरी योजना में इसे और तेज गति से चाल रखना चाहिए। छोटे उद्योगों को ऋण आदि देने के लिए तीसरी योजना में कम-से-कम ३०० करोड़ ६० की व्यवस्था की जाए। इसमें से ५० करोड़ ६० उद्योगों को सरकारी सहायता देने के अधिनियम के अन्तर्गत लिए जाए और बाकी की रकम अन्य साधनों से जुटाई जाए। श्री माहू ने कहा कि ऋण देने वाली संस्थाओं और बैंकों का विकास किया जाना चाहिए और उनसे पूरी सहायता लेनी चाहिए।

### बिक्री की व्यवस्था

मण्डल ने सिफारिश की है कि छोटे उद्योगों के सामान को और ज्यादा बिक्री का प्रबन्ध किया जाए। जहां तक हों सरकार अपने लिए इन उद्योगों से सामान खरीदे, निर्यात को प्रोत्साहन दे और जगह-जगह दुकानें खुलवाए। लोहा और इस्पात का कोटा देने के सम्बन्ध में आधारभूत योजनाओं के बाद छोटे उद्योगों की ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मण्डल ने यह भी सिफारिश की कि छोटे उद्योगों को, खासकर गांवों में, बिजली आजकल से ज्यादा मात्रा में और सस्ते दामों पर दी जानी चाहिए।

—

### आसाम और आंध्र प्रदेश के कोयला खान क्षेत्रों में कोयले का दाम

कोयला दाम पुनर्निर्धारण समिति ने आंध्र और आसाम क्षेत्र की कोयला खानों तथा साफ्ट कोक के दामों के बारे में जो सिफारिशों की थी, उन्हें भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

आसाम के कोयला खान क्षेत्रों में कोयलों के वर्तमान दाम में जो परिवर्तन किया गया है, उसकी अधिभूतना फोरन ही खान मालिकों को दी जा रही है।

समिति ने सिंगरेनी कोयला खान क्षेत्रों के कोयले के लिए किस्म के अनुसार कोयले का दाम निर्धारित करने की सिफारिश की है। इस समय कोयला मण्डल इस क्षेत्र के कोयले की किस्म का निर्धारण कर रहा है और जैसे ही यह काम पूरा हो जाएगा, बहा

कोयले की किस्म के आधार पर उसका मूल्य निर्धारित कर दिया जाएगा।

समिति ने हार्ड कोक के दामों के बारे में जो सिफारिश की थी, सरकार उस पर विचार कर रही है।

समिति ने जो सिफारिशों की हैं, वे इस प्रकार हैं :

### आसाम

(१) आसाम के कोयला खान क्षेत्रों के कोयलों के वर्तमान दाम किसी विशेष मिश्रित के आधार पर निर्धारित नहीं किए गए हैं। यहाँ समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार दाम बदलते रहे हैं। अतः बंगाल और बिहार की कोयला खानों की तरह आसाम की कोयला खानों के लिए दाम निर्धारित करने का कोई माध्यम सिद्धांत नहीं बन पाया है। यहाँ एकमात्र कीमती का सिद्धांत न तो अपनाया जा सकता है और न ही उसे लागू करना ही संभव है। समिति ने जो आंकड़े जमा किए हैं, उनके आधार पर प्तान के बाहर कोयले का उचित दाम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए समिति ने सिर्फ इस बात की जाच की है कि खान के बाहर कोयलों का जो दाम है, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है या नहीं।

(२) आसाम रेलवे एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी के मापरीतता कोयला खान क्षेत्र के कोयले का रेल से पहुँचता मूल्य २८ ४४ ६० है। मर्मिनि का विचार है कि इसमें परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं।

(३) डिल्डी, जयपुर कोयलाखान और नजीरा कोयला खान क्षेत्रों के कोयले के दाम के बारे में समिति का विचार है कि खान में रेल तक कोयला ले जाने में जो मर्च बँटता है यदि उसे घटा दिया जाए तो वहाँ के कोयले का जो वर्तमान दाम २५ ९४ ६० है, वह विन्कुल उचित है और इन क्षेत्रों में प्तान में बाहर कोयलों का यही दाम रखा चाहिए। किन्तु इन क्षेत्रों के कोयलों का ग्रेड में पड़बने दामों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ खान में रेल तक मान की दूराई का खर्च बहुत ज्यादा है। इन खानों के कोयला खानों को छोड़कर बाकी खानों में मान की दूराई

## १९५६ में लघु उद्योगों की प्रगति

केन्द्रीय लघु उद्योग सङ्गठन के अतर्गत छोटे उद्योगों के मरम्मत और विस्तार केन्द्रों के निःशुल्क सहायता कार्यक्रम की प्रगति पिछले वर्ष बहुत तेज रही। इस अवधि में केन्द्रों ने लगभग २०,००० मूनिटों की सहायता की। इसमें उन्नत तरीके, मही मशीनों का चुनाव, उत्पादन का आयोजन, माल की विक्री आदि शामिल हैं। उद्योग-विस्तार कर्मचारियों ने इस मिलतिले में लगभग ३०,००० छोटे उद्योग-धर्मों को देखा।

१९५९ में दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं के डिजाइन में सुधार के हेतु औद्योगिक डिजाइन केन्द्र खोला गया। इसने अभी तक लगभग ६०० मौलिक डिजाइन तैयार किये हैं, जिनमें से अधिकांश डिजाइनों का उपयोग किया गया है।

इस अवधि में छोटे उद्योग चालू करने के लिए आवश्यक जानकारी देने के हेतु नमूने के तौर पर ४० योजनाएँ तैयार की गईं। लोगों को काम सिखाने का कार्यक्रम भी बढाया गया। इसके अलावा छोटे उद्योगों के मिलतिले में २०० से अधिक रिपोर्टें तैयार की गईं और जाच-नडताल भी की गई। देश के पिछड़े हिस्सों में छोटे उद्योगों को बढावा देने के लिए विशेष रूप से प्रयत्न किया गया। यह कार्यक्रम मूल में १० राज्यों में चालू किया गया और बाँध ही अन्य राज्यों में चालू किया जाएगा। यह कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा है। मैसूर राज्य के कोलार जिले में फाउन्टनपैन, प्लास्टिक के मिश्रीने आदि का उद्योग आरम्भ करने के लिए १२ टोलियों ने आवेदन दिया। दिल्ली के पाम अर्ग्युर में लगभग १०० लोग बर्द्धगिरि, चमड़े का काम, लोहारगिरि आदि मोलने के लिए तैयार हुए। आंध्र प्रदेश और मद्रास में भी मराठनीय प्रयत्न किए गए।

### कच्छा माल

छोटे उद्योगधर्मियों को कच्छा माल मुहैया करने के लिए बर्द्ध बढम उठाए गए। इन उद्योगों को १९५७-५८ में ५२,७०० टन लोहा और इस्पात दिया गया था, जिसे बढाकर १९५९-६० में २ लाख ७५ हजार ५०० टन कर दिया गया। इनके लिए निर्धारित बोझ

द्विगुणित हो इसके लिए कोशिश की गई। राज्य सरकारों ने जो प्रगति की है उसका अनुमान उनकी बढी हुई लागत के प्रतिशत से लगाया जा सकता है। १९५६-५७ में यह ४१.७ प्रतिशत था, जबकि १९५८-५९ में यह ७६.३ प्रतिशत हो गया।

पिछले साल राज्य वित्त निगम, स्टैंड बैंक और सहकारी बैंकों ने मिलकर छोटे उद्योगों के लिए १२ करोड़ से अधिक का ऋण दिया। इनको ऋण की अधिक सुविधाएँ देने के लिए रिजर्व बैंक ने एक योजना बनाई है जो इस वर्ष मार्च से लागू हो जाएगी।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने छोटे उद्योगधर्मियों की सहायता का कार्यक्रम तेज रफतार से जारी रखा। निगम की मार्फत १९५५-५६ में ४ लाख ७० हजार ४० के ठेके मिले थे, जबकि १९५८-५९ में २ करोड़ ६० लाख ४० के मिले। १९५९-६० के पहले ९ महीने में १ करोड़ ७० लाख ४० के ठेके प्राप्त हो चुके हैं। निगम ने कुछ उद्योगों को बड़े कारखानों के लिए सहायक माल तैयार करने का काम भी दिला दिया।

छोटे उद्योगों में बने माल के निर्यात की, विशेषतया जूतों के निर्यात की प्रगति काफी अच्छी रही। अभी तक रूस, पोर्लैंड तथा पूर्वी जर्मनी को ६ लाख जोड़ी जूते भेजे जा चुके हैं।

किरती पर मशीनें देने की योजना के अनुसार १९५९ में १ करोड़ ४० की ९७० मशीनें दी गईं। मशीनें देने की शर्तें काफी ढीली कर दी गईं हैं और मशीनें भी जल्दी-जल्दी मुहैया की जाती हैं।

पिछले वर्ष 'लघु उद्योग' की व्याख्या विस्तृत करके इसमें यह उद्योग भी शामिल किए गए जिनकी पूंजी ५ लाख ४० थी।

### प्रोटोटाइप एवं उत्पादन केन्द्र

दिल्ली के पाम ओलला में प्रोटोटाइप एवं उत्पादन केन्द्र खोले जा रहे हैं जिनके कारखानों का काम पूरा हो चुका है। केन्द्र के लिए आवश्यक उपकरण तैयार किए जा रहे हैं। इनके लिए पश्चिम जर्मनी ने ३६ लाख ४० की मशीनें देने का वायदा किया है, जिसमें से २५ लाख ४० की मशीनें आ चुकी हैं।

राजकोट के केन्द्र में इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लकड़ी का काम और नमूने आदि बनाने का काम सिखाने की व्यवस्था पूरी हो चुकी है। इन केन्द्र के लिए शिल्पिक सहयोग मिशन (टी० सी०एम०) ने यत्र आदि देना मंजूर किया है और अधिकांश सामग्री वहा भजी जा चुकी है।

## लघु उद्योग मंडल का अधिवेशन

नयी दिल्ली में २१ और २२ जनवरी को लघु उद्योग मण्डल का अधिवेशन हुआ। इसने सिफारिश की है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार को छोटे उद्योगों के विकास के लिए २३२ करोड़ ० खर्च चाहिए। यह रूपया केवल सरकारी क्षेत्र में खर्च किया जाए। दूसरी योजना में छोटे उद्योगों के लिए ६१ करोड़ ४० खर्च गए थे।

उद्योग मन्त्री, श्री मनुभाई शाह ने इन अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसमें कई राज्यों के मन्त्रियों ने भाग लिया। मण्डल ने यह विचार प्रकट किया कि अब तक छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में जो कुछ किया गया है, वह तीसरी योजना में जारी रखा जाए और उस कार्यक्रम को और विस्तृत किया जाए।

यह शपथ छोटे उद्योगों को निःशुल्क सहायता; प्रशिक्षण योजना; औद्योगिक बस्तियों और औद्योगिक सहकारिता की स्थापना; आर्थिक सहायता; सामान की विक्री के प्रबन्ध आदि पर खर्च किया जाना चाहिए।

बैठक में कहा गया कि देश के विभिन्न हिस्सों में, खासकर कम विकसित भागों में आधुनिक किस्म के छोटे-छोटे उद्योग खोलकर देश का औद्योगीकरण करना ही तीसरी योजना का लक्ष्य रखा जाना चाहिए।

दरत्यों ने यह सन्तोष प्रकट किया कि दूसरी योजना में छोटे उद्योगों के क्षेत्र में १ लाख ६० हजार नौकरियों की व्यवस्था करने का जो लक्ष्य रखा था, वह पूरे से भी बढ जाएगा। योजना के पहले चार वर्षों में ही इतने लोगों को नौकरी मिल चुकी है। तीसरी योजना में भी अगर उक्त प्रस्ताव के अनुसार छोटे उद्योगों का विकास किया जाए तो इन

## खान (संशोधन) अधिनियम का पालन

**भा**रत सरकार ने १६ जनवरी में खान (संशोधन) अधिनियम, १९५९ लागू कर दिया है। यह विधेयक मसदा में पिछले अधिवेशन में पाम किया था।

इस संशोधित अधिनियम में 'खान' का अर्थ और विस्तृत कर दिया गया है। अब पत्थर निचालने की खानें, म्यूनी डलाई के कारखाने, निजी रेल, 'रोप-वे' आदि भी इसमें शामिल कर लिये गये हैं। इस अधिनियम के अनुसार अब उन खानों में जहाँ १५० से ज्यादा मजदूर काम करते हैं, प्रारम्भिक चिकित्सा का इतना-जाम करना होगा। पहले इस अधिनियम के अनुसार ५०० से ज्यादा मजदूरों के लिए यह इतना-जाम करना होता था।

धर कोई खान मालिक खान निरीक्षणालय के ऐसे मोटिर की अवहेलना करे, जिसमें मजदूरों की जान आदि का खतरा दूर करने के लिए कहा गया हो, तो इस अधिनियम के अनुसार वह खान कोई मजदूर नियुक्त नहीं कर सकती। इसके अनुसार खाना के अन्दर और बाहर काम करने वाले, दोनों प्रकार के मजदूरों को एक-मात्र अनिवार्य कार्य का भत्ता देना पड़ेगा।

उस अधिनियम की धाराओं की अवहेलना करने पर जूमिनी की रकम बड़ा दी गयी है और कैद की भी व्यवस्था की गयी है।

## १९५६ में मोटर गाडियों का उत्पादन

**सू** १९५९ में देग में मोटर गाडियों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण कारों, ट्रका और अन्य मोटर गाडियों के पुर्जों का काफी मात्रा में देग में ही बनना और आयात में काफी वृद्धि होना था।

इस साल ३६,४६८ कारें, ट्रके, बसे और जीपें बनीं। इतनी मोटर गाडियां अब तक कभी नहीं बनीं थीं। पिछले तीन सालों, १९५६, १९५७ और १९५८ में क्रमशः ३२,१३८, ३३,०५८ और २६,७८८ मोटर गाडियां बनीं थीं। मोटर गाडियों की अलग-अलग सख्या इस प्रकार है: ट्रक और बसे १९,०९९; कारें ११,९९३ और जीपें ५,३७६। १९५८ में कुल ८,११३ मोटर कारें बनीं थीं, जबकि १९५९ के नवम्बर में १,३२१

और दिसम्बर में १,९०० मोटर कारें तैयार हुईं।

## विजली इंजीनियरी में व्यावहारिक अनुसंधान के लिए केन्द्र

**वि**जली इंजीनियरी में व्यावहारिक अनुसंधान करने के लिए देग में एक स्थायी विजली अनुसंधान केन्द्र खोला जाएगा। इसके लिए बंगलौर में प्रारम्भिक कार्य किया जा चुका है। वहाँ एक छोटा-सा केन्द्र खुल चुका है, जहाँ अनुसंधान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इस मस्य के दो मुख्य भाग होंगे। एक भाग बंगलौर में और दूसरा भोपाल में खोला जाएगा। बंगलौर वाले केन्द्र में उच्च वोल्टेज, माधारण विजली इंजीनियरी, मेकैनिकल और पनविजली इंजीनियरी में अनुसंधान कार्य जाएंगे।

भोपाल वाले केन्द्र में एव प्रयोगशाला स्थापित होंगी, जहाँ स्विच-गीयर के बारे में परीक्षण आदि होंगे। विजली की उच्च शक्ति के सम्बन्ध में व्यावहारिक समस्याओं पर भी यहाँ पड़ताल की जाएगी।

इन अनुसंधानों में विजली बनाने के अच्छे तरीके निकाले जाएंगे और विजली की खपत में बचत की जा सकेगी। इनकी सहायता से देग में विजली का नामान बनाने के भी तरीके निकाले जाएंगे।

इस मस्य के लिए समुक्त राष्ट्र सच के विदेशी कोष में ९१ लाख रु० की विदेशी मुद्रा भी दे दी है। अगले चार वर्षों में इस सस्य पर २ करोड़ रु० खर्च होगा। "से इसे पूरी तरह चालू होने में ७ माल लगेंगे और लगभग ५ करोड़ रु० खर्च होगा।

## स्पाक प्लग के लिए पोसिलिन इनमुलेटर बनाने की विधि

**कां** और चीनी मिट्टी की केन्द्रिय अनुसंधान मस्य (सेड्रल ग्लाम एण्ड मिरेमिक रिसर्च इंस्टिट्यूट) में विस्तृत अनुसंधान के परचात १४ एम-एम मोटर गाडियों के स्पाक प्लग के लिए स्वदेशी कच्चे पदार्थों से पोसिलिन इनमुलेटर बनाने की विधि का विकास किया गया है। इनके बनाने की विधि बनी ही है जैसी हाई टेनशन इनमुलेटर बनाने

की विधि है, लेकिन इसमें कच्चे पदार्थ और क्रिया में अधिक नियन्त्रण की आवश्यकता होती है।

स्पाक प्लग मोटर गाडियों के इंजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। वे फुएल एयर मिक्चर को अधिक गरम करने में, विद्युत स्पाक के उत्पादन में और विजली-उत्पादन में उपयोग में लाये जाते हैं। तिरिमिक इनमुलेटर का बनाना एक विशिष्ट कार्य है। अभी ये भारत में नहीं बनते।

१९५६-५७ में भारत में अनुमानत तमाम प्रकार की मोटर गाडियां ४५ लाख चलती थीं, और प्रत्येक गाडी में औसतन ४-६ स्पाक प्लगों की आवश्यकता होती है। १९५७ में ३१,९३२ गाडियों का उत्पादन हुआ था। तदकर आयोग के आकड़ों के अनुसार १९५५ में १५,००,००० स्पाक प्लग की वार्षिक खपत थी और निकट भविष्य में बढ़कर २० लाख तक होंगे की सम्भावना है। भारत में केवल द। फर्म स्पाक प्लग के धारितक भाग को बना रही है और पोसिलिन वाले भाग सेड्रल इलेक्ट्रोड के साथ आयात किये जा रहे हैं। १९५८ में स्पाक प्लग का उत्पादन मस्य ७३६,२५१ थी।

अनुसंधान मस्य द्वारा निकाली गयी विधि से बने माल की मुलना विदेशों में आयात होने वाले माल में की जा सकती है।

हाई टेनशन इनमुलेटर बनाने वाले कारखानों में स्पाक प्लगों के लिए पोसिलिन इनमुलेटर बडी सुविधा से बनायी जा सकते हैं। आवश्यकता होने पर अलग यूमिंट भी स्थापित किया जा सकता है। मिरेमिक उद्योग में काम आने वाले सयन और मशीनों की ही इस उद्योग में आवश्यकता है। केवल टनर भिट्टियों का विदेशों से आयात करना होगा। जरूरत होने पर स्पाक प्लग टरनिंग और श्वत चालिन मशीन मशीन आयात की जा सकती है।

## खडगपुर की विज्ञानशाला में कोयले से तरल ईंधन का उत्पादन

**ख**डगपुर की भारतीय गिन्य-विज्ञानशाला में कोयले से तरल ईंधन (मिपेटिक) तैयार करने के लिए एक आक्रामक गार-खाना खडा किया गया है। देग में मसबन म् अपनी विम्व क पहाय बरखाना है। म् जनवरों के मध्य में वाडू हो गया है।



कोयले के लिए प्रति मील ५० नये पैंगे के हिसाब से हटना चाहिए। नजीर का कोयला खानों में कोयले की दुलाई ३ ४० प्रति टन के हिसाब से लगा दी जानी चाहिए। कोयला कन्ट्रोलर यदि उचित समझना तो मास की दुलाई के भाडे में आवश्यक परिवर्तन कर सकता है।

(४) सभी परिस्थितियों पर विवेकपूर्ण खानों क्षेत्र की कोयला खानों पर विचार करने के बाद समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस क्षेत्र की कोयला खानों के कोयले के दामों में वृद्धि करने की जरूरत नहीं है और वर्तमान दाम जारी रहने चाहिए।

(५) समिति ने तजीनाय के कोयला खान क्षेत्र की कोयला खानों के कोयले के दाम बढ़ाने की सिफारिश नहीं की। जहां तक मैसूर के चैरा—चट्टक रोपवे कम्पनी की चैरापूरी खानों का प्रश्न है, वहां के कोयले का दाम घटाकर कवानो पहाड़ी की अन्य कोयला खानों के कोयले के दाम के बराबर कर देने की सिफारिश की गई है।

#### सिगरेनी

(१) समिति ने मध्य प्रदेश के कोयला खानों के बारे में जो नियम निर्धारित किए हैं, उनकी सुलना में सिगरेनी समूह की कोयला खानों में 'मजदूरी', 'मजदूरों की मुविधा' और 'भण्डार' खर्च को छोड़कर कोयले का वास्तविक मूल्य उचित है। समिति की राय में उक्त तीन कार्यों में घटुता कोयले की कीमत ऊंची हो जाती है, क्योंकि इन समूह की खानों को न केवल मजदूरों का बर्न १२,५०० आबादी के पूरे मध्ये को भी कई प्रकार की मुविधाएं देनी पड़ती हैं। ये मुविधाएं जारी रहनी चाहिए।

(२) सिगरेनी खान के कोयलों को भी बम्बई, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की अन्य खानों की तरह किस्म के अनुसार बाटा जाना चाहिए। इनके प्राक्क अनेक मादज के कोयले लेने के आदी हो गए हैं, अतः मात आकार के कोयलों का दाम नियत किए जाने रहना चाहिए।

(३) समिति ने किस्मों के अनुसार दाम निर्धारित करने की सिफारिश की है, जिसमें मुनाफा प्रति टन १ ४० ७५ न० ५० में कम होगा, जिसे समिति ने अन्य कोयला खानों के लिए उचित माना है। कम्पनी उत्पादन को बढ़ाकर और कोयला निर्यात के स्वर्ष में बर्फी कर इगरो पूर्व कर गवनों है।

#### माष्ट कोक

समिति ने माष्ट कोक के उत्पादन की लागत के बारे में काफी आकड़े एकत्र किए हैं क्योंकि माष्ट कोक का उत्पादन एक सहामक-उत्पादन है और यह घटिया किस्म के कोयले में बनाया जाता है। इन परिस्थितियों में कच्चे कोयले के दाम के अनुसार माष्ट कोक का भाव निर्धारित किया जाए। इसलिए अब तक सरकार जो रूपांतर सिद्धान्त—१ टन कच्चे कोयले का एक-तिहाई टन साष्ट कोक—काम में ला रही है, वह ठीक है। अतः माष्ट कोक का वर्तमान भाव जारी रहना चाहिए।

संदर्भ भारत सरकार ने मई १९५७ में कोयला दाम पुनर्निर्धारण समिति, देश की खानों में कोयला और साष्ट कोक के उत्पादन के खर्च का पता लगाने और उनके मूल्य पुन निर्धारित करने के लिए नियुक्त की थी।

समिति ने दिसम्बर १९५८ में आसाम और आंध्र प्रदेश को छोड़कर अन्य कोयला खानों के बारे में अपनी रिपोर्ट दे दी थी। भारत सरकार ने समिति की सिफारिशों को २४ अगस्त, १९५९ को स्वीकार किया था।

#### पेट्रोलियम-पदार्थों से सम्बद्ध समिति नियुक्त

भारत सरकार ने पेट्रोलियम से तैयार होने वाली चीजों की समस्याओं पर विचार करने के लिए १५ सदस्यों की समिति नियुक्त की है। यह समिति इन चीजों की मांग, सप्लाय, वितरण और खपत का विशेष रूप में अध्ययन करेगी और इसके बारे में सरकार को सहाह देगी।

केन्द्रीय खान और तेल मंत्री, श्री केरावदेव मालवीय इन समिति के अध्यक्ष हैं। समिति के अन्य सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं: सर्वश्री श्रीरोड गांधी, मंगद मन्स्य; एम० निजलिम्पा; ए० के० राय; ओ० गुरला रेड्डी; एम० रघुनाथन; किरपाल सिंह; त्रिलोक सिंह; डा० नगेंद्र सिंह; के० के० माहनी; एल० डॉ० मूडी; जे० एम० गिनक्लेयर; जे० आर० प्रादन; डब्ल्यू० पी० जी० मंकाकण्ठ और एम० आर० कोंटावाला।

समिति के अध्यक्ष को बिना भी अन्य

व्यक्ति को समिति की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने का अधिकार होगा। समिति की बैठक, तीन महीने में कम से कम एक बार जरूर होगी।

#### नवम्बर १९५६ में खनिज-लौह का उत्पादन

भारतीय खान कार्यालय के अनुमान के अनुसार नवम्बर १९५९ में ६,५४,००० मेट्रिक टन खनिज लौहा निकाला गया। इसे मिलाकर नवम्बर-१९५९ तक कुल ७०,५४,००० मेट्रिक टन खनिज लौहा निकाला गया। यह उत्पादन पिछले मास को इसी अवधि से २७ प्रतिशत अधिक है।

बिहार और उड़ीसा में कुल २,५२,००० मेट्रिक टन खनिज लौहा निकाला गया। इसके अलावा मैसूर में ७७,०००; बम्बई में २६,००० और मध्य प्रदेश में १७,००० मेट्रिक टन खनिज लौहा निकाला गया।

नवम्बर में लौहा और इस्पात कारखानों को ४,८३,००० मेट्रिक टन खनिज लौहा भेजा गया। इसी महीने १,९६,००० मेट्रिक टन खनिज लौहा विदेशों को भेजा गया।

#### खनिज सीसे और जस्ते का उत्पादन

भारतीय खान कार्यालय के अनुसार देश में जनवरी में नवम्बर, १९५९ तक १ लाख ४७ हजार मेट्रिक टन खनिज जस्ते और सीसे का उत्पादन हुआ है।

यह उत्पादन पिछले वर्ष के इसी अवधि के उत्पादन में लगभग ४० प्रतिशत अधिक है। यह जस्ता और सीसा राजस्थान के उदयपुर जिले में निकाला गया।

सीसे को गुड करने के लिए बिहार राज्य में टुडू के कारखाने में भेजा जाता है। भारत में जस्ता गुड करने का कोई कारखाना नहीं है, इसलिए इसे गुड करने के लिए जापान भेजा जाता है।

जनवरी में नवम्बर, १९५९ तक ३,६७४ मेट्रिक टन गुड सीसा तैयार किया गया जब कि पिछले वर्ष इसी अवधि में २,९६३ मेट्रिक टन सीसा तैयार किया गया था।

## ज्ञान (संशोधन) अधिनियम का पालन

भा मरुवार ने १६ जनवरी में ज्ञान (संशोधन) अधिनियम, १९५९ लागू कर दिया है। यह विधेयक मंत्र ने पिछले अधिवेशन में पास किया था।

इस मनोविनियम अधिनियम में 'ज्ञान' का अर्थ और विस्तृत कर दिया गया है। अब पर्यटन विभाग में भी खनि, खनी डलाई के कारखाने, निजी टेल, 'रोप-वे' आदि भी इसमें शामिल कर लिये गये हैं। इस अधिनियम के अनुसार अब उन स्थानों में जहाँ १५० में ज्यादा मजदूर काम करते हैं, प्रारम्भिक चिकित्सा का इंतजाम करना होगा। पहले इस अधिनियम के अनुसार ५०० से ज्यादा मजदूरों के लिए यह इंतजाम करना होता था।

अगर कोई ज्ञान मालिक ज्ञान निरीक्षणालय के ऐसे नोटिस को अवहेलना करे, जिसमें मजदूरों की जान आदि का खतरा दूर करने के लिए कहा गया हो, तो इस अधिनियम के अनुसार वह ज्ञान कर्म मजदूर नियुक्त नहीं कर सकता। इसके अनुसार ज्ञान के अन्दर और बाहर काम करने वाले, दोनों प्रकार के मजदूरों को एक-ना अनिश्चित कार्य का भत्ता देना पड़ेगा।

इस अधिनियम की धाराओं की अवहेलना करने पर जर्मनी की रज्जु बन्दी दी गयी है और कैद को भी व्यवस्था की गयी है।

## १६५६ में मोटर गाड़ियों का उत्पादन

स १९५९ में देश में मोटर गाड़ियों का उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण कारों, ट्रक और अन्य मोटर गाड़ियों के पुर्जों का काफी मात्रा में देश में ही बनना और आयात में काफी वृद्धि होना था।

इस साल ३६,४६८ कारें, ट्रक, बसें और जीपें बनीं। इसी मोटर गाड़ियाँ अब तक बनीं नहीं बनी थीं। पिछले तीन सालों, १९५६, १९५७ और १९५८ में क्रमशः ३२,१३८, ३३,०५८ और २६,७८८ मोटर गाड़ियाँ बनीं थीं। मोटर गाड़ियों की अलग-अलग सख्या इस प्रकार है: ट्रक और बसें १९,०९९; कारें ११,९९३ और जीपें ५,३७६। १९५८ में कुल ८,११३ मोटर कारें बनीं थीं, जबकि १९५९ के नवम्बर में १,३२१

और दिसम्बर में १,९०० मोटर कारें तैयार हुईं।

## विजली इंजीनियरी में व्यावहारिक अनुसंधान के लिए केन्द्र

विजली इंजीनियरी में व्यावहारिक अनुसंधान करने के लिए देश में एक स्थायी विजली अनुसंधान केन्द्र खोला जाएगा। इसके लिए बंगलौर में प्रारम्भिक कार्य किया जा चुका है। वहाँ एक छोटा-ना केन्द्र खुल चुका है, जहाँ अनुसंधान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इस मर्यादा के दो मुख्य भाग होंगे। एक भाग बंगलौर में और दूसरा भोपाल में खोला जाएगा। बंगलौर वाले केन्द्र में उच्च वोल्टेज, माध्याम विजली इंजीनियरी, मैकेनिकल और पनविजली इंजीनियरी में अनुसंधान किये जाएंगे।

भोपाल वाले केन्द्र में एक प्रयोगशाला स्थापित होगी, जहाँ स्वच-शीतल के बारे में परीक्षण आदि होंगे। विजली की उच्च शक्ति के सम्बन्ध में व्यावहारिक समस्याओं पर भी यहाँ पड़ताल की जाएगी।

इन अनुसंधानों से विजली बनाने के अच्छे तरीके निकाले जाएंगे और विजली की खपत में बचत की जा सकेगी। इसकी सहायता से देश में विजली का मामान बनाने के भी तरीके निकाले जाएंगे।

इस मर्यादा के लिए समुक्त राष्ट्र सच के विनियम हॉने में ९१ लाख रु० की विदेशी मुद्रा भी दी है। अगले चार वर्षों में इस मर्यादा पर २ करोड़ रु० खर्च होगा। 'से इस पूरे तरह चालू होने में ७ माल लक्षों और लगभग ५ करोड़ रु० खर्च होगा।

## स्पाक प्लग के लिए पोसलिन इनसुलेटर बनाने की विधि

कां और चीनी मिट्टी की केन्द्रीय अनुसंधान संस्था (सेट्रल रिसर्च एण्ड डेवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन) में विस्तृत अनुसंधान के परभाव १४ एम-एम मोटर गाड़ियों के स्पाक प्लग के लिए स्वदेशी कच्चे पदार्थों से पोसलिन इनसुलेटर बनाने की विधि का विकास किया गया है। इनके बनाने की विधि वैसी ही है जैसी हाई टेंशन इनसुलेटर बनाने

की विधि है, लेकिन इसमें कच्चे पदार्थ और क्रिया में अधिक नियन्त्रण की आवश्यकता होती है।

स्पाक प्लग मोटर गाड़ियों के इंजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। वे फुल एयर मिक्चर को अधिक गरम करने में, विद्युत स्पाक के उत्पादन में और विजली-उत्पादन में उपयोग में लाये जाते हैं। सिरेमिक इनसुलेटर का बनाना एक विशिष्ट कार्य है। अभी ये भारत में नहीं बनते।

१९५६-५७ में भारत में अनुमानत तमाम प्रकार की मोटर गाड़ियाँ ४५ लाख चलती थीं, और प्रत्येक गाड़ी में औसत ४-६ स्पाक प्लगों की आवश्यकता होती है। १९५७ में ३१,९३२ गाड़ियों का उत्पादन हुआ था। तबकर आयोग के आकड़ों के अनुसार १९५५ में १५,००,००० स्पाक प्लग की वाषििक खपत थी और निकट भविष्य में बढ़कर २० लाख तक होने की सम्भावना है। भारत में केवल दो फर्म स्पाक प्लग के धारिक भाग को बना रही हैं और पोसलिन वाले भाग सेट्रल इलेक्ट्रोड के साथ आयात किये जा रहे हैं। १९५८ में स्पाक प्लग की उत्पादन मर्यादा ७३६,२५१ थी।

अनुसंधान संस्था द्वारा निकाली गयी विधि से बने माल की तुलना विदेशों में आयात होने वाले माल में की जा सकती है।

हाई टेंशन इनसुलेटर बनाने वाले कारखानों में स्पाक प्लगों के लिए पोसलिन इनसुलेटर बड़ी सुविधा से बनाये जा सकते हैं। आवश्यकता होने पर जलज्य मूनिट भी स्थापित किया जा सकता है। सिरेमिक उद्योग में काम आने वाले समय और मशीनों की ही इतनी उद्योग में आवश्यकता है। केवल टंग्स्टेन मिट्टियों का विदेशों से आयात करना होगा। जरूरत होने पर स्पाक प्लग टरनिंग और स्वन चानिग मेशीन मर्यादा आयात की जा सकती है।

## खड़गपुर की विज्ञानशाला में कोयले से तरल ईंधन का उत्पादन

खड़गपुर की भारतीय लिज्ज-विज्ञानशाला में कोयले से तरल ईंधन (निपेटिज) तैयार करने के लिए एक आन्तरिकीय कार्यक्रम लड़ा किया गया है। देश में समस्त तरल ईंधन का उत्पादन है। यह जनवरी के मध्य में चालू हो गया है।

कारखाने को गिल्प-विज्ञानशाला के रासायनिक इंजीनियरी विभाग के कर्मचारियों ने बनाया है। इसमें रोजाना १०० गैलन तरल ईंधन तैयार होता है।

कारखाने में फिगर-ट्रोम प्रणाली से तरल ईंधन तेल तैयार किया जाता है। इसमें ५ मुख्य मण्ड हैं, जहां कोयले को विभिन्न तरीकों से तरल ईंधन में बदला जाता है।

इस कारखाने में कम मात्रा में ही तरल ईंधन तैयार किया जा रहा है। यहा अन्य आजमायगी कारखाने खोलने के लिए डिजाइन, निर्माण, कारखाने के संचालन आदि के बारे में जानकारी और आकड़े एकत्र किए जाएंगे। यहा रासायनिक इंजीनियरी विभाग के छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी और अनुभवान भी किया जाएगा।

### हिन्दुस्तान हाउसिंग फ़ैक्टरी में लकड़ी सिन्धाने का यंत्र

नयी दिल्ली को हिन्दुस्तान हाउसिंग फ़ैक्टरी में ४ मट्टों में लकड़ी सिन्धाने के सफल परीक्षण किए गए हैं। हर मट्टों में ५०० घन फुट लकड़ी आ मकती है और इसका आकार २५ फुट × ११ फुट × १० फुट है। सिन्ध्राई लकड़ी के आकार, बिरुम और नमी पर निर्भर है। मूलायम लकड़ी के सिन्धाने में ५ से १० दिन लगते हैं और मापीन जैमी लकड़ी के सिन्धाने पर १० से २० दिन तक।

दो छंटे मट्टों भी यहा बनाए जा रहे हैं। इनमें ४००-४०० घन फुट लकड़ी आ सकेगी। लकड़ी सिन्धाने के छहो मट्टों के बनाने और मनीवरी आदि पर लगभग २ लाख ४० खर्च होगा और इनके पूरे हो जाने पर एक साथ ३,००० घन फुट लकड़ी सिन्ध्राई जा सकेगी।

### इंडोनेशिया के साथ व्यापार-भरार की श्रवधि

भारत और इंडोनेशिया के व्यापार-करार को अवधि ३० जून, १९६० तक बड़ा दी गई है। इस सम्बन्ध में जरातों में भारत के राष्ट्रपति और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति विभाग के महासचिव ने एक-दूसरे को कारखाने दिए।

### क्या आप जानते हैं ?

#### हथ कर घा उद्योग

● दूसरी पंचवर्षीय योजना के शुरू में ही देश में हथकरघे के कपड़े का उत्पादन २५ प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गया है। १९५५ में हथकरघे का १ अरब ५० करोड़ गज कपडा तैयार हुआ था और १९५९ में १ अरब ९० करोड़ गज कपडा बनाये जाने का अनुमान है।

● जुलाई १९५९ तक देश में रजिस्टर्ड हथकरघों की संख्या २८ लाख थी और इस समय भारत में १० हजार बुनकर महकार समितियां काम कर रही हैं। उनकी सदस्य-संख्या लगभग १२ लाख है। हथकरघे का माल बेचने के लिए देश भर में १,६०० दुकानें खोली गई हैं।

● अप्रैल १९५५ में जहा केवल ९ लाख से भी कम हथकरघे सहकारी ढग से चलाए जाते थे, वहा अप्रैल १९५९ में इनकी संख्या १२ लाख तक पहुंच गई और इस प्रकार सहकारी हथकरघों की संख्या में ३५ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

● हथकरघे के कपड़े को अधिक से अधिक आकर्षक बनाने के लिए कलेडर करने और कपड़े पर आव देने वाले ९ केन्द्र, ४२३ रपाई-घर और नमूने तैयार करने वाले ४१ कारखाने स्थापित किए गए हैं।



### अक्टूबर १९५६ में औद्योगिक भ्रष्टाचार

भारत सरकार के श्रम कार्यालय से जानकारी मिली है कि अक्टूबर १९५९ में औद्योगिक झगड़े औसतन ४ दिन तक चले जबकि सितम्बर में ३.४ दिन तक चले थे।

अक्टूबर १९५९ में १३१ नये औद्योगिक झगड़े हुए। इस प्रकार इस महीने एक समय में अधिक से अधिक १६८ झगड़े रहे, जिसमें १० तालाबदिया भी शामिल हैं। १२९ झगड़े इस महीने समाप्त हुए। इनमें से १०९ झगड़े पांच दिन, और ३ झगड़े ३० दिन में अधिक नहीं चले।

इस महीने 'निर्माण उद्योग' में १,८९,५३६;

● विभिन्न राज्यों में बुनकरों की बस्तियां बसाने की ३८ योजनाएं अब तक मजूर की जा चुकी हैं और १ हजार मकान बन चुके हैं और इतने ही बन रहे हैं।

● १९५९ के पहले ८ महीनों में लगभग ३११ करोड़ ४० का हथकरघे का कपडा बाहर भेजा गया। १९५८ के इन्हीं ८ महीनों में ३ करोड़ १० लाख ४० के हथकरघे के कपड़े का निर्यात हुआ था।

### भारत और उत्तरी वियतनाम के बीच व्यापार करार की श्रवधि

२२ दिसम्बर, १९५६ को भारत और उत्तरी वियतनाम के बीच जो व्यापार-करार हुआ था, वह तीन साल के लिए था। कुछ समय से भारत सरकार इस करार को बढ़ाने पर विचार कर रही थी। अब यह निश्चय किया गया है कि दोनों देशों के व्यापार पर २२ दिसम्बर, १९५६ से करार को शर्तें ही लागू रहेंगी और यह २२ सितम्बर, १९६२ तक लागू रहेगा। इस आसय के कागज-पत्रों पर हवाई में दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

यह सूचना वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय की २४ जनवरी की एक विज्ञापित में दी गई है।

'गानों' में २९,३६८; 'कृषि, वन, मछली-पालन आदि' में १८,१८८ और 'परिवहन तथा संचार' (कारखानों के अलावा) में १२,६१६ जन-दिनों की हानि हुई है।

अक्टूबर १९५९ में ५० दगाल में १,५६,९४४; बम्बई में २९,१३९; बिहार में २३,८६५; मद्रास में २०,७४६ और आप प्रदेश में १०,२२० कार्य-घंटों की हानि हुई है।

निर्माण उद्योग में अक्टूबर १९५९ में औद्योगिक झगड़ों का सूचक अंक (१९५१ को आधार=१०० मानकर) ६३ (अस्थायी) रहा, जबकि इससे पिछले महीने केवल ४४ था।

## खनिक बूट समिति की रिपोर्ट

भारत सरकार ने जो खनिक बूट समिति नियुक्त की थी, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। समिति ने निम्नलिखित की है कि कोयला खानों के मजदूरों को दो नाल तक बूट और जूतों में से किसी को भी पहनने की छूट देनी चाहिए। पर दो माल के बाद उन्हें सिर्फ बूट ही दिए जाने चाहिए। जूतों के बाद बूट पहनने में मजदूरों को दिक्कत महसूस न हो, इसके लिए समिति ने सुझाव दिया है कि बूट और जूते, दोनों एक ही प्रकार के चमड़े के बनाए जाने चाहिए और जूते, बूटों के निचले भाग जैसा ही होने चाहिए।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि खानों में जो दुर्घटनाएँ होती हैं, उनमें अधिकतर मजदूरों की टाँगों में ही चोट आती है। इनमें से ६० प्रतिशत लोगों के टखनों और अंगुलियों में चोट आती है। खरिया की कोयलाखानों में हुई पडताल से पता चला है कि खानों के भीतर काम करने वाले ५५ प्रतिशत मजदूर और बाहर काम करने वाले ४९ प्रतिशत मजदूर श्वित्म रोग से पीड़ित रहते हैं। जूता पहनने में इस रोग से बहुत बचाव होता है।

### जूतों की खरीद

समिति ने सुझाव दिया है कि जूतों और बूटों की खरीद के लिए खान-मालिकों, मजदूरों के प्रतिनिधियों और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त की एक समिति बनाई जानी चाहिए। जहा तक हो, जूतों की खरीद के बड़े आर्डर दिए जाने चाहिए। समिति का अनुमान है कि जैसे जूते वे चाहते हैं, उनकी कीमत १९ रु० और बूटों की २२ रु० पड़ेगी। यह उचित ही होगा कि इस काम का कुछ भाग खान-मालिक और कुछ मजदूर दें।

### उड़ीसा में कर्मचारी राज्य बीमा योजना

तीस जनवरी, १९६० को अंधराष्ट्रि से उड़ीसा के राजनगपुर, चौद्वार, बारग, कटक और ब्रजराजनगर के कारखानों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू हो जाने से लगभग १८ हजार २०० मजदूरों को लाभ होने लगा है। इस बीमा योजना के अन्तर्गत इन मजदूरों को आर्थिक और डाक्टरों महा-या मिलेगी।

डाक्टरों सहायता के लिए राज्य सरकार ने ६ राज्य बीमा डिपेंडरिया खोली है। मजदूरों को आर्थिक सहायता देने के लिए तीन स्थानीय कार्यालय और दो उच्चस्थानीय कार्यालय खोले गए हैं।

अब कारखानों के मालिक कुल मजदूरों का १। प्रतिशत बीमा के लिए विशेष सहायता के रूप में देंगे। इससे पहले कारखानों के मालिक कुल मजदूरों का ७.५ प्रतिशत देते थे।

---

### मजदूरों के लिए मकान बनाने की योजनाएं

दिसम्बर १९५९ में तीन राज्य सरकारों ने, निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय के मजदूरों के लिए सरकारी सहायता से मकान बनाने की योजना के अंतर्गत, ५ योजनाएं स्वीकार की।

बम्बई सरकार ने ५ लाख ७२ हजार रु० की लागत से पोरबन्दर में १०० मकान और बम्बई में ५२ मकान बनाने की दो योजनाएं स्वीकार की थी।

दो मालिकों ने ३ लाख ८६ हजार रु० की लागत से अलवई में ५० मकान और कन्नौर में ५० मकान बनाने का जो कार्यक्रम रहा

था, उसे केरल सरकार ने स्वीकार किया।

मध्य प्रदेश की सरकार ने भी एक सहकारी समिति की इंदौर में १ लाख ९२ हजार रु० की लागत से, ५० मकान बनाने की योजना को स्वीकार किया।

मजदूरों के लिए मकान बनाने की योजना के अंतर्गत भारत सरकार स्वीकृत योजना की लागत का २५ प्रतिशत सहायता के रूप में देती है। इसके अलावा, सरकार मालिकों की स्वीकृत लागत का ५० प्रतिशत और सहकारी समितियों को ६५ प्रतिशत ऋण के रूप में देती है।

### दो नये औद्योगिक न्यायाधिकरण

भारत सरकार ने एक औद्योगिक न्यायाधिकरण नियुक्त किया है। इसका प्रधान कार्यालय धनबाद में है। श्री जी० पालित इसके प्रिंसाइडिंग अफसर नियुक्त किए गए हैं।

सरकार ने एक दूसरा औद्योगिक न्यायाधिकरण नियुक्त किया है, जिसका प्रधान कार्यालय बम्बई में है। इसके प्रिंसाइडिंग अफसर श्री सलीम एम० मरचेंट नियुक्त किए गए हैं। यह न्यायाधिकरण अतिरिक्त न्यायाधिकरण, बम्बई के नाम से पुकारा जाएगा।

## नदी योजनाएं प्रौर बिजली

### भाखड़ा से राजस्थान को बिजली

गंगुवाल और कोटला बिजलीघरों में बनने वाली बिजली में १५ २२ प्रतिशत हिस्सा राजस्थान का है। इन दोनों बिजलीघरों में अब तक कुल ९६ हजार किलोवाट बिजली बन सकती है। १९६१ में यहा ४८ हजार किलोवाट बिजली बनाने वाले दो मयत्र और लग जाएंगे।

भाखड़ा-नगल योजना के गंगुवाल और कोटला बिजलीघरों से राजस्थान के श्रीगंगानगर क्षेत्र को इस महीने के मध्य से बिजली मिलने लगी है। श्रीगंगानगर का बिजलीघर हाल में ही तैयार हुआ था। यहा के लिए मुक्तसर से ६६ के.वी. की लाइन द्वारा बिजली पहुंचाई जाती है।

आया ह कि धीरे-धीरे राजस्थान को और अधिक बिजली दी जाने लगेगी, ताकि कुछ दिनों में उसे भाखड़ा-नगल योजना में अपने हिस्से की पूरी बिजली मिलने लग।

### कोसी योजना-कार्य के खर्च का अनुमान

केन्द्रीय निचाई और बिजली उपनर्ग, श्री जयमुक्ताल हार्पी ने १६ दिसम्बर को लोकसभा में बताया कि कोसी योजना-कार्य के खर्च का नया अनुमान ४४.७६ करोड़ रुपये है और यह मारा खर्च बिहार सरकार उठाएगी।

## ग्रन्तजल की खोज

अभी हाल में जमीन के नीचे जल खोजने के कार्यक्रम का पहला भाग भारत में सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। केन्द्रीय कृषि और खाद्य मन्त्रालय के एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल्ल आगंनाइजेशन ने अमरीकी विशेषज्ञों की महायत्ना से देश के विभिन्न भागों में २८२ स्थानों पर पानी के लिए जमीन को बेधा। इसका परिणाम बड़ा उत्साहवर्धक रहा और कहीं-कहीं तो आगातीत सफलता मिली।

इस आजमाइशी कार्यक्रम की सफलता के बाद भारत सरकार ने दूसरा कार्यक्रम आरम्भ किया है। इसे भारतीय इंजीनियर बिना किसी विदेशी सहायता के चला रहे हैं। नलकूप संगठन के इंजीनियर भूमर्ग सर्वे के बताए स्थानों पर जाकर जमीन में पानी निकालने के लिए छेद करते और नलके बिठाते हैं।

भारतीय भूमर्ग सर्वे की मलाहल पर आरम्भ में १५ चुने हुए क्षेत्रों में खुदाई की गई थी। इसके लिए नदी घाटियों, समुद्र के पास के दलानों और उन स्थानों को चुना गया, जहां जमीन के भीतर मरुत चट्टानें नहीं हैं और जहां बहुत अधिक पानी होने की सम्भावना थी।

### राजस्थान में सफलता

राजस्थान के जैमलमेर जिले के चदन नामक स्थान पर अत्यधिक पानी मिला है। यहां के नलकूप में एक घंटे में ५१ हजार गैलन पानी निकाला जा सकता है। आगा है कि जल्दी ही इसने आमपास और नलकूप लगाए जायेंगे। मान्य होता है कि यहां पर जमीन के भीतर कोई बड़ी झील या पुरानी नदी है। पर यह आश्चर्य की बात है कि इसी क्षेत्र में पश्चिम में जैमलमेर और बीरसिंधिया में पूर्व में खलमगढ़ और मीनर तक ८० हजार वर्गमील में ९ और स्थानों पर जो कुएँ गांये गए, उनमें पानी नहीं मिला यद्यपि कहीं-कहीं तो १ हजार फुट की गहराई तक खुदाई की गई।

उत्तर प्रदेश के जौनपुर, कंजाबाद और गुलामपुर त्रिकों में खुदाई करने में बड़ा काम है कि यहाँ ५०० से ९०० फुट की गहराई पर बरसि पानी है। इन त्रिकों में अब तक जो नल-

कूप लगाए गए हैं, उनकी गहराई ३०० फुट में ज्यादा नहीं है। अतः इनसे पर्याप्त पानी नहीं मिल सका और इन जिलों को नलकूपों के लिए अनुपयुक्त समझा जाने लगा। पर इस नई खोज से इन जिलों के किसानों को बहुत लाभ होगा।

बम्बई राज्य में नलकूप संगठन ने पूर्णा और ताप्ती घाटियों और सोराष्ट्र तथा कच्छ के कुछ भाग में पानी की खोज में कुएँ खोदे। यहां पर सफलता तो मिली है, पर उतनी नहीं, जितनी आशा थी। फिर भी कच्छ में कुछ नलकूप लगाने की सिफारिश की गई है। इसी प्रकार बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मद्रास में भी पानी की खोज की गई और कुछ स्थानों पर नलकूप लगाने की राय दी गई। इन नलकूपों से इन राज्यों में सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी। आसाम में ब्रह्मपुत्र घाटी में भीतरी जल की खोज जारी है और अब तक सतोप-जलक सफलता मिली है।

देश की सिंचाई की आवश्यकताओं की देखते हुए भीतरी जल की खोज निरन्तर चलती चाहिए। यह भी जरूरी है कि इस पर निगाह रखी जाए कि ऋतु के अनुसार पानी की सतह कितनी घटती-बढ़ती है और अत्यधिक पानी न निकाला जाए। नहीं तो उसकी सतह बहुत नीची हो जाएगी और फिर पानी निकालने में दिक्कत होगी।

आगा है कि वैज्ञानिक दम से अन्तर्जल की खोज जारी रखने से एक दिन रेगिस्तानों के नीचे बड़ी-बड़ी झीलें और सूखे मैदानों के नीचे बहती हुई नदियाँ मिलेंगी, क्योंकि नदियाँ और वर्षा को पानी भूमर्ग में रिसता रहता है और इस प्रकार वहाँ करोड़ों गैलन पानी मौजूद है।

### जलाशयों में पानी के सूखने में कमी : रासायनिक परीक्षण

बम्बई में लोनवाला के पास बालवाहन झील में पानी के घूप से सूखने को रोकने के परीक्षण किए जाएंगे। इसी तरह के परीक्षण दिल्ली के पास बड़कल, भद्रगं में पृथ्वी के पास बुंदेरी और मंझूर में कुचराहल्ली झीलों में १९५८-५९ में किए गए हैं।

इन परीक्षणों से पता लगा कि पानी को सतह पर सिटाइल अलकोहल छिड़क देने से २० से २५ प्रतिशत तक पानी कम उड़ता है। लेकिन सिटाइल अलकोहल पानी पर बराबर पड़ा रहना चाहिए तभी इसका पूरा लाभ होता है।

आजकल सिटाइल अलकोहल विदेशों से आता है। इसलिए इसकी जगह कोई दूसरी देसी चीज काम में लाने के परीक्षण किए जा रहे हैं। शुद्ध सिटाइल अलकोहल की अपेक्षा सिटाइल और स्टियरील अलकोहल को आधा-आधा मिला कर पानी पर छिड़कने से अधिक फायदा देखने में आया है। भविष्य में इसी मिश्रण से परीक्षण किए जाएंगे।

### कृषि अनुसन्धान में रेडियो आइसोटोप : अन्तर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम

“अज्ञान की पंदाबार बढ़ाने में विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों से सहायता लेनी बहुत आवश्यक है। कृषि उपज की समस्या हल करने में सभी क्षेत्रों से उपयुक्त मदद और जानकारी इकट्ठी की जानी चाहिए।” ये शब्द २० जनवरी को मयी दिल्ली में केन्द्रीय कृषि मंत्री, डॉ० पञ्जाबराय देसामुख ने कहे। उन्होंने कृषि अनुसंधान में रेडियो आइसोटोपों के प्रयोग पर एक मास के अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्षण पाठ्यक्रम का भारतीय कृषि अनुसंधान सस्था में उद्घाटन किया।

उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से उत्तरी अमरीका और यूरोप में रेडियो आइसोटोपों और विकिरण की सहायता से खेती के विषय में काफी अनुसंधान हो रहे हैं। लेकिन भारत और उसके आसपास के देशों में ये अनुसंधान इधर कुछ ही वर्षों से किए जाने शुरू हुए हैं। यह वाछनीय है कि कम विकसित देशों में शीघ्र ही यह काम शुरू हो जाए, क्योंकि इन देशों में अनाज की उपज बढ़ाने और अनाज को गोदादमों में सुरक्षित रखने की बहुत आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि अनु-भक्तिक की मदद में कृषि की समस्या हल करने पर भारत सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इस सम्बन्ध में अनु-गंधान करने के लिए अनु-भक्तिक विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में विभि-

सहाय्यकार समितियां बनाई गई हैं। १९५६ से हर साल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में रेडियों आइसो टोपों के इस्तेमाल के गवय में ३ महीने का प्रतिशोध पाठ्यक्रम भी हो रहा है।

डा० देगमूल ने कहा कि दक्षिण एशिया के देशों की समृद्धि खेती की पैदावार बढ़ाने पर ही निर्भर है। उर्वरक, कीड़े मारने की दवा-इया आदि डालने के तरीकों में और पौधों की मिक्स सुधारने में रेडियों आइसोटोपों की मदद ली जा सकती है। विकिरण की सहाय्यता से कीड़ों की मन्तानोत्पत्ति रोकने जा सकती है।

उक्त पाठ्यक्रम में वर्मा, लका, पाकिस्तान, थाईलैंड और भारत में २५ प्रतिशोधार्थी भाग ले रहे हैं। यह पाठ्यक्रम युनेस्को, साक्ष और कृषि सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रीय अणु-सन्निभ संस्था और भारत सरकार की ओर से ही रहा है।



### कृषि प्रदर्शनी में खाद्य-पदार्थों की सुरक्षा और पोष्टिकता सम्बन्धी ट्रेनिंग

विज्ञान कृषि प्रदर्शनी के विज्ञान मण्डप में मुख्य सेविका ट्रेनिंग केन्द्रों की अध्यापिकाओं को खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और पोष्टिकता के सम्बन्ध में १५ दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसका समारम्भ १८ जनवरी को गाम्बोयिक विभाग और सहकार मन्त्रालय के सचिव ने किया।

यह ट्रेनिंग मैसूर की केन्द्रीय खाद्य-विज्ञान अनुसंधानशाला के महर्षियों से दी जा रही है और इसमें १० मुख्य सेविका ट्रेनिंग केन्द्रों की १-१ अध्यापिका शिक्षा ले रही हैं।

ट्रेनिंग के अन्तर्गत उन्हें फल और सब्जी को सुरक्षित रखने के निम्नलिखित तथा उन्हें डिब्बा में बन्द करने और उनका रग निकालने की व्यावहारिक तथा मैथानिक शिक्षा दी जा रही है। इसके अलावा उन्हें मुरब्बा, बटनी आदि बनाना भी सिखाया जा रहा है।

यह ट्रेनिंग गाव की प्रकृतियों को देखते हुए दी जा रही है। मुख्य सेविकाएँ यहाँ जो कुछ सोचेंगी, उसे वे ग्राम सेविकाओं को बताएंगी और ग्राम सेविकाएँ उसे गाव की हज़ारों दिनों को सिखाएंगी।

## क्या आप जानते हैं ?

### भारत में तम्बाकू की उपज

● भारत की अर्थ-व्यवस्था में तम्बाकू का बहुत महत्त्व है। इसकी खेती से देश भर में किसानों को करीब ४० करोड़ रु० की वार्षिक आय होती है और इस पर उत्पादन-कर से सरकार को हर साल ५० करोड़ रु० की आय होती है। उसकी पंती और इसके विभिन्न उपयोगों से लाखों आदमियों को रोजी मिल रही है।

● तम्बाकू पैदा करने वाले देशों में अमरीका और चीन के बाद भारत का ही नम्बर है। अनुमान है कि १९५८-५९ में देश में ८,७७,००० एकड़ जमीन में तम्बाकू की खेती हुई है।

● १९५८ में देश में अधिक—लगभग १६ करोड़ रु० की १० करोड़ ६० लाख पाउंड—तम्बाकू निर्यात हुई है।

● भारत में होने वाली तम्बाकू में निकोटियाना टर्बकुम और निकोटियाना रस्टिका बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। निकोटियाना टर्बकुम को वर्जीनिया भी कहते हैं। इसकी विदेशों में काफी मांग है। इसका रग सुनहरा होता है और इसकी महक बहुत पराद की जाती है। इसमें कुछ और किस्म का तम्बाकू मिला कर सिगरेट, सिगार, चुट्ट और बांडिया बनाई जाती हैं। निकोटियाना रस्टिका से हुक्के का और खतों का तम्बाकू तथा सूघने का नस्वार बनाया जाता है।

● आंध्र प्रदेश में तम्बाकू की खेती सबसे ज्यादा होती है। देश में वर्जीनिया तम्बाकू का ३३ प्रतिशत उत्पादन इसी राज्य में होता है। आंध्र प्रदेश के बाद बम्बई, मद्रास और उत्तर प्रदेश का नम्बर है।

● देश में तम्बाकू की उन्नति के लिए भारत सरकार ने १९४५ में स्वायत्त संस्था के रूप में भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति स्थापित की।

● इस समिति ने राजानुदा (आंध्र प्रदेश) में केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्था खोली।

बाद में चार अनुसंधान केन्द्र और खोले गए (१) मुद्दूर में सिगरेट तम्बाकू अनुसंधान उप-केन्द्र, (२) वेदसन्दूर (मद्रास) में सिगार और चुट्ट का तम्बाकू, (३) पूसा (बिहार) में हुक्के और खतों का तम्बाकू, और (४) दिनहाटा (५० बगाल) में लपेटने और हुक्के के तम्बाकू के अनुसंधान केन्द्र। दूसरी योजना में हन्सूर (मैसूर) में भी तम्बाकू अनुसंधान केन्द्र खोला जाएगा।

● इनके अलावा केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्था की देखरेख में ये योजनाएँ भी चालू हैं—बीडो तम्बाकू अनुसंधान उपकेन्द्र, निपानी (बम्बई), बीडी तम्बाकू अनुसंधान योजना, आनन्द (बम्बई), और हुक्का तम्बाकू अनुसंधान उपकेन्द्र, फिरोजपुर (पंजाब)।

● कच्ची और बनी हुई तम्बाकू के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए १९५६ में तम्बाकू निर्यात प्रोत्साहन परिषद स्थापित की गयी।



### भण्डार निगमों के मैनेजिंग डायरेक्टरों का सम्मेलन

नयी दिल्ली में २५ जनवरी को राज्यों के भण्डार निगमों के मैनेजिंग डायरेक्टरों का सम्मेलन शुरू हुआ। इसमें इस बात पर विचार किया गया कि तामरी पंचवर्षीय योजना में राज्य भण्डार निगम, किन-किन स्थानों पर नये भण्डार खोले। केन्द्रीय भण्डार निगम के अध्यक्ष, श्री एल०बी० राजवाड़े ने सम्मेलन की अध्यक्षता की।

१९५६ के कृषि उपज (विकास तथा भण्डार) नियम अधिनियम के अनुसार जम्मू-जोर कश्मीर को छोड़कर देश के सब राज्यों में भण्डार निगम स्थापित किए गए हैं। इनको हिम्मा पूर्वी में राज्य के निगम और केन्द्रीय निगम आना-आया देने हैं। केन्द्रीय भण्डार निगम अखिल भारतीय महत्त्व की मंडियों में भण्डार बनाना है और राज्यों के राज्यों के लिए जरूरी स्थानों पर



**भुवनेश्वर में विधायक शिविर**

उड़ीसा विधानमभा और ममद सदस्यों का ६ दिन का एक अध्ययन-शिविर ४ में ९ जनवरी, १९६० तक भुवनेश्वर में लगा। पिछले माल इस प्रकार के तीन शिविर आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लें थे। लोकतंत्रीय विवेकीकरण को सफल बनाने के लिए ये शिविर काफी महत्वपूर्ण हैं।

भुवनेश्वर शिविर का उद्घाटन उड़ीसा के मुख्य मंत्री, डा० हरेकृष्ण मेहताय ने किया। शिविर में केन्द्रीय सामुदायिक विकास और सहकार मंत्री, श्री सुरेन्द्र कुमार दे, उपमंत्री, श्री बी० एम० मूति, ममद के ८ सदस्य, उड़ीसा के सामुदायिक विकास मंत्री, श्री एल० पी० मिश्र, विधानमभा के ३० सदस्य जिनमें दो महिला सदस्य थीं, अखिल भारतीय पंचायत प्रशिक्षण के महामंत्री श्री विद्याधर क्षेमों के पराम और विकास क्षेत्र अधिकारियों ने भाग लिया।

इस शिविर में प्रति दिन एक अध्ययन चुना जाता था। मगरे ९ बजे से १ बजे तक और दोराह्र वाद ३ बजे से ६ बजे तक विभिन्न ममस्याओं पर माफ और पृथी बहल होनी थी। रात को सामुदायिक कार्यक्रम भी होने थे। बहल के विषय थे (१) भारतीय गविधान, (२) नीन युनिपारी मस्याएँ—पंचायत, गहवारी गमिनिया और गाम-स्कूल, (३) पंचायत राज, (४) सामुदायिक विकास योजना के अलग-अलग प्रगिक्षण, (५) गस्याएँ मस्याएँ और कर्तव्यीक लोअन, (६) योजना और विकास-कार्य का विकास गण्ड द्वारा प्रगालन और (७) विराम कार्य में जनता के प्रतिनिधियों का कर्तव्य।

**प्रगालन व्यवस्था**  
उड़ीसा के मुख्य मंत्री, श्री मेहताय ने अपने उद्घाटन भाषण में विराम योजनाओं की अमकलता के लिए प्रगालन व्यवस्था को दोषी ठहराने की बारी हुई प्रवृत्ति पर गेद प्रकट किया। जब योजना बनाने मस्य मस्यागी कर्मचारियों से परामर्श नहीं किया जाता तो

असफलता के लिए उन्हें दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता।

दूसरे दिन भाषण करते हुए केन्द्रीय सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्री, श्री दे ने कहा कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को और राज्य सरकारों ने विकास लखड पंचायत समितियों को योजना बनाने और विकास कार्यक्रम को पूरा करने का अधिकार सौंपा है। अतः इन समितियों के सदस्यों पर योजना को पूरा करने का पूर्ण उत्तरदायित्व है।

उड़ीसा के सामुदायिक विकास मंत्री, श्री एल० पी० मिश्र ने शिविर में भाग लेने वालों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पंचायती राज से स्थानीय जनता में अगुवा पैदा होंगे। स्वेच्छा से मस्याएँ सगठित होंगी। जब तक ऐसी मस्याएँ जनता के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को अच्छा बनाने में पूरा योगदान नहीं करती, तब तक कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। गाव, क्षेत्र, जिञ्जा और राज्य स्तर पर वास्तविक योजना बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। इस प्रकार के शिविर बहुमूल्य राय दे सकेंगे।

केन्द्रीय उपमंत्री, श्री बी० एम० मूति ने कहा कि विधायकों के इस प्रकार के शिविरों को परमावश्यकता है। अपनी सहायता और आत्म-निर्भरता से लोगों का रहन-महन ऊचा उठाने के लिए विधायकों और पंचायत समितियों के सदस्यों में काफी विचार-विमर्श होना चाहिए। श्री मूति ने कहा कि पंचायत राज एक क्रान्तिकारी उपाय है, जिसे गलत करने में प्रत्येक विधायक की हिंसा बटाना चाहिए।

**संविधान**

गविधान और उसके लागू होने के बाद देश को उन्नति की पहले दिन समीक्षा की गयी। इस बात पर विचार किया गया कि क्या स्थानीय मस्याओं को पूरा उत्तरदायी बनाने के लिए गविधान में संशोधन करना आवश्यक है? मुन्नाय ने कता गया है कि गविधान में संशोधन और गमिमलित मूकों की भांति 'स्थानीय मूकों' भी शामिल की जाए। इस स्थानीय

मूकों में गाव पंचायत, क्षेत्र समितिया, जिञ्जा परिषद आदि रहेंगे।

श्री दे ने इस बहल में भाग लेते हुए कहा कि हमारा संविधान काफी लचीला है। केवल कानून बना देने में कार्य पूरा नहीं हो सकता। जनता में राजनीतिक जागृति और उत्तरदायित्व निभाने की भावना पैदा करनी चाहिए।

**अधिकार और उत्तरदायित्व**

अधिकार और उत्तरदायित्व के विवेकीकरण के बारे में श्री दे ने कहा कि बलवन्त राय मेहता समिति के सुझावों के अनुसार पंचायती राज की स्थापना की जा रही है, जिससे सबसे नीचे की इकाइयाँ विकास-कार्य में पूरा योग दे सकें।

**सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों का सम्मेलन**

सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, श्री एम० आर० मिडे की अध्यक्षता में जयपुर में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों का दो दिन का सम्मेलन ३० जनवरी को समाप्त हो गया। श्री मिडे ने अपने भाषण में कहा कि भूमि के सुधार के लिए किसानों को मध्य अवधि के ऋण देना आवश्यक है। इससे जमीन का कटाव रोकना, निचाई, कृषि के उन्नत तरीके अपनाना आदि काम किए जा सकेंगे। खेती की उपज बढ़ाने के लिए यह गितान्त आवश्यक है।

बैंठक में भाग लेने वाले कुछ रजिस्ट्रारों ने यह सुझाव दिया कि जमीन के बंधक पर रिजर्व बैंक जो ऋण देता है, उस के नियमों में कुछ ढोल देना आवश्यक है, क्योंकि इस योजना से वे किसान लाभ नहीं उठा पाते जो दुगरो की जमीन जोतते हैं।

बैंठक ने कुछ बहल के बाद अध्यक्ष का यह सुझाव स्वीकार कर लिया कि यदि उजिन जमानत के बिना मध्यम अवधि के ऋण नहीं दिए जा सकते तो कम से कम पनु आदि गरीबों के लिए कुछ रकम उधार देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

बैंठक में महाशक्ति की मिशा, इस गय० में कर्मचारियों की ट्रेनिंग आदि की बम्बई और मद्रास में पालू योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। श्री कृष्णमहाय ने ट्रेनिंग को बेरुज नेकचरो तक गीमित रखने की बजाय म्याम-हारिक बनाने का सुझाव दिया।



### राष्ट्रमण्डल प्रसारण सम्मेलन

नयी दिल्ली में २२ जनवरी को राष्ट्रमण्डल प्रसारण सम्मेलन आरम्भ हुआ, जिसमें दस देशों के तीस से भी अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में प्रसारण और टेलीविजन सम्बन्धी टिप्पणिकृत विषयों पर विचार किया गया। नूपना और प्रमाण मन्त्री, डा० बालकृष्ण विन्मनाथ वेंकटर न सम्मेलन की बैठक का उद्घाटन करे हुए कहा कि भारत जैसे देश के लिए, जो अभी अपनी उन्नति के पहले ही चरण में है, रेडियो और लीविजन बहुत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि देश में रेडियो का आरम्भ देर में हुआ। १९४७ में जब देश स्वतन्त्र हुआ था, तब यहाँ केवल ६ रेडियो-केन्द्र थे। बाद में इनमें काफी उन्नति की ओर अब यहाँ २८ रेडियो केन्द्र हैं। इनसे १५ से भी अधिक भाषाओं में कार्यक्रम होते हैं। रोजाना लगभग ११। घंटों में ४५ से भी अधिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं। इन समय देश भर के लिए सभी केन्द्रों से कुल १,०९,२२७ घंटे कार्यक्रम होता है। इस प्रकार अब तक हमने १९४७ में ४-५ गुनी उन्नति कर ली है। परन्तु हमें अभी और भी उन्नति करनी है और इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं।

भारत की प्रसारण सम्बन्धी महसूयों की चर्चा करते हुए, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के सचिव, श्री आर० के० रामध्यानी ने कहा कि हमारे देश में बहुत-से प्रसारण केन्द्र हैं, पर रेडियों सुनने वालों की संख्या, रेडियों मेंटों के अनुपात, २० छात्र से कम है। वैसे हमारे गांवों में लगभग ७० हजार रेडियो-सेट लगे हैं, जहाँ बहुत-से लोग इवट्ठा होकर कार्यक्रम सुनते हैं। पर अभी भी हमारी सबसे बड़ी समस्या सुनने वालों की संख्या बढ़ाना है। इसमें लिए यह आवश्यक है कि देश में ऐंगी स्थिति हो, जिसमें लोगों को रेडियो मेंट खरीद सकें।

### स्नातकोत्तर इंजीनियरी पाठ्यक्रम विकास समिति की बैठक

हाल ही में भारत सरकार ने इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के विकास की समीक्षा करने के लिए जो विशेष समिति नियुक्त की थी, १७ जनवरी को उसकी पहली बैठक नयी दिल्ली में हुई। वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मन्त्रालय के सचिव और समिति के प्रधान प्रो० एम० एस० टाकर इस बैठक के अध्यक्ष थे।

समिति के प्रधान ने देश और विदेश में इंजीनियरी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के बारे में एक टिप्पणी तैयार की थी। उक्त बैठक में इस पर विचार किया गया। सदस्यों ने यह विचार प्रकट किया कि देश में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी शिक्षा में सुधार करने के लिए दीर्घकालीन और अल्पकालीन उपाय सुझाए जाए। अगर आवश्यक समझा जाए तो इसका बाधा बदलने की भी सिफारिश करनी चाहिए। समिति ने एक प्रस्तावली के मसौदे पर भी विचार किया, जो देश की विभिन्न सत्त्व्यों, औद्योगिक संगठनों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाएगी।

आशा है कि यह समिति इस साठ जुलाई या अगस्त में अपनी रिपोर्ट दे देगी। यह समिति स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान सत्त्व्यों का दौरा करेगी और वहाँ के विशेषज्ञों से विचार-विमर्श करेगी। समिति के अन्य सदस्यों के नाम हैं डा० ए० एन० खोसला, डा० के० एस० कृष्णन्, डा० डी० एन० कोठारी, डा० एच० एल० राय, श्री पी० आर० राम-कृष्णन् (संसद सदस्य), प्रो० बी० सेनुगुप्त, डा० पी० के० केलकर, डा० एम० भगवन्तम और श्री जी० के० चडोरीमानी।

### माध्यमिक स्कूलों के छात्रों की अखिल भारतीय रैली

२२ से २८ जनवरी तक नयी दिल्ली में देश भर के माध्यमिक स्कूलों में आए हुए छात्रों की रैली हुई। जितना उद्-

घाटन केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री, डा० कालूलाल धीमाली ने किया। उन्होंने अपने भाषण में भारतीय संस्कृति और विचारधारा को आंतरिक एकता पर जोर दिया। उन्होंने देश में कुछ धृदता और मकीमता को प्रवृत्तियों की चर्चा करते हुए राष्ट्रीय एकता को भावना को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।

रैली में १०० छात्रों और २० अध्यापकों ने भाग लिया। इसमें सिक्किम के १० छात्र और २ अध्यापक भी शामिल हुए।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में मित्र-भित्त राज्यों के अध्यापकों और विद्यार्थियों को इकट्ठे होकर एक-दूसरे के अनुभव से लाभ उठाने और मित्रभाव बढ़ाने के अवसर देने के कई कार्यों को स्थान दिया गया है।

### बुनियादी शिक्षा सप्ताह

२० से २९ जनवरी तक देश भर में इन वर्ष भी बुनियादी शिक्षा सप्ताह मनाया गया। इसका उद्देश्य बुनियादी शिक्षा का विस्तार करना और जन-साधारण को इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी देना है।

इस साल इस सप्ताह में बहुत-से गैर-बुनियादी स्कूलों को बुनियादी ढग में बदलने की शुरुआत की जा रहा है। इन स्कूलों को एकदम बुनियादी स्कूलों में गद्दी बदला जा रहा है, बल्कि इसकी प्रगति में बुनियादी शिक्षा को कुछ स्थान दिया जा रहा है। घरे-घीरे हमारे देश को प्राथमिक शिक्षा एक नये ढग की बन जाएगी, जिसे हम अपनी गद्दीय शिक्षा प्रणाली कह सकते हैं।

सप्ताह में बुनियादी शिक्षा और इनके मूल तत्वों के बारे में भाषण, गोष्ठीया, रेडियों भाषण आदि हुए और स्थान-स्थान पर इन शिक्षा से सम्बद्ध किन्में दिवार्द गईं। यतुन-नी जगह बुनियादी शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों के हाथ की बनी हुई चॉकियों की प्रदर्शनीया नी आयोजित की गई।

कई प्रकार की सामान्य ज्ञान प्रशिक्षणियाँ और गेण्ड आदि हुईं तथा सर्वत्र भाग्य में बुनियादी शिक्षा की विस्तार सम्बन्धी पुस्तिकाएँ और इन्फार्मर बाटे नए।



## धार्मिक श्रौर नैतिक शिक्षा समिति

### की रिपोर्ट

देश भर की शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक और नैतिक शिक्षा देने के प्रश्न पर विचार करने के लिए अगस्त १९५९ में धार्मिक और नैतिक शिक्षा समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया है कि विद्यार्थियों को धार्मिक और नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए।

समिति की राय है कि शिक्षा संस्थाओं में इनका प्रवर्धन करना सम्भव है और यदि कुछ कठिनाइयाँ हैं भी, तो उन्हें दूर किया जाना चाहिए।

समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी हाल में शिक्षा मंत्रालय को दी है।

बम्बई के राज्यपाल श्रीमंत श्रीप्रकाश इस समिति के अध्यक्ष थे। समिति के अन्य सदस्य ये थे राजस्थान विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उप-कुलपति श्री जी० मी० चटर्जी, जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय के उप-कुलपति श्री ए० ए० ए० फंजी और केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के मन्वित मन्त्रिब श्री पी० एन० कुणाल (सदस्य मन्त्रिब)।

समिति का मत है कि शिक्षा संस्थाओं और गण्डान में जो अनुमानसन्हीनता है और जो उपद्रव होने रहते हैं, उनका प्रमुख कारण लोगों में धार्मिकता का अभाव है।

अतः इनका एकमात्र हल यही है कि सब लोगों को बचन में ही धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जाए।

समिति ने कहा है कि धार्मिकता और नैतिकता के अभाव में हमारा राष्ट्र आत्म-सम्भार बिहिन हो जाएगा। साथ ही दूसरे देशों के रीति-रिवाज और रहन-सहन के ढंग के अयानुकरण से देश में विघ्नमलला और गड़बड़ ही फैलेगी।

#### अनेक धर्म

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत के अनेक धर्म हमारे राष्ट्रीय जीवन के निर्माण अंग हैं। यह बहुत ही लाभप्रद होगा कि प्रत्येक निश्चिन भारतीय अपने धर्म के अनुसार दूसरे धर्मों की महत्त्वपूर्ण बातें भी जाने। अतः समिति ने प्रमुख भारतीय धर्मों की भाषाओं और गणानुसूचित अल्पसंख्यकों के भाषाओं में भी रिपोर्ट दी है।

समिति की राय में धार्मिक शिक्षा पूरी तरह से परिवार और समाज पर छोड़ना अच्छा न होगा। इससे बच्चों और युवाओं में धार्मिक अनुष्ठानों में ही अधिक रुचि रहेगी और वे लोग धर्म की आध्यात्मिक और आचार सम्बन्धी मान्यताओं से दूर हो रहेंगे।

#### शिक्षक का प्रभाव

अध्यापकों के महत्त्व को बताते हुए समिति ने कहा है कि शिक्षा संस्थाओं के वातावरण के निर्माण में अध्यापकों का सबसे बड़ा योग्य रहता है। अतः यह जरूरी है कि अध्यापकों की भर्ती और ट्रेनिंग की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। इसमें योग्य और मेहनती लोगों को लाने के लिए यह जरूरी है कि अध्यापकों का वेतन बढ़ाया जाए। साथ ही यह भी जरूरी है कि अध्यापक को समाज में वह सम्मान और स्थान मिले जो उसे पुराने जमाने में प्राप्त था।

#### समस्याएँ और समाधान

समिति ने कहा है कि नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा के मार्ग में बहुत-सी कठिनाइयाँ हैं, यह सही है। पर देश की भावात्मक एकता के लिए इन कठिनाइयों का दूर होना बहुत जरूरी है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मानव संस्कृति और परम्परागत मान्यताओं का महत्त्व, जिनमें सदा मनुष्य के आचरण को प्रभावित किया है, धर्म की ही देन है। हमारे आज के समाज में भी धर्म का प्रभाव और महत्त्व स्पष्ट रूप में रहित है। अतः इस तथ्य को स्वीकार किया जाना चाहिए और इसके अनुसार ही शिक्षा की योजनाएँ बनाई जानी चाहिए।

#### घरों के हिन्दुस्तानी तालीम संघ के डिप्लोमा को मान्यता

भारत सरकार ने, केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की सलाह में घरों (सेवाग्राम) के हिन्दुस्तानी तालीम संघ के टोचन ट्रेनिंग डिप्लोमा को मान्यता देना स्वीकार कर लिया है। यह डिप्लोमा सरकारी नौकरियों के लिए विश्वविद्यालयों या राज्य सरकारों के बी० टी०, पी०एच०, एल०टी० या युनिवर्सिटी शिक्षा के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के बराबर माना जाएगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नये सदस्य

शिक्षा मंत्रालय की २ जनवरी को एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित व्यक्तियों को विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग का सदस्य नियुक्त किया है -

१. प्रो० एन० के० सिद्धांत, उप-कुलपति, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता (पुनर्नियुक्ति);
२. डा० ए० मी० जोशी, उप-कुलपति, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ (डा० ए० एल० मुद्दालियार के स्थान पर);
३. डा० वी० एस० कृष्ण, उप-कुलपति, आंध्र विश्वविद्यालय, वास्तेवर, (श्री जी० सी० चटर्जी के स्थान पर)।

#### अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ

देश की अंतर्राष्ट्रीय कानून अकादमी ने १९६० के लिए (११ जुलाई से १९ अगस्त तक) ३००-३०० गिल्डर (लगभग ३७६ रु०) की कुछ छात्रवृत्तियाँ देने का प्रस्ताव किया है। इनमें से दो भारतीयों को दी जा सकती है।

उम्मीदवार अंतर्राष्ट्रीय कानून पर पुस्तकें, निबन्ध और लेख आदि लिखने वाले विद्वान अथवा छात्र होने चाहिए। उम्र की कोई सीमा नहीं है। यात्रा-सभ्य उम्मीदवारों को स्वयं उठाना पड़ेगा।

#### ब्रिटिश कॉन्सिल की वृत्तियाँ

शिक्षा मंत्रालय की २९ जनवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि ब्रिटिश कॉन्सिल ने अंग्रेजी भाषा और गणित, (२) अर्थशास्त्र, (३) इतिहास, और (४) गणित विभाग में अध्ययन या अनुसंधान करने के लिए १९६०-६१ में १० छात्रवृत्तियाँ देने का निर्णय किया है।

ये छात्रवृत्तियाँ १० महीने के लिए दी जाएँगी। इन छात्रवृत्ति के अन्तर्गत छात्र के

रहते का खर्च, पढ़ाई की फीस और पुस्तकों के लिए सालाना १० पीड दिया जाएगा। इसके अलावा, इन्डेंड आने और जाने का खर्च तथा पढ़ाई के सम्बन्ध में इंग्लैंड में ही रहती भी आने-जाने का खर्च भी ब्रिटिश कौन्सिल ही देगा।

### लाओस के शिक्षाशास्त्री का भारत-आगमन

लाओस के शिक्षाशास्त्री, श्री चाओ सेथोन, भारत सरकार के निमंत्रण पर २४ जनवरी को भारत पधारे हैं। वे यहा लगभग एक महीने रहेंगे। श्री चाओ लाओस सरकार के प्राथमिक शिक्षा के उप-निरीक्षक हैं।

यहा वे नयी दिल्ली, भोपाल, यम्बई, हैदराबाद, आगरा, माची, बंगलौर, मैसूर, मद्रास और कलकत्ता जाएंगे तथा शिक्षा-मस्यौदा, शिक्षकों के ट्रेनिंग केन्द्र, सामुदायिक विकास योजना, बीडों के धर्म-स्थान और ऐतिहासिक स्थान देखेंगे।

श्री चाओ अच्छे नर्तक भी हैं। इसलिए वे नृत्य-मन्त्रालयों और क्लिज कला तथा दस्तावेजों की ट्रेनिंग मन्त्रालयों को देखने भी जाएंगे।

### टेलीविजन पर छात्रों के लिए कार्यक्रम

१६ जनवरी, १९६० गे टेलीविजन पर छात्रों के लिए विद्यार्थी कार्यक्रम शुरू हो गया है। यह कार्यक्रम दिल्ली तथा दिल्ली के ओर पान के हायर मेकेंडरी दर्जों के विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का छात्रगण पूरा लाभ उठा सके, इस उद्देश्य में टेलीविजन पर मंगलवार का कार्यक्रम पाम को ७ बजे से ८ बजे की बजाय ३ बजे से ४ बजे तक हुआ करेगा।

छात्रों के लिए टेलीविजन पर कार्यक्रम रखने का उद्देश्य यह पता करना है कि टेलीविजन किम हद तक शिक्षा का माध्यम हो सकता है। सुक्रवार के कार्यक्रम पाम को ७ बजे से ८ बजे तक ही होते रहेंगे।

### १९६०-६१ के लिए इटली की छात्रवृत्तियां

इस वर्ष की सरकार ने १९६०-६१ में भारतीय छात्रों को साहित्य आदि विषयों में गिन्य विमान में ३० छात्रवृत्तियां देने का निर्णय किया है।

भारतीय समाचार

## क्या आप जानते हैं ?

### भारत में समाज शिक्षा

● केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय सरकार मन्त्रालय ने १९४८ में साक्षरता माप के स्थान पर नये ढंग की समाज शिक्षा की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में समाज शिक्षा में नागरिकता के सम्बन्ध में शिक्षा देने पर जोर दिया। इतने स्वास्थ, कृषि और दस्तकारियों को भी समाज शिक्षा में स्थान देने की सिफारिश की। इसी ने समाज के नवनिर्माण में समाज शिक्षा का उपयोग हो सकता था।

● पहली पंचवर्षीय योजना में समाज शिक्षा के व्यापक स्वरूप को स्थान दिया गया और इसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आवश्यक अंग बनाया गया। समाज शिक्षा की यह नई व्याख्या की गई—“सामूहिक कार्य द्वारा सामूहिक उन्नति”। साथ ही साक्षरता और पुस्तकालयों के अलावा मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यों, प्रदर्शनियों, युवकों और रिजर्वों के भलाई के कार्यों, रेडियो मडलियों और सामुदायिक केन्द्रों आदि की व्यवस्था भी समाज शिक्षा के अन्तर्गत लाई गई।

हूर सामुदायिक विकास खंड में इन सब कार्यों को चलाने के लिए दो-दो समाज शिक्षा मण्डल नियुक्त किए गए। १९५५ में भारत सरकार ने राज्य सरकारों से जिला समाज शिक्षा मण्डल और समुक्त या उप-शिक्षा निदेशक आदि अधिकारियों नियुक्त करने का भी सुझाव दिया।

● विकास खंडों में और अन्य स्थानों पर राज्य सरकारों ने साक्षरता का आयोजन किया या इस काम में सहायता दी। केन्द्रीय सरकार की सहायता से राज्य सरकारों ने ये योजनाएँ हाथ में लीं (क) कुछ क्षेत्रों को चुन कर वहा ५ आदर्श सामुदायिक केन्द्र, पुस्तकालय और जनता कालेज स्थापित करना, (ख) कुछ स्कूलों को सामुदायिक केन्द्रों का रूप देना, और (ग) जिलों में और राज्य भर के लिए पुस्तकालय स्थापित करना।

● दूसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक ये काम हुए हैं - (क) शिक्षा विभागों द्वारा

चलाई जाने वाली कक्षाओं में ५५ लाख प्रोजेक्टों ने नाम लिखाया और विकास खंडों द्वारा चलाई जाने वाली कक्षाओं में १२ लाख तक। इन ६७ लाख प्रोजेक्टों में से लगभग ३५ लाख साक्षर बने होंगे, (ख) आदर्श सामुदायिक केन्द्र और स्कूल एं सामुदायिक केन्द्र योजनाओं के अन्तर्गत क्रमशः ८०० और ६३,६०० केन्द्र खोले गये, (ग) ५३,००० युवक क्लब और अन्य सामुदायिक मण्डल शुरू हुए, (घ) सात राज्य पुस्तकालय, १०० जिला पुस्तकालय और ३२ हजार अन्य पुस्तकालय चलाए गए।

● भारत सरकार ने अपनी योजनाओं के अनुसार ये काम किए - (क) समाज शिक्षा देने वाले अध्यापकों की शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित किया, (ख) जिला पुस्तकालयों और अन्य विधेय पुस्तकालयों को चलाने वालों को काम सिलाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में पुस्तकालय शिक्षण संस्था खोली, और (ग) इन्ट्री में मजदूरों को नागरिकता की शिक्षा देने के लिए मजदूर शिक्षा संस्था स्थापित की।

इसके अलावा भारत सरकार ने कम पढ़ा के लिए किताने आदि लिखवाने और समाजसेवी संस्थाओं को समाज शिक्षा के काम में प्रवृत्त करने की कई योजनाएँ सफलता के साथ पूरी कीं।

● पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में समाज शिक्षा पर ४ करोड़ रु० खर्च हुआ था। इसमें ८५,६३,९४२ रु० की भारत सरकार की सहायता में चलने वाली समाज शिक्षा योजनाएँ भी शामिल हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में समाज शिक्षा के लिए ५ करोड़ रु० रखा गया है।

### अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारतीय वृत्तचित्रों को प्रथम पुरस्कार

चित्री विस्वविद्यालय ने २५ जनवरी को अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन किया था, जिसमें जापानी वृत्तचित्र 'राधाष्टिका' को प्रथम पुरस्कार मिला है। दूसरे-तीसरे विजेतों में यह चित्र भी शामिल है।



## तपेदिक की सार्वदेशिक पड़ताल

देश भर में तपेदिक के सम्बन्ध में जो पड़ताल की गई थी, उसमें पता लगा है कि लगभग ५० लाख लोगों को फेफड़े की तपेदिक है। यह सच्चा देश की कुल जनसंख्या का १३ प्रतिशत होनी है। पड़ताल से पता लगा है कि अनुमान में नही अधिक लोगों को तपेदिक है। इनमें से कम से कम १५ लाख यानी जनसंख्या के ०.४ प्रतिशत लोगों की स्थिति काफी गम्भीर है और उनके लिए तुरन्त इलाज आदि की व्यवस्था जरूरी है।

पहले यद्य अनुमान किया जाता था कि देशान्तों की अपेक्षा गहरों में तपेदिक अधिक है। लेकिन पड़ताल से पता चला है कि वास्तव में देशांत और गहरों में कोई अन्तर नहीं है। ऐसे गांवों में, जहाँ आमानी में जाया जा सकता था, विद्यो रूप में पड़ताल की गई, जिससे पता लगा कि यहाँ भी गहरों की तरह ही तपेदिक के कारी मरीज हैं।

पड़ताल में कहा गया है कि दतनी भारी संख्या में लोगों को तपेदिक होना बड़ी चिन्ता की बात है। हने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में तपेदिक की रोकथाम और इलाज के कार्यों को गवने अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए।

यह पड़ताल भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की तपेदिक उपसमिति ने की थी। इस उपसमिति के अध्यक्ष भागन मन्कर के तपेदिक सम्बन्धी महाहकार, डा० पी० बी० बेंजमिन हैं। यह पड़ताल केवल फेफड़ों की तपेदिक के गवय में ही की गई थी। पड़ताल १९५५ के अन्त में शुरू हुई और १९५८ के आरम्भ में पूरी हुई।

दिल्ली में तपेदिक के बारे में पड़ताल

सन् १९५६ में नयी दिल्ली के तपेदिक केन्द्र ने दिल्ली में तपेदिक के बारे में जो पड़ताल की थी, उसमें पता चला है कि राजधानी में इस रोग के लगभग ३० हजार रोगी थे। इनमें से लगभग आठों को तुरन्त चिकित्सा की आवश्यकता थी। लगभग ६,००० रोगी


ऐसे थे, जिनसे दूसरों को इस रोग के लगने का भय था। भारत के अन्य स्थानों की तरह दिल्ली में भी तपेदिक से स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक पीडित पाए गए। ३५ वर्ष तक की अवस्था के रोगियों में तो पुरुषों की संख्या और अधिक है। ये आंकड़े दिल्ली प्रदेश की गहरी आबादी लगभग १५ लाख मानकर इकट्ठे किए गए हैं।

पड़ताल में १-२ हजार की आबादी के ३० लखों को लिया गया था। बाकी आबादी में से लगभग २३ हजार व्यक्तियों का एकसरे किया गया। इस एकसरे से पता लगा कि १ हजार पुरुषों में से २४५ प्रतिशत को और १ हजार स्त्रियों में से १५.६ प्रतिशत पर तपेदिक का काफी प्रभाव था। इसी प्रकार १ हजार पुरुषों में ५ पुरुष और १ हजार स्त्रियों में २.९ स्त्रिया ऐसी पाई गई, जिनसे दूसरों को तपेदिक होने का डर था।

तपेदिक के रोगियों को सच्चा मित्र-मित्र खण्डों में जलग-जलग थी। बीमारी का संबंध बहुत कुछ देश की गन्दगी आदि से भी था। कुछ क्षेत्रों में तो १ हजार व्यक्तियों में से ४९ धय रोग में ग्रस्त थे।

## कोड सलाहकार समिति की बैठक

कोड सलाहकार समिति की चौथी बैठक आज ही में नयी दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री, श्री करमकर की अध्यक्षता में हुई। उसने सिफारिश की है कि तीसरी योजना में कोड की रोकथाम का कार्यक्रम उन सभी क्षेत्रों



प्रादेशिक सेना में महिला डाक्टरों को कमिशन

प्रादेशिक सेना में अब महिला डाक्टरों को भी पुरुष अकर्मियों की तरह चिकित्सा दुरुमी में बमिगन दिया जाएगा। उनकी

में चलाया जाए, जहाँ इस रोग का अधिक प्रकोप है।

समिति ने कोड की रोकथाम सम्बन्धी तीसरी योजना के मसौदे पर विचार किया और वह इस बात पर सिद्धांत रूप से राजी हुई कि तीसरी योजना में कोड की रोकथाम का क्षेत्र बढ़ाया जाए, काम तेजी में किया जाए, अधिक डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जाए और कुछ विषयों की स्नातकोत्तर ट्रेनिंग के लिए अतिरिक्त भारतीय केन्द्र स्थापित किया जाए।

अधिक क्षेत्र में कार्यक्रम

समिति ने तीसरी योजना में और अधिक क्षेत्र में कार्यक्रम चलाने के लिए ये काम सुझाए हैं : (१) कोडग्रस्त क्षेत्रों में उसकी रोकथाम के लिए केन्द्र खोलना, (२) वर्तमान दवाखानों में कोड का इलाज करने वाले कर्मचारी रखे जाए, (३) सार्वजनिक संस्थाएँ अपने क्षेत्र के आसपास कोड रोग की पड़ताल करे और घरों में जाकर इलाज करे, (४) सामान्य चिकित्सा कार्य के साथ ही कोड सम्बन्धी रोकथाम का काम भी मिला दिया जाए (यह मंत्रालय सरकार की बल्लाना योजना में सुझाया गया था)।

समिति का कहना है कि अभी बल्लाना योजना केवल आजमाइशी तौर पर चलाई जाए। साथ ही कोड का पहले ही से पता लगाने का प्रयत्न किया जाए।

संस्थाओं का सहयोग

समिति को बैठक में यह भी कहा गया कि सार्वजनिक संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय बैठकें होनी चाहिए। इन बैठकों के हो चुकने पर अग्रल के मध्य में समिति की अगली बैठक हो।

नोरुकी की रातें आदि भी दही होंगी, जो डाक्टरों (पुरुष) की हैं; केवल महिला डाक्टर किन्हाय युद्ध क्षेत्र में नहीं जाएंगी। वे अलग-अलग में ही काम करेगी।

स्मरण रहे कि नवम्बर १९५८ में महिला

हाटरो को भी पुरय डाक्टो की ही तरह सेना चिकित्सा दल में नियमित कमिगन दिया जाने लगा था। इसके पहले दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान देग की महिला डाक्टरों को सेना चिकित्सा दल में इमरजेंसी और पार्ट मविस रेगुलर कमिगन दिया गया था और उन्होंने देग तथा बिदेगों में काफी काम किया था। इसके बाद उन पर लगे सभी प्रतिबन्ध हटा दिए गए और उन्हें नियमित कमिगन दिया जाने लगा था।

### लोक सहायक सेना के शिक्षार्थी दिल्ली में

लोक सहायक सेना के १६१ सर्वोत्तम शिक्षार्थी गणराज्य दिवस समारोह देखने के लिए दिल्ली आए हैं। इन्हें १९५५ के गिविरो में सबसे अच्छे शिक्षार्थी होने के कारण योग्यता के प्रमाणपत्र दिए गए थे। इन शिक्षार्थियों ने दिल्ली में ऐतिहासिक महद्वर के म्यान देखे और सेना की परेड, तथा लोकनृत्य समारोह भी देखा। नागरिकों में आत्मविश्वास और अनुमानन की भावना पैदा करने के लिए १९५५ में लोक सहायक सेना की स्थापना हुई। शिक्षार्थियों को फौजी गिशा देने के लिए प्रत्येक राज्य में २०-३० दिन के गिविर लगाए जाते हैं। प्रत्येक गिविर में ५०० शिक्षार्थियों को ट्रेनिंग दी जाती है। हरेक गिविर के सर्वोत्तम शिक्षार्थी को योग्यता का प्रमाणपत्र दिया जाता है और उन्हें सरकार के खर्च पर गणराज्य दिवस समारोह देखने के लिए दिल्ली लाया जाता है। १९५९ में देग भर में १९६ गिविर लगाए गए, जिनमें ८७ हजार व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी गई। १९५५ में लोक सहायक सेना की स्थापना के बाद, अब तक ४ लाख ४५ हजार व्यक्तियों को फौजी ट्रेनिंग दी गई है।

पांच पुलिस अधिकारियों को पुरस्कार  
राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के दो और मैसूर, आताम तथा आंध्र प्रदेश के एक-एक पुलिस अधिकारी को उनके अदम्य साहस के लिए पुलिस पदक प्रदान किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं श्री उम्मेदसिंह, असिस्टेंट सुपरिटेण्डेंट, फायर ब्रिगेड (पुलिस), इन्दौर; श्री रामचंकर, कास्टेबल, इन्दौर;

श्री काशिमसाहब इमाम हुसैन सोदागर, आर्सेड हेड कास्टेबल, बीजापुर; श्री नृपेन्द्र कुमार चक्रवर्ती, कास्टेबल, सेकिड बाईर सिक्पोरिटी फोर्स, गिलाग और श्री बचन सिंह, जमादार, फर्स्ट बटालियन, आंध्र प्रदेश स्पेगल पुलिस।

उन्हें ये पुरस्कार उनके अदम्य साहस और कर्तव्यपरायणता के लिए दिए गए हैं। पुरस्कारों की घोषणा भारत सरकार के २३ जनवरी के सूचना-पत्र में की गई है।

महिला नर्सों को सेना में कमिशन  
प्रतिरक्षा मंत्रालय की १६ जनवरी, १९६० को एक प्रेम विज्ञप्ति में कहा गया है कि, सरकार में सैनिक नर्स सेवा (स्थानीय) में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति के लिए असैनिक नर्सों (ओरत) से आवेदनपत्र मागे हैं। ये नर्स विवाहित या बच्चों वाली विपनाए होनी चाहिए। उक्त सेवा में उन्हें कमीशन भी दिया जाएगा।

## भारत और अन्य देश

बेलपाड में भारतीय चित्रों की प्रदर्शनी  
गणराज्य दिवस के अवसर पर, यूगोस्लाविया के सांस्कृतिक आयोग के सचिव श्री इवोकोल ने बेलपाड में आयुक्त भारतीय चित्रों की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें ५७ तैल चित्र और वाटर कलर के चित्र रखे गए हैं, जो भारत की आयुक्त चित्रकला का प्रतिनिधित्व करते हैं।

जकार्ता में भारतीय कला प्रदर्शनी  
हङ्गेरी-शिवा के शिशा तथा संस्कृति मंत्री, श्री० प्रियोने ने १५ जनवरी को जकार्ता की गवर्नमेंट आर्ट्स गैलरी में भारतीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी



## राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति

राष्ट्रपति ने निम्नलिखित राज्य विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दी है—  
बम्बई गोदाम विधेयक, १९५६  
बम्बई राज्य के विभिन्न भागों में इस समय गोदाम सम्बन्धी जो कानून लागू हैं, उनमें एकलपता लाने के लिए यह कानून बनाया गया है। इस विधेयक से सरकार को कुछ सामानों को गोदामों में भरने और स्वतंत्र गोदामों को कायम करने में सहायता मिलेगी। इस विधेयक में इन गोदामों की देखरेख और नियंत्रण की भी व्यवस्था है।  
केन्द्रीय सरकार के अधिनियमों के अधीन जो गोदाम बनाए गए हैं या जिन्हें लाइसेंस दिया गया है, उन पर वह विधेयक लागू नहीं होगा।

में प्राचीन तथा नवीन भारतीय कलाकृतियां रखी गई हैं।

भारत में श्विड्जरलैंड के नये राजदूत  
फर्राट्ट मंत्रालय को २२ जनवरी को एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि जर्बेन एलवर्ट कट्टट भारत में श्विड्जरलैंड के असाधारण राजदूत और पूर्वाधिकारी नियुक्त हुए हैं।

भारत में हंगरी के नये राजदूत  
फर्राट्ट मंत्रालय की १९ जनवरी को एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि डा० लाबलो रेबेई भारत में हंगरी के नये असाधारण राजदूत और पूर्वाधिकारी नियुक्त किए गए हैं।



### तपेदिक की सार्वदेशिक पड़ताल

देश भर में तपेदिक के मन्द्य में जो पड़ताल की गई थी, उनमें पता लगा है कि लगभग ५० लाख लोगों को फेफड़े की तपेदिक है। यह सख्या देत की कुल जनसख्या का १-३ प्रतिशत होगा है। पड़ताल से पता लगा है कि अनुमान में कही अधिक लोगों को तपेदिक है। इसमें से कम से कम १५ लाख यानी जनसख्या के ०.४ प्रतिशत लोगों की स्थिति काफी गम्भीर है और उनके लिए सुरत इलाज आदि की व्यवस्था जरूरी है।

पहले यह अनुमान किया जाता था कि देशान्त की अपेक्षा गहरो में तपेदिक अधिक है। लेकिन पड़ताल से पता चला है कि वास्तव में देहात और गहरो में कोई अन्तर नहीं है। ऐसे गांवों में, जहाँ आमासी ने जाया जा सकता था, विमोह रूप से पड़ताल की गई, जिनमें पता लगा कि वहाँ भी गहरो की तरह ही तपेदिक के काफी मरीज हैं।

पड़ताल में कहा गया है कि इतनी भारी गहना में लोगों को तपेदिक होगा बड़ी चिन्ता की बात है। हमें अपनी पनवर्षीय योजनाओं में तपेदिक की रोकथाम और इलाज के कामों को गवने अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए।

यह पड़ताल भारतीय चिकित्सा अनुभवधान परिषद की तपेदिक उपसमिति ने की थी। इस उपसमिति के अध्यक्ष भारत सरकार के तपेदिक मन्त्री महात्माजी, १०० वी० बेंद्रधित है। यह पड़ताल केवल फेफड़ों की तपेदिक के मरुप में ही की गई थी। पड़ताल १९५५ के अन्त में शुरू हुई और १९५८ के आरम्भ में पूरी हुई।

दिल्ली में तपेदिक के बारे में पड़ताल

सन् १९५६ में नयी दिल्ली के तपेदिक केन्द्र ने दिल्ली में तपेदिक के बारे में जो पड़ताल की थी, उनमें पता चला है कि राजधानी में इस रोग के लगभग ३० हजार रोगी हैं। इसमें से लगभग आधी को तुलन्त चिकित्सा की आवश्यकता थी। लगभग ९,००० रोगी


ऐसे थे, जिनसे दूसरों को इस रोग के लगने का भय था। भारत के अन्य स्थानों की तरह दिल्ली में भी तपेदिक से स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक पीड़ित पाए गए। ३५ वर्ष तक की अवस्था के रोगियों में तो पुरुषों की सख्या और अधिक है। ये आंकड़े दिल्ली प्रदेश की गहरी आवादी लगभग १५ लाख मानकर इकट्ठे किए गए हैं।

पड़ताल में १-१ हजार की आवादी के ३० घरों को लिया गया था। बाकी आवादी में से लगभग २३ हजार व्यक्तियों का एक्स-रे किया गया। इस एक्स-रे से पता लगा कि १ हजार पुरुषों में से २४५ प्रतिशत को और १ हजार स्त्रियों में से १५६ प्रतिशत पर तपेदिक का काफी प्रभाव था। इसी प्रकार १ हजार पुरुषों में ५ पुरुष और १ हजार स्त्रियों में २९ स्त्रियाँ ऐसी पाई गईं, जिनसे दूसरों को तपेदिक होने का डर था।

तपेदिक के रोगियों को सख्या निम्न-निम्न खण्डों में अलग-प्रलग थी। बीमारी का सबब बहुत कुछ देग की गन्दगी आदि से भी था। कुछ क्षेत्रों में तो १ हजार व्यक्तियों में से ४९ क्षय रोग में ग्रहित थे।

### कोड सलाहकार समिति की बैठक

महात्माजी गमिति की चौथी बैठक हाल ही में नयी दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री, श्री कमरकर की अध्यक्षता में हुई। उनमें मितारिया की है कि तीसरी योजना में कोड की रोकथाम का कार्यक्रम उन सभी क्षेत्रों



प्रादेशिक सेना में महिला डाक्टरों को कमिशन प्रादेशिक सेना में अब महिला डाक्टरों को भी पुरुष अकर्मरों की तरह चिकित्सा दृष्टी में समान दिया जाएगा। उनकी

में चलाया जाए, जहाँ इस रोग का अधिक प्रकोप है।

गमिति ने कोड की रोकथाम सम्बन्धी तीसरी योजना के मसौदे पर विचार किया और यह इस बात पर सिद्धात रूप से राजी हुई कि तीसरी योजना में कोड की रोकथाम का क्षेत्र बढ़ाया जाए, काम तेजी में किया जाए, अधिक डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जाए और कुछ विषयों की स्नातकोत्तर ट्रेनिंग के लिए अरिह भारतीय केन्द्र स्थापित किया जाए।

### अधिक ध्यान में कार्यक्रम

समिति ने तीसरी योजना में और अधिक क्षेत्र में कार्यक्रम चलाने के लिए ये काम मुझाए हैं: (१) कोडग्रस्त क्षेत्रों में उत्तकी रोकथाम के लिए केन्द्र खोलना, (२) वर्तमान दवाखानों में कोड का इलाज करने वाले कर्मचारी रखे जाएं, (३) सार्वजनिक सत्यान अनने क्षेत्र के आसपास कोड रोग की पड़ताल करे और घरों में जाकर इलाज करे, (४) सामान्य चिकित्सा कार्य के साथ ही कोड सम्बन्धी रोकथाम का काम भी मिला दिया जाए (यह मद्रास सरकार की बल्लाना योजना में मुझाया गया था)।

समिति का कहना है कि अभी बल्लाना योजना केवल आजमाइशी तौर पर चलाई जाए। साथ ही कोड का पहले ही से पता लगाने का प्रयत्न किया जाए।

### संस्थाओं का सहयोग

समिति को बैठक में यह भी कहा गया कि सार्वजनिक सत्याओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय बैठकें हानी चाहिए। इन बैठकों के हो चुकने पर अर्रल के मध्य में समिति की अगली बैठक हो।

नोकरों की सवें आदि भी बही होंगी, जो डाक्टरों (पुरुष) की हैं; केवल महिला डाक्टर चिकित्सा पृथ क्षेत्र में बही जाएंगी। ये अर्रल-सारा में ही काम करेगी।

मरुप रहे कि नवम्बर १९५८ से मीति

इसरो को भी पुरस्कार दिये जाते हैं।  
 वेना बिल्मिन्हा दल में नियमित कमिशन दिया  
 जाने लगा था। इसमें पहले दूसरे बिन्वयुद्ध  
 के दौरान देग को महिला डाक्टरों को वेना  
 बिल्मिन्हा दल में इमरजेंसी और पाठ गंविम  
 ऐन्डर कमिशन दिया गया था और उन्होंने  
 देग तथा विदेशों में रॉकी काम किया था।  
 इसके बाद उन पर लगभग सभी प्रतिबन्ध हटा  
 दिए गए और उन्हें नियमित कमिशन दिया  
 जाने लगा था।

**लोक सहायक सेना के शिक्षार्थी दिल्ली में**  
**लोक** सहायक सेना के १६१ सर्वोत्तम  
 शिक्षार्थी गणराज्य दिवस ममारोह  
 देखने के लिए दिल्ली आए हैं। इन्हें १९५५  
 के निवृत्तों में सबसे अच्छे शिक्षार्थी होने के  
 कारण योग्यता के प्रमाणपत्र दिए गए थे।  
 इन शिक्षार्थियों ने दिल्ली में ऐतिहासिक  
 महान्त्र के स्थान देगे और सेना की परेड, तथा  
 लॉन्गवुय ममारोह भी देखा। नागरिकों में  
 आत्मविश्वास और अनुमान की भावना  
 पैदा करने के लिए १९५५ में लोक सहायक  
 सेना की स्थापना हुई। शिक्षार्थियों को फौजी  
 गिरा देने के लिए प्रत्येक राज्य में ३०-३०  
 दिन के निवृत्त लगाए जाते हैं। प्रत्येक निवृत्त  
 में ५०० शिक्षार्थियों को ट्रेनिंग दी जाती है।  
 हर एक निवृत्त के सर्वोत्तम शिक्षार्थी को योग्यता  
 का प्रमाणपत्र दिया जाता है और उन्हें सर-  
 कार के खर्च पर गणराज्य दिवस ममारोह  
 देखने के लिए दिल्ली लाया जाता है। १९५९  
 में देग भर में १९६ निवृत्त लगाए गए, जिनमें  
 ८७ हजार व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी गई। १९५५  
 में लोक सहायक सेना की स्थापना के बाद,  
 अब तक ४ लाख ४५ हजार व्यक्तियों को  
 फौजी ट्रेनिंग दी गई है।

**पांच पुलिस अधिकारियों को पुरस्कार**  
 राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के दो और मैसूर,  
 आसाम तथा आंध्र प्रदेश के एक-एक  
 पुलिस अधिकारी को उनके अदम्य साहस के  
 लिए पुलिस पदक प्रदान किए हैं।  
 उनके नाम इस प्रकार हैं: श्री उम्मेदसिंह,  
 असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंट, फायर ब्रिगेड (पुलिस),  
 इन्दौर; श्री रामचकर, कास्टेबल, इन्दौर;

श्री कागिममाहय इमाम हुसैन सोदागर, आम्बे  
 हेड कास्टेबल, बीजापुर; श्री नृपेन्द्र कुमार  
 चक्रवर्ती, कास्टेबल, सेकिड बांडर सिक्कीरटी  
 फोर्स, गिलाग और श्री बचन सिंह, जमादार,  
 फर्स्ट बटालियन, आंध्र प्रदेश स्पेशल पुलिस।

उन्हें ये पुरस्कार उनके अदम्य साहस और  
 कर्तव्यपरायणता के लिए दिए गए हैं।  
 पुरस्कारों की घोषणा भारत सरकार के  
 २३ जनवरी के सूचना-पत्र में की गई है।

**महिला नर्सों को सेना में कमिशन**  
 प्रतिरक्षा मंत्रालय को १६ जनवरी, १९६०  
 की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि,  
 सरकार ने सैनिक नर्स सेवा (स्थानीय) में  
 लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति के लिए असैनिक  
 नर्सों (औरत) से आवेदनपत्र मांगे हैं। ये नर्सों  
 विवाहित या बच्चों वाली विधवाएँ होनी  
 चाहिए। उक्त सेवा में उन्हें कमीशन भी दिया  
 जाएगा।

**भारत और अन्य देश**

**बेलमाड में भारतीय चित्रों की प्रदर्शनी**  
 गणराज्य दिवस के अवसर पर, यूगोस्ला-  
 विया के सांस्कृतिक आयोग के सचिव  
 श्री इवोफ्रोल ने बेलमाड में आधुनिक भारतीय  
 चित्रों की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।  
 इसमें ५७ तैल चित्र और वाटर कलर के चित्र  
 रखे गए हैं, जो भारत की आधुनिक चित्रकला  
 का प्रतिनिधित्व करते हैं।

**जकार्ता में भारतीय कला प्रदर्शनी**  
 हुआजोनेशिया के सिधा तथा संस्कृति मंत्री,  
 प्रो० प्रिजोनेने ने १५ जनवरी को जकार्ता  
 की गवर्नमेंट आर्ट्स गैलरी में भारतीय कला  
 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी

**राज्य**

**राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति**

राष्ट्रपति ने निम्नलिखित राज्य विधेयक  
 पर अपनी स्वीकृति दे दी है:—  
**वर्म्बई गोदाम विधेयक, १९५६**  
 बम्बई राज्य के विभिन्न भागों में इस समय  
 गोदाम सम्बन्धी जो कानून लागू हैं, उनमें  
 एकरूपता लाने के लिए यह कानून बनाया  
 गया है। इस विधेयक से सरकार को कुछ  
 सामानों को गोदामों में भरने और स्वतंत्र  
 गोदामों को कायम करने में सहायता मिलेगी।  
 इन विधेयक में इन गोदामों की देखरेख और  
 नियंत्रण की भी व्यवस्था है।  
 केन्द्रीय सरकार के अधिनियमों के अधीन  
 जो गोदाम बनाए गए हैं या जिन्हें लाइसेंस  
 दिया गया है, उन पर वह विधेयक लागू नहीं  
 होगा।

में प्राचीन तथा नवीन भारतीय कलाकृतिया  
 रखी गई हैं।

**भारत में स्विट्ज़रलैंड के नये राजदूत**  
 परराष्ट्र मंत्रालय को २२ जनवरी को एक  
 विज्ञप्ति में बताया गया है कि जैववैत  
 एलबर्ट कट्टट भारत में स्विट्ज़रलैंड के  
 असाधारण राजदूत और पूर्वाधिकारी नियुक्त  
 हुए हैं।

**भारत में हंगरी के नये राजदूत**  
 परराष्ट्र मंत्रालय को १९ जनवरी की एक  
 विज्ञप्ति में बताया गया है कि डा०  
 लाजो रेकबई भारत में हंगरी के नये असा-  
 धारण राजदूत और पूर्वाधिकारी नियुक्त  
 किए गए हैं।

# स मा चार - दर्शन

१६ जनवरी से ३१ जनवरी तक

## जनवरी

- १७—भारत की दो सप्ताह की यात्रा पर नेपाल के प्रधान मन्त्री महामहिम श्री बी० पी० कोइराला का पटना आगमन
- भारत की दो सप्ताह की यात्रा पर पोलैण्ड के ५ कानून-शास्त्रियों के एक शिष्टमण्डल का बम्बई से नयी दिल्ली आगमन
- मद्रास में हुए क्रिकेट मैच में आस्ट्रेलिया भारत पर विजयी
- १८—कनाडा सरकार के विदेश मन्त्री श्री हावर्ड ग्रीन द्वारा कोलम्बो योजना के अन्तर्गत १९५९-६० के वित्तीय वर्ष के लिए भारत को २।। करोड़ डालर की सहायता देने की ओटावा में घोषणा
- २०—रूस की सर्वोच्च सोवियत की प्रेजीडियम के अध्यक्ष, महामहिम श्री बोरोसिलोव और उनके दल का भारत की दो सप्ताह की यात्रा पर नयी दिल्ली आगमन—उनके दल में महामहिम श्री एक० आर० कोबोलोव, रूस के मन्त्रिमण्डल के प्रथम उपाध्यक्ष और महामहिम महिम फुन्सेवा, रूस के सर्वोच्च सोवियत की डिप्टी भी शामिल हैं
- २१—१ जनवरी, १९६० ने आरम्भ होकर तीन साल के लिए भारत और यूरोपियन देशों में एक नये व्यापार और भूगतान समझौते पर नयी दिल्ली में हस्ताक्षर—माघ ही एक ऋण समझौते और दोनों देशों में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक सहयोग सम्बन्धी समझौते पर भी हस्ताक्षर
- बम्बई में रोबर्ट रूप के फाइनल मैच में कलकत्ता की ईस्ट बंगाल को हराकर कलकत्ता की मोहम्मदन स्पोर्ट्स टीम विजयी
- २२—नयी दिल्ली में राष्ट्रमण्डल प्रसारण सम्मेलन का उद्घाटन

## जनवरी

- २३—पेट्रोल-उत्पादनों सम्बन्धी समस्याओं पर सरकार को परामर्श देने के लिए भारत सरकार द्वारा १५ सदस्यों की एक समिति नियुक्त करने की घोषणा
- २४—भारत सरकार द्वारा भारत-उत्तर वियतनाम व्यापार समझौते को तीन साल के लिए २० सितम्बर, १९६२ तक बढ़ाने की घोषणा
- २५—हावडा में प्रोटोटाइप प्रोडक्शन और ट्रेनिंग केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में जापान से समझौते पर हस्ताक्षर
- २६—देश भर में गणराज्य दिवस मनाया गया
- २८—कलकत्ता में हुआ ५वां भारत-आस्ट्रेलिया क्रिकेट टेस्ट मैच अनिर्णित समाप्त—आस्ट्रेलिया ने रवर जीता
- २९—आमाम और आन्ध्र प्रदेश की कोयला खानों के कोयले के भूखण्डों के संशोधन के लिए नियुक्त ममिति की सिफारिशों भारत सरकार द्वारा स्वीकार
- मिलाई इस्पात कारखाने के रिफ़ैक्ट्री मटीरियल प्लांट का उद्घाटन
- ३०—मारे देश में महारत्ना गांधी की बरती गृहीद दिवस के रूप में मनाई गई
- ३१—भारत सरकार द्वारा भारत-इण्डोनेशिया व्यापार समझौते को ३० जून, १९६० तक बढ़ाने की घोषणा
- राज्यों के दलित, बगं कल्याण मन्त्रियों का दो दिन का सम्मेलन नयी दिल्ली में आरम्भ
- सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों के सम्मेलन के पश्चात् जयपुर ही में राज्यों के सहकार मन्त्रियों का दो दिन का सम्मेलन आरम्भ
- गातवा अखिल भारतीय ह्यूकरघा सप्ताह आरम्भ


# टिकट सावधानी से चिपकाइये इससे डाक प्रेषण में शीघ्रता आती है



• तोल के अनुसार ठीक टिकट लगाइये  
कम टिकटों और बिना टिकटों वाली चिट्ठियां देरी से पहुंचती हैं, क्योंकि छंटाई के समय उन्हें हिसाब लगाने के लिए अलग रख दिया जाता है।



• टिकट, पते वाली तरफ ऊपर के दाहिने कोने में चिपकाइये  
इससे छंटाई के काम में कम समय लगता है और साथ ही स्वचालित मशीन में मुहर लगाने का काम तेजी से होता है।



• श्रावश्यक मूल्य की दम से कम टिकटें लगाइये  
इससे साफ पता लिखने के लिए काफी जगह बच रहेगी और टिकटों पर मुहर लगाने में भी सुविधा होगी।



• टिकट अच्छी तरह चिपकाइये  
अच्छी तरह न लगे टिकट यदि गिर गए तो उन पत्रों को बेरंग अथवा कम टिकट वाले पत्र समझा जाता है। इनके जाने में देरी भी हो सकती है।

हमें उत्तम  
सेवा का अवसर दीजिये  
डाक-तार विभाग


अपर्याप्त और ठीक ढंग से टिकट न लगाने से पत्रों के पहुंचने में देर ही नहीं लगती अपितु उससे सम्बन्धी डाक-व्यवस्था में अड़चन पैदा हो जाती है।

अपने टिकट ध्यान-पूर्वक लगाइये

डाक विभाग



# और उद्योगों में भी



## मेट्रिक की शुरुआत

१ जनवरी, १९५८ से मेट्रिक प्रणाली का प्रारम्भ हुआ था, तब से अनेक उद्योगों जैसे कि पटसन, लोह व इस्पात, वस्त्र, सीमेन्ट, कागज, नमक, इंजीनियरी, काँची, अलौह धातुओं, कच्चे तेल आदि, ने मेट्रिक माप-तौल को अपनाना शुरू कर दिया था। तब से इस दिशा में और भी प्रगति हो रही है।

नारियल रेशे के उद्योग में मेट्रिक प्रणाली अपनाने की जनवरी, १९५९ से अनुमति दे दी गई थी, बीनो उद्योग ने इस प्रणाली का प्रयोग १ नवम्बर १९५९ से प्रारम्भ कर दिया।

अप्रैल, १९६० से इस काम में और भी गति पा जायेगी जब अनस्पति और रंग-रोगन उद्योग भी मेट्रिक प्रणाली अपना लेंगे।

१ अप्रैल, १९६० से पेट्रोल और पेट्रोल की बस्तुओं का सम्पूर्ण वितरण लिटरो और मेट्रिक इकाइयों में ही होगा।



इस दिशा में एक और भी महत्वपूर्ण कदम अगस्त १९६० से उठाया जायेगा जब कस्टम और सेण्ट्रल एक्साइज् विभाग भी मेट्रिक प्रणाली अपना लेंगे।

अपनाइये

## मेट्रिक प्रणाली

सरलता व एकरूपता के लिए  
भारत सरकार द्वारा प्रचारित

डी ए ५९/४१२

तीन भारतीय बालिकाएं (दाएं से दाएं) दोमा, श्री तेनजिंग की भतीजी, और पेम पेम और नीमा, श्री तेनजिंग नोके की बेटियां, जोकि चो ओयू के अंतर्राष्ट्रीय महिला अभियान दल की सदस्य थीं, भारत सरकार के निमन्त्रण पर दिल्ली में गणराज्य दिवस समारोह देखने के लिए आईं




साहित्य अकादमी के सचिव श्री के० आर० कृपलानी (दाएं) नयी दिल्ली में १५ जनवरी को जापान के ओसाका विश्वविद्यालय की फंकल्टी आफ लैटंस के डॉन प्रोफेसर मसकियो मियामोतो को अकादमी के प्रकाशन भेंट करते हुए

आस्ट्रिया के वित्त मंत्री डा० रेनहार्ड कामिटज, नयी दिल्ली में १८ जनवरी को केन्द्रीय उद्योग मंत्री श्री म० भाई शाह के साथ



# और उद्योगों में भी



## मेट्रिक की शुरुआत

१ अक्टूबर, १९५८ से मेट्रिक प्रणाली का आरम्भ हुआ था, तब से अनेक उद्योगों जैसे कि पटसन, लोह व इस्पात, वस्त्र, सीमेण्ट, कागज, नमक, इंजीनियरी, कॉफी, अलुमिना धातुओं, कच्चे रबर आदि, ने मेट्रिक माप-तौल को अपनाना शुरू कर दिया था। तब से इस दिशा में और भी प्रगति हो रही है।

नारियल देशों के उद्योग में मेट्रिक प्रणाली अपनाने की अक्टूबर, १९५९ से अनुमति दे दी गई थी, चीनी उद्योग ने इस प्रणाली का प्रयोग १ नवम्बर १९५९ से आरम्भ कर दिया।

अप्रैल, १९६० से इस काम में और भी गति धा जायेगी जब यन्त्रपति और रंग-रीगन उद्योग भी मेट्रिक प्रणाली अपना लेंगे।

१ अप्रैल, १९६० से पेट्रोल और डेट्रोल की घस्तुओं का संपूर्ण वितरण लिटरो और मेट्रिक इकाइयों में ही होगा।



इस दिशा में एक और भी महत्वपूर्ण कदम अगस्त १९६० से उठाया जायेगा जब फुटम और सैपटल एक्साइज विभाग भी मेट्रिक प्रणाली अपना लेंगे।

अपनाइये

## मेट्रिक प्रणाली


सरलता व एकरूपता के लिए  
भारत सरकार द्वारा प्रसारित

डी ए ५९/५३२

तीन भारतीय बालिकाएं (दाएं से बाएं) दोमा, श्री तेनजिंग की भतीजी, और पेम पेम और मोमा, श्री तेनजिंग मोर्के की बेटियां, जोकि चो ओयू के अन्तर्राष्ट्रीय महिला अभियान दल की सदस्य थीं, भारत सरकार के निमन्त्रण पर दिल्ली में गणराज्य दिवस समारोह देखने के लिए आईं




साहित्य अकादमी के सचिव श्री के० आर० कृपलानी (दाएं) नयी दिल्ली में १५ जनवरी को जापान के ओसाका विश्वविद्यालय की फंक्ल्टी आफ लैटर्स के डॉन प्रोफेसर मसकियो मियामोतो को अकादमी के प्रकाशन भेंट करते हुए




आस्ट्रिया के वित्त मन्त्री डा० रेनहार्ड कामिटज, नयी दिल्ली में १८ जनवरी को केन्द्रीय उद्योग मन्त्री श्री मरुभाई शाह के साथ



२६ जनवरी को गणराज्य दिवस समारोह के अवसर पर नयी दिल्ली के राजपथ के ऊपर सलामी देने वाले विमान-दल में शामिल तीन तूफानी विमान तिरंगा ध्वज छोड़ते हुए आकाश में भारतीय राष्ट्र-ध्वज बनाते हुए



आसाम के लोक-नर्तक गणराज्य दिवस समारोह पर नयी दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में 'काशी' नृत्य प्रस्तुत करते हुए



# आर्य समाज समाचार

Ms  
11/2




वर्ष ३

१ फरवरी, १९६० ( १२ भाग, १८८१ )

अंक १





यूनेस्को के महानिदेशक डा० वितोरिगो  
बेरोनोड नयी दिल्ली में १५ जनवरी  
को राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद के साथ

प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू  
भारत-याक सीमा घाटी के लिए आए  
हए पाकिस्तानी मिष्टकण्डल के नेता  
लेफ्टिनेंट जनरल के० एम० दीव को  
नयी दिल्ली में ८ जनवरी को दिए गए  
एक स्वागत समारोह में अभिवादी करते  
हए

पश्चिम जर्मनी के सुप्रसिद्ध उद्योगपति  
श्री एल्फ्रेड क्रॉर, जो आजकल भारत  
के बीरे पर आए हुए हैं, नयी दिल्ली  
में वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई के  
साथ



# भारतीय समाचार

वर्ष ३

१ फरवरी, १९६०  
१२ मार्च, १९६१

अंक १

एक प्रति ४० ०.३५ १ टिकिट १४ सेंट

वार्षिक मूल्य ४० ७.०० १७ शि. ६ पेंस २.५ डालर

## मुख्य विषय

कोलम्बो योजना की वार्षिक रिपोर्ट : १९५८-५९ में भारत की वार्षिक स्थिति	४
राज्यों व केन्द्र-नामित प्रदेशों की १९६०-६१ की योजनाएँ	६
मशीन टूल उद्योग का विकास	९
यम मन्त्रियों का सम्मेलन	१६
अन्न उत्पादन की समस्या : श्री पाटिल का ब्राडकास्ट	२०
तीनरी योजना में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	२५

**श्रावण चित्र :** रूस की सर्वोच्च सोवियत की प्रिंसोडियम के अध्यक्ष, महामहिम श्री बोरोशिलोव का राजकीय यात्रा पर २० जनवरी को नयी दिल्ली पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रपति श्रीर प्रधान मन्त्री द्वारा स्वागत । रूसी सर्वोच्च सोवियत की डेप्युटी श्रीमती फुतू सेवा, जो प्रेसिडेन्ट बोरोशिलोव के साथ आई हैं, चित्र में दाईं ओर सिरे पर हैं ।

(‘भारतीय समाचार’ में सरकारी गतिविधियों और घोषणाओं का संक्षिप्त रिकार्ड प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है । स्थान संकोच के कारण अनेक विषयों की संक्षेप में ही दिया जाता है । ऐसे विवरणों की पूर्ण अधिकृत विवरण नहीं सम्भना चाहिए ।)



## भारत-पाक सीमा वार्ता पर संयुक्त विज्ञप्ति

भारत-पाक सीमा वार्ता के अन्त में ११ जनवरी को निम्नलिखित संयुक्त विज्ञप्ति नये दिल्ली में जारी की गयी —  
पूर्वो पाकिस्तान और भारत की बहुत-सी सीमा सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए अक्टूबर १९५९ में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मंत्रि-स्तरीय सम्मेलन में किये गये निर्णय के अनुसार लाहौर, रावलपिंडी और दिल्ली में ४ जनवरी से ११ जनवरी, १९६० तक पश्चिम पाकिस्तान और भारत के सीमा सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करने के लिए मंत्रि-स्तरीय सम्मेलन हुआ । पाकिस्तान के प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल, के० एम० शीत और

भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व सरदार स्वयं सिंह ने किया ।

२ इस प्रदेश में पांच विवादास्पद क्षेत्र थे - (१) चक लहूके, (२) येहू सर्जो-मर्जा, (३) हुसेनीवाला, (४) सुलेमान के हंड-वर्त (५) कच्छ-निधि सीमा । इनमें से पहले चार विवादों का कारण यह था कि रेडक्लिफ एवार्ड पर भारत और पाकिस्तान सरकारी के बीच मतभेद था । इन विवादों को सीमा सम्बन्धी थोड़ा-सा हेरफेर करके हल कर लिया गया, जो पैरा ३ के अनुसार है ।

३ पाकिस्तान ने चक लहूके से अपना अधिकार छोड़ दिया और भारत ने येहू मर्जा-मर्जा, रात हरदितसिंह तथा पठानके गाबों से अपना अधिकार छोड़ दिया । हुसेनीवाला हंडवर्त के सम्बन्ध में फिरोजपुर और लाहौर जिलों की सीमा को सीमा मान लिया गया ।

सुलेमानके हंडवर्त के सम्बन्ध में भी गमतीना हुआ और जिंटे की सीमाओं में आवश्यक हेरफेर करने का समझौता किया गया ।

४ कच्छ-निधि सीमा के सम्बन्ध में दोनों देशों ने और अधिक विवरण इकट्ठा करने का फैसला किया । इन विवाद को हल करने के लिए बाद में विचार-निमित्त हुआ ।

५ पश्चिम पाकिस्तान और भागन की सीमा के सम्बन्ध में कुछ न्यून-विषय भी निर्धारित किये गये ।

६ पश्चिम पाकिस्तान और पञ्जाब (भारत) की सीमा सम्बन्धी हदवर्तों के बारे में यह तय किया गया कि इन पान को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाए और अक्टूबर १९६० तक पूरा कर दिया जाए । यह तय किया गया कि इन क्षेत्र में एक-दूसरे देश के अधिकार नहीं हैं, जिन पर उनका अधिकार नहीं है, उनको अलग-अलग १५ जनवरी, १९६० तक पूरी कर ले जाए ।

७ पाकिस्तान ने गान्धुनि नया भागन के प्रयास मन्त्री ने १ फरवरी, १९६० को अन्त-



भेंट में दोनों देगों के बीच मित्र पत्राचारियों जैसे सम्बन्ध बंधन को कहा था। पूर्वी पाकिस्तान और भारत तथा पश्चिम पाकिस्तान और भारत की बहुत-सी सीमा सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के दोनों देगों को सरकारों में आपसी सम्बन्धों को मित्रतापूर्ण बनाने की दिशा में एक और कदम उठाया है।

### भारत-पाक वित्त वार्ता

**वित्त** मन्त्रालय (अर्थ विषय विभाग) की ४ जनवरी की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के अर्थ-कारियों में छिड़े मन्त्राङ्क विभाजन सम्बन्धी अनिर्णयित वित्तीय विषयों के बारे में जो बात-बात शुरू हुई थी, वह चार दिन के बाद कल समाप्त हो गई। मंत्री बानचोत बहुत गहनता और मित्रतापूर्ण वातावरण में हुई। दोनों देगों को केन्द्रीय सरकारों को विभाजन के पञ्चम्यक जो देना या देना है, उनके बारे में भिन्न-भिन्न रकमों का फलना हो गया। इसी प्रकार सड़े हुए प्राणों के बारे में भी लेन-देन हो रहा है। अधिमान चीन के बारे में निर्णय हो गया है और जिनके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं थी, उन्हें दोनों देगों के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन तक के लिए छोड़ दिया गया। भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों ने अन्य बड़-बड़ विवादास्पद मामलों पर विचार किया और उनमें तय करने के उपाय भी गाये।

उन बातों के लंबी दोना देगों के अनिर्णयित अन्तर्-अन्तरी सरकारों को बनाएँ और दोनों देगों के वित्त मंत्रियों आपस पर विचार करने। दोनों देगों के मंत्रियों को बैठक का स्थान और तरीका आदि बाद में निर्दिष्ट होंगे।

पाकिस्तान के प्रतिनिधिमण्डल के नया बरत के वित्त मन्त्रि, श्री एम. ए. मन्त्राङ्क और भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के नेता वित्त मन्त्रालय के निदेश मन्त्रि, श्री एम. सी. रत्नागोरे से।

### नये महालेखा परीक्षक

**राज्य** मन्त्रालय के ३० दिसम्बर की एक प्रेष विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्य-परिषद में श्री भगोब कुमार चण्ड के स्थान पर

श्री अरुण कुमार राय को भारत का महालेखा परीक्षक और निवृत्त निवृत्त किया है। श्री चण्ड के कार्यभार छोड़ने पर श्री राय अपना काम महालेखी।

### स्वराष्ट्र मन्त्रालय के कुछ काम शिक्षा मन्त्रालय को सौंपे गये

**मंत्रि**मण्डल मन्त्रिवालय की ५ जनवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्य-परिषद के आदेश से ४ जनवरी, १९६० (पीप १४, १८८१) से स्वराष्ट्र मन्त्रालय के कुछ काम शिक्षा मन्त्रालय को सौंप दिये गये हैं। राज्य-परिषद का यह आदेश भारतीय मन्त्रि-परिषद के अनुच्छेद ७० के खण्ड (३) के अनुसार जारी किया गया है।

स्वराष्ट्र मन्त्रालय में ये काम लेकर शिक्षा मन्त्रालय को दिये गये हैं

(क) अनाथों और अनाथालयों का प्रबन्ध,

(ख) सामाजिक तथा नैतिक उत्थान के काम, जैसे—वृत्तित्त विषयों के आश्रम तथा उनका देखभाल के केन्द्र इत्यादि—

(१) १९५६ के खिदमों और लडकियों में व्यभिचार कराने की पाबन्दी के कानून पर अमल,

(२) रक्षा मददों की स्थापना और देगभाल,

(ग) वे गमाज कन्वन्शन योजनाएँ, जो पुनर्स्थापन मन्त्रालय में स्वराष्ट्र मन्त्रालय को सौंपी गयी थीं। इनमें गमाज कन्वन्शन और पुनर्स्थापन विभागों का प्रबन्ध भी शामिल है।

### रवीडन के प्रधान मन्त्री की भारत यात्रा

**स्वीडन** के प्रधान मन्त्री, श्री पी. ओ. आग्नेडर १२ दिन की यात्रा के लिए १८ दिसम्बर को रात को रवीडन दिल्ली पहुंचे। इस अवधि में उन्होंने राज्य-परिषद का राज्य-परिषद और प्रधान मन्त्री, श्री नेहरू से बात-चीत की और जयपुर, आगरा, मद्रास, बंगलौर, बम्बई आदि अनेक स्थानों को यात्रा की। उन्होंने ३० दिसम्बर को भारत में प्रस्थान किया।

### संसदीय समितियों की रिपोर्टें : सम्बद्ध मन्त्रालयों से जवाब तलब

### सां

संसदीय समितियों की रिपोर्टें में सरकारी मन्त्रालयों की जो आलोचना की है, वह सम्बन्धित मन्त्रालयों के पास, वास्तविक स्थिति मात्र प्रकट करने के लिए भेजी जा रही है। भारत सरकार का प्रशासनिक निगरानी विभाग संसदीय समितियों की रिपोर्टों को जांच करता है। इन रिपोर्टों के आधार पर विभिन्न मन्त्रालय जो कार्रवाई करते हैं, उनके बारे में भी यह विभाग सूचना करता रहता है। यह विभाग ससद की कार्रवाई का अध्ययन करने, काम में विलम्ब, अनियम आदि की ओर भी सरकारी विभागों का ध्यान दिलाता है।

### सरकारी कर्मचारी

प्रत्येक मन्त्रालय में समय-समय पर मन्त्रि-परिषद की अध्यक्षता में बैठक होती रहती है। इनमें छप्टाचार की कर्मचारियों के तिलाफ़ कार्रवाई करने में जो दिक्कत होती है, उस पर विचार और जांच आदि की जाती है। छप्टाचार रोकने के लिए कानूनों में भी कुछ मन्वीयन किए गए हैं। उदाहरणार्थ, रिश्कत देना अपराध है, किन्तु अगर कोई रिश्कत देने वाला रिश्कत देने वाले के तिलाफ़ बयान दे तो उसे कानूनी मरक्षण दिया जाता है।

पौजदारी कानून (मन्वीयन) अधिनियम, १९५८ के अन्तर्गत मार्गदर्शक नियमों और सरकार द्वारा स्थापित अन्य स्थापित विभागों के कर्मचारी भी अब सरकारी कर्मचारी माने जाते हैं। प्रथम श्रेणी अथवा अगल भारतीय सेवाओं का कोई अधिकारी अबतक प्राप्ति के दो साल बाद तक बिना सरकार की आज्ञा के किसी फर्म आदि में नौकरी नहीं कर सकता।

छप्टाचार निरोधक कानून के अन्तर्गत अगर किसी कर्मचारी के तिलाफ़ कोई मन्वीयन मिल जाता है तो उसे कम से कम एक साल की बंद की गजा देना आवश्यक कर दिया गया है। इससे कम गजा देने पर रिहाई में उनके तलाफ़ नियमों का मरक्षण होता है। ऐसे मामलों में जमाना भी उकता ही दिया जाता है, जितने को उस कर्मचारी में रिश्कत आदि भी हो।

एक हजार ५० के गजा की मन्त्रालयों के बंधन का शरीरद्वर कर सरकारी कर्मचारी को उकता हुआ देना पटना है तथा १ हजार ५०



## कोलम्बो योजना की वार्षिक रिपोर्टें

### १९५८-५९ में भारत की आर्थिक स्थिति

कोलम्बो योजना की सलाहकार समिति की १९५८-५९ की रिपोर्ट में बताया गया है कि यद्यपि इस साल भारत की आर्थिक अवस्था पर काफी वीक्षण रहा, किन्तु फिर भी पिछले साल १९५७-५८ से इसमें काफी सुधार हुआ है। विदेशी मुद्रा कोष में जिस गति से ह्रास हो रहा था, वह काफी धीमी पड़ गई है और पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष केन्द्र और राज्यों के बजट का घाटा भी कम रहा। १९५६-५७ में विदेशी मुद्रा कोष में २ अरब २१ करोड़ ३० लाख रु०, १९५७-५८ में २ अरब ५९ करोड़ ९० लाख रु० और इस वर्ष यानी १९५८-५९ में केवल ४६ करोड़ ६० लाख रु० की कमी हुई। इसी प्रकार केन्द्र और राज्यों के बजट में १९५७-५८ म ४ अरब ९९ करोड़ रु० का घाटा था, जो इस साल घटकर १ अरब ५६ करोड़ रु० का रह गया। इस वर्ष पंदावार पिछले साल से १४ प्रतिशत अधिक रही। १९५७-५८ में ६ करोड़ २५ लाख टन अनाज पैदा हुआ था और इस साल १९५६-५७ से भी, जो तब तक का सबसे अच्छा साल था, ४७ लाख टन अधिक पैदा हुआ।

१९५८-५९ की आर्थिक और वित्तीय नीतियां वही थीं, जिनकी पिछले साल शुरूआत हुई थी। इनके कारण सामनों और मांग के अंतर को कम करने में सहायता मिली। व्यापार सम्बन्धी नीति का उद्देश्य, देश के आन्तरिक सामनों को और बढ़ाने तथा पूंजी सम्बन्धी नीति का उद्देश्य माल को बेबाक बाढ़ में ऊंचे दामों पर बेचने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित करना रहा, फिर भी अधिक पूंजी लगाने को प्रोत्साहन दिया गया। निर्यात बढ़ाने और आयात को कम करने की बराबर कोशिश की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए उपलब्ध देशी और विदेशी साधनों का फिर से अंदाज लगाया गया और साधनों के

अनुसार ही योजना पर खर्च करने का विचार किया गया।

यद्यपि इस वर्ष देश की आर्थिक स्थिति में स्पष्ट सुधार हुआ है, लेकिन इसका बड़ा कारण पंदावार में काफी वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन में थोड़ी सी वृद्धि और विदेशी सहायता में अधिक वृद्धि होना है। फिर भी, अर्थ-व्यवस्था पर अधिक वीक्षण न डालते हुए तेजी से विकास की आवश्यकता है।

#### उत्पादन

अग्नाज : देश के बहुत से भागों में सूखा पड़ने के कारण १९५७-५८ में अग्नाज की उपज १० प्रतिशत घट गयी थी। लेकिन १९५८-५९ में अन्न की पैदावार पिछले साल से अधिक ७ करोड़ ३५ लाख टन या १८ प्रतिशत अधिक और १९५६-५७ से भी ७ प्रतिशत अधिक हुई। इस साल विदेशों से ३४ लाख टन अनाज मगाया गया, जबकि पिछले साल ३६ लाख टन मगाया गया था। अन्न का सर-रकी स्टॉक १९५८ के अप्रैल के शुरू में १५ लाख १० हजार टन था, जो मार्च १९५९ के अन्त तक ११ लाख ५० हजार टन रह गया। इस प्रकार देशवासियों को इस साल अधिक अनाज मिल सका। अधिक लाभकारी फसलों की पंदावार भी इस साल पिछले साल से अधिक हुई। अनाज आदि की पंदावार का इस साल का अस्थायी सूचक अंक १३१ है जबकि १९५६-५७ का यह सूचक अंक १२३.६ और १९५७-५८ का ११४.६ था।

उद्योग : इसी प्रकार कल-कारखानों में बनने वाली चीजों का उत्पादन भी १९५८-५९ में ऊंचा रहा। १९५१ के उत्पादन को १४१ है, जबकि १९५६-५७ का १३५.६ और १९५७-५८ का १३७.९ ही था। बहुत से उद्योगों की उत्पादन-शक्ती भी इस वर्ष काफी बढ़ी। इस दृष्टि से मांग, मयक के तेजाब,

फास्टिक सोडा, रंग-रोगन, दियामनाई, नीमेट, अलमुनियम, रेयन, मिलाई की मशीन, बिजली के पत्तों, और साइकिल इत्यादि उद्योग उल्लेखनीय हैं। वर्तमान इस्पात कारखानों को बढ़ाने का काम प्रायः पूरा हो चला है और आशा है कि १९५९-६० में कारखानों के विस्तार के फलस्वरूप इस्पात का उत्पादन भी लगभग ५ लाख टन बढ़ जाएगा। १९५९-६० के शुरू के दिनों में भी औद्योगिक उत्पादन अच्छा रहा। पटसन और सूती कपड़े के उद्योगों में जमा माल की निकाली सत्तोपजनक रही। वर्तमान रुख से यह आशा होती है कि १९५९-६० में औद्योगिक उत्पादन पिछले दोनों सालों से अधिक रहेगा।

#### मूल्य

थोक मूल्यों का सूचक अंक (१९५२-५३=१००) इस वर्ष पिछले साल से ४ प्रतिशत अधिक रहा। यह वृद्धि मुख्य रूप से खान-पान की चीजों के सूचक अंक के बढ़ने (लगभग ८ प्रतिशत) के कारण हुई। १९५६-५७ के शुरू में थोक मूल्यों का सूचक अंक ९८ था, जो इसी साल के अन्त में १०६ हो गया। अगले साल यानी १९५७-५८ का सूचक अंक पिछले साल से ३ प्रतिशत अधिक था।

१९५८-५९ में मूल्यों पर अच्छी फसल का कुछ असर तो अवश्य पड़ा, लेकिन मांग के बढ़ने और कोयले आदि उद्योगों में कर्मचारियों के वेतन बढ़ने से अनाज को छोड़कर अन्य चीजों के मूल्य ऊपर ही गये।

#### भुगतान सतुलन की स्थिति

दूसरी योजना के शुरू से ही भुगतान सतुलन की स्थिति अच्छी नहीं रही है। १ अप्रैल, १९५९ को यानी दूसरी योजना के शुरू के दिन भारत के रिजर्व बैंक की विदेशी लेनदारी ७ अरब ४६ करोड़ १० लाख रु० थी, जो मार्च १९५७ के अन्त में घटकर २ अरब १९ करोड़ ३० लाख रु० रह गई थी, यद्यपि इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी ६० करोड़ ७० लाख रु० निकाल लिया गया था। मार्च १९५८ के अन्त तक इस लेनदारी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ३४ करोड़ ५० लाख रु० लेने पर भी २ अरब ५९ करोड़ ८० लाख रु० की कमी रही और मार्च १९५९ तक तो यह ५३ करोड़ ९० लाख रु० और घटकर २ अरब १३ करोड़ १० लाख रु० ही रह गयी।

भुगतान की इस प्रतिकूलता का मुख्य कारण योजना के पहले तीन सालों में भारत के विदेशी व्यापार में जबरदस्त घाटा था। आयात और निर्यात में १९५५-५६ में जहा १ अरब २१ करोड़ २० लाख रु० का अन्तर था, वहा अगले साल, १९५६-५७ में यह अंतर बढ़कर ४ अरब ६४ करोड़ ३० लाख रु० और १९५७-५८ में ६ अरब ९ करोड़ ५० लाख रु० का हो गया। १९५८-५९ म यह घाटा ४ अरब ७० करोड़ ४० लाख रु० था, यानी १९५६-५७ से कुछ ही अधिक रहा। १९५६-५७ में कुल आयात ३ अरब ३८ करोड़ १० लाख रु० बढ़कर १० अरब ९९ करोड़ ५० लाख रु० का हो गया। इस प्रकार इस साल आयात में ४४ प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगले साल १९५७-५८ में आयात में १ अरब ४ करोड़ ७० लाख रु० या लगभग १० प्रतिशत की वृद्धि हुई, किन्तु आयात घटाने के प्रयत्नों के फलस्वरूप १९५८-५९ में आयात में १ अरब ५७ करोड़ ७० लाख रु० की कमी की जा सकी। १९५७ के शुरू से ही विदेशों से कम माल मगाने के प्रयत्न द्रिये जा रहे हैं।

### निर्यात

१९५८-५९ में निर्यात में कमी रही। निर्यात में १९५६-५७ में ६ अरब ३५ करोड़ २० लाख रु० और १९५७-५८ में ५ अरब ९४ करोड़ ७० लाख रु० की आय हुई। १९५८-५९ में निर्यात में १८ करोड़ ६० लाख रु० अथवा ३ प्रतिशत की कमी हुई।

इस साल चाय और कपास के निर्यात में वृद्धि हुई। इस साल १७ करोड़ ७० लाख रु० की चाय और ७ करोड़ १० लाख रु० की कपास भेजी गयी। पर पटसन के सामान, सूती माल और वनस्पति तेल के निर्यात में कमी हुई। इस साल ११ करोड़ ९० लाख रु० का पटसन का सामान, १३ करोड़ २० लाख रु० का सूती माल और ५ करोड़ ६० लाख रु० वनस्पति तेल भजा गया। कच्चे मँगनीज का निर्यात भी १९५७-५८ के २९ करोड़ ५० लाख रु० से गिरकर १९५८-५९ में १३ करोड़ २० लाख रु० रहा।

साल के आरम्भ में यूरोप और अमरीका में इन चीजों की माग कम रही, सूती कपड़े की बिचो में अन्य देशों के साथ काफी मुठभार रहा और दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ देशों में

विदेशी मुद्रा की कठिनाई रही। इन्ही कारणों से निर्यात गिरा। अब फिर निर्यात बढ़ने लगा है और कुछ नई चीजों का निर्यात किया जाने लगा है।

### विदेशी सहायता

अप्रैल १९५६ के आरम्भ से जुलाई १९५९ के अन्त तक ११ अरब ९ करोड़ २० लाख रु० का ऋण तथा अनुदान मिला। पहली योजना से भी १ अरब ९३ करोड़ ४० लाख रु० बचा हुआ था। इस प्रकार जुलाई १९५९ के अन्त में दूसरी योजना के लिए १३ अरब २ करोड़ ६० लाख रु० विदेशी महायता के रूप में उपलब्ध था। इसमें यह ३५ करोड़ डालर भी शामिल है, जो अत राष्ट्रीय बैंक और पाच देशों की सरकारों ने दिया था। बैंक ने अगस्त १९५८ में भारत की कठिनाइयों के बारे में विस्तार से विचार करने के लिए बैठक बलाई थी और उन समय यह सहायता देने का निर्णय किया था।

मार्च १९५९ के अन्त तक इस रकम में से ७ अरब रु० खर्च किया गया था। इस प्रकार अप्रैल १९५९ के आरम्भ में ६ अरब २ करोड़ ६० लाख रु० बाकी रह गया था।

मार्च में अन्तर्राष्ट्रीय बैंक और उक्त ५ सरकारों के साथ फिर बातचीत हुई और अब चौथे साल के लिए और सहायता मिलने की आशा है।

बैंक और विभिन्न देशों ने जो सहायता दी थी, उसका कुछ भाग निजी क्षेत्र के विकास के लिए भी खर्च किया गया।

### मुद्रा कोष

मार्च १९५८ के अन्त में देश में २३ अरब ८९ करोड़ रु० चलन में रहा। १९५८-५९ में इसमें १ अरब ९ करोड़ रु० की वृद्धि हुई, जबकि १९५७-५८ में ७५ करोड़ ९० लाख रु० और १९५६-५७ में १ अरब २८ करोड़ ६० लाख रु० की वृद्धि हुई थी।

### रोजगार

देश में कामदिलाल कार्यलय ही बँकारी के आकडे देते हैं। मार्च १९५८ के अन्त में इन कार्यालयों की संख्या १९७ थी, जो मार्च १९५९ के अन्त में बढ़कर २२३ हो गयी।

इन कार्यालयों की मासिक ७७ बढ़ने वाली की संख्या मार्च १९५८

१,३२,००० थी, जो मार्च १९५९ के अन्त में बढ़कर १२,१७,००० हो गई।

नोकरी देने वालों ने कामदिलाल कार्यालयों से १९५८-५९ में ३,७२,००० व्यक्ति मागे, जबकि १९५७-५८ में केवल ३,०३,००० व्यक्ति मागे थे। सामान्यत नोकरीयों की संख्या बढ रही है, परन्तु उतनी नहीं, जितनी कि बँकारी की संख्या।

१९५८-५९ में देश की अर्थ-नीति प्राय-वही रही जो पिछले साल थी। आय बढाने के लिए १९५७ में जो काम किये गये थे, वे १९५८-५९ में भी किये गये, यथा—करों में वृद्धि, बैंक दर में वृद्धि, आयात पर नियन्त्रण, निर्यात को प्रोत्साहन आदि।

उत्पादन बढाने में जो विवकल आ रही थी, उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया गया। उद्योगों को अधिक कच्चा माल दिलाने का प्रबन्ध किया गया, ताकि वहाँ पूरी सामर्थ्य से उत्पादन हो सके।

अगस्त १९५९ में लगभग २५० चीजों पर से निर्यात सम्बन्धी नियंत्रण हटाया गया, ताकि उनका अधिक निर्यात हो और धाय बढे।

१९५८-५९ में पैदावार बढने से गल्ले का भाव नही बढा; फिर भी अनाज के भावों में उतना परिवर्तन नही हुआ, जितने की आशा थी। बाजारों में अनाज की आमद कम रही।

इस साल राज्यों में जहा अधिक गल्ल्या हुआ, उसे खरीदकर सरकारी गोदामों में रखा गया। १९५८ में सरकारी मस्ते गल्ले की ६,००० से भी अधिक टुकानें ग्नीयी गयीं। इस प्रकार कुल टुकानों की संख्या ४५,००० हुई, जहा से ३६ लाख ७० हजार टन गल्ल्या बेचा गया।

### अनुमान

वर्तमान स्थिति की देगकर आगा की जाती है कि दूसरी योजना के लिए जो रकम रखी गयी है, वह योजना को पूरा करने के लिए कम नहीं पडेगी। फिर भी भाव बढने और अनुमानों में मगोपन करने में हो मन्त्रा है कि १९०-२० प्रतिशत की कमी पडे।

पट्टी योजना में राष्ट्रीय आय में प्रतिशत पूरती, जो बारोबार में ०० की, वह बढकर लगभग ७.०

सहयोग पाने के लिए उमे योजना के बारे में तथा उससे होने वाले फायदे की पूरी ओर सही जानकारी देना आवश्यक है। वास्तव में यही कार्य सरकार के सूचना विभागों का है।

## मकान के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण

वि उपमन्त्री, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने १६ दिसम्बर को राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि पॉलिसी होल्डरों को मकान बनाने के लिए ऋण देने की एक योजना तैयार की गई है जित पर जीवन बीमा निगम विचार कर रहा है।

सम्पत्ति और सिविलरिटियों को बन्धक रख कर ऋण देने की योजना के बारे में वित्त उपमन्त्री ने बताया कि बम्बई, कलकत्ता, और मद्रास स्थित सम्पत्तियों और सिविलरिटियों पर ही ऋण दिया जाएगा। यह व्यवस्था पॉलिनी होल्डरों और दूसरे लोगों के लिए भी है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि यह ऋण केवल अनुमोदित पार्टियों को ही दिया जाएगा।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने कहा कि अनुमोदित सम्पत्ति पर ही ऋण दिया जाएगा और ऋण की अधिकतम अवधि १५ वर्ष होगी। ऋण, बन्धक सम्पत्ति के मूल्य के मूल्य के आधे से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा ऋण की रकम सामान्य रूप से कम से कम २५ हजार रुपये और अधिक से अधिक ५ लाख रुपये होगी। इस पर ७ प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से ब्याज लिया जाएगा और ठीक समय पर अदायगी की दवा में ब्याज की दर ६। प्रतिशत कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि बन्धक रख कर कर्ज देने की यह योजना बहुत कुछ उसी तरह की है जैसी राष्ट्रीय ऋण के पूव बीमा कम्पनियों की होती थी। उन्होंने दोनों योजनाओं में तीन मुख्य अन्तर बताये।

(१) जीवन बीमा निगम बम्बई, कलकत्ता और मद्रास स्थित सम्पत्तियों पर ही ऋण देगा, जबकि बीमा कम्पनियाँ ऐसा अब नहीं करती थीं और कुछ मामलों में भारत के बाहर की सम्पत्ति पर भी ऋण

(२) निगम ने ऋण की राशि सीमित कर दी है, यानी कम से कम २५ हजार रुपये और अधिक से अधिक ५ लाख रुपये दिये जा सकते हैं, जबकि बीमा कम्पनियों ने इस तरह की कोई सीमा निश्चित नहीं की थी।

(३) निगम एक ही दर से ब्याज लेगा जबकि बीमा कम्पनियों को ब्याज की दरें कई थी और उनमें काफी अन्तर होता था।

## अमरीकी विकास ऋण कोष के प्रबन्ध निदेशक की भारत-यात्रा

अमरीका के विकास ऋण कोष के प्रबन्ध निदेशक, श्री वान्स ब्राड १० दिन की भारत-यात्रा पर ५ जनवरी, १९६० को कलकत्ता पहुंचे। उनके साथ कोष के उप-प्रबन्ध निदेशक, श्री एडविन किर्वा, ऋण अधिकारी, श्री जाल उल्लिस्की और बिजली इंजीनियर श्री फ्लेट भी भारत आये। श्री ब्राड ७ जनवरी को नयी दिल्ली पहुंचे। यहां वे प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, उद्योग मंत्री श्री मनुभाई शाह और औद्योगिक वित्त निगम के अध्यक्ष श्री के० आर० के० मेनन से मिले। वे वित्त, वाणिज्य और उद्योग, रेल, लोहा और इस्पात तथा सिंचाई और बिजली मंत्रालयों के अतिरिक्त अधिकारियों से भी मिले।

बम्बई में वे रिजर्व बैंक के अध्यक्ष श्री एच० बी० आर० आयगार से भी मिले। अपनी यात्रा के दौरान श्री ब्राड ने राउरकेला इस्पात कारखाना, जमशेदपुर में टाटा इस्पात कारखाना आदि भी देखा।

श्री ब्राड द्वारा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण नयी दिल्ली स्टेशन के प्लेटफार्म पर ११ जनवरी को श्री वान्स ब्राड को भारत में बना डीजल इंजन दिखाया गया। इस इंजन के कुछ हिस्से उक्त कोष के ऋण से खरीदे गए थे। उन्हें भाप का एक इंजन और कुछ बैगन भी दिखाए गए, जो अमरीका गिल्ब सहयोग मण्डल से प्राप्त हुए हैं। इस अवसर पर श्री ब्राड को यह जानकारी दी गयी कि भारतीय रेलें किस प्रकार अमरीकी सहायता का उपयोग कर रही हैं। रेल विभाग के आर्थिक कमिश्नर श्री ज० दयाल ने उन्हें चित्तजन

में बने एक इंजन और मद्रास के रेल-इंजन कारखाने में बने एक डिब्बे के नमूने दिए। श्री दयाल ने कहा कि भारतीय रेलों को कई देशों से सहायता मिली है, किन्तु अमरीका से सबसे ज्यादा सहायता प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि भारतीय रेलों की विकास ऋण कोष से ७ करोड़ ५० लाख डालर का ऋण और शिल्प सहयोग मण्डल से ५ करोड़ डालर की जो सहायता मिली, वह किस प्रकार खर्च की गयी।

## दुहरे आयाकर से बचाव के लिए भारत-जापान करार

नयी दिल्ली में ५ जनवरी को भारत और जापान की सरकारों म दोनों देशों में दुहरे आयाकर के बचाव के लिए एक करार हुआ। करार पर जापान की ओर से वहां के राजदूत डा० गिरोगो नामू और भारत की ओर से राजस्व तथा नागरिक ध्येय मंत्री, डा० गोपाल रेड्डी ने हस्ताक्षर किये।

इस करार की पुष्टि होने पर भारत में इस पर अमल शुरू हो जाएगा। जिस साल दोनों देशों की ओर से पुष्टि के दस्तावेजों का आदान-प्रदान होगा, उनके जनवरी महीने की पहली तारीख को या बाद में शुरू होने वाले सालों की आय के बारे में नयी व्यवस्था लागू होगी। पिछले साल अक्टूबर में टोकियो में दोनों देशों की सरकारों के अधिकारियों में इस करार के बारे में बातचीत हुई थी और उसी समय करार के प्राहण पर हस्ताक्षर कर दिये गए थे।

## दशमिक सिक्कों में सीमा शुल्क की वसूली

भारत सरकार ने उत्पादन और सीमा शुल्क लगाने और वसूल करने में अगस्त १९६० से दशमिक प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है। व्यापारियों और अन्य संबंधित लोगों के कहने पर यह निश्चय किया गया है। पहले इसे १ अप्रैल, १९६० से लागू करने की घोषणा की गयी थी।

उक्त निश्चय को लागू करने की सही तारीख बाद में घोषित की जाएगी।

यह सूचना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की २२ नवम्बर की एक विज्ञापित में दी गयी है।

मशीन के पुनो दूर सीमा शुल्क में विभाजन विभाजन के प्रकार (विभाज) की १० जन- वरी की एक विभाज में बनाया गया है कि भारत सरकार उचित मामलों में मशीन के पुनो के अन्तर्गत पर सीमा शुल्क में विभाजन करने पर विचार करेगी।

अन्तर्गत होने वाली पुनो मशीनों पर विभा- वरी दूर में अनुमानित १० प्रतिशत सीमा शुल्क लगाया है। मशीन के पुनो का निम्नो पुनो मशीन नहीं माने जाते, इसलिए उन पर सामान्य दूर में शुल्क लगाया है और इस प्रकार इनमें के कुछ पर उन्नी दूर में शुल्क देना पडा है।

दूर में मशीनों के निर्माण को बढ़ाने के लिए भारत सरकार मशीन या यंत्रों के पुनो करने के अन्तर्गत की अनुमति देगी है, जो यहाँ

नहीं बनते। भारत सरकार यह नहीं चाहती कि इन प्रकार के मशीनी भागों को मंगाने वालों को उन्नी दूर में शुल्क देना पड़े, इसलिए भारत सरकार इस प्रकार के उचित मामलों में शुल्क में गिनतान करने पर विचार करेगी।

**ट्रावनकोर बैंक के द्विपदारी को मुआवजा**  
**वि** मन्तव्य (अर्थ विभाग) की १२ जन- वरी की एक विभाज में ट्रावनकोर बैंक के द्विपदारी के मुआवजे की अजियां वाली मशी है। एक अधिगणना द्वारा केन्द्रीय सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (महापक बैंक) अधिनियम १९५९ की धारा १३ (३) के अनुसार द्विपदारी के यह अजियां मांगी है। इस अधिनियम में स्टेट बैंक के महापक बैंकों के द्विपदारी को मुआवजा देने की व्यवस्था है।

**परिवहन उद्योग**

१९५९ के पहले की मशीनों में, १९५८ की इन्गी अवधि की तुलना में, ३५ प्रतिशत वारों और ४२ प्रतिशत जीपें अधिक बनीं। बीजल गाड़ियां भी लगभग २९ प्रतिशत अधिक बनीं।


**मशीन हस्त उद्योग का विभाज**

देश में दूर के विस्वपुष्ट से पहले मशीनी औजार नहीं के बजाकर बनते थे। उस समय हर साल लगभग २ करोड़ ६० के मशीनी औजार विदेशों से मगाने जाते थे और यहाँ मामूली सरदार, धातु कार्टने की आदि साधारण औजार ही बनाये जाते थे। कार- पतानों में ये औजार भी मशीनें में २-३ से अधिक नहीं बन पाते थे।

दूर के विस्वपुष्ट में जब विदेशों से मशीनी औजार आना बंद-सा हो गया, तब सरकार ने इन्हें यहाँ बनवाने का प्रयत्न किया। उसने- यंत्र और कारीगर दिये, जिससे १९४२ में १,८०० मशीनी औजार बने। बाद में इनकी संख्या बढ़ती गई और १९४५ में १ करोड़ ६० लाख ६० के लगभग ११,००० मशीनी औजार बने। इस प्रकार युद्ध के छ. वर्षों में (सितम्बर १९३९ से सितम्बर १९४५ तक) देश में १ करोड़ ६० के लगभग २०,००० मशीनी औजार फौजी सप्लाई के लिए बने और ३३ करोड़ ६० लाख ६० के लगभग २८,००० औजार विदेशों से मंगाने गये।

परन्तु देश में जो औजार बनते थे, वे मामूली और पुराने ढंग के होते थे। वे छोटे-छोटे कार्यों में तो इस्तेमाल हो सकते थे परन्तु अच्छे रेल-कारखानों, आयुष कारखानों और बड़े उद्योगों के लिए वे उपयुक्त नहीं थे।

पहली योजना में सरकार ने मशीनी औजार बनाने का कारखाना लगाने का कार्यक्रम बनाया। इसमें १९५२-५३ में ६५ लाख ६० के २,१०० और १९५५-५६ में १ करोड़ ६० के ३,३०० साधारण औजार बनाने का लक्ष्य रखा गया। पहली योजना में मुख्य ध्येय उद्योगों को शुरु करने के लिए तैयारी करना था। इसलिए १९५५-५६ तक अधिक मशीनी औजार नहीं बन पाये।



**संरचित उद्योगों की वार्षिक समीक्षा**

तुल्यक आयोग के सितम्बर १९५९ को मगाने गए की मशीन से बना बना है कि इन उद्योगों को गठकर सम्बन्धी ध्यान मिला है, उन्होंने इस भाग वाली अवधि की है।

वारी मशीनों के संरचित उद्योगों में ये कार- वराने की मशीनों के उद्योग ने उन्नेमनीय भवति की। अनुमान है कि १९५९ में ४०३ स्वचालित करके बने, जबकि १९५८ में केवल ३६ स्वचालित करके ही बने थे। अनुमान है कि १९५९ में रिंग कौम की २५ प्रतिशत अधिक बने हैं। कुछ उद्योगों में कई कारखानों ने उत्पादन में वयो भी हुई है।

**बैनिक इस्तेमाल की चीज**

इस समय योजना इस्तेमाल होन वाली चीजों में केवल दियासलाई और प्लास्टिक के बरतों के उद्योग की ही संरचना मिला हुआ है। १९५९ के पहले ९ मशीनों में, १९५८

के इन्गी मशीनों की तुलना में, ३५ प्रतिशत अधिक बटन बने। दियासलाईयां भी इन्गी अवधि में ३ प्रतिशत अधिक बनीं।

**औद्योगिक कच्चे माल**

औद्योगिक कच्चे माल के धनगत ७७ उद्योगों को संरचना प्राप्त है। इनमें से लक्ष- मुनियम का उत्पादन ७८ प्रतिशत, पीतल के तार का १०० प्रतिशत से अधिक, कॅल्शियम फेन्टेट का ९० प्रतिशत, काले गंधक का ५३ प्रतिशत और ओलिक ऐमिड का ६९ प्रतिशत बडा है। परन्तु हाइड्रोक्विनोन, सोमा, जस्ता आदि कुछ चीजों का उत्पादन गिरा है।

दूर उद्योग वर्ष में इस साल कुछ नये कारखाने भी बने। कार्टिक सोडा के तीन कारखाने शुरू और १९५९ के पहले ९ मशीनों में इतका उत्पादन, १९५८ की इसी अवधि के उत्पादन से, १० प्रतिशत बडा। साथ ही तरल क्लोरीन का उत्पादन भी २२ प्रतिशत बडा। मोरिडिंग पाउडर और कांच की चूईर बनाने का भी १-१ कारखाना खुला और इतका उत्पादन क्रमशः २६ और १५ प्रतिशत बडा।

१९५१ में बंगलौर के निकट जलहाली में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाना खड़ा किया गया। यहाँ सूक्ष्म यंत्र (प्रेसिजन टूल्स) भी बनाए जाते हैं। इस कारखाने से देश के उद्योगों को तो भयद मिलेगी ही, इससे मशीनी औजार बनाने के और जो कारखाने खड़े किये जाएंगे, उनसे लिए भी, जमीन तैयार हुई। इस कारखाने को 'बालू' करने में कुछ देर लगी—यह मई १९५६ में बालू हुआ और इसने बहुत अच्छा काम किया है। निजी क्षेत्र के अनेक कारखानों में उत्पादन बढ़ाने और किफायत करने के लिए जो प्रयत्न किये जाते हैं, वे इस कारखाने में भी किये गये। मसलन, दो-तीन पाली चलाना, विभिन्न प्रकार की चीजें तैयार करना, बोनस देना, विक्री बढ़ाना, कारखाने को बढाना आदि। इससे कारखाने का उत्पादन बढा है, खर्च कम हुआ है और औद्योगिक स्थिति सुधरी है।

कारखाने की उन्नति का अनुमान वहाँ बनें 'वाले' औजारों के उत्पादन से लगाया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं—

वर्ष	हि०म० टूल्स कारखाने का उत्पादन	देश भर का उत्पादन
------	--------------------------------	-------------------

(करोड़ रु० में)	(करोड़ रु० में)
१९५१-५७	१.०८
१९५७-५८	२.३५
१९५८-५९	३.०४
१९५९-६०	३.८२

(अनुमानित)

सन् १९५६-५७ में यहाँ केवल एक प्रकार के खरादे ही बनते थे। सन् १९५७-५८ में प्रकारों की मिलिंग मशीनों और सन् १९५८-५९ में १० तरह की बर्मों और ४४ तरह की खरादे बनने लगीं। शुरू-ही में इन मशीनों में बहुत कम विदेशी पुर्जें लगाये गये। दूसरे साल खरादों में केवल १० प्रतिशत और मिलिंग मशीनों में २० प्रतिशत तथा पहले साल रेडियल बर्मिंग में २० प्रतिशत ही विदेशी पुर्जें लगाये गये।

कारखाने को औजार बनाने के लिए अच्छी बनावट का मालू पाने में कठिनाई पड़ी है। इसलिए वह ६० लाख रु० की लागत से अपनी फाउण्डरी बना रहा है।

कारखाने में बने मशीनी औजारों का मूल्य भी उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है। पहले हिन्दुस्तान लेय का दाम ३६,००० रु० था; १ जून, १९५७ से इसके मूल्य में ३,००० रु० की ओर ३ जून, १९५८ से पुनः ३,५०० रु० की कमी कर दी गई है। न० २ बटिकल मिलिंग मशीन का दाम पहले ४०,५०० रु० था; १ जून, १९५८ से इसमें १,५०० रु० की कमी कर दी गई है। इसी प्रकार न० ३ होरिजेंटल मिलिंग मशीन के मूल दाम (५५,५०० रु०) में १ जून, १९५८ से २,००० रु० की कमी की गई है।

माघ १९५६ से कारखाने की सपद १ करोड़ ८२ लाख रु० से बढ़कर ३१ माघ, १९५९ को ३ करोड़ ९३ लाख रु० हो गई है। पिछले तीन वर्षों की प्रगति को देखकर अब कारखाने में १९६०-६१ में १,००० और तीसरी योजना के अन्त तक २,००० मशीनी औजार बनाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है।

मांग में वृद्धि

दूसरी योजना में उद्योग, खानों का काम, बिजली का उत्पादन और यातायात बढ़ने से मशीनी औजारों की मांग भी बढी है। इस मांग को पूरा करने के लिए विदेशों से १९५४ में ३ करोड़ ८६ लाख रु०; १९५५ में ५ करोड़ २९ लाख रु०, १९५६ में ८ करोड़ ३७ लाख रु०, १९५७ में १४ करोड़ ६४ लाख रु०, १९५८ में १५ करोड़ ३१ लाख रु० और १९५९ में (जनवरी से अक्टूबर तक) ८ करोड़ ५६ लाख रु० के मशीनी औजार मगाने पड़े।

इस तरह मांग बढ़ने और विदेशी मुद्रा की किल्लत पड़ने से दूसरे निर्माताओं ने मशीनी औजार बनाने शुरू किये हैं। बढ्ते बनाने के लिए सरकार ने अनेकों लाइसेंस दिये हैं। १९५९ में सरकार ने इसकी पडताल कराई कि तीसरी योजना में मशीनी औजार उद्योग को कितना बढ़ाया जाना चाहिए। अनुमान लगाया गया है कि १९६५-६६ तक इस उद्योग पर हर साल ३० करोड़ रु० लगाने की जरूरत पड़ेगी। यह भी कहा गया है कि एक विधेयत समिति जल्दी ही इस उद्योग

का अध्ययन करे, ताकि उसके आधार पर कारखाने खोले जाएं, जो लाभ से बनें।

सभी जानते हैं कि कल-कारखाने बढ़ाने के लिए मशीनी औजारों की कितनी जरूरत है। इस उद्योग को बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार और गैर-सरकारी निर्माता, दोनों पर है। अतः इसके विकास का कार्यक्रम ऐसा बनना चाहिए, जिससे दोनों के काम में मेल रहे और उद्योग की तेजी से प्रगति हो। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की मशीनी औजार विकास परिषद इस संयोजित विकास के लिए प्रयत्नशील है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० का विस्तार कार्यक्रम

भारत सरकार ने बंगलौर के हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की उत्पादन क्षमता १,००० मशीन सालाना से बढा कर २,००० मशीन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

कारखाने का विस्तार करने पर २ करोड़ ८० लाख रु० का पूंजीगत व्यय होगा। इसमें से १ करोड़ १५ लाख रु० की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी।

पिछले कुछ सालों में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० का उत्पादन बहुत बढा है। दूसरी योजना में हर साल ४०२ मशीनों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। यह लक्ष्य १९५७-५८ में ही पूरा हो गया। इन मशीनों पर १ करोड़ ४० लाख रु० लागत आई। समय से तीन साल पहले ही लक्ष्य पूरा हो जाने का श्रेय कारखाने के पुनर्गठन और कई पारियों में काम होने को है।

चालू वर्ष (१९५९-६०) में हर साल २॥ करोड़ रु० की लागत से लगभग ७०० मशीनें बनेंगी। आशा है कि दूसरी योजना की समाप्ति (१९६०-६१) तक ३॥ करोड़ रु० की लागत पर हर साल १,००० मशीनें बनने लगेंगी। जब १९६३ में हर साल प्रत्यांश २,००० मशीनें बनने लगेंगी तो उत्पादन का खर्च ७ करोड़ रु० हो जाएगा।

कम्पनी की मशीन बनाने में इस समय भी लाभ हो रहा है। आशा है कि १ करोड़ ६७ लाख रु० के सरकारी धन पर ५॥ प्रतिशत

की दर में स्थिर और हिमालयों की लम्बाई देने के बाद भी कम्पनी की बच्चा होगी, जो कारखाने की बचाने के कार्यक्रम पर सब को बाधेगी।

मशीनें बनाने की योजना में भी बाधा बनी हुई है। इन्हें मशीनों की कीमत घटा दी गयी है। एटो १ हजार मिलीमीटर की लम्बाई का मशीन की कीमत ३९ हजार ६० में घटकर ३६ हजार ६० की गई। बाद में १ टन, १९५८ से इनकी कीमत २९॥ हजार ६० कर दी गयी। बाद में बनावे हुए इकाई किंग की लम्बाई मशीनों की कीमत लगभग ४० हजार ६० पड़ी है।

### सरकारी इस्पात कारखानों के विकास के लिए सामन्वय समिति

हुताश के मंत्री सरकारी कारखानों के विस्तार को प्रोत्साहन प्राप्त करना बचाने के लिए विभिन्न संगठनों के काम को समन्वित करने के लिए सामन्वय समिति नए समिति बनाने का फैसला किया है। इस समिति में एल.के. बिरला, मिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखानों के मान्य जनरल मैनजर, इन्डिया, मान्य गीर ईरन मन्गल्य के मान्य जग ईरन विभाग का साहा और इस्पात विभाग का एन.ए.के. गिरी शामिल होगा। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का जनरल मैनजर (मान्य विभाग) और गार्ल फररार के साहा और इस्पात नियन्त्रक भी इस समिति के सदस्य होंगे। साहा और इस्पात विभाग का प्रतिनिधि समिति का प्रोत्साहक होगा।

यह समिति विभिन्न वर्गों के इस्पात के उत्पादन के सम्बन्ध में तीनों इस्पात कारखानों के विकास की योजना बनाएगी। उम्मीद है कि तीनों पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के कुछ बाद विभिन्न वर्गों के इस्पात की माग बढ़ जाएगी।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में लोहा और इस्पात उद्योग के विकास के कार्यक्रम के बारे में इस समय अध्ययन कार्य हो रहा है। लोहा और इस्पात उद्योग के लिए अन्ततः चाहे जो कदम निर्धारित किया जाए, इसका तो स्पष्ट ही है कि सूरसेला, मिलाई और दुर्गापुर के

कारखानों का विकास आवश्यक है क्योंकि इनमें बचती हुई लोहा का पूर्वी है।

इन इकाईयों का विकास के विभाग के कार्य-क्रम बनाने में जो विभिन्न संगठन शामिल हैं उनके बारे में सामन्वय करने समय यह समिति और बाधा के अभाव में लोहा, लोहा और बिजली न पानी की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखेंगे।

### सूरसेला में एल.के.बी. विधि से इस्पात का निर्माण

भारत सरकार के इस्पात, मान और इस्पात मंत्री, सरदार स्वर्ण सिंह ने १० जनवरी को राजसेला इस्पात कारखाने में एल.के.बी. विधि से इस्पात बनाने वाली मशीन का उद्घाटन किया। अब इन कारखानों में एल.के.बी. विधि में इस्पात बनने लगा है।

यह विधि आग्निपुत्रा में निष्पत्ती हुई थी। इसमें कम लागत आती है और अधिक माल उत्पादन होता है। इस विधि में पिघले हुए लोहे पर प्रत्यक्ष गैस अधिक मशीनें से आग्निपुत्रा पूर्ण जाती है।

इस विधि में गठरकेला ७॥ लाख टन इस्पात बनायेगा। इसके जलवा २॥ लाख टन इस्पात पुरानी विधि मुझे भट्टों (अपन हूप फर्नेस) से बनवाया। तीनों सरकारी कारखानों में केवल राउरकेला में ही इस विधि से इस्पात बनना है।

इसके पूर्व ११ जनवरी को उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने कारखानों की अनुमति और स्लेबिंग मिल का उद्घाटन किया।

### मिलाई इस्पात कारखाने का दिसम्बर १९५६ का उत्पादन

दिसम्बर १९५९ में मिलाई इस्पात कारखाने में ३४,९७५ टन लोहे के डोके बनाए गए। इसमें से लगभग २५,१२२ टन लोहे के डोके देश के विभिन्न कारखानों को भेजे गए। इस कारखाने की बिलेट मिल २४ दिसम्बर, १९५९ को शुरू हुई थी। इस मिल में ३१ दिसम्बर तक १,२०० टन बिलेट बनायी गयी। इसमें से ६५० टन देश की विभिन्न रॉलिंग मिलों को भेजी गयी।

इस कारखाने में १५ दिसम्बर से उर्वरक बनाने की मशीन चालू हुई थी, जिसमें ३१ दिसम्बर तक ३२४ टन सल्फेट की खाद बनायी गयी। इसमें से मध्य प्रदेश के बिलासपुर और अन्य जिलों को १११ टन खाद भेजी गयी।

### सरकारी कारखानों में पर्यामीटर और बिजली की मोटरें बनाने की योजना

तीन सरकारी कारखानों में विभिन्न प्रकार का सामान बनाने की योजना तैयार की जा चुकी है।

कलकत्ता के राष्ट्रीय औद्योगिक कारखानों ने एक प्राचीन कम्पनी के सहयोग से डाक्टर पर्यामीटर बनाने का निर्णय किया है। यहाँ पर १९६२-६३ तक हर साल ६ लाख पर्यामीटर बनाने लगेगे। इन पर्यामीटरों की कीमत बाहर से मगाने हुए पर्यामीटरों से कुछ कम ही होगी। राष्ट्रीय औद्योगिक कारखाना देश में ही पर्यामीटर बनाने वाला दूसरा कारखाना होगा।

नाहन फाउण्ड्री ने बिजली की मोटरें बनाने का निश्चय किया है। यहाँ पर शुरू में हर साल १,२०० मोटरें बनाई जाएंगी। बाद में कारखाने का विस्तार किया जाएगा और हर साल ३,६०० मोटरें बनाने लगेगी। यहाँ पर कई किस्म की मोटरों के नमूने तैयार किये जा चुके हैं।

बंगलूर के हिन्दुस्तान मशीन टूल, लिमिटेड ने इटली की एक कम्पनी के सहयोग से १६ किस्म की पिसाई की बेलनाकार मशीनें बनाने का निश्चय किया है। आशा है कि १९६० के अंत तक कुछ मशीनें बनकर तैयार हो जाएंगी।

### छोटे कारखाने खोलने के लिए लाइसेंस आवश्यक नहीं

भारत सरकार ने छोटे कारखानों खोलने के बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी है। ऐसे छोटे कारखाने खोलने के लिए, जिनमें किसी इस्तेमाल नहीं होवी और मजदूरों की संख्या १०० से कम है अथवा बिजली इस्तेमाल पर मजदूरों की संख्या ५० से कम है,



अधेवा राज्य सरकार से इजाजत या लायसेंस लेने की जरूरत नहीं है।

किन्तु, इसमें एक अपवाद है। जिन कारखानों में इस्पात के छड़ और तार आदि बनाए जाएंगे, उन्हें लोहे और इस्पात नियंत्रक से इजाजत लेनी होगी, चाहे उन कारखानों में ५० से कम मजदूर काम करे।

इसी प्रकार देशी मशीनों अथवा देश में उपलब्ध विदेशी मशीनें खरीदने के लिए भी किसी से लाइसेंस या इजाजत लेने की जरूरत नहीं। यह इजाजत तब लेनी पड़ती है, जब इन कारखानों को विदेशी से मशीनें मगानी पड़ती है।

### कागज के नये कारखाने

भारत सरकार ने ११ नए छोटे कारखानों को कागज बनाने के लाइसेंस दिए हैं। इन कारखानों को लगभग २२ लाख रु० की विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ेगी। ये कारखाने देश के विभिन्न भागों में खोले जाएंगे, जिनमें प्रतिवर्ष २१,२०० टन कागज बनेगा।

तीन कारखाने बम्बई राज्य में खोले जाएंगे, जिनमें ७,२०० टन कागज बनेगा। उत्तर प्रदेश में भी प्रतिवर्ष ४,२०० टन कागज बनाने वाली तीन मिले खोली जाएंगी। पंजाब में लगभग २,७०० टन कागज बनाने वाली दो मिले खुलेगी। तीन कारखाने प० बंगाल में खुलेगे, जहां प्रतिवर्ष लगभग ७,००० टन कागज बनेगा।

देश में, १९५९ में लगभग ३ लाख टन कागज बनाया गया, जबकि १९४८ में १ लाख टन से भी कम बना था। आशा है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक ४ लाख २० हजार टन कागज बनने लगेगा।

### अहमदाबाद की कंपनी की जांच

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की २५ दिसम्बर की एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत सरकार ने अहमदाबाद (बम्बई राज्य) की मेसर्स हूपीसिंह मैन्यु-फैक्चरिंग कंपनी लि० की जांच करने के लिए उद्योग विभाग और नियमन अधिनियम, १९५१, की धारा-१५ के अन्तर्गत, एक समिति नियुक्त की है। श्री मदनमोहन मंगलदास

इस समिति के अध्यक्ष हैं और श्री धामस डैसा तथा श्री एस० एम० यूसुफ इसके सदस्य हैं।

### खेतड़ी और दरौबो में तांबे की खोज

भारत सरकार ने कुछ समय पहले राजस्थान में खेतड़ी और दरौबो के क्षेत्र में तांबे के लिए जो आजमावशी खुदाई की थी, उससे बड़ा बड़ी मात्रा में तांबा मिलने के आसार प्राप्त हुए हैं।

खेतड़ी की पट्टी में जो लगभग १६ मील में फैली हुई है ३ स्थानों पर तांबा खोजा गया है। यह स्थान राजस्थान के झुन्झुनू जिले में है। इन स्थानों में अब और अधिक खुदाई की जाएगी। इसी प्रकार अलवर जिले के दरौबो क्षेत्र में भी एक स्थान पर बड़ी मात्रा में तांबा मिलने के लक्षण हैं।

इस आजमावशी खुदाई के पूरे हो जाने पर पता लगेगा कि इन दोनों स्थानों पर कितना तांबा मिल सकता है। इसी बात को देख कर तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए उत्पादन के लक्ष्य स्थिर किये जाएंगे। यदि यहां तांबे की अच्छी खानें मिली तो लगभग १० हजार टन तांबा निकाले जाने का अनुमान है।

आजकल देश में प्रतिवर्ष विभिन्न रूप में लगभग ५० हजार टन तांबा खपता है। १९६१ तक देश की खपत ६० हजार टन तक बढ़ने की संभावना है और तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में तो ७५ से ८० हजार टन तक। इस समय केवल बिहार की खानों से लगभग ८ हजार टन तांबा निकलता है। इन खानों का प्रबन्ध भारतीय तांबा निगम के हाथ में है।

### लम्बे रेसो के कपास के अधिकतम मूल्य

का पुनर्निर्धारण  
जनवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत सरकार ने १-१/३२" रेसो वाले तथा अन्य लम्बे रेसो के कपास का अधिकतम मूल्य तुरंत ही फिर से निर्धारित करने का निश्चय किया है।

लम्बे रेसो की कपास उगाने वाले किसानों की यह शिकायत थी कि मीठूडा अधिकतम

मूल्य से उन्हें बहुत हानि है। अधिकतम मूल्य फिर से निर्धारित करने का यह निश्चय किसानों की इस शिकायत पर विचार करने के बाद किया गया है।

भारत सरकार लम्बे रेसो के कपास का उत्पादन बढ़ाना चाहती है। दूरू में लम्बे रेसो के कपास का अधिकतम मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से कुछ अधिक निर्धारित किया गया था। लेकिन अब और देशों के बाजार में लंबे रेसो के कपास का मूल्य बढ़ गया है। अतएव भारत सरकार का यह खयाल है कि और देशों के बाजारों में लंबे रेसो के कपास के मूल्य में जो वृद्धि हुई है उसका कुछ लाभ भारतीय किसानों को भी मिलना चाहिए, जिससे इस किस्म के कपास के उत्पादन पर असर न पड़े।

### मीट्रिक माप-तोला के बाटों का निर्माण

मीट्रिक माप-तोला के बाट और पमाने बनाने के लिए आंध्र प्रदेश, बम्बई, केरल, मद्रास, मैसूर और पंजाब तथा दिल्ली शासन के १०६ कारखानों को लाइसेंस दिये गये हैं। इस समय ३०५ ऐसे कारखाने हैं, जो देश की जरूरत पूरी करने के लिए काफी सख्या में बाट और पमाने बना सकते हैं। इनमें से कुछ सरकारी क्षेत्र में भी है।

नेशनल सैम्पल सर्वे में यह अनुमान लगाया है कि इस समय देश में ५ करोड़ ४० लाख बाट और १० लाख पमाने काम में लिये जा रहे हैं। अगले २ साल में इनके स्थान पर मीट्रिक बाट और पमाने चलाये जाएंगे।

नये बाट और पमाने की बिक्री लाइसेंस-प्राप्त दुकानदार करेगे।

### तांबे का उत्पादन

भारतीय खान कार्यालय से जानकारी मिली है कि जनवरी से नवम्बर १९५९ तक खानों से ३,७३,००० टन तांबा (खनिज) निकाला गया, जबकि १९५८ की इसी अवधि में ३,७५,००० टन निकाला गया था। यह तांबा बिहार राज्य के सिंहभूम जिले में निकाला गया।

जनवरी से नवम्बर १९५९ तक ७,४६५ टन तांबा (धातु) तैयार किया गया, जबकि १९५८ की इसी अवधि में ७,२३५ टन तैयार किया गया था।

भारतीय फिल्मों के पुगने आगतक है, गिनिज बुक में उपाया बिदत. एम. फ्राय, अमरगोता और काला भी भारतीय फिल्मों का आयात करने हैं ।

### निर्देश में वृद्धि

भारत सरकार ने एक अलग उपाय किया है कि फिल्म निर्देशकों में अधिक भारतीय फिल्मों को आयात करने में वृद्धि गतिमान हो कि निर्देशकों पर निर्देशकों को फिल्मों को आयात करने का अधिकार दिया गया है ।

निर्देशकों ने निर्देशकों में भारतीय फिल्मों को आयात करने के लिए परमात्र भी को है । इससे फिल्मों को आयात करने में अधिकार अधिकार बराबरी गयी है, जो निर्देशकों का अधिकार है कि फिल्मों को आयात करने की गुंजायमान है ।

इस देश में निर्देशकों-निर्देशकों सभी विदेशी भारतीय फिल्मों को आयात करने की मुक्ति प्राप्त है । यह देश में निर्देशकों को आयात करने की परमात्र भी ।

यह उपाय निर्देशकों में निर्देशकों-निर्देशकों को आयात करने में अधिकार भी को है । निर्देशकों निर्देशकों-निर्देशकों के निर्देशकों के प्राप्त-सूचना का अधिकार निर्देशकों को अधिकार भी को है ।

### फिल्म निर्यात वृद्धि समिति की बैठक

नया निर्देशकों में ९ जनवरी को फिल्म निर्यात वृद्धि समिति की बैठक में यह बताया गया कि निर्देशकों के निर्देशकों से १९५९ में जनवरी में निर्देशकों से, देश को १,२३,१७,००० रु० की आगमनी हुई । इसके मुताबिक १९५८ के पूरे साल में १,१३,०९,००० रु० की फिल्मों का निर्यात हुआ था । समिति की बैठक के समाप्ति केन्द्रिय सूचना तथा प्रसारण मंत्री, डॉ० वाजुदेव विजयनाथ केसकर ने थे ।

समिति ने अकरा, जकार्ता (इंडोनेशिया) और सिंगापुर में भारतीय फिल्म समारोह करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । इसी प्रकार फारिस में जल्दी ही होने वाले अफ्रीकी-एशियाई फिल्म समारोहों में भाग लेने का भी निश्चय किया गया ।

### नवम्बर १९५९ में भारत का विदेशी व्यापार

कलकत्ता के वाणिज्य, सूचना और अक विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नवम्बर १९५९ में जट, मल और हवाई मार्गों में निर्देशकों और सरकारी तौर पर भारत के विदेशी व्यापार के करने आंकड़े इस प्रकार हैं :

#### व्यापारी माल

दूधमें नैपाल, तिब्बत, भिक्कम और भूटान के माय इवत मार्ग में होने वाला व्यापार शामिल नहीं है । निर्यात—६१ करोड़ २६ लाख रु०; पुनर्निर्यात—५० लाख रु०; आयात—६९ करोड़ ९९ लाख रु० । आयात के आर्थों में उच्च सरकारी सामान का मूल्य शामिल नहीं है, जिसका हिसाब होना अभी बाकी है ।

#### कोय

नोटों का निर्यात (पुनर्निर्यात सहित)—८९ लाख रु०; मॉना—नगण्य; चालू सिक्के (मॉने के सिक्कों के अलावा)—नगण्य । नोटों का आयात—३७ लाख रु०; सोना—११ लाख रु०; चांदू सिक्के (सोने के सिक्कों के अलावा)—नगण्य ।

#### व्यापार तुला

व्यापारी माल और सोने का कुल निर्यात (पुनर्निर्यात सहित) आयात से ८ करोड़ ३४ लाख रु० कम रहा ।

### भारत-हंगरी व्यापार सम्झौते की अवधि बढ़ी

भारत और हंगरी के बीच व्यापार सम्झौते की अवधि ६ महीने बढ़ाने के सम्बन्ध में १३ जनवरी को नयी दिल्ली में हंगरी के व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नेता और भारत सरकार की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव में आवश्यक कागज-पत्रों का आदान-प्रदान हुआ । अद्य सम्झौते की अवधि बढ़कर ३० जून, १९६० तक हो गई है । भारत मुख्यतः खनिज लौह, जूट का सामान, वनस्पति तेल, कच्ची ऊन, काँची और अन्नक हंगरी भेजता है । हंगरी ने भारत मुख्यतः इस्पात का सामान, मशीनी औजार, नै और दवाएं आदि भगाता है ।

## साइकिलों का निर्यात

भारतीय साइकिलों की ६ देशों में बहुत माग है। सन् १९५९ में नवम्बर तक के ११ महीनों में लगभग ४ लाख २० हजार ६० की २,८०४ साइकिलें निर्यात की गयी। १९५८ को इसी अवधि में केवल ५ साइकिलें निर्यात हुई थी।

बर्मा, लद्दा, मलाया, अफगानिस्तान, मोजाम्बिक और नाइजीरिया भारतीय साइकिलें आयात कर रहे हैं।

सन् १९५९ में नवम्बर तक लगभग १ लाख ८० हजार ६० के साइकिल-युक्तों का भी निर्यात हुआ। इसके अलावा भारत में बनी तीन पहियों वाली साइकिलों की भी विदेशों में माग बढ़ती जा रही है।

भारतीय साइकिलों का निर्यात बढ़ाने के लिए कई प्रयत्न किए गए हैं। एक-एनीयोजना लागू की गयी है, जिनके अन्तर्गत विदेशों में भारत से सस्ते दामों पर भारतीय साइकिलें बेची जाती हैं। निर्यात के लिए साइकिल बनाने वालों को लोहा और इस्पात घटी दरों पर दिया जाता है। साइकिलें बनाने में जो कुछ कच्चा माल लगता है, उसके आयात की भी छूट दी जाती है।

फैक्ट्रियों से उन बन्दरगाहों तक, जहाँ से साइकिलें निर्यात होती हैं, साइकिलों के रेल-भाड़े में भी ५० प्रतिशत तक की रियायत दी जाती है। निर्यात की जाने वाली साइकिलों को रेल द्वारा बन्दरगाहों तक भेजने में भी प्राथमिकता दी जाती है।

## अमरीका महाद्वीप में इंजीनियरी माल का निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न

अमरीका महाद्वीप के देशों में भारत के बने इंजीनियरी माल की खपत की वधा गुजादम है, इसका अध्ययन करने के लिए यहाँ के निर्यातकों और निर्माताओं का एक प्रतिनिधिमण्डल इस महीने के अंत तक खाना होगा। यह ६ हफ्ते तक वेस्ट इंडीज, दक्षिण अमरीका, मद्रास राज्य अमरीका और कनाडा में घूमगा।

भारत में करोड १। करोड का माल इस ढंग पर निर्यात किया जा रहा है, जिसमें अधिकांश साइकिलें आयात की जाती हैं।

कोशिश करने से इस महाद्वीप के अन्य देशों में भी भारतीय माल का निर्यात बढ़ने की सम्भावना है।

यह प्रतिनिधिमण्डल निर्यात वृद्धि परिपद के प्रयत्न से भेजा जा रहा है। इसके पहले ६ और सिष्टमडल दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जा चुके हैं।

रंगून में इंजीनियरी की चीजों का शो रूम इंजीनियरी की चीजों का निर्यात करने के खयाल से इंजीनियरी निर्यात प्रोत्साहन परिपद ने रंगून में अपना कार्यालय खोला है। यह कार्यालय बर्मा के आयातकों, वाणिज्य सघों आदि से सम्पर्क स्थापित करेगा। भारतीय इंजीनियरी की चीजें दिखाने के लिए रंगून में एक शो रूम खोला गया है।

कुछ समय पहले इंजीनियरी निर्यात प्रोत्साहन परिपद ने बर्मा को इंजीनियरी की भारतीय चीजें निर्यात करने की सम्भावनाओं का अध्ययन किया था। इनमें पता चला कि बर्मा में इन चीजों की काफी खपत हो सकती है। इसलिए रंगून में शो रूम खोलने का निश्चय किया गया है।

सन् १९५९ में अक्टूबर तक के १० महीनों में बर्मा को लगभग २५ लाख ६० का भारतीय इंजीनियरी का सामान निर्यात हुआ। इनमें खेती के औजार, साइकिलें, बिजली का सामान, बिजली के पत्ते, लोहे का फर्नीचर, रेडियो सेट, सिलाई की मशीनें आदि थी।

## मोम्बासा में भारतीय माल की प्रदर्शनी

अभी हाल में मोम्बासा में भारत में बनी चीजों की प्रदर्शनी हुई। प्रदर्शनी बहुत लोकप्रिय रही और रोजाना प्रदर्शनी का मजप दरोंको से खचालच भरा रहा। प्रदर्शनी शुरू होने के दिन ही लोगों ने बिजली के पत्तों और सिलाई की मशीनों के बहुत से आर्डर दिए। साइकिलों, बेदान इस्पात के बर्तनों, अक्षरताज के सामान आदि के व्यापार के लिए खरीद के बारे में भी बहुत पूछताछ हुई।

यह प्रदर्शनी अफ्रीका के दारुमस्लाम, कम्पाला और नैरोबी शहरों में भी लगाई जायेगी।

## निर्यात प्रोत्साहन के लिए रेल-भाड़े में रियायत

निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए रेल मण्डल ने कुछ स्टेशनों से कुछ विंगेप बन्दरगाहों तक कुछ और चीजों के रेल-भाड़े में रियायत दी है। यह रियायत बिजली की मोटरों, सूती और बालों के पट्टों, चक्की के पाटों, मशीनी पेंशों, चाय की प्लाईवुड की पेटियों आदि के रेल-भाड़े में दी गयी है।

रियायत देने की योजना के अन्तर्गत माल-गाड़ी के किराये में ५० प्रतिशत की छूट दी जाती है। कुछ अन्य चीजों में यह रियायत पहले भी दी जा चुकी थी।

## सजावटी बर्तन निर्यात करने वालों को सुविधाएं

भारत सरकार ने अखिल भारतीय दस्तकारी मण्डल को तांबे और पीतल के सुन्दर सजावटी बर्तन और जरी के काम की चीजें निर्यात करने वालों के नाम रजिस्टर करने का काम नीपा है। नाम रजिस्टर करने का यह निश्चय इमालि किया गया है, ताकि इन निर्यातकों को तांबा, जस्ता, टिश्यू कागज, पालिया करने का सामान, विभिन्न रासायनिक पदार्थ आदि आसानी से मिल सके।

## जरते के आयात की व्यवस्था

भारत सरकार ने जरते की वर्तमान किल्लत दूर करने के लिए भारी मात्रा में जरते का आयात करने का प्रबन्ध किया है। अगले दो महीनों में बाजार में लगभग १० हजार टन जस्त आ जायेगा।

इसमें से कुछ जस्त राज्य व्यापार निगम के जरिये मंगया जाएगा। निगम ने विदेशी व्यापारियों से इस बारे में सोचे किने हैं। कुछ माल खाना भी हो चुका है और जस्त ही बाजार में पहुँच जाएगा। बाकी जस्त भी चालू लाइसेंस अवधि के समाप्त होने, नती मार्च १९६० से पहले ही पहुँच जाएगा।

इसके अलावा व्यापारियों और उप-योक्ताओं को भी चालू अवधि के लिए जरते के आयात के लाइसेंस दिये गये हैं।

पिछले दो महानों में जस्टे के भाव बहुत करीब ५० प्रतिशत, चढ़े हैं। इसका एक वाग्य व्यापारियों की मट्टेबाजों और दूसरा, उप-पोसाओं की धबराहट है।

### भारत और ईरान के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए यात्रा

भारत और ईरान के बीच व्यापार बढ़ाने के विषय पर ईरान के व्यापार प्रतिनिधि मंडल और भारतीय अधिकारियों के एक दल में जो वार्तालाप चल रही थी, वह ६ जनवरी को नयी दिल्ली में समाप्त हो गई।

दोनों प्रतिनिधि मंडलों ने इन बात पर विचार किया कि दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये जा सकते हैं। दोनों पक्षों का यह विचार था कि आम तौर पर जो वस्तुएं भेजी जाती हैं, उनकी मात्रा बढ़ाई जा सकती है और ईरान से नयी वस्तुएं, जैसे—अपक, बस्ता, सीमा और खनिज ताम्र, कच्चा और लाल आदि और भारत से इस्त्रोमियरॉ मानान, रेशम, डीजल इन्जन, वाइकिंगल, दवाइया और रसायन आदि अधिक मात्रा में भेजे जा सकते हैं।

ईरान का व्यापार प्रतिनिधि मंडल श्री आगा अली अमगर पीरजाद के नेतृत्व में १० दिसम्बर, १९५९ को भारत आया था। प्रतिनिधि मंडल में पाच सदस्य थे। भारतीय दल के नेता केन्द्रीय, वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय के सयुक्त सचिव, श्री के० आर० एफ० खिलनानी थे।

### पाकिस्तान से आयात के लिए खुले लाइसेंस

भारत सरकार ने पाकिस्तान से इन चार चीजों के आयात के लिए खुले लाइसेंस दिये हैं। ऐसी मछलियां, जिनके आयात के बारे में कोई अन्य आदेश नहीं है; नमक छिड़के मछलियां; चमड़ा और लाले कच्ची अपवा नमक छिड़की; और सेमली की रुई। इन खुले लाइसेंसों की अवधि ३१ मार्च, १९६० तक रहेगी।

भारतीय समाचार

### क्या आप जानते हैं ?

### देश में हथकरघा उद्योग

आदि काल से ही भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कपड़े बुनने की अपनी-अपनी परम्परा रही है। इन क्षेत्रों में बने कपड़े दूर-दूर के देशों में प्रसिद्ध हुए। देश में कपड़े का इतिहास ईसा पूर्व ५,००० वर्ष पुराना माना गया है। उम गमय यूनान में ममी (ममालों में सुरक्षित शव) को यहाँ की बनी मलमल से ढका जाता था। हेरोडोटम, मंगस्वनीज, प्लिनी आदि प्रीवर्तारियों ने यहाँ के कपड़े की बहुत प्रशंसा की थी।

सातवीं शताब्दी में फ्रांस का एक कला-प्रेमी यहाँ आया। उसने एक पगडी का जिक्र करते हुए लिखा है कि ६० हाथ लम्बी वह पगडी इतनी महीन थी कि सर पर उसका जरा भी भार मालूम नहीं होता था। १५ गज मलमल का वजन केवल ९०० ग्राम था। ढाका की मलमल तथा कुछ अन्य कपड़े तो इतने महीन और सुन्दर होते थे कि उन्हें अनेक काव्यात्मक नाम दिये गये, जैसे—'शाम की शयनम', 'धामु जाल', आदि।

परन्तु देश तथा विदेशों में कपड़े की मिलें बन जाने से यह उद्योग काफी गिरा। फिर भी यह अपनी विद्योयता के कारण चलता ही रहा। यहाँ तक कि आज भी यह देश का प्रमुख उद्योग है और इससे लगभग २ करोड़ लोगों की रोजी चलती है। यह उद्योग देश में कपड़े की तिहाई माग पूरी कर रहा है और पाव की आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत मदद दे रहा है।

भारत सरकार ने १९५३ में हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए उपकर कोष बनाया। इस कोष के अन्तर्गत १९५४ से योजनाएँ चालू हुईं। अखिल भारतीय हथकरघा मण्डल ने, राज्य सरकारों की मारफत,

### लार्ड रॉडोस की भारत-यात्रा

मण्डल की एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष लार्ड मंडोस (पहले श्री ऑलिवर लिटिलटन) उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह, के निमन्त्रण पर चार मप्ताह की भारत-यात्रा पर ७ जनवरी को बम्बई प्रदुके। इंग्लैंड के महयोग से जो उद्योग भारत

इसका भरसक प्रयत्न किया है कि देश में हथकरघा उद्योग स्वावलम्बी बन सके।

जुलाहे के सामने एक कठिनाई यह है कि वह यह नहीं जानता कि खरीदार कैसा कपड़ा चाहता है। इसलिए उसकी मदद के लिए मण्डल ने बम्बई, मद्रास, वाराणसी और कलकत्ता में डिजाइन केन्द्र तथा कांचीपुरम, मूरत और चवैरी में उपकेन्द्र खोलने का निर्णय किया है। इन केन्द्रों के दो मुख्य काम हैं—

(१) उस क्षेत्र की परम्परा की देखते हुए पुराने डिजाइनों से नये डिजाइन बनाना, और (२) आजकल प्रचलित डिजाइनों से नये डिजाइन बनाना। प्रत्येक केन्द्र में कपड़ा रगने और छाप रगाने की प्रयोगशाला होती है। वहाँ रगने और छापने के अच्छे तरीके निकाले जाते हैं और वे तरीके हथकरघा उद्योग में काम करने वालों को बताये जाते हैं।

मण्डल ने महसूस किया है कि देश भर में हथकरघा उद्योग का प्रचार करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मण्डल ने योजना बनाई है, जिसे वह आजकल चला रहा है। मण्डल ने यह भी महसूस किया है कि यदि उद्योग को बढ़ाना है, तो जुलाहा का मगठन बनाया जाना चाहिए, जो उन्हे ठीक तरीके समझाये, हिदायते दे और उन्हे उद्योग चलाने के लिए आर्थिक सहायता भी दे। यह काम सहकारिता के माध्यम से ही हो सकता है।

इसलिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें अधिक से अधिक जुलाहों को सहकारी समितियों में शामिल करने का प्रयत्न कर रही हैं, जिससे उन्हे सस्ते दाम पर कच्चा माल मिल सके, उनका कपड़ा अच्छे दाम पर बिक सके और उन्हे अन्य प्रकार की भी सहायता मिल सके। अब तक देश में ४० प्रतिशत में भी अधिक जुलाहे महकारी समितियों के सदस्य बन चुके हैं।

मे चाणू किये गये हैं, लार्ड मंडोस उनका निरीक्षण करेंगे।

लार्ड मंडोस ब्रिटेन के मन्त्रि-मंडल के सदस्य रह चुके हैं। आप इन्टरनेट के उन्निवेश मंत्री, व्यापार मंडल के अध्यक्ष, उन्नादन मंत्री और मुद्राभागीय मन्त्रि-मंडल के भी रहे हैं।

## फेनाल ऐसिटिक अम्ल और फेनाल- ऐसिटेमिड बनाने की विधि

**री**जनल रिसर्च लैबोरेटरी, हैदराबाद में फेनालऐसिटिक अम्ल और फेनाल-ऐसिटेमिड बनाने की विधि निकाली गयी है। फेनालऐसिटिक अम्ल और फेनालऐसिटेमिड पेनसिलीन बनाने के लिए सहायक पदार्थ हैं। भारत में हिन्दुस्तान एप्लीवायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड, पिम्परी में इन उत्तम रसायनों का विद्योप रूप से उपयोग हो रहा है। इनकी वर्तमान वार्षिक माग क्रमशः ३५,१०० किलोग्राम और ९,००० किलोग्राम है, जिनका मूल्य दो लाख रुपये से अधिक है। सम्पूर्ण मात्रा आयात की जाती है। १९६१ तक पेनसिलीन उत्पादन की योजनाओं के बढ़ने पर इनकी माग और भी अधिक होने की आशा है। इन रसायनों का सुगन्ध-द्रव्य उद्योगों में भी उपयोग होता है।

इस विधि में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रयुक्त स्ल्यूरिक अम्ल और बेन्जील क्लोराइड उपोत्पादन (बाइ-प्रोडक्ट) के रूप में प्राप्त होते हैं। बेन्जील क्लोराइड रंग, बेन्जालिड-हाइड, बेन्जीलऐसिटेट, बेन्जील बेन्जोयट और बेन्जीलब्यूटीरेटस के बनाने में प्रयोग होता है।

इनके बनाने के लिए मुख्य पदार्थ टोलवीन, क्लोरीन-इथाइल-अल्कोहल, स्ल्यूरिक अम्ल और सोडियम साइनाइड है। सोडियम साइनाइड के अतिरिक्त दूसरे कच्चे पदार्थ भारत में उपलब्ध हैं।

पदार्थ जो उपयोग में लाये जाते हैं, उनकी तीव्रनाशक प्रकृति के कारण और उत्पादन की अति शुद्धता के लिए इसका कारखाना

स्थापित करने के लिए ग्लास-लाइण्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील या अगम्य प्रेफाइट की आवश्यकता है। दो टन माल प्रतिदिन बनाने वाले उद्योग के लिए लगभग १६ लाख रुपये की पूंजी की आवश्यकता होगी।

## वनस्पति के वायदा बाजार पर प्रतिबन्ध

**भा**रत सरकार ने वनस्पति से बनी चीजों के १९५७ के नियन्त्रण आदेश के खंड २ (ई) के अंतर्गत वनस्पति और वनस्पति से बनी चीजों के वायदा व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। यह प्रतिबन्ध सुरत लागू होगा। ७ जनवरी, १९६० को या इससे पहले जो सौदे हो चुके हैं, उनका भुगतान ७ जनवरी का वायदा बाजार बद होने के समय की दरों के अनुसार होगा।

भारत सरकार के ७ जनवरी के विद्योप सूचना-पत्र में, १९५२ के वायदे के सौदों के अधिनियम के अंतर्गत यह अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है।

## भूरे कोयले के नैबेली कारखाने के लिए इंजीनियर

**भू**रे कोयले के नैबेली कारखाने के लिए २७ इंजीनियर रूस, ५० जर्मनी और पूर्व जर्मनी में प्रशिक्षण के लिए भेजे जा रहे हैं। यह प्रशिक्षण ९ महीने से ३ साल तक का होगा। यह सूचना खान, इस्पात और ईंधन मंत्री, श्री रचरन सिंह ने १७ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण योजना पर ४ लाख ८९ हजार ६० खर्च होंगे। इन इंजीनियरों को कुछ समय के लिए भारत सरकार के अंतर्गत नौकरी करने का बाढ़ भी भरना होगा।

है। सम्मेलन न कर्मचारियों के कुटुम्बियों के लिए अस्पतालों में रहकर इलाज कराने की सुविधा देने की भी सिफारिश की है।

सम्मेलन में कहा गया कि किसी केन्द्रीय स्थान पर कर्मचारियों के लिए तर्पेदिक का अस्पताल भी बनाना चाहिए। दूसरी पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत बम्बई, मद्रास, बंगलौर, कानपुर और पश्चिम बंगाल में जो ५ अस्पताल बनाये जा रहे हैं वे १९६१ तक तैयार हो जाने चाहिए।

सम्मेलन ने सिफारिश की कि कारखानों आदि में दुर्घटनाओं की रोकथाम के बारे में बराबर अनुसंधान होना चाहिए और साथ ही कारखानों के निरीक्षकों को भी इन उपायों और तरीकों की आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए, जिमसे कारखानों में वे रक्षा-व्यवस्था को अधिक कारगर बना सकें। सभापति, श्री गुलजारी लाल नन्दा ने कहा कि थ्रम कानूनों की सरकारी उद्योगों में भी अधिकारिक लागू किया जा रहा है और इस मामले में सरकारी और निजी उद्योगों में कोई भेद करने का हमारा इरादा नहीं है और न इनका कोई औचित्य ही है। थ्रम मंत्री ने सम्मेलन में यह भी कहा कि भारत सरकार न्यूनतम वेतन अधिनियम को, जो ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त हो गया, बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिए राज्य सरकारों को अपनी-अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार कानून बना लेने चाहिए। अनुशासन संहिता के सम्बन्ध में श्री नन्दा ने ३ जनवरी को अपने भाषण कहा कि उद्योग-संघों का काम चलाने के लिए जो अनुशासन संहिता बनाई गई थी, उस पर अमल करने पर नजर आने लगा है कि उससे बहुत लाभ हो सकता है। यह संहिता १९५८ के मध्य में लागू की गयी थी, मगर थोड़े ही असें में इसके फायदे साफ नजर आने लगे हैं।

## श्रम और योजना

### श्रम मंत्रियों का सम्मेलन

**के**न्द्रीय श्रम मंत्री, श्री गुलजारीलाल की अध्यक्षता में गयी दिल्ली में ३ और ४ जनवरी को श्रम मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन ने सिफारिश की है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में कर्मचारियों की राज्य

बीमा योजना उन स्थानों में भी लागू की जाए जहाँ ५०० या अधिक कर्मचारी ऐसे हों जिनका बीमा किया जा सकता हो। अभी तक १,५०० बीमा कराने योग्य कर्मचारियों वाले क्षेत्रों में ही यह योजना चग हो सकती

### स्थायी श्रम समिति की बैठक

**न**यी दिल्ली में ५ और ६ जनवरी को स्थायी श्रम समिति की बैठक हुई, जिसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए श्रम नीति और कार्यक्रम से सम्बन्धित प्रस्तावों पर विचार किया गया। यह बैठक केन्द्रीय

श्रम मंत्री, श्री मुलजारीलाल नन्दा की अध्यक्षता में हुई। समिति ने मालिक-मजदूर सम्बन्ध, ट्रेड यूनियन, प्रबन्ध में मजदूरों की हिम्मेदारी, सरकारी और गैर-सरकारी कार-सालों में श्रम सम्बन्धी अधिनियमों का ममान रूप में पालन, श्रमिकों का वैज्ञानिक वर्गीकरण आदि विषयों पर ध्यानपूर्वक विचार किया।

समिति ने यह सिफारिश की कि वेतन मण्डलों को अनुविहित बनाने का प्रस्ताव अभी स्थगित रखा जाए, क्योंकि इसमें स्वेच्छा में वेतन निर्धारण करने की व्यवस्था को प्रोत्सा-हण मिलेगा। समिति ने यह भी कहा कि वेतन मण्डल की सर्वसम्मति सिफारिशों को सभी पक्षों द्वारा लागू किया जाना चाहिए। समिति ने यह भी कहा कि जब सर्वसम्मति सिफारिशों को लागू करने में देर की जाए तो सरकार को उन्हें कानून का रूप दे देना चाहिए।

### स्वायी श्रम समिति में श्री नन्दा का भाषण

श्रम मंत्री, श्री मुलजारी लाल नन्दा ने ५ जनवरी को स्वायी श्रम समिति के १८वें अधिवेशन में कहा कि हम अगले कुछ वर्षों में देश का तेजी से आर्थिक विकास करना चाहें हैं और साथ ही देश की रक्षा करना भी जरूरी है। इसलिए जब हम तीसरी योजना के बारे में सोचते हैं तब हम व्यक्तिगत लाभ के बजाए परिश्रम और आत्मत्याग ही मुख्यतः ध्यान में रखना चाहिए। हमें विकास के साथ साथ रक्षा के लिए भी योजना बनानी चाहिए।



### रेल-इंजन कारखाने के १० वर्ष

१० साल पहले, २६ जनवरी के दिन जब पहला गणराज्य दिवस मनाया जा रहा था, देशवन्धु चित्तरजन दास की पत्नी ने एक छोटे-से सन्ध्याल गांव में रेल के इंजन के कारखाने का उद्घाटन किया, जिसे देन ने अपने महान नेता की याद में 'चित्तर-रजन' नाम दिया और जो आज भारत के सबसे बड़े कारखानों में है।

इन कारखानों में पहला इंजन १ नवम्बर, १९५० को तैयार हुआ, जिसका जूहें

उन्होंने कहा कि श्रमिकों के लिए जो योजना बने, उसे देश की योजना का अभिन्न अंग होना चाहिए। श्रमिकों को भी चाहिए कि वे अपने को योजना का अंग मानें और उसे सफल बनाने का भरमक प्रयत्न करें। वे देश की रक्षा और आर्थिक विकास के लिए जो भी प्रयत्न करेंगे, उससे उद्योग दृढ़ होंगे।

### मजदूर सघ

श्री नन्दा ने कहा कि मजदूर सघ देश का हित कर सकते हैं और देश की मुनिपोजित उन्नति में महत्त्वपूर्ण भाग ले सकते हैं।

उन्होंने कहा कि मैं उस दिन की बात जोह रहा हूँ जब मजदूर भी उद्योग के प्रबन्ध में पूरी तरह भाग लेंगे। अब तीसरी योजना में हमारा यह ध्येय होना चाहिए कि इस समय मजदूर परिपद बनाकर हमने प्रबन्ध में मज-दूरों के भाग लेने की जो योजना बनायी है, वह आगे देश के सभी उद्योगों में चालू हो जाए।

### हिन्दुस्तान एंटीवायोटिक्स लि० में बोनस

पिन्धरी के सरकारी कारखाने, हिन्दुस्तान एंटीवायोटिक्स लिमिटेड में उत्पादन बढ़ाने का प्रोत्साहन देने के लिए १९५७-५८ और १९५८-५९ में मजदूरों तथा अन्य कर्मचारियों को २,४३,००० रु० के नकद पुरस्कार दिये गये। यह सूचना १५ दिसम्बर को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने लोकसभा में दी।

राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने किया। उन्होंने इस गांव का नाम भी चित्तरजन रख दिया। यह गांव बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है।

अब यह अच्छी छासी बन्नी बन चुकी है, जहा ८,००० मजदूर और उनके परिवारों के रहने की पूरी सुविधाएँ हैं। इन कारखानों में ९५० इंजन और बन चुके हैं और आगा है कि मार्च १९६० में, यहा हजारवा इंजन बन कर तैयार हो जाएगा और यह कारखाना अपना 'हजारों' पूरा कर लेगा।

### कारखाने की प्रगति

इन दस वर्षों में यह कारखाना लगातार विकास और प्रगति करता आ रहा है। १९५४ में जहा इस कारखाने में प्रति मास ६ इंजन बनते थे, वहा १९५५ के दिसम्बर से प्रति मास १२ इंजन बनने लगे। अगस्त १९५६ से यहा प्रतिमास १४ डब्ल्यू०जी० इंजन बन रहे हैं। यह उत्पादन प्रतिवर्ष साधारण आकार के २०० इंजनों के बराबर है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में यहा साधारण आकार के १२० इंजनों का लक्ष्य था। अर्थात् इस कारखाने का काम लक्ष्य से कही आगे पहुंच चुका है। आजकल चित्तरजन में हर ४८ घंटे में एक इंजन तैयार हो जाता है।

दिसम्बर १९५९ में अन्ताराष्ट्रीय रेल कांफ्रेंस सघ के प्रधान, श्री डी० बोम ने कलकत्ता में कहा था कि चित्तरजन कारखाने का काम किसी भी देश के कारखाने से टक्कर ले सकता है।

इस कारखाने के इंजनों में विदेशी पुर्जों का इस्तेमाल भी बराबर कम होता जा रहा है। इंजन में लगने वाले ५,३३० पुर्जों में केवल १४ पुर्जे ही विदेशी होते हैं। जब तीनों सरकारी इस्पात कारखानों में पूरा उत्पादन होने लगेगा, तब आगा है चित्तरजन कारखाने के इंजनों में लगभग दस-प्रतिशत देशी पुर्जे लगने लगेंगे।

चित्तरजन कारखाने में भारी मालगाडों के डब्ल्यू० जी० इंजन (बडी लाइन) के अलावा पण्डिंग और सहारी रेलों के हल्के डब्ल्यू०टी० इंजन भी बनाये जा रहे हैं। २८ एम डी वॉयलर भी बनने शुरू हो गये हैं।

जून १९५८ में वॉयलरों का आयात भी बंद हो चुका है और इंजनों के लिए अब डब्ल्यू० जी० वॉयलर यही बन रहे हैं।

### अब बरतुएँ

इन कारखानों में कई और चीजों को बनाने में भी काफी प्रगति की है। रिफ्रेजरेटर मर्द में मालबनाइजिंग मशिन लगाया गया था, जिसमें डिजली चार्जिंग रेज के सम्मान पर इस्पात चढ़ाया जा रहा है। इनके बारी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।

एक ब्रिटिश फर्म की सहायता से यहाँ पर निकट भविष्य में इस्पात का ढलाई कारखाना भी बनकर तैयार हो जाएगा। लोहे और पीतल के ढलाई कारखाने यहाँ पहले ही चालू हैं। इस्पात के ढलाई कारखाने के लिए जगह चुनी जा चुकी है और शीघ्र ही इसका निर्माण भी शुरू होने वाला है। इसमें आरम्भ में प्रतिवर्ष ७,००० टन इस्पात की चीजे ढलेगी।

### बिजली के इंजन

शीघ्र ही चित्तोजन कारखाने में बिजली के इंजन भी बनने लगेंगे। इस कारखाने को डी०सी० बिजली के १० इंजनों का आर्डर दिया जा चुका है और आधा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक ये इंजन तैयार हो जाएंगे। इनका डिजाइन भारतीय इंजीनियरों ने ही बनाया है।

आधा है कि इस साल नवम्बर में इस कारखाने में बिजली का पहला इंजन बनकर तैयार हो जाएगा। फिलहाल इसमें लगने वाला बिजली का सामान आयात किया जाएगा। भोपाल में भारी बिजली का सामान बनाने वाले कारखाने का उत्पादन शुरू हो जाने पर चित्तोजन कारखाने में बनने वाले बिजली के इंजनों की लागत में काफी कमी होगी।

उन्होंने कहा कि 'लगभग पूरे' से भेरा आशय यह है कि राज्य अपनी विविष्ट समस्याओं को ध्यान में रखते हुए थोड़े-बहुत मशीन के साथ उन मिफारियों को स्वीकार करता चाहते हैं।

मन्त्री महोदय ने कहा कि मसानी समिति की मिफारियों को अमल में लाने का काम मुख्यतः राज्य सरकारों के हाथ में है, लेकिन यह उम्मीद भी जा सकती है कि विकास परिषद जब अन्तिम निर्णय कर लेगी तो उन पर शीघ्र ही अमल किया जाएगा।

मोटरगाड़ियों पर कर के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने कहा कि सभी राज्यों ने करों को समन्वित करने की बात सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली है, लेकिन व्यवहार में अधिक प्रगति नहीं हुई है।

श्री राजबहादुर ने कहा कि मोटरगाड़ियों पर कर लगाने के सम्बन्ध में मन्त्रिमंडल में केन्द्र को कुछ सिद्धांत बनाने का भी अधिकार है। उन्होंने बताया कि सिद्धांतों की रूपरेखा बना ली गई है और आधा है कि विभिन्न सस्थायों और सम्बन्धित व्यक्तियों की सहायता में उन्हें अन्तिम रूप देने के बाद केन्द्रीय कानून बनाए जाएंगे।

### सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन सलाहकार समिति की बैठक

सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन सलाहकार समिति की बैठक यन्त्री दिल्ली में ९ जनवरी को हुई। इसमें परिवहन और संचार मन्त्रालय में मन्त्री, श्री राजबहादुर ने भाग ले लिया। उन्होंने बताया कि राज्यों में सड़क परिवहन प्रदायन के पुनर्गठन में सम्बन्धित मसानी समिति की मिफारियों पर परिवहन विकास परिषद की अगली बैठक में, जो फरवरी १९६० में होगी, अन्तिम निर्णय किया जाएगा। श्री राजबहादुर ने कहा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के प्राथमिक विचार सरकार के पास पहुंच गये हैं और राज्य सरकारें मसानी समिति की मिफारियों को लगभग पूरा-पूरा अमल में लाने को तैयार हैं।

### कुम्भ मेले के लिए इलाहाबाद में गंगा पर पुल

भारतीय सेना के इंजीनियरों ने इलाहाबाद में गंगा पर ३,००० फुट लम्बा एक पुल बनाया है, जिससे अर्द्धकुम्भ मेले के अवसर पर यात्री और गाड़ियां तदी पार कर सके। अर्द्धकुम्भ के अवसर पर लगभग ५० लाख यात्रियों के आने का अनुमान है।

यह पुल गत दिसम्बर १९५९ के आरम्भ में बनना शुरू हुआ था। १० जनवरी को पुल पर यातायात शुरू हो गया। मेला १३ जनवरी से शुरू हो गया है।

पुल बनाने का काम ६२४ कोर ट्रूप्स इंजीनियरों को सौंपा गया था। इस वस्ते के अफसरों और सैनिकों ने कड़ी मेहनत करके तीन मप्चाह में ही पुल तैयार कर दिया।

केन्द्रीय परिवहन तथा नंचार मन्त्रालय की ७ जनवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि ३ जनवरी को उत्तर-पूर्वी सीमात अभिकरण (नेफा) में तफसेग क्षेत्र में जो विमान गिरकर नष्ट हो गया था, उसका कारण विमान का थोड़ी ही जगह में मुड़ने के कारण पहाड़ी से टकरा जाना था।

भारत सरकार को इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के इस 'बी टी सी जी जी' इकाया विमान की दुर्घटना पर, जिसमें इसके आठों कर्मचारी भी मारे गये, बहुत खेद है और परिवहन तथा संचार मन्त्री ने मृत कर्मचारियों के सम्बन्धियों से गहरी संवेदना प्रकट की है।

विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह विमान सुबह ९ बजकर ३२ मिनट पर अच्छे मौसम में जोरहट के हवाई अड्डे से उड़कर तफसेग क्षेत्र में खाना गिरा रहा था। दुर्घटना १० बजकर ४० मिनट पर हुई। विमान में चार विमान कर्मचारी थे और चार खाना गिराने वाले कर्मचारी। अगले दिन ४ जनवरी को कारपोरेशन के अन्तरल मैनेजर एच वाइस-मार्शल पी० सी० लाल हेलिकोप्टर से दुर्घटना स्थल पर उडे। तफसेग से सहायक दल ३ जनवरी को तीसरे पहर ही दुर्घटना स्थल पर पहुंच गया था और उसने आठों लोगों को निकाला और उन्हें दाह कर्म के लिए तफसेग ले जाया गया।

सरकार इस समाचार का जोरदार खत करती है कि यह विमान केवल खाने को सामग्री गिराने नहीं गया था और इसको गोली मारकर नीचे गिराया गया। विमान भारतीय क्षेत्र में काफी अन्दर था और केवल साठ सामग्री गिराने ही भेजा गया था। इसी में यह पहाड़ी से टकराने से गिरकर चूर चूर हो गया।

### दक्षिण-पूर्वी रेल पर प्रतीक्षालय

लोकेसभा में २ दिसम्बर को प्रश्नोत्तर के समय रेल उपमन्त्री, श्री दाहनबाज खा ने बताया कि १९५८-५९ में दक्षिण-पूर्वी रेल पर १२ प्रतीक्षालय बनाये गये हैं।

## राज्य बिजली मण्डलों के ग्रहणक्षों का सम्मेलन

केन्द्रीय निचार्ड एंव बिजली उपमन्त्री, श्री जयपुरवल्लभ हाथी ने ८ जनवरी को नयी दिल्ली में कहा कि देश में बिजली के विकास के कार्यक्रम को अमल में लाने की जिम्मेदारी राज्य बिजली मण्डलों की है जो इन समय तीमरी पंचवर्षीय योजना के लिए योजनाएं तैयार करने में लगे हुए हैं। उपमन्त्री महोदय राज्य बिजली मण्डलों के अध्यक्षों के २ दिन के सम्मेलन का उद्घाटन कर गये थे।

अपने भाषण में श्री हाथी ने कहा कि बिजली मण्डलों को अपने काम में जो दिक्कतें पैदा आती हैं उन पर विचार किया जाना चाहिए। इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि मजाल के लिए उनकी उपयोगिता कम तैयार बड़ाई जा सकती है।

उपमन्त्री महोदय ने यह भी कहा कि इन समय राज्य बिजली मण्डलों के काम के लिए नौ वित्तीय व्यवस्था है उन पर पुनर्विचार होना चाहिए, जिनमें बिजली मण्डल देश में बिजली के विकास का काम अच्छे ढंग में कर रहे हैं।

सम्मेलन में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, बम्बई, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, राजा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बिजली मण्डलों के अध्यक्षों ने भाग लिया। ८ जनवरी को बैठक में केन्द्रीय निचार्ड एंव बिजली मन्त्रालय और केन्द्रीय जल एंव बिजली आयोग के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य बिजली मण्डलों के निरूपक अधिकारी भी उपस्थित थे।

श्री हाथी ने बताया कि बिजली (मण्डल) अधिनियम १९४८ में संशोधन करना आवश्यक समझा गया है, क्योंकि वर्तमान अधिनियम में इस बात की व्यवस्था नहीं है कि एक से अधिक राज्यों के तत्संधान में चलने वाली बहुदलीय बिजली योजनाओं को एक बिजली मण्डल के मुद्दे पर कर दिया जाए।

उपमन्त्री महोदय ने कहा कि विचार-विमर्श के बाद सम्मेलन जो भी सिफारिशें करेगा उन पर निर्णय करने में पहले भारत सरकार राज्य सरकारों से परामर्श करेगी।

[मन् १९४८ के बिजली (मण्डल) अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल, राजस्थान, मद्रास, मैसूर, बिहार, आन्ध्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की सरकारें अपने यहां राज्य बिजली मंडल स्थापित कर चुकी हैं। ये मंडल अर्ध-स्वायत्त हैं और ध्यापारिक तौर से काम करते हैं। बिजली के उत्पादन और वितरण में सामंजस्य बनाए रखना और गांवों में बिजली पहुंचाने का उत्तरदायित्व भी इन मंडलों पर है।]

## बड़ापानी बिजली योजना-कार्य का उद्घाटन

प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू ने ९ जनवरी को आन्ध्र प्रदेश की बड़ापानी बिजली योजना के निर्माण-कार्य का शुभारम्भ किया। इस योजना के अंतर्गत बड़ापानी पुल से डार्ड मील नीचे की तरफ उमियम नदी के आस्पाए एक बांध बनाया जाएगा। नदी की तलहटी में यह बांध लगभग २१० फुट ऊंचा होगा और इसके बतने में जो जलाशय बनेगा, उसमें एक लाख बीन हजार एकड़ फुट पानी जमा हो सकेगा। यह बांध गुहाटी से लगभग ५४ मील और शिलांग से ९ मील पर होगा।

बड़ापानी योजना आन्ध्र प्रदेश की सबसे बड़ी योजना होगी। यहाँ जो बिजलीघर बनाया जाएगा, उसमें ९-९ हजार किलोवाट बिजली बनाने के तीन यन्त्र लगाए जाएंगे। बाद में इसकी ही क्षमता का एक और यन्त्र भी लगाया जाएगा। इन बिजलीघर के अलावा दो और स्थानों पर भी बिजली बनाने की व्यवस्था की जा सकती है। बड़ापानी के बिजलीघर को मिलाकर उमन्तू पाटी में कुल ७५ हजार किलोवाट बिजली बन सकेगी। मन्त्री बड़ापानी योजना का निर्माणकार्य इस ढंग में चलेगा कि मांग को देखकर उतनी ही जरूरत लायक काम किया जाए।

बड़ापानी की बिजली से गुहाटी, चेरापुजी और तिनसुकिया-मकुड़ क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्योगों की लगभग ११ हजार किलोवाट बिजली की जरूरत पूरी हो सकेगी। इसके अलावा कामरूप, नीगांव, खाम्बी और जयन्तिया पहाड़ियों, धारंग तथा श्वालपाडा जिलों को भी यहां से बिजली मिलेगी।

अनुमान है कि इस योजना पर ७ करोड़ ५ लाख ९८ हजार ८० खर्च होगा और यह १९६३-६४ तक पूरी हो जाएगा।

## अगस्त-सितम्बर १९५६ में बिजली का उत्पादन और खपत

सितम्बर १९५९ में भारत के मासिक बिजली केन्द्रों में १२३ करोड़ ५६ लाख किलोवाट घण्टे बिजली पैदा की गयी। इसमें से ९९ करोड़ ६२ लाख किलोवाट घण्टे बिजली उपभोक्ताओं को बेची गयी। सितम्बर १९५९ के ये अखिल भारतीय आकड़े विभिन्न मासिक बिजली केन्द्रों की सूचना पर आधारित हैं।

सितम्बर १९५८ में १०५ करोड़ ९ लाख किलोवाट घण्टे बिजली पैदा हुई थी और ८४ करोड़ ३१ लाख किलोवाट घण्टे बिजली बेची गयी थी। सितम्बर १९५१ के ये आकड़े क्रमशः ४९ करोड़ २४ लाख और ४० करोड़ ३४ लाख हैं।

इन आकड़ों में पता चलता है कि बिजली के उत्पादन में प्रति वर्ष १७.६ प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। इस मास बिजली की खपत में भी १८.२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अगस्त में अगस्त १९५९ में देश के मासिक बिजलीघरों में १ अरब २४ करोड़ ३६ लाख किलोवाट बिजली पैदा हुई, जिसमें से ९३ करोड़ ४८ लाख किलोवाट उपभोक्ताओं को दी गयी। अगस्त १९५८ में १ अरब ४ करोड़ ७ लाख किलोवाट बिजली पैदा हुई और ८३ करोड़ १९ लाख खर्च हुई, जहाँ अगस्त १९५१ में ५० करोड़ ६८ लाख किलोवाट बिजली पैदा हुई और ६० करोड़ ३३ लाख किलोवाट बिजली खर्च हुई थी।

इन आकड़ों में पता चलता है कि बिजली का वाणिज्य उत्पादन १९.५ प्रतिशत बढ़ा। अगस्त १९५९ तक देश में ८१३ बिजली मण्डल स्थापित हुए हैं।



## अन्न उत्पादन की समस्या : श्री पाटिल का ब्राडकास्ट

केन्द्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री, श्री सदाशिव वर काट्हेजी पाटिल ने ८ जनवरी को आकाशवाणी दिल्ली से एक ब्राडकास्ट में कहा कि खाद्यान्न उत्पादन की समस्या ऐसी नहीं है जिसे हम जीत नहीं सकते।

श्री पाटिल ने कहा कि स्वतन्त्रता प्राप्त के अवसर ने जहाँ देश के इतिहास में गर्व और हर्ष का एक अध्याय जोड़ा, उसके साथ ही साथ अनेक समस्याएँ भी उपस्थित की। इन बड़ी समस्याओं में एक खाद्यान्न की वापिक कमी की समस्या थी। पहली बी बर्मा के पृथक् होने से और बाद में द्वितीय महायुद्ध के समय आयात बन्द हो जाने के कारण देश के असावधान रहने से उत्पन्न होने वाली खाद्य सब्धी समस्याओं का संकेत मिला। देश के विभाजन के फलस्वरूप, जहाँ तक निकट भविष्य का संबंध था, एक कठिन स्थिति पैदा हो गयी क्योंकि हमसे पूर्वी बंगाल का धान्य-क्षेत्र तथा सिन्धु व पश्चिम पंजाब के अतिरिक्त गेहूँ-उत्पादक क्षेत्र हम से चले गये। आजकल भारत पिछले दस वर्ष की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में खाद्यान्न उत्पन्न कर रहा है। लेकिन बड़ी हुई आबादी तथा अधिक विकास व्यय के कारण जनता की बड़ी श्रम-निर्भर ने इन मांग को एक धक्का दिया और कुछ अवस्था में तो खाद्य आदतों को ही बदल दिया। जनता को छोटे आनाज के स्थान पर बारीक अनाज खाने लगी। इन कारणों से खाद्य समस्या ने बड़ा भारी रूप ले लिया है, अन्यथा ऐसा नहीं होता।

यह है सामान्य पृष्ठभूमि जिसमें कि यह खाद्य समस्या अपने पूर्ण रूप में उपस्थित है और इसी रूप में इसका हल किया जा रहा है। आज में केवल उत्पादन की समस्या पर ध्यान रखा है, यद्यपि परिवहन, सफ़ाई और बाजार में श्रम-विवक्ष्य भी इस समस्या के कुछ पहलू हैं। फिर भी, जब मैं खाद्यान्न उत्पादन की समस्या के गवध में बोलता हूँ तो औरदार शब्दों में कह सकता हूँ कि यह ऐसी बर्तमान नहीं है जिसे हम जीत नहीं

सकते। वास्तव में उत्पादन १९४९-५० के ५४० लाख टन की तुलना में १९५८-५९ में ७३९ लाख टन से भी ऊपर चला गया है। इन दस वर्षों में आबादी भी बढ़ी है परन्तु पूर्ण रूप से देखा जाए तो आबादी की बढ़ोतरी की दर खाद्यान्न के उत्पादन की दर से बहुत कम है। दस वर्षों में खाद्यान्न के उत्पादन में लगभग ३६ प्रतिशत की बढ़ोतरी होना और यह वास्तविकता कि यह बढ़ोतरी आबादी की बढ़ोतरी से कहीं अधिक है, भविष्य के बारे में विश्वास दिलाती रहेगी। उत्पादन में इस बढ़ोतरी के अतिरिक्त भी यह कठिनाई है कि देश भिन्न-भिन्न मात्रा में खाद्यान्न का आयात अभी तक कर रहा है और वापिक उत्पादन के विरोधी प्राकृतिक प्रभाव भी कायू से बाहर रहे। उदाहरण के लिए सन् १९५७-५८ में उत्पादन को अनुपयुक्त मौसम के कारण अचानक और गम्भीर धक्का लगा। इस प्रकार के धक्कों को भी भविष्य में हटाना है।

मंत्री महोदय ने कहा कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अनुभव ने खाद्यान्न उत्पादन की आगे बढ़ोतरी की गुंजायश दिखा दी है। इन्होंने भिन्न-भिन्न प्रदेशों में आने वाली कठिनाइयों को बता दिया है; मैं यह भी बतला देना चाहता हूँ कि इन कठिनाइयों का अधिकतर हल भी बता दिया है। हमारे पास बड़ी मात्रा में कृषि योग्य बंकार भूमि पड़ी है जिसको बड़े पैमाने पर सुधारा जा रहा है। कृषि के लिए अभी तक प्राप्त बंकार भूमि कितनी है, इसकी जानकारी करने के लिए आजतक के आकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं; जहाँ पर भूमि खुदक या बाष्पी खुदक पड़ी हुई है, उसको सिंचाई और भूमि संरक्षण उपायों के द्वारा कृषि योग्य बनाने और सुधारने का काम किया जा रहा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में २० लाख एकड़ में अधिक भूमि में संरक्षण उपाय किये जाने, १५ लाख एकड़ को कृषि योग्य बनाने और अन्य २० लाख एकड़ में अधिक भूमि में

भूमि सुधार का कार्य किये जाने का प्रस्ताव है। १९५८-५९ के अन्त तक लगभग १० लाख एकड़ भूमि, संरक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत आ चुकी थी। इस दिशा में काम तीव्र गति से चल रहा है, तथा योजना में रखे गये लक्ष्य पूरे होने की आशा है। कुल मिलाकर २१ लाख एकड़ भूमि को बड़ी, बीच की और छोटी सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है। अनेक कारणों से जहाँ सिंचाई की सुविधाएँ मिली हैं वहाँ बहुत जगह ऐसी भूमि नहीं है कि तुरन्त ही खेती शुरू कर दी जाए। इसके लिए कुछ कदम उठाए गये हैं। प्राप्त सिंचाई साधनों का उचित संरक्षण व देखभाल भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। सिंचाई साधनों की देखभाल और उनसे लाभ उठाने में ग्राम समुदाय विशेष कार्य कर सकते हैं।

### खेतों के सुधार की समस्या

श्री पाटिल ने कहा कि हमारे खेत और हमारे पशु दोनों ही उन अनेक देशों की तुलना में कम उपज देते हैं, जिनमें यथाचित रूप से कृषि विकास हो चुका है। वास्तव में भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्या, विशेषकर खाद्य के गवध में, खेतों के सुधार की है और जो बात हमारी उपज के बारे में मंच है वही हमारे पशुधन के बारे में भी सच है। इस दिशा में हम फिर उत्साहित हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि हमारी भूमि और जनता ने उस नये दंग की कृषि कार्य-प्रणाली को अपनाया है जिसका प्रचार किया जा रहा है। मैंने बहुत-से किसानों से सुना है कि मांभारण भारतीय किसान खेतों करने के नये तरीकों को नहीं अपनाना चाहता। मेरे विचार में यह गलत है। वैज्ञानिक खाद की मांग प्रति वर्ष बढ़ी जा रही है और मुझे विश्वास है कि यदि हम पर्याप्त मात्रा में खाद दे सकें और उसका ठीक तरीके से प्रयोग करें, तो देश की खाद्य समस्या पर नियंत्रण किया जा सकेगा।

नई भूमि को कृषि योग्य बनाने की एक सीमा है। इनका अर्थ यह नहीं है कि ऐसी भूमि की कमी है। फिर भी, मैं काफी खाद, अच्छे बीज आदि के पर्याप्त प्रयोग पर जोर देता हूँ। इन वैज्ञानिक खादों में प्राकृतिक कार्बनिक खाद सम्मिलित है जिनके प्रयोग से बहुत से लाभ हो सकते हैं। बहुत से राश्यों में, इस संबंध में, हम काफी आगे तक चले

रहे हैं। विभिन्न राज्यों में अच्छे बीजों का वितरण तथा प्रचार, पंचायतों द्वारा उचित कर्मोत्सवना, जेठे ग्रामों में कूड़े का उचित प्रयोग, नानुसृतिक विभाग तथा राष्ट्रीय विद्यालयों तथा नगर-कर्मोत्सव योजनाओं में स्थानीय याद में अधिक से अधिक लाभ उठाने में जीवजान चार मुहैया करने में बहुत महत्ता मिल रही है। भावी विभाग का एक लक्ष्य यह है कि मारे भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों पर वैज्ञानिक याद की फंडरिंग अधिक से अधिक बनाई जाए।

### जिनम का सुधार

यद्यपि भूमि के मरक्षण और सुधार में वैज्ञानिक याद का बहुत बड़ा हाथ है फिर भी अच्छे बीजों का महत्त्व भी उनके बराबर ही है। मंत्रों के मध्य में हम यह देण ही चुंते हैं कि मुरारी हुई जिनम किजनी अधिक उपज दे मन्ती है। हमारे विंगोपजों ने कई गाद्यात्रों के लिए, जिन में गंधू, चायल और ज्वार शामिल हैं, अधिक उपज वाली किस्मों को विकसित किया है और उनका परीक्षण किया है। उदाहरण के लिए ज्वार की एक-दो किस्म निकाली गयी है जो प्रति एकड़ लगभग ८० मन उपज दे मरती है जबकि आजकल हम लगभग ३० मन उपज प्राप्त कर रहे हैं। द्वितीय योजना के अन्तर्गत अच्छे बीज के फार्म स्थापित करने का एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक विकास खण्ड के लिए एक बीज-फार्म बना लेना है। मुधरे हुए बीज में फन्स, मक्खियों और जई की अधिक उपज होती है। अनेक अन्वेषणाओं में, फगल के मरक्षण में कौशों आदि को मारने वाली दवाइयों का भी बहुत बड़ा योग है। जिन लोगों के जिम्मे इन समस्याओं के उपयुक्त अध्ययन का काम है उनके लिए काम करने को इस क्षेत्र में बहुत कुछ है। इस दिशा में अनुशा कार्य किया भी गया है और अन्य देशों के अनुभव से प्राप्त जानकारी का खेवी में प्रयोग भी किया जाने लगा है। इसमें सदेह नहीं है कि हम एक आधुनिक ढग की ओर उन्नतिशील कृषि व्यवस्था का मजबूत आधार बना रहे हैं।

११ करोड़ टन अनाज

साथ ए' कृषि मन्त्री ने कहा कि फोर्ड

फाउंडेशन दल ने, जो हाल ही में भारत आया, सुझाव दिया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक गाद्यात्र के उत्पादन का लक्ष्य १० से ११ करोड़ टन तक होना चाहिए। हमारा अनुमान है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देण की खपत १० करोड़ टन होंगी और यदि हम खाद्यान्न की सल्लाई का प्रबन्ध करना चाहते हैं, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमें ११ करोड़ टन अन्न उपजाने योग्य हो जाना चाहिए, अर्थात् इन मात्र वर्षों में उपज लगभग ३ करोड़ ७० लाख टन बढ़ानी है। फोर्ड फाउंडेशन टीम की सिफारिशों के अनुसार आजमायशी तौर पर मान राज्यों में विंगेय प्रयत्न के लिए एक-एक जिला चुना गया है। इस योजना में ऐसे मारे कार्य सम्मिलित होंगे, जिनमें खाद्य उत्पादन जोध बढ़ाने में सहायता मिल सकती है।

### मंत्रों से अधिक किसान का महत्त्व

यद्यपि मरे भी कही अधिक महत्त्व कृषक का अपना होता है। यह महत्त्व दो कारणों से है। किसान की समझदारी और जोश से ही नये विचारों और यंत्रों के उपयोग के बारे में अन्तिम निर्णय हो सकता है। यह तो उसके समझने की शक्ति पर निर्भर करता है कि वह अपने काम से अधिक से अधिक लाभ उठाए। जमींदारी, कृषि भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व की सीमा, गारटी मूल्य, नियमित बाजार, कम दर और समय पर ऋण और अच्छी भंडार सुविधाए व तरीके हैं जिनमें किसान को यह प्रोत्साहन मिलता है। खेत में काम करने वाले किसान को, चाहे वह भूमि का मालिक है या नहीं है, अपनी मेहनत से पैदा किये हुए खाद्यान्न का जितना बड़ा भाग आज मिलता है उतना कभी नहीं मिलता था।

श्री पाटिल ने कहा कि आगामी कुछ वर्षों के लिए आवादी की बढ़ोतरी की दर में कोई विंगेय कमी को आना करना मथार्थ नहीं होगा। इसलिए इन वर्षों के लिए, खाद्यान्न की देण में ही धीरे-धीरे बढ़ोतरी की ओर राष्ट्रीय प्रयत्नों को अधिक लगाया होगा। यह एक ऐसी कोशिश होगी चाहिए जिनमें राज्य एवंमिया और निमान दोनों ही धनिय

और लगातार सम्पर्क में काम करें। वे दोनों एक-दूसरे की आवश्यकताओं को समझे और उन आवश्यकताओं को वहीं पर शीघ्रता से पूरा करें। इसमें सदेह नहीं कि हमारे पाम और उपयुक्त ढग के स्थानीय नेतागण की कमी है, लेकिन मुझे पूर्ण आशा है कि यह कमी प्रयत्नों द्वारा शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। हमें यह भी देखना है कि इस समन्वित प्रयत्न में उत्पादन बढ़ाने के व्यक्तिगत कार्यक्रम भी सहायक हों।

### खुली बिक्री के लिए चीनी

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के चीनी और वनस्पति विभाग की ४ जनवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत सरकार ने १।।। लाख टन चीनी खुली बिक्री के लिए देने का निश्चय किया है। अब अपने कर्मचारियों को देने के लिए छोटी जाने वाली चीनी के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार और पंजाब की चीनी मिलों से खुली बिक्री के लिए और चीनी नहीं दी जाएगी।

मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, केरल, बम्बई, हिमाचल प्रदेश, आगाम, मणिपुर और त्रिपुरा को नियमित क्षेत्र की चीनी मिलों में केवल राज्य सरकारों द्वारा नामजद व्यक्तियों को चीनी का कौटा दिया जाएगा। पंजाब और जम्मू-कश्मीर के लिए शीघे राज्य सरकारों या उनके नामजद व्यक्तियों को चीनी दी जाएगी। पश्चिम बंगाल के जिल्लों और कलकत्ता के लिए भी राज्य सरकार के नामजद व्यक्ति ही चीनी प्राप्त कर मंगेंगे। दिल्ली के लिए वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही चीनी मिलनी रहेगी।

उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार को मिलों की चीनी का मिल पर का भाव ३० ८५ न० ५० प्रति मन निश्चित किया गया है और पंजाब की मिलों का ३८ ८० ३५ न० ५० प्रति मन तय किया गया है। यह भाव 'जस्ट एन एन डी-२९' किस्म की चीनी का है। दूसरी किस्मों की चीनी के भाव अन्त-अन्त है। इसी किस्म की चीनी का कानपुर और कलकत्ता पट्टावर्ण भाव तमः ३८ ८० ६० न० ५० और ३९ ८५ न० ५० मन पेटेगा।

## अन्न उत्पादन की समस्या : श्री पाटिल का ब्राडकास्ट

केन्द्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री, श्री सदाशिव राव कार्हाणी पाटिल ने ८ जनवरी को आकाशवाणी दिल्ली से एक ब्राडकास्ट में कहा कि खाद्यान्न उत्पादन की समस्या ऐसी नहीं है जिसे हम जीत नहीं सकते।

श्री पाटिल ने कहा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के अवसर ने जहाँ देश के इतिहास में गर्व और हर्ष का एक अध्याय जोड़ा, उसके साथ ही साथ अनेक समस्याएँ भी उपस्थित कीं। इन बड़ी समस्याओं में एक खाद्यान्न की वार्षिक कमी की समस्या थी। पहले भी वर्मा के पृथक् होने से और बाद में द्वितीय महायुद्ध के समय आयात बन्द हो जाने के कारण देश के असावधान रहने से उत्पन्न होने वाली खाद्य संबंधी समस्याओं का संकेत मिला। देश के विभाजन के फलस्वरूप, जहाँ तक निकट भविष्य का संवध था, एक कठिन स्थिति पैदा हो गयी क्योंकि इससे पूर्वी बंगाल का धान्य-अन्न तथा मिन्य व पश्चिम पंजाब के मसूर अनाज गेहू-उत्पादन क्षेत्र हम में चले गये। आजकल भारत पिछले दस वर्ष की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में खाद्यान्न उत्पन्न कर रहा है। लेकिन वही हुई आबादी तथा अधिक विकास व्यय के कारण जनता की वडी प्रय-शक्ति ने इस मांग को एक धक्का दिया और कुछ अवस्था में तो खाद्य आदतों को ही बदल दिया। जनता में लोहे अनाज के स्थान पर वारीक अनाज खाने लगी। इन कारणों ने खाद्य समस्या ने बड़ा भारी रूप ले लिया है, अन्यथा ऐसा नहीं होता।

यह है सामान्य पृष्ठभूमि जिसमें कि यह खाद्य समस्या अपने पूर्ण रूप में उपस्थित है और इसी रूप में इसका हल किया जा रहा है। आज में केवल उत्पादन की समस्या पर बोल रहा हूँ, घसपि परिवहन, सड़क और यात्रा में प्रय-विक्रम भी इन समस्या के कुछ पहलू हैं। फिर भी, जब में खाद्यान्न उत्पादन की समस्या के संवध में बोलता हूँ तो जोरदार शब्दों में कह सकता हूँ कि यह ऐसी कठिनाई नहीं है जिसे हम जीत नहीं

सकते। वास्तव में उत्पादन १९४९-५० के ५४० लाख टन की तुलना में १९५८-५९ में ७३५ लाख टन में भी ऊपर चला गया है। इन दस वर्षों में आबादी भी बढ़ी है परन्तु पूर्ण रूप से देखा जाए तो आबादी की बढ़ोतरी की दर खाद्यान्नों के उत्पादन की दर से बहुत कम है। दस वर्षों में खाद्यान्नों के उत्पादन में लगभग ३६ प्रतिशत की बढ़ोतरी होना और यह वास्तविकता कि यह बढ़ोतरी आबादी की बढ़ोतरी से कहीं अधिक है, भविष्य के बारे में विश्वास दिलाती रहेगी। उत्पादन में इस बढ़ोतरी के अतिरिक्त भी यह कठिनाई है कि देश भिन्न-भिन्न मात्रा में खाद्यान्नों का आयात अभी तक कर रहा है और वार्षिक उत्पादन के विरोधी प्राकृतिक प्रभाव भी काबू से बाहर रहे। उदाहरण के लिए सन् १९५७-५८ में उत्पादन को अनुपयुक्त मौसम के कारण अचानक और गम्भीर धक्का लगा। इन प्रकार के धक्कों को भी भविष्य में हटाना है।

मंत्री महोदय ने कहा कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अनुभव ने खाद्यान्न उत्पादन की आगे बढ़ोतरी की गुंजायमान दिया दी है। इन्होंने भिन्न-भिन्न प्रदेशों में आने वाली कठिनाइयों को बता दिया है; में यह 'बतला देना चाहता हूँ कि इन कठिनाइयों का अधिकतर हल भी बता दिया है। हमारे पास बड़ी मात्रा में कृषि योग्य बंकार भूमि पडी है जिसको बडे पैमाने पर सुधारा जा रहा है। कृषि के लिए अभी तक प्राप्त बंकार भूमि कितनी है, इसकी जानकारी करने के लिए आजतक के आकडे इकट्ठे किये जा रहे हैं। जहाँ पर भूमि खुरक या आधी खुरक पडी हुई है, उसको सिंचाई और भूमि नरक्षण उपायों के द्वारा कृषि योग्य बनाने और सुधारने का काम किया जा रहा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में २० लाख एकड़ से अधिक भूमि में संरक्षण उपाय किये जायें; १५ लाख एकड़ को कृषि योग्य बनाने और अन्य २० लाख एकड़ से अधिक भूमि में

भूमि सुधार का कार्य किये जाने का प्रस्ताव है। १९५८-५९ के अन्त तक लगभग १० लाख एकड़ भूमि, संरक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत आ चुकी थी। इस दिशा में काम तीव्र गति से चल रहा है, तथा योजना में रचे गये लक्ष्य पूरे होने की आशा है। कुल मिलाकर २१ लाख एकड़ भूमि को बडी, बीच की और छोटी सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत खाने का लक्ष्य रखा गया है। अनेक कारणों ने जहाँ सिंचाई की सुविधाएँ मिली हैं वहाँ बहुत जगह ऐसी भूमि नहीं है कि सुख्त ही सेती शुरू कर दी जाए। इसके लिए कुछ कदम उठाए गये हैं। प्राप्त सिंचाई साधनों का उचित संरक्षण व देखभाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिंचाई साधनों की देखभाल और उनसे लाभ उठाने में ग्राम समुदाय विशेष कार्य कर सकते हैं।

खेतों के सुधार की समस्या

श्री पाटिल ने कहा कि हमारे खेत और हमारे पशु दोनों ही उन अनेक देशों की तुलना में काम उपज देते हैं, जिनमें यथोचित रूप से कृषि विकास हो चुका है। वास्तव में भारतीय कृषि की सबसे बडी समस्या, विशेषकर खाद्य के संवध में, खेतों के सुधार की है और जो बात हमारी उपज के बारे में भव है वही हमारे पशुधन के बारे में भी सच है। इन दिनों में हम फिर उत्पादक एवं प्रतीत होते हैं क्योंकि हमारी भूमि और जनता ने उन नये ढंग की कृषि कार्य-प्रणाली को अपनाया है जिसका प्रचार किया जा रहा है। मैंने बहुत से किसानों से सुना है कि साधारण भारतीय किसान खेती करने के नये तरीकों को नहीं अपनाता चाहता। मेरे विचार में यह गलत है। वैज्ञानिक खाद की मांग प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है और मुझे विश्वास है कि यदि हम पर्याप्त मात्रा में खाद दे सकें और उसका ठीक तरीके से प्रयोग करें, तो देश की खाद्य समस्या पर नियंत्रण किया जा सकेगा।

नई भूमि को कृषि योग्य बनाने की एक सीमा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसी भूमि की कमी है। फिर भी, में काफी खाद, अच्छे बीज आदि के पर्याप्त प्रयोग पर जोर देता हूँ। इन वैज्ञानिक खादों में प्राकृतिक कार्बनिक खाद सम्मिलित है जिनके प्रयोग से बहुत से लाभ हो सकते हैं। बहुत से रास्ते हैं, इस संवध में, हम काफी आगे तक चलें

मैं है। विभिन्न राज्यों में अच्छे बीजों का वितरण तथा प्रचार, पचासवीं द्वारा उन्नित कम्पोस्ट बनाना, छोटे धानों में कूड़े का उन्नित प्रयोग, सामुदायिक विद्यालय तथा राष्ट्रीय विद्यालयों तथा नगर-कम्पोस्ट योजनाओं में स्थानीय खाद में अधिक से अधिक लाभ उठाने से जीवजान खाद मुहैया करने में बहुत महत्ता मिल रही है। भावी विकास का एक लक्ष्य यह है कि मारे भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों पर वैज्ञानिक खाद की फैक्टरियां अधिक से अधिक बनाई जाए।

### जिनस का सुधार

यद्यपि भूमि के मरक्षण और सुधार में वैज्ञानिक खाद का बहुत बड़ा हाथ है फिर भी अच्छे बीजों का महत्त्व भी उनके बराबर ही है। यंत्रों के संयंत्र में हम यह देख ही चुके हैं कि मुचरी हुई जिनस कितनी अधिक उपज दे सकती है। हमारे विभिन्न जिलों में कड़े खाद्यान्नों के लिए, जिन में गेहूँ, चावल और ज्वार शामिल हैं, अधिक उपज वाली किस्मों को विकसित किया है और उनका प्रोत्साहन किया है। उदाहरण के लिए ज्वार की एक-दो किस्म निकाली गयी हैं जो प्रति एकड़ लगभग ८० मन उपज दे सकती हैं जबकि आजकल हम लगभग ३० मन उपज प्राप्त कर रहे हैं। द्वितीय योजना के अन्तर्गत अच्छे बीज के फार्म स्थापित करने का एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक विद्यालय खण्ड के लिए एक बीज-फार्म बना लेना है। मुधरे हुए बीज में फोर्स, एक्टिविटी और जड़ों की अधिक उपज होती है। अनेक अवस्थाओं में, फसल के मरक्षण में कोड़े आदि को मारने वाली दवाइयों का भी बहुत बड़ा योग्य है। जिन लोगों के जिम्मे इन समस्याओं के उपयुक्त अध्ययन का काम है उनके लिए काम करने को हम क्षेत्र में बहुत कुछ है। इस दिशा में अनुसंधान कार्य किया भी गया है और अन्य देशों के अनुभव से प्राप्त जानकारी का यंत्रों में प्रयोग भी किया जाने लगा है। इसमें सदेह नहीं है कि हम एक आधुनिक ढंग की और उन्नतियों की रूपरेखा का मजबूत आधार बना रहे हैं।

११ करोड़ टन अनाज

साथ ए कृषि मंत्री ने कहा कि फोर्ड

फाउंडेशन दल ने, जो हाल ही में भारत आया, सुझाव दिया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य १० से ११ करोड़ टन तक होना चाहिए। हमारा अनुमान है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश की खपत १० करोड़ टन होगी और यदि हम खाद्यान्न की सप्लाई का प्रबन्ध करना चाहते हैं, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमें ११ करोड़ टन अन्न उपजाने योग्य हो जाना चाहिए, अर्थात् इन सात वर्षों में उपज लगभग ३ करोड़ ७० लाख टन बढ़ानी है। फोर्ड फाउंडेशन टीम की सिफारिशों के अनुसार आजमायगी तौर पर सात राज्यों में विशेष प्रयत्न के लिए एक-एक जिला चुना गया है। इस योजना में ऐसे नारे कार्य सम्मिलित होंगे, जिनमें खाद्य उत्पादन शीघ्र बढ़ाने में सहायता मिल सकती है।

### यंत्रों से अधिक किसान का महत्त्व

यंत्रों से भी कहीं अधिक महत्त्व कृषक का अपना होता है। यह महत्त्व दो कारणों से है। किमान की समझदारी और जोसा से ही नये विचारों और यंत्रों के उपयोग के बारे में अंतिम निर्णय हो सकता है। यह तो उसके समझने की शक्ति पर निर्भर करता है कि वह अपने काम में अधिक से अधिक लाभ उठाए। जमींदारी, कृषि भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व की भीमा, गारटी मूल्य, नियमित वाजार, कम दर और समय पर ऋण और अच्छी भंडार सुविधाएँ वे तरीके हैं जिनसे किसान को यह प्रोत्साहन मिलता है। खेत में काम करने वाले किसान को, चाहे वह भूमि का मालिक है या नहीं है, अपनी मेहनत में पैदा किये हुए खाद्यान्न का जितना बड़ा भाग आज मिलता है उतना कमी नहीं मिलता था।

श्री पाटिल ने कहा कि आगामी कुछ वर्षों के लिए आवादी की बढ़ोतरी की दर में कोई वित्तीय कमी की आशा करना यथार्थ नहीं होगा। इसलिए इन वर्षों के लिए, खाद्यान्नों की देग में ही धीरे-धीरे बढ़ोतरी की और राष्ट्रीय प्रयत्नों की अधिक लगाना होगा। यह एक ऐसी कोशिश होगी चाहिए जिनमें राज्य एजेंसियाँ और निम्नान दोनों ही पनियट

और लगातार सम्पर्क में काम करें। वे दोनों एक-दूसरे की आवश्यकताओं को समझें और उन आवश्यकताओं को वहीं पर सीधे-ता से पूरा करें। इसमें सदेह नहीं है कि हमारे पाम और उपयुक्त ढंग के स्थानीय नेतागण की कमी है, लेकिन मुझे पूर्ण आशा है कि यह कमी प्रयत्नों द्वारा शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। हमें यह भी देखना है कि इस सम्बन्धित प्रयत्न में उत्पादन बढ़ाने के व्यक्तिगत कार्यक्रम भी सहायक हों।

### खुली बिक्री के लिए चीनी

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के चीनी और वनस्पति विभाग की ४ जनवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत सरकार ने १॥ लाख टन चीनी खुली बिक्री के लिए देने का निश्चय किया है। अब अपने कर्मचारियों को देने के लिए छोड़ी जाने वाली चीनी के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार और पंजाब की चीनी मिलों से मुली बिक्री के लिए और चीनी नहीं दी जाएगी।

मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, केरल, बम्बई, हिमाचल प्रदेश, आन्ध्र, मणिपुर और त्रिपुरा को नियमित धंध की चीनी मिलों में केवल राज्य सरकारों द्वारा नामजद व्यक्तियों को चीनी का कोटा दिया जाएगा। पंजाब और जम्मू-कश्मीर के लिए मीधे राज्य सरकार या उनके नामजद व्यक्तियों को चीनी दी जाएगी। पश्चिम बंगाल के जिलों और कलकत्ता के लिए भी राज्य सरकार के नामजद व्यक्ति ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे। दिल्ली के लिए वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही चीनी मित्रों रहेंगी।

उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार की मित्रों की चीनी का मिल पर का भाव ३० रु० ८५ न० ५० प्रति मन निश्चय किया गया है और पंजाब की मित्रों का ३८ रु० ३५ न० ५० प्रति मन तय किया गया है। यंत्र भाव 'जॉर्ज एन डी-२०' किस्म के यंत्रों का है। इनकी किस्म की चीनी के प्रति अन्न-अन्ध्र है। इनकी किस्म की चीनी का बानपुर और बलरुता पड़वार भाव ३८ रु० ९० न० ५० और ३९ रु० ८५ न० ५० प्रति मन है।

## केन्द्रीय मछली पालन मंडल की सिफारिशें

केन्द्रीय मछली पालन मंडल ने नयी दिल्ली में दिसम्बर के अन्त में हुई अपनी बैठक में ऐसे उपायों की सिफारिश की है, जिनसे देश में मछली पालन का विकास हो सके तथा अधिक मछलियां निर्यात की जा सकें। मंडल ने मछलों, उनकी सहकारी संस्थाओं तथा मछली उद्योग को पर्याप्त आर्थिक सहायता देने की भी सिफारिश की है।

अच्छी किस्म की मछलियां पैदा करने के लिए मंडल ने सिफारिश की है कि राज्यों के मछली पालन विभाग बीज के लिए अच्छी मछलियां देने के उपाय करें तथा बीज की मछलियां देने के अधिक केन्द्र बनाएं। इस बारे में मंडल ने यह सुझाव दिया है कि बीज की मछलियां तैयार करने के लिए छोट-छोटे तालाब बनाने के काम को प्राथमिकता दी जाए।

तीसरी योजना में तथा उसके बाद प्रविष्टित व्यक्तियों की वृद्धि हुई माग को पूरा करने के बारे में मंडल ने सिफारिश की है कि राज्यों के मछली पालन विभाग तथा मछली पालन उद्योग के लोग केन्द्रीय संस्था तथा अन्य ट्रेनिंग केन्द्रों में प्राप्त सुविधाओं का पूरा लाभ उठाएं।

मछलियों का निर्यात बढ़ाने के बारे में मंडल ने सिफारिश की है कि मछली पकड़ने के जहाजों के अच्छे डिजाइन तैयार किये जाएं तथा दूसरे देशों से जहाज आयात करने के लिए अधिक सुविधाएं दी जाएं। पैकिंग का सामान, ठंडी अलमारियां तथा डिब्बाबन्दी का सामान आयात करने के लिए भी अधिक सुविधाएं देने की मंडल ने सिफारिश की है।

मंडल ने यह भी सिफारिश की है कि चुगी अधिकारी मछलियों आदि की निकासी को प्राथमिकता दें। दूसरे देशों को मछलियों भेजने के लिए कम जहाज-भाडे के लिए भी मंडल ने सिफारिश की है। पैकिंग के सामान पर आयात कर में छूट देने के लिए मंडल ने जल्दी कार्रवाई करने को कहा है।

मंडल ने सिफारिश की है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अच्छा होगा कि राज्य

सरकारें बिक्री या खरीद कर न लगायें और जहां पर एंसे कर लगे हैं, उन्हें हटा दिया जाए। जब तक मछली पालन उद्योग अच्छी तरह जम नहीं जाता, तब तक निर्यात कर भी न लगाया जाए।

मंडल की बैठक में आसाम, बम्बई, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मद्रास, पंजाब तथा राजस्थान राज्यों के मछली पालन विभाग के मंत्रियों, राज्यों के कृषि निदेशकों, मछलों की सहकारी संस्थाओं तथा मछली उद्योग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। केन्द्रीय खाद्य और कृषि मंत्री, श्री सदाशिव काण्हेरी पाटिल ने बैठक की अध्यक्षता की।

## कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश को अनुदान

भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय खोलने के लिए १ करोड़ ९० लाख रु० के खर्च की स्वीकृति दी है। यह विश्वविद्यालय रुद्रपुर में खोला जाएगा। इस विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार करेगी और यह अमरीका के लंड ग्रांट कालेजों के नमूने पर बनाया जाएगा। तराई का १६ हजार एकड़ का सरकारी फार्म अनुसंधान और प्रयोगों के लिए विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होगा।

यह विश्वविद्यालय भारत में अपने किस्म का पहला विश्वविद्यालय होगा और इसमें कृषि कालेज, पशु-पालन और पशु रोग विज्ञान कालेज तथा कृषि इंजीनियरी कालेज होंगे। इनके अलावा एक विज्ञान विभाग भी होगा। विश्वविद्यालय में कृषि और संबंधित विषयों की शिक्षा दी जाएगी।

विश्वविद्यालय में हर साल १२५ विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और २५ प्रतिशत स्थान अन्य राज्यों के विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित रहेंगे।

[१९४८ में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने ग्राम विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था। डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे। १९५४ में केन्द्रीय खाद्य और कृषि मन्त्रालय ने जो संयुक्त भारतीय-अमरीकी टोली नियुक्त की थी, उसमें भी इन विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश

की और इस मन्थन में निश्चित सुझाव भी दिये। अमरीका के इलिनोयस विश्वविद्यालय के डीन एच० डब्ल्यू० ह्यूब्स ने इस विश्वविद्यालय की रूपरेखा अमरीका के लंड ग्रांट कालेजों के नमूने पर तैयार की। इन कालेजों ने अमरीका में कृषि के विकास के लिए महत्वपूर्ण योग दिया है।]

## गोदाम कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था

केन्द्रीय गोदाम निगम ने नयी दिल्ली में मार्च १९६० में गोदाम कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने का निर्णय किया है। इन्हें रबी की फसल तैयार होने से पहले केन्द्र तथा राज्यों के अन्न-मण्डारों में नियुक्त कर दिया जाएगा।

केन्द्र तथा राज्यों के गोदाम निगम देश के विभिन्न भागों में नये अन्न-मण्डार बना रहे हैं। इनके लिए गोदाम कर्मचारियों और टैक्निकल सहायकों को ट्रेनिंग देने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

इस ट्रेनिंग में लगभग १५० उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिनमें से १३० राज्य गोदाम निगम और बाकी केन्द्रीय गोदाम निगम की ओर से आएंगे। ट्रेनिंग भारतीय कृषि अनुसंधानशाला में होगी। उम्मीदवारों को व्यावहारिक शिक्षा के लिए स्थानीय मण्डों और मोंगा तथा बदीसी के केन्द्रीय गोदामों में ले जाया जाएगा। उन्हें ट्रेनिंग के दौरान जैकिंग, हिसाब-किताब, बीमारी और कीड़ों की रोकथाम, गोदाम की सफाई आदि की शिक्षा दी जाएगी।

यह ट्रेनिंग, नागपुर में गोदाम कर्मचारियों और टैक्निकल सहायकों को दी जाने वाली सालाना ट्रेनिंग के अलावा है। नागपुर में अन्तिम ट्रेनिंग अगस्त-सितम्बर १९५९ में दी गयी थी, जिसमें केन्द्रीय और राज्य गोदाम निगमों के १३३ उम्मीदवारों ने शिक्षा ली थी।

केन्द्रीय गोदाम निगम ऐसे लोगों को भी यह ट्रेनिंग देने पर विचार कर रहा है, जो केन्द्रीय या राज्य गोदाम निगमों के कर्मचारी नहीं हैं।

## क्या आप जानते हैं ?

### भारत में घरेलू ईंधन की खपत

● भारत की ८० प्रतिशत में भी ज्यादा जनता गावों में रहती है। ये लोग घरों में पेड़ की लकड़ियाँ, सूखे पत्ते, टहनियाँ, उपले आदि ईंधन के रूप में जलाते हैं। इसी कारण वे भी ईंधन के रूप में जलाते हैं। विना किसी विलम्ब सर्वेक्षण के यह अनुमान लगाना कि देश में ऐसे ईंधन की कितनी खपत है, अयम्भव है। दिल्ली गैर-सरकारी तौर पर भारत सरकार के एक भूतपूर्व अधिकारी ने घरेलू ईंधन के बारे में कुछ आकड़े इकट्ठे किये हैं जिन पर विचार करते १९५४-५५ की जनगणना के आधार पर ईंधन की खपत का अनुमान लगाया गया है। इसमें रांगनी के लिए बिजली की खपत के आकड़े शामिल नहीं हैं। घरों में खाना पकाने और कुछ चीज गमन करने में जितने ईंधन की खपत हुई, उगों के बारे में ये आकड़े इकट्ठे किये गये हैं।

● देश भर में अनुमानित ८ करोड़ २० लाख ४० हजार टन मूची लकड़ी के बराबर घरेलू ईंधन की खपत हुई। इसमें से लगभग ७८ प्रतिशत का पवन गावों में और २० प्रतिशत का शहरों में हुई। इसमें से ८९६ प्रतिशत उपले, ३८७ प्रतिशत लकड़ी और लकड़ी के कोयले, ८५ प्रतिशत पेड़-पौधों का कूड़ा-कचड़ा, २७ प्रतिशत पत्थर का कोयला, ०.४ प्रतिशत मिट्टी का तेल और ०.१ प्रतिशत बिजली जली।

● देश भर में कुल १०३ करोड़ ६० लाख टन गोबर होता है। इसमें से ६९ करोड़ ६० लाख टन गोबर विभिन्न कामों में इस्तेमाल होता है, जिसमें से ३० करोड़ टन के उपले बनाये जाते हैं।

● शहरी घरों में गाव के घरों से ज्यादा ईंधन जलता है। प्राय गावों में जो ईंधन जलता है, वह शहरों में नहीं जलता। गाव के लोग आम तौर से ईंधन खरीदना पसन्द नहीं करते। इसके अलावा, गावों में अच्छी सड़के न होने और बहुत कम खपत होने के कारण शहरी ईंधन बहुत तक पहुँच भी नहीं पाता।

● जलपौरा की केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान-शाला और हैदराबाद की क्षेत्रीय अनुसंधान-शाला में कुछ परीक्षण किये गये, जिनसे पता चला है कि बिजली कोयले से घुआ न देने वाला

ईंधन बनाया जाए तो वह सस्ते दामों पर बिक सकता है। इसकी मांग भी काफी हो सकती है।

● हैदराबाद में एक सत्र लगाया गया है, जिसमें आजमाइशी तौर पर घरों में जलने वाला २५ टन कोयला प्रतिदिन वन रहा है। इसमें लोगों ने काफी पसन्द किया है। जलपौरा में भी एक मयत्र चालू है, जो सब तरह के कोयले में घरेलू कोयला बना रहा है।

● अगर बिक्री के लिए पत्थर का कोयला और धुआ न देने वाला ईंधन बड़े पैमाने पर बनाया जाए और उसे काफी लोकप्रिय बनाया जाए तो लकड़ी और उपलों की खपत में काफी कमी हो सकती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में घरेलू कोयले के कार्यक्रम पर काफी गहन विचार किया जा रहा है।

### तम्बाकू के बीज से वनस्पति

कृषकता विश्वविद्यालय के विज्ञान और गिनत्य-विज्ञान कालेज के व्यावहारिक रसायन शास्त्र विभाग में जो खोज की गयी है, उनमें अब तम्बाकू के बीज के तेल से भी वनस्पति तैयार करने की सम्भावना बढ गयी



### इंजीनियरी अनुसंधान संस्थाओं के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ से सहायता

संयुक्त राष्ट्र सच की महायता न दुर्गापुर में केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधानशाला और बगलोर तथा भोपाल में विज्ञानी इंजीनियरी अनुसंधान मण्डल स्थापित किये जाएंगे। इस काम के लिए यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र सच के विद्या, विज्ञान तथा संस्कृति सङ्गठन के जरिये सहायता मिलेगी। तीनों अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना पर जो खर्च आएगा, उसकी डालर वाला भाग यानी २६ लाख २० हजार २०० डालर यूनेस्को देगा और बाकी खर्च, जो ५८,५१,५५० डालर के बराबर होगा, भारत सरकार उठायेगी। तीनों काम जल्दी ही शुरू हो जाएंगे।

है। तम्बाकू के बीज का तेल इतना सस्ता है कि इससे तैयार वनस्पति का मूल्य अन्य तेलों से बने वनस्पति से कम पडता है।

### आसाम में चावल और धान के भाव का नियंत्रण

भारत सरकार ने चावल और धान (आगाम) भाव नियंत्रण आदेश, १९६० जारी किया है और इसमें आसाम राज्य में लागू इस ढग का पहला आदेश रद्द हो गया है।

यह नया आदेश १ जनवरी, १९६० से लागू हुआ है और इसमें आसाम राज्य के तीनों क्षेत्रों में धान की बिक्री के अधिकतम और न्यूनतम भाव तथा मिठों में तैयार चावल के अधिकतम भाव निर्धारित कर दिये गये हैं। यह आदेश शीत और शरद ऋतु के धान और चावल की अनेक किस्मों पर भी लागू होगा, जबकि पहला आदेश सर्दी की फसल के मोटे धान और चावल पर ही लागू था। इस प्रकार, इस आदेश से आसाम सरकार को अनेक किस्मों का धान और चावल खरीदने में सहायता मिलेगी।

दुर्गापुर की अनुसंधान मस्या के लिए, यूनेस्को तीन साल के लिए तीन विनोद, दो-दो साल के लिए चार वृत्तिया और ४,७५,००० डालर का मामान देगा। इस प्रकार इस मस्या के लिए ६,९१,४०० डालर की सहायता मिलेगी। भोपाल और बगलोर की मस्याओं के लिए यूनेस्को दो विनोद देगा। बगलोर में एक विनोद तीन साल काम करेगा और भोपाल में दो साल। बगलोर में दो-दो साल की तीन और भोपाल में दो-दो साल की पांच वृत्तिया दो प्रारणों। भोपाल के लिए १४,६०,००० डालर और बगलोर के लिए २,९५,००० डालर का सामान दिया जाएगा। इन सब चीजों का खर्च १,९,२८,८०० डालर बँडेगा।

तीनों मस्याओं की योजनाओं का १५

जनवरी को नयी दिल्ली में वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री एन० सी० सेन मुक्त, आई० सी० एस०, संयुक्त राष्ट्र सच के ग्लिय सहानुयता मडल के स्थायी प्रतिनिधि श्री जेम्स कोन और यूनेस्को के महानिदेशक डा० वित्तोरियो बेरोनीज की स्वीकृति मिल गई है।

ये योजनाएँ उस करार का भाग हैं, जो संयुक्त राष्ट्र सच के विशेष कोष और भारत सरकार में २० अक्टूबर, १९५९ को हुआ था।

## विश्व शिक्षाविद सम्मेलन में राष्ट्रपति का भाषण

नयी दिल्ली में ६ जनवरी को १०वें विश्व शिक्षाविद सम्मेलन में भाषण करते हुए राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने कहा कि यदि हमें ऐसे समाज की रचना करनी है, जिनमें सब सुखी और सन्तुष्ट हों, तो हमें होड़ के स्थान पर सहयोग और भौतिक समृद्धि की बजाय सुख और आत्मसन्तोष पर अधिक जोर देना होगा। मनुष्य में यह परिवर्तन लाने के लिए हमें न केवल वचनों और नव-युवकों की शिक्षा में, बल्कि बड़ों और बुद्धि-जीवियों के विचारों में भी परिवर्तन करने का उद्योग करना होगा। तभी आगामी पीढ़ी को मित्रता और सहयोग के वातावरण में पनपने का अवसर मिलेगा। तभी वे लोग समझे कि भौतिक साधनों और लाभ से मनुष्य को कभी वास्तविक आनन्द नहीं मिल सकता।

आपने कहा कि यह कोई दावा नहीं कर सकता कि सांसारिक वस्तुओं ने किमी एक व्यक्ति को भी आज़म और पूरा-पूरा सुख दिया हो। लेकिन हर युग और हर देश में ऐसे बहुत से स्त्री-मुहुर हुए हैं, जो भौतिक आवश्यकताओं से ऊपर उठकर महान आध्यात्मिक सुख भोग मके। यह कहना गलत होगा कि अज्ञान के कारण ही ऐसे स्त्री-मुहुर सुखी रह मके और उनका सन्तोष और शान्ति भ्रष्ट की शान्ति के समान था। वास्तव में वे अत्यन्त शान्ति व्यथित थे, क्योंकि उन्होंने सब भौतिक पदार्थों की अमलियत को समझा। आधुनिक शिक्षा सब देशों के सब लोगों तक नहीं पहुँचायी जा सकती, क्योंकि इसके लिए माधनों की आवश्यकता है। किन्तु आत्मसन्तोष

का सन्देश हर देश के हर आवालवृद्ध और स्त्री-मुहुर तक पहुँचाया जा सकता है। इससे वे जहा और जिस हाल में हैं, सन्तुष्ट रह सकते हैं। इससे उनकी आगे बढ़ने या अपना सुधार करने की इच्छा मर नहीं जाएगी, बल्कि वे असफलता के भय से मुक्त होकर निष्काम कर्म करेंगे।

प्रतिस्पर्धा और सहयोग का अन्तर समझते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के मूल में हिंसा है और सहयोग के मूल में प्रेम। इसलिए व्यक्तियों और राष्ट्रों के मन को बदलने के लिए मानव समाज के हर उपक्रम में प्रेम को ही सर्वोपरि स्थान देना होगा और यह शिक्षाविद ही कर सकता है।

अपने देश में शिक्षा की स्थिति के बारे में बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हम भी अपने देश में अपने हर देशवामी को शिक्षित करने के लिए प्रयत्नशील हैं, किन्तु अपने सीमित साधनों के कारण हमें अपने इस लक्ष्य प्रति में कुछ बाधाएँ आती दिखायी देती हैं। आज से बीस वर्ष पहले हमारे राष्ट्रनेता महात्मा गांधी ने इस कठिनाई को भलीभाँति अनुभव किया था। बहुत से शिक्षा-शास्त्रियों से विचार-विमर्श करके ही उन्होंने इस बुनियादी शिक्षा को पूर्ण रूप दिया। स्वतन्त्र होने के बाद हम अपने देश में इस शिक्षा प्रणाली को निरन्तर फँस रहे हैं। अभी यह कहना असुविष्ट होगा कि इसमें हमें पूरी-पूरी सफलता मिली है। किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि आज या कल हम अवश्य ही यह अनुभव करेंगे कि हमारे देश के लिए यही शिक्षा-प्रणाली उपयुक्त है। मैं आशा करता हूँ कि आपने अपने इन थोड़े दिनों के भारत-प्रवास में बुनियादी शिक्षा के सिद्धांतों और इसके व्यावहारिक पक्ष को देखा और समझा होगा। हमारी सब योजनाओं में नये विचारों और सलाह की गुंजाइश है और शिक्षा के मामले में लकीर का फकीर हो ही नहीं सकता है।

## युनेस्को के महानिदेशक की भारत-यात्रा

१४ जनवरी को संयुक्त राष्ट्र के विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति समन्वय के महानिदेशक डा० वित्तोरियो बेरोनीज २ दिन की भारत-यात्रा पर नयी दिल्ली पहुँचे।

नयी दिल्ली में आप ने राष्ट्रपति, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री और वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मंत्री से भेंट की और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और दिल्ली विश्वविद्यालय देखने गये। इंडियन कौंसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स, इंडियन इंटरनेशनल सेटर और संयुक्त राष्ट्र के शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति समन्वय के विज्ञान सहयोग कार्यालय ने डा० वित्तोरियो के स्वागत के लिए ममारोह किये।

डा० वित्तोरियो एशियाई राष्ट्रीय आयोगों के प्रतिनिधियों के क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने मनीला जा रहे थे।

## रूसी शिक्षाविदों का शिष्टमण्डल भारत में

भारत सरकार के निमंत्रण पर सोवियत सच के ६ शिक्षाविदों का एक शिष्टमण्डल २ जनवरी को नयी दिल्ली पहुँचा। यह शिष्टमण्डल ३ सप्ताह तक भारत की यात्रा करेगा।

सोवियत शिष्टमण्डल के नेता अध्यापन विज्ञान अकादमी के सदस्य, श्री ए० एम० ओरोगोव हैं। दिल्ली के अलावा ये शिक्षाविद बम्बई, बड़ौदा, बंगलूर, मद्रास और कलकत्ता की यात्रा भी करेंगे और वहाँ के विद्यालय और आगरा तथा फतहपुर सीकरी जैसे ऐतिहासिक स्थान भी देखेंगे।

राजधानी में शिष्टमण्डल उपराष्ट्रपति डा० रघुनाथन और शिक्षा मंत्री डा० कालूलाल श्रीवास्तव से भेंट करेगा।

शिष्टमण्डल के सदस्य हैं—

श्री एम० जे० मयूदोव, तातार गणराज्य के शिक्षा मंत्री, श्री ए० आई० इस्काकोव, कज़ाख गणराज्य के अध्यापन अनुसंधान सस्था के निदेशक, श्री ए० एन० मर्लोव, आर० एस० एफ० आर० की अध्यापन विज्ञान अकादमी के कार्यकर्ता, कु० आर० न्यूमोवा, सोवियत स्कूलों के लिए कई हिन्दी व उर्दू पुस्तकों की लेखिका; और श्री एस० ई० जोकोव, मास्को के माध्यमिक स्कूल के निदेशक।

## फिल्मों पर राज्य पुरस्कारों की संख्या में वृद्धि

सन् १९५९ की फिल्मों पर दिये जाने वाले राज्य पुरस्कारों की संख्या में अब दो की वृद्धि कर दी गयी है। पिछले वर्षों में

और राज्य पुस्तकार दिये गये, उनके अलावा इस साल सर्वोत्तम दार्शनिक फिन्म को राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक और निर्माता को ५,००० रु० तथा निर्देशक को १,००० रु० के नकद पुस्तकार और सर्वोत्तम छोटे फिन्म को राष्ट्रपति का रजत पदक दिया जाएगा। इस श्रेणी में दूसरे और तीसरे नम्बर के चित्र को श्रेष्ठता का अविल-भारतीय प्रमाण-पत्र भी दिया जाएगा।

### राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का नया निदेशक मंडल

भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के निदेशक मंडल का १ जनवरी, १९६० में पुनर्गठन किया है। नये मंडल के निदेशकों के नाम इस प्रकार हैं: वैज्ञानिक अनुसंधान तथा संस्कृति मंत्रालय के सचिव, डॉ० एम० एम० ठंडर (अध्यक्ष), प्रतिष्ठा मंत्रालय के वैज्ञानिक मन्त्राहकार, डॉ० डी० एम० कोडारी; वित्त मंत्रालय के संपन्न सचिव श्री ए० वी० बेंकटेश्वरन; वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ उद्योग सलाहकार, डॉ० जी० पी० काने और डॉ० वी० डी० कालेकर; जे० इंजीनियरिंग ब्रम्स लिमिटेड, कलकत्ता के श्री टी० आर० गुप्त; नेशनल रियन कारपोरेशन लि० बम्बई के डॉ० एम० वी० पारीख; सिम्पसन एंड कम्पनी, मद्रास के श्री अनन्तराम कृष्णन् और एटलस साइकल लि०, सौनीपत (पंजाब) के श्री वी० डी० कपूर।

नये निदेशक तीन माल तक अपने-अपने पद पर काम करेंगे।

### नवसाक्षरों के लिए पुस्तकों की सातवीं प्रतियोगिता

शिक्षा मंत्रालय ने नवसाक्षरों के लिए लिखे जाने वाले उत्तम साहित्य पर पुस्तकार देने के लिए इस वर्ष भी सभी भारतीय भाषाओं की पुस्तकों और पाण्डुलिपियां मांगी हैं।

उत्तम पुस्तकों या पाण्डुलिपियों के लेखकों को लगभग ५० पुस्तकार दिये जाएंगे। ५ पुस्तकार एक-एक हजार रु० और लगभग १५ पुस्तकार ५-५ सौ रु० के हों।

पुस्तक या पाण्डुलिपि किसी भी भारतीय भाषा में और किसी भी विषय पर हो सकती है; परन्तु उसे ब्यक्त नवसाक्षरों के आर्थिक, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक जीवन के लिए लाभदायक होना चाहिए। पुस्तक या पाण्डुलिपि डिमाई अठेजी साइज के ४८ पृष्ठों से अधिक की नहीं होनी चाहिए। इसकी भाषा सरल तथा यह सचिव होनी चाहिए।

### कला वस्तुओं के निर्यात के लिए सरकारी अनुमति आवश्यक

वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मंत्रालय की १५ जनवरी को एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि कला वस्तु (निर्यात नियंत्रण) कानून, १९४७ के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति केन्द्रीय सरकार से लाइसेंस लिये बिना कला वस्तुओं को विदेशों को नहीं भेज सकता।

### दिल्ली विश्वविद्यालय में गांधी भवन का शिलान्यास

प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने १७ दिसम्बर को दिल्ली विश्वविद्यालय में देश के पहले गांधी भवन की नींव रखी।

गांधी स्मारक निधि और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गांधी जी के जीवन और आदर्शों के अध्ययन की सुविधा के लिए विश्व-

स्वास्थ्य

### तीसरी योजना में मानसिक स्वास्थ्य

### स्वास्थ्य मंत्रालय का राज्य सरकारों को पत्र

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को तीसरी योजना में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में एक नोट भेजा है। इस पत्र में कहा गया है कि जहाँ विशेष उपलब्ध हैं, वहाँ राज्यों के स्वास्थ्य विभागों में मानसिक स्वास्थ्य की विशेष शाखा खोली जाए। इस पत्र में यह भी कहा गया है कि नमूने के तौर पर कुछ शहर और देहातों में वाग्लयन,

विद्यालयों में गांधी भवन स्थापित करने का कार्यक्रम बनाया है। शुरू में दिल्ली, केरल, इलाहाबाद, पटना, पंजाब, नागपुर और राजस्थान विश्वविद्यालयों में गांधी भवन स्थापित किए जाएंगे।

### गाजील की पुस्तकों पर कापीराइट कानून लागू

भारत सरकार के १३ जनवरी के असाधारण सूचना-पत्र में घोषणा की गयी है कि भारत सरकार ने १९५७ का कापीराइट कानून ग्राजील की पुस्तकों पर भी लागू कर दिया है। ग्राजील द्वारा विश्व कापीराइट समझौता स्वीकार करने पर यह निश्चय किया गया है।

### कापीराइट अधिनियम चेकोस्लोवाकिया पर भी लागू

भारत सरकार ने ६ जनवरी, १९६० के असाधारण सूचना-पत्र में एक विज्ञप्ति प्रकाशित की है, जिसमें बताया गया है कि चेकोस्लोवाकिया की पुस्तकों पर भी कापीराइट अधिनियम, १९५७ लागू होगा। यह निर्णय इसलिए किया गया है कि अब चेकोस्लोवाकिया में भी विश्व कापीराइट समझौते (यूनिवर्सल कापीराइट कन्वेंशन) को मान लिया है।

धिरंगी आदि मानसिक रोगों के बारे में जांच-पड़ताल की जाए और इनके निरोध की योजना बनाई जाए। फिर १० साल के बाद यह पत्र लगाया जाए कि इन बीमारियों का अनुपात बड़ा तो नहीं।

### साधनों की पड़ताल

यह भी देखा जाए कि मानसिक रोगों के इलाज के लिए देश में क्या कानून है। पान्क-



पैन और अन्य मानसिक व्याधियों तथा बच्चों के विगड़ने या आवारगर्दी की समस्याओं में जनता का कितना ध्यान है, इसका पता लगाया जाए ।

मंत्रालय ने राज्य सरकारों से यह भी कहा है कि वे आत्महत्या की घटनाओं और उसके कारणों के बारे में भी पड़ताल करे ।

इस बात पर भी जोर दिया गया है कि बच्चों और बड़ों के विगड़ने और पागलपन के कारणों में भी अनुसंधान किया जाए और सुधार के उपाय सोचे जाए ।

### रोकथाम

मंत्रालय ने तीसरी योजना में मानसिक रोगों की रोकथाम के आवश्यक उपाय भी सुझाये हैं जैसे मानसिक रोग चिकित्सा केन्द्र और बाल-सुधार केन्द्र और विवाह और दाम्पत्य जीवन के बारे में सलाह देने वाली संस्थाएँ खोलना और स्कूलों और कालेजों में मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था करना ।

मानसिक अस्पतालों में रोगियों की भीड़ कम करने और बूड़े और पुराने रोगियों को अलग रखने का सुझाव दिया गया है ।

नोट में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक मानसिक रोग संस्था कायम होनी चाहिए । मानसिक अस्पतालों के सभी या अधिकांश डाक्टरों को मनोविश्लेषण की ट्रेनिंग दी जाए, मेडिकल कालेज के और अन्य अस्पतालों में भी अलग विभाग खोले जाए और बहुत गम्भीर मानसिक रोगियों के लिए अलग संस्थाएँ खोली जाए ।

### प्रशिक्षण

डाक्टरों के छात्रों को इस विषय में आकृष्ट करने के लिए छात्रवृत्तियाँ दी जाएँ । मानसिक अस्पतालों के डाक्टरों, नर्सों तथा अन्य कर्मचारियों की ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए और साधारण डाक्टरों तथा मानसिक रोग चिकित्सकों को नयी बातें बताने और ज्ञान ताजा करने के लिए कक्षाएँ चलाई जाएँ ।

### रोकथाम पर जोर

सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा को योजनाएँ बनाते समय, बीमारियों की रोकथाम और उनसे बचाव पर अधिक जोर दिया जाए । भारत की बड़ी जनसंख्या और डाक्टरों की कमी को देखते हुए इस प्रकार का कार्यक्रम काम्रद है ।

अनुमान है कि इन समय भारत में १५ लाख पागल तथा अन्य मानसिक रोगियों को अस्पताल में रखना आवश्यक है । भारत के मानसिक अस्पतालों में कुल १५,००० रोगियों की जगह और योग्य डाक्टरों की संख्या केवल १०० है । इसके अलावा, १,००० ऐसे कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो विशेष योग्यता प्राप्त नहीं हैं ।

### दूसरी समस्याएँ

इस समय मानसिक विकृतियों और समस्याओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है । आत्महत्या, जो खासकर मीराष्ट्र की क्षेत्रों में अधिक है, और छात्रों की उद्दता की समस्या भी विचारणीय है ।

## अंग्रेजी चिकित्सा प्रणाली की शिक्षा

देश को इस समय जहाँ दो-तीन लाख डाक्टरों की आवश्यकता है, दूसरी योजना की अवधि के अन्त तक देश में कुल ९० हजार डाक्टर होंगे । किन्तु १,५०० या २,००० व्यक्ति पीछे एक डाक्टर के हिसाब से अभी यह संख्या बहुत कम रह जाएगी । इस समय देश में ५४ मेडिकल कालेज हैं और यहाँ से हर साल ४,५०० डाक्टर निकलते हैं । इस हिसाब से तो देश की आवश्यकता-नुसार डाक्टरों की संख्या होने में लगभग अभी ५० साल लगेंगे । यह अनुमान है कि डाक्टरों को शिक्षा देने के लिए १२५ कालेजों की और आवश्यकता होगी जो कि वर्तमान कालेजों की संख्या से दूगुने से अधिक है ।

### नये मेडिकल कालेज

इन ५४ कालेजों में से २५ कालेज अभी हाल ही में खोले गये हैं । इन कालेजों की संख्या विभिन्न राज्यों में इस प्रकार है—

आंध्र में	७, आसाम में	१, मध्य प्रदेश में	४,
मद्रास में	५, मंडूर में	४, उड़ीसा, पाठीचेरी और जम्मु-कश्मीर में	१-१, पंजाब में
३, राजस्थान में	२, उत्तर प्रदेश में	३ और प० बंगाल में	५ ।

भारत सरकार ने ३ कालेज, २ नयी दिल्ली में और १ पाठीचेरी में, खोले हैं ।

नये कालेज खोलने तथा वर्तमान कालेजों को बढ़ाने के लिए दूसरी योजना में ६ करोड़

५० लाख ६० की व्यवस्था की गयी है । इस समय कालेजों में १०० छात्र भर्ती किये जाते हैं । इनकी क्षमता १५० छात्रों तक बढ़ाने के लिए भारत सरकार इन कालेजों को आर्थिक सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

देश में इस समय कुल ८ गैर-सरकारी मेडिकल कालेज हैं, सुविधाना के क्रिश्चियन मेडिकल कालेज के सुविधा किसी अन्य कालेज को केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है । एम० बी०बी०एस० पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे १२॥ लाख ६० का अनुदान देना स्वीकार किया था । यह रकम १० वर्षों में दी जाएगी ।

अगली पंचवर्षीय योजना में ७ या ८ मेडिकल कालेज खोलने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है । इसके अलावा दूसरी योजना की अवधि में तजोरा, औरंगाबाद और काकीनाड़ा में जो मेडिकल कालेज खोले गये हैं, उनका भी विस्तार करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी । अनुमान है कि तीसरी योजना के अन्त तक इन कालेजों से प्रतिवर्ष ५,५०० डाक्टर निकलेंगे ।

### स्नातकोत्तर शिक्षा

इस समय देश में डाक्टरों की स्नातकोत्तर शिक्षा दी जाती है । हाल ही में केन्द्रीय सहायता से देश के विभिन्न भागों के ११ कालेजों में स्नातकोत्तर शिक्षा देने की व्यवस्था की गयी है । लखनऊ के गांधी स्मारक मेडिकल कालेज के कुछ विभागों में स्नातकोत्तर शिक्षा देने की व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार ने उसे आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया है ।

चिकित्सा की स्नातकोत्तर शिक्षा के सभी पदों पर विचारों करने तथा उसके विकास के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए भारत सरकार ने अभी हाल ही में प० बंगाल के मुख्य मंत्री, श्री विद्यान चन्द्र राय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है । यदि समिति सिफारिश करेगी तो भविष्य में अन्य संस्थाओं में भी स्नातकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी ।

पहली तथा दूसरी योजना में डाक्टरों की शिक्षा के इस पक्ष की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था । किन्तु मोर समिति और

एली क्रोमवित सीमिति (अपवैकिंग कमेटी) को सिफारिशों के परिणामस्वरूप डाक्टरों शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए नयी दिल्ली में काल इंडिया इन्स्टिट्यूट आफ मेडिकल गाइडेंस की स्थापना की गयी। जैसा कि सम्भावना है कि देश में तीसरी योजना के अन्त तक ६० या इनसे अधिक मेडिकल कालेज और खुल जायेंगे, यह स्पष्ट है कि डाक्टर शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए एक ही संस्था में काम नहीं चल पायेगा। यह विचार है कि सभी श्रेणी के विद्यार्थियों को भरपूर ट्रेनिंग के लिए विनोद स्थापित खोलनी पड़ेंगी और वर्तमान कालेजों या संस्थाओं में से ५ कालेजों या संस्थाओं में इन ट्रेनिंग के लिए उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये ५ कालेज क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में काम करेंगे। हर केन्द्र में प्रतिवर्ष १०० से १५० डाक्टरों को स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए नयी नियमा जा सकता है। यह पाठ्यक्रम दो से तीन साल तक का होगा और इन हिसाब से इन केन्द्रों के खुल जाने पर तीसरी योजना में लगभग १,२०० विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। योजना की अवधि में हर केन्द्र पर लगभग २ करोड़ ५० लाख रु. खर्च होगा।

### डाक्टर अनुसंधान

चिकित्सा विद्या में भी अनुसंधान का प्रबल स्थान है। दूसरी योजना में इसके लिए ५ करोड़ १२ लाख रु. की व्यवस्था की गयी है। पुस्तक मेडिकल कालेजों में अनुसंधान को और अधिक व्यवस्था की जाएगी और प्रतिभाशाली स्नातकों तथा स्नातकोत्तरों को अनुसंधान-कार्य के लिए चुना जाएगा। अनुसंधान कार्य में लगे वर्तमान डाक्टरों तथा इन कार्य में अपना योग्य समय लगाने के इच्छुक डाक्टरों को खर्चाने के लिए एक अनुसंधानकर्ता वर्ग बनाया जा रहा है।

### देशी चिकित्सा प्रणाली का विकास

सरकार देशी तथा होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली के विकास को और से भी उदासीन नहीं है। आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली के विकास के लिए पहले पंचवर्षीय योजना में ३७ लाख ५० हजार रु. की व्यवस्था की गयी थी। इसमें से काशी रकम जामनगर केन्द्र को अनुदान

के रूप में दी गयी और ३ लाख से अधिक रकम आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली के विकास के लिए दिया गया।

इन चिकित्सा प्रणालियों के लिए दूसरी योजना में ५ करोड़ २५ लाख रु. की व्यवस्था की गयी है। इस रकम में से जामनगर के अनुसंधान केन्द्र और स्नातकोत्तर संस्था का विस्तार किया जाएगा, आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा के ५ कालेज खोले जाएंगे और १३ वर्तमान कालेजों का विस्तार किया जाएगा।

देशी चिकित्सा प्रणाली को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए स्वास्थ्य मन्त्रालय ने अनुसंधान कार्यों की समीक्षा करने तथा उसमें सुधार करने के बारे में मुद्राव देने के लिए समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और सरकार उस पर विचार कर रही है।

### दांतों के इलाज की शिक्षा

दन्त-चिकित्सा शिक्षा में भी भारत बहुत पिछड़ा है। इस समय देश में इसके सिर्फ ८ कालेज हैं। इन कालेजों के विस्तार तथा नये कालेजों की स्थापना के लिए दूसरी योजना में १ करोड़ ५० लाख रु. की व्यवस्था की गयी थी, किन्तु यह राशि घटाकर अब ७५ लाख रु. कर दी गयी है। मद्रास, लखनऊ, अमृतसर, बम्बई और कलकत्ता के दन्त चिकित्सा कालेजों का विस्तार करने तथा शिक्षानन्तपुरम और हैदराबाद में नये कालेज खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार ने आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया है। जिन दन्त-चिकित्सकों के नाम राज्य के दन्त-चिकित्सक रजिस्टर में 'ख' श्रेणी में दर्ज हैं, उन्हें उच्च शिक्षा देने के लिए लखनऊ के गांधी स्मारक अस्पताल में एक केन्द्र खोला गया है। इस केन्द्र में ट्रेनिंग लेने के बाद उनके नाम 'ख' श्रेणी से हटाकर 'क' श्रेणी में रजिस्टर कर दिये जाएंगे। बम्बई के सर सी० ई० एम० डेंटल कालेज एण्ड हास्पिटल तथा नायर हास्पिटल डेंटल कालेज के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण विभागों में दन्त-चिकित्सकों को ट्रेनिंग देने का काम शुरू हो गया है। बम्बई सरकार नागपुर में एक दन्त चिकित्सा कालेज खोलने का विचार कर रही है।

एक ओर जहाँ सरकार अधिक से अधिक लोगों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं देने का प्रयत्न कर रही है, वहाँ दूसरी ओर वर्तमान तथा नये खुलने वाले अस्पतालों और दवाखानों के लिए डाक्टरों की शिक्षा की व्यवस्था करने का भी प्रयत्न कर रही है।

---

### डाक्टरों अनुसंधान के लिए वेट स्मारक छात्रवृत्ति

स्वास्थ्य मन्त्रालय की १० जनवरी को एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि डाक्टरों तथा उससे सम्बन्धित अन्य किसी विज्ञान में अनुसंधान करने के हेतु भारतीय भी वेट स्मारक छात्रवृत्ति के लिए अर्जी भेज सकते हैं।

मई १९६० में कनिष्ठ छात्रवृत्तियां देने के लिए उम्मीदवारों का चुनाव होगा। छात्रवृत्ति तीन साल तक क्रमशः ९०० पीण्ड, ९५० पीण्ड और १,००० पीण्ड की होगी। छात्र अपनी छात्रवृत्ति का ५ प्रतिशत कटवाता रहेगा और वेट स्मारक ट्रस्ट उसमें अपनी ओर से छात्रवृत्ति का १० प्रतिशत जोड़ेगा। अनुसंधान पूरा होने के बाद छात्र को यह रकम एकमुश्त दे दी जाएगी।

---

### ट्रेनिंग में दाइयों का वजीफा

केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय ने दाइयों को ट्रेनिंग के दौरान २० रु. माहवार की जगह ३० रु. माहवार वजीफा देने का फैसला किया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत मई १९५६ में दाइयों को ट्रेनिंग देने की योजना चालू की गई थी। इस योजना के अनुसार ३६,००० दाइयों को प्रशिक्षण दिया जाना है। यह प्रशिक्षण ६ महीने तक दिया जाता है और इसके लिए भारतीय नर्सिंग परिषद् पर निर्धारित किया है।

## कश्मीर के विस्थापितों को विशेष सहायता

पुनर्वास मंत्रालय की १० जनवरी की एक विज्ञापित में बताया गया है कि पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर से उद्घातित लोगों को सरकार ने विशेष सहायता देने का निश्चय किया है।

जम्मू-कश्मीर के कुछ भागों पर पाकिस्तान का कब्जा होने के बाद वहां से उजड़कर आने वाले को पहले योल, नगरोटा और होशियारपुर के शिवियों में रखा गया और बाद में देश में अन्यत्र भेजा गया। खेतियार परिवारों को जमीनों दी गईं और बाहरी परिवारों को कश्मीर में और बाहर शहरों और कस्बों में बसाया गया।

ये विस्थापित भारत सरकार से आग्रह करते रहे हैं कि उनको जो अचल सम्पत्ति पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में छूट गई है, उसका उन्हें मूआनवा दिया जाए। यद्यपि इन विस्थापितों को बसाने में वही प्रयत्न किया गया, जो पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए किया गया, पर चूंकि ये जित क्षेत्र से आये हैं, वह भारत का भाग है, पाकिस्तान का नहीं, इसलिए निष्कांत सम्पत्ति कानून इन पर नहीं लागू होता।

परन्तु इनकी मुसीबत का खयाल करके भारत सरकार ने कश्मीर सरकार से सहाह करके इन्हें विशेष रूप से बखशीय के तौर पर नगद सहायता देने का फैसला किया है।

(क) जो परिवार क्षेत्री को जमीन पर बसे हैं, उन्हें दिया गया १,००० रु० तक का पूरा बर्ज माफ कर दिया जाएगा। जिन्हें १,००० रु० से कम बर्ज मिला है, उन्हें और रुपया देकर एक हजार की रकम पूरी कर दी जाएगी।

(ख) जिन खेतियार परिवारों को कर्ज नहीं मिला है, उन्हें १,००० रु० नगद बखशीय दी जाएगी।

(ग) जिन परिवारों को क्षेत्री की जमीन पर नहीं बसाया गया है, उन्हें ३,५०० रु०

प्रति परिवार के हिसाब से दिया जाएगा, पर इसमें से बकामा कर्ज और सूद, किराया, अलाट सम्पत्ति का दाम आदि काट कर लिया जाएगा।

बाहरी परिवारों में जिनकी वर्तमान आय १५० रु० मासिक से कम होगी, उन्हीं को बखशीय मिलेगी। जिनकी आय इससे अधिक होगी, उन्हें ३,५०० रु० तक बकामा कर्ज आदि की माफी दी जाएगी।

ठीक पहचान और पाकिस्तान अधिकृत भाग से आने का सन्त देने पर ही सहायता दी जाएगी। यह सहायता मुख्य बंदोबस्त अफसर के अधीन नियुक्त विशेष अफसर देगे।

## पंजाब में विस्थापित ट्रस्टों की सम्पत्ति राज्य सरकार के सुपुर्दे

देश के विभाजन के बाद, दान से चलने वाली अथवा धार्मिक सस्थाओं के मुस्लिम ट्रस्ट के ट्रस्टी इनकी सम्पत्ति को छोड़ गए थे। इन्हें बाद में विस्थापित सम्पत्ति के संरक्षक (कस्टोडियन) ने इस विचार से अपने अधीन कर लिया था कि जब तक दीवानी अदालतें नए ट्रस्टी नियुक्त न कर दें तब तक संरक्षक ही इनकी देखभाल करे।

१९५६ में, भारत सरकार ने जल्दी ही नए ट्रस्टी नियुक्त करने के लिए विस्थापित सम्पत्ति कानून में संशोधन करके इन सम्पत्तियों के लिए ट्रस्टी नियुक्त करने का विषय अधिकायन अपने हाथ में लिया।

फरवरी केन्द्रीय पुनर्स्थापन मंत्रालय के प्रयत्न से बम्बई, उत्तर प्रदेश, मद्रास, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मैसूर, केरल, बिहार, उड़ीसा, दिल्ली और राजस्थान के लगभग ६५० ट्रस्टों की सम्पत्तियां नए ट्रस्टियों को सौंप दी गयीं। इनमें विद्यापीठों की सम्पत्ति नहीं हुई, क्योंकि इन राज्यों में मुसलमानों की संख्या काफी है। बक सम्पत्तियां भी राज्य बक मण्डलों, मुन्शी मजलिस-ए-ओलाफ और अन्य संस्थाओं को सौंप दी गयीं।

पंजाब में भी, जालंधर, लुधियाना, अम्बाला, करनाल, रोहतक, शिमला, अमृतसर और भल्लरकोटला शहरों में नए मुतवल्ली नियुक्त किए गए और उन्हें लगभग ८० मजिदें सौंप दी गयीं। फिर भी अभी काफी विस्थापित ट्रस्ट सम्पत्ति बाकी है, जिन्हें सौंपने के लिए, राज्य में मुसलमानों की कमी के कारण, उपयुक्त मुतवल्ली नहीं मिल सके।

अब पुनर्स्थापन मंत्रालय अपना पश्चिमी क्षेत्र का काम समाप्त कर रहा है, इसलिए यह निर्णय किया गया है कि पंजाब में मुसलमानों के धार्मिक तथा दान से चलने वाले ट्रस्टों की सम्पत्ति पंजाब सरकार को सौंप दी जाए। जब तक वहां मुस्लिम बक मंडल नहीं बनाया जाता, तब तक यह सम्पत्तियां पंजाब सरकार के उप-आयुक्तों के अधीन रहेंगी। इस काम के लिए उन्हें विस्थापित सम्पत्ति का पदेन उपसंरक्षक भी नियुक्त किया गया है।

यह भी निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय सरकार के पास जाब की बक सम्पत्ति का जो बाकी काम है, वह पुनर्स्थापन मंत्रालय से लेकर स्वराष्ट्र मंत्रालय को सौंप दिया जाए।

यह सूचना पुनर्स्थापन मंत्रालय की ११ जनवरी की एक प्रेस विज्ञापित में दी गयी है।

## १९५८-५९ में राज्यों में हरिजनों को सुप्त जमीन

श्रुतिपूजित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के भूमिहीन किसानों को १९५८-५९ में ६२ लाख एकड़ से भी अधिक जमीन दी गयी। इसमें से कुछ जमीन राज्यों में बेकार पड़ी थी और कुछ भूदान में प्राप्त हुई थी।

यह जानकारी आंध्र प्रदेश, बिहार, बम्बई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल तथा केन्द्रशासित राज्य जम्मूपुर और त्रिपुरा से प्राप्त हुई है। सबसे अधिक जमीन—लगभग ३९ लाख एकड़—बम्बई राज्य में दी गयी। इन राज्यों ने अभी पूरी जानकारी नहीं भेजी है।

इन जातियों को सामान्य कार्यक्रम के अंतर्गत जमीन मुधारने के लिए महापता मिलनी है। इसके अलावा उन्हें विंगेय महापता भी दी जानी है। विंगेय महापता के अन्तर्गत १९८-५९ में उन पर लगभग ७८ लाख ६० संचं किया गया, जिनमें से आधा केन्द्रीय सरकार ने और आधा राज्य सरकारों ने किया। केन्द्रीय सरकार ने अपनी योजनाओं के अन्तर्गत लगभग ४० लाख ६० दिया।

दूसरी योजना में सिछरी जातियों के हित के लिए लगभग ९१ करोड़ ६० रखा गया है। इनमें से ४७ करोड़ ६० अनुभूचित आदिम जातियों और अनुभूचित क्षेत्रों पर, २७ करोड़ ५० लाख ६० अनुभूचित जातियों पर, लगभग ४ करोड़ ६० विभाजित जातियों पर, ९ करोड़ ७० लाख ६० अन्य सिछरी जातियों पर और २ करोड़ ९० लाख ६० कार्य-संचालन आदि पर खर्च किया जाएगा। यह खर्च उन पर विंगेय रूप में किया जाएगा। इसके अलावा, राज्यों में आम लोगों के हित के लिए जो काम होने हैं, उनमें भी इन्हें लाभ हाना है।

### वैश्यावृत्ति उन्मूलन कानून पर अमल

वैश्यावृत्ति उन्मूलन कानून को अमल में लाने के लिए आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बम्बई, केरल, मद्रास, मसूर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में विशेष पुलिस अफसर नियुक्त किये गये हैं। अन्य चार राज्यों और त्रिपुरा में भी इस बारे में विचार किया जा रहा है।

यह सूचना एक प्रकृत के उत्तर में स्वराष्ट्र उपमंडली, श्रीमती वायलेट अल्वा ने १६ दिसम्बर को सदन में दी।

उन्होंने बताया कि अडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, मिनिकाय और अमीन द्वीपसमूह तथा मणिपुर में वैश्यावृत्ति नहीं है, इसलिए वहां विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं।

श्रीमती अल्वा ने कहा कि अभी तक केवल बम्बई राज्य और दिल्ली शासन ने यह बताया है कि उन्होंने विंगेय पुलिस अफसरों की सहायता के लिए गैर-सरकारी सलाहकार नस्थाएं बनायी हैं। ऐसी गैर-सरकारी नस्थाएं बनाना कानून की दृष्टि से जरूरी नहीं, बल्कि राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर है।

### ग्राम प्रावास योजना की प्रगति

केन्द्रीय निर्माण, आवास और पूति मंत्रालय की ग्राम आवास योजना के अन्तर्गत इस समय दस राज्यों में काम हो रहा है। ये राज्य हैं - आंध्र प्रदेश, बिहार, बम्बई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मसूर, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश।

इन राज्यों में इस योजना के लिए लगभग १,९०० गांव चुने गये हैं और उनमें उन ग्रामीणों को, जो अपने मकान नये सिरे से बनाना चाहते हैं, ६८ लाख ६० का ऋण देना स्वीकार किया गया है। करीब ८०० से अधिक मकान बन चुके हैं और ९०० बन रहे हैं। मसूर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा इस योजना का अधिक स्वागत हुआ है।



### प्रतिरक्षा विज्ञान में अनुसंधान के लिए छात्रवृत्तियां

केन्द्रीय प्रतिरक्षा मंत्रालय ने हाल ही में दिल्ली में प्रतिरक्षा विज्ञान में अनुसंधान करने वालों को छात्रवृत्ति देने की योजना चालू की है। इस साल से ही डाक्टरेट, एम० एम-सी०, डीजीनियरी और धातु विज्ञान के स्नातको के लिए ५० छात्रवृत्तियां चालू की गयी हैं। ये वृत्तियां २५०० प्रतिमास की होंगी। अति योग्य उम्मीदवारों को कुछ खास विषयों में ६ बड़ी छात्रवृत्तियां भी दी जा सकती हैं जो ४०००० प्रतिमास की होंगी। शुरू में ये छात्रवृत्तियां १ साल के लिए दी जाएंगी, किन्तु कुछ खास विषयों में यह २ साल तक भी दी जा सकती है।

इन छात्रवृत्तियों के लिए इस साल ४० उम्मीदवार चुने गए, जिनमें से लगभग २४ को प्रतिरक्षा विज्ञानशाला में प्रशिक्षण मिलना शुरू भी हो गया है। डा० आर० एम० वर्मा इस प्रयोगशाला के निदेशक हैं। पहले यह दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में थी, किन्तु हाल ही में यह दिल्ली मेटाफ हाउस में चली गयी है। इन उम्मीदवारों को प्रतिरक्षा अनुसंधानशालाओं और सिल्व

इस योजना के अन्तर्गत मकान बनाने की कुल लागत का आधा भाग ऋण के रूप में दिया जाता है, लेकिन एक मकान पाँछे १,५०० ६० से अधिक का ऋण नहीं दिया जाता। राज्य सरकारों इस योजना के लिए सामुदायिक विकास खण्डों के गांव चुनती हैं। प्रत्येक राज्य में नये मकानों के नवशे बनाने के लिए अलग वे विभाग बनाए गए हैं। पुराने मकानों को नये सिरे से बनाने या नये मकान बनाने के लिए इस विभाग द्वारा तैयार किये गये नवशे ही काम में लाये जाते हैं।

इस योजना का उद्देश्य गांव वालों को आसिक सहायता देकर गांव की आवास-स्थिति में सुधार करना है। जिन गांवों में यह योजना लागू की जाती है, वहां सड़कों, नालियों तथा पीने के पानी की भी व्यवस्था की जाती है।

विकास सस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन्हे सैनिक विज्ञान और अनुसंधान की साधारण शिक्षा के अलावा, उनके विषयों में ऊंची ट्रेनिंग और अनुसंधान की व्यवस्था भी की जाएगी। इसमें उत्तीर्ण होने के बाद इन्हे अनुसंधान और विकास समूहों में जगह दी जा सकेगी और सेना विज्ञान विभाग में उच्च पदों तक पहुँचने का भी अवसर मिलेगा।

### वार्षिक स्थल सेना दिवस

हर साल की तरह इस साल भी १५ जनवरी को देश में वार्षिक दिवस धूमधाम में मनाया गया। दिल्ली छावनी में मेनाप्यूस, जनरल के० एम० सिंघा ने ३,००० से अधिक अफसरों और जवानों की एक परेड की मलामी ली। दिल्ली और राजस्थान के जनरल आर्किवर बमाडर, मेजर-जनरल विक्रम सिंह ने मेना दिवस परेड का मचायन किया।

मत् १९५४ में हर साल स्पष्ट मेना दिवस पर धूमधाम में परेड होंगी है। हनारी इस सेना की दृष्टिगत लगभग २०० लाख पड़ते हैं। समसमय पर इनमें १-

रैजिमेंटें जुड़ती गयी, जिनमें से प्रत्येक का रिकार्ड बड़ा गोतवपूर्ण है। भारतीय सेना का उद्देश्य किसी पर हमला करना नहीं। इसका उद्देश्य है बाहरी हमलों से देश की रक्षा करना और सकट में सरकार की मदद करना। स्वतंत्रता के बाद से हमारी सेना विश्व शांति के हित में चार बार विदेशों में अपने जवान भेज चुकी है। हिन्दचीन और गाजा में अब भी हमारी सेना की टुकड़ियाँ शांति रखा में लगी हैं। विदेशों में हमारे नैनिक जवानों और अधिकारियों के सद्ब्यवहार से भारतीय सेना और देश का नाम बढ़ा है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हाल ही में एक भारतीय अधिकारी को मित्र में समुद्र राष्ट्र की आपात सेना का नेतृत्व करने का अवसर मिला।

### नौसैनिक बेड़े का नया पनडुब्बीनाशक जहाज़—'त्रिशूल'

भारतीय नौसैनिक बेड़े का नया पनडुब्बीनाशक जहाज़ 'आइ०एन०एम० त्रिशूल' १३ जनवरी को भारतीय बेड़े में शामिल हो गया।

'आइ०एन०एम० त्रिशूल' नौसेना के पनडुब्बीनाशक जहाजों में अपने किस्म का पहला जहाज है। इसमें आधुनिकतम पनडुब्बीनाशक यंत्र लगाए गए हैं। त्रिशूल के ठीक ढग से काम करने के बारे में इंग्लैंड के आसपास के समुद्र में परीक्षण भी किए जाएंगे। त्रिशूल के कमांडर कैप्टेन 'ी ए० कामत हैं और इसमें लगभग २३० अफसर और नौसैनिक होंगे।

### बिहार पुलिस के अधिकारी की वीरता के लिए पुरस्कार

राष्ट्रपति ने बिहार के पलामू जिले के डाल्टनगंज थाने के रिजर्व हवलदार मेजर धीरिनाथ सिंह को वीरता और कर्तव्य-परायणता के लिए पुलिस-पदक दिया है।

यह सूचना ९ जनवरी के सरकारी सूचना-पत्र में दी गयी है।

### भारतीय नौसेना द्वारा बंगाल की खाड़ी में नाव यात्रा

भारतीय नौसेना ने पहली बार खुली नाव द्वारा विशाखापत्तनम् में पोर्ट ब्लेयर (अण्डमान द्वीप समूह) तक और फिर वहा से वापस आने का प्रबन्ध किया है। ७ जनवरी को विशाखापत्तनम् से चली इस नाव में ७ व्यक्ति हैं, जिनमें से ४ अधिकारी हैं और ३ नाविक। उन्होंने यह यात्रा करने के लिए स्वेच्छा से अपना नाम दिया था। इस यात्रा का नेतृत्व नौसेना के लेफ्टिनेंट एम०एन० सामन्त कर रहे हैं। यात्रियों में स्थल सेना के कैप्टेन जी०डी० शर्मा और नौसेना के डाक्टर सर्जन-ले० डी०के० थापा भी हैं।

ये लोग २० दिन तक समुद्र में रहेंगे और १,५०० समुद्री मील (लगभग १,७५० मील) की दूरी तय करेंगे। इस यात्रा से यह भी जाचा जा सकेगा कि देश में बनी नावें और डिब्बाबन्द खाना समुद्र के गर्म वातावरण



### हिमाचल प्रदेश सलाहकार समिति की बैठक

नयी दिल्ली में २३ नवम्बर को स्वराष्ट्र मन्त्रालय में मंत्री, श्री बलवन्त नमेश दातार की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश की सलाहकार समिति की बैठक हुई। इसमें हिमाचल प्रदेश में मुक्त और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देने के सम्बन्ध में विधेयक का मसौदा मंजूर किया गया।

इस विधेयक के अनुसार अभिभावकों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें। ऐसा न करने से उन पर २५ ६० तक का जुर्माना किया जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश सवारी और माल कर नियम, १९५७ के अन्तर्गत कर की दरों में संशोधन करने का भी एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इसके अनुसार अब पंजाब की तरह हिमाचल प्रदेश में भी पहाड़ी शंख में चलने वाली गाड़ियों पर ८१० ६० प्रति वर्ष और अन्य क्षेत्रों में चलने वाली गाड़ियों पर

में कितना उपयोगी हो सकता है। साथ ही लोगों पर समुद्र में खुली हवा और अकेलेपन का क्या प्रभाव पड़ता है।

### पुलिस के वायरलेस अफसरों का सम्मेलन स्व

राष्ट्र मन्त्रालय के सचिव, श्री वी० एन० शाने ने २१ दिसम्बर को नयी दिल्ली में पुलिस के वायरलेस अफसरों के ९वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भाषण करते हुए श्री शाने ने कहा कि हमारे संचार के साधन सीमित हैं। ऐसी दशा में इसकी भाषितक समस्याओं पर विचार करने के लिए वायरलेस अफसरों के सम्मेलन बहुत लाभदायक होंगे।

श्री शाने ने बताया कि सन्देश भेजने और पाने के बहुत से यंत्र बाहर से मंगाकर राज्यों को दिये गये हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड राज्यों को वायरलेस का जो सामान सप्लाय करता है, ये उसके अलावा है।

५४० ६० प्रति वर्ष की दर से कर लिया जाएगा।

### पंचायतें

बैठक में बताया गया कि हिमाचल में ५९८ की जगह ५१८ पंचायतें बना दी गयी हैं और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ६०० बना दी जाएगी।

### तपेदिक की रोकथाम

हिमाचल प्रदेश के पाचो जिलों में १०-१० परलों का तपेदिक चिकित्सालय खोला गया है। ४० परलों का एक सैनेटोरियम है ही और तीसरी योजना में एक और सैनेटोरियम खुल जाएगा।

### राज्यों में होम गार्ड

विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र को सूचित किया है कि वे अपने यहां वाड, महा-मारिया, आग, भूकम्प आदि देवी संरंटी में लोगों की सहायता करने के लिए होम गार्ड स्थापित कर रही हैं।

पंजाब सरकार का कहना है कि मनु १९५७ के पंजाब राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल अधिनियम

के अन्तर्गत एक सन्ध्या बनायी गयी है, जो अपने दो महीनों में चाटू हो जाएगी।

राजस्थान सरकार ने भी राजस्थान होम गार्ड विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया है। उद्दिना ने इन सम्बन्ध में विस्तृत योजना बनायी है। जम्मू-कश्मीर राज्य में सूचना दी है कि सरकार ने होम गार्ड स्थापित करना निम्नलिखित रूप में मान लिया है।

बाघ प्रदेश और मंजूर राज्यों ने कहा है कि उनके यहां इन प्रकार की संस्थाएं पहले ही काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी रक्षा दल नाम की संस्था है। बम्बई और दिल्ली में होम गार्ड स्थापित हो ही चुके हैं।

बन्धा कुमारी जिले और तिहुनेलेवेली के पोकोट्टा तालुके के अनिर्गमित देवस्वोम इसमें नहीं आएंगे।

### सौराष्ट्र किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९५६

इस संशोधन के द्वारा सौराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, १९५१ को अवधि ३१ दिगम्बर, १९६० तक बढ़ा दी गयी है।

राज्यों के पुनर्गठन के समय से बम्बई के विभिन्न भागों में कई प्रकार के किराया नियंत्रण कानून लागू हैं। पूरे बम्बई राज्य के लिए एक किराया नियंत्रण कानून का मसौदा सरकार तैयार कर रही है। इस नये कानून के पास होने में अभी देर है। अतः सौराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम की अवधि एक साल के लिए बढ़ा दी गयी है।



मध्य वर्ग के लोगों के लिए मकान योजना : दिल्ली के लिए ३० लाख रु०

मध्य वर्ग के लोगों के लिए मकान बनाने की योजना के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में भारत सरकार ने दिल्ली प्रशासन को ३० लाख रु० देने में मंजूर किया है। इस योजना के अन्तर्गत ६,००० में १२,००० रु० तक की मासना लागू वाले लोगों को मकान बनाने के लिए ऋण दिया जाता है। इस ऋण पर ५% प्रतिगत की दर में ब्याज लगता है और मूल धन तथा ब्याज की कुल रकम २५ वार्षिक बिलों में बमूल की जाती है।

### राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति

राष्ट्रपति ने निम्नलिखित राज्य विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दी है —

मद्रास हिन्दू पूर्त एवं धार्मिक धर्मस्व विधेयक, १९५६

इस विधेयक के कानून बन जाने में मद्रास के १९५४ के हिन्दू पूर्त एवं धार्मिक धर्मस्व (संशोधन) अधिनियम की कुछ ऐसी कमियां दूर हो जाएगी, जिनका कानून के पालन में अनुभव हुआ और जिनकी ओर अदालतों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था।

संशोधन विधेयक के अन्तर्गत मद्रास के हिन्दू धार्मिक और धार्मिक सत्त्याएँ तथा धर्मस्व का जाते हैं। केवल नियमित देवस्वोम और

### माडले विश्वविद्यालय को भारतीय पुस्तकें भेंट

वर्ना में भारत के राजदूत, श्री लालजी मेहरोत्रा ने १२ जनवरी को माडले विश्वविद्यालय के पहले दीक्षान्त समारोह के अवसर पर बर्मा के उप-प्रधान मंत्री तथा माडले विश्वविद्यालय के कुलपति श्री उ लुन वा को १५२ भारतीय पुस्तकों का सग्रह भेंट किया। ये पुस्तकें भारतीय इतिहास, दर्शन, कला, साहित्य तथा आर्थिक विषयों की हैं। इन्हें अब माडले विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में रखा जाएगा।

### घाना में भारतीय उच्चायुक्त

रोम में भारत के वर्तमान राजदूत श्री खूबचन्द को घाना में भारत का उच्चायुक्त और साथ ही नाइजीरिया के लिए आयुक्त नियुक्त किया गया है। आगा है आप मार्च १९६० में अपना कार्यभार सभाल लेंगे। यह सूचना परराष्ट्र मन्त्रालय की ७ जनवरी की एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गयी है।

### चेकोस्लोवाकिया के राजदूत द्वारा परिचय-पत्र पेश

भारत में चेकोस्लोवाकिया के नव-नियुक्त राजदूत, डा० मेदिस्लाव मिमोविन ने १४ जनवरी को नयी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद को अपने परिचय-पत्र पेश किए।

### भारतीय राजदूत द्वारा क्यूबा के प्रेमीडेंट को परिचय-पत्र पेश

अरिस्ता में भारत के राजदूत, श्री मुन्शर अनी बर्नोमार्स उगासा ने १९६० की क्यूबा के प्रेमीडेंट अपने परिचय-पत्र पेश

### जनरल सर रिचर्ड हल की भारत-यात्रा

पूर्व एशिया में ब्रिटिश स्थल सेनाओं के कमांडर-इन-चीफ, जनरल सर रिचर्ड हल दस दिन के भारत-यात्रा पर एक रात कलकत्ता रहने के बाद, ४ जनवरी को दिल्ली पहुंचे। जनरल हल ६ जनवरी तक राजधानी में रुके। इस दौरान वे प्रतिरक्षा मंत्री, प्रतिरक्षा सचिव और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मिले।

वे पंजाब, पूना और किलगटन में सैनिक केन्द्र और कारखाने भी देखने गए। १४ जनवरी को वे लखनऊ रवाना हो गए।



# स मा चार - दर्शन

१ जनवरी से १५ जनवरी तक

## जनवरी

- १—भारत सरकार द्वारा चावल और धान (आसाम) मूल्य नियन्त्रण आदेश, १९६०, जारी
- २—जीनों सरकारी इस्पात कारखानों के विस्तार की योजना बनाने वाली विभिन्न संस्थाओं के कार्य को समन्वित करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक समिति नियुक्त
- ३—विभाजन सम्बन्धी विषयी मामलों के बारे में भारत और पाकिस्तान की वार्ता का अन्तिम दौर नयी दिल्ली में समाप्त  
—प्रान मन्त्री, श्री नेहरू द्वारा बम्बई में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के ४७वें अधिवेशन का उद्घाटन  
—नयी दिल्ली में १६वां थाम मन्त्री सम्मेलन आरम्भ  
—भारत की १२ दिन की यात्रा पर चेकोस्लावाकिया से ११ सदस्यों के एक सप्ताहिय शिष्टमण्डल का बम्बई में आगमन  
—भारत की तीन सप्ताह की यात्रा पर ६ सदस्यों के एक रूसी शिक्षाविद् शिष्टमण्डल का नयी दिल्ली आगमन
- ४—भारत और यूगोस्लाविया में व्यापार और अदायगी समझौते के नवीकरण के लिए नयी दिल्ली में वार्ता आरम्भ
- ५—दुहरे आय कर से बचने के लिए भारत और जापान में एक समझौते पर हस्ताक्षर  
—४ दिन की भारत-यात्रा पर फीन्ड मार्शल माटगोमरी का नयी दिल्ली आगमन
- ६—भारत की दो सप्ताह की यात्रा पर रूस के ७ वकीलों और न्यायाधीशों के एक शिष्टमण्डल का नयी दिल्ली आगमन  
—बम्बई में भारत और आस्ट्रेलिया का तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच हार-जीत का फलला हुए बिना समाप्त  
—ईरानी व्यापार प्रतिनिधि मण्डल और भारतीय अधिकारियों के दल में दोनों देशों के आपसी व्यापार बढ़ाने के सम्बन्ध में नयी दिल्ली में होने वाली वार्ता समाप्त
- ९—प्रधान मन्त्री, श्री नेहरू द्वारा आसाम में बड़ापानी पनबिजली योजना के निर्माण-कार्य का उद्घाटन  
—सी० एल० ४८० के अन्तर्गत ३ लाख गाठ रूई के आयात के लिए भारत द्वारा अमरीका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर
- १०—गाड (आमाम) में ब्रह्मपुत्र नदी पर १० करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले रेल और राबक पुल का प्रधान मन्त्री, श्री नेहरू द्वारा शिलान्यास

## जनवरी

- ११—लाहौर और नयी दिल्ली में ४ जनवरी से १० जनवरी तक मन्त्रिस्तार पर हुई भारत-पाक सीमा वार्ता के परचात् एक सयुक्त विज्ञापित जारी  
—रूरकेला इस्पात कारखाने की ब्यूनिंग और स्लैबिंग मिल, दूसरी कोक ओवन बैटरी, दूसरी खुली भट्टी, उपोत्पादनों के कारखानों की तीन इकाइया और दूसरा जेनरेटर चालू  
—भारत सरकार और अमरीकी प्रौद्योगिक सहयोग मिशन द्वारा सयुक्त रूप से नयी दिल्ली में आयोजित कृषि विस्तार कर्मचारियों के दो सप्ताह के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन  
—नयी दिल्ली में राज्यों के सूचना निदेशकों का तीन दिन का सम्मेलन आरम्भ  
—नयी दिल्ली में इरेण्ड फुटबाल टूर्नामेंट के फाइनल में कलकत्ता का मोहन बगान क्लब कलकत्ता ही के मोहनडन स्पोर्टिंग क्लब पर विजयी
- १२—एल० डी० विधि से हर वर्ष ७।। लाख टन इस्पात तैयार करने की क्षमता वाला एल० डी० संयंत्र रूरकेला में चालू
- १३—भारत और हंगरी के वर्तमान व्यापार समझौते की अवधि में ६ महीने की वृद्धि करने, अर्थात् उसे ३० जून, १९६० तक लागू करने से सम्बद्ध कागज-पत्रों का नयी दिल्ली में आदान-प्रदान  
—भोपाल के भारी मशीन कारखाने में मशीनी औजारों की पहली मशीन प्रस्थापित  
—ब्रिटेन में हुए एक समारोह में एक नया पनडुब्बी-नायक क्रिगेट 'आई० एन० एस० त्रिशूल' भारतीय नौसेना में सम्मिलित
- १४—नयी दिल्ली में भारत और जोर्डन में एक वर्ष तक की अवधि के लिए एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर  
—यूनेस्को के महानिदेशक डा० बिन्तोरोनो बिरोनीस का अपनी प्रथम सरकारी यात्रा पर नयी दिल्ली आगमन
- १५—संयुक्त राष्ट्र संघ विनाय कोय की सहायता से तीन इन्डो-निपरी अनुसन्धान संस्थाओं की स्थापना के सम्बन्ध में नयी दिल्ली में कागज-पत्रों पर हस्ताक्षर ।

# इन पत्रिकाओं को अपने वाचनालय में सम्मिलित कीजिए

**आजकल :** इस लोकप्रिय सचित्र मासिक पत्र में भारत भर के प्रसिद्ध साहित्यकारों के विचारपूर्ण लेखों, कविताओं तथा कहानियों के प्रतिरिक्त कला, संस्कृति व अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर प्रामाणिक लेख पढ़िए ।  
 वार्षिक शुल्क ६.०० रुपये ।

**वाल-भारती :** नन्हें-मुन्नों की सचित्र मासिक पत्रिका, जिसमें सरल भाषा में मनोरंजक कहानियां, शिक्षाप्रद कविताएं, उपयोगी लेख और रेखाचित्र प्रस्तुत किए जाते हैं । वार्षिक शुल्क ४.०० रुपये ।

**योजना :** सब क्षेत्रों में हुई प्रगति का आलोचनात्मक मूल्य आंकने वाला, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पथ-प्रदर्शक हिन्दी और अंग्रेजी में एक साथ छपने वाला पाक्षिक पत्र । वार्षिक शुल्क २.५० रुपये ।

**कुरुक्षेत्र :** सचित्र मासिक पत्र, जिसमें देश के सामुदायिक विकास कार्यक्रम सम्बन्धी समाचार तथा लेख प्रकाशित होते हैं । वार्षिक शुल्क २.५० रुपये ।

विक्री बढ़ाने के लिए इन पत्रिकाओं में विज्ञापन कीजिए

**प्रकाशन विभाग**

पो. बा. नं० २०११, ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली-८

**स्थायी महत्व की पुस्तकें**

**सुन्दर सजधज—कम दाम**

	मूल्य	डाक खर्च
राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के भाषण (१९५२-१९५६)	३.५०	०.८५
भारत के पक्षी—राजेश्वरप्रसादनारायण सिंह	१२.५०	१.५०
स्वाधीनता और उसके बाद (जवाहरलाल नेहरू के भाषण १९४६-४९)	५.००	१.३५
भारत १९५८	४.५०	०.७५
भारतीय कविता—१९५३	५.००	१.७५
भारत की एकता का निर्माण (सरदार पटेल के भाषण)	५.००	१.३०
भारतीय वास्तुकला के ५,००० वर्ष	२.००	०.२५
कर-जांच आयोग के प्रतिवेदन का संक्षिप्त सार	२.५०	०.७५
योजना से खुशहाली	०.७५	०.२०
अशोक के धर्म लेख	१.००	०.२५
पंचांग सुधार	०.३५	०.१५
तपेदिक के रोगियों की धरेजु देसभाल	०.३५	०.१५

(रजिस्ट्रेशन व्यय अलग)

पच्चीस रुपये या इससे अधिक की पुस्तकों पर डाक व्यय नहीं लिया जाएगा ।

**प्रकाशन विभाग**

पो. बा. नं० २०११, ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली-८



पत्रादि के शीघ्र वितरण में हमारी मदद कीजिए

हिमांशु जोशी,  
के/३६ लाजपत नगर,  
नई दिल्ली

१४

पते में  
**जोन नम्बर**  
लिखना न भूलिये

लगभग सभी बड़े शहर डाक वितरण के लिए इलाकों या जोनों में बाट दिये गये हैं।

ऐसे इलाकों की चिट्ठियों के छांटने का काम भी अलग अलग डाकखानों में किया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था से डाकियों को कम फासला तय करना पड़ता है और लोगों की चिट्ठियां जल्दी मिल जाती हैं। जिन पत्रों पैकेटों, आदि पर जोन नम्बर लिखा होता है उन्हें सोधे ही उसी जोन के वितरण-डाकघर में भेज दिया जाता है।

ऐसे पत्रों की छंटाई जिन पर जोन नम्बर नहीं होता, तेजी से नहीं हो पाती और उन में देरी की संभावना बढ़ जाती है। यदि आप ऐसे शहर में रहते हैं जो जोनों में बंटा है तो अपने पत्र भेजने वालों को बता दीजिए कि वे पते में जोन नम्बर अवश्य लिखा करें।



हमें उत्तम सेवा का अवसर दीजिए


डाक - तार विभाग

DA 59/3482

ब्रिटेन के राष्ट्रमण्डलीय देशों के संबंधों के मंत्री श्री सी० जे० एम० एल्पोर्ट नया दिल्ली के समीप शमशपुर गांव के लोगों द्वारा स्वागत—श्री एल्पोर्ट ३ जनवरी को इस गांव में दृष्टा सामुदायिक विकास कार्य देखने गये थे




नया दिल्ली में १४ जनवरी को भारत-जॉर्डन व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय के सचिवन सचिव श्री के० आर० एफ० विलमानी जॉर्डन के प्रतिनिधिमण्डल के नेता (बायें) से हाथ मिलाने हुए



भारत के तीन सप्ताह के दौरे पर आए हुए स्वीडिश शिक्षाविद शिष्टमण्डल के सदस्य ३ जनवरी को नया दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय देखते हुए






आसाम में पांडु भीर अमीनगांव को सम्बद्ध करने वाले अहमपुत्र पुत्र का  
१० जनवरी को प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू शिलान्यास करते हुए

दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर ५ जनवरी को  
प्रधान सेनापति जनरल विमंथा फोल्ड मार्शल  
मांटगोमरी की अगवानी करते हुए



# भायलीया समाचार



वर्ष २

१५ जनवरी, १९६० ( २५ पौष, १८८१ )

अंक २५






नयी दिल्ली में २१ दिसम्बर को हुए एक समारोह में राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद १९५९ की राजकीय छपाई और डिजाइन प्रतियोगिता के एक विजेता को पुरस्कार देते हुए



प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू १७ दिसम्बर को दिल्ली विद्वत्विद्यालय में गांधी भवन का शिलान्यास करते हुए



आजकल भारत के द्वारे पर आए हुए जापानी सद्भावना और सांस्कृतिक मिश्रण के नेता, श्री फूम्यु कोजिमा, २८ दिसम्बर को नयी दिल्ली में केन्द्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री डा० बेसकर के साथ

एक बार फिर आपको धन्यवाद । नये वर्ष के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ ।

भवदीय,

(ह०) जवाहरलाल नेहरू

नयी दिल्ली,

२५ दिसम्बर, १९५९

## लोक सेवा आयोग की १९५८-५९ की रिपोर्ट

केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट १७ दिसम्बर को मसद में रखी गयी ।

रिपोर्ट में बताया गया है कि १९५८-५९ में सरकार ने आयोग की एक भी सिफारिश अस्वीकार नहीं की ।

रिपोर्ट में बताया गया है कि मन्त्रालय और विभागों ने सविधान की व्यवस्थाओं और नियमों का पालन करने में आयोग की पूरा सहयोग दिया । सरकारी नौकरियों में भर्तियों के लिए परीक्षा लेने में राज्य सरकारों, राज्यों के लोक सेवा आयोगों, विदेशों में भारतीय दूतावासों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा मस्थानों ने आयोग को महायत्ना दी ।

### भविष्य का कार्यक्रम

कमीशन की राय में सरकारी नौकरियों में भर्तियों के लिए, विद्योत्तर पञ्चवर्षीय योजनाओं के लिए, उपयुक्त व्यक्ति चुनने का कार्यक्रम पहले से ही तैयार करना अधिक अच्छा रहेगा । यह देखने के लिए कि आयोग द्वारा चुने हुए व्यक्ति ठीक में काम कर रहे हैं या नहीं, आयोग सशक्त मन्त्रालयों और विभागों से इनके यो माल तक के काम की रिपोर्टें मगता है । आयोग ने १९५८ में इन रिपोर्टों की जो मसदें की पडताल की है, उससे पता चलता है कि ९५.५ प्रतिशत उम्मीदवारों का काम पूरी तरह से सतोषजनक पाया गया । १.१ प्रतिशत उम्मीदवारों का काम सतोषजनक नहीं रहा और शेष ४४ प्रतिशत की रिपोर्टें मध्यम दर्जे की रही ।

### नियुक्तियों में देर

१९५८-५९ में आयोग द्वारा चुने हुए बहुतांश उम्मीदवारों के नियुक्ति-पत्र जारी होने में देर हुई । इनमें से कुछ उम्मीदवार शिल्पिक और वैज्ञानिक पदों के लिए थे । इनके नियुक्ति-पत्र जारी होने में अधिक विलम्ब होने में इन लोगों का मिलना माधारणतया कठिन ही रहता

है । अतः इस विलम्ब के कारण कुछ पदों पर नियुक्तियाँ नहीं हो सकी ।

आयोग के प्रतियोगिता द्वारा चुनाव के तरीके से कुछ पदों के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिले । १९५८-५९ में २,११४ पदों के लिए प्रतियोगिता हुई । इनमें से ७२ पदों के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिले । अध्यापन के अनुभव वाले उम्मीदवारों की भी काफी कमी है ।

### सेना के अवकाश-प्राप्त अफसर

इस वर्ष आयोग ने सेना के २२ अवकाश-प्राप्त अफसरों की अर्सेनिक पदों पर नियुक्ति करने की सिफारिश की ।

रिटायर होने वाले ३६६ अफसरों को फिर से नौकरी में रखने के बारे में आयोग की सलाह मांगी गयी । इनमें पिछले साल के भी ३६ मामले शामिल थे । आयोग ने इनमें से ३५१ अफसरों को फिर से नौकरी देने की सिफारिश की । इतने अधिक अफसरों को फिर से नौकरी देने की सिफारिश करने का मुख्य कारण यह है कि अनुभवी अफसरों, विशेषकर शिल्पिक अनुभव वाले पदों पर काम करने वाले अफसरों की कमी है ।

### अस्थायी नियुक्तियाँ

६८४ मामलों में आयोग इस बात पर राजी हुआ कि आयोग द्वारा उम्मीदवार चुने जाने तक मन्त्रालय इन पदों पर अस्थायी नियुक्तियाँ कर ले । इनके अलावा आयोग ने मन्त्रालयों के सुझाव पर ४६७ पदों पर अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों की नौकरी जारी रखने या नई नियुक्तियाँ करने के बारे में भी सलाह दी ।

आयोग ने १२२ व्यक्तियों को एक सेवा से दूसरी सेवा में भेजने के प्रश्न पर सलाह दी । इनमें से ९४ ऐसे पद हैं, जिन पर निश्चित अवधि के लिए नियुक्तियाँ की गई थी या जिन पदों पर माधारण तरीके से नियुक्तियाँ नहीं की जा सकी ।

### अनुशासन की कार्रवाई के मामले

१९५८-५९ के शुरू में आयोग के पास अनुशासन की कार्रवाई सबधी ३८ मामले थे । इनके अलावा इन वर्ष ११६ और मामले आये । इन १५४ मामलों में से १२६ पर आयोग ने अपनी राय सरकार को भेज दी है । सरकार ने इनमें से ९५ मामलों पर, आयोग की राय के अनुसार आवश्यक आदेश दे दिये हैं । ३१ मामलों पर अभी आदेश जारी होने हैं ।

शिक्षा मन्त्रालय के कहने पर आयोग ने विदेशों में अध्ययन के लिए भारत सरकार की १२ छात्रवृत्तियों के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़ी हुई जातियों के उम्मीदवार चुनने का काम अपने ऊपर लिया । ये छात्रवृत्तियाँ विशेषकर इन्जीनियरी, टेक्नालोजी, विज्ञान, डाक्टरों आदि के अध्ययन के लिए हैं । आयोग ने छात्रवृत्तियों के लिए विज्ञापन निकाला । ४३१ उम्मीदवारों ने अर्जिया भेजी । इनमें से १२९ को इटल्यू के लिए चुना गया । १०४ उम्मीदवार इटल्यू के लिये आए । इनमें से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़ी हुई जातियों के ४४ उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति देने की सिफारिश की गई ।

## संगठन तथा रीति विभाग की पांचवीं वार्षिक रिपोर्ट

भारत सरकार के भिन्न-भिन्न मन्त्रालयों और विभागों के काम में पहले से और अधिक तेजी और कुशलता आयी है और बकाया काम में भी पहले से कमी हुई है । इस दृष्टि से कम्पनी कानून प्रणाम विभाग, लोहे और इस्पात विभाग, पुनर्स्थापन मन्त्रालय, नागरिक उडान के महानिदेशक के कार्यालय तथा डाक-तार के महानिदेशक के कार्यालय के कामकाज में काफी सुधार देखने में आया है । यह बात मन्त्रिमण्डल सचिवालय के संगठन तथा रीति विभाग की १९५८-५९ की रिपोर्ट में कहाँ गयी है, जिसकी प्रतिमा १८ दिसम्बर को लोकसभा और राज्यसभा में रखी गयी ।

मगडन तथा रीति विभाग का काम क्रिन्मन् मन्त्रालयों और विभागों में उन्हीं के मगडन तथा रीति-अनुभागों के द्वारा होता है । १९५८-५९ में इन अनुभागों की संख्या ६० में ६६ तक रही । सरकारी नामकाज को तेजी और क्रिन्मन्-दारी में करने के लिए ये अनुभाग अन्त-अन्त मन्त्रालयों और विभागों में अफसरों में विभाग-विभाग, निरीक्षण और अन्य प्रकार के उडान करने हैं । इस माल मगडन तथा रीति विभाग में २,३८६ निरीक्षण हैं । मन्त्रिमण्डल इन बातों पर बराबर निगरान रखता है कि क्या कमी का बुराई है और उन्हीं क्रिन्मन्

किया जा सकता है। किम काम में कितना समय लगा और किस तरह से वह काम और जल्दी किया जा सकता था, इस पर भी यह विभाग कड़ी नजर रखता है।

### लोअर डिब्बीजन बलकों का शिक्षण

इस वर्ष सचिवालय शिक्षण स्कूल (सेन्ट्रेरियट ट्रेनिंग स्कूल) की सलाह से लोअर डिब्बीजन बलकों को सरकारी कामकाज सिखाने के लिए एक मामूली शिक्षा-क्रम तैयार किया गया और उसे सब मंत्रालयों के पास भेजा गया। पिछले साल १,१५१ बलकों को शिक्षा दी गयी थी और इस साल मिल-भिन्न कार्यालयों और मंत्रालयों के १,९०० बलकों को। इसके अलावा कुछ मेमबन-अफसरों को भी काम आंखने (बकं स्टडी) की विधियों की शिक्षा दी गयी।

केन्द्रीय मितव्यय मंडल के निर्णय के अनुसार समूह तथा रीति विभाग ने शासन-व्यय में कमी करने के भी कुछ उपाय किये। मद्रिमण्डल सचिव इस मण्डल के अध्यक्ष हैं और वित्त सचिव तथा मण्डल व रीति विभाग के निदेशक इसके सदस्य हैं।

कागज और दूसरी चीजों की बचत करने के लिए कुछ चिट्ठियों के नीचे ही नोट देकर, दूसरी चिट्ठी नथी करने का रिवाज खत्म कर दिया गया। सरकारी विभागों द्वारा किये जाने वाले उत्तरों और समारोहों के निमन्त्रणों में भी कफायत करने के सुझाव दिए गए। भारत सरकार के विभागों की पृथक टैबीफोन डायरेक्टरी छापनी बन्द कर दी गयी और मंत्रालयों से कहा गया कि वे अपने इस्तेमाल के लिए जो डायरेक्टरी तैयार करते हैं, उसकी प्रतियां ही एक-दूसरे को दे दिया करे। इस वर्ष छोटें अफसरों को कुछ अधिकार देने पर जोर दिया गया और मन्त्रालयों को कहा गया कि वे उन नियमों पर फिर से विचार करें, जिनके कारण छोटें-मोटे मामले भी ऊँचे से ऊँचे अधिकारियों को भेजने पड़ते हैं। इन पर यदि नीचे के अधिकारी ही फैसला दे सकें, तो काफी काम बच जाएगा। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप कुछ मंत्रालयों ने कुछ नीचे के कार्यालयों के अध्यक्षों को अधिक वित्तीय और सामान सम्बन्धी अधिकार दे दिये हैं। बहुत-से मन्त्रालयों ने समूह तथा रीति विभाग के

सुझाव पर अपने सेवगन-अफसरों को पहले से अधिक अधिकार दे दिए हैं।

मितव्यय मण्डल ने यह आदेश दिया कि किसी भी मामले पर एक मंत्रालय में दो से अधिक अधिकारियों को नोट नहीं लिखना चाहिए। जो अनुभवी अमिस्टेंट हैं, वे नीचे अपने ब्रांच अफसरों या डिप्टी-सेन्ट्रेरियटों को कागज भेज सकते हैं। ऐसा करने में मेमबन अफसरों को अपने देखभाल करने के मूल कार्य की ओर अधिक ध्यान देने का समय मिल सकता है।

स्वराष्ट्र मंत्रालय ने समूह तथा रीति विभाग का कर्मचारियों को जल्दी अर्ध-स्थायी बनाने का सुझाव मान लिया है। राष्ट्रीय अभिलेख मन्त्रालय की सलाह से इस वर्ष ऐसे तरीके सोचें गये, जिनके अनुसार उन पुराने सरकारी कागज-पत्रों को नष्ट किया जा सकता है, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं रही है।

पिछले साल वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में छोटे रूप में अलग-अलग चपरासी रखने की बजाय, सन्देशवाहक रखने की जो प्रणाली शुरू की गयी थी, उसे इस वर्ष, इस मंत्रालय, प्रतिरक्षा मंत्रालय, कृषि और मंहकार विभाग तथा आयोजन आयोग में भी जारी किया गया। अन्य विभागों तथा मंत्रालयों में भी ऐसा ही करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में समूह तथा रीति विभाग के प्रयत्न में विदेशों से सम्बन्ध रखने वाले काम को जल्दी निपटारने के बारे में विनये अध्ययन किया गया और ऐसी तरकीबें बतायी गयीं, जिनसे इस काम में देर न लगे। खर्च में कमी करने और काम को अच्छी तरह करने के लिए परराष्ट्र मंत्रालय के पत्र-अनुभागों का पुनर्गठन किया गया; श्रम तथा नियोजन मंत्रालय में उद्योगों में काम सीखने की योजना को तरह कार्यालय में ही देखभाल की शिक्षा देने की एक योजना शुरू की गयी। वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा संस्कृति मंत्रालय में इस बात का रिकार्ड रखा जाने लगा है कि अफसर ने स्वयं कितने मामलों का फैसला किया। इनमें ऊँचे अफसरों के पास कम कागजात भेजे जाएंगे। अन्य

मंत्रालयों ने भी कामकाज में गति और कुशलता लाने के प्रयत्न किये हैं।

### प्रवृत्त १९५६ में विशेष पुलिस संगठन का कार्य

भारत सरकार के विशेष पुलिस संगठन ने अक्टूबर १९५९ में १४ मामले सुली जांच के लिए अपने हाथ में लिये। इन मामलों में फसे लोगों में ८७ सरकारी कर्मचारी थे जिनमें से १७ गजेटेड अफसर थे।

सरकारी कर्मचारियों में रेलवे, केन्द्रीय नार्चनलिक निर्माण विभाग, आय कर विभाग और केन्द्र-सामित प्रदेशों के दों-दों और वाणिज्य एवं उद्योग, आयाम, निर्माण और पुति और धम मंत्रालयों, डाक-तार विभाग, हीरावृद्ध बाध योजना, हिन्दुस्तान स्टील, कादला बन्दरगाह, राष्ट्रीय बचत योजना और मेना का एक-एक कर्मचारी था। रेलवे के दों और टेलीफोन विभाग के एक कर्मचारी को रिम्वज लेते हुए पकड़ा गया।

इस महीने में १० सरकारी कर्मचारियों पर, जिनमें ४ गजेटेड अफसर भी थे, घूमखोरी, भ्रष्टाचार और धोखा-देही का मुकदमा चलाया गया।

एक मामले में लाइट हाउस और लाइट सिग विभाग के एक इंजीनियर पर घूमखोरी का मुकदमा चलाया गया। एक और मामले में एक पशु-फारम के उप-सहायक निदेशक पर सरकारी धन का गबन करने और आय से अधिक की सम्पत्ति रखने के अपराध में मुकदमा चलाया गया।

इसके अलावा ३३ मामले, जिनमें १० गजेटेड अफसर और २९ अन्य सरकारी कर्मचारी फसे हुए थे, उचित कार्रवाई के लिए सम्बद्ध विभागों को भौप दिये गये।

जिन ४ सरकारी कर्मचारियों और ५ अन्य लोगों को सजाए मिली उनमें से १ उत्तर रेलवे का विशेष टिकट निरीक्षक था जिसे अर्ध-भाडा यमुल करके पैसा खा जाने के अपराध में १ साल की कैद की सजा दी गयी।

१७ सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध, जिनमें २ गजेटेड अफसर थे, विभागीय कार्रवाई की गयी। एक गजेटेड अफसर की पेनन १०० ६० महीना घटा दी गयी। दूसरे गजेटेड अफसर

को निन्दा की गयी। \*रन्जेटेड सरकारी कर्मचारियों में से २ बरखास्त कर दिया गया, २ को नौकरी में हटा दिया गया और १ को नौकरी खतम कर दी गयी। ९ सरकारी कर्मचारियों के अंशदा तनजाह में कमी कर दी गयी और ५ अन्य को दूंगरी मजाने मिली।

### अर्थ-संरक्षारी दफतरो में हरिजन कर्मचारी

अनुसूचित और अर्थ-सरकारी सत्याग्रह और दफतरो में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी लगभग १५ प्रतिशत हैं। इन नौकरियों में इनके लिए १२॥ प्रतिशत कौटा निर्धारित है।

कुछ समय पहले इन प्रकार का सर्वे किया गया, जिससे पता चला कि २५ अर्थ-सरकारी मस्याओं में अनुसूचित जातियों के २०,००० से भी ज्यादा और अनुसूचित आदिम जातियों के १,३०० कर्मचारियों काम कर रहे हैं। इन मस्याओं के कुल कर्मचारियों की संख्या १,३६,००० है। इस प्रकार यह औसत करीब १४८ प्रतिशत बँटता है, जो इन दफतरो के लिए निर्धारित कौंटे में २ प्रतिशत ज्यादा है।

कैम्पेन्समेंट वॉरिंग में सबसे ज्यादा, ६३३ प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार हैं, जबकि मेण्डल इन्फेक्टोकेमिअल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, करायाकुट्टी, दक्षिण भारत, में सबसे कम, ०९ प्रतिशत है। इंडियन बैंक में प्रतिशत में सबसे ज्यादा ७७ प्रतिशत अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार हैं।

### सुली प्रतियोगिता परीक्षाओं में दो बार बैठने की अनुमति

अप्रैल १९६० में नौकरियों में भर्ती के लिए होने वाली सुली प्रतियोगिता परीक्षाओं में किसी भी उम्मीदवार को केवल दो बार ही परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी।

यह प्रतिवन्ध अनुसूचित जातियों के, अनुसूचित आदिम जातियों के, विस्थापित तथा कुछ नौकरियों के लिए विभागीय उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा। यह प्रतिवन्ध शिल्पिक तथा व्यवसाय विभाग की नौकरियों तथा विद्येयों की भर्ती पर भी लागू नहीं होगा।

भारतीय समाचार

लोक सेवा (भर्ती के लिए योग्यता) समिति ने यह निष्कारित की थी कि किसी भी व्यक्ति को योग्यता को एक बार और अधिक से अधिक दो बार की परीक्षाओं में पूरी तरह से जांचा जा सकता है। समिति ने यह राय प्रकट की थी कि जो व्यक्ति पहली दो परीक्षाओं में मफल नहीं हो सका वह, उन दो परीक्षाओं के अनुभव से सभर है कि तीसरी बार की परीक्षा में मफल हो जाए। लेकिन यह सफलता उसकी योग्यता का प्रमाण नहीं होगा।

### पाकिस्तान रेडक्रास कोप में भारत का अंशदान

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री, श्री दत्तात्रेय परगुराम वरमकर ने २१ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि भारतीय रेडक्रास सोसायटी ने पाकिस्तान की रेडक्रास सोसायटी को उनके हिस्से का अधिकार रूपया अदा कर दिया है।

मंत्री महोदय ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच पूजा के विनिमय का कोई समझौता होने के कारण यह तथ्य किया गया कि रेडक्रास कोप का उनके हिस्से का धन अवरुद्ध खाते में जमा कर दिया जाए। अब ४५ लाख ४४ हजार ९०० रु० की हुईया पाकिस्तान रेडक्रास सोसायटी के अवरुद्ध खाते में, स्टेट बैंक आफ इंडिया, नयी दिल्ली, में जमा कर दी गयी।

विस्तृत मन्त्रालय ने इन हुडियों पर व्याज की भी सुविधा दी। इन हुडियों पर ३१ दिसम्बर, १९५८ तक ७ लाख ७२ हजार ३२८ रु० व्याज हुआ। रेडक्रास कोप की पूजा में पाकिस्तान के हिस्से का जो ५ लाख २९ हजार ६६ रु० योग्य है, वह भी पाकिस्तान रेडक्रास सोसायटी के अवरुद्ध खाते में जमा किया जा रहा है।

भारतीय रेडक्रास सोसायटी के कोप को भारत और पाकिस्तान में बांटने के लिए २२ अप्रैल, १९४८ को बैठक हुई थी। यह बैठकवासी इसी बैठक के निर्णयों के अनुसार किया गया है।

प्रधान मंत्री का राष्ट्रीय सहायता कोप भारत के वाइ-वीडियो की सहायता के लिए ७ अक्टूबर, १९५९ से ८ दिसम्बर, १९५९ तक, प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय

सहायता कोप में ६,६२,७४२ रु० जमा हुआ है। इसमें से २,३०,५८१ रु० पश्चिम बंगाल के वाइ-वीडियो की सहायता के लिए वहाँ के मुख्य मंत्री को भेजा गया है। इसके अलावा मुख्य मंत्री ने अपनी ओर से भी एक और कोप खोला है। इसमें भी बहुत-सा धन इकट्ठा हुआ है।

यह सूचना प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रश्न के उत्तर में १० दिसम्बर को लोकसभा में दी।

### राजनीतिक पीडितों को सहायता

विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के राजनीतिक पीडितों को अब तक स्वराष्ट्र मंत्री के ऐच्छिक सहायता कोप में से ८ लाख रु० से भी ज्यादा के अनुदान दिए जा चुके हैं। यह सूचना एक प्रश्न के लिखित उत्तर में १ दिसम्बर को लोकसभा में स्वराष्ट्र मंत्री, श्री योगिन्द्रवल्लभ पत ने दी।

उन्होंने बताया कि कुल राशि से दिल्ली में २ लाख ६४ हजार रु०, बम्बई में १ लाख ११ हजार रु०; उत्तर प्रदेश में ९४ हजार रु० और मद्रास में ७१ हजार रु० दिए गए।

[प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय स्वराष्ट्र मंत्री को ३ लाख रु० दे दिए जाते हैं। इसमें से स्वराष्ट्र मंत्री अपनी इच्छानुसार उन लोगों को अनुदान देते हैं जिन्होंने राजनीतिक, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में राष्ट्र की सेवा की है। ऐसे व्यक्तियों और मस्याओं को भी यह सहायता दी जाती है जो जन-हित में बौरता या मान-जनिक सेवा का काम करती हैं।]

### केरल के चुनावों में फिह लगाकर मतदान

केरल में होने वाले आम चुनावों में मतदान पर बिच्छू लगाकर मत देने की प्रथाओं अपनायी जाएगी। पहले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग-अलग मतदान पेटिया होंगी थी। नयी प्रथाओं के अनुसार प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक-एक ही पेटिया होंगी। प्रत्येक मतदाता को एक मतदान पत्र दिया जाएगा, जिस पर प्रत्येक उम्मीदवार का नाम, नाम का स्थान और चुनाव बिच्छू छपा होगा। इन पत्र उम्मीदवार के चुनाव बिच्छू छपा पेटिया में डाल दिये जायेंगे।



हवाई अतिक्रमण के सम्बन्ध में प्रतिरक्षा मन्त्री का वक्तव्य

**लो**कसभा में १ दिसम्बर को प्रतिरक्षा मन्त्री, श्री कृष्ण मेनन ने कहा कि पूर्वोत्तर सीमा एजेसी, आसाम के कामरूप जिले और उत्तर प्रदेश के गडवाल जिले के इलाकों पर अज्ञात विमानों के उड़ान करने की खबरें निराधार हैं। प्रतिरक्षा मन्त्री ने कहा कि जाच-पड़ताल के बाद सरकार अब यह कह सकती है कि पूर्वोत्तर इलाके के ऊपर किसी अज्ञात विमान ने उड़ान नहीं की है, भारतीय वायुसेना के विमानों ने सामान्य उड़ानें जरूर की हैं। प्रतिरक्षा मन्त्री ने सदन को विश्वास दिलाया कि निगरानी के काम में किन्ही प्रकार की ढील नहीं बरती जा रही है। अगर किन्ही विदेशी विमान ने हमारे इलाके पर उड़ान की तो सरकार बर्योचित कार्रवाई करेगी।

मन्त्री महोदय ने कहा कि भारतीय प्रदेश पर बिना आगा के उड़ान किये जाने की जो खबरें फंजी हुई हैं उनका आधार ज्यादातर अपत्रारों की खबरें या अफवाहें हैं।

### संसद का शीतकालीन सत्र

**सं**सद के दोनों सदन २२ दिसम्बर को अनिश्चित समय के लिए स्थगित हो गये। इस सत्र में लोकसभा की २७ और राज्यसभा की २२ बैठकें हुईं।

लोकसभा में १७ विधेयक पेश किए गए, जब कि सत्र होने के पहले ही ८ विधेयक विचारधीन थे। इनमें से १८ विधेयक पास हुए। मद्रियों ने १४ वक्तव्य दिये और ३,२०५ गवाक पूछे गये। इस सत्र में २७,८८८ दर्सकों ने सदन की कार्रवाई देखी। राज्यसभा में १५ विधेयक स्वीकार किये। ६२३ गवाक पूछे गये और ५,८१० दर्सकों ने सदन की कार्रवाई देखी।

### जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक

**के**न्द्रीय वैज्ञानिक अनुसन्धान और सङ्कलित मन्त्री, डा० हुनाय कबीर ने १७ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक का ७० फीसदी काम चिन्ने नवम्बर तक पूरा

होगा। मन्त्री महोदय ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक स्मारक बनाने का काम पूरा हो जाएगा। इस पर २७ अक्टूबर, १९५९ तक कुल ५,१५,८०० रु० खर्च हुआ है।

### चुनाव न्यायाधिकरणों में उच्च न्यायालयों के श्रवकाश-प्राप्त न्यायाधीश

**ज**न प्रतिनिधित्व कानून, १९५१ की धारा ८६ (३) के अन्तर्गत १ अप्रैल, १९५७ से उच्च न्यायालयों के १४ अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश चुनाव न्यायाधिकरण के सदस्य नियुक्त किये जा चुके हैं। ३० सितम्बर, १९५९ तक चुनाव न्यायाधिकरणों पर कुल १,८०,०२० रु० खर्च हो चुके हैं। इसमें उन न्यायाधिकरणों का खर्च शामिल नहीं है, जिनके अध्यक्ष उच्च न्यायालयों के अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश रह चुके हैं।

यह सूचना विधि उपमन्त्री श्री रामचन्द्र मारठ हज़ारनबीस ने १७ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

### नेपाल का संसदीय शिष्टमंडल भारत में

**न**नी दिल्ली में २२ दिसम्बर, १९५९ को नेपाल के संसदीय शिष्टमंडल ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों में भेंट की। नेपाली शिष्टमंडल उन दिनों भारत सरकार के निमंत्रण पर भारत के दौरे पर आया था। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, श्री वी० टी० कृष्णामाचारी ने शिष्टमंडल को पंचवर्षीय योजनाओं के संगठन और प्रगति के बारे में बताया और शिष्टमंडल के सदस्यों ने अधिक अज्ञात उपजानें और भूमि मुधार के कार्यों में विशेष रुचि दिखायी।

### कम्बोडिया के प्रधान मन्त्री की भारत यात्रा

**क**म्बोडिया के प्रधान मन्त्री, राजकुमार नरोत्तम सिंहनुक २७ दिसम्बर को कराची से विमान द्वारा नयी दिल्ली पधारे और २९ दिसम्बर को स्वदेश जाने के लिए उहाँनें नयी दिल्ली में कलकत्ता प्रस्थान किया। इन अवधि में उहाँनें प्रधान मन्त्री श्री नेहरू से बातचीत की और उपराष्ट्रपति डा० रामाशरणन ने भी भेंट की।

हवाई अड्डे पर एक वक्तव्य म राजकुमार सिंहनुक ने श्री नेहरू से अपनी बातचीत की चर्चा की और कहा कि हमने एक दूसरे की दिलचस्पी के कई विषयों पर विचार-विनिमय किया जिसमें धरेंरू समस्या भी थी और अन्तर्राष्ट्रीय मामले भी। उहाँनें कहा कि श्री नेहरू के साथ एक बार फिर सभी मामलों पर भेरी पूर्ण सहमति थी।

### भारत का पहला अनुशाक्ति केन्द्र

**भा**रत के पहले अनुशाक्ति केन्द्र के लिए जगह का चुनाव करने के काम में काफी प्रगति हुई है। मार्च १९६० तक इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया जाएगा। आजकल इस सम्बन्ध में जल विज्ञान और मिट्टी सम्बन्धी जो सर्वेक्षण किये जा रहे हैं, वे मार्च, १९६० तक समाप्त हो जाएंगे।

यह सूचना प्रधान मन्त्री ने १८ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी। उहाँनें कहा कि इस बात पर विचार किया जा रहा है कि इस केन्द्र में २५० मंगावाट की एक अणु भट्टी लगायी जाए या १५० मंगावाट की दो भट्टिया लगायी जाए। इस सम्बन्ध में योजना आयोग की सलाह से बोध ही अन्तिम निर्णय किया जाएगा।

### फांसी की सजा की माफी

**जु**लाई १ से ३० नवम्बर, १९५९ की अवधि में २८ कैदियों को फांसी की सजा उग्रकैद में बदली गयी और एक की सजा घटायी गयी।

यह सूचना स्वराष्ट्र मन्त्रालय में मंत्री, श्री बलवन्त नृगेण दातार ने एक प्रश्न के उत्तर में २२ दिसम्बर को लोकसभा में दी।

### सरकारी दफ्तरों में शनिवारों को काम के घंटे

**१** जनवरी, १९६० से भारत सरकार के असेनिक कार्यालयों में शनिवार को भी काम के वही घंटे हुआ करेंगे, जो सप्ताह के अन्य दिनों में होते हैं। महीने के अन्तिम शनिवार को कार्यलय बन्द रहा करेंगे। यह सूचना २३ दिसम्बर की एक प्रश्न विनियम में दी गई है।



सौना—८ लाख २०; चाटू सिक्के (सोने के सिक्कों के अलावा)—१ लाख २० ।

### व्यापार तुला

व्यापारी माल और सोने का कुल निर्यात (पुनर्निर्यात सहित) आयात से ५ करोड़ ३७ लाख २० कम रहा ।

### राज्यों को विकास ऋण

वित्त उपमंत्री, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने १६ दिसम्बर को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि १९५८-५९ में विभिन्न राज्यों को विविध विकास-योजनाओं के लिए जो ऋण दिया गया है, उसका ब्यौरा इस प्रकार है :

आंध्र प्रदेश—४४ लाख ४० हजार २०; बिहार—१५ लाख २०, बम्बई—२० लाख २०; मध्य प्रदेश—४ लाख २०; उड़ीसा—६५ लाख २०; केरल—२३ लाख २०; राजस्थान—१५ लाख २०, उत्तर प्रदेश—३८ लाख २० और मैसूर—६० लाख २० ।

### छोटी बचत योजना

लोकासभा में १७ दिसम्बर को वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने कहा कि १९५८-५९ में छोटी बचत योजना के अन्तर्गत कुल ७९ करोड़ ७० लाख २० जमा किये गए । उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत १९५७-५८ में ७० करोड़ ७५ लाख २० और १९५६-५७ में ६१ करोड़ ६४ लाख २० जमा हुए थे । मन् १९५९ में अप्रैल से अक्टूबर तक ३१ करोड़ ६४ लाख २० जमा हो चुके हैं ।

यह सूचना उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में दी । श्री देसाई ने कहा कि १९५८-५९ में मन्वसे ज्यादा—२३ करोड़ ७८ लाख २० बम्बई में जमा हुए । ५० बंगाल में १० करोड़ ४६ लाख २० और उत्तर प्रदेश में ९ करोड़ ३० लाख २० जमा हुए । १९५७-५८ में भी बम्बई में ही सबसे ज्यादा—१५ करोड़ ५१ लाख २० जमा किये गए ।

दोसरे पक्षे १९५६-५७ में भी बम्बई में सबसे अधिक रकम जमा हुए थे । उन वर्ष बम्बई

में १६ करोड़ २४ लाख २०, उत्तर प्रदेश में ९ करोड़ ४३ लाख २० और पंजाब में ८ करोड़ ३ लाख २० जमा हुए थे ।

यही नहीं, इस वर्ष अप्रैल से अक्टूबर तक की अवधि में भी बम्बई में छोटी बचत योजना के अन्तर्गत सबसे ज्यादा—१२ करोड़ १० लाख २०, जमा हो चुके हैं । ५० बंगाल में ५ करोड़ ७७ लाख २० और विहार में ४ करोड़ १९ लाख २० जमा हो चुके हैं ।

कम्पनियों को पूंजी जारी करने की स्वीकृति वित्त उपमंत्री, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने एक प्रश्न के उत्तर में २० दिसम्बर को बताया कि १९५७, १९५८ और १४ दिसम्बर, १९५९ तक ८८२ कम्पनियों को पूंजी जारी करने के लिए स्वीकृति दी गयी । इनमें से १८ को अधिक मूल्य पर हिस्सा पूंजी जारी करने के लिए स्वीकृति दी गयी ।

उन्होंने कहा कि अधिक मूल्य पर पूंजी जारी करने की स्वीकृति देने के लिए कोई खाम नियम नहीं बनाए गए हैं । यह स्वीकृति प्रत्येक कम्पनी की स्थिति को देखकर दी जाती है, जैसे—उसके हिस्सों का क्या मूल्य है, उनका बाजार में क्या भाव है, कम्पनी कितना लाभदायी है, कम्पनी की कितनी पूंजी है और वह कितनी पूंजी बढ़ाना चाहती है, आदि ।

### पीली इकनरी और पीला ऋधना बंद

जनवरी, १९६० से पीली इकनरियाँ और पीले अर्धनों का चलन बंद हो जाएगा और इसके बाद वे कानूनी सिक्के नहीं रहेंगे । लेकिन अगले छ. महीने तक माने ३० जून, १९६० तक ये सिक्के बैंक के सब कार्यालयों, सरकारी काम करने वाले रिजर्व बैंक के सब एजेंसियों तथा सभी ट्रेजरियाँ और सब-ट्रेजरियाँ में लिये जाएंगे । इतने समय तक ये सिक्के रेलवे के दफतरो तथा डाकघरों में भी लिये जाएंगे । छ. महीने बाद भी, अगला आदेश जारी होने तक, रिजर्व बैंक के तिक्का जारी करने वाले विभाग के दफतरो में ये सिक्के लिये जाएंगे ।

यह सूचना ३० दिसम्बर को एक प्रेम-विज्ञापित में दी गयी है ।

१९५६ में अग्रस्त तक जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी विनियोग

जीवन बीमा निगम ने सन् १९५९ के पहले ८ महीनों में कुल जितनी पूंजी उद्योगों में लगायी, उसका ८८.९२ प्रतिशत भाग सरकारी क्षेत्र में और ११.०८ प्रतिशत निजी क्षेत्र में लगाया गया । सन् १९५८ में सरकारी उद्योगों में ८६.५२ प्रतिशत और निजी क्षेत्र के उद्योगों में १३.४८ प्रतिशत पूंजी लगी हुई थी ।

यह सूचना केन्द्रीय राजस्व और अर्थनिक व्यव मंत्री, डा० बी० गोपाल रेड्डी ने एक प्रश्न के उत्तर में २५ नवम्बर को राज्यसभा में दी ।

### भारतीय बैंकों द्वारा आयात-निर्यात व्यापार में सहायता

१९५८ में भारतीय बैंकों ने आयात व्यापार के लिए लगभग २ अरब २० करोड़ ६० लाख २० और निर्यात व्यापार के लिए २ करोड़ १ लाख ४० हजार २० दिया । १९५७ में बैंकों ने आयात के लिए ३ करोड़ २५ लाख ६० हजार २० और निर्यात के लिए २ करोड़ ४ लाख ५० हजार २० दिया था ।

यह सूचना १७ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने दी ।

### खांडसारी पर उत्पादन कर

२२ दिसम्बर को प्रश्नोत्तर के समय लोक-सभा में वित्त उपमंत्री, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने बताया कि खांडसारी पर मिथित कर लगाने की योजना अभी विचारार्थी है । उन्होंने यह भी बताया कि १९५९ में नवम्बर के महीने तक खांडसारी से कुल मिला कर ७,३८,००० रुपया उत्पादन कर के रूप में उगाहा गया ।

### योजना आयोग के नये सदस्य

योजना आयोग की १९ दिसम्बर को एक प्रेम विज्ञापित में बताया गया है कि श्री ए० एन० गोमथा को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है और उन्होंने अपना पापें-भार मंजूर लिया है ।



## दुर्गापुर इस्पात कारखाने की पहली धमन भट्टी का उद्घाटन

राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने २९ दिसम्बर, १९५९ को दुर्गापुर इस्पात कारखाने की पहली धमन भट्टी का उद्घाटन किया। यह कारखाना भारत सरकार और ब्रिटेन की कर्माओं के मगडन के बीच एक ममझौते के अंतर्गत बनाया जा रहा है। इस धमन भट्टी के चालू हो जाने में अब कारखाने में लोहा तैयार होना शुरू हो गया है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में हर माल १० लाख टन इस्पात, ३ लाख ५० हजार टन लोहा, और अमोनियम सल्फेट, बेंजीन, एस्मोनॉल, नेपथलीन, कोल्डतार आदि तैयार होगा।

### राष्ट्रपति का उद्घाटन भाषण

राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने अपने भाषण में कहा—

मेरा खयाल है कि लोगों को अभी इसका पूरा अहसास नहीं है कि इन इस्पात कारखानों का हमारे उद्योग और अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यों तो इसके बारे में ममय-ममय पर ममाचार पत्रों में तथ्य छपते ही रहते हैं, परन्तु इसका असली महत्त्व तभी ठीक तरह में समझा जाएगा, जब इन कारखानों का लोहा और फिर इस्पात बाजार में बिकने लगेगा।

उद्योगों को बढ़ाने के लिए निर्णय करने ममय यह भी विचार किया गया कि इसके लिए इस्पात का उत्पादन बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि मर्मों छोटे-बड़े उद्योगों में मुख्य रूप में इस्पात की ही जरूरत पड़ती है। देश में इस्पात तैयार करने में सबसे अधिक सुविधा को बात यह है कि इसके लिए हमें खनिज लोहा और कोयला नजदीकी क्षेत्रों में ही मिल जाता है।

जब देश में सीतों इस्पात कारखानों में उत्पादन शुरू हो जाएगा, तब उममें देश की इस्पात की माग तों पूरी होगी ही, साथ ही हम उनका कुछ भाग विदेशों को भी भेज सकेंगे।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम देश के उद्योगों की वृत्तियाद मजबूत बना रहे हैं।

दुर्गापुर में कई बार आया है। यह स्थान बहुत बड़ा औद्योगिक केन्द्र बनेगा। यह कलकत्ता के निकट है और यहा काफी माग में खनिज है। इसलिए इसे भारत का रूर कहा जा सकता है। इस क्षेत्र में उद्योग बढ़ाने के लिए दुर्गापुर इस्पात कारखाना बहुत महत्वपूर्ण है।

मुझे बताया गया है कि इस कारखाने में ३५,००० कर्मचारी काम कर रहे हैं। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि १९६१ में इस कारखाने के पूरी तरह से बन जाने के बाद भी यहाँ के कर्मचारियों की अधिक छटनी नहीं होगी। इस कारखाने की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यहा लोहा और इस्पात बनने के अलावा, ऐसी अनेक अन्य चीजें भी बनेगी, जिनकी देश में काफी माग है और जो देश के, और विमोपकर इस क्षेत्र के, उद्योगों को बढ़ाने में बहुत सहायक होंगे।

इस सम्बन्ध में समय-ममय पर ममाचार-पत्रों में अनेक तथ्य और आकड़े छपे हैं, फिर भी यहा कुछ का उल्लेख करना उचित होगा। दुर्गापुर कारखाने का रकबा २। वर्गमील होगा और इसे बनाने में १० करोड़ पीण्ड खर्च होगा। इसके लिए ब्रिटेन की सरकार और बैंकों में कुछ रकम पीण्ड में उधार लेने की व्यवस्था की गई है। जब कारखाना पूरी तरह में चालू हो जाएगा, तब यहा १० लाख टन लोहा और इस्पात के अलावा अन्य चीजें भी तैयार होगी। आज इसके निर्माण का पहला दौर पूरा हो गया है और आज में यहा देश के लिए, तथा निर्माण के लिए भी, लोहा बनने लगेगा। नजदीकी देशों में लोहे की माग काफी है। कारखाने का दूसरा दौर अप्रैल १९६० के अन्त में पूरा होगा और १९६२ में यह कारखाना पूरी तरह बन जाएगा। इस कारखाने का और इसमें लगने वाली मशीनों आदि की कुल कील ४,५०,००० टन होगा। इनमें में अधिकांश उपादन जोर मशीनों आदि ब्रिटेन में आएगी।

इस कारखाने में ३५,००० कर्मचारी हैं, जिनमें में ३५० ब्रिटिश इंजीनियर और १५,००० भारतीय कारीगर, बलकं और दश कर्मचारी हैं। यहा भारतीय कारीगरों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसके अलावा ब्रिटेन में लगभग ३५० भारतीय कारीगर ट्रेनिंग पा रहे हैं, जिन्हें कारखाने के विभिन्न विभागों में लगाया जाएगा।

में ब्रिटिश कम्पनी—इंडियन स्टील वर्क्स कस्टुमर कम्पनी लि० (इम्कोन) को धन्यवाद देता हूँ, जिसने दुर्गापुर इस्पात कारखाना बनाने का बीड़ा उठाया है। इस कम्पनी में ब्रिटेन के अनेक विवेक और कारीगर हैं। साथ ही यह ऐसी अनेक कम्पनियों को मिला कर बनाई गई है, जिन्हें ब्रिटेन के इस्पात उद्योग को आर्थिक रूप देने का श्रेय है। इन कम्पनी ने सभी प्रकार की मशीनें प्राप्त करने और उन्हें भारत भेजने तथा ब्रिटेन के इंजीनियरों और कारीगरों में शिथिक सहायता दिलाने का जिम्मा लिया है। में उन सभी को तथा भारतीय कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कारखाने का पहला दौर पूरा किया है। मुझे विश्वास है कि उन्होंने यहा जो काम किया है, उसकी उम्मेद पुनः होगी।

ब्रिटिश सरकार ने भी भारत के उद्योग बढ़ाने में शिथकम्पी ली है। यह दोनों देशों के सहयोग का प्रतीक है। में उनमें सहायता के लिए कृतज्ञ हूँ। मुझे इसकी प्रसन्नता है कि हमारी इन खूनी में शामिल होने के लिए ब्रिटेन के राष्ट्रमन्त्रीय सम्बन्धों के मर्मों और भारत में ब्रिटेन के स्थानांतरण उपादान भी आये हैं।

## भिलाई कारखाने की विलेट मिन का उद्घाटन

केन्द्रीय इस्पात माल और इयन मर्मों मन्त्रालय मन्त्र मिन ने २६ दिसम्बर को भिलाई इस्पात कारखाने की विलेट मिन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मिन की आशिय सम्बन्धों की मन्त्रिक के उद्घाटन, श्री एन० ए० मन्त्रालय में १५ दिसम्बर, १९५९

मदस्यों के एक निम्नमंडल के अध्यक्ष हैं। कर यथा आए थें ।

विलेट मिल के चालू होने से कारखाने के निर्माण का तीसरा और अन्तिम दौर शुरू हो गया है ।

पहले दौर में, पिछली फरवरी में पहली धमन भट्टी चालू की गयी थी और लोहा तैयार होना शुरू हुआ था । १२ अक्टूबर को २५० टन की क्षमता की लुली भट्टी में इस्पात बनाना शुरू करके निर्माण का दूसरा दौर आरम्भ किया गया । ७ नवम्बर, १९५९ को ब्लूमिंग मिल चालू की गयी और अब विलेट मिल चालू करके, कारखानों के लिए इस्पात की बंदूरे बनाना शुरू कर दी गयी है ।

मिलार्ड इस्पात कारखाने में फिलहाल १० लाख टन इस्पात और ३ लाख टन लोहा बनाने की योजना है । जब कारखाना पूरी तरह चालू हो जाएगा, तब वहाँ ७ लाख ७० हजार टन रेल की पटरियां, विलेट, इमारती सामान आदि बनाया जाएगा । कारखाना इस तरह बनाया गया है, जिससे वह बाद में बढ़ाया जा सके और वहाँ पहले १३ लाख टन तथा बाद में २५ लाख टन इस्पात तैयार हो सके ।

इनके अगला चरण १ लाख से ३ लाख टन तक फाउण्डरी का लोहा भी तैयार किया जाएगा । वहाँ कोयले की गैस से लगभग ६० हजार टन अमोनियम सल्फेट, बेजोल आदि भी बनाया जाएगा ।

#### रासायनिक कारखाने

मिलार्ड कारखाने में दो रासायनिक कारखाने भी चालू हो गए हैं । मधक का तेजाब बनाने के कारखाने में हर साल १२,००० टन तेजाब बनाया जाएगा । यह कारखाना ५ दिसम्बर, १९५९ को चालू हो गया था । अमोनियम सल्फेट बनाने का कारखाना १५ दिसम्बर को चालू हुआ । वहाँ फोक भट्टी की गैस में हर साल लगभग १६,३०० टन रासायनिक साब तैयार की जाएगी ।

मिलार्ड इस्पात कारखाना रूस सरकार के सहयोग में बनाया जा रहा है । इस सम्बन्ध में भारत और रूस के बीच फरवरी १९५५ में एक समझौता हुआ था ।

#### इस्पात मंत्री का संदेश

मिलार्ड इस्पात कारखाने की दृष्टी

धमन भट्टी (क्यान्ट फरनेस) चालू होने के अवसर पर इस्पात मंत्री ने अपने संदेश में कहा : "भारत के इस्पात उद्योग के लिए १९५९ का वर्ष एक ऐतिहासिक वर्ष है । यह वर्ष समाप्त होने से पहले ही इस्पात के तीन सरकारी कारखानों में उत्पादन शुरू हो जाएगा । भारतीय उद्योगों के लिए जितना लोहा चाहिए वह भारत तैयार कर रहा है । उसके अलावा काफी मात्रा में लोहा निर्यात भी होता है । वह दिन दूर नहीं जब भारत अपनी आवश्यकता के लायक इस्पात भी तैयार करने लगेगा । यह सब एक बड़ी कल्पना की शुरुआत है । तीसरी योजना में और भी अधिक विकास होगा । मिलार्ड इस्पात कारखाने का विकास भी तीसरी योजना का महत्वपूर्ण कार्य होगा । हमें इस विस्तार पर बहुत हर्ष है । भारत को रूस में सहयोग भी निरन्तर मिलता रहेगा ।" इस अवसर पर प्रधान मंत्री ने भी एक संदेश भेजा जिसमें कारखानों में काम करने वालों को बधाई दी गयी है ।

#### लोहे के छोटे कारखानों की स्थापना

भारत सरकार ने निजी क्षेत्र में लोहे के छोटे कारखाने खोलने के लिए लायसेंस दे दिये हैं । इनमें से तीन बम्बई में, तीन मद्रास में, तथा एक-एक उड़ीसा और बंगाल में होगा । यह सूचना केन्द्रीय इस्पात, खान और इंधन मन्त्री, सरदार चरणसिंह ने १६ दिसम्बर को राज्यसभा में प्रश्नोत्तर के समय दी ।

मन्त्री महोदय ने यह भी बताया कि कोयम्बटूर और वारविल (उड़ीसा राज्य) में एक-एक कारखाना चालू हो चुका है ।

#### रॉलसरायत इंजन-निर्माताओं से समझौता

ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने ३० दिसम्बर को रॉलसरायत लिमिटेड के साथ एक करारनाम पर हस्ताक्षर किए । इनके अन्तर्गत यह कम्पनी भारत में रॉलसरायत डाट इंजन बनायेगी ।

ये इंजन ए थी आर ओ ७४८ ट्रांगोंट विमान पर लगाये जाएंगे । ये विमान भी देश

में ही बनाये जाएंगे । देश में डाट प्रॉन-जेट काफी प्रसिद्ध है । भारतीय वायुसेना इसके दो वाइकाउट विमानों को १९५५ से चला रही है । इसके अलावा, इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के पास भी डाट इंजन के वाइकाउट विमान हैं, जिन्हें वह १९५७ से सफलतापूर्वक चला रहा है ।

#### विजली के सामान का कारखाना :

#### १९६८-६९ की रिपोर्ट

केन्द्रीय सरकार ने भोपाल के विजली के भारी साज-सामान बनाने के कारखाने के दूसरे और तीसरे चरण पर जल्दी अमल करने का फैसला किया है । यह सूचना हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तीसरी अर्थात् १९५८-५९ की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है ।

अधिकारियों से कहा गया है कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के इस कारखाने का उत्पादन बढ़ाने की ऐसी योजना बनाए कि यहाँ प्रति वर्ष २५ करोड़ रुपये का माल तैयार हो सके ।

विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण १९५७-५८ के अन्त में फेसला किया गया था कि इस कारखाने के उत्पादन का कार्यक्रम ३ चरणों में बांट दिया जाए और प्रथम चरण का ही काम हाथ में लिया जाए ।

रिपोर्ट में कहा गया है कि तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में विजली की अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता जितनी बढ़ जाएगी उसे देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि कारखाने का उत्पादन दुगुना करने तथा इनकी क्षमता अधिनतम उचित सीमा तक बढ़ाने के लिए दूसरे और तीसरे चरणों पर चौध अमल किया जाए ।

#### ट्रेनिंग

रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्पादन के बढ़ते हुए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ट्रेनिंग स्कूल में अप्रेंटिसों की संख्या बढ़ाई जाए । २४ महीने की ट्रेनिंग को १८ महीने की ट्रेनिंग करके अप्रेंटिसों की संख्या दुगुनी करने का विचार है ।

१५ दिसम्बर, १९५९ को नगरपाले में १,७४६ लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था ।

1956

**राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की वार्षिक रिपोर्ट**

**राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ने छोटे कारखानों से १९५८-५९ में इससे पिछले साल की तुलना में, चीगुमा माल खरीदा।**

सरकार ने १९५८-५९ में निगम को २ करोड़ ५० लाख रु० से भी अधिक के माल के आर्डर दिये, जबकि १९५७-५८ में केवल ६२ लाख ० के माल के आर्डर दिये थे। निगम यह माल सरकार को छोटे कारखानों में दिलवाता है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ने १९५८-५९ से छोटे कारखानों से ११ और चीजे खरीदनी शुरू की हैं। इस समय सरकार छोटे कारखानों से २७ चीजे खरीदती है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि रेल मण्डल भी छोटे कारखानों से माल खरीदने की योजना बनायेगा।

**किस्तों पर मसौनें**

निगम ने १९५६ में छोटे कारखानों के मालकों को किस्तों पर मसौनें दिलाने की योजना चलाई थी। १९५८-५९ में इन योजना के अन्तर्गत कारखानों के मालकों ने १ करोड़ ४० से भी अधिक मूल्य की १,२५६ मसौनें खरीदीं। इस योजना के फलस्वरूप अब छोटे कारखानों में हर साल ८० लाख रु० में अधिक का माल तैयार होना लगा है।

१९५८-५९ में इन योजना में कुछ मुच्यार किये गये हैं। अब मालिक मुरू में मसौनें के मूल्य का केवल २० प्रतिशत मूल्य ही देण। इसके अलावा अब उनमें अगनी रिफ्ट छ मसौनें की बजाय एक साल के बाद की जाएगी।

रिपोर्ट में बताया गया है कि निगम देण में ऐसी मसौनें बनाने का प्रयत्न कर रहा है, जो अभी विदेशों में मगवाई जाती हैं।

**निर्माण**

१९५८-५९ में निगम न नून, पांटेड और पूर्वी जर्मनी की लगभग ३० लाख रु० के मुरू में १०० अरब निगम विदेशों को माल का मसौनें, बनियाइन, मोरें जादि, रत-रोपण, आदि भी मसौनें के निरू प्रचलन कर रहे हैं।

१९१ प्रार्थनापत्र जाये हैं। काम बढ जाने के कारण मानक तैयार करने वाली सिलिक नमिनियों की सख्या भी ७०८ से बढकर ७९१ हो गयी है। इस वर्ष सख्या की सदस्यता में वृद्धि हुई और वढ १,५१० से बढकर १,७६८ हो गयी।

इस वर्ष नयी दिल्ली में चौथा भारतीय मानक सम्मेलन हुआ। इसमें ८०० प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पिछले किसी भी मानक सम्मेलन में प्रतिनिधियों की सख्या इतनी नहीं रही है। पहली बार सम्मेलन में महिला सख्याओं के प्रतिनिधियों ने भी काफी सख्या में भाग लिया। सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के बाद भारतीय मानक सख्या में महिलाओं की एक मलाहकार समिति बनाई है, जो उपभोग्य वस्तुओं के, विभोपकर घरेलू उपभोग की वस्तुओं के, मानक तैयार करने तथा उन्हें अमन में लाने के बारे में सलाह देगी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष इस मलाहकार समिति की प्रधान हैं।

सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप ही हाल में एक भारतीय उपभोग्यता मण भी बनाया गया है। ऐसी आशा है कि यह मण लोणा की मानकों की उपभोगिता मजदानी में महायक मिड होगा।

**भारतीय मानक संस्था का पांचवां सम्मेलन**

हैदराबाद में २८ दिसम्बर को भारतीय मानक सख्या का पाचवा सम्मेलन शुरू हुआ। आद्य प्रबंध के मुख्य मंत्री, श्री एन० मजीब रेड्डी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में, केन्द्रीय और राज्य सरकारों, व्यापारी कम्पनियों, स्थानीय सख्याओं के ६०० प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें ५५ महिलाए थीं। इस सम्मेलन में जापान और लेबनान के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इससे पहले किसी भी सम्मेलन में विदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था।

मानकों के अनुगार वस्तुए बनाने, छोटे कारखानों के माल पर सख्या के प्रमाण-चिह्न इस्तेमाल करने के लाइसेंस देने और दासगिक प्रणाली के अनुसार मानक तैयार करने आदि पर सम्मेलन में विचार हुआ।

इसके अलावा, रिटैने में भी १२८ नारमी प्रगिसय पा रहे हैं।

ट्रेनिंग स्कूल के लिए लगभग १ करोड़ रुपये के जिन मसौनें-टूल्स जीर गाज-नमानान की बहल को उन्हें लगा दिया गया है। इन मसौनें का काफी हिस्सा बमबौर की हिन्दुनान मसौनें टूल्स लिमिटेड में लिखा गया है।

**संपन्न और साज-सामान**

रिपोर्ट में बताया गया कि इस वारखाने के प्रथम चरण के लिए जिनकी मसौनें की आवश्यकता थी उनमें ५० प्रतिशत के लिए आर्डर दिया जा चुका है। इन मसौनें का मूल्य लगभग २॥ करोड़ रुपये होगा। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए योजना-कार्य के अधिकारियों ने एक मनें करके यह पना ल्याया कि देण में मसौनें-टूल्स की उम्मादन धनता बिनती है। अनुमान किया जाता है कि कुल जखन के लगभग २० प्रतिशत मसौनें-टूल देण में ही उपलब्ध हो सकने हैं। पहले चरण में जितने बिजली के आंदर हेड ट्रेनिंग केन्स की आवश्यकता होगी उनको तैयार करने का आर्डर एक प्रगिद्ध भारतीय फर्म को दे दिया गया है।

रिपोर्ट में बढा गया है कि उत्पादन शीघ्र ही शुरू हो जाएगा, हायाकि आरम्भ में उत्पादन थोडा ही होगा। सबसे पहले प्रगिक्षण कार्यगालाओं में मिचचगियर बनाये जाएंगे। कार्यक्रम के अनुसार मून १९६० में ट्रामफारमरी का उत्पादन शुरू होना चाहिए।

**भारतीय मानक संस्था की वार्षिक रिपोर्ट**

भारतीय मानक संस्था की १९५८-५९ की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि सख्या ने जो मानक निर्धारित किये, उन पर निर्माताओं और उपभोगताओं ने काफी अमल किया।

इस वर्ष सख्या ने १९६ मानक प्रकाशित किये। इनको मिलाकर अब तक कुल १,२१९ मानक प्रकाशित किये जा चुके हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि देण के बढते हुए उद्योगों और बिकासशील अर्थ-व्यवस्था में मानकों का बहुत महत्व है। सख्या के पास नरे भारतीय मानक निर्धारित करने के लिए

## नमूने के लिए मशीनें

रिपोर्ट में बताया गया है कि ओखला में, पश्चिम जर्मनी की महायता से नमूने की मशीनें बनाने और ट्रेनिंग देने के लिए जो केन्द्र खोला जा रहा है, उसके लिए इस साल के अन्त तक मारा सामान पहुंच जाएगा। राजकोट में अमरीका की महायता से जो केन्द्र खोला जा रहा है, उसके लिए बड़ा कुछ विभाग स्थापित किये जा चुके हैं।

१९५८-५९ में निगम में कलकत्ता में इसी प्रकार का केन्द्र खोलने के लिए जापान सरकार ने जीए गुडो (मद्रास) में खोलने के लिए फ़ान सरकार से वानचीत की है।

## क्या आप जानते हैं ?

### भारत में औद्योगिक वस्तियां

● दूसरी योजना में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत सी औद्योगिक वस्तियां बनायी हैं। औद्योगिक वस्तियां ऐसे स्थानों में स्थापित की जाती हैं, जहां छोटे उद्योगों को विभिन्न सुविधाएं मिल सकें।

● केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को औद्योगिक वस्तियां बना कर पूरा वर्ष ऋण के रूप में देती है। राज्य सरकारें जमीन लेकर उमका मुधार करती हैं तथा मकानों और कामगारों की इमारतें बनाती हैं। ये इमारतें छोटे उद्योगपतियों को किराये या किरातों पर दे दी जाती हैं या बच दी जाती हैं।

● दूसरी योजना में इस कार्यक्रम के लिए धन राशि १० करोड़ रु० में बढ़ाकर १५ करोड़ रु० कर दी गयी है।

● अब तक ३१ औद्योगिक वस्तियां पूरे तौर से समायी जा चुकी हैं और ६५ का निर्माण हो रहा है। इन पर कुल ११ करोड़ रु० खर्च होने का अनुमान है। इनमें ३,६०० पारंपारिक होंगे और ५०,००० मजदूरों को काम मिलेगा।

● इनमें ०० औद्योगिक वस्तियां देहात में बनेंगीं और ९ आज़मादी गाम्दायिक विभाग क्षेत्रों में। नयी दिल्ली की औद्योगिक औद्योगिक वस्तियां देने की गवने बंदी बरती है।

● इन औद्योगिक वस्तियों में दो उद्देश्य हैं। छोटे उद्योगों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता देना है। दूसरे छोटे उद्योगों को रियायती किराये पर कारखाना बनाने को ऐसा स्थान मिल जाता है, जहां आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हों सकती हैं।

● औद्योगिक वस्तियों से छोटे उद्योगों के नियोजित विकास में सहायता मिलती है। गरीब वस्तियों की सफाई की समस्या हल होती है और छोटे औद्योगिकों में मरुकारिता को भावना पैदा होती है।

## भारत और पूर्व जर्मनी के मध्य नया व्यापार समझौता

जर्मन लोक गणराज्य के व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल के नेता, श्री एरिक रेनीमन और भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय के सयुक्त सचिव, श्री गिलनानी के मध्य १८ दिसम्बर को नयी दिल्ली में व्यापार और अदायगी में सम्बन्धित कागज-पत्रों का आदान-प्रदान हुआ। यह नया व्यापार समझौता १ जनवरी, १९६० से ३ वर्ष के लिए लागू होगा। पिछले व्यापार समझौते की अवधि ३१ दिसम्बर, १९५९ तक थी।

नयी व्यवस्था के अन्तर्गत सब वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक लेन-देन की अदायगी अर्थात् भारतीय भारतीय रुपयों में होगी और व्यापार उच्चतर स्तर पर सन्तुलित आधार पर होगा।

भारत पूर्व जर्मनी को लोहा, खनिज, मँगनीज, चाय-काफी, मसाले, काजू, कपड़ा और तैयार कपड़े के अलावा जूट का सामान, दस्तकारी का सामान, खेल-कूद का सामान, डिब्बे बन्द फल और फलों में बना सामान, जूते, ऊनी और रेगमी कपड़े, प्लाईवुड और रेफ्रीजरेटर आदि भेजेगा।

इसके बदले में जर्मन लोक गणराज्य भारत को मुख्यतः ये सामान देगा : मशीनें, जंगे मूती कपड़े की मशीनें, स्वचालित कपड़े, छाई के काम आने वाली मशीनें, मशीन-टूल, आदि ; तथा बच्चों के फ़िरंगे, रागायनिक गाद और मूख यन्त्र आदि।

इन नये व्यापार समझौते के अन्तर्गत दोनों देशों का व्यापार काफी बढ़ जाएगा।

## डालर क्षेत्र से आयात

वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय की १८ दिसम्बर की एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि सरकार डालर क्षेत्र में आयात पर प्रतिबन्ध हटाने के प्रश्न पर अग्रे से विचार कर रही थी और अब उमका स्याल है कि पूजीगत सामान को छोड़ कर गैर-डालर क्षेत्र में ही माल मगाने का प्रतिबन्ध आवश्यक नहीं रह गया है। १८ दिसम्बर को प्रकानित आयात व्यापार नियन्त्रण मन्बन्धी सार्व-जनिक नोटिस में आयातकों को यह इजाजत दे दी गयी है कि वे सुलभ मुद्रा क्षेत्र के लिए अपने लायसेंस के पूरे मूल्य की कीर्ति, पूजीगत माल को छोड़ कर डालर क्षेत्र से मगा सकते हैं। इसके फलस्वरूप आयात के मामले में अब डालर क्षेत्र और सुलभ मुद्रा क्षेत्र में भेद नहीं रह गया है।

कम मूल्य के पूजीगत सामान को छोड़ कर अन्य पूजीगत सामान के आयात पर विदेशी मुद्रा की उपलब्धि को देखते हुए अभी यह नियन्त्रण रलन की जरूरत है कि किस देश या किन देशों से माल मगाया जाए। अतः पूजीगत सामान के लिए जारी किये गये आयात लायसेंसों पर उस देश या उन देशों के नाम अंकित होंगे जहां से माल मगाया जा सकता है।

## इंजीनियरी के सामान के निर्यात में वृद्धि

पिछले साल की तुलना में १९५९ के पहले दस महीनों में इंजीनियरी के सामान का निर्यात काफी बढ़ा है। इस अवधि में ४ करोड़ ७० लाख रु० का सामान निर्यात किया गया, जबकि पिछले साल ३ करोड़ २५ लाख रु० का निर्यात हुआ था। इनमें लोहे के डोके शामिल नहीं हैं। यह वृद्धि अभी प्रमुख क्षेत्रों में हुई है।

इस साल विभिन्न वस्तुओं के निर्यात में जो वृद्धि हुई है, उसमें बिजली के पंखों का निर्यात ६८ प्रतिशत, मिलाई मशीन का १०८ प्रतिशत, डीजल इंजन का ९८ प्रतिशत, मूती कपड़े की मशीनों का निर्यात ९२ प्रतिशत बढ़ा। इसके अतिरिक्त पानी के हाथ-पंख, तेल कारखानों की मशीनों और कैंचों, छुरी इत्यादि का भी निर्यात बढ़ा है।

अमीका और एशिया के पुराने वाजारों के बचाव, ब्रिटेन और अमरीका जैने आंदोलित करने में भी नियमित व्यापार चल रहा है। निम्न के तीर पर, ब्रिटेन को इन समय निम्न की मनीने और डीजल डजन काफी नर्या में भेजे जाते हैं। निम्न की मनीनों के कुल निर्यात का ३७ प्रतिशत ब्रिटेन को भेजा जाता है, जो नवमे बड़ा खरीदार है। इसके बजाय अमरीका, बेल्जियम और कनाडा को भी निम्न की मनीने भेजी जाती है।

**गोशा सीमा पर घटियों की तस्कर**

सरकार को सूचना मिली है कि गोशा सीमा पर घटियों या तस्कर व्यापार होता है और दमन ने बम्बई को घटिया भेजी गयी है। १९५९ में १ जनवरी ने जनतूर के अन तक ६९,८०० रु० की घटिया जल की जा चुकी है।

यह सूचना १७ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त उपमंत्री श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने दी। उन्होंने कहा कि इस तस्करों को रोकने के लिए नमय-नमय पर तस्कर कार्रवाई करती रहती है जिन्में से कुछ मुख्य कार्रवाई इस प्रकार है —

- (१) पुनिन और सीमा मुक्त कर्मचारियों की संहायना में सीमा मुक्त अधिकारियों ने मम्बूट टट पर और भारत-गोशा सीमा पर ज्यादा निगरानी रख दी है।
- (२) सुकिया रूप में तस्करों की सूचना प्राप्त करने और इन सूचना के आधार पर तस्करों रोकने के तरीकों में सुधार किया गया है।
- (३) सीमा मुक्त मधवी बानून और काटे पर दिए गए हैं और मजा भी कड़ी कर दी गयी है।

**सोने का तस्कर व्यापार**

वित्त उपमंत्री, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने २२ दिसम्बर को प्रश्नोत्तर के समय लोकसभा में बताया कि देश में चोरी-छिपे मोना लाने की रोजगार के लिए रिजर्व बैंक ने परिषद एशिया में चलाने के लिए पी विधेय नोट जारी किये हैं, उससे सोने के तस्कर व्यापार में कमी हुई है। श्रीमती सिन्हा ने कहा

कि तस्कर व्यापार के लिए विदेशों में सोना खरीदने में भारतीय नोटों के अलावा अन्य माधनों का भी प्रयोग होता है, जिसकी रोकथाम करना बहुत कठिन है। पर इधर सोने के तस्कर व्यापार में विशेष वृद्धि होने का कोई गमाचार नहीं मिला है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्रीमती सिन्हा ने बताया कि अक्टूबर १९५८ के बाद से सोने की कीमत बढ़ी है, उसका एक कारण यह भी समझा जाता है कि बाहर से चोरी-छिपे मोना लाने में कमी हुई है।

एक तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रीमती सिन्हा ने कहा कि यह गमाचार मिलने पर कि बम्बई के एक व्यक्ति के पास अदन से डाक द्वारा लिफाफों में सोने का चूरा आता है, बम्बई के सीमांत अधिकारियों ने उसके मकान की तलाशी ली। तलाशी में तीन लिफाफों में १-१ तोला सोने का चूरा निकला। इन लिफाफों के मिलने के तुरन्त बाद विदेशी डाक देखी गयी, जिसमें १-१ तोले सोने के चूरे वाले २१ लिफाफे मिले।

**जापान को नमक का निर्यात**

भारत सरकार का जापान को बड़ी मात्रा में नमक निर्यात करने का इरादा है। १९६० की जनवरी से मार्च, १९६१ तक जापान को ४॥ लाख टन नमक भेजा जाएगा। इसकी कीमत २० शिलिंग प्रति लाख टन होगी। यह नमक राज्य व्यापार निगम और जापान के व्यापारियों में हुए करार के अनुसार निर्यात होगा। इसके अलावा भारतीय व्यापारी भी इस अवधि में १३ लाख टन नमक भेजने का सोचा कर चुके हैं। इस प्रकार कुल ५८ लाख टन नमक का जापान को निर्यात होगा। देश में अपनी आवश्यकता से १० लाख टन अधिक नमक तैयार होता है। यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई गाह ने १७ दिसम्बर को राज्यसभा में दी।

**सूती तौलियों पर उत्पादन कर की छूट**

भारत सरकार केन्द्रीय उत्पादन कर नियम-मावली १९४४ के नियम १९१-ए के अन्तर्गत निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में

इस्तेमाल होने वाले ऐसे मामान पर उत्पादन कर की छूट देती है, जो विदेशों से मगाया-रूना है। सरकार ने यह छूट अब सूती तौलियों (नेपकिन) में काम आने वाले विदेशी सामान पर भी देने का निर्णय किया है। यह छूट पहले ही तैयार बस्तो, तम्बूजों, चीनी की बनी चीजों, सूती धँलो, छातों, चद्दरों, तक्रिए के गिलाफों, मेजपोशी और अनेक अन्य वस्तुओं पर दी जाती है।

सरकार ने नियम १९१-बी के अन्तर्गत, इस वर्ग पर सूती तौलिये बनाने की इजाजत देने का भी निर्णय किया है कि वे निर्यात किये जाए।

**अक्टूबर १९५६ में खनिज लौह का उत्पादन**

भारतीय खान कार्यालय की सूचना के अनुसार अक्टूबर १९५९ में, भारत में खनिज लौह का उत्पादन ७,१९,००० मीट्रिक टन हुआ।

१९५९ के आरम्भ से लेकर अब तक ६३,८६,००० मीट्रिक टन खनिज लौह निकाला जा चुका है। १९५८ में इस अवधि तक ५०,३६,००० मीट्रिक टन खनिज लौह निकाला गया था। इस तिमाय में इस वर्ष खनिज लौह के उत्पादन में २७ प्रतिशत वृद्धि हुई है।

सबसे अधिक खनिज लौह विहार तथा उड़ीसा की खानों से निकाला गया। इन दोनों स्थानों से क्रमशः २,७३,००० और २,२६,००० मीट्रिक टन खनिज लौह निकाला गया। इनके अतिरिक्त मैसूर में १,०३,०००, बंर न २,३,००० और मध्य प्रदेश में १८,००० मीट्रिक टन खनिज लौह निकाला गया।

इस महीने लोहे तथा इस्पात रजिमानों को ५,०६,००० मीट्रिक टन खनिज लौह भेजा गया और १,६१,००० मीट्रिक टन खनिज लौह निर्यात किया गया।

**भारत में स्टीमरिट का उत्पादन**

भारतीय खान कार्यालय के अनुसार अक्टूबर मिनम्बर १९५९ में कुल ६५ मीट्रिक टन कोनाइट का उत्पादन



पिछले वर्ष की इसी अवधि में ४८,८२४ मीट्रिक टन क्रोमाइट का उत्पादन हुआ था। इस प्रकार इस वर्ष ३४ प्रतिशत अधिक क्रोमाइट का उत्पादन हुआ।

सबसे अधिक उत्पादन उडीसा में हुआ जहाँ ५९,९०६ मीट्रिक टन क्रोमाइट निकाला गया। बिहार में ५,२५५ और मैसूर राज्य में ३९२ मीट्रिक टन क्रोमाइट निकाला गया।

### छोटे कारखानों की रजिस्ट्री

देश में बड़े उद्योगों के साथ-साथ छोटे उद्योगों का भी विकास करने के लिए भारत सरकार ने छोटे कारखानों के कर्मचारियों और उत्पादन के आकड़े इकट्ठे करने का निश्चय किया है। छोटे कारखानों के मालिकों को इस काम के लिए आवश्यक सूचना देना भी कहा गया है। उन्हें राज्यों के उद्योग निदेशकों और लघु उद्योग सहायक मत्स्यज्यों के कार्यालयों में अपने कारखाने रजिस्टर कराने को भी कहा गया है।

रजिस्टर होने के बाद छोटे कारखानों को सरकार में आर्थिक सहायता और राष्ट्रीय लघु उद्योग नियम में कितनों पर मशोने खरोदने में सहुत आसानी होगी। इससे इन कारखानों का कच्चा माल और विदेशों से मंगाए हुए मशीनों के पुर्जें आदि खरीदने में भी आसानी होगी।

### यूरोपियनों द्वारा चाय बागानों की बिक्री

बिक्री मंत्री ने १ दिसम्बर को प्रश्नोत्तर के समय बताया कि इन माल कुछ यूरोपियनों ने भारत के अपने कुछ चाय बागान बेंचे हैं। बिक्री में मिलने वाली रकम को बाहर भेजने के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी जरूरी है, लेकिन बागों को बेंचने के लिए नहीं। रिजर्व बैंक की अनुमति में १ जनवरी, १९५९ में ३० गिंतम्बर, १९५९ तक ३४ लाख ६० हजार ८० ब्रिटेन को भेजा जा चुका था। यह रकम चाय-बागों की बिक्री की हो थी।

### अमरीका के वाणिज्य मंत्री दिल्ली में

अमरीका के वाणिज्य मंत्री, श्री फेडरिक म्युन्जर ३ दिन की भारत यात्रा पर १३ दिसम्बर को दिल्ली पहुँचे। दिल्ली

पहुँचने पर वाणिज्य मंत्री, श्री नित्यानन्द कानुनगो, वाणिज्य और उद्योग उपमन्त्री, श्री मदीयचन्द्र तथा भारत में अमरीका के राजदूत श्री एलस्यर्थ वकर ने उनका स्वागत किया।

### हाँई वैक्यूम विधि की ट्रेनिंग

नयी दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में १८ जनवरी, १९६० से हाँई वैक्यूम विधि (हुवा निकालने के तरीके) की तीन सप्ताह की ट्रेनिंग शुरू हुई। यह ट्रेनिंग राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और यूनेस्को की ओर से हो रही है और इसमें अफगानिस्तान, बर्मा, लका, नेपाल, पाकिस्तान तथा भारत के २० शिक्षार्थी भाग ले रहे हैं।

ट्रेनिंग के निदेशक, क्वीन्सलैंड (ऑस्ट्रेलिया) विश्वविद्यालय के भौतिक शास्त्र के रिसर्च प्रोफेसर ए० रेमन हैं और लीवरपूल विश्वविद्यालय के विजली इंजीनियरी के वरिष्ठ लेक्चरर टा० जे० एच० लीक तथा राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के शिक्षक उनकी सहायता कर रहे हैं।

ट्रेनिंग के अंतर्गत, विज्ञान और उद्योग में हाँई वैक्यूम के लिए इस्तेमाल होने वाले तरीके बताये जाएंगे और हुवा निकालने के पम्प (वैक्यूम पम्प), हुवा का दबाव नापने के यंत्र (प्रेशर मेजरमेंट गैज) आदि के बारे में बताया जाएगा।

### पाइराइट से गंधक बनाने का फैसला

#### भारतीय सान कार्यालय की रिपोर्ट पर

देश में पाइराइट से गंधक बनाने का निश्चय कर लिया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि बिहार में अमजोर में पाइराइट की खानों में पाइराइट काफी है। यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई गाहने ने १८ दिसम्बर को लोकसभा में दी।

श्री गाहने ने यह भी बताया कि नाँवे की एक फर्म ने वास्तविक करने यह अनुमान लगा लिया गया है कि गंधक बनाने पर क्या तर्ज बँडेगा। फर्म का एक विवेकन पाइराइट की खानों के स्थान को भी देना चुना है, ताकि द्रवते निकालने आदि के बारे में विस्तार से रिपोर्ट तैयार की जा सके। यह रिपोर्ट अभी

नहीं मिली है। आजकल देश में प्रतिवर्ष लगभग १.१ लाख टन से १.२ लाख टन तक गंधक काम आती है और यह सारी की सारी विदेशों से मगानी पडती है।

### एन्थासीन तेल से कार्बन ब्लैक

एन्थासीन अनुसन्धान संस्था, जलगाँरा (बिहार) में कुछ परीक्षण किए गए, जिनसे पता चला है कि एन्थासीन तेल की छाछ से कार्बन ब्लैक बनाया जा सकता है। यह तेल कोलतार गरम करने से बनता है। अनुमान है कि १९६०-६१ तक इन्धात कारखानों की कोक भट्टियों से लगभग २५ हजार टन एन्थासीन तेल निकलने लगेगा।


आमा है १९६०-६१ तक देश में १२ हजार टन कार्बन ब्लैक की मांग होगी, जब कि आजकल केवल १,२०० टन कार्बन ब्लैक ही बनता है। केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था में कार्बन ब्लैक बनाने के परीक्षण करने के संबंध में आजमायशी तौर पर एक मशीन लगाई जा रही है, जहाँ प्रतिदिन १ हंडरखेट कार्बन ब्लैक बन सकेगा।

यह पदार्थ रबड़ की चीजे, छपाई आदि की स्याहिया, रंगन, कार्बन पेपर, ग्रामोफोन रिकार्ड आदि बनाने के काम में इस्तेमाल होता है। उबत लेख में यह भी बताया गया है कि तपेदिक रोग की एक दवाई बनाने में भी कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल हो सकता है।

### मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स के बारे में जांच

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय की एक विज्ञप्ति में भीलवाड़ा (राजस्थान) की टेक्सटाइल मिल्स लि० के प्रबंध आदि के बारे में जांच करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की घोषणा की गयी है। उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम के अधीन सरकार को ऐसी समिति बनाने का अधिकार है।

समिति के अध्यक्ष, समद सदस्य, श्री जी० टी० गोमानी और सदस्य सर्वश्री एम० एम० रामनाथ और एम० एम० पूसुफ हैं।



# खान मजदूर हितकारी संगठन की वार्षिक रिपोर्ट

मजदूर हितकारी संगठन की १९५८-५९ की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वर्ष खान मजदूरों के लिए मगडन में डाइरैक्टरी चिकित्सा की अधिक सुविधाओं की व्यवस्था की, मकान बनाने के लिए अधिक अनुदान और ऋण दिने तथा मजदूरों के बच्चों के लिए ग्यारा मकानों में छात्रवृत्तियां दीं। मगडन की रिपोर्टें शून्य ही में प्रकाशित हुई हैं।

[इन मगडन की स्थापना १९८७ के खान मजदूर हितकारी निधि अधिनियम के अन्तर्गत की गयी है। इनका उद्देश्य खान मजदूरों की भलाई के काम करना है।] मजदूरों की भलाई के निधि के लिए खानों में बाहर भेजे जाने वाले कोयले तथा कोक पर प्रतिशत ३७.५ नवे पैसों के हिसाब में कर लगा जाना है। इस वर्ष इस कर में निधि में १ करोड़ ७३ लाख ८३ हजार ४५३ रु० जमा होने की आशा है। यह राशि पिछले वर्ष प्राप्त हुई राशि में २२ लाख ६० हजार ६० अधिक है।

मजदूरों के लिए मकान बनाने की योजना के अन्तर्गत इस वर्ष २,१५३ मकान बनाये गये। मकान बनाने के लिए ऋण और महायता देने की योजना के अन्तर्गत मकान बनाने के ४,०३७ प्रायःना-पत्र खान मजदूर मकान मण्डल ने स्वीकार किये। इनमें में १,८०४ मकान तैयार हो चुके हैं। खान मजदूरों की रक्षात्मक का प्रवृत्त करने की नयी योजना के अन्तर्गत भी मकान बनाये जा रहे हैं। १९५८-५९ के अन्त तक खान मजदूर मकान मण्डल में १०,८७९ मकान मजदूरों को अलाट किये।

## चिकित्सा सुविधाएं

धनबाद के केन्द्रीय अस्पताल और आसन-सोड के केन्द्रीय अस्पताल में रोगी शैयाओं की संख्या बढ़ा कर २५० कर दी गयी। अस्पतालों में तपेदिक के मरीजों के लिए रोगी शैयाएं बसाई गईं। आमतोली तथा धनबाद दोनों ही अस्पतालों में १००-१०० रोगी शैयाओं

के अलग तपेदिक कक्षा बनाने का काम भी शुरु हो चुका है। बिहार तथा पश्चिम बंगाल के जिन खान मजदूरों को तपेदिक के अस्पतालों में दाखला नहीं मिल सका उन्हें घर पर ही इलाज कराने के लिए सुविधाएं दी गयीं। घर पर इलाज की सुविधाएं देने की योजना के अन्तर्गत मगडन मजदूरों के मुफ्त इलाज, अच्छे भोजन के लिए महायता तथा परिवार में केवल एक ही कमरने वाला होने पर उसके आधितों को अधिक से अधिक ५० रु० महीने तक का भत्ता देना है। इस योजना में करीब ३०० रोगियों ने लाभ उठाया।

तेलुगुमारी के कुष्ठ अस्पताल में १५ अगस्त, १९५८ में १० रोगी शैयाओं का अतिरिक्त वार्ड खोला गया। संगठन की ओर से कोठी खान मजदूरों के इलाज के लिए ४६ रोगी शैयाएं हैं।

जिन खान मालिकों ने मजदूरों को चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए अस्पताल खोले हुए हैं उन्हें अस्पतालों में सुधार करने के लिए सहायता देने की इस वर्ष नयी योजना शुरु की गयी। इस योजना के अन्तर्गत अस्पतालों को ६०,००० रु० का ऋण दिया गया।

## बच्चों की शिक्षा के लिए सुविधाएं

खान कार्मचारियों के लड़कों तथा लड़कियों को उच्च शिक्षा देने के लिए खान मजदूर निधि की छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत २० रु० महीना अनुदान दिया जाता है। उच्च शैक्षणिक शिक्षा के लिए यह अनुदान ३० रु० महीना है। इस वर्ष छात्रवृत्तियों की संख्या ५० से बढ़ाकर ७५ कर दी गयी। शैक्षणिक शिक्षा के लिए २२ छात्रवृत्तियां दी गयीं। इसके अतिरिक्त पुनःस्थापन और जेजारा महानिदेशक की योजना के अन्तर्गत बिलाई की औद्योगिक प्रशासन संस्था में ट्रेनिंग पाने वाले खान मजदूरों के लड़कों तथा लड़कियों को ५० छात्रवृत्तियां भी दी गयीं।

खान मजदूरों की विधवाओं तथा दुर्घटनाओं में मरे खान मजदूरों के पढ़ने वाले बच्चों को

आर्थिक सहायता की योजना के अन्तर्गत इस वर्ष ३५ हजार ३४० रु० दिये गये। महायता पाने वालों में १४२ विधवाएं तथा ७ बच्चे थे। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विधवा को २ वर्ष तक प्रति मास १० रु० की वृत्ति और मृत कर्मचारी के प्रत्येक बच्चे को ३ वर्ष तक ५१० महीना छात्रवृत्ति दी जाती है।

चिनापुरी खान दुर्घटना (१९ फरवरी, १९५८) में मरे मजदूरों की विधवाओं तथा आश्रित स्त्रियों को विशेष रूप में रोले गये केन्द्र में तिलाई की शिक्षा दी गयी। इन कक्षाओं के लिए आर्थिक व्यवस्था, विभिन्न सूत्रों से प्राप्त हुए दानों से की गयी। १५ स्त्रियों ने तिलाई के इस कार्यक्रम में भाग लिया, जिन्हें ३० रु० महीना वृत्ति दी गयी। उन्हें तिलाई की एक मशीन भी दी गयी।

## कलकत्ता गोदी मजदूर मण्डल जांच समिति की रिपोर्ट

भारत सरकार ने कलकत्ता गोदी कर्मनाली (नौकरों के नियम) योजना, १९५६ की समीक्षा करने के लिए जो एक महत्त्वपूर्ण जांच समिति नियुक्त की थी, उनमें मिफार्डि स्थि को है कि कलकत्ता गोदी मजदूर मण्डल के संचालन मगडन को मुअत्तल कर दिया जाए, क्योंकि उद्योग मण्डल के अधिकारियों की अवहेलना की है और बार-बार अर्थशास्त्रिक ढग से काम किया है।

समिति ने मिफार्डि को है कि वर्तमान संचालन मगडन का काम उपाध्यक्ष को गौन दिया जाए और वही योजना के अन्तर्गत ५ (१) के अन्तर्गत मकान मण्डल मगडन बनाए। यह जांच समिति मगडन में नियुक्त की गयी थी और इसके एरमाय मध्यम अम और नियोजन मन्त्रालय के मंजूरन मन्चिब श्री आर० एल० मेहता थे।

कलकत्ता गोदी कर्मचारी (नौकरों के नियम) योजना १९५६ में लागू हुई थी। इसे चलाने के लिए मिडरॉय गोदी मजदूर मण्डल बनाया गया था और मण्डल के निर्णयों को अमल में लाने तथा ईनिश चार्ज करने के लिए इनके अखीन एर मंत्रालय मण्डल नियुक्त किया गया था। योजना में यह भी बतलाना था कि गोदी के मजदूरों और मन्चिबों को रजिस्टर किया जाए। मजदूरों को दो शर्तियाँ

पिछले वर्ष की इसी अवधि में ४८,८२४ मीट्रिक टन क्रोमाइट का उत्पादन हुआ था। इस प्रकार इस वर्ष ३४ प्रतिशत अधिक क्रोमाइट का उत्पादन हुआ।

सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा में हुआ जहाँ ५९,९०६ मीट्रिक टन क्रोमाइट निकाला गया। बिहार में ५,२५५ और मैसूर राज्य में ३९२ मीट्रिक टन क्रोमाइट निकाला गया।

### छोटे कारखानों की रजिस्ट्री

देश में बड़े उद्योगों के साथ-साथ छोटे उद्योगों का भी विकास करने के लिए भारत सरकार ने छोटे कारखानों के कर्मचारियों और उत्पादन के आकड़े दृढ़तर करने का निर्देश किया है। छोटे कारखानों के मालिकों को इस काम के लिए आवश्यक सूचना देना कहा गया है। उन्हें राज्यों के उद्योग निदेशकों और लघु उद्योग सहायक मस्थानों के कार्यालयों में अपने कारखाने रजिस्टर कराने को भी कहा गया है।

रजिस्टर होने के बाद छोटे कारखानों को सरकार में आर्थिक सहायता और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में किराते पर मशीनें खरीदने में बहुत आसानी होगी। इससे इन कारखानों को अच्छा माल और विदेशों से मगाने हुए मशीनों के पूँजे आदि खरीदने में भी आसानी होगी।

### यूरोपियनो डारा चाय बागानों की विका

वित्त मंत्री ने १ दिसम्बर को प्रश्नोत्तर के समय बताया कि इस साल कुछ यूरोपियनों ने भारत के अपने कुछ चाय बागान बचे हैं। विदेशों में मिलने वाली रकम को बाहर भेजने के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी जरूरी है, लेकिन बागों को बचाने के लिए नहीं। रिजर्व बैंक की अनुमति में १ जनवरी, १९५९ में ३० गिनतम्बर, १९५९ तक ३४ लाख ६० हजार ४० इंचिन को भेजा जा चुका था। यह रकम चाय-बागों की बिजो की हो थी।

### अमरीका के वाणिज्य मंत्री दिल्ली में

अमरीका के वाणिज्य मंत्री, श्री फेडरिक्त एच० म्यूजर ३ दिन की भारत यात्रा पर १३ दिसम्बर को दिल्ली पहुँचे। दिल्ली

पहुँचने पर वाणिज्य मंत्री, श्री नित्यानन्द कानुनगो, वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री, श्री मतीशचन्द्र तथा भारत में अमरीका के राजदूत श्री एलस्वर्थ बकर ने उनका स्वागत किया।

### हाँई वैक्यूम विधि की ट्रेनिंग

नयी दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में १८ जनवरी, १९६० से हाँई वैक्यूम विधि (हवा निकालने के तरीके) की तीन सप्ताह की ट्रेनिंग शुरू हुई। यह ट्रेनिंग राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और यूनेस्को की ओर से हो रही है और इसमें अफगानिस्तान, बर्मा, लका, नेपा, पाकिस्तान तथा भारत के २० शिक्षार्थी भाग ले रहे हैं।

ट्रेनिंग के निदेशक, बर्नॉसलेड (आस्ट्रेलिया) विश्वविद्यालय के भौतिक शास्त्र के रिसर्च प्रोफेसर ए० रेमन हैं और लीवरपूल विश्वविद्यालय के विजली इंजीनियरी के वरिष्ठ लेक्चरर डा० जे० एच० लीक तथा राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के शिक्षक उनकी सहायता कर रहे हैं।

ट्रेनिंग के अन्तर्गत, विज्ञान और उद्योग में हाँई वैक्यूम के लिए इस्तेमाल होने वाले तरीके बताये जाएंगे और हवा निकालने के पम्प (वैक्यूम पम्प), हवा का दबाव नापने के यंत्र (प्रेसर मेजरमेंट गेज) आदि के बारे में बताया जाएगा।

### पाइराइट से गंधक बनाने का फैसला

भारतीय खान कार्यालय की रिपोर्ट पर देग में पाइराइट से गंधक बनाने का निश्चय कर लिया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि बिहार में अमजोर में पाइराइट की खानों में पाइराइट काफी है। यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में उद्योग मंत्री, श्री मनुमाई शाह ने १८ दिसम्बर को लोकसभा में दी।

श्री शाह ने यह भी बताया कि नाबें की एक फर्म से बातचीत करने यह अनुमान लगा लिया गया है कि गंधक बनाने पर क्या खर्च बैठेगा। फर्म का एक विमोचक पाइराइट की गर्तों के स्थान को भी देना चुका है, ताकि द्रुतके विकास आदि के बारे में विस्तार में रिपोर्ट तैयार की जा सके। यह रिपोर्ट अभी

नहीं मिली है। आजकल देश में प्रतिवर्ष लगभग १.१ लाख टन से १.२ लाख टन तक गंधक काम आती है और यह सारी की सारी विदेशों से मगानी पड़ती है।

### एम्प्रासीन तेल से कार्बन ब्लैक

ईंधन अनुसन्धान संस्था, जलगोरा (बिहार) में कुछ परीक्षण किए गए, जिनसे पता चला है कि एम्प्रासीन तेल की छाछ से कार्बन ब्लैक बनाया जा सकता है। यह तेल कोलतार गरम करने से बनता है। अनुमान है कि १९६०-६१ तक इसपात कारखानों की कोक भट्टियों से लगभग २५ हजार टन एम्प्रासीन तेल निकलने लगेंगे।

आया है १९६०-६१ तक देश में १२ हजार टन कार्बन ब्लैक की मांग होगी, जब कि आजकल केवल १,२०० टन कार्बन ब्लैक ही बनता है। केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था में कार्बन ब्लैक बनाने के परीक्षण करने के सबंध में आजमायशी तौर पर एक मशीन लगाई जा रही है, जहाँ प्रतिदिन १ हड्डरवेट कार्बन ब्लैक बन सकेगा।

यह पदार्थ रबड़ की चीजें, छपाई आदि की स्थायिता, रोपन, कार्बन पेपर, प्रामोफोन रिकार्ड आदि बनाने के काम में इस्तेमाल होता है। उबत लेल में यह भी बताया गया है कि तपेदिक रोग की एक दवाई बनाने में भी कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल हो सकता है।

### मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स के चारे में जांच

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में भीलवाड़ा (राजस्थान) की टेक्सटाइल मिल्स लि० के प्रबंध आदि के बारे में जांच करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की घोषणा की गयी है। उद्योग (विनास तथा नियमन) अधिनियम के अधीन सरकार को ऐसी समिति बनाने का अधिकार है।

समिति के अध्यक्ष, रायद तदरथ, श्री जी० डी० गोमानी और सदस्य सर्वश्री एम० एम० रामनाथ और एम० एम० मृगुण हैं।



# खान मजदूर हितकारी संगठन की वार्षिक रिपोर्ट

मजदूर हितकारी संगठन की १९५८-५९ की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि इन वर्ष खान मजदूरों के लिए संगठन ने डाक्टरी चिकित्सा की अधिक सुविधाओं की व्यवस्था की, मकान बनाने के लिए अधिक अनुदान और श्रम दिवस तथा मजदूरों के बच्चों के लिए ग्यास मस्या में छात्रवृत्तियां दीं। संगठन की रिपोर्टें हाल ही में प्रकाशित हुई हैं।

[इस संगठन की स्थापना १९६३ के खान मजदूर हितकारी निधि अधिनियम के अन्तर्गत की गयी है। इसका उद्देश्य खान मजदूरों की मलाई के काम करना है।] मजदूरों की मलाई के निधि के लिए खानों में बाहर भेजे जाने वाले कोयले तथा कोक पर प्रतिटन २७ ५ रुपये के हिसाब में वसूली जाता है। इस रूप में खानों में निधि में १ करोड़ ७३ लाख ८३ हजार ४५३ रु० जमा होने की आशा है। यह राशि पिछले वर्ष प्रायः ६६ लाख में २२ लाख ६० हजार २० अर्धिक है।

मजदूरों के लिए मकान बनाने की योजना के अन्तर्गत इस वर्ष २,१५३ मकान बनाये गये। मकान बनाने के लिए ऋण और महायत्ना देने की योजना के अन्तर्गत मकान बनाने के ४,०२७ प्रायःनाश्र खान मजदूर मकान मण्डल ने स्वीकार किये। इनमें से १,८०४ मकान तैयार हो चुके हैं। खान मजदूरों की शिक्षण का प्रवर्धन करने की नयी योजना के अन्तर्गत भी मकान बनाये जा रहे हैं। १९५८-५९ के अन्त तक खान मजदूर मकान मण्डल ने १०,८७९ मकान मजदूरों को अलाट किये।

## चिकित्सा सुविधाएं

घनबाद के केन्द्रीय अस्पताल और आसन-सोप के केन्द्रीय अस्पताल में रोगी दीर्घाओं की संख्या बढ़ा कर २५० कर दी गयी। अस्पतालों में तपेदिक के मरीजों के लिए रोगी दीर्घाएं बढ़ाई गईं। आसनसोल तथा घनबाद दोनों ही अस्पतालों में १००-१०० रोगी दीर्घाओं

के अलग तपेदिक कक्ष बनाने का काम भी शुरु हो चुका है। बिहार तथा पश्चिम बंगाल के जिन खान मजदूरों को तपेदिक के अस्पतालों में दाखला नहीं मिल सका उन्हें पर पर ही इलाज कराने के लिए मुविधाएं दी गयीं। घर पर इलाज की मुविधाएं देने की योजना के अन्तर्गत संगठन मजदूरों के मुचन इलाज, अच्छे भोजन के लिए महायत्ना तथा परिवार में केवल एक ही कमरे वाला होने पर उसके आश्रितों को अधिक से अधिक ५० रु० महीने तक का भत्ता देना है। इस योजना में करीब ३०० रोगियों ने लाभ उठाया।

नेतृत्वमारी के कुष्ठ अस्पताल में १५ अगस्त, १९५८ को १० रोगी दीर्घाओं का अतिरिक्त बार्ड खोला गया। संगठन की ओर से कोठी खान मजदूरों के इलाज के लिए ४६ रोगी दीर्घाएं हैं।

जिन खान मालिकों ने मजदूरों को चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए अस्पताल खोले हुए हैं उन्हें अस्पतालों में सुधार करने के लिए महायत्ना देने की इस वर्ष नयी योजना शुरु की गयी। इस योजना के अन्तर्गत अस्पतालों को ६०,००० रु० का ऋण दिया गया।

## बच्चों की शिक्षा के लिए सुविधाएं

खान कर्मचारियों के लड़कों तथा लड़कियों को उच्च शिक्षा देने के लिए खान मजदूर निधि की छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत २० रु० महीना अनुदान दिया जाता है। उच्च शिल्पिक शिक्षा के लिए यह अनुदान ३० रु० महीना है। इस वर्ष छात्रवृत्तियों की संख्या ५० से बढ़ाकर ७५ कर दी गयी। शिल्पिक शिक्षा के लिए २२ छात्रवृत्तियां दी गयीं। इसके अतिरिक्त पुनःस्थापन और जेजगर महानिदेशालय की योजना के अन्तर्गत भिलाई की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में दृष्टिगत पाने वाले खान मजदूरों के लड़कों तथा लड़कियों को ५० छात्रवृत्तियां भी दी गयीं।

खान मजदूरों को विषयाओं तथा दुर्घटनाओं में भरे खान मजदूरों के पक्ष में खान

आर्थिक सहायता की योजना के अन्तर्गत इस वर्ष ३५ हजार ३४० रु० दिये गये। सहायता पाने वालों में १४२ विधवाएं तथा ७ बच्चे थे। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विधवा को २ वर्ष तक प्रति मास १० रु० की कृति और मृत कर्मचारी के प्रत्येक बच्चे को ३ वर्ष तक ५ रु० महीना छात्रवृत्ति दी जाती है।

चिनाकुरी खान दुर्घटना (१९ फरवरी, १९५८) में मरे मजदूरों की विधवाओं तथा आश्रित स्त्रियों को विशेष रूप से खोले गये केन्द्र में मिलाने की शिक्षा दी गयी। इन बलागों के लिए आर्थिक धनसहा, विभिन्न सूत्रों में प्राप्त हुए दानों से की गयी। १५ स्त्रियों ने सिलाने के इस पाठ्यक्रम में भाग लिया, जिन्हें ३० रु० महीना वृत्ति दी गयी। उन्हें मिलाने की एक महीना भी दी गयी।

## कलकत्ता गोदी मजदूर मण्डल जांच समिति की रिपोर्ट

भारत सरकार ने कलकत्ता गोदी कर्मचारी (नौकरी के नियम) योजना, १९५६ की समीक्षा करने के लिए जो एक सदस्यीय जांच समिति नियुक्त की थी, उगने विचार-रिपोर्ट की है कि कलकत्ता गोदी मजदूर मण्डल के संचालन संगठन की मुखत्तल कर दिया जाए, क्योंकि उसने मण्डल के अधिकारियों की अवहेलना की है और बार-बार अवैधानिक ढंग से काम किया है।

समिति ने विचार-रिपोर्ट की है कि वर्तमान संचालन संगठन का काम उपायमक्ष को नीप दिया जाए और वही योजना के अनुच्छेद ५ (१) के अन्तर्गत संचालन संगठन बनाए। यह जांच समिति ईई में नियुक्त की गयी थी और इसके एकमात्र सदस्य धन और नियोजन मन्त्रालय के मंसुख मन्चिध श्री जार० एल० मेहता थे।

कलकत्ता गोदी कर्मचारी (नौकरी के नियम) योजना १९५६ में लागू हुई थी। इसे चलाने के लिए त्रिदलीय गोदी मजदूर मण्डल बनाया गया था और मण्डल ने नियंत्रण को अमल में लाने तथा ईनिक बार्ड बनाने के लिए इनके यशोयन एक संघादन संगठन नियुक्त किया गया था। योजना में मूठ भी बरत गया था कि गोदी के मजदूरों और कर्मचारियों रजिस्टर किया जाए। मजदूरों को

में बांटा जाए—एक लोके जो मामिक बेंचन पाते हैं और दूसरे वे जो जरूरत पड़ने पर लगाये जाते हैं। गोदी मजदूरों को महीने में कम से कम १२ दिन मजदूरी दी जाए और जिन दिन वे दफ्तर आते हैं, परन्तु उनको कोई काम नहीं मिलता, उस दिन उन्हें १ रु० हाजिरी का दिया जाए।

गमिति ने रिपोर्ट में बताया है कि मण्डल के मागन में अनियमितताएँ हैं और उनमें बहुत फ़जूल्परची की हैं। मण्डल में मजदूरों के हित के लिए कोई काम नहीं किया और संचालन मगठन मण्डल के निर्णयों को अमल में नहीं लाई। संगठन पर कर आदि का काफी बकाया है और वह मजदूरों का रजिस्टर भी

ठीक तरह में नहीं बना सकी। इसलिए संगठन को समाप्त कर दिया जाए।

### दूसरी योजना में अतिरिक्त नौकरियों का अनुमान

योजना आयोग ने अनुमान लगाया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में खेती के अलावा अन्य कामों में ३० लाख लोगों का और नौकरी मिल नकेगी। योजना की जेब अवधि के लिए ३५ लाख अतिरिक्त नौकरियों का अनुमान है।

यह सूचना श्रम उपमन्त्री, श्री आबिदजली ने १७ दिसम्बर को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

इयटीगरल कोच फैक्टरी का विस्तार रेल उपमन्त्री, श्री साहनवाज खा ने १६ दिसम्बर को प्रश्नोत्तर के समय लोकसभा में बताया कि पेराभूर को इण्टीगरल कोच फैक्टरी की विस्तार योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है।

उपमन्त्री महोदय ने कहा कि अब वहाँ दूसरी शिफ्ट में भी काम होगा। इससे कारखाने की मशीनों और सयंत्रों का अधिक उपयोग होगा, फलतः उत्पादन भी बढ़ेगा। इस कार्य के लिए फिलहाल ८९.४४ लाख रुपया नियत किया गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि डिब्बों में भीतरी माज-सामान फिट करने की यूनित तैयार हो गयी है, जिस पर अनुमान है कि ३.७ करोड़ रुपये खर्च आया है।



### विद्यार्थियों द्वारा रेल रोकने की घटनाएँ

रेल उपमन्त्री, श्री साहनवाज खा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में २१ दिसम्बर, १९५९ को लोकसभा में बताया कि पिछले ६ महीनों में विद्यार्थियों ने ८४२ बार रेल-गाड़ियाँ रोकीं। उपमन्त्री महोदय ने कहा कि विद्यार्थियों द्वारा गाड़ी रोकने की घटनाएँ निम्न उत्तर और उत्तर-पूर्वी रेलों पर ही बढ़ रही हैं।

उन्होंने बताया कि इन घटनाओं की रोकथाम के लिए स्कूल-आगेजों के प्रिसिपलों से अनुरोध किया गया है कि विद्यार्थियों में अनुपातन की भावना पैदा करें, जिनसे वे बिना टिकट मफ़ार करने और धर्म्य में रेल की जर्जर गाड़ियों जैसे गैर-नानूनी काम न करें। इनके अलावा जिन गाड़ियों को जानबूझकर जर्जर गतिबद्धर बार-बार रोका गया है, उनके जर्जर गाड़ियों में गाड़ी राने के यत्न हटा दिये गये हैं, तथा उत्तर रेल के कुछ भेवनामी पर डाटल पन्नापी गयीं हैं और इनका ममम विद्यार्थियों को मुविगा को घान में रगार नियन किया गया है।

### प्लेटफ़ार्म टिकट

१ नूदाई में ३१ अगस्त, १९५९ तक १० नरेपेमे बीमाग के लेंटडापे टिकटों की बिबनी में १०,३१,०८८ रुपये मिरे जब कि

१९५८ की इसी अवधि में ८,८३,६३७ रुपये मिले थे। यह सूचना रेल उपमन्त्री, श्री साहनवाज खा ने २१ दिसम्बर को एक प्रश्न के उत्तर में लोकसभा में दी।

### बिजली से रेलें चलाने के लिए पश्चिम बंगाल को ऋण

भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को ४८ लाख रु० ऋण देना मजूर किया है। यह ऋण पश्चिम बंगाल में बिजली से रेल चलाने के लिए दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस काम के लिए ३ करोड़ २० लाख रु० की माग की थी, जिसमें से यह पहली किस्त है।

पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी रेलों में इस काम के लिए ९३ मील में १३२ किलोवाट बिजली के तार लगाये जाएंगे और बिजली के १० छोटे स्टेशन और सिच स्टेशन बनाए जाएंगे।

### विश्व कृषि प्रदर्शनी के अवसर पर विशेष डाक टिकट

विश्व कृषि प्रदर्शनी के अवसर पर, डाक-तार बिभाग में ३० दिसम्बर, १९५९ को १५ नरेपेमे का एक बिनर डाक टिकट जारी किया है।

### परिवहन नीति और समन्वय समिति

परिवहन नीति और समन्वय समिति, राज्य सरकारों के सहयोग से, कुछ चुने हुए मार्गों पर यातायात सम्बन्धी आकड़ें जमा कर रही है। यह समिति योजना आयोग ने नियुक्त की है और इसके अध्यक्ष श्री के० सी० नियोगी हैं। समिति ने अमृतसर-दिल्ली, और दिल्ली-कानपुर मार्ग पर आकड़े जमा करने के लिए पड़ताल पूरी कर ली है। अब समिति बलरुत्ता-पटना मार्ग पर ५ जनवरी से १२ जनवरी, १९६० तक पड़ताल करेगी।

### अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में छोटी लाइन का याई

रेल उपमन्त्री, श्री रामास्वामी ने १६ दिसम्बर को प्रश्नोत्तर के समय लोकसभा में बताया कि अहमदाबाद में इग ममम केवल मीटरगेज के याई को दुबारा बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि इस कार्य पर लगभग १६६.२५ लाख रुपये खर्च होंगे।

उपमन्त्री महोदय ने बताया कि इग योजना में अहमदाबाद स्टेशन की मौजूदा इमारत का पुनर्निर्माण साम्बन्ध नहीं है।

## पूर्वा चावल-क्षेत्र

राज और हरि मंत्रालय के गांधी विभाग की २१ दिसम्बर १९५९ की पंचम विज्ञापित की जाती है कि भारत सरकार उड़ीसा और पंजाब के मिलाकर एक चावल-क्षेत्र बनाने के विचार पर कुछ समय में पंजाब और उड़ीसा की सरकारों में बात-चीत कर रही थी और अब यह निश्चय किया गया है कि राज्य सरकारों की सहमति से यह चावल-क्षेत्र बनाया जाए। इस काम की सूचना भारत सरकार के २१ दिसम्बर, १९५९ के आदेशानुसार सूचना-पत्र में प्रकाशित कर दी गयी है।

चावल-क्षेत्र बनाने में पंजाब के गांधी विभाग का भाव उचित स्वरूप में बनाने में मदद मिलेगी और उड़ीसा के किसानों को भी अपनी फसल के ऊंचे दाम मिल सकेंगे।

उड़ीसा और पंजाब सरकारों की मिलाकर जो चावल-क्षेत्र बनाया गया है, उसमें चावल सूखे रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान की संस्था बनाने का।

उड़ीसा में चावल के भाव न बढ़ें, इसने लिए यह निर्णय किया गया है कि कठोरता में सरकारी स्टॉक में चावल बाटा जाना रहे और उड़ीसा में भी निर्यात स्टॉक रखा जाए, जो उड़ीसा के उन क्षेत्रों में बाटा जाए, जहां भाव बढ़ने लगे।

## सेव उत्पादन के लिए 'उद्यान पण्डित' की उपाधि

गोमगपुर, कोंटयड (हिमाचल प्रदेश) के सेव के वर्गीय के मालिक, श्री मनोहर दास ने इस वर्ष सेव पैदा करने के लिए 'उद्यान पण्डित' की उपाधि प्राप्त की है। भारतीय हरि अनुसंधान परिषद ने सेव उत्पादन के सम्बन्ध में जो अखिल भारतीय प्रतियोगिता की थी, उसमें गोपालपुर का वर्गीय सर्वश्रेष्ठ मनाया गया। श्री मनोहर दास को ५ हजार रु० मकद और 'उद्यान पण्डित' का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

देश में फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय हरि अनुसंधान परिषद ने आम, सेव, केला, मसुरा आदि फलों के उत्पादन के सम्बन्ध में अखिल भारतीय प्रति-

योगिताएँ करने का निश्चय किया है। इस वर्ष केवल सेव प्रतियोगिता हुई थी। यह पारितोषिक १९६० में होने वाले अखिल भारतीय फल-प्रदर्शन के समय दिया जाएगा।

### पटसन और मेरटा का अन्तिम प्राक्कलन

इस गांधी देश में पटसन और मेरटा का उत्पादन पपन में १४ लाख गांठ अधिक होने का अनुमान है।

यह जानकारी गांधी हरि मंत्रालय के अर्थ और आ. निदेशालय में मिली है। उसने बताया है कि चालू मौसम के आरम्भ में २४ लाख ५० हजार गांठें जमा थीं, और चालू मौसम की उपज में पटसन की ४५ लाख ५० हजार तथा मेरटा की १९ लाख गांठें तैयार होने का अनुमान है। इस प्रकार इस साल कुल ८१ लाख गांठें तैयार होंगी, जबकि देश में इनकी मांग केवल ६७ लाख गांठें हैं।

१९५९-६० के अखिल भारतीय अन्तिम प्राक्कलन में पटसन की खेती का क्षेत्रफल १७ लाख ७ हजार एकड़ और उत्पादन ४५ लाख ४८ हजार गांठ आंका गया है, जब कि पिछले साल यह क्रमशः १८ लाख ११ हजार एकड़ और ५१ लाख ५८ हजार गांठ आंका गया था।

पिछले साल पटसन का भाव गिरने और इस साल फसल बीते समय मौसम अनुकूल न होने के कारण पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में खेती में कमी हुई। परन्तु

आसाम में पटसन की खेती का क्षेत्रफल बढ़ा है। उत्पादन में भी मौसम अनुकूल न होने और खेती का क्षेत्रफल कम होने से कमी आई है; परन्तु आसाम में पैदावार बढ़ने से यह कमी काफी सीमा तक दूर हुई है।

यदि पिछले पांच वर्षों का औसत देखा जाए तो इस साल पटसन का भी खेती का क्षेत्रफल १.१ प्रतिशत और उत्पादन १०.३ प्रतिशत बढ़ा है।

### पशु विकास-कार्य जांच समिति की नियुक्ति

भारत सरकार ने अखिल भारतीय आदर्श पशु प्राम योजना के अन्तर्गत किए गए पशु विकास के काम की जांच और मूल्यांकन करने के लिए एक विशेष समिति नियुक्त की है।

यह समिति पशु विकास कार्यक्रम के अधिक पहलू और उपयोगिता का अध्ययन करेगी। साथ ही तीसरी योजना में पशु और डेरी के विकास का कार्यक्रम बनाने के बारे में अपने सुझाव देगी।

समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं :

श्री एल० सहाय, पशुपालन आयुक्त (अध्यक्ष); श्री गंगा रेड्डी, माटल डेरी फार्म, बंगलौर; श्री वाई० एम० पर्वकर, सचिव अखिल भारतीय सर्वसेवा संघ, वर्धा; श्री ए० सी० माधु, क्वैटराइन अफसर, भारतीय हरि अनुसंधान परिषद; श्री एस० कृष्णमूर्ति, महा-यक मवेशी अफसर, हरि विभाग।



## राजकीय छपाई और डिजाइन प्रतियोगिता

२१ दिसम्बर, १९५९ को हुए एक प्रस्ताव राजेन्द्रप्रसाद ने १९५९, और डिजाइन

मूचना और प्रसारण मंत्रालय, इस प्रकार निर्देशानुसार का अधिकार प्रतियोगिता है। प्रसार है :

श्रेणी १-बाल साहित्य (१० वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए)

पहला पुरस्कार	तमिल एल्फाबेटिकल बुक	मैमर्स एसोसिएटिड प्रिंटर्स (मद्रास) प्रा० लि०, मद्रास (मुद्रक व प्रकाशक) एक पुरस्कार
दूसरा पुरस्कार	बिच्चू बादर बच्चू (बंगला)	मैमर्स आर्ट एशिया प्रिंटिंग वर्कर्स, प्रा० लि०, कलकत्ता (मुद्रक व प्रकाशक) एक पुरस्कार
श्रेष्ठता प्रमाणपत्र	(१) हिंदी अक्षर बांधिनी	मैसर्स एसोसिएटिड प्रिंटर्स (मद्रास) प्रा० लि०, मद्रास (मुद्रक व प्रकाशक) एक पुरस्कार
	(२) मानुष एलो कया ह्ये (मनुष्य की कहानी—बंगला)	मैसर्स ईगल लिथोग्राफिक क०, प्रा० लि०, कलकत्ता (मुद्रक) । मैसर्स बण्डी चरन दास एण्ड क० प्रा० लि०, कलकत्ता (प्रकाशक)

श्रेणी २-बाल साहित्य (१० वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए)

पहला और दूसरा पुरस्कार	श्रेष्ठता प्रमाणपत्र	नहीं दिया गया
	(१) हमारे पक्षी	गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस, फरीदाबाद (मुद्रक); पब्लिकेशंस डिवी- जन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (प्रकाशक)
	(२) बानेर डाक (बंगला)	मैसर्स नवाना प्रिंटिंग वर्कर्स प्रा० लि०, कलकत्ता (मुद्रक); श्री अरुण कुमार दे, कलकत्ता (प्रकाशक)

श्रेणी ३-सांख्य पुस्तकें

पहला पुरस्कार	पोल्डी कौपिंग इन इंडिया	श्री सरस्वती प्रेस, कलकत्ता (मुद्रक); भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नयी दिल्ली (प्रकाशक)
दूसरा पुरस्कार	अलकनदा (हिंदी)	टाइम्स आफ इंडिया प्रेस, बम्बई (मुद्रक); सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ (प्रकाशक)
श्रेष्ठता प्रमाणपत्र	इंडियाज न्यू हीराइजम	एस्बियन प्रेस, दिल्ली (मुद्रक); यूनाइटेड स्टेट्स इन्फार्मेशन सर्विसेज, इंडिया (प्रकाशक)

श्रेणी ४-कला पुस्तकें

पहला पुरस्कार	किशानगढ़ पेंटिंग	मैसर्स बकील एण्ड सस (प्रा०) लि०, बम्बई (मुद्रक); ललित कला अकादमी, भारत (प्रकाशक)
दूसरा पुरस्कार	वीरभूम टेरिकोटोज	मैसर्स बकील एण्ड सस (प्रा०) लि०, बम्बई (मुद्रक); ललित कला अकादमी, भारत (प्रकाशक)

श्रेष्ठता प्रमाणपत्र

(१) राजा	मैसर्स बकील एण्ड सस (प्रा०) लि०, बम्बई (मुद्रक); सार्वंगा पब्लि- केशन्स, बम्बई (प्रकाशक)
(२) एशियन फोटोग्राफी	मैसर्स गोसाई एण्ड कं० प्रिंटर्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता (मुद्रक); प्रकाशन विभाग, फंडरेशन आफ इंडियन फोटोग्राफी (पाण्डीचेरी (प्रकाशक)

श्रेणी ५-पुस्तकें (अंग्रेजी)

पहला पुरस्कार	पीयूष एंड एशियाम्म	श्री सरस्वती प्रेस लि०, कलकत्ता (मुद्रक); मैसर्स रूप एण्ड क०, कलकत्ता (प्रकाशक)
दूसरा पुरस्कार	नहीं दिया गया	
श्रेष्ठता प्रमाणपत्र	दि बिलेज हूंड नो वाल्म	बम्बई नेशनल प्रिंटर्स (प्रा०) लि०, बम्बई (मुद्रक); एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई (प्रकाशक)

श्रेणी ६-पुस्तकें (देशी भाषाएँ)

पहला पुरस्कार	दीवान-गालिय	अदबी प्रिंटिंग प्रेस, बम्बई (मुद्रक); हिन्दुस्तानी बुक ट्रस्ट, बम्बई (प्रकाशक)
दूसरा पुरस्कार	परिसुद्ध वेदागमन (तमिल) (बाइबिल)	मी० एल० एस० प्रेस, बंगलौर (मुद्रक); बाइबिल सोसाइटी आफ इंडिया एंड मीलोन, बंगलौर (प्रकाशक)

- (१) एकोत्तरदात्री (हिंदी) श्री सरस्वती प्रेस, कलकत्ता (मुद्रक), माहलिय अकादमी, नयी दिल्ली (प्रकाशक)
- (२) जागिया (पञ्जाबी) नवयुग प्रेस, दिल्ली (मुद्रक व प्रकाशक)  
एक पुरस्कार

धरोणी ७—दैनिक समाचार पत्र (अप्रेषी)

पहला पुरस्कार स्टेड्मैन, बंगलता स्टेड्मैन प्रिंटिंग प्रेस, कलकत्ता (मुद्रक व प्रकाशक)  
एक पुरस्कार

- द्वितीय पुरस्कार (१) हिंदुस्तान टाइम्स, नयी दिल्ली हिंदुस्तान टाइम्स प्रेस, नयी दिल्ली (मुद्रक व प्रकाशक)  
एक पुरस्कार
- (२) ट्रिब्यून, अम्बाला ट्रिब्यून प्रेस, अम्बाला (मुद्रक व प्रकाशक)  
एक पुरस्कार

- (१) हिंदू, मद्रास नेशनल प्रेस, मद्रास (मुद्रक व प्रकाशक)  
एक पुरस्कार
- (२) टाइम्स आफ इंडिया बम्बई टाइम्स आफ इंडिया प्रेस, बम्बई (मुद्रक व प्रकाशक)  
एक पुरस्कार

धरोणी ८—दैनिक समाचारपत्र (देशी भाषाएं)

पहला पुरस्कार हिंदुस्तान, नयी दिल्ली (हिंदी) हिंदुस्तान टाइम्स प्रेस, नयी दिल्ली (मुद्रक व प्रकाशक) एक पुरस्कार

द्वितीय पुरस्कार प्रजावाणी (कन्नड़), बंगलोर दक्कन हेरल्ड प्रेस, बंगलोर (मुद्रक व प्रकाशक) एक पुरस्कार

श्रेष्ठता प्रमाणपत्र लोकमत्ता (मराठी) बम्बई कृष्णन संडे स्टैडर्ड प्रेस, बम्बई (मुद्रक व प्रकाशक) एक पुरस्कार

धरोणी ९—सजावटी विज्ञापनों की बनावट

पहला पुरस्कार मार्पिंग फॉर दि फेस्टिव अकेजन् (हैंडलूम हाउस) आल इंडिया हैंडलूम फेब्रिकस मार्केटिंग फोआपरेटिव सोसाइटी लि०, बम्बई (विज्ञापक); शिल्पी. एडवरटाइजिंग प्रा० लि०, बम्बई (डिजाइन बनाने वाले)

द्वितीय पुरस्कार दि फाइनैरेंट मोर्लॉडिम्म (जन्कारथीन) इम्पीरियल कॅमिकल इंडस्ट्रीज लि०, कलकत्ता (विज्ञापक); क्लेरियन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज (प्रा०) लि०, कलकत्ता (डिजाइन बनाने वाले)

श्रेष्ठता प्रमाणपत्र ट्रिपलेंटूम—नाऊ थ्री प्लाइड्स ए बीक टू टॉकियो एअर इंडिया इटरनेशनल, बम्बई (विज्ञापक); मैसर्स जे० वाल्टर थ्याम्पसन एण्ड क०, बम्बई डिजाइन बनाने वाले

धरोणी १०—कला पत्रिका

पहला पुरस्कार ललित कला मैसर्स बकील एण्ड संस (प्रा०) लि०, (बम्बई) (मुद्रक); ललित कला अकादमी, भारत (प्रकाशक)

द्वितीय पुरस्कार मार्ग, बम्बई कार्मशियल प्रिंटिंग प्रेस (प्रा०) लि०, टाटा प्रेस, बम्बई (मुद्रक); मार्ग पब्लिकेशन्स, बम्बई (प्रकाशक)

श्रेष्ठता प्रमाणपत्र (१) डिजाइन मैसर्स जी० क्लेरियन एण्ड क० लि०, बम्बई (मुद्रक); विल्टन पब्लिकेशन्स आफ इंडिया (प्रा०) लि०, बम्बई (प्रकाशक)

(२) दि टाइम्स आफ इंडिया टाइम्स आफ इंडिया प्रेस, बम्बई (मुद्रक व प्रकाशक)  
एक पुरस्कार

एनुअल—१९५९

धरोणी ११—श्वयत्तियों प्रतिष्ठानों के पत्र

पहला पुरस्कार दि लिक नवाना प्रिंटिंग वर्क्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता (मुद्रक); इण्डियन ज्यु-मुनियम कं० लि०, कलकत्ता (प्रकाशक)

द्वितीय पुरस्कार इनलप गजेट मोसाई एण्ड कं० (प्रिटर) प्रा० लि०, कलकत्ता (मुद्रक); क्लेरियन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज (प्रा०) लि०, कलकत्ता (प्रकाशक)

श्रेष्ठता प्रमाणपत्र ए०सी०सी० गवेस (हिंदी) येकर्स प्रेस, बम्बई (मुद्रक); प्रचार विभाग, एम०ए०ए०ए०ए० मैग्नेट बम्बई लि०, बम्बई (प्रकाशक)



श्रेणी १२-पत्रिकाएं (वार्षिक पत्रिकाओं के अलावा) अंग्रेजी

पहला और दूसरा पुरस्कार  
श्रेष्ठता प्रमाणपत्र

रिसर्च एण्ड इडस्ट्री

नहीं दिया गया

कैथोलिक प्रेस, रांची (मुद्रक); विज्ञान और उद्योग अनुसंधान परिषद,  
नयी दिल्ली (प्रकाशक)

श्रेणी १३-पत्रिकाएं (वार्षिक पत्रिकाओं के अलावा) देशी भाषाएं

पहला और दूसरा पुरस्कार  
श्रेष्ठता प्रमाणपत्र

(१) खेती (हिंदी)

नहीं दिया गया

नेशनल ट्रिडिंग बक्स, दिल्ली (मुद्रक); भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,  
नयी दिल्ली (प्रकाशक)

(२) सङ्कत प्रतिमा

बसंत प्रेस, मद्रास (मुद्रक), साहित्य अकादमी, नयी दिल्ली (प्रकाशक)

(३) सैनिक समाचार (तेलुगु)

यूनियन प्रिंटर्स कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल सोसाइटी लि०, दिल्ली (मुद्रक);  
सेना सूचना अधिकारी, प्रतिरक्षा मंत्रालय, नयी दिल्ली (प्रकाशक)

श्रेणी १४-इतिहास

पहला पुरस्कार

आपुर समार

इम्पीरियल आर्ट्स कांटेज कलकत्ता (मुद्रक); श्री सत्यजित राय, कलकत्ता  
(डिजाइन बनाने वाले)

दूसरा पुरस्कार

न्यू डिजाइन इन इंडियन  
हैंडिक्राफ्ट्स

गुलाब संस आकसेट बक्स, दिल्ली (मुद्रक), अ० भा० दस्तकारी मण्डल  
नयी दिल्ली (डिजाइन बनाने वाले)

श्रेष्ठता प्रमाणपत्र

(१) भागडा डस (इडिया)

मैसर्स ईगल लिथोग्राफिक क० प्रा० लि०, कलकत्ता (मुद्रक); विज्ञान और  
दृश्य प्रचार निदेशालय, नयी दिल्ली (डिजाइन बनाने वाले)

(२) नेशनल डिजाइन कम्पीटीशन  
आफ हैंडिक्राफ्ट्स

इडिया आकसेट प्रेस, दिल्ली (मुद्रक); अ० भा० दस्तकारी मण्डल,  
नयी दिल्ली (डिजाइन बनाने वाले)

श्रेणी १५-फोल्डर

पहला पुरस्कार

मिस्टेकिलन ५

मैसर्स वोल्टेन फाइन आर्ट्स लिथो बक्स, बम्बई (मुद्रक); साराभाई  
कैमिकल्स, बम्बई (प्रकाशक)

दूसरा पुरस्कार

गाइड मैप आफ मैसूर

ईगल लिथोग्राफिक क० (प्रा०) लि०, कलकत्ता (मुद्रक); विज्ञान  
और दृश्य प्रचार निदेशालय, नयी दिल्ली (प्रकाशक)

श्रेष्ठता प्रमाणपत्र

(१) मेडिकल एथ्नोपोलोजी  
(एडवेंक ट्रांस)

जी० क्लेरिज एण्ड क० लि०, बम्बई (मुद्रक); मैसर्स पाक डेविस  
इडिया, प्रा० लि०, बम्बई (प्रकाशक)

(२) क्वालिटी मार्किंग स्कीम  
(हैंडलूम फॅब्रिकस)

श्री सरस्वती प्रेस, लि०, कलकत्ता (मुद्रक); विज्ञान और दृश्य प्रचार  
निदेशालय, नयी दिल्ली (प्रकाशक)

श्रेणी १६-फोल्डर-(लैंटरप्रेस)

पहला पुरस्कार

गोदरेज-स्टील बिडोज,  
डोम एण्ड वैंटिलेटर्स

मैसर्स क्वीक एण्ड गम्स (प्रा०) लि०, बम्बई (मुद्रक); मैसर्स गोदरेज  
एण्ड वीयस मैनुफैक्चरिंग क० (प्रा०) लि०, बम्बई (प्रकाशक)

दूसरा पुरस्कार

हटलूम रैनेसेस

जी० क्लेरिज एण्ड क० लि०, बम्बई (मुद्रक); जाल इडिया हैंडलूम  
फॅब्रिकस मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसायटी लि०, बम्बई (प्रकाशक)

श्रेष्ठता प्रमाणपत्र

(१) विटमाइसेटिन

मैसर्स क्वीक एण्ड गम्स (प्रा०) लि०, बम्बई (मुद्रक); ज्योफरी मैसर्स  
(प्रा०) लि०, बम्बई (प्रकाशक)

(२) नेवासलक

दि एवरेस्ट प्रेस, बम्बई (मुद्रक); ड्यूमैवस प्रा० लि०, बम्बई (प्रकाशक)

श्रेणी १७-क्लेण्डर (आकसेट या फोटोग्रेथोर)

पहला पुरस्कार

एअर इडिया इंटरनेशनल  
१९५९, क्लेण्डर

टाइम्स आफ इडिया प्रेस, बम्बई (मुद्रक); एअर इडिया इंटरनेशनल,  
बम्बई (डिजाइन बनाने वाले)

दूसरा पुरस्कार

नेशनल टुबैको लि०,  
क्लेण्डर-१९५९

नगल लिथोग्राफिक एण्ड प्रिंटिंग प्रेस, कमरहट्टी, प० बंगाल  
(मुद्रक); एडवर्टाइजिंग कारपोरेशन आफ इडिया, कलकत्ता  
(डिजाइन बनाने वाले)

श्रेष्ठता प्रमाणपत्र

इडिया १९५९, क्लेण्डर

ग्लामपो प्रिंटिंग क०, हावडा (मुद्रक); विज्ञान और दृश्य प्रचार निदेश-  
गालय, नयी दिल्ली (डिजाइन बनाने वाले)

श्रेणी १८-बलेण्डर (संतरप्रेत)

पुस्तक

एन एम्बम आक पेटिगन बाई  
बनटेंपोरेरी इडियन आर्टिस्ट्स  
टाटा बलेण्डर १९५९

नामगियल प्रिंटिंग प्रेस (प्रा०) लि०, टाटा प्रेस, बम्बई (मुद्रक);  
मैमंग जे० बाल्टर धाम्यमन एण्ड क० लि०, बम्बई (डिजाइन बनाने वाले)

पुस्तक

बर्मा-गोल १९५९ बलेण्डर

टाइम्स आफ इंडिया प्रेस, बम्बई (मुद्रक); मैमंग बर्मा-गोल, बम्बई (डिजाइन बनाने वाले)

पेन्सिल प्रमाणपत्र

आल इडियन हॉर्टिकल्चरल  
बोर्ड बलेण्डर १९५९

मैमंग एगोरीपेटेड प्रिंटिंग (मद्रास) प्रा० लि०, मद्रास (मुद्रक),  
विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, नयी दिल्ली (डिजाइन बनाने वाले)

श्रेणी १९-डायरिया

पुस्तक

इडिया १९५९-प्रेमिज डायरी

श्री मररवती प्रेम लि०, कलकत्ता (मुद्रक); विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, नयी दिल्ली, (डायरी बनाने वाले)

पुस्तक

मार्क टैम्क डायरी १९६०  
(बमबई की जिन्ट)

मैमंग मार्क एण्ड क०, बम्बई (मुद्रक व प्रकाशक)  
एक पुरस्कार

पेन्सिल प्रमाणपत्र

(१) गीमंग पाकेट डायरी १९५९

शैकंग प्रेम, बम्बई (मुद्रक) मैमंग गीमंग इजीनियर एण्ड मॅन्युफैक्चरिंग क० आफ इंडिया प्रा० लि०, बम्बई (प्रकाशक)

(२) मार्क पाकेट डायरी १९६०  
(प्लास्टिक जिन्ट)

मैमंग मार्क एण्ड क०, बम्बई (प्रकाशक व मुद्रक)  
एक पुरस्कार

श्रेणी २०-देवनागरी टाइप फोन्ट

पुस्तक

३६ पाइन्ट मुया भी (टनटाइप)

श्री जे० मी० मुई श्री टाइप फाउण्डरी, कलकत्ता (डिजाइन बनाने वाले)

पुस्तक

(१) १८ पाइन्ट भांगल

श्री जे० मी० मुई श्री टाइप फाउण्डरी, कलकत्ता (डिजाइन बनाने वाले)

पेन्सिल प्रमाणपत्र

(२) ३२ पाइन्ट मिटा बॉन्ट

श्री नरलाल राय, फंड्स टाइप फाउण्डरी, कलकत्ता (डिजाइन बनाने वाले)  
नहीं दिया गया

श्रेणी २१-प्रचार पुस्तिकाएँ

पुस्तक

देशीदयाल स्टनलेम स्टॉल

मैमंग जी० क्लेरिज एण्ड क० लि०, बम्बई (मुद्रक), मैमंग देवीदयाल स्टनलेम स्टॉल इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लि०, बम्बई (प्रकाशक)

पुस्तक

गिबमटी इयमं आफ मोटर  
ट्रॉमपोर्ट डन इडिया  
कामदार मिलवर जुबली  
मोबिलियर १९३४-५९

मैमंग गोमाई एण्ड क० (प्रिंटिंग) लि०, कलकत्ता (मुद्रक), दि उनलप रवर क० (इडिया) लि०, कलकत्ता (प्रकाशक)  
टाइम्स आफ इंडिया प्रेस, बम्बई (मुद्रक); कामदार प्रा० लि०, बम्बई (प्रकाशक)

श्रेणी २२-लेबुल

पुस्तक

लिटी कार्बन पेपर

हिंद यूनियन प्रेस, नयी दिल्ली (मुद्रक), श्री रोगन लाल, दिल्ली (डिजाइन बनाने वाले)

पुस्तक

चीकम टोमेटो केचप

शिवराज फाइन आर्ट लियो बक्मं, नागपुर (मुद्रक); श्री एम० डी० रागिनवा, एडवर्टाईजिंग एगोसिटेड्स, नागपुर (डिजाइन बनाने वाले)

पेन्सिल प्रमाणपत्र

पालमम प्योर इडियन कॉफी

शिवराज फाइन आर्ट लियो बक्मं, नागपुर (मुद्रक), श्री एच० एम० अम्बाती, बम्बई (डिजाइन बनाने वाले)

श्रेणी २३-सभसे अच्छी जिल्द बंधी किताब

पुस्तक

हिंदी विश्व भारती गण्ड २

नारदन रीजन्ल स्कूल आफ प्रिंटिंग टेक्नालॉजी, इलाहाबाद (जिन्दगाव)

पुस्तक

दि आर्ट आफ द नार्थ ईस्ट फटियर  
आफ इंडिया

वामंती वाइडिंग बक्मं, कलकत्ता (जिन्दगाव)

पेन्सिल प्रमाणपत्र

(१) इडियन प्रिंमिटिव आर्ट

म्वप्न प्रिंटिंग एण्ड वाइडिंग बक्मं, कलकत्ता (जिन्दगाव)

(२) मरकाम लॉ आफ एचोडेम

वामंती वाइडिंग बक्मं, कलकत्ता (जिन्दगाव)

श्रेणी २४-बैकिंग

पुस्तक

सेपोटैबल

मैमंग जी० क्लेरिज एण्ड क०, (बम्बई) (मुद्रक) मैमंग जिन्ती एण्ड बर्टाईजिंग (बम्बई) (डिजाइन बनाने वाले)

केन्द्रवासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में बच्चों के लिए नि:शुल्क तथा अनिवार्य आरम्भिक शिक्षा शुरू करने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में मसद की अगली बैठक में एक विधेयक पेश किया जाएगा।

विधेयक में ये बातें होंगी (१) प्रशासन द्वारा माध्यम स्कूलों में आरम्भिक पढाई करने वाले बच्चों को कोई फीस नहीं ली जाएगी, (२) बच्चों को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी उनके मा-न्याय पर होगी; और (३) यदि किसी बच्चे के मा-न्याय उसे स्कूल नहीं भेजते तो उन पर २५ रु० तक जुर्माना किया जाएगा।

सविधान के अन्तर्छेद ४५ में कहा गया है कि सरकार, सविधान के लागू होने से १० साल के अन्दर, १४ वर्ष तक के बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य आरम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करेगी। भारत सरकार ने यह मिट्टापत्र रूप से मान लिया है कि १९६५-६६ के अन्त तक ६ से ११ वर्ष के बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

### विकलांगों की शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय सलाहकार परिपद की सिफारिशें

विकलांगों की शिक्षा की राष्ट्रीय सलाहकार परिपद ने सिफारिस की है कि प्रत्येक बड़े राज्य में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक विकलांगों के लिए विशेष कामदिलाऊ दफ्तर खोले जाएँ। परिपद ने यह सुझाव दिया है कि दूसरी योजना की नींव अवधि में भी ऐसे ५ दफ्तर खोल दिये जाएँ। राष्ट्रीय सलाहकार परिपद की बैठक नयी दिल्ली में ७ और ८ दिसम्बर को शिक्षा मंत्रालय के अध्यक्ष सचिव, श्री आर० पी० नामक की अध्यक्षता में हुई थी।

इस परिपद में ४ समितिमा स्थापित करने की भी सिफारिस की है, जो विकलांगों को शिक्षा देने वाली संस्थाओं, अस्थापकों के प्रशिक्षण, प्रौढ बधिरों की शिक्षा और मान-सिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में काम करेंगी।

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की वार्षिक रिपोर्टें में बताया गया है कि १९५८-५९ में २० अनुसंधानशालाओं में ५६ नए आविष्कार किए। इस प्रकार ३१ मार्च, १९५९ तक कुल ५०३ आविष्कार हो चुके हैं, जिनमें से ५ के अनुसार उत्पादन शुरू भी हो चुका है। १९५८-५९ में २४ आविष्कारों के अनुसार सामान बनाने के लिए निर्माताओं से बातचीत हुई।

१९५८-५९ में योजनाओं के विकास के लिए ३ लाख ९१ हजार रु० देना स्वीकार किया गया, जबकि १९५७-५८ में केवल ८३ हजार रु० स्वीकार किया गया था।

रिपोर्ट में बताया गया है कि निगम ने जो काम शुरू किए थे, उनसे अच्छे परिणाम निकलने लगे हैं। पिछले साल जो ईन्साइड पेटेंट किए गए थे और जिन आविष्कारों के अनुसार उत्पादन के लिए लाइसेंस दिए गए थे, उनमें से अनेक के अन्तर्गत चीजों का व्यापारिक रूप में उत्पादन शुरू हो गया है, और इस साल और चीजों का भी उत्पादन शुरू हो जाएगा।

भारतीय आविष्कारों का अमरीका में विकास करने के लिए न्यायक के रिसर्च कार-पोरेसन से प्रबन्ध किया गया है।

### अनुसन्धानशालाओं का काम

इस साल विज्ञान और उद्योग अनुसंधान परिपद ने जो योजनाएँ चलाई, उनके अन्तर्गत ९ नए आविष्कार हुए। पूना की राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला में ७, नयी दिल्ली की राष्ट्रीय अंतिक प्रयोगशाला में ६, जोलगाँवा की

केंद्रीय ईंधन अनुसंधानशाला में ५ और जम-शेदपुर की राष्ट्रीय धातुसोधन प्रयोगशाला, मैसूर को केंद्रीय साध-शिक्षण विज्ञान अनु-संधानशाला तथा दिल्ली की थोराम उद्योग अनुसंधानशाला में ४-४ नए आविष्कार हुए।

इस साल आविष्कारों को पेटेंट कराने के लिए ५ अर्जियाँ आयीं। इनमें से २ प्रतिरक्षा मंत्रालय और १-१ खाद्य और कृषि मंत्रालय रेल मंत्रालय तथा बंगलौर की भारतीय विज्ञानशाला से आयीं। इसके अलावा थोराम इन्स्टिट्यूट और रेल मण्डल के कुछ आविष्कारों को विदेशों में पेटेंट कराने का भी प्रबन्ध किया गया।

### विकास योजनाएँ

रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल कपास के बीज के तेल को साफ करने के बारे में दिल्ली के थोराम इन्स्टिट्यूट में जाच की गयी और कापर क्लोरोफिल को देशी कच्चे माल से बनाने की सम्भावना पर जांच की गयी और अनुमान लगाया गया कि इस पर कितना खर्च बैठेगा।

इस साल हैदराबाद की क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में बनने वाले हाइकोल बैण्ड एक्टिवेटेड कारबन की बिक्री शुरू हुई। साथ ही निगम द्वारा लाइसेंस प्राप्त कारखाने में बनी अन्नक की इंटों और कारबन का मिर्लाई इस्पात कारखाने में उपयोग किया गया।

इस साल, व्यापारिक तौर पर कानू की गोदाम में अधिक समय तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था करने, बिजली के ताप देने वाले मेंटल बनाने, मूंगफली में विटामिन मिलाने, शागदार काच बनाने आदि के लिए २४ लाइ-सेंस देने के बारे में बातचीत हुई।

## स्वास्थ्य

### दवाओं और रसायनिक पदार्थों के कारखाने

उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई साहू ने २२ दिसम्बर को मसद के दोनों मंत्रों की मेज पर एक विवरण रखा, जिनमें बताया गया है कि दवाओं और रसायनों के कारखाने

कहा-कहा खोले जाएँगे। इस तरह के कार-खानों को स्थापना के बारे में जाच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गयी थी, जिनमें हाल ही में अपनी रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट पर विचार करते भारत सरकार ने अस्थायी रूप से इस प्रकार कारखाने बनाने का निरन्धय किया है—

(१) एंथीबायोटिकम या प्रतिजीव औष-

विन्—हाईवेग (उत्तर प्रदेश) में, (२) गान्त औद्योगिक—मनननगर (हृदय-कर, आंध्र प्रदेश), (३) चौरगाट वे कौगर—मदान के आम-माम, (४) पन-मति स्थापन—केरल में विन्नी उरवृत्त मल पर, (५) मंडों में निरवृत्त बाड़ी पर्व (दो बारगाने)—(क) दम्बई का बावुनिन दग का वृत्तगाना, (ग) कल-रना का बावुनिन दग का वृत्तगाना, (६) मूल उपा मध्य म्नापन—ननवेर के पन आधा मारपडा में (दम्बई) ।

बाहों का पना बनाव परने पाव वार-पावों के लिए नीचिजन विनारता की मलाह ने रिता बापा और मूल तथा मध्य म्नापना के वारखाने के लिए पन्चिमी जर्मनी की फर्म, वेरों की मलाह में । इन्होंने देना देना के म्नापन में वे वारखाने स्थापित विचे जाये । मान मन्त्रकार ने देश के इन क्षेत्रों में आव-एक उद्वि-वृष्टिया लगाने के फाम मगाने वा भी अन्वयी रूप से निगंव विधा है जम्-मन्नीर, परिचन वगाने वा दार्जिलिंग धान, केरल, मदान की नीचिगिरि पहाडिया, उत्तर देश की चकरीटा की पहाडिया और आगाम की रोमी पहाडियां का क्षेत्र ।

एक विरोध समिति भी नियुक्त की जाणगी, जो यह बतायेगी कि कौन-सी बूटी कहा उगाना अच्छा रहेगा और उनमें इन वारगवायों के लिए कौन-सी चीजें मिल सकती हैं ।

नवसति स्थापना का एक और वारखाना की पूर्वी क्षेत्र में खोला जा सकता है ।

**प्रायुर्वेदिक अनुसंधान परिषद की बैठक**

नेमि दिल्ली में १८ दिसम्बर को केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद की पहली बैठक स्वास्थ्य मन्त्री, श्री डी० पी० करमरकर की अध्यक्षता में हुई ।

यह परिषद आयुर्वेदिक सलाहकार समिति के स्थान पर उद्युता समिति की सिफारिशों के अन्वय में गठित की गयी थी । समिति ने यह सिफारिश की थी कि सभी राज्यों में एक साथ योग्य कार्य होना चाहिए और परिषद की सांघ के वीर-सतीको पर विचार

रानके उनमें एरम्भना स्थानी चाहिए । श्री करमरकर ने कहा कि परिषद को अनुसंधान-कार्य के लिए अपने अग्र्य संस्थान खोलने चाहिए और उसे जड़ी-बूटिया उगाते की भी व्यवस्था करना चाहिए । उन्होंने आगे कहा कि परिषद को प्रथम श्रेणी के अस्पतालों में योग्य-नानों और परीक्षण के लिए मीमाए उप-लब्ध करनी चाहिए । उन्होंने कहा कि मेरी मय में परिषद के पास बहुत-सी मीमांसां वाला एर अस्पताल होना चाहिए, जिन पर उगाका मृद वा नियन्त्रण हो ।

मन्त्री महोदय ने कहा कि आयुर्वेदिक अनु-संधान के लिए प्रशासन में जब तक जो कुछ बिधा है वह अनुदान मजूर करने और जामनगर में एक संस्थान खोलने तक ही सीमित रहा है । उन्होंने कहा कि योग्य का अन्तिम लक्ष्य यह होना चाहिए कि जो नतीजे निरन्तर उनको सौकरिय बनाया जाए ।

परिषद की जो काम करने हैं उन्हें स्पष्ट करने हुए श्री करमरकर ने कहा कि पहला काम यह होना चाहिए कि सब रोगों के लक्षणों की शिथर करके उन पर एकमत हुआ जाए । आयुर्वेदियों को यह नहीं समझना चाहिए कि वे आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतियों में मुकाबला कर रहे हैं, वरन् यह समझना चाहिए कि ज्ञान के कोष में वृद्धि करनी है । उन्हें चाहिए कि निपक्ष होकर, जहाँ जरूरत हो, पुरानी दवाओं की जगह नयी और वार-गरे दवाओं का प्रयोग करें, चाहे वे किन्नी भी चिकित्सा पद्धति की क्यों न हों । मन्त्री महोदय ने कहा कि परिषद का एक मुख्य कार्य यह भी है कि देश के विभिन्न भागों में जो दवाए और नुस्खे जनता में सामान्य रूप से प्रचलित हैं उनका संग्रह किया जाए । सग्रह के उद्देश्य से परिषद की स्थानीय दवाओं और प्रयोगों का पता लगाने के लिए देश के विभिन्न भागों में अनुसंधान कार्यकर्ताओं को भेजना चाहिए । इनमें बहुत-से प्रयोग ऐसे भी होंगे जो आयुर्वेदिक ग्रन्थों में नहीं पाये जाते, लेकिन स्थानीय वैद्य और जनता उनका व्यवहार करती हैं ।

उन्होंने परिषद से अनुरोध किया कि वह यह बताये कि किस हद तक आयुर्वेद शास्त्र आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली के सिद्धान्तों को

स्वीकार कर सकता है और उसके देवटीरियो-लोंजी सरीखे विषयों पर क्या विचार है ।

मन्त्री महोदय ने इस बात पर जोर दिया कि परिषद को प्रामाणिक ग्रन्थों के प्रकाशन का भार भी देना चाहिए । उन्होंने एक केन्द्रीय चिकित्सा पुस्तकालय खोलने का भी सुझाव दिया और कहा कि परिषद आयुर्वेद की ऐसी पुस्तकों के नाम सुझाए जो इन पुस्तकालय में रखी जानी चाहिए । मन्त्री महोदय ने कहा कि जहाँ तक सम्भव हो केन्द्रीय परिषद को चाहिए कि वह अपने संस्थान खोले, जहाँ समन्वित रूप से काम हो सके । उन्होंने यह भी कहा कि अनुदान की मजूरी तो केन्द्रीय परिषद का योग्य कार्य होना चाहिए ।

**परिवार आयोजन दिवस**

१७ दिसम्बर को सारे देश में राज्य सरकारों, स्थानीय संस्थाओं, परिवार आयोजन संघों और अन्य संगठनों द्वारा परिवार आयोजन दिवस मनाया गया । इस अवसर पर परिवार आयोजन केन्द्रों और अन्य संस्थाओं ने गोष्ठियों और प्रदर्शनों का आयोजन किया, जिसमें पोस्टर और नमूने आदि प्रदर्शित किये गए । गर्भ निरोधक उपकरणों की जांच करने वाले परिवार धायोजन केन्द्र और प्रशिक्षण केन्द्र जनता के लिए खोल दिये गये और उनके इस्तेमाल लोगों को समझाये गए ।

**स्वास्थ्य मंत्री की आकाशवाणी पर भेंट**

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री, श्री डी० पी० करमरकर ने १७ दिसम्बर को नयी दिल्ली में आकाशवाणी पर एक भेंट में कहा कि देश के साधनों को ध्यान में रखकर देश की आवादी को बचने से रोचना चाहिए । मन्त्री महोदय ने कहा कि मैं आशा करता हूँ कि परिवार आयोजन के तरीकों के प्रचार में सब लोग सहयोग देंगे ।

श्री करमरकर ने कहा कि देश की आवादी ७० लाख प्रतिवर्ष के हितार्थ में बड़ रही है । इसमें देश का रहने-मरने का मन्त्र उन्ना नही हो पाता । अतः यह जरूरी हो जाता है कि परिवार आयोजन किया जाए । मंत्री महोदय ने कहा कि दूसरी योजना के द्वारा १९७७ परिवार आयोजन केन्द्र

चाहिए कि गावों के मकानों के लिए एक नमूने के हों। स्कूलों की इमारत तथा शिक्षकों के बवाटरे बनाते समय भी यही नीति अपनायी जानी चाहिए।

गावों के मकानों के बारे में जो मंसूर राममेलन हुआ था, उन्ही की सिफारिशों के अनुसार, सरकार ने राज्य सरकारों के पास यह आदेश भेजा है।

केन्द्रीय मंत्रालय ने राज्य सरकारों से इस बात पर हमेशा जोर दिया है कि विकास खंडों में इमारतें स्थानीय वातावरण के अनुकूल होने के अलावा, बहुत ही सस्ते डिजाइन की तथा सरल ढंग से बनायी जानी चाहिए। गावों में मकानों के बारे में हरेक क्षेत्र के लिए अलग-अलग नये मानक तैयार किये जाएंगे। किन्तु इन मानकों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

केन्द्रीय मंत्रालय ने राज्य सरकारों को भी आदेश भेजा है, उसमें यह भी कहा गया है कि गावों के कार्यकर्ताओं के मकान बनाने में स्थानीय वस्तुएं अधिक से अधिक काम में लायी जानी चाहिए तथा उनके डिजाइन आदि इतने सरल हों कि बाहर से कारीगरों को बुलाने की आवश्यकता न पड़े। इनमें रोसानो, हवा, विना धुए के चूल्हे, ढंग के पालाने आदि की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

### दिल्ली में 'न्याय' पंचायत

केन्द्रीय सामुदायिक विकास और सहकार उपमन्त्री, श्री बी० एन० मून ने एक प्रश्न के जवाब में १६ दिसम्बर को लोकसभा में बताया कि दिल्ली प्रमाणन क्षेत्र में २२ ऐसी मजिस्ट्रेट पंचायतों की स्थापना की गयी है, जो अदालती काम भी करेंगी। अनुमान है कि इन पंचायतों द्वारा इस महीने के अन्त तक काम आरम्भ कर दिया जाएगा। न्याय पंचायतों के पंचों को ट्रेनिंग देने के बारे में मन्त्री मन्त्रालय में बताया कि अनुभवी मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट और राजस्व अधिकारी इनको एक गण्टा तक काम सिखाएंगे।

भारतीय समाचार



### विदेशों से सेना-सामान की खरीद

आयुध कारखानों में उत्पादन निरन्तर बढ़ता जा रहा है। हाल में ससद में इस सम्बन्ध में एक विवरण रखा गया, जिसमें बताया गया कि १९५९ के पहले ८ महीनों (जनवरी-अगस्त) में १९५८ के पहले ८ महीनों में २५ प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ।

विवरण में यह भी बताया गया कि १९५९-६० में ३० सितम्बर, १९५९ तक विदेशों से लगभग २६ करोड़ ५१ लाख ६० के मूल्य का सेना-सामान मंगाया गया। इसे मंगाने से पहले निर्यात अधिकारी इसकी जांच कर लेते हैं कि यह सामान देश में भी बनाया जाता है या नहीं और इसे देश में ही खरीदा जा सकता है या नहीं। जब यह देख लिया जाता है कि यह देश में उपलब्ध नहीं है, तभी उसे विदेशों से मंगाया जाता है।

### आयुध कारखानों में वने ट्रेक्टर

प्रतिरक्षा मन्त्री, श्री मेनन ने हाल ही में ससद में आयुध कारखानों में वने ट्रेक्टर की उपयोगिता के बारे में बताया कि गन कॅरेज फॅक्टरी में वने 'शक्तिमान' ट्रेक्टर जीजेल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल, फ्रूड आयल अथवा इस तरह ईंधन से चलाये जा सकते हैं तथा ढांचा मजबूत होने के कारण कहीं भी ले जाये जा सकते हैं। वे अधिक अरब शक्ति के हैं और उनकी बोट डोने की क्षमता ३० प्रतिशत अधिक है। इसकी लागत ३६,००० रु० वंठती है और इतने कम से कम ३० प्रतिशत सामान देशों लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब तक सेना में जो ट्रेक्टर उपयोग में आते थे, उनके मुकाबले इनको चलाने में प्रति ट्रेक्टर ७,५०० रु० बचत होती है।

### पुलिस फंक्चारियों की भ्रावस-व्यवस्था के लिए सहायता

पिछले तीन मालों में केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्य की सरकारों को पुलिस फंक्चारियों के लिए अच्छे मकान बनाने के

लिए ६ करोड़ २९ लाख ६० दे चुकी है। इस साल के बजट में भी ३ करोड़ ६० की व्यवस्था है और राज्यों की आवश्यकतानुसार रुपये दिये जाएंगे।

इसके पहले इस शर्त पर ऋण भी दिये गये कि आधा खर्च राज्य सरकारें उठायेगी और आधा भारत सरकार देगी। बाद में केन्द्र ने ऋण के बराबर राज्यों द्वारा हपया लगाने पर जोर देने का निरन्धय किया।

राज्य सरकारों को दिये गये ऋण की अदायगी २० किशतों में होगी। पहली किशत रमया दिये जाने के ५ वर्ष बाद ली जाएगी।

१९५६-५७ से १९५८-५९ के बीच राज्यों को दी गयी धन-राशि का ब्योरा इस कार है: मद्रास १०६ लाख ६०; उत्तर प्रदेश ६७ लाख ६०; पश्चिम बंगाल ७० लाख ६०; बम्बई ६३ लाख ६०; आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा ५८-५८ लाख ६०; मध्य प्रदेश ३८ लाख ६०; बिहार ३ लाख ६०; पंजाब १५ लाख ६० राजस्थान २१ लाख ६० और जम्मू भी कश्मीर ९ लाख ६०।



### राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयकों को स्वीकृति

राष्ट्रपति ने निम्नलिखित राज्य विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दी है:

विहार सार्वजनिक शान्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५६

इस संशोधन के द्वारा १९४९ के सार्वजनिक शान्ति व्यवस्था विधेयक की अर्धदो वषों और बड़ा दी गयी है। यह अर्धदो ३ जनवरी, १९६० को समाप्त होने को गी बिहार सरकार की राय है कि राज्य में बर्न ऐसी स्थिति है, जिसमें शान्ति भंग होने की अनिवार्य संभावना है तथा सप्पाई के बन्द होने

की सम्भावना है। गमाज-विरोधी तत्वों के दमन तथा शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए इन विधेयक की अवधि बढ़ायी गयी है।

### पश्चिम बंगाल का जंगली जीव सुरक्षा विधेयक, १९५६

यह कानून १९१२ के जंगली पशुओं और जानवरों के सुरक्षा सम्बन्धी कानून के स्थान पर बनाया गया है। प० बंगाल में जंगली जीवों की बहुत-सी जातियाँ खत्म होनी जा रही हैं। मिछला कानून उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह कारगर भिन्न नहीं हुआ।

नये अधिनियम में कानून भंग करने वालों को कड़ी सजा देने की व्यवस्था की गयी है। अधिनियम में कानून की व्यवस्थाओं का पालन कराने के लिए अधिनियमों आदि की नियुक्ति के लिए भी कहा गया है।

### दिल्ली का बालगृह

स्वराष्ट्र उपमन्त्री, श्रीमती वायलेट अत्वा ने १७ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि दिल्ली के बालगृह में जितने बच्चे भेजे गये उनकी यहाँ समुचित देखभाल की गई। श्रीमती अत्वा ने यह भी बताया कि १९५७ में लेकर अब तक १४९ लड़कों को सुधारा गया। इन समय वहाँ २०० बच्चे हैं और बालू वित्त वर्ष के लिए १,२७,४०० रुपये मंजूर किये गये हैं।

### श्राव्य प्रदेश-मद्रास सीमा अधिनियम

१९५९ का आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा परिवर्तन) अधिनियम १ अप्रैल, १९६० में लागू हो जाएगा। अधिनियम में आंध्र प्रदेश और मद्रास की सीमाओं में परिवर्तन करने की व्यवस्था है। इसमें राज्यों की विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व, जैन और देनदारियों की फेरबदल और लर्न आदि के बारे में भी बताया गया है।



### भारत में चैकोस्लोवाकिया के नये राजदूत

परराष्ट्र मंत्रालय की २१ दिसम्बर, १९५९ की एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि डा० लेडिमलाव मिमोविक को भारत में चैकोस्लोवाकिया का असाधारण राजदूत और पूर्णाधिकारी नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति इंग० ज़िरी नोमेक के स्थान पर हुई है। श्री नोमेक को वापस बुला लिया गया है।

### बर्लिन में महावाणिज्य दूतावास

भारत सरकार ने बर्लिन में भाग्य के वाणिज्य दूतावास को बड़ाकर महावाणिज्य दूतावास बनाया है। इसके प्रयास श्री के० आर० मेठी हैं।

## विश्वसनीय बैंक

संपूर्ण भारत में फैली हुई ३७५ से अधिक शाखाएँ और संपूर्ण संसार में सुचारू रूप से संचालित ग्राहकसुख ऐजेन्सियाँ।

कार्यगत कोष १६८ करोड़ रुपये से अधिक  
जमा धनराशि १३५ करोड़ रुपये से अधिक

दि

## पंजाब नैशनल बैंक लिमिटेड

स्थापित सन् १८६५ ई०  
प्रधान कार्यालय : नई दिल्ली

# स मा चार - दर्शन


१६ दिसम्बर से ३१ दिसम्बर तक

## दिसम्बर

- १६—नेवाली मन्द के सदस्यों के एक गिण्टमण्डल का भारत के तीन सप्ताह के दौरे पर नयी दिल्ली आगमन  
—नयी दिल्ली में हुए क्रिकेट टेस्ट मैच में आस्ट्रेलिया ने भारत को हराया
- १७—प्रधान मन्त्री द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में गान्धी भवन का गिलाग्यान  
—राज्य ममा द्वारा लोकमभा द्वारा पहले ही स्वीकृत एक मरकारी विधेयक स्वीकृत, जिसके अन्तर्गत कलकत्ता की इण्डियन स्टेटिस्टिकल इन्स्टीट्यूट को राष्ट्रीय महत्व की मत्था घोषित किया गया है  
—बम्बई में सातवा अखिल-भारतीय कुष्ठ रोग कार्यकर्ता सम्मेलन आरम्भ  
—मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल डा० पट्टाभि सीतारमैया का हैदराबाद में देहावसान  
—अमरीका में वाणिज्य मन्त्री श्री फ्रेड्रिक एच० म्यूलर का नयी दिल्ली में आगमन
- १८—स्वीटन के प्रधान मन्त्री परमथेड श्री आरलेण्डर का १२ दिन की राजकीय यात्रा पर नयी दिल्ली आगमन  
—१ जनवरी, १९६० में तीन साल तक की अवधि के लिए भारत और पूर्वी जर्मनी में एक नये व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर  
—नयी दिल्ली में आधुनिक अनुनयान परिषद को प्रथम बैठक सम्पन्न  
—अखिल-भारतीय परिवार आयोजन दिवस सम्पन्न  
—नयनरु में पञ्जाब की टीम को हराकर बम्बई युव महिलाओं की राष्ट्रीय हाकी चैम्पियनशिप में विजयी
- १९—नयी दिल्ली के नवदीन दूर-संचार के एक अन्तर्राष्ट्रीय मॉनिट्रिंग स्टेशन का उद्घाटन

## दिसम्बर

- १९५६ की कलकत्ता गोदी कर्मचारी योजना की जाच समिति की रिपोर्ट नयी दिल्ली में प्रकाशित
- २०—भारत में सबसे बड़ा, हरकेला का टनेज आक्सीजन प्लांट चालू
- २१—गुस्तको की छपाई और डिजाइनों की ५वीं राजकीय प्रतिषो-गिता के विजेताओं का नयी दिल्ली में राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद द्वारा पुरस्कार दिये गये  
—उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का राधुक्त चावल क्षेत्र बनाने के निर्णय की भारत सरकार द्वारा घोषणा
- २२—ममद का गरदूकालीन सत्र समाप्त
- २४—गानपुर में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने आस्ट्रेलिया की टीम को पराजित किया
- २५—बड़ौदा में अखिल-भारतीय कृषि अर्थ सम्मेलन आरम्भ  
—श्रीरगपट्टण, मैसूर में केन्द्रीय अनुमन्वान और संस्कृति मन्त्री डा० हुमायूँ कबीर द्वारा टीपू मुस्तान संग्रहालय का उद्घाटन
- २७—मिर्झाई इस्पान कारखाने की दूसरी धमन भट्टी चालू  
—कम्बोडिया के प्रधान मन्त्री परमथेड राजकुमार नोरोत्तम सिंहनक का तीन दिन की यात्रा पर नयी दिल्ली आगमन
- २८—नव-गिधा फॅलोशिप के १०वें विद्व मम्मेलन का नयी दिल्ली में प्रधान मन्त्री द्वारा उद्घाटन
- २९—दुर्गापुर इस्पान कारखाने की पहली धमन भट्टी का राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद द्वारा उद्घाटन  
—नयी दिल्ली में केन्द्रीय मछलों पालन समिति की प्रथम बैठक सम्पन्न
- ३१—नयी दिल्ली में भारत-गांधी विनीय वार्ता का अन्तिम दौर आरम्भ ।




## एक सहकारी प्रयत्न

वस्त्र निर्माण और बिक्री-व्यवस्था के लिए-सहकारी प्राधार पर संगठित हाथकरघा उद्योग निरन्तर प्रगति करता आ रहा है। प्रायकृत लगभग १२ साल करके सहकारी ढंग पर काम कर रहे हैं जबकि १९५२ में इस प्रकार के ६२२ साल करके थे। इन दिनों धन्य माध्यमों के भ्रतावा, १५६५ बिक्री-द्विपो, २६ अन्तर-राज्यीय-द्विपो और ३७ चलती फिरती गाढ़ियाँ बिक्री-कार्य कर रही हैं।



## हाथ कर घे

भारतीय अर्थ-व्यवस्था के  
महत्वपूर्ण अंश  
अखिल भारतीय हाथकरघा बोर्ड,  
पोस्ट बोग नं० १०००४, बम्बई





# ५ से ५० मन

उपज में १० गुनी वृद्धि करने का श्रेय है वीरल अशुभ गणकार और उनके पांग भाइयों को, जिन्होंने नये तरीकों और समुद्रन ढंग में खेती करके यह आश्चर्यजनक सफलता पाई है।

बिहार के वाटगञ्ज गाव के इन किसानों ने नया रास्ता पकड़ा। इन्होंने खेती के प्राथमिक तरीके इस्तेमाल किये, उन्नत किस्म के बीजों को क्लारों में बोया और काफी मात्रा में रासायनिक खाद डाली। इन्होंने अपनी ४२ एकड़ भूमि में समुद्रत खेती की, अपने विभाग से उन्होंने नये ढंग के औजार बनाये और नये तरीके निकाले।

इसका फल यह निकला कि जहाँ पुराने तरीकों से प्रति एकड़ औसतन ४ या ५ मन गेहूँ या धान मुश्किल से होता था, वहाँ अब नये तरीकों से ४० से ५० मन प्रति एकड़ उपज होती है।

धान भी अपनी धरती से अधिक उपजा सकते हैं। खेती के उन्नत तरीके समुद्रादर्ये चीन चीगुनी पंचगुनी फसल काटिये। इसमें प्रापका भी लाभ है और धानके देशवासियों का भी, जिन्हें धान खाने के लिए अधिक दान देने।

## योजना की सिद्धि आपकी समृद्धि




स्वीडन के प्रधान मंत्री परमश्रेष्ठ श्री आरलेंडर और श्रीमती आरलेंडर, जो १२ दिन को राजकीय यात्रा पर १८ दिसम्बर को नयी दिल्ली पहुंचे, दिल्ली के निकट लोनी सामुदायिक विकास लण्डू देखते हुए



सोवियत संघ से, आर्थिक सम्बन्धों को राजकीय समिति के अध्यक्ष, श्री स्वाचकीय के नेतृत्व में आया हुआ छः सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल नयी दिल्ली में १९ दिसम्बर को योजना आयोग के सदस्यों से बातचीत करते हुए




अमरीकी वाणिज्य मंत्री, श्री फ्रैंड्रिक एच० म्यूलर १७ दिसम्बर को नयी दिल्ली में केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ





प्रतिरक्षा मंत्री, श्री वी० के० कृष्ण मेनन, जो हाल ही में लद्दाख के बंदरे पर गए थे, २० दिसम्बर को चुराल में ले० जनरल पी० एन० चापड़ और ले० जनरल एल० पी० सेन के साथ

२० दिसम्बर को रुरेकेला में खाल हुआ टनेन आवर्तीजन प्लाण्ट, जो देश में सबसे बड़ा है



1111

# मासिक समाचार



वर्ष २

१ जनवरी, १९६० ( ११ पौष, १९८१ )

अंक २०





अमरीका के प्रेजीडेण्ट, परमश्रेष्ठ श्री डुवाइट डी० आइजनहावर १० दिसम्बर को नयी दिल्ली में संसद-सदस्यों के समक्ष भाषण करन के लिए संसद के केन्द्रीय कक्ष की ओर जाते हुए



७ दिसम्बर को नयी दिल्ली में सेना शण्डा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति राजगंध्रप्रसाद चांदा बते हुए



४ दिसम्बर को नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में चिकोसलोवाशिया के फिलार-भौतिक आरबेस्ट्रा के नेता, थी एमल्ल प्रधान मन्त्री नेहरू का अभिनन्दन करते हुए

# भारतीय समाचार



दश २

१ जनवरी, १९६०  
११ पीप, १८८१

अंक २३

एक प्रति ६० ०.३५ १ शिलिंग १४ सेंट

## मुख्य विषय

समद में प्रेजीडेंट आइज़नहावर का भाषण	७५०
वेतन आयोग की रिपोर्ट	७५४
वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय	७६५
भारतीय बन्धियों के प्रति चीनियों के व्यवहार के विरुद्ध नया विरोध-पत्र	७६८
कागज की कीमतों के बारे में सरकार के फनले	७७३
विश्व कृषि प्रदर्शनी	७८०
साहित्य अकादमी के १९५९ के पुरस्कार	७८५

पापिक मूल्य ६० ७०० १७ डि. ६ पेंस २.५ डालर  
**आवरण चित्र :** अमरीका के प्रेजीडेंट, परमश्रेष्ठ थो  
 ड्वाइट आइज़नहावर को ५ दिन की  
 भारत की राजकीय यात्रा पूरी होने  
 पर राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद  
 उन्हें १४ दिसम्बर को नयी दिल्ली  
 के पालम हवाई ब्रड्डे पर विदाई देते  
 हुए

(‘भारतीय समाचार’ में सरकारी गतिविधियों और घोषणाओं का संक्षिप्त रिकार्ड प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। स्थान संशोधन के कारण अनेक विवरणों को संक्षेप में ही दिया जाता है। ऐसे विवरणों को पूर्ण अधिकृत निरूपण नहीं समझना चाहिए।)



## प्रेजीडेंट आइज़नहावर की भारत-यात्रा पर संयुक्त विज्ञापित

अमरीका के प्रेजीडेंट आइज़नहावर भारत की राजकीय यात्रा पर ९ दिसम्बर को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उन्होंने भारत के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और अन्य नेताओं से वातचीत की। प्रेजीडेंट आइज़नहावर की यात्रा की समाप्ति पर १४ दिसम्बर को निम्न-लिखित संयुक्त वितरित जारी की गयी :-

भारत सरकार के निर्मंत्रण पर संयुक्त राज्य अमरीका के प्रेजीडेंट भारत आए और ९ दिसम्बर से १४ दिसम्बर तक यहां रहे। दिल्ली आने पर प्रेजीडेंट आइज़नहावर का जनता ने बड़े उत्साह और सौहार्द से स्नेहपूर्ण हासिक स्वागत किया। पितने दिन वे यहा ठहरे और सहा-सहा के गये, दिल्ली के लाखों नागरिकों ने और उन लोगों ने जो उनके स्वागत के लिए दिल्ली आए

थे, उनका बड़ी मित्रता और सौहार्द से अभिनन्दन किया। इन चार व्यस्त दिनों में उन्होंने बहुत-से सार्वजनिक आयोजनों में भाग लिया। उन्होंने भारतीय संसद के सदस्यों के सामने भाषण किया, दिल्ली विश्वविद्यालय की डाक्टर आफ लॉ की सम्मानार्थ उपाधि ग्रहण की, विश्व कृषि प्रदर्शनी के उद्घाटन में भाग लिया, दिल्ली नगर को और से नागरिक स्वागत म शामिल हुए और आगरा के निकट देहातों में गए।

इस प्रकार प्रेजीडेंट आइज़नहावर ने अपनी बर्षों पुरानी एक अभिलाषा पूरी की और भारत की जनता ने उनका जैसे प्रेम से स्वागत किया, सरकार ने जैसे उनको तुल्यकार्य वातिर-दारी की और उनके लिए जितना अच्छा

इंतजाम किया, उगने प्रेजीडेंट बहुत ही प्रभावित हुए।

भारत की लोकतंत्रिय मर्यादा, उनके संसद, समाचार-पत्र और विद्वत्विद्यालय की सजीवता ने और भारत के व्यापारिक आदर्शवाद और आत्मिक बल ने प्रेजीडेंट प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि गणतन्त्र राज्य की भांति भारत ने भी किन प्रकार जनेतना से राष्ट्रीय एकता का निर्माण किया है और दोनो ही देस यह दम्भ नहीं करते कि उन्हों का रास्ता एकनात्र रास्ता है। उन्होंने भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के नाना अरसी-के बन्दन को, उनके धर्मों की एकता को और स्थानी तथा नानातंत्रिय भाषि के सिद्ध उनके समान प्रपत्तों को पुष्ट किया।

प्रींजोडेंट आइज़नहावर ने भारत के राष्ट्र-पति, प्रधान मंत्री और भारत सरकार के अन्य सदस्यों से भेंट की। उनमें और प्रधान मंत्री में घनिष्ठता से बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने मसाले की स्थिति पर विचार किया और दोनों पक्षों के समान हित के विषयों पर विचार-विनिमय किया। और बातों के साथ-साथ, प्रेजीडेंट ने प्रधान मंत्री को बताया कि उन्हें यह कहने में खुशी होती है कि अपनी इस यात्रा में जिन-जिन देशों में वे गये, सब के नेताओं ने उनमें यह आगा प्रकट की कि विचारों और हितों में विरोध के कारण जितनी भी समस्याएँ या विवाद हैं, वे सब शान्ति-पूर्ण तरीकों और बातचीत से सुलझाये जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इटली, तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सब पर यह बात लागू होती है। प्रेजीडेंट का इस बात में दिल बड़ा और यह उनके अपने विचार से भी मिलती थी। कुछ समस्याओं में जो कठिनाइयाँ हैं या उनका जो महत्व है, उसे वे किसी भी प्रकार कम नहीं करना चाहते। पर उन्होंने जो भाव देखा, वह अच्छा था और उससे प्रगति को आगा बरती है।

प्रधान मंत्री ने प्रे० आइज़नहावर की भारत-यात्रा पर सचोप और खुशी जाहिर की और उनके मन्त्रियों और उदार उद्धारों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने प्रेजीडेंट महोदय को आश्चर्यमय दिवा कि विद्वान् शांति के लिए वह जो अथक प्रयत्न कर रहे हैं, उनमें भारत उनका शार्दिक समर्थन करेगा। भारत स्वयं शांति की नीति में आस्था रखता है और अपने इस विश्वास में अडिग है कि राष्ट्रों के बीच मतभेद बातचीत और समझौते द्वारा दानिपूर्ण ढंग से मिटने चाहिये, बल प्रयोग ढाग नहीं। इस प्रकार की जो भी समस्याएँ उनके या दूसरे देशों के सामने आई हैं, उनको लेकर भारत ने निरन्तर इसी नीति का अनु-मरण किया है। प्रधान मंत्री ने ऐसी कुछ समस्याओं के मुख्य पहलू प्रे० आइज़नहावर के सामने रखे और इस संबंध में हाल की घटनाओं से उन्हें परिचित कराया।

जनता के रहन-सहन का स्तर घोषा-नि-चोप ढंका उठाने के लिए अपनी पक्ववर्षीय योजनाओं द्वारा श्रम और उद्योग दोनों में

देश को उन्नत करने का जो महान प्रयत्न भारत कर रहा है, उसका भी प्रधान मंत्री ने उल्लेख किया। ४० करोड़ लोगों के भविष्य पर असर डालने वाले इस महान कार्य को भारत पूरी शक्ति और निश्चय के साथ करने में जुटा है।

प्रींजोडेंट महोदय और प्रधान मंत्री ने दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर बहुत सन्तोष प्रकट किया और यह दृढ़ विश्वास प्रकट किया कि उनके समान आदर्शों और धर्म और शांति के लिए उनके प्रयत्न दोनों देशों के बीच गहरा रिश्ता कायम कर सकेंगे और इस रिश्ते को बनाये रख सकेंगे।

प्रे० आइज़नहावर की भारत-यात्रा में दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की मुलाकात का और प्रेजीडेंट महोदय तथा भारत के प्रधान मंत्री की मैत्री को नया जीवन देने का सुखद अवसर प्रदान किया। प्रेजीडेंट महोदय को सरकार के अन्य सदस्यों और शहरों और गावों, ससद और विश्वविद्यालय में बुद्ध और युवा स्त्री-पुरुषों में मिलकर और उन्हें व्यक्तिगत रूप से भारत की जनता के प्रति अमरीका की जनता की मन्ची मैत्री और भारत के कल्याण में उनकी मन्ची और निरन्तर दिलचस्पी का आश्वासन देकर प्रमत्ता हुई। इस यात्रा से, जिसकी बहुत समय से आस थी, भारत की जनता को अमरीका की जनता के प्रति अपनी मैत्री, सद्भावना और सहानुभूति प्रदर्शित करने का अवसर मिला है।

### संसद में प्रेजीडेंट आइज़नहावर का भाषण

भारत की संसद के दोनों सदनों के मधुक्क अधिवेशन में १० दिसम्बर, १९५९ को प्रेजीडेंट आइज़नहावर ने जो भाषण दिया वह इस प्रकार है —

आपके सामने भाषण करने का निमन्त्रण स्वीकार करने में मैंने बड़े गौरव का अनुभव किया। यह मेरा बहुत बड़ा सम्मान है और आप और मैं, जिन राष्ट्रों के प्रतिनिधि हैं, उनकी मन्ची मैत्री का यह उन्मूलक प्रतीक है। ४० करोड़ जनता के हस्त-राष्ट्र-के-लिए मैं अपनी जनता की ओर से यह आश्वासन लाया हूँ कि वे अमरीका की भलाई को भारत

की भलाई से बंधी समझते हैं। भारत की तरह अमरीका भी स्वतंत्रता, मानव-सम्मान और न्यायपूर्ण शांति के साथ जीवन बिताने का प्रबल इच्छुक है।

पिछले दशकों में वैज्ञानिकों ने जो चमत्कारी कार्य किये हैं उससे सभी मनुष्यों को इस प्रकार का जीवन बिताने का नया और महान अवसर प्राप्त हुआ है। आज हमारे सामने स्पष्ट रूप से यही प्रश्न है कि हम विज्ञान का किस बात के लिए उपयोग करें।

हमारे सामने एक लम्बे और नये युग का दृश्य दिखाई पड़ता है, जिसमें प्रतिवर्ष मनुष्य धरती से अधिक से अधिक पैदावार उगा सकता है, जिसमें वह प्रकृति की शक्तियों को बढा में लाकर मानव जाति की भलाई में लगा सकता है और जिसमें वह एक-दूसरे से अधिक व्यापार करता हुआ और ज्ञान और विद्या का लेन-देन करता हुआ शांति से साथ-रह सकता है।

पर इतिहास में हमें अधिकतर शंका और अविश्वास से बड़े हुए विश्व का चित्र दिखाई पड़ता है। बार-बार विभिन्न देशों ने इस पृथ्वी को मनुष्य के रक्त से रंगा है और युद्ध के अस्त्रों से क्षत-विक्षत किया है। उन्होंने विज्ञान द्वारा प्राप्त प्रकृति की शक्तियों का उपयोग दूसरों को बढाने में किया है और व्यापार को भी शोषण का अस्त्र बनाया है।

आज दुनिया में सबसे जाशजनक, सबसे अधिक हिम्मत बंधाने वाली बात यह है कि जनता में गहरी जागृति हुई है। वे अनुभव करते हैं कि गुजरे जमाने में जो बुराईयाँ हुई हैं वे धर्म और नीति के विरुद्ध अपराध हैं और उनसे अपराध करने वाले को भी नुकसान पहुँचा है और उसके तिकार को भी। वे यह मानते हैं कि नीति के राज्य में ही हमारी सबसे ऊँची और सबसे गहरी आकांक्षाएँ पूरी हो सकती हैं।

मेरे आपसे और उन सब लोगों से, जिन्हें मेरी तरह जनता ने जिम्मेदारी सौंपी है, एक संक्षेप सवाल पूछता हूँ—क्या हम उन बुद्धि-मानवी, शौर-तरीकों और नीतियों को बनाये रखेंगे जिनके कारण हमारे बच्चे और हमारे बच्चे के बच्चे, अराध्या, होकर उठी पुष्पों ढग पर चलते रहे और विनाशकारी युद्ध की प्रतीक्षा करते रहें ?

हम सब हृदय में प्रार्थना करते हैं कि ऐसा न हो। वास्तव में दुनिया में जो कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इस विश्वव्यापी प्रार्थना में शामिल नहीं होता वह राजनीतिज्ञता में रहित है।

मंसार के अधिकांश भाग में स्त्री और पुरुष यह संकल्प कर चुके हैं कि एक-दूसरे के विरुद्ध प्रचार करने के बजाय एक-दूसरे में बातचीत और समझौता किया जाए। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को धमकी दे और दंवा-रोगण करे, इसके बजाय उनमें ज्ञान का आदान-प्रदान हो और गस्त्रीकरण में एक-दूसरे से जी तोड़ कर होड़ करने के बजाय शांति के कल्याणकारी कार्यों में दक्षिण लगाई जाए।

हमारी आशा है कि हम पहले में अच्छे जमाने में आ रहे हैं। जहाँ तक मेरा सबब है, मैं एक मनुष्य की हँसिमत्त में दूसरे मनुष्यों के साथ मिलकर अपनी गन्तितभर शांति की ओर, स्वतन्त्रता की ओर, सम्पत्ता की ओर और समार के प्रत्येक स्त्री, पुरुष और बालक का उज्ज्वल भविष्य बनाने की ओर बढ़ने की कोशिश करूँगा।

यदि हममें जो कुछ है उन सब को हम इस कार्य में लगा दें तो आगे आने वाली पीढ़िया हमें आशीर्वाद देंगी। यदि हम इस काम से जी चुराए और युद्ध के रास्ते पर चले— जो रास्ता मनुष्य जाति की हत्या और विनाश का है—तो हमारे बाद आने को और पीढ़िया ही न रहे जाएँगी।

मैं यहाँ ऐसे राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ जो दूसरे राष्ट्र की जमीन का एक एकड़ भी नहीं चाहता, जो दूसरे राष्ट्र की सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं करना चाहता, जो व्यापार या राजनीति में विस्तारवाद के रास्ते पर नहीं चलता, या जो दूसरे राष्ट्रों को दबाकर किसी प्रकार की शक्ति नहीं प्राप्त करना चाहता। यह वह राष्ट्र है जो शांति और स्वतंत्रता के लिए मनुष्य जाति की गहरी और सनातन आकांक्षा को पूरी करने के लिए ठोस योगदान करने को तैयार है।

मैं यहाँ भारत के मित्र के रूप में आया हूँ और भारत के १८ करोड़ मित्रों की ओर से बोल रहा हूँ। अपनी एक बहुत बड़ी की इच्छा को पूरी करते हुए, मैं व्यक्तिगत रूप से,

भारतीय जनता को, उनकी संस्कृति को, उनकी प्रगति को और स्वतंत्र राष्ट्रों में उनकी शक्ति को अमरीका का अभिनन्दन लाया हूँ।

भारी मनुष्य जाति इस देग की श्रेणी है। पर, हम अमरीकियों का तो आपसे एक विशेष नाता है।

आपने और हमने पहले ही दिन में अपनी राष्ट्रीय नीति द्वारा लोकतंत्र का विस्तार करने का प्रयत्न किया है। आपने और हमने जहाँ अनेक जाति और अनेक रक्त के लोग रहते हैं, अनेक भाषा बोलते हैं, अनेक धर्मों का आचरण करते हैं, अनेकता से राष्ट्रीय एकता की शक्ति प्राप्त की है। आपने और हमने कभी यह दम नहीं किया है कि हमारा ही रास्ता एकमात्र रास्ता है। हम दोनों को अपनी कमजोरियों और दोषों का भान है। हम दोनों अपने राज्य को अपनी जनता का सेवक बना कर, उसका या दूसरी किसी जाति का मालिक बना कर नहीं, अपने सब नागरिकों की भलाई और तरकी करने का प्रयत्न करते हैं।

और सब से बड़कर हमारे मूल लक्ष्य एक ही है।

दस वर्ष पहले जब न्यूयार्क के कोलम्बिया विश्वविद्यालय में मैंने आपके आदरणीय प्रधान मंत्री का स्वागत किया था तब उन्होंने कहा था :

“यदि हम शांति स्थापित करना चाहते हैं तो हमें राजनीतिक पराधीनता, जातिगत भेद-भाव और आर्थिक दरिद्रता को बुराइयों को दूर करना होगा।”

अपनी स्थापना के दिन ही से हमारे लोकतंत्र ने इन्हीं तीनों बुराइयों के विरुद्ध, राजनीतिक पराधीनता, जातिगत भेद-भाव और आर्थिक दरिद्रता के विरुद्ध निरन्तर घोर युद्ध छेड़ रखा है।

इन बुराइयों पर अपने किसी विरोधी आक्रमण में अमरीका को हमें ग्राही तोरत सफलता नहीं मिली है। अभी इनके ऊपर जीत भी नहीं हासिल हुई है और वास्तव में पूरी जीत तब तक ही नहीं सकती जब तक मनुष्य का स्वभाव नहीं बदल जाता। परन्तु हमारे देग में प्रायः २०० वर्षों से हमारे सबसे आदरणीय नेता हमें इन बुराइयों पर विजय

पाने में अपना सर्वस्व और अपना जीवन लगा देने का उपदेश देते आये हैं और अपने सब लोगों के कल्याण के इस प्रयत्न में न हम थकेंगे न कभी इसमें विरत होंगे।

जब तो नेहरू ने ये वाक्य कहे थे तब मे दस वर्ष बीत चुके हैं। निराशावादी लोग कह सकते हैं कि न केवल ये तीनों बुराइया दुनिया में बनी हैं और मजबूती में जमी हैं, बल्कि यह भी कि वे कभी कम न होंगी। और वह यह भी कह सकते हैं कि भविष्य में भी वही होगा जो पहले हों चुका है। दुनिया एक मकट में दूसरे संकट में गिरती रहेगी। जिन्ता और तत्ताव से कोई राहत न मिलेगी। और यह भय हमें ग्राह्या रहेगा कि कभी कोई आक्रमण निश्चित रूप से विश्वव्यापी युद्ध की ज्वाला भड़का देगा।

निराशावादी यह कह सकते हैं और यदि हम केवल निराशाओं और विक्रमताओं पर ही नजर डालें तो हमें उनसे सहमत होना पड़ेगा।

हम अमरीकियों ने भी जिन्ता, कष्ट और तकट का अनुभव किया है। अभी जो पिछला दसाक बीता है उसमें भी कोरिया के लोकतंत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था और न्याय के पक्ष की रक्षा के लिए हमारे लावां परिवारों ने गहरा बलिदान किया है। हमारे लावां घरों में एक ऐसे पुत्र की कुर्मी खाली रही है जिनमें आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए अपनी जवानों के कुछ वर्षों का बलि चड़ाई है। पिछले दस वर्षों में दूर और पान के स्थानों ने अमरीका में जो सबर आई है, उनमें मकट की सूचनाओं का एक ताश बंवा रहा है।

इन संकटों का जन्म प्रबल कौमी भावना में गमयित एक विदेशी विचारधारा के आक्रमणकारी इरादों में हुआ था। इस बात को दंगने हुए अमरीका में हम लोगों ने पढ़ा, अमरीका गमना कि यथेष्ट मेना का बन्दोबस्त करने हम इस आक्रमण का प्रतिरोध करने का अपना संकल्प साफ जाहिर कर दें। हमारी मेना केवल हमारे ही लिए नहीं बल्कि हमारे उन मित्रों और भाषियों को मेना के लिए भी है जो हमारा तट्ट इत मरने का अनुभव करने हैं। परन्तु हमारी मेना केरन प्रत्यक्षता के लिए है। हमारा विदगम है कि अमरी



दस शक्ति का निर्माण करके हमने वर्तमान में और भविष्य में भी शक्ति को स्थिर रखने में आवश्यक योगदान किया है।

संयुक्त राज्य का यह इतिहास और स्वभाव रहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शक्तों और झगड़ों को शक्ति से निपटाने में विश्वास नहीं करता। यद्यपि हम स्वतंत्र संसार की सुरक्षा के लिए अपनी शक्तिभर पलन करते रहेंगे, पर इनके साथ ही हम हथियार बंदी को घटाने और इस काम पर एक-दूसरे द्वारा प्रभावपूर्ण निगरानी रखने के लिए बराबर अनुरोध करते रहेंगे।

पिछले दशकों में यदि हमें कुछ निराशाएँ हुई हैं और सुरक्षा की व्यवस्था के लिए हमें रचनात्मक कार्य करने पड़े हैं तो हम अमरीकियों ने संसार की राजनीतिक, दाल्पिक और भौतिक उन्नति के लिए बड़े कामों में सफलतापूर्वक हाथ भी बटाया है। हमें विश्वास है कि इन कार्यों से मनुष्य की स्वतंत्रता और गरिमा के आदर्शों को बल मिलता है। इनसे अमरीका को यह उत्साह होता है कि आगे भी ऐसे ही और इनमें भी बड़े कार्य किए जाएँ। और अमरीका मित्रतापूर्ण जल्युक्तता से दूसरे राष्ट्रों के उन हिम्मत भरे प्रयत्नों को देख रहा है जो वे अपनी उन्नति के लिए कर रहे हैं, खासकर उन राष्ट्रों के जो अभी हाल में स्वतंत्र हुए हैं।

दस वर्ष पूर्व जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की उसमें हिम्मत और सकल्प भरा था, परन्तु उनमें नामने जितनी अधिक, जितनी गहरी और जितनी भारी समस्याएँ थी, वर्तमान इतिहास में सायद ही किसी राष्ट्र के सामने रही हैं। आपने जो सफलता प्राप्त की है उम समय बड़े से बड़ा आगावादी भी उनकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था।

आज भारत दूसरे देशों में आंतरिक विश्राम के बल से बात करता है और उनकी बात आदरपूर्वक सुनी जाती है। उमकी दूसरी पंचवर्षीय योजना अब प्रायः पूरी हो रही है और वह इस बात का प्रमाण है कि कठिनाई जितनी बड़ी होती है उतना ही वह दृढ़ गंठकल्प स्वयं और युद्धों को उन्मत्त देती है। भारत की एक ऐसी विजय है जो पिछले दशक में गंगार में जो भी विकसिता हुई हो उमकी पूर्ति कर देती है। यह विजय ऐसी है जो आज

१०० वर्ष बाद जब लोग हमारा इतिहास पढ़ेंगे तो वे इसे सारी विकलताओं की पूर्ति मानेंगे।

भारत ने दूसरे महादेशों के लोगों को प्रेरित, उत्साहित और अनुप्राणित किया है। कोई भी आदमी संसार का नक्शा ले ले और ऐसी जगहों पर निशान लगाए जहाँ पिछले १० वर्षों में राजनीतिक पराधीनता का अंत हुआ है, जातिगत भेद-भाव घटा है और आर्थिक दरिद्रता कम से कम कुछ अंशों में दूर हुई है तो वह देखेगा कि ये १० वर्ष इन तीनों घुटाइयों के विरुद्ध चलने वाले चिर सघर्ष के इतिहास में सबसे सफल रहे हैं।

इन १० वर्षों के कारण ही आज हमारे पैर ऐसे मार्ग पर हैं जो समस्त मनुष्यजाति को उन्नति की ओर ले जाता है।

वे कौन-सी बाधाएँ हैं जो हमें तुरंत शक्ति और समृद्धि के युग में प्रवेश करने से रोकती हैं। जवाब स्पष्ट है—हमने दुनिया के देशों में भय के भाव को नहीं मिटा पाया है। इसका फल यह है कि आज कोई भी देश अपने समस्त साधनों का उपयोग केवल अपनी जनता की भलाई के ही लिए नहीं कर पाता।

आज सरकारों के ऊपर व्यर्थ खर्च का भार है। वे अपनी रक्षा के लिए ऐसी फीजी मोर्चे-बंदियों में लगी हैं जो आज के नये-नये दूरदबी अस्त्रों के सामने व्यर्थ होती जा रही हैं।

अधिकांश संसार इसी विपाकृत चक्र में फसा है। शक्ति की कमी से प्रायः आक्रमण या उच्छेदन या बाहर से प्रेरित क्रांति को बटाया मिलता है। किसी एक राष्ट्र की बजती हुई सैनिक शक्ति से उत्पन्न भय-उहें अपने साधन शास्त्रास्त्रों और सामरिक कार्यों पर व्यय करने के लिए और भी उक्तताता है। शास्त्रास्त्रों की होड़ अधिकाधिक देशों में फैलती जाती है। इन शास्त्रास्त्रों के वास्तविक उद्देश्य के बारे में शका तनाव को गहरा कर देती है। राष्ट्रों ने अपने पान्तिपूर्ण विकास का अवसर छिन जाता है। न्यायपूर्ण शान्ति और मध्मावना की भूल अनिवार्य रूप से और तेज हो जाती है।

गंगार भर में नियंत्रित रूप से नि.शस्त्रीकरण दग युग की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूँ कि उन लासो-कारोटो लोगों की यह मांग, जिनकी मुख्य चिन्ता अपने और अपने

बच्चों के भविष्य के बारे में है—इतनी सर्व-व्यापी और गहरी हो जाएगी कि कोई व्यक्ति और कोई सरकार उसका विरोध नहीं कर सकेगी।

मेरा राष्ट्र ऐसे उपाय ढुंढने का सतत प्रयत्न कर रहा है, जिनसे वास्तव में नि-शस्त्रीकरण हो सके और मेरी सरकार, जैसा कि मैंने ६ वर्ष से भी अधिक पूर्व, अप्रैल, १९५३ में कहा था, अब भी "अपने लोगों से यह कहने के लिए तैयार है कि नि.शस्त्रीकरण से जो बचत हो, उसका कुछ प्रतिशत संसार की सहायता और पुननिर्माण के कोष में देने के काम में वे सब राष्ट्रों का हाथ बटाए।"

परन्तु शास्त्रास्त्र स्वयं युद्ध को जन्म नहीं देते.... युद्ध को जन्म देता है मनुष्य।

और मनुष्य अपने गुजरे जमाने से प्रभावित होता है—उस गुजरे जमाने से, जिसमें शक्ति और उत्तरदायित्व का दुरुपयोग होता था और जिसमें यह निष्फल विश्वास जड़ पकड़े हुए था कि शक्ति से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है।

मैं मानवता की दुहाई देकर कहता हूँ कि क्या हम पाच वर्ष या पचास वर्ष की ऐसी योजना में शामिल नहीं हो सकते, जो अविश्वास, शंका और पूर्वकाल के दोषों में चिपके रहने के खिलाफ हो? क्या हम संसार में वर्तमान तनाव के कारणों को मिटाने या कम करने के काम में नहीं जुट सकते? यह सब सरकारों की सुष्टि है, जिसे सरकारें ही चाहती हैं और पालतों-पोसती हैं। राष्ट्रों को यदि प्रचार और दबाव से छुटकारा मिले तो वे उन्हे फन्सी भी अनुभव नहीं करें।

कृपया मुझे अपने अनुभव से दो साधारण उदाहरण पेश करने की अनुमति दें। संयुक्त राज्य के प्रेजिडेंट के नाते, पिछले वर्ष मैंने सघ में एक नये सार्वभौम राज्य—दुहाई—का स्वागत किया, जहाँ संसार की सभी जातियों के लोग रहते हैं। इस नए राज्य के स्त्री-युवाओं के प्राचीन निवास-स्थान एगिया, अकीनग, योरप, उरती और दशिया अमरीका और गंगार भर में छिपे हुए द्वीपों में हैं। ये लोग सभी तरह के मतावयवी और बर्णों के हैं, फिर भी वे पशोनिपा की भांति मनी के गाय और एक-दूसरे में विश्राम रखकर रहते हैं और उनमें में प्रत्येक मव की मर्दाई

में योग देकर अपना भी भला कर सकती हैं।

हवाई विभाजित सप्ताह को पुकार-पुकार कर यह कहता है कि जाति और बंस के हमारे भेद, हमारे भ्रातृत्व की महान और अखंड एकता के सम्मुख हेय है।

कोलम्बिया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के नाते, हमने प्रतिवर्ष वहां सभी महाद्वीपों, अपना झंडा रखने वाले लगभग सभी राष्ट्रों और कुछ आदिम जातियों और अब तक पराधीन उपनिवेशों से आने वाले विद्यार्थियों का स्वागत किया। भारत, चीन और जापान के संकटों युक्त-युवतियों की उपस्थिति की याद विनोद रूप से अभी तक ताजा है, क्योंकि उनमें ज्ञान-वृद्धि के लिए उत्सुकता और उत्साह भरा था। और वे पारम्परिक द्वेष या पिछले अन्यायों को लेकर हठ नहीं रखे हुए थे—वास्तव में किसी भी राष्ट्र के युवकों में ये दोष आगामी ने नहीं झलकते।

अपने अनुभव को इन दो माधुर्य बातों से मुझे विश्वास हो गया है कि सप्ताह में जो भय, सन्देश और पूर्वाग्रह हैं, उसे मिटाया जा सकता है। जहरत केवल इस बात की है कि सर्वत्र स्त्रिया और पुरुष अपनी नजरें उस ऊंचाई पर टिकाए, जहां वे मिलकर पठुष सकते हैं और जो हो चुका है, उसकी उपेक्षा करके, उधर अग्रसर हो जा हो सकता है।

अभी तक चूमने वाले वर्षों पूर्व के किसी अन्याय, आज की किसी समस्या, दूसरे की कमजोरी में उठाये जा सकने वाले किमी क्षणिक लाभ के कारण हमें उस लक्ष्य से विमुख नहीं होना चाहिए, जिसके सामने प्रत्येक समस्या और अन्याय गौण होकर रह जाता है।

हमारे पास शक्ति है, साधन हैं और ज्ञान है। ईश्वर करे, हमें उस विश्वव्यापी निरदय और वृद्धि की प्रेरणा मिले, जिनकी आज सर्वप्रथम आवश्यकता है।

आपके राष्ट्र के इतिहास से मुझे मालूम है कि इस महान आन्दोलन में भारत सदैव नेतृत्व करेगा।

### प्रेजीडेंट महोदय का कार्यक्रम

दिल्ली में प्रेजीडेंट आइजन्हावर ने १० दिसम्बर को गांधी जी की समाधि पर फूल

चढ़ाये और उनके सम्मान में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा दिये गये एक भोज में भाग लिया। ११ दिसम्बर को दिल्ली विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षान्त समारोह में डाक्टर आफ लॉज की डिग्री उन्हें दी गयी—उसी दिन सायंकाल उन्होंने दिल्ली में विश्व कृषि प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। १३ दिसम्बर को प्रेजीडेंट महोदय आगरा ताज-महल देखने गये। उसी दिन सायंकाल उन्होंने दिल्ली के नागरिकों द्वारा दिये गये मार्ग-जनक सम्मान में भाग लिया। १४ दिसम्बर को प्रातःकाल वह नयी दिल्ली में तेहरान के लिए रवाना हो गये।

### विशेष पुलिस दल के काम की तिमाही रिपोर्टें

स्वराष्ट्र मन्त्रालय के विशेष पुलिस दल की तिमाही (जुलाई-सितम्बर, १९५९) रिपोर्ट में बताया गया है कि ३६ कम्पनियों को भविष्य में आयात और निर्यात के लाइसेंस नहीं दिये जाएंगे, क्योंकि इन्होंने वेईमानी की है। दल ने रिपोर्ट में २५ अन्य कम्पनियों और व्यक्तियों का नाम भी काटने की सिफारिश की है।

इस तिमाही में १३९ व्यक्तियों को अदालत और विभागों में दण्ड दिया, जिनमें से १२२ सरकारी कर्मचारी थे। इन पर कुल २,१६,४०० रु० जुर्माना किया गया और अधिक से अधिक ६ साल की जेल की सजा दी गयी। अदालत में कुल ४८ मामले गये, जिनमें २७ सरकारी कर्मचारी और १७ अन्य व्यक्ति शामिल थे।

### जालसाजी के लिए सजा

एक प्रसिद्ध व्यापारी को जालसाजी और धोखाधड़ी करने के फलस्वरूप एक मामले में ४ साल की कड़ी सजा और २ लाख रु० जुर्माना और तीन मामलों में ६-६ साल की कड़ी सजा दी गयी। एक अन्य मामले में बम्बई के तीन व्यापारियों को ३ से १८ महीने तक की सजा दी गयी और उन पर कुल २,००० रु० जुर्माना किया गया।

सरकारी कर्मचारियों में, एक आय कर अधिकारी और एक क्लर्क को धोखाधड़ी, जाशनाजी और भ्रष्टाचार करने के फलस्वरूप १८ महीने की सजा दी गयी। लघु बचत के एक जिला मगदक को हिसाब में गड़बड़ी करने के फलस्वरूप ४ साल की सजा दी गयी। उसने लोगों द्वारा राष्ट्रीय वचन सर्टिफिकेट खरीदने के लिए दी गयी रकम के हिसाब में गड़बड़ी की थी।

### विभागीय दण्ड

इस तिमाही में ९५ सरकारी कर्मचारियों को विभागीय दण्ड दिया गया। इनमें से ७ गजट अधिकाारी थे। इन गजट अधिकारियों में से ३ अधिकारियों का वेतन घटाया गया, २ को वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक दी गयी और २ को अन्य दण्ड दिये गये।

गैर-गजट कर्मचारियों में से ३२ या तो नौकरी से हटा दिये गये या बर्खास्त कर दिये गये, एक की नौकरी समाप्त कर दी गयी, एक को अनिवायत रिटायर कर दिया गया, ३ के पद या वेतन घटा दिये गये, १८ की वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक दी गयी और २३ को अन्य दण्ड दिये गये।

### भारतीय सीमा प्रशासन सेवा में भरती

भारत सरकार जल्दी ही भारतीय सीमा प्रशासन सेवा की श्रेणी-२ (ग्रेड-२) में भरती करेगी। यह सेवा १९५६ में देश के सीमा क्षेत्रों में शासन मजबूती बढानी हुई ज़रूरत को पूरा करने के लिए अन्य अगिल भारतीय सेवाओं की तरह बनायी गयी थी। इस सेवा के लिए विशेष प्रकार के अफसरों की ज़रूरत है, जिनमें शारीरिक क्षमता के साथ मूळ-युद्ध आदि भी काफी हों। इन अफसरों को आदिन-जातियों के रहन-सहन और मस्कुनि वा शान होना चाहिए और उन क्षेत्रों में रहने के लिए इनको तैयार होना चाहिए जहाँ मंचार के साधन और सामाजिक सुविधाएँ विलुब्ध नहीं हैं। इन अफसरों को बायोमेट्रॉमी में रूबरू उनकी भाषा सीखनी होगी और उनकी मन-स्वास्थ्य को मजबूत कर उनका विश्वास प्राप्त करना होगा।

## वेतन आयोग की रिपोर्ट

वेतन आयोग की रिपोर्टें केन्द्रीय वित्त मंत्री, श्री मंत्रारजी देसाई ने ३० नवम्बर को लोकसभा की मंजूर पर रखीं। साथ ही आयोग की कुछ सिफारिशों पर सरकार का निर्णय भी सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। वेतन आयोग की रिपोर्टें का संक्षेप इस प्रकार हैं :

वेतन आयोग को ये काम सौंपे गये थे : उन सिद्धान्तों पर विचार करना जिनके अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की नौकरी की स्थिति और वेतन का ढांचा या ऋम निर्धारित किया जाए; विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वर्तमान वेतन-ऋम और नौकरी की स्थितियों में क्या परिवर्तन उचित और व्यावहारिक है इस पर विचार और सिफारिश करना और विशेषकर यह बताना कि किस हद तक सुख-सुविधाओं के रूप में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। आयोग ने कहा गया था कि अपनी सिफारिशों करते समय यह देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति और विकास योजनाओं की आवश्यकता और प्रभाव, तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों, स्थानीय शासन और सहायता-प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतनों आदि के अंतर पर भी विचार करे।

आयोग की रिपोर्टें के पांच भाग हैं। पहले भाग में प्रस्तावना है, दूसरे में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और नौकरी की स्थिति के आधार और सिद्धान्त, न्यूनतम और अधिकतम वेतन और मंहंगाई भत्ते पर विचार, तीसरे में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन, मकान भाड़ा और अन्य भत्तों के संबंध में सिफारिशें, चौथे में काम के घंटे, आकस्मिक और अन्य छुट्टियों, सार्वजनिक छुट्टियां, रिटायर होने की उम्र और तत्पश्चात् उपादान और चिकित्सा, मकान, शिक्षा, कैंटीन, वर्दी, हितकारी कार्य, छुट्टी में यात्रा की रियायतें, तरक्की, कॅरक्टर लेल, राजनीतिक अधिकार, संगठन और बातचीत करने के जरिये आदि पर विचार और पांचवें भाग में कार्यकुशलता और अंक संकलन पर विचार और आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप होने वाले खर्च का अनुमान दिया गया है।

मुख्य सिफारिशों का सारांश निम्नलिखित है —

### नौकरी की स्थिति और वेतन के आधार

नौकरी की स्थिति और वेतन का ढांचा ऐसा होना चाहिए जिससे विभिन्न श्रेणियों के लिए उपयुक्त योग्यता के आदमी मिल सके और उनकी कुशलता बनी रह सके। यद्यपि अपने कर्मचारियों को तनख्वाह आदि के मामले में सरकार पर आदसों मालिक की कसौटी नहीं लागू हों गवनी, फिर भी सरकार निजी मालिकों से जिन सामाजिक सिद्धान्तों और व्यवहार के अनुसरण की आशा करती है, उनका ध्यान सरकारी नौकरी के मामले में भी माधारणतः रखा जाना चाहिए। सरकारी काम में कुशलता की व्यवस्था करना सबसे जरूरी है पर इसके बाद सामाजिक न्याय की भांति जहां तक हो सके अधिकतम और न्यूनतम वेतन में अंतर कम में कम रखा चाहिए। इस प्रकार न्यूनतम और अधिकतम वेतन निर्धारित करने के बाद बीच का वेतन-ऋम निर्धारित करने में न्यूनतम अधिक ध्यान इस बात का करना चाहिए कि विभिन्न श्रेणियों के

वेतन-ऋम में उचित संबंध रहे। न्यूनतम वेतन के ऊपर की श्रेणियों में भी सरकार को अपने कर्मचारियों को यथोचित वेतन देना चाहिए। सरकारी नौकरों के नौकरी की स्थिति और वेतन के निर्धारण में राष्ट्रीय उत्पादन को स्वतः कोई आधार नहीं माना जा सकता, सिवा इसके कि उससे देश की साधारण आर्थिक स्थिति का पता मिले। उपभोग्य वस्तुओं का मूल्य अवश्य ही सरकारी नौकरों के वेतन निर्धारण का एक आधार माना जाएगा।

### विकास आयोजन और आर्थिक स्थिति

देश की आर्थिक स्थिति, विकास की जरूरतें और उपलब्ध साधनों पर विचार करने के बाद आयोग का निष्कर्ष यह है कि जब तक देश का काफी विकास नहीं हो जाता, जन-साधारण या अधिकांश सरकारी कर्मचारियों की स्थिति में कोई खास सुधार संभव नहीं है। देश की जो स्थिति है उसमें आर्थिक विकास के लिए वर्तमान खर्च और रहन-सहन में काफी समय बरतना होगा। राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होती है, उसमें हमारा खर्च काफी कम हो तभी विकास के कार्यों में लगाने के लिए स्यादा बच सकेगा। पर विकास आयोजन का अर्थ यह नहीं है कि हमारा रहन-सहन या दशा और खर्चा हो जाए। धनी लोगों से जरूर कहा जा सकता है कि वे अपना खर्च घटा दें, अन्य लोगों से भी कहा जा सकता है कि विकास योजनाओं के फलस्वरूप जो बढ़ती हो उससे वे अपना खर्च या उपभोग न बढ़ायें, पर आयोग का यह मत है कि सबसे नीची श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन और दशा में विकास आयोजन के कारण कोई अवनति या गिरावट न आनी चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि योजना के केवल आर्थिक ही नहीं सामाजिक लक्ष्य भी हैं और जन-साधारण की दशा सुधारने के लिए भी जो खर्च होता है उसे बेकार या कम महत्व का नहीं समझना चाहिए।

### केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारियों में असमानता

विभिन्न राज्यों के कर्मचारियों के वेतनों में भी काफी असमानता है और कुछ राज्यों के कर्मचारियों के वेतनों में तो केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतनों से बहुत अंतर है। एक राज्य में भी राज्य सरकार और स्थानीय शासन या सहायता-प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के भी वेतन समान नहीं है। केवल राज्य सरकार की आमदनी या राजस्व ही नहीं इसके कारण और भी हैं, जैसे सरकार निम्न चीज या सेवा को ज्यादा जरूरी समझती है और किसको कम। यह समस्या बड़ी जटिल है और इसका कोई एक मरल समाधान नहीं है। परन्तु राज्य सरकारें कितनी चीज को कम या ज्यादा महत्व देती हैं और इस हिमाय से उग कार्य के लिए कम या अधिक वेतन देती हैं, महज इन्हीं कारण से वेतन आयोग यह ठीक नहीं समझता कि केन्द्रीय कर्मचारी को न्याय्य सुविधा या प्राप्य से चित रखा जाए; हा यह असमानता अपव्यय पर अंकुश का काम अवश्य करे।

### न्यूनतम वेतन

केन्द्रीय सरकार में इस समय न्यूनतम वेतन राब मिला कर ७५ रु० है, निजी नौकरों में भी इससे अधिक नहीं दिया जाता और इतने

पर सरकार को इस श्रेणी में अच्छे आदमी मिल जाते हैं : पर वरदा-चारियार कमीशन ने जिस समय की कीमतों पर विचार करके इतने वेतन की सिफारिश की थी और मनु १९५८ में उपभोग्य वस्तुओं के जो औसत भाव थे, तथा इस समय तीन आदमियों के परिवार के भोजन, वस्त्र और निवास आदि पर जो साधारण खर्च पड़ता है, इन सबको और देस की समाई को ध्यान में रख कर आयोग ने केन्द्रीय सरकार के नौकरों के लिए ८० रुपये महीने न्यूनतम वेतन (१००० महंगाई शामिल करके) की सिफारिश की है।

### सबसे ऊँची तनखाहें

प्रतिष्ठित निजी या गैर-सरकारी कारोबारों में समकक्ष कर्म-चारियों को जितनी ऊँची तनखाहें दी जा रही हैं, वरदाचारियार कमीशन की सिफारिशों के फलस्वरूप ऊँचे सरकारी वेतनों में जो काफी कमी की जा चुकी है, भाव अधिक बढ़ने से वास्तविक आय में जो कमी हो गयी है, और ऊँची श्रेणियों में ऊँची योग्यता के आदमियों की जरूरत, इन सबको ध्यान में रखते हुए आयोग ने सर्वोच्च श्रेणियों के वर्तमान वेतनों में किन्नी कमी की सिफारिश नहीं की है।

### महंगाई भत्ता

श्रमिकों के व्यवहार की वस्तुओं के मूल्य के सूचक अंक (आधार १९४९ = १००) के आधार पर तथा इस धारणा पर कि इसके १०० के नीचे जाने की सम्भावना नहीं है, आयोग ने सिफारिश की है कि कम तनखाह पाने वाले कर्मचारियों का मूल वेतन, सूचक अंक १०० के हिमाव से उनकी जरूरतों का ध्यान रख कर, निश्चित किया जाए और यदि सूचक अंक ९० तक भी गिर जाए तो उनके मूल वेतन में कोई कमी न की जाए। फिलहाल भावों के बढ़ने की ही माभयाना है, इसलिए महंगाई भत्ता, वेतन से अलग बना रहना चाहिए, पर अभी यह उन्हीं कर्मचारियों को मिलना चाहिए जिनका वेतन ३०००० महीने में अधिक न हो। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए ३०००० तक के वेतन पर वर्तमान दर से महंगाई भत्ते (जिसमें ५०० की अतिरिक्त सहायता शामिल नहीं है) को और इसके ऊपर की श्रेणी में पूरे भत्ते को १,००००० तक के मूल वेतन में मिला दिया जाए।

उपभोग्य वस्तुओं के मूल्य के सूचक अंक ११५ के आधार से १५००० तक के वेतन पर १०००० और १५००० से ३०००० के वेतन पर २०००० के हिसाब से, ३२००० तक मांजिनल एडजस्टमेंट या संशोधन करते हुए, महंगाई भत्ता देने की सिफारिश की गई है। यह दर तब तक जारी रहे जब तक सूचक अंक १०० के नीचे न जाए। यदि किन्नी १२ मास की अवधि के भीतर सूचक अंक औसतन ११५ से १०० अंक ऊपर रहे तो सरकार को भत्ते की दर बढ़ाने पर विचार करना चाहिए, इसी प्रकार यदि सूचक अंक में इतनी अवधि में औसतन इतना हो, यानी १० अंक की कमी हो तब भी सरकार को स्थिति पर विचार करके भत्ते की दर में हेर-फेर करना चाहिए। भविष्य में यदि भत्ता बढ़ाया जाए तो वह ५०००० से कम मूल वेतन पाने वालों को भी इस हिसाब से मिलना चाहिए कि भत्ते को मिला कर उनकी तनखाह ५०००० से अधिक न पड़े। आयोग में यह सिफारिश भी की है कि यदि मूल्य बढ़ने रहे तो उम

समय की स्थिति के अनुसार ४०००० से १,००००० तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी भत्ता देने पर विचार किया जाए।

### आयोग द्वारा प्रस्तावित वेतन-क्रम

वेतन आयोग ने उपरोक्त सिद्धान्तों के आधार पर निम्नलिखित वेतन-क्रमों की सिफारिश की है :

### प्रथम श्रेणी

रुपये	मुपरटाइम स्केल और फिक्स्ड वेतन
३०००	३०००
२७५०	२७५०
२५००	२५००
२२५०	२२५०
२०००-१२५-२२५०	२०००-१२५-२२५०
१८००-१००-२०००-१२५-२२५०	१८००-१००-२०००-१२५-२२५०
२०००	२०००
१८००-१००-२०००	१८००-१००-२०००
१६००-१००-१८००	१६००-१००-१८००
१३००-६०-१६००-१००-१८००	१३००-६०-१६००-१००-१८००
११००-५०-१३००-६०-१६००-१००-१८००	११००-५०-१३००-६०-१६००-१००-१८००
१३००-६०-१६००	१३००-६०-१६००
११००-५०-१४००	११००-५०-१४००

### टाइम स्केल

#### इंडियन फारेन सर्विस

सीनियर स्केल	९००-५०-१३००-१३००-६०-१६००-१००१२-१८००
--------------	-------------------------------------

जूनियर स्केल	४००-४००-५००-४०-३००-३०-१०००
--------------	----------------------------

#### क्लास १ गान-रेकिनक्ल

मैविम	४००-४००-४५०-३०-५१०-३००-४०-११००-५०१२-१२५०
-------	--

#### साइटिफिक सर्विसेज

सीनियर स्केल	३००-५०-१२५०
--------------	-------------

जूनियर स्केल	६००-४०-८००-५०-९५०
--------------	-------------------

#### इंजीनियरी और अन्य नौकरियां

सीनियर स्केल	३००-६०-११००-५०१२-१२५०
--------------	-----------------------

जूनियर स्केल	४००-४००-४५०-३०-९००-३५-९५०
--------------	---------------------------

#### मेडिकल सर्विसेज

सीनियर स्केल	८५०-४५०-१२५०
--------------	--------------

१४०० (कनसालिडेड स्केल)

या

६७५-३५-८५०-४०-१०५०-  
५०-११५० और प्रविष्टम न  
करने का भत्ता

जूनियर स्केल

५७५-२५-६००-३०-७५०-  
४०-११५० (कनसालिडेड)

या

४२५-२५-४५०-३०-६००-  
३५-९५० और प्रविष्टम न  
करने का भत्ता

दूसरी श्रेणी

स्टैंडर्ड स्केल

३५०-२५-५००-३०-८३०-  
३५-९००

अकाउंट विभाग

स्टेशन सुपरिन्टेंडेंट (रेलवे)

शान्दरी नोकरिया

५९०-३०-८३०-३५-९००  
५९०-३०-८३०-३५-९००  
६७५-२५-६५०-३०-९५०  
(कनसालिडेड)

या

३२५-२५-५००-३०-८००  
और प्रविष्टम न करने का भत्ता

आकागवाणी के प्रोग्राम

एक्जीक्यूटिव, केन्द्रीय

इन्फार्मेशन सर्विस की

तीसरी श्रेणी/स्टोन्स

आफिसर आदि

रिगर्च असिस्टेंट/टैबिनक्ल

असिस्टेंट आदि

केन्द्रीय मन्त्रिवालय के

असिस्टेंट

३५०-२५-५००-३०-८००  
३२५-२५-४७५-२०-५७५  
२१०-१०-२९०-१५-५३०

तीसरी श्रेणी

क्लेरिकल स्टाफ

मुपरवाइजरी ग्रैंड १

" " २

" " ३

" " ४

अपर डिबीजन क्लर्क

लोअर डिबीजन क्लर्क

स्टेनोग्राफर

४५०-२५-५७५  
३५०-२०-४५०-२५-४७५  
३३५-१५-४२५  
२१०-१०-२९०-१५-३८०  
१३०-५-१६०-८-२८०-१०-  
३००  
११०-३-१३१-४-१७५-५-  
१८०  
३२०-१५-५३०  
२१०-१०-२९०-१५-४७५

भारतीय समाचार

१५०-५-१६०-८-२८०-१०-  
३००

१३०-५-१६०-८-२८०-१०-  
३००

वैज्ञानिक स्टाफ

रिसर्च असिस्टेंट/साइंटिफिक

असिस्टेंट/लिवोरेटरी असिस्टेंट

आदि

३२५-१५-४७५-२०-५७५  
२१०-१०-२९०-१५-४२५  
१५०-५-१६०-८-२८०-१०-  
३०० (अगर चारों ग्रैंड रल्ले  
जाए)

या

१६०-८-२८०-१०-३००  
(अगर तीन ग्रैंड रल्ले जाए)  
११०-४-१७०-५-२००

इंजीनियरिंग स्टाफ

४५०-२५-५७५  
३३५-१५-४८५  
३३५-१५-४२५  
२५०-१०-२९०-१५-३८०  
२०५-७-२४०-८-२८०  
१८०-१८०-२०५-७-२४०-  
८-२८०  
१८०-६-२४०  
१७५-६-२०५-७-२४०  
१५०-५-१७५-६-बी-६-  
२०५-७-२४०  
११०-४-१७०-५-२००  
११०-३-१३१-४-१७५-५-  
१८०  
कुछ लोगों को १० रु० स्पेगल  
तनखाह

अकाउंट्स स्टाफ

एस० ए० एस० अकाउंट्स

डिबिजनल अकाउंट्स

२७०-१५-४३५-२०-५७५  
१८०-१०-२९०-१५-४४०

राजस्व

इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट

इन्कम टैक्स इन्स्पेक्टर (मिले-

बगन ग्रैंड, केवल सभी जव

ग्रैंड २ में सीधे नियुक्त हों)

इन्कम टैक्स इन्स्पेक्टर

(माथारण ग्रैंड)

नॉटियस मन्वर्ग

३२५-१५-४७५-२०-५७५  
२१०-१०-२९०-१५-४००  
१५-४८५  
७५-१-८५-२-९५

प्रिवेटिव आफिमर्स ग्रेड १/ एक्जामिनर्स (मिलेबगन ग्रेड)	३२५-१५-४७५-२०-५७५
प्रिवेटिव आफिमर्स ग्रेड १/ एक्जामिनर्स	२१०-१०-२९०-ई बी-१५- ४८५
प्रिवेटिव आफिमर्स ग्रेड २	१५०-५-१६०-८-२८०-१०- ३००

चीफ कंट्रोलर  
हैंड टिकट कलेक्टर  
हैंड ट्रैवलिंग टिकट इक्जामिनर  
इस्पेक्टर (कर्मशायल)  
इस्पेक्टर (लोको)  
इस्पेक्टर (ट्रान्सपोर्टेशन)  
स्टेशन सुपरिण्डेंट / डिप्टी  
स्टेशन सुपरिण्डेंट  
यार्ड फोरमैन  
यार्ड मास्टर

४५०-२५-५७५

केन्द्रीय उत्पादन कर

डिप्टी सुपरिण्डेंटम	३५०-२०-४५०-२५-५७५
इस्पेक्टर (मिलेबगन ग्रेड)	३२०-१५-४८५
इस्पेक्टर (आडिनरी ग्रेड)	२१०-१०-२९०-१५-३८०
सुपरवाइजरम	११०-४-१७०-५-१८०
तलाशी लेने वाली स्त्रिया	१३०-४-१७०-५-२२५

डिप्टी चीफ कंट्रोलर  
हैंड टिकट कलेक्टर  
हैंड ट्रैवलिंग टिकट इक्जामिनर  
इस्पेक्टर (कर्मशायल)  
इस्पेक्टर (ट्रान्सपोर्टेशन)  
इस्पेक्टर (लोको)  
पावर कंट्रोलर  
स्टेशन मास्टर  
स्टेशन सुपरिण्डेंट / डिप्टी  
स्टेशन सुपरिण्डेंट  
यार्ड फोरमैन  
यार्ड मास्टर

३७०-२०-४५०-२५-  
४७५

शक-तार

आपरेटिंग स्टाफ— सुपरवाइजरी ग्रेड	३३५-१५-४२५
	२१०-१०-२९०-१५-३२०
बुनियादी ग्रेड	१५०-५-१७५-६-२०५-७- २४०
	११०-४-१७०-५-२२५

लोको इस्पेक्टर  
पावर कंट्रोलर

३३५-१५-४८५ (यदि  
वर्तमान दो ग्रेड २६०-  
३५०-३५०-ओर ३००-  
४०० एक माय रने जाए)

असिस्टेड सुपरिण्डेंट आफ पोस्ट आफिसेज एंड आर० एम० एम०	३३५-१५-४२५
इस्पेक्टरम आफ पोस्ट आफिसेज एंड आर० एम० एस०	२१०-१०-२९०-१५-३८०

वायरलेस आपरेटर्स रिपीटर स्टेशन एमिस्टेट	२७०-१०-२९०-१५-३५० (मिलेबगन ग्रेड) १५०-५-१६०-८-२४०-
--	--

टेलीफोन इस्पेक्टरम	ई बी-८-२८०-१०-३०० १५०-५-१६०-८-२४०- ई बी-८-२८०-१०-३००
--------------------	--

लाइन इस्पेक्टरम	१५०-५-१६०-८-२१६
मैकेनिनिंग, नेबल जोइंटम	१७५-६-२०५-७-२४० (मिलेबगन ग्रेड) ११०-३-१३१-४-१५५ ई बी-४-१७५-५-१८०

चीफ वायरलेस इस्पेक्टर  
ड्राइवर ग्रेड ए  
हैंड टिकट कलेक्टर  
हैंड ट्रैवलिंग टिकट इक्जामिनर  
इस्पेक्टर (कर्मशायल)  
इस्पेक्टर (ट्रान्सपोर्टेशन)  
इस्पेक्टर (लोको)  
पावर कंट्रोलर  
नॉनगन कंट्रोलर, ग्रेड १  
स्टेशन मास्टर  
यार्ड फोरमैन  
यार्ड मास्टर

३३५-१५-४२५

मब-इस्पेक्टरम टेलीग्राफम	१०५-३-१३५-ई बी-४-१५५
हैंड पोस्टमैन ओर एलाइड- कैटेगरीज	१३५-४-१५५ (मिलेबगन ग्रेड) १०५-३-१३५
पोस्ट मैन, लाइन मैन, मेल गाईस	७५-१-८५-ई बी-२-९५

नॉनगन कंट्रोलर

३००-१०-२९०-१५-  
४२५ (यदि ग्रेड  
निम्न दिने

१५० रु० से कम

वेतन का १० प्र०श० पर  
७ रु० ५० न० ५० से कम  
नहीं और १२ रु० ५० न०  
५० से ऊपर नहीं

वेतन का ५ प्र०श० पर  
५ रु० से कम नहीं और १०  
रु० से अधिक नहीं; उन सब  
लोगों के लिए जो ५०० रु०  
से नीचे तनखा पाते हों

कुछ नहीं

१५० रु० और उससे ऊपर पर ३०० रु० से नीचे

वेतन का ८ प्र०श० पर १२  
रु० ५० न० ५० से कम नहीं  
और १७ रु० ५० न० ५० से  
अधिक नहीं

३०० रु० और उससे ऊपर

वेतन का ६ प्रतिशत पर ७५  
रु० से अधिक नहीं

जहाँ संशोधित दरो के लागू होने से वर्तमान भत्ते में कमी होती है वहाँ ऐसी कमी ३ साल में फेंका देनी चाहिए। मकान भत्ता पाने के लिए निर्धारित नगर में रहने की गन् गजट्टेड और गैर-गजट्टेड दोनों प्रकार के कर्मचारियों पर लागू न होगी चाहिए और उन लोगों को भी मकान भत्ता मिलना चाहिए जिनका कार्यालय निर्धारित नगर के बाहर किन्तु पास में हो और जिनको मजबूरन नगर के अन्दर रहना पड़ता है।

#### यात्रा भत्ता

दोरे या यात्रा के समय दैनिक भत्ता और आनुषंगिक खर्च की दरो पर पुनर्निर्धार होना चाहिए। तबाले पर जाने के कारण यात्रा के आनुषंगिक खर्च के भत्ते की वर्तमान दर आधी कर दी जानी चाहिए। पर शेष आधे भाग के बदले कर्मचारी को आधे महीने की तनखा, जो १५० रु० से अधिक न हो, मिलनी चाहिए। कुछ स्थितियों में रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को और नौकरी के क्रम में चोट आदि से अक्षत होकर हटने वाले कर्मचारियों को अपने घर के नगर तक यात्रा का भत्ता मिलना चाहिए।

#### घर से कार्यालय तक जाने का प्रवन्ध

घर से कार्यालय तक जाने के लिए भत्ता न देने की वर्तमान प्रथा जारी रहनी चाहिए। पर, कुछ विशेष स्थितियों में यातायात की सुविधा देने पर विचार होना चाहिए। यंत्र नगरों में काम करने वाले कर्मचारियों को यातायात की दिक्कतों को सुलझाने का भी प्रवन्ध होना चाहिए।

#### काम के घटे

दफ्तरो के कर्मचारियों के काम के घटे कम हो ही और उन्हें बशाना उचित होगा पर; पहले वर्तमान समय में ही अधिः काम करने की कोशिश होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों के लिए प्रति मन्त्रालय काम के जितने घटे नियत हैं वे जारी रहने चाहिए और दूग समय में ममानता खाने की या एक में घटे या समय निर्धारित करने की जरूरत नहीं है, न ऐसा करना व्यावहारिक है। जिन प्रकृतियों में औद्योगिक और गैर-औद्योगिक, दोनों प्रकार के आदमी काम करते हैं वहाँ दोनों के काम के घटे ममान होने चाहिए।

#### साप्ताहिक छुट्टी

जिन दफ्तरो में इस समय शनिवार को आधे दिन काम होता है, उनमें क्रमशः एक शनिवार को पूरे दिन काम हो और उसमें अगले शनिवार को पूरी छुट्टी रहे। आपरेटिंग स्टाफ को छोड़ कर बाकी कर्मचारियों को साप्ताहिक छुट्टी के बारे में मौजूदा व्यवस्था ही ठोक रखी। आपरेटिंग स्टाफ के लिए सिफारिश की गयी है कि उन्हें जो साप्ताहिक छुट्टी दी जाए वह सामान्यतः ३० घंटे से कम नहीं होनी चाहिए और इन तीस घंटों में एक पूरी रात अवश्य शामिल होनी चाहिए। जब आपरेटिंग स्टाफ से किसी छुट्टी के दिन काम लिया जाए तो उसके बदले में दो महीने के अंदर-अंदर जितनी जल्दी हो सके एवजी छुट्टी दे देनी चाहिए।

#### छुट्टियाँ

जिन दफ्तरो में १६ से अधिक छुट्टियाँ होती हैं उनमें छुट्टियों की सख्या घटा कर १६ कर देनी चाहिए। जिन कर्मचारियों को कोई छुट्टी नहीं होती उनको तीन राष्ट्रीय छुट्टियों का हकदार माना जाना चाहिए और इन दिनों भी यदि उनको छुट्टी न दी जा सके तो उन्हें नकद मुआवजा दिया जाना चाहिए। वर्कलाप स्टाफ की छुट्टियों के बारे में कहा गया है कि छुट्टियों की मख्या किमी भी हालत में १६ से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकारी कारखानों में गैर-औद्योगिक कर्मचारियों को भी उतनी ही छुट्टियाँ मिलनी चाहिए जितनी औद्योगिक कर्मचारियों को मिलती हैं। ओवर टाइम के अधिकारी कर्मचारियों को यदि छुट्टी के दिन काम पर बुलाया जाए तो ओवर टाइम दिया जाना चाहिए।

#### ओवर टाइम भत्ता

ओवर टाइम भत्ता, विशेष स्थितियों में, केवल ऐसे गैर-गजट्टेड कर्मचारियों को ही दिया जाना चाहिए जिनका मासिक वेतन ५०० रु० से अधिक न हो। कार्यालय कर्मचारियों को किमी भी दिन दफ्तर के निरिक्त समय के बाद ३५ मिनट से अधिक समय तक इट्टी देने पर ओवर टाइम दिया जाना चाहिए। वर्कलाप स्टाफ को वर्कलाप के निम्न घंटों में अधिक काम के लिए, जो मन्त्रालय में ४८ घंटों से कम न हों, ऐसे निरिक्त नियमों के आधार पर ओवर टाइम दिया जाना चाहिए जिनमें

विभिन्न कारखानों में कम से कम आठवर टाइम हो। सभी कर्मचारियों का आठवर टाइम, मकान किराये भत्ते को छोड़ कर शेष वेतन और भत्ते के आधार पर रखाया जाना चाहिए।

### आकस्मिक छुट्टी

कार्यालय कर्मचारियों को साल में १५ के स्थान पर १२ आकस्मिक छुट्टियां दी जानी चाहिए। आउटरींग स्टाफ तथा अन्य ऐसे ही कर्मचारियों को जिनको मार्गजनिक छुट्टियां नहीं होती या कम होती हैं १५ दिन की आकस्मिक छुट्टी दी जा सकती है। वरकंपा तथा अन्य औद्योगिक कर्मचारियों को साल में ७ आकस्मिक छुट्टियां दी जानी चाहिए।

### अन्य छुट्टियां

अर्जित छुट्टी नौकरी के अंत के आधार पर लगायी जानी चाहिए। कार्यालय कर्मचारियों को पहले पांच वर्ष की नौकरी में एक महीने पंछे १ ७५ दिन के हिसाब से और १५ वर्ष की नौकरी के बाद अधिक से अधिक २५ दिन के हिसाब से अर्जित छुट्टी दी जानी चाहिए।

औद्योगिक कर्मचारियों को पहले पांच वर्ष की नौकरी में एक महीने पंछे एक दिन और १५ वर्ष के बाद १.७५ दिन के हिसाब से अर्जित छुट्टी दी जानी चाहिए। यह अर्जित छुट्टी वर्ष में १० दिन की पूरी तनखाह पर और १० दिन की आधी तनखाह पर मिलने वाली बीमारी की छुट्टियों से अलग होगी।

यह सिफारिश की गयी है कि कर्मचारियों को, विद्योपत, वैज्ञानिक, गिनितिक और प्रशासनिक कर्मचारियों को, अध्ययन के लिए छुट्टी देने में उदारता भरती जानी चाहिए।

### सेवा निवृत्ति को उम्र

दूसरे देशों में अवैतनिक कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति को उम्र मार्गजनिक स्वास्थ्य में सुधार, मृत्यु संख्या में कमी, पेंशन प्राप्त लोगों को पेंशन के वाद भी काफी आयु, बढती हुई आर्थिक व्यवस्था में स्थिति लोगों की कमी और रोजगार की स्थिति को देखते हुए आयोग ने सिफारिश की है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति को उम्र ५८ वर्ष कर देनी चाहिए। वैज्ञानिक और गिनितिक कर्मचारियों को दो वर्ष के लिए और, अथवा दुबारा नौकरी देकर ६० वर्ष तक रखा जा सकता है।

### सेवा निवृत्ति पर लाभ

जो अस्थायी कर्मचारी स्थायी हो जाएं उनकी अस्थायी नौकरी भी पेंशन के लिए शामिल कर लेनी चाहिए। यदि क्वालीफाइंग सर्विस कर्मचारी की नौकरी के पूरे वर्षों से छ. महीने से अधिक हो तो कर्मचारी को आधे वर्ष की पेंशन का अतिरिक्त लाभ दे देना चाहिए। मृत्यु-धन,सेवा निवृत्ति ग्रेन्च्युटी की दरों में इस प्रकार संशोधन करना चाहिए कि पेंशन के समान ही ३० वर्ष की क्वालीफाइंग सर्विस पूरी होने पर कर्मचारी को अधिक से अधिक राशि मिल जाए।

औद्योगिक कर्मचारियों को स्थायी होने के बाद स्टैन्डर्ड पेंशन योजना में शामिल कर लेना चाहिए।

ऐसे अस्थायी कर्मचारियों के लिए, जो पांच वर्ष की निरंतर नौकरी के बाद निवृत्त हो या नौकरी से अलग किये जाएं, एक वर्ष की नौकरी के

पंछे एक-तिहाई महीने के वेतन के हिसाब में टर्मिनल ग्रेन्च्युटी देने की सिफारिश की गयी है।

जो कर्मचारी नौकरी में रहते हुए मर जाएं उनके परिवारों को सुविधाएं देने की सिफारिश की गयी है। जो अस्थायी कर्मचारी एक वर्ष की नौकरी के बाद मर जाएं उनके परिवारों को एक महीने से तीन महीने तक की तनखाह ग्रेन्च्युटी के रूप में दी जाए। अर्ध-स्थायी (क्वार्टर परमानेंट) कर्मचारियों के परिवारों को अधिक से अधिक चार महीने की तनखाह के बराबर ग्रेन्च्युटी देनी चाहिए। सेवा निवृत्ति मा छंटनी की स्थिति में टर्मिनल ग्रेन्च्युटी देने के लिए जो दर मुझायी गयी है यदि वह अधिक हो तो कर्मचारी को मृत्यु पर ग्रेन्च्युटी उसी दर में देनी चाहिए।

आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि यदि कोई स्थायी कर्मचारी पांच वर्ष की क्वालीफाइंग नौकरी पूरी करने में पहले मर जाए तो उनके परिवार को कम से कम छ. महीने के वेतन के बराबर ग्रेन्च्युटी दी जाए। लेकिन यदि नौकरी स्थायी होने के एक वर्ष बाद ही कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो कम से कम दो महीने की तनखाह के बराबर ग्रेन्च्युटी दी जानी चाहिए। यदि मृत कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना में शामिल रहा हो, तो उसके परिवार को कर्मचारी के पेंशन व्यवस्था में शामिल होने पर मिलने वाली ग्रेन्च्युटी और भविष्य निधि योजना में ब्याज सहित सरकारी हिस्से के अंतर के बराबर ग्रेन्च्युटी देनी चाहिए।

मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को अधिक सुविधाएं देने के लिए विभिन्न योजनाओं पर विचार करने के वाद आयोग ने मृत व्यक्ति के परिवार को दी जाने वाली सुविधाओं की मौजूदा व्यवस्था के बजाय अंशदायी आधार पर विधवा तथा बच्चों के लिए पेंशन योजना शुरू करने की सिफारिश की है। इस प्रस्तावित योजना के अंतर्गत वेतन में से बहुत थोड़ी राशि इस योजना के लिए देने अथवा ग्रेन्च्युटी का कुछ भाग छोटने पर, मृत कर्मचारी की विधवा पत्नी को जीवन भर अथवा दूबारा विवाह होने तक उस राशि का एक-तिहाई भाग पेंशन के रूप में मिलना रहेगा जो मृत कर्मचारी को पेंशन के रूप में मिल रही थी अथवा मरने के एक दिन बाद पेंशन के रूप में मिलनी, बच्चों को १८ वर्ष की आयु तक अथवा शिक्षा पूरी होने तक पेंशन के बालू-वं हिस्से में एक-तिहाई हिस्से तक की राशि के बराबर, जो बच्चों की संख्या के अनुसार निर्धारित होगी, पेंशन मिलती रहेगी।

यह भी सुझाव रखा गया है कि जिन लोगों की पेंशन २०० २० से अधिक नहीं है उनको सरकार रहन-जहन का गच वरने पर कुछ राशि देने के बारे में विचार करे।

अधिकारियों को जिन जगहों के लिए विज्ञान, गिनत जथा व शासनाधिक क्षेत्र की विशेष योग्यता अथवा अनुभवान को योग्यता होना आवश्यक है उन पर २७ वर्ष में अग्रिम उम्र के जो अग्रिम; नियुक्त किये जाए उनके लिए आयोग ने पेंशन के लिए क्वालीफाइंग नौकरी में अधिक से अधिक पांच वर्ष जोड़ने की सदन्याहिक प्रकृति के निर्धारित की है।

### विस्तार

सभी केन्द्रीय कर्मचारियों को की सुविधाएं होनी चाहिए और यह



वहाँ इलाज और डाक्टरों सहायता की व्यवस्था का रूप मोटे तौर पर दिल्ली की अशुभदायी स्वास्थ्य सेवा योजना की तरह होना चाहिए।

ओद्योगिक कर्मचारियों को भी गैर-ओद्योगिक कर्मचारियों के समान चिकित्सा और डाक्टरों सहायता को सुविधाएं होनी चाहिए।

### रहने की सुविधा

सरकार को कर्मचारियों की रहने की व्यवस्था के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाना चाहिए। इस समय मकान बनाने का जो कार्यक्रम चल रहा है उसे, विशेषतः बम्बई और कलकत्ता में, काफी बढाना चाहिए। जिन स्थानों पर सरकारी कर्मचारियों की संस्था काफी है वहाँ रहने की व्यवस्था पर तुरन्त ध्यान देने की जरूरत है। जब तक आवश्यक संख्या में स्थायी मकान तैयार नहीं होते तब तक सस्ते और अस्थायी मकान बनाने का कार्यक्रम तुरन्त शुरू कर देना चाहिए। जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन १५० रु० से कम है उनसे वेतन का ७। प्रतिशत किराया काटना चाहिए। जिन कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान को बदली की जाए उनको मकान देने के सम्बन्ध में प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें काम या झूठी के कारण मुफ्त मकान न देने पर वेतन अग्रिक देना पडता हो, किराया काटे बिना ही मकान देने की व्यवस्था होनी चाहिए।

सरकार को चाहिए कि वह कर्मचारियों को अपने मकान, विशेषत सहकारी आधार पर, बनाने के लिए प्रोत्साहन दे।

### शिक्षा सहायता

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा काम के कारण बार-बार स्थान बदलने के लिए विवश अन्य लोगों के हित के लिए ऐसे स्कूलों की स्थापना को बढाना देना चाहिए जिनका पाठ्यक्रम और शिक्षा का माध्यम समान हो।

रेल विभाग में ३०० रु० तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सहायता के लिए विभिन्न भाषा क्षेत्रों में होस्टल बनाये हैं जिनमें बच्चों को रहने और खाने-पीने की सुविधाएं प्राप्त हैं जिससे कम वेतन पाने वाले कर्मचारी, जहाँ वे काम कर रहे हैं, वहाँ शिक्षा की उपयुक्त सुविधाएं न होने पर, अपने बच्चों को अपने मनचाहे स्थान को भेज सकें। ये सुविधाएं अन्य विभागों के समान वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी देनी चाहिए।

### वर्दी आदि

कुछ विंगेप सरकारी नौकरियों में वर्दी, हिफाजत के लिए पहने जाने वाले अन्य कपड़े तथा कुछ और वस्तुएं होना आवश्यक है। इन चीजों को तनस्वाह से अतिरिक्त मिलने वाला लाभ नहीं समझना चाहिए। जिन कर्मचारियों को तनस्वाह ५० रु० से अधिक न हो उन्हें वर्दी की धुलाई का भत्ता भी दिया जाना चाहिए।

काम करने के लिए आवश्यक सुविधाएं, फैंटोन और कर्मचारियों को भलाई के काम

काम करने के लिए आवश्यक स्थितियों में काफी सुधार की गुंजा-

यास है। सफाई, रोसनी, वातानुकूलन, फर्नीचर तथा अन्य सामान आदि के बारे में तो तुरन्त ही सुधार किया जा सकता है। कार्यालयों की इमारतें बनाने का एक निश्चित कार्यक्रम होना चाहिए जिससे कि कुछ ही वर्षों में सब दफ्तरों के लिए जगह की सन्तोषजनक व्यवस्था हो जाए।

आपरेटिंग स्टाफ के लिए बने विश्राम घरों और ठहरने के कमरों की जांच की जानी चाहिए। जहाँ कर्मचारियों की संख्या कम हो वहाँ टिफिन-रूम और जहाँ ५० से अधिक हो वहाँ फैंटोन की व्यवस्था होनी चाहिए। फैंटोन और टिफिन-रूम आदि के लिए विभाग से मिलने वाली कम से कम सहायता के बारे में व्यवस्था होनी चाहिए।

सभी केन्द्रीय कर्मचारियों की भलाई के लिए एक मॉर्मलित कार्यक्रम बनाने के लिए पहला काम यह होना चाहिए कि विभिन्न मंत्रालयों से प्रतिनिधि लेकर एक केन्द्रीय एजेंसी या समिति बनायी जाए जो भलाई के कार्यों की देखरेख करे और जहाँ तक संभव हो सबके लिए समान रूप से भलाई के काम कराये। कर्मचारियों की भलाई के कामों में स्टाफ का अधिक से अधिक सहयोग होना चाहिए। भलाई के काम करने के लिए की गयी मौजूदा व्यवस्था की जांच और उसमें सुधार के सुझाव देने के लिए एक समिति बनायी जाए। भलाई के कार्यों पर अभी जो खर्च किया जा रहा है वह बढाया जाना चाहिए और विभिन्न विभागों में सामान्यतः भलाई के कार्यों के लिए समान अनुदान मिलने चाहिए।

सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन के कार्यक्रमों के अतिरिक्त सहकारिता समितियों बनाने तथा कुछ स्थितियों में कर्मचारियों अथवा उनके आश्रितों को सहायता देने की योजना के बारे में विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिए।

### छुट्टियों में यात्रा की सुविधा

विभिन्न श्रेणियों के रेल कर्मचारियों को प्राप्त यात्रा सुविधाएं एव सी होनी चाहिए और इनमें यह कमी करनी चाहिए कि सभी श्रेणियों में लोगों को वर्ष में एक बार फ्री पास और दो बार रियायती टिकट मिले

अन्य कर्मचारियों के लिए मौजूदा सुविधाएं जारी रहनी चाहिए लेकिन ये सुविधाएं औद्योगिक तथा काम से वेतन पाने वाले उन कर्मचारियों को भी मिलनी चाहिए जिन्हें नियमित छुट्टी मिलती है। जिन कर्मचारियों के घर ऐसी जगह हैं जहाँ रेल नहीं पहुंचती उन्हें निकट रेलवे स्टेशन से घर तक की यात्रा की भी सुविधा दी जानी चाहिए। जिन कर्मचारी अपने परिवार घरों पर ही रखते हैं उन्हें वर्ष में केवल एक बार घर जाने के लिए रियायत देनी चाहिए।

### पदोन्नति तथा आवरण रिपोर्ट

बड़ी जगहों पर तरक्कियों के लिए योग्यता ही आधार रहना चाहिए लेकिन छोटी जगहों के लिए सीनियरिटी और योग्यता दोनों ही का सिद्धांत ठीक रहेगा। केवल उन स्थानों को छोड़ कर जिनके लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता हो, तरक्कियों के लिए आमतौर पर परीक्षा का तरीका नहीं अपनाया चाहिए।

केवल तरक्कियों की सुविधाएं बढाने के लिए ही वेतन-क्रम आदि में सशोचन नहीं होने चाहिए। क्लास दो और क्लास तीन के जवान अधिकारियों को क्लास एक और क्लास दो में तरक्कियों देने के लिए विभिन्न सीमित प्रतियोगिताएं करने की प्रणाली होनी चाहिए।

कर्मचारी की गुप्त रिपोर्टें वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लिखे जाने की वर्तमान व्यवस्था जारी रहनी चाहिए, लेकिन उससे ऊंचे अधिकारी को रिपोर्टें देने वाले अधिकारी की राय पर सही और स्वतंत्र निर्णय करना चाहिए। यह देख लेना चाहिए कि गुप्त रिपोर्टें लिखने वाले अधिकारी तलबवी आदेशों के अनुरूप ही काम करते हैं।

### अस्थायी काम से वेतन पाने वाले तथा अन्य कर्मचारी

इतनी बड़ी मर्यादा में अस्थायी कर्मचारी रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। इस सबंध में शीघ्र से शीघ्र निर्णय करना चाहिए कि प्रत्येक श्रेणी के कितने स्थायी कर्मचारियों की आवश्यकता है। इस काम के लिए एक या दो सरकारी समितियां बना दी जाएं और यह देख लिया जाए कि इस सबंध में सरकार के निर्णयों पर छ महीने या एक साल के अदर-अदर अमल हो जाए।

काम से वेतन पाने वाले ऐसे कर्मचारियों को, जिन की स्थायी और अर्ध-स्थायी तौर पर आवश्यकता है, स्थायी या अर्ध-स्थायी (क्वासी परमानेंट) कर देना चाहिए। काम के अनुसार उनके औद्योगिक या गैर-औद्योगिक वर्ग बना देने चाहिए और उनको नौकरी की वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो ऐसे वर्ग के कर्मचारियों को मिलती हैं।

जो काम बिचकूल ही आकस्मिक रूप का हो केवल उन्हीं के लिए आकस्मिक रूप में काम करने वाले रखने चाहिए और इस बारे में मौजूदा स्थिति की जांच की जानी चाहिए। 'गैर अनुसूचित जगहों' पर आकस्मिक काम करने वालों के लिए भी रोजी की वही दर निश्चित करनी चाहिए जो केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत अनुसूचित जगहों पर आकस्मिक काम करने वालों के लिए है अथवा जो कम से कम दर ऐसी जगहों के लिए राज्य सरकारों ने निश्चित की है।

केन्द्रीय सरकार के सभी आकस्मिक काम करने वालों को मात्ता-हिक छुट्टी, काम के घंटों, रात की पारी तथा ओवर टाइम काम करने के लिए अतिरिक्त रोजी के बारे में वही सुविधाएं दी जानी चाहिए जिनकी न्यूनतम वेतन (केन्द्रीय) नियम, १९५० में व्यवस्था है।

### सरकारी कर्मचारियों का आचरण नियम

सरकारी कर्मचारियों पर सार्वजनिक रूप से राय जाहिर करने, सरकार की आलोचना करने, जायदाद खरीदने और बेचने, उपहार स्वीकार करने तथा अन्य मामलों में प्रतिबंध के लिए आचरण नियमों में जो व्यवस्था है वह उचित है, और उसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है। सरकारी कर्मचारियों में अनुशासन इसलिये आवश्यक है क्योंकि सरकार उनके आचरण के लिए समाज के सामने उत्तरदायी है, अतएव उसे यह निगरानी रखने की जरूरत है कि कर्मचारियों का आचरण समाज तथा समाज की प्रतिनिधि सरकार द्वारा निश्चित नियमों के अनुरूप हो।

लेकिन, आयोग ने यह सिफारिस की है कि सार्वजनिक रूप से राय जाहिर करने पर सामान्य प्रतिबंध लगा कर जैसी कि इस समय व्यवस्था है, फिर, कुछ स्थितियों में छूट देने की बजाय बौद्धिक विषयों पर बोलने की सामान्य छूट दे दी जाए और केवल आवश्यक प्रतिबंध लगा दिये जाएं।

कर्मचारियों पर राजनीतिक अधिकारों के उपयोग के संबंध में जो प्रतिबंध हैं उनको हटाना या ढीला करना सार्वजनिक हित में अथवा कर्मचारियों के हित में नहीं होगा।

### एसोसिएशन बनाने का अधिकार

ट्रेड यूनियन कार्यों के लिए उचित छूट दी जानी चाहिए। कर्मचारियों के एसोसिएशनों को मान्यता के बारे में नियम होना चाहिए और उनको मान्यता देने में उदारता बरती जानी चाहिए।

अमान्य एसोसिएशन की सदस्यता ऐसा अपराध नहीं होना चाहिए जिस पर अनुशासन की कार्रवाई की जा सके। लेकिन यदि ऐसा कोई भी एसोसिएशन कोई ऐसा काम करे या किसी ऐसे काम में सहायता दे जिसे करने पर सरकारी कर्मचारी-आचरण-नियम भंग होते हैं तो सरकारी कर्मचारियों को बता देना चाहिए कि वे यदि सदस्यता नहीं छोड़ेंगे तो उनके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की जा सकती है।

आयोग इस बात को निश्चित रूप से गलत समझता है कि सरकारी कर्मचारी हड़ताल करे या हड़ताल की धमकी दें अथवा जो लोग समान के लिए आवश्यक सेवाओं को चला रहे हों वे अपने काम के लिए उन-सेवाओं में बाधा डालें। इस संबंध में कानून में संशोधन किये बिना ही कर्मचारियों को स्वयं ऐसा परिवर्तन करना चाहिए कि हड़ताल अथवा प्रदर्शन के तरीके न अपनाये जाएं और सरकार ऐसी परम्परा डाले कि यदि कुछ महत्त्वपूर्ण मामलों में हड़तालें से हल न हो तो वह उन्हें पंच फोरम के लिए सौंप देगी।

### बातचीत और समझौते का साधन

इस राय के साथ ही कि सरकारी कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन के तरीके न अपनायें, आयोग ने यह भी सिफारिस की है कि बातचीत करने और विवादों को हल करने के लिए कोई ऐसी केन्द्रीय संयुक्त परिषद बनायी जाए जिसमें केन्द्रीय सरकार के समान कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व हो। इसी प्रकार विभागों में भी संयुक्त परिषदें होनी चाहिए।

बातचीत और समझौतों के लिए संयुक्त परिषदें बनाने के साथ ही यह भी आवश्यक है कि अनिवार्य पंच फोरमों की भी व्यवस्था हो, जिनमें केवल मान्य एसोसिएशन ही शामिल हों जिनका काम मौजूदा दिनांक श्रेणी के कर्मचारियों तक के वेतन, भत्ते, मात्ताहिक काम के घंटों और छुट्टियों तक ही सीमित हो।

महत्त्वपूर्ण मामलों में श्रम मंत्रालय का भी निश्चय मनके रहना चाहिए। प्रस्तावित केन्द्रीय संयुक्त परिषद में वह अवश्य मम्मिलिन होना चाहिए और यदि पंच फोरम आवश्यक ही हो जाएं तो पंच फोरम का अभ्यक्ष भी उन्हीं के द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए।

### अनुशासन की कार्रवाई

अनुशासन संबंधी जांच संबंधित कर्मचारियों के वरिष्ठ अधिकारों अथवा उस अधिकारी के द्वारा नहीं की जानी चाहिए जिनके करने पर जांच शुरू हुई है। नौकरी में बर्खास्त करने, अलग करने, अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त करने अथवा पद अवतलित जैसी बड़ी मर्यादों के

केन्द्रीय सरकार के पास जो अपील, अर्जी या याचिकाएँ आये उन पर लोकसेवा आयोग की मन्दाह से निर्णय करना चाहिए। अपील, अर्जियाँ, याचिकाओं को ठेकने का अधिकार उस अधिकारी से ऊपर के अधिकारी को होना चाहिए जिस की आज्ञा के विरुद्ध अपील, अर्जी या याचिका आदि दी गयी है।

### नौकरियों का वर्गीकरण

प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में नौकरियों का मौजूदा वर्गीकरण बेमसलत ही और उसे खत्म कर देना चाहिए।

किसी भी पत्र-व्यवहार, आज्ञा आदि में कर्मचारी के नाम के साथ नौकरी की श्रेणी के उल्लेख की मौजूदा प्रणाली को आयोग ने बुरा बताया है।

### सरकारी दफतरीयों में कुशलता

आयोग ने यह विचार प्रकट किया है कि सरकारी दफतरीयों तथा नगरपालिका द्वारा संचालित रेल, डाक, तार आदि सेवाओं तथा सेवाओं तथा कारखानों में कुशलता और उत्पादकता की समस्या पर तुरन्त और व्यापक रूप से विचार करने की आवश्यकता है। आयोग ने वेतन दर और नौकरी की स्थितियों में सुधार की सिफारिशें यह मानकर की हैं कि कर्मचारी पूरा काम करेंगे और सरकार पूरा काम लेगी।

### आंकड़े इकट्ठे किये जाएँ

गैर सरकारी नौकरियों में रोजी, वेतन और नौकरी की स्थितियों के मध्य में वैज्ञानिक ढंग से आंकड़े इकट्ठे करने और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन, नौकरी की स्थितियों आदि से उनकी तुलनात्मक समीक्षा का काम बराबर करने रहने के लिए आयोग ने एक विशेष यूनिट जल्दी से जल्दी बनाने की सिफारिश की है।

### आयोग की सिफारिशों के कारण अतिरिक्त व्यय

आयोग का अनुमान है कि सशोधित वेतन दरों, भत्तों और नौकरी की स्थितियों में प्रस्तावित सुधारों तथा सुविधाओं आदि के कारण अतिरिक्त वार्षिक व्यय लगभग ४० करोड़ रुपये होगा। इसमें सशोधित वेतन दरों और भत्तों के कारण होने वाला २२ करोड़ ६० का व्यय तथा जो अतिरिक्त सहायता दी जा चुकी है उसके कारण होने वाला ११ करोड़ ६० का व्यय भी सम्मिलित है। महंगाई भत्ते को वेतन में मिलाने, तथा उसके कारण वेतन दर में होने वाली वृद्धि तथा अन्य सिफारिशों के परिणामस्वरूप सेवा निवृत्ति पर मिलने वाले अतिरिक्त लाभ के कारण जो और व्यय होगा उसका अनुमान आयोग ने नहीं लगाया है।

### सिफारिश १ जुलाई, १९५९ से लागू

वेतन आयोग ने यह सुझाव दिया है कि सशोधित वेतन दर तथा महंगाई भत्ता १ जुलाई, १९५९ से लागू हों।

### आयोग की सिफारिशों पर वित्त मंत्री का घत्कथ्य

आयोग की सिफारिशों के बारे में वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने ३० नवम्बर को लोकसभा में एक बक्तव्य दिया, जिसमें केन्द्र सरकार के तत्सम्बन्धी निर्णयों पर प्रकाश डाला गया है। उन्होंने कहा कि

“सदन को मालूम है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और काम की स्थिति संबंधी सिद्धान्तों को जांच के लिए अगस्त १९५७ में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री जगन्नाथदास की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था। इस आयोग को वाछनीय फेरबदल करने के बारे में सिफारिश करनी थी। आयोग ने १९५७ के अंत में एक अंतरिम प्रतिवेदन पेश किया, जिस पर सरकार ने दिसम्बर १९५७ में आदेश जारी किये। आयोग का अंतिम प्रतिवेदन अगस्त १९५९ के अंत में मिला। इस प्रतिवेदन पर सरकार ने अब विचार कर लिया है और मुख्य सिफारिशों में से कुछ पर निर्णय भी कर लिया है। मैंने सदन की मेज पर एक बक्तव्य रखा है, जिसमें मैं सिफारिशें और उन पर किये गये सरकारी निर्णय दिये गये हैं। सरकारी निर्णयों के विषय में एक प्रस्ताव अलग से जारी किया जा रहा है।

### मुख्य सिफारिशें

“आयोग की मुख्य सिफारिशों में से एक यह है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी का काम से कम वेतन, जो उस समय ७५ ६० है, बढ़ाकर ८० ६० प्रतिमास कर दिया जाए। दूसरी मुख्य सिफारिश यह है कि १९५७ में अंतरिम सहायता देने से पहले जितना महंगाई भत्ता मिला था, उसे वेतन में ही मिला दिया जाए। तीसरी मुख्य सिफारिश यह है कि ८० ६० प्रतिमास के न्यूनतम वेतन को ७० ६० मूल वेतन और १० ६० पूयक महंगाई भत्ते में बांट दिया जाए। मूल वेतन का सम्बन्ध व्यवहार को वस्तुओं के मूल्य के सूचक अंक (आधार १९४९=१००) से माना जाए और १० ६० के अलग महंगाई भत्ते का सम्बन्ध १९५८ के औसत सूचक अंक से माना जाए। दस रुपये की यह दर १५० ६० से कम वेतन पर लागू हो। उसके बाद ३०० ६० प्रतिमास तक के वेतन पर बीस रुपये प्रति मास महंगाई भत्ता दिया जाए और ३२० ६० तक मासिक एडजस्टमेंट किया जाए। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन वर्तमान ५० ६० (३० ६० वेतन और २० ६० महंगाई भत्ता) के स्थान पर ७० ६० प्रतिमास हो जाएगा। ऊंचे वेतनों में भी काफी वृद्धि होगी, वर्षािक रिटायर होने के समय उन्हें जितना मिल रहा होगा, उसी के हिसाब से निवृत्ति लाभ मिलेंगे। सरकार ने इन सब सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा सरकार ने रिटायर होने के विषय में आयोग की सिफारिशों को भी स्वीकार कर लिया है। महंगे नगरों में मकान भत्ता और शहर भत्ता देने के विषय में आयोग ने जो सिफारिशें की हैं, उनको भी कुछ सुधार के साथ सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

### अतिरिक्त व्यय

“वेतन और भत्तों में जो विभिन्न सुधार किये गये हैं, उनके फलस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग १६ करोड़ ६० और खर्च होंगे। यह सुधार १ नवम्बर, १९५९ से लागू होंगे। १ जुलाई, १९५९ से ३१ अक्टूबर, १९५९ तक को सेवा के लिए राशि का हिसाब संशोधित वेतन-दर और भत्तों के आधार पर लगाया जाएगा और यह रकम सरकार की ओर से कर्मचारियों के प्राविडेंट फंड में जमा कर दी जाएगी। इसके अलावा, सरकार के निर्णयों के फलस्वरूप पेंशन आदि में जो बढ़ोतरी होगी, उससे

र करोड ६० प्रतिषष्ठ और तर्चर् ड्रोग। अधिक वेतन, भत और पगन देने के विषय में सरकार का उन्नरदायित्व अगले कई वर्ष तर्क वटता जाएगा और इन प्रकार अत में न्यूनतम आनर्नक सरकारी तर्चर् १८ करोड ६० प्रतिवर्ष में वृद्धा अधिक बंटेगा ।

“मदन यह मानेगा कि राष्ट्र की वर्तमान आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए, जबकि विभिन्न विकास योजनाओं को पूरा करना बहुत जरूरी है, इन निर्णयों में वर्तमान माघनों पर बहुत धोरण पड़ेगा। सरकार का इरादा है कि इस बोरक्ष के अमर को कम करने और वेतन आदि में बढोतरी के कारण मुद्रा-स्फीति को मभावता को टालने के लिए कुछ कदम उठाये जाए। सरकार ने आर्याग की इन सिफारिश को स्वीकार कर लिया है कि जनरल प्राविडेंट फंड में र्मा जमा करना सब कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया जाए। जो कर्मचारी अगदायी वा गैर-अगदायी प्राविडेंट फंड में ८। प्रतिदात को ऊर्ची दर के हिमात्र में र्सा कटा रहे हैं, वे उर्मा दर पर र्मा बटाते रहेंगे। अन्य कर्मचारियों को अपने वेतन का ६ प्रतिशत जनरल प्राविडेंट फंड में देना होगा। सरकार का यह भी इरादा है कि सरकारी कार्यालयों, विनेयकर ऐंवी एनर्जीपुड्विच और आपरेसनल एर्नैरियां में जो मार्बजनिक व्यय के वहुत बडे भाग के लिए जिम्मेदार हैं, काम करने के मोजूदा तरीकों में सुधार जाए। काम के तरीकों के बारे में जो पडताल हूँ चुकी है, उससे मुझे यह आशा हो चली है कि खर्च में काफ़ी बचत की जा सकती है और प्रगासन के खर्च को बढने से रोका जा सकता है। यह अनुमान है कि वर्तमान तरीकों में सुधार के फलस्वरूप कुछ कर्मचारी फालतू हो जाएंगे। सरकार का इरादा है कि इन फालतू कर्मचारियों को वर्तमान नौकरियां से हटाया न जाए और भविष्य में जो नौकरिया निकले, उन पर रख दिया जाए।

### सेवा-निवृत्ति की उम्र

“आर्याग ने सिफारिश की है कि जो लोग इस समय ५५ वर्ष की अवस्था में सेवा से निवृत्त होने हैं, उनकी सेवा-निवृत्ति की उम्र बडा कर ५८ वर्ष कर दी जाए। ऐंसे कर्मचारी जो ६० वर्ष की उम्र तक सेवा कर सकते हैं, उनकी सेवा-निवृत्ति उम्र घटा कर ५८ वर्ष कर देने की सिफारिश की गयी है, हालांकि इस समय जो लोग काम कर रहे हैं, वे ६० वर्ष तक की उम्र तक ही सेवा कर सकते हैं। सरकार ने इस विषय पर मावधानी से विचार किया और इन निर्णय पर पहुंची कि सेवा-निवृत्ति की उम्र वही रखी जाए, जो इस समय है और इसमें कोई फेरवदल न की जाए। यह निर्णय करते समय सरकार के सामने ये दो बातें रही हैं :

(१) सेवा-निवृत्ति की उम्र बढने पर वर्तमान कर्मचारियों के तीन साल और सेवा करने से निशित मुचको और मुवर्तियों को निकट भविष्य में नौनरी मिलने का अवसर कम रहेगा; और

(२) अयोग्य लोगों को ५५ वर्ष की उम्र के बाद भी सेवा में रखने का पूरा प्रभाव पड़ेगा।

इन दो बातों का महत्त्व इसलिए भी बडा होगा है कि काम के तरीकों के सुधार के फलस्वरूप कुछ कर्मचारियों के फालतू हो जाने की संभावता है। सेवा-निवृत्ति की उम्र तीन साल बडा देने की दगा में ऐंसे कर्मचारियों को नौनरी दिलाने के काम में देर होगी। सरकार का इरादा है कि सेवा-

काल में वृद्धि वर्तमान नियमों के अनुसार ही की जाए; बैज्ञानिक और सिप्लिक कर्मचारियों का सेवा-काल बढ़ाने की छूट खुले तौर पर दी जाए, लेकिन अन्य कर्मचारियों का सेवा-काल तभी बढ़ाया जाए, जब ऐसा करना मार्बजनिक हित में हो।

### छुट्टियां और काम के घंटे

“सरकार ने केन्द्रीय सरकार के प्रगासनिक कार्यालयों के कर्मचारियों की छुट्टियां, आकस्मिक छुट्टी और काम के घंटों के बारे में आर्याग की सिफारिशों पर भी निर्णय कर लिया है। यह प्रस्ताव है कि छुट्टियां २३ से घटा कर १६ कर दी जाएं, आकस्मिक छुट्टियां १५ से घटा कर १२ कर दी जाएं और महीने में एक शनिवार को पूरी छुट्टी रहे। महीने के बाकी शनिवारों को उतने ही घंटे काम हो, जितना अन्य दिनों में होता है। कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में जो सुधार किये गये हैं और रिटायर होने पर उन्हें जो लाभ होगा, उने देयते हुए सरकार को यह विश्वास है कि जनता काम के घंटों में यह मामूली बढोतरी करने का समर्थन करेगी और सरकारी कर्मचारियों के अधिकाधिक काम और अधिक उत्पादन की अपील में सरकार का साथ देगी।

“जिन सिफारिशों के बारे में सरकार ने निर्णय कर लिया है, उनमें अलावा अन्य कई विषयों पर भी आर्याग ने अपनी सिफारिशें पेश की हैं। इन सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है और उन पर जल्दी में जल्दी कोई निर्णय कर लिया जाएगा।

“मैं इस अवसर पर यह कह देना चाहता हू कि आर्याग ने इस कठिन कार्य को निपटाने और बहुत साफ और गुलशा हुआ प्रतिवेदन पेश करने के रूप में जो बहुमूल्य कार्य किया है, उसकी सरकार बहुत सराहना करती है।”

### आर्याग की सिफारिशों पर सरकार का निर्णय

(१) वेग में वर्तमान वेकारी और काम की कमी को दमने हुए ७५.४० न्यूनतम वेतन काफी है। गैरगलतारी कारोबारों में इगमें अधिक नहीं मिलता तथा इनमें पर सरकार को उपयुक्त आरामों मिद जाएंगे। यद्यपि देग में मुद्रा विन्मार पर नियंत्रण बन्ना जरूरी है फिर भी कर्मचारियों को मंतुष्ट रखने के लिए इन वेतन में थोड़ी वृद्धि आवश्यक है। इसलिए न्यूनतम वेतन ७५.४० में बडा कर ८०.४० महीना कर दिया जाए।

### स्वीकार

(२) ३००.४० महीने में कम पाने वाले कर्मचारियों को मरगाट भगा अलग से निम्नलिखित दर में मिचना चाहिए :

१५०.४० में कम मूल वेतन	१०.४०
१५०.४० या उतने अधिक, परन्तु ३००.४०	२०.४०
ने कम मूल वेतन	२०.४०

३००.४० में ३२०.४० महीना तक पाने वाले कर्मचारियों के लिए मार्बिनल हेरफेर कर देनी चाहिए।

### स्वीकार

(२) इतने अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को पूरा पारिधमिक वेतन के ही रूप में निलम्ना चाहिए और मंहमाई भत्ता अलग से नहीं मिलना चाहिए ।

स्वीकार

(४) कमीशन ने सभी नौकरियों और पदों के लिए वेतन-ग्रन्थ नियमित किया है ।

सरकार इन पर विचार रही है और आवश्यक परिवर्तनों के बाद इन्हे स्वीकार करेगी ।

(५) मजान भाड़ा भत्ता : वनसेवा के आचार पर नगरों का वर्गीकरण जारी रहना चाहिए और भत्ते की मर्यादित दरें इन प्रकार होने चाहिए :

(८) नगर भत्ते के वर्तमान आचार और ढांचे में संशोधन की जरूरत नहीं है, परन्तु इनकी दर इन प्रकार होनी चाहिए :

नगरों की श्रेणियाँ

	‘ए’	‘बी’	‘सी’
१५० से कम	वेतन का	वेतन का	कुछ नहीं
	१० प्र०श०	५ प्र०श०	
	पर न्यूनतम	पर ५००	
	७.५० और	१० नहीं	
	अधिकतम	के नीचे	
	१२.५०	वालों को	
		न्यूनतम	
		५०० और	
		अधिकतम	

(११) दम्बर के कर्मचारियों को आकस्मिक छुट्टी घटा कर माल में १२ दिन कर देनी चाहिए।

स्वीकार

(१२) हर श्रेणी के नगरगो कर्मचारियों की रिटायर होने की उम्र, उनको भी जिनकी वर्तमान रिटायर होने की उम्र ६० वर्ष है, ५८ वर्ष होनी चाहिए। परन्तु दम समय जो ६० वर्ष में रिटायर होने के हकदार हैं उनको ६० वर्ष नग नोकरी करने देना चाहिए।

(१३) वैज्ञानिक और टेक्निकल कर्मचारियों को साधारणतः दो माल का एम्प्लॉयन देकर या फिर में नियुक्त करके ६० वर्ष तक नोकरी करने देना चाहिए।

रिटायर होने की वर्तमान उम्र और नियमों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नोकरी की अवधि बढ़ाने के लिए जो वर्तमान प्रादेश हैं उन्हीं के अनुसार काम होना चाहिए, अर्थात् वैज्ञानिक और टेक्निकल कर्मचारियों की मुक्त रूप से नोकरी बढ़ायी जाए, पर बाकी लोगों के लिए सार्वजनिक हित में होने पर ही विशेष स्थिति में नोकरी को अवधि बढ़ाई जानी चाहिए।

(१४) ग्रैजुएट की दर में दम प्रकार मसौदन होना चाहिए कि ३० वर्ष की क्वालीफाइंग नोकरी पूरी करने पर सबसे अधिक रकम मिले।

स्वीकार। तदनुसार नोकरी के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए एक महीने के कुल वेतन के ६।२० के वजाय ०।१२० के हिसाब से ग्रेजुएट दी जाएगी।

(१५) अस्थावी नोकरी यदि उमो या दूसरे किसी पद पर स्थायी हो जाए तो पेंशन के लिए पूरी गिनी जानी चाहिए।

स्वीकार

(१६) यदि भारत के बाहर छुट्टी ली जाए तो पेंशन के लिए वह उसी प्रकार मानी जाएगी जैसे भारत के अन्दर लेने पर मानी जाती है।

स्वीकार

(१७) जब क्वालीफाइंग नोकरी की पूरी अवधि समाप्त वर्षों से ६ महीने से अधिक हो तो आधे साल की अतिरिक्त पेंशन दी जाए।

निम्नलिखित परिवर्तनों के साथ स्वीकार :

(क) अतिरिक्त पेंशन उस समय भी दी जाएगी जब अतिरिक्त अवधि पूरे छः महीने होगी, और

(ख) ग्रेजुएट के बारे में भी यही नियम लागू होगा।

(१८) १. किन्हाल जिन लोगों को आफिशियेटिंग, स्पेशल और परसनल तनवाह पूरी गिनी जाती है वह उसी प्रकार गिनी जाती रहे।

२. बाकी लोगों के लिए नोकरी के आवरो ३ सालों में जो आफिशियेटिंग, स्पेशल और परसनल तनवाह मित्रजी हो वह इस प्रकार गिनी जाए :

(क) आफिशियेटिंग वेतन (अर्थात् सस्टैटिव वेतन और ऊपे आफिशियेटिंग पद के वेतन में जो अतर

हो) और नान-सस्टैटिव पद पर मिलने वाला वेतन आधा गिना जाए; और

(ख) स्पेशल या परसनल वेतन पूरा गिना जाए, यदि वह पद सस्टैटिव रूप में रहा हो और बाकी सब मामलों में ये वेतन आधे गिने जाए; टेम्पोर पदों का स्पेशल वेतन भी आधा गिना जाए।

११. परसनल वेतन पूरा गिना जाए यदि वह मुख्य वेतन की क्षति पूरी करने के लिए दिया गया हो या वह पद मुख्य (सबस्टेटिव) हैसियत का हो। बाकी सब मामलों में परसनल वेतन आधी गिना जाए।

२. हर मामले में आफिशियेटिंग वेतन आधा गिना जाएगा।

३. किसी भी स्थिति में स्पेशल वेतन नहीं गिना जाएगा।

(१९) जो कर्मचारी इस समय प्राविडेंट फंड में अपने वेतन का ८-१।३२ प्रशं० देते हैं या जो पेंशन योजना में शामिल होने के बाद उस दर पर दे दे इसी दर पर देते रहे। बाकी कर्मचारी कम से कम अपनी तनवाह का ६।२० ध० जनरल प्राविडेंट फंड में कटाये। इस समय जो कर्मचारी ८३० न० पै० प्रति रुपया देते हैं या वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जिन्हें देना पड़े उनके अलावा बाकी सब कर्मचारियों को जनरल प्राविडेंट फंड में ६ न० पै० प्रति रुपये के हिसाब से देना अनिवार्य किया जाएगा।

(२०) मसौधित वेतन क्रम में कर्मचारी को प्रारम्भिक वेतन उसी पाइंट पर दिया जाएगा जिस पाइंट पर वह पुराने क्रम में रहा है, वसतें कि

(क) इस पुनर्निर्धारण से उनके कुल वेतन में कमी न हो, और

(ख) अतिरिक्त वेतन निर्वाहित अधिकतम गॉमा से ऊपर न जाए।

स्वीकार

(२१) संसोधित वेतन क्रम में आने के बाद भी कर्मचारी को वार्षिक वेतन वृद्धि उसी तारीख से मिलनी चाहिए जिनमें पहले मिलती थी।

स्वीकार

(२२) वेतन क्रमों में संशोधन के फलस्वरूप जहाँ साधारणतः वेतनों में वृद्धि होगी वहाँ कुछ मामलों में कुछ कर्मचारियों को नुकसान भी होना अनिवार्य है। इन कर्मचारियों को उनका वर्तमान वेतन मिलता रहना चाहिए।

स्वीकार

(२३) वेतन और नतीका संसोधित क्रम १-०-१९५९ से लागू होना चाहिए।

वेतन, मंहगाई, मरान और नगर मत्ता आदि का संसोधित क्रम १ नवम्बर, १९५६ से लागू होगा, परन्तु १ जुलाई, १९५६ से ३१ अक्टूबर, १९५६ तक का वास्तविक नोकरी की गयी है उसके लिए सरकर उचित रकम अनुग्रह धन के रूप में देगी। यह रकम मंशो वेतन और मत्ता दर का हिसाब से कूनी जाएगी कर्मचारी के प्राविडेंट फंड में जमा कर दी।

## भारतीय बन्धियों के साथ श्रमानु- षिक व्यवहार : चीन को नया पत्र

भारत सरकार ने चीन सरकार से अनु-  
रोध किया है कि जिन लोगों ने हाल  
ही में लद्दाख में चीनी सैनिकों द्वारा पकड़े  
गए निस्सहाय भारतीय बन्धियों के साथ  
अमानुषिक व्यवहार किया था, उनके विरुद्ध  
उचित कार्रवाई की जाए। इस आग्रह का  
एक पत्र १५ दिसम्बर को नई दिल्ली में चीनी  
दूतावास को दिया गया।

भारत सरकार ने इस पत्र में फिर यह कहा  
है कि भारतीय पुलिस कर्मचारी जब चीनियों  
की हिरासत में थे तब उनके साथ निन्दनीय  
व्यवहार किया गया। यह जाहिर है कि चीन  
सरकार को लद्दाख में कोंगका दर्रे की घटना  
और बाद में भारतीय कर्मचारियों के साथ  
किये गये बर्तव्य के बारे में अपने सीमा-रक्षा  
अधिकारियों से जो रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, वह  
बिल्कुल गलत हैं।

भारतीय पुलिस कर्मचारियों के साथ किये  
गये व्यवहार के बारे में भारत सरकार और  
चीन सरकार ने एक-दूसरे को जो पत्र लिखे हैं,  
उनकी प्रतियां १५ दिसम्बर को प्रधान मंत्री  
ने लोकनभा की मेज पर रखीं। भारत सरकार  
ने चीन को अपनी ताजा चिट्ठी में लिखा  
है कि रिहा किए गए भारतीय कर्मचारियों  
से अब इन बात का पूरा-पूरा ब्योरा मिल गया  
है कि घटना कैसे हुई और चीनियों की हिरासत  
में उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया। इस  
ब्योरे से उन बातों को पुष्टि होनी है जो  
भारत सरकार ने चीन को अपनी पिछली  
चिट्ठियों में लिखी थी। पत्र में लिखा गया  
है कि १२ अगस्त, १९५९ के जनेवा  
समझौते के अनुसार युद्धबन्धियों के साथ जैसा  
व्यवहार किया जाना चाहिए भारतीय  
कर्मचारियों के साथ वैसा भी व्यवहार नहीं  
किया गया।

भारत सरकार ने अपनी चिट्ठी के साथ  
भारतीय पुलिस दल के नेता श्री कर्मसिंह का  
बयान भी भेजा है। इस बयान से पता चलता  
है कि भारतीय बन्धियों को न तो भयंकर खाना  
दिया गया और न उनके रहने का उचित  
प्रबंध किया गया। हमसे यह भी पता चलता

है कि श्री कर्मसिंह ने १२ दिन तक पूछताछ  
की जाती रही और चीनियों ने उन में जबरदस्ती  
अपनी मर्जी के मुताबिक बयानों पर दस्तखत  
कराए। इस लिए इन हालात में अगर श्री  
कर्मसिंह या किसी अन्य भारतीय बन्धी ने  
कोई बयान दिया हो तो उसे ठीक नहीं समझा  
जाना चाहिए।

भारत सरकार ने चीन सरकार के इस  
बयान पर भी हैरानी जाहिर की है कि कास्टेबल  
अब्दुल मजीद बिल्कुल ठीक था और उसने  
कभी यह नहीं कहा कि मैं बीमार हूँ। असल बात  
यह है कि जब भारतीयों और चीनियों की  
शक्य हुई तो कास्टेबल अब्दुल मजीद को गोली  
लग गई थी। गोली का एक टुकड़ा अब भी  
उनकी पीठ में है। कुछ दिन तो उनकी चिकित्सा  
की और ध्यान नहीं दिया गया। चीन सरकार  
ने यह भी कहा था कि उन्हें इस बात का कुछ  
पता नहीं कि कास्टेबल माखनलाल कहा  
है? भारत सरकार ने इसके जवाब में कहा  
है कि श्री कर्मसिंह के बयान से पता चलता  
है कि कास्टेबल माखनलाल के पेट में घाय  
आया था। उस पर भी वे थो कर्मसिंह और  
अन्य कास्टेबल की सहायता से दंड मील तक  
पंदल चल कर गए। इसके बाद उन्हें दो चीनी  
सैनिकों को देख-रेल में छोड़ दिया गया।  
इसलिए चीन सरकार को अपने सीमा-रक्षा  
अधिकारियों से फिर यह पूछना चाहिए कि  
कास्टेबल माखनलाल को किन हालात में पीछे  
छोड़ा गया और बाद में उनका क्या हुआ।

श्री कर्मसिंह ने सत्रह पृष्ठ का एक बयान  
दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि चीनी  
सैनिकों ने किस प्रकार भारतीय पुलिस दल  
को बन्धी बनाया, उनमें किस प्रकार पूछताछ  
की जाती रही और चीनियों की इच्छा के  
अनुसार बयानों पर हस्ताक्षर करने पर मजबूर  
करने के लिए उन पर क्या-क्या सख्तियां  
की गयीं।

श्री कर्मसिंह ने अपने बयान में कहा है कि  
चीनियों ने हम पर अचानक ही गोली चलायी  
मुरु कर दी। हमने भी जवाब में गोली चलाई  
लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि  
चीनियों ने ज्यादा अच्छी जगह पर मोर्चा बना  
रखा था, उनकी सख्या हम से बहुत ज्यादा थी

और उनके पास हथियार भी ज्यादा अच्छे  
थे। ऐसी हालत में मैंने हथियार डाल देना  
ही उचित समझा। गिरफ्तार करने के बाद  
चीनी हमें को कला की चौकी पर ले गए जो  
सोलह हजार फुट से अधिक की ऊंचाई पर  
है। रास्ते में चीनी सैनिक हमें राइफल के  
कुन्दे मार-मार कर धकेलते रहे। रात को हमें  
बिस्तर भी नहीं दिये गये और हमें इतनी सर्दी  
में रात जमीन पर ही बितानी पड़ी। तीन  
चार दिन तक हमें खाने को सूखी रोटी दी  
जाती रही। चीनियों से कई बार चिकित्सा  
के लिए कहा गया और गर्म पानी मांगा गया,  
लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया।

चीनियों ने श्री कर्मसिंह से जो पूछताछ  
की उसको चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है  
कि चीनियों ने मुझे इस बयान पर दस्तखत  
करने के लिए कहा कि गोली पहले भारतीयों  
ने चलाई थी। जब मैंने दस्तखत करने से  
इन्कार किया तो मुझे यह धमकी दी गई कि  
मुझे गोली मार दी जाएगी। आखिर चीनियों  
ने मुझे इस बयान पर दस्तखत करने के लिए  
मजबूर किया कि मैं यह नहीं कह सकता,  
गोली किनने पहले चलाई। मुझे इस बात पर  
दस्तखत करने के लिए भी मजबूर किया गया  
कि मुझे पहले से यह मालूम था कि जिस जगह  
पर यह घटना हुई वह चीनी इलाके में है।  
मैंने चीनियों से कहा कि मैं इस बयान पर  
दस्तखत नहीं कर सकता क्योंकि मैं यह जानता  
हू कि वह जगह कई मील भारतीय इलाके  
अन्दर है। लेकिन वे इसी बात पर जोर दे  
रहे कि वह चीन का इलाका है और चीन  
अधिकार में है। इस पर चीनियों ने यह लिख  
कि कर्मसिंह को अब मालूम हो गया है कि यह  
इलाका चीन के अधिकार में है।

## भारत में रहने वाले विदेशी

नयी दिल्ली में ३ दिसम्बर को जारी व  
गयी एक अधिसूचना के अनुसार, भारत  
में रहने वाले ऐसे सब विदेशियों को, जिनमें  
पास भारत में रहने का अनुमति-पत्र नहीं है  
५ जनवरी, १९६० तक अनुमति-पत्र प्राप्त  
करने होंगे।

यह आदेश राष्ट्रमण्डलीय देशों के नागरिकों, राजदूतों, विदेशी दूतावासों में काम करने वाले लोगों तथा उनके परिवारों पर लागू नहीं होगा।

यह अनुमति-पत्र उस क्षेत्र का रजिस्ट्रेशन अधिकारी बनाएगा, जिनमें सम्बन्धित विदेशी रहता है।

इस अधिसूचना का उद्देश्य यह है कि जो विदेशी भारत में १२ अगस्त, १९४३ से भी पहले में रह रहे हैं, वे भी अनुमति-पत्र बनवा लें। विदेशियों को भारत में रहने के अनुमति-पत्र बनवाने के सम्बन्ध में प्रथम बारान १२ अगस्त, १९४३ को लागू हुआ था।

### रजिस्टरशुदा विदेशी

३१ अक्टूबर को भारत में रहने वाले रजिस्टरशुदा व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार थी :

१ अफगानिस्तान	७,०९५
२ अर्जेंटाइना	१५
३ आस्ट्रिया	२८२
४ बेल्जियम	५१३
५ ब्राजील	११
६ बर्गोरिया	२७
७ बर्मा	१,७२८
८ कम्बोडिया	३५
९ चीन	११,९४२
१० क्यूबा	१
११ चेकोस्लोवाकिया	२५९
१२ डेन्मार्क	२००
१३ मयूक्त अरब गणराज्य	१५३
१४ इथियोपिया	३३
१५. फिनलैंड	७४
१६. फ्रांस	१,०२९
१७ जर्मनी	३,५९७
१८. हालैंड	५४४
१९. हंगरी	७०
२० इण्डोनेशिया	२३८
२१. ईरान	४,२१०
२२ इराक	५२२
२३ इजरायल	१८
२४ इटली	१,०५५
२५. जापान	७०५
२६ जोर्डन	८
२७. लाओस	३

२८. लेबनान	१३
२९. मेक्सिको	२७
३०. मंगोलिया	१९
३१. नावे	१६८
३२. फिलीपीन्स	३८
३३ पोर्लैंड	१५६
३४. पुर्न्याल	८६६
३५. रूमाणिया	४७
३६. रूस	२,२२९
३७. मऊरी अरब	३९१
३८ स्पेन	३३३
३९. सूडान	३२
४०. स्वीडन	३८७
४१ स्विटजरलैंड	६४९
४२ थाईलैंड	३९५
४३ तिब्बत	१०,२३३
४४ तुर्की	९४
४५ अमरीका	४,११९
४६. वियतनाम	४७
४७ यूगोस्लाविया	५७
४८ जिनका देश निश्चित नहीं	१४
४९ अन्य	३८३

कुल जोड़ ५५,१०४

### प्रतिमास विदेशियों का आगमन

१ अक्टूबर, १९५८ से हर महीने औसतन ४ हजार विदेशी भारत आ रहे हैं। उस दिन से विदेशियों का नाम रजिस्टर कराने का तरीका आसान बना दिया गया था।

अगस्त १९५९ के अंत तक ४६,७६० विदेशी भारत आए। इनमें राष्ट्रमण्डलीय और ब्रिटेन द्वारा प्रसारित देशों के नागरिक शामिल नहीं हैं।

सबसे अधिक व्यक्ति—१७,८२९—अमरीका से आए। जर्मनी से ४,३२७, रूस से ३,२१०, और बर्मा से २,८७० व्यक्ति आए।

### विदेशियों को रजिस्ट्री

बन्दरगाह और हवाई-जड्ड से निकलने में होने वाले विलम्ब को कम करने के लिए विदेशियों को अब अपने को रजिस्टर करवाने के लिए और भारत में रहने के लिए

अधिकांश विदेशियों को अन्य कामों के लिए केवल एक ही अधिकारी के पास जाना होगा। आजकल इन मामलों के लिए कई अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ती है। आशा की जाती है कि इन सुविधाओं के फलस्वरूप आवेदन-पत्रों का निपटारा करने में आसानी होगी और असुविधाएं कम हो जाएंगी।

### आकाशवाणी के विदेश प्रसार डिवीजन में विदेशी कर्मचारी

केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, डा० बालकृष्ण विश्वनाथ केसाकर ने राष्ट्र-सभा में बताया कि आकाशवाणी की विदेश प्रसार डिवीजन के सुपरवाइजर पदों पर जहां तक हो भारतीयों को ही नियुक्त करने की सरकार की नीति है। मंत्री महोदय ने इस बात को गलत बताया कि विदेश प्रसार डिवीजन के कुछ कर्मचारियों में अनभिज्ञता लोगों को समय से पहले खबरें दी हैं। डा० केसाकर ने बताया कि चीनी कार्यक्रमों के लिए उक्त डिवीजन में ७ चीनी नागरिक नियुक्त हैं।

मंत्री महोदय ने बताया कि आकाशवाणी के एक भारतीय कर्मचारी को, जिनमें चॉन में तीन साल अध्ययन किया है, चीनी विभाग में आर्गनाइजर नियुक्त किया गया है। डा० केसाकर ने कहा कि आकाशवाणी के भाग्यीय कर्मचारियों को कुछ विदेशी भाषाओं के अध्ययन के लिए विदेश भेजने की योजना पर विचार हो रहा है। इन लोगों को केवल उन्हीं भाषाओं के अध्ययन के लिए बाहर भेजा जाएगा, जिनके अध्ययन की भारत में सुविधा नहीं है।

### लोकसेवा समिति की सिफारिशें

श्रव नीची श्रेणी की मजदूरी नीति में नवीनी के लिए उम्मीदवारों के पास विश्वविद्यालय की डिग्री होना जरूरी नहीं होगा। बरतों के प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्रियों की शर्तों के अन्तर्गत नीति में सुधार की योजना है।



यह निर्णय, लॉन्गसेवा (योग्यता और भर्ती) समिति की सिफारिशों पर किया गया है। समिति की सिफारिश पर कुछ नौकरियों में भर्ती की उम्र में भी परिवर्तन किया गया है। अप्रैल १९५५ में यह समिति नियुक्त की गई थी।

### ऊँची नौकरियाँ

ऊँची सरकारी नौकरियों, अखिल भारतीय और केन्द्रीय सरकार की प्रथम श्रेणी की नौकरियों के लिए पहले की तरह ही न्यूनतम योग्यता विश्वविद्यालय की डिग्री होगी। समिति ने भी इनकी सिफारिश की है। इन नौकरियों में भर्ती के लिए पहले की तरह उम्र २१ से २४ वर्ष और भारतीय पुलिस सेवा के लिए २० से २४ वर्ष रहेगी।

केन्द्रीय सरकार की, बलकों के अलावा तीसरी श्रेणी की अन्य नौकरियों में भर्ती के लिए भी डिग्री आवश्यक नहीं होगी। उम्मीदवारों को इंटरमीडिएट, सीनियर सैमिग्रज, हायर सेकेंडरी या इनके समकक्ष परीक्षा पास होना होगा। पर इन नौकरियों के लिए उम्र १९ से २३ वर्ष रखी गई है जिससे प्रेनुएट भी इनके लिए आवेदन कर सकें। अब तक इन नौकरियों के लिए अधिकतम उम्र २५ साल से कम थी।

भारतीय आर्टिस्ट और एकाउन्ट विभाग के एम० ए० ए० एस० एंटरिंस और डिबोजनल एकाउन्टेंटों को योग्यता और उम्र की यह छूट नहीं दी जाएगी।

### अपर डिबोजन बलक

अपर डिबोजन बलकों की भर्ती के लिए भी डिग्री के स्थान पर इंटरमीडिएट, सीनियर सैमिग्रज, हायर सेकेंडरी या इनके समकक्ष परीक्षा की योग्यता रखी गई है। इसके लिए १८ से २१ साल तक की उम्र रखी गई है। अब तक इनके लिए विभिन्न स्थानों पर कम से कम उम्र १७ से २० साल और अधिक से अधिक उम्र २२ से २५ साल तक थी।

### लोवर डिबोजन बलक

जब तक सब जगह हायर सेकेंडरी शिक्षा शुरू नहीं हो जाती, तब तक लोवर डिबोजन बलकों की भर्ती के लिए पहले की तरह ही

न्यूनतम योग्यता मैट्रिक रहेगी। उम्मीदवार की उम्र कम से कम १८ साल और ज्यादा से ज्यादा २१ साल होगी चाहिए। अब तक लोवर डिबोजन बलक के लिए कम से कम उम्र १७ साल और अधिकतम उम्र विभिन्न स्थानों पर २० साल से २५ साल तक रही है।

केन्द्रीय सरकार की दूसरी श्रेणी की गजटड और गैर-गजटड नौकरियों के लिए विश्व-विद्यालय की डिग्री की योग्यता जारी रहेगी। जो कार्यालय केन्द्रीय सचिवालय सेवा की योजना के अंतर्गत गह्रां आते, उनके असिस्टेंट भी इसमें शामिल हैं। गजटड पदों के लिए पहले की तरह ही २१ से २४ साल तक की उम्र रहेगी पर गैर-गजटड पदों के लिए उम्र २० से २४ साल कर दी गई है।

### नियम संशोधन के बाद निर्णय लागू

नौकरी में भर्ती के वर्तमान नियमों में औपचारिक रूप से संशोधन हो जाने पर कम योग्यता और उम्र संबंधी सरकार के निर्णय लागू कर दिए जाएंगे।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों, विस्थापितों आदि को इस समय उम्र सवधी जो छूट दी जाती है वह जारी रहेगी।

ये आदेश शिल्पिक, व्यावसायिक और विशेषज्ञों की नौकरियों पर लागू नहीं होंगे।

### विभागीय पदोन्नति

कुछ विभागों में पदोन्नति के लिए भी शिक्षा संबंधी योग्यताएँ रखी गई हैं। पर सब विभागों में ऐसा नहीं है। जिन विभागों में पदोन्नति के लिए शिक्षा संबंधी योग्यताएँ रखी गई हैं, वहाँ इनमें इन निर्णयों के आधार पर संशोधन किया जाएगा।

जहाँ तक भारतीय आर्टिस्ट और एकाउन्ट विभाग के कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश महालेखा परीक्षक से सलाह करने के बाद जारी किये गये हैं।

डा० रामास्वामी मुदालियर लोक सेवा समिति के अध्यक्ष थे।

### केन्द्रीय सेवा में अपर डिबोजन बलकों की पुष्टि

केन्द्रीय सचिवालय बलेरिक्ल सेवा में अपर डिबोजन (ग्रेड १) में नौकरियों की पुष्टि के लिए १ सितम्बर, १९५९ को आदेश दिये गए।

इस आदेश के अनुसार १ मई, १९५७ और १ मई, १९५८ को जितनी जगह खाली थी, उन पर निम्न श्रेणियों की नौकरियाँ पक्की की जा रही हैं या की जाएगी :

१. अधीन (सर्वाजिन्ट) कार्यालयों के स्थायी अपर डिबोजन बलक, जो केन्द्रीय सचिवालय कर्क सेवा के लिए चुने गये हैं।
२. वे स्थायी अपर डिबोजन बलक जो सचिवालय में स्वीकृत सहाय से अधिक पदों पर हैं और जिनको नियमित स्थायी पदों पर हक दिया जाना है।
३. स्थायी ग्रेड २ बलक;
४. अर्ध-स्थायी अपर डिबोजन बलक, और
५. वे लोग जो शुरू में ग्रेड १ में स्थानों के अभाव में या अन्य कारणों से पुष्ट (कनफर्म) नहीं किये जा सके।

यह सूचना स्वराष्ट्र मंत्रालय में मंत्री, श्री दलवन्त नंगम दातार ने ८ दिसम्बर को राज्य-सभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि उपरोक्त १, २ और ३ नम्बर की श्रेणियों में पुष्टि के लिए टाइप की परीक्षा पास करना आवश्यक नहीं है। ४थी और ५वीं श्रेणियों में पुष्टि में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो टाइप की परीक्षा पास होंगे। इसके बाद यदि जगह होगी तो टाइप परीक्षा न पास करने वालों की भी नौकरी पक्की कर दी जाएगी और उनकी सीनियरिटी न मारी जाएगी।

### केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुसूचित जातियों के संरक्षण अफसर

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुसूचित जातियों के ५१ सेवान अफसर हैं। इनमें से ११ दूसरे ग्रेड के और ४० तीसरे

है के हैं। मंत्री महोदय ने कहा कि अनुसूचित जातियों के अफसरों को पदोन्नति में कुछ रिजर्वत दी जाती है।

यह सूचना स्पराष्ट्र मंत्रालय में मंत्री, श्री बलरत्न नगेस दातार ने १४ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

### भारत-पाकिस्तान वितीय वाता

विभाजित प्रांतों और केन्द्र के हिन्द-किताब की स्थिति का ध्योरा तैयार करने के लिए भारत और पाकिस्तान की सरकारों के अधिकारियों की बातचीत का जो दूसरा दौर

८ दिसम्बर, १९५९ को शुरू हुआ था, वह १२ दिसम्बर को नयी दिल्ली में समाप्त हो गया। उन्होंने विभाजित प्रांतों के बारे में बातचीत पूरी कर ली और केन्द्र के मामले में भी बहुत-नी मुख्य बातों पर विचार कर लिया। अभी कुछ विषयों पर विचार होना थाकी है और इसके लिए अधिकारियों की अगली बैठक दिसम्बर के अन्त में होगी। उस समय उनका काम पूरा हो जाने की आशा है और तब वे बातचीत के परिणाम की सूचना अपने-अपने मन्त्रियों को दे देंगे।

यह सूचना वित्त मंत्रालय की १४ दिसम्बर की एक विज्ञप्ति में दी गयी है।

मिलते हैं। नयी राशि के इस वृत्तिपत्र के नियम भी १९५७ में जारी किये गये वृत्तिपत्रों के अनुसार ही होंगे।

१,३३० रु० देकर वृत्तिपत्र लेने वाले को वृत्तिपत्र लेने की तारीख के एक महीने बाद से १५ वर्ष तक के लिए १० रु० महीना मिलना शुरू हो जाएगा। प्रति मास मिलने वाली इस राशि पर आयकर या अधिकर नहीं लगेगा। आयकर लगाने के लिए कुल आय का हिसाब लगाते समय वृत्तिपत्र लेने वाले को मिलने वाली यह राशि आय में शामिल नहीं की जाएगी। इन वृत्तिपत्रों में लगायी गयी राशि पर लगभग ४ प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा।

वार्षिक वृत्तिपत्रों में एक व्यक्ति अधिक से अधिक २६,६०० रु० अथवा दो व्यक्ति मिल कर अधिक से अधिक ५३,२०० रु० लगा सकते हैं। जिन व्यक्तियों ने १९५४ में जारी किये गये वार्षिक वृत्तिपत्र ले रखे हैं, वे मौजूदा सिरीज तथा नयी राशि के वृत्तिपत्रों को मिलाकर एक व्यक्ति अधिक से अधिक २८,००० रु० और दो व्यक्ति मिल कर अधिक से अधिक ५६,००० रु० तक के वार्षिक वृत्तिपत्र ले सकेंगे।

### चीनी के उत्पादन शुल्क की वसुली

१ जनवरी, १९५९ से ३१ अक्टूबर, १९५९ तक चीनी पर उत्पादन शुल्क के रूप में कुल ५० करोड़ ५० लाख ८४ हजार रु० वसूल किये गये। इनमें खाण्डगारी का उत्पादन शुल्क भी शामिल है, जो कुल ६ लाख ३३ हजार रु० था। यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में ३ दिसम्बर को राजसभा में राजस्व और अर्थनिक व्यय मंत्री, डा० गंगाराम रेड्डी ने दी।

### सीमा शुल्क की वापसी

भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि पाठ वापस की गन्तिया और टैंगिन्डिन्ड मिथिन बरदा बनाने में राम प्राने बरदा काट बाहर में मगाने पर जो मीना और केन्डा उत्पादन शुल्क दिया जाता है, वह वापस कर



### पी. एल ४८० के अंतर्गत अमरीका से ऋण

अमरीका के पी०एल० ४८० ऋण कोष से आर्थिक विकास के कामों के लिए ऋण देने के बारे में योजनाओं का चुनाव भारत सरकार और अमरीकी अधिकारियों की सह-मति में होता है। अब तक १७ योजनाओं के लिए १ अरब ४६ करोड़ २६ लाख रु० के ऋण के बारे में करारों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।

यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री, श्री मंगारजी देसाई ने १४ दिसम्बर को लोकसभा में दी।

उन्होंने बताया कि पुनर्वित्त निगम के लिए ५ करोड़ रु०; चम्बल योजना के लिए ४ करोड़ ६ लाख ४२ हजार ८०० रु०, हीराकुंड योजना के लिए १९,२३,८४२ रु०; कोसी योजना के लिए २,२०,६०,००० रु०, कुडा बिजली योजना के लिए १,७२,८२,४१९ रु० और कोयना बिजली योजना के लिए १,६१,४४,१४९ रु०, यानी कुल १४ करोड़ ८० लाख ५३ हजार २१० रु० उधार मिल चुका है।

श्री देसाई ने कहा कि अमरीका की सरकार ने वहा के 'एक्विडम' (आवात-निवात) बैंक के

अधिकार में जितना रुपया कोष में दे रखा है उसमें से यह बैंक अमरीकी व्यापारियों और उनके भारतीय साझेदारों को कर्ज देता है। अभी तक एक्विडम बैंक ने १० लाख रु० कर्ज दिया है। कर्ज की इच्छुक भारतीय फर्म एक्विडम बैंक से कर्ज को प्रायना करती है। बैंक भारत सरकार ने इन फर्मों के बारे में राय मागता है। इसके बाद फर्म को कर्ज मिलता है। इसलिए निजी फर्म को ही पहला कदम उठाना पड़ता है। बाद में बैंक अपनी कार्रवाई करता है, जिस में भारत सरकार की सलाह लेना भी शामिल है।

### नया पन्द्रह साला वार्षिक वृत्तिपत्र

वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग को १५ दिसम्बर की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि २ जनवरी, १९६० से १५ साला वार्षिक वृत्तिपत्रों (एग्युइटी सर्टिफिकेट) में एक नयी राशि का वृत्तिपत्र और शुरू किया गया है। १,३३० रुपये देकर यह वृत्तिपत्र लेने वाले को १५ वर्ष तक १० रु० महीने मिलते रहेंगे। १९५७ में जितनी राशियों के वार्षिक वृत्तिपत्र शुरू किये गये थे, उन पर वृत्तिपत्र को राशि के अनुसार खरीदने वाले को २५ रु०, ५० रु०, १०० रु० और २०० रु० प्रति महीने तक

दिया जाएगा। यह निदचय, पाल बांधने की रसियो और टैरीलिन मिश्रित कपडे का निपात बढाने की दृष्टि से किया गया है।

यह सूचना वित्त मन्त्रालय के राजस्व विभाग की ८ दिसम्बर की एक विज्ञप्ति में दी गयी है।

### बाकसाने की जीवन वीमा पालिसियों पर चीनस

**भारत** सरकार ने डाकखाने की उन जीवन वीमा पालिसियों पर जो ३१ मार्च, १९५७ तक जारी हो चुकी थी, निम्नलिखित दरों पर चीनस देने की घोषणा की है :

(क) अर्सेनिक और सेना शाखाओं की जीवन भर की पालिसियों पर १ अप्रैल, १९५२ से ३१ मार्च, १९५७ तक के समय के लिए १ हजार रु० की पालिमी पर १६ रु० के हिसाब से साधारण रिचर्वनरी बीनस;

(ख) निश्चित अवधि की उन पालिसियों पर जो ३१ मार्च, १९४० को या इससे पहले जारी हो चुकी थी, १ अप्रैल, १९५२ से ३१ मार्च, १९५७ तक के समय के लिए १ हजार रु० के बीमे पर १४ रु० के हिसाब से साधारण रिचर्वनरी बीनस,

(ग) अर्सेनिक और सेना शाखाओं की निश्चित अवधि की उन पालिसियों पर जो १ अप्रैल, १९४० को या उस के बाद जारी हुई हैं, १ अप्रैल, १९५२ से ३१ मार्च, १९५७ तक के समय के लिए १ हजार रु० के बीमे पर १२ रु० के हिसाब से साधारण रिचर्वनरी बीनस।

१ अप्रैल, १९५७ और अगली बार चीनस दिये जाने के समय के बीच दातव्य पूरे जीवन की पालिसियों पर १२ रु० प्रति हजार रु० और निश्चित अवधि की पालिसियों पर १०।१० प्रति हजार रु० के हिसाब से अतिरिक्त चीनस दिया जाएगा।

यह सूचना डाकघर विभाग के महाविदेशक की ७ दिसम्बर की एक विज्ञप्ति में दी गयी है।

### राष्ट्रीयकरण से विदेशी पूँजी की हानि : भारत और अमरीका में करार

**भारत** और अमरीका के बीच ७ दिसम्बर को वार्शिंगटन में एक करार हुआ, जिससे अमरीका के व्यापारियों को भारत

में व्यापार में पूँजी लगाने के लिए बडावा मिलेगा।

करारनामे पर निकट पूर्वी और दक्षिणी एशिया के सहायक सचिव श्री जो० ओ० लिविस जोन्स और भारतीय राजदूतावास के निम्प्टार्य श्री डी० एन० बटर्जी ने हस्ताक्षर किये।

इस नये करारनामे से उस करारनामे में संशोधन कर दिया गया है, जो पूँजी को डालर में बदलने के बारे में सितम्बर १९५७ में हुआ था।

नये करारनामे में यह व्यवस्था कर दी गयी है कि पूँजी लगाने वाले अमरीकी को यदि राष्ट्रीयकरण से कुछ नुकसान होता है और यदि वह बीमे को किरतें देता है, तो अमरीकी सरकार उसे बीमे की रकम डालर में बदल कर दे देगी।

सितम्बर १९५७ में जब करार हुआ था, तभी से पूँजी लगाने वाले अमरीकियों को गारंटी दे दी गयी थी। अब तक उन्हें वही गारंटी दी जाती थी कि केवल पूँजी और भारत में अमरीकी व्यापारियों की नयी तथा बडी हुई निजी कम्पनियों से भारत में जो धन मिलता था, वही डालर में बदला जाएगा।



### बीनसाइट के नये भंडार

**भारत** सरकार के भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग का अनुमान है कि बिहार, मध्यप्रदेश और राजस्थान में २ करोड़ १० लाख टन अच्छी किसम के बीनसाइट के भंडार हैं जो लगभग १,४०,००० वर्गमील में फैले हुए हैं और २२ तथा २५ डिग्री अक्षांश और ७६ तथा ८५ डिग्री देशान्तर रेखाओं के बीच स्थित हैं। यह सूचना सर्वेक्षण विभाग की एक पुस्तिका में प्रकाशित की गयी है।

फिल्हाल प्रारंभिक जांच-पडताला से इस खनिज पदार्थ का पूरा पता नही लगाया जा

**त्रिपुरा की १९६०-६१ की योजना**  
सन् १९६०-६१ में त्रिपुरा की वार्षिक योजना पर २ करोड़ ६७ लाख ९ हजार रु० खर्च किये जाएंगे। इसमें से ४७ लाख ८८ हजार रु० उन योजनाओं पर खर्च होंगे, जो क्षेत्रीय परिपद को दे दी गयी हैं।

इस वार्षिक योजना में सड़क विकास पर ७५ लाख रु०, कृषि पर २४ लाख ५१ हजार रु०, सामुदायिक विकास पर १९ लाख रु० खर्च होंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि योजनाओं के लिए ६२ लाख ८० हजार रु०, ग्रामीण और लघु उद्योगों के लिए १४ लाख ५५ हजार रु० तथा बिजली योजनाओं के लिए ११ लाख रु० की व्यवस्था की गयी है।

हाल ही में त्रिपुरा प्रशासन के प्रतिनिधियों और योजना आयोग में १९६०-६१ की योजना पर विचार हुआ था।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में त्रिपुरा के लिए कुल ८ करोड़ ४६ लाख ५५ हजार रु० रखे गये थे। आधा है योजना के पहले चार वर्षों में कुल ६ करोड़ ५८ लाख रु० खर्च हो जाएगा। अब तक जो विकास-कार्य हुए हैं, उन्हें पूरा करने के लिये लगे से ही आखिरी साल का योजना खर्च निर्धारित किया गया है।

सका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खानों की खुदाई और खनिज पदार्थ के रासायनिक परीक्षण से बीनसाइट के किसम तथा खनिज की सही मात्रा का पता लगाया जाएगा।

[बीनसाइट ही एक ऐसा खनिज है जो अल-मुनियम धातु के बनाने में काम आता है। इस खनिज के वाहल्य के कारण अलमुनियम बनाने में अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता। द्वितीय विश्व युद्ध में केवल इटली और जापान ने अलमुनियम बनाने में इस खनिज के अलावा अन्य चीजों का उपयोग किया।

बौनाइट में अलुमिनियम फ़ोस्फ़ोराइड, अलुमिनियम मल्फ़ेट, ५० हाइड्रेट, ४० कर्नो-राइड, ४० एनीटेट और मॉडियम अलुमिनेट आदि भी बनाये जाते हैं। अलुमिनियम बोमेट बनाने, तेल माफ़ करने और लोहा डालने में भी बौनाइट का इस्तेमाल होता है।

१९५८ में कुल १,१४,९९९ टन बौनाइट का उत्पादन हुआ।]

## कागज की कीमतें : तटकर आयोग की सिफारिशें स्वीकृत

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ४ दिवस की विनियमों में बताया गया है कि भारत सरकार ने कागज और पेपर बोर्ड की कार्याना-कीमतों और विक्री की दरों के बारे में तटकर आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

तटकर आयोग ने २४ फ़िस्म के कागज और पेपर बोर्डों की उचित कारखाना-कीमतें निर्दिष्ट की हैं। इन कीमतों में विक्री का खर्च, भाडा या वेचने का कमीशन शामिल नहीं है। कागज और पेपर बोर्डों की विक्री की दर भी तय कर दी गयी है। इनमें भाडा और विक्री का कमीशन शामिल है, लेकिन उत्पादन कर और राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्रशासन द्वारा लगाये जाने वाले कर शामिल नहीं हैं।

कागज की नयी कीमतें १ जनवरी, १९६० में लागू होंगी।

तटकर आयोग ने सिफारिश की है कि विभिन्न प्रकार के कागज और पेपर बोर्ड बनाने की प्रत्येक कारखाने की धमना का अन्दाज़ लगाने के लिए सरकार शीघ्र कार्टवार्ड करे और उत्पादन की ऐसी योजना बनाये कि किसी प्रकार का कोई अमनुलन न रहे।

आयोग का अनुमान है कि १९६०, १९६१, १९६२ और १९६३ में कागज और पेपर बोर्डों की मांग क्रमशः ३ लाख ५० हजार टन, ४ लाख टन, ४ लाख ६० हजार टन और ५ लाख २० हजार टन रहेगी। इसमें अबकारी कागज और स्ट्रॉबोर्ड शामिल नहीं है। यह सिफारिश की गयी है कि बचती हुई मांग को पूरा करने के लिये कागज बनाने की गाम्भ्य बढ़ायी जाए।

कमीशन ने यह भी मुजाया है कि देग में बनने वाले उन भय प्रकार के खास कागजों की पूरी सूची प्रकाशित की जाए जिन की कीमतों पर कंट्रोल नहीं है। इस सूची में सरकार की सम्मति में ही नाम बढ़ाये या घटाये जाए।

### उद्योग का विकास

आयोग के कागज उद्योग के विकास के बारे में भी कुछ सिफारिशें की हैं। यह सुझाव दिया गया है कि कागज मिलों को दीर्घकालीन पट्टे पर जगलात दे दिये जाएं। यह सिफारिश भी की गयी है कि कागज के लिये गुदा तैयार करने वाले कारखाने कागज मिलों से अलग स्थापित किये जाएं और सरकारी विभाग अपना रूढ़ी कागज विचिलियों को न देकर सीधे कागज मिलों को दें।

भारत सरकार इन सिफारिशों को अमल में लाने के लिये जरूरी कदम उठायेगी।

कागज उद्योग का ध्यान आयोग के इस सुझाव की ओर आकर्षित किया गया है कि कागज बनाने वालों को कीमतों और वितरण के मामले में मजान विरोधी कार्टवार्ड रोकने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी, जैसे इन्स्पेक्टर आदि रखने चाहिए।

### घुष्टभूमि

कागज की कीमतें, जो पिछले महीनों में काफी ऊँची हो गयी थी, अब कम हो जाएगी और उतनी रहे जाएगी जितनी तटकर आयोग की सिफारिशों के अनुसार होनी चाहिए।

कागज का वर्तमान अभाव तेजी से बढती हुई मांग के कारण है। १९४८ से देग में कागज का उत्पादन तिगुना बढा है। कागज बनाने के कई नये कारखाने खुले हैं और मौजूदा कारखानों की उत्पादन-धमना भी बढी है।

राज्य व्यापार निगम लिखाई और छसाई का कागज काफी मात्रा में आयात करने की व्यवस्था कर रहा है। मांग इतनी बढी है कि कागज की सफ़ाई फिर भी कम है। इन परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि जितना भी कागज प्राप्त है उसका अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए। कागज की कीमतें उचित होने के साथ ही घर भी आवश्यक है कि उमरा उचित वितरण भी हो।

जब १९५० में कागज की कीमतों पर में नियंत्रण उठाया गया था तो कागज के उद्योग-पतियों ने यह आव्रामन दिया था कि कागज की कीमतें वगैरह सरकार की सूचित क्रिये बिना नहीं बढ़ाई जाएगी। वास्तव में कागज की कीमतें अप्रैल १९५८ तक ५ बार बढी हैं।

### तटकर आयोग की अन्य सिफारिशें

अन्ततः १ सितम्बर, १९५८ को भारत सरकार ने कागज की उचित कीमतों का मामला तटकर आयोग के सुपुर्द किया, जिसने प्रचलित भ्रष्टाचार की ओर ध्यान दिया तथा वितरण की व्यवस्था में सुधार की सिफारिशें कीं। आयोग ने सभी बडी जगहों में वितरक तथा थोक-व्यापारी निमुक्त करने की सिफारिश की है तथा कहा है कि कागज मिलों को निगरानी की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिनमें वितरक और थोक व्यापारी अपना काम ठीक तरह पूरा करे।

तटकर आयोग ने २४ प्रकार के कागज और दफितयों की कीमतें निर्धारित की हैं और उन्हे चार श्रेणियों में विभक्त किया है (१) छापने और लिखने का कागज (२) पैक करने और बाधने तथा छपटने का कागज (३) सोल्पा कागज, और (४) दफितया।

आयोग द्वारा निर्धारित कीमते चालू कीमतों से कम हैं। आयोग ने सफ़ेद प्रिंटिंग कागज की विक्री कीमत ६८ नये पंमे जोर कागज-लेड कागज की ३१ नये पंमे निर्धारित की है, जिसमें उत्पादन-मुला और स्थानीय कर शामिल नहीं है। कार्याना इन कागजों को अभी क्रमशः ७३५ नये पंमे और ३४५ नये पंमे के हिसाब में बेचने हैं, जबकि इनका बाजार भाव उत्पादन मुला और स्थानीय करों को मिला कर एक १०० में सवा १०० के बीच रहता है।

इस समय सबसे अधिक कमी टर्गट और लिखने के कागज की है। तटकर आयोग ने अनुमान के अनुसार इन कागजों की मांग टुट माग का ६८ प्रतिशत है जर्मन १००८ में इनका उत्पादन केवल ६०८ प्रतिशत का। १९५९ में ६०६ प्रतिशत टुट का अनुमान है। जब तटकर आयोग ने सिफारिशें की हैं कि कागज बनाने में विभिन्न शिक्का के कागजों

— ध्यान में रखना चाहिए।

## अलौह धातु उद्योग को संरक्षण

वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय की ५ दिसम्बर की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत सरकार ने अलौह (नानफेरस) धातु उद्योग को संरक्षण जारी रखने का निश्चय किया है। यह निश्चय तत्काल आयोग की सिफारिश पर किया गया है।

सरकार द्वारा स्वीकृत तत्काल आयोग की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं - (क) तांबे और पीतल की चादरो, चाय की पेटियों में काम आने वाली मीसे की चादरो और सीसे की पत्तियों को दिया जाने वाला संरक्षण, जिसकी अवधि ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त हो रही है, दबदबा कर दिया जाए, (ख) चाय की पेटियों में काम आने वाली सीसे की चादरो के अलावा सीसे की अन्य चादरो, जस्ते की चादरों, जस्ते की पत्तियों, तांबे की छटों (विजली के काम आने वाली छटों को छोड़ कर) और नलियों, पीतल के नल और नलियों और पीतल की छटों को वर्तमान दरों के अनुसार ही १ जनवरी, १९६० से और तीन साल के लिए संरक्षण दिया जाए।

सरकार ने कम्पनी मॉन्टेल एड एलॉयज लि० और इंडियन स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग कम्पनी लि० का ध्यान तत्काल आयोग की सिफारिशों की ओर दिलाने हुए कहा है कि उन्हें भी इंडियन कॉपर कारपोरेशन की तरह ही तांबे और पीतल की चादरो के मूल्यों की सूची प्रकाशित करनी चाहिए। साथ ही इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनके एजेंट या स्टॉकिस्ट सूची के मूल्यों से अधिक काम न लें।

तत्काल आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि अलौह धातु उद्योग के सभी कारखानों को वीथी ही अपने मूल्य निर्धारित करने चाहिए। सब कारखानों का ध्यान इस सिफारिश की ओर दिलाया गया है।

## मशीनी पंच उद्योग का संरक्षण दबदबा

सरकार ने तत्काल आयोग की यह सिफारिश मान ली है कि ३१ दिसम्बर, १९५९ के बाद मशीनी पंच उद्योग को संरक्षण न दिया जाए। यह सूचना वाणिज्य और उद्योग

मंत्रालय की १ दिसम्बर की विज्ञप्ति में दी गयी है।

इस उद्योग को महायुता देने के बारे में आयोग की अन्य सिफारिशों के संबंध में सरकार का कहना है कि इन्हें लागू करने के पूरे प्रयत्न किये जाएंगे।

मशीनी पंच बनाने वालों का ध्यान आयोग की इस सिफारिश पर दिलाया गया है कि उन्हें प्रत्येक मास के तार के छड और तार के लिए आवेदन-पत्र देने चाहिए। तत्काल आयोग ने कहा है कि मशीनी पंच बनाने वाले केवल जाच किये हुए नरम इस्पात के तार की छडें और तार ही इस्तेमाल करे और उत्पादन के तरीकों का ठीक-ठीक निरीक्षण करते रहे, ताकि देश में अच्छी किस्म के पंच बन सकें। सरकार ने इस सिफारिश पर भी उद्योग का ध्यान दिलाया है।

[सन् १९५१ से मशीनी पंच उद्योग को संरक्षण दिया जा रहा है। प्रायः नयी उद्योगों में मशीनी पंच इस्तेमाल होते हैं और औद्योगिक विकास में इनका विनिष्ट स्थान है। आजकल देश में कुल १६ कारखाने हैं जो मशीनी पंच बना रहे हैं। ये कारखाने प्रतिवर्ष ३५ लाख युग से भी ज्यादा पंच बनाते हैं। १९५८ में कुल २६ लाख ६० हजार युग का उत्पादन हुआ।

तत्काल आयोग का अनुमान है कि इस समय देश में प्रतिवर्ष ३० लाख युग मशीनी पंचों की जरूरत है। १९६१ तक यह माग ६० लाख युग तक हो जाने की सम्भावना है।]

## सूत और बालों के पट्टे उद्योग का संरक्षण

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की २ दिसम्बर की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत सरकार ने तत्काल आयोग की यह सिफारिश स्वीकार कर ली है कि सूत और बालों के पट्टे उद्योग को ३१ दिसम्बर, १९५९ के बाद संरक्षण न दिया जाए।

तत्काल आयोग की रिपोर्ट पर भारत सरकार का यह सकल २ दिसम्बर को प्रकाशित हो गया है। आयोग ने सिफारिश की है कि बालों के पट्टे बनाने में जो ऊनी धाना और बाल इस्तेमाल होते हैं उन्हें आजकल की तरह मीमा मुल्क से मुक्त रखा

जाए। सरकार ने यह सिफारिश मान ली है और इन चीजों की मीमा मुल्क में छूट मिलती रहेगी।

सरकार ने तत्काल आयोग की अन्य सिफारिशों पर भी विचार किया है और उन पर मयासम्भव अमल किया जाएगा।

[इस उद्योग को १९४८ से संरक्षण दिया जा रहा था। इस समय देश में ९ कारखाने सूत और बालों के पट्टे तैयार करते हैं। इन में १ पाली के काम करने पर वर्ष में १,१४० टन पट्टे तैयार हो सकते हैं। १९५९ में पट्टों का उत्पादन ७७७ टन रहा।]

तत्काल आयोग ने अनुमान लगाया है कि अगले तीन वर्षों में देश में सूती पट्टों की माग २०० टन और बालों के पट्टों की ४५० टन में अधिक नहीं बढ़ेगी। देशी पट्टे काफी अच्छे बनने लगे हैं। यद्यपि इस उद्योग का संरक्षण समाप्त किया जा रहा है, लेकिन उद्योग को यह विश्वास दिलाया गया है कि विदेशों से पट्टों का आयात काफी कम किया जाएगा।

## प्लास्टिक उद्योग को संरक्षण

भारत सरकार ने तत्काल आयोग की सिफारिश पर फीनोल फारमेल्डीहाइड की चीजे टालने वाली प्लास्टिक उद्योग को वर्तमान मुल्क, मूल्यानुसार ३५ प्रतिशत कर ३१ दिसम्बर, १९६२ तक संरक्षण देना स्वीकार कर लिया है। साथ ही सरकार ने प्लास्टिक बटन उद्योग को ३१ दिसम्बर, १९५९ के बाद संरक्षण समाप्त करने का भी निश्चय किया है। तत्काल आयोग की रिपोर्ट पर भारत सरकार का सकल ८ दिसम्बर को प्रकाशित कर दिया गया है।

प्लास्टिक उद्योग को सहायता की तत्काल आयोग की अन्य सिफारिशों पर भी सरकार ने ध्यान दिया है और उनके बारे में आवश्यक कारवाई की जाएगी।

## हथकरघा कपड़े का निर्यात

जुलाई १९५९ में जो सिफ्टमंडल अमरीका गया था, उनमें वहां से १ करोड़ ४५ लाख ६० की हथकरघा से बनी चीजों के आर्डरप्राप्त किये थे। ये आर्डर विभिन्न फिलिम

के हथकरघा कपड़ों के लिए मिले जिनकी अमरीका ने बाकी माग है। यह सूचना वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री सतीश चन्द्र ने २ नितम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

**अमरीका को हथकरघे के कपड़े का निर्यात**  
वाणिज्य मंत्री, श्री नित्यानन्द कानूनगों ने १५ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि १९५९ के पहले ८ महीनों में अमरीका को ११ लाख २० हजार गज हथकरघे का कपड़ा निर्यात किया गया, जिसका मूल्य २४ लाख १० होता है। पिछले वर्ष कुल ६ लाख २० हजार गज कपड़ा निर्यात किया गया था, जिसका मूल्य १२ लाख १० था।

अमरीका को हथकरघे के कपड़े का निर्यात बढ़ाने के लिए किये गये उपायों के बारे में बोलाते हुए मंत्री महोदय ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में अखिल भारतीय हथकरघा मण्डल ने अमरीका में हुई ८ नुमाइशों में भाग लिया है। भारत में १९५६ और १९५८ में अमरीका के जो व्यापार विकास मिशन आये थे, उन्होंने निर्यात बढ़ाने के बारे में कुछ सुझाव दिये थे। राज्य व्यापार निगम के अन्तर्गत बनाया गया निर्यात मण्डल भी कुछ अन्य देशों को हथकरघे के कपड़े के निर्यात के लिए प्रयत्न कर रहा है।

### राज्य व्यापार निगम द्वारा कागज का आयात

भारत सरकार ने निश्चय किया है कि राज्य व्यापार निगम अधिक मात्रा में लिखने और छपाई के काम आने वाला कागज बाहर से मगाये, जिससे देश में अधिक कागज मिल सके।

जिन देशों से भारत का रपय में भुगतान करने का समझौता है, उन देशों से निगम लिखने और छपाई के काम का २५ हजार टन कागज मंगायेगा। आवश्यकता होने पर निगम और भी कागज मगायेगा।

यह सूचना वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय को ४ दिसम्बर की विज्ञापित में दी गयी है।

### दशमिक वाट और नपुए

दशमिक वाट और नपुए का मतलब है, जो दशमिक वाट और नपुए बना सकते हैं। इनमें सरकारी कारखानों की सम्मिलित है। आंध्र, दम्बई, केरल, मद्रास, मंसूर और पंजाब राज्यों की सरकारों ने अब दिल्ली प्रशासन में अब तक १०६ कारखानों को दशमिक वाट बनाने के लाइसेंस दिये हैं। अन्य राज्य सरकारें तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों की सरकारें भी जल्दी ही अपने क्षेत्रों के कारखानों को लाइसेंस दे देंगी।

### क्या आप जानते हैं ?

#### भारतीय मानक संस्था

भारत सरकार ने उद्योग अनुसंधान योजना समिति (१९४५) की सिफारिश पर १९४७ में भारतीय मानक संस्था स्थापित की। इसे साधारणतया आई सी. आई भी कहते हैं। सरकार न ३ नितम्बर, १९४६ को एक प्रस्ताव में संस्था के ये ध्येय निर्धारित किये— (१) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर मानक तैयार करना, (२) उद्योग और वाणिज्य में चीजों के मानक को अमल में लाना और किस्म पर नियंत्रण रचना, (३) सामान, तैयार चीजों, उपकरणों और चीजों तैयार करने के तरीकों को सुधारने के लिए विधित्ताओं और सरीदारों में सहयोग रखना, (४) मानक-चिन्हों को रजिस्टर करना, (५) चीजों को जाचने का प्रबन्ध करना, और (६) सदस्यों को मानक सम्बन्धी सभी बातों की जानकारी देना।

भारतीय मानक संस्था अर्ध-सरकारी मण्डल है। इसे चलाने के लिए एक परिषद है, जिसके सदस्य केन्द्रीय और राज्य सरकार, उद्योग, व्यापार, तथा विज्ञान मण्डलों के प्रतिनिधि हैं।

मानक तैयार करने के लिए विद्योक्तों को अनेक समितियाँ नियुक्त की गयी हैं। ३० नितम्बर, १९५९ को ऐसी १९७ समितियाँ और ६४६ उपसमितियाँ थी, जिनके कुल ९,२८७ सदस्य थे। जो मानक तैयार हो रहे हैं, वे बाद में प्रकाशित कर दिये जाते हैं।

नेशनल गैंगल सर्वे को पड़ताल के अनुसार इस समय देश में लगभग ५ करोड़ ४० लाख वाट और १० लाख नपुए हैं। आगामी दो या तीन वर्षों में इतनी ही संख्या में नये वाट और नपुए बनाने की जरूरत है। ये वाट और नपुए राज्य सरकारों द्वारा लाइसेंसगुदा कारखानों ही बनायेगे और उन्हें लाइसेंस प्राप्त दुकानदार ही बेच सकेंगे।

यह सूचना ९ दिसम्बर को राज्यसभा में वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री, श्री सतीश चन्द्र ने एक प्रश्न के उत्तर में दी।

संस्था इन समितियों में मेल रटाती है और इनके लिए आंकड़े जमा करती है, सदस्य-पुस्तक सूची तैयार करती है, जाच और अनुसंधान करती है, टैक्निकल जानकारी प्राप्त करती है और मानक का मसौदा तैयार करने में मदद देती है।

संस्था अब तक कपड़ा, इन्जीनियरी, भवन-निर्माण, रसायन, कृषि और खाद्य पदार्थ, इमारती सामान और धातु व विद्युत के सामान और सुरक्षा सम्बन्धी १,३०० मानक प्रकाशित कर चुकी है।

किसी व्यक्ति अथवा उद्योग के लिए संस्था के मानक मानना अनिवार्य नहीं है, परन्तु इन मानकों के महत्व को देखकर अनेक कम्पनियाँ इनका पालन कर रही हैं। सरकारों आदेश के अनुसार, अब सरकारी विभाग इन्हें मानकों के आधार पर खरीद कर रहे हैं।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाण चिह्न) कानून, १९५२ के अन्तर्गत संस्था ने मानक के अनुसार बनी हुई चीजों पर अपना प्रमाण-चिह्न लगाने की योजना बनायी है।

भारतीय मानक संस्था गम्भीर प्रयास के कामों में अन्तर्राष्ट्रीय मानक मण्डल में मण्डल रतनी है। ४० देश (भारत सहित) इस मण्डल के सदस्य हैं।

संस्था का अन्तः प्रबन्धन २३ दिसम्बर, १९५९ में २ जनवरी १९६० तक इंग्लैण्ड में होगा। इसमें पहले ब्रिटेन (१९५८) बर्म्बई (१९५९), मद्रास (१९५९) और पंजाब (१९५८) में भी अर्ध-सरकारी हो चुके हैं।

## चीनी मिलों की मशीनों का निर्माण

उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई साहने २ दिसम्बर को प्रश्नोत्तर के समय लोकसभा में बताया कि देश में चीनी मिलों की मशीनों बनाने में काफी प्रगति हुई है। १९५६ में महा ३२ लाख रु० की ऐसी मशीनों बनी, जब कि १९५९ में ३ करोड़ रु० से भी ज्यादा की मशीनें बनने का अनुमान है।

१९५८-५९ में इन मशीनों के पूर्य आयात करने के लिए ६४ लाख ३० हजार रु० की विदेशी मुद्रा दी गयी थी।

श्री साहने ने कहा कि १९६१-६२ तक देश में पूरी तरह चीनी बनाने की मशीनों का निर्माण होने लगेगा। इसके बाद प्रति वर्ष १४ मशीनें बनने लगेगी, जो देश की जरूरत पूरी करने के लिए काफी है। इसके बाद केवल टर्बो-आइस्लेटर्स और मिल इन्जनों की ही कमी रह जाएगी।

## डाक्टरी धर्माभीतरों का निर्माण

कलकत्ता के नेशनल इस्ट्रूमेंट लिमिटेड को एक जापानी कम्पनी के सहयोग से डाक्टरी धर्माभीतर बनाने की योजना की सरकार ने मजूरी दे दी है। नेशनल इस्ट्रूमेंट लिमिटेड सरकारी कारखाना है। १९६२-६३ तक इस कारखाने में हर साल ६ लाख धर्माभीतर बनने लगेगे।

यह सूचना उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई साहने १४ दिसम्बर को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

श्री साहने ने कहा कि इस समय केवल एक कम्पनी ही डाक्टरी धर्माभीतर बना रही है। इसके कारखाने की हर साल २ लाख १६ हजार धर्माभीतर बनाने की क्षमता है। पर १९५८ में १ लाख ३७ हजार और १९५९ में (अक्टूबर तक) १ लाख ८३ हजार धर्माभीतर बनाये गये।

## विजली के मोटरों का निर्माण

नाहल फाउण्ड्री लि० को विजली के मोटर बनाने की इजाजत दे दी गयी है। शुरू में यह कम्पनी निम्न-भित्त आकार के १,२०० मोटर बनाएगी और आगे चल कर ३,६०० मोटर बनाने लगेगी। महा ३ अश्व शक्ति

से लेकर २० अश्व शक्ति तक के मोटर बनाने, लेकिन खास तौर से ३ से लेकर १ अश्व शक्ति के सिंगल फेज के और ५, ७ ५ और १० अश्व शक्ति के तीन फेज के मोटर बनाये जाएंगे।

यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में, उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई साहने १४ दिसम्बर को राज्यसभा में दी।

मंत्री महोदय ने बताया कि यह फाउण्ड्री कुछ किस्म के विजली के मोटर आजमाइशों तौर पर बना चुके है। अभी तक बड़े पैमाने पर मोटर नहीं बने है, इसलिए इनकी कोमत वताना सम्भव नहीं।

## पेनिसिलीन और स्ट्रेप्टोमाइसीन का निर्माण

अगले वर्ष के अन्त तक देश की आवश्यकता को पेनिसिलीन देश में ही बनने लगेगी। इस समय देश में प्रतिवर्ष ६ करोड़ मेगा यूनिट पेनिसिलीन की जरूरत होती है। यह सूचना उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई साहने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में १४ दिसम्बर को दी।

श्री साहने ने कहा कि आशा है कि १९६१ के अंत तक देश स्ट्रेप्टोमाइसीन और टेट्रासाइक्लीन में भी आत्मनिर्भर हो जाएगा। इस समय प्रतिवर्ष ५० टन स्ट्रेप्टोमाइसीन और ५ टन टेट्रासाइक्लीन की आवश्यकता होती है। इनके अलावा ८ टन क्लोरामफेनिकोल की भी जरूरत होती है। आशा है कि १९६० के अन्त तक इतना उत्पादन होने लगेगा।

## सुपार्ई की मशीनों का कारखाना

कोयंबतूर (मद्रास) की एक कम्पनी ने नमूने को एक स्टोरिओ टोरो प्रिंटिंग मशीन बनायी है। मशीन की आजमाइश की जा रही है। सरकार ने टोटागड को एक अन्य कम्पनी को फलेट बेंड मशीनें बनाने की अनुमति दी है। आशा है कि इस तरह की कुछ मशीनें अप्रैल १९६० तक बनकर तैयार हो जाएंगी।

यह सूचना उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई साहने १४ दिसम्बर को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

## उद्योगों में माप-तोल की दशमिक प्रणाली

१ अप्रैल, १९६० से वनस्पति रंग-रोगन, विस्कुट और साबुन उद्योग में भी माप-तोल की दशमिक प्रणाली शुरू हो जाएगी। वनस्पति और साबुन उद्योगों में छ. महीने तक, रंग-रोगन उद्योग में साल भर तक और विस्कुट उद्योग में दो साल तक नयी और पुरानी, दोनों प्रणालियां चलती रहेंगी।

पटसन, कपास, सूती कपड़ा, लोहा और इस्पात, अलौह धातु, इञ्जीनियरी, भारी रसायन, सीमेण्ट, नमक, कागज आदि १८ उद्योगों में पहले से ही दशमिक प्रणाली शुरू हो चुकी है।

अगस्त १९६० से सीमा सुल्क के काम में भी दशमिक प्रणाली शुरू कर दी जाएगी।

## छोटे उद्योगों की उन्नति के लिए व्यय

छोटे और घरेलू उद्योगों की उन्नति के लिए सरकारी खर्च १९५६-५७ के बाद में बराबर बढता जा रहा है। १९५६-५७ में इस काम पर २८ करोड़ ४८ लाख रु० खर्च हुआ, १९५७-५८ में ३२ करोड़ ६८ लाख रु० और १९५८-५९ में ३९ करोड़ ३४ लाख रु०। १९५९-६० में ४१ करोड़ ५० लाख रु० खर्च करने की योजना है।

यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई साहने ७ दिसम्बर को लोकसभा में दी।

## सूती कपड़े का निर्यात

वाणिज्य और उद्योग उपमन्त्री, श्री सतीश-चन्द्र ने १० दिसम्बर को प्रश्नोत्तर के समय लोकसभा में बताया कि जनवरी से अगस्त १९५९ तक ४६ करोड़ गज कपड़ा निर्यात किया गया, जबकि १९५८ की इसी अवधि में ४१.४ करोड़ गज कपड़ा निर्यात हुआ था।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री सतीशचन्द्र ने बताया कि पश्चिम एशियाई देशों की १९५९ के प्रथम ८ महीनों में ६.३१ करोड़ गज कपड़ा भेजा गया, जबकि १९५८ की इसी अवधि में ५.८९ करोड़ गज कपड़ा भेजा गया था। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में बने कपड़े के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएँ शुरू की गयी हैं और निर्यात की स्थिति पर बराबर ध्यान रखा जाता है।

इंग्लैंड को सूती कपड़े का निर्यात :  
करार की शर्तें

वाणिज्य मंत्री, श्री नित्यानन्द काननगो ने १० दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि भारत और इंग्लैंड में हाल में सूती कपड़ा निर्यात करने के बारे में जो करार हुआ था, उसकी मुख्य शर्तें ये हैं :  
(१) इंग्लैंड को भारत में १७ करोड़ ५० लाख वर्ग गज तक का सूती कपड़ा निर्यात हो सकता है,

(२) यह करार अगले माल जनवरी में तीन माल तक के लिए लागू रहेगा;

(३) पुनर्निर्यात होने वाला कपड़ा १७ करोड़ ५० लाख वर्ग गज वाली शर्त में शामिल नहीं होगा, और

(४) अगर किसी माल निर्यातित कोटा निर्यात हो सके तो बाकी का कोटा अगले माल निर्यात हो सकता है।

श्री काननगो ने कहा कि यह निर्यात पिछले वर्षों के निर्यात ने काफी ज्यादा बढ़ेगा। किन्तु यह कहना मुश्किल है कि इस करार से भारतीय कपड़ा उद्योग को वास्तव में कितना फायदा होगा।

### मिलों के पास कपड़े का भंडार

उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने १५ दिसम्बर को प्रश्नोत्तर के समय लोकसभा में कहा कि इस माल के दृष्ट से मिलों में कपड़े का जमा भंडार कम होता जा रहा है, किन्तु सरकार को सूचना मिली है कि कपड़े की सफाई में कोई कमी नहीं आई और न देश में कपड़े का अकाल पड़ने की ही कोई आशंका है।

श्री शाह ने यह भी बताया कि जून १९५९ से लेकर हर महीने के अंत में मिलों के पास कपड़े का कितना भंडार जमा था। अक्टूबर के अंत में मिलों के पास कुल ३ लाख ३४ हजार गांठें थीं। इनमें से १ लाख ५६ हजार गांठें बिना विक्रे कपड़े की और १ लाख ७८ हजार गांठें विक्रे हुए कपड़े की थीं। जून १९५९ के अंत में ३ लाख ९९ हजार गांठें थीं। इनमें से २ लाख ४ हजार गांठें बिना विक्रे कपड़े की और १ लाख ९५ हजार गांठें विक्रे हुए कपड़े की थीं।

अक्टूबर १९५९ में सूती कपड़ा मिलों का उत्पादन

टेक्सटाइल कमिश्नर कार्यालय, बम्बई, से प्रकाशित १२ दिसम्बर की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि अक्टूबर १९५९ में सूती कपड़ा मिलों में १४८ करोड़ पीण्ड मूत और ४१.४ करोड़ गज कपड़ा तैयार हुआ जो लगभग २७६ लाख गांठ कपड़े के बराबर है।

१९५९ के पहले १० महीनों में १४२७ करोड़ पीण्ड सत और ४१० करोड़ गज सूती कपड़ा तैयार हुआ। १९५७ और ५८ की इसी अवधि में जो उत्पादन हुआ वह क्रमशः इस प्रकार है : १४७.८ और १३९.५ करोड़ पीण्ड मूत, तथा ४४४.८ और ४११.१ करोड़ गज सूती कपड़ा।

अनुमान है कि नवम्बर १९५९ में १४ करोड़ पीण्ड मूत और ३९.६ करोड़ गज कपड़ा तैयार हुआ है।

### कपड़ा मिलों को नकली रेशम का धागा

वस्त्र कमिश्नर ने जनवरी-मार्च, १९६० की अवधि के लिए चालू, अधिकांश प्राप्त और आयुक्त को अपने काम की रिपोर्ट भेजने वाली कपड़ा मिलों को, जुलाई-सितम्बर, १९५९ की अवधि में चालू करघों की औसत सख्या को देख कर प्रति करघा २५० पीण्ड नकली रेशम का धागा देने का निश्चय किया है। यह धागा उरुही कारखानों को दिया जाएगा, जो वस्त्र कमिश्नर के पाम अपना मासिक विवरण नियमित रूप से भेजते रहे हैं।

यह सूचना वस्त्र कमिश्नर की १४ दिसम्बर की एक विज्ञप्ति में दी गयी है।

### निर्यात के लिए साद्य-सामग्री में इस्तेमाल होने वाले तेल पर उत्पादन शुल्क

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग को ४ दिसम्बर की विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत से निर्यात होने वाली साद्य-सामग्री में इस्तेमाल होने वाले निर्गम्य बनस्पति तेलों (बिनीलों के तेल के अलावा) के उत्पादन-शुल्क में भारत सरकार ने और छूट देने का निश्चय किया है। अभी तक इन पर १०५.० का ६० नं० प्रति टन की दर से छूट दी जाती थी, जबकि ५ दिसम्बर, १९५९ में ११०.६० प्रति टन की छूट दी जाया करेगी।

खनिज लौह का निर्यात

सन् १९५८-५९ (जुलाई-जून) में भारत में जितने खनिज लौह का निर्यात हुआ, उतना कमी नहीं हुआ था। इस अवधि में २४ लाख टन खनिज लौह का निर्यात हुआ, जबकि इससे पिछले साल २१ लाख टन, १९५५-५६ में १६ लाख टन और १९५१-५२ में ३ लाख टन का हुआ था।

सन् १९५८-५९ का यह कुल निर्यात राज्य व्यापार निगम की ही मार्फत हुआ, जो लगभग १२ करोड़ ४० लाख रु० का था।

जापान को इसके ५८ प्रतिशत, यानि १४ लाख १० हजार टन खनिज लौह का निर्यात हुआ। चेकोस्लोवाकिया का दूसरा नम्बर है। इस देश को १९५५-५६ में ३ लाख टन में भी कम का निर्यात हुआ था, जबकि १९५८-५९ में ७ लाख टन से ज्यादा का हुआ। अन्य पूर्व यूरोपीय देशों—जैसे पोलैंड, यूगोस्लाविया और हंगरी तथा इटली और पूर्व जर्मनी को भी अब ज्यादा से ज्यादा खनिज लौह निर्यात हो रहा है।

निर्यात में यह वृद्धि सरकार के विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमों का ही फल है। राज्य व्यापार निगम को पटिया क्रिम के खनिज लौह का निर्यात बढ़ाने में भी काफी सफलता मिली है। १९५८-५९ में ऐसे खनिज लौह का निर्यात कुल निर्यात का १६ प्रतिशत था, जबकि पहले बहुत थोड़ी मात्रा में ही इसका निर्यात होता था।

अनुमान है कि भारत की गानों में वरिष्ठा क्रिम के २२ अरब टन लौह का भंडार है, जो विश्व भर के भंडार का लगभग एक-चौथाई है। इसके अलावा भारत में लगभग ८५ अरब टन पटिया क्रिम के खनिज लौह का भंडार है।

भारत में इसकी मांग बहुत बढ़ी है। १९५८ में कुल ५८ लाख टन लौह गानों में निर्यात गया, जिसमें से भारतीय उद्योग उद्योगों में करीब ३० लाख टन की ही मांग हुई। भविष्य में इन्हीं उद्योगों का विस्तार हो जाने पर भी देश में बहुत-सा खनिज निर्यात के लिए बचता रहा होगा।



## भारतीय फिल्मों का निर्यात

लोकासभा में २ दिसम्बर को एक प्रश्न के उत्तर में केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मन्त्री, डा० बी० वी० केसकर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार भारतीय फिल्मों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा चुकी है। उन्होंने बताया कि विदेशों में भारतीय राज दूतावासों से उनके देशों में भारतीय फिल्मों की खपत के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी करने को कहा गया है। कुछ चुनी हुई फिल्में हमारे राजदूतों द्वारा अव्यापारिक रूप में जनता को दिखायी जाती हैं। कुछ भारतीय और विदेशी कम्पनियों से फिल्म डिवीजन के वृत्त चित्रों का अन्य देशों में वितरण करने के सम्बन्ध में समझौता किया गया है।

भारत अब समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मी समारोहों में अपनी फिल्में और प्रतिनिधिमण्डल भेजकर भाग ले रहा है। अन्य देशों में जहाँ भी सम्भव है, भारतीय फिल्म समारोहों का आयोजन किया गया है। चुनी हुई फिल्में अन्य देशों में होने वाली प्रदर्शनियों और व्यापारिक मेलों में दिखायी जाती हैं। फिल्म उद्योग पर एक सूचनेर बनाया जा रहा है।

विदेशी पत्रिकाओं में भारतीय फिल्मों के विभिन्न पहलुओं में सम्बन्धित लेखों के प्रकाशन की व्यवस्था हमारे व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा की जा रही है। विदेशों में व्यापार और सांस्कृतिक समझौतों के अन्तर्गत फिल्मों का लेन-देन हो रहा है।

फिल्मों में सय-टाइटल देने के लिए उपयुक्त मशीनें मगवाने के लिए आपात लायसेंस दिये गये हैं।

व्यवस्था में बताया गया है कि जनवरी से नितम्बर १९५९ तक भारतीय फिल्मों ने १ करोड़ २३ लाख ११ हजार रुपये की विदेशी मुद्रा का अर्जन किया।

## निर्यात-व्यापार में चीन से मुकाबला

वाणिज्य और उद्योग उपमन्त्री, श्री सतीश-चन्द्र ने १५ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि कपडा, कौयला,

इजीनियरी का सामान तथा वनस्पति तेलों के निर्यात-व्यापार में भारत को चीन से मुकाबला करना पड़ रहा है। पिछले वर्ष दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में भारत के साथ चीन के इस मुकाबले का पता लगा, क्योंकि उस वर्ष इन देशों में चीन का निर्यात-व्यापार बहुत अधिक बढ़ा। मंत्री महोदय ने आगे बताया कि इस वर्ष चीन अपना निर्यात-व्यापार पिछले वर्ष के बराबर नहीं रख सका है।

## भिलाई में सल्फ्यूरिक ऐसिड का कारखाना खुला

भिलाई इस्पात योजना का पहला बड़ा रसायन कारखाना, सल्फ्यूरिक ऐसिड का कारखाना ५ दिसम्बर को चालू हो गया है। इस कारखाने का उद्घाटन केन्द्रीय भिलाई इस्पात योजना के जनरल मैनेजर, श्रीयुत श्रीवास्तव ने किया। इस कारखाने की ऐसिड उत्पादन की वार्षिक क्षमता १२ हजार टन है। यह कारखाना देश के सबसे बड़े और आधुनिकतम कारखानों में से एक है।

भिलाई इस्पात योजना की ऐसिड की पूरी भांग इस कारखाने से पूरी होगी। मांग पूरी करने के बाद जितना ऐसिड बच रहेगा उसे बाजार में बेचा जाएगा।

एमीनियम सल्फेट कारखाना खड़ा करने का काम भी समाप्तप्राय है और इस मास के मध्य में यह भी चालू हो जाएगा। एमीनियम सल्फेट एक खाद है जिसके लिए मण्डों की कमी नहीं। मध्य प्रदेश सरकार से १,८०० टन सल्फेट के आर्डर तो मिल भी चुके हैं। यहा ४० लाख रुपये के मूल्य का १६ हजार टन सल्फेट प्रति वर्ष तैयार होगा।

## खनिज सीसे और जस्ते का उत्पादन

भारतीय खान कार्यालय के अनुसार देश में जनवरी से सितम्बर, १९५९ तक १ लाख २१ हजार २७५ मेट्रिक टन खनिज सीसा और जस्ता निकाला गया। यह पिछले साल की इन्ही अवधि के उत्पादन से ४७ प्रतिशत अधिक है। खनिज जस्ते और सीसे से इस वर्ष ४ हजार ८३२ मेट्रिक टन सीसा और ७ हजार

२७१ मेट्रिक टन जस्ता निकाला, जबकि पिछले साल ३ हजार ८२८ मेट्रिक टन सीसा और ५ हजार ३२ मेट्रिक टन जस्ता निकाला था। यह जस्ता और सीसा उदयपुर की खानों से ही निकाला गया।

सीसे को शुद्ध करने के लिए बिहार राज्य में दूधू के कारखाने में भेजा जाता है। भारत में जस्ता शुद्ध करने का कोई कारखाना नहीं है, इसलिए इसे शुद्ध करने के लिए जापान भेजा जाता है।

जनवरी से सितम्बर १९५९ तक भारत में ३ हजार २८ मेट्रिक टन शुद्ध सीसा तैयार किया गया। यह पिछले साल से २२ प्रतिशत अधिक है।

## क्या आप जानते हैं ?

### व्यवसाय चुनने में सलाह-मशविरा

● अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महासम्मेलन की एक सिफारिश में 'व्यावसायिक मार्गदर्शन' की इस प्रकार व्याख्या की गयी है— "यह ऐसी सहायता है, जो किसी व्यक्ति को अपने व्यवसाय के चुनाव और उममे आगे तरक्की करने के बारे में व्यक्ति की विशेषताओं और अवसर को ध्यान में रख कर दी जाती है।"

● यशवि माध्यमिक शिक्षा में कुछ काम-धंधे सिलाने की आवश्यकता बहुत पहले से अनुभव की जाती रही है, किन्तु इसकी व्यावहारिक रूप स्वतन्त्रता के बाद ही दिया जा सका है।

● माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, जिमकी नियुक्ति १९५२ में हुई थी, सिफारिश की थी कि सब स्कूलों में दस्तकारिया सिलाने और चीने तैयार करने पर जोर दिया जाना चाहिए। इसने सुझावा था कि स्कूलों में ऐसी पढाई होनी चाहिए, जिससे लड़के वहा से निकल कर अपनी रुचि के अनुसार खेती-बाड़ी, व्यापार या अन्य काम-धंधों से अपनी जीविका चला सके।

● आयोग की अन्य सिफारिशों, विद्यार्थियों के कल-कारखानों को जाकर देखने, विद्यालयों में काम-धन्धा चुनने के बारे में सलाह देने वाले अधिकारी नियुक्त करने और इन सलाहकारों की शिक्षा की केन्द्रीय सरकार की ओर से व्यवस्था करने आदि के बारे में था।

● भारत सरकार ने १९५४ में केन्द्रीय शिक्षा तथा व्यवसाय-मार्गदर्शन कार्यालय की स्थापना की। व्यवसाय-मार्गदर्शन व्यवस्था को, शिक्षा मंत्रालय और धर्म तथा नियोजन मंत्रालय मिलकर चला रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय स्कूलों में व्यवसाय के बारे में मल्लाह-मगविग देते का प्रयत्न करता है और धर्म तथा नियोजन मंत्रालय श्रम चलकर नवयुवकों को काम-धर्म की अधिक शिक्षा या नौकरी दिलाने में सहायता करता है।

● काम निवाने और काम दिलाने की व्यवस्था के पुनर्गठन में सम्बन्धित समिति (१९५२) की सिफारिश पर कामदिलाऊ केन्द्रों की नवयुवकों को रोजगार सम्बन्धी मल्लाह देने का काम भी दिया गया है।

● दूसरी पंचवर्षीय योजना में (१) काम-दिलाऊ केन्द्रों में युवकों और अनुभवहीन छात्रों को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार काम का चुनाव करने के लिए मल्लाह देने वाले विभिन्न विभाग खोलने, (२) बयस्क लोगों के लिए मल्लाह देने की व्यवस्था करने, और (३) ऐसी रुचि-परीक्षाएं तथा मनोवैज्ञानिक विधियाँ निकालने का यत्न होगा, जिनसे कामदिलाऊ केन्द्रों को यह पता लग जाए कि कौन व्यक्ति किस काम में अधिक उन्नति कर सकता है।

● दूसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक देश के ५३ कामदिलाऊ केन्द्रों में युवकों और अन्य लोगों को व्यवसाय सम्बन्धी मल्लाह देने के अनुभाग स्थापित हो जाएंगे।

साल के लिए बदल दिया जाए और प्रबन्धकों का ही कोई उच्च प्रतिनिधि इन समितियों का समर्थित रहे।

इस बैठक में उन विषयों को भी सूची तैयार की गयी जो सद्भावना समितियों के अधिकार-क्षेत्र में आने चाहिए। सूची में कारखानों में सफाई, अथ मुषियां, गुरुआ दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय, कठ्याग-कोष का प्रबन्ध, कर्मचारियों के मनोरंजन के कार्य तथा पैना बचाने आदि जैसी बातों को स्थान दिया गया है।

कानून के अनुसार जहाँ १०० कर्मचारी या अधिक काम करते हैं, वहाँ सरकार के निर्देश करने पर कर्मचारियों और प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों की सद्भावना समितियों बनायी जानी चाहिए।

### प्रबन्ध में मजदूरों का भाग : समिति की बैठक

प्रबन्ध में मजदूरों के भाग लेने और उद्योग में अनुमानन बनाये रखने के लिए जो उपनमित नियुक्त की गयी हैं, उसको ८ दिवस-भर को नयी दिल्ली में पांचवें बैठक हुई। इसमें उद्योगों में दक्षता बढ़ाने और मजदूरों के हित के लिए काम करने पर विचार हुआ।

बैठक को अध्यक्षता धर्म और नियोजन मंत्री, श्री गुलजारीलाल नन्दा ने की। यह उपनमित भारतीय श्रम सम्मेलन ने बुलाई १९५३ में नियुक्त की थी। इसमें मालिकों, मजदूरों तथा सरकार के प्रतिनिधि हैं।

समिति इस पर महत्त्व हुई कि पहले कुछ विद्वान्त धनाथे जाए जोर उन्हे आजमाइशों योजनाओं पर लागू किया जाए और बाद में अनुभव प्राप्त करने पर उन विद्वान्तों में सुधार किया जाए।

श्री नन्दा ने कहा कि प्रबन्धकों और मजदूरों को अपने अनुभव तथा विचार एक-दूसरे को बताने चाहिए, बर्तमान मजदूरों के ऊपर ही उद्योग की दक्षता और उत्पादनता निर्भर है। इसके लिए राष्ट्रीय उत्पादनता परिषद के सदस्यों में एक अध्यक्षन मंडल बनना पड़ेगा, जिसमें धर्म मंत्रालय, मजदूर तथा प्रबन्धकों के प्रतिनिधि हैं। इसका काम एक सन्तुलनीय ठेका करना और उद्योग मजदूरों को प्रोत्साहित करना है।

## श्रम और रोजगार

### खान-दुघंटना के पीड़ितों की सहायता

फरवरी १९५८ में चिनापुरी कोयले की खान (आननमोल मध-डिवीजन, जिला बर्दवान) दुघंटना के पीड़ितों की सहायता के लिए जो दान प्राप्त हुआ था, उसमें से बचे हुए धन के द्वारा सरकार ने खान-मजदूरों की सहायता का आकस्मिक कोष स्थापित किया है। इस कोष में खान में काम करने वाले को दुघंटना आदि होने पर उनकी या उनके आश्रितों को सहायता दी जाया करेगी। चिनापुरी दुघंटना में जो लोग मर गये थे या अपाट्टिज हो गये थे, उनकी सहायता के लिए प्राय ५२,९६० रु० ने खान मजदूर सहायता कोष स्थापित किया गया था। इस कोष को केन्द्रिय श्रम और नियोजन मंत्रालय चलाता है।

इस कोष से निम्न प्रकार के एक या अधिक कार्यों के लिए सहायता दी जा सकेगी

- (१) प्रारम्भिक खर्च के लिए एकमुस्त सहायता,
- (२) आश्रितों को निश्चित अवधि तक मासिक सहायता;
- (३) स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों को छात्रवृत्ति;
- (४) किसी व्यवसाय आदि की शिक्षा के लिए सहायता,
- (५) सिलाई की मशीन तथा औजार आदि खरीदने के लिए सहायता, जिसमें कि आश्रित काम में लग सकें; और
- (६) इसी प्रकार के और कार्यों के लिए सहायता।

प्रत्येक मामले में ऊपर के कार्यों के अनुसार सहायता देने का निश्चय किया जाएगा। भारी आपात लगने पर लोगों के नकलें अग लगाने या यदि वे अपने मौजूदा काम के लिए अयोग्य हो जाए तो कोई नया काम मिलाने के लिए भी खर्च दिया जाएगा।

यह सूचना श्रम और नियोजन मंत्रालय को ६ दिवसभर की एक विज्ञप्ति में दी गयी है।

### कारखानों की सद्भावना समितियों के सिद्धांतों पर त्रिपक्षीय समिति द्वारा विचार

१ दिसम्बर को नयी दिल्ली में त्रिपक्षीय समिति को बैठक में कारखानों की सद्भावना समितियों के मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में विचार किया गया। बैठक के मन्तव्य पर धर्म मंत्रालय के सचिव श्री पी० एन० मेनन थे। यह त्रिपक्षीय समिति पिछली जुलाई में भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार बनायी गयी थी।

समिति को बैठक में कर्मचारियों और मालिकों के सन्तुलन के चार-चार प्रतिनिधियों और राज्य सरकारों और कुछ केन्द्रीय मन्त्रालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह निश्चय किया गया कि सद्भावना समितियों के अध्यक्ष पद पर बारी-बारी से कर्मचारियों और मालिकों के प्रतिनिधियों को रखने के वर्तमान नियम को आजमाइशों तौर पर तैयार

## विश्व कृषि प्रदर्शनी

नयी दिल्ली में ११ दिसम्बर, १९५९ को विश्व कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति डा. राजेंद्रप्रसाद ने अपने भाषण में कहा कि यह बहुत सन्तोष और खुशी की बात है कि विश्व कृषि प्रदर्शनी का आयोजन सम्भव हो सका है, जिससे भारतीय किसानों को सप्ताह में खेती में हुई उन्नति और भारतीय खेती देखने का अवसर मिल सके और वे कृषि और अन्य विषयों, ग्रामोद्योगों और भारत में ग्राम और सामुदायिक विकास में हुई प्रगति का तुलनात्मक मूल्यांकन कर सकें।

भारत कृषि-प्रधान देश है। हम अपने साधनों और सामर्थ्य के अनुसार घीघ्रातिशीघ्र बहुत बड़े पैमाने पर बड़े, छोटे और घरेलू उद्योगों की स्थापना का प्रयत्न कर रहे हैं। हमें आशा है कि हम इस दिशा में अच्छी प्रगति करेंगे और अच्छे परिणामों दिखा सकेंगे। तो भी, भारत का फल्ये अन्न तक मुख्य रूप से कृषि-प्रधान देश ही रहेगा। इस देश में खेती से सबसे अधिक सहायता में लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे लोगों की सहायता, सगठित या अगठित अन्य सभी उद्योगों से रोजगार पाने वाले लोगों की सहायता से अधिक है। खेती से जितनी सम्पदा उत्पन्न होती है, उम्माक मूल्य भी यदि सब उद्योगों के कुल मूल्य से नहीं तो कम से कम अल्प किसी भी एक उद्योग से अर्जित सम्पदा से अधिक है। उससे मनुष्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक पदार्थ मिलता है और जतनी ही आवश्यक कुछ अन्य चीजें तैयार करने के लिए कच्चा माल मिलता है। अतः प्राचीन भारत में खेती को सबसे उत्तम धंधा मानना अकारण ही नहीं था, और मेरा विश्वास है कि खेती का अब भी वही आसन है।

दूसरे देश में ऐसी ही अनेक समस्याएँ भी हैं, जो बहुत कठिन और उलझी हुई हैं। जैसा कि मैंने कहा, हम हालाँकि कृषि-प्रधान देश हैं, फिर भी अभी हम अपनी आवश्यकता के लिए पूरा अन्न पैदा नहीं करते और हमें अपनी कमी

पूरी करने के लिए अमरीका जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है।

अतः केवल भारतीय किसान के ही लिए नहीं, बल्कि सारे देश के लिए सबसे पहले सवाल यह है कि अपनी दिन-प्रतिदिन बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिए पूरा अन्न पैदा किया जाए। इसमें कठिनाई स्वाभाविक है, क्योंकि जमीन, जिसके बिना खेती नहीं हो सकती, सीमित है और वह बट नहीं सकती। देश में जितनी जमीन पर अभी खेती नहीं होती, उस मारी जमीन पर यदि खेती होने भी लगे, तो भी यह बड़ती बहुत ज्यादा न होगी। खेती योग्य जमीन को इतना न भी कठिनाई है। हम जानते हैं कि इस समय जितनी जमीन पर खेती होती है और जितनी जमीन पर वन है, उसे देखते हुए वनों को काटकर खेती के लिए जमीन निकालना ठीक नहीं है। बहुत-से इलाके सूखे हैं, क्योंकि वहाँ पर्याप्त वर्षा नहीं होती और न ही वहाँ सिंचाई के दूसरे साधन हैं। इसके अलावा इन प्रकार की जमीन निकलती है, वह छोटे-छोटे खेतों में बट जाती है और बड़ती जा रही है। हमारे लोग बहुत मेहनती और अच्छे किसान रहे हैं और उन्होंने कठिन स्थानों में भी भूमि को खेती योग्य बनाने में हिम्मत, विवेक और कौशल का परिचय दिया है। यद्यपि इन प्रकार के इलाकों में कुछ और भूमि को खेती योग्य बनाना सम्भव है, फिर भी, कोई खास वृद्धि होगी, इसमें मुझे सन्देह है। इस प्रकार सब बातों को ध्यान में रखकर और खेती में विस्तार की बात मानकर भी हम इस विषय में पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो सकते कि वह बढ़ती हुई आबादी को पाल सकती है। इस समय भी स्थिति यह है कि देश में ४० करोड़ लोग रहते हैं और पहाड़ों, वनों, झीलों और रेगिस्तानों जैसे खेती के अयोग्य क्षेत्रों सहित उसको धरती पर प्रति वर्गमील ३०० से अधिक लोग रहते हैं। छोटे-बड़े सहरो को छोड़ दें तो भी ऐसे देहाती क्षेत्र हैं जहाँ की जनसंख्या प्रति वर्गमील १,२०० तक है। हमें यह भी याद रखना है कि इस जनसंख्या प्रति वर्ग ४० से ५० लाख तक और लोग शांतिपूर्वक होते जाते हैं।

स्वाभावतः अन्न की समस्या हमारी सबसे कठिन समस्या है, जिसकी ओर तुरन्त ध्यान देना है। दूसरी ओर, हमारी प्रति एकड़ उपज कम

है और मुझे बताया गया है कि और देशों की प्रति एकड़ उपज में वह बहुत कम है। जैसा कि मैंने कहा, हमारे पिछले जमाने के किसान पिछड़े हुए या आदिम किस्म के नहीं थे और उन्होंने कई सदियों के दौरान में खेती की विधियों और उपायों में बहुत तरक्की की थी। इन विधियों और उपायों के मूल तत्व आज भी पूरी तरह पुराने नहीं पड़े हैं। हमारे किसानों को मालूम है कि विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए कैसी जमीन चाहिए; सिंचाई के लिए कब और कैसे पानी की जरूरत होती है और विभिन्न प्रकार की जमीन और फसलों के लिए किन विभिन्न तरीकों से खेती और जुताई होनी चाहिए। उनके पास अपने परम्परागत खेती के औजार भी हैं, जिन्हें वे अपने ही गांवों में तैयार कर लेने के आदी भी हैं। उन्होंने कुओं और तालाबों से छोटे पैमाने पर और बड़े-बड़े जलाशय बना कर और उनसे नहरें निकाल कर, बड़े पैमाने पर सिंचाई करने के साधनों का विकास भी किया। जहाँ-जहाँ उनके पास साधन थे, वहाँ-वहाँ उन्होंने नदियों का भी इस्तेमाल किया। अक्सर और भावनों की कमी होने के कारण वे आधुनिकतम और सर्वाधिक कार्यकारी कृषि-यंत्रों का इस्तेमाल नहीं कर सके या बिजली से पानी खींचने को सुविधा का उतना इस्तेमाल नहीं कर सके जितना आवश्यक था। यह अच्छी बात है कि इन सब दिशाओं में काफी प्रगति हो रही है और सोभाव्य से विदेशों से मिली मदद और विस्तार-मेधाओं तथा ग्राम विकास सङ्घनों के जरिये इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि इन सब चीजों से पूरा-पूरा फायदा उठाने में किसानों की मदद की जाए।

हम यह समझते हैं कि कृषि उत्पादन में सुधार और सगठन ही ऐसी चीजें हैं, जिनसे देश ऐसे राज्य के रूप में उन्नति कर सकता है जहाँ कोई अभाव या कष्ट न हो। मैं उसी दृष्टि से इस प्रदर्शनी का स्वागत करता हूँ, जिसमें दूर और पास से आये हमारे किसान अपने देश के विभिन्न भागों ही में नहीं, बल्कि संसार के सुदूर देशों में हुई प्रगति को भी अपनी आँखों से देख सकेंगे। यह पक्की बात है कि हमारे किसानों का अपने पुराने अनुभवों से, जो मुख्यतः वनों हैं, सन्तुष्ट रहना ठीक नहीं। उन्हें वैज्ञानिक तरीकों के प्रकाश में नयी-नयी विधियों को अपनी आवश्यकता और साधनों के अनुसार अपनाकर खेती को आधुनिक बनाना चाहिए।

## जापानी तरीके से धान की खेती

पना चला है कि १९५८-५९ में लगभग ५६ लाख एकड़ जमीन में जापानी तरीके से धान की खेती की गयी। १९५७-५८ में इस तरीके से प्रति एकड़ २८ मन ३३ सेर धान की उपज हुई। १९५८-५९ में इस तरीके से धान की खपत के आकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। यह मूचना कृषि उपमन्त्री, श्री एम० बी० कृष्णप्पा ने ८ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

## १९५८-५९ में आलू की पैदावार

खा और कृषि मन्त्रालय के अर्थ और अन्न निदेशालय ने जानकारी मिली

## नदी योजनाएं और बिजली

## गंडक योजना के बारे में भारत-नेपाल करार

भारत और नेपाल के गंडक की सिंचाई और बिजली योजना के बारे में जिस करार पर हस्ताक्षर किये हैं, वह इन दोनों स्वतन्त्र देशों के निकट सहयोग का परिचायक है और इससे दोनों को समान लाभ होगा।

इस योजना के बारे में बातचीत भारत की स्वतन्त्रता के कुछ ही समय बाद शुरू हुई थी। जब वर्तमान राष्ट्रपति, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद भारत सरकार के साथ तथा कृषि मंत्री थे, तब उन्होंने बिहार सरकार को यह सुझाव दिया था कि वह गंडक से नहरे निकाल कर बिहार के अन्तर्भाव अर्थात् क्षेत्रों में पैदावार बढ़ाने के बारे में जांच-पड़ताल करे।

१९४८ से १९५४ तक इस योजना के बारे में आवश्यक जांच-पड़ताल चलती रही और नेपाल के भारतीय राजदूत ने वहाँ की सरकार से विचार-विमर्श किया। दो साल बाद दोनों सरकारों ने एक समझौता हुआ है, जो दोनों देशों को मान्य है।

### योजना की रूपरेखा

गंडक योजना के अन्तर्गत भेसालोटेन के पास नदी के आर-पार एक बांध बनेगा। इसका एक निरा नेपाल में होगा और

है कि १९५८-५९ में, पिछले साल की अपेक्षा, आलू की खेती का क्षेत्रफल २८ हजार एकड़, अर्थात् ३.५ प्रतिशत और उपज ३ लाख ५३ हजार टन, अर्थात् १८ प्रतिशत बढ़ी है।

१९५८-५९ के अखिल भारतीय प्राक्कलन में आलू की खेती का क्षेत्रफल ८ लाख २२ हजार एकड़ और उपज २३ लाख १९ हजार टन आंकी गयी है, जबकि पिछले साल क्षेत्रफल ७ लाख ९४ हजार एकड़ (संयोजित) और उपज १९ लाख ६६ हजार टन (संयोजित) आंकी गयी थी।

यह मूचना खाद्य और कृषि मन्त्रालय के अर्थ और अन्न निदेशालय की ५ दिसम्बर की एक विज्ञप्ति में दी गयी है।

दूसरा भारत में। इसी प्रकार पश्चिमी और पूर्वी किनारों से निकलने वाली दो मुख्य नहरें भी नेपाली और भारतीय प्रदेश में पड़ेगी। इस बांध और नहरों आदि की सहायता से दोनों देशों की ३७ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी। नेपाल और भारत की सीमाओं में जो दो बिजलीघर बनेंगे, उनकी क्षमता १०-१० हजार किलोवाट होगी। इस योजना से दोनों देशों में रोजगार बढ़ेगा। सारी योजना का निर्माण-व्यय भारत देगा। इस योजना पर ५०।। करोड़ ६० खर्च होने का अनुमान है। इसमें से ३९ करोड़ ५० लाख ६० बिहार को खर्च करना होगा और ११ करोड़ ८० उत्तर प्रदेश को। आगा है, सारी योजना दस वर्ष में पूरी हो जायेगी।

### करार की मुख्य बातें

इस योजना के बांध तथा नहरों की जमीन के लिए मुआबजा दोनों सरकारें देगी। इनमें अलावा, भारत जो पत्थर आदि नेपाली क्षेत्र में खोदेगा, उनके लिए भी वह मुआबजा देगा। नेपाल को यह अधिकार होगा कि वह अपनी इच्छानुसार गंडक में सिंचाई या और किसी काम के लिए गंडक या इसकी सहायक

नदियों से अपनी जरूरत लायक पानी ले सके।

नदी में पानी कम रहने पर दोनों देश अपने-अपने हिस्से के पानी में उगी हिसाब में कमी कर लेंगे। दोनों देशों के अन्य अधिकारों के बारे में भी उचित मरक्षण दिये गये हैं।

### नेपाल को लाभ

योजना के पूरे हो जाने पर नेपाल को १।। लाख एकड़ जमीन में सिंचाई के लिए पानी मुफ्त मिलेगा। इसके अलावा राप्ती, दून और अन्य क्षेत्रों में २ लाख एकड़ में सिंचाई के लिए पानी सुरक्षित रहेगा, जिसका आग चल कर नेपाल उपयोग कर सकेगा।

भारत सरकार ने अपनी ओर से नेपाल के क्षेत्र में २० घनफुट प्रति सेकेंड के प्रवाह वाली नहरें और इनकी शाखाएँ बनाना स्वीकार कर लिया है। २० घनफुट प्रति सेकेंड से कम प्रवाह वाली नालियाँ और रजबई बनाने के लिए भी भारत १५ लाख ६० तक खर्च करेगा। इस प्रकार नेपाल में सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ाने के लिए भारत सरकार लगभग २ करोड़ ३० लाख ६० खर्च करेगी।

नेपाल में जो नया बिजलीघर बनेगा उस पर और बिजलीघर को बिहार की सीमा पर भेसालोटेन से जोड़ने वाली बिजली की लाइनों और यहाँ से सगौली होकर रकमोल तक की बिजली की लाइनों पर भारत सरकार ४ करोड़ ५१ लाख ६० खर्च करेगी, जिसमें से ३ करोड़ ५० लाख ६० केवल नेपाल के लाभ के कामों पर ही खर्च होगा।

इस व्यवस्था में नेपाल को लागत मूल्य पर बिजली मिला करेगी। करार में नहरें और इससे सम्बन्ध सड़कें तथा अन्य चीजें नेपाल सरकार को देने की व्यवस्था है। इसी प्रकार नेपाल सरकार पश्चिमी बिजली घर को भी मुफ्त दे सकेगी। इन सुविधाओं के अलावा, इन पात्रना में नहरों में सड़कें, बांध के ऊपर पुल, टेलीफोन, नगर और रैडियो सम्बन्ध आदि की सुविधाएँ भी बंध जायगी।

### भारत को लाभ

भारत को इस योजना में सबसे बड़ा लाभ पार होगा कि बिहार के गंडक, चन्द्रगढ़

मुंजपफपुर और दरभंगा तथा उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर जिले मिर्चाई आदि की सुविधा बढ़ने से अकाल-मुक्त हो जाएंगे। यह सारा क्षेत्र बहुत घना आबाद है और यहा हमेशा अन्न की कमी रहती है। यहां वर्षा भी यथासमय नहीं होती। गंडक योजना के कारण बिहार और उत्तर प्रदेश में क्रमशः २७ लाख एकड़ और ६ लाख एकड़ में सिंचाई हो सकेगी।

पूर्वी नहर के बिजलीघर से भारत को बिजली मिलेगी। इसके अलावा पश्चिमी नहर के बिजलीघर की नेपाल की जरूरत से बची हुई बिजली भी बिहार को मिल सकेगी।

### भारत-नेपाल कोसी सहयोग समिति

**को**सी सहयोग समिति की २४ सितम्बर, १९५९ की बैठक में जो काठमाडू में हुई थी, योजना के लिए जमीन लेने, विस्थापितों को बसाने, शांति कायम रखने, जमीन को कटने में रोकने और अन्य ऐंम विषयों पर विचार किया गया जिनमें भारत और नेपाल दोनों का हित है।

यह सूचना मिर्चाई तथा बिजली उपमन्त्री ने एक प्रश्न के उत्तर में एक वक्तव्य में दी, जिसे उन्होंने ७ दिसम्बर को राज्यसभा की मेज पर रखा।

वक्तव्य में कहा गया है कि समिति ने कोसी योजना की इन तीन बातों पर खासतौर से विचार किया (१) चतरा की नहर इस नहर को जल्दी से जल्दी बनाने और धन की मजूरी देने की सिफारिश की गयी है; (२) पश्चिमी नहर कोसी योजना प्रशासन, सप्तरी जिले में नहर के पानी के इस्तेमाल की योजना के बारे में जांच-पड़ताल करने को राजी हो गया है; (३) चन्द्रा नहर का सुधार कोसी योजना प्रशासन ने कार्यक्रम के अनुसार धन मिलने पर इस नहर को ठीक करना स्वीकार कर लिया है।

### कोसी योजना की प्रस्तावित नहरों से सिंचाई

**को**सी योजना से जो नहरें निकाली जाएंगी उनमें लगभग १२ लाख ४५ हजार एकड़ अतिरिक्त जमीन की सिंचाई की जा

सकेगी। कोसी योजना क्षेत्र में ४ नहरें बनाने के लिए पडताल आदि की जा रही है।

यह सूचना केन्द्रीय मिर्चाई और बिजली उपमन्त्री, श्री जयमुखलाल हाथी ने ८ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

### पाछेते बांध का उद्घाटन

**दा**मोदर घाटी निगम का सबसे बड़ा बांध पाछेते और उसका बिजलीघर ६ दिसम्बर को एक सन्थाल मजदूरिन द्वारा भारतीय जनता को समर्पित किया गया।

बांध के उद्घाटन के इस अवसर भाषण करते हुए प्रधान मन्त्री, श्री नेहरू ने कहा कि इस बांध से पश्चिम बंगाल और बिहार के लाखों लोगों को बहुत समय तक लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि आज भारत अपना कायाकल्प करने में लगा हुआ है। यह लोगों के कठिन परिश्रम से ही हो सकता है। श्री नेहरू ने इस बात पर खुशी प्रकट की कि बांध का उद्घाटन योजना की एक मजदूरिन ने किया।

उमसे पूर्व प्रधान मन्त्री का स्वागत करते हुए दामोदर घाटी निगम के अध्यक्ष ने कहा कि यह बांध और बिजलीघर उन दृढ़ सकल्प वाले लोगों के कठिन परिश्रम का परिणाम है जिन्होंने पिछले ६ वर्षों में कठिनाइयों और मुसीबतों के बावजूद दिन-रात जम कर काम किया। उन्होंने कहा कि दामोदर घाटी निगम ने जो ४ बांध तैयार किये हैं उनसे ६॥ लाख घनफुट प्रति सेकेण्ड की बाढ़ रोकनी जा सकती है। इस वर्ष निगम ने सिंचाई की जो व्यवस्था की है उससे ९ लाख एकड़ भूमि सींची जा सकती है। यह शुरू के लक्ष्य से, जो ७॥ लाख करोड़ से तो अधिक है, लेकिन सर्वोचित लक्ष्य से, जो १०॥ लाख एकड़ रखा गया था, कम है।

### बांध का आकार-प्रकार तथा भव्य

पाछेते बांध दामोदर घाटी निगम के चारों बायों में सबसे बड़ा है। इस बांध और बिजलीघर के बनाने पर अनुमान है कि लगभग १९,२५ करोड़ रुपये खर्चें हुए हैं। पाछेते बांध मिट्टी और कंकरीट से बनाया गया है। यह कोई ४.२५ मील लम्बा और १३४ फुट ऊंचा

है। बांध के जलाशय का क्षेत्रफल ५९ वर्गमील है। बांध के सभी मुख्य-मुख्य निर्माण-काम निगम ने स्वयं पूरे कराये हैं, उनके लिए कोई ठेका नहीं दिया गया।

योजना के अनुसार बिजली घर में ४०-४० हजार किलोवाट की क्षमता के दो यूनिट बनाने की व्यवस्था है। अभी केवल एक यूनिट स्थापित हुआ है।

### गांवों में बिजली पहुंचाने की योजना की प्रगति

**गा**ंवों में जल्दी ही बिजली पहुंचाने के लिए मिर्चाई और बिजली मंत्रालय ने एक नियमावली बनायी है। राज्य इसी नियमावली का पालन करेगा। नियमावली में गांवों में बिजली पहुंचाने के तरीके और बिजली के सामान के बारे में भी बताया गया है। इससे इस काम में काफी वचत होगी।

नियमावली में कहा गया है कि गांवों में बिजली के तार के खम्भे लकड़ी के बनाये जाएं। इन्हें इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से निम्नाया जाए। इस तरह के खम्भों पर इस्पात और कंकरीट के खम्भों से आधा खर्च पड़ेगा। नियमावली में इन खम्भों के मानक भी दिये गये हैं, ताकि वे विभिन्न क्षेत्रों में आधी-नूफान और सर्दी-गर्मी-बरसात में टिक सके। इसमें खर्च में बचत होगी, खम्भे तेजी से बन सकेंगे और इस प्रकार गांवों में जल्दी ही बिजली पहुंच सकेगी।

### केन्द्रीय सहायता

गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने १९५८-५९ में राज्यों को २ करोड़ २५ लाख ८० हजार ६० अण्ड देना स्वीकार किया है। इसमें, कनाडा ने कोलम्बो योजना के अंतर्गत बिजली तैयार करने के जो डोजल सेट दिये हैं, उनका मूल्य भी शामिल है।

अण्ड का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है: मंगूर—८,५७,१४९ ६० (१९५७-५८ और १९५८-५९); पंजाब—९,४३,५३८ ६० (१९५८-५९); मद्रास—३,७३,८३९ ६० (१९५८-५९); आंध्र प्रदेश—८,५५,१२४ ६० (१९५८-५९); मध्य प्रदेश—४,८८,९१० ६० (१९५८-५९); केरल—१०,७७,६११

₹ (१९५८-५९); बम्बई—५,३७,७६२  
₹ (१९५८-५९); आंध्र प्रदेश—  
१३,६०,६६० ₹ (१९५७-५८); उत्तर  
प्रदेश—३,४८,१८५ ₹ (१९५८-५९);  
असम—४,२८,६४३ ₹ (१९५८-५९);  
मध्यप्रदेश—१२,६५,४८६ ₹ (१९५८-५९);  
बिहार—७,६३,०५२ ₹ (१९५८-५९);  
उड़ीसा—५,५४,६९१ ₹ (१९५७-५८),  
और राजस्थान—९,१६,०५१ ₹ (१९५८-  
५९) ।

दूसरी योजना के आरम्भ में ३१ मार्च,  
१९५९ तक लगभग ८,८७० गांवों में बिजली  
पहुँचायी जा चुकी है ।

## क्या आप जानते हैं ?

### बिजली का विकास

● भारत में ताप-बिजली और पनबिजली के विकास का काम स्वतंत्रता के बाद ही आयोजित ढंग से शुरू हुआ । पहली पंच-वर्षीय योजना के शुरू होने के समय देश में २३ लाख किलोवाट बिजली पैदा होती थी । पहली योजना की अवधि में ११ लाख किलोवाट बिजली और बनने लगी ।

● दूसरी पंचवर्षीय योजना में ३४ लाख किलोवाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य है और तीसरी योजना में और भी वृद्धि करने का प्रस्ताव है ।

● देश में बिजली उत्पादन की मुख्य योजनाएँ दामोदर घाटी निगम, हीराकुड, भाकडानगल, कोयना, चम्बल, नागार्जुनसागर, रेड और शरावती हैं । इनमें से कुछ पूरी हो चुकी हैं और कुछ शीघ्र ही हो जाएंगी तथा कुछ का निर्माण-कार्य शुरू हो गया है । इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों से मछकुड, मोयार, बोंकारो और पथरी बिजलीघरों में भी बिजली पैदा होने लगी है ।

● बुनियादी उद्योगों के विकास और नित्य के व्यवहार की वस्तुओं के सपेक्ष उत्पादन से ही देश में समृद्धि होगी । यह तभी सम्भव है, जब देश में सस्ती बिजली पैदा की जाए । अतः भारत सरकार सस्ती बिजली बनाने और लोगों को उपयोग के लिए देने की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है । देश में कितनी

बिजली की जरूरत है, और कितनी बन रही है, इसकी पड़ताल की जा रही है, ताकि इसी हिसाब से और बिजलीघर बनाएँ जा सकें ।

● भारत की ८० प्रतिशत जनता गांवों में बसती है । इन गांवों में भी बिजली पहुँचाना आवश्यक है । हो सकता है कि गांवों में बिजली की व्यवस्था लाभप्रद न हो, क्योंकि गांवों में बिजली की माग बहुत कम है, तथापि गांवों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उन्हें बिजली देना परम आवश्यक है । इस ओर प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

● पहली योजना के शुरू होने समय ३,००० गांवों में बिजली लगी थी, और इनके अंत में यह सख्या बढ़कर ७,००० हो गयी । दूसरी योजना में १०,००० और गांवों में बिजली लगाने का लक्ष्य रखा गया है ।

● बिजली बनाने का खर्च घटाने के लिए अलग-अलग बिजलीघरों को एक श्रृंखला (ग्रिड) में जोड़ दिया गया है, कुछ राज्यों में इस तरह की बिजली श्रृंखलाएँ काम कर रही हैं ।

● जिन राज्यों में अधिक बिजली बनती है, वहाँ में दूसरे राज्यों में भी बिजली पहुँचाने के लिए तीसरी योजना में कुछ राज्यों को मिलाकर ग्रिड या मजह बनाया जाएगा ।



### रेलों के जनरल मैनेजर्स की बैठक

रेल मंत्री, श्री जगजीवन राम ने ७ दिमम्बर को नयी दिल्ली में क्षेत्रीय रेलों के जनरल मैनेजर्स की बैठक में कहा कि चलती गाड़ियों में डकैतियों आदि की जो घटनाएँ होती हैं, उनका सबध उन क्षेत्रों की सामान्य स्थिति में है, जहाँ ये घटनाएँ घटती हैं । इनकी रोकने के लिए राज्य सरकारें भी आवश्यक कार्रवाई कर सकती हैं, किन्तु कुछ काम ऐसे हैं जिनमें रेलें स्वयं कर सकती हैं और जिनमें अपराध अवश्य कम होंगे ।

रेल मंत्री ने कहा कि रेलों के जिम्मेदार अधिकारियों को अचानक छापे मारकर यह

आसाम और गुजरात में बिजली के नदीय सिंचाई और बिजली उममन्त्री, श्री जयसुखलाल हायी ने ११ दिसम्बर को एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि १९६५-६६ में आसाम की अधिकतम आवश्यकता ५० हजार किलोवाट आकी गयी है । उन्होंने यह भी कहा कि यह बिजली मुख्यतः उम्पु और उमियम (बड़ापानी) पनबिजली घरों से प्राप्त होगी ।

### गुजरात

श्री हायी ने ८ दिमम्बर को प्रश्नोंतर के समय लोकमन्त्रा में बताया कि गुजरात में १ लाख ७२ हजार किलोवाट बिजली तैयार करने योग्य बिजलीघर हैं और १ लाख ६७ हजार बिजली बनने का अनुमान था ।

### जुलाई १९५६ में बिजली का उत्पादन और खर्च

देश में बिजली के उत्पादन के सम्बन्ध में जुलाई १९५९ के लिए ८१३ मार्चजनिक बिजलीघरों के आकड़े उपलब्ध हैं । पिछले वर्ष के इसी महीने के आकड़ों से तुलना करने पर पता लगना है कि बिजली के उत्पादन में १९ प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है और खर्च में १८ प्रतिशत की ।

देखना चाहिए कि रेलों के डिब्बों आदि में सुरक्षा के लिए चटपटनिया आदि जो पन्न लगाएँ गये हैं, वे ठीक काम कर रहे हैं या नहीं । कुछ गाड़ियों के माथ मगम्भ गार्ड चल्ती हैं, मैरिन सब गाड़ियों के माथ एंगे पत्रे की व्यवस्था करना सम्भव नहीं ।

देश भर में रेलों पर जितने अपराध होते हैं, उनको मन्त्रा मन्मन्त्र देना के बिना भी बड़े गहर के अपराधों में बच होंगे । मैरिन रेलों में अभी तक सुरक्षा की अच्छी मिगन्त्र मान्य की है, इसलिए उन पर छोटी-मोटी घटनाएँ होने पर भी जनता खीर उठती है । उन्हीं अपराध मैनेजर्स के अनुरोध बिना कि वे गार्ड मन्त्रा

सं मिल कर रेलों पर अपराध रोकने का पूरा प्रयत्न करे ।

बैठक में रेल उपमन्त्री और श्री रामस्वामी, रेल मण्डल के अध्यक्ष तथा रेलों के उच्च अधिकारी उपस्थित थे । रेल मंडल के अध्यक्ष, श्री के० बी० माथुर ने रेल-परिवहन की आम स्थिति पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए माल को और अधिक तेजी से पहुंचाने की अपील की । बैठक में कर्मचारियों की भलाई के कामों आदि पर भी विचार किया गया ।

### उत्तर-पूर्व रेल की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक

गोरखपुर और लखनऊ के बीच एकप्रेक्ष रेलगाड़ियों पर मोने के लिए जो डिब्बे लगाये जाते हैं, वे अब जनवरी १९६० से पैसेजर गाड़ियों (३१ अप और ३२ आउन) पर लगाये जाएंगे । यह जानकारी रेल मंत्री, श्री जगजीवनराम ने उत्तर-पूर्व रेल की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में दी । यह बैठक ५ दिसम्बर को नयी दिल्ली में रेल मंत्री की अध्यक्षता में हुई ।

बैठक में उत्तर-पूर्व रेल के जनरल मैनेजर ने बताया कि समिति की पहली बैठक में जो मुझाव आये थे, उनमें से अधिकांश पर अमल किया जा चुका है । उन्होंने यह भी बताया कि कुछ खण्डों में रेल की रफतार में जो कमी है, वह अगले माल मार्च में काफी सीमा तक और अप्रैल के बाद पूरी तरह दूर हो जाएगी ।

बैठक में रेल उपमन्त्री, श्री ग्राह गवाज खा और श्री रामस्वामी, सहाय सदस्य, उत्तर-पूर्व रेल के जनरल मैनेजर, रेल मंडल के अध्यक्ष और सदस्य तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे ।

### १६५६-६० की पहली छमाही में रेल दुर्घटनाएँ

सन् १९५९-६० में सितम्बर १९५९ तक जितनी रेल दुर्घटनाएँ हुईं, वे पिछले साल की इसी अवधि में हुईं दुर्घटनाओं की अपेक्षा काफी कम थीं । अप्रैल में सितम्बर १९५९ तक ४८ बार रेलों की भिड़त हुईं और ७६२ बार रेलें पटरियों से उतरीं । यह मूचना रेल उपमन्त्री, श्री एस० बी० रामस्वामी

ने ३ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी ।

श्री रामस्वामी ने बताया कि अप्रैल १९५९ से जुलाई १९५९ तक रेल कर्मचारियों की गलती से २९०; रेल कर्मचारियों के अलावा अन्य किमी की गलती से २; मशीनी गडबड से ४३; पटरियों में खराबी के कारण १९; तथा जागबूझ कर टौंड-फौंड से २ दुर्घटनाएँ हुईं । इनके अतिरिक्त ४९ घटनाएँ दुर्घटनापूर्ण कही जा सकती हैं, १ ऐसी है जिसके कारण का पता नहीं चल सका और ७७ के कारणों की अभी जांच हो रही है । इस प्रकार कुल मिला कर ४८३ दुर्घटनाएँ हुईं ।

### हताहत धर्मियों की संख्या

अप्रैल से जुलाई १९५९ तक इन दुर्घटनाओं में १ व्यक्ति मरा, ७ सख्त घायल हुए और १३७ को मामूली चोटें आयीं । इसी अवधि में इन दुर्घटनाओं में १२ रेल कर्मचारी मरे, १९ घायल हुए और १२० को मामूली चोटें आईं ।



### भारती विद्या समिति की बैठक

३ दिसम्बर को नयी दिल्ली में भारती विद्या समिति की आठवीं बैठक श्री नीलकण्ठ शास्त्री की अध्यक्षता में हुई ।

इसमें भारती विद्या के विभिन्न विषयों के अनुसंधान को आगे बढ़ाने और उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए तीसरी योजना में एक केन्द्रीय अध्ययन और अनुसंधान सत्या खोले जाने की समावना पर विचार किया गया ।

समिति ने दुर्लभ पाठुलिपियों के प्रकाशन की प्रगति पर विचार किया । समिति ने पाठुलिपियों की प्रतियाँ बनाने की दर भी तय कर दी ।

सदस्यों ने मिद्वान्त यह स्वीकार किया कि ब्रिटेन, जर्मनी और रूस में पायी जाने वाली मध्य-एशियाई सस्कृत बौद्ध पाठुलिपियों का वो वर्ण तब अध्ययन और सम्पादन करने के लिए इन देशों में एक-एक छात्र भेजा जाए ।

### रेल-मण्डल द्वारा नाइजीरिया के छात्रों की ट्रेनिंग

केन्द्रीय रेल उपमन्त्री, श्री शाहनवाज खां ने एक प्रश्न के उत्तर में ३ दिसम्बर को लोकसभा में बताया कि रेल मण्डल नाइजीरिया के छात्रों को मेकैनिकल और सिविल इंजीनियरी की शिक्षा देगा । मेकैनिकल और सिविल इंजीनियरी में चार-चार छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी । नाइजीरिया का रेल निगम छात्रों का पूरा खर्च देगा ।

### बिहार में बिजली की रैले

भारत सरकार ने बिहार राज्य सरकार को बिहार में बिजली की रैले चलाने की व्यवस्था के लिए ७७ लाख ₹० का कर्ज देना मंजूर किया । बिहार को इस काम के लिए ४ करोड़ ₹० चाहिए । इसमें से यह पहला ऋण है ।

समिति ने पांडुलिपियों की सूची तैयार करने और उन्हें प्रकाशित करने के लिए एक निर्धारित फार्म भी स्वीकार किया, जिसे सभी सत्याएँ काम में लाएँगी, और यह भी तय किया कि सरकार किस आयार पर सहायता प्रदान करे ।

समिति ने देश की कई सस्थाओं और पुस्तकालयों को दुर्लभ पाठुलिपियाँ प्राप्त करने और उनकी सूची तैयार करने के लिए उन्हें सहायता के रूप में अनुदान देने की सिफारिश की ।

बैठक के प्रारंभ में डा० सरदेवाई और डा० अत्तेकर की मृत्यु पर शोक प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

इस बैठक में डा० एम० निजामुद्दीन, डा० पी० राघवन, प्रो० हादी हसन, डा० एस० एम० कर्ण, डा० आर० एन० डांडेकर, श्री ए० घोष और सदस्य-सचिव, श्री टी० एम० कृष्णामूर्ति ने भाग लिया ।

## साहित्य प्रकादमी के १९५६ के पुरस्कार

साहित्य अकादमी के कार्यकारी मण्डल ने १९५६-५८ में प्रकाशित भारतीय भाषाओं की कुछ उत्कृष्ट पुस्तकों को ५-५ हजार रु० का वार्षिक पुरस्कार (१९५९ के लिए) देने के लिए चुना है। मण्डल की बैठक ५ दिसम्बर को नयी दिल्ली में अकादमी के अध्यक्ष, श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई।

लेखकों में से पुरस्कृत पुस्तकों के नाम ये हैं

(१) हिन्दी मस्कृति के चार अध्याय (भारतीय मस्कृति सत्रवी), श्री रामधारी सिंह 'विक्रम'; (२) वनला कलकत्ता कच्छेई (उपन्यास), श्री गणेश कुमार मिश्र; (३) कन्नड - यशगान वयलता (कन्नड योनादाय मन्वी), श्री के० एम० करत; (४) मराठी - भारतीय माहिल्य शास्त्र (भारतीय काव्य-शास्त्र सम्बन्धी), श्री जी० टी० देगणपडे, (५) पंजाबी बड़टा वेला (काव्य-मग्न), श्री मोहन सिंह, (६) उर्दू उर्दू ड्रामा और स्टेज (उर्दू नाटक और रामच का इतिहास), गैबद मयूद हगम रिजवी, (६) मिस्री कवर (जीवनी), श्री तीर्थ वमन्त।

अममिया, गुजराती, कश्मीरी, मलयाली, उडिया, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और अंग्रेजी की जिनो भी पुस्तक को पुरस्कार योग्य नहीं माना गया।

लेखकों के ये पुरस्कार १३ फरवरी, १९६० को नयी दिल्ली में एक विजय समारोह में प्रदान मन्वी द्वारा विभे जाएंगे।

## छात्रों के शौक को प्रोत्साहन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने १७ विद्व-विद्यालयों और ३९ कालेजों को चुना है, जहाँ छात्रों के शौकों को प्रोत्साहन देने के लिए व्यवस्था करने की योजना है। इन विद्व-विद्यालयों के नाम हैं आगरा, आन्ध्र, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, गौहाटी, गोरखपुर, गुजरात, केरल, मद्रास, मीरपुर, नागपुर, पंजाब, पूना, राजस्थान, नागर और सरदार बल्लभभाई विद्यापीठ।

यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मन्त्री, डा० कालू लाल धीमाली ने १४ दिसम्बर को लोकसभा में दी।

## केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल के सदस्यों की नियुक्ति

अखिल भारतीय हिन्दी महाविद्यालय, आगरा, पुनर्गठन तथा कार्य संचालन के लिए जो केन्द्रीय शिक्षण मण्डल बनाया गया है, उसके अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर दी गयी है।

समद सदस्य, श्री मयनारायण मण्डल के अध्यक्ष नियुक्त किये गये हैं। मण्डल के सदस्यों में दो तो केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, (शिक्षा मन्त्रालय के हिन्दी विभाग के उपमन्त्रि और शिक्षा मन्त्रालय में सम्बद्ध वित्त उपमन्त्रालय), शिक्षा मन्त्रालय द्वारा नामजद १३ सदस्य (जिस में २ लोकसभा और १ राज्यसभा का सदस्य है) और हिन्दी के विकास में सलज्ज १७ मस्याओं के प्रतिनिधि हैं।

अहिन्दी भाषी राज्यों के हिन्दी शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए अखिल भारतीय हिन्दी परिषद, आगरा. १९५२ से आगरा में एक अखिल भारतीय हिन्दी महाविद्यालय चला रही है। १९५५-५६ से इस महाविद्यालय का पूरा खर्च उठाने के लिए केन्द्र सरकार ने अनुदान देना शुरू किया।

[जून १९५८ में केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय के दो अधिकारी महाविद्यालय का निरीक्षण करने गये कि उनके काम को कितना तथा किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है और उसकी प्रवृत्त व्यवस्था में क्या सुधार किया जा सकता है।

इन अधिकारियों की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने महाविद्यालय को पुनर्गठित करने का निर्णय किया, जिससे वह हिन्दी शिक्षकों को ट्रेनिंग देने और हिन्दी शिक्षा के सम्बन्ध में अनुसंधान की आदर्श संस्था बन सके। अतः सरकार ने केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल नाम की एक स्वयंसेविका संस्था बनाने का निर्णय किया, जो महाविद्यालय का काम ममाल सके। यह भी निर्णय किया गया कि इस मंडल को १८६० के मोसापटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर करा लिया जाए।

प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को ट्रेनिंग केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री, डा० कालू लाल धीमाली ने प्रश्नोत्तर के समय १ दिसम्बर को लोकसभा की मेज पर एक विवरण रखा, जिसमें देशभर के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को ट्रेनिंग योजना की प्रगति का विवरण दिया गया है।

विवरण में बताया गया कि तीसरी पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक प्राइमरी शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बना देने के लिए अध्यापकों को ट्रेनिंग सुविधाओं का विस्तार किया गया है। भारत सरकार के आदेशानुसार विभिन्न राज्यों की सरकारों ने इस दिशा में काफी प्रगति की है। हर राज्य में व्यय और कार्य का विवरण इस प्रकार है :

आन्ध्र प्रदेश—६,६७,०८० रु०; २५ अतिरिक्त ट्रेनिंग विभाग खोले गये और प्रत्येक में प्रति वर्ष ५० शिक्षार्थी भर्ती किये जा सकते हैं। आसाम—२७,०१,५०० रु०, (क) वर्तमान टीचर्स संस्थाओं में ५२० स्थानों की वृद्धि; (ख) ८ नयी ट्रेनिंग संस्थाएँ खोली गयीं। विहार—५६,०२,१३८ रु०; (क) वर्तमान शिक्षण संस्थाओं में १,७०० और स्थानों की वृद्धि; (ख) ११ नयी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। बम्बई—२४,६६,००० रु०, २० नये वैसिक ट्रेनिंग कालेज खोले गये। मध्य प्रदेश—४९,६५,०५० रु०, (क) वर्तमान कालेजों में ४०० और स्थान बढ़ाये गये, (ख) २३ नये कालेज खोले गये। उड़ीसा—२,८८,००० रु०; वर्तमान शिक्षण संस्थाओं में २,००० और सीटें बढ़ायी गयीं। राजस्थान—२४,०५,५९२ रु०; १६ नये एम० टी० सी० ट्रेनिंग स्कूल खोले गये। उत्तर प्रदेश—४०,७३,९३८ रु०; (क) वर्तमान नामक स्कूलों में २५० स्थान बढ़ाये गये, (ख) महिला नामक स्कूलों में १०० स्थानों की वृद्धि; (ग) अध्यापकों के ४२ नये नामक स्कूल और अध्यापिकाओं के ६ नये नामक स्कूल खोले गये। पश्चिम बंगाल—२६,६७,३०० रु०, (क) १८ नवम्बर ट्रेनिंग कालेजों में ३२० शिक्षार्थियों की मस्या बढ़ाई गयी; (ख) वर्तमान प्राइमरी ट्रेनिंग स्कूलों में ६६० स्थान बढ़ाये गये; (ग) ९ कालेजों की स्थापना की गयी।



से मिल कर रेलों पर अपराध रोकने का पूरा प्रयत्न करे।

बैठक में रेल उपमन्त्री और श्री रामस्वामी, रेल मण्डल के अध्यक्ष तथा रेलों के उच्च अधिकारी उपस्थित थे। रेल मण्डल के अध्यक्ष, श्री के० बी० माथुर ने रेल-परिवहन की आम स्थिति पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए माल की ओर अधिक तेजी से पड़वाने की अपील की। बैठक में कर्मचारियों की भलाई के कामों आदि पर भी विचार किया गया।

### उत्तर-पूर्व रेल की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक

गोरखपुर और लखनऊ के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ियों पर सोने के लिए जो डिब्बे लगाने जाते हैं, वे अब जनवरी १९६० से पेंसेजर गाड़ियों (३१ अप और ३२ डाउन) पर लगाये जाएंगे। यह जानकारी रेल मंत्री, श्री जगजीवनराम ने उत्तर-पूर्व रेल की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में दी। यह बैठक ५ दिसम्बर को नयी दिल्ली में रेल मंत्री की अध्यक्षता में हुई।

बैठक में उत्तर-पूर्व रेल के जनरल मैनेजर ने बताया कि समिति की पहली बैठक में जो सुझाव आये थे, उनमें से अधिकांश पर अमल किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ खण्डों में रेल की गति पर जो रोकें हैं, वह अगले माल मार्च में काफ़ी सीमा तक और अक्टूबर के बाद पूरी तरह दूर हो जाएगी।

बैठक में रेल उपमन्त्री, श्री शाह नमाज खा और श्री रामस्वामी, संगद सदस्य, उत्तर-पूर्व रेल के जनरल मैनेजर, रेल मण्डल के अध्यक्ष और सदस्य तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

### १९५९-६० की पहली छमाही में रेल दुर्घटनाएं

सन् १९५९-६० में सितम्बर १९५९ तक जितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं, वे पिछले साल की इसी अवधि में हुई दुर्घटनाओं की अपेक्षा काफ़ी कम थीं। अप्रैल में सितम्बर १९५९ तक ४८ बार रेलों की भिड़त हुई और ७६२ बार रेलें पटरियों से उतरीं। यह मुक़ाबला रेल उपमन्त्री, श्री एम० बी० रामस्वामी

ने ३ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

श्री रामस्वामी ने बताया कि अप्रैल १९५९ से जुलाई १९५९ तक रेल कर्मचारियों की गलती से २९०; रेल कर्मचारियों के अलावा अन्य किमी की गलती से २; मशीनी गड़बड़ से ४३; पटरियों में खराबी के कारण १९; तथा जानबूझ कर तोड़-फोड़ से २ दुर्घटनाएं हुईं। इसके अतिरिक्त ४९ घटनाएं दुर्घटनापूर्ण कही जा सकती हैं, १ ऐसी है जिसके कारण का पता नहीं चल सका और ७७ के कारणों की अभी जांच हो रही है। इस प्रकार कुल मिला कर ४८३ दुर्घटनाएं हुईं।

### हाताहत व्यक्तियों की संख्या

अप्रैल से जुलाई १९५९ तक इन दुर्घटनाओं में १ व्यक्ति मरा, ७ सख्त घायल हुए और १३७ को मामूली चोटें आयीं। इसी अवधि में इन दुर्घटनाओं में १२ रेल कर्मचारी मरे, १९ घायल हुए और १२० को मामूली चोटें आईं।



### भारती विद्या समिति की बैठक

३ दिसम्बर को नयी दिल्ली में भारती विद्या समिति की आठवीं बैठक श्री गोलकठ शास्त्री की अध्यक्षता में हुई।

इसमें भारती विद्या के विभिन्न विषयों के अनुसंधान को आगे बढ़ाने और उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए तीसरी योजना में एक केन्द्रीय अध्ययन और अनुसंधान संस्था खोले जाने की समावना पर विचार किया गया।

समिति ने दुर्लभ पाठ्यलिपियों के प्रकाशन की प्रगति पर विचार किया। समिति ने पाठ्यलिपियों की प्रतियां बनाने की दर भी तय कर दी।

सदस्यों ने मिहान्त यह स्वीकार किया कि ब्रिटेन, जर्मनी और रूस में पायी जाने वाली मध्य-एशियाई संस्कृत बौद्ध पाठ्यलिपियों का दो वर्ष तक अध्ययन और सम्पादन करने के लिए इन देशों में एक-एक छात्र भेजा जाए।

### रेल-मण्डल द्वारा नाइजीरिया के छात्रों की ट्रेनिंग

केन्द्रीय रेल उपमन्त्री, श्री शाहनवाज ने एक प्रश्न के उत्तर में ३ दिसम्बर को लोकसभा में बताया कि रेल मण्डल नाइजीरिया के छात्रों को मेकैनिक्स और सिविल इंजीनियरी की शिक्षा देगा। मेकैनिक्स और सिविल इंजीनियरी में चार-चार छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। नाइजीरिया का रेल निगम छात्रों को पूरा खर्च देगा।

### विहार में बिजली की रैले

भारत सरकार ने विहार राज्य सरकार को विहार में बिजली की रैले चलाने की व्यवस्था के लिए ७७ लाख ₹० का कर्ज देना मंजूर किया। विहार को इस काम के लिए ४ करोड़ ₹० चाहिए। इसमें यह पहला ऋण है।

समिति ने पाठ्यलिपियों की सूची तैयार करने और उन्हें प्रकाशित करने के लिए एक निर्धारित फार्म भी स्वीकार किया, जिस सभी नस्थाएँ काम में लाएँगी, और यह भी तय किया कि सरकार किस आधार पर सहायता प्रदान करे।

समिति ने देव को कई सस्याओं और पुस्तकालयों को दुर्लभ पाठ्यलिपियां प्राप्त करने और उनकी सूची तैयार करने के लिए उन्हें सहायता के रूप में अनुदान देने की सिफारिश की।

बैठक के प्रारम्भ में डा० सरदेसाई और डा० अल्लेकर की मृत्यु पर शोक प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

इस बैठक में डा० एम० निजामुद्दीन, डा० पी० रायचन, प्रो० हादी हुसैन, डा० एल० एम० कर्न, डा० आर० एल० डांडेकर, श्री ए० घोष और सदस्य-सचिव, श्री टी० एल० कृष्णामूर्ति ने भाग लिया।

## साहित्य अकादमी के १९५६ के पुरस्कार

साहित्य अकादमी के कार्यकारी मण्डल ने १९५६-५८ में प्रकाशित भारतीय भाषाओं की कुछ उल्लेख्य पुस्तकों को ५-५ हजार २० का वार्षिक पुरस्कार (१९५९ के लिए) देने के लिए चुना है। मण्डल की बैठक ५ दिसम्बर को नयी दिल्ली में अकादमी के अध्यक्ष, श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई।

लेखकों में से पुरस्कृत पुस्तकों के नाम ये हैं (१) हिन्दी : मस्कृति के चार अध्याय (भारतीय मस्कृति सवधी), श्री रामधारी सिंह 'दिनकर'; (२) बगला - कलकत्ता कच्छेई (उपन्यास), श्री गणेश कुमार मित्र, (३) कन्नड - यशगान बयलता (कन्नड लोकनाट्य सवधी), श्री के० एम० करत, (४) मराठी भारतीय माहिल्य शास्त्र (भारतीय काव्य-शास्त्र मन्वषी), श्री जी० टी० देगण्ठे; (५) पंजाबी - बड़वा वेला (काव्य-ग्रन्थ), श्री मोहन सिंह, (६) उर्दू - उर्दू ड्रामा और स्ट्रेज (उर्दू नाटक और रंगमंच का इतिहास), नैयद मसूद हमन रिखवी; (६) सिंधी कवर (जीवनी), श्री तीर्थ बन्त।

अममिया, गुजराती, कश्मीरी, मलयाली, उडिया, तमिल, तेलुगु, मस्कृत और अंग्रेजी को किमी भी पुस्तक को पुरस्कार योग्य नहीं माना गया।

लेखकों के में पुरस्कार १३ फरवरी, १९६० को नयी दिल्ली में एक विशेष समारोह में प्रथम मंत्री द्वारा दिये जायेंगे।

### छात्रों के शौक को प्रोत्साहन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने १७ विश्व-विद्यालयों और ३९ कालेजों को चुना है, जहाँ छात्रों के शौक को प्रोत्साहन देने के लिए व्यवस्था करने की योजना है। इन विश्व-विद्यालयों के नाम हैं - आगरा, आन्ध्र, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, गीहाटी, गोरखपुर, गुजरात, केरल, मद्रास, मंसूर, नागपुर, पंजाब, पुना, राजस्थान, सागर और सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ।

यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में जिशा मंत्री, डा० कालुलाल श्रीमाली ने १४ दिसम्बर को लोकसभा में दी।

### केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल के सदस्यों की नियुक्ति

अखिल भारतीय हिन्दी महाविद्यालय, आगरा, पुनर्गठन तथा कार्य सञ्चालन के लिए जो केन्द्रीय शिक्षण मण्डल बनाया गया है, उसके अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर दी गयी है।

समष्ट सदस्य, श्री मत्पनारायण मण्डल के अध्यक्ष नियुक्त किये गये हैं। मण्डल के सदस्यों में दो तो केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, (शिक्षा मन्त्रालय के हिन्दी विभाग के उपसचिव और शिक्षा मन्त्रालय से सम्बद्ध वित्त उपमालाहकार), शिक्षा मन्त्रालय द्वारा नामजद १३ सदस्य (जिस में २ लोकसभा और १ राज्यसभा का सदस्य है) और हिन्दी के विकास में सलग्न १७ सस्थाओं के प्रतिनिधि हैं।

अहिन्दी भाषी राज्यों के हिन्दी शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए अखिल भारतीय हिन्दी परिषद, आगरा, १९५२ में आगरा में एक अखिल भारतीय हिन्दी महाविद्यालय चला रही है। १९५५-५६ से इस महाविद्यालय का पूरा खर्च उठाने के लिए केन्द्र सरकार ने अनुदान देना शुरू किया।

[जून १९५८ में केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय के दो अधिकारी महाविद्यालय का निरीक्षण करने गये कि उसके काम को बिनाना तथा किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है और उनकी प्रबन्ध व्यवस्था में क्या सुधार किया जा सकता है।

इन अधिकारियों की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने महाविद्यालय को पुनर्गठित करने का निर्णय किया, जिससे वह हिन्दी शिक्षकों को ट्रेनिंग देने और हिन्दी शिक्षा के सम्बन्ध में अनुसन्धान को आदर्श सस्था बन सके। अतः सरकार ने केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल नाम की एक स्वयंशासी सस्था बनाने का निर्णय किया, जो महाविद्यालय का काम मनाल सके। यह भी निर्णय लिया गया कि इन मण्डल को १८६० के मोनायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर करा लिया जाए।]

प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को ट्रेनिंग केन्द्रीय शिक्षा मंत्री, डा० कालुलाल श्रीमाली ने प्रश्नोत्तर के समय १ दिसम्बर को लोकसभा को भेज पर एक विवरण रखा, जिसमें देनाभर के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को ट्रेनिंग योजना की प्रगति का विवरण दिया गया है।

विवरण में बताया गया कि तीसरी पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक प्राइमरी शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बना देने के लिए अध्यापकों को ट्रेनिंग सुविधाओं का विस्तार किया गया है। भारत सरकार के आदेशानुसार विभिन्न राज्यों की सरकारों ने इस दिशा में काफी प्रगति की है। हर राज्य में व्यय और कार्य का विवरण इस प्रकार है :

आंध्र प्रदेश—६,६७,०८० रु.; २५ अति-रिक्त ट्रेनिंग विभाग खोले गये और प्रत्येक में प्रति वर्ष ५० शिक्षार्थी भर्ती किये जा सकते हैं। आगाम—१७,०१,५०० रु., (क) वर्तमान टीचर्स सस्थाओं में ५२० स्थानों की वृद्धि, (ख) ८ नयी ट्रेनिंग सस्थाएँ खोली गयीं। विहार—५५,८२,१३८ रु.; (क) वर्तमान शिक्षण सस्थाओं में १,७०० और स्थानों की वृद्धि; (ख) २१ नयी शिक्षण सस्थाओं की स्थापना। बम्बई—२४,६६,००० रु., २० नये वैकिक ट्रेनिंग कालेज खोले गये। मध्य प्रदेश—४९,६५,०५० रु., (क) वर्तमान कालेजों में ४०० और स्थान बढ़ाये गये, (ख) २३ नये कालेज खोले गये। उड़ीसा—२,८८,००० रु., वर्तमान शिक्षण सस्थाओं में २,००० और शीटें बढ़ायी गयीं। राजस्थान—२४,०५,५९२ रु.; १६ नये एम० टी० सी० ट्रेनिंग स्कूल खोले गये। उत्तर-प्रदेश—४०,७३,९३८ रु., (क) वर्तमान नामल स्कूलों में २५० स्थान बढ़ाये गये; (ख) महिला नामल स्कूलों में १०० स्थानों की वृद्धि, (ग) अध्यापकों के ५२ नये नामल स्कूल और अध्यापकों के ६ नये नामल स्कूल खोले गये। पश्चिम बंगाल—२६,६७,३०० रु., (ख) १८ ट्रेनिंग कालेजों में ३०० शिक्षार्थियों की स्थान बढ़ायी गयीं; (ग) वर्तमान प्राइमरी स्कूलों में ६६० स्थान बढ़ाये गये।

विकलांगों की शिक्षा के लिए सहायता

भारत सरकार ने विकलांगों और अविक्तित मस्तिष्क के बच्चियों की शिक्षा और ट्रेनिंग का प्रबंध करने वाली समाजसेवी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने का निश्चय किया है।

निम्नलिखित कार्य करने वाली संस्थाओं को ही सहायता दी जाएगी :

- (१) अस्थि-विकार वाले बच्चों की शिक्षा देने वाली संस्थाएं,
- (२) अस्थि-विकार वाले वयस्कों की ट्रेनिंग देने वाली संस्थाएं,
- (३) अविक्तित मस्तिष्क वाले बच्चों के स्कूल,
- (४) वयस्क बहुरों को ट्रेनिंग देने वाली संस्थाएं,
- (५) बहुरे बच्चों के स्कूल,
- (६) वयस्क अंधों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाएं,
- (७) बहुरों के लिए अस्पताल खोलने की इच्छुक संस्थाएं।

छठा अन्तर-विश्वविद्यालय युवक समारोह

छठा अन्तर-विश्वविद्यालय युवक समारोह ७ दिसम्बर से मंसूर में शुरू हुआ। इसमें ३४ विश्वविद्यालयों के लगभग १,४०० छात्रों ने भाग लिया। यह पहली बार है कि जब युवक समारोह पूर्णतः किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया है। इससे पहले के पांचों समारोह दिल्ली में हुए थे और उनका आयोजन केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने किया था।

समारोह के विभिन्न आयोजनों का संगठन करने में विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस वर्ष प्रत्येक विश्वविद्यालय से यह कहा गया है कि वह अपने यहां ने राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल के तीन स्वयं-सेवक भेजे—दो लड़के और एक लड़की—जो समारोह को चलाने में सहायता करे।

स्वास्थ्य

प्रख्तूबर १९५६ में देश में स्वास्थ्य की स्थिति

देश के ३० हजार या इससे अधिक आबादी वाले नगरों में सितम्बर १९५९ में प्रति हजार आबादी पर जन्म-संख्या ३४ और मृत्यु-संख्या १२ रही। अगस्त १९५९ में यह संख्या (संयोजित) ३१ और १२ की।

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार २९ सितम्बर से ५ नवम्बर, १९५९ तक हिमाचल प्रदेश के महासू जिले की रोहड़ू तहसील में १५ आदमियों को ल्पेग हुआ और ५ व्यक्ति मरे। और किसी जिले में यह बीमारी नहीं फैलने पायी।

देश के कुछ भागों से अब भी हैजे और चेचक की सूचनाएं मिली हैं। २४ अक्टूबर, १९५९ को समाप्त सप्ताह तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार हैजे और चेचक की स्थिति निम्न प्रकार रही।

हैजा : बिहार के पटना तथा गया जिलों में काफी लोगों को हैजा हुआ। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी और कृष्णा जिलों में,

वुनियादी स्कूलों के अध्यापकों के लिए पुरस्कार-निदेश-पुरस्कारों

केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने वुनियादी स्कूलों के अध्यापकों के लिए तैयार की गयी ८ निदेश-पुस्तिकाओं पर पारितोषिक दिये हैं। सब से बड़ा पुरस्कार एक हजार दो सौ पचास रुपये का है।

संस्कृत पत्रिकाओं को आर्थिक सहायता केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने संस्कृत पत्रिकाओं को आर्थिक सहायता देने का निश्चय किया है। यह निश्चय केन्द्रीय संस्कृत मंडल की मिफारिस पर किया गया है।

यह सूचना शिक्षा मन्त्रालय की १० दिसम्बर की एक विज्ञापित में दी गयी है।

उड़ीसा के पुदी जिले और कलकत्ता बाहर में भी कुछ लोगों को हैजा हुआ। बम्बई के गोहिलवाड और बिहार के हजारीबाग जिले में भी कुछ लोगों को यह बीमारी हुई।

चेचक : मद्रास शहर में चेचक का जोर रहा। मद्रास के मद्रुई और उत्तरी अर्कटि, मंसूर के बेलगाम, मंड्या, किलार, बीजापुर, शिमोगा और बेंगलरी जिलों में भी कुछ लोगों को चेचक हुआ। उत्तर प्रदेश के मंत्र और इलाहाबाद जिलों में और उड़ीसा के कोरापट जिले तथा पाण्डिचेरी में भी कुछ लोगों को यह बीमारी हुई। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी और कृष्णा और चित्तूर जिलों में, और आसामके काम रूप, बिहार के हजारीबाग, बम्बई के बृहतर बम्बई और पूना जिलों में तथा मद्रास के कोयमटूर जिले में भी चेचक होने की सूचना मिली है।

गैट्रोएन्ट्राइटिस : १७ अक्टूबर को समाप्त होने वाले सप्ताह में उत्तर प्रदेश में १९ व्यक्ति बीमार पड़े, परन्तु किसी की मृत्यु नहीं हुई, जबकि इसके पिछले सप्ताह में १९ रोगियों में

आकाशवाणी अन्तर-विश्वविद्यालय रेडियो नाटक प्रतियोगिता

१६ ५९ की अन्तर-विश्वविद्यालय रेडियो-नाटक प्रतियोगिता में विभिन्न विश्व-विद्यालयों के १३ छात्रों को पहला और ८ छात्रों को प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है। यह वार्षिक प्रतियोगिता १३ प्रमुख भारतीय भाषाओं में की गयी थी। इसके अलावा अहिन्दी भाषी छात्रों के लिए हिन्दी में भी प्रतियोगिता की गयी।

प्रतियोगिता में ८९ नाटक आयें थे। सबसे अधिक (१६) नाटक मलयालम के आयें। अगमों भाषा के १४, हिन्दी भाषी छात्रों के १२, अहिन्दी भाषी छात्रों के १०, उर्दू और उडिया के ३-३, पंजाबी के ५, बंगला और पंजाबी के ४-४, तेलुगु और कन्नड के ३-३ तथा तमिल मराठी के २-२ नाटक आयें। कन्नड़ी भाषा का एक भी नाटक नहीं आया।

आकाशवाणी १९५४ में हर साल यह प्रतियोगिता आयोजित करती है।

भारतीय समाचार

से ५ की मृत्यु हुई । ३ अक्टूबर, १९५९ को समाप्त होने वाले सप्ताह में २९ रोगियों में से ३ की मृत्यु हुई । इस महीने में राजस्थान के कोटा जिले में १२५ लोगों को यह बीमारी हुई, जिनमें से ३४ की मृत्यु हुई ।

व्यामनूर जंगल-रोग : १० अक्टूबर को समाप्त होने वाले पक्षचारे में मंसूर के गिरमोंगा जिले में २० व्यक्ति इस रोग के शिकार हुए ।

इण्डुलुंगना - आनाम और बम्बई से छिटपुट सूचनाएँ मिली ।

## वी० सी०, जी० वेन्सीन का निर्माण

केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री, श्री करमरकर ने ८ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देश में हर वर्ष लगभग २६ लाख सी० सी० बी० सी० जी० वेन्सीन और ४५ लाख सी० सी० ट्यूबरकुलिन बनाया जाता है । यह देश की आवश्यकता के लिए काफी है । अफगानिस्तान, मलाया, लका, बर्मा, सागर और पाकिस्तान को

वी० सी०, जी० वेन्सीन और ट्यूबरकुलिन निर्यात भी किया जाता है ।

## तपेदिक की नयी दवा

लोकसभा में ८ दिसम्बर को एक प्रश्न के उत्तर में केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री, श्री करमरकर ने बताया कि दिल्ली में वल्लभ-भाई पटेल चेंद्रेट इन्स्टीट्यूट में एक नयी एण्टिबायोटिक औषधि तैयार की गयी है जो तपेदिक-निरोधक है ।

## समाज कल्याण

### गन्दी बस्तियों की सफाई और आवास योजनाओं की प्रगति

राज्यसभा में ९ दिसम्बर को केन्द्रीय निर्माण आवास और पूर्ति उपमन्त्री, श्री अनिल कुमार चन्द ने निम्नलिखित बक्तव्य गन्दी बस्तियों की सफाई और आवास योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में सदन की मेज पर रखा ।

पहली पंचवर्षीय योजना में आवास के लिए ३८५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी । इसमें से २४१८ करोड़ रुपये राज्य सरकारों और अन्य अभिकरणों ने औद्योगिक मजदूरी और कम आय वाले वर्गों के वास्ते मकानों की योजनाओं के लिए लिये ।

आरम्भ में दूसरी योजना में १२० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी, जो बाद में घटा कर ८४ करोड़ रुपये कर दी गई । उसमें से ३४० करोड़ रुपये राज्य सरकारों अपने साधनों से जुटाएंगी, बकाया ८०.६० करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार उनको सहायता के रूप में देगी । १९५८-५९ के अन्त में विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य अभिकरणों ने आवास योजना के लिए ४३ करोड़ रुपये और गन्दी बस्तियों की सफाई योजनाओं के लिए ३३ करोड़ रुपये केन्द्र से लिए हैं । वर्तमान वित्तीय वर्ष में १९ करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था की गई है । यह मानते हुए कि वर्तमान वर्ष में इस पूरी रकम का उपयोग कर लिया जाएगा तो भी योजना के अन्तिम

वर्ष के लिए २९ करोड़ रुपये बाकी रह जाएंगे । गन्दी बस्तियों की सफाई और आवास योजनाओं को चलाने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है । अगर वे इन योजनाओं को अन्य विकास कार्यक्रमों के मुकाबले अधिक महत्व देती तो कहीं ज्यादा प्रगति होती । मकान आदि बनाने के मामला और उपयुक्त और मस्ते प्लांटों की कमी आदि के कारण भी काम के आगे बढ़ने में काफी रुकावट पडी है ।

आवास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और उनको तेजी से बढ़ाने के लिए मिफार्डों आवास मन्त्रियों के वार्षिक सम्मेलन में की जायी है ।

### समाजसेवी संस्थाओं को सहायता : नियम बनाने के लिए समिति

केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल ने समाजसेवी संस्थाओं को अनुदान देने का कार्यक्रम तैयार करने के लिए समिति नियुक्त की है । यह समिति अनुदान देने के नियम भी बनायेगी जिन पर केन्द्रीय और राज्यों के समाज कल्याण मण्डल अमल करेंगे । डा० जे० ए० बुलनरा समिति के अध्यक्ष हैं । श्रीमती अचम्मा मणारी, श्रीमती जगोक्त गुप्ता, श्रीमती इन्दुमती चवन लाल, श्रीमती ताराप्रती बेग मन्दिरे के अध्यक्ष हैं । इनके अन्तर्गत योजना आयोग, जित और शिक्षा मन्त्रालयों का एक-एक प्रतिनिधि भी समिति में होगा ।

### विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से छात्रवृत्तियाँ

विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से महा-मारियों की रोकथाम, प्रमूति तथा बाल-स्वास्थ्य की देखभाल, गैर-अस्पताली चिकित्सा की शिक्षा और मलेरिया उन्मूलन आदि जैसे कुछ विषयों के अध्ययन के लिए १९६० में कुछ छात्रवृत्तियाँ और विदेशों को आने-जाने का खर्च मिलने की सम्भावना है ।

वृत्तियों और राज्यान्वय के उम्मीदवार केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय या गैर-सरकारी स्वयंसेवी संगठनों आदि के कार्य-कर्ता होने चाहिएँ । नामान्यत सबके लिए पाच वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है । केवल ऐसे अर्हतात्मक कार्यकर्ताओं को ही वृत्ति या अनुदान मिलेगा, जो यह धारटी देंगे कि विदेशों में शिक्षा पाकर लौटने के बाद वे अपनी संस्था की काम में कम तीन वर्ष तक सेवा करेंगे ।

### प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र

मार्च ३१, १९५९ तक १,३९९ प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र खुल चुके थे और १९५६-६० में ६८० केन्द्र खोलने का विचार है । दूसरी पंचवर्षीय योजना में ऐसे ३,००० केन्द्र खोलने का लक्ष्य है । आशा है मार्च १९६१ के अन्त तक २,६०० केन्द्र खुल जाएँगे ।

यह सूचना स्वास्थ्य मन्त्री, श्री दत्तात्रेय परसुराम करमरकर ने १५ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी । उन्होंने सदन की मेज पर एक बक्तव्य भी रखा, जिसमें बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्त करने में जो कठिनाइयाँ हैं, उन्हें दूर करने के लिए सरकार ने क्या-क्या प्रयत्न किये हैं ।

## गांवों में मकान बनाने की योजना

निर्माण, आवास और पूति उपमंत्री, श्री अनिल कुमार चन्द ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में १० दिसम्बर को लोकसभा में बताया कि १९६०-६१ में गांवों में मकान बनाने की योजना पर २॥ करोड़ ४० लाख किया जाएगा ।

श्री चन्द ने कहा कि मकान बनाने के लिए ऋण देने से पहले राज्य सरकारें कुछ आरंभिक कार्रवाई करती हैं । आसाम, पंजाब और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर अन्य सब राज्यों ने आरंभिक कार्रवाई पूरी कर ली है । इन तीनों राज्यों से भी इमे शीघ्र पूरा करने को कहा गया है ।

इस योजना में कुछ सुधार भी किया गया है, जिसके अनुसार राज्य सरकारें कुछ चुने हुए गांवों में जमीन खरीदने पर ऋण का कुछ रूपया खर्च कर सकती हैं । साथ ही राज्य सरकारों को उन गांव वालों को मकान बनाने के लिए जमीन देने का अधिकार दिया गया है, जो मकान बनाने के लिए दिया जाने वाला रूपया नहीं चुका सकते । ये लोग अपनी मेहनत से अपने लिए मकान बनायेंगे ।

मन्त्री महोदय ने इस योजना का विस्तृत ब्योरा भी मदन की भेज पर रखा ।

## बाल-हित का काम शिक्षा मंत्रालय के जिम्मे

भारत सरकार ने निश्चय किया है कि बाल-हित के कार्यक्रमों की प्रशासनिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी जाए । शिक्षा मंत्रालय अन्य मंत्रालयों और बाल-हित में लगे संगठनों के काम में मगमय करेगा ।

इस समय बाल-हित का काम सामुदायिक विकास और सहकार, स्वास्थ्य, स्वराष्ट्र और शिक्षा आदि अनेक केन्द्रीय मंत्रालय करते हैं ।

भारत सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि समन्वय के काम के लिये एक समिति नियुक्त की जाए और मन्त्रिपरिषद के मन्चिव इस समिति के अध्यक्ष हों । समिति में स्वास्थ्य मंत्रालय के मन्चिव, केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल के अध्यक्ष, स्वराष्ट्र मंत्रालय के मन्चिव, सामुदायिक विज्ञान और सहकार मंत्रालय (सामुदायिक विकास विभाग) के मन्चिव, शिक्षा मंत्रालय के मन्चिव और योजना आयोग

के अतिरिक्त सचिव भी होंगे । समिति यह देखेगी कि अधिकारी आवश्यक कार्यक्रम बनायें, एक ही काम को दोहराया न जाए और बाल-हित के काम की ओर समुचित ध्यान दिया जाए ।

## विस्थापितों को ब्याज संघंधी रिश्नायत

पुनःस्थापन मंत्रालय की २ दिसम्बर की विसृप्ति में बताया गया है कि फरवरी १९५९ में सब रीजनल सेटलमेंट कमिश्नरों को आदेश दिये गये थे कि पुनःस्थापन वित्त प्रगामन के कर्ज को छोड़कर, किसी परिवार के गैर-दावेदार सदस्य के जिम्मे जो सरकारी देनदारी हो उसके विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा तथा पुनःस्थापन) नियमों के ७वें नियम के अनुसार, परिवार के दूसरे व्यक्ति के मुआवजे में से काटने पर ब्याज उमी तरह

माफ कर दिया जाएगा जिम तरह कर्ज लेने वाले व्यक्ति को माफ किया जाता । जून १९५९ में यह रिश्नायत पुनःस्थापन वित्त प्रशासन के कर्ज के बारे में भी बड़ा दी गयी थी ।

अब सरकार को यह बताया गया है कि वित्तों में खरीदे हुए मकानों की बाकी किश्तों के मुजर करने में ब्याज को छूट नहीं दी जा रही ।

किश्तों पर खरीदी हुई जायदाद की बाकी किश्तें भी सरकारी धन हैं और इत्ते भी नियम ७ के अनुसार या तो जायदाद खरीदने वाले या उसके परिवार के अन्य सदस्य से वसूल किया जाएगा । इसलिये ब्याज के बारे में उपयुक्त विज्ञापन, नियम ७ में वर्णित परिवार के व्यक्तियों के मुआवजे में से सरकारी धन की वसूली के मामले में भी लागू होगी ।



## नौसेना दिवस

१५ दिसम्बर, १९५९ को ११वां नौसेना दिवस मनाया गया । इस अवसर पर राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री, प्रतिरक्षा मन्त्री और नौसेनाध्यक्ष ने नौसेना के जवानों को बधाई के संदेश भेजे ।

१४ दिसम्बर से आरम्भ होने वाला सप्ताह नौसेना सप्ताह के रूप में मनाया गया । इस अवसर पर सारे देश में नौसेना की छावणियों में परेडें आदि हुईं और जनता को नौसेना के जहाज देखने के लिए आमंत्रित किया गया ।

## १९५६ में नौसेना की प्रगति

इपर कुछ सालों में नौसेना में बड़े-बड़े परिवर्तन हुए हैं । इन सालों में जहाजों बड़े और नौसैनिक केन्द्रों को आधुनिक यन्त्रास्त्रों और युद्धमयना में सज्जित किया गया है, सिपाहियों और अफमरों को अच्छी ट्रेनिंग देने में जहाजों और मीनिकों की कुशलता बढ़ी है और सबसे बढ़कर यह कि हमारी नौसेना पहले से कहीं मजबूत हुई है ।

इस माल नौसेना की पकित बढ़ाने के जो

प्रयत्न हुए हैं, उनमें दो फ़िगैटों का बड़ाया जाना उल्लेखनीय है । ये पिछले महीने ही भारत पहुंचे हैं । इस साल ब्रिटेन से 'तलवार', 'त्रिभूल', 'ग्यास' और 'बैतवा' नामक चार जहाज और लिये गये हैं और ये अगले वर्ष हमारे बंदे में शामिल हो जाएंगे । ब्रिटेन में नौसेना के लिए १९ हजार टन का एक विमान-वाहक जहाज भी फ़िरे से फ़िट किया जा रहा है । आना है, यह भी हमें १९६१ तक मिल जाएगा । इस वाहक के लिए 'भी हॉर्क' और अन्य क्लिफ के विमान प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है ।

इन जहाजों के भारत आ जाने के साथ ही ब्रिटेन में भारत के लिए जहाज बनने बन्द हो जाएंगे, क्योंकि देग मे ही जहाज बनाने के उद्योग को बडाने का यत्न किया जा रहा है । विशालयत्नम के हिन्दुस्तान निययडें नामक कारखाने में नौसेना के लिए दो जहाज बनाने जा रहे हैं । व्यापारी जहाज बनाने वालों को नौसेना के लिए छोटे-छोटे जहाज या नावें आदि बनाने का काम भीया गया है ।

नौ बंदे के बडने के कारण यम्बई की नौ-मैनिक गोदियां का भी विस्तार होना स्वाभ-

विक्रम पा। इनको बढ़ाने के दूसरे चरण का कार्य शुरू हो चुका है।

### शिक्षण की सुविधाएँ

नीमेना के कर्मचारियों के लिए बहुत-से विशेष शिक्षण प्रारम्भ किये गये हैं। नीमेना से सम्बद्ध उड़ान की सुविधाएँ पहले से बहुत काफी बढ़ गयी हैं। भारतीय नौसैनिकों को जिस ऊँचे दर्जे की ट्रेनिंग दी जाती है, उमका फल भी हमारे सामने आया है। इस वर्ष हमारी नीमेना ने जिन अभ्यासों में हिस्सा लिया, उनमें बड़ी योग्यता का परिचय दिया। यह सब अच्छी ट्रेनिंग का ही परिणाम है। राष्ट्रमंडल नौसैनिक अभ्यास में तो हमारे जहाजों और नौसैनिकों ने कमाल ही दिखाया। अब कुछ इन्होंने ऊँचे विषयों का छोड़कर बाकी मारी मिखाई भारत में ही होती है।

### मुसीबत में नागरिकों की सहायता

देश की नीमेना को पूरी तरह आधुनिक ढंग का बनाने के लिए बहुत-सी अनुसंधान समिति या स्थापित की गयी हैं। इनको यह काम मीपा गया है कि वे यह बताएँ कि नीमेना की जड़त का कितना मामान और दूसरी चीजें देश में ही मिला या बन सकती हैं। वास्तव में अब नीमेना की काफी ज़रूरतें देश में ही पूरी हो जाती हैं। इस काम में नीमेना के अनैतिक कर्मचारियों का कार्य भी कम मराहनीय नहीं है। नीमेना के सर्वे करने वाले जहाजों ने समुद्र के नवमे तैयार किये हैं। इस साल मद्रास और एलफिंस्टन (अंडमान) बन्दरगाहों के बारे में जो सही घाट बनाये गए हैं, वे सम्पन्न देश के विकास के लिए बहुत महत्त्व रखते हैं। देश के छोटे बन्दरगाहों को बढ़ाने के लिए कुछ और पड़ताले की गईं।

देश में बहुत-से स्थानों पर बाड आदि के कारण प्रायः बड़ी मुसीबत आती है। ऐसे अवसर पर नीमेना ने पीडितों की सहायता करने बहुत नाम पाया है। स्वयं प्रधान मंत्री ने भाइड़ा बाघ पर तैनात नौसैनिक कर्मचारियों के कार्य को सराहा है। अमरीका और नावों के जहाजों की विपत्ति के समय सहायता करने हमारी नीमेना ने अन्य देशवासियों के मन में भी जगह बना ली है। आद्य की वादों में नीमेना ने पीडितों को बचाने और दूसरी तरह की सहायता देने में जो साहस और कर्तव्यनिष्ठा दिखाई, उसके कारण उसके लीडिंग स्टीवार्ड, डी० सिब्ज्जर को शोक चक्र (तीसरी श्रेणी) मिला है।

### अन्य सफलताएँ

कुमायू की पहाड़ियों में हिमालय की २२,५१० फुट ऊंची चोटी 'नन्दाकोट' पर चढ़कर नौसैनिक अफसरों में असाधारण ख्याति पाई है। नीमेना के इतिहास में इस तरह की यह दूसरी सफलता है। इस चोटी पर चढ़ने वाले नौसैनिकर कमीशंड इस्पेक्टर आफिजर एम० एम० कोहली और के० पी० गर्ग की पदोन्नति कर दी गयी है।

नीमेना के आकार और बल के बढ़ने के साथ-साथ कर्मचारियों की मिलने वाली सुविधाओं में भी वृद्धि हुई है। वरिष्ठ अधिकारी निरन्तर नौसैनिकों की भलाई का ध्यान रखते हैं। कर्मचारियों के लिए नौसैनिक छावनियों में अधिक मकान बनाये गये हैं और उनके बच्चों की मिथा की सुविधाएँ बढ़ाने के लिए एक ऐसी योजना शुरू की गयी है, जिसमें कर्मचारी और नीमेना दोनों अपना हिस्सा देते हैं। इसी प्रकार नीमेना की ओर से बम्बई और कोचीन में दो हाई स्कूल खोलने का भी प्रबन्ध किया गया है।

### नीमेना दिवस पर एडमिरल कटारी का भाषण

१५ दिसम्बर को नीमेना दिवस के अवसर पर भारतीय नौसेनाध्यक्ष वाइस एडमिरल आर० डी० कटारी ने आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से भाषण देते हुए भारतीय नौसेना की प्रगति की समीक्षा की।

उन्होंने बताया कि इंग्लैंड में हमारे लिए चार बड़े जहाज बन रहे हैं और चार यहा पड़ुच भी चुके हैं। हवाई जहाज ले जाने वाला "विक्रान्त" जहाज भी दो वर्षों में यहा पड़ुच जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रगतिशय के क्षेत्र में हमने काफी प्रगति की है। कुछ साल पहले तक हमारे अधिकारी उच्च प्रतिशय के लिए इंग्लैंड भेजे जाते थे; अब कोचीन, बिगाखा-पतनम, लोनावला और जामनगर के प्रशिक्षण केन्द्रों में आधुनिक विस्म की सभी मशीनें आ गयी हैं और भारतीय नीमेना के अधिकारियों और जवानों को यहा पर प्रशिक्षण दिया जाता है। अब हम प्रगतिशय के क्षेत्र में लगभग आत्मनिर्भर हो चुके हैं।

### राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल के कंडेंटों की सेना में भर्ती

राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल के जो कंडेंट मेना में भर्ती होने को तैयार हैं, उन्हें उच्च सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न राज्यों के छात्र सैनिक दलों में अफसरों को ट्रेनिंग देने वाली टुकडिया बनायी जाएगी। छात्र सैनिक दलों के शिक्षा-प्राप्त कंडेंटों को मेना में अधिक सख्या में लिये जाने के कारण मरकार ने यह फैसला किया है। इसके फलस्वरूप सेना के कमीशन-प्राप्त अफसरों के चुनाव में छात्र सैनिक दल का कौटा १० प्रतिशत में बढ़ाकर २५ प्रतिशत कर दिया गया है।

राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल का इतना विकास हुआ है कि सेना के कमीशन के पूर्व ट्रेनिंग के लिए भर्ती किये गये कुल उम्मीदवारों में से आधे सैनिक दल के कंडेंट या सैनिक दल में ट्रेनिंग पाये हुए लोग हैं। यह भी निर्णय किया गया है कि कमीशन के पूर्व की ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण काल को अवधि १८ महीने में घटा कर १ साल कर दो जाए। छात्र सैनिक दलों की अफसर प्रशिक्षण टुकडियों में उच्च स्तर की ट्रेनिंग लेने के बाद यह सम्भव है कि भारतीय मिलिटरी अकादमी में ट्रेनिंग का समय घटा दिया जाए।

सबसे पहले उत्तर-प्रदेश में अफसर प्रशिक्षण टुकडी (ओ० टी० यू०) कायम की गयी है और इसके लिए प्रारंभिक चुनाव हो रहे हैं। इन टुकडियों में बख्तरबन्द, तोंपखाना, इर्जा-नियरी, सकेत (सिगनलम), तोंपखाना, इर्जा-नियरी और इलेक्ट्रिकल और मेकैनिक्ल इन्जीनियरी की टुकडिया रहेंगी। इनमें भर्ती के लिए चुनाव सम्बन्धी नियमावली बनायी गयी है। जो कंडेंट अफसर प्रशिक्षण टुकडियों में भर्ती होंगे, उन्हें स्थिति के अनुसार नियमित सेना या प्रादेशिक सेना या जमकार के रिजर्व में जाना पडगा। लेखन आर्ड० ए० एम० या आर्ड० एफ० एम० में चुने गये कंडेंट पर यह प्रतिबन्ध नहीं होगा।

अफसर ट्रेनिंग टुकडी के कंडेंटों को आरम्भिक के सैनिक दल के नौसैनिकर डिबोचन के प्रशिक्षण में उच्च स्तर की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा भर्ती की छुट्टियों में छ मन्गार के वार्षिक प्रशिक्षण शिबिर भी हुआ करते

कंडेडों को अफसर प्रशिक्षार्थियों के साथ तीसरे साल में स्पेशल 'सी' क्लास सर्टिफिकेट पास करना होगा। भारतीय मिलिटरी अकादमी में भर्ती के पहले डिग्री और 'सी' क्लास स्पेशल सर्टिफिकेट होना आवश्यक है।

योग्यता क्रम से ७५ कंडेड भारतीय मिलिटरी अकादमी में शिक्षा के लिए भेजे जाएंगे। अफसर प्रशिक्षण टुकड़ी के शेष कंडेडों में से कुछ मेडिकल कॉर, नौसेना और वायुसेना में कमीशन लिये जाएंगे और वंचे हुए लॉग प्रादेशिक सेना और नियमित अफसर रिजर्व में ले लिये जाएंगे।

### राष्ट्रीय छात्र सेना दिवस समारोह

६ दिसम्बर को पिछले वर्षों की तरह देश भर में राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल दिवस मनाया गया। इस दिन राष्ट्रीय छात्र सेना की विभिन्न टुकड़ियों ने औत्सविक परेड, खेल-कूद प्रतियोगिताएँ, हवाई-करतब, कबायद, झण्डा-सोलन आदि का आयोजन किया।

### सेना सेवा दल की वर्षगांठ

८ दिसम्बर, १९५९ को देश में सेना सेवा दल की वर्षगांठ मनायी गयी। इस अवसर पर देश भर में दल की सब टुकड़ियों और मेरठ तथा बगलौर के दोनों प्रशिक्षण-केन्द्रों में औत्सविक परेड और अन्य कार्यक्रम करके यह दिन मनाया गया।

सेना सेवा दल की मनु १७६० में स्थापना हुई थी। सब तरह की मुसीबतों में इस दल ने बहुत सहायनीय काम किये हैं। लडाई के मैदान में और दैवी सकट में पड़े लोगों में हवाई जहाज से चीजे पहुँचाने का काम इस दल ने पिछले महायुद्ध से शुरू किया है। इस प्रकार इस दल ने सेवा-नार्यों में काफी प्रशसनीय काम किये हैं।

### सैनिक अनुसन्धान केन्द्रों का विदेशी विशिष्ट द्वारा अध्ययन

लंडन के विस्फोटक पदार्थ अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष, डा० ए० के० ब्रैविन प्रतिरक्षा मंत्रालय के अनुसंधान और शिल्प विज्ञान केन्द्रों का अध्ययन करने के लिए २८ नवम्बर को भारत आए। उन्होंने शस्त्र

अध्ययन सत्या, शस्त्र अनुसंधान और विकास केन्द्र तथा विस्फोटक पदार्थ कारखाने भी देखे।

डा० ब्रैविन भारत सरकार के निमन्त्रण पर यहाँ आये हैं।

### प्रतिरक्षा मंत्रालय की फेलोशिप योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा

प्रतिरक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार, डा० डी० एस० कोठारी ने १५ दिसम्बर को नयी दिल्ली में प्रतिरक्षा मंत्रालय की उच्च शिक्षा अनुसंधान फेलोशिप योजना का उद्घाटन किया।

प्रतिरक्षा मंत्रालय ने इस वर्ष में प्रति वर्ष अधिक से अधिक ५० फेलोशिप देना शुरू किया है। इस वार जो ४० व्यक्तित्व चुने गये, उनमें से लगभग दो दर्जन शामिल हो चुके हैं।



### केन्द्र-शासित क्षेत्रों में प्रशासनिक विभागों का पुनर्गठन

केन्द्र-शासित क्षेत्रों के प्रशासनिक विभागों का इस तरह पुनर्गठन किया जा रहा है कि उनके खर्चों में ज्यादा में ज्यादा किरायात की जा सके और सचिवालय के कामों को कम से कम विभागों में बाँटा जा सके।

दिल्ली के सचिवालय का १ दिसम्बर, १९५८ को पुनर्गठन किया गया था। उस समय सचिवों की सख्या घटाकर तीन कर दी गयी थी। अब दिल्ली में ७ मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों की जगह केवल तीन—मुख्य सचिव, वित्त सचिव और न्याय सचिव—ही रह गये हैं। इसी प्रकार महायुक्त सचिवों और महायुक्त-इन्चार्जों के पद भी समाप्त कर दिये गये हैं। अब इनके स्थान पर अवर सचिव नियुक्त किये गये हैं और विभागों में सुपरिटेन्डेंट, एसिस्टेंट आदि काम कर रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश प्रशासन में अब ५ सचिवों की जगह ३ सचिव और ८ अवर सचिवों की

और उन्होंने प्रतिरक्षा प्रयोगशाला में काम भी शुरू कर दिया है। यह प्रतियोगशाला पहले राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में थी और अब मेटकाफ हाउस, दिल्ली में चल रही है। डा० आर० एस० वर्मा प्रयोगशाला के निदेशक हैं।

फेलोशिप २५० रु० महीने की है। उच्च योग्यता वाले उमीदवारों के लिए ६ सोनियार फेलोशिप हैं, जिनके अंतर्गत ४०० रु० महीना दिया जाता है। फेलोशिप की अवधि एक साल है, जो आवश्यकता के अनुसार और १ साल के लिए बढ़ायी जा सकती है।

अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्य पूरा होने पर उम्मीदवारों को प्रतिरक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में नौकरी दी जा सकती है। प्रतिरक्षा विज्ञान सेवा में लिये जाने पर उनको उच्च पदों पर नियुक्त किया जा सकता है।

जगह ५ अवर सचिव ही रह गये हैं। अब हिमाचल प्रदेश में भी दिल्ली की तरह के ही तीन सचिव हैं। विकास और सहकार सचिव तथा शिक्षा और पूँति सचिव के पद समाप्त कर दिये गये हैं। इनके अलावा वहा ६ विभाग अधिकारी हैं, जो सीधे उप-राज्यपाल की देखरेख में काम करते हैं।

मणिपुर और त्रिपुरा के प्रशासनिक पुनर्गठन का प्रस्ताव अभी विचारधीन है। इस उद्देश्य से यह पुनर्गठन किया जा रहा है कि सचिवालय में मुख्य अधिकारियों की सख्या घटा दी जाए और विभाग अधिकारी सीधे चीफ कमिश्नर की देखरेख में ही काम करें। इससे काम जल्दी निपटने की सम्भावना रहेगी।

सरकारी काम शीघ्रता और कुशलतापूर्वक चलाने के खयाल से ही केन्द्र-शासित क्षेत्रों में यह पुनर्गठन किया जा रहा है। दिल्ली में नगर निगम और हिमाचल प्रदेश, मणिपुर तथा त्रिपुरा में क्षेत्रीय परिषदें स्थापित हो जाने से इन केन्द्र-शासित क्षेत्रों का बहुत-सा प्रशासनिक काम भी इन मन्त्रियों को भौंपा जा रहा है।





कैंडेटों को अफसर प्रशिक्षार्थियों के साथ तीसरे साल में स्पेशल 'सी' क्लास सर्टिफिकेट पास करना होगा। भारतीय मिलिटरी अकादमी में भर्ती के पहले डिग्री और 'सी' क्लास स्पेशल सर्टिफिकेट होना आवश्यक है।

योग्यता क्रम से ७५ कैंडेट भारतीय मिलिटरी अकादमी में शिक्षा के लिए भेजे जाएंगे। अफसर प्रशिक्षण टुकड़ी के शेष कैंडेटों में से कुछ मेडिकल कॉर, नौसेना और वायुसेना में कर्मीशन लिये जाएंगे और बचे हुए लोग प्रादेशिक सेना और नियमित अफसर रिजर्व में ले लिये जाएंगे।

### राष्ट्रीय छात्र सेना दिवस समारोह

६ दिसम्बर को पिछले वर्षों की तरह देश भर में राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल दिवस मनाया गया। इस दिन राष्ट्रीय छात्र सेना की विभिन्न टुकड़ियों में औत्सविक परेड, खेल-कूद प्रतियोगिताएँ, हवाई-करतब, कवायद, अग्नी-सोलन आदि का आयोजन किया।

### सेना सेवा दल की वर्षगांठ

८ दिसम्बर, १९५९ को देश में सेना सेवा दल की वर्षगांठ मनायी गयी। इस अवसर पर देश भर में दल की मब टुकड़ियों और मेरठ तथा बगलौर के दोनों प्रशिक्षण-केन्द्रों में औत्सविक परेड और अन्य कार्यक्रम करके यह दिन मनाया गया।

सेना सेवा दल की मन् १७९० में स्थापना हुई थी। सब तरह की मुसीबतों में इस दल ने बहुत सहायनीय काम किये हैं। लडाई के मैदान में और दैवी संकट में पड़े लोगों में हवाई जहाज से चीजे पहुंचाने का काम इस दल ने पिछले महायुद्ध से शुरू किया है। इस प्रकार इस दल ने सेवा-कार्यों में काफी प्रशस्तनीय काम किये हैं।

### सैनिक अनुसन्धान केन्द्रों का विदेशी विशेषज्ञ द्वारा अध्ययन

हंगलंड के विस्फोटक पदार्थ अनुसन्धान विभाग के अध्यक्ष, डा० ए० के० ब्रेविन प्रतिरक्षा मन्त्रालय के अनुसन्धान और शिल्प विभाग केन्द्रों का अध्ययन करने के लिए २८ नवम्बर को भारत आए। उन्होंने रास्त्र

अध्ययन संस्था, रास्त्र अनुसन्धान और विकास केन्द्र तथा विस्फोटक पदार्थ कारखाने भी देखे।

डा० ब्रेविन भारत सरकार के निमन्त्रण पर यहाँ आये हैं।

### प्रतिरक्षा मन्त्रालय की फेलोशिप योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा

प्रतिरक्षा मन्त्रालय के वैज्ञानिक मलाहकार, डा० डी० एम० कोठारी ने १५ दिसम्बर को नयी दिल्ली में प्रतिरक्षा मन्त्रालय की उच्च शिक्षा अनुसन्धान फेलोशिप योजना का उद्घाटन किया।

प्रतिरक्षा मन्त्रालय ने इस वर्ष में प्रति वर्ष अधिक में अधिक ५० फेलोशिप देना शुरू किया है। इस बार जो ४० व्यक्ति चुने गये, उनमें से लगभग दो दर्जन शामिल हो चुके हैं।



### केन्द्र-शासित क्षेत्रों में प्रशासनिक विभागों का पुनर्गठन

केन्द्र-शासित क्षेत्रों के प्रशासनिक विभागों का इस तरह पुनर्गठन किया जा रहा है कि उनके खर्चों में ज्यादा से ज्यादा किफायत की जा सके और सचिवालय के कार्यों को कम से कम विभागों में बाटा जा सके।

दिल्ली के सचिवालय का १ दिसम्बर, १९५८ को पुनर्गठन किया गया था। उस समय सचिवों की सख्या घटाकर तीन कर दी गयी थी। अब दिल्ली में ७ मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों की जगह केवल तीन—मुख्य सचिव, वित्त सचिव और न्याय सचिव—ही रह गये हैं। इसी प्रकार सहायक सचिवों और महायक-इन्तजाओं के पद भी समाप्त कर दिये गये हैं। अब इनके स्थान पर अबर सचिव नियुक्त किये गये हैं और विभागों में सुपरिन्टेन्डेंट, एसिस्टेंट आदि काम कर रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश प्रशासन में अब ५ सचिवों की जगह ३ सचिव और ८ अबर सचिवों की

और उन्होंने प्रतिरक्षा प्रयोगशाला में काम भी शुरू कर दिया है। यह प्रयोगशाला पहले राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में थी और अब मेटकाफ हाउस, दिल्ली में चल रही है। डा० आर० एस० वर्मा प्रयोगशाला के निदेशक हैं।

फेलोशिप २५० रु० महीने की है। उच्च योग्यता वाले उमीदवारों के लिए ६ मीनिगर फेलोशिप हैं, जिनके अंतर्गत ४०० रु० महीना दिया जाता है। फेलोशिप की अवधि एक साल है, जो आवश्यकता के अनुसार और १ साल के लिए बढ़ायी जा सकती है।

अनुसन्धान और प्रशिक्षण कार्य पूरा हो पर उम्मीदवारों को प्रतिरक्षा अनुसन्धान और विकास संगठन में नौकरी दी जा सकती है। प्रतिरक्षा विज्ञान सेवा में लिये जाने पर उनको उच्च पदों पर नियुक्त किया जा सकता है।

जगह ५ अबर सचिव ही रह गये हैं। अब हिमचल प्रदेश में भी दिल्ली की तरह के ही ती सचिव हैं। विकास और सहाकार सचिव तथा शिक्षा और प्रति सचिव के पद समाप्त कर दि गये हैं। इनके अलावा वहाँ ६ विभाग अधिकार हैं, जो सीधे उप-राज्यपाल की देखरेख में का करते हैं।

मणिपुर और त्रिपुरा के प्रशासनिक पुनर्गठन का प्रस्ताव अभी विचारधीन है। इन उद्देश्य से यह पुनर्गठन किया जा रहा है कि सचिवालय में मुख्य अधिकारियों की सख्या घटा दी जाए और विभाग अधिकारी सीधे चीफ कमिश्नर की देखरेख में ही काम करें। इससे काम जल्दी निपटने की सम्भावना रहेगी।

सरकारी काम सीधेता और कुशलतापूर्वक चलाने के खवाल से ही केन्द्र-शासित क्षेत्रों में यह पुनर्गठन किया जा रहा है। दिल्ली में नगर निगम और हिमाचल प्रदेश, मणिपुर तथा त्रिपुरा में क्षेत्रीय परिषद स्थापित हो जाने से इन केन्द्र-शासित क्षेत्रों का बहुत-सा प्रशासनिक काम भी इन मन्त्रालयों की सीमा जा रहा है।



# स मा चार - दर्शन

१ दिसम्बर से १५ दिसम्बर तक

दिसम्बर

- १—नयी दिल्ली में प्रधान मन्त्री, श्री नेहरू द्वारा इकाफे क्षेत्र की सार्वजनिक उद्योग प्रबन्ध सम्बन्धी संयुक्तराष्ट्रीय विचार-गोष्ठी का उद्घाटन
- २—बच्चों के अपहरण और उन्हें अपग बनाने से सम्बन्धित विधेयक: राज्यसभा द्वारा अनुमोदित, जिसे लोकसभा पहले ही पाम कर चुकी है
- ४—सरकार द्वारा वायदा बाजार निदेशालय, जिसका मुख्यालय बम्बई में होगा, खोलने का निर्णय घोषित.  
—कागज और गत्ते के उचित कारखाना-मूल्य और बाजार-मूल्य से सम्बन्धित तट कर आयोग की सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकृत
- ५—गण्डक सिंचाई और बिजली योजना-कार्य के बारे में भारत और नेपाल के मध्य नयी दिल्ली में एक समझौता सम्पन्न, जिम्मे अनुमार ५० ५ करोड़ रुपये का सम्पूर्ण अनुमित व्यय भारत उठायेगा  
—भिलाई इस्पात कारखाने का सलयूरिक एसिड सयन्त्र चालू; यह इस कारखाने का सबसे बड़ा रासायनिक पदार्थ मयन्त्र है  
—वियतनाम लोक गणराज्य के मास्कुतिक शिष्टमण्डल का, जिगमें ४५ नतक और गायक हूँ, नयी दिल्ली आगमन
- ६—प्रधान मन्त्री श्री नेहरू द्वारा दामोदर घाटी नियम के चौथे और सबसे बड़े पाछेठ बाध का उद्घाटन  
—खान दुर्घटना की चपेट में आने वाले मजदूरों और उनके आर्थिकों की भलाई के लिए भारत सरकार द्वारा 'खान श्रमिकों का आपातकालीन महापता कोष' स्थापित
- ७—मंयूर मे छठें अन्तर्विद्विद्यालय युवक ममारोह का समारम्भ  
—नयी दिल्ली में केन्द्रीय रेल मन्त्री, श्री जगजीवन राम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय रेलवे कार्यक्रम के स्थायी आयोग की छठवीं बैठक का उद्घाटन

दिसम्बर

- राज्यसभा द्वारा सविधान (आठवां संशोधन) विधेयक, १९५९, अनुमोदित
- नयी दिल्ली में केन्द्रीय खाद्य और कृषि मन्त्री, श्री एस० के० पाटिल द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया और प्रगान्त महासागर क्षेत्र की पीथा सरक्षण समिति की तीसरी बैठक का उद्घाटन
- ८—राज्यसभा में भारत-चीन सम्बन्ध पर दो दिन की बहल आरम्भ
- ९—अमरीका के प्रेजीडेण्ट, परमथेण्ड थ्री द्वाइट आइजनहावर का ५ दिन की राजकीय यात्रा पर नयी दिल्ली आगमन
- ११—नयी दिल्ली में राष्ट्रपति, डा० राजेन्द्रप्रसाद द्वारा विश्व कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन
- १४—नयी दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के बीच वित्तीय बातों का दूसरा दौर समाप्त  
—परमथेण्ड थ्री आइजनहावर को भारत यात्रा की समाप्ति पर नयी दिल्ली में संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित  
—नयी दिल्ली में केन्द्रीय खाद्य और कृषि मन्त्री, श्री एस० के० पाटिल द्वारा एशिया और दूरपूर्व की डेी सम्बन्धी समस्याओं पर बैठक का उद्घाटन
- १५—देश भर में नौ सेना दिवस मनाया गया  
—सार्वजनिक सेवा (योग्यताएँ और भर्ती) समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार के फैसले घोषित  
—प्रधान मन्त्री ने लोकमभा में वह सब पत्र और जापान रखे जो भारत और चीन सरकारों ने एक दूसरे को भेजे थे, और लद्दाख में चीनी सैनिकों द्वारा बन्दो बनाये गये भारतीय पुलिस दल के प्रति चीनी सैनिकों के व्यवहार के सम्बन्ध में कर्मीगह का वक्तव्य भी रखा ।

# इन पत्रिकाओं को अपने वाचनालय में सम्मिलित कीजिए

**धनिकेश :** इन मॉडर्न मॉडर्न मानिक पत्र में भारत भर के प्रसिद्ध साहित्यकारों के विचारपूर्ण लेखों, कविताओं तथा रचनाओं के प्रतिबिम्ब तथा, संस्कृति व अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर प्रामाणिक लेख पढ़िए ।

वार्षिक शुल्क ६.०० रुपये ।

**बाल-भारती :** बच्चे-बच्चों की मॉडर्न मानिक पत्रिका, जिसमें सरल भाषा में मनोरंजक कहानियाँ, शिक्षाप्रद कविताएँ, उच्चकोली केन्द्र और स्वाभाविक प्रस्तुत किए जाते हैं । वार्षिक शुल्क ४.०० रुपये ।

**योजना :** सब क्षेत्रों में हुई प्रगति का ध्यानरचनात्मक मूल्य धारणने वाला, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पर-प्रदर्शन करने वाला पत्र-पत्रिका के एक मास करने वाला वार्षिक पत्र । वार्षिक शुल्क २.५० रुपये ।

**कुरुक्षेत्र :** मॉडर्न मानिक पत्र, जिसमें देश के सामुदायिक विकास कार्यक्रम मन्त्र-मन्त्री समाचार तथा लेख प्रकाशित होते हैं । वार्षिक शुल्क २.५० रुपये ।

बिच्छी बढ़ाने के लिए इन पत्रिकाओं में विज्ञापन कीजिए

प्रकाशन विभाग

पो. बा. नं० २०११, ब्रोड स्ट्रीट, दिल्ली-८

## स्थायी महत्व की पुस्तकें- सुन्दर सजधज-कम दाम


	मूल्य	डाक खर्च
राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के भाषण (१९५२-१९५६)	३.५०	०.८५
भारत के पक्षी—राजेश्वरप्रसादरायण सिंह	१२.५०	१.५०
स्वाधीनता और उमके वाद (जवाहरलाल नेहरू के भाषण १९४६-४९)	५.००	१.३५
भारत १९५८	४.५०	०.७५
भारतीय कविता—१९५३	५.००	१.७५
भारत की एकता का निर्माण (सरदार पटेल के भाषण)	५.००	१.३०
भारतीय वास्तुकला के ५,००० वर्ष	२.००	०.२५
कर-जांच आयोग के प्रतिवेदन का संक्षिप्त सार	२.५०	०.७५
योजना से खुसहाली	०.७५	०.२०
अधोक के धर्म लेख	१.००	०.२५
पंचांग सुधार	०.३५	०.१५
तपेदिक के रोगियों की घरेलू देखभाल	०.३५	०.१५

(रजिस्ट्रेशन व्यय अलग)

पच्चीस रुपये या इससे अधिक की पुस्तकों पर डाक व्यय नहीं लिया जाएगा ।

प्रकाशन विभाग

पो. बा. नं० २०११, ब्रोड स्ट्रीट, दिल्ली-८



## हाथ कर घे

भारतीय  
अर्थ-व्यवस्था  
के महत्वपूर्ण अंश



भारत का हाथकरघा उद्योग निःसन्देह अपनी सफलताओं पर गर्व कर सकता है—१९५२ में जबकि इससे केवल ११,००० लाख गज कपड़ा बनाया जाता था, १९५९ में यह परिमाण १८,५०० लाख गज तक आ पहुँचा है। अब भी यह उद्योग निरन्तर प्रगति कर रहा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि की समाप्ति तक २२,२०० लाख गज कपड़े का लक्ष्य रखा गया है। आजकल ७० लाख बुनकरों को रोजी देने वाला यह उद्योग भारत की वस्त्र सम्बन्धी कुल वार्षिक आवश्यकताओं का एक चौथाई से भी अधिक भाग पूरा करता है।

**अखिल भारतीय हाथकरघा बोर्ड**

पोस्ट बॉक्स नं० १०००४, यन्त्र-१ ढी० ए०-५९।३८१

प्रतिरक्षा मन्त्री, श्री वी० के० कृष्ण-  
मेनन ५ दिसम्बर को नयी दिल्ली में  
दीक्षान्त परेड के अवसर पर सहायक  
वायुसेना के ५१वें स्ववाङ्गन (दिल्ली)  
के सहायक अधिकारियों की वर्दी पर  
वायुसेना के चिह्न लगाते हुए



७ दिसम्बर को नयी दिल्ली के सफदर-  
जंग हवाई अड्डे पर पाकिस्तान के  
विशेष शिष्टमण्डल के सदस्य



नयी दिल्ली में ६ दिसम्बर को विद्यत-  
नाम की नृत्य और नाट्य मण्डलों के  
सदस्य, केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसन्धान  
और संस्कृति मन्त्री श्री हर्माय बबीर






### प्राचीन भारतीय कला और कारिगरी


भारतीय कारीगर लकड़ी, धातु, पत्थर और कपड़े पर उत्कृष्ट कलापूर्ण कारिगरी करने में सदियों से अग्रणी रहा है। चित्र में कारीगर तांबे के बर्तन पर फूल-पत्ती नक्काश रहा है

दक्षिण भारत में, खास कर तंजीर, मदुराई और तिरुनेलवेली के कुछ परिवारों में प्राचीन और परम्परागत मुक्ति कला आज भी फल-फूल रही है। चित्र में कारीगर धातु की मूर्तियां बना रहे हैं









हाथ कर घे

भारतीय  
श्रम-व्यवस्था  
के महत्वपूर्ण अंश



भारत का हाथकरघा उद्योग निःसन्देह अपनी सफलताओं पर गर्व कर सकता है—१९५२ में जबकि इससे केवल ११,००० लाख गज कपड़ा बनाया जाता था, १९५९ में यह परिमाण १८,५०० लाख गज तक आ पहुँचा है। अथ भी यह उद्योग निरन्तर प्रगति कर रहा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि की समाप्ति तक २२,२०० लाख गज कपड़े का लक्ष्य रखा गया है। आजकल ७० लाख बुनकरों को रोजी देने वाला यह उद्योग भारत की बहन सम्बन्धी कुल वार्षिक आवश्यकताओं का एक चौथाई से भी अधिक भाग पूरा करता है।

अखिल भारतीय हाथकरघा बोर्ड

पोस्ट बैग न० १०००४, व म्वई-१ ढी० ए०-५९,३८१

प्रतिरक्षा मन्त्री, श्री वी० के० कृष्ण-  
भेनन ५ दिसम्बर को नयी दिल्ली में  
दीक्षान्त परेड के अवसर पर सहायक  
वायुसेना के ५१वें स्वबाइन (दिल्ली)  
के सहायक अधिकारियों की वर्दी पर  
वायुसेना के चिन्ह लगाते हुए




७ दिसम्बर को नयी दिल्ली के सफदर-  
जंग हवाई अड्डे पर पाकिस्तान के  
बितीय दिप्टमण्डल के सदस्य



नयी दिल्ली में ६ दिसम्बर को वियत-  
नाम की नृत्य और नाट्य मण्डली के  
सदस्य, केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसन्धान  
और संस्कृति मन्त्री श्री हुमायूँ कबीर  
के साथ





### प्राचीन भारतीय कला और कारीगरी

भारतीय कारीगर लकड़ी, धातु, पत्थर और कपड़े पर उत्कृष्ट कलापूर्ण कारीगरी करने में सदियों से अग्रणी रहा है। विश्व में कारीगर तावे के बतन पर फूल-पत्ती नक्काश रहा ह

दक्षिण भारत में, खास कर तंजौर, मदुराई और त्रिफलेवेली के कुछ परिवारों में प्राचीन और परम्परागत मूर्तिकला आज भी फल-फूल रही है। विश्व में कारीगर धातु की मूर्तियां बना रहे हैं



